



सहचर है समय
(रामदरश मिश्र की आत्मकथा)

GIFTED BY
RAJA RAMMUNION ROY TRUST FUND
Block DD 34 Sector 1 Salt Lake City
CALCUTTA 700 061



किताब घर

दरियागंज, नई दिल्ली

सह्यर है समय

रामदरश मित्त

GIFTED BY
RAJ: RAMDASHUN DRY LIBRARY FOUNDATION
Block no 54 Sector 1 Salt Lake City
CALCUTTA 700 064.

ISBN—81-7016-072-3

प्रकाशक

किताबघर

24 4866, अंसारी रोड

दरियागंज, नई दिल्ली-110002

आवरण

इमरोज़

मुद्रक

चोपड़ा प्रिंटर्स, मोहन पार्क

शाहदरा, दिल्ली-110032

SAHCHAR HAI SAMAY

(Ramdarash Mishra's Autobiography in Hindi)

परिवार के नये यात्री
मेहा, आशी, वर्षा, स्वाती, उत्सव और शुभ्रा को
साशीष

कथा आत्मकथा की

आत्मकथा लिखने का निश्चय करके मैंने आत्मकथा नहीं लिखी। हुआ यह कि बार-बार मेरे पास मेरे जीवन-परिचय के लिए पाठकों और शोध-छात्रों के पत्र आने लगे। दो-एक बार तो मैंने लिखकर भेज दिया किंतु बार-बार लिख भेजना असुविधाकारी लगने लगा। अतः मैंने 'जहां मैं खड़ा हूँ' एक लम्बा लेख लिखा, जिसमें मेरे बचपन की कुछ घटनाओं और जीवन-परिवेश का चित्र है। यह निबंध मेरे निबंध-संग्रह 'कितने बजे है' में संगृहीत हुआ। फिर मेरे मन में उठा—'क्यों न बचपन के जीवन और उसके परिवेश को लेकर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जाये?' लिखने लगा और लिखने के क्रम में ही यह इच्छा उभरती गई कि मैं अपनी पूरी जीवन-यात्रा ही क्यों न लिपिबद्ध कर दूँ ! यानी पूरी आत्मकथा लिख डालूँ !

'आत्मकथा ? क्या है तुममें जो लोग तुम्हारी आत्मकथा पढ़ेंगे ?' मैंने अपने से ही यह प्रश्न किया। बान तो ठीक है। मैं तो सामान्य जीवन जीने वाला एक सामान्य साहित्य-यात्री हूँ, मझमें ऐसा विशेष क्या है जो लोगों को मेरी आत्मकथा पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भीतर से ही उत्तर आया—'लेकिन तुम्हारी कहानी अपनी ही कहानी कहां है ? यह तो उस परिवेश की भी कहानी है जिसमें तुम जिये हो। और माना कि तुम सामान्य हो लेकिन अनन्त सामान्य लोग सामान्य लोगों की सामान्य जिंदगी में ही तो अपने को पाते हैं। वे तुम्हारे जीवन का प्रभुकारी घटना से चमत्कृत भले न हों, तुम्हारे सामान्य सुख-दुख को अपना सुख-दुख अनुभव कर उममें अवश्य डूबेंगे।'

'जहां मैं खड़ा हूँ' लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया, इसलिए अगले खंड लिखने का उत्साह मन में भर आया और बचपन के जीवन पर आधारित इस प्रथम खंड के बाद तीन खंड और लिखे—'रोशनी की पगडंडियां', 'टूटते-बनते दिन' और 'उत्तर-पथ'। इन खंडों की कथा गांधी छोड़ने के बाद की है। इनमें क्रमशः ढरसी से लेकर वाराणसी तक, वाराणसी से लेकर अहमदाबाद तक और फिर दिल्ली से लेकर दिल्ली तक के मेरे जीवन-प्रसंगों और विविध परिवेशों का चित्रण है।

आलोचकों और पाठकों ने मेरी आत्मकथा को बहुत प्यार दिया, और बहुत-से लोगों ने इसे उपन्यास भी माना। यह उपन्यास है कि नहीं यह अलग चर्चा का विषय है किंतु मैंने औपन्यासिक कौशल का प्रयोग अवश्य किया है। इसमें तमाम तथ्यों का नीरस विवरण न प्रस्तुत कर मैंने उनका चुनाव किया है और रचा भी है। परिवेश को और उसके साथ अपनी तथा चरित्रों की भावात्मक तथा वैचारिक टकराहटों को भी उभारने का प्रयत्न किया है।

चारो खंड अलग-अलग प्रकाशित हुए। अब सबका समवेत रूप 'सहचर है समय' के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत है। यह समवेत रूप शायद एक अलग स्वाद दे सके।

व. म. श. 21-6-57

जहां मैं खड़ा हूं

मैं पीछे मुड़कर दूर एक बालक को देख रहा हूँ जो धूल में लोट-लोटकर अपने कपड़े फाड़ फाड़कर रो रहा है। उसने एक छोटा-सा, प्यारा-सा कुत्ता पाला था, घरवालों ने यह कुत्ता दूसरे गांव के एक आदमी को दे दिया। वह बालक उस कुत्ते को गोद में छिपाये भाग रहा है और उसकी गोद से उसे जबर्दस्ती छीनकर उस आदमी को दे दिया जाता है। वह बालक प्रतिरोध में किसी को काट लेता है, किसी पर डेले मारता है, किसी को अनाप-शनाप बकता है लेकिन उसका कुत्ता छीन लिया जाता है। जब कुछ नहीं होता तो अपने कपड़े चीथ-चीथकर धूल में लोट रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वह बच्चा धीरे-धीरे सरकता हुआ मेरी ही ओर आ रहा है और मुझमें समा गया है। जी हां, वह मैं ही था और अब तक वह हूँ।

तब कुत्ता पाला था, अब सपने पालता हूँ, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए; वे छीन लिये जाते हैं, छीनकर किसी और को दे दिये जाते हैं, या तोड़ दिये जाते हैं—अपनों द्वारा भी और दूसरों द्वारा भी। और एक यातना, एक आक्रोश लिये हुए मैं तड़पता हूँ। मन ही मन कोंचता हूँ अपने को भी और छीनने वालों को भी। यही मेरी जीवन-कथा है और यही कथा है मेरे लेखन की भी। लेकिन न जाने क्या है कि मैं टूटा नहीं, बिखरा नहीं, मिट-मिटकर बनता हूँ, गिर-गिरकर उठता गया हूँ, भटक-भटककर रास्ते पर आ गया हूँ। कहते हैं, मैं जिस रात (15 अगस्त, श्रावण पूर्णिमा, 1924 की रात) को पैदा हुआ वह बहुत भयावनी थी और प्रसूतिगृह में तमाम कीड़े-मकोड़े भर गये थे। इन कीड़ों को देहात में जमुआ कहते हैं और विश्वास है कि ये नवजात शिशु की जान लेने के लिए आते हैं। मां को कहां सुघ रही होगी, पड़ोम की एक फूआ ने यह देखा तो घबरा गयीं और मुझे उठाकर दूसरे कमरे में भागीं। यानी मैं पैदा होते ही मौत के मुंह में चला गया था और उसे फांदकर निकल आया। मेरी जीवन-यात्रा में कीड़े-मकोड़े भी खूब मिले लेकिन मुझे उनसे बचाने वाली शक्तियां भी मिलती ही गयीं। कीड़े-मकोड़े तो सबको मिलते हैं, किसी-किसी को तो साफ ही कर जाते हैं, उनकी जिजीविषा, उनके जीवन-मूल्य सभी को चट कर जाते हैं लेकिन मुझे जिजीविषा मिली है, जीवन के प्रति अगाध विश्वास, निष्ठा और मूल्य मिला है तो इसीलिए कि कीड़े-मकोड़ों के बावजूद जीवनदायक कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई रस मुझे देर-सबेर मिलता ही रहा है। इसलिए जीवन के प्रति आस्था को खंडित करने वाले साहित्य में

मेरी आस्था जम नहीं पाती और अपने लेखन में मैं जीवन-आस्था को जिलाये रखने की कोशिश करता हूँ।

जब कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे यह जीवन-रस कहां से मिला है तो सबसे पहले मेरी दृष्टि चली जाती है अपने परिवेश पर। होश संभालते ही मैंने अपने चारों ओर एक छोटी-सी दुनिया देखी—परिवार की, मित्रों की, गांव की, खेतों की, खलिहानों की, बाग-बगीचों की और यह दुनिया धीरे-धीरे बड़ी होती गयी। डुमरी बीहड़ कछार में बसा हुआ एक गांव—जो मेरा गांव है। इसके एक ओर राप्ती बहती है, एक ओर गोर्रा। दोनों ने इस गांव को और इस जैसे सैकड़ों गांवों को अपनी कुंडली में लपेट रखा है। इसके चारों ओर दस मील तक कोई पक्की सड़क या रेल नहीं थी, अब भी नहीं है। उत्तर में दस मील पैदल चलकर आपको चौरीचौरा या सरदारनगर या कुसुम्ही स्टेशन मिलेगा, दक्षिण में दस मील पर गगहा में पक्की सड़क मिलेगी, पूरब में दस मील पर रुद्रपुर में पक्की सड़क मिलेगी। हा, पश्चिम में पक्की सड़क पाने के लिए आपको छः मील ही चलना पड़ेगा। अब उत्तर में कुछ सुविधाएं हो गयी हैं। बचपन में लगता था कि यह अपने-आपमें बड़ा संसार है जो लगातार बाढ़ की मार से घायल हो रहा है। हा, मुझे याद है—हर साल बाढ़ आती थी, हर-भरे खेत बह जाते थे। बाढ़ के लौट जाने पर बचता था—रेत का विस्तार, असीम सूनापन और लोगो की आंखों में भयावह स्तब्धता, ‘अब क्या होगा, अब जीवन कैसे बीतेगा’ का एक मौन प्रश्न। फिर चलता था कुर्ज का दौर; पैसे वालों के यहा खेतों के, गहनो के बंधक चढ़ने का क्रम; उपवास पर उपवास की श्रृंखला और अभावजन्य सारी यातनाओं का दौर।

मैं अभी भी देख रहा हूँ—अपने घर को, पड़ोस के घर को, गांव को...पानी बरस रहा है, खूब बरस रहा है, झपटी चल रही है, चौबाई बह रही हैं, धरो में निकलना मुश्किल हो रहा है, गलियों में रास्तो पर घुटने-घुटने-भर पानी बह रहा है, खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है, घर चू रहा है, सामान यहां से वहां हो रहा है, लोग इधर से सरककर उधर हो रहे हैं लेकिन बचाव का रास्ता नहीं दीखता। छत चलनी हो गयी है।

...एक दीवार गिर गयी है। पिताजी कहीं जाते-जाते रुक गये हैं, खामोश हैं, उनकी आंखों में गिरी हुई दीवार का सारा मलबा प्रतिबिंबित हो रहा है। मा (कवलपाती) क्रोध में है। बड़बड़ाती है—“घर छवा दिया होता तो दीवार नहीं न भीगती। दस दिन से पानी चू-चूकर दीवार में समस रहा है। अपने तो जाकर पड़ोसी के दरवाजे पर सो जायेंगे और सबका क्या होगा ?” मैं और मक्षले भाई (रामनवल मिश्र) भयभीत-से यह कांड देख रहे हैं। मां की मुखर बेचैनी और पिता की मौन निरुपायता दोनों का दर्द हमारी आंखों में उतर आया है।

हम लोग फिर चौकते हैं, पड़ोस के मकान की दीवार अरराकर टूटती है। लगता है एक-एक कर तमाम धरो की दीवारें टूटती जा रही हैं। दीवारों के टूटने की एक लय-सी बन गयी है। दोपहर हो गयी है लेकिन चूल्हे की ऊष्मा किसी के घर में नहीं ध्यायी है, वे उदास पड़े हैं, एक ठंडा सन्नाटा चारों ओर फैला है, हवा हों-हों करके बह

रही है। सामने के बांस लपक-लपककर जमीन छू रहे हैं, पीपल का पेड़ हहरा रहा है, सामने की पोखरी में बारिश बज रही है, लोग अपने-अपने घरों में झुकती हुई छत को रोकने के लिए थूनियां लगा रहे हैं, नंगे शरीरों पर ठंडक के कारण कांटों की तरह रोयें खड़े हो गये हैं, लोग फटी हुई धोती का एक छोर खोलकर ओढ़ ले रहे हैं।

बाढ़ आयेगी। आयेगी क्या, आ रही है। चूल्हे का अभी से यह हाल है, आगे क्या होगा? आंखों में निरुपायता कस गयी है, एक खाली भविष्य आगे दहाड़ रहा है।

पानी...पानी...पानी...पानी...दिन तो कट जाते हैं, रात कैसे कटे? आंखों में नींद है, लेकिन चारों ओर से चूती हुई पानी की बूंदें छन्न-छन्न शरीर पर गिरती हैं, पानी का शोर रात के सन्नाटे में और गहरा और भयानक हो गया है, गिरती हुई दीवारों की अरराहट लयबद्ध हो गयी है। "सांप", किसी घर से आवाज आती है। बैसे सापों की क्या कर्मी? खपरैलों पर ये 'तिनितिति' करते हुए रात-भर रेंगते ही रहते हैं। कभी घन्नियो से लटके दिखाई पड़ जाते हैं। कभी फर्श पर उतर आते हैं, कभी किसी को काट लेते हैं। रास्तों पर भी फैल जाते हैं। कोई कितना बचेगा! हां, गांव में किसी को सांप ने काट लिया है। कुछ लोग ओसौनी ओढ़े घबराये-मे आते हैं, "चन्नर बाबा हो! अरे जल्दी चलिए, हमारी बिटिया को सांप ने काट लिया है।" मेरे पिताजी, यानी रामचन्द्रजी, यानी गांव के चन्नर बाबा सांप का मंत्र जानते हैं, उनके मिर पर तमाम देवता भी आते हैं और जिमके मिर पर इतने देवता आते हैं वह खुद देवता से किस बात में कम होगा! मचमुच पिताजी देवता थे—सीधे, निश्चल, हर आदमी की सेवा के लिए तैयार। घरों में आग लगने पर वे उसमें कूद पड़ते थे, सांप का विष झाड़ने के लिए कहां-कहां जाते थे। किमी की दवा लानी हो तो वे जाते थे, किसी को बाजार से कुछ मंगाना हो तो ला देते थे, किमी का शादी-ब्याह हो, वे हफ्तों पहले तैयारी करते थे और महायता के लिए प्रस्तुत होते थे किमी का शव हो, उसे उठाने के लिए सबसे पहले तैयार रहते थे, किमी हर्गिजन या दूमरे को जरूरत पड़ती तो खलिहान से चुपके से अनाज दे देते थे, घरवालों में छिपाकर किमी को कुछ भी दे देते थे। उन्हें लोग ठगते भी खूब थे। राक्षस देवताओं की प्रशंसा कर उनसे वरदान मांगकर उन्हें ठगते ही आये हैं। सो पिताजी तुरन्त भीगते-भागते गये, रात-भर मंत्र पढ़ते रहे, बच्ची जी गयी, उनकी जय-जयकार हुई।

आखिर बाढ़ आ ही गयी। सब कुछ डूब गया। क्या बढ़िया फसल थी—जवानी में झूमते हुए धान, मक्के, अरहर, सांवां, कोदो, टागुन सब देखते-देखते डूब गये और आदिगंत पानी का विस्तार। उछलती हुई लहरें, शोर करती हुई लहरें, लहरें-लहरें...हवाओं का बजता हुआ वेग जैसे सब कुछ ठहर गया हो। एक भरा-पूरा दिखाई पड़ता मंसार जैसे आंखों के आगे से छिन गया हो...

हां, यथार्थ का यह बिंब हमारे परिवेश का बिंब है जिममें मैं हूँ, जो मुझमें है। फिर सिलसिला शुरू होता है यातनाओं का। फागुन तक घर-घर उपवास का सिलसिला। उधार-कर्ज का सिलसिला। गांव में कुछ ही घर ऐसे थे (कुछ अधिक खेत वालों के थे, कुछ धूर्तों के थे) जो रोटी के सबाल से मुक्त थे, नहीं तो सभी घर रोटी के सबाल से

जूमते थे। एक अजीब अपमान, शिड़की, आत्महीनता से पीड़ित ये लोग दिन ढोते थे। आंखों में एक सीलन-भरा सन्नाटा अंटा होता था। तिस पर मालगुजारी के लिए कुर्क अमीन का दौरा, लगान के लिए जमींदार के सिपाहियों का उत्पात, दारोगा जी का आतंक, कर्ज की वसूली के तकाजे, सरकारी चंदे, पटवारी जी की भेंट, कुलगुरुजी का आगमन, लड़की की बिदाई, तर-त्योहार, अतिथि-सत्कार, मृत्यु-संबंधी औपचारिकता, धरम-करम, न जाने कितनी जोकें थीं जो इन्हें चूसती थी। मैंने न जाने कितने दर्द देखे हैं, भोगे हैं इस परिवेश के। अभावों की कितनी ही आवाजें मैंने सुनी है। न जाने इनके कितने बिब मेरे भीतर बसे हुए हैं—निजी संदर्भों के भी और सामाजिक संदर्भों के भी। कुर्क अमीन आया है। जो लोग मालगुजारी नहीं दे सके हैं वे भाग रहे हैं, अपने बैल उनके यहां बांध रहे हैं जो मालगुजारी दे चुके हैं। लेकिन कब तक चलेगा और किस-किस के साथ चलेगा। दो-चार आदमियों के यहां कितने गोरू-बैल बांधे जायेंगे। लोग हाथ जोड़े कुर्क अमीन के आगे खड़े हैं, मुहलत मांग रहे हैं, डांट-फटकार सह रहे हैं, उनके बैल लाकर इकट्ठे कर दिये गये हैं, लोग घर की रही-सही लेई-पूंजी ले-लेकर दूकानदारों के यहां भाग रहे हैं, जुर्माना देकर बैल छुड़ाये जाते हैं। वह देखिए, लाठी लेकर जमींदार के सिपाही खोज रहे हैं और लोग लुक-छपकर भाग रहे हैं। कुलगुरुजी को भी आना था, घोड़ी टिकटिकाते हुए आ गये, अब कीजिये उनका स्वागत-सत्कार और दीजिए बिदाई। कोई नया-नया रिश्तेदार रिश्तेदारी करने आ गया है, इस भी यही वक्त सूझा। घर पर कुछ खाने को होगा नहीं; सोचा, चलो दूसरों के भरीसे ही जियो। अब इसके लिए बढ़िया चावल लाओ, दाल लाओ, गेहूं का आटा लाओ, घी लाओ, या तो उधार लाओ या खरीदकर लाओ। घर में क्या रखा है! घर में मुश्किल से एक वक्त आधा पेट खाना मिल रहा है। लड़कियां बथुए का साग खोटकर लाती हैं, साग में दो-चार दाना कोदो-सांवां का भात मिलाकर खा लिया जाता है और दो लोटा पानी पी लिया जाता है। कभी शकरकन्दी से, कभी मक्के के भूजा से काम चल जाता है। भइयादूज के दिन पटवारी भइया एक-एक दोनिया चीनी बांटते हैं और दो-दो रुपये की भेंट लेते हैं, बंधा हुआ है। कोई नहीं देगा तो वह जाने। ऐसे ही हर जोक अपने हिस्से का खून चूसती है। इस बात का खयाल किये बिना कि इसके शरीर में खून बनता भी है या नहीं।

अभावग्रस्त चेहरों की लाइनें ही लाइनें। आंखों में सूनापन, तन पर फटे कपड़े। हरिजन तो भागकर चंपारण चल जाते हैं, वहां धान की कटाई करने लेकिन निम्न-मध्यवर्गीय लोग कहां जायें? काफ़ी घरों के लोग बाहर कमाते हैं—कलकत्ते में, रंगून में, सिंगापुर में। लोग बाहर से आने वाले मनीआर्डर का इंतजार करते हैं—पेट भरने के लिए, कर्ज भरने के लिए। दो-चार लोग तराई में भीख मागने चले जाते हैं, कुछ लोग चेलान, कुछ लोग पुरोहिताई करने निकल जाते हैं। अभाव की एक अजीब गंध बाहर-भीतर फैली है।

मैं बाहर-भीतर की एक गंध की गहराई से गुजरा हूं लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा महत्त्व का है। अभाव के कीड़े-मकोड़ों के दंश से तड़पठे

कछार के जीवन में कहीं बहुत बड़ी जीवनी-शक्ति थी, रस का कोई भीतरी अक्षय स्रोत था जिससे यह जीवन टूटकर भी नहीं टूटता था, रिसकर भी नहीं रीतता था। बाढ़ हर साल आती थी, हर साल लोग उसी उत्साह से खेत बोते थे—कर्म लेकर। उसी उत्साह से राप्ती से निकलने वाले भगड़ा नाले का मुँह बाँधते थे, और एक दिन भगड़ा नाला उफनकर बाँध तोड़ देता था और 'हा हा हा हा हा' करता हुआ गाँव के पास फैलता हुआ उसे चारों ओर से घेर लेता था। उधर गोर्रा नदी से आने वाले नाले गाँव के दूर वाले खेतों को निगल लेते थे। एक समुद्र फैल जाता था। जवानी में ठाठें मारती हुई फसलें देखते-देखते डूब जाती थीं लेकिन लोग पानी को चीर-चीरकर नाले पर से फसलें काट-काटकर लाते थे, पशुओं के लिए। दो-एक लोग डूबते थे लेकिन उससे यह यात्रा बद नहीं होती थी। नागपंचमी का त्योहार उसी उत्साह से मनाया जाता था, खेत तो डूबे होते थे, किमी के बड़े दरवाजे पर ही खेल जम जाता था। गुड़िया पीटने के लिए लड़कों को डंडे चाहिए। लड़के या उनके बड़े आधे मील दूर स्थित डीह पर जाकर डंडे काटते थे। मेहदी भी चाहिए, लोग मालियों के गाँव से लाते थे। लड़कियाँ अपने पुराने कपड़े ही धो-धोकर धानी रंग में रंग लेती थीं और अकुंठ स्वर से कजली गाती हुई खेत की भूमि तक आती थी। गुड़ियाँ पानी में फेंकती थीं और सब कुछ नियमित चलता था। तीज, जियुतिया, पिड़िया आदि त्योहार औरतों के भीतर एक शक्ति भर देते थे।

बाढ़ हटते ही भूमि नहा-धोकर उभर आती थी और नये बीज डालने का उत्साह चारों ओर भर जाता था। शरद अपनी ताजगी लिए आता था, हवा में, धूप में, रातों में, जमीन में एक अद्भुत जीवन-गंध भर जाती थी, खेतों के जुतने से मिट्टी अपने भीतर की महक लुटाने लगती थी। जल निथरने लगते थे, घाट चालू हो जाते थे, फिर दशहरा, दीवाली, कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार तरह-तरह की छवि लिये आते थे, जीवन हंस पड़ता था, अपने अभावों में भी गाने लगता था, अकेलेपन के बाहर आकर समूह के माले में गुथ उठता था। छोटी-छोटी लौ की तरह नये अंकुर चारों ओर जल उठते थे, भविष्य का एक सपना आँखों में पलने लगता था। धीरे-धीरे हरियाली की बाढ़-सी आ जाती थी, फिर फूलों का समुद्र लहराने लगता था। सरसों-तीसी, मटर के पीले, नीले, लाल फूल और फूल ही फूल। ये फूल जीने के लिए न जाने कितना कुछ दे जाते थे, भीतर कितना भर जाता था इनसे ! प्रकृति की अक्षय सुंदरता कछार की अपनी निधि है। प्रकृति लेती है, तो देती भी है।

धीरे-धीरे हवा फिर रुख बदलती थी। झर-झर-झर-झर पत्ते झरने लगते थे, फसलों में एक खास किस्म की पकी हुई गहराई उभरने लगती थी जैसे रंगों की उड़ान एक गहरी आभा से झुक जाती थी। एक अजीब रूमानी ख्वाब से मन भर जाता था। दिगंतों तक मन उड़ता था। भूखे-नगे लोग फाग गाने में मस्त हो जाते थे। रात-रात-भर फाग गाते थे, दोपहर को गाते थे, दरवाजे पर गाते थे, चौराहों पर जमा देते थे, खेतों में गाते थे, रास्तों में गाते थे, कबीर गाते थे, रंग खेलकर आते-जाते लोगों से रास्ते भरे रहते थे—फटे-कटे कपड़ों पर रंग। कितना उन्माद होता था फागुन में और कितना

उन्माद था उस समय के लोगों में ! घर-फूंक मस्ती वाले लोग । खेती-बारी की चिंता न कर गांव में, दूसरे गांवों में, संबंधियों के यहां फाग की स्पर्धा करते लोग घूमते थे । मेरे पिता जी भी इनमें थे । हम लोग भी फागुन को खूब जीते थे, इतना जीते थे कि आसपास के अभाव का पता ही नहीं चलता था । फिर चैत आता था, खेत कटते थे, खलिहानों में गांव की सामूहिक जिन्दगी का अपना सौन्दर्य निखरता था, फिर शादी-ब्याह में सामाजिकता उभरती थी । अब तो गांव ऊपर से संपन्न हो गये हैं किंतु भीतर से कितने दरिद्र और भाग्यहीन हो गये हैं इसे गांव के पिछले रूप के अनुभव से गुजरने वाला आदमी ही जानता है । हां, मैं जानता हूं । इसलिए अब जब कभी गांव जाता हूं तो प्रकृति तो उसी पुरानी सहचरी की तरह लगती है—अक्षय गंधा, अक्षय रूपवती, अक्षय रसमती लेकिन गांव के लोग वैसे नहीं लगते । उनके संबंध, उनके मूल्य टूट गये हैं, फक्कड़पन बनियागिरी में बदल गया है, त्योहारों और पर्वों का उल्लास पैसे और राजनीति की हलचल में खो गया है । अब उसमें जीवन देने की ताकत नहीं रह गई है । लेकिन मैं तो उस गांव की बात कर रहा हूं जिसमें यह शक्ति थी और जहां से मैंने जीने की शक्ति, जीवन के प्रति आस्था और मूल्य प्राप्त किये हैं, प्रकृति से जूझने की शक्ति और उमसे रस ग्रहण करने की सहृदयता पायी है । यही मेरी ठोस जमीन है, जो मुझमें, मेरे लेखन में रही है या मैं और मेरा लेखन जिस पर रहा है ।

इस जमीन में ही मेरे अनुभव बने हैं, मेरी दृष्टि बनी है और बना है वह देसीपन जो मुझे चमकीले से चमकीले विदेशी आकर्षण के प्रति आतुर नहीं होने देता । इस जमीन के अनेक आयाम हैं—परिवार, गांव, स्कूल, खेती-बारी । परिवार सबसे बुनियादी आयाम है । ऊपर आप मेरे माता-पिता के दर्शन कर चुके हैं । पिताजी बाबा की इकलौती संतान थे—एकदम सैलानी । उनका लाड-प्यार में पला बचपन । अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना-चुमाना, मेले करना, बाजार करना, रिश्ते में घूमना, बारात करना, चौताल और रामायण गाना यह उनकी दिनचर्या थी । शादी होने के बाद भी उनको जिम्मेदारी का बोध नहीं हुआ । बाबा एक जमींदार के यहां काम करते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी । वे स्वयं बहुत शक्तिशाली लठैत थे । लोग उनके प्रताप में धरते थे लेकिन वह बहादुर थे, दुष्ट नहीं । उनकी उदारता भी उनकी शक्ति की तरह ही विख्यात थी । अब वे बूढ़े हो चले थे और धीरे-धीरे गृहस्थी का सारा भार पिताजी पर पड़ने लगा और वे धीरे-धीरे इसका अहसास करने लगे । लेकिन एक तो उनकी सैलानी वृत्ति, दूसरे उनका भोलापन । घर का काम-काज वे ठीक से संभाल नहीं सकते थे और लोग उन्हें आसानी से बहकाकर सैलानीपन की ओर उन्मुख भी कर देते थे लेकिन घर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी ही थी, इसलिए कर्ज लेने पड़ते थे, खेत रेहन चढ़ने लगे, मां के गहने बिकने लगे । सुना था बड़ी बहन की शादी में बहुत बड़ी बारात आयी थी—बीसियों हाथी-घोड़े आये थे और साथ ही कई बीबे खेत भी रेहन चढ़ गये थे । जब मैंने होश संभाला तो घर अभावों की सख्त गिरफ्त में आ चुका था । बाबा एकदम लाचार हो चुके थे । लेकिन मेरी मां बहुत कर्मठ थीं । सुना है कि उन्होंने दादी के सास-सुलभ अत्याचारों को भी बहुत धैर्य से सह्य था और बुआ को लेकर पिताजी के

भी व्यवहार को सहजता से बर्दाश्त किया था। उसने इस उगते हुए अभाव के बीच घर को संभाले रखा। उसमें कर्म और संगीत का अद्भुत संतुलन था। उसने एक ओर अपने कर्म, अपने स्वाभिमान, अपने संघर्ष से घर को शक्ति दी, गौरव दिया, दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व के सांस्कृतिक आयाम द्वारा गांव की औरतों का नेतृत्व प्राप्त किया—चाहे पूजा-पाठ हो, चाहे शादी-ब्याह हो, चाहे पर्व-त्योहार हो, हर जगह मां का नेतृत्व था। वह बहुत अच्छा गाती थी, उसे सांस्कृतिक अनुष्ठानों के विधि-विधानों का ज्ञान था, लोक-कथाओं की ज्ञाता थी। उसका व्यक्तित्व शारीरिक रूप से जितना सुन्दर था उतना ही मानसिक रूप से भी। पिताजी अकेले और अभावग्रस्त होने के कारण दबू बन गये थे; मां में ऊर्जा थी, वह अभावों में भी तनी हुई थी, किमी की घोंस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हम लोग चाहे बाहर से लड-झगड़कर आते हों, चाहे अभाव से जूझते हों, मां ही शरणस्थली थी। मां पिताजी के अकर्मठ, सैलानी और दबू स्वभाव से चिढ़ती थी, उन्हें बार-बार कोंचती थी और फिर कहा-सुनी होती थी। सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दोनों ही 'चैपियन' थे लेकिन एक में संतुलन था, एक में असंतुलन। लेकिन ममतामय व्यक्तित्व दोनों का था। मैं नहीं कह सकता कि दोनों में से किसने मेरे भावुक व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित किया। कविता, संगीत, कथा, मस्ती आदि के संस्कार मैंने किससे अधिक ग्रहण किये, इसकी व्याख्या करना आसान नहीं है। पिताजी ज्यादा भावुक थे—बात-बात में तरल हो जाने वाले। पल में ही उत्तेजित, पल में ही आर्द्र, एकदम बच्चे थे। वे खुद घूमते थे, गाने-बजाते थे और हम लोगों को भी खूब स्वतन्त्रता दे रखी थी। अपने साथ हमें मेले ले जाते थे, रिश्तेदारों के यहाँ ले जाते थे, गवाते थे। हम कहीं उनका आतंक अनुभव नहीं करते थे वरन् उनसे मित्र का-सा खुलापन और स्नेह पाते थे। मुझे जीवन को देखने का इतना अवसर शायद उनकी दी हुई स्वतंत्रता के कारण ही मिला और गारे अभाव के बावजूद जो एक अकुंठ मस्ती मिली थी उसका भी कारण वह स्वतन्त्रता ही थी। इसमें मां का भी गहरा योगदान था। मां हमारे अस्तित्व को अपने ठोस हाथों द्वारा संवर-सहेज रही थी और हमें अभावजन्य हीनता का अनुभव करने से बचा रही थी।

मैंने ऊपर बार-बार 'हम' का प्रयोग किया है। हम माने मैं और मझले भाई रामनवल मिश्र। हम दोनों में ढाई-तीन साल का अंतर था लेकिन हम लोग भाई के साथ-साथ हमजोली भी थे, साथ-साथ पढ़ना, गाना-बजाना, खेलना-कूदना, आपस में मारपीट भी करना। लेकिन बड़े भइया रामअन्ध मिश्र हम दोनों से अलग थे। मझले भाई और बड़े भइया की उम्र में भी छः-सात साल का फासला है। एक ओर उम्र का फासला, दूसरी ओर स्वभाव का फासला। बड़े भइया जब दर्जा सात में थे तो मैं पढ़ाई शुरू कर रहा था। उन्हें न कभी खेलते देखा, न गाने-बजाते, न घूमते-घामते। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से खेत और खेत से घर। एकदम जैसे संन्यासी—ठीक पिताजी के प्रतिकूल। वे ऐसा कैसे हो गये? कह नहीं सकता। उनकी कर्मठता मां की देन कही जा सकती है लेकिन खेल-कूद, गाने-बजाने में इतनी उदासीनता उन्हें कहाँ से मिली? शायद पिताजी के स्वभाव की प्रतिक्रिया

थी, शायद अभाव और उससे जूझने की चेतना का दबाव था। वे पिताजी से अकसर टकरा जाते थे और हम लोगों को उनके प्रभाव से निकालना चाहते थे। हम लोग उनसे बहुत डरते थे। हम लोग खेलते हों या गाते-बजाते हों, उनकी उपस्थिति का आभास पाकर आतंकित हो उठते थे, छिपकर भाग जाते थे या उनसे पिटते थे। वे चाहते थे कि हम लोग पढ़ें और सादगी से रहें, घर के काम-काज में मन लगायें। हम लोग सादगी से तो रहते ही थे, सादगी से न रहने का कोई कारण ही नहीं था, पढ़ते-लिखते भी थे और घर के अनेक कार्य भी करते थे लेकिन सादगी से उनका तात्पर्य था गाना-बजाना न करना, मेले-हटियों में न घूमना, रिश्तेदारी करने न जाना आदि-आदि। लेकिन हम दोनों उनकी सादगी की परिभाषा का उल्लंघन करते रहते थे फिर भी थोड़ा अंतर था। मझले भाई ज्यादा रंगीन तबीयत के थे और लापरवाह भी। शोक करना उन्हें पसंद था इसलिए वे भइया के कोप-भाजन ज्यादा बनते थे। मैं छोटा था, पढ़ने में भी उनमें तेज था (तेज वे भी थे), उनसे अधिक संतुलित और संयत था और शोक-शृंगार में मेरी रुचि नहीं थी इसलिए भइया शुरू में ही मुझे बहुत मानते थे। उनके साथ यह अजीब विरोधाभास दिखाई पड़ता है कि वे बाहर से जितने रूखे हैं, भीतर से उनमें ही स्नेहशील; अपने लिए सन्यासी हैं लेकिन परिवार के लोगों तथा अन्यो के लिए सर्वस्व दाना। आज तक उनके मन में अपने बाल-बच्चों के प्रति कोई पक्षपात का भाव नहीं आया बल्कि उलटे हम लोगों के बाल-बच्चों को अधिक चाहते हैं। मैं कह नहीं सकता कि मेरे व्यक्तित्व ने उनके व्यक्तित्व से कुछ ग्रहण किया या नहीं किन्तु इतना निश्चित कह सकता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व के विकसित होने में उनकी भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने उर्दू मिडिल पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उनके मामले पढ़ने में ज्यादा जरूरी था परिवार को अभाव रूपी सुरसा के मुह से निकालना, उसे गौरव देना, हम लोगो की पढ़ाई के लिए मार्ग प्रशस्त करना। मेरे कवि व्यक्तित्व को भी भाई साहब से बहुत प्रोत्साहन मिला। वे साहित्य के बहुत प्रेमी हैं और जब उन्होंने सुना कि मैं कविताएँ करता हूँ तो बहुत प्रसन्न हुए। प्यार से उन्हें मुनते थे और चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार बनूँ। यह भी एक विचित्रता ही है कि मैं पिताजी को प्यार करता था और भाई साहब का आदर।

बचपन की दुनिया छोटी थी लेकिन बहुत सघन। दुनिया क्या थी—परिवार, गांव, स्कूल, कुछ आसपास के गांव, खेत-खलिहान, ऋतुएं, मौसम, बाग-बगीचे, बम। लेकिन इन्हें कितनी गहराई से जिया था! घर के हर सुख-दुःख को भोगा था, गांव के हर घर के आर-पार झाका था, हर आदमी को भीतर तक देखा था, हर ऋतु और हर मौसम को भरपूर जिया था, खेतों में काम किया था, बगीचों की मौसमी महक सं लेकर उनके फलों तक को भोगा और पहचाना था, हर पेड़ का नाम था और उसके साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता था। हर रास्ते, नाले, पोखर, डीह, देवी-देवता के साथ एक अपनापा बन गया था। स्कूल का जीवन भी पूरे मन से जिया था। पढ़ना-लिखना, मारना-मार खाना, खेलना-कूदना, स्कूल से भागना ये सभी सुख लिये थे। वह एक छोटे से दायरे में पूरा जीवन था, वह आज के विस्तृत परिवेश के खंडित जीवन से कितना

अलग था ! इसलिए जितना सघन जीवन-अनुभव तब बना था उतना सघन बाद में नहीं बन सका। यही वजह है कि मैं सघन अनुभव बिंबों के लिए गांव लौट जाता हूँ। वह अपनी ठोस जमीन है, वह जिसे नहीं प्राप्त है वह जीवन-यथार्थ के नाम पर अरूप सार्वभौमता के संसार में भटकने के लिए अभिशप्त हो जाता है।


मैं बचपन से ही बहुत भावुक रहा हूँ। भावुकता ने मुझे जहाँ थोड़ी-थोड़ी बात में आह्वान हो उठने की कमजोरी दी है, वही उसने मुझे जीवन का रस भी दिया है। अभावों-भरे मेरे बचपन में इतना उल्लास, इतनी अकूठ उद्दामता कहा से आयी? मुझे लगता है मेरी भावुकता ने ही दी। प्रकृति के सौन्दर्य का रस यही ग्रहण करती थी, अपने भीतर बहुत कुछ होने का एहसास यही भरती थी। यह मन में अदृश्य का एक सपना बुनती थी। मैं अपने भीतर कुछ बन जाता था। शायद एक कविता बचपन में ही मेरे भीतर थी जो मेरी भावुकता का ही परिणाम थी। वह कई बार फूटने-फूटन को हुई, लेकिन फूटी नहीं, भीतर ही भीतर गूजती रही और फूटी तब जब मैं दर्जा छः में था। इस भावुकता ने मुझे अकसर रुलाया है, तडपाया है। चाहे किसी आत्मीय के वियोग का अवसर रहा हो, चाहे अपनी कोई नाकामयाबी रही हो, चाहे कोई अपमान का क्षण रहा हो चाहे मार्मिक कथा या कविता सुनने का क्षण रहा हो, मैं रो पड़ता था। मुझे याद है बचपन में एक बार मा मायके जा रही थी। पहली बार मैं मा से अलग हो रहा था। मैं रात-भर झर-झर झर-झर रोना रहा। मा तीन मास मायके रही और मैं कह नहीं सकता कि मैंने वे दिन कैसे काटे। पिताजी साथ थे लेकिन मा के बिना मैं अपने को अनाथ अनुभव करने लगा था। मा जब लौटी तो मैं उसकी गोद में गिरकर पता नहीं किनी दर तक रोना रहा और मेरा दयनीय हुलिया देखकर मा भी रोती रही और पिताजी को उनकी ब्रह्मंजामी पर कोसती रही। मा कुछ बहुत करुण लोककथाएँ सुनाती थीं... बिना मा के बच्चों की कथाएँ, मा की दुर्दशा की कथाएँ, निष्कासित रानी की कथाएँ, रानी या बच्चों के फूल या पेड़ बन जाने की कथाएँ और मैं सुन-सुनकर रोता था। पता नहीं मां ने इन कथाओं द्वारा मेरे मन का कितना विस्तार किया, अपने से बाहर के जगत् के साथ तादात्म्य अनुभव करने का कितना दर्द भर दिया। पिताजी भी रामायण गाते थे और वे राम-वनवास या लक्ष्मण-मूर्च्छा वाला प्रसंग सुनाते थे तो मेरा मन तरल होकर आँखों के रास्ते बहने लगता था।

जब-जब कोई मुझे अपशब्द कहता था मैं अव्यवस्थित हो उठता था। कई-कई दिन तक वह शब्द मुझे कोचता था। ये अपशब्द चाहे मास्टर साहब के हों, चाहे घर के बड़े-बूढ़ों के, चाहे अन्यो के, मुझे परेशान कर देते थे। कई बार प्रतिकार की भावना पैदा होती थी, और कुछ न कर पाने पर अपने को उधेड़ता रहता था। प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर थे पंडित रामचन्द्र तिवारी। वे बहुत मारते थे। अपने भतीजे को स्कूल में उठा-उठाकर पटकते थे। यह देखकर मन हाहाकार कर उठता था और इच्छा होती थी कि मास्टर का हाथ तोड़ दिया जाय। वे बहुत निर्ममता से छात्रों को पीटते थे। एक बार हम लोगों की भी खूब पिटाई की थी। दर्जा दो के कोर्स में मन्नन द्विवेदी की बाल कवितावली थी। उन्होंने कोई कविता याद करने को कहा था, किसी को याद नहीं

थी। फिर क्या था, उन्होंने प्रलय ढा दिया। सारे लड़कों को घुमांधार पीटना शुरू किया, फिर सबको जमीन पर सुला दिया और कहा, "सूरज की ओर देखो" और उंडे से सबके तलवों में मारना शुरू किया। हाहाकार मच गया। आखिर एक वरिष्ठ अध्यापक को चिल्लाकर कहना पड़ा, "अरे जल्लाद, मार ही डालेगा क्या?" उमके बाद बात की बात में मैंने कवितावली तो याद कर ली लेकिन इस अन्यायी दृश्य को कभी भुला नहीं पाया, आज भी नहीं। आज भी मन विचलित हो जाता है। पता नहीं मैंने कितना भावुक मन पाया है कि आज भी रास्ते में किसी को पिटते देखता है तो वह विचलित हो जाता है। काफी देर तक अस्थिर रहता है। किसी से कहा-सुनी हो जाये तो रात को नीद नहीं आती और मन घूम-घूमकर इसी बात पर आ जाता है कि झगडा क्यों हुआ? किसकी गलती थी? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? भावुकता बचपन में ही मेरे गले पड़ी सो पड़ी रह गयी। लाख कोशिशों के बावजूद मैं मोटी चमडी का नहीं हो पाया। मैं ऐसे क्षणों में कोई कार्य नहीं कर सकता, सो भी नहीं सकता। लिखने-पढ़ने के लिए भी सामान्य मनःस्थिति मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। सुख और दुःख दोनों का अतिरेक मुझे अप्रकृतिस्थ कर देता है। और यह पगली आज तक मुझसे नहीं छूटी, अब क्या छूटेगी!

2

स्कूल, परिवार, गांव, प्रकृति, हाट-बाजार, पर्व-त्योहार सभी एक-दूसरे में गुंथे हुए थे। वह दुनिया अलग-अलग नहीं थी, एक थी, मंश्लिष्ट थी, संपूर्ण थी। तब गांव में पढ़ाई-लिखाई का रिवाज कहां था, बस, शुरू हो रहा था। दर्जा चार पास कर लेना भी कम बात नहीं थी। मिडिल पास करना तो बड़ी बात समझी जाती थी क्योंकि मिडिल पास करके लोग नार्मल कर लेते थे और कहीं मुदरिस हो जाते थे। यदि कोई बी० ए० हो जाय तो सारे जवार में उसके नाम का डंका बज उठता था, उसके नाम से पूरा गांव धन्य हो उठता था। लेकिन ऐसा हो पाना संभव कहां हो पाता था! प्राइमरी और मिडिल स्कूल तो दो-एक कोम की दूरी में मिल जाते थे लेकिन हाई स्कूल तो शहर में ही होते थे और विश्वविद्यालय? उसकी तो बात ही न पूछिए। पूरे उत्तरप्रदेश में तब चार विश्वविद्यालय थे। जिस जवार में गरीबी ठाठें मारती हो, उस जवार के किस आदमी ने इतनी हिम्मत थी कि इतनी दूर जाकर अंगरेजी पढ़े। बस, लोग किसी तरह मिडिल के पढ़ाई करके नौकरी खोजते थे। इसलिए देहात में पढ़ाई का माहौल बन नहीं पा रहा था। एक दूसरी बात भी थी, वह यह कि अध्यापन का तरीका अंतकवादी था। ऐसा विश्वास था कि उंडे से ही ज्ञान का ताला खुलता है। वह धैर्य नहीं था जो बहुत ध्यान से बच्चे के भीतर निहित क्षमता को खींच-कर बाहर लाता। मैं यह सोचकर कोप आता हूँ कि यहाँ मैंने मुझे पढ़ाना शुरू न किया



होता तो मेरा क्या होता ? मैं यह स्वीकार कर लूँ कि मैं प्रत्युत्पन्न मति व्यक्ति कभी नहीं रहा। बहुत शीघ्र किसी बात को पकड़कर उसका जबाब दे देने की क्षमता मुझमें नहीं रही। मैं बहुत हड़बड़ी में या भीड़-भाड़ में, सभा-सोसायटी में, मजमे में अपनी शक्ति का परिचय नहीं दे सकता। इसीलिए मैं इनसे बहुत घबराता हूँ। मैं वहाँ किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। मैं अकेले मे निश्चित बैठकर सोचता हूँ तो मेरे भीतर की शक्ति मुझसे संवाद करती है और तब सोचता हूँ कि भीड़ मे पूछे गए प्रश्न का यदि यह उत्तर मैंने दिया होता तो कितना अच्छा रहा होता लेकिन अवसर चूकने पर पछताने से क्या फायदा ! और अवसर चूकते रहना मेरी नियति बन गयी है। तो बचपन के शुरू मे मेरी प्रतिभा कितनी थी इसका सही-सही विवेचन तो नहीं कर सकता लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो थी वह बहुत तेजी से खुलने को तैयार नहीं थी। कुछ याद है, कुछ मा की जबानी सुना था कि कई लोगों—जैसे भइया, बड़ी बहन और कुछ और लोगों ने घर पर मुझे अक्षर-ज्ञान देने की कोशिश की लेकिन मेरी मंथर बुद्धि उनकी गति से ऊपर आने को तैयार नहीं हुई। वे लोग बार-बार झल्लाये, डांटा-डपटा, मारा-पीटा और अंत मे पटरी उठाकर फेंक दी और बारी-बारी सबने ऐलान कर दिया कि पढ़ना-लिखना इस मूर्ख के वश का नहीं है।

एक तो वैसे ही मेरी मंथर बुद्धि रूठी बैठी थी, दूसरे अध्यापन का यह हड़बड़ी-भरा तरीका, फिर डांट-डपट, मार-पीट—मेरा मन पढ़ाई-लिखाई से बिदक गया और मैंने चैन की सांस ली, यानी ली होगी।

मां यह सब देखती रही। न जाने क्यों उसे और लोगों के निर्णय पर विश्वास नहीं हुआ। न जाने उसकी आंखों ने मेरे भीतर क्या देख लिया था, पहचान लिया था कि उसने एक दिन घोषणा की, “तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी।” मा पढ़ी-लिखी नहीं थी, बस साक्षर थी यानी वर्णमाला का उसे ज्ञान था। कोई आयोजन नहीं, कोई भूमिका नहीं। जाड़े के दिन थे। हम लोग सवेरे कौड़े क पास बैठे थे। मां ने उसी कौड़े की बुझी हुई राख निकाली, उसे मेरे सामने फैला दिया। बोली—“लिखो बेटा—क।” मेरी बद्धमूल जड़ता क्या इतनी आसानी से ‘क’ लिख सकती थी लेकिन मां ने मेरी अंगुली पकड़ ली, उसे ‘क’ पर घुमाने लगी। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। पढ़ाई का कोई अलग से वातावरण नहीं बनाया गया था इसलिए मैं मां के साथ कौड़ा तापने की-सी सहजता से उसके साथ ‘क’ लिखने लगा। मा को लगा जैसे मेरे भीतर बंधी हुई कोई गांठ खुल रही हो, उसके स्पर्श की आंच से जड़ता धीरे-धीरे पिघल रही हो और भीतर सोयी हुई या अवरुद्ध चेतना अपनी ऊष्मा फेंक रही हो। मां बहुत विश्वास से मुस्कराई थी और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि सात-आठ दिन में पूरी वर्णमाला मैं सीख गया। उसके बाद मेरे अध्ययन की यात्रा सहजभाव से चल पड़ी। फिर मेरा नाम लिखाया गया। नाम लिखाने मेरी पट्टीदारी के एक चाचा गये थे। जब मेरी जन्म-तिथि लिखाई गयी तो मैंने बहुत झगड़ा किया। जन्म-तिथि लिखाई गयी 31 जनवरी, 1925। मैं बार-बार जोर देकर बिल्लाया कि गलत है यह तिथि। मेरी जन्म-तिथि 15 अगस्त, 1924 है लेकिन किसी ने मेरे कहे पर ध्यान नहीं दिया।

मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरी असली जन्म-तिथि छोड़कर नकली जन्म-तिथि लिखी गयी थी। स्कूल में प्रवेश पाने के प्रथम दिन ही झूठ का एक घक्का जो लगा वह बाद में और व्यापक तथा गहरा होकर लगता ही रहा। जितना ऊंचा बिद्यालय, उतना ही बड़ा झूठ; जितनी बड़ी डिग्री, उतना ही बड़ा झूठ; जितना ऊंचा आदमी, उतना ही बड़ा झूठ, लेकिन तब मैं तिलमिलाकर रह गया था। बाद में उसका सही अर्थ समझा, उसका लाभ समझा और अब जब अवकाश प्राप्त करने का समय आ गया है तब इस छः महीने की कमी का लाभ तो समझ में आता ही है किन्तु यह देखकर तकलीफ होती है कि मेरी असली और नकली जन्म-तिथि में केवल छः महीने की ही दूरी क्यों है जबकि मेरे अनेक सहकर्मी मित्र कई-कई साल का फामला लिए बैठे हैं।

मैं पढ़ने में अच्छा था। हमेशा क्लाम में मानीटर भी रहा। लेकिन कई बार मैं भटका भी। जब-जब किसी गलत मास्टर के पाले पड़ गया और उसने प्यार और शान्ति से समझाने के स्थान पर आतंकवादी रुख अख्तियार किया मेरी बुद्धि निर्लक्ष्य हो गयी और पढ़ने से जी उदासीन हो गया। पंडित रामचंद्र त्रिपाठी को मैं कभी नहीं भूल सकता।

हम लोगों के सौभाग्य की बात थी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल हमारे गांव के पाम के गांव बिशुनपुरा में था। दोनों गांवों की दूरी चार-पांच फर्लिंग की होगी। पंडित रामचंद्र त्रिपाठी हमारे गांव के पास के गांव गोपलापुर के निवासी थे। वे किसी और स्कूल में पढ़ाते थे। जब उनका तबादला बिशुनपुरा के स्कूल में हो रहा था तब स्कूल में आतंक छा गया कि यह मास्टर तो बहुत निर्दय है, चँले से मारता है। तब मैं दर्जा एक में था। दुर्भाग्य से वे हम लोगों की क्लाम के मास्टर बनकर आये। मन्नन द्विवेदी की कविता याद न कर पाने के संदर्भ में उन्होंने पूरी क्लाम को जिस बेरहमी से पीटा उसकी चर्चा ऊपर कर चुका हूँ। एक दूसरा प्रसंग याद आ रहा है। शायद दर्जा दो की बात थी। तब वे दर्जा दो को पढ़ाने लगे थे। उन्होंने कोई हिसाब समझाया। मेरी समझ में नहीं आया। मैं कह चुका हूँ न कि हडबडी या आतंक में समझाया हुआ काम मेरी समझ में नहीं आता। वे पूछते थे, "समझ गये?" हम लोग कहते थे, "हां।" जब वे सवाल लगवाते थे तो हम सभी लोग गलत कर देते थे, इस पर वे पिटाई करते थे। मेरी भी काफी पिटाई हुई। पिटाई का सिलसिला जारी था कि छूट्टी की घंटी बज गयी। किसी तरह जान बची। लेकिन मेरा मन पढ़ाई से विरक्त हो गया। ठान लिया कि पढ़ने नहीं जाऊंगा। विरक्ति का यह दूसरा दौर था। एक दौर शायद जब 'ब' में पढ़ता था तब आया था। याद नहीं कि क्यों आया था लेकिन इतना याद है कि आया था और मैं मां के समझाने पर भी कई दिन तक स्कूल नहीं गया था। तब लड़कों की पूरी फीज मुझे पकड़ने के लिए भेजी गयी थी। लड़के मुझे टांगकर स्कूल ले जाने लगे तो मैंने किसी का नया कोट चीथ दिया, किसी की टोपी फाड़ दी, किसी को काट लिया, किसी को बस्ते से मार दिया और सब लड़के मुझे छोड़कर खाली हाथ लौट गये। होता यह था कि यदि कोई लड़का किसी कारण किसी दिन स्कूल नहीं जा सका तो दूसरे दिन जाने से डरता था। मास्टर से पीटे जाने के भय से वह दूसरे दिन स्कूल जाने से घबराता

था और यदि उसका अभिभावक साथ लेकर गया तो चला जाता था नहीं तो भय के मारे कई-कई दिन तक वह गैरहाजिर हो जाता था और जितना ही अधिक गैरहाजिर होता था, उतना ही अधिक भय बढ़ता था और धीरे-धीरे स्कूल जाने से जी चुराने लगता था। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ होगा। गैरहाजिर रहने के बाद मैं हमेशा पिताजी को साथ लेकर स्कूल जाया करता था। लगता है उस बार वे नहीं जा सके होंगे और मेरे अनुपस्थित रहने का मिलसिला लम्बा होकर स्कूल के प्रति विरक्ति में बदल गया।

इस बार पंडित रामचंद्र त्रिपाठी की पिटाई में दूमरे दिन स्कूल जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं छुट्टी मार गया और जब एक दिन मार गया तो लगातार छुट्टी मारनी ही थी। तीसरे दिन गाव के रघुवर नाई के यहां बाल कटवाने गया तो वही महपाठी कपिनदेव भी मिन गये और मालूम पडा कि वे भी छुट्टी मार रहे हैं। उनका भी मन रह-रहकर स्कूल से उचट जाना था, यद्यपि वे भी पढने में तेज थे बल्कि हम दोनों शुरू से ही एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। हम लोग बाल कटवा ही रहे थे कि संतू (संतप्रमाद) आ गये। उन्होंने आते ही कहा कि मैं स्कूल में आ रहा हूँ, मास्टर साहब ने तुम दोनों को बुलाने के लिए भेजा है। तुम लोगो के घर गया तो मालूम हुआ कि तुम लोग यहा हो।

मुझे विश्वास नहीं हुआ कि संतू स्कूल गये होंगे और उन्हें मास्टर साहब ने या पंडित जी ने हम बुलाने के लिए भेजा होगा। मत्तू हमारे गाव के एक बहुत हट्टे-कट्टे, लंबे-चौड़े, बदमाशियो मे आगे रहने वाले और पढाई-लिखाई मे माशाअल्लाह छात्र का नाम था। यह भला स्कूल क्यों गया होगा और पंडित जी इसे भला क्यों भेजेंगे? फिर भी हम अपने घर जाकर स्कूल के लिए तैयार हुए। अपना-अपना बस्ता लिया और चल पड़े संतू के साथ स्कूल को। कुछ दूर जाने पर संतू ने एक रुपया जमीन पर से उठा लिया और कहा कि खोया हुआ एक रुपया मिला। मुझे पहले तो लगा कि हाय, मैं चूक गया, यदि मैं आगे होता तो यह रुपया मुझी को मिला होता लेकिन जल्दी ही समझ मे आ गया कि यह रुपया संतू अपने घर भ चुराकर लाये होंगे और खुद ही चुपके से जमीन पर फेंककर उठा लिया होगा। यह सच निकला। कुछ दूर जाने के बाद एक बगीचा पड़ता था। वहा जाकर मैंने पीछे मुडकर देखा—संतू गायब थे। कहां गये संतू, कहां गये संतू? कुछ देर बाद वे एक पेड की आड़ से निकले। अब मैं पूरी तरह समझ गया कि संतू स्कूल से भागे हुए है और हम लोगो को इन्होंने अपना साथी बनाया है। अब हालत बड़ी विचित्र थी। घर जा नहीं भकता था, स्कूल जा नहीं सकता था। दिन काटना था, स्कूल छूटने तक। बस, संतू हम लोगो का लेकर रानापार और बिशुनपुरा गांव की गलियों में घूमते रहे। पास रुपया था—कभी अमरूद खरीदते थे, कभी गुड़ खरीदते थे, कभी गट्टा खरीदते थे, कभी बताशा और कुछ हम लोगो को देकर बाकी काचुर-कुचुर काचुर-कुचुर खाते थे और थूक देते थे। हम लोग जब स्कूल के किसी छात्र को या जान-पहचान के आदमी को देखते थे तो छिपकर गली-गली भागते थे। इस भाग-दौड़ में मेरा बस्ता दुगुना लंबा हो गया था। उसे बार-बार समेटता था

और वह बार-बार वही रूप धारण कर लेता था। बरसात के दिन थे। उमस और धूप से हम परेशान हो गये थे। छुट्टी के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे; वह समय आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग स्कूल के सामने वाले बगीचे में गये। वहां से उचककर देख रहे थे कि छुट्टी हुई क्या? और बहुत देर बाद छुट्टी का अनुभव हुआ जब देखा कि बच्चे स्कूल से निकल-निकलकर भाग रहे हैं। फिर मैं और कपिलदेव घर की ओर चल दिये और संतू बस्ता लेने स्कूल की ओर। रास्ते में कुछ लड़कों ने पूछा, “अरे, तुम लोग कहां से आ रहे हो?” “स्कूल से।” मैंने कहा। “वहां दिखाई तो नहीं पड़े?” और मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। झूठ का बचाव मैं देर तक नहीं कर पाता, एक या दो ही आघात मे मेरा झूठ ढह जाना है। यह इसलिए नहीं होता कि आघात करने वाले का निशाना अचूक होता है बल्कि झूठ मेरे भीतर के ‘मैं’ का हिस्सा नहीं बन पाता, यह ‘मैं’ ही उसे तेजी से बाहर ढकेल देता है। बाद में सुना कि संतू स्कूल में गये और ज्यों ही बस्ता लेने के लिए कमरे में लपके हेडमास्टर बाबू साहब की नजर उन पर पड़ी और ‘पकड़ो-पकड़ो’ चिल्लाये। संतू कमरे की खिड़की में से कूदकर पीछे की ओर भागे। स्कूल के पीछे दो बड़ी-बड़ी गड़हियां थीं। एक पतला-सा नाला उन्हें मिलता था। उस नाले में जलकुंभी पाट दी गयी थी ताकि आने-जाने के लिए रास्ता बन जाए। संतू उस जलकुंभी में कूदे और फंस गये। किसी तरह कूदते-फांदते निकले और भागे।

उसके दूसरे दिन स्कूल जाने का कोई सवाल ही नहीं था। कई दिन के बाद स्कूल जाने पर क्या हालत होगी, यह मैं जानता था। पंडित रामचंद्र की मार की कल्पना से रोधां थरी उठता था। पिताजी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुए और मैं अकेले स्कूल जाने को राजी नहीं हुआ। बाबा गालियां देने लगे, मोहल्ले के लोग समझाने लगे कि पढ़ाई के क्या-क्या फायदे होते हैं। उपदेश, लालच, डांट-फटकार किसी का मेरे ऊपर असर नहीं हुआ, पढ़ाई से मन एकदम भाग खड़ा हुआ।

पिताजी झल्लाये—“चल बेवकूफ, नहीं पढ़ेगा तो घास काट, खेत निरा, खाद फेंक, खेत गोड़...” ये सब काम तो अपनी उम्र की औकात मुताबिक पढ़ने के साथ ही करता था किन्तु पिताजी ने इन सब कामों को मेरे अखिल जीवन का लक्ष्य बनाकर प्रस्तुत किया था और पढ़ाई से एकदम बिदका हुआ मेरा मन बड़े उत्साह और हल्केपन से इस लक्ष्य को स्वीकार कर बैठा और मैं हाथ में खुरपी लिए पिताजी के पीछे-पीछे खेत की ओर चल पड़ा।

पंडित रामचंद्र तिवारी मेरे गांव के एक दरवाजे पर बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मुझे डर लगा लेकिन मन में एक गाली देकर कहा, “अब तुम मेरा क्या कर लोगे, अब तो मैं खेत की ओर चला।” पिताजी डांटते-फटकारते आगे-आगे चल रहे थे। पंडित जी ने पिताजी को संबोधित किया—“क्या है मिसिर जी! किस बात पर नाराज हो रहे हैं?”

“अरे, यही अभाग पढ़ेगा नहीं, घास छीलेगा। हम लोग कोशिश करके हार गये। स्कूल नहीं जा रहा है। जब हम लोगों की तरह घास-पात की जिन्दगी बितायेगा, तब अकल ठिकाने आयेगी।”

“अरे सुनिये-सुनिये मिसिर जी, किसने कहा कि यह घास छीलेगा ? अरे, यह तो बहुत होनहार लड़का है। यह तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ आ बचवा।”

मैं डरता-डरता उनके पास गया। उन्होंने कहा, “जाओ बेटे, यह खुरपी-सुरपी घर पर रख दो, तुम्हारे हाथ में खुरपी नहीं कलम अच्छी लगेगी।” और उन्होंने मेरे कान में मंत्र फूंकने की तरह कुछ कहा और पिताजी से कहा, “जाइए मिसिर, अब इसे मैंने मंत्र दे दिया है, अब यह कल से स्कूल आयेगा और पढ़ेगा।”

पिताजी के साथ मैं घर लौट गया। मन हलका हो गया था। पंडित जी का जो भय मेरे मन पर पत्थर की तरह जमा हुआ था वह उन्हीं के स्नेह की आंच से पिघलकर बह गया। अब कल से स्कूल जाने में कोई झिझक नहीं अनुभव हो रही थी। मैं हिसाब की किताब लेकर बैठा। हल किये गये प्रश्नों के उदाहरण दिये गये थे, उन्हें देखा। हिमाब भी मेरा ठीक था ही बल्कि काफी अच्छा था। एकांत में वह हिसाब समझ में आ गया जो पंडित जी की पिटाई के कारण मेरे भीतर घबराया घूम रहा था।

भइया तब बड़हलगंज में उर्दू मिडिल कर रहे थे। जब घर आते थे मैं हिसाब लेकर उनके सामने बैठ जाता था, वे भी बुला-बुलाकर पढ़ाते थे। वे सभी विषयों में बहुत तेज थे। उन्होंने चक्रवर्ती के हिसाब ममज्ञाने शुरू किये और मैंने धीरे-धीरे हिसाब में काफी दक्षता प्राप्त कर ली। फिर तो हिसाब मेरा साथी हो गया। फिर पढ़ाई से मेरा जी नहीं उचटा, लगानार पढ़ाई में मेरी पैठ गहरी होनी गयी और मैं मानीटरी करता रहा। स्कूल के नाम पर पिटाई का ही दृश्य क्यों पहले मेरे मन में आया और आ रहा है ? शायद इसलिए कि यह व्यक्तिगत दर्द न बनकर एक सामाजिक दर्द बन गया था। मैं पिटाई के गलत प्रयोग से पढ़ाई छोड़ते-छोड़ते बचा, लेकिन कितने लोगों को पढ़ाई से ऐसी अर्चि हुई कि वे फिर पटरी पर नहीं चढ़े।

याद है कि स्कूल बच्चों के शोर से बजबजाया करता था। ‘हे प्रभो आनंददाना ज्ञान हमको दीजिए’ के सामूहिक प्रार्थना गीत से शुरू होने वाला दिन गिनती और पहाड़ों के समवेत शोर में गुंजता रहता और उसी के बीच-बीच सप्प-सप्प या घम्म-घम्म पीटे जाने की आवाजे और लड़कों के चीखने-चिल्लाने की तेज आकस्मिक ध्वनियां उठती रहतीं। रोने-चीखने की एक खंडित लय स्कूल में तनी रहती। कोई-कोई मास्टर जी तो लात, जूता, लाठी सबका प्रयोग करते थे। कमजोर बच्चों के लिए स्कूल जाना एक खोफ था। वे सुबह निकलते तो देवी-देवता मनाते चलते थे। रानापार गांव में मदनेश जी के घर के आगे एक बरम बाबा की पीढ़ी थी। वहाँ पहुँचकर हमारे गांव के कई बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते—“हे बरम बाबा, आज मैं मार न खाऊँ, दुहाई बरम बाबा की।” लेकिन मार तो खानी ही थी। कई दुष्ट लड़के शाम को घर लौटते समय बरम बाबा की पीढ़ी की पटरी से पिटाई शुरू कर देते—“लां बरम बाबा सरऊ, मैंने कहा था कि पिटाई न हो सो आज सबसे अधिक पिटाई हुई। लो, तुम भी पिटाई का मजा चख लो।” एक दिन एक लड़का स्कूल में इतनी बुरी तरह पिटा कि शाम का बरम बाबा की पीढ़ी पर पेशाब करने लगा। जिस दिन पिटाई न हो उस दिन को ये

लड़के जीवन का कोई शुभ दिन मानते थे। मैं अपने गांव या दूसरे गांव के कितने ही छात्रों को जानता हूं, पिटाई के कारण विद्या से जिनका वास्ता टूट गया और वे या तो अपने पुश्तैनी काम में लग गये या घर छोड़कर भाग गये या जरायमपेशे में पड़ गये। गार के साथ-साथ मास्टर्स के ताने भी कम मारक नहीं थे। किसी को पीटते समय मास्टर कहता था, “सरऊ बाप तो हल जोतता है, ये पढ़ने चले हैं।” “ससुर तेली-तमोली पढ़ने चले हैं, पता नहीं कोल्हू कौन चलायेगा !” “अरे जाओ-जाओ, तुम भी बाप की तरह भीख मांगो, पढ़ाई-लिखाई तुम्हारे बश की नहीं...” आदि-आदि...

कभी-कभी सोचता हूं कि क्या विद्यालयी तौर-तरीके और पुलिस के तौर-तरीके में कोई बहुत अंतर था? एक घटना याद आ रही है। संतू का चाकू खो गया। खो गया या उराने खो देने का नाटक किया। तब गंगा पंडित हमारे कक्षा-शिक्षक थे। संतू ने उनसे सबाल दागा। पंडित जी ने कहा, जिसने लिया हां दे दे। किसी ने नहीं दिया। बस, क्या था, उन्होंने कक्षा की सामूहिक पिटाई शुरू कर दी। काफी ढेर तक बच्चे बारी-बारी से पीटते रहे और चाकू नहीं मिला। उस बचपन में भी मेरा मन इस अन्याय के विरुद्ध तिलमिला कर रह गया था कि चोरी का पता लगाने का यह कौन-सा तरीका है? क्या यह पुलिस द्वारा की जाने वाली गांव के गांव की सामूहिक पिटाई से भिन्न है? घर लौटते समय मैंने रास्ते में लड़कों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें इस प्रकार के अत्याचार का विरोध करना चाहिए। मैं अपने पिताजी से कहूंगा, वे लच्छी लेकर आयेंगे। तुम लोग भी अपने-अपने घर कहो, वे लोग भी लाठी लेकर आवें और मास्टर को इस अत्याचार के लिए दंडित करें। या हम लोग शाम को अरहर के खेत में छिप जायें और जब मास्टर घर लौटें तो घेरकर उनकी पिटाई कर दी जाय। सब लोग सहमत हो गये लेकिन दूसरे दिन एक लड़के ने जाकर उनसे कह दिया। और फिर जब मुझसे जवाब-तलब हुआ तो मेरी हालत देखने लायक थी।

एक दूसरा दृश्य याद आ रहा है। हमारे स्कूल के एक कमरे के द्वार पर मधु-मक्खियों ने छत्ता लगा रखा था। पता नहीं, किस विद्यार्थी ने उसे छेड़ दिया या उससे छत्ता छिड़ गया, मधुमक्खियां तिलमिला उठीं। संयोग से उस समय मैं ही दरवाजे से निकल रहा था। भ्रमवश मधुमक्खियों ने मुझी को आक्रमणकारी समझ लिया और मुझी पर टूट पड़ीं। किसी तरह छिपकर जान बचायी। मधुमक्खियों से तो बच गया, अब बारी थी पंडित जी की। उन्होंने पूछा—“मधुमक्खियों को क्यों छेड़ा?” मैंने कहा—“मैंने नहीं छेड़ा, कोई और छेड़कर भाग गया था।” मेरे लाख सफाई देने पर भी पंडित जी के दिमाग की मूल नहीं गयी और मधुमक्खियों से पीड़ित मेरे शरीर को बेंत से पीड़ित कर दिया। मैं तिलमिलाकर रह गया। इच्छा हुई इस बदतमीज मास्टर के मुंह पर ईंट मार कर इसकी नाक तोड़ दूं और भाग चलूं। शूर्पनखा की तरह कटी नाक लिए घूमे। लेकिन क्या मैं यह कर सकता था? एक छोटे दर्जे के विद्यार्थी की कितनी छोटी औकात होती है कि उसकी सही बात को भी कोई सही नहीं मानता और उसे वह अपने को गलत कहने वाले के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता, सिवा मार खाकर अहकाने के। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। जब मुझे वक्त-बेवक्त मास्टर्स की सनक का बंड भोगना

पढ़ता था तो फिर उनका क्या पूछना जो पढ़ने में मंदबुद्धि थे और छोटे पेशे वाले घरों से आते थे।

मास्टरों के आने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। कुछ ऐसे थे जो बाहर के थे, स्कूल पर ही रहते थे। वे तो समय से आते थे किन्तु जो आमपास के गांवों के थे उनमें से अधिकांश देर से आते थे और सच पूछिए तो उनके देर में आने से छात्र खुश ही होते थे। विशेषकर जो मरकहे मास्टर थे उनके लिए तो लड़के ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि वे देर से आयें या बीमार पड़ जायें। लड़के रास्तों की ओर देखते रहते और जब दूर कोई मास्टर आता हुआ दिखाई पड़ता तो एक साथ चिल्ला उठते—पंडित जी या मुशी जी या बाबू साहब आ रहे हैं। और सब भाग-भागकर अपनी जगह बैठ जाते और फँला हुआ कोलाहल एकाएक सिमट जाता। आज भी जब गांव जाता हूँ तो देखता हूँ कि स्कूल का समय हो गया है लेकिन हमारे गांव के मास्टर साहब अभी खाद-गोबर, खेती-बारी में उलझे हुए हैं। ग्यारह-बारह बजे बहुत इतमीनान से तैयार होकर निकलते हैं। इससे भयानक दृश्य भी देखा है जो तब से लेकर अब तक फँला हुआ है। मास्टर साहब ने छुट्टी के दिन बच्चों को घर बुलाया है पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ाने के स्थान पर उन्हें अपने गृह कार्य में लगा दिया है और तिस पर तुरा यह कि मास्टरनी उन्हें गालियां दे रही है—“हरामखोर, कामचोरी करता है। अरे मामा लोगो, ठीक से काम करो नहीं तो सबको फेल करवा दूगी।” यह दृश्य बहुत सामान्य तो नहीं है किन्तु है। बेचारे छोटे तबके के बच्चे कुछ प्रतिरोध नहीं कर पाते।

मुझे याद है, तब मैं शायद दर्जा एक में था। हम लोग स्कूल पहुंच गये थे। खेल रहे थे। कोई भी मास्टर स्कूल में नहीं आया था। डिप्टी साहब (पं० शेषमणि त्रिपाठी) बिना किसी सूचना के स्कूल पर पहुंच गये। अजीब दृश्य था। डिप्टी साहब मेरी क्लास में आये, मुआइना किया। मुझसे पूछा कि आधे में कितना मिला दिया जाय कि पूरा हो जाय। मेरे लिए इसका उत्तर कठिन नहीं था, बता दिया। उन्होंने कुछ और पूछा, सही-सही बता दिया गया। इस प्रकार पंडित जी की अनुपस्थिति की जो तिक्तता डिप्टी साहब के मन में थी वह कुछ कम हुई। यानी हम लोगों ने तो पंडित जी की लाज रखा ली लेकिन पंडित जी स्वयं अपनी लाज गंवाने पर तुले थे तो हम क्या करते। आसपास के मास्टरों के पास आदमी भेजे गये तब कहीं वे लोग आये। तब साढ़े ग्यारह, बारह बज गये थे। डिप्टी साहब की झाड़ और मास्टर जी लोगों की गिडगिड़ाहट देखकर मुझे विचित्र लगा था। शायद अच्छा भी लगा था कि अच्छा हुआ डिप्टी साहब के सामने इन श्रीमान् जी का सारा मरकहापन नाक रगड़ रहा था। तब मैं इन सारे दृश्यों के बीच खड़ा था और शायद यह सब देखना-सुनना और श्लेना कुछ सहज-सा हो गया था किन्तु बाद में जब चीजों की व्याख्या करने की, व्यक्तिगत प्रसंगों को एक बृहद् सामाजिक परिदृश्य के अंग रूप में समझने की क्षमता विकसित हुई तो इन सारे अतीत प्रसंगों के प्रति तिक्तता भरती गयी, क्योंकि तब हमारे घरों के बच्चे स्कूल जाने लगे थे और शिक्षा की उन्ही विसगतियों के शिकार होने लगे थे, जिनके हम लोग थे। यानी वह परंपरा चली आ रही थी और मैं उन्हें बस्तुगत ढंग से समझने लगा था। यह परंपरा तब

से अब तक, गांव से लेकर शहर तक किसी-न-किसी रूप में एक लय की तरह विद्यमान है। काफी दिनों से यह दृश्य भूल गया था किन्तु उस दिन पी०जी०डी०ए०वी०कालेज में पढ़ा रहा था (कालेज स्कूल के ही एक विंग में चलता था), तब स्कूल की ओर से एका-एक किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आयी। देखा, लड़का नीचे गिर गया था और एक मास्टर साहब लगातार सपासप उस पर बेंत बरसा रहे थे। लड़का घिघिया रहा था। मैं पढ़ाते-पढ़ाते रुक गया। मन तीता हो गया। लगा, उस लड़के की चिल्लाहट मेरे भीतर भर गयी। तीस साल पहले का अपना स्कूल याद आ गया। मास्टर साहब से छूटकर लड़का उठ खड़ा हुआ। पहले तो रोने के क्रम में खड़ा रहा फिर गुस्से में आ गया। बोला—“अभी जाता हूँ पुलिम स्टेशन, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूंगा।” न जाने क्यों, मुझे अच्छा लगा। तब हम लोग यह नहीं कह सकते थे किन्तु अब के बालकों में प्रतिरोध करने की कुछ चेतना तो आ गयी है लेकिन क्या कह दिया उस लड़के ने? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्या बचाव की कोई जगह है? पुलिस के सिपाहियों द्वारा लोगों को धुआंधार पीटते देखा है। क्या यह लड़का मास्टर साहब से पीटकर पुलिस स्टेशन जायेगा न्याय मागने? मैं मुस्करा पड़ा। अनजाने इस लड़के ने स्कूल और थाने को एक साथ जोड़ दिया था।

मैं यह सब क्या कह गया? क्या मेरा ऐसा कोई दर्द है जो स्कूल का नाम आते ही फूट पड़ा और मैं उन गुरुओं के प्रति तिक्त हो उठा जिन्होंने मुझे गढ़ा, शिक्षा की नींव बनाई और बहुत-से संस्कार दिये? हां, दर्द तो उभर आया लेकिन हन उभरा होना यदि केवल मेरा रहा होता। यह दर्द आप सबका है, एक बनती हुई पीढ़ी का है और उनका भी है जो बनते-बनते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बरबाद हो जाते हैं। लेकिन यह क पहलू है। कुछ ऐसी बातें हैं और इतनी बातें हैं कि स्कूल-जीवन की यादें आज भी मुझे तरोताजा कर जाती हैं। आखिर मेरा सब कुछ वहीं तो बना है। जहा मार खाई है, वहां प्यार भी तो मिला है; जहां मास्टरों की कामचोरी देखी है, वहा उनका निःस्वार्थ परिश्रम भी तो देखा। आज जब शहरों में मास्टर क्लाम में इसलिए ठीक से नहीं समझाते कि लड़कें उनसे ट्यूशन करायें और वे अलग-अलग या ग्रुपों में छात्रों को घर बुलाकर पैसा झाड़ने में लगे होते हैं तब उस समय के ये मास्टर छात्रों को रात में भी पढ़ाते थे। दूर के मास्टर तो स्कूल पर ठहरने के कारण रात को बुलाते ही थे, पास के मास्टर भी कुछ दिनों के लिए स्कूल में ठहर जाते थे ताकि रात को बच्चों को पढ़ा सकें। उन्हें पैसे की धुन नहीं थी। धुन थी कि उनके विद्यार्थी अच्छे अंकों से और अच्छी संख्या में पास हों। वे मचमुच अपने विद्यार्थियों की सफलता पर गर्व करते थे। वे पीटते भी थे तो इसीलिए कि बच्चे तेज हों, कोई मैल लेकर नहीं पीटते थे। यह और बात है कि पीट-पीटकर तेज बनाने के स्थान पर उन्हें पढ़ाई से ही विरक्त कर देते थे। रात की पढ़ाई का क्या दृश्य हुआ करता था। बीच में एक या दो लालटेन और चारों ओर अंडाकार बेंठे हुए हम लोग। हज-हज-हज-हज शोर उठता था। सभी लोग बोल-बोलकर पढ़ते थे और याद करते थे। अब आश्चर्य होता है कि यह सब कैसे हो जाता था। अब तो कमरे में अकेले पढ़ रहे हैं, कोई कहीं से आवाज कर दे तो ध्यान टूट जाता

है। पढ़ते-पढ़ते नींद आ गयी तो अचानक पीठ पर प्रहार होता था। मास्टर साहब सोने से जगाने के लिए यही उपाय अपनाते थे। यह सोचकर भी बड़ा अजीब लगता है कि तब नींद से लड़कर पढ़ते रहना भी अध्ययन का प्रतिमान बन गया था। किशोरावस्था, दिन-भर की थकान, रात को स्वस्थ नींद आ जाये तो कोई अपराध है क्या? हाँ, तब अपराध ही था लेकिन मास्टर के प्रहार से जागने के बाद विद्यार्थी के पल्ले क्या पड़ता था? वह जोर-जोर से बोलकर पढ़ने का अभिनय करने लगता था और धीरे-धीरे फिर नींद से बोझिल होकर किताब पर झुक आता था। मेरे साथ भी प्रायः यह होता था लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ मुझे यों ही याद रहता था इसलिए मोने के लिए मैं कभी-कभी ही मूल्य चुकाता था। इस दबाव में मोना इतना मूल्यवान् हो उठता था कि इच्छा होनी थी कब परीक्षा समाप्त होगी और कब रात को जी भर मोया जाएगा। रात की पढ़ाई का क्रम दर्जा चार से लेकर दर्जा सात तक चलता रहा।

कह चुका हूँ, स्कूल गांव से बहुत दूर नहीं था—इसलिए रात को स्कूल पहुंचना बहुत कठिन काम नहीं था लेकिन काफी दूर-दूर के गांवों के भी लड़के आते थे या कुछ दिनों के लिए स्कूल में या बिशुनपुरा गांव में किसी के यहां ठहर जाते थे। गांव के हम कई मित्र थे। कपिलदेव थे, दीनानाथ थे, ब्रजनाथ भगवती थे, छोदीराय थे, काशीनाथ थे, जोखू तेजी थे और रामनिधि थे। हम सभी लगभग साथ ही जाते थे। मेरे गांव से बिशुनपुरा जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता सीधा था, एक रानापार होकर जाता था। लेकिन दोनों रास्तों के बीच में जाने कितने भूत-प्रेत-चुड़ैल रहते थे। एक रास्ते में बड़ा बगीचा था जिसके कोनहवा पेड़ पर एक नट रहता था, उसके बाद राजा का पेड़ पड़ता था, उस पर एक भयानक प्रेत था, उसके बाद मलगा नाला था जिसमें अनंत बुडुवा और गड़ंत थे, उसके बाद कब्रिस्तान था जो मृतक आत्माओं का जंगल ही था। रानापार होकर जाने वाले रास्ते में भी खतरे थे। रास्ते के पाम छोटा बाग पड़ता था जिसमें मलगड़ही नाम का पोखरा था। उसके पाम बांम का कोठी थी। पोखरे में कई बुडुवा थे, बांस की कोठी में तमाम चुड़ैलें थी और एक पेड़ पर भी कोई भगवती निवास करती थी। लोग बातें करते थे कि रात को बगीचे में सारी चुड़ैलें नाचती हैं। छम्म-छम्म की आवाजें आती हैं और कुछ प्रेन सारंगी तथा तबला बजाते हैं। रात-भर रास मचता है। कइयों का दावा था कि उन्होंने देखा है या सुना है। खुद पिताजी ने भी इस तरह के तमाम दृश्यों का साक्षात्कार किया था। रास्ते में और भी स्थान ऐसे थे जहां भूतों का डेरा था। हम लोग रात को स्कूल जाने डरते थे। आगे कौन चले इस पर बहस होती थी। बारी-बारी से हम लोग दल का नेतृत्व करते थे, एक आदमी हनुमान चालीसा पढ़ना था :

भूत पिशाच निकट नहिं आवैं

महावीर जब नाम सुनावैं

एक आदमी का गायत्री मंत्र आता था, वह उसे बुदबुदाता था—कभी-कभी सांप का भी डर सताना था तो हम लोग 'जय राजा जनमेजय' कह उठते थे।

हम लोगों का डर एक घटना से और गाढ़ा हो गया था। तब हम दर्जा पांच में थे। कनइल गांव से कुछ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। कनइल बिशुनपुरा से दो कोस की दूरी

पर था। रास्ते में एक लम्बा-सा बीरान पड़ता था। बीरान में एक समेल था। उस पर एक बहुत जाबिल नट था। उसके बाद रानी की बारी पड़ती थी जो बहुत भुतही थी। उस रात हनुमान नाम का एक लड़का स्कूल पर आते ही अनाप-शनाप बकने लगा। लड़कों ने मास्टर साहब से शिकायत की। मास्टर साहब ने बुलाया, वह नहीं आया। मास्टर साहब झल्लाये हुए उसके पास गये, वह उन्हें देखकर हि-हि-हि-हि हंसने लगा और सिर मटका-मटकाकर उछलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब तरह का खोयापन अंटा पड़ा था। हनुमान बहुत शरीफ लड़का था। मास्टर साहब कुछ देर तक परेशान रहे फिर उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने लड़कों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ कर लिटा दो। स्कूल के तीन-चार पहलवान लड़कों ने हनुमान को पकड़कर लिटा दिया। चारों ओर शोर हो गया कि हनुमान को भूत पकड़े है। हनुमान की दोनों बांहों को दो पहलवान दबाये थे और वह बार-बार दोनों को उठा देता था। मास्टर लोग जुट गये थे और बिकाऊ पंडित ने डांटकर पूछा—“बोल, तू कौन है ?” हनुमान शरारत की हंसी हंसकर चुप हो गया।

“बोल, तू कौन है ?” बार-बार बिकाऊ पंडित पूछते थे और हनुमान हि-हि हंसकर चुप हो जाता था।

“अच्छा तो देख तू भी क्या याद करेगा ?” कहकर बिकाऊ पंडित महाविद्या का जाप करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान चिल्लाया “नहीं-नहीं, मुझे जलाओ नहीं।”

“तो बता, तू कौन है ?”

मंत्र बंद होते ही वह हें-हें करके हंसने लगता था।

“तो तू नहीं बतायेगा ? तो ले।” फिर मंत्र जाप शुरू होता था।

“अरे मुझे मारो मत, बताता हूं, बताता हूं।”

“हां बता।”

फिर वही ‘हें-हें’ की हंसी।

“तू बड़ा शैतान मालूम पड़ता है। बहुत ढीठ और कमीना है तू। तू शराफत से नहीं मानेगा।” और पंडित जी लगातार मंत्र जाप करते चले गये। हनुमान चिल्लाता रहा। बहुत देर बाद हनुमान तड़पने लगा—“बताता हूं, मैं समेल पर का नट हूं।”

“तूने इसे क्यों पकड़ा ?”

“इसने मेरी ओर मुंह करके पेशाब किया।”

“पेशाब करना कोई जुर्म है ?”

“हां, है।”

“चोप, शैतान कहीं का !” पंडित जी गरजे, “इसे छोड़कर भाग।”

“हैं ऊं ऊं ! नहीं जाता।”

“नहीं जाता ? जायेगा तो तेरा बाप।” कहकर वे फिर मंत्र पढ़ने लगे। हम लोग पंडित जी के आत्मविश्वास पर मुग्ध थे। वे मंत्र पढ़ते जाते थे, हनुमान चीखता जाता था। नट हनुमान को छोड़कर जाने का वायदा करके मंत्र को रोक लेता था और फिर बेधर्मी से नहीं कर देता था। इस बार पंडित जी नहीं रुके। मंत्र पढ़ते ही गये। हनुमान

अपने ऊपर लदे चार-चार छात्रों को उठा-उठाकर फेंकने की कोशिश करता रहा । चिल्लाता रहा—“छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा । अरे मार डाला रे, अरे बस कर, मैं जा रहा हूँ, अरे मत जला, जा रहा हूँ ।” लेकिन पंडित जी धुआंधार मंत्र जाप करते जा रहे थे और थोड़ी देर में हनुमान धीरे-धीरे शांत हो गया । उसका चेहरा एक ओर को लुढ़क गया जैसे बहुत थककर शिथिल हो गया हो ।

“हूँ ।” पंडितजी ने एक हुंकार भरी, “पाजी शंतान, बहुत ही कमीना था । बच्चो, इसे नहलाओ ।”

हनुमान को नहलाया गया । वह आराम में सो गया लेकिन हम लोगों को डर के मारे नींद नहीं आयी । डर था कि फिर न कहीं हनुमान उठकर चीखने-चिल्लाने लगे ।

उस घटना में हम लोग और भी भयभीत थे इसलिए रात को स्कूल जाते समय बहुत डर लगता था । और जब कोई लड़का पढ़ता था ‘भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें’ तो मेरे मन में एक आशंका बनी होती थी । जब खुद हनुमान को नट पकड़ सकता है तो इस नाम की महिमा कहां रही ? फिर भी डूबते को तिनके का सहारा था । एक रात हम लोग जा रहे थे । फागुन का महीना था । चारों ओर अरहर के सघन जंगल थे । भूत-प्रेत का डर तो था ही, अरहर के जंगल में जानवरों की आशंका भी सिर उठाये रहती थी । हम लोग अपने उसी क्रम से डरते-ठमकते आगे बढ़ रहे थे कि अरहर के बीच में कुछ आहट हुई । हम लोग चौंककर खड़े हो गए । आगे-आगे मैं ही था । मैंने कहा—“कोई भागना मत । चलो, आगे चलते हैं ।” डरते-डरते थोड़ा और आगे बढ़े, तब तक खांसने की एक विचित्र आवाज आयी । जब तक मैं पहचानूं यह आवाज कैसी है, किस प्राणी की है, तब तक मेरे पीछे भगदड़ मच गयी । “अरे भागो मत” कहना हुआ मैं भी भागने लगा । पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आयी, फिर तो निश्चय हो गया कि भूत पुकार रहा है और एक-दूसरे पर गिरते-पड़ते हम लोग गाव में पहुंच गये । वहाँ पहुंचकर सुस्ताने लगे तब तक वह खांसी हम लोगों के सामने आ गई ।

“अरे, तुम लोग भागे काहे को रे, यह तो मैं था । मैंने तुम लोगों को बुलाया भी लेकिन तुम लोग भागते ही चले आये ।”

अब हम लोगों को मालूम हुआ कि ये मुरली भाई थे—संतू के चाचा । हम लोग हंसने लगे लेकिन अब अकेले स्कूल जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी । फिर ब्रजनाथ के पिताजी हम लोगों को स्कूल छोड़ आये ।

स्कूल में एक और डरावनी घटना घटती थी । मेरे दो सहपाठियों को मृगी आती थी । मृगी आते ही उनका ऐसा बुरा हाल होता था कि उन्हें देखकर हम सहम जाते थे । उनकी फटी हुई आंखें, कांपते हुए हाथ-पाव, मुंह से छूटता हुआ फेंचकुर यह सब हम लोगों को बड़ा डरावना लगता था, भूत का-सा भय चारों ओर व्याप्त हो जाता था । इसलिए रात को उनके पास सोने में लड़के डरते थे ।

बचपन का यह भूतवादी संस्कार मंत्र में कुछ ऐसा बैठ गया कि आज भी भूत

के सपने आते हैं। मैंने आज तक भूत का साक्षात्कार नहीं किया और मेरे बौद्धिक मन को भूत तो क्या ईश्वर की ही सत्ता में विश्वास नहीं है फिर भी अवचेतन में पड़ा हुआ बचपन का भूतवाद संस्कार चेतन के शिथिल होते ही जाग उठता है। मेरे पिताजी आविष्ट होते थे, उन पर गांव के दीक्षित बाबा (ब्रह्म बाबा), डीह राजा, शीतला माई आदि सवार होते थे। यानी उनका आविष्ट होना मेरे बाल मन पर यह प्रभाव जमाने के लिए काफी था कि देवी-देवता, भूत-प्रेत होते हैं। वे तरह-तरह की स्वानुभूत प्रेत घटनाएं भी सुनाया करते थे। वे कई भूतों से युद्ध कर चुके थे। मेरी मौतेली मां चेचक से मरकर शीतलादेवी की जमान में शामिल हो गयी थी, वे उन पर सवार होती थीं। दीक्षित बाबा उन पर सवार होते थे। वे बहुत चमत्कारी देवता है। एक बार पिताजी चार बजे सवेरे कहीं से लौट रहे थे कि घंटहवा पीपल के नीचे भूतों से पाला पड़ गया। वे सब घेरकर खड़े हो गये और सुरती मांगने लगे। उन्हें लगा कि आज जान गयी कि उन्होंने दीक्षित बाबा का स्मरण किया। तब तक देखते क्या हैं कि सोने की खडाऊं पहने हुए, हाथ में सोने का डंडा लिए हुए एक देव मूर्ति उड़ती हुई आई और आवाज लगायी—“कौन है रे जो मेरे भक्त को मत्ता रहा है?” भूतों में भगदड़ मच गयी। वे यह कहानी प्रायः सुनाते थे और घंटहवा पीपल का डरावना माहौल और भी डरावना हो उठता था। घंटहवा पीपल भगड़ा नाले के पास स्थित था। वहां मृतक आत्माओं के घंट बंधते थे। हमेशा उसकी डालों में दो-चार घंट लटके ही रहते थे। एक तरुह से वह शमशान भूमि था। भगड़ा नाले में न जाने कितने बुडबुडे रहते थे। उधर बुडबुडे, इधर घंटहवा के नीचे प्रेत। वह माहौल अजीब भयकारी था और हम लोग उधर दिन को भी अकेले निकलने में डरते थे। लेकिन वह भी विडम्बना थी कि वह जगह ऐसी थी जहां न चाहने पर भी कभी-कभी जाना ही पड़ता था। अपने खेत थे उधर। खेत देखने के लिए तो जाना ही पड़ता था। लेकिन फसलों के मौसम में उतना डर नहीं लगता था। फसलों की हरियाली और गुंजान उस माहौल के डरावने सन्नाटे को काफी कुछ काट देता था, तिस पर आसपास के खेतों में काफी लोग दिखाई पड़ते थे। किन्तु फमल-विहीन दिनों में या अरहर की फसल होने के दिनों में और बरसात में वह माहौल भयंकर हो उठता था। बरसात के दिनों की भयंकरता सबसे अधिक होती थी किन्तु बरसात में ही उधर जाने की अनिवार्यता सबसे ज्यादा हो उठती थी। बाढ के दिनों में जब सारा कुछ डूब जाता था तब ऊर्चाई पर स्थित होने के कारण घंटहवा पीपल के आसपास की जमीन सूखी पड़ी होती थी और लोगों को फारिग होने उधर ही जाना पड़ता था। मुर्दे वहीं फुंकते थे। मुर्दे वैसे तो राप्ती नदी के तट पर फुंकते थे किन्तु बाढ़ के दिनों में तो राप्ती गांव के पाम ही बहने लगती थी, इसलिए इस पीपल के नीचे ही फुंके जाते थे। मेरे सामने मेरे ही घर के दो मुर्दे फुंके गए थे—बाबा का और दादी का। उनके फुंके जाने का दृश्य मेरे बाल मन में एक डरावना बिंब बनकर जम गया था। कई मन लकड़ी के नीचे लाश को दबाना, उसमें आग लगाना, जल कर लाश का विकृत हो उठना, फिर बांस से पानी में ढकेला जाना और बड़े-बड़े कछुओं द्वारा लाश के अबशेष को ले भागना... न जाने क्यों लाश मेरे लिए लाश न लगकर एक जीवित

व्यक्ति लगती थी और लगता था कि उसकी दुर्दशा की जा रही है और न जाने कब उस व्यक्ति में मैं शामिल हो जाता। और कुल मिलाकर यह पूरा परिदृश्य मुझे भीतर तक दहला जाता। अब घंटहवा पीपल नहीं है, न जाने कब का उजड़ चुका है लेकिन उसने जो भय पैदा किया वह जीवित है बल्कि कई गुना बढ़ गया है। हाँ, परिदृश्य बदल गया है—पूरे समाज और देश में जगह-जगह घंटहवा पीपल दीख रहे हैं जिन पर मरे हुए मूल्हों, संवेदनाओं और सम्बन्धों के घंटे टंगे हुए हैं और नीचे जातिवाद, क्षेत्रवाद, स्वार्थ, हिंसा के भयानक भूत अट्टहास करते हुए तांडव कर रहे हैं और तमाम जीवित इंसानों की भूखी-प्यासी और डरी आंखों की हंसी छिन गयी है। पीपल का भूत तो अरूप है और मेरे अवचेतन में है किन्तु ये भूत तो ठोस है और जीते-जागते इंसानों के सिर पर हैं।

मैं भय की बात करते-करते कहां चला गया ? लेकिन गया कहां, अभी तो उसी के बीच हूँ। मनोवैज्ञानिकों के लिए वह एक आंतरिक बुनियादी सत्य हो सकता है किन्तु मेरे लिए तो वह अपने छोटे से लेकर बड़े समाज तक, भीतर से लेकर बाहर तक, मन की भूख में लेकर पेट की भूख तक, स्कूल की पिटाई से लेकर पुलिस की पिटाई तक फैला हुआ एक जीवित सत्य है जो अपने आधार के अनुरूप रूप धारण करता रहता है किन्तु वह समूचा जीवन नहीं है—न मेरा, न किमी का। उसके साथ जुड़े हुए न जाने कितने और संदर्भ हैं जिन्होंने जीवन की और वास्तविकताओं को खोला है। मुझे लगता है जीवन सुख या दुःख का कोई सीधा-हिंसाब नहीं है यानी यह तय नहीं है कि सुविधाओं या अमृविधाओं के इन अंकों के जोड़ या गुणनफल के रूप में सुख या दुःख की शक्ति या अशक्ति की इतनी ही संख्या बनेगी। यदि ऐसा होता तो मैं पता नहीं कब का समाप्त हो गया होता और लाड़-प्यार और सुविधाओं में पले कितने लडके क्या कुछ नहीं बन गये होते ! मेरे पास क्या था—एक अभावग्रस्त टूटा-फूटा घर, कर्ज में डूबे मा-बाप और नौकरी के लिए दर-दर भटकते और बीमार पड़ते बड़े भाई। पास में न किताब होती थी, न फीस-माफी होने पर भी गेम-फीस के पैसे। मुझे याद है कि एक बार एक पैसे फीस की अदायगी नहीं हो पायी थी। शिक्षक ने घर भेज दिया। पिताजी के पाम पैसा नहीं था। मैं जिद पर आ गया और उन्होंने खरहर लेकर खदेड़ दिया। मैं भाग चला। जब कभी यह घटना याद करता हूँ तो पिताजी की मजबूरी पर दिल भर आता है। अब सोचता हूँ तब क्या था अपने पास—नंगे पाव, फटे-पुराने कपड़े, अघा पेट मोटा-सोटा भोजन। कभी-कभी सोचता हूँ कैसा लगता रहा हूंगा उस समय। उस समय की फोटो होती तो अपने उस रूप को निहारता। लेकिन फोटो होती कैसे ? खँर, छोड़िए। हाँ, कह रहा था, क्या था अपने पास लेकिन बहुत कुछ तो था। अपने अभावों के बीच जीने की उमंग थी, हंसी थी, खेल था, खेतों, खलिहानों, मौसमों, पर्वों, मेलों, हटियों में गहरा भीतरी लगाव था, बिद्या के प्रति अनुराग था, क्या नहीं था ! (और सच बात तो यह है कि उस समय अपने अभावों का इतना बोध भी नहीं रहा होगा जितना अब है)। याद हैं गर्मियों के दिन। मार्च लगते ही स्कूल का समय बदल जाता था यानी पूरे दिन का स्कूल सुबह से दोपहर तक हो जाता था। वैसे तो मुझे सारे ही

महीने प्रिय रहे हैं किन्तु फागुन और चैत मुझे बेहद प्यारे लगते रहे हैं। फागुन की बात फिर कभी करूंगा, फिलहाल चैत की बात। चैत में फसलें कटकर खलिहान में आना शुरू हो जाती हैं और साथ ही फसलों की दवाई प्रारम्भ हो जाती है। हम खलिहान में ही सोते थे। चैत की रात और खासकर चांदनी रात का क्या कहना? खलिहान के दोनों ओर पाकड़ के दो बड़े-बड़े पेड़ थे, अब भी हैं। एक के नीचे डीह राजा का स्थान है, एक के नीचे बरम बाबा का। दोनों ओर देवत्व का पहरा। नवरात्र में देवताओं की सवारियां निकलती है। रात को कोई ओझा-सोरवा पचरा गा रहा है और रात उमकी लय में कांप रही है। कहीं नगाड़ा बज रहा है, कहीं औरतें देवी का गीत गा रही हैं। उधर बंशी भाई चैता का राग छोड़ देते है—वाह-वाह, क्या दर्द है गीत में और कंठ में भी। नवरात्र की थरथराहट में एक थरथराहट और मिल जाती है। लगता है प्रेम और पूजा की रागिनियां आपस में लिपटी हुई दूर सिबानों तक चांदनी में बही जा रही हैं। थोड़ी देर के लिए एक चुप्पी छाती है तो पाकड़ पर मे कोयल पुकार उठती है—कुऊ—कुऊ—। खलिहान में दो-दो, चार-चार की संख्या में लोग यहां-वहां एकत्र होकर गप-शप कर रहे हैं, सुख-दुःख का आदान-प्रदान कर रहे है, गा रहे हैं, वाह-वाह कर रहे हैं। ठंडी-ठंडी हवा बह रही है और बगीचे में से तरह तरह के पेड़ों के फूलों की गंध मतवाली-सी घूम रही है और धीरे-धीरे एक अलमस्त नींद का आलम छा जाता है। चैत की खुमार-भरी ठंडक का आनंद ही और होता है, वह अब कहां मिलता है लेकिन उन दिनों इतना बटोर लिया था कि अब तक समाप्त नहीं होता। उसी अलमस्त नींद में से उठकर लोग खलिहान में मुंह लगाये पशुओं को खदेड़ते थे। रात-भर एक तरह से जागृति पहरा देती थी। अलमस्त नींद से झूठ-उठकर पशुओं को खदेड़ना बड़ा अखरता था किन्तु खलिहान में सोने का मतलब केवल अलमस्त नींद लेना नहीं होता, कर्तव्य की चेतना भी उससे जुड़ी होती है। सवेरे-सवेरे और भी खुमारी-भरी नींद आती थी। ब्रह्म-मुहूर्त की पछिया हवा में एक अजीब मादक ठंड होती थी लेकिन ठीक उसी समय दंबरी नाचने के लिए जागना पड़ता था। जागते ही पाकड़ों के लाल-लाल पत्ते आंखों में भर जाते थे। पाकड़ की डाल-डाल पर गुंथे हुए लाल पत्तों की सघन भीड़ अपनी आभा मेरी आंखों में भर देती थी और कटे हुए खेतों का खुलापन सामने बिछा होता था जिसमें सवेरे-सवेरे छोटे-छोटे बच्चे गिरी हुई बालें बीन रहे होते। मैं भी बीनता था। बीनने के बाद जो अन्न बनता था उसके पैसे निजी पैसे होते थे इसलिए इस कार्य में बच्चों को सुख मिलता था। हां, रामनवमी का मेला पास आ रहा है न, उसके लिए कुछ इतजाम होना ही चाहिए।

तरकुलही का मेला चैत का एक खास आकर्षण होता था। यह मेला रामनवमी से शुरू होकर पूर्णमासी के बाद तक चलता था। और कलकत्ते तक से दुकानें आती थीं। इस मेले के लिए पहले से बड़ी तैयारियां होती थीं। साल-भर का मिर्च-मसाला यहीं से खरीदा जाता था। तरकुलही देवी की तमाम मनौतियां इन्हीं दिनों पूर्ण की जाती थीं, धार्मिकता के नाम पर घर की बहू-बेटियों को मेला करने की छूट होती थी। बच्चे मिठाइयां खरीदने के लिए खेतों में से बालें बीन-बीन कर पैसों का जुगाड़ कर लेते थे।

इस मेले में जाने का अपूर्व उल्लास होता था। गांव से छः-सात मील की दूरी पर स्थित इस मेले में पहुंचने के लिए दो बजे रात को ही हम लोग चल देते थे। रात को काफी अच्छी ठंडक होती थी। उस ठंडक में थोड़ा-थोड़ा सिहरते हुए हम लोग सुबह-सुबह तरकुलही देवी के मेले में पहुंच जाते थे।

तब मेरे लिए वही परदेश होता था। गांव से बाहर की सारी दुनिया परदेश ही लगती थी और मेले में जाने का भाव परदेश में जाने का भाव होता था और कितनी ऐसी नयी चीजों का साक्षात्कार करता था जो हमारे गांव में नहीं थीं। गांव से दो मील की दूरी पर नदी है। नदी से तो पुरानी पहचान है ही। यद्यपि वह हमारे गांव के पास नहीं बहती है (वैसे मन होता कि काश, गांव से सटकर बहती तो कितना मजा आता, गर्मी की दोपहरियों में घंटों नहाता, नाव खेता, घाट पर बैठकर आते-जाते हुए तमाम रंग-बिरंगे लोगों को देखता) किन्तु बाढ़ के दिनों में तो गांव के बाहर का सारा जगत् नदी ही बन जाता। वहां चौधरी साहब की छावनी दिखती जिसमें पानी का पाइप लगा होता और पानी अपने-आप फूटकर उनके खेतों में फैलता होता। वहीं एक बगीचा था जिसे गदुरहिया बारी (बाग) कहते थे। उसके पेड़ों की डालियों से अनंत गादुर उलटे लटकते होते, वह अद्भुत दृश्य होता। फिर राजी आता, वहां अपने इलाके के सबसे बड़े जमींदार बाबू चन्द्रभानसिंह की कोठी दिखाई पड़ती—चांदनी के श्वेत विस्तार के बीच सोये हुए वैभव की तरह लेकिन भिनसार की उस बेला में एक खुशबू जागकर कोलाहल मचाती रहती, वह खुशबू थी कटहल और महुए की। सड़क के दोनों ओर दो फलांग तक बाबू साहब के कटहलों के पेड़ थे जो अपनी मादक सुगंध से रात के उस अतिम पहर को उन्मत्त बना देते। दूर से ही मालूम पड़ता कि कटहल के पेड़ों की पंक्ति आ रही है। फिर आसपास के कटे खेतों के बीच महुए के पेड़ खड़े होते, उनकी सुगंध कटहल की सुगंध से मिलकर न जाने कैसा-कैसा उन्मत्त आह्लाद मन में भर देती।

फिर जंगल पड़ता। जंगल क आते ही मेरी चेतना कुछ और हो जाती, कल्पना जाग्रत हो जाती और वह जंगल के भीतर शेर चीता, सूअर, भालू और न जाने क्या-क्या देखने लगती और एक रोमांच से पुलकित हो जाती। जंगल के भी कई रंग थे—एक जंगल था साखू के बड़े-बड़े पेड़ों का, एक था छोटे-छोटे बिखरे पेड़ों और झाड़ियों का। दो मील का रास्ता जंगल में से ही गुजरता था। एक ओर परेन नदी (एक बड़ा नाला कहिए) बहती थी, दूसरी ओर जंगल था। दोनों के बीच से रास्ता जाता था। नदी जंगली होने के कारण अद्भुत काली थी। उसमें तेज बहाव नहीं था, एक गहरा ठहराव हर जगह लक्षित होता था। लोग कहते थे कि इसमें कई जमकातर (पाताल तक की गहराई वाले जल-गर्त) हैं। एक बार जो उनकी लपेट में पड़ता है बाहर नहीं निकल सकता। और मैं जगह-जगह देखने की कोशिश करता कि जमकातर कहां-कहां हो सकते हैं। नदी के किनारे फँसे हुए छोटे-छोटे पेड़ और सघन जंगली झाड़ियां परेन को और भी भयानक रूप प्रदान करते थे। इनके पत्ते झड़-झड़कर परेन में गिरते थे और सड़ते थे। परेन के पानी से एक दुर्गंध उठती रहती लेकिन मेले के समय लोग इसी में दातुन-कुल्ला करते, नहाते और इसे पीते भी।

मेले में पहुंचने का बोध बहुत रोमांचकारी होता। काफी विस्तार में फैला हुआ मेला। पहुंचते ही सबसे पहले सुनाई, फिर दिखाई पड़ता हरिजनों का नृत्य—डह-डह, डग-डग, डह-डह, डग-डग—हुडुक्क, झाल और मृदंग के ताल पर नचनिया नाचता होता। नीचे किसी मनौती मानने वाली स्त्री का आंचल बिछा होता, उस पर घूम-घूमकर नचनिया थिरकता होता। सामने परेन नदी, एक ओर देवी तरकुलही का मंदिर जिसमें मिट्टी के हाथी-घोड़े पर सवार देवी मूर्तियां, बीच में नाच और पास ही रत्न-रंजित भूमि पर तड़पते हुए या तड़प कर शांत हो गये हुए बकरों के मुंड। मुझे तो देवी के मंदिर के पास आकर मातृत्व की शांत वत्सलता के स्थान पर उनके कोप का भय अधिक अनुभव होता। लगता कि वे मां नहीं, शासिका हैं।

छनछनाती हुई कड़ाहियां, रंग-बिरंगे कपड़े पहने घूमते लड़के-लड़कियां, मर्द-औरत, जमींदार-किसान, शोहदे-गुंडे, शरीफ, चर्खी, बाइस्कोप, नौटंकी, तरह-तरह की दूकानें, छुरियां लेकर घूमतीं और किसी से उलझी ईरानी लड़कियां, यह सब मेरे लिए एक नया संसार होता। वहां से सरदार माहब के मिल की चिमनी दिखाई पड़ती जिसे नजदीक से देखने की हमरत मन में होती। गाड़ी की सीटी सुनाई पड़ती और सोचता कैसी होती है रेलगाड़ी, काश, कभी उस पर चढ़ पाता।

धीरे-धीरे धूप तेज होती, हवा गरम होती-होती उद्विग्न होकर बहने लगती। धूल-धक्कड़, धूप की चिपचिपाहट और गर्मी में भरे हुए मेले में वारदातें होतीं—कहीं कोई भूला हुआ बच्चा रो रहा है, कहीं कोई लड़की रो रही है, कहीं कोई किताब बेचने वाला मुसकराकर गा रहा है :

चलेली बहुअरि मेला करे

झगरि-घरे

सासु-ससुरक कहवो न मानें

मरदाक बतिया कइली

एंड़ी के तरे

या

फँसन में रहे फूकि

अपने बाप की कमइया

उस समय आर्य समाज का बड़ा जोर था और आर्य ममाजी नैतिकता से प्रेरित ये गीत बहुत अच्छे लगते थे। धीरे-धीरे मेला घूमने का उत्साह थकावट और उदासी में बदल जाता था। थककर चूर पांव जब गांव की ओर लौटते थे तो उनसे चला नहीं जाता था लेकिन फिर अगले साल के मेले की प्रतीक्षा उसी उत्सुकता से होती थी।

मैं कहां-से-कहां चला गया। बात करने जा रहा था स्कूल जीवन की ओर चला गया मेले की ओर। मगर मैं कहां क्या? मैंने कहा था न कि यह एक वर्तुल जिन्दगी थी जिसमें तमाम चीजें एक-दूसरे में समाई हुई थीं, जिन्दगी खानों में बंटी हुई नहीं थी। लीजिए साहब, मैं फिर आ गया स्कूल की ओर। सवेरे-सवेरे दंवरी नघ जाती थी। कुछ देर तक मैं भी हांकता था। पिताजी होते, हलवाहा होता, मैं होता, मसले भाई

रामनवलभी होते। हम दोनों पढ़ते थे—एक साल आये-पीछे की कक्षाओं में थे। हम लॉग दंबरी का काम छोड़कर घर जाते, कुछ बासी खाना होता, बड़े चाब से खाते, फिर स्कूल चले जाते। स्कूल दोपहर को छूटता। बच्चे घर की ओर भागते। बलबलाती हुई धूप में नंगे पांव भागते हुए पहले हम लोग पकरडीहा के आम के एक पेड़ के नीचे थोड़ा ठहरते। यह पेड़ राजा नाम के एक व्यक्ति का था और उस पर टिकोरे लदे होते। डेलों, डंडों की बौछार उस पेड़ पर शुरू हो जाती। उधर मालिक पक्ष से लाठी लेकर कोई दौड़ा लेता, हम लोग जल्दी-जल्दी कुछ टिकोरे बीन-बान कर भाग खड़े होते और बड़की बारी (जो हमारे गांव का आमों का बाग था) में ही आकर रुकते। यहां आकर आश्वस्त और निर्भय हो जाते। यह तो अपने गांव का बगीचा है, यहां हमारा कोई क्या कर लेगा ?

इस बगीचे में एक पड़ाव पड़ता। भूख लगी होती लेकिन उससे पहले चिक्का खेल्ना जरूरी होता। यह रोज का कार्यक्रम था। जिस दिन कुछ बच्चे उत्साह में न होते उस दिन मैं उदास हो जाता और हाथ जोड़कर उन्हें खेलने के लिए राजी करता। दो घंटे तक खेलते। प्यास लगती तो पास के कुएं पर जाकर पानी पी लेते। मन में अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह होता, भूख गायब रहती, खेल समाप्त होने के बाद ही भूख लगती। नंगे पांव, नंगे सिर हम घरों को भागते और खा-पीकर थोड़ा आराम करते, फिर खलिहान की ओर निकल जाते, दंबरी में नघने के लिए। जिस दिन छुट्टी होती, उस दिन हम लोग कई मित्र एकत्र होकर दोपहर में ताश खेलते। ताश खेलना यों ही वर्जित मान लिया गया है और बड़े चाहे स्वयं कितना ही ताश खेलते हों यह उनका नैतिक कर्तव्य है कि छोटों को खेलने से रोकें और ताश खेलने से उत्पन्न होने वाले दोषों के प्रति मचेत करें। किन्तु मुझे ताश खेलने में कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती थी क्योंकि मैं पढता भी था, घर का काम भी करता था और खेलता भी था। ताश को भी खेल में ही शुमार करता था लेकिन बच्चों की क्या मजाल जो बड़े लोगों के नैतिक निषेधों का निषेध करे और उन्हें अपना पक्ष समझायें। इसलिए हम लोग बगीचे में या किसी के भूसौले में या वीरान जगह पर छिपकर ताश खेलते थे।

वैसे खेलों की क्या कमी थी, बस मन में हुलास चाहिए और हुलास अपने मन में बहुत था। चिक्का-कबड्डी, ओल्हापाती, गुल्ली-डंडा, गोली, चिल्होरिया रवे-रवे आदि आउटडोर खेलों से लेकर ताश, बाघागोटी, लपकी-झपकी आदि इनडोर खेलों तक अपनी रुचि और सक्रिय भागीदारी थी। इसके अतिरिक्त कुश्ती में भी खूब दिलचस्पी थी। मैं अपने समकालीनों से प्रायः लड़ाया जाता। पहलवानों की तरह देह के पालन-पोषण के लिए कुछ प्राप्त हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, रूखा-सूखा खाकर पलने वाली देह में केवल उमंग थी, मिट्टी के स्पर्श से प्राप्त होने वाली ताकत थी और गृहकार्यों से प्राप्त परुणता थी। इस बल पर हम पहलवान बने फिरते थे और अपने साथियों से लड़ा दिये जाते थे। कभी उन्हें पटकते थे, कभी पटका जाते थे। पटका जाने पर मैं रोता था। हार की पीड़ा मुझे बहुत सालती थी, सालती है। लेकिन उसी क्षेत्र की हार सालती है जिसमें अपनी रुचि हो, गति हो, अधिकार हों, बाकी की चिंता नहीं करता, हंस-

कर टाल जाता हूँ। मेरा पेसा अध्यापन का है। लोग कहते हैं—मुझे अब तक क्या-से-क्या हो जाना चाहिए था, कम-से-कम प्रोफेसर तो हो ही जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ तो कोई अफसोस नहीं सालता। रीडरशिप और प्रोफेसरशिप के कई-कई इंटरव्यू दिये, कई-कई बार असफल हुआ लेकिन इस हार से मैं आहत नहीं हुआ क्योंकि कैरियर के प्रति मेरी गहरी रुचि कभी नहीं रही। लेकिन जब साहित्य-रचना के क्षेत्र में अपनी उपेक्षा, अपने प्राप्य की प्राप्ति में असफलता अनुभव करता हूँ तो गहरी पीड़ा होती है क्योंकि साहित्य-रचना मेरे आंतरिक धर्म से जुड़ी है। वह मेरी गहरी और मूल आकांक्षा तथा साधना है। उस समय एक बार पहलवान बनने की इच्छा हुई थी। बाकायदा अखाड़े में जाता था, लड़ता था, दांव सीखता था और कान तोड़वाने के लिए कान पर घिस्से मारता तथा मग्वाता था लेकिन कमबख्त काम नहीं टूटे। आज यह सोच-सोचकर राहत मिलती है कि अच्छा हुआ कान नहीं टूटे। टूटे होते तो मैं कैसा दिखता? मैं विद्वानों और कवियों की सभा तथा अपनी कक्षाओं में कैसा लगता?

कान तो नहीं ही टूटे, मैं दांव-पेच भी नहीं सीख पाया। लगता है मैं किसी भी क्षेत्र में दांव-पेच नहीं सीख सका, नहीं सीख सकता। कुश्ती में अपनी ताकत का प्रयोग करता रहा और जिम किसी को पकड़ता उसे मरोड़कर गिरा देता। वह व्यक्ति निकलने के लिए और दांव-पेच लगाने के लिए तडपता लेकिन मैं निकलने न देता और फिर वह व्यक्ति दुबारा नहीं लड़ता, वह मुझे अनाड़ी समझता और सचमुच ही मैं अनाड़ी रह गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कितने नये-नये दांव-पेच पैदा हुए। बिना अपनी ताकत के ही खिलाड़ी लोग दांव-पेच न गाते रहे और दूसरों को चित करते रहे, लगातार नये-नये पंतरे सीखते रहे, और मैं बुद्धू की तरह अपनी मिट्टी से पाई हुई ताकत का ही लगातार इस्तेमाल करता रहा, उसी के भीतर से रूप की सादी भंगिमा उभारता रहा, और अनाड़ी कहलाता रहा। अपनी नीयत और अनुभूति के विपरीत कुछ कर गुजरने का हीसला शायद मुझे कभी रास नहीं आया और जो मुझे रास नहीं आया वह दूसरों को रास आने की खातिर कर गुजरूँ, ऐसी जवांमर्दी का कायल मैं कभी नहीं हो सकता।

3

स्कूल की पढ़ाई, गृहकार्य, खेलकूद, पहलवानी की बात करते-करते साहित्य की बात चल पड़ी तो जरूर साहित्य को कहीं इनके बीच ही होना चाहिए। और जब साहित्य इनके बीच है तो यह बात भी समझ में आती है कि क्यों मेरे साहित्य में तमाम रूप-रंगों, कथ्यों और शाब्दिक भंगिमाओं की कल्पना की जरूरत कम पड़ी। मेरे लिए तो मुख्य रचनात्मक समस्या यह रही कि अपने आसपास के जगत् की अनुभूत सच्चाइयों, गहरी जान-पहचान में उभरे अनंत पात्रों और उनकी जीती-जागती भाषा को कैसे सहेजूं,

उनका कैसे रचनात्मक इस्तेमाल करूँ ? मेरे लिए साहित्य एक सचेत अवस्था में पूरी तैयारी के साथ किया गया सफर नहीं था, बल्कि बचपन की अबोध अवस्था में ही उपजा हुआ एक अज्ञात बेचैनी था जिसे आसपास का जगत् उत्तेजित करता लगता था। मुझे माँ और बाप से भावुकता मिली थी। गाता, बजाता था, सैलानी मुद्रा में खेतों में घूमता था। मुझे बचपन से ही प्रकृति अच्छी लगती थी, उसके विविध रंगों का बोध मेरी चेतना पर अपनी छाप छोड़ता था। भीतर कुछ था कि मैं बारह-तेरह वर्ष की अवस्था में गीत लिखने के लिए बेचैन हो उठता था। जब भी कोई गीत सुनता, मन कहता, क्या तुम ऐसा गीत नहीं लिख सकते ?' और मैंने कई बार कोशिश की। एकाध पंक्ति उभरी, फिर नहीं उभरी। कुछ लोगों ने नुस्खा सुझाया कि बगीचे में एकांत में बैठकर मोचो, अपने-आप कविता आ जायेगी। वह भी किया। नहीं आयी। फिर प्रयास छोड़ दिया, लेकिन मन के भीतर तड़प की यात्रा चलती रही। लोक-गीतों की पंक्तियाँ मेरे भीतर बजती रहीं और बार-बार चुनौती भी देती रही कि काश, मैं भी ऐसा लिख पाता ! लोक-परिदेश के विविध रूप-रंग मेरे भीतर उतरते रहे और मैं उनके भीतर उतरता रहा।

एक बार मैंने बंधुवर शमशेर जी से बातचीत में कहा था, "समझ में नहीं आता कि चित्रकार हुसेन चलते तो कार पर हैं लेकिन पांव नंगे होते हैं।" शमशेर जी ने जो उत्तर दिया वह शहरी लोगों के लिए भले ही चमत्कारी लगे, मेरे लिए तो मजाक ही लगा। उन्होंने कहा था कि "वे अपने पांवों की खुली अंगुलियों से जमीन का स्पर्श कर उसकी संवेदना ग्रहण करते हैं।" पता नहीं हुसेन शहर की कांक्रीट की सड़कों पर पांवों की अंगुलियों से कौन-सी संवेदना ग्रहण करते हैं और यदि करते हैं तो कितनी प्राप्ति होती होगी। आखिर अन्य सारी इन्द्रियों को बन्द रखकर केवल पांव को खुला रखकर संवेदना बटोरने के पीछे क्या तक हो जाता है ! हुसेन बड़े चित्रकार हैं, उनमें संवेदनाओं की कमी नहीं है, अतः मैं नहीं मानता कि वे पांव से संवेदना ग्रहण करने के लिए नंगे पांव चलते हैं (यह शमशेर जी की प्रतिभा का विश्लेषण हो सकता है)। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। उन बड़ी बातों में ही एक बात यह भी है कि चलेंगे कार में लेकिन पांव में जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे। कपड़ों, बालों, दाढ़ी आदि का एक खास फैशन ये बना लेते हैं। नंगे पांव चलना भी इनके लिए एक फैशन है।

लेकिन नंग-घड़ंग रहना हम लोगों के लिए फैशन नहीं था, वह अपनी नियति थी, मजबूरी थी। और यदि हुसेन नंगे पांवों की अंगुलियों से संवेदना ग्रहण करते हैं तो हम लोग अनेक नंगी इन्द्रियों से बाह्य जगत् की संवेदना की चोट ग्रहण करते थे। अंग-अंग खुला था और बिना किसी बर्जना के प्रकृति और समाज के जीवन-व्यथार्थ की सीधी टकराहटें झेल रहा था। आंख, कान, जिह्वा, नाक, हाथ, पांव सभी गतिशील थे और उनकी गति का रास्ता अपने पूरे परिवेश से होकर गुजरता था। इसलिए आंखों को पता था कि सुख-दुःख से भरी आंखों और चेहरों के कितने रंग होते हैं। विभिन्न ऋतुओं और स्थानों पर धरती के कितने रंग होते हैं, विभिन्न मौसमों में पानी और वनस्पतियों के कितने रंग होते हैं। नाक जानती थी कि मिट्टी की गंध की कितनी पतें होती हैं।

हाथ-पांव कठोर-कौमल कर्मों के स्पर्श से परिचित थे।

बाढ़ आती थी। बाढ़ के आने के परिणाम से हम लोग अपरिचित हों ऐसा तो नहीं, लेकिन जब बाढ़ आ ही जाती थी तो रो-रोकर झींकने के स्थान पर उसका साक्षात्कार करते थे। भगड़ा नाले का बांध टूटते ही रात में गांव एक हाहाकार में डूब जाता और पिताजी वेदना से कहते—“बांध टूट गया है।” बाढ़ का पानी गांव के भीतर नहीं आता था। राहत के लिए इतना भी कम नहीं था। सवेरे उठकर देखते थे कि गरम-गरम मटमैला पानी हाहाकार करता हुआ बाहर के पोखरों, तालों, तलैयाँ को डुबोता हुआ खेतों में फैल रहा है। हम लोग खेतों की ओर चैल पड़ते थे। बाढ़ की धारा के तेज स्पर्श का अपना एक आनंद था। उस आनंद के साथ एक आश्चस्ति मिली हुई थी कि ये समतल जाने-पहचाने खेत हैं, हम डूबेंगे नहीं। और तैरना भी तो आता है। तैर कर बाढ़ से बचने की शिक्षा भी बाढ़ के पानी ने ही दी। गांव के बाहर एक समतल जगह पर पिताजी मुझे तैरना सिखाते थे। बहुत-से लोग सीख रहे थे। और बड़ी मुश्किल से मैं तैरना सीख पाया और जब सीख पाया तो मेरी उमंग की सीमा नहीं रही। बहुत मजा आने लगा। रामेश्वर भाई के घर के पास से एक छोटा-सा नाला बहता था जो पोखरी में मिल जाता था। मैं मझले भाई के साथ वहीं तैरने लगा। पानी तेज था तो भी हम लोग इस पार से उस पार, उस पार से इस पार होने लगे। सावधानी बरत रहें थे कि पोखरी की ओर न जाने पायें लेकिन सावधानी के बावजूद पानी की तेज धार एक बार मुझे पोखरी की ओर ढकेल ले गयी। मझले भाई खिलाड़ी थे। वे धारा से थोड़ा अलग हटकर तैरने लगे और उसकी पकड़ से छूट गये। मैं धारा के ठीक विपरीत तैर कर किनारे आने की कोशिश करने लगा लेकिन मेरे छोटे-छोटे हाथों की अपेक्षा धारा की विशाल पकड़ बलवान थी। अतः मैं लगातार पोखरी की ओर ठिला हुआ जाने लगा। मैं तो बड़हवास हो गया। रामेश्वर भाई के दरवाजे पर बैठी एक बूढ़ी औरत चिल्ला उठी—“अरे लड़का डूबा।” वहीं काम कर रहा संतू नामक उनका हलवाहा चौंका, मुझे देखा और छपाक से पानी में कूद पड़ा। तैर कर आया और झपट कर मेरी कलाई पकड़ी और घुआंधार हाथ-पांव मारता हुआ मुझे किनारे खींच ले गया। बच्चा था तब उससे कुछ कह नहीं सका, जब समझदार हुआ और उसके प्रति कृतज्ञता का मुझे अहसास हुआ तब संतू जवानी में ही दुनिया से जा चुका था। यह घटना न संतू को याद रही होगी (क्योंकि यह उसके लिए एक मामूली काम था) न और किसी को लेकिन मुझे याद है। लगता है संतू उस समय न रहा होता तो शायद मैं भी न रहा होता और वह एक छोटी-सी अनजान घटना एक बड़ी घटना बन गयी होती। मैं भीतर ही भीतर संतू के प्रति एक कृतज्ञता का बोझ लिए जी रहा हूँ।

बाढ़ तो कठार के जीवन का एक अंग बन गयी थी। कितने दृश्य मेरे अनुभव बनकर मेरी जिन्दगी में पड़े हैं। गांव और स्कूल के बीच लगभग आधा मील की दूरी है। बाढ़ के दिनों में लंगोटा पहन लेते थे और बस्ते के साथ पहनने के कपड़े सिर पर लाद लेते थे और बिला नागा स्कूल जाते थे। कहां-कहां कम पानी है, इसका पता हमें होता था। इसलिए पानी हल कर हम लोग उसे पार कर लेते थे। बाजार गांव के जीवन का

एक अहम हिस्सा होता है, उसे लगना ही होता है। अतः पानी में डूब जाने के बाद गांव के भीतर बाजार लगता था। स्कूल के बाद हम बाजार में पहुंचते थे। बरसात के दिनों में बर्रे के झुंड गुड़ और मिठाइयों की दूकानों के ऊपर उड़ते रहते थे और उन्हीं में मिल जाती थीं हम लोगों की कई जोड़ी ललचायी आंखें। भूख लगी होती थी मगर खायें क्या? वैसे तो पास होते नहीं थे और हमारे अभिभावकों के पास ही क्या होते थे जो हम लोग मांगते। तमाम लोग घर का खर्च चलाने के लिए गेहूं, जौ, चावल आदि खरीदने आये होते। इसके लिए न जाने वे क्या-क्या बेचकर जोगाड़ करते थे। कहीं से कर्ज लेते थे, कहीं जेवर बंधक रखते थे। कहीं खेत रेहन पर चढ़ाते थे। इन्हीं अभिभावकों में से मेरे पिताजी भी थे। कुछ लोग कुछ खरीद पाने में समर्थ हो जाते थे, बाकी लोग यों ही घूमते थे और खाली हाथ लौट जाते थे।

अभावों का एक बजबजाता सन्नाटा चारों ओर फैला होता लेकिन उसी में कजली के गीत उभरते थे, नागपंचमी का त्योहार अपने पूरे उल्लास के साथ उमड़ता था। चिक्का-कबड्डी, कथा-कहानी, गीत-संगीत सभी बदस्तूर चलते रहते। बाढ़ न आयी हो तो बगीचों में, अन्यथा घरों में ही झूलों की बहार आयी होती।

जिस साल बाढ़ न आयी होती उस साल फसलों का क्या कहना? रिमझिम-रिमझिम बादल बरसते होते, पुरवा हवा चलती होती और धान-कोदों के, मक्का-बाजरे आदि के खेत अपनी अलग-अलग तरह की हरियालियां उड़ाते झूमते होते। सोहनी चलती होती, मजूरनों के कंठों से कजली के गीत उड़ते होते। हम लोग भी खेतों में निराई करते। खेतों में से निकली हुई धास का गट्ठर लाकर मलगड़ही के किनारे पटक देते। उसे धोते और फिर मलगड़ही में कूद पड़ते। घंटों नहाते। पत्थर फेंक-फेंककर डूब-डूबकर उसे खोजने का खेल खेलते। कितनी तृप्तिदायक घड़ी होती थी वह! उमके आगे-पीछे अभावों से लदा भूत-भविष्य नहीं होता था। केवल वर्तमान होता था, जो अपने पूरे होने के सुखमय बोध के साथ हमारे भीतर भर जाता था। नहाकर पानी से भरी पगडंडियों पर छप-छप पांव रखते धास के साथ घर पहुंचते थे। उन धासों की गंध और हरियाली का दबाव अभी तक महसूस होता है।

मक्के के खेतों का अनुभव ही अलग था। मचान पर चढ़ना-उतरना और वहीं से वर्षा का आनंद लेना कितना बड़ा सुख था! मक्के के खेतों में ककड़ी की लताएं फैली होती। ककड़ी और फूट की महक उठती रहती। तोड़कर लाते, मचान पर बैठकर खाते। हवा के झोंकों के साथ फसलें बजती रहतीं। घाम-छाह का मनोहर खेल चलता रहता। कभी-कभी जब भादों की चौलाई बहती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मचान पर बैठे-बैठे उसके गीले झोंके झेलते रहते और नंगे बदन धर-धर धर-धर कांपते रहते। रोम-रोम जैसे पावस के ग्रहण के लिए खुला रहता।

एक घटना याद आ रही है। एक बार डीह पर के खेत में मक्का बोया गया था। डीह भी एक विचित्र स्थान है। वहां से कितने ही मिथ जुड़े हुए हैं। वह कई गांवों के बीच सुनसान में स्थित एक टीला है। उस टीले पर एक छोटा-सा झंखाड़ था। टीले पर ही दीक्षित बाबा का धान है। दीक्षित बाबा बहुत बड़े बरम (ब्रह्म) माने जाते

थे। वे रक्षक थे—यानी भयनाशक। टीले के नीचे एक पोखरा था। और जहां पोखरा हो वहां बुड़वों का अस्तित्व न हो, असंभव है। पोखरे के पास सेमल का एक वृक्ष था जो भूत-घर होने के लिए कुख्यात था। उस पोखरे से लेकर कई गांवों के बीच की दूरी तमाम भूत-कथाओं से भरी थी। डीह पर ही एक बाबड़ी थी, ठीक मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस की बाबड़ी जैसी। इसलिए दीक्षित बाबा के होने के बावजूद मुझे डर लगता था। यहीं मेरे बाबा ने रात को बनैले सूअर को मारा था और अनेक घटनाएं घटी थीं।

मैं अकेला मचान पर बैठा-बैठा डरता रहता। अगर ऊपर से कोई बड़ा पंछी उड़ जाता तो मैं सिहर जाता—लगता यम का दूत किमी प्राणी का प्राण चोंच में दबाये हुए उड़ा चला जा रहा है। ऐसी अनेक कहानियां सुनी थी इसलिए लगता कि सारी कहानियां मेरे आसपाम माकार हो रही हैं।

‘पूऊ’ ! मैं कांप गया।

फिर दूसरे किस्म की बोनी आयी। मैं हिल उठा। लगा कि आज मैं जान में फंसा। मैं दीक्षित बाबा को मनाने लगा—“दोहाई दीक्षित बाबा की, इस आयी हुई मुसीबत को टालो।”

तब तक पास हंमने की आवाज आयी। मैं एकदम चौंक पड़ा और लगा जैसे सन्न से मेरे प्राण उड़ जाएंगे।

“अरे ई त हम हुई रे।”

मैंने देखा—टीमल भाई थे। टीमल नामी शैतान थे। मैं उनसे बहुत डरता था। लेकिन आज उन्हें देखकर लगा कि कोई देवता आ गया है।

“आइए टीमल भाई, आइए बैठिये, मचान पर आ जाइए।”

और वे आ गए।

“अरे तुम्हारी कांकरि तो खूब फली है रे।”

“हां-हां, टीमल भाई, खाइए न।” और मैं मचान पर से उतरकर अच्छी-अच्छी कांकरें तोड़ लाया। टीमल भाई ने छककर खाया। थोड़ी देर बाद कहा, “अच्छा, अब चलता हूं रे।”

“अरे जल्दी क्या है, बैठिये न। और कांकरि खाइए न।”

“अरे नहीं, अब बहुत हो गया। अब कल फिर।”

“हां, कल फिर आइएगा, आते रहिए। और हां, जरा घर से किमी को भेज दीजिएगा।”

“अच्छा, तू डरता है क्या रे?” उसने भांप लिया।

मैंने स्वीकृति में मिर हिला दिया।

“दुत मरदवा, डरने की कौन-सी बात है। अरे, वह सेमल देखते हो न। उस पर का नट अपने को बहुत जाबिल समझता था। एक दिन रात को मैं आ रहा था। साला सुरती मांगने लगा। मैंने कहा—‘भाग साले।’ वह लड़ पड़ा। मैंने भी उसे इतना पटक-पटककर मारा कि वह भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने उससे कहा—‘देख, आज से डुमरी गांव के किसी आदमी से मत उलझना और तू यह भी जानता है कि दीक्षित बाबा

हमारे गांव के देवता हैं, उनका सुमिरन कोई कर लेगा न तो वे अपनी छड़ी से तेरी खाल खींच लेंगे।”

मैं हल-हल हल-हल कांपने लगा। टीमल ने देखा तो हंस पड़ा, “अरे, तुम तो दीक्षित बाबा की गोद में बैठे हुए हो, किस साले भूत-परेत की हिम्मत है कि यहां आयेगा। डर लगे तो गाना गाओ। हां।”

टीमल भाई चले गये और मैं दीक्षित बाबा की गोद में होकर आश्वस्त नहीं था। लगता था जैसे इतनी मारी बुरी शक्तियों के बीच में दीक्षित बाबा अकेले पड़ गये हैं। वे कहां-कहां जायेंगे, किसे-किसे बचायेंगे? यदि यह सही होता तो उनके आसपास इतनी अपशक्तियों को होने की हिम्मत कैसे होती?

टीमल भाई रोज आने लगे। जैसे मैं उनका इंतजार कर रहा होऊँ। छककर कांकरि खाते और अब तो मैं उन्हें भुट्टे भी देने लगा। जैसे सहवस्तिव का प्रश्न बन गया। टीमल को कुछ खाने को और मुझे भूत से बचने के लिए एक नर भूत चाहिए था।

क्या यह स्थिति आज हमारी जिन्दगी का सत्य नहीं बन गयी है? हम एक नकली भय से बचने के लिए असली भूतों से समझौता कर लेते हैं। समाज, राजनीति, धर्म सभी जगह तो एक टीमल है जो पहले भय को बढ़ाता है फिर सहायता देने के बहाने माथियों को खाता-पीता है। कहीं नेता बाहरी हमले का भय दिखाकर जनता को डराना है, फिर कद्रता है कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। फिर देश को खाता है। ज्योतिषी, तांत्रिक आदि ग्रहों का भय दिखाते हैं; फिर कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो हैं ही ग्रहों को शान्त करने वाले। फिर वे जजमान को जी भर खाते हैं। वैद्य, हकीम, डाक्टर, वकील सभी पहले केस को सीरियस बनाते हैं फिर केस वाले को खाते हैं।

बरसात की रातें गांव में बहुत डरावनी होती हैं। शाम से ही एक मोटा अंधेरा चारो ओर बिछ जाता है जिसके नीचे मेंढकों की मोटी टर्राहट और झींगुरों की नुकीली झनकार के ताने-बाने पर अंधेरा एक अप्रिय संगीत बुनता रहता है। पानी बरसता होता है तब तो रात और भी भयावनी हो जाती है। कछार के गांव में तो बरसात की रात अधिक ही भयानक होती थी। कुछ ही घर ऐसे रहे होंगे जो चूते नहीं रहे होंगे। चूनी हुई छत के नीचे खाट को यहां से वहां और वहां से यहां सरकाते रहने में ही रात बीत जाती थी। भस्के, नंगे बदन पर छत से टपकती बूंद छन्न-छन्न लगती थी। पानी की छवन के कितने रूप-रंग होते हैं, कितनी अलग-अलग संवेदनाएं होती हैं, इसकी पहचान मुझे बचपन में ही हो गयी थी। फिर सांपों का बोलना, सांप के मुंह में फंसे चूहे या मेंढक का रिरियाना, किसी सांप काटे आदमी के घरवालों का चिल्लाना, दीवारों का अरराकर गिरना, कहीं किसी चोर का कूदते-पादते भागना, कितना कुछ होता था रात के साये में। बरसात की रात हमारे लिए एक विचित्र संक्रांत बिंब बनकर आती थी। इस छयाल से भादों का महीना बड़ा ही भयावना होता था। भय की सीमा इतनी बढ़ जाती थी कि क्वार की आहट मिलते ही मन हलका हो उठता था। नदियां अल्हड़ता से उड़ते हुए अपने आंचल समेटकर सौम्य-शांत बन जाती थीं, आकाश में बाबलों का

उत्पात थम जाता और धरती नहाकर निकली हुई-सी साफ-सुथरी सामने बिछ जाती थी। मक्के की बालों की रंगत धूप में अलगनी पर टंग जानी थी और रामलीलाओं की प्रतीक्षा में घड़ियां महकने लगती थीं। और त्योहारों का सिलमिला शुरू होता था। दशहरा, दीवाली, भइया-दूज, गोवर्धन-पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, पिड़िया आदि अनेक त्योहारों के उल्लास से लदी-फदी शरद ऋतु धरती की हरी-भरी फसलों के अपार बिस्तार में समा जाती थी और लगता था कि मेरा मन इन ऋतुओं का पर्याय बन गया है।

हर ऋतु का अपना संगीत था, अपनी लय थी, अपनी महक थी और अपनी पीड़ा थी। किन्तु शरद और बसंत की लय का जवाब नहीं है। भोर होने से काफी पहले हम लोग बँलों का मानी-पानी कर देते थे। फिर सवेरे-मवेरे हलवाहे के साथ हेंगा या बीज लेकर खेत में पहुंचते थे। शरद की भोर में इन जुते हुए खेतों की खुशबू और चारों ओर फैलती जीवन की उष्मा का क्या कहना? धूप कड़ी होने से पहले ही 'हर हर महादेव' का नारा लगता था तो ज्ञात होता था कि खेत की बुवाई हो गयी। यह नारा चारों ओर एक लय बनकर फैल जाता था। लेकिन क्वार की धूप का अपना दंश भी तो कम नहीं। न जाने कितने लोग मलेरिया की पकड़ में आ जाते थे। बिना दर्द के सुन्दरता कैसी? शरद के आते ही आज भी मेरी आँखों में धूप में रस्मी पर टंगी मक्के की लाल-लाल बालियां भर उठती हैं, अलगनी पर सूखते घराऊं रेशमी कपड़ों की एक खास तरह की गंध मेरे घ्राण में भर जाती है और रामलीला से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के त्योहारों का संगीतात्मक कोलाहल मेरे भीतर बज उठता है। त्योहार अभावों से भरे सामाजिक जीवन में जीवनी-शक्ति फूंक देते थे। दशहरा, दीवाली, भइया-दूज, गोवर्धन-पूजा जैसे बड़े त्योहार, पिड़िया जैसे औरतों के छोटे त्योहार—सबसे हम लोगों का बहुत गहरा अपनापन था। हम जैसे इन त्योहारों का इतजार करते थे, इनकी प्रतीक्षा सघषों और अभावों से लगातार चोट खाती देह में मरहम की तरह पुतती रहती थी और एक हलकी खरोच लिए दिन हंसते-हंसते बीत जाते थे।

इन त्योहारों से जुड़े हुए कितने चेहरे थे—अपनी मां, पिता, भाई, बहन और गांव के हमजोली, चाचा-चाची, दादा-दादी। चेहरों का समूह था और हर चेहरा अपने में अलग था। हर एक की अपनी खास पहचान थी। विभिन्न संदर्भों में विभिन्न चेहरों की अहमियत बढ़ जाती थी और उनके साथ हमारे आनंद का रूप बदल जाता था। पड़ोस की एक चाची थीं, वे अंधी थीं। भइया-दूज के दिन सरापने का रिवाज था। हमारे यहां भइया-दूज और गोवर्धन-पूजा एक ही दिन होता था। दोनों पर्याय हैं। ये चाची सरापने में माहिर थीं। ये उस दिन की कप्तान हुआ करती थीं। सरापने का मतलब था सारे घरों के मुखिया लोगों की मौत की मनौती मानना। विश्वास था कि इसका उलटा असर होता है। गोबर बटोर-बटोरकर एक जगह गोवर्धन की शकल बनायी जाती। वहां मोहल्ले की सारी औरतें और बच्चे एकत्र होते। औरतें सराप का गीत गातीं और पूजा करतीं। इसके बाद गोवर्धन को काटने का रिवाज होता। गोवर्धन से गोबर काटकर गोसा बनाकर खलिहान की राशि में डालते हैं। विश्वास है कि इससे

राशि में बरकत होती है। जो सबसे पहले गोवर्धन काट लेगा, उसे अधिक बरकत मिलेगी। पूजा की सामग्री में और तमाम चीजों के साथ झरबेर और भटकटैया का कांटा भी होता है। चाची खास आकर्षण की चीज होती थीं। पूजा गीत पूरा भी नहीं हो पाना था कि कोई लडका लपककर गोवर्धन काट लेता था और कांटा चाची के आगे फेंक देता था। फिर तो गीत छोड़-छाड़कर औरतें गोबर पर टूट पड़ती थीं और चाची ज्यों ही गोबर पर झपट्टा मारतीं, कांटा उनके हाथ में आ जाता और फिर तो वहीं बैठकर काफी देर तक हाथ उठा-उठाकर उस लडके के परिवार वालों को सरापतीं जिसका नाम बता दिया जाता। सब लोग चले जाते लेकिन वे नहीं। वे काफी देर तक कांटों की चुभन लिए गालियां देती रहती और हंसी का प्रवाह बहता रहता। लेकिन मुझे लगता है कि चाची के सरापने में मंगल-कामना की जगह कांटे की चुभन में उत्पन्न तिक्तता भी शामिल हो जाती। लोग मराप की रस्मी आवाज को सुनकर मजा लेते रहते किन्तु उस मराप के पीछे निहित उस अंधी चाची के कंटक-चुभन की पीड़ा को नहीं पहचान पाते। मेरे बाल मन को हर त्योहार के उल्लास के पीछे सन्निहित कुछ अमानवीय कृत्यों की पीड़ा सालती रही है। और अब तो त्योहार अपने सहज उल्लास छोड़कर प्रतिशोध-शोधन के निमित्त बनते जा रहे हैं। तब प्रतिशोध नहीं था, महज एक आह्लाद था किन्तु उम आह्लाद के लिए हम किमी को चोट पहुंचा रहे हैं यह सोचने-समझने की जरूरत न थी और न सजगता। वह सब एक सहज आवेग में होता था किन्तु अब तो खूब सोच-ममझकर पूरी योजना के साथ प्रतिशोध की तैयारियां होती हैं।

जाड़े का अपना रंग था। वह रंग हमारा रंग बन जाता था। हमारे गांव के चारों ओर खेतों का विस्तार धीरे-धीरे बचपन पार करता हुआ जब जवानी पर आता था तो अनेक रंगों के बुदबुदों से गुथी हरियाली का समुद्र बन जाता था। उसमें हम बहते थे, डूबते थे, उतराते थे। रातें भीगे-भारी लिहाफ-सी गांवों को ढक लेती थीं। पुमाल पर पमरकर लोग रजाई के नाम पर गुदड़ी ओढ लेते थे और किस्से-कहानियां कहते-कहते सो जाते थे। धीरे-धीरे रात कटनी थी, धूप खिलती थी और धीरे-धीरे उष्म होकर गुनगुने जल की तरह पूरे वातावरण को धोकर चमका देती थी। हमारी रग-रग गाय के धारोष्ण दूध की तरह धूप पीती थी और देखते-देखते प्रकृति और मानव-मन की सारी चुप्पी टूटकर एक मुखर गति बन जाती थी। हमारे पाम पहनने को सूती कपड़े होते थे। पांव में जूते नहीं थे और गत को स्कूल में कंबल ओढते थे लेकिन तब तो इस अभाव की कोई कल्पना ही नहीं होती थी। जितना था वही बहुत कुछ लगता था।

जाड़े के महीने में गांव में अभाव का अपना जलवा होता है। लोग घुएं के धक्के को आंखों में झेलने हुए भी आग की गर्मी को सीने से चिपकाये रहना चाहते हैं। सहज री में देश-जहान की न जाने कितनी बातें उठती-गिरती रहती थीं, कितने सुख-दुःख, कितनी निन्दा-प्रशंसा के स्वर बिखरते रहते थे। न जाने कितनी जानकारियां अलाव के माध्यम से गांव में फैलती थीं। अनेक गांवों के बीच डीह पड़ता है। अपने खेतों की

रखवाली के सिलसिले में कई गांवों के लोग वहाँ अलाव के आस-पास एकत्र होते थे और भकुरहा के हजारी पांडे की संतरानियां, किस्से, कहानियां और कविताएं आंच की गरमी में उठती रहती थीं। मैं उनकी प्रतिभा से चकित हो जाता था। कहां-कहां से ये इतनी सामग्रियां लाते हैं। ठेठ गांव के अपढ़ आदमी, गांव की ही सीमा में रहने वाले। निश्चय ही ये चीजें उनके भीतर ही बनती होंगी। आज लगता है कितना बड़ा कलाकार पांडे के भीतर था और उचित माहौल के अभाव में एक सीमा में बन्दी बनकर रह गया। मुझे लगता है कि मेरे भीतर सोये हुए सर्जक को अनजाने ही हजारी पांडे भी छोड़ने थे, उकसाते थे। गांव में न जाने कितनी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपने को ठीक से पहचाने बिना ही चली जाती है या पहचानती है तो उन्हें विकसित होने का अवसर नहीं मिलता।

विकाऊ पंडित की बान पहले कर चुका हूं। एक दूसरी प्रतिभा पं० गणेशदत्त मिश्र 'मदनेश' थे। मदनेश जी हमारे गांव के पास के गांव रानापार के थे। उनके बारे में सुनता था कि वे कवि हैं, पंडित हैं लेकिन कभी उनके संपर्क में नहीं आया था। एक बार उन्हें कुछ निकट से पहचानने का अवसर मिला था। जब मैं दर्जा चार में था तो वे एक दिन टहलते हुए स्कूल में आ गये और मास्टर साहब के आग्रह पर कोर्स में लगी मैथिलीशरण गुप्त की कविता 'नर हो न निराश करो मन को' पढ़ाने लगे। उस तरह कविता का पढ़ाना पहली बार देखा था और उनकी उस समय की तन्मयता और रसज्ञता की छवि आज तक मन पर अंकित है।

दर्जा छः में रहा हूंगा। एक सहपाठी ने बताया कि उसके गांव का अमुक लडका तो कविता करता है। न जाने क्या हुआ कि मेरें भीतर एक ललकार-सी उठी। मैं बोल उठा, मैं भी कविता लिख सकता हूं। कई वर्षों से मैं जिस सर्जनात्मक दबाव का अनुभव कर रहा था, वह उस दिन एक ललकार पाकर अभिव्यक्त हो उठा। उसी दिन बिशुनपुरा के बगीचे में कांग्रेस की मभा थी, उसी को केंद्र में रखकर एक राष्ट्रीय कविता लिख मारी। और फिर सिलसिला निकल चला। एक बेचैनी का आलम मेरे भीतर तारी हो गया। कितानें पढ़ने के साथ-साथ कविता लिखने के लिए अनमनी मुद्रा में रहने लगा। जब कई कविताएं लिख चुका तो किसी ने सुझाव दिया कि ये कविताएं 'मदनेश' जी को दिखाऊं। मैं संकोच के साथ उनके पास गया। उस समय वे खेत में थे। उन्हें खोजता हुआ खेत में पहुंचा। जाकर उन्हें अपना परिचय दिया। आने का उद्देश्य बताया। जब वे मेरी कविताएं देख रहे थे तो मैं डर रहा था कि कहीं वे उन्हें उठाकर फेंक न दें और कहें कि ले जाओ अपना कूड़ा-करकट। लेकिन देखा उनकी बाछें खिलती गयीं और पढ़कर बोले—“अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी प्रतिभा है तुम्हारे भीतर। बहुत अच्छा लिखोगे।” मैंने राहत की सांस ली। वे मेरे साथ ही अपने घर आये और सुकवि की कई प्रतियां दीं और बोले—“ये कविताएं पढ़ो, इनसे तुम्हें कुछ मिलेगा।”

मदनेश जी सनेही स्कूल के कवि थे। उन्हीं की परंपरा में मजी हुई घनाक्षरी और सबैये लिखे हैं जिनका केन्द्रीय स्वर प्रकृति और प्रेम है। और अन्य छंदों में देश

और समाज-सुधार सम्बन्धी कविताएं भी लिखी हैं।

मैं कविनाएं लिखता गया, उन्हें दिखाता गया, वे सुधारते गये। मुझे छंद का ज्ञान होता गया और शुरू के तीन-चार वर्षों में ही मैं अनेक वर्णिक और मात्रिक छंदों का ज्ञाता तथा प्रयोक्ता बन गया।

अजीब नशा होता है कविता का भी। दिन-रात कविता का नशा मुझे पर सवार रहता था। हम रात को स्कूल में पढ़ने जाते थे तो सारे सड़के जब अपना कोर्स याद करते मैं कंबल में छिपकर कविताएं लिखता था। यह तो अच्छा था कि मेरी स्मरण-शक्ति अच्छी थी और क्लास में ही सारी चीजें ग्रहण कर लेता था और पढ़ाई-लिखाई में मैं सबसे आगे था, नहीं तो कविता का नशा तो मुझे बरबाद ही कर बैठा होता यानी फेल कर बैठा होता। पढ़ने में अच्छा था अतः मास्टर लोग मुझे बहुत मानते थे। इसलिए जब उन्होंने जाना कि मैं कविताएं लिखता हूँ तो पढ़ाई-लिखाई के नाम पर मुझे डाटा नहीं, बल्कि प्रोत्साहन दिया।

उन दिनों के काव्य-सृजन में एक अद्भुत मिठास अनुभव करता था। आसपास के परिचित विषयों, प्रकृति की छवियों और कुछ कंशोर भावों की खुशबू मन में उतरती थी जा छन्द में ढल जाने के लिए तड़पती थी और मुझे तड़पाती थी। मैंने सन् '37 में हिन्दी मिडिल पास किया, '38 में उर्दू मिडिल पास किया। इसी अवधि में ढेर सारी कविनाएं लिखी और एक राष्ट्रीय नाटक भी लिखा। कुछ कविताएं गोरखपुर से निकलने वाली पत्रिका 'ब्राह्मण' में छपी। उस छपने के सुख की अनुभूति अनुपम थी। मैं अपने भीतर फूला-फूला फिरता था और समझता था कि लोग मुझे महत्त्व देने लगे हैं, मैं स्कूल और गांव के लोगों की दृष्टि में कुछ विशिष्ट हो गया हूँ। रचना वैशिष्ट्य देती है, अस्मिता देती है, इसका अनुभव तभी होना शुरू हो गया था।

4

गृह-कार्य, पढ़ाई और मस्ती का जो संयोग हम लोगों के जीवन में था वह अब गांवों के सम्पन्न वातावरण में दुर्लभ होता जा रहा है। मैं और मझले भाई रामनबल जी स्वभाव में अन्तर होते हुए भी हमजोली थे, साथ-साथ सुख-दुःख भोगना, काम करना, खेलना-कूदना, गाना-बजाना, मेला-हटिया करना हम लोगों का जीवन-कार्यक्रम था। हमारे साथ गांव के अनेक मित्र थे जो परिवार के मदस्य की तरह ही थे और जो बड़े होने पर पारिवारिक राजनीति के कारण शत्रु बन गए। हम लोग मौसम से लड़ते भी थे और उसके साथी भी थे। जाड़े के मौसम में अभाव और सन्नाटे से लड़ते भी थे और खेतों की हरियालियों के बीच बहते भी थे, सपने भी देखते थे। तीसी, मटर, सरसों के रंग-बिरंगे फूलों के प्रवाह में बहकर आंखें अघाती नहीं थीं। खेतों के काम से बहुत सुबह नंगे पांव ही निकल पड़ते थे। पांवों की उंगलियां ठंडी भीगी जमीन के स्पर्श से

परपरा उठती थीं; सूती कपड़ों से ढके शरीर अपने को सिकोड़कर आगे लुढ़कने लगते थे। लेकिन यह कोई निर्जीव व्यापार नहीं था, विराट् समाज की सामूहिक जिन्दगी की हलचल के बीच तकलीफ कुछ अजनबी नहीं लगती थी। चार बजे औरतें बरतन मलने लगती थीं। मां चक्की पर बैठकर उसकी घुर-घुर की आवाज के साथ करुण गीत गाने लगती थी जिसकी उदास पंक्तियां थम-थमकर फूटती थीं और भीगी रात के सन्नाटे को और भी भारी कर जाती थीं। सिचाई का काम शुरू हो जाना था, लोग एक-दूमरे को आवाज देते थे और नंगे पांव, सूती कपड़ों में लिपटे गड़ही के पास के बोदर पर खड़े होकर सिचाई के लिए पानी निकालते थे—छपा छप...छपा छप। जाड़े की इस उदास भोर में जीवन का संगीत बजने लगता था। हम भी उस संगीत के एक अंग बन जाते थे और ज्यों-ज्यों जाड़े की धूप उभरने लगती, हमारी इंद्रियां खुलने लगतीं और रग-रग में एक सुखद गरमाहट पसर जाती। कितना प्यारा अनुभव होता था इस धूप का ! यदि जाड़े की रात की पिछली षड़ी की ठंडक और शीत की परपराहट से इंद्रियां तिलमिलाती न होतीं तो यह धूप भी इतनी प्यारी न लगती। धूप चढ़ने के बाद अपने-अपने घरों के अगबारे-पिछवाड़े निकल आए उन लोगों को देखता जो रोगी थे। उनकी पीली दुबली देहें धूप में जमी होतीं, उनकी बांहों में गंदी ताबीजें पड़ी होतीं और वे अपने गंदे कपड़ों से चीलर निकाल रहे होते। लगता था कि वे धूप का आनंद नहीं ले रहे हैं बल्कि धूप में अपने को सहने योग्य बना रहे हैं। मुझे लगता था हमारे समाज के तमाम सुविधाभोगी लोग ऐसे ही रोगी हैं जो धूप का आनंद लेने के लिए तैयारी नहीं करते, जो धूप की गुनगुनाहट तक पहुंचने के लिए शीत की कटकटाहट से नहीं गुजरते बल्कि धूप को एक बने-बनाए माल की तरह पा लेते हैं और जैसे रजाई और गरम कपड़ों से लदे हुए जाड़े की रात काटते हैं उसी प्रकार धूप में आकर धूप काटते हैं। धूप और शीत उनके लिए अलग-अलग दो बिन्दु हैं, एक प्रक्रिया से जुड़ी हुई माला की रेखा नहीं। धूप के अनेक रंग होते हैं, अनेक स्पर्श होते हैं, अनेक प्रभाव होते हैं। इनकी पहचान वही करता है जो धूप को विभिन्न मौसमों की छांह से जुड़ा हुआ देखता है।

मौसम के शीत और धूप की बात करते-करते हमारे जीवन की धूप-छाह उभर आयी। हमारी पारिवारिक जिन्दगी में गांव की तमाम जिन्दगियों की तरह अभाव का सीलन-भरा सर्द मौसम जमा हुआ था। यों हमारी मानसिकता इस प्रकार की थी कि हम उसी में धूप की कल्पना कर लेते थे किन्तु कल्पना तो कल्पना ही होती है न, ठोस स्थितियों से उत्पन्न धूप की अनुभूति ही और होती है। बड़े भइया रामभवध मिश्र घर की सीलन को काटने के लिए कितने बेचैन थे, इसकी मात्र कल्पना कर सकता हूं। उर्दू मिडिल पास करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू हुई। रांची गए, कुछ दिन तक भाग्य की आजमाइश की। फिर घोर बीमार होकर लौट आए। घर पर सामान्य देहाती दवाएं होती रहीं। बच गये। पथ्य के लिए कोई पौष्टिक चीज मिलना कहां मुमकिन था। बेड़े में फली हुई मिण्डी तोड़-तोड़कर खाते थे और उसी मिण्डी ने उनकी रक्षा की।

स्वस्थ हुए तो स्कूल मास्टरी के लिए गए, कई बार गए। नहीं लिए गए। फिर

फुफेरे भाई बब्बन तिवारी उन्हें अपने साथ कलकत्ता ले गये। छः-सात महीना वहां का दंड भोगने के बाद घर लौट आये—बीमार-बीमार से। घर के लिए कुछ न कर पाने की असहायता उनकी आंखों से झांकती रहती। वे जाल में पड़े पंछी की तरह तडफड़ाते, जाल टूटने के आसार नजर नहीं आते थे। कुछ दिनों के लिए गन्ने के सीजन में सरदार नगर की गन्ना मिल में उन्हें कार्य मिल गया। वह एक बड़ा सहारा बना। अपने लिए कम-से-कम खर्च करके घर के लिए बचत करते थे जिमसे उनका दुर्बल शरीर और भी दुर्बल हो गया किन्तु मन घर के लिए कुछ पाने के भाव से थोड़ा स्वस्थ हो गया।

याद है वह माल। वह घोर अकाल का वर्ष था। कछार में न पशुओं के लिए चारा था न मनुष्यों के लिए भोजन। लोग बांगर पर जाकर अरहर के खेतों में झरे हुए पत्ते बटोरते थे या जंगल के पेड़ों के पत्ते तोड़ते थे और तिजहर के समय मोटरी बांधे हुए उदाम-उदास भूखे पेट घर लौटते थे। मरदार नगर मिल में गधक मिला चोटा (जो पशुओं के काम आता था) एक पैसा कनस्तर मिलता था। लोग कई-कई मील से वहां जाते थे और कनस्तर उठा-उठाकर लाते थे तथा रोटी के माथ या शकरकंदी के साथ खाते थे या गर्बन बनाकर पीते थे। सरदार नगर मिल से लेकर कछार के गांवों तक लोगो की कतार लगी हुई थी। भइया इसी विषम वर्ष में वहां नौकरी करते थे। वे हर शनिवार को घर आते थे और अपने साथ गुड़ या राब लाते थे। लेकिन सीजन आफ होते ही फिर वे बेकार हो गये और फिर नौकरी की तलाश में भटकने लगे। कुछ दिनों के लिए गांव के चचेरे भाई कल्पनाथ मिश्र (जो बस्ती में ठेकेदारी का काम करते थे) के साथ काम किया किंतु सफलता वहां भी नहीं मिली।

बरही के बाबू चन्द्रभान सिंह हमारे ज्वार के बहुत नामी और प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनके यहां मेरे बाबा काम कर चुके थे। वे कई बार पिताजी से कह चुके थे कि अपने बेटे को मेरे यहां भेज दो। भाई साहब को पता नहीं उनके यहां की नौकरी से भीतर-भीतर कैसी चिढ़ थी कि सुन-सुनकर अनसुनी कर देते थे।

गाव में एक ज्योतिषी आया। उसने भइया ही कुडली देखी। उसने बहुत निर्भय भाव में घांपणा की कि यह लड़का दुनिया में चारो ओर घूम आएगा, कुछ नहीं पाएगा; आखिर गांव के पास ही इसे कुछ मिलेगा। और जब बाबू चन्द्रभान सिंह ने फिर पिताजी से कहा तो भइया उनके यहां काम करने को तैयार हो गये।

उनकी नियुक्ति बाबू साहब की छावनी लक्ष्मीगंज में हुई। वहां एक मुंशी जी तहसीलदारी का काम करते थे, उनकी देखरेख में वे भी काम सीखने लगे। भइया बताते हैं कि शुरू-शुरू में उन्हें दरबारी लोगो का कितना उपहास, उपेक्षा और बेरुखी बर्दाश्न करनी पड़ी। यही नहीं उनके गंवई किसानों सादे संस्कार को दरबारी सभ्यता और चाल-ढाल से शुरू में लगातार चोट लगती रही, वे तिलमिलाते रहे, चुपचाप सभी कुछ देखते और सहते रहे लेकिन धीरे-धीरे सब सामान्य होता गया। याद नहीं है कि तहसीलदार मुंशी जी मर गये या काम छोड़ दिया, उनके हटते ही भइया तहसीलदार बन गये और एक दिन जब पिताजी लक्ष्मीगंज से लौटे तो उनकी कमर में कई सौ रुपये बंधे थे। चांदी के दो रुपये कणर से निकालकर एक बड़े से लोटे में (जिसे साथ ही लाए थे)

जब वे उड़ेलने लगे तो खनखनाहट के संगीत से घर बज उठा। घर में पहली बार लक्ष्मी की इतनी उष्मा अनुभव हुई थी। लगा था जैसे सीलन-भरा अभाव का सन्नाटा जगह-जगह से दरक उठा है और घर की आंखों में स्वाभिमान की एक आंच उग आई है। लगा जैसे एक उजास फूट पड़ा हो।

भइया ने धीरे-धीरे रेहन रखे अपने सारे खेत छोड़ाए। एक बड़े मकान की योजना बनायी। घर कपड़े-लत्तों, अरतन-बरतन से भर गया। मकान के लिए एक लाख ईंटें पकनी थीं। पिताजी गाड़ीवानों के साथ चौरी-चौरा जाते थे, वहां से कोयला आता था, कभी आधी रात को, कभी अलख सुबह। बड़की बारी में भट्टा लगना था। वहीं कोयला गिर रहा था। उसकी रखवाली का सवाल था। हम (मैं और मझले भाई) रात को बगीचे में सोते थे। जहां कोयला गिर रहा था, वहीं कोनहवां पेड़ था, जिम पर भूत रहते थे। उसी पेड़ के पास हम सोते थे। मैं तो मारे डर के शाम से ही मुह ढक लेता था। गर्मी के दिन थे किन्तु आम की फसल नहीं आयी थी, इसलिए रात को बगीचा सुनमान पड़ा रहता था। एमे में यदि कुछ आहट होती थी तो मैं पत्ते की तरह काप उठता था। और यदि कोई आदमी गाना हुआ रास्ते से निकलता था तो मन को राहत मिल जाती थी। महीना बीत गया लेकिन कोनहवा पेड़ से उतरकर कोई भूत हमारे पास नहीं आया। इसलिए यह धारणा दृढ़ बनी कि कहीं कोई भूत-बूत नहीं है, केवल भ्रम फैलाया गया है। भूत होता तो जरूर किसी-न-किसी रात हमारे पास आता और उससे मुठभेड़ होती। भट्टा लगा। मकान बनना शुरू हुआ। दुमंजिला मकान बना। मकान बनने की प्रक्रिया में बड़ी रौनक थी। झुंड की झुंड मजदूरनें मिस्तरी। हर रोज जैसे मेला लगा होता। हम उस निर्माण-प्रक्रिया में शरीक थे, द्रष्टा मात्र नहीं थे। जैसे घर की ईंट-ईंट पर, चूना-गारे पर हमारे हाथों के निशान थे; हमारी आंखों की छाया अंकित थी, हमारी खुशियों की आहट थी। एक जर्जर मकान के खण्डहर पर एक नया मकान बनने का उल्लास जीवन का नया उल्लास था। वह जीवन का एक नया छन्द था। देखते-देखते हमारे घर का रुतबा बढ़ गया। वैसे अपने अभाव में भी पिताजी अपने जवार और गांव में अपनी अनेक विशेषताओं के कारण बहुत प्रिय थे किन्तु इस नयी परिस्थिति में हमारा घर अपनी सम्पन्नता के कारण आदर पाने लगा। भइया अपने जवार के सबसे बड़े और ताकतवर जमींदार के यहां नौकर थे, वे गांव के लोगों की तरह-तरह से सहायता करते थे और जमींदार के भय से गांव के लोग हमारे घर के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते थे।

मिडिल का इम्नहान देकर मैं लक्ष्मीगंज गया। फागुन का महीना था। फागुन के नाम में ही कुछ ऐसा है कि मुझ नशा हो जाता है। दरअसल वह नशा नाम का नहीं, फागुन के दृश्यों का है। मैं पहली बार ट्रेन पर सवार हुआ था। ट्रेन की यात्रा का वह सुख अवर्णनीय था। उसकी रफ्तार के साथ उसकी बनती हुई एक खास तरह की आवाज मुझमें सुखद कौतूहल भर रही थी। उजेली रात थी। बाहर कभी-कभी गाड़ी कुछ जंगलों को पार करती थी तो सनाक-सनाक की आवाज आती थी। उसकी रफ्तार देखकर मैं अपने साथ के आदमी से पूछ बैठता था—“आ गया लक्ष्मीगंज ?” “जरे नहीं आई, अभी

तो गाड़ी कई स्टेशनों पर ठहरेगी, तब आएगा लक्ष्मीगंज ।” ट्रेन की सवारी मुझे इतनी अच्छी लगी कि बाद में मैं बार-बार ट्रेन की सवारी के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता और उसमें बैठे-बैठे उसमें से उतरने का मन ही नहीं होता और आज इसके विपरीत हो गया है । ट्रेन की यात्रा मुझे उबाती है, थकाती है क्योंकि तब मेरे लिए ट्रेन की यात्रा महज यात्रा थी, अब कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, वह मात्र साधन बन गई है । दूसरे कामों की भीड़ में वह सहज यात्रा-सुख कहीं खो गया है ।

हां, तो वह फागुन का महीना था । जब लक्ष्मीगंज स्टेशन पर पहुंचा तो लगा एक जगमगाती हुई चहल-पहल मेरे आगे साकार हो गयी है । मिल की रोशनी फैली थी और उमका एक अद्भुत संगीत बज रहा था । एक खास तरह की गंध हवा में व्याप्त थी । झुंड-की-झुंड गन्ने की गाड़ियां मिल की ओर सरक रही थी । गाड़ीवान गा रहे थे ।

मैं बच्चा बाबू की हवेली में पहुंचा तो दस बज रहे थे । मुझे डर था कि सभी लोग खा-पीकर सो गए होंगे । लेकिन यहां तो ऐमा लगा जैसे अभी शाम हुई है । पूरे कस्बे की तरह यह हवेली भी अपने पूरे उन्मेष के साथ जाग रही थी । अभी भोजन बनना शुरू हुआ था और कुछ सिपाही गम्मज कर रहे थे; कुछ भइया की सेवा कर रहे थे; कुछ उनसे पूरे दिन की उपलब्धियों का हिसाब दे रहे थे; कुछ बाजार से सामान लाने को भेजे जा रहे थे । ऐसा लगता था कि हवेली और मिल दोनों ही प्रतिस्पर्धा किए हुए हों लेकिन आखिर एक बिजली से नहायी हुई जगमगाती दुनिया थी, एक लालटेनों की रोशनी में जागती हुई दुनिया । मैं पहुंचा तो भइया बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने दूसरे ही दिन से मेरे खाने-पीने, जलपान आदि का विशेष प्रबंध किया । मैं वहां लोगों से विशेष अतिथि का व्यवहार पाने लगा ।

स्टेशन, हवेली, बाजार और मिल ये चार विशेष आकर्षण थे उस कस्बे में । मैं कभी घूमना हुआ स्टेशन चला जाता, कभी बाजार में घूमता, कभी मिल की ओर चला जाता और गन्ने से लदी गाड़ियों की लंबी कतार का ठहराव देखता, गाड़ीवानों के चेहरों में अपना चेहरा देखने की कोशिश करता और वहाँ से कारखान को देखता, उसकी चिमनी से उठते हुए धुएं को देखता, उसके भीतर से उठती हुई एक खास तरह की गंध का नजदीक से अनुभव करता । किंतु मेरे लिए एक आकर्षण और था—जाना-पहचाना हुआ आकर्षण—चारों ओर दूर-दूर तक फैली हुई फसलों का आकर्षण । गेहूं के खेत, गन्ने के खेत, अरहर के खेत, तीसी सरसों के खेत और फूलों का बेहिसाब विस्तार । यानी इस कस्बे के नाना नये दृश्यों के बीच अपना गांव जीवित था । मैं उनके बीच निकल जाता और घंटों घूमता । धूसर माथे वाले, गरीबी में वृद्धि आंखों वाले फटेहाल किसान उन खेतों के बीच दिखाई पड़ते, तो लगता मैं अपने गांव में ही हूँ और ये किसान रोज-रोज हवेली की ओर जाते दिखाई पड़ते या जमींदार के सिपाहियों द्वारा पकड़कर ले जाये जाते दिखाई पड़ते तो लगता उनकी आंखों का अवसाद दर्दनाक हो गया है । फसलें उगाकर हवेली की ओर जाना ही इनकी नियति है ।

मैं उस दिन भइया के साथ घूमने के लिए खेतों की ओर निकल पड़ा । खेतों में

फागुनी सौंदर्य अपने पूरे उभार पर था। अलहड़ फागुनी हवा सबका आंचल उड़ाती हुई मस्ती से न जाने कहां चली जा रही थी। रास्ते में खड़ा एक सेमल का बड़ा पेड़ अपनी निष्पन्न डालियों पर लाल-लाल फूलों का विद्रोह संभाले खड़ा था। तमाम फूल नीचे फले हुए थे। मैं गुनगुना उठा—“डारन पे डोलत अंगारन के पुज हैं।” “वाह-वाह!” भइया कह उठे। फिर पूछा—“तुम्हारी कविता कैसी चल रही है?”

“ठीक चल रही है लगातार लिख रहा हूं।”

“मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूं तुम भी एक बड़े कवि बनो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, तुम घर का नाम रोशन करो।” और वे चंदबरदाई की एक कविता पढ़ने लगे।

“मैं नहीं जानता भइया कि मैं नाम रोशन करूंगा या नहीं लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भीतर ऐसा कुछ है जो कविता बनकर बाहर आना चाहता है। खाने-पीने, कपड़े पहनने की जरूरतों से अलग एक जरूरत मेरे मन को महसूस होती है। मैं फसलें और ऋतुएं देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। आदमी का दुःख-दर्द देखता हूं तो अपना सगता है; अन्याय होता देखता हूं तो मन को चोट पहुंचती है, गुस्सा आता है। यही सब है जो कविता के जरिए बाहर आना चाहता है।”

खेतों में काम कर रहे लोग आंख पर हाथ रख-रखकर हम लोगों को देखते थे फिर धीरे-धीरे खेत से निकलकर आते थे और झुककर भइया को प्रणाम करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग श्रद्धावश प्रणाम कर रहे हैं या आतंकवश। भइया उनसे बहुत प्रेम से उनका हाल-चाल पूछते थे। किसान तरल होकर कहते थे, सब दया है मालिक की। जब से आप आये हैं मालिक, हम लोग जी गये हैं। मैं समझ गया कि ये सब श्रद्धावश प्रणाम कर रहे हैं और भइया का मानवीय दर्द सामंती वातावरण में जिन्दा है। तभी कुछ अच्छा पहने-ओढ़े एक जवान सामने से गुजरा। उसके साथ उसका बाप था शायद। बाप ने झुककर प्रणाम किया लेकिन लड़के ने प्रणाम नहीं किया। भइया ने उसे तनी आंखों से देखा। बूढ़े ने पूछा—“यह तुम्हारा बेटा है मंगरू?”

“हां मालिक, कलकत्ते चला गया था। कुछ दिन हुए आया है।”

“ठीक है, ठीक है, जाओ,” कहकर भइया आगे बढ़ गये। हम लोग खेतों में घूमते-घामते कम्बे के बाजार में आ गये। फागुन की शाम उतर रही थी। फागुन के इस गुनगुने माहौल में बाजार में बहुत रौनक थी। एक आदमी तमाम घड़ों में रंग भरकर रखे हुए था। वह कोई कुली पकड़ लाता था। उसके सिर पर घड़ा रखकर पीछे-पीछे चलता था। थोड़ी दूर चलने पर पीछे से घड़े पर डंडा मारता था। घड़ा फूट जाता था और कुली रंग में नहा उठता था और आसपास के लोग मजा ले रहे थे। कपड़ों की दूकान पर भीड़ थी, मिठाई की दूकान पर भीड़ थी, गाड़ी से उतरकर जाने वाली दुल्हनों और रंगे हुए पाहुनों की लाइन लगी थी। कभी-कभी कोयल भी बोल उठती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भइया भी काफी प्रसन्न थे। वैसे मेरा खयाल है कि मौसमों और ऋतुओं के साथ गहरा रागात्मक लगाव उन्हें कभी नहीं रहा, लेकिन रहा जरूर। हम असमन्वित हबेली पर लौटे। वहां पहले से ही कई किसान पकड़कर लाये गये थे लगान

के लिए। भइया के सामने एक-एक करके पेश किये जा रहे थे और उनकी शिकायत की जा रही थी कि यह साला पकड़ में ही नहीं आ रहा था, यह रोज आने को कहकर नहीं आता था। ये डेहरी में छिपा हुआ था। इसका कई साल का लगान बाकी है। सारे किमान हाथ जोड़े भइया के आगे खड़े थे और काप रहे थे। उनके शरीर या तो नंगे थे या वे फटी-पुरानी बनियान पहने थे।

“क्यो रे किसनवां, तू बुलाने पर आता क्यों नहीं?”

किसनवां हाथ जोड़े कापता खड़ा रहा।

“अरे बोल भाई!”

“हुजूर, गरीबी जो न कराये। लगान देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करे? मिल जाने पर सिपाही पीटेंगे और पीटने के बाद भी मेरे पास से क्या निकलेगा?”

“भाई, आखिर लगान तो देनी ही होगी। कब तक भागते फिरोगे? हां, यह बनाओ तुम्हें कितनी मोहलत चाहिए? एक महीना, दो महीने।” भइया बोले।

“हुजूर? बड़े दयालु है। मुझे दो महीने की मोहलत दे दीजिए, कोई-न-कोई प्रबन्ध करूंगा।” वह आशीष देता चला गया।

“और तू रे घमडिया, डेहरी मे क्यो छिपा था?”

“क्या करें माई-बाप? घर में कई दिन से उपवास हो रहा है। जब मालूम हुआ कि सिपाही लोग पहुच गए तो बीबी ने डेहरी मे छिपा दिया। अब इस भूखे शरीर में मार खाने की हिम्मत नहीं रही सरकार।” वह विधियाता बोला।

मैंने देखा उसके शरीर पर कुछ नीली-नीली चोटें थी, एकाध जगह छिल भी गया था। मैंने पूछा, “कहीं गिर गए थे क्या?”

“अरे नहीं बबुआ, ये सिपाही लोग डेहरी मे लाठी डालकर उसके हूरे से मुझे काँचते रहे।”

“अरे, यह तो बड़ा राक्षसी कार्य है!” मैं बोला।

भइया ने मेरी ओर देखा, मुस्करा पड़े और सिपाहियों से कहा, “तुम लोग असामियों को केवल पकड़कर लाया करो, बाकी काम मेरे जिम्मे छोड़ दो।” और उस किसान से कहा, “अच्छा जाओ। अभी अपने घर के खाने-पीने का इंतजाम करो फिर इंतजाम करके लगान दे जाना।” और उन्होंने अपनी जेब से एक रुपया निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया।

वह किसान पिहककर रोने लगा।

“क्या हुआ?”

“हुजूर देवता हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। पहले वे तहसीलदार साहब तो मार-मारकर चमड़ी उबेड़ लेते थे और बेइज्जत करते थे अलग। सरकार देवता है। भगवान् आपको बरकत दे। लगान जुटते ही मैं आ जाऊंगा सरकार, डेहरी में नहीं छिपूंगा।” वह चला गया। मैंने देखा सिपाहियों के चेहरों पर एक अप्रसन्नता का भाव था। वे बड़ी मुश्किल से पकड़कर लाये थे लेकिन बाबा तो सबको छोड़ रहे हैं। यह तो मजा नहीं आया।

“और सिटहला, तू क्यों नहीं आ रहा था ?”

“बाबा, पूरी लगान जुट नहीं पा रही थी। बीबी की हंसुली बंधक रखी तब भी पूरा नहीं पड़ा। कई साल की बाकी है न।”

“कितने का इंतजाम किया है, निकाल।”

उसने अपने गंदे चीमड़ हाथों से अपनी टेंट खोली और कांपते हाथों से रुपये भइया के सामने कर दिए।

भइया ने हिमाब देखा। “तुम्हारी लगान तीन साल से बाकी है। कुल पंद्रह रुपये हुए। अरे, ये तो दस ही रुपये हैं।”

“हां हुजूर, दो साल का कर लीजिए, एक साल का बाकी लगा दीजिए।”

भइया सोचते रहे। फिर उन्होंने रसीद बनाई और उसे थमाते हुए बोले, “ले जाओ, यह तीनों साल की रसीद है।”

“लेकिन हुजूर...।”

“ठीक है, ठीक है, मैंने अपनी फर्बतियाबन नहीं ली है और पिछले सालों की लगान में भी थोड़ी छूट कर दी है। अब तुम्हारा हिसाब साफ हो गया। आगे से साल-साल पर दिया करो, जिससे तुम्हें भारी न पड़े।”

सिटहला प्रणाम की मुद्रा में झुककर टेढ़ा हो गया और उसकी बूढ़ी सूनी आंखों में आंसू छलछला उठे।

मुझे लगा कि फागुन की मदमस्त शाम मानवीय करुणा और गरीबों के आँगीष से भीगकर और भी मोहक और प्यागी हो गयी है। भइया भी बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे थे।

“बाबा ?” एक सिपाही बोला।

“क्या है रामराज ?”

“अब ऐमे नहीं चलेगा।”

“कैसे नहीं चलेगा ?”

“हम लोग असामियों को कैसे पकड़ के लायें ?”

“क्यों, हुआ क्या ?”

“अरे मोनबरसा में आज हम असामियों को पकड़ने गये और दो-एक को पकड़ा तो मंगरू का लड़का लड़ पड़ा। ऊ साला कलकत्ता से कमाकर आया है न, सूट-बूट पहनता है और अरबी झाड़ता है। आज तो उसे छोड़ दिया नहीं तो लाठी से धूरकर रख दिया होता। अब आपसे आडर लेना चाहते हैं। आप जो कहें वह हम लोग करें।”

“हां, वह साला आज रास्ते में मुझे मिला था। उसे तो न जाने कितने मन शराब का नशा हो गया दिखाई पड़ता है। उसने मुझे पैलागी तक नहीं की, मेरी ओर देखा भी नहीं।”

मैंने देखा भइया का प्रसन्न चेहरा बक्र होता जा रहा है।

“तो क्या हुकुम है बाबा ?”

“उसे कल तुम लोग पकड़ के यहीं ले आओ। तुम लोग नहीं, मैं उस साले से

निबटूंगा। साले को घूष में मुर्गा बनाकर पीठ पर जूते लगाऊंगा तो उसकी सारी कलकतिया अकड़ निकल जाएगी। कुत्ता साला ! इतना गुमान कि बाबू चन्द्रभान सिंह के तहसीलदार को प्रणाम नहीं करेंगे।”

मैंने देखा भइया का मुह क्रोध से तमतमा उठा था और सिपाही मजा आने के भाव से प्रसन्न हो रहे थे।

मैं भइया को बहुत आदर देता था। लगता था कि ये जो कुछ करेंगे सही करेंगे, गलती कर ही नहीं सकते। आज उम कलकतिया युवक ने भइया को प्रणाम नहीं किया और अत्यन्त बेरुखी से इनके पाम से चला गया। यह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे यह उमकी बदतमीजी लगी थी (तब मुझे उस बदतमीजी में नये किमान की उठती हुई विद्रोह-भंगिमा का बोध कहां हुआ था और हों भी कैसे सकता था) लेकिन भइया का निर्णय ग़रे भीतर नहीं उतर पा रहा था। जो व्यक्ति अभाव और अपमान की इतनी मार खाकर अपने परिवार का पेट पालने के योग्य हुआ हो, जिसमें इतनी सवेदना भरी हुई है कि पिछली परंपरा के विरुद्ध किसानों को लगान-वसूली में इतनी छूट दे रहा है जिस पर किमानों की दीन-हीन आंखों में बरसा हुआ आशीष बिछ रहा है वह मात्र प्रणाम न पाने में इतना अपमानित और उद्रिग्न अनुभव करने लगेगा। कल आने वाले दृश्य से मैं घबरा रहा था। मैंने स्कूलों में बच्चों को मुर्गा बनकर पिटते देखा है। उसके बिकट रूप की कल्पना यहां कर रहा था। चाहता था, भइया से कहूं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को सोया तो सोचा कि आखिर सामंती दरबार में रहकर भइया उससे समग्रतः निस्सग कैसे रह सकते हैं।

होली नजदीक आ रही थी। उसकी गहमागहमी बढ़ती जा रही थी। हवेली में उमकी तैयारियां हो रही थी। बाबू चन्द्रभान सिंह आ रहे थे इसलिए तैयारी में ज्यादा मुस्तैदी दिखाई जा रही थी और मालिक के होने से हवेली की रौनक तो बढ़ ही जाती है। नौकरों में आपस में चुहल तो होती ही रहती थी। इस समय होली के स्पर्श ने उसे एक नया रंग दे दिया था। मिल और खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान भी रंगे हुए नजर आने लगे। उनके फटे-पुराने कपड़ों पर रंगों की पच्चीकारी अद्भुत समां बांधे हुए थी।

यह वह समय था जब गांवों और कस्बों में होली अपनी पूरी जबानी के साथ आती थी जो साल-भर के क्लेश, भेद-भाव, व्यावसायिक संकीर्णता को अपने प्रवाह में डुबा देती थी और हर छोटा-बड़ा, बच्चा-बूढ़ा, जवान प्रकृति की तरह ही होलीमय दिखाई पड़ता था। लक्ष्मीगंज में मैं इस होली के अवसर पर था। यहां एक संपन्न वातावरण था। किसी चीज की कमी नहीं थी। इंतजाम का सारा सूत्र और अर्थ भइया के हाथ में था और मैं उनका सर्वाधिक प्रिय आत्मीय। लेकिन मुझे अपना गांव याद आ रहा था—अभावों वाला गांव जहां मैं केवल रामदरश था, हवेली के तहसीलदार का भाई नहीं। हवेली के इस संपन्न वातावरण में मैं एक सम्मानित व्यक्ति का भाई था जिसे कुछ भी करने की छूट नहीं थी, केवल प्यार और सम्मान पाने की नियति झेलनी थी। यहां मैं द्रष्टा था किंतु गांव में भोक्ता और कर्ता था—होली के बहाव में बहने वाला,

उसके लिए काफी कुछ करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर मान-सम्मान का कोई दबाव नहीं था, जो सैकड़ों लोगों की तरह एक खुला व्यक्ति था और जो खुलकर कुछ भी कर सकता था। ऐसा लगता है कि हम लोगो को साल-भर होली की प्रतीक्षा रहती थी। फागुन लगते ही होली की गहरी आहट बाहर और भीतर बज उठती थी और हम फागुन को लिए-दिए ही उठने थे, सोने थे, खेतों में काम करते थे, स्कूल जाते थे। गाना-बजाना, सम्मति गाडना, रातों को साथियों के साथ-साथ छिप-छिप सम्मति बटोरना, खेतों में बदलते हुए रंगों के बीच मुग्ध भाव से खड़े रहना, कोयल को चिढ़ाना, घ्राण में एक नये पुकार की गंध का अनुभव कर मस्त-मस्त फिरना, भाभियों द्वारा छिपकर फेंके गए पानी की बौछार में आहत होकर उन्हें छेड़ने के लिए मौका ढूँढते फिरना, कबीर गाना... न जाने कितने व्यापारों में जीवन गूँज उठता था। फगुनहट के साथ पत्ते उड़ते, आचल उड़ते, फनले फड़फड़ाती और एक अजीब रूमानी धुंध से भरी क्षितिज तक की दिशाएं आँखों में भर जाती।

हाँ, वह गाव याद आ रहा था। हवेली के इस सम्पन्न माहौल में अपना वह खुला अभावग्रस्त माहौल याद आ रहा था। कुछ भी हो, जहाँ एक गहरे अपनेपन की सृष्टि होती है बचपन का वह माहौल कुछ और ही होता है। मुझे तर-स्योहार और सुदर मौसमों के समय उसके बीच न होने की एक गहरी तड़प होती है। मैं इस साल गाव की होली में शरीक नहीं हो पाऊँगा, इसका मुझे दुःख था।

लेकिन गाव में होली होगी कहा? इस वर्ष तो वहाँ प्लेग आया है, तभी तो भइया ने परीक्षा के बाद लक्ष्मीगज बुला लिया था। प्लेग गाव में आता रहता है। वह फागुन में क्यों आता है इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। साल-भर तो प्लेग की सीलन होती ही है, जब फागुन में उससे मुक्ति की सभावना उभरती है तो वह स्वयं क्यों आ जाता है? कई बार ऐसा हुआ है। तीन-चार बार तो हुआ ही है। दो बार तो मैं गाव में ही रहा। चूहे गिरने शुरू हो गए हैं, इस सूचना के साथ गाव में आतक फैल जाता। लो, होली तो गई ही, कितनी जाने जाएगी। आज जो लोग होली खेलने के उत्साह में जी रहे हैं, पता नहीं कल उनमें से कितने होंगे, कितने एकाएक चले जाएंगे। इच्छा होती आज सबसे मिल लिया जाए, सहमी आँखों में आँखे डालकर देख लिया जाए, पता नहीं कल कौन नहीं होगा?

मटर कट गयी होती। नहीं कटी होती तो काट ली जाती। आखिर चूहे गिर रहे हैं, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे घर और खेत में कितना अंतर है? फिर भी थोड़ा अंतर तो हो ही जाएगा। घर में चूहे हैं, वे कम्बख्त भर-भरकर प्लेग की गभीरता का अहसास कराते रहेगे। खेत में ऐसा कम-से-कम होगा। और गांव की गंदगी, सीलन और घुटन से निकलकर खेतों में जाने से ताजा हवा मिलेगी, सीलन नहीं रहेगी। गदगी नहीं होगी, इसलिए प्लेग के कीड़े कम पैदा होंगे।

“कौन कहता है प्लेग के कीड़े? नास्तिक हो क्या? ये कीड़े-ऊँड़े क्या होते हैं?” किसी नए पढ़े-लिखे आदमी से कोई बुजुर्ग उलझ जाता, “यह सब तो शीतला माई का कोप है। जब पाप ज्यादा हो जाता है तब शीतला माई का प्रकोप होता है।

गांव-गांव में पाप बढ़ गए हैं तो क्या करें शीतला माई ? अरे भाई, शीतला माई को सफाई पसंद है, वे धार-कपूर चाहती हैं, वे दौड़ते-दौड़ते थक जाती हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाओ ।”

हल्ला होता, गांव में छपहरा आया है। प्लेग का टीका लग रहा है। गांव में भगदड़ मच गयी है। बहुत-से लोग तो खुशी-खुशी लगवा लेते हैं। बहुत-से लोग खासकर बच्चे डरकर भाग जाते हैं या छिप जाते हैं। वे पकड़कर लाए जाते हैं। दो आदमी पकड़ते हैं और फिर घुप्प।

कई सयाने लोग प्रतिवाद करते हैं। बटुकी बाबा का स्वर सबसे ऊंचा है, “नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। ई छपहरा-छपहरी का करेगे, जिस पर शीतला माई का कोप होगा उसे कोई नहीं बचा पाएगा और जिसको वे बचाना चाहेगी कोई नहीं मार पाएगा ।”

“गवर्नमेंट का आर्डर है मबको टीका लगवाना ही होगा, नहीं तो लोग बीमार हो-होकर कीटाणु फैलाते ही जाएंगे। वे खुद तो मरेगे ही, औरों को भी मारेगे ।”

“गौरमेंट का आडर देवी-देवता के आडर में बड़ा नहीं होता छपहरा माहब। पाप हुआ है तो देवी के आडर से ही ताउन का कोप हुआ है। उहे बात है नयी-नयी दुल्हन नया-नया गीत ।” बटुकी बाबा जोर-जोर में बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके साथ कुछ डरपोक किस्म के लोग भी हैं जो डर को दबी के तर्क का जामा पहनाते हैं।

“आप लोग इन्हे मनाइये न ।”

“हम क्या मनाए ? झगडा करे इनसे ? जाने दीजिए ।”

चूहे गिर रहे हैं। चमरौटी का बेलास मर गया। मेर बाल मन में एक जिज्ञासा उठती थी कि चाहे ताउन हो, चाहे हैजा हो, चाहे लू हो, चाहे मलेरिया हो, मौत की शुरुआत चमरौटी से ही क्यों होती है ? और सबसे ज्यादा मौतें वही क्यों होती हैं और वहां मौत होने पर बभनौटी में कोई हलचल क्यों नहीं मचती ?

इस बार हलचल मची। इसलिए नहीं कि किसी को बेलाम के प्रति गहरी पीड़ा थी। (पीड़ा रही होगी तो उसे जिसका वह हलवाहा था कि उमका हल अब कौन जोतेगा।) हलचल इस बात की थी कि अब मौत शुरू हो गई है। अब घर छोड़ना चाहिए। दूसरे दिन गांव छोड़ने की उतावली देखी गई। लोग अपने-अपने खेतों में झोंपड़े खड़े करने लगे। सयोग से उत्तर पट्टी के तमाम लोगों के मटर के खेत एक साथ थे और वे कट चुके थे। सबके झोंपड़े साथ-साथ पड रहे थे। इसी तरह सारे टोलों के लोग उत्तर, पूरब, पश्चिम की दिशा में अपने-अपने खेतों में झोंपड़े डाल रहे थे और सामान ढो-ढोकर ला रहे थे। दो-तीन दिन में ही गांव वीरान हो गया। घरों में ताले लटक रहे थे लेकिन चमरौटी उसी तरह आबाद थी। वे कहां जायें ? बेचारों का अपना कोई खेत तो था नहीं, कहा जायें ? और जहां वे हैं, वही बहुत मुश्किल से झोंपड़ा डाल पाते हैं, अब नया झोंपड़ा कहा से लाएं ?

पश्चिम की ओर गांव, पूरब की ओर छोटकी बारी, बीच में हम लोगों के

झोंपड़े। गांव में सन्नाटा भांय-भांय कर रहा था। छोटकी बारी में भूत, चुड़ैल, उसके पोखरे में बुड़वा रहते हैं। और चारों ओर जैसे यमराज के दूत घूमते नजर आते थे। भय का अजीब माहौल था। रात को बच्चे झोंपड़ों में से निकलने से डरते थे।

मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी और मेरे जैसे तमाम लोगों को भी। फागुन में प्लेग क्यों आ गया? आना ही था तो किसी और महीनों में आया होता। फागुन के पंद्रह दिन और बाकी हैं। न सम्मति गड़ी, न कही चौताल हो रहा है, न कोई रंग खेल रहा है, न भाभियां छिपकर पानी फेक रही है। रास्ते वीरान हैं। रात का सन्नाटा... छोटकी बारी से आम की मंजरियों की हल्की-हल्की गंध आ रही थी। आम बहुत अधिक नहीं बौरे थे। लगता था कि अब किमी डाल से कोयल बोन उठेगी—कुऊ...। मुर्रओ, मुर्रओ।

“हाय, डायन मुवाख बोल उठी ” मां बड़बड़ायी और सो गयी लेकिन मैं डर से कांपता रहा। मुवाख की आवाज बड़ी अशुभ होती है और भयानक भी। कोई मरेगा। कुछ कुत्ते एकाएक रो उठे—पु ऊं ऊं ऊं। और एक के बाद एक पुंआते चले गए और आधी रात के सन्नाटे में दर्दनाक आवाजों का एक कोरस तड़प उठा। झोंपड़े के बाहर दो बिलियां लड़ते-लड़ते गुर्राते लगी और अजीब आवाज में रोने लगी।

“क्या होगा भगवान् ? गांव की रक्षा करना।” फिर मां बड़बड़ायी। एकाएक कुछ लोगो के रोने की आवाज आई।

“कौन रो रहा है ?” घर के सब लोग जाग गए थे।

पड़ोस के लोग भी शायद जाग रहे थे।

“दक्खिन टोले का कोई मर गया।”

“कौन मर गया ?”

“पता नहीं।”

“हे भगवान् !” मां ने उसांस भरी और चुप हो गयी। मुझे रात बड़ी डरावनी लगने लगी।

मैंने मझले भाई को जगाने के लिए हिलाया (मैं उन्हीं के बगल में सोया हुआ था), वे नहीं जगे, फिर हिलाया, वे नहीं जगे।

“मां !” मैंने धीरे से पुकारा।

“क्या है रे ?”

“डर लग रहा है मां।”

“अच्छा, इधर आओ, सो जाओ।”

और मैं मां की बगल में जाकर उससे दुबककर सो गया।

मैं सोचता रहा, एक ही गांव और पता नहीं चल रहा है कौन मरा। मृतक के घरवालों के रोने की आवाज इस डरे हुए सन्नाटे में भटक रही है और कोई जग नहीं रहा है। दूसरा वक्त होता तो मालूम होता कि कौन बीमार है, किसकी मृत्यु हुई है और लोग रात में ही उठ-उठकर वहां चले जाते लेकिन यह समय तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। मुझे लगा कि छोटकी बारी की बंसवारी से चुड़ैलों की सांय-सांय का संगीत उठ रहा है और मरे हुए व्यक्ति के घरवालों के रुदन से टकरा रहा है।

मुर्रओ...मुर्रओ...फिर मुवाख बोल रही है और रात का सन्नाटा दरक उठता है ।

सबरे उठकर पता किया जाता है कि कौन मरा है। लाश के साथ पूरा गांव इकट्ठा नहीं होता, आस-पास के दस-पांच आदमी लाश उठाकर नदी की ओर चले जाते ।

बटुकी बाबा मर गये । उन्होंने टीका लगवाने का विरोध किया था । पाप बढ़ता है तो शीतला माई को कोप करना ही पड़ता है । लगता है सबसे पहले शीतला माई की दृष्टि बटुकी बाबा पर ही गयी ।

गांव की ओर देखने में डर लगता था । हर घर पर ताला लटका था, गलियां वीरान थी, फिर भी आदमी को कुएं तक तो जाना ही पड़ता था, पानी तो पीना ही है न । आस-पास के कई-कई लोग मिलकर जाते थे ताकि कोई डर न जाये । डर ही तो मूल रोग है । डर गये तो गये काम से । कोई बच्चों को गांव की ओर नहीं भेजता था इसलिए हम उधर से निश्चित थे । खेतों की ओर निकल जाते थे । प्लेग आया है तो क्या ? प्रकृति तो अपनी उसी मस्ती में है । फसलें झूम रही थीं, फलों में फागुन का रंग उभर आया था लेकिन प्रकृति की मस्ती अकेले क्या करेगी अगर उसमें आदमी की मस्ती नहीं मिलती तो ! डरा हुआ आदमी प्रकृति की मस्ती में क्या पाएगा ? वही फागुन की मस्तानी धूल-भरी हवा थी लेकिन लगता था कि इसमें अपने बड़े-बड़े बाल खोले सँकड़ों चुड़ैलें चिल्लाती हुई उडी जा रही हैं और क्षितिज के उस पार तक उनकी चिल्लाहट की एक चौड़ी पट्टी बन गई है । कभी कल्पना होती—नहीं, ये चुड़ैलें नहीं हैं, शीतला माई की सवारी जा रही है । सातों बहनों का रथ हवा में उड़ा जा रहा है । शीतला माई से डरने की बात नहीं है, वे तो रक्षक हैं, माई है । लेकिन इस समय तो वे जान ले रही हैं, रक्षक कहां से है और लाख समझाने पर भी उनका भयकारी रूप ही मन में आता और वही फगुनहट में फँस जाता । शीतला माई का एक बिब मन में अटा पड़ा था । मेरे पिताजी के सिर शीतला माई आती थी और बहुत-से देवता आते थे । मां बताती है कि तुम्हारी पहली मां (पिताजी की दो शादियां थी) ताउन में ही मरी थीं । वे शीतला माई की जमात में शामिल हो गयी थी । एक रात की बात है कि सबके सोने पर दलबल के साथ शीतला माई इसी कुएं पर आयी । बहुत प्यासी थीं । कुएं से पानी भरा जाने लगा । सातों बहनें पानी पीने लगी, फिर दूसरी देवियों ने पिया । तुम्हारे पिताजी जगे थे, यह सब देख रहे थे । किसी देवी की नजर इन पर पड़ गयी और उसने शीतला माई से कुछ कहकर तुम्हारे पिताजी की ओर इशारा किया और कहा, “इस आदमजात ने हमें देख लिया है ।” शीतला माई को क्रोध आ गया । सातों बहनें आगे बढ़ीं, साथ में देवियों का दल था । क्या दृश्य था ! मइया के बड़े-बड़े लहराते केश, सफेद साड़ी, लहराता हुआ आंचल, बड़ी-बड़ी आंखें जिनमें इस समय गुस्सा भरा था ।

“उठा ले चलो इस ढोठ आदमी को, इसने हमें देख लिया है । अब यह जिन्दा नहीं रह सकता ।” तुम्हारे पिताजी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और हलहल कापने लगे थे । तभी एक आवाज सुनकर चौंके । कोई कह रहा था, “इन्हें क्षमा कर दीजिये

मइया । ये मेरे बौ हैं ।”

तुम्हारे पिताजी ने धीरे से आंख खोलकर देखा—वे तुम्हारी पहली मां थी ।

मइया मुस्कराई, “अच्छा तो ये तुम्हारे बौ है । चलो क्षमा किया और बरदान भी दे रही हूँ कि जब-जब यह मुझे पुकारेगा मैं इसके भीतर उतरूंगी ।” और वे सबके साथ एकाएक उड़ गयी ।

“पिताजी मपना देख रहे थे, मां !”

“नहीं रे, जगे हुए थे । सब कुछ अपनी आंखों देख रहे थे ।”

उम समय मैंने त्रिना किसी शका के विश्वास कर लिया था क्योंकि देवी-देवताओं में तब मेरी भी गहरी आस्था थी । मैं दीक्षित बाबा को हर सोमवार को जल चढाता था, अन्य देवी-देवताओं की भी पूजा करता था, मुसीबत में उनका सुमिरन करता था, कभी-कभी यथाशक्य व्रत भी रखता था । उम समय अपना विवेक क्या था ? बस, परंपरा से जो थमा दिया गया था उसे थामे हुए था ।

पटापट मौते हो रही थी । उम गिलटी निकली है, अरे उसे भी निकली है, अरे उसे भी निकली है । यह खबर यहा से वहा और वहा से यहा पहुँचती रहती और मृत्यु का ताता लगा रहता । कभी-कभी कोई टिप्पणी भी मुनने में आनी, “अरे ई साला चोर गांव में चोरी करने गया था । वहाँ डर गया । आदत कहा जाती है । सोचा, चलो खूब एकांत है, कोई देखेगा नहीं, जितना चाहो माल समेट लो । बस, हो गये उमी मे शीतला माई को प्यारे ।”

“अरे भाई, लेकिन और लोगों ने कौन-सी चोरी की थी ? वे क्यों मर रहे हैं ? बेकार की बातें नहीं बकते । तुमने देखा था उसे चोरी करते हुए ?”

“अरे उसके लिए कौन-सी नई बात है, मगर छोडो ।”

यह क्या ? बादल छाने लगे । फागुन में बादल ? और पानी बरसने लगा । लोग घबरा गये । प्लेग में बरसात । अब खैर नहीं । सीलन...सीलन और सीलन तो प्लेग की ताकत है । टिपटिप टिपटिप... दिन-रात पानी टपकने लगा । सूखी फगुनहट सावन की झण्टी में बदल गयी । प्लेग की इस मानवीय वीरानी में भी जो फसले हस रही थी और जीवन की गहरी आहट बिखेर रही थी, वे अब पानी से भीगकर लथपथ हो गयी थी । उनके हसते फूलों की आभा झड़ गयी थी, फूल खुद भी झड़ने लगे थे । रास्ते कीचड़ बन गये थे, खलिहान में पड़े हुए मटर के डांठ कीचड़ का ढेर लग रहे थे । प्लेग की मुसीबत में बुझी आंखों में फसलों की समृद्धि जीवन की एक आभा दे रही थी, वह भी अब समाप्त हो गयी ।

गिल्टिया... गिल्टिया, गिल्टियां, मौतें, चीख-चिल्लाहटें, मुवाख की रिरियाहट...लगता था जेमे साक्षात् मौत अपने पूरे साज-बाज के साथ चारों ओर घूम रही है । किसका वश था इम पर ! जवान पति को गिलटी निकली है, पत्नी आंखों में अथाह सन्नाटा भरे गिलटी सेक रही है । वह चाहती है कि गिलटी अपने में खीच ले लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती । किसी भी क्षण उसके सामने से उसकी भरी-पूरी दुनिया सन्न से उड़ सकती है । एक मां या बाप अपने किशोर बालक के सामने बैठा है । बालक गिलटी

से कराह रहा है, वह कभी भी उड़ सकता है। ऐसे कितने ही व्यक्ति अपने आत्मीयों के सामने उनके एकाएक उड़ जाने की अकथ व्यथा लिए बैठे हैं। कैसा लगता है हंसते-खेलते आदमी का एकाएक चले जाना ! न उसमें कुछ कहा जा सका, न सुना जा सका। कितने-कितने अरमान थे उसे लेकर, कितना-कितना प्यारा अतीत था उससे जुड़ा हुआ।

मेरे पिताजी दुनियावी दृष्टि से बहुत असफल व्यक्ति थे—बहुत भोले और भावुक। इसलिए जब कुछ कहीं दुखद घटित होता था तो मोचते-विचारते नहीं थे, सीधे उसमें जुड़ जाने थे। चाहे कहीं आग लगी हो, चाहे कोई पानी में डब रहा हो, चाहे कोई मरा हो, चाहे बीमार हो, पिताजी सबसे पहले पहुंच जाते थे और अपने भले-बुरे का ख्याल किए बिना दर्द में शरीक हो जाते थे। प्लेग में मोहल्ले में कोई मरता था तो वहाँ तो शव का कंधा देने वालों में पहने होने ही थे, दूसरे मोहल्ले में भी पहुंच जाते थे। घर का कोई टोकता तो कहते, “अरे, जिसे मरना होगा मरेगा ही, हम अपना फर्ज क्यों न निभाएं और मुझे क्या होगा, मुझ पर तो देवी की कृपा की छाया है।”

बादलों की सीलन-भरी छांह में गली-गली मौत घूमती रहती, धूरती रहती और इसी में होनी आयी। होली नहीं जली, लोगों ने अपने घरों में ही या आस-पास सूखे गुलाल म होनी खेल ली और कुछ गा-बजा लिया। उसी में कहीं से एक चीख उठी थी और कोई चला गया था।

तमाम लोगों के साथ एक और लाश—एक बड़ी लाश—वसंतोत्सव की लाश। त्योहार की मौत मुझे बहुत बुरी लगती है। वह न जाने कितने लोगों की सामूहिक खुशियों की मौत होती है और होली की मौत से उपजे विषाद की तो कोई सीमा ही नहीं होती। हम स्कूल जाते रहे। स्कूल रानापार गाव में बाहर बाबू साहब की छावनी में चलता था इसलिए वहाँ से कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता था। होली के बाद बादल छंट गये थे और धूप निकलने लगी थी। खेतों की सिकुड़न धीरे-धीरे खुलने लगी थी। एक दिन स्कूल से घर पहुंचा तो देखा मोहल्ले के लोग पिताजी को घेरकर बैठे हुए हैं। अगियारी जगी हुई है। आग में धूप-कपूर की महक उठ रही है। पिताजी ध्याना-वस्थित मुद्रा में बैठे हैं। एकाएक वे आविष्ट हो गये। जोर-जोर से झूमने लगे और हाथ से आग इधर-उधर छीटने लगे।

“कौन है देवता, आप कौन है ?” लोग हाथ जोड़े पूछ रहे थे।

पिताजी बोल नहीं रहे थे। और भी गुस्से से झूमते हुए आग छीटने लगे। लगता था कि देवता बहुत गुस्से में है।

मां पूछ रही थी, “कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करे देवता, अपना नाम तो बताएं।”

“शीतला हई रे शीतला।” कहकर पिताजी और उग्र हो गए।

सभी लोग हाथ जोड़कर झुक गए, “दोहाई माना की, रक्षा करो। हम लोग आपके बालक हैं। बालक को माता नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा ! दोहाई भइया की।” बड़े-बूढ़े अपनी वाक्चातुरी का परिचय दे रहे थे।

“हं-हं,” पिताजी मुस्कराए। मुझे वह मुस्कराहट देखकर बड़ा डर लगा।

“माता के साथ दुनिया जब अन्याय करेगी तो माता को दुःख नहीं होगा रे ! माता कोप नहीं करेगी तो बच्चे बिगड़ेंगे कि नहीं ? मेरे बच्चे पापी होते जा रहे हैं, उन्हें दण्ड तो देना ही पड़ता है।” पिताजी बोले और रुक-रुककर झूम रहे थे।

“मइया, आपके बेटे अपने पाप का फल बहुत भोग चुके। अब क्षमा करो मइया, अपने कोप का अवरा-नवरा समेटो।”

मइया बहुत देर तक अपने बच्चों से मनुहार कराती रहीं और अंत में बोलीं, “अच्छा, दो-चार दिन में जा रही हूँ। तुम सब पूजा-पाठ का प्रबंध करो।”

पिताजी थोड़ा रुके फिर अभुवाने लगे और बारी-बारी से यह क्रम चलता रहा। कभी दीक्षित बाबा आए, कभी डीह बाबा आए, कभी काली माई आर्यीं और सभी अपनी-अपनी पूजा की फरमाइश कर गांव के स्वस्थ होने की सूचना देते रहे।

और एक रात अद्भुत दृश्य था। सारे गांव के लोग काली माई के थान की ओर जुलूस में चल रहे थे। लूकें जली हुई थी। काली माई के थान पर दो-तीन ओझित पचरा गा रहे थे जो बहुत करुण लगता था। गोड़इत नगाड़ा बजा रहा था। वहां पहुंचकर औरतें धार-कपूर चढ़ा रही थी। काली के स्थान पर पूजा-पाठ कर जुलूस और दक्षिण की ओर बढ़ा और सीवान पर जाकर रुक गया। देवी-देवताओं की जय-जयकार हो रही थी। ऐसा विश्वास था कि प्लेग को अपने सीवान से दूसरे के सीवान में खदेड़ दिया गया है। जुलूस फिर धीरे-धीरे लौट आया।

और दूसरे दिन लोग गांव में जाकर अपने घरों के ताले खोलकर सफाई करने लगे। लोग बच्चों को साथ नहीं ले जा रहे थे। मैं कल्पना करता था कि दरवाजा खोलते ही एक भयानक सूनापन एकदम झाय करके खुल पड़ेगा और बच्चे डर जाएंगे। इसीलिए बड़े लोग ही सफाई-वफाई के काम में लगे थे।

दूसरे दिन से लोग अपने घरों को लौटने लगे और उजड़ा हुआ गांव फिर आबाद हो गया। मृत्यु का दंश आत्मीयों को सालता रहा किन्तु धीरे-धीरे जिंदगी की ऊष्मा में सब कुछ खो गया लेकिन...लेकिन कुछ ऐसी मौतें भी हुईं जो अपने किसी आत्मीय को उजाड़ गईं और ऐसा उजाड़ गईं कि रास्ते पर भटकने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। यह कहानी फिर कभी। फिलहाल इतना ही कि जिन्दगी फिर अपनी राह में चलने लगी थी।

प्लेग की गिरफ्त में जब गांव आता था तो प्रायः लोग अपने बच्चों को नाते-रिश्ते में भेज देते थे। कई बार तो मैंने गांव में प्लेग का वातावरण भोगा था और कई बार बाहर भेज दिया गया था। एक बार मैं फूआ के यहां बसावनपुर भेजा गया था। तब शायद तीन में या पांच में पड़ता था। वह भी होली का ही मौसम था। होली के मौसम में घर से दूर एकाएक भागना पड़ा था। बाबा ने कहा था, “तुम लोग चलो, मैं होली के नये कपड़े लेकर आऊंगा।” इसी उम्मीद में हम (मैं और रामनबल जी) फटे-पुराने कपड़े पहनकर ही फूआ के यहां चले गये थे। फूआ का गांव हमारे गांव से दो मील के फासले पर था। होली का मौसम, पहला प्रवास, मन भर-भर आता था। लगता था

घर से कितनी दूर चला आया हूँ। मैं वहीं बैठा-बैठा अपने गांव की ओर देखता था। क्षितिज के पास के पेड़ों को निहारता था। उधर से उड़कर आते पंछियों को देखता था। मझले भाई समझाते, “वो देखो, वे पेड़ देख रहे हो न। उनके पीछे अमारी है और अमारी के पीछे अपना गांव है।”

“हम घर कब लौटेंगे भइया ?”

“जल्दी ही चलेंगे।” वे मुझे समझाते और मेरी आखों में आसू देखकर मुझे अपने से चिपटा लेते और उनकी भी आखें भर आती। पास में राप्ती बहती थी। कितनी बड़ी दूरी बना रखी है इस नदी ने मेरे और मेरे गांव के बीच। सोचता था, कब इसे पार करूंगा और कब अपने गांव पहुंच जाऊंगा। लेकिन सच बात तो यह थी कि नदी नहीं, समय दूरी बना हुआ था। न जाने कितने दिन प्लेग गांव में रहेगा। जब तक रहेगा हमें यहा रहना ही होगा। नदी की दूरी तो मूर्त थी लेकिन समय की दूरी अमूर्त और अदृश्य।

राप्ती की घाटी में फैले हुए खेतों का अपना सौंदर्य था। एक अद्भुत गदराई हरियाली यहा एक पर एक लोट रही थी, पानी में निर्मलता का घनत्व था और मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे अपने ताल वाले खेतों की याद आ रही थी और यह याद इस अच्छा लगने को थोड़ा अवसाद से भर देती थी।

मन उचटा-उचटा था और होली करीब आ गयी थी। दो-चार दिन के फासले पर। बाबा की राह देख रहा था। मन के इस उचाट में घर से कोई आ जाता तो कितना अच्छा लगता और बाबा को तो मेरे नये कपड़ों के साथ आना था। वे नहीं आए और होली बीत गयी। फूआ के यहा सम्पन्नता थी किंतु वह सम्पन्नता मेरे मन के अभाव को न भर सकी। मैंने फटे-पुराने कपड़ों में ही होली मनाई। घर में बाहर की यह पहली होली थी। सब कुछ हुआ लेकिन लगा कि कुछ रह गया, कुछ खाली-खाली रह गया। होली के बीस-पच्चीस दिन बाद हम लोग गांव लौटे तो गांव दूने वेग से मुझमें समा गया था। लगा, कितने दिनों में यह आत्मीय छूटा हुआ था और मुझे पुकार रहा था। और बचपन में ही फिर एक बार मैं प्लेग के कारण बाहर (लक्ष्मीगंज) होली मना रहा था। समृद्ध वातावरण में बहुत गहमागहमी थी लेकिन मुझे बुरी तरह अपना गांव याद आ रहा था।

होली बीत गयी। मैं भइया के पास बहुत मजे में था। मन में गांव लौटने की बेचैनी अनुभव कर रहा था। गांव की चिट्ठी का इन्तजार कर रहा था—कब प्लेग हटे और मैं कब गांव लौटूँ लेकिन प्लेग का कोप ज्यादा लंबा हो गया। आधा चैत बीत गया। नवरात्र शुरू हो गया। बाबू चन्द्रभान सिंह चले गये थे, बच्चा बाबू (उनके

सुपुत्र) आ रहे थे। हवेली के बातावरण में काफी सरगर्मी थी। मैंने अनुभव किया कि बड़े मालिक के आने पर इतनी सरगर्मी नहीं थी जितनी छोटे मालिक के आने पर। बच्चा बाबू हमारे जवार के जीवित मिथ थे। उनके बारे में अनेक कहानियां और घटनाएं सुनी थीं। वे बहुत झक्की मिजाज के मालिक थे—क्रूरता और उदारता दोनों की कोई सीमा नहीं थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? बाबू चन्द्रभान सिंह की निगाहों से मैंने अनुभव किया था कि वे मुझे यहां अवांछित व्यक्ति समझते थे। उनकी बातचीत में भी लगा था। उनकी उस भलमन-साहत में जैसे एक कामकाजी बनिया छिपा था जो बिना प्रयोजन अपने धन का खर्च सह नहीं सकता था। अतः जब तक वे लक्ष्मीगंज में रहे, मैं उनकी निगाहों से बचता रहा। चले गये तो मैंने राहत की मास ली। मैं वचपन से ही अपने अस्तित्व की वांछनीयता और अवांछनीयता के प्रति बहुत संवेदनशील रहा हूं। मुझे जहां अपनी उपस्थिति अवांछनीय लगती है वहां मैं जाना नहीं चाहता। जिस कार्य से मैं छोटा अनुभव करने लगता हूं उससे बचता हूं। इस मामले में मैं ज्यादा ही संवेदनशील हूं। इसलिए दुनिया की दृष्टि में मान्य बड़े आदमी, बड़ी जगह आदि में बचता हूं। मैं सभा-मोसाइटियों में कभी भी आगे नहीं बैठना चाहता, पीछे किसी कोने में अपनी जगह चुनता हूं, किसी नेता, अफसर, मिनिस्टर या श्रीमान् से नहीं मिलता। हां, इनमें से जिनसे मैं अपनापन या समभाव अनुभव करता हूं, वहां जाता हूं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। मेरे कई सहपाठी दिल्ली में नेता होकर आये लेकिन मैं उनमें कभी नहीं मिला क्योंकि मुझे लगता है कि आज किसी भी दुनियावी अर्थ में बड़ा होने की प्रक्रिया आत्मीयता और सहजता के स्थान पर निर्ममता और कृत्रिमता की होती है और जो व्यक्ति इनसे गुजरकर आया हो उससे मैं पुरानी आत्मीयता और सहजता की उम्मीद कैसे कर सकता हूं! मेरी आकांक्षाएं मेरी शक्ति और परिश्रम से छोटी हैं, उनकी पूर्ति के लिए मुझे इन्तजार ही करना पड़ता है किंतु पूरी हो जाती हैं। फिर दूरियों के आगे बेशर्मी से हैं-हैं करते जाना और उनकी झूठी तारीफें करते रहने की लंबी प्रक्रिया से गुजरते रहना मेरे लिए बेमानी है। मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं पड़ी होती। 'आज नहीं तो कल हो जाएगा और नहीं होगा तो क्या हो जायेगा, बहुत कुछ तो मिला है।' का भाव मुझे स्थविर बनाये रहता है।

हां, तो मैं बाबू चन्द्रभान सिंह की बात कर रहा था। मेरे ऊपर वे अपनी छाप छोड़कर चले गये थे। बच्चा बाबू आये तो मैं उनसे बचना चाहता था किंतु उनके आने के कुछ घंटे बाद ही मेरा बुलावा आया। मैं उनके पास गया। वे आरामकुर्सी पर पमरे हुए थे—काली थुलथुल देह, मुंह पर चेचक के गहरे दाग, एक आंख में फुल्नी। उन्हें देखकर मुझे डर लगा।

“आइए कपिवर जी! कपि की ममता पूंछ पर।” वे बोले और एक कुर्सी की ओर इशारा करके कहा—“बैठिये।”

मैं संकोच में खड़ा रहा। देखा—तमाम नौकर नीचे बैठे हुए हैं। भइया तथा अन्य उच्चपदस्थ लोग पास पड़े तख्ते पर बैठे हुए हैं। मैंने तख्ते के कोने पर बैठना चाहा तो बच्चा बाबू बोले, “अरे भाई, वहां नहीं, इस कुर्सी पर बैठिये।”

मैं खड़ा हो गया और कहा, “मुझसे बड़े लोग तख्ते पर बैठे हैं, मुझे कुर्सी पर बैठने में सकोच हो रहा है।”

बच्चा बाबू हमें, “वे लोग मेरे कर्मचारी हैं, आप मेरे यहाँ के अतिथि हैं, कवि अतिथि।”

भडया मुस्करा रहे थे। उनकी मुस्कान में सतोष की गहरी तृप्ति थी। उन्हें बच्चा बाबू द्वारा दिया गया मेरा सम्मान देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उन्होंने इशारा किया। मैं जाकर कुर्सी पर बैठ गया।

“हा भाई कपि जी, सुना है कि आप बहुत बड़े कवि हैं। आपने चौबे जी पर कोई कविता बनायी है, जरा सुनाइए।”

“नहीं बाबू साहब, वह तो मजाक है।”

“अरे, जो जिस लायक होगा उस पर मैं ही कविता न बनेगी! चौबे जी पर महाकाव्य नहीं बनेगा।”

चौबे जी बेचारे सकुचाये-मे बैठे थे और मारे दरबारी हुलसित हो रहे थे।

चौबे जी कही और नौकरी करते थे किंतु बच्चा बाबू के यहाँ ही रहते थे। वे बात-वार्ता में पिहकारी मारकर हसते थे। एक लंबी ई... करते थे। मैंने उन पर दो पंक्तियाँ जोड़ी थीं जिनकी उम दरबार में बड़ी चर्चा थी। मैंने सकुचाते-सकुचाते वे पंक्तियाँ बच्चा बाबू को सुना दी:

मिलते हैं कितने लोग यहाँ
जब बातें होती नयी-नयी
चौबे जी पिहकारी भगते
सीटी सी वे करते हैं ई... ..

दरबारी हसना चाहते थे लेकिन बच्चा बाबू को चुप देखकर उनकी हंसी दब गयी। चौबे जी चुप बैठे थे।

मैं घबरा गया कि शायद बच्चा बाबू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे चुप हैं। वे चौबे जी की ओर देख रहे थे। मुश्किल में आधा मिनट तक यह नाटक चला, फिर बच्चा बाबू टठाकर हस पड़े और दरबारी भी हस पड़े। मैं भी हस पड़ा।

“क्यों चौबे जी, आ गये न कविता की पकड़ में! अरे भाई, जहाँ न जाये रवि वहाँ जाये कवि!”

चौबे जी खिलबिलाते हुए बोले, “सरकार, इस लडके ने तो मुझे कही का न छोड़ा। मेरे पास अपनी कही जा सकने वाली यह हसी ही तो थी, इसे भी इस लडके ने मजाक का विषय बना दिया।”

“मजाक? यह क्या कहते हैं चौबे जी! अरे, इस लडके ने आपकी हमी को कविता में बाध दिया। आपको कवि का अहमानमद होना चाहिए। जानते हैं कविता कितनी बड़ी चीज होती है?”

“सब जानता हूँ सरकार, लेकिन आपके दरबारी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अब

यहां नहीं रहूंगा।” कहकर चौबे जी उठे और चल दिये। मुझे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो रही थी कि मेरे कारण चौबे जी मजाक का पात्र बन गये थे। सोचा कि यहां से चलकर उनसे क्षमा मांगूंगा।

“रामअवध, कवि जी को मुझे दे दो।”

“आपके ही है सरकार, लेकिन अभी तो इसे पढ़ाऊंगा। जब जी भरकर पढ़ लेगा तो आप जो हुक्म देंगे, मानूंगा।”

“ठीक है, ठीक है, मैं एक कवि-सम्मेलन कराना चाहता हूं। कब ठीक रहेगा?”

“आप जब कहें बबुआ।”

“दशहरे में ठीक रहेगा। मैं चाहता हूं एक बड़ा कवि-सम्मेलन हो, देश के बड़े-बड़े कवि आयें, कितना खर्चा पड़ेगा?” मुझसे पूछा।

“मुझे इन सब चीजों का अनुभव नहीं है बाबू साहब।”

“अच्छा, अच्छा, अभी तो समय है। रामअवध, तुम मुझे याद दिलाना। इस बार दशहरा के अवसर पर कई-कई कार्यक्रम धूमधाम से होने चाहिए।”

“जी बबुआ।”

“अच्छा कवि जी, मैंने एक कवि-सम्मेलन में यह समस्या सुनी थी, आप भी उसकी पूर्ति कीजिए। समस्या है—कांखे बने न बने बिनु कांखे।”

“मैं कोशिश करूंगा।”

“ठीक है।”

“कैसा चल रहा है रामअवध?”

“सब ठीक चल रहा बबुआ।”

“आप बहुत दानी हो गये हैं।”

“दानी! मैं समझा नहीं बबुआ।”

“अरे भाई, असामी पकड़कर लाये जाते हैं, आप छोड़ देते हैं और उनकी पूरी लगान न लेकर आधा, तीहा ले लेते हैं। इस तरह की तहसीलदारी से रियासत बिला जायेगी।”

बच्चा बाबू की आंखों में मालिकाना ठसक पैदा हो गयी थी।

“बबुआ, आप बैठकर हिसाब देख लीजिए। आप देख लीजिए कि मेरे तहसीलदार होने के बाद रियासत की आमदनी बढ़ी या घटी है। मेरे पहले कई किसानों के यहां कई-कई साल का लगान बकाया पड़ा था। एक पैसे की वसूली नहीं हो पा रही थी। वह सारी जकड़न तोड़ने के लिए कुछ छूट देनी ही पड़ती है, नहीं तो वह जकड़न और बढ़ती जाती है और वसूली नहीं हो पाती।”

“अरे भाई, सख्ती से काम लो। तुम तो उन्हें छोड़ देते हो।”

“सरकार, यह बकाया उन दिनों का है जब असामियों से खूब सख्ती की जाती थी लेकिन उनकी चमड़ी उधेड़ी जा सकती है, चमड़ी उधेड़ने से पैसा तो नहीं न आयेगा। मैं चाहता हूं कि वे डर से भागें नहीं। उनके पास पैसा होगा तो प्यार से सहलाकर उनसे लिया जा सकता है, नहीं तो सिपाही बौड़ते रहेंगे, वे छिपते रहेंगे, पकड़कर लाये

जाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मुर्गा बनाये जाते रहेंगे और अंत में निकलेगा कुछ नहीं।”

“तुम भूलते हो कि ये किसान बहुत धूर्त होते हैं। प्यार से कभी भी देने वाले नहीं हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सख्ती करना सीखो। तभी यह जिम्मेदारी निभा पाओगे।”

“जी बबुआ, लेकिन आप हिमाब तो देख ही लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मेरे व्यवहार से रियासत की आमदनी घटी है कि बढ़ी है।”

“अरे बबुआ कह रहे हैं तो किसी आघार पर ही न कह रहे है। वे मालिक है। जैसा कहेंगे, करना पड़ेगा। किसान के बारे में अभी तुम नहीं जानते हो रामअवध।”

मैनेजर कुंज बिहारी गुप्त बोले। बच्चा बाबू ने कुंज बिहारी की ओर नजर घुमायी। थोड़ी देर घूरते रहे। कुंज बिहारी कांपने लगे।

“तुमसे कुछ पूछा है? तुम मुझसे अधिक समझदार बन गये हो?”

“नही बबुआ, आपके आगे मेरी क्या बिसात?”

“तो तुम बीच में क्यों बोले? मैं जब इन्हें कोई बात समझा रहा था तो क्या मेरी बात काफी नहीं थी? मेरे समझाने में कोई कमी थी क्या कि तुम समझाने के लिए बीच में कूद पड़े?”

“नही बबुआ, गलती हो गयी।”

“भाग यहां से। चले हैं लिफाफा फाडकर मैनेजर बनने। जिन्दगी बीत गयी दरबार में रहते, दरबारी कायदा-कानून नहीं मालूम हुआ।”

कुंज बिहारी उठकर चले गए। नही उठते तो पिटते।

जब से मैं यहां आया कुंज बिहारी नाम के प्राणी को कुछ करते नहीं देखा। पतली फँसी धोती, सिल्कन कमीज, बढ़िया पंप का जूता, सिर मे खुशबूदार तेल, हाथ में मूठदार छड़ी, होंठों मे पान। उनका दुर्बल गोरा शरीर श्रृंगार मे डूबा ही रहता। रात को किसी नीकर से सिर में तेल मालिश कराना, देह दबवाना और हलकी-फुलकी कहानियां सुनना। इनका काम था श्रृंगार करना और धूमना और जब बाबू साहब सपत्नीक आते थे तो जनानखाने की सारी व्यवस्था करना। वह तब सक्रिय हो जाता— “रामअवध, यह मंगा दो। रामअवध, वह मंगा दो।” इस आदमी से मुझे अजीब चिढ़ थी। वह मेरे भइया का अपमान करता प्रतीत होता था या यों कहें कि भइया को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह उसकी उपेक्षा करता था। भइया संकेत कर चुके थे कि यह बाबू साहब से मेरे खिलाफ लगाता-बुझाता भी है। इसलिए आज बच्चा बाबू ने जब इसे डांटा तो मुझे अच्छा लगा। एक ओर बच्चा बाबू की डिक्टेटरशिप मेरे भीतर उभरी, दूसरी ओर कुंज बिहारी जैसे चापलूसों के प्रति उनका रोषमय रूप प्रीतिकर लगा। चापलूसों को अगर इसी तरह भरी सभा में लताड़ दिया जाए तो यह रोग कुछ कम हो सकता है। उनके बारे में पहले की सुनी-सुनाई कई घटनाएं साकार हो गयीं।

वे एक बार अपने बगीचे में काम कर रहे थे। मेरे गांव के ही एक व्यक्ति उनके साथ थे। उन्होंने कहा, “बाबू साहब, अगर इस बगीचे के रास्तों पर उजरकी दूब लगा दी जाय तो बहुत सुंदर लगेगा।” बाबू साहब काम करते-करते रुक गए और अपनी जेब

में से रुपये निकालकर देते हुए कहा, “लो, ले आओ उजरकी दूब।”

“मैं कहां से ले आऊं बबुआ?” कहकर वे कांपने लगे।

“तब तुमने कहा क्यों अमुक के साले।” और उन्होंने अपने हाथ की कुदाल फेंककर मारी। कुदाल लगी नहीं और वे व्यक्ति भाग चले और फिर भाग ही गये।

मैं यह सोच ही रहा था कि बच्चा बाबू उठ खड़े हुए और कहा, “अच्छा कपि जी, फिर कल मिलेंगे,” और भइया को संबोधित कर कहा “रामअवध, देखना, कवि जी को कोई तकलीफ न हो।”

जब मालिक नहीं होते तो इस दरवार में काफी खुलापन रहता। मुक्त भाव से लोग बोलते-बतियाते और हसी-मजाक करने, एक-एक नाटक होता। भइया भी बहुत मजाकिया है। वे हंसी-मजाक के नाटक में बहुत रस लेते। लेकिन एक अंतर था। कुज बिहारी के इर्द-गिर्द जो महफिल जमती उममें अश्लील कथायें होतीं, भइया के पास जो महफिल जमती उममें दूसरी प्रकार के हंसी-मजाक होते। यों भइया बहुत व्यस्त व्यक्ति थे, वे आधी-आधी रात तक हिमाब-किताब लिखते रहते, फिर भी थकते नहीं और हंसी-मजाक के लिए समय निकाल लेते। जब मालिक लोग आते तो कोई ‘इनोसेंट’ मजाक उन तक भी पहुंच जाता और वे भी उममें शरीक हो जाते। तब दरबार मालिक और नौकर के बीच की तनाव-भूमि न रहकर कुछ देर के लिए मित्र-समारोह बन जाना।

एक दिन गम्मज हो रहा था कि टहलते हुए बच्चा बाबू आ गये। सब लोग हड़बड़ाकर उठ गये।

“बैठो-बैठो।” कहते हुए वे एक कुर्सी पर बैठ गये।

“हां भाई, गोरख कहां है?”

“गोरख खाना बनाने जा रहे हैं बबुआ।”

“बुला लाओ।”

लोग समझ गये कि बबुआ मजाक के मूड में हैं।

गोरख आये तो बाबू साहब ने पूछा, “कैसे हो गोरख?”

“आप गोरख का क्या हाल पूछते हैं बबुआ, अपने ही गांव के लोग उनके दुश्मन हुए है।” भइया ने कहा।

“अच्छा ! क्या हुआ ?”

“अरे बबुआ, बिसुनाथ के मारे इनकी शादी ही नहीं हो पा रही है।” भइया ने कहा।

“अरे, ई तो बड़ा गडबड है। बिसुनाथ को बुलाओ।”

बिसुनाथ और गोरख दोनों मेरे ही गांव के थे। बिसुनाथ मिल में काम करते थे और बगल के एक मकान में रहते थे। गोरख बाबू साहब के यहां रसोइया थे। पैंतालीस साल के हो गए थे, शादी नहीं हुई थी। वे शादी के लिए बेहाल थे, लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उनका मजाक बनाते थे, उन्हें ठगते भी थे।

बिसुनाथ पकड़कर लाए गये।

“बिसुनाथ पंडित, आपके खिलाफ बहुत बड़ा अभियोग लगा है कि आप हमारे

रसोइया की शादी नहीं होने दे रहे हैं।”

“मैंने क्या किया है बबुआ ?”

“अरे तुमने क्या नहीं किया है ? बबुआ, रामअवध चाचा से पूछिए कि यह मेरी शादी काटता है कि नहीं। यहां पर कई लोगों ने मेरी शादी की बात चलाई लेकिन बिसुनाथ ने काट दी।”

“तुम्हें कैसे मालूम ?”

“अरे बबुआ, उन्हीं लोगों ने बताया कि बिसुनाथ शादी काट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसका घर दोखी है।”

“यह तो बहुत बुरी बात है बिसुनाथ पंडित ! सच ही कहा गया है कि पट्टीदार पट्टीदार का भला नहीं देख सकता।”

“अरे एतने नहीं सरकार, ई मेरे खिलाफ टोना-टोटका करते हैं।”

“नाहीं बाबू साहब, मुझे टोना-टोटका आता ही नहीं।”

“ई झूठ बोलते हैं बबुआ ! रामअवध चाचा से पूछ लें, इनके यहां कपूर की डली पकड़ी गयी है। उस कपूर पर ये भूत-प्रेत सिद्ध करते हैं और मेरे खिलाफ लगा देते हैं। ये अयना देखकर मेरी छाया उसमें भर लेते हैं और फिर उस अयने पर जोग-टोट करते हैं।”

“हां बबुआ, गोरख ठीक कह रहे हैं। बिसुनाथ के यहां कपूर की एक बहुत बड़ी डली पायी गयी और मैंने भी कई बार देखा कि ये गोरख की ओर अयना देखा-देखाकर कुछ कर रहे हैं।” किसी ने कहा।

बच्चा बाबू बहुत चिन्ता में पड़े दिखाई पड़े। कुछ देर बाद बोले, “रामअवध, यह दरबार की इज्जत का सवाल है। बिसुनाथ पंडित ने गोरख की नहीं, इस दरबार की तौहीन की है। एक बाहरी आदमी हमारे दरबार में घुमकर हमारे दरबार के आदमी की तौहीन करे, यह तुम लोगों के लिए डूब मरने की बात है।”

“अरे बबुआ, तौहीन की बात करते हैं, ई मेरी जान लेकर रहेगा।” गोरख गुस्से से कांपने लगा था।

“बिसुनाथ पंडित को सजा मिलनी ही चाहिए। चाहे जैसे हो, इन्हें गोरख की शादी करानी ही होगी। और रामअवध, कल तांत्रिक जी को बुलाकर बिसुनाथ के झाड़-फूंक को गोरख के ऊपर से उतरवाना होगा। अपने आदमी का खयाल तुम लोगों को रखना चाहिए।”

“जी बबुआ।”

“अच्छा गोरख पंडित, तुम जाओ, खाना बनाओ, मैं देखता हूँ कि आगे कोई कैसे तुम्हारी शादी काटता है।”

“अच्छा सरकार।” कहकर गोरख बिसुनाथ को धूरता चला गया।

सभी लोग ठठाकर हंस पड़े।

“बड़ा गधा है गोरखा।” बच्चा बाबू ने टिप्पणी जड़ी।

“अरे बबुआ ! क्या बतायें, बिसुनाथ दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी का इस्तेमाल

करते हैं। उसी को कपूर समझ बैठा है। पगला गया है शादी के लिए। रोज शाम को बन-ठन के निकलता है किसी-न-किसी बाजार की ओर, और कोई-न-कोई व्यक्ति बर-देखुवा बनकर इसे छोड़ देता है।”

बच्चा बाबू हंस रहे थे।

“बबुआ, ई सब तो ठीक है, लेकिन सभी लोगों ने हमारे खिलाफ इस मूरख को कर दिया न, तो मेरी खैर नहीं। मजाक मेरे लिए घातक बन जायेगा। इसका बदला गांव पर लेगा। वहां मेरा खेत-वेत कटवा लेगा।” बिसुनाथ कुछ व्यथा से बोले।

कुछ ही देर बाद बाबू साहब उठे और दूसरी ओर चल गए। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि बाबू साहब मजाकिया किस्म के आदमी हैं। इनके बारे में यही सुना था कि ये बड़े गुम्मैल है और कोई इनमें बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यहां तो जब से मिले हैं कुछ और ही रूप दिखाई पड़ रहा है। यह सब सोच ही रहा था कि दूसरी ओर से बाबू साहब के चीखने-चिल्लाने की आवाज आयी। भइया उधर की ओर भागे। साथ-साथ मैं भी गया। देखा, बच्चा बाबू एक आदमी को जूतों से पीट रहे थे। वह जवान आदमी मार खाकर भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। भागना भी शायद जुर्म होता क्योंकि बाबू साहब को उसके पीछे मारने के लिए भागना पड़ता। काफी लोग इकट्ठे हो गये थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे छोड़ाये। उसका पिटना देखकर मैं बहुत परेशान हो आया था और बाबू साहब के प्रति गुस्सा उमड़ आया था लेकिन मेरी क्या मजाल कि बोल पाता। बाबू साहब के नौकर का छोटा भाई, मेरी हस्ती ही क्या थी? शायद बहुत-से लोग मेरे भाव से गुजर रहे थे लेकिन सभी अपने को बन्द किए हुए बैठे थे।

एकाएक उसका बाप रोता-गिड़गिड़ाता हुआ आया और बाबू साहब के पैरों पर लोट गया। और किसी को हिम्मत हो या न हो बाप को तो होगी ही। बाबू साहब उसे पैरों से ठेलते हुए उसक बेटे को पीटते रहे और थूक के साथ गालियां उगलते रहे, “साला, हरामजादा, आज दोपहर तक के लिए छुट्टी मांगकर गया था, अब आ रहा है, वह भी बुलाने पर।”

“सरकार, दोपहर को तो पहुंचे ही थे। पहुना-बोहुना आए हुए हैं। जब से आये उनकी खातिर-बात में लगे हुए हैं।” बाप बोला।

“पहुना-बोहुना आए हुए है तो ड्यूटी छोड़ दोगे क्या? बड़े लाट साहब के पहुना आए हुए हैं।”

“सरकार, लाट साहब के पहुना लाट साहब होते हैं और गरीबों के पहुना गरीब। आखिर पहुना तो सबके पहुना ही होते हैं।”

“भाग साला, जबान लड़ाता है? भाग, नहीं तो इसी के साथ तेरी भी धुनाई शुरू हो जाएगी।” और वे बेटे को धुनते रहे।

“उसकी धुनाई तो मेरी ही धुनाई है सरकार। बेटे का दरद बाप का ही दरद होता है। जो बाप अपने बेटे का दरद नहीं समझता वह भी कोई बाप है क्या सरकार !”

बाबू साहब को हाथ रुक गए। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से बाप को देखा और लगा

जैसे उनकी खैर नहीं है लेकिन उन्होंने जूता नीचे गिरा दिया और पांव में डालकर घीरे-घीरे कुर्सी पर आकर बैठ गए। कुछ दूर पर स्थित झोंपड़ी में से औरतों के रोने-चीखने की आवाज आ रही थी। बाबू साहब अन्दर चले गये थे। दुलहिन ने उन्हें बुलाया था और हम उठकर दूमरी ओर आ गए।

भइया मे मैंने घीरे में पूछा था कि माजरा क्या है ? उन्होंने बताया था कि यह बाबू साहब का खाम खवास है—मोहन नाम है इसका। यह दो दिन की छुट्टी लेकर गवना कराने गया था। आज दोपहर को लौटा है और शाम तक इनके काम पर नहीं लौटा, उसकी सजा भुगत रहा था।

बाबू साहब अजब व्यक्ति हैं। उनका अजब होना मेरे भीतर अंट नहीं रहा था। औरते रंग रही थी। मुझे महसूस हो रहा था, उनमें एक स्वर उमकी दुलहिन का भी है, वह क्या सोच रही होगी ? आज उसकी सुहागरात है, उसके मन में न जाने किनने मपने होंगे, उमकी आँखों में अपने पति का कितना प्यारा रूप अंकित होगा और इस जमींदार ने तो जूतों और डबों से पीट-पीटकर उमकी देह धत-विक्षत कर दी। पूरी देह में हल्दी पोते रात-भर कराहेगा और उमकी दुलहिन बगल में बैठी रोएगी। उसके आंसुओं के रास्ते उसके सारे मपने चू-चूकर उमे खाली कर देगे। आखिर क्यों ? क्या अपराध था इम आदमी का ? यही न कि मालिक के यहां चार घंटे बाद पहुंचा।

मेरा किशोर मन तब ऐसे दृश्यों की समाजशास्त्रीय विवेचना तो नहीं कर सकता था किन्तु आहत जरूर होता था। ऐसे दृश्य मुझे बहुत सालने थे। इस दृश्य ने मुझे अपने गांव के अनेक दृश्यों के बीच खड़ा कर दिया। किसी का हलवाहा काम पर नहीं आया, वह उसे पीट रहा है। किमी हरिजन ने बेगार नहीं किया तो उसका मालिक उसे पीट रहा है। हरिजनों के तां मालिक ही मालिक होते थे क्योंकि उनकी अपनी जमीन तो होती नहीं थी, वे किसी न किसी की जमीन में बसे होते थे। छोटी-छोटी भूलों पर उन्हें उजाड़ने की धमकी दी जाती थी। किसी का सूअर किसी के खेत में पड़ गया, किमी न किसी के पेड़ से पत्ता तोड़ लिया, किमी ने आम के सीजन में आम उठा लिया, किमी ने भूख लगने पर किसी के खेत में से दो-चार छीमियां तोड़ ली, किमी ने चुपके-चुपके किमी की गडही से मछली मार ली तो उसकी खैर नहीं। यदि किमी कारण कोई समर्थ ब्राह्मण उससे असंतुष्ट है तो इतनी-सी बात के लिए उमकी धुनाई कर देता था। मैंने बांस की कइन से किननों को सपासप पिटते देखा है और तिलमिलाकर रह गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस सामंती ब्राह्मण संस्कार में मुक्त रहा हूँ। इस संस्कार से मुक्त होने के लिए विचार के स्तर पर बहुत आत्म-संघर्ष करना पड़ता है जो उस समय सम्भव नहीं था किन्तु संवेदना के स्तर पर मैं उनकी तकलीफ से आहत अवश्य होता था। यों मेरा भी ब्राह्मण और मालिक संस्कार कभी-कभी जोर मारता था (और अब एकदम समाप्त हो गया है, यह मैं नहीं कह सकता) और किसी हरिजन के किमी व्यवहार को अपने प्रति अपमानजनक पाकर मैं क्षुब्ध हो उठता था और उसे पीटने की भी इच्छा हो आती थी। हरिजन होकर उसने मेरे साथ यह सलूक किया यह सोचकर मैं तिलमिला उठता था किन्तु वह क्षणिक होता था और मैंने किसी को पीटा

हो, मुझे याद नहीं। मेरे पिताजी भी गांव वालों से भिन्न प्राणी थे। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण और अछूत में कोई भेद नहीं था। जब वे सम्पन्न हुए तो घरवालों के चोरी-छिपे न जाने कितने हरिजनो को पैसे दिए, अनाज दिये और घर आकर कह देते थे कि पैसे गस्ते में गिर गये। वे सच्च अर्थों में सार्वजनिक व्यक्ति थे। साप का विष झाड़ने के लिए, आग बुझाने के लिए, या किसी अन्य प्राकृतिक या सामाजिक आपदा में बभनौटी और चमरौटी दोनों में समान रूप से अपनी सेवाएँ अर्पित करते थे। इसलिए उनसे कोई डरता नहीं था। इसका यह परिणाम होता था कि एक ओर हरिजन बस्ती के लोग उन्हें प्यार करते थे, दूसरी ओर मेरा खेन काटने के लिए या अन्य सारे काम करने के लिए आने से मना कर देते थे। यह अद्भुत विरोधाभास था। मा डाटती थी, “दुनिया-भर के लोगो को मजूर मिलते हैं, तुम्ही को क्यों नहीं मिलते?”

पिताजी झल्लाकर कहते, “क्या बताऊँ, मेरा आगछ (नियति) ही ऐसा है कि जिमका भला करो, वही घोखा देता है।”

मा बड़बडाती, “जाओ और सटो। जब देखो तब उनका काम करने के लिए तैयार रहने हो। और वे हैं कि अपना काम कराकर अंगूठा दिखा देते हैं।”

ऐसा नहीं कि मा के मन में हरिजनो के प्रति दुर्भाव था, वह भी बहुत सहृदय थी किंतु अपने घरेलू काम के प्रति बहुत चौकस। इसलिए जब घर का कोई काम बिगडना था तो पिताजी में लडती थी। पिताजी अपनी सैलानी प्रकृति के कारण आज का काम कल पर टालने के आदी थे और मा कल का काम भी आज ही निबटाना चाहती थी। दोनों में कहा-सुनी होती, पिताजी झल्लाकर वहाँ से उठ जाते और मा बिगडते हुए काम को देखकर माथा पीटकर रह जाती।

ऊपर मैंने विरोधाभास की बात कही है किन्तु सचमुच वह विरोध नहीं, विरोधाभास ही था। वास्तव में हरिजन पिताजी से डरते नहीं थे लेकिन गांव के बहुत-से क्रूर लोगो से डरते थे। वे पिताजी के काम पर आना चाहकर भी नहीं आ पाते थे क्योंकि यहाँ नहीं आयेगे तो कुछ नहीं बिगडेगा, किन्तु दूसरो के यहाँ नहीं जायेगे तो उनकी धुनाई हो जायेगी, उनके झोपडो में आग लगा दी जायेगी, जमीन में से उजाड दिया जायेगा या और तरह को यातनाएँ दी जायेगी। इसलिए हमारे काम पर तभी आते थे जब किसी क्रूर आदमी के काम में टकराहट न हो। इसलिए हमारा हर काम पिछडा होता था—खेत की बोवाई, निराई, सिंचाई, कटाई, दवाई सभी बाद में होती थी। मारे गांव का खलिहान खाली हो गया है तो हमारे खलिहान में दवाई के लिए डाठ पड़ा हुआ है। बरसात करीब है और मा सिर पीट रही है कि सारा अनाज खलिहान में सड़ जायेगा। यह पिछडापन ही हमारे घर की अपनी पहचान थी। कोई भी काम पिछडा हुआ पडा हो, लोग समझ लेते थे कि यह चन्नर बाबा का हांगा। मन्दिर (भूसा रखने का मन्दिर) टेढ़ा-मेढा दिखाई पडे, खेत बीड़र जमे हो, वे घास-पात से अंटे पड़े हो या फसल के दिनों में खेत परती पड़े हों या बरसात के दिनों में खपरैल उजड़े हुए हों, तो समझ लीजिए कि ये सब चन्नर बाबा के हैं।

“क्या सोच रहे हो?” भइया ने ध्यान भंग किया।

मैं ध्यान से उबरा। देखा भइया का चेहरा उदास था। “मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।” मैंने कहा।

“क्या ?”

“यही सब, जो कुछ हुआ है।”

“हा, यह सब तो इस दुनिया का सामान्य रूप है भाई।”

“बहुत क्रूर व्यक्ति है बच्चा बाबू, इनसे अच्छे तो इनके पिताजी है।”

“हा, सो तो ठीक है लेकिन बच्चा बाबू गुस्से में जिनने आगे है दया में उतने ही पानी। वे बना भी सकते हैं, बिगाड भी सकते हैं। इनके पिताजी न बनाते हैं, न बिगाडते हैं।”

“क्या मतलब ?”

‘मतलब यह कि बच्चा बाबू किसी को कुछ भी दे सकते हैं। उन्हें धन का बिलकुल लोभ नहीं है। वे अपने लिए भी धन खर्च करते हैं और दूसरो के लिए भी। वे सही अर्थों में राजा है। प्रजा इनके साथ ज्यादा लगाव अनुभव करती है। जिस खवास को उन्होंने मारा है उसे कई बीघे जमीन दे रखी है और लडकी या लडके के शादी-ब्याह में जो मागो, दे देते हैं। देखना, कल-परसों में खवास के प्रति कितनी करुणा बरसाते हैं।’

“सो तो ठीक है भइया, लेकिन आदमी को पहले आदमी तो समझना चाहिए। इतना पिटकर यह उनकी करुणा पा ही गया तो क्या हो गया ? जो घाव उसे लग गया है, वह उनकी करुणा से कम तो नहीं हो जायेगा ?”

“तुम तो जानते हो, भाई कि भूख की मार सबसे बडी होती है। ये मार खाकर भी यदि मालिक से कुछ पा जाते हैं तो खुश रहते हैं। अगर इनका सम्मान करो और भूखा रखो तो उमें पसंद नहीं करेगे।”

“तो क्या सभव नहीं है कि इन्हे भूखा भी न रखा जाय और इन्हे पीटकर इनका अपमान भी न किया जाय ?”

“नहीं, यह सभव नहीं है। अभी तो सभव नहीं दिखाई पड रहा है। कभी सभव होगा, मैं नहीं जानता। इस माहौल में यही सब होता रहेगा। जो खिलायगा, वह सब कुछ करेगा।”

मैं चुप हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि भइया की अपनी सोच क्या है ? रात को सोया तो यह दृश्य रह-रहकर उभरता रहा।

सवेरे फिर बच्चा बाबू ने बुलाया, “कहो कपिराज, समस्या की पूर्ति की ?”

वे बहुत प्रसन्न मूड में थे।

“नहीं बाबू साहब, अभी तो समय नहीं मिला।”

खवास का बाप आया, हाथ जोडकर बोला, “बबुआ, मोहना को तो बोखार आ रहा है। हुकुम हो तो मैं ही आज खिदमन में रहूँ।”

“बोखार आ रहा है ? अरे, साला इतना कमजोर हो गया है कि चार थप्पड में ही बोखार खा गया। जाओ, डाक्टर साहब के पास जाओ, उसकी दवा कराओ। यहा का काम चल जायेगा। रामअवध, इसे पचीस रुपये दे दो।”

भइया ने टेंट से पचीस रुपये निकाले और उसे दे दिये ।

खवास का बाप जैसे एहसान से लद गया और झुककर सलाम बोलते हुए जाने लगा । “और सुन ।” वह खडा हो गया, “तेरे पहुना-बहुना होंगे ही । यहां से कटहल लेता जा तरकारी के लिए । कुछ आलू-वालू भी ले ले । अनाज न हो तो अनाज भी लेता जा । और देख, भीतर चला जा, दुलहिन ने मोहना की बीबी के लिए एक साड़ी रखी है, ले ले ।”

मोहना का बाप जैसे दया के बोझ से लद गया । वह बार-बार झुक-झुककर सलाम करता रहा और आंखों में कृतज्ञता का भार लिए वहां से चला गया ।

भइया ने अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा । मैं मुस्कराया ।

“हां तो कपि जी, आप यहां है ही, उस नवरात्र में कोई कवि-सम्मेलन कर दिया जाय तो कैसा रहेगा ?”

“ठीक है; जैसी आपकी मर्जी ।”

“रामअवध, मैं मोचता हू कि रामनवमी के दिन यहां कुछ धूमधाम हो जाय ।”

“ठीक है बबुआ ।”

“एक ओर दगल हो, एक ओर कवि-सम्मेलन, एक ओर नौटंकी हो, एक ओर कीर्तन ।”

“लेकिन एक ही दिन कैसे होगा ?” भइया बोले ।

“अरे, रहे बुद्ध के बुद्ध ! अरे, कई दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा । एक दिन एक प्रोग्राम ।”

“लेकिन रामनवमी एकदम करीब आ गयी ।”

“तो पूर्णमासी के आसपास रख लेते हैं ।”

“बबुआ, पैसे तो बहुत लगेंगे, इतनी जल्दी इंतजाम कैसे होगा ?”

“तो तुम किस मर्ज की दवा हो ? लगान-वसूली का टाइम है ही । बस, इतना याद रखो कि यह काम होना है ।”

फिर वह काम हुआ । दूसरे दिन में ही बाबू साहब क मुस्टंडे सिपाही लाठी लेकर गांव की ओर चल पड़े और घसीट-घसीटकर किसान दरबार में हाजिर किये जाने लगे । चारों ओर हाहाकार मच गया । भइया की सारी मानवता जैसे बाबू साहब के सामने मुर्गा बनी खड़ी थी और भइया के आगे सारे किसान मुर्गा बने खड़े थे । भइया के सामने बाबू साहब का आदेश था कि किसी भी प्रकार पैसा तो वसूल करना ही है । सो पैसा वसूल हो रहा था । कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ । जिनके पास अच्छी फसल थी, उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, किंतु जिनकी थाली-मी फसल लेनदारों द्वारा खनिहान में से उठा ली गयी हो, वे क्या करें : रहा-सहा अनाज भी बेचकर लगान दे रहे थे । जिनके पास कुछ भी नहीं था, मार खा रहे थे या अरतन-बरतन बेचकर लगान चुका रहे थे ।

मैंने भइया से कहा, “यह क्या हो रहा है ?”

“मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह सब मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन यहां रहना

है तो यह सब करना ही पड़ता है।”

“फिर भी ?”

“फिर भी-विर भी कुछ नहीं, कोई और रास्ता मेरे सामने नहीं है।”

“ज्या कवि-सम्मेलन और कीर्तन किसानों के खून से चिपचिपाते हुए पैसे पर ही होंगे ? कुश्ती और नौटंकी हो, तो कुछ अजब नहीं लगता।”

“कुछ भी नहीं होगा,” भइया ने कहा और सचमुच उत्सव के लिए नियत दिन से पूर्व एक दिन देखा कि बच्चा बाबू छावनी से जाने की तैयारी कर रहे है। और दूसरे दिन चले गये। मुझे लगा कि किसानों के हाहाकार के बाद और उत्सव के पहले का एक मन्नाटा चारों ओर पसर गया है लेकिन शीघ्र ही सहजता का स्वर उग आया। भइया की ननावपूर्ण मुद्रा में असाभियों के लिए आत्मीय भाव फिर तैर आया। रामनवमी का त्योहार आ गया और उसके साथ ही गांव से यह संदेश आया कि प्लेग हट गया है। मैं गांव लौटने की कल्पना से भीतर-भीतर महक आया और एक रात भइया और उनके साथी रामनारायण लाल के साथ गाड़ी पर सवार हो गया। गाड़ी पर सवारी का यह दूसरा अवसर था इसलिए घर लौटने के उत्साह के साथ गाड़ी पर चढ़ने का उत्साह भी शामिल था। गाड़ी चली जा रही थी और मेरा जी होता था कि गाड़ी चलती रहे। नरदार नगर उतरकर हम लोग तरकुलहा के मेले में पहुंचे। रामनारायण लाल रंगीले जीव थे उनकी रंगीली बातें और रसीले गाने सुनकर मुझे विश्वास नहीं होता था कि यह भइया के बहुत अच्छे दोस्त है, मगर थे, और कौन जाने, भइया के संन्यासी हृदय के भीतर भी कही एक रामनारायण लाल रहा हो। तरकुलहा पहुंचकर वे लोग रुक गये और मैं घर लौट गया। घर लौटा तो गांव पूरे वेग से मुझमें समा गया। चैत को गांव प्लेग के बाद एक नयापन लिये लगा लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था, ‘पना नहीं इम बार कौन-कौन चला गया है और उससे मुलाकात न हो।’

6

कुछ भी क्रम से याद नहीं है, सब कुछ एक चक्र के रूप में ही मन में आता है—घूमता हुआ, एक-दूसरे में गड़ु-मड़ु होता हुआ। यों तो मेरे माथ गांव के और स्कूल के बहुत-से लड़के थे किंतु मित्र के रूप में कुछ ही याद आ रहे है जो या तो अब रहे नहीं या बड़े होकर कई कारणों से विमुख हो गये। यों मेरा स्वभाव बडी भीड़ से सटने का नहीं रहा है। तमाम लोगों से सटा भी कैसे जा सकता है। उनके बीच रहा जा सकता है, उनके साथ सुख-दुःख जिया जा सकता है किंतु सटने का अर्थ होता है अंतरंग होना। अंतरंगता यदि नाटक नहीं है तो सचमुच उसका दायरा सीमित होता है जिसमें हम अपने, कुछ बहुत अपने लगने वाले लोगों के सामने अपने को खोल देना चाहते हैं जिनके बिना हम अधूरा-अधूरा अनुभव करते हैं। भावना और दर्शन के स्तर पर पूरा देश और पूरा विश्व अपना

हो सकता है किंतु अंतरंग अनुभव के स्तर पर एक छोटा-सा संसार ही हमारा अपना हो पाता है और उसी संसार के सुख-दुःख की गहन प्रतीति बड़ी होकर देश के और संसार के सुख-दुःख की प्रतिनिधि बन जाती है। लेकिन यह भी सही है कि हम छोटे-से अंतरंग संसार की सृष्टि बाहरी जगत् के साथ अपने लगाव से ही करते हैं इसलिए वह निरंतर बढ़ा होता रहता है और बदलता भी रहता है। अनुभव के आधार पर बना हुआ हमारा अपना संसार ज्यों-ज्यों बढ़ा होता रहता है, त्यों-त्यों हमारा अपना जीवन और हमारी रचनात्मकता ममृद्ध होती रहती है और बड़े संसार की प्रातिनिधिकता की शक्ति प्राप्त करती रहती है।

मित्रता का आधार होता है समान स्तर और समान मानसिकता। एक-दूसरे से मिलने में यदि हमारे मन में अमीर-गरीब या बड़ी जाति-छोटी जाति आदि का भाव उभर जाता हो तो मैत्री नहीं बन पाती। छोटे या बड़े की भावना तो मैत्री के लिए दीवार है। इसी प्रकार यदि हमारी मानसिकता में बहुत अंतर हुआ—यानी एक अत्यंत क्रूर हुआ, दूसरा अत्यंत सहृदय; एक खूली प्रकृति का हुआ, दूसरा बंद प्रकृति का; एक लंपट हुआ, दूसरा सदाचारी तो मैत्री नहीं बन पाती, साथ बन जाता है। मानसिकता के समान होने का अर्थ एक-दूसरे का पर्याय होना नहीं है बल्कि बुनियादी मानवीय भावनाओं का उपस्थित होना है। लेकिन मैत्री या अंतरंगता के लिए एक तीसरी और बहुत जरूरी चीज होती है—एक साथ रह पाने की परिस्थिति। साथ रह पाने की स्थिति यानी एक परिवेश ही हमें एक-दूसरे से जोड़ता है, परिचित कराता है और तभी हम अपने स्तर और मानसिकता की अनुकूलता या प्रतिकूलता के मुताबक एक-दूसरे के अंतरंग बनते हैं या विमुख हो जाते हैं।

हम लोगों का परिवेश एक ही था—गांव का परिवेश, स्कूल का परिवेश। हम एक-दूसरे के साथ पढ़ने जाते थे, खेलते-कूदते थे, खेतों की ओर जाते थे, यानी परिवेश की सामान्यता हमें एक-दूसरे से मिलती रहती थी। स्तर भी एक ही था—गरीबी का स्तर। बस, सवाल मानसिकता का था। मेरी मानसिकता भी अजीब है। वह एक ओर समाज का अंग बनना चाहती है, दूसरी ओर कहीं बहुत निजी हो उठती है। इसलिए मैं किसी से मिलता-जुलता हूँ तो अपनी मस्ती से। किसी काम से या दोस्ती बनाये रखने के लिए मैं लगातार किसी से मिलता रहूँ, यह मुझसे नहीं हो पाता। शायद तब भी नहीं हो पाता था। एक तरह से लड़कों की भीड़ में भी अकेला था। लड़कों की एक जमात थी, जुड़ी रहती थी, तरह-तरह के राग-रग करती थी किंतु मुझे शामिल नहीं किया जाता था, मैं पहुँचता तो वे कुछ ठंडे पड़ जाते थे। शायद वे मेरी मानसिकता से मेल न खा पाने के कारण मुझसे कटे रहते थे। फिर भी मेरे मित्रों की एक छोटी-सी दुनिया थी जिसमें शामिल थे दीनानाथ, ब्रजनाथ, छेदीराय, काशीनाथ, कपिलदेव। ये मेरे सहपाठी भी थे और मित्र भी। कपिलदेव तो काफी दूर तक मेरे सहपाठी रहे और हम दोनों बहुत ही अभिन्न रहे; पढ़ने-लिखने में प्रतिस्पर्धी भी किंतु बाद में वे राजनीति की ओर गये तो चलते ही गये। भौगोलिक दूरियों ने तो हमें अलग किया ही किंतु उनकी राजनीति ने और धरेलू राजनीति ने शायद ज्यादा दूरी पैदा कर दी। दीनानाथ गरीबी से मर गये।

काशीनाथ रंगून से भगदड़ पड़ने के समय रास्ते में पैदल चलते-चलते बीमारी से मर गये। ये दोनों मित्र बहुत याद आते हैं; अक्सर सपनों में आते हैं, बातें करते हैं और सपने में लगता है कि ये मरे नहीं थे, खो गये थे, लौट आये हैं। सपना टूटने पर मन अवसाद से भर जाता है। छेदीराय विदूषक थे और हैं। गांव जाने पर कभी-कभी मिल जाते हैं। ब्रजनाथ गोरखपुर में पढ़ा रहे हैं और उनकी सारी प्रतिभा घरेलू परिस्थितियों की चोट से ठंडी पड़ गयी। वे और रामलला अपने समय के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे किंतु रामलला को हाई स्कूल के बाद नौकरी करनी पड़ गयी और ब्रजनाथ ने किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी तो रखी किंतु घर की विषम स्थितियों और गरीबी के दबाव में उनकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पायी और अंत में वे हाई स्कूल के शिक्षक बनकर रह गये।

ऐसा नहीं है कि मेरे मित्रों की मानसिकता ठीक मेरी ही मानसिकता जैसी थी, फिर भी हम मित्र थे क्योंकि अनेक भिन्नताओं के बावजूद हममें एक-दूसरे के सुख-दुःख को समझने और शरीक होने की तड़प थी। ये सभी लड़के मेरी अपेक्षा अधिक बहिर्मुखी थे। मुझमें बचपन से ही संकोच बहुत रहा, शायद यह जन्मजात था जिसे अभावग्रस्त स्थितियों ने अधिक गहरा दिया था। गायद मुझमें भले-बुरे की विचारशक्ति भी थी जो गुरु से ही मुझे दूसरों का माल हड़प लेने या तोड़ देने, दूसरों का अकारण नुकसान कर देने, किमी अश्वन को सताने आदि की क्रिया में रत होने नहीं देती थी। लड़कों की जमानत प्रायः अपने भीड़-निर्णय में मुझे शरीक नहीं पाती थी, इसलिए कटी रहती थी।

एक घटना याद आ रही है। बाढ़ आयी थी। लोमड़ी, मियार आदि जानवर गाव में घुमकर झुंड-झाटियों में छिप गये थे। एक लोमड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गये। मेरे कुछ साथी कुत्तों को ललकारते हुए लोमड़ी के पीछे दौड़ने लगे। मैं उन्हें रोकता हुआ उनके पीछे-पीछे भागने लगा। लेकिन हिंसा के सामूहिक आनंद में कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था और अंत में लोमड़ी को कुत्तों ने पकड़ लिया और बेरहमी से चीथने लगे। मैं उदास-उदाम लौटा तो मेरे पड़ोसी बुजुर्ग मुझे डाटने लगे, “शरम नहीं आती तुम्हें। लोमड़ी ने क्या बिगाड़ा था? क्यों उसे कुत्तों में मरवा दिया?” मैंने उन्हें समझाया कि मैंने नहीं मरवाया। वे अपनी स्वभावगत शैली में भड़क उठे, “तुम झूठ बोलते हो, मैंने खुद देखा है तुम्हें कुत्ते के साथ भागते हुए।” “आपने देखा है तो सही देखा है लेकिन मैं लड़कों को मना करता हुआ उनके पीछे-पीछे भाग रहा था।” लेकिन वे नहीं माने और अपनी धुन में गरजते रहे। मैं भी गगजने लगा। बड़े लोगों ने डाटा कि बड़े लोगो का लिहाज करना चाहिए। इस तरह बहम करना बदतमीजी है। सबको अपने खिलाफ देखकर मैं भीतर-भीतर कुढ़ता वहां से हट गया और बड़े लोगों के बडप्पन से आहत होंकर इधर-उधर घूमता रहा। रात को सोया तो नीद नहीं आयी। एक ओर कुत्तों द्वारा चीथी जाती हुई लोमड़ी का दृश्य आगे आता था, दूसरी ओर बड़े लोगो के झूठ द्वारा चीथी जाता हुआ सत्य। कई दिन तक मैं अपने मित्रों से नहीं बोला लेकिन आखिर कब तक यह अमबोला चलना। एक दूसरी बात भी थी—वह यह कि लड़के प्रायः रूमानी रंग के थे। वे उस छोटी उम्र में भी लड़कियों की चर्चा किया करते थे।

मुझमें यौन भावना की जागृति बहुत बाद में हुई। लड़के मुझे नीरस या संयत समझते थे इसलिए वे अपने बहुत-से क्रिया-कलापों में मुझे शरीक करने में उत्साह नहीं अनुभव करते थे बल्कि मुझसे कटते थे। हां, जहां पढ़ाई-लिखाई की बात हो या खेल-कूद हो वहां तो मेरा होना जरूरी होता था। मैं मोटा-झोटा था, गदगदा-सा। खाता-पीता भी जमकर था—अपनी उम्र के लड़कों से मेरी कुश्तियां भी होती थीं। किमी ने मेरा नाम दधिवल रख दिया था। मैं कल्पना करता हूं कि मैं अपनी अरुमानी प्रकृति और उपर्युक्त हुनिया के कारण कैसा दीखता रहा हूंगा। जब लड़के (विशेषतया मुझसे थोड़े-मे जूनियर लड़के) खेल खेल रहे होते और मैं पहुंच जाता तो एकाएक हल्ला होता, “आइल दधिवलवा, आइल दधिवलवा।” और वे भाग खड़े होते। मैं दो-एक को दबोच लेता या खड़ा-खड़ा हंसता रहता। एक दिन स्कूल से दोपहर की छुट्टी में घर लौटकर भूजा भुजाने के लिए घुड़साल जा रहा था कि छेदीराय के मकान के उस ओर से आवाज आयी, “आइल दधिवलवा।” मैंने देखा—रामलला हैं और कई लड़के उनके साथ हैं। मैं भूखा था इसलिए काफी गुस्से में था। मकान के इस ओर खड़ा हो गया और ललकारा। दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी। मेरा एक पत्थर रामलला को लगा और उनका सिर फट गया। वे चिल्लाते हुए घर की ओर भागे और मैं स्कूल की ओर भाग गया। तब से यह नारा कम पड़ गया।

लड़के लड़कियों की बातें करते थे, उनके संबंध की बातें करते थे किंतु मेरे मन में लड़की का कोई अलग से बिंब नहीं उभरता था। वे अलग जाति की हैं, यह मुझे महसूस नहीं होता था। इसलिए जब कभी उनसे कहा-सुनी होती, मैं उनका लिहाज नहीं करता। वे गाली देती तो गाली सुनती और रोती हुई घर जाती और मैं निश्चिन्त घूमता रहता। जब उनके घर से उलाहने आते तो मां या पिताजी भी मुझमें पूछते, “तुमने उन्हें क्यों गाली दी है?” मैं कहता, “उन्होंने क्यों गाली दी है?” “बेटे, वे लड़कियां हैं, उन्हें गाली नहीं देते।” “और लड़के उनकी गाली सुनने के लिए हैं। मैं नहीं सुनता उनकी गाली-वाली। हां, उनसे कह दीजिए मुझसे न लगा करें।” न जाने क्यों मुझे लड़कियों के संपर्क में एक घुटन महसूस होती थी, शायद इसलिए कि वे अपने को कुछ अनिश्चित महत्त्व देती थी और मैं सर्वत्र एक खुले व्यवहार का आकांक्षी रहा हूं। यह अजीब बात है कि मैं अपने व्यवहार और लेखन में नारी-शोषण का कट्टर विरोधी रहा हूं, किंतु उनसे कभी मेरी अंतरंगता स्थापित नहीं हो पाती। कारण सामाजिक है। वे जिन माहौल में पैदा होती हैं, पलती हैं, संस्कार पाती हैं, वह उन्हें खुलने नहीं देता। नारी स्वभावतः अपने में बंद होती रहती है, यह माहौल उन्हें और बंद कर देता है। किंतु बंद रहना तो मानव-स्वभाव नहीं है। वह खुलना भी चाहता है। खुलना और बंद होना (खुलकर भी बंद रहने की कोशिश करना या बंद रहकर खुलने की कोशिश करना) नारी का स्वभाव है। वह खुलते-खुलते कब बंद हो जायेगी, वह कुछ कहते-कहते कब उसी का विरोध करने का आभास देने लगेगी, वह प्रेम का संकेत देकर अपनी ओर बढ़ने वाले को कब फटकार लगा देगी, वह अनुरक्त होते-होते कब विरक्ति से मुंह बिचका लेगी, जानना मुश्किल है। जिन्हें यह सब जानने की फुरसत हो या जिन्होंने इसमें

विशेषज्ञता प्राप्त कर ली हो या जिनका स्वभाव ही खट्टा-मीठा सहकर भी प्रकृतिस्थ बने रहने का नाटक करने का है, वे यह सब करें और वे करते भी है। वे प्रेम या कई-कई प्रेमो की प्रक्रिया से गुजरने है और सही-सलामत रहने है, दूसरे पक्ष की सलामती खतरे मे पडती रहती है, यह और बात है।

लेखक के तौर पर मानसिकता की इन पेचीदगियों का सामना करता हू, उनसे गुजरना हू लेकिन व्यक्ति के तौर पर इनका सामना नहीं कर पाता। मैं महिला मित्र नहीं बना सका। जब भी किसी के सपर्क मे आया, कुछ ही दिनों बाद एक अम्बाभाविकता-सी महसूस होने लगी। उनकी अतिरिक्त नारीयता के दिखावे मे मैं अप्रकृतिस्थ हो उठा और अपनी राह लगा। हा, जिन महिलाओं मे मन का खुलापन दिखाई पडा वहा मैं ठहरा। नगा कि यहा नारी-पुरुष नहीं; हा, अकुठ व्यक्ति आमपास है। यहा मैं मा, बहन, बेटी, चाची, दादी आदि के प्रसंग मे स्त्री की चर्चा नहीं कर रहा हू, केवल सम-वयस्क साथी या प्रेमिका के रूप मे कर रहा हू।

प्रेम की बात फिर कभी होगी, यहा तो मुझे केवल इतना ही कहना था कि मैं अन्न स्वभाव के कारण मित्रों की भीड नहीं जमा कर सका, चाहे वे पुरुष रहे हों चाहे स्त्रिया। आज तक वह नियति झेल रहा हू। अब भी कुछ चुने हुए मित्र ही है। जब कभी किसी समारोह मे या काफी हाउम आदि मे पहुच जाता हू और अपने किसी मित्र को नहीं पाता हू तो मेरे लिए समय काटना कठिन हो जाता है। लोग है कि यों ही एक-दूसरे मे घटो बाते करते रह जाते है, पना नहीं कहा-कहा स प्रसंग दूड लाते है और बिना किसी सपृक्ति के सपृक्ति का नाटक करते रहते है।

मेरे साथियों मे और कई लोग थे—सतप्रसाद, रामनिधि, जोखू तेली। तब सभी केवल साथी थे, सहपाठी थे। हम किसी के भविष्य से परिचित नहीं थे। सभी शिक्षा के क्षेत्र मे कुछ दूर चलकर रुक गये और बिखर गये। अब मैं इनका सहपाठी और साथी नहीं रहा, आदरणीय हो गया हू। कितनी तक नीफदेह बात होती है साथियों के बीच आदरणीय बन जाना। मैं इनके बीच इनका होकर जीना चाहता हू किंतु वे मुझे उम रूप मे स्वीकार नहीं कर पाने। मुझे अभी भी लगता है, सतू ने अपने मोटे गुजटे मे मुझे मार दिया है, मिग से खून बह रहा है और उमकी मा अपने उहड बेटे के बचाव के लिए मुझे पैसा दिखा रही है, "ए बाबू, घर मन कहना कि सतू ने मारा है, ई पइसा ले लो, कह देना गिर गया था।" और मैं पैसा फेककर रोता हुआ घर चला जाता हू। और दोनो घरवालों मे खूब तकगार होनी है। मुझे याद है कि हम लोग खेन मे रात को रामलीला का खेल खेल रहे होते है। मैं राम बनता हू और ब्रजनाथ को लक्ष्मण बनाना हू। रामनिधि लक्ष्मण बनना चाहते है किन्तु मैं उन्हें कुछ और बनाना चाहता हू। मुझ पर तो उनका वश चपता नहीं है, वे ब्रजनाथ पर पिन पडते है और पकड़कर मारने लगते है। मुझसे नहीं रहा जाता और मैं रामनिधि को पीटना शुरू करता हूँ और दूसरे दिन रामनिधि मेरे बेडे में जाकर मेरा नीबू का पेड काट आते है। याद आता है, रात को स्कूल जाते समय दीनानाथ के घर पर मेरे पाव के तलवे मे बिच्छू काट लेता है और रामनिधि अपने मुह से उसके विष को चूस रहे होते है। ब्रजनाथ बहुत कमजोर बालक

थे, इसलिए जिसका जी चाहता था उन्हें पीट देता था और मैं यदि वहां होता तो मेरा खून खील जाता और पीटने वाले पर मैं पिल पड़ता। मुझे याद आ रहा है, संतू किसी बात पर जोखू तेली को खदेड़ रहे है और जोखू तेली घडरोज की तरह भाग रहे है। याद है, केशव ने खेत में मुझे पटक दिया है और मारने वाले है कि मझले भाई आ जाते हैं और वे केशव को पटक देते हैं और मैं गुस्से से केशव की आख निकालने लगना हूं। याद है, बहुत बचपन में मैं एक मूठवाली काली छडी को घोडा बनाकर खेल रहा हूं। साथ में दीनानाथ भी हैं। किमी बात में कहा-सुनी होती है। वे मेरी बाह में दांत गडा देते हैं और मैं चीख उठता हू। ज्यों ही वे दांत हटाते हैं मैं अपनी काली छडी की मूठ उसके सिर पर दे मारता हूं और वे फटा हुआ सिर लिये चिल्लाते हुए घर की ओर भागते है तथा मेरे बाबा और दीनानाथ की मां मे खूब गाली-गलौज होती है लेकिन एक दिन बाद फिर हम लोग माथ खेलने लगते है। दीनानाथ बहुत गरीब थे लेकिन एक तरह से वे हम लोगो से अधिक समृद्ध थे खाने-पीने के मामले में। उनके पिता और भाई सराई मे घूमते थे और वहां से काफी अनाज-पानी लेकर महीनों बाद लौटते थे। लेकिन हम लोग दीनानाथ की मा और पिता से बहुत स्नेह पाते थे। दीनानाथ खाना खा रहे होते, तो उनकी मां हमसे भी खाने का आग्रह करती बल्कि जबरदस्ती खिलाती। उनके पिता सदानंद अपनी गरीबी मे भी बहुत हंसोड़, मजाकिया और मस्त थे। दीनानाथ को भी यह मस्ती मिली थी। सात पास करने के बाद वे पाच कोस दूर सरदार मिल में नौकरी करने लगे। प्रायः रोज आने-जाने लगे। क्षय रोग हुआ और वे दुनिया से चले गये। उनका जाना आज तक एक सदमे की तरह मुझमे शेष है। फिर तो धीरे-धीरे उनका पूरा परिवार ही उजड गया। मिडिल स्कूल मे मौलवी साहब ने रामनिधि को किसी बात पर इतना पीटा कि वे घर छोडकर भाग गये और बहुत दिनों बाद उनका पता चला। संतप्रसाद पढ़ने में असफल थे। धीरे-धीरे उनके परिवार की समृद्धि उडती गई और बचपन का निहायत बरिबंड और उड्ड लडका रोजी-रोटी की जुगाड़ मे असहाय घूमने लगा। जोखू तेली थोड़ा-बहुत पढकर अपने पुश्तैनी पेशे मे लग गये।

छेदीराय थोड़े समृद्ध परिवार के थे लेकिन पढ नहीं पाये और धीरे-धीरे उनकी माली हालत गिरती गई और नौकरी-चाकरी की तलाश मे परदेश निकल गये। छेदीराय बहुत बडे विदूषक थे। एक-एक गप्प सुनाया करते थे और मजाकिया हरकतें करते थे। छः-सात साल की अवस्था तक तो वे नंगे घूमते रहे। बाद मे दूसरो को नंगा करते रहे। लेकिन उनके नंगा करने में एक मासूम आनन्द था। मुझे लगता है कि यदि उन्हें अवसर मिला होता और वे पढ सके होते तो वे अच्छे गल्पबाज और व्यंग्यकार हुए होते या नाटक या फिल्म में अच्छे कामेडियन हुए होते। मेरे घर के पिछवाडे नरेश भाई का अमरूद का पेड़ था। बच्चे उम पर निशाना साधते ही रहते थे और नरेश की मां बडी चिडचिडी थी, आहट सुनते ही घर में से निकलकर गालियां देती बच्चों को खदेड देती थीं। एक थे सगम शुक्ल। वे दोनों पांव से विकलांग थे। घिसटकर हाथ वे बल चलते थे। छेदीराय ने उनमे कहा, “बाबा, अमरूद खाना चाहिए।” “लेकिन कैसे?” सगम ने कहा। “आप पेड़ पर चढ़ जाइये।” “अरे, तू पागल हो गया है क्या? मैं कैसे

चढ़ सकता हूँ ?” “आप चढ़ सकते हैं, मैं आपको कंधे पर उठा रहा हूँ, आप डाल पकड़ लीजिये और उम पर बैठकर खाइये और नीचे फेंकिये।” संगम राजी हो गये। छेदी ने उन्हें चढ़ा दिया। नरेश भाई की मां को आहट मिल गई। वे घर में से गाली देती हुई निकलीं। छेदीराय तो भाग लिये। संगम क्या करें ? वे डाल पर से लटक गये। लेकिन नीचे कूदें तो कैसे ? गादुर की तरह वे डाल पर लटके हुए थे। नरेश की मां ने उन्हें देखा तो त्रिस्मय से चिल्ला पड़ीं, “अरे मरकीनवना संगमवा, तू कैसे चढ़ गया ?”

“अरे पहले मुझे उतरवाइये, फिर बताता हूँ।” संगम दयनीय मुद्रा में विधिया रहे थे। उधर से कोई जा रहा था, उसने संगम को उतारा और उन्होंने कहानी बताई तो नरेश की मां छेदीराय की सात पुस्तों का नाम ले-लेकर गालियां देने लगीं और छेदीराय कहीं छिपकर हंस रहे थे।

बचपन के मित्रों की दुनिया बड़ी सघन थी। उनके साथ होना, उनका टूटना-बिखरना और उनसे अलग होना सभी कुछ तो जीवित है मेरे भीतर।

मेरे गांव में आजादी के आंदोलन की भी हलचल थी। हम लोग प्रायः प्रभान फेरियों में शरीक होते थे। कांग्रेस की या आर्य समाज की सभाओं में जाते थे। मेरे पिताजी, नरेश भाई, पोलर्ड हरिजन गांव के सुराजी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। और भी कई लोग रहे होंगे जो ठीक से याद नहीं आ रहे हैं। हां, दूसरे गांवों के कई छोटे-छोटे नेता हमारे गांव में आते थे, मिल बैठते थे, योजनाएं बनाते थे और किसी सभा-सोमाइटी में जाते थे। गांव में कुछ खाते-पीते लोग या तो सरकार के पिट्टू थे या तटस्थ थे। वे गांव के इन सुराजियों पर फब्तियां कसते थे और अपने स्वार्थ साधन में चुस्ती से लगे रहते थे। नरेश भाई विचित्र व्यक्तित्व के स्वामी थे। लंबे काले शरीर के नरेश भाई हिंदी लिखते थे, उर्दू लिखते थे, बंगला लिखते थे, संस्कृत भी बांचते थे। वे पंडिताई भी करते थे और गृहस्थों का सारा काम भी जानते थे। गुस्से में आते थे तो कुल्हाड़ी से घर का माग अरतन-बरतन तोड़ डालते थे और फिर सबको लादकर चोरी-चौरा बनवाने के लिये ले जाते थे। खिलखिलाते थे तो लगता था बच्चा खिलखिला रहा है। चेहरे पर एकदम मासूम आभा फैल जाती थी। क्रोध में आततायी और खुशी में बच्चा होने की कहावत उन्हें देखकर साकार हो उठती थी। वे भयानक कृपण थे। लड़की की शादी में चीनी में नमक मिलाकर बरानियों को खिला दिया था किंतु उदार इतने कि सुराजी काम के लिये अपने बड़े-से-बड़े काम का हर्ज कर बैठने थे। उनकी लंबी काया हाथ में तिरंगा झंडा लिये चलती तो लगता कोई पेठ चल रहा है और हम उनके पीछे-पीछे गीत गाते चलते रहते :

हम चरखे से लेबें सुराज
हमार कोई का करिहैं

या

मोरे चरखे का टूटे न ताग
चरखवा चालू रहे।

पोलई हरिजन भी बहुधंधी व्यक्ति थे लेकिन सुराजी कामों के लिए उनके पास समय था। वे गांव के गोड़इत थे। गोड़इत के नाते वे गांव-भर के नौकर थे। डुग्गी पीटना, चौकीदार बनकर थाने जाना, कहीं कोई संदेश ले जाना, होली और रामनवमी के दिनों में नगाड़ा बजाना आदि उनके सार्वजनिक काम थे। वे किसी के हलवाहे भी थे और उनकी एक नाच-मंडली भी थी जिसमें वे मृदंग बजाते थे। बहुत मशहूर मृदंगिया थे। लबे-मे साफे की पूछ उनकी छोटी काया के पीछे लटकती रहती और जब वे मृदंग बजाते हुए घूमने तो उस पूछ का नर्तन देख-देखकर हम बच्चे बहुत खुश होते थे। ये पोलई उर्फ पोलादन अपना काम-धाम छोड़कर सुराजी कामों में भाग लेते थे। कभी-कभी उन्हें अपने किमी क्रूर और सरहंग मालिक में ताड़ित भी होना पड़ता था, “सरऊ, सुराजी बने हुए है, सुराज लेगे। राजा बनेंगे। तब पता नहीं हल कौन जोतेगा?” पोलई मार-गाली सह लेते थे लेकिन सुराजी कार्यों से हाथ नहीं खींचते थे।

तब मैं इतना विस्फ्लेषण-क्षम कहां था कि सुराज का वास्तविक अर्थ समझना लेकिन जब एक आर्य समाजी गाता था :

भारत में होइहैं सुरजवा हो मन रजना लाल
गोहुवां क रोटिया रहरिया क दनिया
घिव डारि करबें भोजनियां हो
मन रजना लाल

तो समझ में आता था कि सुराज का मतलब है हर आदमी को ढंग का खाने-पीने को मिले। यह क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि हम पराधीन हैं और पराधीनता क्या होती है :

कवन सुख समझूं मैं तोर सरकार, कवन सुख समझूं
मरि-मरि किसान लोगवा अन्न उपजावे लें
बइठल खाला ओही मेमिनियां क भतार
कवन सुख समझूं मैं...

किसान अन्न उपजाते हैं तथा अंगरेज और उनके दलाल जमींदार बंटे खाते हैं। यही तो पराधीनता है। गानेवाले ने कैसे साफ शब्दों में पराधीनता की व्याख्या कर दी है। मेरे बाल मन में पराधीनता और स्वतंत्रता की एक तस्वीर उभर जाती थी। जब पोलई को झंडा लिये सुराजी आंदोलन में भाग लेते देखता तो लगता कि जब सुराज होगा तब पोलई पोलई नहीं रहेगे, चमरोटी चमरोटी नहीं रहेगी। ये गोबरहा नहीं खायेंगे, मरे जानवर का मांस नहीं खायेंगे, मरे सूअर नहीं खायेंगे, चूहे नहीं खायेंगे और छोटे-बड़े जमींदारों की मार नहीं खायेंगे। इनके पास भी एक छोटा-मोटा साफ-सुथरा घर होगा, इनके पास भी कुछ खेत होंगे, इनके बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे और इनकी बहू-बेटियों की इज्जत इज्जत मानी जाएगी। दिनई, कोदई, दुघई, बेलास, संतू, भगेनू, झिलमिट, फेंकू सभी हरिजनों की दीनहीन आकृति—अपमानित होती हुई आकृति मेरे

मन में उतर आती और सुराज के पार एक नये स्वस्थ सुंदर रूप में उभर जाती। कब आएगा वह दिन ? अभी तो हरिजन क्या ब्राह्मण और ठाकुर ही गरीबी और जहालत के बोझ से दबे हुए हैं। फिर भी इन्हें हरिजनों से ऊँचा स्थान तो प्राप्त है, हरिजनों की बहू-बेटियों में खेलने की सुविधा तो इन्हें है।

हा, हरिजनों की बहू-बेटियाँ गाँव में काम करती थीं, खेत काटती थीं, मिट्टी ढोती थीं, सोहनी करती थीं और बहुत-से काम करती थीं। गाँव के मनचले लोग उन्हें छेड़ते थे। और न जाने क्या-क्या करते थे। कुछ हरिजन औरतें तो स्वभाववश या मजदूरीवश हसकर इन चीजों को स्वीकार कर लेनी थीं और एक उपहास के साथ इनकी चर्चा गाँव में गूजती रहती थी और मनचले लोग इस चर्चा का लाभ उठाया करते थे किंतु कोई तेजस्वी लड़की या औरत जब अपने साथ हुए दुर्व्यवहार से फनफना उठती थी तो एक तमाशा खड़ा हो जाता था। यदि व्यक्ति जोरदार हुआ तो उसकी फनफनाहट आतंक के नीचे कुचल दी जाती थी, यदि व्यक्ति गरीब हुआ तो कुछ कहा-सुनी के साथ मामला रफा-दफा हो जाता था। इन सब कामों के लिए हरिजन लोग ब्राह्मणों को दंडित करे, अभी यह स्थिति नहीं आयी थी। हरिजनों या पिछड़ी हुई जातियों की कई औरतों का कुछ ऐसा चरित्र होता था कि गाँव में वे किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बनी होती थीं। ऐसा लगता है कि हरिजनों या पिछड़ी हुई जातियों की औरतों की कैमी भी चर्चा करना कोई अजीबोगरीब बात नहीं थी। बड़ी आसानी और सुविधा में किसी भी प्रसंग में इनकी चर्चा की जा सकती थी। दूर गाँव से एक हरिजन हमारे गाँव में बसने के लिए आया। वह बेटिहा गाँव से आया था अतः वह हमारे गाँव का साला या ससुर हो गया और उसकी जवान सुन्दर बेटियाँ बहुत आसानी से सबकी सालियाँ बन गईं। बस क्या था ? उनसे मजाक होने लगा और फिर धीरे-धीरे वे लड़कियाँ साली की नियति झेलने के लिए अभिशप्त हो गयीं। एक की जिन्दगी में तो इतने उतार-चढ़ाव आये कि वह अंत में न जाने क्या हो गयी। एक थी रहकली गडोहरन। वह स्वभाव से बहुत खुली हुई और मजाकियाँ थी। उसका इस्तेमाल अतिथियों का या स्वयं गाँव वालों का मनोरंजन करने के लिए होता था—यानी उससे कहा जाता तो फरुवाही (अहीरो का नृत्य) करती, तरह-तरह के मजाक करती और हँसती रहती। मुझे वह औरत कम, पुरुष ज्यादा लगती। वह स्वयं मनोरंजन का साधन बनने में अपनी सार्थकता ममक्षने लगी थी। एक नाइन बहू के रूप में आयी। बहुत सुंदर थी लेकिन नाइन थी। सुंदरता लेकर घर में बैठ तो सक्ती नहीं थी। गाँव में काम पड़ता था। मजाक का पद तो था ही अतः गाँव के तमाम मनचले लोग राल टपकाते हुए उससे शाब्दिक छेड़छाड़ किया करते। इससे ज्यादा की छेड़छाड़ तो तब तक संभव नहीं है जब तक दूसरा पक्ष भी सहमत नहीं हो या पुरुष पक्ष जबरदस्ती न करने लगे। नाइन, घोबिन, कहारिन, चमारिन सबको गाँव वालों के शब्दों से अपमानित होते देखा था। यह बात और थी कि वे सब परंपरा से इस छेड़छाड़ की अभ्यस्त होने के कारण इसे अपमान मानना भूल बैठी थी या अपमान मानने का बोध ही पैदा नहीं हुआ था। कभी-कभी उनके साथ बड़ी जातियों के लोगों के बलात्कार के सदृश उभरते और वे उससे छटपटातीं

तो वे संदर्भ हंसी-मजाक के साथ दबा दिये जाते। हाँ, यदि उनकी ही जाति का कोई व्यक्ति औरत की रजामंदी से भी उसके साथ आशनाई करता हुआ पकड़ा जाता तो उसकी पिटाई होती, थानेदार आते और उनके हुजूर में स्त्री और पुरुष दोनों अपमानित-से बैठे होते। सिपाही लोग औरत पर बीभत्स नजरें फेंकते रहते और रह-रहकर पुरुष की पिटाई होती रहती। मेरे किशोर मन में सुराज-आंदोलन यह सपना उठाता कि सुराज मिलने पर यह सब नहीं होगा।

औरत का एक पक्ष और मेरे सामने आता रहता। वह ब्राह्मणों के यहां भी दिखाई पड़ता और हरिजन या पिछड़ी जातियों के यहां भी। कह था उनकी पिटाई। औरत को पीटना पुरुष का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। इस पिटाई के पीछे कुछ ठोस कारण भी हो सकते हैं किन्तु मुख्य कारण यह है कि पुरुषों को घुट्टी में पिलाया जाता है कि औरत दाब से, मारने-पीटने से ठीक रहती है, नियंत्रण न होने से बिगड़ जाती है। और तब पति और पत्नी में सीधे खुले संवाद तो हो नहीं पाते थे। रात को छिपकर वे मिलते थे। काम किया और अलग हो गये। काम-घाम से आने के बाद मां ने या बहन ने बहू की शिकायत की और पति का जूता या डंडा या थप्पड़ उठ गया। पति समझदार रहा तो बचा गया। लेकिन कब तक बचाएगा? रोज-रोज की शिकायत से तंग आकर या मां-बहन द्वारा 'जोरू का गुलाम' खिताब पाकर खून खौल ही उठेगा और पत्नी की घनाई शुरू हो जाएगी। पत्नी को अपना पक्ष स्पष्ट करने की भी छूट नहीं होती थी। छोटी जातियों में स्त्रियां इतनी दयनीय नहीं होतीं। वे बाहर निकलती हैं, पति के साथ खेत-खलिहानों में काम करती हैं, उनमें स्वावलंबिता की एक शक्ति होती है। उनमें पति को छोड़कर दूसरा पति कष्ट लेने की भी प्रथा है। इसलिए पति द्वारा कुछ कहे जाने पर सीधे टकरा जाती हैं। साथ ही किसी और से इश्क भी लडा सकती हैं या इश्क लड़ाने का संदेह पैदा कर सकती हैं इसलिए पति को गुस्सा होने के अवसर मिलते ही रहते हैं और गुस्सा सहज ही पिटाई में बदल जाता है। औरत हाथा-पाई कर तो सकती है, करती भी है लेकिन अपनी शारीरिक अशक्ति के कारण पिट जाना ही उसकी नियति है। मैंने ऐसे दर्दनाक दृश्य बचपन में भी बहुत देखे थे। छोटी जातियों की औरतें तो सताई जाने पर पति को छोड़-छाड़ देती थीं और किसी और का पल्ला धाम लेती थीं परंतु ब्राह्मणों के घरों की औरतें घिसट-घिसटकर मरने के लिए अभिशप्त थीं। गांव की दो औरतें ऐसी थीं जो रात को प्रायः मेरे घर आकर बैठ जाती थीं। मैं सवेरे उठकर देखता था और अचंभे से मां से पूछता था, ये कौन हैं? मां बताती और उनकी दुर्दशा का बयान करती। कुछ तो मैं भी जानता था, कुछ मां बताती। दरअसल वे औरतें मेरी मां के मायके की होती थीं। इसलिए घर की दुर्दशा से तंग आकर मेरे यहां कुछ दिनों के लिए बैठ जाती थीं। उनके साथ होनेवाले अमानवीय अत्याचार को सुनकर न जाने कैसा लगता। उन पर उनके घरवालों द्वारा तरह-तरह के लांछन लगाए जाते लेकिन मुझे तो वे औरतें मेरी मां की तरह की कर्षणा, प्यार और ममता से भरी देवियां ही लगतीं।

ऐसे अवसर पर मैं देखता—मां की आंखें प्रायः गीली हो ही आती थीं। मैं

पूछता, “क्यों रोती है मां ?” “बेटे, जब-जब ये मेरे घर आती हैं मुझे तुम्हारी बड़ी बहन याद आ जाती है।”

नारी-यातना की अनुभूति ने मुझे कुछ ऐसा झकझोरा था कि बेटे की विदाई का गीत सुनते-सुनते मैं रोने लगता था। अपने पास-पड़ोस में जब शादी के गीत उठते थे तो मैं चुपचाप कही पड़ा-पड़ा सुनता रहता था और जब

सातवीं भंवरीया ए बाबा

हम नाहीं रहली तुहार

जैसी पंक्तियाँ आती थी, मेरे आँसू झरने लगते थे। मेरी बहन या और अभिशप्त औरतें मेरी आँखों के सामने आ जाती थीं। किसी की बेटे की विदा हो रही है। भीतर मां रो रही है, बाहर पिता रो रहे हैं, डोली का बांस पकड़े भइया रो रहे हैं, सखियाँ रो रही हैं— लड़की पराई हो रही है।

भीतरे जे मइया रोवे

बहरे बबइया रोवे

डोलिया क बांस धइले भइया रोवे

बहिनी पराई भइली

मैंने विदा होती लड़कियों का और उनके परिवार-जनों का कष्टानंदन देखा था, उसके प्रवाह में पड़कर रोया था। लोकगीत उठकर उसी दर्द को छू लेते थे और दर्द झनझनाकर बह चलता था।

लोकगीत मुझे बहुत प्रिय रहे हैं। ये सीधे अनुभव से फूटते हैं और हाहाकार करते हुए भीतर तक पैठ जाते हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार के बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती है। मैं इसलिए लोकनृत्यों का बहुत शौकीन रहा हूँ। उत्तरप्रदेश, बिहार इस मायने में बहुत पिछड़े हुए प्रदेश माने जा सकते हैं कि ऊंची कही जाने वाली जातियों का न कोई जातीय नृत्य है न नाटक। वे लोकनृत्यो और नाटकों का रस तो लेते हैं किंतु उनमें स्वयं भागीदार नहीं होते। उम् छोटी जातियों का क्रिया-व्यापार मानते हैं। इसीलिए स्कूलों में या कुछ परिवारों में बच्चों के लिए सख्त हिदायत होती थी कि वे ये सब न देखें। हम दर्जा छः में थे। रात को स्कूल में पढ़ने गए थे। वहाँ से हम सभी बच्चे चुपके से एक राम मंडली द्वारा प्रस्तुत नाटक देखने चले गये थे। मवेरे मास्टर जी के हाथों हमारी खूब पिटाई हुई थी। पिट तो गये लेकिन पिटने का तर्क समझ में न आया। मेरे भइया भी इन सब चाजों में उदासीन थे और उदासीन करना चाहते थे लेकिन मेरा मन रमता था। मुझे आश्चर्य होता था कि जिन लोकगीतों को मुनकर मेरा मन पनपना उठता था, उन्हें मुनकर लोग मजा लेते थे और सच बात तो यह है कि नर्तक भी मनोरंजन पैदा करने के लिए गंभीर त्रासदियों में भी अश्लीलता या मजाक का पुट दे दिया करते थे। भिखारी ठाकुर का ‘विदेशिया’ उन दिनों खूब जोम पर था। हर नाटक-मंडली यह नाटक प्रस्तुत करती थी। पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार के तमाम लोग कमाने के लिए बंका, रंगून, सिंगापुर, कलकत्ता, अहमदाबाद,

बंबई जाते रहे हैं। उनकी औरतें घर के भीतर कई-कई साल तक अकेलेपन की यातना झेलती रही हैं। यही समस्या और यही दर्द इस नाटक में उठाया गया है किंतु नाटक के फूहड़पन में यह स्वर दब जाता था और लोग अपने ही घरों के दर्द से झनझना उठने की जगह पर नचनिया की कमर की लोच और फूहड़ सवादो का मजा लेते थे। फिर भी रह-रहकर दर्द उभरता था और मेरे जैसे लोगों को छू लेता था। मुझे याद है 'पियवा नशइल' का नाटक। विदूषक की भोडी भंगिमाओ के बावजूद अपने नशेडी पति से विनय करती हुई पत्नी का दर्द मुझे झकझोर जाता था। पति पत्नी के शरीर पर से पड़े कपड़े उतार रहा होता। साड़ी के बाद साड़ी; साड़ी के बाद साड़ी उतर रही होती और पत्नी अपने छोटे-से बच्चे को साथ लेकर पति से अनुनय करती होती :

बिक गइलें सगरो गहनवां, बसनवा से
अब काहे दहियो उघारे पियवा नशइल
लइका नदान रोवे भुखिया के मारे देख
गउवा क लोग ताना मारे पियवा नशइल ।

एक गीत और लहराता हुआ माहौल में गूजता। कई नतंक सखियों के रूप में नाचते-लहराते हुए आते और एक लहर की तरह गीत उठता-गिरता :

बाबा मोर रहतें त बगिया लगवतें
लोढन फुलवा जइती न ए यार गोइयां
बाबा मोर रहतें न सगड़ी खनवतें
भरन पनियां जइती न ए यार गोइया

और यह गीत चलता रहता। बाबा होते तो न जाने क्या-क्या करते? बाबा अब नहीं हैं; सारी साध उनके बिना अधूरी है। एक पितृहीन लड़की अपनी टूटी हुई साधों और अपने पर लदे अभावों के साथ खड़ी हो जाती। जिसके बाबा हैं उन लड़कियों का जब बुरा हाल है तो जिनके नहीं है उनका क्या हाल होगा? ज्यों-ज्यों मेरी ममझ बढ़ती गई, दर्द के ये अनुभव उतने ही चुभते गए और आज भी कम नहीं चुभते हैं।

कहाँ हैं ये लोकगीत? गांव जाता हूँ तो खोजता हूँ इन्हें, नहीं पाता हूँ। शादी-ब्याह में, मेले-हटियों में तीज-त्योहारों पर नाच-गान में गूंजने वाले लोकगीत कहाँ गये? अब तो उनकी जगह पर बाढ़ के गंदे पानी की तरह सिनेमा के उछलते हुए गाने गांवों में प्रवेश कर गए हैं और बजबजा रहे हैं। गीत अपनी घरनी को छोड़कर गायब हो गए हैं और बाहर से आयातित गीत अमरबेलि की तरह इस घरती के जीवन पर फैलकर उमका खून चूस रहे हैं और मुझे हरिजनों की नृत्य-मंडली द्वारा गाया जाने वाला मंगलाचरण याद आ रहा है :

पहिले सुमिरीं हम घरती माता हो जी के
दूसरे सिरिय भगवान मइया सरिघा

पहले घरती मां को स्मरण करने वाले वे लोकगीत कहाँ हैं ?

मेरा गांव न जाने कितने स्तरों पर मुझमें है, न जाने कितने स्तरों पर उसने मेरा निर्माण किया है, न जाने उसके वर्तमान और अतीत की कितनी जीवनधाराएं मुझमें जाने-अनजाने अपना वग और प्रभाव छोड़ती गयी हैं। न जाने उसके जीवन के बीहड़ जंगल में जीवंत चरित्रों के कितने पेड़ खड़े थे जो मेरे अनुभवों में और मेरे रचना-जगत् में समाते गए हैं। मेरा गाव उम पूरे जवार में अपने विचित्र चरित्रों के कारण बहुत सुख्यात या कुख्यात था। अभावों से भरी और प्राकृतिक सुषमा में लदी धरती ने न जाने कितने जीवंत चरित्रों की सृष्टि की थी। कुछ का सुना था, बाकी का साक्षात्कार किया था। आज जब उन्हें याद कर रहा हूँ तो वे मेरे अनुभव में उतरे हुए चरित्र के रूप में ही नहीं आ रहे हैं बल्कि विभिन्न पीढ़ियों के मूल्यबोध और जीवन-पद्धति के प्रस्तोता के रूप में भी उजागर हो रहे हैं और मेरे अपने समय की कई पीढ़ियों के आमने-सामने होकर उनके जीवन-मूल्यों और चेतना के स्वरूप का मूल्यांकन कर रहे हैं। वे अपढ़ गरीब थे। आज की पढ़ी-लिखी पीढ़ी की दृष्टि में वे उजड़ु थे। गंवार थे लेकिन क्या वे जीवन-विवेक-गन्ध भी थे? क्या अज्ञानी भी थे? मुझे ऐमा नहीं लगता। लगता है कि वे कहीं ज्यादा विवेकवान थे। जीवन को मही ढंग से जीने की समझ उनमें कहीं ज्यादा थी, उनमें एक निर्भीकता थी जो उजड़ु होते हुए भी कहीं अधिक मानवीय थी। वे कुंठा, संश्राम, अकेलापन, टूट-न ढोने वाले आधुनिक सभ्य पुरुष नहीं थे। वे भीतर से बाहर तक ध्रुवकृती हुई शलाका की तरह जीने वाले लोग थे।

एक थे सूरप्रसाद मिसिर। वे अंधे नहीं थे, शूर थे। बहुत बड़े लठैत थे। मेरे बाबा भी बहुत बड़े लठैत थे। एक बार दोनों में लाठी बजड गयी। मेरे बाबा की लाठी उनके सिर पर लगी। सिर फट गया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी पट्टीदारी के लोगोंने उन्हें पालकी में लादा और चल थाने की ओर। कुछ दूर जाने के बाद सूर-प्रसाद को होश आया। उन्होंने पूछा, “मुझे कहां लिये जा रहे हो?” “थाने।” पट्टीदारों ने कहा। सूरप्रसाद उठ बैठे, “रोको-रोको।” “क्या हुआ?” पट्टीदारों ने कहा।

“अरे बेवकूफो और डरपोको! हम दो भाई लड़े। संजोग था कि उसकी लाठी मुझे लग गयी। मेरी भी तो लाठी उसे लग सकती थी, तब क्या होता? चलो, चलो, वापस चलो।” और वे घर लौट आये। मेरे बाबा भी उनमें मिलने गये, उनकी दवा-दारू हुई। अच्छे हो गये। यह मानवीय मूल्य की ही बात नहीं थी, स्वाभिमान की भी बात थी। बहादुरों में स्वाभिमान न हो तो बहादुरी किम काम की। आगे बढ़कर झगड़ा शुरू करना और पिट जाने पर थाने की शरण जाना कायरों और मूल्यहीनों का काम है। कहने हैं, सूरप्रसाद एक बार अपनी ससुराल गये। वे पहुंचे तो अंधरा हो चला था। उनके ससुर दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, “कौन हो?” “तुम्हारा दामाद।” उत्तर मिला। किसी का दामाद होना इतना आसान होता है क्या? दामाद जितना ही प्यारा होता है, नकली दामाद बनने वाला उतनी ही बड़ी गाली। बस, क्या था, सूर के

ससुर उतर पड़े बरामदे से और दोनों में गुत्थमगुत्था हो गया। जब खूब पटका-पटकी हो चुकी तो आसपास के लोग आए और जब लालटेन की रोशनी में देखा तो चिल्ला उठे, “अरे, यह तो सूर पहुना हैं, इस घर के दामाद।” “अरे मैंने झूठ थोड़े ही कहा था। मैंने भी तो दामाद ही कहा था। ये लड़ पड़े।” सूर ने कहा और उनके ससुर ने पश्चात्ताप में सिर पीट लिया। उनका दोष नहीं था। वे बहुत दिनों बाद सिगापुर से लौटे थे, दामाद को पहचानते नहीं थे। दोनों धूल झाड़कर प्रकृतिस्थ हो गये, किसी को किसी से शिकायत नहीं रही, कोई ग्रंथि नहीं बनी।

सूर को मैंने नहीं देखा था लेकिन वृषभान मिश्र को तो देखा था और खूब देखा था बल्कि भोगा था। बहुत बरिबंड किस्म के व्यक्ति थे—बहुत हट्टे-कट्टे, ऊंचे कद वाले। उनका अस्तित्व बहुत ही आतंककारी था। संयोग या दुर्योग हमारा कोला उनके कोले से सटा हुआ था। वे बढ़कर हमारे कोले पर अधिकार जमाते जा रहे थे। पिताजी और उन्हें कई बार झगड़ते देखा था। कई बार तो हमारे कोले का छप्पर उजाड़कर उन्हें फेंकते हुए देखा था—ऐसे फेंकते थे जैसे होली में खरपतवार फेंक रहे हों। पिताजी अकेले थे। हम लोग छोटे-छोटे थे इसलिए उनकी कमजोरी भांपकर अक्सर लोग उन्हें दबा लेना चाहते थे। वृषभान चाचा तो स्वभाव से ही आतंककारी थे। वे किमी से टकरा सकते थे, टकरा जाते थे। उन्हीं से सटा हुआ घर चंद्रबली चाचा का था। दोनो पट्टीदार थे। चंद्रबली चाचा भी अपने समय के बीहड़ व्यक्ति थे। बाद में कोढ़ी हो गये थे और दरवाजे पर बैठे-बैठे आने-जाने वालों को गाली दिया करते थे। इसलिए इन दोनों चाचाओं के आतंक से उनके दरवाजे पर से गुजरना बहुत भयकारी व्यापार था। मेरे मन में भिरखू चाचा (वृषभान चाचा) की एक अनिष्टकारी मूर्ति बैठी हुई थी। मेरे पिताजी में और उनमें झगड़े होते ही रहते थे। सात-आठ दिन पहले भी हुआ था कि बाबू चंद्रभान सिंह ने पिताजी को बुला भेजा। उन्हें इस बात का रोष था कि पिताजी भाई साहब को उनके यहां नौकरी के लिए क्यों नहीं भेजते? वृषभान चाचा ने चंद्रभान सिंह के नौकर को पिताजी से बात करते और पिताजी को उदास होते देखा तो पूछा, “क्या बात है?” पिताजी ने वास्तविकता बता दी। भिरखू चाचा ने कहा, “फिकर की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।” वे सीना फुलाए हुए गये। बाबू चंद्रभान सिंह ने पिताजी से कहा, “क्यों नहीं अपने बेटे को भेजते हो?” पिताजी के मुंह से निकल पड़ा, “बेटा अपने बस में न हो तो मैं क्या करूं? लोग अपने बेटों को नहीं बस में करते हैं, मुझी को दबाते हैं।”

ये शब्द मुंह से निकलने के बाद पिताजी को इसके अंजाम का भय हुआ। दर-असल उन दिनों बाबू चंद्रभान सिंह और उनके पुत्र बच्चा बाबू में अनबन चल रही थी। बाबू चंद्रभान सिंह का चेहरा तन आया। पिताजी ने डरकर भिरखू चाचा की ओर देखा, उन्होंने छाती ठोंककर इशारा किया कि डरो मत, मैं हूं, कुछ होगा तो देखा जाएगा। कुछ हुआ नहीं। बाबू साहब बहुत समझदार और गंभीर व्यक्ति थे। समझ गये और उदास होकर कहा, “ठीक कहते हो रामचंद्र पंडित!” पिताजी लौट आये। यह सुनकर भिरखू चाचा के प्रति मेरे मन में एक दूसरा भाव पैदा हो गया—आदर का

भाव । उन्होंने लोगों को गालियां दीं, तोड़ा-फोड़ा, नंगई की लेकिन किसी के लिए धातक सिद्ध नहीं हुए जैसाकि उन्हीं की ओर बाद की पीढ़ी के कुछ बहुत चतुर लोग अपनी भलमनसाहत और खानदानी इज्जत के भीतर से सिद्ध हुए । भिरखू चाचा ने औरों का कम बिगाड़ा होगा, अपना ज्यादा बिगाड़ा । चतुर लोगो ने अपना बनाया और दूसरों का बिगाडा ।

भिरखू चाचा जो करते सीधे करते थे और तुरंत करते थे । वे भीतर मेल नहीं जमा करते थे और न ही मौका पाकर घात करते थे । एक घटना याद आ रही है । उन्ही के एक सगे पट्टीदार थे बट्टी चाचा । उनके पुत्र दूधनाथ की शादी थी । उन्होंने किसी से कहा, “क्या किया जाए, भिरखू को बारात में चलने से मना कर नहीं सकते और वे चलेंगे तो इज्जत जरूर बिगाड़ेंगे ।” भिरखू चाचा ने सुन लिया और बारात में गये । मरजाद के दिन दस बजे के आसपास बारात के मंडप में नाच-गाना हो रहा था । उस समय कहार, बाजे वाले आदि खाना बनाने के लिए पानी-बानी का इंतजाम करने गांव की ओर आ-जा रहे थे । भिरखू चाचा गांव की ओर गये और उधर से बदहवास-से जल्दी-जल्दी बारात की ओर आने लगे और रास्ते में जो भी बाराती मिलता उससे कहते, “भाग चले के, भाग चले के ।” लोग पूछते, “क्यों ?” वे उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहते, “अरे जल्दी भागते हो कि ‘क्यों’ पूछते हो !” बस, क्या था, एक दूसरे से कहता, “भाग चले के”, दूसरा तीसरे से कहता । लोग भागते हुए बारात की ओर गये । बहा चिल्लाये, “भाग चले के ।” भगदड़ मच गयी । जो जिस अवस्था में था, उसी अवस्था में भागने लगा । तबलची, सारंगिया तबला-सारंगी बांधे हुए भाग चले, नचनिया पेशवाज पहने भाग चला । सबको भागते देखा तो गांव वालों को बड़ी परेशानी हुई । वे भागने वालों के पीछे भागने लगे । गांव वालों को अपनी ओर आते देखकर बारातियों का डर साकार हो गया । वे और जोर से भागने लगे । आखिर तीन मील जाने के बाद गांव वालों ने बारातियों को पकड़ा और पूछा, “अरे महाराज, आप लोग भाग क्यों रहे हैं ?” अब सवाल होने लगा कि भागने के लिए कहा किसने ? होते-होते पता चला कि भिरखू चाचा ने शुरुआत की थी । भिरखू चाचा ने छाती ठोककर कहा, “हां, मैंने कहा था । तुम्ही ने तो कहा था कि भिरखू बिगाड़ते हैं सो मैंने बिगाड़ दिया ।”

भिरखू चाचा किसी का क्या लेते ? ऐसे आदमी किसी का क्या लेते हैं ? खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं । जो कुछ नंगई करनी होती है खुलेआम करते हैं लेकिन उन्ही की पीढ़ी के कुछ लोग ऐसे भी थे जो सम्भानित थे । उनका बेंवत भिरखू चाचा से अधिक नहीं था लेकिन संपन्न थे क्योंकि वे सूद पर रुपया चलाते थे, खेत रेहन रखते थे और खुद थोड़े-से खेतों के मालिक होकर भी खेत-संपन्न हो गये थे । यह भाग्य की बात नहीं होती, प्रकृति की बात होती है । वे लोग भोले-भाले लोगों को जमकर कर्ज देते हैं, उनके दोस्त भी बनते हैं । उनके सैलानी कामों की सराहना करके उन्हें कमाई-धमाई के काम-धाम से उदासीन रखते हैं और उन्हें कर्ज दे-देकर उनके खेत हड़पते रहते हैं । मेरे पिताजी को भी ठगने वाले कई पट्टीदार थे । बाद में जब दूसरे घरों के लोग कमाई-धमाई में जुटे और अपने-अपने खेत छुड़ा लिए तो वे लोग अपनी असली

बौकात पर आ गये और वे तथा उनके वशज खोखले हो गए । लेकिन उनकी परम्परा मे गाव के दूमरे घर तैयार हो गये और अन्य नये हथकडो से गाव के निरीहो को लूटते रहे और गाव के बडे आदमी और शरीफ कहलाने रहे ।

एक और पागल मुझे याद आ रहा है—कन्नू भाई । अजीब-अजीब लोग थे, अजीब-अजीब तरह का पागलपन था । एक दिन देखा कि कन्नू भाई का बाछा गली-गली भाग रहा है और वे उसके पीछे-पीछे दौड लगा रहे है और खूटा फेक-फेककर उसे मार रहे है । यह खेल बहुत देर तक चलता रहा । मैं समझ नहीं पाया कि वे अपने ही बाछे को क्यों खदेडकर मार रहे है । बाद मे पता लगा कि उनका बाछा पगहा तुडाकर खेत मे बबूल की छाह मे जाकर विश्राम कर रहा था । ये उसके पास गये और उसके कान मे कहा, “अरे भाई ! तू यहा कैसे आ गया; चल, घर चल ।” लेकिन बाछा क्या समझे ? वे उमे कुछ देर तक समझाते रहे और बार-बार यही कहते रहे, “चल, घर चल ।” जब वह नहीं उठा तो आखिरी चेतावनी दी, “अब तू नहीं चलेगा तो देख ले ।” बाछा बैठा पगुराता रहा । फिर क्या था, उन्होंने खूटा (जो साथ लेते गये थे) खीचकर उमे मारा । बाछा भागा और कन्नू ने उसे खदेड लिया और खूटा खीच-खीचकर मारने के साथ कहते रहे, “ईहे मत चल, ईहे मत चल ।” कन्नू भाई को अपने भाइयो को डाटते, गाली दते, चीखते-चिल्लाते मुनता था लेकिन वे अपने छोटे भाइयो के लिए अपन को समर्पित कर गए थे । एक को तो पढाया-लिखाया, दूमरा नहीं पढ सका तो वे क्या करते ? उनके भीतर अपने घर और पडोस के लिए बडी हमदर्दी थी । लेकिन उनका छोटा भाई जब गाव छोडकर तराई मे जा बसा तो अपने छोटे स भाई को बरबाद कर गया । वह बहुत शात, शरीफ और मुलायम स्वभाव का था लेकिन अपने छोटे भाई के लिए ऐसा काटा बो गया कि वह अफमोस से मर गया । वह अपनी जायदाद, मकान का आधा हिरसा छोटे भाई के दुश्मनो को ही बेच गया ।

इन लोगो से बाद की पीढी के थे बेचू भाई । ये अलग तरह के औलिया थे । ये गाव की अद्भुत रीनक थे । इनकी कल्पनाशीलता, वाक्चातुरी और फक्कडपन का अपना रंग था । ये पान चबाते या सुपारी चबाते या पान चबाने का अभिनय करते आते थे और कभी कहते, “बना करे कोई, है बाबू रामअवघ जैसा कोई बडा आदमी इस जवार मे ?” मझले भाई से अक्सर उनकी टकराहट हो जाती—कभी खेत की मेड का लेकर, कभी पोखरी की मिट्टी को लेकर और उस झगडे या टकराहट के दो दिन बाद आते और कहते “भाई ! कोई कितना बने, रामनवल जैसा वीर आदमी इस गाव मे कोई नहीं है ।” हम लोग हमते, वे भी हमते । फिर न जाने कहा-कहा की हाकने लगते । वे बूढे, जवान, बच्चे सबमे समा जाते । उनकी वाक्चातुरी का रंग कई बार देखा था । एक बार वे स्कूली बच्चो से सवाल-जवाब कर रहे थे कि बच्चो ने उनसे पूछ लिया, “बाबा, आप इस कविता का अर्थ बताइये :

इहि बिरिया नहि और की तू करिया वह मोघि
पाहन नाव चढ़ाइ जिनि कीन्हे पार पयोघि ।”

पूछने वालों में शेषनाथ नामक लड़का भी था जिसका रंग काला था । बेचू

भाई ने छूटते ही कहा, “शेषनाथ इसका अर्थ बताएंगे। यही करिया (काले) हैं।” एक ठहाका लगा और वे अपने को बचा गये।

बेंचू भाई एक बारात में गये। खिचड़ी खवाई के समय दूल्हे को मान करना था, मान कर बैठा। दूल्हा मान करता है कुछ अधिक प्राप्ति के लिए। बेटी वाले मनाते हैं और धीरे-धीरे कुछ रुपये और देते चले जाते हैं। खाना परस दिया गया था। दही-चूड़ा फूलकर निस्सार हो गया था। सामने रखे खाने पर भूखी आंख टिकाये बाराती बैठे हुए दूल्हे का मान करना देख रहे थे। घंटा बीत गया। दूल्हे के बाप की ओर से दूल्हे को खाने का इशारा ही न मिले। आखिर बेंचू भाई की कुंडलिनी जाग्रत हुई। वे बोल पड़े, “ए तिवारी जी, ए तिवारी जी, जमातौन के आपने क्या दिया है?”

बेटी वाले बोले, “एक अंगूठी और पंद्रह रुपये दिये है।”

“ए तिवारी जी आपने यह क्या दिया है? जानते हैं हमारे जवार के सबसे इज्जतदार आदमी का नाती बियाहने आया है। इनकी इज्जत पंद्रह रुपये की है?” बेंचू भाई बोले।

“तो इनकी इज्जत कितने रुपये की है ए बाबा, आप ही बताइये न।”

“इनकी इज्जत बीस रुपये की है। इन्हें पांच रुपये और दीजिये।”

“अरे बाबा, आपने पहले ही बता दिया होता कि इनकी इज्जत बीस रुपये की है। लाओ भाई, लाओ। मिसिर जी का पाच रुपये और दो।”

...कहना न होगा कि बेटे के बाप की क्या स्थिति हुई होगी लेकिन उनकी इज्जत का मूल्यकन करके बेंचू भाई खाने पर जुट गये थे और सारे बाराती बेंचू भाई को आशीष देते हुए खाने लगे थे और लडके तथा उसके पिता से कौर नहीं निगला जा रहा था।

बड़े मस्त मौला थे बेंचू भाई। जहाँ वे बैठ जाते थे वहाँ बैठक में जान आ जाती थी। खलिहान में चैत की सुबह में चैता गाने लगते थे। अपने कोठे पर अपने छोटे भाई मुन्नी मिसिर के साथ संगीत की संगत करते थे। उन्हें गाना आता नहीं था लेकिन इससे क्या हुआ? भीतर की मस्ती तो थी। वह अपनी सीधी-टेढ़ी अभिव्यक्ति पा ही लेती थी। उन्होंने गांव के बाहर की भी दुनिया देखी थी। इसलिए देश-विदेश के संदर्भ में बहुत-सी गप्पें हांकते थे जो बहुत मनोरंजक होती थीं। उन गप्पों से यह ज्ञात होता था कि बेंचू भाई बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। जब उनकी और पूजन भाई की मुठभेड़ होती थी तो समां बंध जाता था। दोनों हांकने वाले, दोनों का संबध बाहरी दुनिया से था किन्तु दोनों का मिजाज अलग-अलग था इसलिए दोनों की गप्पों का रंग अलग-अलग होता और उन रंगों की टकराहट से जो आनंद पैदा होता था, वह दुर्लभ था। कामकाजी लोगों की निगाह में ये गप्पें और इनकी स्पर्धाएं चाहे जितनी नाचीज रही हों मुझे लगता है कि ये गांव के जीवन में एक सहज और निश्चल आनंद का स्रोत बहाती थीं, उसकी अभावमय जिंदगी में प्राणवत्ता फूंकती थीं। ये लोग संचय के पीछे नहीं पड़े थे बल्कि अपने भीतर के जीवन को चारों ओर बांटने को ही अपनी सार्यकता समझते थे। तब भी कमासुत लोग थे, बाद में तो और

भी बड़े कमासुत लोग आए। चारों ओर की जिदगी से छलपूर्वक रस सोखकर अपने सें बंद किये चलते रहे और लायक कहाते रहे लेकिन आज मुझे वे क्यों नहीं याद आ रहे हैं? क्यों ये सारे के सारे अवधूत बसंत के फूलों की तरह मेरी यादों के जगल में उतरा आए हैं !

इन्होंने सांसारिक दृष्टि से कुछ संचय नहीं किया, संपन्न नहीं हुए लेकिन इन्होंने अपने अभाव को कभी और कहीं खुलने नहीं दिया। बेंचू भाई (और पूजन भाई भी) हमेशा यही दिखाते रहे कि उनके खान-पान, रहन-सहन का स्तर गांव और जवार में सबसे ऊंचा है। वे गांव के कुछ धनी-मानी कहे जाने वालों को हिकारत की दृष्टि से देखते थे और कहते थे, “ई क्या बड़ा आदमी बनेगा, ई कभी बड़े आदमियों की संगत में बैठा भी है ! ई तो कभी भरपेट अच्छा खाना खाता भी नहीं होगा। हेंह, सरऊ गाव के बड़े आदमी बनने चले हैं। मुझे देखो, रोज गेहूं की रोटी, बहरनी का चावल, घी-दूध से छौंकी हुई अरहर की दाल, चटनी-अचार खाता हूं, मेवा खाता हूं, पान खाता हूं। है किसी की ओकात मुझसे बराबरी करने की ?” लोग उनके इस बहकूपन पर हंसते थे, मैं भी हंसता था लेकिन मुझे अब लगता है कि अपनी दयनीयता दिखाने की अपेक्षा अपने को भरापूरा दिखाना जीवन जीने का सही तरीका है। दयनीयता दिखाकर लोग औरों की दया जीतना चाहते हैं। भरापूरापन दिखाकर आदमी दया को टुकराता है और अपने स्वाभिमान को गहरा करता है। वह औरों का मनोरंजन करता हुआ भी कहीं गहरे जीवन-मूल्यों से जुड़ा होता है।

एक दिन हम लोग उनके यहां पहुंचे। अंधेरा था। हमने कहा कि क्यों अंधेरा है बेंचू भाई। वे झट्लाकर बाले, ‘अरे क्या बतायें, रमदेइया इतनी दुष्ट है कि मेरी सुनती ही नहीं। उसने अभी-अभी बताया कि मिट्टी का तेल खत्म हो गया है। मैंने कहा, ‘अरी दुष्ट, तेल खत्म हो गया है तो लालटेन में घी डाल दे, दूध डाल दे, लालटेन तो जलनी चाहिए, लेकिन ई सुनती ही नहीं।’”

“ई देखो, लालटेन में घी जला रहे है बेंचू बाबा। अरे गप्प कोई इनसे सीखे।” साथ के एक धनी लड़के ने चिकोटी काटी। बस, क्या था, उफन पड़े बेंचू भाई, “हे धन्ना सेठ के नाती ! तुम मुझे समझते क्या हो ? बकील साहब सुबह-सुबह ही छोटे में रुपये रखकर बैठते है और गरीब-गुरबा को बांटते है। तुम मुझे समझते क्या हो ?”

“हा-हां, क्यों नहीं, क्यों नहीं ?” वह लड़का फिर बोला। “तुम्हे मालूम है तुम्हारी मां मेरे 300 रुपये खाकर मर गयी, अभी तक वे रुपये नहीं मिले। कल ही कचहरी में नालिस करने जा रहा हूं।” काफी देर तक हम लोग हंसते रहे, फिर उठ आये लेकिन धनी लड़के का मुंह तीता हो आया था और बेंचू भाई अभी भी बहके जा रहे थे। बेंचू भाई विवाहों की सभाओं में अपने बनाये कुछ श्लोक पढ़ते थे। लंपतं पर चंपतं... सही पंडित लोग तो मुस्कराकर टाल जाते थे किंतु मूर्ख पंडित लोग उनके जाल में फंस जाते थे। मेरे विवाह में हमारी ओर से कोई पंडित नहीं था, सभी नयी शिक्षा के लोग थे। फिर बेंचू भाई हो गये गुरू और उधर का मूर्ख पंडित समझ बैठा कि सचमुच ही कोई बड़ा प्रश्न उससे पूछा गया है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, “मुझसे इस

श्लोक का अर्थ नहीं चल रहा है, क्षमा करें।” बँचू भाई गरज उठे, “क्या कोदों देकर पढाई की है?” हँसी पड़ी और मेरे विवाह का वह मुहूर्त बँचू भाई की वाणी से उत्पन्न खुले आनंद की छाप से धन्य हो उठा। आखिर जीवन का आनंद क्या है? ऐसे ही छोटे-छोटे क्षणों के स्फुरण की शृंखला ही तो है। क्या हमें ऐसे क्षणों और उन क्षणों को अपने से भरने वाले लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? इन लोगों के अपने अनेक दुर्गुण हो सकते हैं, थे लेकिन इससे क्या, इनसे हमें जो कुछ मूल्यवान् मिला, वह इनके प्रति कृतज्ञ होने के लिए क्या काफी नहीं है?

संग की सहेली सब पार उतर गयी
हमहू ओपार के जवइया हो
कन्हैया बिना ना
के खेई मोर नइया हो
कन्हैया बिना ना

कोई गा रहा है—रास्ते पर, खेत में, खलिहान में, स्कूल के सामने। कैसी मीठी आवाज है! किसी उस्ताद ने उसे नहीं सिखाया है, अपने दर्द ने सिखाया है। वह गांव की नजरों में आवाग है, निकम्मा है, नालायक है। लोग जब हलके मूड में होते हैं तो कहते हैं, “अरे सुखराम, जरा वह गीत तो सुना दो।” वह किसी की परवाह नहीं करता, गुणगुनाता तो रहता ही है, गा पड़ता है और ठहरता नहीं, चलता रहता है। वह एक खुरट बाप का बेटा है। उसके बाप ने उसकी मां का खून किया था। बाप नामी नंगा था, लठैत था, बलवान् था, चोर था। किसी पट्टीदार के साथ बीबी के फंसे होने का शक हो गया। बीबी को काट दिया और पट्टीदार की कमर तोड़ दी। फिर फांसी पर चढ़ गया। बालक सुखराम अपने छोटे भाई के साथ बचा रह गया जिंदगी जीने के लिए। खेत बहुत नहीं थे, जो थे उन्हें एक नजदीकी पट्टीदार ने बंटाई पर जोतना-बोना शुरू किया और सुखराम के बड़े होने का इंतजार करने लगा लेकिन सुखराम गुमसुम रहने लगा। वह अकेला घूमता, इधर-उधर भटकता। जब कोई कहता, “क्या आबारा की तरह घूम रहे हो? कोई काम-धाम क्यों नहीं करते?” तो वह थोड़ा मुस्करा देता और आगे सरक जाता। वह बड़ा हुआ तो पट्टीदार ने उससे कहा, “अब अपना जोतो, बोओ भइया। लोग मुझे ताने मारने लगे हैं कि मैं तुम्हारा खेत हड़पने की ताक में हूँ।”

“ठीक है, सुखराम बड़ा हो गया है, वह संभाल लेगा।”

“और तुम! बड़े भाई होकर तुम नहीं संभालोगे, सुखराम संभालेगा? निकम्मा कहीं का।”

और सुखराम कुछ दूर जाकर एक गाना गाने लगता है। बचपन से ही वह गा रहा है। ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसके कंठ में दर्द बढ़ता गया। लेकिन कंठ का दर्द क्या कंठ का दर्द था? लगता है उसके भीतर कहीं बहुत गहरे कोई दर्द है जो स्वर में भर आता है। एक बार मैंने उससे पूछा था, “क्या है सुखराम भाई, तुम दुनिया से इतने उदासीन क्यों हो? तुम इनने दर्दिले गीत क्यों गाया करते हो?”

वह गंभीर हो गया। वह जानता था कि मैं उससे मजाक नहीं करता। उसके प्रति मेरा व्यवहार बहुत दोस्ताना है। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, “भइया, मुझे अपनी मा बहुत याद आती है। अपने बाप का जुल्म, उसके बारे में कही जाती हुई नगई की कहानियां बहुत सताती हैं। क्या रखा है लायक होने में, कमासुत कहलाने में? देख तो रहा हूँ बहुत-से लायक और कमासुत लोगो को। दूसरो को नोच-खसोटकर घर भरने वाले ये धूर्त लोग अपन को लायक और कमासुत कहते हैं भइया। मैं अपने बाप की तरह नहीं होना चाहता। मैं इन धूर्त कमासुतो की तरह नहीं होना चाहता। न जाने क्या है जो मुझे तड़पाता है, रुलाता है, धन-दौलत के तमाम बघनो में मुझे अलगगाता है।”

उसकी आंखों में आसू छलछला आए थे। फिर झटके से आसू पोछकर हंसा और गाने लगा, “ठगिनिया रे काहे लूटे बजार।”

छोटा भाई मुखराम अपने बाप के रास्ते पर चलने लगा। देह में वही ऐंठ, आवाज में वही कड़क, हाथ में लाठी। जिस-तिस को पीट देने की धमकी, जिस-तिस के खेत में हाथ की करामात। मुखराम मुखराम को चोरी-चकारी के कामों पर डाटता लेकिन जब उसके खेत में चोरी होती और मुखराम उसकी सूचना देता तो हस पड़ता और मुह बिचकाकर कहता, “जाने दो।” “हुह, जाने दो। ये पट्टीदार साले हमारी सारी जायदाद पहले ही खा गये थे, जो बची-खुची है उसे भी खा जा रहे हैं और बुम हो कि कहते हो, जाने दो। अरे, इन धूर्त पट्टीदारों के हाथों बरबाद हो जाओगे, सन जी, महात्मा जी।”

मुखराम उत्तेजित हुए बिना मुस्करा पड़ता :

दुनिया दो दिन की माया रे
कही धूप और कही छाया रे
तू क्या लेकर के जाएगा
तू क्या लेकर के आया रे

मुखराम उपेक्षित था—गांव से, स्वयं अपने छोटे भाई से। सभी उमंगवइया और नचनिया कहने। उमने एक बार तरकुलहा के मेल में बासुरी खरीद ली। बिना किसी गुरु के धीरे-धीरे स्वयं बजाना सीख गया। फिर क्या था, आवारापन का खिताब और भी गाढ़ा हो गया। जब लोगो का मन होता तो अपने बहुलाव के लिए उसे छेड़कर उसका गाना और बासुरी सुनते; जब नहीं होता तो उसे गाली देते। वह जवान हो गया था। उसकी शादी कौन करता? बम, अकेला भटक रहा था—बाहर से भीतर तक अकेला।

एक दिन किसी का एक बाछा कुएं में गिर पड़ा। लोग जमा होकर तरह-तरह के सुझाव दे रहे थे लेकिन कुएं में कोई पैठ नहीं रहा था। एकाध हिम्मती पैठने को होते तो उनके घरवाले रास्ता रोक लेते, “नहीं, तुम्हें कुएं में पैठने नहीं देंगे। कुछ हो-हवा जाए तो। जिसका बाछा है वह पैठे।” बाछा एक विधवा का था जिसके दो नाबालिग

बच्चे थे, सुखराम भी वहाँ पहुँच गया था। लोगों को देखा, मुस्कराया और ऐलान किया, 'लोगा, मुझे उतारो। मैं बाँछे को निकालूँगा।'

लोगो ने उसकी ओर देखा। "हा-हा, मैं उतरूँगा और मुझे उतरने से रोकने वाला कोई नहीं है पंचो—न मा, न बाप, न चाचा, न ताऊ, न भाई, न बहन। एक भाई है लेकिन वह रोकेगा नहीं।"

वह उतारा गया। काफी कशमकश के बाद वह बाँछे को बाध पाने में सफल हुआ। बाँछा निकाला गया। लोग उसकी बड़ाई करने लगे लेकिन वह अनासक्त भाव से वहाँ में चला गया।

मेरे पिताजी उसे बहुत मानते थे। वह भी उन्हें बहुत प्रेम में अपने गीत सुनाता था। प्रायः मैं भी वहाँ होता था। उसके स्वर में अद्भुत मिठास थी, दर्द था, तड़प थी। एक बार वह काफी दिनों तक दिखाई नहीं पडा। मैंने पिताजी में पूछा तो पता चला कि हा वह कहीं चला गया है—शायद तराई की ओर। मैं एक अभाव महसूस करने लगा। लगा कि वह ता चला गया है लेकिन उसकी रागिनी गाव की गली-गली में, खेतों में, खलिहानों में, बाजारों में, मलों में भटक रही है। वह पूरे जवार को अपने मगीन का भराव दे गया है। मैं शिक्षा के क्रम में गाव से निकला तो निरंतर यायावर हूँ बना रहा और उसे नहीं देखा। न जाने उसका क्या हुआ? वह कहा विलीन हो गया? लेकिन उसकी रागिनी अभी भी मेरे भीतर जिंदा है:

पूजहु शिव को बहु भाती
आजु शिवराती

एक औरत औरतो के झुंड के आगे-आगे यही पक्कि गाती चली जा रही है; आज शिवरात्रि है। इस झुंड में अनेक कुम्हारियाँ हैं जो शिव की पूजा करने जा रही हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिले। विवाहिताएँ पूजा करती हैं कि उन्हें पति की अनुकूलता प्राप्त होती रहे। लेकिन यह औरत क्या चाहती है? इसे पहचाना आपने? यह सुखदेई फूँसा है। इसी गाव की विवाहिता और पति-निरत्यक्ता बेटी। ये शकर को पूजकर क्या पायेगी, सब कुछ तो पहले ही खो चुकी है? लेकिन नहीं, उन्होंने अपना उल्लास नहीं खोया है। हर तीज-त्योहार, पर्व, शादी-ब्याह पर गीत की बागडोर उन्हीं के हाथ में होती है। बध्या है, पति ने दूमरा विवाह कर लिया। वे अपनी सौत के साथ दासी के रूप में रहना स्वीकार नहीं कर सकी। मायके जा गईं। मायके में भी कोई नहीं है, बस बूढ़ी मा है। क्या दिया समाज न उन्हें? क्या दिया ईश्वर ने उन्हें? लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर के देवता की आराधना की। वह जागा और गाने लगा। वह जागा और सुखदेई को सामाजिक कर्मों में जोड़ दिया। सारे अभाव के और अकेलेपन के बावजूद फूँसा एक अर्थ पा गयी, जीवन का मर्म पा गयी। भले ही उनकी शकर-आराधना सफल नहीं हुई लेकिन शकर की आराधना को उन्होंने निरर्थक नहीं माना। उन्हें न सही और कुमारियों को तो वह फल दे सकती है। वे नहीं हो सकी लेकिन और कुमारियाँ तो सुखी पत्नी हो सकती हैं। अपने अभाव में दूसरों की सम्पन्नता और सौभाग्य

की कामना करना और उसे गीतों में ढाल देना कम बड़ी बात है क्या ? पति और गांव के लोगों ने भले ही इन्हें तुच्छ और महस्वहीन और फालतू माना लेकिन उन्होंने अपने को कभी ऐसा नहीं माना क्योंकि उन्होंने अपना अर्थ खुद के सुख से नहीं, औरों के सुख से पाया था। इसलिए सबसे आगे गाती जा रही हैं :

पूजहु शिव को बहु भांती
आजु शिवराती

उनके भीतर इम क्षण को लेकर कोई दर्द नहीं है बल्कि इतनी कुमारियों के सुन्दर भविष्य की कामना के साथ होने का उल्लास है। आदमी के कितने छोटे-छोटे सुख होते हैं जो उसे भरते रहते हैं ! उन छोटे-छोटे सुखों के साथ हो लेना, उनकी पूर्ति का माध्यम बन जाना कितना बड़ा अर्थ रखता है लेकिन कितने लोग यह अर्थ पा पाते हैं ! और किसी को मिला हो या न हो सुखदेई फूआ को तो मिला था। उनका अपना क्या था—कुछ खेत थे। खेतों में मां-बेटी काम करती थीं। दो पेट की बिसान ही कितनी ? काम चल जाता था। वे गांव की बेटी थीं, पूजा-पाठ, व्रत-त्योहार के अवसरों पर लोग अन्न छू-छूकर उन्हें दे देते थे। मां तो यह अन्न खा नहीं सकती थीं, वे ही खाती थीं और कुछ समुराल भेज देती थीं। शादी-ब्याह के दिनों में फूआ किमी न किसी के यहां खा-पी लेती थीं। बस, उन्हें और लेना क्या था ? उन्होंने अपने भीतर के रीतेपन को भीतर के वैभव से ही सम्पन्न कर लिया था। उन्होंने यह सत्य पा लिया था कि रोने से नहीं, गाने से रीतापन कटता है। रोना अपने प्रति औरों की दया जगाना है और गाना दूसरों को भरता है, देता है। अपने को दीन और दयनीय होने से बचाता है। हम दूसरों की नजरों में दीन और दयनीय होकर क्यों जियें ? दूसरों को कुछ देकर उनकी आंखों में अर्थवान् होकर क्यों न जियें ?

फूआ अर्थवान् होकर जीती रहीं। उनके गीत की छाप किस समय और किस घर की दीवारों पर नहीं थी ! उनकी हंसी की अनुगुंज किस आंगन में नहीं थी ! काम-काजी और लायक पुरुष हमेशा कहता, “यह निकम्मी जहां देखो वहीं हिरकी रहती है।” लेकिन उन स्त्रियों से तो पूछिए जिनका काम फूआ के बिना चलता ही नहीं था। कोई भी काम हो, सुखदेई फूआ को बुलाओ। कोई बच्चा बुलाने के लिए भेज दिया जाता और मालूम पड़ता अभी-अभी कोई बुलाकर ले गया है। होली में चौताल की चैम्पियन वे थीं, साबन में कजली की मास्टर वे थीं। हर तीज-त्योहार पर गीत की बागडोर इनके हाथ में थी तथा असफल वैवाहिक जीवन जीने के बावजूद विवाह के अवसरों पर सारे मांगलिक कार्यों की सकुशल संपन्नता का रहस्य वे थीं। किसी के घर कोई नहीं है, फूआ तो हैं। कोई असहाय बीमार पड़ गया है, कोई नहीं है तो फूआ तो हैं। किसी का सिर दुख रहा है, फूआ मंत्र जानती हैं, झाड़ने पहुंच जाती हैं। किसी का कुछ खो गया है या कोई कहीं गया हुआ है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फूआ सगुन उचारकर बता देंगी।

अभी तक मेरे माथे पर फूआ की अंगुलियां रेंग रही हैं। न जाने कितनी बार

उन्होंने मेरे सिर से दर्द को दूहा होगा, न जाने कितनी मंत्र-पूत उनकी साँसें मेरे चेहरे से टकराई होंगी। न जाने कितनी बार उन्होंने मेरे अच्छे नम्बरों से पास होने की भविष्यवाणी की होगी, न जाने कितनी बार घर से बाहर गए हुए मेरे पिताजी के शीघ्र लौटने की संभावना से मां को परिचित कराया होगा। पता नहीं वे मंत्र जानती थीं कि नहीं, पता नहीं सगुन उच्चारने की कोई कला आती थी या नहीं और पता नहीं उन्हें खुद अपने इन अनुष्ठानों पर विश्वास था कि नहीं, लेकिन दूसरों को सुखी बनाने के लिए वे ये सब कुछ निस्पृह भाव से करती थीं, यह कम तो नहीं। वे अपनी कला को बेचती तो नहीं थीं, उससे किसी को ठगती तो नहीं थीं, बस सबको छोटे-छोटे सुख देने का प्रयत्न करती थीं।

और उनकी असली कला तो यह थी कि वे सक्रिय रूप से—सबकी सेवा करती थीं। कितने ही बीमारों, कितने ही असहायों, कितने ही अकेले लोगों का साथी हो जाना फूआ का काम था। न जाने कितने बिंदुओं पर इस औरत ने जाने-अनजाने गांव की जीवन-धारा के विष को चूमकर अपना संजीवन-रस उसमें मिलाया होगा। मेरा तो पूरा जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। वह न होती तो प्रसूतिगृह में पैदा होते ही मुझे कीड़ों ने खा लिया होता। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वह बंध्या औरत मेरे पैदा होने पर बहुत उत्साह में गा रही है और मां के सुख में नहा रही है :

होन बिहान पी फाटे
त होरिला जन्म भइले हो
ललना बाजेला अनद बदइया
त उठन लागे साहर हो

मेरे गांव, क्या तुम्हें याद है यह औरत ? तुम्हें हो या न हो, मुझे तो याद है।

8

मकान बन गया था—दोमंजिला मकान। भइया ने रेहन पर चढ़े सारे खेत छोड़ा लिए थे। परिवार के जीवन में गरीबी की सीलन हट गयी थी और गौरैया की तरह एक खुशनुमा धूप अपने छोटे-छोटे पंख फड़फड़ाती उड़ रही थी। मझले भाई उस समय देहात की दृष्टि से शादी के योग्य हो गए थे—कई साल पहले हो गए थे लेकिन किसी भी बेटी का बाप हमारे पारिवारिक अभाव के सीलन में झांकने को तैयार नहीं था। गांव में चर्चाएं होने लगी थीं कि लड़का उन्नीस साल का हो गया, शादी नहीं हो रही है। उन्नीस साल तो बहुत होते हैं। मेरे भइया जब दस साल के थे उनकी शादी हो गयी थी। लेकिन तब और बात थी। तब मेरे बाबा रामगरीब मिश्र की तूती बोलती थी। वे बाबू चंद्रभान सिंह की रानापार छाबनी के सर्वेसर्वा थे। वे स्वयं भी बहुत प्रतापी थे। जितना जोर उनकी कुजाओं और लाठी में था उतनी ही करुणा उनकी छाती में थी।

वे बाबू चंद्रभान सिंह की सम्पत्ति की वृद्धि भी करते थे और मजूरों में खुले हाथ बांटते भी थे। इसलिए जहाँ बड़े-से-बड़े लोग उनकी लाठी के प्रताप से आतंकित थे वहाँ गरीब मर-मजूर उन्हें असीसते थे। क्या शरीर था, क्या काठी थी ! मरने से पूर्व के कुछ दिनों में अस्सी साल की अवस्था में भी उन्हें लाठी तानकर चलते देखा था। उनकी लाश जली थी तो तनी हुई छाती की हड्डिया देखकर लोग चकित रह गए थे।

बुढ़ोती में उन्हें सुख नहीं मिला लेकिन उनकी स्वाभाविक शक्ति उनका साथ देती रही। वे लाठी के हरे में इंट में कच्चा आम कूटकर खाते थे और उन्हें कुछ नहीं होता था। बुढ़ापा भी किनना दर्दनाक समय होता है, कोई पास नहीं फटकता। इतने प्रतापी बाबा ने अपना बुढ़ापा अकेले काटा। उनका सम्मान तो लोग करते थे लेकिन उनके साथ बना होना किसी के लिए संभव नहीं था। वे पट्टीदारी के एक चाचा के एक खाली कमरे में बैठे-बैठे पकी हुई मिट्टी खायी करते। पीठ में भयानक खुजली होती। हम लोगों से पीठ खुजलवाते, इतनी जोर से खुजलवाते कि पीठ खून से चिप-चिपा जाती। हम लोग इमीलिए उनसे बचते रहते। वे राह चलते किसी भी लड़के को बुला लेते और पीठ खुजलवाते। तब तो मैं क्या सोच पाता, आज ज्यों-ज्यों बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ और दुनिया में बूढ़ों की त्रासद स्थितियों को अपने अनुभव और चेतना में उतार रहा हूँ, बाबा की वह स्थिति समझ में आती जा रही है और इतने दिनों बाद मन बाबा के उस अकेलेपन से घिर-घिर आ रहा है। सोचता हूँ, क्यों नहीं मैंने अपना खेल-कूद कम करके बाबा के अकेलेपन को कुछ कम किया, क्यों नहीं उनकी बूढ़ी आँखों से झरते हुए सजल आशीष को अधिक से अधिक सहेजा ? बल्कि एक घटना याद कर तो मुझे ग्लानि हो रही है। जाड़े की शाम थी। हम (मैं, मसल भाई और भइया) बैठे अलाव ताप रहे थे। बाबा लेटे हुए थे। मैंने कहा, “ए बाबा, पू।” बाबा झल्लाये। चुप हो गए। भइया ने कहा, “फिर चिड़ा।” मैंने फिर ‘पू’ कहा। वे फिर झल्लाये और चुप हो गए। भइया भी हलके मूड में थे, मुझे उकसाते गए और मैं बार-बार पू-पू करता गया। आखिर बाबा के सब्र का बांध टूट गया और गाली देते हुए अपना डंडा उठा लिया। हम तीनों उठकर गली में भागे। सबसे पीछे मैं था। बाबा ने डंडा खींचकर मारा। मैं बाल-बाल बच गया। हम लोग डर के मारे काफी रात तक बाहर ही भटकते रहे। जब विश्वास हो गया कि वे सो गये होंगे तो चुपके से जाकर सो गए।

हां, तो वह बाबा के प्रताप का युग था इसलिए भइया की शादी की छीन-झपट मची हुई थी और बचपन में ही उनका विवाह हो गया। पिताजी के शासन के इतने बड़े सन्नाटे के बाद भइया के युग में फिर बेटी देने वालों की चहल-पहल हमारे घर में शुरू हुई। मसल भाई की शादी टाड़ा गांव में तय हो गयी। टाड़ा गांव से हमारे गांव का पुराना संबंध रहा है। यह गांव अपनी नफासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। बहुत दिनों बाद और वह भी भइया के शासनकाल में हमारे यहां लड़के की शादी पड़ रही थी। बाबू चंद्रभान सिंह के तहसीलदार के भाई का विवाह टाड़ा गांव में हो रहा है, जाने-अनजाने भइया के मन में गौरव का एक तनाव उभर आया था। उन दिनों सामंती वैभव का रोब-दाब

जीवित था और भइया के चेतन-अचेतन मन पर उसकी छाप अंकित हो रही थी। इसलिए वे टाड़ा गांव में सामंती वैभव के साथ जाने की तैयारी में जुट गए थे। वे चाहते थे कि खूब अच्छी बारात जाए। हाथी-घोड़ों की चहल-पहल हो, महफिल में सोने-चांदी के सामान हों, चंदोबा हो, दूल्हे-सहबाले आदि के लिए खूब कीमती चटकीले कपड़े हों। शादी की तैयारी होने लगी। लक्ष्मीगंज से सामान आता था। हम लोग सामान ढोने वालों के साथ शाम को सरदार नगर स्टेशन पर पहुंचे होते और सामान लेकर रात को ही दस मील की दूरी तय करके घर पहुंचते थे। जेठ की चांदनी रात थी। बारातों की गहमा-गहमी, बाजों की ध्वनियों, नचनियों के गीतों से सारा रास्ता गूंजता रहता। कब रास्ता कट गया पता नहीं चलता था। और जब घर पहुंचते तो भिनसार हो गया रहता। घर और पड़ोस की औरतें मिलकर विवाह संबन्धी गीत (भोर) गा रही होतीं। वह अद्भुत उल्लास का वातावरण था। उसे मैं कोई नाम नहीं दे पाता। और विवाह का दिन आ गया। बाराती चले गए। भइया यह चाहते रहे कि बाराती काफी जल्दी टाड़ा पहुंच जावें, ताकि द्वार-पूजा की गहमा-गहमी दिन के उजाले में दिखाई पड़े। वह रात के अंधेरे में कहीं खो न जाय इसलिए कहारों और अंगरेजी बाजा वालों को हिदायत थी कि वे जल्दी आ जाएं। लेकिन अपनी आदत के अनुसार दोनों ने देर कर दी। फिर मत पूछिए, भइया ने जो रुद्र रूप दिखाया वह अद्भुत था। उन्हें वांधने और मारने की जो ललकार उठाई उससे भयभीत होकर अंगरेजी बाजा वाले मगन होकर बाजा बजाने लगे और कहार रास्ते में कोई कजाकी किये बिना ही डोली लेकर भागते गये और निश्चित समय से घंटा-भर पहले ही टाड़ा गांव के पास पहुंच गये।

भइया तब तपे हुए थे। कहारों या बाजा वालों की हिम्मत नहीं थी कि प्रतिवाद करते और उनके बिलम्ब से हम लोग भी झल्लाये हुए थे और आशंका होने लगी थी कि इनके बिलम्ब से द्वार-पूजा का मजा जाता रहेगा, इसलिए भइया का रुद्र रूप हमें अच्छा लगा। मुझे धीरे-धीरे यह लगने लगा था कि भइया पर बच्चा बाबू की सादगी, मर्दानगी, क्रोध, किसी को भी ललकार देने की हिम्मत और किसी की अकड़ पर उसे पीट देने की उत्तेजना अपना गहरा प्रभाव डाल रही थी! वैसे वे वृत्तियाँ उनमें बीज रूप में पहले से ही थीं, किंतु सामंती वातावरण उन्हें अंकुरित और पल्लवित-पुष्पित करने लगा था।

परिछन का दृश्य बड़ा रोमांचकारी होता है, गांव की बहूएं-बेटियां सजझजकर गज-समूह की तरह घर में से निकलती हैं। आगे-आगे दूल्हे की पालकी, पालकी में बारी-बारी से चढ़ती बहूएं और लड़कियां, कुएं की, डीह के थान की, बरम बाबा के थान की परिक्रमा करता हुआ दूल्हा और उसके पीछे-पीछे मां या भाभी और 'परिछन करहु चलेली बड़ी कामिनि, सखी दस गोहने लगाइ' का गीत गाता हुआ महिलाओं का समूह। क्या दृश्य होता था! और अंत में काली माई के थान पर परिछन होता था। परिछन हो रहा था :

साठी क चउरा लहालरि दूबि रे
 चूमनि चलेली फलाने राम की धीव रे
 जे मोरे राम के मन से परीछी
 तेके हम देवें असीस हो

भइया बाबू साहब के पगला हाथी पर मवार थे। खड़े-खड़े परिछन देख रहे थे। परिछन नहीं देख रहे थे बल्कि व्यवस्था देख रहे थे—सारी बारात चली जाय तो उनका मतवाला हाथी रवाना हो। विराट्काय पागल हाथी। सभी लोग इससे डरते थे। कोई भी उसे बारात में ले जाना पसंद नहीं करता था। तीन-तीन फीलवान इसके आगे-पीछे चलते थे। लेकिन भइया तो भइया ठहरे, उन्होंने इस पागल हाथी को ही पसंद किया था और सबके लिए शादी में रंगीन कपड़ों की व्यवस्था करके स्वयं मोटे खादी के कपड़ों में थे। सादगी भी एक वैशिष्ट्य है, भीड़ से अलगाव पैदा करती है, इस खयाल से नहीं, अपनी रुचि में ही वे मात्रे कपड़े पहनते थे और पहने हुए थे। बारात पहुंची। द्वार-पूजा हुई। इस गांव की द्वार-पूजा का रंग ही कुछ और होता था। बड़ा गांव, सुंदर गांव और सुंदर ससुराल। झुंड की झुंड सुंदरियां बेटी वाले के दरवाजे पर उमड़ पड़ती थीं और

कहवां लगवले इतनी देर ए कोइल बनरा,
 ए कोइल बनरा रे ए लाडिल बनरा।

गीत के साथ चावल और उड़द के छरारे छूटते थे, उनकी चोट खाकर बागती धन्य हो उठते थे। इस बार भी हुए, लेकिन जब नंगा यथार्थ सामने आया तो रोमांस जड़ गया और कटुता का वातावरण उभरने लगा। बेटी वालों ने जितने आदमी मांगे थे उममें ज्यादा पहुंच गए थे। पट्टीदारी और भइया के संबंध के तमाम लोग। कितनों को छांटा जाता। छांटते-छांटते भी काफी लोग हो गए थे लेकिन भइया ने अपनी ओर से बैलगाड़ी पर चीनी-चावल आदि लदवा लिए थे। इसलिए बिता नहीं थी फिर भी किसी न किसी बात पर कहा-सुनी हो ही जाती थी और भइया की तीखी जबान रह-रहकर लहक उठती थी। महफिल में रंगीनी छापी रही। नृत्य का अपना रंग था, सोने-चांदी की गुलाबदानी से गुलाबजल छिड़का जा रहा था। इत्र की खुशबू उड़ रही थी। रंग-बिरंगी पोशाकों की प्रतिस्पर्धा-सी थी। शास्त्रार्थ का अपना उन्माद था। इस रंगीन वातावरण का नशा तब उतरा जब घंटे-भर बाद लड़की वालों ने खिलाने में इनकार कर दिया, “औरतें बीमार पड़ गयी हैं, खाना कौन बनाये?” फिर क्या था, अलग-अलग चूल्हे जलने शुरू हुए। बड़े-बड़े हंडे चढे। एक चूल्हा हम लोगों का भी था। पाम में अग्रहर के डंठल थे। जो भी आता था एक पांजा डंठल चूल्हे में झोंक देता था। लगता था, चूल्हा नहीं होली जल रही है। भात नीचे से जल रहा था। लोग भूख से छटपटा रहे थे। आखिर अधपका खाना ही खाया गया और बारात के एक ओर रोमांस का मजा लिया गया, यद्यपि यह रोमांस कइयों के पेट में हफ्तों अपनी हलचल दिखाता रहा।

हमारे यहां गवने का रिवाज था लेकिन अभी मां-बाप-बिहीन लड़की थीं।

उनके भाइयों ने उन्हें झाड़ी में ही विदा कर दिया। भाभी बहुत अच्छी थीं। इन्हें मैंने मरजाद के दिन ही देख लिया था। इस गांव या इसके आसपास के गांवों का रिवाज है कि मरजाद के दिन औरतें बूल्हे को बुलाती हैं, साथ में सहबाला भी होता है। बासी खाने का भी रिवाज होता है। जब हम लोग बासी खा चुके तो भाभी ने मुझे बुला लिया। मैंने उन्हें देखा—साबना-सा प्यारा रूप। विदा होने को थीं अतः आंखें डबडवाई हुई थीं। भाभी से बात करके उस कमरे में चला गया जहाँ लड़कियों के बीच भाई साहब घिरे थे। मैं तो अभी तक लड़कियों के साहचर्य से उत्पन्न मधुर बोध का अनुभव नहीं कर पा रहा था बल्कि घबराहट ही अनुभव करता था किन्तु भाई साहब की इस दिशा में अच्छी गति थी। वे उनके बीच अकेले घिरे हुए मधुर विनोद के संवाद की अच्छी स्थिति बनाए हुए थे। मैं पहुंचा तो लगा कि यह स्थिति कुछ आहत हो उठी। लगता है मेरे चेहरे पर ही ऐसी कुछ लिखावट थी कि लड़कियां मुझे देखते ही मुझे अपने से जुड़ न पाने वाला व्यक्ति समझने लगती थीं और प्रणय-संवाद की विदग्धता तो मेरी वाणी में थी ही नहीं। जाने या अनजाने एक लड़की ने मेरा अपमान कर दिया। हुआ यह कि वह लड़की बहुत घुलमिलकर बातें कर रही थी। मजाक में बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही थी। वह सुन्दर थी। उसके गोरे-गोरे भाल पर एक बड़ी-सी बिन्दी चमक रही थी। मैंने भाई साहब का साथ देने के लिए मजाक में हिस्सा लेना शुरू किया और मेरा कवि जाग उठा। मैंने कहा—“प्राची दिशा में सूर्य चमक रहा है।” भाई साहब ने कहा—“कहाँ?” “यहाँ” कहकर मैंने उस लड़की की ओर इशारा किया, “भाई, जरा छूकर बताओ।” भाई साहब ने मजाक आगे बढ़ाया।

“है किसी की मजाल जो मुझे छू दे!” वह लड़की बहुत ठसके से बोली।

“है क्यों नहीं? आप मेरे भाई को नहीं जानती हैं, ये कवि हैं।” भाई साहब बोले।

“ये जो भी हों लेकिन मेरे मरद के पांव की धोवन भी नहीं हैं।”

“आपको अपने रूप और पतिव्रतापन पर इतना गुमान था तो यहाँ क्या करने आयीं? मजाक करना तो खूब जानती है लेकिन मजाक सुनकर आपको मर्चा क्यों लग गया? बहुत उस्ताद औरत हैं आप?” मैंने कहा और झटके से उठकर जूता पहना और भाई साहब को गोपियों के बीच अकेला छोड़कर वापस आ गया।

बारात में पहुंचा तो मेरा चेहरा तमतमा रहा था। हमारे यहाँ से एक गवैया भी गये हुए थे। उस गांव के कुछ सभ्रांत लोग भी वहाँ बैठे हुए गाना सुन रहे थे। लोगों ने मुझे तमतमाया हुआ देखा तो पूछा, “क्या हुआ?” बहुत पूछने पर मैंने बता दिया। लोग हंसने लगे। उसी गांव के एक रसिक व्यक्ति ने कहा, “आप कवि हैं, ससुराल आए हुए हैं, औरतों से नोक-झोंक का अपना मजा होता है, आप नाहक नाराज हो गए।” मुझे लगा कि जिस बात ने मुझे इतना आहत किया उसे लोग मजाक में ले रहे हैं और मेरी अरसिकता पर तरस खा रहे हैं। बाद में सुन्न कि वह लड़की अन्य लड़कियों द्वारा बहुत प्रताड़ित हुई और उठकर वहाँ से चली गयी लेकिन मैं अपनी अरसिकता और गुस्से के लिए वहाँ चर्चा का विषय बन गया। भाभी के भाई ने विदा के समय

मुझमे कहा, “आप बहुत गुस्सैल हैं, मेरी बहन से कोई गलती हो जाय तो क्षमा कर दीजिएगा।”

मैं अपनी अरसिकता के प्रति मावधान नहीं था क्योंकि लगभग अठारह-उन्नीस साल तक मैं भीतर मे यह अनुभव ही नहीं कर सका कि नारी-माहचर्य-जन्य रसिकता क्या होती है? भाभी मुझे बहुत मानती थी। वे बहुत गुणी थीं, कर्मठ थी और रसिक थी। उनकी रसिकता अपने देवर से एक रमय नोक-झोंक चाहती थी लेकिन देवर तो निकला काफी निखट्टू। हंगली के दिनों में एक बार भाभी ने मेरे पांवों पर महावर लगा दिया, मैंने गांव उठाकर उनकी उंगलियों पर दे मारा। भाभी अन्दर जाकर रोने लगी। मां ने मुझे बहुत डांटा, “गह क्या किया तुमने! होली है, यदि उमने अपने देवर से मजाक कर दिया तो तुमने लात से मार क्यों दिया?” “मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा मजाक।” कहकर मैं वहां से खिसक गया था लेकिन रसिकता का बोध उत्पन्न होने पर मैं अपने को धिक्कारने लगा और भाभी की उंगली पर लगी मेरे पांव की वह चोट मेरी छाती में लगने लगी। चाहता था कि भाभी के आगे झुककर उनसे क्षमा मांगू और उनके आंचल को देवर-सुलभ प्यार से भर दू लेकिन तब तक वे चली गयी थी। हां, दो-तीन साल के भीतर ही वे दिवंगत हो गयी थी।

मझले भाई के विवाह के साल-भर बाद ही मेरा विवाह भी हो गया। संभवतः, वह मन् 1940 था। तब मैं सोलह वर्ष का रहा हूंगा। मेरी इच्छा-अनिच्छा का कोई सवाल ही नहीं था। तब तो निर्णय गांव और पड़ोस के बड़े-बूढ़े करने थे। मैं उर्दू मिडिल पास कर चुका था और सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं? दरअसल हमारी पढ़ाई के पीछे कोई ठोस योजना तो थी नहीं। लोग हिन्दी और उर्दू मिडिल पास कर लेते थे क्योंकि गांव के पास स्कूल था। इसके बाद तो शहर में ही जाना पड़ता था। शहर में जाकर अंगरेजी पढ़ने वाले लोग तब कहा थे? ऐसा बेवत वित्त किमका था? तब मेरे मन में कालेज की पढ़ाई करने की न कोई योजना थी न हिम्मत। लेकिन कूछ करना तो था ही। फिर यह तय हुआ कि विशेष योग्यता की परीक्षा पास की जाय, फिर विशारद, फिर साहित्यरत्न। यानी राष्ट्रभाषा की परीक्षाएं देकर उसके साहित्य में पारंगत हुआ जाय। “फिर क्या करोगे?” जब कोई पढ़ा-लिखा आदमी पूछता तो मुझे वैसा ही बुरा लगता जैसा “आजादी मिल जाने पर क्या होगा?” प्रश्न। मुझे लगता कि हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है, उसकी परीक्षाएं पास कर लेने पर व्यक्ति सम्मानित भी होगा और कहीं भी अच्छी नोकरी में लग जायेगा। जो लोग “फिर क्या होगा?” प्रश्न करते हैं वे राष्ट्र के शत्रु हैं, राष्ट्रभाषा के शत्रु हैं, उनमें अंगरेजियत की बदबू है, स्वदेशाभिमान नहीं है। भइया की भी इच्छा थी कि मैं ये परीक्षाएं पास करूं, इससे मेरी साहित्यिक प्रतिभा और निखरेगी।

मगर विशेष योग्यता की तैयारी कहां करूं, यह प्रश्न था। पता चला कि गांव से दस मील दक्षिण स्थित ढरसी गांव में एक स्कूल खुला है जहां यह पढ़ाई की जा सकती है। विवाह करके जब मैं घर को लौट रहा था तो भइया मुझे लेकर इस स्कूल में गये। (स्कूल रास्ते में ही पड़ता था) पंडित रामगोपाल शुक्ल वहां के आचार्य थे। मेरा परिचय

पाकर बहुत प्रसन्न हुए और मैं घर लौटकर ढरसी स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। घर छोड़ने का यह पहला अवसर था। मैंने यह चाहा था कि विशेष योग्यता की तैयारी मदनेश जी के सान्निध्य में करूं। वे तैयारी कराने में सक्षम थे। वे संस्कृत और हिन्दी दोनों के मर्मज्ञ विद्वान् थे लेकिन घर-गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहकर वे तैयारी कैसे करा पायेंगे? यह सवाल तो था ही। दरअसल मैं घर छोड़ने की कल्पना से ही घबरा उठता था। मुझमें भयानक गृह-ममता रही है। तब भी थी, प्रकारान्तर से आज भी है। तब गांव छोड़ने में घबराहट होती थी, अब अपना प्रदेश, जहां रहता हूं वह नगर और देश छोड़ने में। मुझे अपना घर, अपना परिवेश बार-बार बुलाता है। परिवार-जनों से दूर रहकर सुविधामय जीवन जीने का अभ्यास बहुतों को हो सकता है, मुझे नहीं है। मुझे अपने घर के लोगों से अधिक दिन तक दूर रहने की स्थिति बड़ी भयावह और त्रासद लगती है। न जाने कैसे लोगों को विदेश तेजी से अपनी ओर खींचता है, लोग वहां जाने के लिए तिकड़मों के कितने जाल बिछाते हैं, वहां अकेले या सपरिवार रहकर चैन के साथ जीते हैं पैसे बटोरते हैं और स्वदेश लौटने पर विदेश हो आने का गौरव तमगे की तरह लटकाये घूमते हैं। मुझे तो अपना देशी परिवेश चाहिए। जहां मैं रहना हूं उस परिवेश को जब छोड़ना पड़ता है तब वह बार-बार मुझे पुकारता है या दर्द बनकर मेरे साथ हो लेना है।

घर पर रहकर मां या पिताजी या भइया से काफी-काफी दिनों तक बिछड़ने का दर्द तो जिया था, उदामी भोगी थी, भीतर एक भारी खालीपन लिए मन ही मन में कितना रोया था, लेकिन तब एक व्यक्ति के बिछोह का दर्द था अब तो मैं स्वयं बाहर जा रहा हूं यानी एक साथ सबसे बिछड़ रहा हूं। यह अनुभूति मुझे कई दिनों से तड़पा रही थी, रुला रही थी और एक दिन पिताजी के साथ सीधा-पिसान, अरतन-बरतन लादे हुए ढरसी के लिए रवाना हो गया। और उसी दिन से गांव छूटा तो छूटता ही गया या यों भी कहें कि अपना गांव बाहर के तमाम गांवों से जुड़कर बड़ा होता गया और मैं तभी से गांव के हाथों में अपनी डोर सौंपे हुए देश के व्यापक विस्तार में उड़ता ही चला जा रहा हूं।

रोशनी की पगडंडियां

ढरसी स्कूल मझगावाँ के पास स्थित था । मझगावाँ गोरखपुर-बड़हलगंज सडक पर स्थित एक बडा गाव है । बस-स्टेड होने की वजह से यहां बहुत रौनक रहती थी । स्कूल के पास प्राइमरी स्कूल था । प्राइमरी स्कूल का खेल-मैदान था । उसका अपना एक छोटा-मा पार्क था जिसमे गुलाब के पौधे लगे हुए थे । पास में ही एक बरगद का पेड था । पेड के बाद सडक शुरू होती थी । उसके दोनो किनारे कई दुकानें थीं—मिठाई की, किराने की और अन्य कई तरह की । मिठाई की दुकान के मालिक रामधनी हलवाई थे और किरानी की दुकान के मालिक वासुदेव । इन दोनो की दुकानों से पडित जी के लिए हम लोग अक्सर सामान ले जाया करते थे और कभी-कभी स्वयं अपने लिए भी खरीदते थे इसलिये ये दोनो दुकानदार हमारे परिवार के हो गए थे ।

पडित जी यानी पडित रामगोपाल शुक्ल स्कूल के आचार्य थे । वे अकेले थे इसलिए प्रमुख, सहायक सभी कुछ स्वयं थे । उन्होने अपनी छोटी औकात में ही स्कूल को एक स्वावलंबी गुरुकुल का रूप दे रखा था । छोटी औकात इसलिए कह रहा हू कि वे सिर्फ मैट्रिक और विशेष योग्यता पास थे । और ये दोनो कक्षाएं वे चलाते थे । शुरू तो किया था विशेष योग्यता के अध्यापन से किन्तु बाद मे वे अंग्रेजी भी पढ़ाने लगे थे । छोटी औकात इसलिए भी कि वे घर के संपन्न नहीं थे और बाहर से कोई अनुदान नहीं मिलता था । बम, लडकों से जो फीस मिलती थी उसी से स्कूल चलता था । हां, लकड़ी-वोकड़ी आसपास के धनी-मानी लोगो से मिल जाती थी । पडित जी उस समय मुश्किल से पच्चीस-तीस साल के रहे होंगे किन्तु मेरे मन में उस समय की उनकी जो तस्वीर है वह एक बहुत परिपक्व, सुलझे हुए और अनुभवी व्यक्ति की है । वे अपनी समझ और व्यवहार की परिपक्वता के कारण आसपास के गांवों मे बहुत मान्य थे । यहां तक कि बहुत-से बड़े-बड़े सरकारी अफसर भी उनसे मिलते और उनका आदर करते थे । ऐसी क्षमता के कम लोगों का साक्षात्कार मैंने किया था या कहिए किया है ।

वे देर रात तक पढ़ते थे । हिन्दी पढ़ाने के लिए उन्हें विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वे ताजा-ताजा बहू कोर्स पास करके आए थे; किन्तु अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उन्हें विशेष श्रम करना पड़ता था । वे नोट की सहायता से अंग्रेजी के पाठ तैयार करते थे । उनके पाम अंग्रेजी के कई स्तरीय शब्दकोश थे । देहात में इतनी अध्ययन-शीलता या तो बिकाऊ पंडित में देखी थी या रामगोपाल शुक्ल मे । उनका इतनी रात तक जगना हम लोगों की मुसीबत बन जाता था । हमें भी जागना पड़ता था, उनके डर से या उनकी देखा-देखी । पंडित जी पढ़ते समय प्रायः बड़ा-सा अंगोछा पहने रहते थे,

बदन खुला रहता था। उसी वेश में प्रायः पढ़ाते भी थे, किन्तु जब बाहर निकलते थे तो कलफ किया हुआ पायजामा, कुर्ता, टोपी पहने होते थे। पांव में पंप का जूता होता था और हाथ में छड़ी। उनका सुन्दर बलिष्ठ शरीर इस वेशभूषा में बहुत भव्य और कुछ हद तक रोमांटिक लगने लगता था। उनके बड़े-बड़े बालों की भी अपनी शोभा थी। पान खूब खाते थे अतः पतले ओठों पर तरल लालिमा पसरी होती थी।

पंडित जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उसका असर हम सब पर पड़ रहा था। वे अध्ययनशील अध्यापक तो थे ही, एक कुशल प्रबंधक भी थे। उन्होंने अखाड़ा खोल रखा था जिममें वे शाम को सबको लड़ाते थे। हमें दांव-पेच सिखाते थे। वालीबाल की टीम भी बना रखी थी जिसे लेकर वे आसपास के स्कूलों से प्रतिस्पर्धा में उतरा करते थे। वे एक ओर पूरे जिले में आयोजित होने वाले साहित्यिक समारोहों में भाग लेते थे और हमें भी साथ ले जाते थे, दूसरी ओर आसपास के गांवों के झगड़े निबटाने के लिए पंच भी बनते थे। उनमें जाग्रत् राष्ट्राभिमान भी था अतः वे राजनीतिक समारोहों में जाया करते थे। एक ओर वे साहित्यिक पुस्तकें खरीदने, दूसरी ओर अंग्रेजी के अखबार भी। काफी लड़के आसपास के गांवों से रोज आते-जाते थे। किन्तु दूर-दूर के गांवों के लड़के स्कूल में ठहरे हुए थे। उनके आवास, भोजन और योग-क्षेम की व्यवस्था की देख-रेख भी पंडित जी को करनी पड़ती थी। वे हम सबके घरेलू सुख-दुःख में भी रुचि रखते थे।

पंडित जी से जुड़े हुए एक और व्यक्ति थे जो स्कूल के अपरिहार्य अंग बन गये थे। वे थे ढरसी गांव के श्री बटुकदेव तिवारी। वे पंडित जी से उम्र में काफी बड़े थे—लेकिन उनका भी हुलिया बहुत कुछ पंडित जी से मिलता-जुलता था। पंडित जी के साथ उनकी खूब छनती थी। वे हम लोगों के भी आदरणीय बन गए थे।

जब मैंने पहली बार गांव छोड़ा तो न जाने कितनी उदासी और अकेलेपन के बोध ने मुझे घेर लिया था। गांव से दस मील की दूरी न जाने कितनी बड़ी दूरी लगती थी। लगता था मैं सुदूर परदेस में जा रहा हूँ। भीतर-भीतर अहक रहा था। पिताजी के साथ होने से फिलहाल कुछ आश्वस्ति थी किन्तु यह सोचकर मन भरा आ रहा था कि ये तो मुझे छोड़कर चले आयेंगे। रास्ते के गांव मुझे परदेस मालूम पड़ रहे थे। यद्यपि इन गांवों से होकर मैं कितनी बार गुजरा था, क्योंकि ये गांव मेरे ननिहाल के रास्ते में पड़ते थे किन्तु तब ये कुछ नहीं लगे थे। आज परदेस लग रहे थे, क्योंकि आज मैं एक अनजाने गांव के अनजाने स्कूल के अनजाने लोगों के बीच रहने जा रहा था। मेरे भीतर का गूढ़ता-बोध मुझे भीतर-भीतर रुला रहा था और इन गांवों को आशंकित नजरों से देख रहा था। जब मैं स्कूल पहुंचा तो पंडित जी बरगद के नीचे क्लास ले रहे थे। वे एक आरामकुर्सी पर पसरे छंद पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा—“बताओ, यह कौन छंद है?”

हम लोग उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा नहीं। वे पूछते रहे—“हां बताओ, यह कौन छंद है?” वे चुप रहे और दबी निगाह से हमें देख रहे थे। मैं बोल पड़ा, “हरिणीतिका।” पंडित जी खुशी से बोले—“बाह, कौन है?” उन्होंने मुड़कर

पीछे की ओर देखा। क्षण-भर पहचानने की कोशिश की और कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। पिताजी से बोले—“आप हैं मिसिर जी, प्रणाम।” फिर वे बच्चों को संबोधित कर बोले—“बच्चो, ये है तुम्हारे नये साथी। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे, मैं कुछ भूल रहा हूँ।” मैंने कहा—“रामदरश मिश्र।” “हा, ये है रामदरश मिश्र। तुम लोग हरिगीतिका छंद से इनका परिचय पा ही गये हो। ये कवि है। अच्छा, तुम लोग अभ्यास करो, मैं अभी आया।”

मुझे अच्छा लगा। पंडित जी से हम लोग पन्द्रह-बीस दिन पहले मिले थे। उन्होंने थोड़ी-नी शिक्षक के बाद ही एकदम पहचान लिया, इससे मेरे भारीपन के भीतर एक हलकापन महसूस हुआ।

वे हमारे साथ स्कूल में गये। हमारा सामान रखवाया। एक लड़के को बुलाकर रामधनी के यहाँ से पेड़ा मंगाया और पानी भी। हमें जलपान कराया, फिर पूछा—“कुछ खाना-वाना खाया है?” “हां, हम लोग घर से खा-पीकर चले थे। आप चिंता न कीजिए।” पिताजी ने कहा। “अच्छा, आप आराम कीजिए। अच्छा कवि जी, आज आप भी आराम कीजिए, कल से क्लास में आइएगा।”

“नहीं पंडित जी, मैं भी क्लास में चलता हूँ।” मैंने कहा। न जाने क्यों मेरे भीतर का अजनबीपन का डर या परदेसीपन कहीं दुबक गया था। शायद पंडित जी की आत्मीयता के स्पर्श में वह पिघलकर बह गया था या कम हो गया था।

पंडित जी ने मस्मिंत नजरो से मुझे देखा और मैं उनके पीछे-पीछे हो लिया। क्लास में बैठे तो देखा मेरे ननिहाल के गांव के विध्याचल और रामप्रश्न भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे हसकर देखा। मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ। लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे परिचय के कुछ लोग और हैं। दो-चार दिन में मेरे गांव के सहपाठी कपिल-देव भी आ जायेंगे। फिर थोड़ी और आश्वस्ति मिल जायेगी।

शाम हुई। विध्याचल और रामप्रश्न ने आकर पिताजी से भेंट की। पिताजी का मेरे ननिहाल जाने का कार्यक्रम था लेकिन कल। विध्याचल और रामप्रश्न ने जिद की—“फूफा जी, आज ही चलिए न। हमारे पास माइकिल है। आपको बिठाकर ले चलेगे।” पिताजी ने मेरी ओर देखा—मानो अनुमति चाह रहे हों। मैंने धरे मन से कहा—“चले जाइए।” वे चले गए।

मुझे भूख लग आयी थी। सड़क की ओर चला गया। वासुदेव की दुकान से गुड़ लिया और थोड़ा चबेना लेकर सड़क पर निकल गया। खाता रहा, टहलता रहा। जब चबेना खत्म हो गया तो लौट पड़ा। यह सड़क, यह गांव, ये दुकानें मुझसे पूर्व परिचित हैं। इस सड़क से मैं कितनी बार ननिहाल और बडहलगांव के मेले में गया हूँ, बारात गया हूँ। यही बरगद के नीचे बैठकर हम लोगो ने दोपहर का खाना खाया है। सत्तू और दहीचूड़ा। इन दुकानों से कितनी बार चीजें खरीदी हैं। मझगांवों दरअसल इस सड़क पर होने वाली हमारी यात्राओं का मध्यगांव रहा है जहाँ हम विश्राम के लिए रुकते रहे हैं। इन दृश्यों से मेरा हलका रागात्मक लगाव पहले से रहा है, किन्तु आज ये एक नये सिरे से मुझसे जुड़ते लग रहे थे। पहले तो मैं एक राही की तरह इनका आनन्द

लेता रहा हूँ, आज तो इनके बीच रहने के लिए मैं विवश हो रहा था। इनसे जुड़ना या न जुड़ना, इनमें रहना या छोड़कर चल देना मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं था, यहां रहना मेरी नियति बन रहा था इसलिए मैं इनसे कुछ टकरा रहा था, कुछ पिछले संस्कारों द्वारा इनमें पँठ रहा था या ये टकरा और पँठ रहे थे। मैं इनके बीच अपनेपन और अजनबी-पन दोनों के मिले-जुले अहसासों से गुजर रहा था।

यह सड़क बहुत चालू है। बड़ी रौनक रहती है इस पर। यह सड़क यों भी बहुत चालू है किन्तु सरयू के तट पर बसा होने के कारण बड़हलगंज में धार्मिक पर्वों पर मेले लगा करते हैं। रविवार को भी लोग नहाने जाते हैं। शादी के अवसर पर तो इसकी रौनक और बढ़ जाती है। मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर देख रहा था पालकी, हाथी-घोड़े, बाराती, गाजे-बाजे। अभी कुछ दिन पहले मैं भी दो बार इससे गुजरा हूँ— एक बार भाई की शादी में, एक बार अपनी शादी में और आते-जाते हम यही रूके थे।

अंधेरा घिरने लगा था, मैं स्कूल में लौट आया। स्कूल की बिल्डिंग अपनी नहीं थी—प्राइमरी स्कूल की ही दो बिल्डिंगों में से पंडित जी ने एक बिल्डिंग ले ली थी, किराये से नहीं, अपने व्यवहार में। मैं आया तो पंडित जी श्री बटुकदेव तिवारी के साथ घूमने चले गये थे। मैं आकर चुपचाप उस कमरे में अपने बक्स के पास बैठ गया जहां सभी लड़कों के सामान रखे हुए थे। कुछ चूल्हे कमरे के अन्दर बने हुए थे, कुछ बाहर मैदान में। शायद बरसात और जाड़े के लिए ये भीतर के चूल्हे बने थे। फिलहाल लड़के बाहर अपने-अपने चूल्हे सुलगा रहे थे। घुआं चारों ओर छाया था। कुछ आटा गूंध रहे थे, कुछ तरकारी चीर रहे थे। मैं चुपचाप बैठा देख रहा था। अन्दर सबसे किनारे एक चूल्हा जल रहा था और दो व्यक्ति वहां खाना बनाने में जुटे हुए थे। मालूम पड़ा कि यह चूल्हा पंडित जी का है। और ये दोनो पंडित जी के गांव के हैं, दोनो भाई हैं। उनमें से एक मेरे पास आया। बोला—“खाना-वाना नहीं बनाओगे ?”

‘नहीं’ सूचक सिर हिला दिया और उदास-उदास-सा अपने में खोया रहा। वह चला गया। कमरे में गर्मी लगने लगी तो उठकर बाहर चला गया। जाकर एक पत्थर के टुकड़े पर बैठ गया।

फिर एक लड़का आया। “यहां क्यों बैठे हो ? चूल्हा-चूल्हा नहीं जलेगा ?”

“नहीं।”

मैं यह भी देख रहा था कि मेरा चूल्हा कौन-सा है, कहां जलाऊं। भीतर-भीतर एक थकान, उदासी और गृह-ममता का भाव डूल मार रहा था। पंडित जी आये। लड़के खाना खा रहे थे। पंडित जी को सूचित किया गया कि खाना तैयार है। भोजन कर लें। पंडित जी खाना खाने के लिए कमरे में पहुंचे। मैं बाहर से उठकर ओसारे में आ गया।

पंडित जी ने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला, पूछा, “अरे, उस लड़के ने खाना खा लिया ?”

“किस लड़के ने ?”

“अरे वही जो आज आया है। अरे कवि जी।”

“नहीं, मैंने तो कहा कि बनाओ, लेकिन उन्होंने कहा भूख नहीं है।”

“कहां बनाओ? कोई जगह-वगह बतायी? वह नया लड़का है, उसे अभी किसी चीज की क्या खबर है?”

पंडित जी ने शायद खाना रोक दिया था और कहा, “बुलाओ उसे।”

मैं पकड़कर ले जाया गया। पंडित जी ने कहा—“आओ, खाना खाओ।”

“नहीं पंडित जी, मुझे भूख नहीं है।”

मैं अपने को दबाते-दबाते भी सुबक पड़ा।

“सब ठीक हो जायेगा। शुरू-शुरू में ऐसा होता है। घर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन घर से बघकर तो कोई विकास नहीं कर सकता। आओ, मेरे साथ खाना खाओ।”

“नहीं पंडित जी, भूख नहीं है।”

“तो मत खाओ भाई। लो, मैं भी नहीं खाता।” कहकर पंडित जी ने थाली आगे से सरका दी।

“नहीं-नहीं पंडित जी, मेरे लिए आप क्यों नहीं खायेंगे?”

“तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं खाऊंगा। मैंने जो भूल की है उसका जवाब यही है कि या तो तुम मेरे साथ खाना खाओ या तुम्हारे साथ मैं भी उपवास करूं।”

“आपने क्या भूल की है चाचा जी?” उनके गांव वाले लड़के ने पूछा।

“एक नया लड़का स्कूल में आया। मैंने यह भी व्यवस्था नहीं की कि वह कहां, किसके साथ खाना बनाये-खायेगा, कहां सोयेगा, कहां उसका सामान रहेगा और घूमने चला गया। आखिर उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी ही न! मैं अपनी भूल के लिए अपने को माफ नहीं करूंगा। तुम लोगों में तो इतनी अकल है नहीं कि यदि मैं भूल जाऊं तो कुछ व्यवस्था कर दो।” कहकर पंडित जी चुपचाप बैठे रहे और लगा कि थोड़ी देर में बिना खाये उठ जायेंगे।

मैंने चुपचाप कुरता निकाला। अपना लोटा उठाया और हाथ-पांव धोकर पंडित जी की रसोई में उनसे थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। सिर झुकाये उनके साथ खाना खाता रहा। लगा, पंडित जी तृप्त हो रहे हैं। हम खाकर उठे तो देखा कि पंडित जी के गंवई भतीजे फिर आटा गूंधने लगे थे। एक आदमी का खाना मैं जो खा गया था। मुझे हैरानी हुई। पंडित जी अपने कमरे में चले गये तो एक भतीजे साहब ने झल्लाकर लकड़ी फूंकते हुए कहा—“अजीब मुसीबत है।” मैंने सुना और अपमान-सा महसूस हुआ, लेकिन करता क्या? थोड़ी देर बाद पंडित जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। देखा—वहां दो लड़के पहले से मौजूद थे। पंडित जी ने उनसे कहा—“सुदीप और बलवंत, देखो कल से तुम्हारे चौके में कवि जी का खाना बनेगा। और तुम लोग यहां के पुराने छात्र हो गये हो, देखना इन्हें कोई तकलीफ न हो।”

“जी पंडित जी।” कहकर वे दोनों चले गये। मैं खड़ा रहा।

“आओ, तुम भी इन लोगों के साथ पढ़ो और सो जाओ। कोई दिक्कत हो तो

मुझसे कह दिया करना ।”

बराभरे में टाट बिछा था । उस पर लड़कों ने अपनी-अपनी दरियां बिछा ली थीं और सो गये । मेरी आंखों में नींद नहीं थी । काफी रात गुजर गयी थी लेकिन पंडित जी के कमरे में लालटेन जल रही थी । मुझे घर याद आ रहा था, अपने गांव के खेत-खलिहान, बाग-बगीचे याद आ रहे थे । मां बुरी तरह याद आ रही थी । मझले भाई साहब याद आ रहे थे । बड़े भइया तो हम लोगों से पहले ही छूट चुके थे । बहुत दिनों से परदेसी बन गये थे इसलिए उनसे बिछुड़ने का कोई तात्कालिक दर्द तो नहीं था लेकिन आज वे भी बुरी तरह याद आ रहे थे ।

उमस हो रही थी । आकाश में बादल छाये हुए थे । हवा बंद थी । मच्छर तब भी काट रहे होंगे लेकिन तब इसका बोध नहीं था, क्योंकि बिजली के पंखे और मच्छर-नाशक दवाइयों से अपना साबका नहीं पड़ा था । तब तक मच्छरों के काटने का बोध कोई अलग बोध नहीं बन पाया था । बादल गरजे, बिजली चमकी । कई बार यह प्रक्रिया हुई और छरछराकर पानी बरसने लगा और मेरी आंखें भरभराकर बरस पड़ी । हवा चल पड़ी थी और एक शीतलता चारों ओर व्याप गयी ।

पंडित जी बाहर निकल आये और अपने मोटे अनाड़ी कंठ से गाने लगे—

घन घमंड गरजत नभ घोरा ।

प्रियाहीन डरपत मन मोरा ।

फिर धीरे-धीरे हमारी ओर सरक आये । “अरे, तुममें से कोई भीग तो नहीं न रहा है ?”

पुरवा हवा के स्पर्श से बच्चों की नींद और गहरा गयी थी । कोई नहीं बोला । मैं ही बोला—“नहीं पंडित जी ।” मेरी आवाज का भीगापन और भारीपन शायद वे भांप गये । बोले—“तुम अभी नहीं सोये ?”

“सोया था पंडित जी, अभी-अभी नींद टूट गयी है ।”

“बादलों से कवि का सनातन संबंध है । बादल यों गरज-बरस रहे हों तो कोई कवि कैसे सो सकता है ?” वे हंसे । थोड़ी देर खड़े होकर पानी बरसता देखते रहे । फिर मेरी ओर मुड़े । “सुनो—शुरू-शुरू में सबको घर की याद आती है, फिर जहां आदमी रहने लगता है उससे लगाव हो जाता है और वह भी घर जैसा ही अच्छा लगने लगता है ।” वे चले गये तो मुझे लगा कि उन्हें मेरी सही स्थिति का ज्ञान हो गया था । कितने अनुभवी और समझदार हैं पंडित जी । मां याद आ रही थी । वह मेरी याद में खोई होगी । उसका छोटा बेटा पहली बार परदेस गया है, न जाने उसने खाय-पिया होगा या नहीं, न जाने कहां सोया होगा !

बरसात...बरसात...बरसात । बचपन की कितनी बरसातों की रातें मां के साथ उभर आई हैं । सही-सलामत मकान तो अब बना है । पहले तो जगह-जगह से चूता हुआ मकान था । बरसात की रातों में मां सो कहां पाती थी । सामान यहां से वहां सरकाती, वहां भी पानी चू रहा है, वहां से कहीं और सरकाती, वहां भी पानी चू रहा

है। खाट पर हम सोये होते, हमारे ऊपर छन्न-छन्न पानी चूता। उनींदे से खाट सरका लेते, वहां भी पानी। और हम सबकी पीड़ा मां की आंखों में भरी होती। वह बड़बड़ाती कोसती—कभी बरसात को, कभी पिताजी को। आज वह मेरे लिए रो रही होगी। मुझे मां बहुत याद आ रही थी।

भीनी-भीनी गंध के झोंके आ रहे थे। शायद मेहंदी के हैं। हां, शाम को देखा था कि सामने फूलों का एक बगीचा भी है जिसके चारों ओर मेहंदी लगी हुई है। मैं उठकर बैठ गया। पानी खूब जोर से बरस रहा था। एकाएक बहुत जोर से बिजली चमकी। लगा जैसे प्रकाश की एक बड़ी चट्टान दहाड़ती हुई गिर पड़ी हो। फिर लेट गया। पंडित जी भी सो गये थे। मुझे भी न जाने कब नींद आयी और सो गया।

सवेरे उठा तो पानी थम गया था। खूब पानी बरसा था। सामने का सारा दृश्य हरा हो गया था। पेड़ों की पत्तियां धुलकर एक नयी गहरी हरीतिमा से भर उठी। ठंडी-ठंडी पुरवा हवा चल रही थी जिससे पत्ते कांप रहे थे और रास्तों, मैदानों में जमे पानी में परछाइयां धरधरा रही थीं।

पंडित जी गा रहे थे—

शीतल प्रभात बात खात हरखत गात
धोये-धोये पातन की बात ही निराली है।

लडके दिशा-मैदान होने के लिए आ-जा रहे थे, नहा-धो रहे थे। मैं भी नहा चुका था। पंडित जी ने पुकारा, “कवि जी !”

“जी पंडित जी।” वहां उपस्थित होकर मैंने कहा।

देखा पंडित जी नहा-धोकर शायद पूजा की तैयारी कर रहे थे। बोले—“गुलाब के फूल तोड़ लाओ।”

“जी पंडित जी।”

“देखो, तुम्हारी ड्यूटी है कि रोज मेरी पूजा के समय गुलाब के फूल तोड़कर यहां रख जाया करो।”

“जी पंडित जी।”

“हां, आज तक मैं स्वयं तोड़ता था, अब तुम्हें यह काम सौंप रहा हूं।”

“जी पंडित जी !”

मैं सामने के उस छोटे मे उद्यान में गया। मेहंदी की बाड़ पार करके अन्दर घुसा तो देखा गुलाब के पचासों पौधे... कुछ बेला के पौधे। कुछ गुलाब खिले थे। भीगे पत्तों और पंखड़ियों से एक नयी आर्द्र आभा फूट रही थी। भीनी-भीनी महक मेरे नथुनों में समा रही थी। फलों को देख रहा था। उन्हें तोड़ने को मन नहीं हो रहा था, किन्तु गुरु-आज्ञा। ये फूल पूजा में चढ़ाये जायेंगे। फूल और पूजा, सौन्दर्य और धर्म। तब इन बातों पर बहुत सोचने की क्षमता मुझमें नहीं थी, लेकिन एक द्विधा की अनुभूति तो कर ही रहा था। पंडित जी ने गुलाबों से संपर्क और उनके फूल तोड़ना इन दोनों कामों को मुझे सौंपा है। मेरा कवि हृदय गुलाब के फूलों से समृद्ध होगा और शिष्य मन पंडित जी

की पूजा का एक साधन बनेगा। जो भी हो पंडित जी ने यह काम सौंपकर अपनी ओर मे मुझे मान दिया है, स्नेह दिया है। मैं उनकी दृष्टि में अपनी एक अलग पहचान बना सका हूं यह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने धीरे-धीरे फूल चुनने शुरू किये। दस-बारह फूल चुनकर टोकरी में डाले। हर बार अगुली में काटा चुभा। थोड़ा खून निकला। फूल चुन लेने के बाद मेरी हथेली में कटक-चुभन की हलकी-हलकी पनपनाहट हो रही थी। मैंने हथेली का दर्द कम करने के लिए उसे अपने मुह तक लाकर दबाया और अनुभव किया कि एक खुशबू मेरी हथेली में बस गयी है। कांटे का दर्द और खुशबू... क्या इनका बहुत गहरा सनातन संबंध है? शायद है। डाल पर जीवित गुलाबों तक पहुंचने वाले हाथों को कांटों से गुजरना ही पड़ेगा, मशीन से तोड़ने वाले या बाजार से उनका इत्र खरीदने वाले सौन्दर्य और दर्द का रिश्ता नहीं समझेंगे।

मैं फूल तोड़कर ले आया और पंडित जी की पूजा-भूमि पर रख आया। मुझे लगा कि यह सुबह मेरे साथ हो गयी है। कल की उदासी, अजनबीपन यहा-वहा से दूरक उठा है और उसके बीच-बीच में गुलाब के फूल भर उठे हैं, मेहदी की भीनी महक भर उठी है। यानी मेरी दुनिया थोड़ी-सी बड़ी हुई गयी है।

सुदीप और बलवंत मेरे पास आये—“चलो खाना बनाते हैं।” मालूम पडा सुदीप सिधुवापार के हैं, जहां की मेरी पहली मां थी। मेरा असली ननिहाल तो भीटी है जहा के रामप्रश्न और विध्याचल कल ही क्लास में मिल गये थे, किन्तु यह दूसरा ननिहाल भी मुझे कम प्यारा नहीं था। इसलिए सुदीप ने मेरे अजनबीपन को कुछ और तोडा।

पंडित जी के गांव के दोनो व्यक्ति चचेरे भाई थे। सुदीप ने ही बताया। उनके नाम भूल रहा हू किन्तु एक को मोल्हू और दूसरे को शायद राजा नाम से पुकारते थे। दोनो बहुत बोलते थे। राजा ने मेरा घर पूछा। मैंने बताया—“मिश्र लोगो की डुमरी।” उसने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा—“आप लोगो के गांव का टाडा मे सबध है क्या?”

“हां, है, बहुतो के संबंध है। खुद अभी मेरे भाई की शादी हुई है वहा।”

“किसके यहा?”

“गंगा तिवारी के यहा। उनकी बहन से।”

“बाह रे मोसा जी, अब तक आप क्यों छिपे हुए थे?”

“मोसा?”

“हां, मेरी मा भी उन्ही की बहन थी।”

“थी क्यों?”

“अब नहीं है।”

मुझे लगा कि पतं दर पतं अकेलापन टूटता जा रहा है और संबंधों की नयी-नयी पंखुड़ियां खुलती जा रही है। मैं उत्साह और स्फूर्ति से सक्रिय हो रहा था। लगता था जैसे जाड़े की सीलन-भरी हवा में फागुन की सुगंधित उष्मा का आभास मिलने लगा हो।

उत्साह से क्लास में गया। विन्ध्याचल और रामप्रश्न भी आ गये थे। धीरे-धीरे आसपास के गांवों से भी लड़के आ गये। एक क्लास अंग्रेजी पढ़ने वाले लड़कों की थी। एक विशेष योग्यता पढ़ने वालों की। बारिश हो जाने की वजह से आज मैदान में पढ़ाई नहीं हुई। एक कमरे में वे बैठे थे, एक में हम। पंडित जी पहले अंग्रेजी क्लास में गये, उन्हें कुछ लिखने को दे आये और हमारी क्लास में आ गये। वे कुर्ता-पायजामे में थे। बिहारी सतसई की क्लास थी। वे पढ़ाने लगे। उनके हाथ में 'बिहारी रत्नाकर' थी। बच्चों को वे दोहे लिखवा देते थे फिर अर्थ करते थे। उस देहात में सबके पास बिहारी रत्नाकर का होना संभव नहीं था। वे अर्थ करते थे, पूछते थे, सतुष्ट होकर आगे बढ़ते थे। मुझे लगा कि पंडित जी के बार-बार समझाने पर भी अर्थ कुछ लोगों के दिमाग में नहीं घुसता था। मुझे अर्थ ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। पंडित जी एक दोहा पढ़ा रहे थे। शायद दोहा था—

नासा मोरि नचाइ दूग करी कका की सौह
काटे-सी कसकत बहै गडी कटीली भौह।

पढ़ाकर पंडित जी आगे बढ़े थे कि विन्ध्याचल ने हंसकर कहा—“पंडित जी, यह दोहा पूरी तरह समझ में नहीं आया।”

“क्यों नहीं समझ में आया?”

“पंडित जी, यही कि कटीली भौह काटे-सी कंमें कसकती है?”

पंडित जी अपनी पतली मूछों में मुसकराये।

“खड़े हो जाओ।”

विन्ध्याचल खड़े हो गये।

“हाथ फैलाओ।”

“क्यों पंडित जी?” विन्ध्याचल ने हंसते हुए कहा।

“फैलाओ तो।”

विन्ध्याचल ने हाथ फैला दिया। पंडित जी ने उस पर हलके-हलके दो बेलें रख दिये। रामप्रश्न भी खिलखिलाकर हसने लगे। पंडित जी भी अपनी मुसकान दबाये जा रहे थे, किन्तु मुझे कुछ पता नहीं चला कि यह सब क्या हो रहा है। क्या है इस दोहे में जो विन्ध्याचल की समझ में नहीं आया और विन्ध्याचल के सवाल में ऐसा क्या था कि पंडित जी मुसकराये और दडित कर दिया? मुझे बहुत बाद में लगा कि मैं उस समय तक यौन संवेदना के प्रति बहुत जागरूक न होने के कारण इन दोहों को अर्थ के स्तर पर ही ग्रहण कर रहा था, संवेदना के स्तर पर नहीं। विन्ध्याचल ने संवेदना के स्तर पर शारांगत की थी और पंडित जी ने दडित किया था।

पंडित जी आगे बढ़े। फिर कोई दोहा शुरू किया। दो-तीन बार पढ़ाने के बाद पूछा—“समझे?”

“हां पंडित जी।”

“बताओ।” एक लड़के से पूछा। वह अचकचा गया। दूसरे से पूछा, वह भी

अचकचा गया। मुझे पूछा, मैंने वह अर्थ कर दिया जो पंडित जी ने बताया था।

पंडित जी बोले—“देखो बेहूदो, नालायको !” यह उनकी पेट गाली थी, “तुम लोग महीने-भर से पढ़ रहे हो और यह लड़का आज ही आया है। तुम लोग ए-ए करते रहे, इसने फट से बता दिया।”

“लेकिन पंडित जी, यह दोहा तो हम लोग महीने-भर से नहीं पढ़ रहे है, यह तो आज ही पढ़ा है।”

पंडित जी मुसकराये और सिर हिलाया। मुझे लगा कि विद्यार्थी पंडित जी से बहुत हिले-मिले हैं।

मैंने पूछा—“पंडित जी, इतने दोहे हो चुके है, इन्हें कैसे पूरा करूंगा ?”

पंडित जी बोलें, उससे पहले विध्याचल बोल उठे—“ए ववि, हम पूरा करा देंगे।” सभी लोग हंसने लगे। पंडित जी भी हंसे। बोले—“चिंता मत करो, मैं करा दूंगा और इस बेहूदा विध्याचल से कुछ मत पूछना, यह सब उलटा-पुलटा बता देगा।”

एक ठहाका पडा और पढाई आगे बढी।

दूसरी कक्षा इतिहास की थी। आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास कोर्स मे था। पंडित जी ‘साहित्य का इतिहास’ की चर्चा करते हुए मिश्रबंधु विनोद की चर्चा पर आ गये। शायद यह चर्चा वे पहले भी कर चुके थे। आचार्य शुक्ल के इतिहास की चर्चा पर उतरे हुए थे। “मिश्रबंधुओं के इतिहास की बात तुम लोगों को बताई थी। वास्तव मे वह कवि चरित चर्चा भर है। सही अर्थों मे तो चाचा का इतिहास ही इतिहास है। वे भेंडी के थे। रामचंद्र शुक्ल के पूर्वज भी भेंडी के थे अतः वे उन्हें चाचा कहते थे।” लडके मुसकराये। पंडित जी समझ गये, वे अपनी मुसकान्दबाकर बोलते गये। मुझे कुछ पता नहीं था संदर्भों का।

पंडित जी शुक्ल जी के इतिहास की विशेषताएं बताते हुए उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की ओर संकेत करते गये और इस प्रक्रिया मे मिश्रबंधुओं की कमजोरी का भी हवाला देने गये।

रामप्रश्न खिलखिलाकर हंस पडे। “क्या है ? क्यों हस रहे हो नालायक, बेहूदा ?”

“पंडित जी, आप पक्षपात कर रहे है। रामचंद्र शुक्ल आपके चाचा है न इसलिए आप उन्हें ऊपर उठा रहे है और मिश्रबंधुओं को नीचे गिरा रहे है। मिश्रबंधु बहुत ऊंचे लेखक है।”

पंडित जी चुप हो गये। लगा कि और बच्चे भी कही इस बात से सहमत थे। वे इस सवाल से प्रमन्न से लगे। मेरे मिश्र मन को भी मिश्रबंधुओं की बडाई अच्छी लगी। दरअसल न मैं मिश्रबंधुओं को जानता था न शुक्ल जी को। और यही हाल सबका रहा, लेकिन एक शुक्ल और वह भी भतीजा शुक्ल द्वारा चाचा शुक्ल की बार-बार बडाई से सबके मन मे एक संदेह का भाव पैदा हो गया था। संदेह न भी कहें तो छेड-छाड का भाव तो कह ही सकते हैं।

पंडित जी चुप हो गये। कुछ देर तक गंभीर बने रहे। फिर बोले—“देखो

बच्चो, यदि रामचंद्र शुक्ल की महानता सिद्ध करने में मेरा-उनका भतीजा और शुक्ल होना रास्ते में बाधक बन रहा है तो यह मेरा दुर्भाग्य है। अभी तुम लोग साहित्य के जगत् में प्रवेश कर रहे हो। तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? जब तुम लोग समझदार होगे तो स्वयं समझ जाओगे। फिलहाल जो मैं कहता हूँ उसे मान लो।”

पंडित जी ने क्लास की ओर देखा और उन्हें लगा कि कुछ चेहरों पर से द्विधा का भाव मिटा नहीं है। उसी समय एक सज्जन आ गये। लड़के उन्हें शायद पहचानते थे क्योंकि उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। शायद वे इस बीच एकाध बार आ चुके हो।

“आओ दोस्त, तुम अच्छे मौके पर आये। मेरे छात्रों ने मुझ पर एक तोहमत लगा दी है। मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। गुरु की हैसियत से इन्हें डांटकर चुप तो करा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि तुम लोगो से अधिक जानता हूँ, जो कह रहा हूँ उसे स्वीकार करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इनके मन में इतने बड़े आलोचक का प्रभाव भय से पैदा करूँ। ये कहते हैं कि मिश्रबंधु शुक्ल जी से बड़े आलोचक हैं, मैं शुक्ल जी का भतीजा होने के कारण उन्हें बड़ा बना रहा हूँ।”

मैंने पास बैठे एक लड़के से पूछा कि ये कौन है। उसने बताया कि ये पंडित जी के दोस्त हैं, नेता है, रामलखन शुक्ल इनका नाम है।

रामलखन जी पंडित जी के विपरीत दुबले-पतले व्यक्ति थे। चेहरे से बहुत तेज-तर्रार लग रहे थे। उनका पूरा अस्तित्व साप की तरह लपलपा रहा था।

बोलना शुरू किया। उनकी बोली में भी वही तेजी महसूस हुई। बोले—“बच्चो, आपके गुरु जी गलत बात कह रहे हैं।” वे थोड़ा रुके। रामप्रश्न और विध्याचल मुसकराये, और बच्चे भी थोड़े उत्सुक हुए। सबको लगा कि आज ये अपने दोस्त की धुलाई कर देंगे। पंडित जी का चेहरा भी कुछ असमंजस में पड़ा दिखाई दिया।

“बात यह है,” रामलखन जी आगे बोले—“रामचंद्र शुक्ल से मिश्रबंधुओं की तुलना हो ही नहीं सकती। रामचंद्र शुक्ल से मिश्रबंधुओं की तुलना करना रामचंद्र शुक्ल का अपमान करना होगा।” फिर वे बहुत देर तक रामचंद्र शुक्ल के साहित्य पर बोलते रहे। बोल चुके तो अंत में कहा—“मैं भी शुक्ल हूँ किन्तु क्या इस डर से रामचंद्र शुक्ल की महत्ता का उद्घाटन न करूँ? नहीं, यह बेईमानी है अपनी आत्मा के साथ, उस विद्वान् के साथ और अध्यापन के पेशे के साथ भी। गोकि मैं अध्यापक नहीं हूँ फिर भी फिलहाल तो इसी रूप में बैठा हूँ।”

लोग चकित थे। मैं बाद में ज्यों-ज्यों इस व्यक्ति के परिचय में आया, उसके गुणों से अभिभूत होता गया। वे समाजवादी नेता थे, इंटर पास थे, लेकिन अंग्रेजी और हिन्दी दोनों पर, राजनीति और साहित्य दोनों पर इस व्यक्ति का अद्भुत अधिकार था। इनसे हम फिर मिलेंगे, यहां बस इतना ही।

पंडित जी फिर अलंकार याद करने के लिए देकर शुक्ल जी के साथ चले गये। वे शायद अंग्रेजी की क्लास में चले गये थे क्योंकि मालूम हुआ कि रामलखन जी ने उस दिन अंग्रेजी बालों को अंग्रेजी पढ़ायी थी।

क्लास की छुट्टी हो गयी तो देखा खेल के मैदान में वालीबाल की जाली टांग दी गयी है। रात की बारिश के बाद दिन को धूप निकली थी, इसलिए मैदान ठीक हो गया था, खेलने लायक। विध्याचल, रामप्रश्न, गगहा के कुछ लड़के तथा रामलखन जी के साथ पंडित जी मैदान में जा डटे। तो पंडित जी वालीबाल भी खेलते हैं और रामलखन जी भी। मैं भी वहां जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने पूछा, “कवि जी, खेलते हो?” मैंने नहीं में मिर हिला दिया कवि जी के नाम से रामलखन जी ने मेरी ओर एक बार उत्सुकता से देखा, फिर खेलने लगे।

खेल चलता रहा। मैं सोचता रहा कि सभी खेलों में मैं रस लेता रहा लेकिन पारंगत किमी में नहीं हुआ। वालीबाल भी खेलता हूँ लेकिन मैं उसका प्लेयर नहीं बन सका। थोड़ा-बहुत पीट-पाट तो लेता हूँ लेकिन उसकी कला में माहिर नहीं हो पाया।

“यह रही वाली,” विध्याचल चिल्लाये। मैंने चौंकर देखा—वाह, क्या वाली है! लंबे-चौड़े विध्याचल ने बहुत अच्छी वाली लगायी थी। थोड़ा उचककर जो बाल नीचे घंसाया तो किसी की ताकत नहीं थी कि उसे उठा ले। पास खड़े लड़के ने कहा, “विध्याचल तो गगहा में बडहलगंज तक अपनी वाली के लिए मशहूर है। बड़ी मुश्किल से कोई इनकी वाली उठा पाता है और यहां के वालीबाल टीम के वे कैंप्टन है।” डेढ़-दो घंटे तक खेल चलता रहा, फिर पंडित जी के आदेश से खेल बंद हो गया। पंडित जी रामलखन जी के साथ घूमने चले गये। हम लोग भी घूमने निकल गये।

लौटकर आये तो खूब भूख लग गयी थी। देखा—सुदीप चूल्हा जला रहे थे। मेरे जाते ही पूछा—“आपको क्या करना आता है? आटा गूंघेंगे कि रोटी बनायेंगे?” मुझसे रोटी ठीक से नहीं सिकती है, जल जाती है। मिडिल स्कूल में पढ़ते हुए गांव में प्लेग आने के कारण जब दूसरे किसी गांव में स्कूल चला जाता था और वहां रहकर खाना बनाना पड़ता था तब मैंने यह अनुभव किया था। मैंने कहा—“आटा गूंघूंगा।”

“ठीक है, आटा गूंघिए। देखिए, यहां कई काम हैं—कुएं से पानी लाना, चूल्हा सुलगाना, आटा गूंघना और रोटी सेंकना ये मुख्य कार्य हैं। हम तीन हैं, हमें काम बांट लेना होगा।” सुदीप बोले।

“ठीक है, आप लोग जो कहेंगे करूंगा। काम मिलजुलकर करना ही चाहिए। बलवंत जी कहां हैं?”

“आते होंगे। रोटी वही सेंकेंगे।”

आग जल गयी थी, आटा भी गूंघ गया था। “अभी तक नहीं आया बलवंत।” सुदीप बद्बुदा रहे थे। “अब आग बुझ जायेगी तो रोटी कैसे सिकेगी?” कहकर सुदीप पानी लेने चले गये। आये तो देखा कि मैं रोटी सेंक रहा हूँ।

“अरे, यह काम तो बलवंत करेगा।”

“लेकिन आग बुझ गयी तो?”

“तो वही जलायेगा। बहुत कजाक है वह। उसको इस तरह छूट दी गयी तो उसकी आदत और बिगड़ जायेगी।”

“छोड़िए सुदीप जी, कहीं किसी काम से अटक गये होंगे।” कहकर मैं रोटियां सेंकना रहा। आंख से पानी गिर रहा था, रोटियां जल जाती थी और सुदीप देख रहे थे। दो-चार रोटियां बन गयीं तब तक बलवंत आ गये। झपटकर चौके में आये और मुझमें कहा—“हटिए, रोटी बनाता हूँ।”

बलवंत ने सुदीप को और सुदीप ने बलवंत को गुर्राहट-भरी नजरों से देखा। फिर दोनों में कहा-सुनी हो गयी। दोनों ने एक-दूसरे को कामचोर कहा। मैंने कहा—“अरे छोड़िए, किसी ने कुछ कम, किसी ने कुछ ज्यादा कर लिया तो क्या हो गया? काम का इतना साफ बंटवारा करके कैसे चलेगा?”

“नहीं चलेगा तो यह घूमता ही रहेगा।” सुदीप ने बलवंत के लिए कहा। बलवंत ने उलटकर सुदीप पर यही लांछन लगाया।

कई-कई चूल्हे सलगे हुए थे और कमरे में धुआं अटा पडा था। और हग चौके में लगभग यही स्थिति थी। पड़ित जी लौट आये तो कहा-सुनी शांत हो गई।

खाना खाने बैठे तो सुदीप परसने के लिए झपटे, लेकिन बलवंत ने कहा—“यह काम मैं कर लूंगा, आप झपटकर पानी लेते आइए।” सुदीप मन मारकर गये। वे लौटे तो बलवंत खाना परस चुके थे और सुदीप सबकी थालियों की ओर देख रहे थे। मैं पहले तो समझा नहीं कि क्यों बार-बार सबकी थालियों की ओर देख रहे हैं। उनकी देखा-देखी मैंने भी देखा और लगा कि बलवंत ने अपनी थाली में भात खूब दबाकर परसा है।

एकांत मिला तो सुदीप में पूछा—“आप बार-बार थालियों की ओर क्यों देख रहे थे?”

“अरे, यह बलवंत कामचोर तो है ही, बेईमान भी है। परसने के लिए पहुंच जायेगा और भात दबा-दबाकर अपनी थाली में परसेगा, और चीजें भी अपनी थाली में ज्यादा डालेगा।”

“तो आप यह काम कीजिए।”

“अरे भाई, काम के बटवारे में उसे यह काम मिला था। मुझे क्या मालूम था कि यह इस तरह बेईमानी करेगा।”

“पहलवान आदमी है, उन्हें ज्यादा खाना ही चाहिए।”

“तो उसे चावल, आटा, दाल की मात्रा भी अधिक देनी चाहिए। देगा सबके बराबर और खायेगा सबका दुगुना तो कैसे काम चलेगा?”

“हा, यह तो है।” कहकर मैं वहां से हट गया लेकिन मन तीता हो गया और तय कर लिया कि चार-पांच दिन में कपिलदेव आ जायेंगे तो हम लोग अपना अलग चूल्हा जलायेंगे। इन पहलवानों और कामचोरों के साथ नहीं निभेगी।

और चार-पांच दिन बाद कपिलदेव आ गये तो मैंने राहत की सांभ ली। चूल्हा तो अलग कर ही लिया, हम फिर दोनों मित्र साथ हो गये थे।

पंडित जी कवि भी थे ।

सुबह-सुबह मैदान में बैठे हुए हम लोग अपने पाठ याद कर रहे थे । बादल छाये थे, मस्त पुरवा हवा बह रही थी । मैंने पंडित जी को अपनी एक कविता दी थी सुधारने के लिए । पंडित जी खाट पर बैठे-बैठे झूम-झूमकर वही कविता गुनगुना रहे थे—‘घटा है पावस की घनघोर’ । वे उसे सुधारने की प्रक्रिया में उसमें डूबे हुए हैं, मैं कनखियों से यह देख रहा था और बहुत प्रसन्न हो रहा था । इस आह्लाद के आगे पाठ याद करना कहां आता था ? मैं भी अपनी पंक्ति भीतर-भीतर गुनगुना रहा था—

घटा है पावस की घनघोर
नाचते वन मे देखो मोर ।

भीतर-भीतर अपनी पंक्तियां मस्त बना रही थी, बाहर-बाहर मौसम अपना शीतल स्पर्श लुटा रहा था, आखों में उमड़ते-धुमड़ते दौड़ते-भागते मेघ भरे आ रहे थे । गुलाबों की भीनी-भीनी महक आ रही थी । थोड़ी दूर दृष्टि दौड़ाई तो एक लय में झुकते-उठते धान के पौधे दिखाई पड़े । घत्त, यह भी कोई पाठ याद करने का समय है ! इच्छा हुई उठकर भाग जाऊं खेतों के बीच, दौड़ूं, ताल में कूदकर नहाऊं और...

“कवि जी !”

मैं सहम गया । लगा कि पंडित जी ने मुझे पकड़ लिया है और मैं अनसुनी करके पाठ याद करने में व्यस्त होने का अभिनय करने लगा ।

“कवि जी !” पंडित जी ने दुबारा पुकारा ।

मैंने डरते-डरते उनकी ओर देखा । लगा वे प्रसन्नता में नहा रहे हैं ।

“जी पंडित जी ।”

“लीजिए, आपकी कविता मैंने ठीक कर दी है ।” वे अभी भी कविता के प्रभाव में ही दिखाई पड़े ।

मैं उनके पास गया । उन्होंने कहा, बैठिए । और वे झूम-झूमकर पूरी कविता पढ़ गये । और लड़के भी पाठ याद करना छोड़कर कविता सुनने लगे । वे पूरी कविता सुना चुके तो मुझे दे दी । मैं कृतज्ञता के भाव से अत्यंत तरल और नत हो आया था । कविता अच्छी हो आयी थी ।

पंडित जी एकाएक डपट उठ—“अरे बेहूदो, तुम लोग क्या बिटिर-बिटिर देख रहे हो, अपने-अपने पाठ याद करो ।”

और लड़के मुसकराते हुए अपनी-अपनी किताबों में घंस गये । पंडित जी भी अपनी पतली मूछों में मुसकरा पड़े । फिर उन्हें कुछ ख्याल आया और उठते हुए बोल पड़े—“अरे अब उठो तुम लोग, खाना-बाना बनाओ ।”

लड़के एकाएक भरभराकर उठ पड़े । पंडित जी ने लोटा उठाया और खेतों की ओर चल पड़े । पंडित जी को दो-तीन बार झोच जाने की बीमारी थी । जब वे चले गये

तो बच्चे स्वतन्त्र हो गए और खूब हंसी-मजाक करने लगे ।

एक ने कहा—“आज तो पंडित जी आपकी कविता में खूब डूब गये थे ।”

“हां, उन्होंने कविता को सुधारकर अच्छी बना दिया ।”

“देखो कवि महाराज, मैंने पंडित जी की बहुत-सी कविताएं सुनी हैं और जब से आप आये हैं आपकी भी तीन-चार सुन चुका हूं । मुझे तो लगता है कि आप पंडित जी से अच्छे कवि हैं ।”

“अरे नहीं भाई, उनसे मेरा क्या मुकाबला !”

“वही तो मैं भी कह रहा हूं । मुझे उनकी कविताएं बनावटी और रूखी लगती हैं । आपकी कविताओं में कच्चापन हो सकता है लेकिन उनमें भीतर का रस है ।”

और कई लडके भी इस बात के समर्थन में सिर हिलाने लगे । यह प्रशंसा मेरे लिए ब्रह्म उन्मादकारी थी लेकिन गले से नीचे नहीं उतर रही थी । मेरे माथ यह मजाक किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं सोच सकता था क्योंकि प्रशंसा करने वाले राजागम सिंह थे जो यही से प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता पास कर अंग्रेजी पढ रहे थे । वे यहां के बहुत सम्मानित छात्र थे और पंडित जी के भी बहुत प्रिय थे । फिर भी मैं प्रतिवाद में डटा रहा—“नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं । पंडित जी ठीक-ठाक कर देंगे तो शायद मेरी कविताएं कुछ काम की हो जायें ।”

राजाराम मुमकराये । बोले—“चलिए, अब कविता से रोटी पर उतरा जाये ।”

हम अपने-अपने चूल्हों में जूझने लगे । मेरे मन में अपनी कविता गूजनी रही । कविता ने मेरे हर काम में जैसे अपनी स्फूर्ति और लय भर दी । मन महक रहा था । महीने-भर में ही मैं यहां का एक विशिष्ट छात्र बन गया था । सप्ताह में बाकायदा यहां एक मभा आयोजित होती थी, जिसमें कोई न कोई साहित्यिक कार्यक्रम रखा जाता था । कभी वाद-विवाद, कभी कविता-पाठ, कभी किसी का भाषण । पंद्रह दिन पहले ग्राम-जीवन और नगर-जीवन पर वाद-विवाद रखा गया था । बहुत-से छात्र बोले । मैंने गांव पर लिखी गयी अपनी एक कविता पढ दी, जिसकी बहुत सराहना हुई । फिर उसके बाद वाले सप्ताह में कविता-पाठ रखा गया, जिसमें विशेषतया पंडित जी ने और मैंने कविताएं पढ़ी और कुछ छात्रों ने भी अपनी कविताएं सुनाईं । उस दिन भी मुझे काफी प्रशंसा मिली । मुझे अब लगने लगा था कि कविता मेरी हॉबी ही नहीं, मेरी जरूरत भी है । वह मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को भीतर से मम्पन्न बना रही है और दुनिया की नजरों में एक विशिष्ट अर्थ दे रही है । वह मेरी जिन्दगी बनती जा रही थी ।

मुझमें शुरू से ही एक संतुलन रहा है । शायद यह संतुलन ही मेरी शक्ति है । मैंने अपने को किसी भी अतिवाद की ओर बहने नहीं दिया है, इसलिए कविता की पूरी महक अपने भीतर भरे हुए भी शैक्षिक पढाई-लिखाई से अपना सम्बन्ध क्षीण नहीं पड़ने दिया । कविताएं भी लिखता रहा, पढ़ाई भी करता रहा । फिर मास्टर लोग स्वभाववश या योगक्षेम की भावना के बीच में यह उपदेश अवश्य देते रहे कि कविता के चक्कर में डिबीजन न बिगाड़ लेना । इसलिए अच्छे से अच्छे काव्य-प्रेमी मास्टरों को भी कविता

सुनाने या सुधारने के लिए देने में डर लगता था। उस दिन से उत्साहित होकर पंडित जी को एक और कविता सुधारने को दी। पंडित जी ने उसी उत्साह से कविता स्वीकार नहीं की। कहा—“रख दो।”

चलने लगा तो कहा—“पढ़ाई-लिखाई ठीक चलनी चाहिए।”

“जी पंडित जी।” कहकर मैं वहां से हट गया परन्तु मन कहीं तीता हो गया। सोचने लगा—‘मुझे बार-बार पंडित जी से मंशोधन नहीं कराना चाहिए। आखिर उनके पाम समय कहां है? किमी एक कविता को इननी तन्मयता से समय दिया जा सकता है, हर कविता के माथ तो संभव नहीं है।’ और यह भी मन मे आया कि पंडित जी को क्यों भान कराया जाय कि जो समय पढ़ाई-लिखाई में देना चाहिए उसका काफी हिस्सा कविता-मर्जन को दे देता हूं। उम दिन राजाराम कह रहे थे, “दूसरों से कविता ठीक कराने का मतलब होना है उसके व्यक्तित्व की छाग अपनी कविता पर छोटवाना। यदि बारी-बारी से कई मुधारक मिल गये तो वे बारी-बारी से कविता के स्वभाव को बदलते रहेंगे, कवि की अपनी कविता का स्वभाव ही नहीं बन पायेगा।” पना नहीं मुझे राजाराम की बात उम ममय तात्त्विक रूप मे पसंद आई थी कि नहीं, किन्तु व्यावहारिक रूप मे मान लिया था कि हां, ऐसा ही होना चाहिए और मैंने फिर पंडित जी को कोई कविता सुधारने के लिए नहीं दी।

लेकिन पंडित जी किमी भी आगन्तुक से मेरा परिचय बहुत गर्व मे कराने—“देखिए, यह मेरे स्कूल के अच्छे विद्यार्थी तो हैं ही, अच्छे कवि भी है। मुझे विश्वास है कि ये एक दिन बहुत अच्छे साहित्यकार बनेंगे।”

मैं संकुचित हो उठता और पंडित जी मंद-मंद मुसकराते रहते। मैं मोचता कि पंडित जी वास्तव में मेरी कविता को प्यार करते हैं। मैं खामखाह क्या से क्या ममझ लेता हूं।

पास ही संस्कृत पाठशाला थी। उससे इस स्कूल का भाईचारापन था, पडोसीपन था। वहां रमाकांत जी नाम के एक नये अध्यापक थे। वे कवि भी थे। उनसे हम लोगों की दोस्ती हो गयी थी। वे अपने रोमांस की काल्पनिक कहानियां सुनाया करते थे। उस समय तो हम सच ही मान बैठे थे। एक दूसरे कवि थे भयंकर जी। उनसे भी भेंट होती रहती थी। एक दिन पंडित जी ने बहुत उत्साह से बताया कि दो दिन बाद संस्कृत पाठशाला में एक कवि-सम्मेलन होने जा रहा है। उनका आग्रह था कि मैं भी कविता पढ़ूं। मेरा मन उत्साह और डर मे भर गया। उत्साह था कवि-सम्मेलन मे जिला-स्तर के (उस समय तो जिला-स्तर के ही लोगों का) बहुत बड़ा कवि मानता था) कवियों को देखने-सुनने का, और डर था उनके बीच कविता पढ़ने का। पहली बार किमी मंच से कविता पढ़ने का संयोग प्राप्त हो रहा था। मैं अभी तक मच-भीरु हूं और आमानी से कल्पना कर सकता हूं कि उम समय कितना डर लगा होगा मंच पर उपस्थित होने की संभावना से। पंडित जी ने स्वयं मेरी कविताओं मे से एक कविता छांटी और बनाया कि खूब इत्मीनान से पढ़ना, डरना नहीं। उन्होंने अपने ढंग से हाथ भांज-भूंजकर मेरी

कविता पढ़ी और कहा कि ऐसे ही पढ़ना। लेकिन मेरे तो दो दिन उत्साह और डर के संघर्ष में ही बीते।

आखिर समय आ गया और हम लोग कवि-सम्मेलन में पहुंचे। मंडप बना था। उममें आसपास के गांवों के संभ्रांत लोगों और शिक्षकों की अच्छी भीड़ थी। मंडप का आतंक मेरे भीतर छाया हुआ था। वैसे तो मंडप मुझे केवल अच्छा ही लगता, यदि कविता नहीं पढ़नी होती। मैं भीड़ में बैठ गया। कवि लोग आये। सभापतित्व पं० हरिश्चन्द्र पति त्रिपाठी को करना था। वे आये और कवियों के साथ मंच पर विराजमान हो गये। पं० हरिश्चन्द्र पति त्रिपाठी का नाम सुन रखा था। वे गोरखपुर में बकील थे और जिले के शागद सबसे पहले साहित्यरत्न थे। साहित्यरत्न थे इसलिए उनका साहित्यिक होना सर्वस्वीकृत हो गया था। पंडित जी उनका जिक्र कई बार कर चुके थे। मैं देख रहा था उन्हें। कानी अचकन, शेरवानी और टोपी में वे भव्य व्यक्तित्व के स्वामी लग रहे थे। रंग गोरा था, आँखें प्रभावशाली थीं। मैं उन्हें देखकर अभिभूत था और भीतर-भीतर किमी दिन उनकी ऊंचाई प्राप्त करने की स्पृहा करने लगा। दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति थे—जीवन जी (रामधर त्रिपाठी जीवन)। जीवन जी गजपुर के थे और मदनेश जी के मित्र थे। मदनेश जी से उनकी चर्चाएं खूब सुनी थीं। उनमें मिलने की गहरी स्पृहा मन में थी। वे गजपुर के रहने वाले थे यानी मेरे गांव से तीन मील दूर एक कस्बे के। उन्हें मंच पर पहली बार देख रहा था। खट्टर की धोती, कुर्ता और टोपी में एक भारी-भरकम शरीर। मंच पर पंडित जी भी थे और अन्य कई स्थानीय स्तर पर प्रख्यात कवि भी थे।

पहले हरिश्चन्द्र पति त्रिपाठी ने भाषण दिया। अच्छी हिन्दी में शायद कविता के महत्त्व पर वे बोले थे। फिर कुछ स्थानीय छोटे-छोटे कवियों को निबटाया गया, जिनमें भयंकर जी भी थे। उन्होंने अपनी भक्तिरस की कविता से हास्य पैदा कर दिया। कविता की प्रथम पंक्ति थी—‘मुरलीधर आवो, आवो...’

वे ‘आवो’ को ‘आ ओ’, ‘आ ओ’ पढ़ रहे थे और लोगों का हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था।

मुझे बुलाया गया। मेरा तो पहले से ही जी धक्क-धक्क कर रहा था। नाम सुनते ही मैं और घबरा गया। मंच पर गया, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कुछ याद नहीं। हां, इतना भर याद है कि मैं किसी तरह अपनी कविता वहां फेंक-फांककर भागा था। कविता पढ़ने के बाद एक हलकापन अनुभव कर रहा था और अपनी असफलता पर ग्लानि भी।

एक आर्यसमाजी कवि का नाम पुकारा गया जो बाहर से आये थे। उन्होंने अपने ललित कंठ से समां बांध दिया। कविता राणा प्रताप पर थी। अकबर के अत्याचार से बन में तकलीफ की जिन्दगी बिताने वाले स्वतंत्रता-प्रेमी राणा प्रताप कह रहे थे—

वनचर कहेगा कोई, तमचर कहेगा कोई
जलचर कहेगा, पर अनुचर कहेगा ना।

इस कविता के स्वाधीनतावादी स्वर ने उपस्थित जनसमुदाय में प्राण फूंक दिया था।

अंत में जीवन जी ने कविता सुनाई—

मैं कवि हूँ मेरे जीवन की
दुनिया से दूर कहानी है

जीवन जी भी खूब जमे। उनसे कई कविताओं की मांग की गयी। उन्होंने मस्ती से सुनाई।

कवि-सम्मेलन समाप्त हुआ। बाद में मैंने बहुत-से कवि-सम्मेलनों को देखा— बहुत अच्छे-अच्छे और बड़े कवियों वाले सम्मेलनों को, लेकिन प्रथम प्रीति की सुगंध की तरह इस कवि-सम्मेलन की अनुभूति मेरे लिए कुछ और ही थी। कवियों के प्रति जो निष्ठा और उत्सुकता उम्र-ममय मेरे भीतर जगी थी वह बहुत गहरी और पवित्र थी।

हम स्कूल में चले गये और खाना-वाना बनाने लगे। तब तक देखा—पंडित जी जीवन जी के साथ आ रहे हैं। पंडित जी ने मोल्हू को पुकारकर कहा—“जीवन जी का भी खाना बनेगा।”

मैं बड़ा खूश हुआ कि जीवन जी रात यही ठहरेगे। खाना-वाना खा चुके तो पंडित जी ने सारे छात्रों को एकत्र किया और जीवन जी से आग्रह किया कि अपनी कुछ कविताएं सुनायें। पहले पंडित जी ने मेरा परिचय दिया और मेरी दो-एक कविताएं सुनाईं। उसके बाद जीवन जी कविता पढ़ने लगे। एक के बाद एक पढ़ते गए। हम लोग बहते गये। जीवन जी की कविता में बहुत सादगी थी, बहुत बहाव था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे दर्जा छः पास थे, इसलिए शास्त्रीयता की लपेट में मुक्त थे, दूसरे कविता की सादगी में उनका विश्वास था। काफी दूर तक तो हम कविता की प्यास लिए उनकी कविताओं में भीगते रहे, लेकिन एक बिन्दु ऐसा आया जब हमारी प्यास पर नींद भारी पड़ने लगी और चाहने लगे कि अब बस हो, लेकिन जीवन जी की कविता सुनाने की प्यास खुल गयी थी और बहती जा रही थी। अपने-आप एक के बाद एक सुनाते चले जा रहे थे। और मेरे भीतर कवि के बड़प्पन के प्रति एक झुंझ-लाहट-सी उग आयी और एक हलका-सा सवाल उठा कि कवि इतना सस्ता होता है क्या कि वह दूसरों की स्थिति की चिंता किये बिना पटापट अपनी कविताएं उन पर फेंकता चला जाता है? आखिर बहुत देर बाद जब जीवन जी ने काव्य-पाठ बंद किया तो हमने राहत की सास ली। इस हलकी-सी ऊब के बावजूद हम उनके प्रति कृतज्ञ थे कि उन्होंने हमारे यहाँ आकर अपने को सुलभ कराया और अपनी अच्छी कविताओं के रस के प्रवाह में हमें देर तक बहाया।

तब जीवन जी मेरे आदर्श कवि थे इसलिए मेरी व्यक्तिगत कृतज्ञता का अनुमान लगाया जा सकता है।

पंडित जी के यहां सभी तरह के लोग आया करते थे। साहित्यकार तो आते ही थे, सरकारी अफसर भी आते थे, नेता भी आते थे, आसपास के गांवों के बड़े आदमी भी आते थे और तथाकथित छोटे लोग भी आते थे। आज सोचता हूं कितना बहुआयामी व्यक्तित्व था उस व्यक्ति का जिसे सभी लोग स्नेह और आदर देते थे और जो सबकी बात मूनता था, जो अनेक तरह की समस्याओं में रस लेता था।

ग्राम के किमी ठाकुरों के गांव में आपम में झगडा चल रहा था। मालूम हुआ कि वे लोग पंडित जी को पंच बनाने के लिए आ पहुंचे हैं। पंडित जी ने उन्हें समय दिया। पंडित जी ने मुझसे कहा—“तुम्हें भी चलना होगा। एकना पर एक कविता लिख लो।”

नियत दिन उस गांव में हाथी आ पहुंचा। हम लोग उस पर बैठकर गांव में गये। बड़ा गांव था—मस्पन्न ठाकुरों का। एक से एक बड़े और खुर्राट लोग लेकिन गभी को पंडित जी के आगे नमिन होने देखा। पंचायत जुडी। पंडित जी के आदेश से मैंने कविता पढ़ी। उस कविता में क्षत्रियों के शौर्य और महत्तर कार्यों के लिए उनके बनिदान का ब्रह्मान क्रिया गया था, फिर उनमें अनुनय किया गया था कि वे आपसी कलह भूतकर अपनी पारंपरिक वीरता दिखायें और एक हो जायें।

लोगों ने बहुत तन्मयता में सुना। कविता में प्रभावित हुए। लड़का सही कह रहा है, इसी मुद्रा में मिर हिलाते रहे। आज सोचता हूं कि वह कितनी खोखली कविता रही होगी और एक लडके का इतने बड़े लोगों को उपदेश देना कितनी बड़ी हिमाकत रही होगी ! किन्तु क्या यही भाव उस समय भी मन में रहा होगा ? कह नहीं सकता। शायद नहीं रहा होगा। पता नहीं पंचायत में क्या हुआ किन्तु पूरे गांव ने बड़े आदर से पंडित जी को विदा किया, इतना मालूम है। उनके साथ मैं भी ऊंचा उठ गया था—गांव वालों की दृष्टि में भी और अपने संधियों की दृष्टि में भी।

ढरसी का स्कूल मेरे लिए एक ऐसा मंच था जहां स्थित होकर मैंने परीक्षा ही नहीं पाम की, जीवन के भी कितने पाठ पढ़े और अनुभव ग्रहण किये। ढरसी के एक ओर मेरा गांव था, दूसरी ओर ननिहाल। छुट्टियों में कभी गांव आता था, कभी ननिहाल जाता था। गांव से ननिहाल जाने का क्रम कोई नया नहीं था किन्तु इन दो बिन्दुओं के बीच की यात्रा मेरे लिए एक दूरी मात्र थी जिसे सात-आठ घंटों में काटना होता था। किन्तु अब पूरी यात्रा भरी मालूम पड़ती थी। एक तो प्रायः महीने में एक या दो बार की यात्रा, दूसरे इन गांवों के बीच के अनेक गांवों के छात्रों के साथ। लगता था जैसे अब ये गांव मेरे लिए अजनबी नहीं रहे, ये अपने ही गांव जैसे लगने लगे थे। इन तमाम गांवों से आए हुए छात्रों की आंखों में वे ही सुख-दुःख तो थे, वे ही अभाव तो थे, वे ही खेत-बारी, नदी-नाले झांक रहे तो थे, वे ही त्योहार-पर्व, मेले-हटिए, ऋतु-मौसम अपनी छाया छोड़े हुए तो थे फिर ये मेरे लिए पराये कहां से हुए, इनके गांव अलग कहां हुए ?

कह चुका हूं कि हम (मैं और कपिलदेव) छुट्टियों में गांव आते थे। गांव

और भी प्यारा और बड़ा लगने लगता था। थोड़े दिनों का अंतराल हमारी आत्मीयता में और गहराई भर देता था। हम त्योहारों और पर्वों को और उष्मा से जीने लगे थे।

अब मैं दो-चार दिन घर रहकर स्कूल के लिए निकलता तो मन में वही उदासी नहीं व्यापती, जो पहली बार व्यापी थी। वह हूक नहीं उठती। लगता कि एक परिवार छूट रहा है, तो स्कूल का एक बड़ा परिवार बुला रहा है। गाव के साथी छूट रहे हैं, तो स्कूल के नये साथी बुला रहे हैं। सच पूछिए तो अब स्कूल के बिना अच्छा ही नहीं लगता था।

सबेरे-सबेरे हम 15-20 दिनों के लिए सीधा-पिसान अपने-अपने मिरो पर लादे हुए स्कूल के लिए चल पड़ते। पहले अमारी गाव पडना, फिर काफी दूर तक रेतीली पगडंडिया पार करने पर सरार गाव आता। वहीं हम नाव से राप्ती नदी पार करते। शरद में कैसी प्रसन्न और पारदर्शी लग रही है यह नदी, लेकिन बरसात में कितनी भयानक और क्रूर हो उठती है! तहस-नहस करती आधी की तरह फुफकारती है और सुरसा की तरह अपने दूना-तिगुना होते मुह में मीलो फँली हरियाली निगल जाती है। पिछली बार हम घाट पर आये तो कई लोग मल्लाह का इतजार कर रहे थे और मल्लाह का कहीं पता नहीं था। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद हम नाव पर बैठ गए और सबको बुला लिया। हमने एक बार नदी के जोर को आखो आखो में झाका, लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। नदी बरसाती उफान के बाद काफी उतर चुकी थी किन्तु हवा तेज होने के कारण उसमें हरहराता हुआ वेग बाकी था। हमने नाव खोल दी और म्वय डाड सभल लिया। दो-एक और से डाड सभलवा दिया। मैं अपने सामान्य ज्ञान के भरोसे नाव खेता जा रहा था और नाव कुछ निश्चित होकर भी धारा में भागी जा रही थी। मन में कुछ डर भी था और कुछ विश्वास भी। आखिर बीच धारा से काटकर दूमरे किनारे की ओर ठेलने में हम मफल हो गये और काफी दूर जाकर नाव किनारे से लगी। वहा लोग उतरकर चलते बने, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी नाव को किसी चीज से अटकाना। किनारे पर कोई पेड-बोड तो था नहीं, बाधू किससे? तट की रेत पर कुछ झाऊ के पौधे थे, उन्हीं में नाव बाध दी और आगे चलते बने। अपनी सफलता की एक प्रसन्नता से जी हलका तो हो गया लेकिन नाव इस तेज हवा में झाऊ से रस्सी तुडाकर बह न चले और बेचारे मल्लाह की नाव डूब न जाय या दूर न निकल जाय, यह अपराध-बोध मन को दबोच रहा था। प्रसन्नता और अपराध बोध के मिश्रित दबाव को झेलता आगे बढ़ा जा रहा था और देखा अन्य यात्री मल्लाह को गाली देते हुए और सफलता से नदी पार कर लेने की खुशी में हमते-खिलखिलाते चले जा रहे थे।

सरार का घाट पार करने के बाद एक लम्बी सुनसान दूरी तय करनी पडती है तब गजपुर कस्बा आता है। इस दूरी के साथ अनेक भूत-प्रेतो की कथाए जुडी हुई हैं, लेकिन भूत-प्रेत की कल्पना रात को उभरती है या कोई अकेला हो तब। यह दूरी सुनसान इस अर्थ में है कि बीच में कोई गाव-गिराव नहीं है लेकिन रास्ता बहुत चालू है। कोई साथ न हा तो भी हर मौसम में लहलहाते हुए खेत तो साथ होते हैं। फसलो के साथ आदमी अकेला नहीं होता। मानो हर पौधा, हर फूल, हर फल आदमी से बात करता

लगता है। वैसे जहां फसल होती है वहां ढेर सारे लोग भी होते हैं। फसल कभी अकेली नहीं होती और फसल के साथ आदमी अकेला नहीं होता।

यह वह रास्ता है जिससे होकर कछार के तमाम लोग गजपुर कस्बे जाते हैं। कुछ वहां होकर आगे निकल जाते हैं, कुछ वहीं रुक जाते हैं। वहां इस बीहड़ कछार में कोई गांव ऐसा नहीं, जहां कोई ढंग की दुकान हो। सो, लोग गजपुर जाते हैं दवाई के लिए, मिठाई के लिए, बिमाती के सामान के लिए, मसाले के लिए, दाल-चावल के लिए, शादी-ब्याह में तबू के लिए, पालकी के लिए, बाजे के लिए। लेकिन सबसे बड़ा काम होता था इस कस्बे के भूज के यहां गहने गिरवी रखने का। गहने गिरवी रखने से ही तो जीवन की और क्रियाएं गतिशील होती थीं।

कस्बे में प्रवेश करते ही एक खडहर पड़ता था। उसके बाद प्राइमरी के मास्टर और हिन्दी कवि गुणागर मिश्र 'आगर' का मकान पड़ता था जहां दुआ-सलाम के लिए दां त्रिनट रुकना पड़ना था। फिर कस्बे के मुख्य मार्ग से (जो गंदी गली से वेहतर नहरीं था) आगे बढ़ते थे। चौधरी लोगो की कांठियां पड़नी थी, फिर मिस्टर भूज के बंगले से बाजार शुरू होना था। भूज यानी भड़भूज। काले मोटे कुंदे में मिस्टर भड़भूज बगमदे में बैठे होते और उनके आगे जवार के तमाम निरीह लोगो की लाइन लगी होनी। उनकी तिजोरी का खुला मुह गपागप जवार की मजबूर मां-बहनो के जेवर निगलता जाता, उगलता तो शायद ही कभी। जेवर बंधक रखने वाले लोग गहने का आधा दाम पाते, बहुत घिघियां पर भी मिस्टर भड़भूज एक छदाम नहीं बढ़ाते और कहते—“आखिर गिरवी ही तो रख रहे हो, बेच तो नहीं रहे हो, कम ले जाओगे तो गहने वापस लेने में आसानी रहेगी।” लोगो के सामने भविष्य की अपेक्षा वर्तमान ज्यादा रहता और वे चाहते कि फिलहाल गहने का ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाय, लेकिन नहीं मिलने पर जी मसोसकर रह जाते। मेरी मा के भी कई गहने इस तिजोरी में पड़े थे। भड़भूज जी का एक बड़ा-सा बगला था जिसके आगे धान, गेहूं, जौ का मुखवन या ढेर पडा होता और कई-कई मजदूर उनकी मफाई में लगे होते। मैं सोचता कि क्या बिडवना है, बिना खेती-बारी के भड़भूज जी के यहां अनाज का ढेर लगा है और हम खेत वालों के यहां खाने-भर को अनाज नहीं ठहरता !

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम

दास मलूका कह गये सबके दाता राम

वाह रे दाता राम, तुम भी खूब हो ! अजगर को तो बिना काम-काज के क्या-क्या देते हो और खून-पमीना एक करने वाले आदमी को खाली फाकामस्ती देते हा।

इस अजगर के दरवाजे के लगभग सामने पटहेरो की दुकान थी। गरीब पटहेरे लेकिन हमारे साथ कितने जुड़े हुए। ये सब मेरे पिताजी के दास्त थे। हमारे घरों के शादी-बिवाहो में तथा अन्य मांगलिक अवसरों से जुड़े हुए। सिहोरा (सिन्दूरदान), गुरिया-गहने, मालाएं, मांगलिक सूत्र आदि ये ही देते थे। ये एक अर्थ में पिशाच के सामने छोटे-छोटे सांस्कृतिक देवदूत-से लगते। हम वहां बैठते। वे हमें बताशे के साथ पानी पिलाते। हालचाल पूछते। पिताजी के बारे में खूब पूछते। हम वहां से उठते तो

भीतर से थोड़े भरे होते ।

हम फिर आगे बढ़ते । बाजार मिलता, जहां जवार के अनेक जरूरतमंद लोग मंडराते नजर आते । लोहे के चचरों वाले व्यापारियों के घर जिनके बाहर या अन्दर दुकानें भी होतीं । कुछ दुकानें सड़क पर बिखरी होतीं । देहात से सब्जियां या फमली चीजें लाकर कहीं दुकान जमाकर बैठे हुए लोग दिखाई पड़ते । कहीं मोची होते, कहीं नाई । कहीं साइकिल मरम्मत की दुकान होती । कहीं ताड़ी बिक रही होती ।

मैं जब भी इस कस्बे से गुजरता, कस्बे की एक खाम सड़ी हुई गन्ध मुझमें भर जाती । गन्दी दुर्गन्धमयी पतली सड़क के किनारे चौघरियों के घर, मिस्टर भडभूज का बंगला, बाजार में पिलपिले व्यापारियों के मकान-दुकान । क्या यही है गजपुर ? नहीं, इस गजपुर को काटता हुआ एक दूसरा गजपुर भी उभर आता जिसे मैं देख नहीं पाता, भीतर-भीतर महसूस करता । वह था मन्नन द्विवेदी का गजपुर, रायअवध द्विवेदी का गजपुर, जीवन जी का गजपुर, हमारे मांगलिक जीवन से जुड़े पटहरों और अन्य छोटे-छोटे दुकानदारों का गजपुर । मन्नन जी का और जीवन जी का गजपुर दूसरी ओर छूट जाता था, उधर से गुजरना नहीं होता था, उसे केवल सुनता और अपने खून में महसूस करता था । तब लगता था कि इस कस्बे की दुर्गन्ध के भीतर से एक सुगन्ध उग आई है । तब लगता था कि दर्द देने वालों के बीच कुछ दर्द लेने वाले भी है जो हम उन तमाम अभावग्रस्त उदाम चेहरो, आंखों में जोड़ देते है, जिनका कहीं कोई नहीं है ।

मन्नन जी की बाल कवितावली बचपन में ही पढ़ी थी । उसके लिए मार खायी थी, फिर सारी कविताएं आद कर ली थीं । मन्नन जी के बारे में मदनेश जी बहुत कुछ सुनाया करते थे । वे भी मन्नन जी से खूब जुड़े हुए थे । जब मैंने होश संभाला तो मन्नन जी जीवित नहीं थे, लेकिन उनके बारे में इतना सुना था कि लगता था कि मैंने उन्हें देखा है, निकट में जाना है । उनकी मस्ती, सहजता, घुमक्कड़पन, निर्भीकता, मानवता आदि की अनेक कहानियां मेरे भीतर वर्तमान थी । मुझे लगता था कि मेरे कवि बनने की शर्तों में से एक शर्त बन गयी थी मन्नन जी जैसा आदमी बनना । यानी जो मन्नन जी जैसा आदमी न हो उसे कवि नहीं बनना चाहिए । हो सकता है इस अधोषित, अज्ञात रूप से अनुभूत शर्त ने मेरे कवि को एक सही आदमी से जोड़ने में मदद की हो ।

मैं मन्नन जी के बारे में सोचता हुआ गजपुर कस्बे से सटे गांव में प्रवेश करता तो एक आवाज से चौंक जाता—

“ए बाबू लोगन, कहां पढते हो ?”

“ढरसी ।”

“मंसकीरत इसकूल में ?”

“नहीं, राष्ट्रभाषा विद्यालय में ।”

“ऊहे, आरे एके बात हुई ।”

वास्तव में ढरसी अपनी संस्कृत पाठशाला के कारण ही मशहूर था । ‘राष्ट्रभाषा विद्यालय क्या बला है’, यह इनकी समझ में कैसे आ सकता था ! वे जब कहती थीं

‘ऊहे एके बात हुई’ तो हमें अपमान महसूस होता था। संस्कृत पाठशालाओं का जो बिंब है वह हमें कैसे ग्राह्य हो सकता था ! वे भी उस बिंब को उसी अर्थ में ले रही है जिस अर्थ में हम लेते थे। यह बात उस दिन खुल गयी जब एक औरत ने दूसरी से कहा—‘ये बेचारे ससकीरत पाठशाला में पढते हैं। पदरह-बीस दिन बाद इधर आते हैं और भीख माग-बोगकर फिर पाठशाला में लौट जाते हैं। बेचारे !’

मैं और कपिलदेव दोनों एक-दूसरे की ओर देखने लगे। लगा—हम दोनों रो पड़ेंगे। लेकिन हम कई बार की कोशिश के बाद उन्हें समझा नहीं पाये कि राष्ट्रभाषा विद्यालय पाठशाले से भिन्न वस्तु है जहाँ भीख मागने वाले नहीं पढते।

कुछ गावों को पार करने के बाद एक तीन मील लम्बा निचाट पडना था जिमसे से गजपुर और गगहा के बीच की कच्ची गटक गुजरती थी। यह बहुत थकाऊ यात्रा-भाग होता था। बीच में एक देवी का स्थान था जहाँ रामनवमी के अवसर पर चैन पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता था। हम पहले भी यहाँ कई बार आ चुके थे। यहाँ आकर थोड़ी चहल-पहल दिखायी पडती थी और यात्रा की थकान थोड़ी उतरती थी। वहाँ से मील-भर की दूरी पर गगहा मिलता था। यहाँ से गोरखपुर-बडहलगज वाली पक्की सडक मिलती थी। गगहा ठाकुरों का बड़ा गाव है—अपनी वरिबडता के लिए काफी सुख्यात-कुख्यात गाव। यहाँ बहुत पुराना मिडिल स्कूल है, अस्पताल है, कोआपरेटिव , और अन्य कई सुविधाएँ हैं जिनके कारण यह गाव बहुत प्रसिद्ध रहा है।

गगहा से बडहलगज की दूरी चहल-पहल में भरी दूरी है। वैसे भी हम पर चहल-पहल रहती है, लेकिन मेलों, पर्वों, शादियों आदि के दिनों में तो इसकी रौनक का क्या कहना ! हम उससे परिचित थे। इसलिए यह सडक हमारे लिए मात्र सडक नहीं थी हमारी अनेक खुशियों और हसियों के भीतर से गुजरती हुई एक लय थी। यह सडक हमें हमारे स्कूल तक बहुत हमी-खुशी के साथ पहुँचा देती थी लेकिन रुकती नहीं थी, चली जाती थी बडहलगज की ओर—हमें उधर चलने का निमंत्रण देती हुई। और हम कभी-कभार उधर भी निकल पडते थे। जब मैं आया दो बार मामा के यहाँ हो आया था।

दरअसल मामा के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी लेकिन रामप्रश्न और विध्याचल जब जिद करते थे तो उनके साथ हो लेता था। जाने की हिम्मत नहीं होती थी इसलिए कि मामा के घर में इस समय अभाव की एक बड़ी गहरी सीलन भरी हुई थी। वह घर जिसकी सम्पन्नता की गहरी ऊष्मा मैंने बचपन में भोगी थी, उसके दारिद्र्य की सीलन में प्रवेश करते डर लगता था। वह घर जो पूरे जवार में अपनी सम्पत्ति और मर्यादा के लिए विख्यात था, वही अब अपने अभाव और मर्यादाहीनता के लिए कुख्यात हो रहा था। जब मैं वहाँ जाता तो यह सकोच लगा रहता कि मैं इस अभाव में इस घर पर बोझ बन रहा हूँ, साथ ही इस नयी परिस्थिति का साक्षात्कार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस परिवार में मेरी माँ और पिताजी का बहुत मान है। मेरे होश सभालने में पहले ही नाना दिबंगत हो चुके थे। तीन ममेरे भाई बँकाक में थे, उन्हें भी नहीं देखा था। घर पर मामा थे। अच्छी खेती थी। गाय, भैंस, बैल की जमात थी।

कई बगीचे थे। बेंकाक से रुपये आते थे। हम घर में अन्न, रुपये और गोरस की ऊष्मा फँसी हुई थी। माँ तो आती ही थी, पिताजी प्रायः आया करते थे, हम लोग भी खूब आते थे। मेरे बचपन का काफी भाग यहाँ बीता था। मामा और तीनों भाभियों का प्यार हमारे भीतर रसा-बसा था। मामा के बाग-बगीचे। हम गाव के पोखर-ताल, कैंत, बरगद के पेड़, सावन की झड़ी, झड़ी में झूला, हम गाव से चकर देखा गया बड़हलगज का मेला, सभी कुछ तो मेरे अन्तर में बसा हुआ था। कितना सुख और दुलार पाया था इस परिवार और गाव से। यानी ननिहाल मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव था, जिसके बिना मैं वह नहीं होता जो था।

इस सम्पन्नता के बीच एक दर्द की धारा भी बहती थी। मैं तब बच्चा था। उसे अनुभव तो नहीं कर सकता था, (जैसाकि बड़ा होने पर किया) जान सकता था। तीन-तीन जवान भाभिया लम्बे विरह में मौन-मौन तटप रही थी। बड़ी भाभी तो अकाल वृद्ध हो गयी थी, मझली भाभी शरीर से क्षीण और रुग्ण थी, लेकिन छोटी भाभी बहुत स्वस्थ थी और मुन्दर भी। वे बारी-बारी से मुझमें अपने पतियों को चिट्ठीया लिखवाती कि बहुत दिन हो गये, एक बार आ जाओ। उन्हें गये शायद सात-आठ माल हो गये थे, लेकिन बार-बार लिखने के बावजूद उनके आने की कोई सूचना नहीं आती थी। हा, रुपये जरूर आते रहते थे।

मुझे लगता है, इन भाभियों की यातना का शाप लग गया हम घर को और घुग्घीरे-धीरे उजड़ने लगा। मामा सम्पन्न पिता के इकलौते बेटे थे—चाड-प्यार में पले। इसलिए उन्होंने जवानी में बहुत-से शौक पाल रखे थे, लेकिन शौक के बावजूद घर का भाग्य जीवन में था, उठता ही गया। लेकिन एक शौक ऐसा आया कि घर का ढहना शुरू हो गया। मामा ने नाच-मडली पाल ली। नाच-मडली का खर्चा, खेतों के प्रति निष्क्रियता। दारिद्र्य चढ़ने लगा। खेत रेहन चढ़ने लगे, घर के सामान बिकने लगे। बेंकाक में जब भइयो को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने बड़े भाई जगत नारायण को भेजा। उन्होंने आकर रही-मही कसर पूरी कर दी। वे मामा से भी दो कदम आगे बढ़ गये। बाप-बेटे में लड़ाई होने लगी। नाच-मडली को लेकर दोनों में होड़ मची। फिर घर जैसे उजड़ ही गया। बड़ी और मझली भाभी मर गयीं, छोटी भाभी जाने कहा चली गईं। इस घर में जाने पर बड़ा सड़ा हुआ सन्नाटा अनुभव होता था, लेकिन रामप्रश्न और विध्याचल कभी-कभी खीच ही ले जाते थे। छोटी भाभी का जाना मेरे भीतर गहरे दर्द की लकीर की तरह खिच गया और अब तक खिंचा हुआ है। पूजा और प्यार के पवित्र घर में यातना और कलह के राक्षस के घुम जाने पर पीडा और जुगुप्सा की जो मिली-जुली अनुभूति हो सकती है वही अनुभूति मेरी थी। उसे लेकर मैं स्कूल लौटता था। यह वही घर है जहाँ रहकर बड़े भइया ने अपनी उर्दू मिडिल की पढ़ाई पूरी की थी और यह वही घर है जहाँ से लौटने के बाद दिन-भर पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था।

मामा के गाव के पास से तरैना नदी बहती है—छोटी-सी नदी लेकिन बरसात में उपद्रवकारी। यह नदी दूर तक उत्तर-दक्खिन को अलगाती बहती है। इसके दक्खिन

में स्थित अनेक गांवों में हम लोगों की रिश्तेदारियां हैं। यानी तरैना के दक्खिन में छः-सात मील के घेरे में स्थित अनेक गांव हमारे सम्बन्धों के द्वीप से है। यह पूरा वृत्त हमारे लिए आत्मीयता का वृत्त है। मेरे दो-दो ननिहाल, मेरा अजियाउर, मझले भाई की ससुराल, मेरी ससुराल तथा गांव के अनेक लोगों के ननिहाल, ससुराल इस वृत्त के गांवों में पड़ते हैं इसलिए मेरा पूरा गांव मागलिक और पर्वों के अबसरो पर यहा खिचा चला आता है। तरैना पुल से लेकर बड़हलगज तक का इगाका हमें बहुत प्रिय लगता है, मोहक लगता है। लगता है चारों ओर प्यारे चेहरो की भीड़ लगी हुई है।

कार्तिक पूर्णिमा को बड़हलगज का मेला लगता है। धार्मिक वातावरण के साथ रोमानी वातावरण मिल जाता है। हमारे गांव के बूढ़े, जवान, बच्चे काफी सख्या में जाते हैं, औरतें भी जाती हैं। जवान रसिकों को ससुराल के गांवों में आयी हुई युवतियों के साथ छेडखानी करने का अवसर मिलता है। दो-एक बार मुझे भी रसिक मडली में शरीक होने का अवसर मिला था। हुआ योंकि पूर्णिमा की रात को हम बड़हलगज पहुंच गये। रात को घूम-घूमकर मेला देखने का आनन्द ही और होता है। हम निकले तो मुझे क्या पता था कि साथ के रसिया लोग कुछ और नीयत से निकले हैं। उन्होंने लडकियों का एक झुंड देखा और समझ लिया कि अमुक गांव की है, पड़ गये पीछे। मुझमें न इनसे जुड़ते बनता था न टूटते। यह नहीं कि मैं कोई देवता हूं वरन् मुझमें अभी रमिकता नहीं जागी थी और लम्पट बना देने वाली रमिकता तो कभी नहीं जागी। मैं बहुत मकुचित और अपमानित अनुभव कर रहा था। भीतर-भीतर लम्पटता पर गुस्सा आ रहा था। जब एक लडकी ने मुडकर हमारे समाज के सक्रिय मुखिया की चप्पल से घुनाई शुरू की तो आसपास की भीड़ जागरूक हो गयी। भावी आशंका से रसिक मडली टूटकर इधर-उधर बिखर गयी तो मुझे बहुत राहत मिली। अच्छा लगा और कान पकटा कि इन सूअरों के साथ न आऊगा न घूमूगा।

बड़हलगज के मेले के बाद तरैना पुल का मेला लगता है। यह दिन-भर का होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। अच्छा इस अर्थ में कि इस मेले का सम्बन्ध धर्म में नहीं होता अतः इसमें न धर्म के नाम पर गिरते-पड़ते आने वाले बूढ़े, बुढ़ियाओं की टेल-पेल होती है, न नदी के कीचड़ में स्नान करने की आपाधापी होती है, न मेले में रात को ठहरने वाले लोगों द्वारा पैदा की गयी गंदगी का बिखराव होता है। आसपास के गांवों से लोग विशेषकर युवक-युवतियां सजधजकर निकलते हैं, मटरगश्ती करते हैं, थोड़ी-बहुत रोमानी नोक-झोंक होती है। अर्थात् मेले में एक रंगीन वातावरण व्याप्त रहता है। हम लोगों के सम्बन्धों के गांवों के घरों की लडकियां यहां ज्यादा आती हैं अतः बड़हलगज का मेला देखने आये लोग तरैना पुल पर का मेला जरूर देखते हैं।

इस साल मैं बड़हलगज नहीं गया। पंडित जी अपने शिष्यों को मेला नहीं बनाना चाहते अतः उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। लेकिन तरैना पुल का मेला हमारे भीतर बसा हुआ था। पहले कई बार बहा जा चुका हूं, लेकिन मैंने कहा न, मेला मेरे लिए मेला ही था, उसमें रोमानी आकर्षण नहीं था। किन्तु इस बार की बात कुछ

और ही थी। मेरी शादी हुई थी, मझले भाई की शादी हुई थी। दोनों गांव—कोल्हुआ और टाड़ा तरैना पुल के पास ही थे। रसिक भावना की अनुभूति न सही, कल्पना तो जगनी शुरू हो ही गयी थी। यानी भीतर कुछ था जो तरैना के मेले की ओर ठेल रहा था। मैंने कपिलदेव से सलाह की। दोनों तैयार हो गये और तिजहर को सड़क पर आकर एक इक्का किया और उड़ चले तरैना पुल के मेले की ओर। चले तो गये और मेला देखा भी, लेकिन छिपकर आने का अपराध-बोध और पंडित जी का डर भीतर रेगता रहा। खैर, जब मेले में आ गये तो आ ही गये। मेले में गांव के कुछ और लोग मिल गये। मेरे मन में भले ही ससुराल की रूमानियत को लेकर कुछ मीठे भाव रहे होंगे, लेकिन संकोची मन अजब झेंप अनुभव कर रहा था। यहां ससुराल के गांव के लोग होंगे, लड़कियां होंगी, हो सकता है मुझे पहचानते हों, हो सकता है न भी पहचानें। यदि ससुराल के घर के लोग नहीं आये होंगे तो दूसरा कौन पहचानेगा? कपिलदेव के साथ मैं खडा-खडा बात कर रहा था। आवाज आयी—“ऐ पहुना, पान लीजिए।”

मैंने चौंकर देखा। देखा एक दस-बारह साल की लडकी पान लिए खडी है। मैं अजीब हैरानी में पड़ गया। बोला—“कौन हो तुम? मुझे क्यों पान दे रही हो? मैं पान खाता भी नहीं। शायद तुम्हें आदमी पहचानने में भूल हुई है।”

“भूल-बूल कुछ नहीं हुई है। आप ही को पान दिया गया है। लीजिए।” कहती हुई उसने पान मेरे हाथ में पकड़ा दिया और भागकर थोड़ी दूर पर स्थित लडकियों के झुंड में पहुंच गयी। मैंने उधर देखा—दस-बारह जवान लडकियों का झुंड खिलखिला रहा था और एक चेहरा जो मेरी ओर देख रहा था, मुझसे लडकियों की ओट में गायब हो गया।

मैं कुछ देर पान लिए खडा रहा। पान मैं नहीं खाता लेकिन इस पान का मूल्य समझकर उसे खा लिया। हम लोग कुछ देर और घूमे, आसपास के गांव के कई सम्बन्धी मिले, बिछड़े। लडकियों का वह झुंड कई बार टकराया और कई-कई रिमार्क फेंके, गालियां दीं और मुझसे उत्तर न पाकर मेरे पुंसत्व को भी कोसा। वे लडकियां अब ज्यादा उन्मुक्त हो गयी थी क्योंकि वे जिन एक चेहरे को अपने बीच घेरे हुए उसका छिपाव कर रही थी वह गायब हो चुका था। मैंने अनुमान लगा लिया कि वह कौन रही होगी। कुछ देर बाद हम एक इक्के पर स्कूल की ओर लौटने लगे। मन में तितली के पंखों से कुछ चित्र-से उड़ने लगे थे। आते थे, जाते थे।

स्कूल पहुंचे तो देखा पंडित जी मुंह फुलाये बैठे हैं। हमने सोचा था कि डांटेंगे, डपटेंगे और हम मेला देखने के सुख का मूल्य चुका देंगे, किन्तु वे तो बोले ही नहीं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन—हम पहले तो हैरान हुए, फिर क्रोध आ गया और पंडित जी के सारे दुर्गुण मन में उभरने लगे। हमारी कक्षा में पतराम सिंह नाम के एक विद्यार्थी थे। वे गगहा के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के सुपुत्र थे। वे प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करके विशेष योग्यता पढने आये थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हंसोड़ और समझदार। लेकिन गलतियों पर, शरारतों पर या सवाल का जवाब न आने पर पंडित जी सबको डांडित करते थे, पतराम को नहीं। यह बात मुझे कचोटती थी। क्या पतराम से मैं कम

हूँ, पंडित जी पतराम को मुझसे ऊंचा क्यों समझते हैं ? इसीलिए न कि मेरा बाप किसान है और उनका बाप हेडमास्टर ! इसीलिए न कि पतराम गोरखपुर से अंग्रेजी पढ़कर आए हैं और मैं खाली हिन्दी जानता हूँ ? मुझे यह भी लगा कि पंडित जी छात्रों को गानियां बकते हैं, यह भी लगा कि पंडित जी मुझसे ज्यादा निजी काम लेते हैं, यह भी कि रात को पढ़ते-पढ़ते जब नींद आ जाती है तो पीछे से आकर वे पीठ पर अपना खड़ाऊं-भरा पांव रख देते हैं। क्यों रखते हैं ? मुझे सारा पाठ याद रहता है और यदि नींद आती है तो आये, उनके बाप का क्या ? नींद रात को आने के लिए ही होती है, एक स्वस्थ आदमी को समय से नींद क्यों न आये ?

मैंने कपिलदेव से बात की। वे भी आहत थे और सहमत हो गए। दरअसल हम लोग अपने सुख-दुःख में एक ही थे, हमारे सारे निर्णय साथ होते थे। हमने निर्णय किया कि स्कूल छोड़ देंगे और चलकर खोंपापार (जहां विशेष योग्यता का स्कूल चलता था) पढ़ेंगे। मैंने गुस्से में एक कविता बनायी—

हमसे पढ़ा न जाय गोपाला
ने लो आपन कुञ्जी-ताला।

गोपाला यानी रामगोपाल शुक्ल। तय हुआ कि यहां से चलने के बाद वह कविता इन्हें पोट में भेज दी जायेगी। हम लोग शाम के झुटपुटे में अपने-अपने बक्स रामधनी हलवाई के यहां रख आये। उसमें कहा, कल सुबह कहीं जाना है। आज साइत है, प्रस्थान रख रहे हैं।

पंडित जी को रामधनी हलवाई से शायद हम लोगों का निर्णय मालूम हो गया। रामधनी शायद भांप गया था और उसने पंडित जी से बता दिया था। तभी तो जब सुबह हम लिखित त्यागपत्र लेकर पंडित जी के गद्दा पहुंचे तो पंडित बटुकदेव त्रिपाठी भी वहां बैठे थे। लगता था पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने अपना त्यागपत्र उन्हें थमा दिया। उसमें लिखा था कि आप हमसे बोलते नही हैं। इसलिए हम यहां रहना ठीक नहीं समझते, कहीं और जाकर पढ़ेंगे।

पंडित जी ने यह पढ़ा, कोई प्रतिक्रिया उनके चेहरे पर न हुई, क्योंकि जैसे वे सब कुछ पहले से ही जानते थे।

हम वहां खड़े रहे। पंडित बटुकदेव त्रिपाठी ही बोले—“कवि जी, किसी को आने-जाने से किसने रोका है, लेकिन आने-जाने के पीछे एक औचित्य और सौमनस्य तो होना ही चाहिए। क्या आपका इस तरह जाना उचित है ?”

त्रिपाठी जी पंडित जी की ओर से बोल रहे हैं यह हमें ज्ञात हो गया। मैं बोला—“त्रिपाठी जी, हम क्या करें ! हम मेला देखकर लौटे तो न जाने क्या अपराध हो गया कि पंडित जी ने बोलना ही छोड़ दिया।”

“तो मेला देखने क्यों गये ? क्या है मेले में ? जगह-जगह से तमाम आदारा लड़कियां और लोफर आते हैं, उनमें आप लोगों को शामिल होने की क्या जरूरत पड़ गयी ? आप पढ़ने-लिखने वाले छात्र हैं, इतने अच्छे कवि हैं, चरित्रवान हैं, मेले में क्या पायेंगे ?”

मेरा जी भन्ना गया। उस छोटी उमर में भी मैं मेले के महत्त्व को महसूस करता था। मेला केवल अच्छा ही नहीं लगता, वह एक सामाजिक जमावड़ा है जहाँ जाकर आदमी कुछ सीखता है, पाता है, अनुभव एकत्र करता है। मैंने कहा— “त्रिपाठी जी, मैं कवि हूँ इसलिए तो मुझे मेले में और जाना चाहिए। सुना है मन्नन द्विवेदी आसपास का कोई मेला छोड़ते नहीं थे, वहाँ से जीवन के अनुभव प्राप्त करते थे, और सुना है आपको भी तो बाजार, मेले आदि में घूमने का शौक है।”

त्रिपाठी जी मुसकराने लगे। उन्हें लगा कि वे फंस गये हैं। वे बहुत मज्जन और खले दिमाग के व्यक्ति थे अतः शायद उन्हें लगा कि लडका ठीक कह रहा है। वे झल्लाने की जगह मुझे प्रशंसा-भरी दृष्टि से देखने लगे। पंडित जी अपनी गभीर वाणी में बोले— “मामा, कवि जी ठीक कह रहे हैं। मेले का महत्त्व है। उसका सामाजिक महत्त्व तो है ही, मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक इस रूप में कि घर के भीतर घुटन अनुभव करती हुई औरतो को बाहर सामाजिक भीड़ में निकलने का एक अवसर मिलता है, इससे उनके भीतर की घुटन, ठहराव टूटता है और जीवन जीने के लिए एक ताजगी पा लेती है, नहीं तो घर की चहारदीवारी के भीतर घुटते रहने, पुरुष समाज में कटे रहने के सिवा और क्या मिलता है। एक ओर वे पुरुष समाज में कटी रहती हैं, दूसरी ओर पुरुष समाज उनसे। इसलिए जब ये मेले में निकलते हैं तो उनकी रूमानी वृत्ति जाग पड़ती है। यह अवसर थोड़ी देर का होता है, अतः रूमानी वृत्ति लपटना का रूप धारण कर लेती है। औरते तो अपने स्वभाव के अनुसार मयत रहती हैं। स्वच्छंद-सी लगने वाली औरतें भी थोड़ा मुस्करा देती हैं, कुछ भगिमाएँ कर देती हैं, लेकिन पुरुष समाज और खासकर संपत वृत्ति वाला पुरुष वर्ग आक्रामक हो उठता है।”

‘तब ?’ के भाव से सभी लोग पंडित जी की ओर देख रहे थे।

“कवि जी मेले में गये, मुझे इसका मलाल नहीं है। मलाल इस बात का है कि मुझसे पूछे बिना चुपके से चले गए। इसका क्या अर्थ हुआ ? यही न कि उनका मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। उन्हें डर था कि मैं अनुमति नहीं दूंगा। यह डर उनके मन में क्यों आया ? यदि मैं अनुमति नहीं भी देता तो उनके भले के लिए। इतने दिनों में इन्हें सोचना चाहिए था कि मैं हा या ना इनके हित में ही करूंगा। लेकिन जब ये चुपके से निकल गए तो मुझे बहुत चोट पहुँची। किसी सामान्य छात्र ने किया होता तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं उसका खयाल भी नहीं करता, लेकिन इनके प्रति मेरे भीतर जो भाव है उसे बता नहीं सकता। इनके रूप में मुझे एक सुन्दर भविष्य पंख फड़फड़ाता अनुभव होता है। इनके प्रति अपनी आत्मीयता को मैं कोई नाम नहीं दे सकता। ठीक है, अब ये जहाँ जा सकते हैं, भगवान् इनका मार्ग प्रशस्त करे।”

वे चुप हा गए, लगा जैसे रो देगे। मैं स्तब्ध था। कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने भरे हुए गले में कहा—“आपको हमें डाटना चाहिए था। आपने कुछ कहा ही नहीं।”

वे सीधे मेरी ओर देखने लगे। बोले—“आपका फर्ज नहीं बनता था कि पूछें— ‘पंडित जी, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं ?’ क्या मेरे प्रति आपका सारा विश्वास इस

एक चुप्पी से हिल गया ?”

“पंडित जी, मुझे आप मत कहिए ।” कहता हुआ मैं उनके पांव पर गिर पड़ा और सिसकने लगा ।

पंडित जी ने मेरा सिर पकड़कर उठाया, बोले—“नहीं, कुछ नहीं, दुखी मत होवो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जहां रहो सुखी रहो ।”

मैं और दुखी हो उठा । सामने हमारा त्यागपत्र रखा हुआ था । झपटकर उसे उठाया और फाड़-फूड़कर चिदी-चिदी कर दिया । कुछ देर खडा रहा, फिर बोला—“गुरुदेव, तो आप मुझे निष्कासित करने पर तुले हैं, क्षमा नहीं करेंगे ?”

पंडित जी उठे, उन्होंने मुझे सीने में लगा लिया और आशीर्वादस्वरूप उनकी आंखों में दो-चार बूंद आंसू गिरे । अलग होकर मैंने उनके पांव छुए और कहा—“हम रामधनी के यहां से अपने बक्स लेने जा रहे हैं ।”

“रुकिए ।” पंडित जी बोले ।

हम खड़े हो गए । पंडित जी ने मुझसे कहा—“मेरी चुप्पी तुम्हारे लिए जिस कारण से थी उसमें मैंने स्पष्ट किया, लेकिन कपिलदेव के लिए दूसरा कारण है । और मैंने इन्हें माफ नहीं किया है ।”

‘इनका क्या कारण है ?’

“ये खुद समझ रहे होंगे । इनसे कहिए कि अपना बक्सा वापस लाने में पहले सोच लें कि इन्हें अकेले मैं मुझसे मिलकर माफी मांगनी होगी और मुझसे वायदा करना होगा कि ये अपना वह आचरण दुहरायेंगे नहीं ।”

मेरी समझ में कुछ नहीं आया । शायद कपिलदेव समझ गए होंगे । वे मेरे साथ अपना बक्सा वापस लाये । और दूसरे दिन से पंडित जी उनसे भी बोलने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने माफी मांग ली होगी । वह क्या बात थी शायद इसे पंडित जी और कपिलदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाया । मैंने भी कपिलदेव से नहीं पूछा । मैं पंडित जी की इस गंभीरता से उनके प्रति और भी श्रद्धावन्त हो गया ।

शोर हुआ कि वांसगांव में नेहरू जी आ रहे हैं । निश्चित दिन दो घंटा रात रहते ही अनेक विद्यार्थी वांसगांव के लिए रवाना हो गए । मुझे भी जाना था, लेकिन मुझे रतींधी आती थी, अतः साथी मुझसे कतराकर निकल जाना चाहते थे । उन्हें यह लग रहा था कि रात के अंधेरे में कौन इसका हाथ पकड़कर ले चलेगा । लेकिन मैं तैयार था, इसलिए उनके पीछे हो लिया । काफी दूर तक मैं अंधेरे में अंदाज से उनके पीछे-पीछे चला । वे तेजी से चले जा रहे थे, मैं भी तेज चल रहा था । सड़क थी, कोई खास दिक्कत नहीं हो रही

थी; लेकिन एक जगह मैं एक हलवाहे के हल की नोक में टकराते-टकराते बचा। हलवाहे ने जोर से पूछा—“कौन हो भाई, दिखाई नहीं पड रहा है? अब तक तो सिर फूट गया होता।”

मैं क्या कहता? दोस्तों ने सुन लिया। राजाराम ने रुककर कहा—“आप लोग चलिए, मैं कवि जी की उंगली पकड़कर ले चल रहा हूँ। यह क्या बात हुई कि उन्हें रतौंधी आ रही है तो नेहरू जी की सभा में न चलें!” कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी उंगली पकड़ ली।

मैंने हाथ झटक दिया। बोना—“जाइए, आप भी जाइए, मैं आ जाऊंगा अंधेरे में ठोकरे खाता हुआ! नेहरू जी को देखने के लिए निष्ठा की आख होनी चाहिए और मेरी उम आंख को रतौंधी नहीं लगी है। मुझे तो रतौंधी है, इस पूरे देश को तो दिनींधी लगी हुई है, दिन को भी आंखों के आंग परदा पडा हुआ है। गांधी-नेहरू उमी परदे को तो हटा रहे हैं।”

“अच्छा, अच्छा, आइए चलिए, मैं अपनी गनती मानता हूँ कि सबके बहकावे में आकर आपको छोड़कर निकल आया था। अब गुस्सा थूकिए और चलिए।”

मैं उनके साथ ही लिया लेकिन और माथियों में मुह फुनाये रहा। शायद कपिलदेव नहीं थे, नहीं तो यह समझ्या ही नहीं खड़ी होनी। वे मुझे शुरू में ही ले चले होते।

आठ-नौ बजते-बजते हम लोग वागगांव पहुंच गये। रास्ते में और भाषण के स्थान पर भी खूब चहल-पहल थी। भीड़ नारे लगा रही थी। काफी दूर-दूर के गावों में लोग आये थे। हमारे गाव से भी आये थे। बर्ड भइया भी आये थे। नेहरू जी आये नहीं थे। ‘आ रहे हैं’—शोर होता। फिर एक उदास लहर आती कि ‘नहीं आ रहे हैं’। लोग एक-दूसरे में पूछने लगे कि नहीं आ रहे हैं क्या? क्यों नहीं आ रहे हैं? तब तक चारों ओर की पुलिम एकदम सक्रिय हो गयी। ‘आ गये, आ गये’ का शोर हुआ। थोड़ी देर में वे मंच पर आ गये। नेहरू जी को पहली बार देख रहा था। वह एक अद्भुत अनुभूति थी। सौम्य, शांत चेहरा, खहर की धोती, कुर्ता, जैकेट, टोपी। नेहरू जी के बारे में, उनके उदग्र ओजस्वी चेहरे और हरकतों के बारे में बहुत सुन रखा था और बाद के दिनों में देखा भी, किन्तु उस दिन का चेहरा और ही था। उन्हें गुलाब की माला पहनाई गई थी जिसे उतारकर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। हलके-हलके मुसकरा रहे थे। लगता था उनके चेहरे से झरझर-झरझर आभा झरकर गुलाब के फूलों पर बरस रही थी। गुलाब के फूलों से लेकर उनके चेहरे तक आभा की एक लय बन गयी थी।

लोग नारे लगाते रहे, उत्तेजित होते रहे, नेहरू जी शांत बैठे रहे। फिर वे बोले—संक्षेप में आहिस्ता-आहिस्ता बोले, लेकिन लगा जैसे उनकी वाणी से धीमी-धीमी आंच फूट रही हो—“स्वराज्य लेगे। यह जालिम सरकार अपनी गोली-बन्दूक चलाती ही रह जायेगी, वह देश की जनता के अखिण विश्वास को हिला नहीं सकती। स्वराज्य हम लेकर रहेंगे। आप लोग निर्भीक बनिये। आपके चारों ओर ये जो डराने वाले गोली-बन्दूक वाले लोग खड़े हैं ये सब खरीदे हुए हैं, इनमें कोई दम नहीं। इनसे डरने की

जरूरत नहीं, आप लोग एक होइए। एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। बोलिए भारत माता की जय।”

जय जय जय जय—आकाश गूंज रहा था और पुलिस के अफसर अपनी गोली-बदूक के साथ भी अपने को बहुत अशक्त समझ रहे थे, अपमानित अनुभव कर रहे थे।

सभा से निकले तो कौडीराम की ओर चल पड़े। घर लौटती हुई भीड़ में बहुत उत्साह और जोश था—जैसे किसी ने उसके भीतर सोये हुए पौरुष, उमग और स्वातंत्र्य-भाव को हलके से छूकर झनझना दिया हो। महापुरुषों में ऐसी कोई शक्ति होती है जो अपने स्पर्श से एक माथ कोटि-कोटि प्राणों को स्पंदित कर देती है और वह शक्ति आती उनके व्यक्तित्व और आचरण से, भाषण से नहीं। नेहरू को देखते ही जैसे लोग देश के लिए मरते-खपते उनके व्यक्तित्व का साक्षात्कार करने लगते थे। वही व्यक्तित्व प्रभाव डालता था।

रास्ते में मेरे एक साथी साइकिल से लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि आओ, साइकिल के पीछे बैठ जाओ। मैं तैयार हो गया। वे स्टार्ट करके कहते थे कि कैरियर पर बैठ जाइए। वे आगे निकल जाते थे और मैं जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाता था। चलती हुई साइकिल के कैरियर पर कूदकर चढ़ने की कला मुझे नहीं आती थी इसलिए काफी देर तक यह तमाशा होता रहा। आगे वे इसलिए नहीं बैठ रहे थे कि उस पर बैठे-बैठे मैं थक जाऊंगा। देखने वाले देखकर हस रहे थे। आखिर उन्होंने एक ऊंची जगह पर पाव टिकाकर साइकिल खड़ी की और मुझे कैरियर पर बिठा लिया तब साइकिल स्टार्ट की। मैं अपने इस बुद्धू पन पर देर तक शर्मिन्दा था। अभी तक शर्मिन्दा हो जाता हूँ यह देखकर कि अनेक छोटे-छोटे दुनियावी काम मुझसे सहजता से सध नहीं पाते जिन्हें लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। जब साइकिल पर बैठना नहीं आया तो साइकिल चलाना मेरे लिए कल्पनातीत था। मुझे लगता था कि दो पहिए की गाड़ी को साधकर भगाते चलना एक वमत्कार ही है। मैंने मित्र से कहा, “आप लोग कितने जादूगर हैं कि साइकिल चला लेते हैं। यह तो बहुत बड़ा कौशल है।”

मित्र ने कहा—“इसमें क्या कौशल है ! यह तो मामूली-सी बात है। हैरत तो मुझे यह सोचकर होती है कि आप कैसे कविता लिख लेते हैं।”

मैंने कहा—“इसमें क्या हैरत है ? वह तो आसानी से लिखी जा सकती है।” और हम दोनों एक-दूसरे की कला को हैरत की चीज मानते हुए एक-दूसरे के प्रति अभिभूत थे। और रास्ता कट गया।

मेरे मन में साइकिल सीखने की तड़प जाग गयी। उसी साथी से कहा—“मुझे साइकिल चलाना सिखा दो।” उसने हंसकर कहा—“ठीक है, मैं सिखाता हूँ, तुम मुझे कविता लिखना सिखा दो।” “चलो ठीक है, शर्त मंजूर है।”

तीन-चार प्रयास के बाद एक बार मैं साइकिल संभाल लेने में सफल हो गया। थोड़ी दूर चला ले गया। बात मुड़ने की आयी। मोड़ू कैसे ? जब तक साथी दौड़कर आये, मैं गुलाबों के पौधों पर गिर गया। कांटों से अंग-अंग और वस्त्र बिद्ध हो गये। साथी ने आकर साइकिल संभाली और मैं अपने को कांटों की उलझन से बचाता उठ खड़ा

हुआ। वस्त्र कुछ फट गये थे, अंगों से यहाँ-वहाँ कुछ रक्त रिस रहा था, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं हुई क्योंकि साइकिल चला लेने का अद्भुत मुख मेरे भीतर भर गया था। मैं फिर साइकिल की ओर झपटा। मित्र ने मेरे उत्साह को देखकर कहा—
“शाबाश, साइकिल सीखने की कोशिश में गिरना तो पड़ता ही है, चोट भी लगती है, लेकिन जो चोट की परवाह नहीं करता वही साइकिल सीख सकता है।”

“कोई भी चीज सीखने के लिए चोट तो खानी ही पड़ती है दोस्त, चलो पकड़ो साइकिल।”

उसने साइकिल पकड़ी। चढ़कर मैंने फिर पैडल मारी और पहले से ज्यादा कुशलता से चला ले गया। उस रात कांटो के घाव की परपराहट के बीच साइकिल सीख लेने का सुख मेरे मन में महकता रहा। जिम मैं कल तक चमत्कार समझता था आज उसे अपने वश में कर लिया था।

साइकिल पर चढ़ने का अनुभव एक नया अनुभव था। यह अनुभव तो रोमांचकारी था ही, ‘मुझे अतिरिक्त गति मिल गयी है, समय और स्थान मेरे लिए कुछ और मिमट आये है या मैं उनमें ज्यादा फौल गया हूँ’ सोचकर न जाने कैसा-कैसा लग रहा था।

साइकिल की बुनियादी बात तो सीख गया, लेकिन अभ्यास कैसे करूँ? साइकिल के लिए मन में उमंग उठती थी और बेवमी की तड़प बनकर बुझ जाती थी। लोगों की साइकिलों को हमरनभरी निगाह से देखता था और मौका मिलते ही किसी साइकिल पर झपट पड़ता था और चलाने का अभ्यास करने लगता था। शुरू में कविता लिखने के आनंद से कम उन्मादकारी आनंद यह नहीं था, किन्तु कविता के लिए कागज और कलम ही पर्याप्त थे जो सुलभ थे, लेकिन इसके लिए तो साइकिल चाहिए जिसे खरीदना अपने वश की बात नहीं थी। एक दिन तो मुझे अपमानित होना पड़ा। एक क्लामफेलो अपने पिता के साथ सवेरे-सवेरे पंडित जी से कोई बात पूछने आये थे। उन्होंने जैसे ही साइकिल खड़ी की, मैं ले उड़ा। एक मील तक चलाकर लौटा तो बाप-बेटे को साइकिल के अभाव में बहहवास पाया। बाप ने जैसे ही मेरे हाथ में साइकिल देखी, मेरी लानत-मलामत शुरू कर दी, बहुत गालियाँ दी। मैं अपमानित-सा खड़ा-खड़ा सुनता रहा, शर्मिन्दा होता रहा, फिर पंडित जी ने ममझा-बुझाकर उन्हें विदा किया। साइकिल सीखने का जो हलास मेरे मन में था वह साइकिल के अभाव में उमी तरह मुरझा गया जैसा नौकरी न पाने पर प्रथम श्रेणी की डिग्री पाने वाले विद्यार्थी का उत्साह मर जाता है।

फिर भी कभी-कभी विद्यार्थी साइकिल लाते तो मैं चला लेता था जिमने सिखाया था उसकी साइकिल चला लेता, बाकी किसी की साइकिल नहीं छूता। मेरा संकोची और स्वाभिमान स्वभाव किसी से कुछ मागने से हमेशा उदासीन रहा है।

साइकिल सिखाने वाले दोस्त बोले—“हा भाई, तो कविता कब सिखा रहे हो?”

“चलो, आज ही शुरू कर दो।”

“चलो।” कहकर वे मेरे साथ एकांत में चले गए। मैं सोचता रहा इन्हें कविता कैसे सिखाऊं, वह तो भीतर से पैदा होती है। वह कोई साइकिल सिखाना तो है नहीं कि साइकिल की सीट पर बैठा दिया, कुछ दूर पकड़े हुए ले चले, पैडल हिलाना-डुलाना बता दिया और गति देकर छोड़ दिया। फिर भी मैं उनसे यह कह नहीं सकता था। वे सोचते कि मैंने अपना काम करा लिया, उनका काम नहीं किया। कुछ देर तक उन्हें कुछ समझाना रहा। वे हूं-हा करते रहे, फिर झट्लाकर बोले—“छोड़ो यात्र कविता-फविता, यह मसुरी अपने वश की चीज नहीं।” मो मैंने तो साइकिल के चमत्कार को अपने वश में कर लिया, वे कविता के पास नहीं फटक सके। मैंने भी मुक्ति की सांस ली। आखिर उन्हें कविता सिखाना भी तो कैसे? कविता करना कोई साइकिल चलाना तो है नहीं।

13

ढरमी (एक गांव जहां मैं विशेष योग्यता की पढाई करने गया था)से ही मैंने इलाहाबाद तक की यात्रा की। पहली बार इतनी लंबी यात्रा का अनुभव मुझे हुआ था। कुंभ का मेला लगा था। मेरी मा, कपिलदेव की दादी कुंभ नहाने जाने वाली थी। यह नय हुआ कि पिताजी उन्हें ढरसी तक छोड़ जायेंगे, वहां से हम लोग साथ हो लेंगे। मन में बड़ा उत्साह था। बार-बार मैं मडक की ओर देख रहा था। दोपहर हो गयी। पिताजी नहीं आये। मैं उदास हो चला। पंडित जी हमारी उत्सुकता और व्यग्रता का अनुभव कर रहे थे। दो-तीन बजे के आसपास पिताजी आये। उनके साथ मा थी, कपिलदेव की दादी थी और पडोस की एक चाची थी। पंडित जी ने पिताजी को देखते ही कहा—“आइए मिसिर जी, ये लड़के तो निराश हो चले थे कि आप नहीं आयेंगे।” हम सकुचा गये।

हम तैयार तो थे ही। मझगांवाँ से ही इक्का किया गया और बडहलगंज पहुंचे। घाट पार कर दोहरी पहुंचे। मेरे मन में बनारस और इलाहाबाद को देखने की इच्छा एक 'थ्रिल' पैदा कर रही थी। स्टेशन पर अनन्त लाग जमा थे। धुएं से आस-पास का आकाश अंटा पड़ा था। लोग लिट्टी सेंकने के लिए आग सुलगाये बैठे थे। गाड़ी छूटने में अभी तीन घंटे की देर थी। अभी तो यहां से जाने वाली गाड़ी इंदारा से आयी भी नहीं थी। किन्तु काफी लोग सामान के साथ इस तरह तैयार थे कि जैसे गाड़ी आ रही हो। काफी हलचल, रोमांच, घबराहट का माहौल था। कुछ देर बाद गाड़ी आयी, लोग उतरने भी नहीं पाये कि चढ़ने के लिए टूट पड़े। गाड़ी का यह दृश्य हमारे लिए नया था। यात्रा की घबराहट और रोमांच दोनों ही मिली-जुली धारा मुझमें बह रही थी। खैर, हम दो किशोरों ने तीन-तीन वृद्धाओं को ठेल-ठालकर भीतर किया और

स्वयं भी अंदर हुए। किसी तरह इंदारा तो पहुंच गये लेकिन गोरखपुर से आने वाली गाड़ी में जगह मिलेगी कि नहीं, यह सोचकर घबराहट होने लगी। इंदारा स्टेशन तो और भी जन-संकुल हो रहा था। कई दिशाओं से आकर लोग आने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। दूर से गाड़ी की लाइट दिखाई पड़ी कि हड़बड़ी मच गयी। जनसमुद्र झुंझ हो उठा। गाड़ी आयी, भरी हुई थी। भीतर के लोगों ने मोर्चा बांध रखा था। वे बाहर के प्रवाह को वाहर ठेल रहे थे और बाहर का प्रवाह भीतर की ओर धक्का मार रहा था। आखिर लोग भीतर हो ही लिए। न जाने गाड़ी में कौन-सा जादू होता है कि वह चाहे जितनी भीड़ अंटा लेती है। मैं भी तीनों वृद्धाओं के साथ अंदर ठुंस ही गया, लेकिन कपिलदेव? कहां है, कहां गये? तीनों वृद्धाएं खड़ी थीं, बैठने की गुंजाइश कहां थी। तभी एक चमत्कार हुआ। पड़ोस वाली चाची का उलटी आ गयी और देखते-देखते उनके पास की भीड़ रबड़ की तरह दबकर दूसरी ओर हो गयी और जो जगह खाली हुई उस पर तीनों वृद्धाएं दुबककर बैठ गयीं। लेकिन कपिलदेव? मैं भी किसी अठरी-गठरी का सहारा लेकर बैठ गया हूंगा, लेकिन कपिलदेव के न होने की चिंता सबको व्याप गयी। गाड़ी चल पड़ी। हम मान बैठे कि वे या तो किसी और डिब्बे में हैं, या छूट गये। दिक्कत यह थी कि खाने-पीने का सारा सामान तो उनकी दादी के पास था, वे खायेंगे क्या?

सुबह हो रही थी। मालूम हुआ बनारस आने वाला है। आया। मैं बनारस में आ गया हूं, इस अनुभव से रोमांचित हो उठा। बाहर की ओर देख रहा था, खिलती हुई हल्की-हल्की धूप, स्टेशन पर फेरी वालों की आवाज—चाय, पान, गिगरेट, अमरूद, बेर, चूड़ी-चश्मे और न जाने क्या-क्या? ये सारी चीजें कमोबेश और स्टेशनों पर भी बिक रही थीं, लेकिन न जाने क्यों बनारस के प्लेटफार्म पर मुझे वे कुछ विशेष लग रही थीं, उनमें जैसे मेरे बनारस-प्रेम की एक अलग रंगत और चमक भर उठी थी। इच्छा हुई कि प्लेटफार्म पर उतरकर थोड़ा घूमूं और देख आऊं कि कपिलदेव कहीं है क्या? लेकिन यह संभव नहीं था। जैसे था, उसी अकड़ी हुई अवस्था में बैठने को अभिशप्त था।

गाड़ी चली। तीन-चार घंटे बाद इलाहाबाद के करीब पहुंच गये। लोग उत्साहित हो उठे। झूंसी आ रही है, बुदबुदाहट हुई। झूंसी आ गयी। लोग उझक-उझककर आगे की ओर झांकने लगे। गंगा जी को देखने की बेताबी जैसे लोगों में भरी हुई थी। गाड़ी छूटते ही जय गंगा जी, जय गंगा जी के शोर से पूरा माहौल गूंज उठा। घड़-घड़ घड़-घड़... यह झूंसी और दारागंज के बीच का पुल है। क्या रोमांचकारी दृश्य था। नीचे गंगा जी बह रही थीं। उनके दोनों पाट पर रेत का विस्तार था। रेत में खेत थे। संगम दिखायी पड़ रहा था। पंडों की झुंड की झुंड अनन्त झोंपड़ियां, जय जय पतितपावनी जय जय गंगा मइया... जय जय भागीरथी... रोमांचित शोर उठ रहा था।

दारागंज का स्टेशन आया। उतरकर मैंने तीनों वृद्धाओं को एक स्थान पर बैठा दिया और स्वयं प्लेटफार्म पर घूमकर कपिलदेव को खोजने लगा। वे नहीं मिले। उनकी दादी बहुत परेशान थीं, रो रही थीं। मैंने समझाया कि अगर मैं आप तीनों को लेकर यहां आ सकता हूं, तो क्या कपिलदेव अकेले घर नहीं लौट सकते हैं? चलिए, वे

खो नहीं जायेंगे। यदि आये होंगे तो उन्हें भी मालूम है कि हम मसुरिया दीन पंडा के यहां ठहरेंगे। सब लोग गन मारकर चले।

इतना बड़ा जन-समुद्र मैंने उस दिन तक नहीं देखा था। इस जन-समुद्र को पार करते हुए तीन तुमड़ी का झंडा वाला मसुरिया दीन पंडा का बाड़ा खोजते चले। झंडा पहचानकर हम एक कुटिया में जा जमे। कुटिया में जगह-जगह पुआल बिछा था। पुआल न होता तो सोना कठिन ही होता। जमीन में सीलन भरी थी। यात्रियों के पास चादर या दरी के अलावा होता क्या है। माघ में सीलन-भरी जमीन पर चादर या दरी बिछाकर सोना कितना मुश्किल होता है ! लेकिन कुछ मुश्किल नहीं होता, जिसके भीतर गंगा मइया के प्रताप से मुक्ति की आकांक्षा भरी हो, उसके लिए कष्ट का कोई भी स्तर असह्य नहीं हो सकता। आखिर गाड़ी में सड़ते हुए लोग आये ही हैं न। कितना उन्माद होता है आस्था में और विशेषतया अंधी आस्था में ! मुझे ठीक पता नहीं कि उस समय मुझमें गंगा जी के प्रति अंध आस्था थी कि नहीं। शायद नहीं थी। किन्तु गंगा जी के बहाने इस मेले को देखने के प्रति गहरी आस्था जरूर थी।

बूढ़ाओ को कमरे में प्रतिष्ठित कर मैं कुछ सामान लाने के लिए दारागंज की ओर जाने लगा। कितने अजीब-अजीब दृश्य थे। नागाओं के झुंड दिखाई पड़े—नंग-धड़ंग त्रिशूल लिये हुए। उन्हें देखकर भय लगा। सुना था बड़े गुस्सेल होते हैं। अरे, यह क्या ? एक साधु काटों पर सोया हुआ है। एक धरती में गड़ा हुआ है, केवल उसका सिर निकला हुआ है, कांटे मिर के बल खड़ा है। ऐसे ही अनेक दैहिक चमत्कार दिखाई पड़े। मैं उनकी माघना मे अभिभूत हो रहा था, फिर भिखारियों की कतार। अजब-अजब तरह के भिखारी—कोढ़ी, लूले-लगडे, काने, अंधे, जवान, बूढ़े, बच्चे... अजब गिलगिला संसार था। माधु-संन्यासी, पंडे, पुजारी, भिखारी सभी के आगे पैर गिर रहे थे। और मुझे लगा कि इन सबका धर्म गंगाजी नहीं, पैसा है। जो जितना ही धर्म का बाना धारण किये हुए है वह उतना ही पैसे के नजदीक है।

ढेर की ढेर खिचड़ी जा रही थी। कहां जा रही है, कौन भेज रहा है, कौन खायेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन खिचड़ी जा रही है कहीं, इतना पता तो चल ही रहा था। मेरी भूख उभर आयी थी और मैं जल्दी-जल्दी सामान लेने के लिए दारागंज की ओर बढ़ा और देखा कि बांध पर कपिलदेव उदास बैठे हुए हैं। खोयी-खोयी आंखों से कुछ देख रहे हैं। “अरे भाई, कहां रह गये थे ? हमने बहुत दूढ़ा मगर कही दिखाई नहीं पड़े।” उन्होंने चौंककर मुझे देखा और लिपट गये। बोले—‘ मैं दूमरे डिब्बे में बैठा था। जब यहां उतरा तो आप लोगों को दूढ़ा लेकिन नहीं मिले।’ “दूढ़ा तो हमने भी था लेकिन इस जन-समुद्र में एक व्यक्ति की बिसात ही क्या ? वह कहीं भी अदृश्य हो सकता है। आपने तो कुछ खाया-वाया भी नहीं होगा। चलो, थोड़ा सामान लेकर चलते हैं, खाना बन रहा है।”

हम आये। खाना बन रहा था। हम बारी-बारी में औरतों को नहला लाये। खुद भी नहा लिए। क्या चहल-पहल थी ! गंगा नावों से भर गयी थी। लोग नाव से बीच में जाकर नहाना पसंद कर रहे थे क्योंकि किनारे पर तो खाली गंगा जी हैं, बीच में

यमुना का भी पानी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यानी संगम वहीं था। गंगा जी कितनी महान् हैं ! कितनों का उद्धार कर रही थी ! इतने धर्मप्राणों को मुक्ति दे रही थीं। इतने मल्लाहों को रोजी-रोटी दे रही थीं; इतने दुकानदारों का व्यवसाय चला रही थीं, और कितने ही चाकरी न करने वाले अजगरो के मुंह में खुद ब खुद भोजन ढकेल रही थीं। तब यह बात मेरे मन में इस तरह भले ही न आयी हो, किन्तु किसी-न-किसी रूप में आयी जरूर थी। पड़े, पुजारियों के ढकोसलों, सामाजिक-धार्मिक रूढ़ियों की गलाजतों के प्रति मेरे मन में तब भी एक चेतना अवश्य थी, तभी तो मैं सनातन धर्म के स्थान पर आर्यसमाज को पसंद करने लगा था। मैं आर्यसमाजी नहीं था, अब भी नहीं हूँ, लेकिन गांवों में आने वाले आर्यसमाजियों के संगीतात्मक प्रवचनों से मैं बहुत प्रभावित होता था। उनकी बातें सीधी और भीतर उतरने वाली लगती थी, उनमें राष्ट्रीय चेतना भी थी और समाज के आडंबरों के विरुद्ध चोट भी। इसलिए जब हम मेला देखने निकले तो मैं धर्म के नाम पर समाज पर लदे समाज के तमाम कोढ़ियों से प्रभावित नहीं हुआ, उनके चमत्कारों को मैंने महिमान्वित नहीं समझा, हां नागाओं से आतंकित जरूर हुआ। सुना था कि ये बड़े क्रोधी होते हैं। भीतर के क्रोध को ही भयावना बनाने के लिए शायद उन्होंने यह विकराल रूप बना रखा है।

खा-पीकर हम मेला घूमने निकले। जाड़े की तिजहर थी, धूप हलकी हो रही थी लेकिन तिजहर की उदासी मेले की गहमागहमी में डूब गयी थी। हम पूरे मन से घूम भी नहीं पा रहे थे—क्योंकि तीन-तीन वृद्धाओं को सभालना भी था। मेरी मा तो अभी उस अर्थ में वृद्धा नहीं थी जिस अर्थ में शेष दो औरतें थी। अभी उसमें जीवन की बहुत ऊर्जा शेष थी लेकिन अन्य दो औरतों की तो उगली पकड़ के चलाना पड़ रहा था कि कही ये गिर न जायें या बिछुड़ न जायें।

चलते-चलते हम एक सभा के आगे रुके। पढ़ा—‘आर्यसमाज’। लोग जुटे थे, संगीत के साथ भाषण चल रहा था। गीत तो याद नहीं रहे किन्तु गीत और भाषण से जो आशय फूट रहा था वह राष्ट्रीय था। गीत और भाषण का एक अद्भुत प्रभाव पड़ रहा था। कुछ देर बाद आगे बढ़े तो एक दूसरी सभा दिखाई पड़ी—सनातन धर्म की सभा। देखा, एक आदमी जिसके औरतों जैसे लंबे बाल थे, नाच-नाचकर गा रहा था—‘ए मनमोहन प्यारे संबलिया उलझी लट छितरा जइयो।’

“चलो-चलो, आगे चलें।” कहकर मैं औरतों को खींचने लगा। एक वृद्धा ने कहा—“आ जरा रुको पूता, भगवान् का गीत गा रहा है, जरा सुनने तो दो।”

काफी का मन रखने के लिए मैं खड़ा हो गया और उस नाचने वाले को झेलता रहा। कुछ देर बाद मां ने कहा—“चलो पूता, आगे चलो, ई तो मेहरारू की तरह तान तूर रहा है।”

“काफी से पूछ लो।”

“पूछ लिया है, आगे चलो।” कहकर मां आगे बढ़ चली।

मां अद्भुत थी। अपनी धर्म-निष्ठा के बावजूद वह सुन्दर-असुन्दर का भेद कर लेती थी। मुझे कोई ऐसा प्रसंग याद नहीं है जब उसने जिन्दगी के ऊपर धर्म को तरजीह

दी हो या धर्म के नाम पर फूहड़पन को ष्ठीकारा हो। धर्म उसके सौन्दर्य-बोध का अंश बनकर ही उसमें जीवित था, धर्म उसकी मूलभूत पवित्रता और मानवता को निखारने का माधन था। वह ब्रत रखती थी, देवी-देवताओं की पूजा करती थी, धार्मिक पर्वों पर वह सरयू और गंगा नहाने भी निकलती थी, लेकिन यह सब उसकी आंतरिक पवित्रता के साधन थे, उसकी मानवीय आस्था के संबर्धक थे, वह इन क्रियाओं को अपनी स्वार्थ-सिद्धि का भौंडा साधन नहीं बनाती थी। दूसरी बात यह थी जो बहुत महत्त्वपूर्ण थी कि उसका सांस्कृतिक स्वर उसके धार्मिक स्वर को अपने में समेटे रहता था। वह इन धार्मिक क्रियाओं को सांस्कृतिक स्वरों (तत्सम्बन्धी गीतों, कथाओं आदि) से सौन्दर्य प्रदान करती थी। अतः जहां अनेक लोगों की धार्मिक आस्थाएं और क्रियाएं नंगे कर्म-कांड के रूप में लक्षित होती हैं वहां मां की आस्थाएं और क्रियाएं सांस्कृतिक समारोह के रूप में फूटती थीं। यह कितनी बड़ी बात थी कि जहां चाची को मनमोहन प्यारे सांवलिया का नाम सुनकर भगवान् का स्मरण हो आया, वहां मां भगवान् को बेहूदा ढंग से पेश करने वाले उस रूढ़िवादी व्यक्ति की असुन्दरता से चिढ़ गयी और भगवान् के आतंक से अभिभूत हुए बिना आगे को चल दी। मैंने मां को कभी माला जपते या 'राम-राम राम-राम' कहते नहीं देखा। उसने मुझसे एक बार कहा कि 'रामचरितमानस' से कुछ पंक्तियां याद करवा दो। करवा दीं। वह उन्हें गाती रहती थी। वह मरते दम तक जहां धार्मिक गीत गाती रहती थी वहीं होनी, कजली, शादी-ब्याह के भी गीत गाती थी। उसने धर्म को जीवन की सांस्कृतिक गहमागहमी को काटकर नहीं जिया।

अरे ! मैं मेले का वर्णन करते-करते मां का वर्णन करने लगा। पर मैं कष्ट क्या, वह मेरे जीवन में इतनी घंसी है कि इस यात्रा के क्रम में बार-बार आयेगी। हां, तो हम आगे बढ़े। धूमते रहे। क्या-क्या देखा, इसका बयान करना न अब सम्भव है और न आवश्यक। इतना ही कहना चाहता हूं कि मेले के समय परिवेश का अनुभव मेरे लिए एक नया और मूल्यवान अनुभव था। गंगा और यमुना दो पवित्र नदियों का पहली बार और एक साथ दर्शन और मेले के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव का साक्षात्कार गांव की सीमा में बंधे मेरे युवा-मन के लिए बहुत मूल्यवान वस्तु था। इस अनुभव में मेले की कुछ गलाजत के अनुभव भी शामिल हैं। ये अनुभव अब तो मुझे बहुत सालते हैं, तब भी चुभे थे। धर्म के नाम पर नोच-खसोट, ठगी-भिखमंगेपन के दृश्य मुझे तब भी अच्छे नहीं लगे थे। यानी उनके प्रति मन में एक संशय, एक अप्रीति-कर भाव विद्यमान था। अब तो उनके प्रति घृणा, क्रोध और विद्रोह का भाव मन को अशांत करने लगता है।

इस भीतरी गन्दगी के साथ दूसरा दृश्य था बाहरी गन्दगी का। आखिर इतने लोग निबटने के लिए कहां जायें ? मर्द-औरत सुबह-शाम गंगा तट के आसपास के खेतों में बैठे होते। उनके नंगेपन के बीच कोई दीवार नहीं होती और खेतवाले मर्द-औरत ढेले मार-मारकर लोगों को भगाते रहते। गंगा का तट मल से अटा पड़ा होता। एक ओर संगम में नहाकर लोग पवित्र हो रहे हैं तो दूसरी ओर धोड़ी ही दूरी पर आबदस्त ले रहे हैं। यानी उनके तन और मन का मूल घोने वाली नदी। ठीक ही लोग गंगा को 'मां'

कहते हैं। मैं अपने बच्चों का मल साफ करती ही हूँ।

दूमरे दिन कुम्भ था। गांव से भीमल भाई भी आ गये थे। उनके आ जाने से बड़ी आश्वस्ति मिली। वे मेरे पड़ोसी थे, प्राइमरी में मास्टर थे। कई बार इधर आ चुके थे। अतः उनका साथ बहुत आश्वस्तिकारी लगा। उनके साथ दारागंज के बाजारों में भूमे, सामान खरीदे। प्रयाग से रवाना हुए तो बनारस उतरे। बनारस का बड़ा आकर्षण था मेरे मन में। उसके बारे में सुनता रहता था और वह मेरे मन में शतदल कमल की तरह खिला हुआ था। हम दशाश्वमेध गए। विश्वनाथ गली गये। मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी स्थान का इतना विशिष्ट सौन्दर्य अभी तक मेरे अनुभव में नहीं उतरा था। बनारस के सौन्दर्य का वैशिष्ट्य बाद में भी मेरे लिए कम नहीं हुआ। बाद में तो बनारस मेरे साथ दस साल तक रहा या मैं उसके साथ रहा इसलिए उसकी चर्चा बाद में होती रहेगी। फिलहाल इतना ही कि बनारस भी मेरे भीतर स्थान का एक अद्भुत सौन्दर्य-बोध बनकर पैठा जो संश्लिष्ट था, संक्रांत था। उममें जाड़े की ऋतु की रेशमी गर्मायी थी, फल थे, सब्जियां थी, गंगा थी, गलियां थी, सड़कें थी, तांगे थे, विशेष तरह के बाजार थे, विशेष वेश-भूषा और मस्ती के लोग थे। शहर की अपनी एक विशेष गंध होती है, उसका अपना एक विशेष स्पर्श होना है, यह बनारस देखकर ही मैंने जाना। मैं उम अवस्था में इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकता था, किन्तु महसूस अवश्य कर रहा था। लौटते समय दिन था अतः सारनाथ के स्तूप दिखाई पड़े। मेरी जिज्ञासा का समाधान करते हुए भीमल भाई ने कहा कि यह लोरिक का कुदान है। लोरिक इस स्तूप से उस स्तूप तक कूदना था। मैं कुछ नहीं ममझ सका। न तो मैंने इस बात का पूरा विश्वास ही किया न अविश्वास ही। सच बात तो यह है कि मैं सारनाथ के विचित्र माहौल से अभिभूत होकर पुलकित हो रहा था। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा हुआ, सुना हुआ सारा ज्ञान एक कौतूहल की मुद्रा में सारनाथ की ओर देख रहा था।

खैर, हम लौट आये। औरतें भीमल भाई के साथ गांव लौट गयीं और मैं तथा कपिलदेव स्कूल लौट आये। मेरा कवि कुछ लिखने के लिए बेचैन हो उठा था। मैंने इस यात्रा का वृत्तान्त लिखा—गद्य में भी और पद्य में भी। पंडित जी ने देखा, कुछ समझदार वरिष्ठ साथियों ने भी देखा, सराहा, लेकिन वह रचना न जाने कहा गयी। होती तो देखता कि मैंने उसमें क्या लिखा था और उस समय कैसा लिखता था।

साल बीत गया। इस स्कूल के परिवेश के अनुभवों तथा पंडित जी की आत्मीयता ने मुझे जो रस दिया, जो जीवन दिया वह अविस्मरणीय है। यह स्कूल न जाने कब का ढह-डूह

गया और पंडित जी भी बहुत पहले कालकवलित हो गये, किन्तु यह स्कूल मेरे मन में जो बसा तो बसता ही चला गया। काल की दूरी उसे मेरे भीतर और घंसाती चली गयी। न जाने क्या था इस स्कूल में कि इसने दो साल बाद फिर मुझे अपने पास खींच लिया। यह कहानी दो साल बाद की है, फिलहाल इतना ही कि परीक्षा हुई, विशेष योग्यता से पास कर ली। द्वितीय श्रेणी मिली, उदास हुआ। उम्मीद प्रथम श्रेणी की थी। उम्मीद तो दर्जा मात में भी प्रथम श्रेणी की थी, न जाने क्या है कि मेरी प्रथम श्रेणी नहीं आ पाती। तैयारी करना हूँ। विषय का उचित ज्ञान भी होता है, किन्तु बार-बार वही फिसलन। शायद मेरी लिखावट आड़े आती है, शायद मेरी शैली में वह बात नहीं जो परीक्षक चाहता है। तब तो इस विषय पर मैं बहुत सोच-विचार नहीं सकता था और न अपनी योग्यता का कोई प्रामाणिक बोध मेरे पास था, किन्तु ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया और निरन्तर द्वितीय श्रेणी की माला पहनता गया, परीक्षा-पद्धति के प्रति मेरा व्यक्तिगत असंतोष बढ़ता गया और जब तमाम अच्छे छात्रों और प्रोफेसरों की द्वितीय श्रेणी का इतिहास सुनने में आया तो मैं मिद्धान्ततः स्वीकार करने लगा कि वास्तविक योग्यता और परीक्षा की योग्यता में कोई फामला जरूर है। परीक्षा की शैली में जरूर कोई ऐसी बात है जो अपने ढंग से योग्यता-अयोग्यता का निर्धारण करती है। वह शैली एक विशेष तरह की शैली है जो प्रायः अयोग्यों का भी वरण करती है। योग्यों का वरण नहीं करती, ऐसा मैं नहीं कह रहा। परीक्षा पाम कर जीवन में उतरने पर परीक्षा के बहुत-से योग्य अयोग्य और बहुत-से अयोग्य योग्य बन जाते हैं। मैं कम से कम अपने विषय के क्षेत्र में ऐसे बहुत-से लोगों को जानता हूँ कि जिन्हें शुरू से आखिर तक प्रथम श्रेणी मिली, लेकिन परीक्षा पाम करने के बाद अपने क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सके, बुद्ध प्राध्यापक या प्राध्यापिका बनकर रह गए। लेकिन इसके विपरीत बहुत-से द्वितीय श्रेणी वाले छात्र (जो बने-बनाये अच्छे मस्ते नोटों का सहारा न लेकर उच्चस्तरीय पुस्तकें पढ़ते रहे, उनसे अपनी सामग्री तैयार करते रहे और पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त भी स्तरीय पुस्तकें पढ़ते रहे) प्रतिभावान विचारक, लेखक और समीक्षक के रूप में चमके। यह बात मैं अंतिम मत्य के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य मत्य के रूप में कह रहा हूँ। बहुत-से लोग ऐसे हैं जो परीक्षा में भी चमकते रहे और परीक्षा के बाद भी बुलंदियों की ओर उठने गये। कहना इतना ही है, अच्छे प्रतिभावान सुपढ़ छात्र अच्छे परीक्षार्थी भी हों, यह आवश्यक नहीं।

मैं अपनी बात करते-करते कहां चला गया ! इसे कहते हैं अपने बचाव के लिए सामान्य सिद्धांत की स्थापना कर लेना। मैंने अपनी सामान्य योग्यता को छिपाने के लिए औरों के दृष्टांत का सहारा ले लिया न ! जाने दीजिए, यह मनुष्य की सामान्य कमजोरी है। एक बात तो सही है कि मुझमें योग्यता का चमत्कार कभी नहीं रहा। मुझमें प्रतिभा का विस्फोट कभी नहीं हुआ। प्रथम श्रेणी मेरी श्रेणी नहीं है। यह अच्छा ही है। मुझ पर लोगों की दृष्टियां टिकें, यह मेरे स्वभाव को सहन नहीं। मैं लोगों के बीच मिले रहने में ही आश्वस्त अनुभव करता हूँ। शायद मेरे इस स्वभाव ने ही परीक्षा में भी और जिन्दगी में भी मुझे 'डिस्टिग्विषड' होने नहीं दिया। कहीं पढ़ा था—

पहली बार बरहज जाने के लिए हम तैयारी करने लगे तो फिर बरसात की सीलन मेरे भीतर भर उठी। एक स्थान से नाता जुड़ा और टूटा। फिर एक नये अजनबी स्थान पर जाने की तैयारी। मन में घर छूटने का दर्द और एक अपरिचित परिवेश में जाने का भय तैरने लगा। एक उचाट-सा अनुभव होने लगा। मुझे हमेशा लगा है कि बरसात का मौसम घर छोड़ने के दर्द को और भी गहरा देता है। शायद इसलिए भी कि हमारे क्षेत्र में (चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी) आदमी जुलाई में ही घर से छूटता है। इसलिए घर छूटने का दर्द जुलाई का (बरसात का) दर्द बन जाता है। नहीं, शायद इतना ही नहीं, स्वयं इस महीने या मौसम में भी एक अजीब सीलन, असुरक्षा और शोर-भरा सन्नाटा होता है। वह भीतर के दर्द से मिलकर उसे और बोझिल बना देता है। शायद इसीलिए पावस में प्रवास वर्जित है। इस मौसम में जब अपनों की सन्निकटता की गहरी आवश्यकता होती है तब प्रवास कितना अवांछित हो उठता है और उस अवांछित को नियति की तरह ढोने पर मन का टूटना, उचट जाना, भीतर-भीतर भर आना कितना स्वाभाविक है। गहरे-गहरे बादल छाये हैं, वे गड़गड़ाते हुए लगातार रूप-रंग बदल रहे हैं और उनकी डरावनी श्याम सघनता प्रवासी-मन की भटकन पर छा जाती है। बिजली चमकती हुई धरती में घंसी जा रही है, कभी तेज, कभी हल्का पानी बरस रहा है, चौवाई बह रही है। पैदल यात्रा पर निकले हुए व्यक्ति की मंजिल अनिश्चित और दूर है। रास्ते के सारे घर अजनबी। वह कहां जाये, क्या करे? भीग रहा है, किसके बरामदे में ठहरे, कब तक ठहरे, रास्ते में कितने कपड़े बदले, और रास्ते हैं कि कीचड़ और पानी से भरे हुए छोटे-छोटे नाले। और सामने एक नदी उफन रही है, नाव उस पार है, न जाने कब तक इस पार पहुंचे, लहरें उसे ढकेलकर न जाने कितनी दूर फेंक आती हैं। और नाव से नदी पार करना कम खतरनाक तो नहीं और यदि पार भी किया तो न जाने कब तक? और मंजिल तक पहुंचने के पहले ही कहीं शाम हो जाये, फिर किसके यहां ठहरे? मेरे जैसे संकोची व्यक्ति के लिए तो और भी मुसीबत।

यात्री स्वयं तो मुसीबत में पड़ा ही है, घर वाले भी पड़े हैं। वे सोच रहे हैं कि यात्री पता नहीं कहां होगा? किस हालत में होगा? इस सोच ने यात्री भगवान् राम की माँ कौसल्या को भी नहीं छोड़ा—

बन को निकरि गये दोऊ भाई

सावन गरजे भादों बरसे, पवन चले पुरवाई

कौन बिरिछ तर भीजत होइहें राम लखन दोऊ भाई ।

मो हम लोग बरसात में सिर पर अरतन-बरतन लादे बरहज की ओर रवाना हो गये। चौबीस मील की दूरी तय करके वहां पहुंचे तो शाम गहरा रही थी। यह तो याद नहीं रहा कि रास्ते में 'सावन गरजे, भादों बरसे' की नियति झेली कि नहीं लेकिन बरसात वाली मनःस्थिति में कोई कोताही नहीं थी। बरहज में बाबा राघवदास का आश्रम था (अभी है), वहीं राष्ट्रभाषा स्कूल चलता था। पंडित सिंहासन तिवारी

उसके आचार्य थे। शाम को पहुंचकर मन्दिर के चबूतरे पर हम दोनों बैठ गए—थके-थके, भूखे-प्यासे, उदास-उदास। देह में थकान की गहरी पीड़ा उभर आयी थी। हम वहीं पसर गए। सोच नहीं पा रहे थे, क्या करें, कहां जायें, कैसे खायें-पियें? पावस की साँझ में परदेस की जमीन और अजनबीपन की उदासी भीतर कसी जा रही थी।

थोड़ी देर बाद मंदिर में चहल-पहल हो गयी। घंटा बजने लगा। हम चबूतरे के एक कोने पर सहमे-सिकुड़े बैठे हुए मंदिर की हलचल देख रहे थे। पूजा खत्म हुई तो एक आदमी की नजर हमारे ऊपर गयी। वह धीरे-धीरे सरकता हुआ हमारी ओर आया। पूछा—“कौन हो तुम लोग?”

मैं और कपिलदेव एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। उसने फिर पूछा—“अरे भाई, बताओ न कौन लोग हो?”

“हम दूर से आये हैं।” मैं बोला।

“वह तो ठीक है, लेकिन यहां क्या काम है?”

“हम यहां विशारद पढ़ने आये हैं।”

“अरे तो यहां क्यों बैठे हैं आप लोग? पंडित सिंहासन तिवारी से मिलिए। चलिए उठिए, ले चलता हूं।”

हम दोनों उसके साथ गये। थोड़ी दूर पर स्थित एक क्वार्टर के सामने जाकर उसने पुकारा—“तिवारी जी!”

एक व्यक्ति अंदर से निकला और उम व्यक्ति को देखकर कहा—“क्या है पुजारी जी?”

“अरे आपके ये दो छात्र आये है, मंदिर के चबूतरे पर चुपचाप बैठे हुए थे। अब इन्हें संभालिए।” कहकर पुजारी जी चले गये।

तिवारी जी ने हालचाल पूछा और पास के ही छात्रावास के एक कमरे में हमें ठहरा दिया। खाने-पीने के लिए पूछा। कहा—“खाना-बाना बना लो, मैं सामान भेज दे रहा हूं।”

हमने कह दिया कि खाना हमारे पाम है।

तिवारी जी चले गए। खाना हमारे पास नहीं था। घर से जो लेकर चले थे रास्ते में खा लिया था। पास में गुड़ था, थोड़ा ख़ाया, पानी पिया और सो गये।

बाबा राघवदास का आश्रम बरहज के पश्चिम में स्थित था। बाबा राघवदाम उस समय जेल में थे, उनके उत्तराधिकारी सत्यव्रत जी उस समय आश्रम के स्वामी थे। आश्रम का अपना एक परिसर था जो बहुत विशाल नहीं था। इस परिसर में एक अंग्रेजी कालेज था—श्रीकृष्ण इंटर कालेज, संस्कृत पाठशाला थी, राष्ट्रभाषा विद्यालय था, बाबा जी का अपना निवास-घर था, एक मंदिर था, शिक्षकों के लिए क्वार्टर थे और एक छात्रावास था जिसमें टिन की छाजन के कई छोटे-छोटे कमरे थे।

दूसरे दिन हम क्लास में गये। शिक्षकों से हमारा परिचय हुआ। आचार्य सिंहासन तिवारी के अतिरिक्त दो शिक्षक और थे—एक थे रावत जी (नाम भूल रहा हूं), एक थे शास्त्री जी (इनका भी पूरा नाम भूल रहा हूं)। शास्त्री जी संस्कृत पाठशाला

में अध्यापक थे, ये विशारद में भी संस्कृत पढ़ा दिया करते थे। सिंहासन जी और रावत जी अंग्रेजी शिक्षा से वंचित थे, वे केवल साहित्यरत्न थे। धीरे-धीरे उनकी योग्यता से परिचय होता गया। पंडित रामगोपाल शुक्ल की तरह सिंहासन जी भी बहुत मेहनती थे। केवल साहित्यरत्न होकर भी वे साहित्यरत्न तक की कक्षाओं को बहुत तैयारी के साथ पढ़ा लिया करते थे। उनकी स्मरण-शक्ति भी अच्छी थी (सौभाग्य है कि वे जीवित हैं, आशा है, अभी भी उनकी स्मरण-शक्ति ठीक ही होगी)। उन्हें हिन्दी साहित्य का इतिहास लगभग याद था। सभाओं में भी वे अच्छा बोल लेते थे, उन्हें बोलने का शौक भी था। लेकिन पंडित रामगोपाल की बात ही और थी। वे अपने-आप में एक आश्रम थे और सिंहासन जी दूसरे के आश्रम में शिक्षक थे। अतः पंडित रामगोपाल शुक्ल से जो एक गुरुकुल-मूलक आत्मीयता और जिन्दगी की उष्मा के स्पर्श मिले वह यहां कहां संभव था? वहां में परिवार का एक सदस्य था। यहां स्कूल का छात्र। यद्यपि यहां भी छात्रों और अध्यापकों की संख्या थोड़ी होने के कारण एक पारिवारिकता-सी थी किन्तु वह बात नहीं थी जो ढरसी में थी। घर से पहली बार प्रवासी के तौर पर इतनी दूरी पर निकला था और मन में बसी हुई ढरसी की आत्मीयता बार-बार उभर जाती थी, इसलिए यहां मन बार-बार उचट जाता था। यों स्वभावतः यह इलाका मुझे ऊरठ लगता था। मन बार-बार गहरी गृह-ममता से भर आता था।

आश्रम के पूरब तरफ बरहज बाजार था। उत्तर से दक्खिन तक लम्बाई में बसा हुआ एक कस्बा। कस्बे का अंतिम छोर सरयू नदी को छूता था। यह कस्बा बड़हलगंज की अपेक्षा अधिक समृद्ध और साफ-सुथरा था, लेकिन बड़हलगंज मुझे बहुत अच्छा और सरस लगता था और यह कस्बा नीरस और उबाऊ लगता था। ऐसा शायद इसलिए लगता था कि बड़हलगंज के साथ बचपन से लेकर अब तक की मेरी स्मृतियां जुड़ी हुई थीं और हम अपने सम्बन्धियों और अनेक सांस्कृतिक पर्वों की रागात्मकता के संदर्भ में इस कस्बे में आते-जाते थे। जो भी हो मुझे इस कस्बे में ज्यादा यांत्रिकता लक्षित होती थी।

इसी अजनबीपन के माहौल में हम यहां पढ़ने लगे। मुझे लगता था कि मुझे ढरसी में जो अस्मिता प्राप्त थी, वह यहां नहीं है। यहां तो कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। और कोई क्यों समझे? यहां अंग्रेजी के शिक्षक हैं, संस्कृत के बड़े-बड़े पंडित हैं और यहां न जाने कितने लोग हैं जो न जाने कहां-कहां से आते हैं, यहां मेरी हस्ती ही क्या है?

एक दिन बनारस से कोई वक्ता आये। सूचना निकली कि सभी लोग एकत्र हों, भाषण सुनने के लिए। मैं भी गया। देखा, मंच पर एक सज्जन विराजमान हैं। बड़े-बड़े बाल हैं, दाढ़ी है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बाबा सत्यव्रत विराजमान हैं। संस्कृत पाठशाला का एक बड़ा हॉल था। वह पूरा भरा हुआ था। बाबा जी ने वक्ता का परिचय दिया और भाषण देने का अनुरोध किया। वक्ता ने बहुत जोशीले स्वर से राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भों को लेकर व्याख्यान दिया। ऐसा लगता था कि वक्ता को साहित्य, राजनीति और धर्म तीनों का अच्छा ज्ञान था। उसकी बाजी में शासन के

विरुद्ध विद्रोह की आग थी। भाषण समाप्त हुआ तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। दो-एक व्यक्तियों ने कविता पढ़ी तो मुझे भी उत्साह हो आया। मैंने अपने नाम की चिट बढा दी। मेरा नाम पुकारा गया। मैंने एक कविता पढ़ी। पूरी कविता याद नहीं है किन्तु उस घनाक्षरी की पहली पंक्ति थी 'तिमिर घनेरा हिन्द मेरा भी तजेगा अब'। कविता राष्ट्रीय थी, जोश में भरी हुई थी, लोग बाह-बाह करने लगे। कविता समाप्त होते ही तालियां बजने लगी और अनेक प्रशंसात्मक आंखें मेरी ओर उठ गयीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा सत्यव्रत ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वक्ता के धर्म-विरुद्ध विद्रोह वाले स्वर की काट करते हुए राष्ट्रीयता से संदर्भित बहुत ओजस्वी भाषण दिया और मेरी कविता की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा इस कविता पर अपनी ओर से एक पुरस्कार देने की घोषणा की। बाबा जी का भाषण पहली बार सुना था। बहुत ओजस्वी स्वर में बोलते हैं।

उस दिन से मैं उस परिवेश में चारों ओर जाना जाने लगा, कवि के रूप में विख्यात हो गया और यहां भी लोग मुझे कवि जी के नाम से पुकारने लगे। मेरे मन पर अजनबीपन का जो बोझ था, वह कुछ हल्का हो गया। मेरी अस्मिता को थोड़ी तृप्ति मिली। अंग्रेजी स्कूल में दो साहित्यिक थे—एक थे हिन्दी शिक्षक श्री रामकिशोर पांडेय (जो बाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रवक्ता रीडर, प्रोफेसर और अध्यक्ष बने) दूसरे थे संस्कृत के शिक्षक महेन्द्र शास्त्री जी। दोनों अच्छे वक्ता थे। इन लोगों ने भी मुझे पहचाना और रामकिशोर जी ने कालेज मैगजीन में मेरी कविताएं छापीं।

यहीं रामानुज जी से भेंट हुई। रामानुज अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे और पास के ही एक गांव में एक नाई मित्र के साथ एक कमरे में रहते थे। रामानुज जी मेरे गांव के पास के गांव रानापार के कवि मदनेश जी (जिनकी चर्चा पहले आ चुकी है) के सुपुत्र थे। गांव में उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु इस भौगोलिक दूरी ने हमें एक-दूसरे के बहुत करीब ला दिया। शुरू-शुरू में सभी लोग परदेस (चाहे दूसरा देश हो या घर से दूर कोई जगह) में अपने गांव या उसके आसपास के लोगों के लिए हटकते हैं, मिलते-मिलते हैं और जब परदेस में नये आत्मीयों का एक परिवेश बन जाता है तब अपने गांव-गिरांव के लोगों के लिए तड़प कम हो जाती है। हां, तो रामानुज उस प्रवास में हमारे लिए एक सहारा बन गये। वे यहां कई साल से थे अतः इनका यहां परिचय-क्षेत्र बड़ा था। शायद तब दर्जा नौ में पढ़ते थे और अंग्रेजी खूब बोलते थे। एक दिन हम बाजार में जा रहे थे तो रामानुज जी एक दुकान पर खड़े होकर बोले, "दो मिनट के लिए अखबार दीजिएगा?" अखबार अंग्रेजी का था। दुकान पर बैठे भद्र सेठ जी ने रामानुज की देहाती वेशभूषा और उम्र को देखा, फिर उपहास के स्वर में बोले— "पढ़ना आता भी है कि शौक मिटाना चाहते हो हाथ में लेकर?" अपने पास बैठे एक सुशिक्षित लगने वाले सज्जन की ओर देखा। दोनों हिकारत से हंम पड़े। रामानुज ने झटके से अखबार खींच लिया और फरटि से पढ़ने लगे। सेठ चकित था। उसे लग रहा था कि इतना अच्छा तो मैं भी नहीं पढ़ सकता। जब तक वह कुछ बोले, रामानुज

अखबार वहीं फेंककर आगे बढ़ चले। मुझे बहुत अच्छा लगा। वे चिकने-चुपड़े लोग अपने को पैसे के साथ-साथ विद्या का भी अधिकारी समझने लगते हैं—खासतौर पर अंग्रेजी विद्या का। देहाती रामानुज ने उनके अभिमान के मुंह पर कीचड़ फेंक दिया, यह सेठ जी और उनके मित्र के मुंह को देखकर लग रहा था। रामानुज और उनके नाई मित्र एक ही रसोई में खाना बनाते-खाते हैं, जानकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा था। अभी मेरी मानसिकता इस प्रकार की नहीं बनी थी कि वह एक ब्राह्मण को नाई के हाथ का बना खाना खाते देख सके और सह सके। यद्यपि रामानुज यह बात प्रचारित नहीं करते थे और पूछने पर टाल जाते थे, लेकिन यह बात सही थी। वर्षों बाद जब मेरी मानसिकता इस प्रकार की बनी तब रामानुज की साहसिकता पर मैं मुग्ध था। इतनी छोटी उम्र में इस आदमी ने इतने बड़े सत्य को पहचान लिया था, छुआछूत के दानव को लात मार दी थी; किन्तु जब मेरी मानसिकता इस प्रकार की बनी तब रामानुज अपने ब्राह्मण संस्कार की ओर लौट चुके थे। वे मिलिट्री में क्लर्क लग चुके थे। पता नहीं बाहर कैसे रहते थे लेकिन गांव में जबरदस्त परंपरावादी विधान करते दिखाई पड़ते थे।

रामानुज यार-बाण आदमी थे। उनमें महफिली रंग भी था। कवि पिता का काव्यात्मक संस्कार भी था और घोर रसिक भी थे। हम लोगों के कमरे में आ जाते थे, गजलें (विशेषतया कुन्दनलाल सहगल की गायी हुई गजलें) गाते थे। सनेही जी, हितैषी और अपने पिताजी के कवित्त-सवैये गाते थे और कभी-कभी अपनी यौन-मूलक रमिकता में अश्लील लगने लगते थे।

रामानुज जीवित है लेकिन पागल हो गये हैं। मैट्रिक करने के बाद वे मिलिट्री में क्लर्क हो गये थे। पता नहीं क्या हुआ कि उनका दिमाग फिर गया। वे गाव भाग आये। वे मेरे गांव के कई लोगों के नाम ले-लेकर कहने लगे—“उसने मेरे पीछे भून छोड़ दिया है, वह देखो आ रहा है।” और भाग चलते थे। मदनेश जी ने अपने बहुत लम्बे और गहरे अभावों के बाद बेटे के पैसे की कुछ उष्मा अनुभव की थी, लेकिन भाग्य को यह मंजूर नहीं था। वे रामानुज की दवा-दारू में जुट गये और अपनी अपार धैर्य-शालिनी प्रवृत्ति के अनुरूप निरुद्विग्न से दीखते रहे। रामानुज का पागलपन शांत पागलपन था और है। वे किसी को कुछ नहीं कहते, आते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, चले जाते हैं। छात्र जीवन के रामानुज के साथ जब रामानुज का यह रूप सामने आता है तब बिचित्र अनुभूति होती है। क्यों ऐसा होता है कि बसंत की तरह एक हंसता-चहचहाता यौवन छिन जाता है और एक अच्छा आदमी एक टूटी हुई, एक विक्षिप्त जिन्दगी जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है? उसकी सारी हंसी छिन जाती है, रस सोख लिया जाता है? कौन है इस व्यवस्था के पीछे—इतना क्रूर, इतना अविवेकी?

संस्कृत के पंडित जी (शास्त्री जी) हमें संस्कृत पढ़ाते थे। ‘मनुस्मृति’, ‘रघुवंश’ आदि से पहली बार परिचय हुआ। शास्त्री जी ने मनुस्मृति तो अच्छी पढ़ाई लेकिन रघुवंश हमारे भीतर नहीं उतार सके। कारण यह भी था कि वे मूलतः व्याकरण के आदमी थे और कारण यह भी रहा कि हम संस्कृत नहीं जानते थे। ‘मनुस्मृति’ का धर्म-

निरूपण हम सुनते थे, समझते थे, रटते थे, न उससे राग था, न बिराग। लेकिन 'रघुवंश' के साथ तो कुछ अनुभव ही नहीं करते थे। दशहरे की छुट्टियों में हम लोग गांव आये तो सोचा कि छुट्टियों में रघुवंश तैयार कर लें। रानापार में संस्कृत के कई आचार्य थे। सोचा था उनसे पढ़-पढ़कर तैयार कर लेना आसान होगा। हम बारी-बारी से दो के पास गये और दोनों ही उलझ गये। वे बड़ी कठिनाई से कुछ श्लोकों का पैराफ्रेज कर सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम उठकर चले आये। मिलने के लिए मदनेश जी के यहां आये। वे किसी काम से कहीं जा रहे थे।

“आओ भाई आओ, कब आये बरहज से?”

“कल आये।”

“रामानुज नहीं आये, कैसे है?”

“ठीक-ठाक है, उनकी छुट्टी दो दिन बाद होगी।”

“यह किताब कौन-सी है?”

“रघुवंश है। हमारे कोर्स में है। आपके गांव के आचार्यों से पढ़ने आये थे।”

“पढ़ आये?”

“क्या पढ़ आये? उन लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है।”

“कौन-सा सर्ग है?”

“तेरहवां।”

वे जाते-जाते जमकर बैठ गए। कहा—“पुस्तक खोलो।”

“जी!” हम चौंके। हमें मदनेश जी के बहरे में यही ज्ञात था कि ये हिन्दी के पंडित हैं और संस्कृत भी थोड़ी-बहुत जानते हैं।

तब तक उन्होंने जबानी शुरू कर दिया।

और फिर उन्होंने जो रघुवंश का काव्य-मर्म खोलना शुरू किया तो एक-एक पंक्ति अपने अर्थ-वैभव के साथ भीतर उतरती गयी। लगा कि हम कविता पढ़ रहे हैं और रघुवंश से गहरा रागात्मक लगाव जुड़ता चला गया। हम जब तक वहां रहे, उनसे पढ़ते रहे और काफी कुछ समझ में आ गया था। समय की गहमागहमी के पीछे छिपे हुए कैसे-कैसे लोग होते हैं—चुपचाप अपने दर्द में पैवंद लगाते हुए और अपने प्यार, ज्ञान, विवेक की छोटी-छोटी निधियों से समाज के जीवन को समृद्ध करते हुए। ये देते हैं, पाते हैं कुछ नहीं। पाने वाले और लोग हैं जो अपने ज्ञान, सेवा, त्याग, तप आदि की चमकीली दुकान सजाये होते हैं। जो चलते हैं तो जयजयकार होती है, मरते हैं तो जयजयकार होती है, लूटते हैं तो जयजयकार होती है, हंसते हैं या रोते हैं तो जयजयकार होती है और सारी गहमागहमी के भीतर झांककर देखिए तो सब कुछ खोखला होता है, नाटक होता है और लगता है कि ये समाज को, राजनीति को, धर्म को न जाने कितने स्तरों पर जर्जर और विकृत करके चले गये हैं। लेकिन मदनेश जी जैसे लोग बिना किसी घोषणा के, शोर-शराबे के अपने आनन्द के लिए सहज ही समाज की कितनी डीली बूलों को कसते चले जाते हैं, उसके कितने खाली स्थानों को भरते हैं और उसके कितने ही भावों पर अपने प्यार का शीतल लेप लगाते हैं और गुमनाम जीते हैं, गुमनाम

चले जाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन-भर अपने सुख की कयरी सीनी पड़ती है, उसे एक जगह सीते हैं तो दूसरी जगह फटती है, तीसरी जगह फटती है। रामानुज को नीकरी मिलती है और मदनेश जी के अभाव-भरे सन्नाटे में बसंत का कोई स्वर फूटने वाला होता है तो रामानुज पागल हो उठते हैं।

रामानुज कुछ दिनों के लिए हमारे छात्रावास में आ गये थे—किसी मित्र के कमरे में। सितंबर के महीने में हम लोग बाहर सोये हुए थे।

“कौन है ?”

“कौन सोया है ?” मेरी नींद टूट गयी और लगा कोई रामानुज को जगा रहा है। मैंने देखा बाबा सत्यव्रत जी थे।

“कौन है जी, सोने नहीं दे रहा है ?” रामानुज बड़बड़ाये।

“उठो।” कड़कती आवाज में बाबा जी बोले।

रामानुज ने देखा कि बाबा जी जगा रहे हैं तब हड़बड़ाकर उठ बैठे। साथ ही हम लोग भी उठ गये।

“चलो, मेरे साथ आओ।”

हम तीनों मन मारकर उनके पीछे हो लिए। हम घबराये थे। उनके बारे में सुना था कि छात्रों को जगा-जगाकर ले जाते हैं और पांव दबवाते हैं। ब्रह्मचर्य की गर्मी के मारे नींद नहीं आती तो रात को उठ-उठकर घूमते हैं और जिस-तिस छात्र को पकड़ ले जाते हैं और घंटों पांव दबवाते हैं। हम लोगों ने सोचा, आज बुरे फंसे। उन्होंने रामानुज से कहा—“जाओ, तुम एक बार आश्रम का पहरा जगा आओ।”

रामानुज कांप गये। वे जहां के तहां खड़े रहे।

“क्यों ?”

“मुझे डर लग रहा है।”

“अरे डर कैसा ?”

“चारों ओर चोर-डाकू बिखरे हुए हैं। डर तो है ही। मैं अकेले पहरा देने नहीं जाऊंगा। इन्हें भी मेरे साथ भेजिए।”

बाबा जी कुछ देर तक चुप रहे। शायद उन्हें इस प्रकार का व्यवहार पहली बार प्राप्त हो रहा था। वे गुस्सैल बहुत थे। हम सोच रहे थे कि उनका कोप अब बरसेगा। लेकिन कुछ सोचकर बोले—“अच्छा जाओ, तुम सभी जाओ। घूम-घामकर मेरे पास आ जाना।”

हम लोग मुक्त होकर आगे बढ़े और एक गली से होकर फिर अपने कमरों की ओर लौटने लगे। बहुत डर रहे थे बाबा जी के कोप से भी और चोरों से भी। उन दिनों आश्रम के आसपास चोरों का खूब आतंक छाया हुआ था। छात्रावास में भी और स्टाफ क्वार्टर में भी खूब चोरियां हो रही थीं। सुना जा रहा था कि कहीं से जरायम-पेशा के ढेर सारे लोग आश्रम के आसपास के बाग-बगीचों में डेरा डाले पड़े हुए थे। वे ही रात को आतंक मचा रहे थे। वे गिरोह में आते हैं और चोरी करते हैं, लूटते हैं, प्रतिरोध करने पर मारते-पीटते भी हैं। कई बार तो रात को छात्रों में और उनमें

पत्थरबाजी भी हुई है। बी० टी० साहब का क्वार्टर थोड़ा किनारे पड़ता है। उनके घर में कई बार चोरियां हो चुकीं और उनकी बीवी पिटी भी। आश्रम के चारों ओर खाली सुनसान जगह थी इसलिए लगता था कि आश्रम के चारों ओर एक आतंक चिल्ला रहा था। रात को हम चैन की नीद नहीं सो पा रहे थे। ऐसे में आधी रात को आश्रम के चारों ओर चक्कर लगाना बहुत भयावह था। हम तीनों डरते-डरते बीच के ही रास्ते अपने छात्रावास पर लौट आये।

“रामानुज जी, बाबा जी ने इसके बाद अपने पाम बुलाया है।”

“चलो सोते हैं, गोली मारो।”

“बहुत नागज होंगे।”

“तो क्या कर लेंगे? यह कोई तरीका है कि आदमी मो रहा है तो कोई आकर उसे जगा दे और गुलाम की तरह उसे पीछे-पीछे लेकर चलना बने।”

“अरे भाई, बाबा जी है। मंत्र-महात्मा की कृपा है यह तो।”

“आप लोग सो जाइए, आप लोग कुछ नहीं जानते।”

खैर, हम सो गये। सवेरे जो डाट-फटकार मिलेगी गो सह लेंगे, लेकिन इस समय तो आराम करें।

हम सोये ही थे कि किसी ओर से आवाज आयी—चोर-चोर-चोर—और कुछ पांवों के भागने तथा पत्थर चलने की आहट उभरने लगी। पूरा छात्रावास जाग गया था। किसी स्टाफ क्वार्टर से लोग चिल्ला रहे थे कि चोर चारी करके भाग गये। रात फटकर बिखर गयी। अब नीद किसे आये? आतंक और आशका में रात बीती। और ऐसे ही अनेक रातें बीती उस प्रवास-काल की।

15

पहली बार बरहज आए महीना-भर से ऊपर हो गया था। हम घर के लिए हुटकने लगे। घर जाने की तड़प हमें भीतर-भीतर तोड़ने लगी। जन्माष्टमी की छुट्टी पडी थी। कपिलदेव और मैंने सलाह की कि घर चलना चाहिए। लेकिन कैसे? बाढ़ आयी होगी। मीलों पानी फैला होगा। कैसे संभव हो पायेगा? लेकिन घर बुला रहा था। हमने सोचा, जो होगा मो देखा जायेगा, बहरहाल घर चलना चाहिए। यह तय हुआ कि जमिरा तक चलकर लगभग आधी दूरी एक दिन तै कर ली जाय और दूसरे दिन अलख सुबह जमिरा से चल दिया जाये ताकि बाढ़-वाढ़ के बावजूद शाम तक घर पहुंच जायें। जमिरा गांव में हमारे गांव का सम्बन्ध पड़ता था। गांव के कई संभ्रांत लोग आश्रम में थे, उनसे हम लोगों की पहचान हो गयी थी। उनमें से किसी के साथ हम जमिरा पहुंचे। रात-भर उनके यहाँ रहे। सुबह होते ही वहाँ से घर के लिए निकल पड़े।

बरहज से चौदह मील की दूरी पर रुद्रपुर कस्बा पड़ना है। अब तो रुद्रपुर और बरहज के बीच पक्की सड़क बन गयी है, तब कच्ची सड़क थी और कोई सवारी नहीं मिलती थी।

रुद्रपुर से हम सड़क छोड़कर पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। ऊंची-नीची पगडंडियों से चलकर गांव तक की दस मील की दूरी तै करनी पड़ती है। अभी भी यही स्थिति है। रुद्रपुर राजपरिवार के नाते तो जाना ही जाता है, नाथ बाबा के नाते अधिक जाना जाता है। नाथ बाबा यानी शंकर जी। यहां शंकर जी का मंदिर है। मंदिर के पास तालाब है। एक धर्मशाला है और बंदरों की सेना है। यहां शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है, किन्तु यों भी हर पर्व-त्योहार को आसपास के लोग यहां जल चढ़ाने पहुंच जाते हैं और भीड़-सी लगी रहती है। भीड़ का एक कारण और है, वह यह कि यह जगह केन्द्र में पड़ती है, पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्खिन जाने वाले यात्री यहां विश्राम करते हैं, खाते-पीते हैं। यहां से हम भी न जाने कितनी बार गुजरे हैं, न जाने कितनी बार शिवरात्रि के मेले में आये हैं और यहां की धार्मिक हलचलों और रोमांटिक गहमागहमी को देखा है। यहां और गांव के बीच की दुनिया जानी-पहचानी है इसलिए यहां पहुंचने पर लगता है कि घर पहुंच गये। यहां कई बार मेरे पिताजी साष्टांग मुद्रा में आये हैं। साष्टांग मुद्रा में लेटे, लकीर खींचकर खड़े हो गये, लकीर के आगे फिर लेटे, फिर खड़े हुए। इस तरह देवता के थान तक की दूरी तै की। लोग ऐमा धार्मिक उन्माद में भी करते हैं तथा कुछ पाने के लिए (विशेषतया संतान पाने के लिए) भी करने हैं। पिताजी क्यों करते थे, मुझे पता नहीं। यदि संतान-प्राप्ति के लिए करते थे तो मैं उस तीमा में नहीं आता, क्योंकि मुझमे पहले पिताजी की पांच संतानें हो चुकी थीं। यदि मेरी भी प्राप्ति पिताजी को उसी साधना के फलस्वरूप हुई तो यह कितनी विचित्र बात होगी कि पिताजी का पुत्र उनकी उस साधना को मजाक की दृष्टि से देख रहा है। सचमुच इस प्रकार की साधना की परंपराएं कितनी शोषक और व्यर्थ हैं। आदमी की जिन्दगी का कितना वक्त बरबाद होता है, कितना श्रम व्यर्थ जाता है और जीवन-दृष्टि कितनी धूमिल हो जाती है !

हम लोग रुद्रपुर से सड़क छोड़कर पगडंडी की ओर मुड़े तो मन में आश्वस्ति का भाव आया कि अब गांव आ गये। छः मील चलने के बाद भुसउल गांव के पास गोर्ना नदी मिली। मगर नदी है कहां ? यहां तो समुद्र है। नदी के कगार तो कहीं लक्षित ही नहीं हो रहे हैं। बाप रे बाप, अब क्या होगा ? यहां से गांव तक पानी-ही-पानी...। नाव का पता ही नहीं था। मालूम हुआ कि नाव ठकुराई के मुड़ेरा तक जा रही है, यानी नदी-तट से एक मील और आगे। पता नहीं कब तक नाव आयेगी। हमारे साथ कई लोग नाव के इन्तजार में बैठे थे। हम अंदाज लगा रहे थे कि नौ बजे होंगे, दिन रहते-रहते किसी तरह गांव पहुंच ही जायेंगे, लेकिन नाव आये तब न। एक अजीब ऊब चारों ओर पसरी थी। तेज धूप निकल आयी थी, जिससे ऊब और भी चिड़चिड़ी हो रही थी। कोई बाढ़ को गाली दे रहा था, कोई मस्लाह को—आखिर साले ने एक ही नाव क्यों रबी, एक नाव नदी पार कराती, एक नाव उससे आगे ले जाती। कोई धूप

को गाली दे रहा था, कोई धूप का बचाव करते हुए कह रहा था कि धूप कल्याण कर रही है, यदि पानी बरसता होता तो ?

तेज पुरवा हवा चल रही थी जिससे थोड़ी राहत मिल रही थी। सामने के समुद्र की तरफ अरराती हुई पुरसा भर उठती थी, गिरती थी। पिछले सीसे-सी एक भारी बजबजाहट दूर-दूर तक बज रही थी। फेनिल उत्तुंग जल-प्रवाह में तेजी से न जाने कितनी चीजें बहती चली जा रही थी—पेड, झोंपड़े, जानवर, कभी-कभी आदमी। बीच-बीच में सूईस पलथा मारता था। बड़े-बड़े कछुए किसी लाश को ढकेलते हुए चले जा रहे थे। बड़ा भयकारी दृश्य था, लेकिन हम लोगों के लिए नया कुछ भी नहीं था। हम लोग तो इस सारे परिदृश्य से परिचित थे, उसी से जूझते हुए बड़े हुए थे। आज शहरी दुनिया में रहते-रहते इस दृश्य के बारे में सोचकर डर लगने लगता है, किन्तु तब ऐसा नहीं था। गाव छोड़ने के काफी दिनों तक बाढ़ की जिन्दगी का संस्कार अपने ऊपर बाकी था।

एक सज्जन जो शायद कस्बे से बाढ़ देखने आये थे, कह रहे थे—“अरे इन उठती-गिरती कयामत की लहरों में नाव ठहरेगी कैसे ?” लेकिन हमें अनुभव था कि कैसे नाव ठहरेगी। वह ठहरती आयी है और आज भी ठहरेगी। आखिर नाव आदमी की रचना है। आदमी अपनी रचना के द्वारा प्रकृति के कितने ही प्रकोपों का सामना करता है, उसके क्रोध के फणों को नाथता और अपने अनुकूल बनाता आया है। नाव के जरिये आदमी भीषण से भीषण जल के वक्ष पर विचरण करता है, उसमें से फूल, मोती, मछलियां और न जाने कितनी-कितनी अमूल्य वस्तुएं ढूँढ़ता है।

“बो देखो, नाव दिखाई पड़ रही है।” किसी ने कहा।

हम लोग प्रसन्न हो गये। “अरे दिखाई तो पड़ रही है लेकिन उसे यहां पहुंचने में दो घंटे लगेंगे।” किसी ने कहा और सबका उभरा हुआ उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। फिर भी कुछ सहारा तो बना। अब हम नाव की गति देखने लगे। हमें अपने अनुभव से ज्ञात था कि नाव इस स्थान पर लग सके, इसके लिए उस पार अभी मील-आधा मील दूर ले जायी जायेगी। यही हो रहा था।

किसी तरह जब नाव इस पार लगी तो दोपहर ढलने लगी थी। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था हम चिंतित होते जा रहे थे। मल्लाहों ने कुछ खाया-पिया। थके थे, थोड़ा विश्राम किया। फिर नाव पर आये। खेबे के लिए कुछ देर तक यात्रियों से झां-झा हुई। किसी तरह नाव खुली। वह लहरों के ताल पर तांडव करने लगी और हम अपने सारे बाढ़ संस्कार के बावजूद डर जाने लगे। धारा में कहीं उत्ताल नरंगिता थी, कही गहरे आवर्त थे।

धीरे-धीरे हम नदी पार कर गये। नदी के बाढ़ के पानी में नाव आ गयी तो थोड़ी आश्वस्ति मिली। नाव आगे बढ़ने लगी। अब उसमें थोड़ी गति आ गयी क्योंकि लहरों से जूझने की आवश्यकता कुछ कम हो गयी थी, लेकिन यह देखकर हम परेशान थे कि शाम होती आ रही है। नाव ‘ठकुराई का मुड़ेरा’ तक जायेगी। उसके बाद न जाने क्या स्थिति होगी। ‘ठकुराई का मुड़ेरा’ पहुंचते-पहुंचते लगभग पांच बज गये। बहई

से हमारा गांव तीन मील पड़ता है। सामान्य अवस्था में तीन मील की दूरी तो कुछ भी नहीं है, किन्तु इस समय तो यह दूरी पहाड़ बनी हुई है। हमने सोचा—“आज इस गांव में ही ठहर जाया जाय।” लेकिन फिर वही संकोची स्वभाव आड़े आ गया। किससे जाकर कहें कि हम आपके दरवाजे पर ठहरना चाहते हैं। किसके यहां से खाने-पीने की चीजें मांगी जायें। यदि हम निराहार सो गये तो जिसके दरवाजे पर ठहरेंगे वह जिद करेगा खाने-पीने के लिए, और हमारा संकोच इसे संभाल नहीं पायेगा। इसलिए तय हुआ कि हम चलते जायेंगे।

यह सारा कछार-प्रांत है। गांव तक पानी के सिवा और कुछ मिलने की उम्मीद न थी। अतः हम पूछते-पाछते आगे बढ़े। कहीं-कहीं नाले मिले, जिनमें छोटी-छोटी नावें थीं। नाले नाव से पार करते हुए आगे बढ़े। जिस रास्ते जाने से कम-से-कम पानी मिलने की उम्मीद थी वह रास्ता लम्बा था किन्तु इस लम्बे रास्ते से जाने के सिवा और चारा ही क्या था! घुटने-भर, छाती-भर पानी में हलते हुए हम चलते गये। कुछ आस-पास के सहयात्री मिले तो उन्होंने आगे का मार्ग निर्देश कर दिया। लेकिन अब तो रात गहरा गयी थी। नौ से ऊपर हो रहे होंगे। इस बाढ़ में कोई सहयात्री कहां से मिले। हम लोग इन रास्तों से परिचित थे अतः पानी का अंदाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। रात के अथाह अंधकार के नीचे अथाह जल फैला हुआ था और दो किशोर उसे पार कर रहे थे। जब हम गांव मे लगभग एक किलोमीटर दूर रह गये तो घबराये, क्योंकि इस दूरी में बहुत ऊबड़-खाबड़ जमीन है। नौ और दस के बीच का समय रहा होगा। क्या करें? नव कुछ दूर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। लगा—कुछ लोग बातें करते हुए हमारे आगे-आगे जा रहे हैं। उस रात के सन्नाटे में हमने आवाज दी—“कीन है...?”

“क्या है...?”

“आप लोग आ रहे है कि जा रहे हैं?”

“जा रहे हैं...।”

“आगे कितना पानी है?”

“दाहिनी ओर से घूमकर आओ...बाईं ओर मत जाना, उधर गहरा पानी है।”

हम लोग छाती भर पानी में थे। अब अगर इससे गहरा पानी हुआ तो डूब ही जायेंगे। इस रात के सन्नाटे में पानी के जानवरों का भय और बढ़ गया था। खैर, आगे के लोगों की आवाज के इशारे पर आगे बढ़ते गये। कुछ तो यह जगह अपनी जानी-पहचानी थी, कुछ आगे वालों के इशारे। धीरे-धीरे गांव के पास की पाकड़ के पास आ गये। कुछ देर बाद हम गांव में प्रवेश कर गये तो एक ओर तो राहत की सांस ली, दूसरी ओर अपनी बहादुरी पर गर्व भी हुआ। गांव में सूता पड़ गया था। किसी-किसी घर में दिया टिमटिमा रहा था। घर पहुंचा तो मां जाग रही थी। मुझे देखा तो खुशी मे गोद में भर लिया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया—डॉटने लगी—‘इतनी रात में इस परलय में आने की क्या जरूरत थी? कहीं कुछ हो गया होता तो?’ वह भय मे षबरा गयी।

“कौन है ?” कहते हुए पिताजी भी जाग गये। घर के और लोग भी जाग गये और सभी लोग मेरे दुस्साहस पर माथा ठोंक रहे थे।

“क्यों आये तुम इस बाढ़ी-बूढ़ा में, वह भी रात को ?” मां रूआंसी हो गयी थी।

“मां, मुझे लगा कि तू मुझे बुला रही है। डेढ़ महीने हो गये थे न तुझसे बिछुड़े हुए। मैं करता क्या, तूने बुलाया मैं चला आया।”

मां और प्यार से मुझसे लिपट गयी और कपड़े-वोपड़े बदलने को कहकर कुछ पकाने लगी। पिताजी हाल-चाल पूछने लगे।

खा-पीकर सोया तो ऐसा सोया जैसे कब का सोया हुआ नहीं हूँ।

आज जन्माष्टमी थी। लोग व्रत थे। बड़े लोगों में तो व्रत रखने का उत्साह धार्मिक कारण से होता है यानी उन्हें पुण्य-लाभ की आशा होती है, किन्तु बच्चों में देखा-देखी उत्साह होता है और खान-पान में थोड़ा बदलाव आयेगा, इस बात की खुशी होती है। लेकिन क्या बदलाव आयेगा? देहात में फल तो मिलते नहीं, खेत डूब गये हैं इसलिए कांकर-फूट जैसी फसली चीजें भी उपलब्ध नहीं हैं। जब खाने को ही नहीं मिलती तो फलाहार कहां से प्राप्त होगा? हां, दो ही चीजें उपलब्ध हैं—महुए का लाटा और आम की गठली का आटा। ये चीजें तो बच्चे यों ही पा जायेंगे, व्रत रखने की क्या जरूरत ?

सवेरे से ही आकाश में बादल छाये थे। मैं गांव में निकला तो गांव के सारे साथी पूछने लगे—“कब आये ?” मैं अपने आने का वृत्तान्त बहुत रम ले-लेकर बताता और उनकी निगाह में हीरो बनना चाहता था, किन्तु वे यह कहकर मेरे उत्साह पर पानी फेर देते—“भाई, रात को आकर अच्छा नहीं किया। चलो, भगवान् की कृपा से सकुशल पहुंच गये।” फिर वे नयी जगह का हाल-चाल पूछते—“कैसी है जगह, कैसे हैं वहा के रंगढंग ?” और मैं बरहज की जिन्दगी को पसंद न करते हुए भी उसकी महत्ता का बढ़ा-चढ़ाकर बखान करता ताकि मित्रों को मेरे भाग्य के प्रति ईर्ष्या जगे।

कपिलदेव भी मिल गये। हम कई मित्र गांव के किनारे आकर खड़े हो गये। सामने फौला हुआ विशाल जल-प्लावन हहरा रहा था। हहराने का बजबजाता शोर लगातार गांव में बज रहा था। दिन के प्रकाश में इस बाढ़ को देखा तो उसकी भयावहता और बढ़ गयी और यह सोचकर रोमांच हो आया कि हम रात के गहरे अंधेरे में इसी बाढ़ को चीरते हुए यहां तक पहुंचे थे।

“वो देखो सांप-सांप...।”

“अरे वो देखो बड़ा-सा कछुआ...।”

“अरे वो देखो मुरदा...।”

“अरे वो देखो लकड़ी पर वैठा हुआ बिच्छू...।”

“अरे वह देखो सियार भाग रहा है।”

“ओह, रात हम इनमें से किसी से टकरा सकते थे !” सोचकर मैं भयभीत हो उठा और कपिलदेव की ओर देखा। वे भी शायद इसी भाव से मेरी ओर देख रहे थे।

देखते-देखते कुछ लड़के पानी में कूद गये और तैरने लगे। कुछ लोग शायद अपने खेत में अपनी फसल की लाश ढोते चले आ रहे थे। एक नाव जाती दिखाई पड़ी। पानी में चल रही जिन्दगी की इस हलचल ने मेरे भीतर के भय को दूर कर दिया। बहुत देर तक हम आदिगंत व्याप्त तेज बाढ़ के किनारे बैठे रहे। बादल थे, तेज ठंडी हवा थी। बादल और पानी के बीच तेज हवा का विस्तार एक और ही अनुभव की सृष्टि कर रहा था। खतरे के किनारे और खतरे के बीच होकर दृश्यों को देखने में कितना फर्क होता है! हम इस समय किनारे थे इसलिए यह भयावह दुनिया रोमांचकारी सौन्दर्य लग रही थी।

“कितना विनाश करती है यह बाढ़ रामदरश भाई !” एक साथी ने कहा।

मैं झटके से बाढ़ के किनारे से बाढ़ के भीतर आ गया।

“आप जानते हैं क्या हुआ ? महेश और राजाराम इस साल बाढ़ में बह गये।”

“अरे कब ?” मैंने चौंककर पूछा।

“तीन दिन पहले। वे कपरफोखा में फसल काटकर ला रहे थे, हजिया नाला में बह गये। पता ही नहीं चला।”

“अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। दोनों की विधवाओं का क्या होगा ? ये बेचारे तो ऐसे ही बहुत गरीब थे, बेचारी औरतें कैसे जियेंगी ?”

“जैम सारा गांव जी रहा है, वैसे वे भी जियेंगी।”

“नहीं भाई, माना कि गांव के अस्सी-नब्बे प्रतिशत लोग गरीबी में बेहान हैं, लेकिन जब मरद नहीं होता है तब औरतें गरीबी तो भोगती ही हैं, अपमान भी भोगती हैं, लांछन भी भोगती हैं।”

“हां, सो तो है।”

एकाएक तेज बारिश होने लगी। हम लोग झपटकर पास के मकान के बरामदे में आ गये। बरामदा बाढ़ की ओर ही खुलता था। वहां खड़े होकर हम बाढ़ देखने लगे। बारिश की ध्वनि से बाढ़ की ध्वनि मिलकर एक अलग तरह के भीम संगीत की सजंजा कर रही थी और लगता था बाढ़ के ऊपर कुहरा छा गया है।

“अररर...”

हमने चौंककर देखा—सामने के मकान की दीवार गिर गयी थी। घर में की औरतें फटी-पुरानी साड़ियां पहने अपनी लाज छिपाने के लिए आंगन में इधर-उधर भाग रही थीं। उनके चेहरों पर एक दहशत छायी थी। सारा मकान चूता है। ओसारा पहले से ही गिरा हुआ है इसलिए उस घर के पुरुष जिस ओसारे में हम खड़े थे, उसी में जमा थे। वे भागते हुए घर की ओर गए कि कोई दबदबा तो नहीं गया। दीवार जर्जर, छतें जर्जर। एक गिरी, उसकी चिंता जितनी नहीं थी उससे अधिक चिंता-भाकी दीवारों की थी। कहीं वे रात को गिरेंगी तो उनके नीचे सारा परिवार दब जाएगा। मुझे अपना अतीत याद आ गया। भइया की साधना से अब हमारे घर को एक सही-सलामत मकान हासिल ही गया था, इससे पहले तो वही हाल था जो सामने वाले घर का था।

मैं इस दृश्य के माध्यम से अपने अतीत में खो गया। लगा हम भीग रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, उपवास हो रहे हैं, रात को सोते-सोते हम चौंक पड़ रहे हैं। जर्जर छतों की लकड़ियों पर सांप लटके हुए हैं और तितितिति बोल रहे हैं चूते हुए पानी से बचने के लिए हम खाट यहां से वहां और वहां से यहां सरका रहे हैं, लेकिन पानी की बूंदें हमारे नंगे शरीर पर गिर रही हैं छन्न-छन्न, जैसे जलते तवे पर पानी...।

फिर आवाज हुई। शायद किसी की दीवार टूटी। और तब मुझे लगा कि गांव के अधिकांश घर तो टूटन की एक ही लय से बंधे हैं। अभाव का एक ही दर्द यहां से वहां तक लोट रहा है। बाढ़ सब कुछ समेट ले गयी।

पानी थमा। हम उस बरामदे में से निकले। 'खांय-खांय-खांय' जोर-जोर से खांसी की आवाज आ रही थी। देखा—हरिहर भाई ओमारे मे लेटे हुए खाम रहे हैं। उनकी देह जर्जर हो गयी है, एक गंदी फटी-पुरानी चादर ओढ़े हुए है और ओमारे मे पानी खूब चुवा है यहां-वहां...।

“बेचारे महीने-भर से बीमार है। जड़िया आ रही है। घर खाने-पीने को भी तो कुछ नहीं है।”

आगे बढ़ा तो लगा हरिहर भाई अकेले नहीं है, पूरे गांव में खांसी की एक लय बन गयी है। वह लय बीच-बीच में टूटती है, फिर शुरू हो जाती है। पड़ोस मे आया तो देखा सुमेर काका अपने ओसारे मे गाल पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। मैंने पैलगी की तो उन्होंने आशीर्वाद देकर हाल-चाल पूछा। मैंने उनका हाल-चाल पूछा, तो बोले—“जी रहा हूं।”

अंदर से खांसी की भयानक आवाजें आने लगी।

“तुम्हारी काकी हैं।”

काकी मेरी मां की पक्की सहेली थी। मुझे भी बहुत मानती थीं।

मैं अंदर घुस गया। काका भी साथ आए। काकी को प्रणाम किया। वे दीवार की ओर मुह किए हुए थी, प्रणाम सुनकर बहुत तकलीफ से उन्होंने करबट बदली। मैं धक्का से रह गया—वे काकी थीं या काकी की लाश? आंखें शून्य, पथरायी हुईं, चेहरा रक्त-शून्य, बांहें लकड़ी।

“कब से बीमार हो काकी?”

उन्होंने खांसते हुए बताया—“पन्द्रह दिन से।”

“बड़ी मुसीबत है। इस कछार के जंगल में कोई डाक्टर नहीं।” मैंने कहा।

“बेटा, डाक्टर भी क्या कर लेंगे? डाक्टर दवाई दे देंगे न, खाना-कपडा तो नहीं न देंगे। वे हमारे मकान तो नहीं न बनवा देंगे। अब देखो हमारे मकान चूते हैं। हम बाहर भीगते हैं; अंदर भीगते हैं। रब्बी का अनाज दो-तीन महीने के बाद खतम हो जाता है। ब्रह्म खाली खायी ही नहीं न जाता, उसे बेच-बेचकर और सारे काम भी तो करने पड़ते हैं और खरीफ का हाल देखते ही हो। हर साल यही तो हो रहा है।”

वे चुप हो गए। उनकी आंखों में वर्तमान से अधिक भयावह भविष्य था। उनकी आंखों में जाने क्या-क्या उभरने लगा—एक स्तब्ध सुनसान, एक निर्मम चट्टान, एक

विषाद, एक डरा हुआ जंगल...

मैं धीरे-धीरे घर चला आया। मेरे लिए तो ये दृश्य नये तो ये नहीं, मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा रहा हूँ, काफी दूर तक अभी भी हूँ। वे ही खेत हैं। काफी कम रबी उगलते हुए, बाढ़ में डूबे हुए, लेकिन भइया की साघना से एक मकान बन गया है जो चूना नहीं और अनाज खरम होने पर उपवास नहीं होगा, खरीदकर आ जायेगा।

आते ही मां बिगड़ पड़ी—“कहाँ घूम रहे हो? इतनी देर हो गयी, न खाना न पीना।” देखा उसके गुस्से में अद्भुत तरलता छलक रही थी।

“जरा गांव घूमने चला गया था।”

“क्या, शहर घूमने से मन नहीं भरा? गांव घूमने में क्या रखा है? क्या नया रखा है गांव में?”

“मां, चाहे दुनिया घूम आऊं, अपना गांव घूमने का सुख ही दूसरा है। अपना गांव तो अपना गांव है न।” और उसके गले से झूलते हुए कहा—“और अपनी मां भी तो अपनी मां होती है न।”

मां मुसकरायी। उस मुसकान को कोई नाम नहीं दे सकता। वह मुसकान बस मां की मुसकान थी।

घर में घुसा तो देखा—छोटी भाभी नहा-धोकर नयी साड़ी पहने हैं, पांव में आलता लगा रखा है, बहुत सुरुचिपूर्ण श्रृंगार उन पर बिछा हुआ है। हलके-हलके कोई कजली गा रही हैं। बहुत मीठा स्वर है भाभी का।

“बाह भौजी, जरा खुलकर गाइए न, मौसम भी तो मुने आपका संगीत।”

वे जोर से गाने के स्थान पर चुप हो गयीं। बड़ी भौजी मुसकरायीं। फिर बोलीं—“अरे गा दे न। बाबू सुनना चाहते हैं।”

“आप ही गाइए न दीदी।”

“अरे मुझे गाना आता तो गा ही देती। मुझे कौन शरम थी रे। ये छोटे-छोटे बेटे तो मैं इस घर में आयी थी। ये बच्चे की तरह मेरी गोद में खेले-खाये हैं।”

सचमुच हमसे भौजी क्यों शरमातीं। जब वे इस घर में आयी थीं तब मैं बहुत छोटा था। याद है, उन्होंने मुझे गोद में भर लिया था। गाना-बजाना किसे नहीं आता, इस तर्क से उन्हें भी आता है, वे भी औरतों के साथ मिलकर गा-बजा लेती हैं लेकिन वे रंगमयी औरत नहीं कही जा सकतीं। वे प्रायः चुप रहती हैं। कम बोलती हैं, कहा-सुनी के समय भी वे बहुत उग्र नहीं होतीं। उनमें डिप्लोमैटिक स्तर तक पहुंची हुई कथन-मितव्ययिता है। मां और बाद में परिवार के कुछ अन्य लोग कहा करते थे कि और लोग अपनी बातचीत से अपना गुब्बार निकाल लेते हैं किन्तु यह बिच्छू का डंक मारती है। एक डंक मारकर चुप और लोगों में डंक घंटों परपराता रहे। यह तुलना किए बिना भी यह कहा जा सकता है कि छोटी भाभी खुली और रंगीन तबीयत की औरत थीं।

हरिहरि पिया बसे परदेस

खबरि ना लीनी ए हरी

स्वर उठा। भाभी गा रही थीं।

वाह, क्या मिठास थी ! बड़ी भाभी भी मिल गयीं। मां भी आ गयी और देखते-देखते मोहल्ले की कई औरतें आ गयीं। सुखदेई फूआ भी आ गयीं। और सावनी संगीत का एक समां बंध गया।

मैं बाहर चला आया। ओसारे में बैठा संगीत और उसके साथ भाभी-ननद लोगो की चुहलबाजियां मुनने लगा। लगा कि बाढ़ के इस भयावह वातावरण को जीवनेच्छा की चुनौतियां मिल रही हों, उसके पथरीले आतंक को आनंद की छोटी-छोटी लहरें काट रही हों।

सामने नरसिंह के दरवाजे पर लोग जुटने लगे थे। पूजन भाई, बेंचू भाई जंगी हस्तिनां तो थीं ही, गंगादीन, किसुना, भीमल, संतू, तिरलोकी, सिनन्नन और भी जाने कितने-कितने लोग थे। इस मौसम में आखिर करते क्या? बैठकर अपने अभावों और दार्दिद्र्य का रोना रो सकते थे या माथा पीट सकते थे; लेकिन समूह मानव के लिए यह सहज नहीं है। वह हमेशा चुनौतियां स्वीकार करता है और विषम से विषम परिस्थिति में जीने का रास्ता निकालता रहता है। इस भयावह परिस्थिति में अपने दुःखों का रोना रोने के स्थान पर सामूहिक रूप से हंमना-गाना, कथा-कहानियां कहना, हसी-मजाक करना, गप्पें हांकना आदि जीवन के रास्ते हैं।

बेंचू भाई और पूजन भाई में नित्य की तरह वहम शुरू हो गयी थी। दोनों अपनी-अपनी समृद्धि और बडप्पन की डीगें हांक रहे थे और देश-दुनिया के अपने-अपने अनुभवों की कहानियां सुना रहे थे। ये दोनों बहुत गंभीर थे यानी गंभीरता ओढ़े हुए थे लेकिन और लोग कहकहे लगा रहे थे और उत्तेजित कर रहे थे। मैं भी उम भीड़ में जा मिला और प्रणाम-आशीर्वाद के बाद लोगों ने रस्मी सवाल किया—“कब आये हो बाबू? सब कुशल-मंगल तो है न?” फिर गप्प और कहकहों की धारा में सभी लोग निमग्न हो गये। एक बार बेंचू भाई और पूजन भाई एक-दूसरे से लड़ने की मुद्रा में आ गये लेकिन दूसरे ही क्षण बेंचू भाई कजली गाने लगे और पूजन भाई सिर मटका-मटकाकर नाली बजाने लगे, फिर सभी लोग उसी मनःस्थिति में आ गये। सामने अनंत बाढ़ की मौजें गरजती हुई ठाठें मार रही थीं, जिनके नीचे खेतों के मारे सपने दबे पड़े थे। पानी क्षमात्रम बरस रहा था, रह-रहकर दीवारों के अरराने की आवाजें आती थी और इस बरामदे में बैठे कुछ लोग जैसे अपनी जिजीविषा से प्रकृति को चुनौती दे रहे थे—“दखो बाढ़ रानी, तुम कितना भी अपना विनाशकारी जबड़ा फैलाओ, हम जीते रहे हैं, जी रहे हैं और जियेंगे। तुम्हें याद है न, आज ही के दिन वासुदेव के यहां एक बालक पैदा हुआ था। आधी रात का समय था, घनघोर वृष्टि हो रही थी, अंधकार की चट्टान के नीचे दुनिया दबी पड़ी थी। प्रकृति अपनी भयावहता में घनीभूत हो गयी थी। ऐसे ही वातावरण को फाड़कर वह बालक पैदा हुआ था जिसका नाम कृष्ण था। उस नन्हें बालक ने मानो हर प्रकार के अंधकार को चुनौती दी। वासुदेव के सिर पर स्थित होकर वह पानी से लथपथ अंधकार में बाहर निकल पड़ा। अंधकार उसके आगे निरुपाय हो गया। यमुना की फुफकारती लहरें उसकी ओर बढ़ीं और उसके चरणों के दबाव से पराजित होकर अपनी ओकात में लौट आयी। यही कृष्ण हमारे आराध्य हैं बाढ़ रानी। आज

उन्हीं का जन्मदिन है, आज हम उन्हीं की शक्ति पाने का व्रत रखते हैं।”

न जाने कब ओसारे मे एक छोटा-सा झूला पड़ गया और कुछ छोटे-छोटे बच्चे झूलने लगे। मुझे याद आया—यह झूलों का मौसम है; जिस साल बाढ़ नहीं आती है उस साल के सावन-भादों का क्या कहना! नागपंचमी, राखी, तीज, जन्माष्टमी न जाने कितने पर्व-त्योहार बिखरे पड़े हैं इस मौसम के आचल में। धान, बाजरे, मक्के, अरहर, कोदां, मावा टागुन के पौधे लहरा रहे होते हैं। ठंडी हवा में भागते बादलों की छांह उड़ती रहती है और युवतियां बागों में झूले डानकर झूलती-झुलाती रही है—

झूला पड़े कदम की डरिया

झूले राधा प्यारी ना

तब मोगम, फमल, जीवन की गति और सगीत में एक लय होनी है; किन्तु जिन साल बाढ़ आती है उस साल मौसम और जीवन-सगीत में एक टकराहट, एक विसंवाद उत्पन्न हो जाता है। जीवन का सगीत आहत जरूर होता है किन्तु मरता नहीं। वह मौसम से टकराकर अपनी भीतरी शक्ति की परीक्षा भी लेता है और विषम स्थितियों में भी अपने अस्तित्व के प्रांत आश्वस्त होगा है, आश्वस्त करता है।

कुछ साल पहले की बात होती तो गोवर्धन भाई के दरवाजे पर भीड़ लगी होती। उन्हीं के यहा जन्माष्टमी का उत्सव मनाता था। उनके पिता गुदरी चाचा, बाबू चन्द्रभान सिंह के यहा छावनीदार थे। इसलिए जन्माष्टमी का उत्सव मनाने की सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी। लोग दोपहर से ही उनके यहा जुटना शुरू करते थे। उनके ओमारे से लगी एक कोठरी थी। उसी में कृष्ण का जन्म होता था। खुले दरवाजे पर केले के बंदनवार लगते थे। लोग ओसारे में बैठकर रामायण गाते थे। शाम को कृष्ण-जन्म में पहले भी गाने-बजाने की चहल-पहल रहती थी, कभी-कभी नाटक भी होता था। माधव भाई उस कोठरी में देवकी बनकर बैठते थे और जैम बाराह बजने को होता, रामायणियों का स्वर बदल जाता और चौपाई गाना छोड़कर गान लगते—

जनमत अति दुख होइ रे,

दैया ऊहं रे ऊह

तब तक काई 'किहां' 'किहा' की आवाज करता और घड़ी-घंट-शंख आदि की सम्मिलित ध्वनियों से वातावरण भर जाता। कृष्ण भगवान् की जय 'जय' 'जय' 'जय' से आधी रात को गहन कालिमा का हृदय थर्रा जाता। प्रसाद बंटता और एक दिवस जय दिवस के रूप में बीत जाता।

कई साल में यह उत्सव नहीं होता। गुदड़ी चाचा मर गये और उनके घर की हालत ऐसी नहीं रही कि उत्सव पर कुछ खर्च किया जा सके। इसलिए लोग नरसिंह के दरवाजे पर बैठे-बैठे इसी रूप में उत्सव मना रहे हैं। वैसे गांव के कुछ सम्पन्न लोग इस उत्सव का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सम्पन्नता और उत्सव का कोई गहरा सम्बन्ध हो, ऐसा नहीं है। उत्सव के लिए उत्साह भी चाहिए और सम्पन्न लोगों में उत्साह तो होता है मगर बटोरते रहने का, खर्च करते रहने का नहीं।

बाढ़ में घिरा रहने के कारण कई दिनों तक गांव में ही रह गया। गांव के साथियों में बहुत-से लोग गांव से बाहर थे। आठ-दस दिन बीत गए। गांव से दूर रहकर उससे अपना सम्बन्ध इतना गहरा हो गया था कि गांव में अकेलापन अनुभव करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बरहज के अजनबीपन के अनुभव के बाद गांव में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वह और वेग से मुझे पकड़ रहा था।

बाढ़ खिसकने लगी थी। लगता था जैसे कोई धीरे-धीरे उसके जल का आंचल खींच रहा हो। बाढ़ का होना बरहज न जाने का एक बहाना बन गया था। बाढ़ खिसक रही है, के साथ-साथ यह बहाना भी खिसक रहा था। दो-चार दिनों में जाना है, सोचकर मन भर आ रहा था।

बाढ़ में मे जमीन का एक टुकड़ा उभरा, दूसरा उभरा, तीसरा उभरा और जमीन उभरती ही चली गयी। गीली-गीली साफ-सुथरी जमीन सुबह-सुबह जैसे मुंह धोकर उठ बैठी होती। धीरे-धीरे बाढ़ हट गयी और गीली जमीन पर आदमियों के पैरों की छाप अंकित होने लगी। पानी अब नीची जगहों पर ठहर गया तथा नालों और नदियों के भीतर आ गया। किसानों की उजड़ी आंखों में फिर नयी फसल के सपने जागने लगे। खाली कैनवास पर चित्र की लकीरें उगने लगीं। मैंने इन दस-बारह दिनों की फुरसत में एक राष्ट्रीय भाव का खंड-काव्य लिखना शुरू कर दिया था। कथा चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यु की थी। छंद था कवित्त-सबैया। रास्ता साफ होते ही मैं अपने दस-बारह छंद लेकर मदनेश जी के पास पहुंच गया। उन्होंने छंद सुने, उनमें आवश्यक सुधार किये और आगे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। चलते समय रामानुज के लिए कुछ रुपये दिये।

नियत दिन पर हम बरहज के लिए रवाना हुए। इस बार मन और भारी हो गया, कुछ उसी तरह जैसे कोई लड़की ससुराल से पहली बार मायके आयी हो और ससुराल के लिए ससुराल के अप्रीतिकर अनुभवों को लेकर विदा हो रही हो।

थके-मांटे शाम तक बरहज पहुंचे तो पंडित जी ने अपना क्रोध जाहिर किया—
“कहां रहे इतने दिन? ऐसे कैसे तैयारी होगी? कितना कुछ पढ़ा दिया गया है।”
उन्हें अपनी कथा सुनाई तो शान्त हुए।

सब कुछ यों ही चलता रहा। समय बीतता गया। जाड़ा आ गया। मैं कवि रूप में यहां जान लिया गया था। एक दिन एक चिट्ठी मिली। निमंत्रण-पत्र था, पड़रौना से आया था। पड़रौना में एक अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन हो रहा था। पंडित सिंहा-मन तिवारी के पास भी निमंत्रण आया था। मैं बहुत चकित था कि इतने बड़े कवि-सम्मेलन का निमंत्रण मुझ जैसे अत्यन्त अनाम व्यक्ति के पास कैसे आया। उसी दिन शाम को सत्यन्त जी मिले, उन्होंने पूछा कि पड़रौना से निमंत्रण आया है? मैंने कहा—
“हां।” “ठीक है।” कहते हुए वे आगे बढ़ गए और मैंने अनुमान कर लिया कि बाबा

जी ने ही कवि-सम्मेलन के आयोजक रामबचन जी को मुझे बुलाने के लिए कह दिया होगा ।

मन में बड़ा उत्साह था और प्रतीक्षा थी उस शुभ दिन की । भीतर-भीतर एक दहशत भी थी कि बड़े-बड़े कवियों के बीच कैसे कविता पढ़ूंगा । आखिर वह दिन आ गया । बारहज से कई लोग पड़रौना के लिए रवाना हुए । वहां से ट्रेन से मटनी, मटनी से गोरखपुर, गोरखपुर से पड़रौना । हम वहां पहुंचे तो एक टेंट में ठहरा दिए गए । पड़रौना के राजा आतिथेय थे । उन्हीं की ओर से सारी व्यवस्था हुई थी । टेंट के खम्भों में बिजली के स्विच और ऊपर बल्ब लगे थे । बिजली लगे कमरे में या जगह में रहने का यह मेरा पहला अवसर था । स्विच को दबाते ही फट से प्रकाश का हो जाना और दबाते ही उसका गुल हो जाना मेरे लिए कौतूहल का विषय बन गया था और मैं इस कौतूहल से गुजरने लगा । जहां टेंट लगा था वह रेतीली जगह थी । वह गंडक नदी का कछार था । चारों ओर नदी के कछार में हरियाली फैली थी और कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होने के कारण मेले का जनसमूह भी फैला हुआ था । और अवसर होता तो मैं इस प्राकृतिक और पर्वतीय सौन्दर्य को निहारता, किन्तु मुझे तो एक नया परिदृश्य मिल गया था । प्राकृतिक सौन्दर्य और पर्वीय छटा को तो मैंने बहुत जिया है, मेरे लिए कोई नयी बात नहीं थी, किन्तु इस प्राकृतिक छवि के विस्तार के एक खंड पर विद्युतीकृत नागरिक परिवेश और कवि-समूह-जन्य वातावरण बहुत नया और आकर्षक लग रहा था । लालटेन में तेल डालना, उसका शीशा साफ करना, उसमें बत्ती डालना फिर दियासलाई खोजना, दियासलाई यदि भीगी हुई तो बत्ती पर बत्ती खर्च करना—लालटेन जलाने की इस प्रक्रिया से ऊबे हुए मन को बिजली का स्विच जलाकर ढेर-सा प्रकाश मिल जा रहा था । यह कितना आकर्षक और विस्मयकारी था ! विज्ञान का यह सौन्दर्य मन को अभिभूत कर रहा था और उसके वातावरण में अद्भुत वेशभूषा में आये हुए कवियों को देखना भी एक अनुभव था । अपने पास क्या था ? बचपन से ही मामूली घोंती, मामूली कुर्ता या कमीज, सिर पर टोपी, पांव नंगा । याद नहीं इस समय मैं नंगे पांव था या जूता पहनना शुरू कर दिया था । ऐसा नहीं है कि इसके पहले जूता पहना ही नहीं था । कई बार चमरोघा जूता लिया था और शादी में पंप शू भी पहना था, लेकिन जूते काट-काट देते थे और मैं यह मान बैठा था कि मेरा पांव जूते के लायक है ही नहीं । इसका कारण यही था कि लगातार जूता पहनने का अभ्यास न होने से गाहे-बगाहे पहना हुआ जूता पांव काट देता था । देहात में नंगे पांव होना कोई बेइज्जती की बात भी नहीं थी, क्योंकि अधिकांश लोग बगैर जूते के ही होते थे । इसलिए जूताबिहीन होने पर भी तब हम हीनता-बोध के शिकार नहीं थे । यही वजह है कि मुझे याद नहीं कि इस कवि-सम्मेलन में नंगे पांव था या जूता पहने था, लेकिन जब दूसरे लोगों को विशेष-विशेष वेशभूषा में सजे-बजे देखा तो अपने भीतर हीनता-बोध हुआ हो या न हुआ हो, मैं इस माहौल से चमत्कृत अवश्य हुआ ।

स्वयं राजा साहब पड़रौना चूड़ीदार पायजामा, अचकन और टोपी में बहुत विशिष्ट लग रहे थे । वे आये थे और प्रबन्ध का मुआइना कर गये थे । बचन जी भी

काली शेरवानी में थे। श्यामनारायण पांडे छोटी, कुर्ता, जवाहर जैकेट और टोपी में थे। सनेही जी की अपनी छवि थी। आसपास के शहरों से कई ख्यात कवि आये थे, उन सबकी अपनी-अपनी छवि थी। कुछ लोग कोट-पेंट में भी थे।

टेंट के भीतर ही टाट के परदों से कुछ कमरे बनाये गये थे जिनमें विशिष्ट कवियों को ठहराया गया था। हम लोग तो टेंट के हॉल में ठहराये गये थे। मालूम पड़ा कि उस टेंट में बच्चन जी है। मैं उन्हें देखना चाहता था। उन दिनों बच्चन जी की ख्याति का क्या कहना था। उनकी मधुशाला किशोर, जवान, बूढ़े सबके भीतर छलक रही थी। अतः उन्हें एक झलक देखने की इच्छा मुझे थी, साथ आये लोगों को भी थी। हम उनके टेंट के पास जाकर खड़े हो गये। उस टेंट में कई आरामकुर्सियां लगी थी। कई कवि तैयार होकर (कवि-सम्मेलन में जाने का समय हो गया था) बैठे थे। चूड़ीदार पायजामा और शेरवानी पहने घुंघराले बालों वाले एक कवि का मुंह द्वार की ओर ही था, उन्होंने आंख उठाकर हमारी ओर देखा। हम मकोच से द्वार पर से खिसक गये। सिंहासन तिवारी जी ने कहा—“यही बच्चन जी है।” स्वप्निल आंखों वाले बच्चन जी की पहली झलक मुझे अभिभूत कर गयी। सहज ही इच्छा हुई कि काश, बच्चन जी मुझे जानते। लेकिन बच्चन जी मुझे क्यों जानने लगे? मुझको अभी था क्या जिसके नाते वे मुझे जानते और मेरा स्वभाव ऐसा कि उनके देखते ही द्वार पर से ऐसे खिसका मानो चोरी करते हुए देख लिया गया हों।

कवि-सम्मेलन शुरू हुआ। न जाने कहा-कहा से लोग कंबल-दरी लेकर कविता सुनने आये थे। आज के कवि-सम्मेलन की परिदृश्य को देखता हूं तो वह दृश्य याद आता है। तब के परिदृश्य में कितनी काव्य-निष्ठा और सहज गंभीरता थी। लोग कविता सुनने आते थे और कवि लोग कविता ही पढ़ते थे। आज मंच पर भड़की होती है या गाना होता है और श्रोता शोहदो की तरह उनका मुजरा लेते हैं और रिमार्क कसते हैं।

कवि-सम्मेलन में मंच की तीन बड़ी हस्तियां थीं—बच्चन जी, श्यामनारायण पांडे और गयाप्रसाद शुक्ल सनेही। और काफी कवि जिला या प्रदेश-स्तर के ख्यात कवि थे। बच्चन जी का अपना रंग था। पहली बार उन्हें सुना। मधुशाला सुना रहे थे। कविता पारदर्शी, कवि का कंठ मीठा, कवि और श्रोता के बीच मानो प्रेषणीयता की सहज लय तन गयी हो। बच्चन जी बंद की तीन पंक्तियां पढ़कर जब चौथी पंक्ति के आधे पर आते थे तो शेष आधा भाग उनके साथ ही जनता बोल उठती थी। मधुशाला आ ‘‘मधुशाला आ’’ की एक अनुगूज उम रात के सन्नाटे में तैर रही थी। बच्चन जी के रूप-रंग, कंठ, घुंघराले बाल, स्वप्निल आंखें और मधुशाला की छलकती हुई पंक्तियां ‘‘बच्चन जी उस समय मुझे कितने प्रभावशाली लगे थे, कह नहीं सकता। कुछ दिनों बाद जब मैं रामानुज के साथ गाव आ रहा था तब रामानुज अपने मधुर कंठ से बच्चन जी की पंक्तियां गा रहे थे—

नंदन वन में उगने वाली
मेहंदी जिन तलवों की लाली

मैं उन तलवों से चिर परिचित
मैं उन तलवों का चिर ज्ञानी
बह पगध्वनि मेरी पहचानी

मैंने उनसे कहा—“मेरी भी इच्छा होती है कि बच्चन जी की तरह शेरवानी-पायजामे में रहूं और कवि-सम्मेलनों में जाऊँ।” तो रामानुज ने कहा—“पोशाक से कुछ नहीं होना, वैसा गुण भी होना चाहिए। पहले बच्चन जी जैसी ऊंचाई प्राप्त करनी चाहिए तभी ऊंची पोशाक भी अच्छी लगेगी।” उनकी बात सुनकर मैं हतप्रभ हो गया। वे ठीक कह रहे थे। अभी मुझमें क्या है जो यह पोशाक पहनूं—न श्रीमंत हूं, न प्रज्ञावंत हूं, न उच्चपदस्थ हूं। एक सामान्य घर का, राष्ट्रभाषा का सामान्य विद्यार्थी जो घर में स्कूल तक, बाजार में क्वार्टर तक सीधा-पसान ढोता है। जिसके सिर पर अभी गठरी लदी है, उसे ऐसी ऊंची-ऊंची बातें नहीं मोचनी चाहिए। लेकिन मन नहीं मानता, कभी-कभी ऊंचे पने देख ही जाता है और फिर अपनी स्थितियों के दायरे में लौटकर उदाम हो जाता है। रामानुज की बात सुनकर उदाम हो गया था।

मैं कहां चला गया। कवि-सम्मेलन की बात कर रहा था। दूसरे कवि थे—श्यामनारायण पांडे। उन्होंने हल्दीघाटी लिखी थी और हल्दीघाटी भी मधुशाला की तरह छापी हुई थी। मधुशाला की तरह इसमें भी अद्भुत प्रेषणीयता थी। धोती-कुर्ता, जवाहर जैकेट और टोपी में श्यामनारायण जी की भी छटा प्रभावशाली थी। उन्हें भी पहली बार कविता पढ़ते देख रहा था। वे वधुआं बंट गये और एक ठसकभरी आवाज में एक विशेष अंदाज के साथ हल्दीघाटी का युद्धमगं पढ़ने लगे—

निर्बल बकरों से बाघ लड़े
भिड गये सिंह मृगछौनो से
घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी
पैदल बिछ गये बिछौनों से

प्रताप, चैनक, तलवार आदि की त्वरा—मानो दृश्य पर दृश्य उपस्थित होते चले जा रहे थे। मधुशाला के भीगे मादक वातावरण के बाद युद्ध का शौर्य-उत्तेजक गतिशील प्रवाह-सा बहने लगा था। बिजली चमकती थी, बादल गरजते थे, मूसलाधार जल बरसता था। अद्भुत अनुभव था। पांडे जी का कवि-व्यक्तित्व अपनी अलग छटा बिखेर रहा था। पांडे जी मादक मधुर कविता के पक्षपाती नहीं थे। उन्होंने हल्दीघाटी का अध्याय पढ़ने के पहले अपना परिचय दिया था—जिमकी दो पंक्तियां याद आ रही हैं—

शिष्य हरिऔध का हूं, कविता
कहने में न पानी पिया करता हूं
कविता मैं जनानी नहीं करता
कविता मरदानी किया करता हूं

उनकी इन पंक्तियों से और कुछ प्रारंभिक व्यंग्यात्मक टिप्पणी से यह बात जाहिर हो गयी थी कि वे बच्चन की मधुशाला या उनकी कविता की श्रृंगारिक प्रवृत्ति पसंद नहीं करते हैं।

तीसरे कवि सनेही जी थे। मैं पहले लिख चुका हूँ कि मैं मदनेश जी के माध्यम से सनेही जी को, मैं दर्जा छः में था, तब से जानने लगा था। उन्हें हिन्दी का उस काल का सबसे बड़ा कवि मान लेने का अज्ञान भी पाल बैठा था जिसका निराकरण बिकाऊ पंडित जी ने कर दिया था। मैं ढरसी में था तो सुकवि में मेरी कुछ समस्यापूर्तियाँ भी छप चुकी थीं अतः सनेही से एक लम्बा भीतरी लगाव मैं महसूस करता था। उन्हें मंच पर देखा तो बहुत अच्छा लगा। सुना था भांग लेकर पढ़ते थे। उनकी आंखों में भांग का असर दिखाई पड़ा। धोती-कुर्ते में उनकी भारी काया अपना अलग असर छोड़ रही थी। उन्होंने कविता-पाठ आरंभ किया तो लगा कविता तीसरा माहौल धारण कर रही है। कवित्त की लय पर डग-डग हिलती हुई, ठिठक-ठिठककर बढ़ती हुई आवाज का अपना वैशिष्ट्य था। एक चरण पूरा होने पर बिना सांस लिए दूसरे चरण की प्रारंभिक पदावली पर उतर आना पढ़ने की एक विशेष अदाकारी का सूचक था। सनेही जी ने सभा में ब्रज-भाषा काव्य का रंग उतार दिया था, उसकी यमक और श्लेष-मूलक वक्रता की छवि बिखेर बी थी। श्रोता इनकी कविताओं का उसी प्रकार रस ले रहे थे जिस प्रकार मधुशाला और हल्दीघाटी का लिया था। उन्होंने खड़ी बोली में भी एक सबैया सुनाया था—

चबाई चबाव से चूकें नहीं
 किसकी नहीं बातें सहीं कह दीजिए
 रही सो सही, न रहीं सो सहीं
 अब क्या सहने हो रहीं कह दीजिए
 सनेही न तो भी सनेही हुए
 भ्रम से ही सनेही कहों कह दीजिए
 नहीं नहीं में नहीं साफ है हां
 कित हां कहिए या नहीं कह दीजिए।

कवि-सम्मेलन दो दिन तक का चला—रात को भी, दोपहर को भी। मैंने भी कविता पढ़ी। मेरे जैसे बहुतों ने पढ़ी। मुझे यह बोध नहीं था कि बड़े कवियों में से किसकी कविता अपने समय के चरित्र के साथ अधिक जुड़ी है, किसकी कम और किसकी नहीं जुड़ी है। इस समय तो मैं रस-भोक्ता था। जो कविताएं अच्छी लग रही थीं, लग रही थीं, उनमें मैं भीग रहा था और कवि-सम्मेलन के समापन पर मैं भीतर से बहुत भरा हुआ अनुभव कर रहा था—प्रसन्न और तृप्त। बाद में बहुत-से कवि-सम्मेलन देखे, प्रसिद्ध होने पर बहुत-से कवि-सम्मेलनों में खूब तारीफ भी पायी, लेकिन पहली बरसात पढ़ने पर जमीन से उठने वाली पहली खुशबू की तरह कवि-सम्मेलन की जो प्रथम हलकी गंध ढरसी में मिली थी उसी का घनीभूत रूप पड़रौना में मिला। यह मेरे

लिए एक सहज अनुभव था, बाद में तो कवि-सम्मेलन अभ्यास बनता चला गया।

उस समय कई जनपदीय कवियों को देखा जो कुछ ख्यात हो चुके थे। उनमें एक थे रामनारायण शास्त्री। वे गीता प्रेस में काम करते थे। उनके कवित्तों की सराहना सनेही जी भी कर रहे थे। एक थे कवि रामलाल। वे भी सनेही जी से हिले-मिले प्रतीत हो रहे थे। वे बड़े ही चलते-पूरजे के कवि मालूम पड़ रहे थे। उन्होंने अपनी कविता सुनाई। नक्की सुर में बोलते थे—

इस दुनियां में पांप कहां है।

इस पंक्ति को वे बार-बार दुहरा रहे थे। किसी श्रोता से नहीं रहा गया, वह पीछे से बोल उठा—

रामलाल के बाप जहां हैं।

एक ठहाका पड़ा। रामलाल जी थेंथर कवियों में से थे। वे हतप्रभ नहीं हुए, सुनाते ही गये।

एक थे धरीक्षण जी। निपट देहाती कवि। गांधी जी की तरह कौपीन धारण किये हुए, बगल में कंबल और लोटा दबाये हुए। शायद खड़ाऊं पहने थे। किन्तु इस देहाती कवि ने अपनी प्रतिभा का खूब रंग जमाया। इन्होंने कुछ श्लेषयुक्त दोहे सुनाये, जिनका रंग खूब जमा। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं—

टीचर—टी माने कुछ पान कर

चर माने कुछ खाय

विद्यार्थी—विद्या की अर्थी बना इस्तहान के घाट

इन दोहों की दूसरी पंक्तियां ठीक से याद नहीं है। धरीक्षण जी ने कवि-सम्मेलन के अंतिम दौर में पड़रौना पर कविता सुनाई—

क्या क्या देखा पड़रौना में
...ज्यों सांप छिपा हो लौना में

कवि-सम्मेलन का आखिरी दृश्य वैसा ही था जैसा बाद के वर्षों में भी अनुभव करता रहा। बड़े कवियों को तो उनकी मांग के अनुसार अच्छे पैसे दे दिये गये होंगे, किन्तु नये या अप्रख्यात कवियों को किराया मिलना भी कठिन हो गया। कवि रामवचन जी को घेरे हुए पैसे मांग रहे थे किन्तु रामवचन जी बड़े-बड़े पेमेंट कर लेने के बाद अपनी जेब के नंगेपन का रोना रो रहे थे। हमें भी कठिनता से किराया मिला था। धरीक्षण जी ने वहीं उदास मन से एक कविता सुनाई—

पड़रौना में पड़ रोना है

पड़रौना से हम विदा हो गये, किन्तु उस कवि-सम्मेलन की गूँज मेरे मन में बनी रही। बड़े और प्रसिद्ध कवियों से परिचय की लालसा मन में उदित हुई। इसका एक

अवसर कुछ समय बाद आया तब मैं बरहज छोड़कर दुबारा ढरसी जा चुका था और सुना कि पड़रौना मे एक कवि-सम्मेलन हो रहा है। इच्छा हुई वहां जाने की। गुरुवर रामगोपाल शुक्ल ने भी उत्साहित किया। वहा गया। देवरिया जिले के कुछ साहित्यकारों से परिचय हो ही गया था। वहां जाने पर उनमे भेट हुई। अनाहूत गया था फिर भी कविता सुनाने का अवसर मिला। श्यामनारायण पाडे वहा गये थे, उन्होने मेरी कविता मराही। इस बहाने मैं उनके निकट हो लेना चाहा। उनमे बात करने लगा। कवि-सम्मेलन चल ही रहा था कि वे उठ गये। मैं भी उनके साथ हो लिया। वे खाना खाने गये। मैं भी गया। खाना परोमने वाले ने मेरी ओर देखा। उसे लगा कि मैं कोई बडा कवि नही हू। मुझे बुलाया नही गया होगा। उमने पाडे जी और उनके साथी को खाना परसकर मुझसे पूछा—“आप आमन्त्रित है ?”

मैंने कहा—“नही।”

उमने तिष्ठता मे कहा—“अभी मारे आमन्त्रित कवि बाकी है, उनमे पहले तुम्ही खाने चने आये।”

मैं बहुत अपमानित हुआ। पाडे जी ने उस डाटा—“क्या हो गया ? आपको इस तरह नही बोलना चाहिए। ये ही लोग कल के कवि है।”

मैं उठ खडा हुआ। गुम्मा आता कि इम बदतमीज रसोइया पर एक डंट मारकर जाऊं, तब तक पाडे जी ने मुझसे साधिकार कहा “बैठा।”

मैं संकुचित होकर बैठ गया। खाना भी खाया लेकिन लगा—खाना नही अपमान खा रहा हूं। मन ही मन निश्चय किया कि जब मैं वटा कवि हूंगा तो पड़रौना वालो के निमंत्रण को लात मार दूंगा। आज इम कस्बे ने मेरा अपमान किया है, कल मैं करूंगा। जब मैं जाना जाने लगा, जब कवि-सम्मेलनो मे मेरी खूब पूछ होने लगी, तब कई बार पड़रौना भी गया, वहा सम्मान भी खूब पाया, किन्तु उम बदतमीज रसोइया के उम अपमान का एक बिन्दु जो मेरी याद मे अकिन हुआ, वह अब तक बना हुआ है।

उस बार पाडे जी के साथ ही गाडी मे बैठा, गोरखपुर गया। वहा मे वे बनारस वाली गाडी मे बैठे तो मैं भी उसमे बैठा और जब चौरी-चौरा उतरा तो उनसे काफी लगाव हो चुका था। पाडे जी प्रसिद्ध हो चुके थे किन्तु उनमे देगती सस्कार था। संस्कृत पाठशाला मे पढाते थे अतः उनमे पद का भी आभिजात्य नही था। इसलिए मैं महत्र ही उनकी निकटता पा सका। कमी शहरी स्वभाव वाले प्रख्यात कवि के निकट हो लेना इतना महज नही हो पाता। जब मैं बनारस गया तब तो पाडे जी मुझे बहुत गहराई से समझने-बूझने लगे। वे मेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही अवसरों पर मेरी चार पंक्तियां पढते —

आधियो मे भी दिवा का दीप जलना जिन्दगी है
पत्थरो को तोड निर्झर का निकलना जिन्दगी है
चाहता हूं मैं किसी छाया तले निश्वास ले लू
किन्तु कोई कह रहा दिन-रात चलना जिन्दगी है

कुछ लोगों ने तो यही समझ लिया कि ये पंक्तियाँ पांडे जी की ही हैं और वे मेरी इस कविता को जानने वालीं में लड़ बैठे। पांडे जी से पूछने पर उन्हें मालूम पड़ा कि ये पंक्तियाँ उनकी नहीं, मेरी हैं जिन्हें वे प्यार से कवि-सम्मेलनों में पढ़ देते हैं।

बहरहाल ये बातें वाद की है, अभी तो मैं कवि-सम्मेलन से बरहज की ओर लौट रहा था।

17

साल बीन गया। विशारद की परीक्षा पास कर ली। बरहज मेरे लिए उमी तरह शुष्क बना रहा। गर्मी की छुट्टियों में घर रहा। जुलाई आते ही साहित्यरत्न पढ़ने के लिए बरहज रवाना हो गया। कपिलदेव साहित्यरत्न करने नहीं गये, घर पर ही रह गये। वह साल उन्होंने घर पर ही काटा। उस साल घर जाने पर लोग कहते कि कपिलदेव तो भैंसवार हो गये हैं। वे भैंस की पीठ पर बैठकर हाथ में लाठी लिए घूमते हैं। मुझे भी लगा कि उनका मन पढ़ने में उचट गया है या कि विशारद करने के बाद उन्हें कोई लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल मैं अकेला ही बरहज गया। कपिलदेव का साथ छूट जाने में बरहज-यात्रा का अकेलापन और डंसने लगा।

इस बार बरहज के लिए निकला तो हलकी-हलकी झींसी पड़ रही थी। रात खूब पानी बरसा था। गांव से निकलते ही खलिहान वाले पाकड़ के नीचे एक बड़ा-सा सांप दिखाई पड़ा जो या तो आनमी किस्म का सांप था या पानी में भीगकर सुस्त पड़ गया था। यात्रा की शुरुआत सांप से ही होनी थी! मन में एक भय समा गया। कछार की कीचड़-पानी से भरी हुई भूमि पार करता, सिर पर एक भांगा दिन लादे हुए, मन में फिर घर छूटने की उदासी भरे हुए बरहज की ओर चला जा रहा था। बुरी तरह थक गया था और शाम भी गहरा गई थी इसलिए बरहज में दो मील पहले स्थित परसियां गांव में रुक गया। वहां मेरी चचेरी बहन ब्याही हुई थी। वहीं रुक गया। वैसे मुझे अपने ही सम्बन्धियों के यहां जाने में संकोच होता है, वे तो दूर के पट्टीदार की बहन थी। किन्तु बाहर-भीतर से इतना थक गया था कि रुकने के सिवा कोई चारा नहीं था।

खा-पीकर बरामदे में सोया। हलका-हलका पानी पड़ रहा था। रात को लगा कि खाट पर मेरी बगल में मेंढक रिरिया रहा है। कुछ देर तक सुनता रहा, फिर सिर घुमाकर देखा। मेरे तो होश उड़ गये। मेरी बगल में एक सांप था, वह एक मेंढक को दबोचे था। मेंढक रिरिया रहा था। मैं झटके से दूसरी ओर उतर गया और बोला—“सांप—सांप।” मेरे चचेरे बहनोई पास की खाट पर सोये थे और अन्य खाटों पर बच्चे सोये थे। वे झटके से उठे और सारे बच्चों की बांह पकड़-पकड़कर नीचे फेंकने लगे। साथ-साथ चिल्लाते गये—“भागो रे भागो—सांप!” हम सभी रिमझिम

बारिश के तले बाहर खड़े थे और टाचं से सांप की खोज होती रही। इतनी आहट में सांप कहां रुकता? वह पास के मुसौले में चला गया होगा। वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मुझे लगा कि अब सभी लोग मुझे अविश्वास से देख रहे हैं। लोगों ने कहा—“तुम्हें भरम हुआ होगा।” अब उन्हें क्या समझाता, जो चीज मैंने स्वयं अपनी आंख से देखी है उसके बारे में भ्रम कैसा? यह भावना का प्रश्न तो था नहीं, यह तो मूर्त वस्तु थी जिसे मैंने स्वयं देखा था। अविश्वास से सत्य की टकराहट बड़ी यातनाप्रद होती है। इस यातना को लिए-दिए मैं फिर ओसारे में लेटा और लोग लेटे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। सभी लोग साप से अविश्वास करके भी सांप से डरे हुए थे। मैं साप को देखकर तो डरा ही हुआ था, लोगों के अविश्वास की चोट भी सोने नहीं दे रही थी।

सुबह हुई। मुझे ज्ञान था कि उस गाव में मेरी मौसी भी थी—सगी मौसी। रामनिहोरा जी ने उनके बारे में पूछा तो बोले—“हां, है तो। मिलना चाहोगे?”

मेरी मां बहुत याद आ रही थी। मुझे लगा कि मौसी की आंखों में शायद मा की आंखें दिखाई पड़ जायें और गृहता का कुछ सतोष मिल जाय। इसलिए मौसी से मिलने की तड़प भीतर जाग उठी थी। मैंने कहा—“हां, मिलना चाहूंगा।”

“वे लोग बहुत गरीब हैं।”

“तो क्या हुआ?”

“चलो।”

उनके साथ मौसी के घर पहुंचा। वे एक टूटी-फूटी झोपड़ी के सामने खड़े हो गये और आवाज लगायी—“चाची!”

एक औरत बाहर निकली। उसके शरीर पर साड़ी के नाम पर साड़ी के चिथड़े थे। मैंने देखा मुह हूबहू मां के मुंह की तरह, आंखों में वही तरलता, लेकिन जब तक मैं कुछ कहूं वह औरत एक अजनबी को देखकर भीतर की ओर भाग गयी। रामनिहोरा पहना चिल्लाये—“अरे चाची, ये तुम्हारे बेटा है, तुम्हारी बहन के पुत्र।”

मौसी ने भीतर से सुन लिया था। वे अपेक्षाकृत एक ठीक-ठाक साड़ी पहनकर बाहर आयीं तो मैंने प्रणाम किया। हम खाट पर बैठ गये। मौसी नीचे ही एक पीढ़े पर बैठ गयी। “क्या हालचाल है बहन के?” उन्होंने पूछा।

“अच्छा है। मा आपको बहुत याद करती है। कहती है—आप उसकी बहुत लाडली छोटी बहन थी। कहती है, बहुत दिन से भेंट नहीं हुई।”

मौसी मेरे सामने जरूर बैठी थी लेकिन उनकी आंखें अपनी अफाट गरीबी के कारण संकुचित हो रही थी, उनमें गहरी दयनीयता भरी हुई थी जिसका साक्षात्कार करना कठिन हो रहा था। उनकी आंखें भर आयी, चेहरा पिघलकर चूने लगा।

“बहुत दिन हो गये बहन से मिले हुए। विवाह के बाद तो कभी भेंट ही नहीं हुई। लगता है अब भेंट होगी भी नहीं।”

मौसी चुप हो रही फिर बोली—“कहां से भेंट हो, एक बार जो ससुराल आयी, नइहर जाने की नौबत ही नहीं आयी। नइहर वालों ने कभी बुलाया ही नहीं। उन्होंने कभी-कभार तर-त्योहारी भेजवा दी लेकिन...” वे रोने लगीं। फिर फफकती हुई

आवाज में बोलीं—“मेरे लिए तो नइहर वाले मर गये।”

मुझे लगा कि मौसी नहीं, सारे गांवों की बेटियां मेरे सामने बैठी रो रही हैं। लोग अपनी गरीबीवश या लड़की जाति के प्रति उपेक्षाभाववश लड़की को ससुराल में ठेलकर उसके प्रति अपने कर्तव्य और प्रेम की इतिश्री समझ लेते हैं। शुरू-शुरू में रस्म-अदायगी के लिए शादी-ब्याह के अवसर पर बुला लेते हैं, फिर वह भी नहीं करते। उसे अपनी ससुराल में अपने भाग्य पर मरने-जीने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत कम लड़कियां शादी के बाद नइहर का सतत प्यार पाने का सौभाग्य पाती हैं। मेरी मां ऐसी ही लड़कियों में थी। उमे मायके का खूब प्यार मिला था और मिलता रहा था। शायद उसका अपना स्वभाव रहा हो, अपने गुन-ढंग रहे हों। मां खुद बताती है कि उसकी बहनों को कभी नहीं बुलाया गया। कभी बुलाया भी गया तो वे अमर्षवश गयीं नहीं। वे कहां हैं, किम हाथ में हैं, इमका पता मां को भी नहीं है। शादी-ब्याह, तीज-त्योहार आदि के अवसरों पर केवल वही बुलायी जाती थी या प्यार के अधिकार से स्वयं ही चली जाती थी। उमे अपनी बहनों से मिलने का कभी अवसर ही नहीं मिला। अपनी बहनों को वह बहुत प्यार और दर्द से याद करती थी। कैसा लगता होगा यदि बहन बहन से, भाई भाई से एक बार बिछड़ने के बाद मिले ही नहीं! बचपन की साथ-साथ खेल-कूद, खान-पान की दुनिया, प्यार-झगड़े, मान-मनुहार का संसार, एक गहमागहमी का वातावरण एकाएक छिन जाये और मात्र स्मृतियां शेष रह जायें!

“ए बाबू !” मौसी ने पुकारा। शायद अपने बेटे को पुकारा हो।

पन्द्रह-मोलह साल का लडका बाहर आया। वही हुलिया। उसके पूरे अस्तित्व में अभाव बरस रहा था।

“बाबू, तुम्हारे भइया हैं, इन्हें पैलगी करो और कुछ पानी-वानी पीने को लाओ।”

उस लड़के ने मुझे पैलगी की और एक क्षण संकोच से ठिठका रहा।

“नहीं मौसी, अभी तो रामनिहोरा पहुना के यहां से जलपान करके निकला हूं। पानी-वानी पीने की इच्छा अब नहीं है। बस, आपको देखने की बड़ी इच्छा थी। मां ने भी कहा था कि मिल लेना। आपसे मिल लिया, अब चलता हूं।” कहकर मैं उठ गया।

मौसी ने आग्रह नहीं किया। आग्रह करने के लिए उनके पास था क्या? शायद घर में गुड़ की डली भी नहीं रही होगी इसीलिए तो हमें सुनाकर अपने बेटे से कहा था कि पानी पीने के लिए कुछ लाओ। यदि हम चुप होकर बैठते तो लडका चुपचाप अनाज लेकर बनिया के यहां जाता और वहां से गुड़ लाता, और पता नहीं मौसी के घर अनाज भी था कि नहीं।

मैं परसिया से चलकर बरहज जा पहुंचा। बरसात के भारीपन में मौसी के अभाव का भारीपन मिल गया था। मन न जाने कैसा-कैसा हो रहा था।

माहित्यरत्न की पढ़ाई शुरू हो गयी थी। भीतर से कोई स्फूर्ति अनुभव नहीं कर रहा था। बस, सब कुछ यों ही चल रहा था। जी लग नहीं रहा था। बरहज से तीन

भील दूर कटियारी गांव है। वहां चचेरे भाई ब्रजनाथ की बहन ब्याही हुई थी। एक दिन शाम को वहीं चला गया। बहुत भले लोग हैं। वहां जाकर घर जैसा ही लगता है। एक दिन वहां रहकर बरहज लौटा तो कस्बे के चौराहे पर एक भीड़ देखी। नारे लग रहे थे—गांधी जी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय। इनकलाब जिन्दाबाद। कुछ युवक नेता भाषण दे रहे थे। मैं अचकचाया-सा वहां खड़ा हो गया। किसी से पूछा—“भाई, क्या हो गया?” मालूम हुआ क्रान्ति हो गयी है। सारे नेताओं को सरकार ने जेल में डाल दिया है और अब छात्रों ने विद्रोह कर दिया है। क्रान्ति हो गयी है। 9 अगस्त 1942 की क्रान्ति।

भीड़ बढ़ती जा रही थी। वातावरण और भी गरम होता जा रहा था। इनकलाब जिन्दाबाद की आवाजें आकाश में समुद्र की तरह हहरा रही थीं। आग उगलते भाषण पर भाषण हो रहे थे। मुझे किसी ने पुकार दिया। मैं भी चबूतरे वाले मंच पर खड़ा हो गया और ‘तिमिर घनेरा हिन्द भी तजेगा अब’ वाली कविता गरज-गरजकर सुनाई। तालियां बजीं।

फिर भीड़ स्टेशन की ओर बढ़ी। स्टेशन की तोड़-फोड़ होने लगी, खंभों पर के तार काटे जाने लगे। चारों ओर टूटे हुए शीशे, टूटे हुए तार, भागते हुए सरकारी कर्मचारी, बिखरे हुए कागज, टिकट, कुर्सियां, मेज—फिर धुआं उठा, स्टेशन धू-धू कर जलने लगा। उधर स्टेशन की आग, इधर भीड़ के भीतर की आग, आग-भरा शोर...। सारा वातावरण गुस्से, उत्साह और दहशत से बज रहा था।

भीड़ किंग जार्ज स्कूल की ओर बढ़ी। शोर हुआ—क्लास बंद करो। क्लास बंद नहीं हुई। प्रिंसिपल और कुछ शिक्षकों ने प्रतिरोध किया। फिर क्या था—हो गयी तोड़-फोड़ शुरू। जंगलों के शीशे टूटे, कुर्सियां टूटीं, दरवाजे टूटे और क्लास के लड़के हो-हो करते हुए भीड़ में मिल गये।

भीड़ श्रीकृष्ण स्कूल की ओर बढ़ी। भीड़ के दबाव से पूर्व ही हिन्दी शिक्षक श्री राजकिशोर पांडेय बोल पड़े—‘इनकलाब जिन्दाबाद’ और अपने छात्रों के साथ बाहर निकल आये। भीड़ खुश हो गयी। देखा-देखी और भी छात्र और शिक्षक निकल आये। वैसे श्रीकृष्ण स्कूल बाबा राघवदास का था जो प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता भी थे और इस समय जेल में थे। इसलिए उसके और किंग जार्ज स्कूल के स्वभाव में अंतर होना ही था।

भीड़ थाने की ओर चली। थाना सरयू के किनारे कस्बे के एकदम दक्षिण में स्थित है। अतः थाने पर पहुंचने की प्रक्रिया में भीड़ पूरे कस्बे को आन्दोलित करती गयी और उसके क्रांतिकारी तत्त्वों को अपने में समेटती गयी। थाने के ऊपर एक लड़के ने तिरंगा लहरा दिया। उसके आगे सभा होने लगी। छात्र नेताओं के भाषण होने लगे। पुलिस विवश-सी भीतर में देखती रही। शायद उसे अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला था और इस समय कुछ भी करने का मतलब था थाने की तबाही। इसलिए ब्रिटिश राज्य की खूंखार पुलिस एक विवश चुप्पी धारण किये थी। इसके बावजूद जब

कभी पुलिस में कोई सहज हरकत भी होती थी तो भीड़ चौकन्नी हो उठती थी कि गोली न चल जाये ।

वह मेरे जीवन का अद्भुत दिन था—जलता हुआ दिन, टूटता हुआ दिन, तोड़ता हुआ दिन, खामोश दिन, शोर करता हुआ दिन, जेलों में बंद दिन, सड़कों पर उमड़ता हुआ दिन । लगता था आजादी मिल गयी है । इस जन-जागृति के आगे अब ब्रिटिश राज्य स्थिर नहीं रह सकता । न किसी को खाने की सुधि थी, न पीने की, न आराम करने की ।

शाम होते-होते लोग अपनी-अपनी जगह आ गये थे । हम लोग भी अपने क्वार्टर में पहुँच चुके थे । जोश थमा तो थकान महसूस हुई और तरह-तरह की अफवाहों ने जन्म ले लिया । सुनाई पड़ा—देवरिया में फौज चल चुकी है, आज रात को या कल दिन को पूरा बरहज उसकी गिरफ्त में होगा । आश्रम तो सबसे पहले जुल्म का शिकार होगा । और फिर लोगों की जो दुर्गति होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । यह भी सुनने में आया कि जो विद्यार्थी बाद में क्रांतिकारी के रूप में आकर भीड़ का नेता बन गया था, वह सी० आई० डी० का आदमी है । भीड़ में क्रांतिकारियों की पहचान के लिए उन्हें नेता बनना पड़ा था । उसने मारी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी होगी । मैं सोचने लगा कि मैंने भी तो कविता पढ़ी है । जब धरपकड़ होगी तो मैं कैसे बखशा जाऊँगा । पूरे आश्रम में घबड़ाहट फैल गयी थी । हवा में भयानक उमम भर गयी थी । लोग कमरे में बाहर आ-आकर राजनीतिक हवा का जायजा ले रहे थे । जाने-अनजाने यहाँ से वहाँ तक एक निर्णय व्याप गया कि आश्रम छोड़कर अपने-अपने घरों को भाग जाया जाये । मैंने और रामानुज ने भी फैसला किया कि दो घड़ी रात रहते ही भाग चलें ।

रात गहराने लगी । नींद नहीं आ रही थी । डर लगता था कि अब न मिलिट्री आ जाये । रात अपनी खामोशी में जैसे चिल्ला-चिल्ला उठती थी । कहीं से कोई आवाज आती तो लोग चौककर एक-दूसरे से पूछने लगते—“क्या हुआ, क्या हुआ ?” पहरेदार की आवाज लूक की तरह जलती हुई उठती थी और वृक्ष जाती थी । दो घड़ी रात रहते ही हम लोग उठे । थोड़े-बहुत सामान साथ लिए, बाकी को कमरे में बंद करके ताला मारा और घर की ओर चल दिये ।

मैं था, रामानुज थे, दो-एक लड़के रुद्रपुर के पास के गाँव के थे । हम साथ चले । और लोग अपनी-अपनी दिशाओं की ओर चले । रामानुज ने टिन का एक जर्जर बक्सा सिर पर लाद लिया था जो टिन-टिन टिन-टिन बजता चलता था । मैंने मना किया था कि यह बजता हुआ बक्सा मत ले चलो, लेकिन वे नहीं माने । रात के अंधेरे में कुछ दूर कुछ आहट होती तो हम लोग तेज-तेज चलने लगते । कभी-कभी लुदकिया भागने लगते, तब रामानुज का बक्सा तेजी से बजने लगता । मैं कोफ्त से भर उठता । आजिज आकर मैंने कहा—“तुम ससुरे हूँ आज पकड़वाओगे । मन होता है तुम्हारा बक्सा उठाकर फेंक दूँ । ऐसा कौन सोना मढ़ा था इस बक्से में कि इसे इस बिपत्ति के समय मिर पर बजाते घूम रहे हो । सबको अपनी जान की पड़ी है और तुम्हें इस साले टूटते बक्से की पड़ी है ।”

रामानुज ने कहा—‘ आप नहीं समझेंगे पंडित जी ! ओल्ड इज गोल्ड ।’ और समय होता तो मैं रामानुज के इस प्रावर्ब पर हंसता, लेकिन इस समय दांत पीसकर मन ही मन गाली दी । दिन निकल आया । हम दो कोस आ गये थे ।

मन होता था कि रामानुज को छोड़ दू । उनसे कहूं कि वे या तो पीछे आये या आगे निकल जायें । इस ससुरे टुट्टे बक्से के कारण मैं अपनी जान आफत में नहीं डालना चाहता था । रास्ते में और कही विशेष खतरा नहीं था, केवल रुद्रपुर में था । सड़क पर ही थाना पडता है । वहां हम जरूर पकड़े जायेंगे । रामानुज अपना बक्सा बजाकर जरूर कह देगा कि हम भागे हुए विद्यार्थी हैं ।

रुद्रपुर आया, जी घडकने लगा । हम चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे । थाने के पास पहुंचते ही घडकन तेज हो गयी । हम लोग अत्यंत सहज बनने की कोशिश कर रहे थे, फिर आखें छिप-छिपकर इधर-उधर देख रही थी कि कोई सिपाही हमें घूर तो नहीं रहा है । हमने देखा कि मचमुच दो सिपाही हमारी ओर देख-देखकर आपस में कुछ बात कर रहे थे । हमें लगा कि वे हमारी ओर इशारा भी कर रहे हैं । हम बाहर से प्रकृतिस्थ होने का प्रयाम करते हुए भीतर-भीतर भयभीत से आगे बढ़ते गये । जब कस्बा पार करके सड़क छोड़कर कछार की ओर जाने वाली पगडडी पर पहुंचे तो जान-में-जान आयी । गाव में न थाने थे, न सिपाही । गावों में क्रान्ति की कोई हलचल भी नहीं थी । वहां तोड़ने-फोड़ने के लिए सरकारी चीजें थी कहा ? न स्टेशन था, न थाना था, न आफिस था, न अस्पताल था, न बिजली के तार थे, न बड़े-बड़े स्कूल थे । वहां बाहर की आग को पहुंचने में भी समय लगता है और पहुंचती भी है तो केवल चेतना बनकर, तोड़-फोड़ के लिए गुजाइश नहीं होती ।

हम घर पहुंच गये तो राहत की सास ली । घर वाले भी आश्वस्त हुए । शहर में पढ़ने वाले लडके गांव आ गये थे । आसपास के भी प्राइमरी-मिडिल स्कूल बंद थे, अतः गांव के सभी लडकों से सेंट-मुलाकात हो रही थी । गाव में बयालीस की क्रान्ति की चर्चाएं तरह-तरह से होती थी । न अखबार थे न रेडियो, बस शहर में आने वाले कचहरिया लोगो की जबानी कुछ खबरें मिलती थी जिनमें काफी कुछ फालतू जुड़ जाता था । पिताजी, नरेश भाई, पोलई हरिजन तथा आसपास के गावों के कई सुराजी आपस में मिलते थे । प्रभातफेरियां होती थीं, इस या उस गांव में सभाएं होती थी । कोई छोटा-मोटा नेता आकर भाषण देता था । हल्की-हल्की सरगर्मी गांव में बनी हुई थी । बीच-बीच में यह खबर भी फैलती थी कि मिलिट्री आने वाली है । वह हमारे सुराजियो को पकडकर ले जायेगी और उनके घर फूक-फांक देगी । यह खबर गांव के सुविधावादी लोग, थाने के दलाल, मरकार के पिटू लोग रस ले-लेकर उडायकर करते थे ।

कुछ दिन घर रहने के बाद इच्छा हुई लक्ष्मीगंज जाऊ—भइया के पास । एक दिन निकल पड़ा । ब्रजनाथ और रामलला दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे और वहां का खर्च-वर्च चलाने के लिए किसी मुक्तार के यहां रसोइया का भी काम करते थे । स्कूल तो बंद थे लेकिन मुक्तार का खाना तो बनाना ही था इसलिए ये दोनों दो-चार दिन गांव रहकर लौट आये थे । शाम को मैं उन्ही के यहां ठहरा । इनके यहां ठहरने में बहुत

संकोच होता था। ये बेचारे तो स्वयं ही पराश्रित थे, इनके आश्रम में कैसे जाया जाय ! इसलिए मैं कभी भी इनके यहां नहीं जाता था। इस बार सकुचाते-सकुचाते गया और ठहर गया।

मुस्तार साहब के घर के आसपास बहुत-से बाबू, छोटे-मोटे अफसर, वकील, मुस्तार रहते थे। खाना खाने के बाद ब्रजनाथ अपने पास के एक क्वार्टर में ले गये। उस क्वार्टर में कई लोग रहते थे। वे एक जगह एकत्र होकर गप-शप कर रहे थे। ब्रजनाथ से मेरा परिचय कराया। 'मैं कवि हूँ' यह जानकर लोग काव्यात्मक तफरीह के मूड में आ गये और मुझे जिद करने लगे कि मैं कविताएं सुनाऊं। दो-चार राष्ट्रीय कविताएं मुनायी। लोगों ने बाह-बाह किया और बिखर गये। मैं प्रसन्न था। तभी उनमें से एक आदमी ने जो अभी भी मेरे सामने बैठा था, धीरे से कहा—“देखिए कवि जी, ये कविताएं सबके सामने यानी अनजान लोगों के सामने मत सुनाया कीजिए।”

“क्यों ?”

“इसलिए कि समय ऐसा है कि इन कविताओं को सुनकर कोई भी आपको पकड़वा सकता है। सरकार के कान चौकन्ने हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ ?”

“नहीं, आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता।”

“मैं सी० आई० डी० इंस्पेक्टर हूँ। दूसरा इंस्पेक्टर होता तो आप मुसीबत में पड़ गये होते।”

मैं रात को सोया तो यही सोचता रहा कि आज बाल-बाल बच गया। कितना नेक इंस्पेक्टर है। जीविका के लिए यह धंधा जरूर करता है किन्तु भीतर-भीतर राष्ट्रवादी है। ऐसे ही न जाने कितने लोग होंगे जो ब्रिटिश राज्य के नौकर होंगे। बाहर-बाहर उसके प्रति वफादारी निभा रहे होंगे और भीतर-भीतर राष्ट्रीय पीड़ा उन्हें परेशान कर रही होगी। दूसरे दिन उठा और चल दिया स्टेशन की ओर। सुना था कि इस समय खहर की पोशाक खतरनाक बन गयी है। ऐसे आदमी को देखते ही पुलिस पकड़ लेती है। मैं भी खहर की कमीज और टोपी पहने था। धोती शायद मिल की थी। टोपी उतारकर जब मैं डाल ली थी, लेकिन कमीज का क्या करूँ ? मुझे लगता है कि हर पुलिस वाला या हर सरकारी अफसर मेरी ओर घूरकर देख रहा है। लक्ष्मीगंज स्टेशन पर उतरा तो देखा—स्टेशन आधा जल चुका था। एक पुलिस वाला मेरी ओर आता दिखाई पड़ा। मैं सिर घुमाकर दूसरी ओर चलने लगा और इम आशंका में था कि अब पीछे से दो हाथ मेरी गर्दन पर कसे हुए महसूस होंगे। कुछ दूर जाने पर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह कहीं और जा रहा था। मैं लक्ष्मीगंज पहुंच गया। भड़्या देखकर चौंके—“अरे तुम ? तुम इस आंधी-पानी में कहां आ गये ?”

मैं हंसा। उन्होंने प्यार से समेट लिया।

पहली बार आया था। तब के और अब के वातावरण में बहुत अंतर था। वह फागुन का महीना था, यह भादों का। सीजन आफ होने की वजह से मिल की हलचल बंद थी। जमींदार का यह दरबार भी लगान-बसूली का सीजन न होने से ठंडा पड़ा था। लेकिन वातावरण में खूब हलचल थी। बाजार में सनसनी थी, जमींदार की कोठी होने

के कारण यहां भी सनसनी थी—पता नहीं कौन अफसर कब आ जाय और छानबीन करे। चर्चाएं होती रहती थीं—“किसने कहां किस सरकारी जगह पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रीय झंडा गाड़ दिया है? कौन-कौन नेता पकड़े गए हैं? कौन-कौन फरार हैं?” खास करबलिया के कारनामे अखबारों में खूब छप रहे थे। क्रांतिकारियों के बहादुर कारनामों के साथ-साथ ब्रिटिश सत्ता के अमानवीय दमनकारी कारनामों के समाचार आ रहे थे। उनके दमन के समाचार रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। गोरखपुर के कलकटर मास तो अपने जुल्म में लासानी सिद्ध हो रहा था। नाखूनों में कील गड़वाना, गुदा में मिर्च डलवा देना, गुप्तागों को नाकाम कर देना, पेड़ पर उलटा लटकाकर गोलियां दागना, गांवों में आग लगवा देना आदि न जाने कितने अमानुषिक कारनामे सरकार करवा रही थी और इन सब कारनामों में कलकटर मास सबसे आगे था। क्रांतिकारी भागते फिर रहे थे। वे पकड़ में नहीं आना चाहते थे—यातना के डर से भी और लोगों में चेतना बनाये रखने के लिए भी।

भइया जमींदार के तहसीलदार होकर भी पक्के कांग्रेसी थे। वे खहर ही पहनते थे और उनका हृदय राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था। मैंने एक दिन शाम को खेतों की ओर घूमने जाते हुए पूछा—“आपको कैसा लग रहा है? आप इतने बड़े कांग्रेसी, देश में इतना कुछ हुआ, आप कुछ कर न पाने से दुखी नहीं हो रहे हैं? जमींदार की नौकरी ने आपको बाध रखा है।”

उन्होंने मेरी ओर देखा, मुसकराये। फिर बोले—“जमींदार की नौकरी इस समय वरदान हो गयी है।”

मैं समझा नहीं। चुप रहा। उन्होंने कहा—“देखो, कहीं जिक्र मत करना। यहां के क्रांतिकारियों की मेरे ही कमरे में बैठक हुई थी। तय हुआ था कि वे लोग स्टेशन की तोड़-फोड़ करेंगे, आग लगायेंगे और जब बहुत कुछ हो चुकेगा तब मैं अपने कुछ साथियों के साथ दौड़ा हुआ आऊंगा। हमे देखते ही वे लोग भाग जायेंगे। ऐसा ही हुआ। सरकारी अमले हमें अपना हितैषी समझते हैं, क्रांतिकारी अपना हितैषी समझते हैं। हम आमानी से क्रांतिकारियों की मदद कर रहे हैं, सरकार को हमारे ऊपर शक नहीं होता।”

सुनकर मुझे अच्छा लगा। उधर मे पुलिस वाले आ रहे थे। उन्होंने भइया को नमस्कार किया।

“इधर कहां गये थे, दरोगा जी!”

“क्रांतिकारियों की खोज में। गोपलापुर गांव के चार-पांच क्रांतिकारियों ने नाक में दम कर रखा है। पता चलता है कि अमुक जगह पर हैं, पहुंचने से पहले ही लापता हो जाते हैं। लेकिन ससुरू लोग कहां तक बचेंगे?”

“हां-हां, बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी।” भइया ने हंसकर कहा, “मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा दरोगा जी।”

“जरूर-जरूर, आप तो हम लोगों के सरपरस्त ही हैं।”

वे चले गये तो भइया हंसे, बुदबुदाये—सरपरस्त...

अन्धेरा हो आया था। हम बात करते हुए लौट रहे थे कि एक आदमी धान के खेत में से निकला। वह बहुत डरावना लग रहा था। कीचड़ से लथपथ था। वह अंगोछे का झोला बनाकर लटकाये हुए था।

“रामअवध जी !” वह धीरे से फुसफुसाया।

भइया ने कुछ अकना। फिर धीरे से बोले—“नंदलाल !”

“हां, वे सब अभी गये हैं न, मेरी ही खोज में गये थे। मैं आकर धान के खेत में छिप गया था।”

“और लोग कहां हैं ?”

“वे भी कहीं न कहीं होंगे ही।”

“अंगोछे में क्या लटका रखा है ?”

“भूजा है। इस अंगोछे में भूजा रखते हैं। खाने-पीने का समय कहां मिलता है। पुलिसवालों की आहट मिलती है तो भाग खड़े होते हैं और कहीं छिपकर भूजा खाते रहते हैं, प्यास से तड़पते रहते हैं। कभी-कभी कोई जानकार व्यक्ति पाखाना होने के बहाने लोटे में पानी लेकर आता है, पिला जाता है।”

“अब ?”

“जा रहा हूं घर। अब वे सब चले गए न ?”

“हां, चले तो गये, लेकिन क्या पता कुछ लोगों को घर के आसपास छोड़ गये हो।”

“तब कहीं और जाऊंगा। करना क्या है, रात को थोड़ा सो लेना है।”

“नहीं-नहीं, ऐसा करो, तुम थोड़ी देर बाद हमारे बगीचे में पहुंच जाना। मैं वहां कपड़े लिए हुए मिलूंगा। नहा-धोकर और कुछ खाकर वहीं सो लेना और सुबह होने में पहले ही निकल जाना।”

“ठीक है, यह भी ठीक है।”

हम लौट आये। इस छावनी पर बारह बजे से पहले खाने-पीने की नौबत ही नहीं आती। भइया ने अपने एक विश्वस्त नौकर को बुलाकर कहा—“अभी खाना बनने में बहुत देर है, इसे भूख लग आयी है, बाजार से दो रुपये की पूड़ियां लेता आ।”

पूड़ियां आ गयीं। ज्यादा थीं, ज्यादा मंगायी ही गयी थी। कुछ देर बाद बगीचे की ओर से कुत्ते की बोली सुनाई पड़ी। भइया चौंके। उन्होंने झोले में कुछ कपड़े और पूड़ियां रख ली थीं। झोला लेकर धीरे से निकल गये। मुझसे कहा—अभी आता हूं। कोई कुछ पूछे तो कुछ बताना मत। मैं समझ गया कि यह कुत्ते की बोली कोई संकेत है। भइया बगीचे में उसी क्रांतिकारी का प्रबंध करने गये हैं।

कुछ देर बाद लौट आये।

“बच्चा, कल्याण हो, राज-पाट बना रहे।”

हमने देखा—सामने एक साधु खड़ा है।

“क्या चाहिए महाराज ?” भइया ने पूछा।

“साधु क्या चाहता है बत्स, कोई राज-पाट तो चाहता नहीं। बस दो रोटी-

चाहिए और रात-भर का आसरा ।”

“अरे यह कोई घरमसाला थोड़े न है महाराज ।” एक सिपाही ने मजाक किया ।

“तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा था ? साधु-संन्यासियों से कैसे बोला जाता है, यह भी तमीज नहीं ?”

“कोई बात नहीं वत्स, वह सिपाही है । उसने सिपाही की भाषा सीखी है ।” कहकर उसने भाई साहब को आंख मारी ।

पता नहीं क्या हुआ कि भइया कुछ मोचते-सोचते उचक पड़े—“आइए-आइए महाराज, बड़े पुण्य से आप लोगों के दर्शन होते हैं । आज मेरे कमरे को ही पवित्र कीजिए ।”

“चलो वत्स ।” कहकर वह भइया के साथ उनके कमरे में चला गया ।

सब लोग खा-पीकर सो गये । मैं भी बरामदे में सो गया । भइया और साधु बहुत देर तक कमरे में बातें करते रहे । कुछ देर तक खामोशी छायी रहती । फिर साधु की आवाज सुनाई पड़ती—“वत्स, तेरा भाग्य बहुत उज्ज्वल है, तू बड़ा यशस्वी बनेगा, तेरा भाई भी बहुत तरक्की करेगा ।”

सुबह होते ही वह साधु चला गया । मैंने भइया से कहा, “आपको तो साधुओं के प्रति इतना श्रद्धावान कभी नहीं देखा था । ऐसे साधुओं को तो आप ढोंगी मानते रहे हैं । इस साधु में क्या था ?”

भइया ने एक रहस्यभरी मुसकान से मुझे देखा—“इसमें अपना देश भरा है ।”

“अच्छा, समझा, यह भी कोई...”

“हां, यह भी क्रांतिकारी था । किसी से कहना मत ।”

दस-बारह दिन रहकर मैं घर लौटने लगा । वही डर । गोरखपुर आया । कचहरी की ओर निकल गया । देखा—वहां की हवालात में अनेक लोग बंद थे । मैं आगे बढ़ रहा था कि खिड़की के भीतर से एक आवाज आयी—लगा कोई मुझे पुकार रहा है । देखा, श्री रामलखन शुक्ल मुझे आवाज दे रहे हैं । मैं लौटकर खिड़की के पास गया । वे खिड़की की छड़ें पकड़कर खड़े थे । उनकी आंखों में उनकी सहज तीव्रता और चंचलता नाच रही थी । पूछा—“बाहर का क्या हाल है ? आंदोलन की क्या स्थिति है ?”

“ठीक चल रहा है, लेकिन लोग पकड़े जा रहे हैं, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं ।”

“ऐ लड़के, भाग यहां से ।” भीतर से एक सिपाही गरजा ।

“चोप ।” रामलखन जी ने सिपाही को जोर से डांटा, “गद्दार कहीं का ।”

सिपाही की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी । मैं भी आगे सरक गया ।

रामलखन जी से आपकी पहचान मैं करा चुका हूं—ठरसी में, पंडित रामगोपाल शुक्ल के यहां, मिश्रबंधुओं और रामचंद्र शुक्ल वाले विवाद के प्रसंग में । कैसे बहादुर लोग हैं—सिंह की तरह पिंजड़े में कैद होकर भी दहाड़ रहे हैं, आंखों में कितनी निर्भीकता भरी हुई है और मैं अकारण डरता घूम रहा हूं ! मुझे अपने पर धिक्कार

छूटा और निडर बनने का स्वांग करता हुआ कचहरी में घूमने लगा। कचहरी बजबजा रही थी और उस बजबजाहट में भी भय का सन्नाटा था।

घर लौटना था कि याद आया कि साहित्यरत्न के फार्म पर फोटो भी चिपकानी है। दुबारा कौन आयेगा, क्यों न फोटो खिचवाता चलूं। कचहरी में तुरंत फोटो वाली कई चलती-फिरती दुकानें थीं। वहीं खिचवा ली। अपनी फोटो देखने का यह पहला अवसर था। जब गोरखपुर से गांव चला तो मेरे साथ दीनानाथ भी हो लिये थे। वे कचहरी में ही मिल गये थे। अपनी फोटो देखने की बार-बार इच्छा होती थी। बीस मील की दूरी में पैदल चलते हुए कई बार जेब से निकालकर फोटो देखी। दीनानाथ क्या सोचेंगे, यह सोचकर मैं पेशाब करने के बहाने कहीं बैठ जाता और फोटो निकालकर देख लेता। फोटो में आंखें जरा तन गयी थीं, यही बात खटक रही थी। बार-बार देखता कि आंखें तन जाने के बावजूद कहीं खराब तो नहीं लग रहा हूं। उसके बाद तो बहुत फोटोएं खिंचीं, अच्छी से अच्छी खिंचीं, खुद खिचवाईं, औरों ने खिंचीं, संस्थाओं ने खिंचीं, पत्रिकाओं ने खिंचीं, लेकिन अपनी यह पहली फोटो देखने की जो अनुभूति थी वह अद्भुत थी।

18

काफी दिनों बाद बरहज गया तो देखा अभी सन्नाटा व्याप्त है। छात्रावास में इक्के-दुक्के छात्र ही दिखाई पड़े। कमरे में गया तो कमरा खुला हुआ मिला। सामान चोरी चला गया था। जी धक्क से रह गया। अरतन-बरतन सभी गायब थे। अब खाना कैसे बनायेंगे? पंडित सिंहासन तिवारी से मिला। उनसे अपनी बात बतायी तो बोले— इस बीच बहुत चोरियां हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दस-पांच दिन में पढ़ाई शुरू कर देंगे। मैं फिर गांव लौट आया। फिर पंद्रह-सोलह दिन बाद गया, पढ़ाई शुरू हो गई।

‘साहित्यरत्न’ में ‘सिंदूर की होली’ भी लगी थी। उसे पढ़ते हुए विचित्र अनुभूति होती थी। किसी ने बताया कि इसके लेखक पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र सरयू उस पार किसी गांव में रहते हैं। मन में कई बार ललक उठी कि किसी दिन उनके गांव चला जाए और उनके दर्शन किए जाएं। वास्तव में मेरी यह अवस्था थी जब भीतर रचनाकारों के प्रति एक गहरी उत्सुकता जगी होती है। उनसे मिलने, उनसे बात करने, उनकी जीवनचर्या के बारे में जानने की एक तड़प होती है। उनके प्रति मन में एक पवित्र भाव होता है। अब की बात नहीं कर रहा हूं। इस समय का दौर कुछ और ही हो गया है। मिश्र जी से मिलने का सपना लिए मन महकता रहा, लेकिन भेंट कहां होनी थी? किसी ने बताया कि उनका गांव जरूर पास-में है किन्तु वे रहते इलाहाबाद में हैं।

मेरे साथ साहित्यरत्न के जो परीक्षार्थी थे उनमें कुछ काफी बयस्क लोग भी थे। वे वास्तव में नियमित विद्यार्थी नहीं थे, वे कहीं शिक्षक थे, परीक्षा के कुछ पूर्व यहाँ तैयारी के लिए आ गये थे। उनमें से एक मोती बी० ए० भी थे। वे इतिहास से एम० ए० कर चुके थे, किन्तु वे कवि के रूप में मोती बी० ए० ही कहलाते थे। उनका गांव वहाँ से कुछ मील की दूरी पर था। वे वहाँ के लोगों में कवि रूप में ख्यात थे। मैंने पहली बार उन्हें जाना। वे बनारस में रहते हैं यह मेरे लिए और भी आकर्षण का कारण बन गया। वे हम लोगों के साथ कुछ दिन रहे। कविताएं सुभाईं। बहुत मीठा कंठ है उनका। वे अपने मीठे कंठ में कई कवि-मम्मेलनी कवियों की तरह अलाप नहीं भरते, बल्कि उनमें से धीरे-धीरे मधुरता की वृष्टि करते हैं, जो अच्छा लगता है।

हम लोग दिसम्बर में परीक्षा देने बनारस गये। कमच्छा में ठहरे। मोती बी० ए० भी वहाँ आकर परीक्षा तक ठहर गये। बहुत अच्छा लगा। शंभुनाथ सिंह मोती बी० ए० के दोस्त थे। उनका गांव भी मोती बी० ए० के गांव के आसपास ही है। शंभुनाथ के नाम से मैं परिचित नहीं था। मोती जी ने ही परिचय कराया—“ये मेरे मित्र हैं, नये गीतकारों में अत्यधिक सभावनापूर्ण गीतकार।” उनकी भी कुछ कविताएं सुनने का सुअवसर मिला। उनका भी कंठ मीठा, समस्वर में बहने वाला था। साहित्यरत्न की परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ काशी के साहित्यकारों से परिचय मेरे लिए बहुत सुखद उपलब्धि बनता चला गया। हम लोग कुछ पूछने-पाछने डा० जगन्नाथ शर्मा के यहाँ गये, वहाँ से कृष्णापति जी के यहाँ गये, नाना भगवानदीन विद्यालय में पंडित विश्वनाथप्रसाद मिश्र की कक्षा में बैठे। वे शायद अजातशत्रु नाटक पढ़ा रहे थे। उनके पांडित्य, रोचक अध्यापन और विनोदप्रियता का परिचय एक साथ मिला। वे अजातशत्रु पढ़ा रहे थे। पढ़ाते-पढ़ाते देर हो गयी तो एक छात्र ने पूछा—“आज ‘होल नाइट शो’ चलेगा क्या?” पंडित जी ने फट से कहा, “हां, आप छलना की भूमिका अदा करेंगे क्या?” पंडित जी ठठाकर हमें और पूरी कक्षा हंस पड़ी।

बड़ा खुशनुमा मौसम था। दिसम्बर की ठंडक थी, लेकिन दिन की सुनहली धूप तन-मन में एक ऊष्मा भर देती थी। पास में ही अमरूद का बगीचा था। पास में ही लड़कियों का हॉस्टल था। बी० टी० कालेज भी पास ही था। अमरूद के बगीचे में लड़कियां आती थी, वही से अमरूद तोड़वाती थीं, खाती थीं। माथा खुला होता, दो चोटियां लटकी होती, मस्ती से मटक-मटककर चलतीं और स्वच्छंद रूप से अमरूद खातीं। यह दृश्य हम लोगों के लिए नया था। एक ने कहा, “कितनी बेशर्म और चीप हैं सब !”

“इसमें बेशर्मी क्या है?” मोती बी० ए० ने कहा। फिर उन्होंने हमारे देहाती संस्कारों को धक्का मारने वाला एक लाजवाब लेक्चर पिला दिया। जो भी हो, मुझे वे लड़कियां अच्छी लग रही थीं। हमारे देहाती संस्कारों को हिलाती हुई भी बहुत स्पृहणीय लग रही थीं। ऐसी लड़कियां देहात में कहां दिखाई पड़ती हैं।

“इन्हें चीप मत समझिए। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कुछ नया करती है—बेशर्मा, रहन-सहन में। और हर पिछली पीढ़ी भुनभुनाती है, नयी पीढ़ी को सस्ती

कहती है, लेकिन ये लड़कियां देहात की अपढ़ लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा संयत, चालाक और चरित्र-रक्षा में समर्थ हैं। सच तो यह है कि पारंपरिक लोगों के हृदय में इनके मौढ्य और मुक्त आचरण को देखकर इनके प्रति स्पृहा की आग धधक उठती है। ये उन्हें उपलब्ध हो नहीं सकती हैं अतः इनकी आलोचना करके अपनी कुंठा अभिव्यक्त करते हैं।" मोती बी० ए० कुछ तैश में आ गये थे। मुझे लग रहा था कि वे ठीक कह रहे हैं और उन्होंने हम सबके पारंपरिक देहाती संस्कार को चौराहे पर नंगा कर दिया है।

शाम को घूमने निकले तो कुछ लोग बी० टी० कालेज से निकल रहे थे। "पं० सीताराम चतुर्वेदी आ रहे हैं, उनके पीछे बेघड़क बनारमी हैं।" मोती जी ने कहा। दोनों के नाम सुने थे। बहुत प्रसन्न हुआ। बेघड़क जी उस समय बी० टी० कर रहे थे और एक शिष्य दोस्त की तरह सीताराम जी के पीछे-पीछे प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे थे। परीक्षा के दिन बेढब जी के दर्शन हुए। गौरवर्ण के एक सुदर्शन व्यक्तित्व के साथ ह्याम्य रम के कवि का मेल एकाएक नहीं बैठा। मोती जी ने एक अत्यंत सुंदर सुकामल युवक की ओर इशारा करत हुए कहा—“ये कवि गुलाब है, ये भी साहित्यरत्न की परीक्षा दे रहे हैं। बेढब जी उन्हें पहचाने आये है।” बनारस में आने के बाद गुलाब के बारे में भी सुना था और यह भी सुना था कि वे बेढब जी के बहुत आत्मीय हैं। दोनों सुंदर व्यक्तित्वों को एक साथ देखकर मेरे धूल-धूमरित देहाती मन को कैसा लगा होगा, आज उमकी मात्र कल्पना कर सकता हूं। दरअमल हम साहित्य-प्रेमियों के लिए काशी साहित्य का तीर्थ था जहां अनेक महारथी विराजमान रहे है और उस समय भी थे। इसलिए साहित्यकारों के दर्शन से मैं भीतर-भीतर कृतार्थ होता जा रहा था। एक इच्छा उठ रही थी—काश, शुक्ल जी, प्रेमचंद जी और प्रमाद जी जीवित रहे होते !

परीक्षा हो गयी थी, अब मौखिकी की बारी थी। जी धक-धक कर रहा था। और जब से सुना कि हिन्दी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष पंडित केशवप्रसाद मिश्र मौखिकी लेंगे, धडकन और बढ़ गयी थी। लिखित परीक्षा देने और मौखिकी होने के बीच का समय कैसे बीता, कह नहीं सकता। मौखिकी या साक्षात्कार मेरे लिए हमेशा एक त्रास रहा है। इनके नाम मे मेरी घबराहट बढ़ जाती है। आज भी यही स्थिति है। न जाने कौन व्यक्ति कितना बेहूदा सवाल कर दे। अब तो बेहूदा सवालों की बाढ़ आ गयी है। बहुत कम उच्चस्तरीय परीक्षक ऐसे हैं जो परीक्षार्थी या प्रत्याशी में उनके क्षेत्र के प्रश्न करते है या उनकी सही योग्यता उभारना चाहते हैं, बाकी तो अपनी बेहूदा हरकतों में उन्हें उलझाना चाहते हैं, अपमानित और नर्वस करना चाहते हैं।

यह मेरा पहला साक्षात्कार था—वह भी केशव जी के सामने। बाप रे बाप ! साथ के परीक्षार्थी भी घबराये हुए थे। खैर, वह समय आया। मैं डरते-डरते अदर गया। सामने बैठ गया। केशव जी की हुलिया आतंककारी नहीं थी, उसमें एक आश्वस्ति-प्रदत्ता थी। घोती, कुर्ता, टोपी, चादर में वे हमारे गांव के जाने-पहचाने पंडित जी लग रहे थे। उनकी आंखों में वात्सल्य से भरी एक दीप्ति थी। उन्होंने मेरा नाम पढ़ा। नाम के साथ उपनाम था। उपनाम पढ़कर उन्हें लगा कि मैं कविता भी

लिखता हूँगा। पूछा—“कविता भी लिखते हैं ?” मैंने कहा—“हां।” बोले—“सुनाइए।”

मैंने एक कविता सुनाई। वे प्रसन्न होकर सुनते रहे। बोले—“बहुत सुंदर कविता है।” मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इतना बड़ा विद्वान् मेरी कविता को अपनी प्रशंसा से पुरस्कृत कर रहा है। मैं गद्गद हो ही रहा था कि उन्होंने उस कविता की एक पंक्ति उठा ली और पूछा कि क्या यह पंक्ति व्याकरण से सही है और सही नहीं है तो इसमें गलती क्या है ? मुझे तो कुछ सूझा ही नहीं। सूझता तो गलती करता ही क्यों ? ऐसे ही उन्होंने दो-एक सवाल और किये—उस कविता के भाव से सम्बन्धित। मैंने अपने ढंग से उत्तर दिये और उन्होंने हंसकर कहा—“जाइए।”

मैं बाहर निकला। बहुत प्रसन्न था। लगा कि इतने बड़े पंडित ने कहीं भी मेरे ऊपर बोझ नहीं डाला। लगा—जैसे हालचाल पूछ रहे हों। यह भी लगा कि उन्होंने मुझे अच्छे अंक दिये होंगे। किन्तु जब परिणाम निकला तो मौखिकी के बहुत अच्छे अंक न देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि पंडित जी ने बहुत सहजता से मेरी असली योग्यता की पहचान कर ली थी।

साहित्यरत्न की परीक्षा देकर खाली हो गया था। पास तो ही जाऊंगा। चिन्ता थी, इसके बाद क्या करूंगा ? फिलहाल मैं अपना प्रबंध-काव्य ‘चक्रव्यूह’ पूरा करने में जुट गया। लेकिन अब करूंगा क्या ? यह और लोग भी पूछते और मैं भी अपने से पूछता। साहित्यरत्न पाम होकर कुछ कर लेने का जो सपना था वह अब छंट रहा था। अब तो मैं रास्ते के उस छोर पर खड़ा था जहां से आगे वह जाता ही नहीं और जिस बिन्दु पर वह खत्म हो रहा था वह केवल रास्ते का अंत था, किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। क्या मिलेगा मुझे ? कोई नौकरी ? कौन-सी नौकरी ? साहित्यरत्न की डिग्री किसी नौकरी तक पहुंचाये, अभी ऐसी स्थिति तो बनी नहीं थी। और आगे भी कहां बन पायी ? राष्ट्रभाषा की उच्चतम डिग्री प्राप्त कर ली है, राष्ट्रभाषा-प्रेम के नाम पर उसे चिपकाये घूमां, एक गौरव अनुभव करो, उसे राष्ट्रप्रेम के साथ जोड़ो, यह कम है क्या ?

लेकिन इससे जिन्दगी चलेगी क्या ? कपिलदेव के साथ विचार-विमर्श करके तथा भइया से परामर्श करके यह तय किया कि अंग्रेजी पढ़ी जाय।

सन् 1943। मैं साहित्यरत्न में पास हो गया था। इसी वर्ष मेरा गवना भी हो गया।

जुलाई आते ही कपिलदेव और मैं पास और दूर के कुछ ऐसे स्कूलों में गये जहां अंग्रेजी की प्राइवेट पढ़ाई होती थी। कहीं मन नहीं जमा तो घूम-फिरकर फिर ढरसी गये—पंडित जी के पास। पंडित जी ने बहुत प्यार और उछाह से हमारा स्वागत किया।

पंडित जी ने प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग छोड़ दी थी और स्कूल का अपना भवन तैयार करा लिया था। खुले में खुला भवन... चारों ओर खेत, खेत की फसलें।

बहुत अजीब लग रहा था—ए बी सी डी पढ़ना और शब्दों की बर्तनी रटना। साहित्य की ऊंची-ऊंची पुस्तकें पढ़ने के बाद अंग्रेजी की प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करना बहुत कष्टकर लग रहा था। मन नहीं लग रहा था अतः मेरी शिक्षा में प्रगति नहीं हो पा रही थी। कपिलदेव अपेक्षाकृत अधिक गतिशील थे।

बहुत-से नये विद्यार्थियों से भेंट हुई। उनमें सबसे विशिष्ट थे विद्याधर द्विवेदी। वे सहुआकोल गांव के थे और विशेष योग्यता पढ़ने आये थे। मझोले कद के, गेहुआं वर्ण के सुदर्शन विद्याधर तन और मन दोनों से बहुत ओजस्वी थे। पढ़ने में तेज थे, कुश्ती लड़ने में बहुत चुस्त थे, बहुत स्फूर्ति थी उनमें। खेल के मैदान में भी अपना जौहर दिखाते थे, अच्छा गाते भी थे, वाद-विवाद में भी अपनी करामात दिखाते थे। मैं इस विद्यालय का वरिष्ठ विद्यार्थी था, पंडित जी का अत्यंत स्नेह-भाजन था और कविता के क्षेत्र में उजागर हो रहा था, अतः प्रायः सारे ही विद्यार्थी मुझे सम्मान देते थे और मैं स्वभावतः सबको अपना समझता था; किन्तु विद्याधर की बात ही और थी। उम्र की अच्छी-खासी दूरी होने के बावजूद हम मित्र थे, यह और बात थी कि इस मैत्री भाव के बावजूद वे मुझे सम्मान भी देते थे। इस वर्ष मेरे गांव के मुक्तिनाथ और रामकृपाल भी पढ़ने आ गये थे। कोल्हूआ से मेरी ससुराल की पट्टीदारी के अवधनारायण त्रिपाठी भी पढ़ने आते थे जो मुझसे बहुत शरमाते थे। एक विक्रमादित्य द्विवेदी थे, एक कपिलदेव साही थे। साथियों की एक अच्छी-खासी संख्या थी।

विक्रमादित्य गाते बहुत अच्छा थे अतः जब हम लोग एकत्र होकर अंग्रेजी का कोई पाठ तैयार करते और मन नहीं लगता तो विक्रमादित्य से गाने को कहा जाता। वे गाते और हम लोग अंग्रेजी के पाठ की नीरसता से मुक्ति पाकर कविता और संगीत की दुनिया में खो जाते। पंडित जी के अंग्रेजी ज्ञान की बात बता चुका हूं। प्राइवेट मैट्रिक पास पंडित जी का अद्भुत जीवट था कि वे तैयारी कर-करके हमें पढ़ाते थे। वे पढ़ाते सही थे, लेकिन उनके पढ़ाने में वह प्रवाह और आनंद नहीं पैदा होता था जो एक विषय के अधिकारी के पढ़ाने में होता है। एक दिन हम उनके कमरे में बैठे थे। वे पढ़ा रहे थे। वे आधा वाक्य बोलते थे, आधा हमें पूरा करना पड़ता था। वे बोले—‘बी’। हम बोले ‘गोज’। और देर तक वे हमें वाक्य रटाते रहे। वे ‘बी’ कहते, हम ‘गोज’ कहते—बी—गोज, बी—गोज। एकाएक उन्हें ध्यान आया और हम लोगों को गाली देते हुए बोले—“अरे नालायको, ‘बी’ के साथ ‘गोज’ कैसे लगेगा, ‘गो’ होगा न ?” हम लोग झेंपे और अपने तथा पंडित जी के ज्ञान पर परस्पर मुसकराये।

पंडित जी का इरादा था कि तीसरे साल हम मैट्रिक की परीक्षा में बैठेंगे। पहले वर्ष वे हमें बेसिक ज्ञान करायेंगे, दूसरे-तीसरे वर्षों में मैट्रिक की पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी करायेंगे। मुझे और सारे विषयों की चिंता नहीं थी, बस अंग्रेजी ही आ थी। बर्तनी रटने और व्याकरण पढ़ने में मन लगता नहीं था। यह भाषा भी कैसी भाषा जिसके प्रत्येक शब्द हिज्जे रटे जाएं। दूसरी ओर तीन वर्षों में ही पांच वर्षों का कोर्स पूरा करना था। मन उचट-उचट जाता था, लेकिन अंग्रेजी पढ़े बिना गुजारा भी तो नहीं।

कुआर था। मुझे बुखार आ गया। सोचा गया—ठीक हो जायेगा। लेकिन नहीं उतरा। बढ़ता ही गया। मलेरिया था। पड़िन जी अपने ज्ञान से जो दवा कर सकते थे करते रहे, नहीं उतरा। घर मदश भेजा गया। मझले भाई डोली लेकर आये। वे तिजहर को पहुँचे थे। बुखार की बेचैनी में डोली में डाला गया। उस समय की अपनी बेचैनी की याद करके अब भी धर्रा जाता हूँ। गजपुर पहुँचते पहुँचते रात हो गयी। वही एक धर्मशाला में ठहरना पड़ा। रात-भर बेचैनी में तड़पता और चिल्लाता रहा। सबेरे वहाँ से डोली रवाना हुई। राप्ती नदी में नाव पर चढ़े तो इच्छा हुई नदी का मार्ग पानी पी जाऊँ। ताप और प्यास से मैं तड़प रहा था। पानी पीने की अनुमति मांगी तो भाई साहब ने मना कर दिया—नदी का पानी नुकसान कर दगा। नौ बजे के आसपास डोली घर पहुँची। पिताजी और माँ बेचैनी से मरा इतजार कर रहे थे। डोली उतरते ही वे मेरी ओर लपके। मैं उन्हें देखते ही बुझका मार्ग रो पड़ा। माँ ने छाती में लगाते हुए कहा—“नहीं, रोओ मत, अब अपने घर आ गये हो। सब ठीक हो जायेगा।”

घर की आश्वस्ति अद्भुत होती है। ‘घर आ गये हैं’ का बोध कितनी राहत देता है। मैं पुचकारे गये बच्चे की तरह चुप हो गया। अपने घर में हूँ, चारों ओर अपने लोगों के हाथ हैं, ममताभरी आँखें हैं, और सबसे बड़ी बात कि माँ है। एकबारगी मुझे एक आश्वस्ति के अनुभव से भर देने के लिए पर्याप्त था। घर की आत्मीयता और बाहर की आत्मीयता में फर्क होता है। बाहर कितनी भी आत्मीयता मिलती हो, थोड़े फासले पर एक बिन्दु पर आकर रुक जाती है। वह उतनी क्रियात्मक नहीं हो पाती जितनी भावात्मक होती है। माँ या पत्नी के हाथों की तरह कोई भी हाथ बीमार व्यक्ति की गदगी की सफाई में रत नहीं होता। बाहर के किसी व्यक्ति को आदेश देकर आप कुछ नहीं मगा सकते। पैसे-रुपये के खर्च का हिमाब घर में नहीं हाता, बाहर होता है। ढरसी में आने से पूर्व शाम को मैं बुखार से बुत्त पड़ा था और मेरे साथी वालीबाल खेलते हुए खूब शोर कर रहे थे। मैं भयानक परेशानी का अनुभव कर रहा था। मेरे पास कोई था भी नहीं कि मैं उमे भेजकर शोर करने वालों को चुप कराता। काफी देर बाद विद्याधर खेलकर आये तो बोले—“कवि जी, आपको शोर से परेशानी तो हुई होगी किन्तु मजा आ गया, खूब छकाया लोगों को।” मैं जानता था कि विद्याधर मेरे बहुत प्रिय थे और वे मेरा बहुत आदर करते थे, लेकिन फिर भी सब कुछ घटा।

पडोसी गाँव रानापार के वैद्य जी बुलाये गये। दवा दी। दवा चलती रही, कोई लाभ नहीं हुआ। वैद्य जी के बारे में मशहूर था कि उनके पास कुछ ही दवाएँ हैं जो मारे रोगों में देते हैं। फिर फायदा क्या होना था! मुझे तिजरा मलेरिया पकड़े था। यानी जाड़ा बुखार। एक दिन छोड़कर आता था। जब बुखार चढ़ता था तो लगता था कोई दौरा पड़ रहा है। पूरी देह उठने-गिरने लगती थी और मुँह से हुऊ-हुऊ की ऐसी आवाज निकलती थी जैसे तेज हवा बहने पर बास वन से आवाज आती है। माँ और दो-एक और व्यक्ति रजाई के ऊपर से मुझे दबाते थे और खाट के नीचे आग जलाकर उसमें अजवाइन डाली जाती थी, लेकिन मलेरिया के वेग की लगाम थाम पाना संभव नहीं हो पाता था। ऐसे ही बीतता गया। मैं कमजोर होता गया। इस बीच लोगों ने कुछ टोटके भी

मां को सुझाये। एक ने बताया कि जिस वक्त जड़इया आती है उस वक्त खाट पर मेरे स्थान पर मूसल रख दिया जाय। जड़इया मूसल को पकड़ लेगी। उस उम्र में भी मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। मेरी बुद्धि में यह नहीं आता कि यह कैसे संभव हो सकता है? जाड़ा बुखार कहीं बाहर से तो आता नहीं कि वह भटक जायेगा, वह तो शरीर के भीतर से फूटता है, उसी में स्थित है। फिर भी परेशान होकर घर वालों के आग्रह से यह भी करना पड़ा। लेकिन जब विश्वास ही न हो तो सही बात भी नहीं लगती, यह तो एक झूठी बात थी ही।

दो महीने गुजर गये। मेरे गांव के निकम्मे गोबरी अपने बाप की ताड़ना से भागकर साधु बन गये थे। बहुत दिनों के बाद वे गांव आये थे और अपने घर के दरवाजे पर धूनी रमा ली थी। पिताजी ने मुझसे कहा—“गोबरी बहुत सिद्ध साधु होकर लौटा है, उससे भभूत ले लो।”

फिर मेरा मन बिदका किन्तु पिताजी अपने साथ पकड़ ले गये। वहां जाकर देखा—बेवकूफ-से लगने वाले गोबरी विशाल जटा-जूट में दिव्य लग रहे थे। सामने धूनी रमी हुई थी उनके तथा पूरे शरीर में भस्म मली हुई थी। उनके पिता कृतार्थ भाव से उनके पास बैठे हुए थे। उनकी आंखों में पुत्र के इतना बड़ा महान्मा बन जाने का गर्व भरा हुआ था।

उन्हें देखते ही मैं अभिभूत हो उठा, किन्तु मुझे देखते ही जब वे पहले की तरह गबगबाकर बोलने लगे तो मैं उनके पहले जीवन के संदर्भों से जुड़ गया और उनके प्रति जो विश्वास अभी बना था एकदम गायब हो गया। वे पता नहीं क्या-क्या बोलते रहे। लोग उनके गोबरी से साधु बन जाने की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सोच रहे होंगे, मैं उनके साधु से फिर गोबरी बन जाने की स्थिति से जुड़ गया था। गोबरी मेरा हालचाल पूछते रहे, मैं उन्हें देखता रहा। उन्होंने धूनी में से भभूत निकालकर दी और कहा—“भगवान् चाहेगा तो सब ठीक हो जायेगा।” मुझे हमेशा लगता रहा है कि भगवान् का नाम लेकर जो दवा दी जाती है उसमें दवा देने वाले व्यक्ति के आत्मविश्वास की कमी लक्षित होती है। मैं भभूत लेकर चला आया और खा भी ली, लेकिन फिर वही भीतर के विश्वास का सवाल। भभूत को नहीं लगना था, नहीं लगी।

वैसे तो पूरा घर मेरी बीमारी को लेकर परेशान था, किन्तु मां की परेशानी का क्या कहना? मा के अतिरिक्त दो-दो भाभियां थीं, बहन थी, मझले भाई थे, पिताजी तो थे ही। मझले भाई की इसी साल नयी-नयी शादी हुई थी, पहली पत्नी दिवंगत हो गयी थीं। बड़ी भाभी, मझली भाभी दोनों मेरी देख-भाल करती थीं, मेरे प्रति दोनों का गहरा स्नेहभाव था। इन सबके अतिरिक्त इस घर में एक प्राणी और था—मेरी पत्नी। इस पारंपरिक पारिवारिक परिवेश में हम दोनों दिन में एक-दूसरे से न मिल सकते थे, न बात कर सकते थे। वह घूंचट काढ़े इधर से उधर, उधर से इधर होती रहती और शायद इस तमन्ना से तड़पती रहती कि वह मेरी कोई सेवा कर सके। कभी-कभी मैं झटके से उसे छिपकर अपनी ओर देखते देख लेता। उसकी आंखों में एक अजीब बेबसी का भाव भरा होता। मुझसे आंखें मिलते ही वह घूंचट काढ़ लेती और आये

सरक जाती। सोचता हूँ, कौसी थी बिडबना संयुक्त परिवारों की ! जिसे बीमारी में सबसे नजदीक होना चाहिए था, वही सबसे दूर थी; जिसके साहचर्य की उष्मा से जीवन-यात्रा सुगम हो जाती है, उससे छिपकर रात के कुछ पलों में मिलना संभव हो पाता था। यही नहीं, लोग अपनी संतानों को गोद में खेला भी नहीं सकते थे। दूसरे लोग खेलाते थे। आदमी गोद में भर लेने की ललक दबाये बच्चे को देखता रहता था। मैंने पत्नी का ठीक से मुँह भी नहीं देखा था। रात के अंधेरे में उससे थोड़ी-बहुत बातें हुई थीं। उस बीमारी में रात के अंधेरे में मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं था और दिन में हम आमने-सामने भी नहीं हो सकते थे। तब तो मैं पत्नी के प्रश्न पर एक परंपरित बोध से लदा था, किन्तु अब सोचता हूँ कि देहाती औरत के मन में मेरे लिए कुछ न कर पाने का कितना गहरा दर्द भरा रहा होगा ! जिस पति-सेवा को वह पत्नी की सार्थकता का पर्याय मानती रही होगी, उसी से वह वंचित की जा रही थी। यह उसे कितना बड़ा अभिशाप लगा होगा, इसकी कल्पना मात्र कर सकता हूँ। ये भोली-भाली गाय-सी मूक औरतें...!

दो महीने बीत गये बीमारी में लिथड़ते हुए। रानापार के वैद्य वृन्दावन दूबे के पुत्र रामदेव अच्छे वैद्य निकले थे किन्तु वे अधिकतर बाहर-बाहर रहते थे। बाबू चंद्रभान सिंह की छावनी लक्ष्मीगंज में भी प्रायः आया-जाया करते थे। भइया उन्हें लेकर एक दिन घर आ गये। उन्होंने मेरा हाल देखा और दुखी हो गये। रामदेव को मेरे उपचार में लगा दिया। उनकी दवा से लाभ हुआ और मैं धीरे-धीरे मलेरिया की गिरफ्त से मुक्त होता गया। ठीक-ठाक होने में दो महीने और लग गये। चार महीने के बाद मैं ढरसी जाने के लायक हुआ। जो मलेरिया आजकल चार दिन में ठीक हो जाता है उसने मुझे चार महीने अपनी गिरफ्त में रखा। उसकी सजा अब तक भोग रहा हूँ। उस मलेरिया ने मुझे ऐसा तोड़ा कि उसके बाद थोड़े-से बुखार से भी मेरा शरीर भयानक ऐंठन महसूस करता रहता है।

चार महीने बाद जैसे एक नया जीवन मिल गया था। ढरसी आया। पढ़ाई शुरू की किन्तु लगा कि वह साल लगभग यो ही बीत गया। साथी लोग अंग्रेजी में आगे बढ़ गये थे। अंग्रेजी पढ़ने के प्रति मेरा सिस्टम जो बिगड़ा वह बिगड़ा ही रह गया, न मैं अंग्रेजी को रास आया और न वह मुझे। दोनों में एक टूटा-फूटा सम्बन्ध चलता रहा और चल रहा है।

इस बार ढरसी की पढ़ाई के दौरान छोटी-मोटी घटनाएं तो बहुत घटीं, लेकिन कुछ विशेष थी, जिनकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। ढरसी का स्कूल चहल-पहल का केन्द्र बना हुआ था। वहाँ नेता आते, साहित्य-सेवा आते, अफसर आते, हिन्दी-प्रचारक आते। सन् '42 के बाद का माहौल था। अतः राजनीतिक सरगर्मी हवा में बनी हुई थी, साथ ही दमन का चक्र भी चल रहा था। पंडित जी डरते नहीं थे। एक बार एक सी० आई० डी० का इन्स्पेक्टर आया और वह बातचीत में मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी कहने लगा। पंडित जी ने उसे डाँटा—“आप महात्मा गांधी नहीं कह सकते? देश के इतने बड़े महापुरुष के प्रति आपके मन में कोई इज्जत नहीं है? अंग्रेजों की नीकरी ने आपकी

भारतीयता को एकदम सोख लिया है ?” वह इंस्येक्टर शरमा गया । उसमें पानी बचा था ।

संभवतः सन् '44 का समय था । पंडित जी ने नेहरू जी के जन्मदिन पर एक छोटी-सी सभा आयोजित की । हम लोगों ने नेहरू जी तथा कांग्रेस के अलग-अलग पक्षों पर बोलने की खूब तैयारी की । जिला-स्तर के नेता भृगनाथ चतुर्वेदी बुलाये गये और जमकर सभा हुई । आसपास के बड़े आदमी भी बुलाये गये थे । इस सभा की सरगमीं चारों ओर छा गयी और लोगों के मन में एक आतंक-सा फैल गया, लेकिन पंडित जी निश्चित रहे ।

उसी वर्ष कुशीनगर में एक बहुत बड़े साहित्यिक समारोह के आयोजन की घोषणा हुई । उसमें शामिल होने का उत्साह छा गया । पंडित जी अपने साहित्यकार शिष्यों के साथ उसमें सम्मिलित होने की तैयारी करने लगे । इस सम्मेलन के लिए जो विज्ञप्ति प्रसारित की गयी, उसमें यह भी था कि कुशीनगर पर सबसे अच्छी कविता को पुरस्कार मिलेगा । पंडित जी ने कविता लिखी, मैंने भी लिखी । तब तक कपिलदेव भी कवि हो गये थे । उन्होंने भी लिखी । कविताएं डाक से कुशीनगर सम्बद्ध व्यक्ति को भेज दी गयी । मेरी कविता स्कूल में खूब सराही गयी और सबको विश्वास था कि इसे पुरस्कार मिलेगा । मैं इन प्रशंसाओं से मन ही मन खूब पुलकित था, पुरस्कार पाने का एक रंगीन सपना मन में झिलमिला रहा था ।

नियत तिथि को हम कुशीनगर के लिए रवाना हो गए । गोरखपुर पहुंचे । वहां से कुशीनगर की बस में बंठे तो देखा अनेक साहित्यकार-से लगने वाले लोग बस में बंठे थे । हां, साहित्यकार होना ही जरूरी नहीं है, लगना भी जरूरी है । मैं देहाती आदमी अपनी मामूली वेश-भूषा में साहित्यकार कहां से लगता ? अब भी लगता हूं, मुझे संदेह है । लेकिन शहर के साहित्यकारों या शहर में पढ़ रहे गांव के साहित्यकारों की सजी-संवरी वेश-भूषा थी । उनका अपना खास नक्शा था । उनके बोलने-बतियाने, ताकने की विशेष भंगिमा थी । मैं हसद से उन्हें देख रहा था । यह नहीं जानता था कि इनमें कौन साहित्य के कितने गहरे पानी में है, लेकिन यह अवश्य लगता था कि ये लोग कुछ-न-कुछ हैं । पंडित जी अपने कुछ समवयस्कों को पहचानते थे । वे बता भी रहे थे कि अमुक-अमुक हैं, लेकिन नयी पीढ़ी का उन्हें ज्ञान नहीं था और नयी पीढ़ी का ही ठाट ज्यादा था जिसे मैं बार-बार देख रहा था और सोच रहा था कि वे मुझसे बड़े कवि हैं ।

कुशीनगर उतरे । मेला था । चारों ओर साहित्यकार उतराये हुए थे । सैंकड़ों छोलदारियां पडी थीं । एक में हमने भी आमन जमाया । कुशीनगर पहली बार देख रहा था । उसका प्राकृतिक वातावरण बहुत मनोहारी था । जाड़े की धूप में नहाता हुआ यहां का प्रकृति-वैभव बहुत पवित्र और सुंदर लग रहा था । उसमें साहित्य की चहल-पहल एक संगीत पैदा कर रही थी ।

खा-पीकर निश्चित हुए तो धूप ढल चुकी थी । हम घूमने निकले । बुद्ध की महानिर्वाण की प्रतिमा के पास गये । अद्भुत । प्रतिमा की विशाल भव्यता मन में नहीं अंट रही थी, वह केवल चकित कर रही थी । प्रतिमा नहीं, वह मनःशांति भी थी जो

चारों ओर अपनी स्वर्गिक आभा बिखेर रही थी। देखा कुछ विशिष्ट वेशभूषा और केश-विन्यास वाले युवा साहित्यकार वहां खड़े बात कर रहे थे। मैं उन्हें ललचायी आंखों से देखने लगा—न जाने कितने बड़े कवि होंगे ये। किसी ने कहा—“ये बनारस से आये हुए कवि हैं।” बनारस के नाम ने इन साहित्यकारों के प्रति मेरे आकर्षण को दुगुना कर दिया। उनमें से एक सज्जन विशेष आकर्षित कर रहे थे। बातचीत में उनके साथियों में से एक ने उनसे कहा—“भाई नरेश जी, आप तो कवि ठहरे, आप इस प्रतिमा की भव्य विराटता को शब्दों में बांध देंगे, हम शब्द नहीं पायेंगे।”

उस समय मैं घुंघराले बालों वाले विशिष्ट वेशभूषा वाले इस नरेश नामधारी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था। बाद में मालूम पड़ा कि ये नरेश मेहता थे।

चांदनी रात थी, हम कुशीनगर के खंडहरों में घूमते रहे। चांदनी रात में ये खंडहर अतीत की स्वप्निलता से और भर गये थे। इन खंडहरों में गीतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, संघ आदि के अनेक पढ़े-पढ़ाये, सुने-सुनाये प्रसंग जीवित हो रहे थे। कल्पना कितने दृश्य देख रही थी, कितनी आवाजें सुन रही थी, कितना कुछ छू रही थी। मेरे ही समान अनेक साहित्यकार इन खंडहरों में भटक रहे थे और अनंत कल्पनाएं अतीत की घाटियों में कुछ खोज रही थीं। पर्दे पर पर्दे उठ रहे थे। सच्चे अर्थों में मैं चकित था।

दूसरा दिन निकला—एक विशेष उल्लास लेकर। आज दोपहर बाद सभा का उद्घाटन होना था। विशेष आकर्षण था श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का आना। वे सभा के अध्यक्ष थे। उनके दर्शन और उनके भाषण के लिए हम सबको बहुत उत्सुकता थी। मुबह से ही लोगों का मिलना-जुलना शुरू हो गया था। एक कैंप के लोग सुनते थे कि दूसरे में कुछ कवि ठहरे हैं तो वहां जाते थे और आग्रहपूर्वक कविताएं सुनते थे। दर-असल वहां आने वाले सभी कवि ही या साहित्यकार ही नहीं थे, साहित्यप्रेमी, हिन्दी-प्रेमी लोग भी थे, हिन्दी के शिक्षक भी थे। वे साहित्यकारों को ज्यादा स्पृहा और सम्मान में देख रहे थे। छोलदारियां एक बड़े मैदान में पड़ी थी। जाड़े की खुशनुमा धूप में हम लोग घूम रहे थे, साहित्यकारों को पास या दूर से निहार रहे थे।

घूमते-घूमते गजपुर के लोककवि विद्युत जी मिल गये। उनसे मेरा परिचय बहुत पहले हो चुका था। विद्युत जी भोजपुरी कविताएं लिखते थे, स्वयं छपवाते थे और मेले-इटियों में घूम-घूमकर पुस्तकें बेचते थे। श्रीमानों के दरबारों में भी जाते थे। वे सच्चे अर्थों में मसि-जीवी कवि थे। सास-बहू संवाद, कली-पवन संवाद, गंगावतरण आदि कई पुस्तकें जनता में प्रिय हो चुकी थीं। विद्युत जी ने भोजपुरी भाषा के ठेठ मुहावरे को पकड़ा था—

हम त बड़े बाप क बेटी
 धई के चंपबां नरेटी
 तुहार सेखी जाई भूली एहि धरिया में
 या
 सुनऽ ननदी क भइया
 हम परीं तुहरे पइयां

नाहीं सोइब तुहरे सेज
हमके नइहर द तू भेज
अइया माहुर कूचि कूचि भुसुनाइल करेली

कविता की दृष्टि से गजपुर उस समय बहुत जरखेज था। मन्नन द्विवेदी के बाद जीवन जी थे। उसी समय गुणागर मिश्र आगर नाम के कवि विराजमान थे। विद्युत जी भी गजपुर के ही थे। विद्युत जी बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे किन्तु उनकी काव्य-प्रतिभा कमजोर नहीं थी। भोजपुरी में लिखी गयी उनकी कविताएं मुझे प्रभावित करती थीं। आज भी अच्छी लगती है किन्तु लोक-कवि यानी अपनी लोकभाषा में लिखने वाले अपढ़ या कम पढ़े-लिखे लोग खड़ीबोली में कविता लिखने वाले पढ़े-लिखे लोगों द्वारा उसी तरह उपेक्षित होते थे, होते हैं जैसे खड़ीबोली में लिखने वाले हिन्दी पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजीदां लोगों और लेखकों से होते हैं। बेचारे विद्युत जी किसी पद पर नहीं थे, पढ़े-लिखे नहीं थे, मेले-हटियों में अपनी कविताएं सुना-सुनाकर पुस्तकें बेचते थे और अपनी जीविका चलाते थे। क्या बुरा करते थे। इसी कारण लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, उन्हें मंगता कवि कहते थे। मेरे मन में इस कवि के लिए एक खाम इज्जत है। तब जितनी रही होगी उससे ज्यादा इज्जत।

हां, तो विद्युत जी के साथ आगे बढ़े तो दूसरे लोक-कवि श्याम जी मिल गये। धूप में बैठे पूजा कर रहे थे। उनसे भी मेरा परिचय बरहज में हो चुका था। वे जार के आसपाम के हैं। बरहज आया करते थे। आशु कवि हैं। उनके लिए सेठों के यहां प्रायः छोटे-छोटे मजमे जुटा करते थे और वे सेठों की प्रशंसा में आशु कविता सुनाया करते थे। विदाई के रूप में दो-एक रुपये पा जाते थे। श्याम भड़ती के स्तर के मजाकिया आदमी थे। उनसे एक बार वहां परिचय हुआ, फिर दो-एक बार और भेंट हुई। जान-पहचान हो गयी। विद्युत जी के साथ उनके पाम पहुंचा। माथ में कपिलदेव भी थे। दो-एक व्यक्ति और थे। जाते ही कहा—“श्याम जी, इनमे मिलिए, ये हैं लोक-कवि विद्युत जी।” एक लोक-कवि दूसरे लोक-कवि को सामने पाकर प्रतिस्पर्धा की मुद्रा में आ गया। पूजा करते-करते श्याम जी शरारत से मुसकराये और विद्युत जी पर मजाक का एक भभका छोड़ दिया। विद्युत जी भी प्रतिस्पर्धा में आ गये, लेकिन वे एकदम सीधे-सादे आदमी थे, श्याम जी के प्रहार मे आहत होकर मजाक का कोई तीर छोड़ने के स्थान पर अपनी कविताएं सुनाने लगे और सीधे आक्रोश में बोले—“है तुम्हारे पास इस कविता का जवाब ? है तुम्हारे पास ऐसी कविता ?”

श्याम जी फिर शरारत से मुसकराये और पूजा पर बैठे-बैठे ही विद्युत जी के शरीर पर आशु कविता पढ़ने लगे, जिसके कुछ शब्द याद हैं—

गोभी की गांठ ऐसा चेहरा तुम्हारा बना

सभी लोग हंसने लगे। विद्युत जी के चेहरे की ऐसी सटीक उपमा से मैं चकित हो गया। भांडू जैसा लगने वाला यह हास्य-रस का कवि केवल मजाकिया ही नहीं है, उसमें पर्यवेक्षण की गहरी शक्ति है। वह कितनी आसानी से सटीक उपमाएं चुन लेता है।

बेचारे विद्युत जी रुआंसा हो गए और हम लोग कुछ देर बाद वहाँ से सरक गए।

उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के दर्शन की कामना पूरी हुई। एक सज्जन देवरिया के इतिहास पर बोल रहे थे। बहुत अच्छी हिन्दी में साफ-सुथरे ढंग से वे देवरिया के सांस्कृतिक और राजनैतिक इतिहास पर बोल रहे थे। मैं उनसे प्रभावित हुआ। मालूम हुआ कि वे हिन्दू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर डा० राजबली पाण्डेय हैं। प्रोफेसर पद की गरिमा से मेरा मन यों ही अभिभूत था, डा० राजबली पाण्डेय जैसे प्रोफेसर को देखकर वह और भी प्रभावित हो उठा। यह भी ज्ञात हुआ कि वे देवरिया जिले के जमिरा गांव के हैं। गोरखपुर के कालेजों के भी दो-एक प्रोफेसर बोले। अंत में टंडन जी बोले। क्या वक्तव्य था, क्या ढंग था ! हिन्दी और देश के प्रति स्वाभिमान की गूँज-अनुगूँज से भरा उनका भाषण निर्भीकता से अंगरेजों और उनकी व्यवस्था पर प्रहार कर रहा था। लगता ही नहीं था, सन् '42 के आंदोलन के बाद अंगरेजी अत्याचार से वे कहीं आतंकित हैं। समग्रतः उस सभा का अनुभव मेरे जीवन का एक मूल्यवान अनुभव है। उद्घाटन समारोह के बाद अद्भुत ऊर्जा और उत्साह वातावरण में व्याप्त हो गया था।

तिजहर को देखा। पड़रौना के कवि इंदु जी जीप में उतर रहे हैं कुछ लोगों के साथ। उन लोगों को देखा, पहचाना। उनमें एक थे बेघड़क जी। संभवतः शंभुनाथ जी भी थे। बाकी को नहीं पहचानता था। धीरे-धीरे उन्हें भी जान गया। इंदु जी से मेरा परिचय था। उन्हें ही सबके नाम बताये। एक थे ईश दत्त शास्त्री श्रीश, एक थे त्रिगुणायत जी, एक थे लालधर त्रिपाठी प्रवासी और कई लोग थे। गोरखपुर के कवि तो थे ही।

रात को कवि-सम्मेलन शुरू हुआ। बेघड़क जी ने कविता सुनाई थी—

मैं सुंदर और असुंदर दोनों साथ-साथ

श्रीश जी ने अपने अत्यन्त मधुर कंठ से अपनी एक राष्ट्रीय कविता सुनाई—

सो रहा था वन में अभय होके सिंह एक

रखकर पांव लतिका के पायताने पर

कवि-सम्मेलन खूब जम रहा था। स्थानीय कवियों में जब श्याम जी का नाम पुकारा गया तो वे मंच पर आये और आशु कविता के मूड में आ गये। उन्होंने बेघड़क जी की कविता की पैरोडी सुना मारी—

मैं सुन्नर और असुन्नर दोनों के साथ-साथ

बेघड़क कवि की कविता बड़ी ऊंच

जैसे नारी के अघर कूच

निरगुनिया अउरी हुन्नर दोनों साथ-साथ

लोग हंस रहे थे। बेघड़क जी को बुरा लगा। वे मंच से उठकर चले गये। उनके साथ काशी के अन्य कवि भी चले गये। सम्मेलन उखड़ गया। सुबह मालूम हुआ कि

काशी के कवि श्याम जी और संयोजकों पर बहुत नाराज थे ।

दूसरे दिन भी कई विचारगोष्ठियां होनी थीं, कई प्रस्ताव पास होने थे । पहली सभा में टंडन जी आये । उनके आने के बाद एस० पी० के नेतृत्व में पुलिस का एक दस्ता आया और एस० पी० ने स्टेज पर आकर टंडन जी से कहा—“आपने कल आपत्तिजनक भाषण दिया था, आपके विरुद्ध वारंट है । आपको अरेस्ट किया जाता है ।”

धबराहट मच गयी, किन्तु टंडन जी प्रकृतिस्थ रहे, मुसकराते रहे । उठे और कहा—“पाच मिनट का समय देंगे ताकि मैं कुछ कपड़े ले सकूँ ?” एस० पी० बहुत अदब के साथ पेश आ रहा था । उसने कहा—“शयोर-शयोर, आप जितना चाहे समय ले लीजिए ।”

टंडन जी उठे । सभा उजड़ गयी । वे अपने ठहरने के स्थान पर गये । पुलिस बाहर खड़ी रही । टंडन जी अपने कुछ कपड़े लेकर बाहर निकले । बोले—“चलिए ।” जीप में बैठे । चले गए । वहां बच गयी एक उदासी, चर्चाओं की भनभनाहट । बाद में सारे कार्यक्रम पूरे हुए लेकिन खाना-पूर्ति के लिए । वह उत्साह, वह जीवंतता नहीं रही । तीसरे दिन हम लोग लौट आये ।

19

तीसरा वर्ष आ गया । यानी सन् 1945 । इस साल मैट्रिक की परीक्षा देनी थी । हम लोगों ने हिन्दू विश्वविद्यालय की एडमिशन (मैट्रिक) परीक्षा की तैयारी की थी, अतः परीक्षा देने बनारस जाना था । मेरी तैयारी ठीक नहीं लग रही थी । अंगरेजी बहुत ही कमजोर थी । हिसाब में बीजगणित की भिन्न मे मैं बहुत खोफ खाता था, किन्तु अंक-गणित और ज्योमेट्री में मेरी बहुत अच्छी गति थी इसलिए मैं हिसाब से आश्वस्त था । अन्य विषयों में कोई चिन्ता नहीं थी । ज्यों-ज्यों परीक्षा नजदीक आ रही थी, अंगरेजी मुझे आतंकित कर रही थी । उससे अनबन थी और वह अभी तक बसी हुई है । प्रथम मिलन में ही हम दोनों एक-दूसरे को नहीं भाये और प्रथम मिलन की वह अप्रीति कभी भी प्रीति में नहीं बदली । उसने मुझे जगह-जगह मारा है, लेकिन मैं उसकी मार खाकर भी रोया नहीं और न उससे आतंकित हुआ । वह जाने कितनों के सिर पर चढ़कर इतराती रही । उन्हें बड़े-बड़े पदों, सामाजिक स्तरों, समृद्धि की सीढ़ियों पर ऊपर की ओर खींचती रही और घोड़े की कलगी की तरह लहराती रही । वह न जाने कितने बच्चों की सीधी-सादी गति को बक्रता और ऐंठन की भंगिमा प्रदान करती रही और उन्हें धीरे-धीरे अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक परंपरा के प्रति उपहास-भरी हंसी हंसना सिखाती रही, लेकिन मैं अपनी भाषा के प्रति अभिमानशील बना रहा, बहुत अच्छी अंगरेजी न आने की कोई कुंठा, कोई हीनता नहीं पाली । उसके द्वारा लये धारों

को अपनी भाषा का प्यार, उसकी मातृ-सुलभ ममता, मित्र-सुलभ सुखात्मक-दुःखात्मक संवाद, पितृ-सुलभ आश्वस्तिकारी स्पर्श भरता रहा। अंगरेजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसकी पीडा कम व्यापी, अपनी भाषा ने मुझे कितना कुछ दिया इसका सुख अधिक से अधिक मुझे भीतर से भरता रहा। मर-मरकर जीती, गिर-गिरकर उठती, रो-रोकर हंसती, टूट-टूटकर जुड़ती, धरती के रस में भीगती, प्रकृति के क्रोध से आहत, उसकी हंसी में धूप की तरह खिलखिलाती, देशी जनता से जुड़ी, इस भाषा ने मुझे पद-वैभव या सम्मान के रंगीन मायाजाल में खोने से बचा लिया और एक देशी समझ और देशी स्वाभिमान दिया।

जब अपने बारे में सोचता हूँ तो इस देश के उन अनंत प्रतिभाशाली बच्चों, किशोरों और युवाओं की भीड़ सामने उतरा जानी है जो अंगरेजी के मोह से ग्रस्त और उसके प्रसाद से विन्यस्त एक नकली ऊँचे समाज के शिकार होकर अपमान सहते हैं, बेकारी झेलते हैं या नीचे की श्रेणी के नीकर बनकर रह जाते हैं। उनकी प्रतिभा अंगरेजी के षड्यंत्र का शिकार बनकर रह जाती है। आजादी मिले कितने वर्ष हो गए, हिन्दी और देशी भाषाओं को उनका प्राप्य मिलने नहीं दिया गया। राजनेता, उच्चपदस्थ अधिकारी, व्यवसायी सभी तो जनता में अपना वैशिष्ट्य बनाये रखना चाहते हैं। वे सामान्य जनता के स्तर पर नहीं आना चाहते। इसके लिए सबके सशक्त माधन है अंगरेजी देवी को बनाये रखना। मौके-मौके पर राजनेता हिन्दी या देशी भाषाओं के विकास पर भाषण दे देंगे, लेकिन उनकी वाणी तो अर्थ खो चुकी है न ! वे तो केवल शब्द बोलते हैं—अर्थहीन शब्द। अफसर लोगों को अंगरेजी के ही सहारे देश और विदेश में वह सब कुछ मिल जाता है जो देशी भाषा के पारंगतों को कभी नमीब नहीं हो सकता। वे क्यों चाहेंगे कि देशी भाषाओं में काम हो ? हिन्दी सलाहकार समितियों के आने पर वे हिन्दी-प्रेम दिखायेंगे, समिति के जाते ही मुसकरायेगे—“बड़े आये थे हिन्दी का विकास करने। गंवार देसी लोग !”

अंगरेजी मेरे जैसे गंवार लोगों को भले न ललचाती हो, बहुतों को खूब आकृष्ट करती है और वे अपना सारा देमीपन झाड़-फूंककर उसकी खिदमत में अपने को समर्पित कर देते हैं और उसकी नकली चमक से गौरवान्वित अनुभव करते हैं या उसके अभाव में हीनता-बोध के शिकार हो जाते हैं। दिन-रात सोचते हैं—हाय, यदि अंगरेजी की कृपा मुझ पर हो गयी होती तो मैं क्या से क्या बन गया होता ! इसी हीनता-बोध के क्रम में वे अपनी टूटही अंगरेजी हांकते रहते हैं और अपने छोटों पर रोब गालिब करते रहते हैं तथा अच्छे अंगरेजीदां लोगों के उपहास-पात्र बनते रहते हैं। वे ये नहीं प्रकट करना चाहते कि उन्हें अंगरेजी नहीं आती। मैंने विश्वविद्यालय या कॉलेज की अनेक बैठकों में यह अनुभव किया है। जाहिर है वहाँ लोग अंगरेजी में ही बोलते हैं, किन्तु हिन्दी में बोलने की मनाही नहीं होती किन्तु तो भी साहब, कई संस्कृत, उर्दू और हिन्दी के लोग अंगरेजी में ही बोलने का प्रयत्न करते हैं, भले वे अपनी टूटही अंगरेजी के कारण उपहासास्पद लगते हों। जब कोई व्यक्ति हीनता ग्रंथि का शिकार हुए बिना हिन्दी में बोलता है तो कई और लोगों को बल मिल जाता है और बैठक की भाषा में

हिन्दी भी चलने लगती है।

मैं कहां मे कहां चला गया। लगता है, मैं अपनी अंगरेजी की कमजोरी को तर्क-संगति प्रदान करने लगा। खैर, जो भी हो साहब, मेरी अंगरेजी अच्छी नहीं थी और डर था कि क्या होगा? निश्चित दिन हम बनारस के लिए रवाना हुए। पंडित जी थे और हम पांच विद्यार्थी थे—मैं, कपिलदेव, कपिलदेव साही, विक्रमादित्य द्विवेदी और बीर बहादुर सिंह। बड़हलगंज में नाब से सरयू पार के दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। नाब की अपनी गति होती है। गाड़ी छूटने का समय हो रहा था, हम धबरा रहे थे। पार उतरते-उतरते समय हो गया और दूर से ही देखा कि गाड़ सीटी देकर हरी झंडी दे रहा है। हम सामान लिए लदर-फदर दौड़ने लगे। निश्चित हो गया था कि पहुंचते-पहुंचते गाड़ी छूट जाएगी, फिर भी दौड़ रहे थे। गाड़ी रुकी रही। हम पहुंच गये तो देखा गाड़ हरी झंडी दिखा रहा था। उसने कहा—“मैंने आप लोगों को देख लिया था, बैठिए, टिकट गाड़ी में ही ले लीजिएगा।” हमने आभार व्यक्त किया। गाड़ी चल पड़ी।

बनारस में हम जहां ठहरे, वह जगह एक सिनेमा हॉल के पीछे थी। सिनेमा हॉल से निरंतर गाने उठते रहते थे। सिनेमा हॉल के एकदम पीछे एक कोठी थी जिसकी छत पर एक सुन्दरी दिखाई पड़ती थी। सिनेमा हॉल, उसके भीतर से उठते हुए गीत, सिनेमा हॉल के भीतर चलता स्वप्निल लोक और हॉल के पास एक नागरिक सुन्दरी, हम देहातियों के लिए यह सचमुच बहुत मोहक परिवेश था। अब मेरे भीतर रूमानियत की तड़प जाग चुकी थी, सुन्दर स्त्रियां अच्छी ही नहीं लगती थी, लुभाती भी थीं, लेकिन नागरिक स्त्रियों का साहचर्य अपने लिए एक मोहक सपना मात्र था। उन्हें दूर से और छिपकर देखने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता था, कल्पना में उनके साथ हो लेने की यात्रा चलती रहती थी। मेरे साथ के युवक भी इसी स्थिति और मनःस्थिति के थे। रोज नये-नये प्रश्न-पत्रों की तैयारी करनी होती थी, किन्तु उस युवती का जादू कुछ ऐसा छा गया था कि हम लोग पढ़ते-पढ़ते उसकी छत की ओर देखने लगते थे। यदि वह होती तो उसे देखते। विक्रमादित्य धीरे-धीरे कोई फिल्मी गीत गुनगुनाते—यदि पंडित जी कहीं बाहर गये हुए होते तो। शाम को घूमने निकलते तो चौक में, गोदौलिया पर दशाश्वमेध घाट पर नारी-सौंदर्य की रगीनियों के प्रवाह में बह जाते। परीक्षा-भवन जाते तो वहां एक से एक मुन्दर लड़कियां दिखाई पड़तीं। मन एक खुशबू से भर जाता। उस खुशबू-भरी मनःस्थिति को कोई नाम नहीं दे सकता। उस अवस्था की खुशबू फिर लौटकर नहीं आती। चाहे बाद में फूल कितने ही मिल जायें। उम समय किसी फूल की प्राप्ति के बिना ही एक महक उठ रही थी—शायद वह महक कस्तूरी मृग की तरह अपने ही मन के भीतर की थी, जिसे बाहरी दुनिया ने अपने कोमल स्पर्श से जगा दिया था। परीक्षा की मानसिकता के साथ यह खुशबू की मानसिकता प्रतिस्पर्धा कर रही थी। जो भी हो मेरा स्वभाव संयम का रहा है, मैं मन के भीतर उठने सारे मधुर कोलाहल को पीकर सामाजिकता या कर्तव्य के प्रति अपने को जोड़े रहने में काफी दूर तक सफल हो जाता हूं। इसे अचेतन की उद्दामता पर

चेतन का दबाव भी कह सकते हैं, एक अर्थ में इसे मेरी भीरता भी कह सकते हैं। भीतर-भीतर किसी चीज को चाहते हुए भी मैं उसके लिए सामाजिक लांछन लेना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि मेरी यह भीरता अच्छी ही है। सामाजिक लांछन से बचने का भय ठीक ही है, नहीं तो दुनिया में ललचाने वाली वस्तुओं का कहीं अंत है क्या? क्या लोभी मन स्वभावतः एक लुभाने वाली वस्तु से दूसरी पर नहीं उड़ता फिरता? इस तरह यदि हर अच्छी लगने वाली वस्तु को भोगने का साहस आ जाए तो फिर सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका परिणाम क्या होगा? समाज को तोड़ने से बेहतर है अपने को संयम में रखना—यह संयम चाहे विवेक से उत्पन्न हुआ हो चाहे भय से। वह संयम अविवेक या दुस्साहस से उत्पन्न मर्दानगी से मूल्यवान है। याद रहे, मैं ये बातें यहां एक विशेष संदर्भ में यानी नारी और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण और प्राप्ति के संदर्भ में कह रहा हूँ।

परीक्षा दे आया और काफी दिनों तक बनारस की रूमानी महक मेरे भीतर बनी रही। एक इच्छा मन में बार-बार उठती कि काश, कोई प्रेयसी होती। कवियों की कविताएं पढ़-पढ़कर—विशेषतया छायावादी कविताएं पढ़-पढ़कर ऐसा लगने लगा था कि कवियों की प्रेयसी जरूर होती हैं, अधिक नहीं, तो कम-से-कम एक जरूर। प्रेयसी कविता की प्रेरणा होती है। इतने सारे आंसू, इतनी सारी मस्ती, इतने सारे उलाहने, इतनी सारी बेचैनियां, मिलन के इतने सारे सपने आखिर किसके लिए हैं और कहां से आते हैं? सबके मूल में प्रेयसी ही है न। और यह सोचकर अपने प्रति कितना खालीपन अनुभव होता था कि पंत, प्रसाद, निराला, बच्चन आदि शहरी कवि प्रेयसियों से कितने भरे-पूरे रहे होंगे। देहात में प्रेयसी कहां मिल सकती है? एक तो ये गांव की लड़कियां—सम्बन्ध मे बहनों या बुआ या बेटियां, दूसरे अपढ़। ये कविता क्या समझेंगी? किसे सुनाऊं अपनी कविता की व्यथा? ...मन यों ही खाली-खाली भटक रहा था। घर-गृहस्थी का काम-धाम करते हुए भी मन में एक काल्पनिक प्रेयसी का सपना भरे जी रहा था। तभी एक ऐसा प्रसंग आया कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया।

मेरी छोटी बहन कमला के गौने का दिन घर गया था। विदाई के दर्द का भारी अहसास घर के कोने-कोने में, व्यक्ति-व्यक्ति के मन में पसर गया था। कमला सबसे छोटी थी, सबकी प्यारी। प्यारी बच्ची के चले जाने का एहसास लिए हर व्यक्ति भीतर-भीतर रो रहा था, एक-दूसरे से आंखें चुरा रहा था। वह मेरे तो बहुत ही निकट थी। उसका जन्म मेरे बाद हुआ था, इसलिए हम साथ खेले भी थे, रोये-गाये भी थे। मां के साथ ननिहाल गयी थी। दो महीने बाद जब वह मां के साथ लौटी थी तो मैं उसे गोद में लिये-लिये गांव घूम आया था। बचपन में ही एक बार हम बगीचे में आम बीन रहे थे। बहुत तेज आंधी आयी—बुढ़िया आंधी थी। कमली मेरे साथ थी। हम दोनों आंधी में उड़ चले। मैंने उसे पकड़ रखा था और जाकर एक पेड़ से टिक गया। तब तक एक डाल टूटी और उसका एक हलका आघात मेरी बांह पर टूटा। मैं वहां से कमली की बांह पकड़े बगीचे से बाहर भागा और खंदक में जाकर ठहर गये। देखा, वहां बहुत-से डरे हुए लोग पहले से ही शरण लिए हुए थे। डर रहा था कि आंधी यहां

से भी न उड़ा ले जाय। फिर तेज बारिश शुरू हो गयी। कमली डर से और भीगने से हलहल-हलहल कांप रही थी और मैं अपने डर तथा कंपन को दबाए उसे आश्वस्त करने में लगा था। ज्योंही आंघी-पानी का जोर खत्म हुआ, मैं उसे गोद में उठाये घर की ओर भागा कि फिर से न आंघी आ जाये। देखा—तमाम लोग बगीचे की ओर भागे जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों ये लोग आफत की ओर लपके जा रहे हैं। घर आया तो राहत की सांस ली। मां ने कहा—“बेटे, आंघी-पानी मे तो तुम बगीचे में रहे, जब आंघी-पानी थम गया और गिरे हुए आम बीनने की बारी आयी तो घर भाग आये।” मैं फिर बगीचे की ओर भागा, तब तक लोग-बाग आम बीन चुके थे।

ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं, कितने ही प्रसंग हैं, जो याद आ रहे थे। कमली रोती थी तो कलेजा फट जाता था। मैं बचता फिरता था, लेकिन जब कभी पकड़ में आ जाता, कमली मेरे पांव से चिपट जाती और ‘आरे ए मोर बाबू’ कहकर जो रोना शुरू करती, तो मेरा अस्तित्व पिघलकर बहने लगता। रो-रोकर बहन जाने कितने प्रसंग याद करती और कराती और मैं बुक्का मारकर रोने लगता। कोई यहां रोता, कोई वहां रोता। एक के रोने से पूरे घर में रोने की लय उठती चली जाती और पूरा घर विलाप का एक समवेत संगीत बन जाता। भइया भी कमली को बहुत मानते थे। वे बड़े होने के कारण तथा बचपन से ही मुसीबतों से जूझने के कारण अपने को सयत बनाए हुए थे। वे खाट पर स्तब्ध पड़े रहते। मैं स्वभाव से भावुक हूँ। मुझे तो दूसरों की बहन-बेटियों की बिदाई भीतर तक हिला जाती थी, यह तो अपनी बहन थी। पिता भी भभा-भभाकर रो पड़ते थे। मां की वेदना का तो कोई अंत नहीं था। भाभिया अलग रो रही थी।

इस परिवार के मन में एक डर बसा हुआ था। बड़ी बहन की दुर्दशा और अमानवीय अंत का त्रासद अनुभव सबके अंतर्मन में था। सबकी आत्मा मानो मौन रूप से चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी—“हे ईश्वर, इस बेटे की रक्षा करना, इसे वह दिन मत दिखाना जो बड़ी बेटे को दिखाया था।” बहुत रोकने पर भी बड़ी बहन की कष्टपूर्ण जीवन-कथा मेरी चेतना को झकझोर-झकझोर उठती थी। तब मैं छोटा था। मझले भाई और मैं दोनों बहन के बारे में बात करते थे। कल्पना करते थे कि खूब सुखी होगी। हम अपनी गरीबी के विपरीत उसकी समृद्धि की कल्पना करने थे। आपस में कहते थे—खूब अच्छा खाती-पीती होगी, पहनती-ओढ़ती होगी। लेकिन एक दिन जब उसकी कथा जानी-समझी तो टूट-टूटकर बिखर गये। एक दिन देखा—पिताजी बहन की डोली लिए घर आये। हम बहुत खुश हुए, बहन आयी, बहन आयी—लेकिन जब उसे डोली में से उतारा गया तो देखकर सन्न रह गया—अरे, यह तो बहिनिया नहीं है, कोई और है। मैं डर से थोड़ा पीछे हट गया। बहिनिया मुसकरायी। आह, वह मुसकराहट कितनी दर्दनाक थी जैसे किसी मुर्दे के मुह पर मुसकराहट चिपका दी गयी हो। मैं बच्चा था। उसे देख-देखकर लगता था कि कुछ है जिसे मैं समझ तो नहीं रहा हूँ किन्तु अनुभव कर रहा हूँ। एक दिन देखा कि लोग रो-पीट रहे हैं और बहिनिया की लाश घर के बाहर लिटा दी गयी है। मां का विलाप कलेजा फाड़ रहा था।

जब मैं कुछ सयाना हुआ और बात को समझने लगा तो बहिनिया की कथा पकड़ में आयी और यह बात भी समझ में आयी कि यह कथा बहिनिया की ही नहीं है, यह हमारे देश के, विशेषतया गांव के अनेक घरों की लड़कियों की है। बहिनिया ने गवने के साल-भर के भीतर ही ससुराल में न जाने कितने नरक भोग लिये। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने मां से कहा था—“माई, मेरे मरने की खबर उन पापियों को मत देना।” कितनी गहरी पीड़ा की व्यंजना थी इस कथन में ! लाश छूना और दाह-कर्म करना तो दूर रहा, मरने का समाचार भी उन सबों को छूकर अपवित्र न हो जाय। उन सबों में वह पति भी शामिल था जिसे नरक भोगती हुई भी भारतीय पत्नी कहीं-न-कहीं पकड़े रहती है। बहिनिया की पीड़ा से उपजा हुआ यह विद्रोह भाव कितना प्रामाणिक और मूल्यवान था कि यह पति पति कहाने लायक नहीं है, उस हरामजादे को मेरी मौत का समाचार पाने का भी हक नहीं है, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती, मेरा रोम-रोम उसे शाप दे रहा है—नरक का यह कीड़ा नरक में ही जाय।

बहिनिया को शैशवावस्था में जितना देखा और जाना था उतना बहुत अच्छा लगने वाला था, लेकिन अधिक को जाना उसके मरने के बाद—समझने लायक होने पर। उसे मां के गुण मिले थे। सुन्दर थी, गुणी थी, अच्छा कंठ मिला था, हंसमुख थी, गांव में वह अपनी सखियों की अगुवा थी। पिताजी का खुला शासन था, वह अकुंठ भाव से गाती-बजानी उड़ती-फिरती थी; मेलों, पर्वों, त्योहारों, शादियों आदि के सांस्कृतिक अवसर उसके संगीत और उल्लास में धन्य हो उठते थे। सीना-पिरोना, अच्छा खाना बनाना आदि घरेलू कार्यों में वह अत्यंत निपुण थी। गरीबी के क्रूर दबाव में पिसते हुए भी पिता जी ने कर्जा लेकर धूमधाम से उसका विवाह किया था। विवाह की धूमधाम की वर्षों चर्चा होती रही।

फिर क्या कमी थी जिसके कारण उसे यह मौत मरनी पड़ी ? मां बताती है, सास चुड़ैल थी, ननद डायन थी, मरद कायर था, समुर सास की हुकूमत में था। वे गरीब नहीं थे फिर भी बहिनिया को भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। सारा काम बहिनिया को ही करना पड़ता था। जितनी बार वह ट्वायलेट जाती उसे नहाना पड़ता—जाड़ों में भी। बीमार पड़ गयी। बीमारी में भी उसे काम करना पड़ता, नहीं कर पाती तो उसकी पिटाई होती, उसके बाल खींचे जाते, आंगन में घसीटा जाता, पिताजी का नाम ले-लेकर गाली दी जाती। इतिहास बार-बार एक चक्रव्यूह को मुहावरे के तौर पर याद करता है जिसमें सात महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, किन्तु चक्रव्यूह के अनुभव के लिए सुदूर इतिहास में जाने की क्या आवश्यकता है ? क्या ससुराल जाने वाली प्रत्येक लड़की अभिमन्यु नहीं है ? अभिमन्यु तो अपने विरोधियों के विरुद्ध युद्ध करना हुआ, उन्हें मारता हुआ मरा, वह लगातार उसका भेदन कर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की को किसी के विरुद्ध लड़ने का न अधिकार है न शक्ति। उसे मारने वाले सारे लोग उसके लिए पूज्य हैं, उनके सारे अत्याचार नैतिकता के नाम पर स्वीकार्य हैं।

सोचता हूं तो अजीब लगता है न ! मां-बाप, भाई-बहन, सखियों के बीच हंसती-

चहचहाती, पंछी की तरह उड़ती लड़की सुखी दांपत्य जीवन के नाम पर एकाएक अजनबियों के बीच ठेल दी जाती है। वहां उसका कोई नहीं, हर व्यक्ति जैसे उससे तना हुआ, उसका इम्तहान लेता हुआ, फेल करता हुआ, दंडित करता हुआ, ताने मारता हुआ। और वह जाल में पड़े पंछी की तरह फड़फड़ाती है। फड़फड़ाती भी नहीं, चुपचाप पड़ी होती है। वह भीतर-भीतर आंसू बहाती है, मायके के दिन याद करती है। इन अजनबियों के बीच यदि पति सहानुभूतिशील मिल गया तो वह ये पहाड़ से दुःख भी काट लेती है, नहीं तो उसे उठाए हुए खंड-खंड होती रहती है। सबसे कष्टकर पहलू तो यह है कि वह सास जिसकी बेटी ससुराल जाने की उम्र में आ रही होती है, वही बहू पर सबसे अधिक कहर ढाती है, वह एक पल भी नहीं सोचती कि उसकी बेटी भी तो बहू बनकर ससुराल जाने वाली है, उसके माथ भी यही सब हुआ तो क्या होगा? लेकिन नहीं, वह तो अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचती है, यानी वह दूसरे की बेटी को चाहे जितनी भी ताड़ना देने की अधिकारी है, उसकी बेटी को कोई कुछ न कहे। लोग उस पर प्यार की वर्षा करें। और वह बेटी जो खुद बहू बनने वाली है, अपनी भाभी पर कितना कहर ढाती है। न जाने कितनी विकृत चुगली, कितनी गालियां, कितनी शिकायतें वह भाभी के प्रति उगलती रहती है। यातना देने और यातना पाने का कितना लम्बा और अटूट सिल-सिला चला आ रहा है!

बहिनिया आयी तो लगा कि उसकी पीठ घोबी का पाट हो गयी है, रूखे-सूखे उलझे हुए बाल जिनमें जू रेंग रही थीं, शरीर पर जगह-जगह पिटने के निशान, आंखों में रक्तहीन शून्यता, कंठ में अटकती हुई आवाज। मां देखते ही धाड़ मारकर रो उठी थी। फिर वही सवाल—बहिनिया क्या केवल मेरी बहिनिया थी? नहीं, तमाम लोगों की बहिनियों का यह हाल है। उन बहिनियों का भी यही हाल है जो मायके में भाभियों का यह हाल बनाने में सहायक होती हैं। यह दर्द मेरा नहीं है, न जाने कितनों का है। लोक-गीत लोक के दर्द के गीत होते हैं और बहिनियां की स्थिति की कल्पना के साथ मुझे एक लोक-गीत याद आ रहा है—भाई बहन के घर गया है। उसका हालचाल पूछता है। बहन हालचाल बताती है—

पीठि देख ए भइया पीठि देख
जइसे कि घोबिया क पाट हो
मूड़ देख ए भइया मूड़ देख
जैसे कुकरिया क पोँछि हो
नव मन कूटी ले, नव मन पीसी ले
नव मन सीझेली रसोई हो
पिछली टिकरिया भइया हमरी भोजनिया
ओहू में कुकुर बिलारि हो
ई दुखवा जनि कहिह बाबा से भइया हो
सभवा बैठि गुरझइहनि हो
ई दुखवा जनि कहिह मइया से भइया हो

छतिया फारि मरि जइहन हो
 ई दुखवा जनि कहिह बहिनी से भइया हो
 सुनि ससुररिया न जइहनि हो
 ई दुखवा जनि कहिह भउजी से भइया हो
 दुई चारि घर बांठि अइहनि हो
 ई दुखवा बांघ भइया अपनी पगड़िया
 जहवां खोलउ तहवां रोयउ हो—

बहिनिया चली गयी। मां की ममता, पिता का दुलार कोई भी उस जर्जर यौवन को नहीं बचा सका। क्यों चली गयी, क्यों चली जाती हैं डेर-की-डेर लड़कियां, क्यों जला दी जाती हैं मेहंदी लगे हाथ वाली जवानियां, क्यों बसंत के सपनों-भरी आंखों में मौत का तेजाब फेंक दिया जाता है? कौन देगा उत्तर? मैं? आप? वे? शायद सभी को उत्तर खोजना है, क्योंकि सभी एक-दूसरे की आग में झुलस रहे हैं।

कब जायेगी इन लड़कियों के भीतर एक आग जो उनके भीतर आत्मा के चारों ओर ताने गये मर्यादा, नैतिकता, सनातन सम्बन्धों आदि के मिथ्या आवरणों को जलाकर उन्हें अपनी मानवीय अस्मिता का बोध करायेगी। उनकी अपनी आग ही उन्हें बचा पायेगी। पुरुष-प्रधान अर्थलिप्सु समाज में उन्हें दूसरों की महायता की आशा नहीं करनी चाहिए, उनकी अपनी आग ही जगनी चाहिए। जगने की शुरुआत तो हो गयी है लेकिन गति बहुत मंद है।

इसलिए कमली की विदाई के समय अलग होने के दर्द के साथ बहिनिया की पीड़ा की आशंका प्रत्येक व्यक्ति के मन को मथ रही थी। यद्यपि बहिनिया की ससुराल-कथा के अनुभव के कारण कमली के घर-दर के चुनाव में बहुत सावधानी बरती गयी, सम्पन्न परिवार चुना गया था, पूछताछ कर पता लगा लिया गया था कि घर के लोगों का स्वभाव कैसा है। परसिया गांव की चर्चा बरहज-यात्रा के संदर्भ में कर चुका हूँ जहां मैं अपने चचेरे जीजा रामनिहोरा तिवारी और अपनी मौसी से आपकी पहचान करा चुका हूँ। उसी गांव में कमली की शादी तय हुई थी। उस गांव में हमारे गांव के अनेक सम्बन्धी थे, अतः वास्तविकता का पता लगाने में कठिनाई नहीं हुई थी। लेकिन वास्तविकता क्या वास्तव में इतनी आसानी से पूछताछ करके जानी जा सकती है? जब हम अपनी ही वास्तविकता आसानी से नहीं जान पाते तो दूसरों की क्या जान पायेंगे? सो, इतनी पूछताछ के बाद भी मन डरा हुआ था कि पता नहीं सास कैसी होगी, ससुर कैसे होंगे, भसुर कैसे होंगे, ननदें क्या भूमिका अदा करेंगी और सबसे बड़ी बात यह कि पतिदेव का क्या 'रोल' होगा? शादी में सारे पुरुषों की हलकी-हलकी पहचान हो गयी थी और मन उनकी सज्जनता के प्रति आश्चस्त था, लेकिन औरत के लिए सबसे बड़ा खतरा तो औरत होती है न, इसलिए घर में बैठी हुई सास, बैठानी, ननद का क्या रूप होगा, इसी की अनिश्चितता इस विदाई को अतिरिक्त वेदना प्रदान कर रही थी।

कैसा है लड़कियों का जीवन! मायके में रह नहीं सकतीं। वहां रखी तो जीवन कुंठित हो जाय। एक जीवनसाथी का साथ होना सारे साथों के ऊपर होता है। उसके

लिए लड़की किशोरावस्था से ही कितने सपने मन में संजोती है, कितने व्रत रखती है, कितनी मनौतियां मानती है। इसलिए मायके के भरे-पूरे घर में अपनों के बीच वह एक उम्र में बेगानी हो जाती है। और जब उस बेगानेपन को तोड़ने के लिए जीवनसाथी के घर जाती है तो पीछे पीड़ा से हाहाकार करता हुआ मायके का परिवार उसे पकड़कर अपनी ओर खींचता है, दूसरी ओर जीवनसाथी के साथ जहां पहुंचती है वह परिवार उसे बेगाना समझने लगता है। हर बात में उसकी आलोचना होनी है, हर काम में नुकस निकाला जाता है और जैसे पूरा एक अजनबी परिवेश उसका इम्तहान लेता है और वह उस परिवेश में गिरती-पड़ती, अपने भरे-पूरे मायके को याद करती है। धीरे-धीरे उस अजनबी परिवेश की चोट सहते-सहते उमे अपना लेती है। यही है उसकी नियति, यही है उसका घर, चाहे जैसा भी हो, यहां से कहां जाना ?

कमली विदा हो रही है। मां, भाभियों, सखियों सभी को भींच-भींचकर रो रही है। सभी उसे भींच-भींचकर रो रहे हैं। पिता और भाइयों के पैर पकड़-पकड़कर वह रो रही है। मैं भीतर से फटा जा रहा हूं। चाहता हूं, भागकर कहीं छिप जाऊं, लेकिन आज छिप भी कैसे सकता हूं? डोली विदा होकर गोइंड के खेत में उतर गयी है। सखियां भेंट रही हैं। बहन गांव-गिरांव के हर दृश्य को आंखों में भर लेना चाहती है। सभी छूट रहे हैं, न जाने फिर कब आना हो, इनके बीच स्वच्छंदता से फिर उड़ने-विचरने का अवसर मिले न मिले। विदा-विदा मेरे खेतों, विदा मेरे वृक्षों, विदा मेरे ताल-तलैयां, विदा मेरे पशु-पक्षियों, विदा मेरे पर्व-त्योहारों, विदा मेरी सखियों, विदा मेरे भाइयों, विदा मेरे बाबुल, विदा मेरी मां आं आं आ...। कमली चिल्ला उठी थी, डोली उठ गयी थी।

भइया खाट पर कटे रख की तरह पड़े थे। मुझे आदेश हुआ था कि मैं चौरी-चौरा स्टेशन तक कमली के साथ जाऊं। मेरे लिए यह थोड़े संतोष की भी बात थी कि अभी चार-पांच घंटे तक उसे देख पाऊंगा। चौरीचौरा स्टेशन में वापस रवाना हुआ तो चना नहीं जा रहा था, पग बोझिल हो गये थे, मन भरा-भरा आ रहा था। एकांत पा-पाकर रो उठता था। घर लौटा तो देखा भइया उसी तरह खाट पर उदास पड़े थे। मुझे देखा, धीरे से पूछा—“गाड़ी पर चढ़ाकर आये?” “हां।” फिर कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ। पूरा घर उदासी में डूबा था। मैं खा-पीकर सो गया, रात को कमली याद आती रही और मैं रह-रहकर रोता रहा।

कमली की विदाई के कुछ दिन बाद ही मैट्रिक का परिणाम निकला। मैं फेल हो गया। अंक तालिका मिलने पर ज्ञात हुआ कि अंगरेजी में फेल हूं, बाकी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त थे। अंगरेजी ने मार दिया। कपिलदेव पास हो गये थे। मैं ढरसी पंडित जी के पास पहुंचा—उदास-उदास। पंडित जी भी मुझे देखकर उदास हो गये। मैंने उनसे कहा—“मैं अब नहीं पढ़ूंगा। अंगरेजी ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया।” पंडित जी कुछ सोचते रहे। एकाएक उत्साहित होकर बोले—“कवि जी, काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है, उसमें प्रवेश ले लो। विद्यापीठ राष्ट्रीय

संस्था है, वहाँ निश्चय ही हिन्दी का बड़ा मान होगा, वहाँ आप ले लिए जायेंगे।” मेरा टूटा हुआ मन कुछ उत्साहित हुआ।

काशी विद्यापीठ में दाखिला लेने के लिए मैं बनारस पहुँचा। बनारस में हमारे गाँव के पाम के गाँव सरार के श्री अवधनारायण धर द्विवेदी रहते थे। वे साहित्यरत्न पास थे और वहाँ की कई माहिल्यिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। उन्हीं के यहाँ ठहरा। खा-पीकर बहुत उत्साह के साथ काशी विद्यापीठ पहुँचा। वहाँ सम्बद्ध व्यक्ति से अपना उद्देश्य बताया। उस व्यक्ति ने पूछा—“आपकी क्वालिफिकेशन क्या है?”

“साहित्यरत्न हूँ।”

“अंगरेजी की शिक्षा कितनी है?”

“मैट्रिक फेल हूँ, अंगरेजी के कारण।”

“देखिए, पत्रकारिता के लिए अंगरेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। अधिकांश व्याख्यान अंगरेजी में होंगे। आपकी समझ में नहीं आयेंगे।”

मैं हताश लौट आया। सोचने लगा—“हिन्दी की उपाधियाँ किस काम की यदि राष्ट्रीय संस्थाओं में भी शिक्षा का माध्यम अंगरेजी ही हो।” हिन्दी को लेकर जो एक सपना था वह एक झटके में टूटकर बिखर गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ, कहां जाऊँ? जीवन की कोई दिशा सूझ नहीं रही थी। इधर-उधर घूमा। शाम को द्विवेदी जी के यहाँ पहुँचा। उन्होंने पूछा—“कहो, क्या हुआ?”

“नहीं हुआ। वे अंगरेजी का अच्छा ज्ञान चाहते हैं।”

“घत्तेरी की! वहाँ भी हिन्दी की जगह नहीं! ”

मुझे बेहद उदास देखकर द्विवेदी जी भी दुखी हो गये, फिर एकाएक बोले—“सुनो, तुम इतने उदास और निराश क्यों हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। एक मैट्रिक फेल हो जाने से ही यात्रा अवरुद्ध हो गयी? तुम दुबारा इम्तहान दो। यहाँ मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी। वे एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं कैंब्रिज एकेडेमी। मैं कल उनसे बात करा दे रहा हूँ। जितनी सुविधाएँ मिल सकती हैं, मिलेंगी। स्कूल का अपना एक हॉस्टल भी है, उसमें कमरा मिल जायेगा। अच्छे विद्यार्थी हो, इस एक ठोकर में गिरकर पड़े रहना अच्छा नहीं लगता।”

मेरे मन में एक नयी चमक आयी। अनिश्चय, उदासी, दिशाहीनता का जो कुहरा भीतर छाया था, लगा उसके भीतर से मूरज की रोशनी उभर रही है। मैंने द्विवेदी जी को कृतज्ञता के भाव से देखा और अपनी सहमति दे दी।

दूसरे दिन द्विवेदी जी मुझे स्कूल ले गये। नाम लिखवा दिया और मैं सामान-वामान लेने के लिए घर लौट आया। आठ-दस दिन बाद फिर बनारस पहुँचा तो मेरा एक नया जीवन शुरू हो गया। यह सन् 1946 की जुलाई थी।

स्कूल का नाम था कैम्ब्रिज एकेडेमी। गोवर्धन सराय में स्थित था। इस स्कूल का अपना एक हॉस्टल था। उसमें रहने लगा। हॉस्टल दोमंजिला था। मैं ऊपर की मंजिल के एक कमरे में एक साथी के साथ रहने लगा। उम साथी का नाम छविनाथ राय था। पता नहीं अब वे कहां है, कैसे हैं? बगल के कमरे में रायपुर के विपिन बिहारी षडंगी रहते थे। सामने के एक कमरे में एक दक्षिणी रहते थे, एक में एक नेपाली रहते थे, नाम था शिवकुमार। नीचे की मंजिल में शिवकुमार के भाई विनयकुमार रहते थे। कुछ और लोग थे। बड़ी गहमागहमी थी। वाहंन थे हमारे स्कूल के गणित के मास्टर जो स्वयं गणित से एम० ए० कर रहे थे। नेपाल के दोनों लड़के अपने को राजकुमार कहते थे। पता नहीं वे क्या थे! राजपरिवार से उनका सम्बन्ध जरूर था लेकिन राजपरिवार में न जाने कितने-कितने तरह के संबंध होते हैं। विनय बहुत मीठे स्वभाव के थे लेकिन शिव उदंड भी थे और आशिकमिजाज भी। विनय से तो मैं बोल लेता था, लेकिन शिव से कोई संवाद नहीं बन सका था। बन भी नहीं सकता था। छविनाथ राय तो रूम-मेट होने के कारण निकट संपर्क में थे ही, विपिन मेरे सबसे निकट था। वह ठीक-ठाक घर का था, सुदर्शन था, खाने-पीने का काफी शौकीन था। सिगरेट पीता था। उन दिनों उसे चाय की आदत थी, डेली शेव करता था और मुझे किसी प्रकार का शौक नहीं था। फिर भी वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वह फरटिंटे से अंगरेजी बोलता था और मेरी अंगरेजी—माशा अल्लाह थी। मैं खुद हैरान था कि विपिन को अपने से ठीक प्रतिकूल व्यक्ति में ऐसा क्या दिखाई पड़ा कि वह इतना निकट आता गया। ठीक से मेरी दाढ़ी नहीं आयी थी यद्यपि मैं उससे उम्र में बड़ा था, यानी मैं बाईस साल का था। काफी-काफी दिनों बाद जब दाढ़ी काफी सिर उठा लेती तो विपिन स्वयं अपने रेजर से मेरी दाढ़ी बनाता। उसे मुझे अपने साथ सुख-दुःख में शरीक करने में काफी तृप्ति मिलती थी और मुझे भी उसे पाकर बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही थी। उसके व्यक्तित्व का एक पहलू शिवकुमार से जुड़ता था। वह जब कभी दूसरे मूड में होता तो शिवकुमार के साथ हो लेता। शिवकुमार का पूरा व्यक्तित्व मेरे लिए असह्य था। इसलिए विपिन जैसे नेक लड़के का उससे जुड़ना मुझे अखरता था। विपिन भी भीतर से उसे नहीं चाहता था लेकिन न जाने कौन-सी मजबूरी या मुरीबत थी कि उसके साथ हो लेने से नजात नहीं पा पाता था। कभी-कभी मुझसे कहता—“क्या करें यार, यह शिव मुझे हैरान करता रहता है। कमरे में घुस आयेगा, बुला लेगा, कहेगा चलो। कुल मिलाकर इसका साथ बहुत अप्रिय है यार, क्या करूं?”

एक दिन मेरे कमरे में आया। शिव के साथ उसे कहीं जाना था। मैंने बात-बात में उसे फटकार दिया—“तुम उससे मुक्ति नहीं पा सकते? क्या बात है कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ को ढोने के लिए मजबूर हो गये हो।” उसे ताव भा गया और बोला—“मैं अभी जाकर शिव से कहता हूँ। तुम्हें मुझे फटकारने का अधिकार किसने दिया?” वह तब मैं निकल गया। मैं समझता कि यह ऐसे ही कह

रहा है, किन्तु वह सीधे शिव के कमरे में गया और उससे जोर-जोर से बातें करने लगा। मैं घबरा गया। मैं शिव से डरता भी था। वह हट्टा-कट्टा था। यदि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया और गालियां देनी शुरू कीं तो? और वही हुआ, वह अपने कमरे में से निकला और मुझे अपशब्द कहने लगा। मुझे विपिन से यह उम्मीद नहीं थी। शिव तो किसी भी सीमा तक जा सकता था किन्तु विपिन को क्या हो गया? वह मुझे अपमानित होते हुए देखता रहा। हॉस्टल के और लोग भी एकत्र हो गये थे और उनके रुख से मालूम हो रहा था कि वे मेरे प्रति शिव के इस व्यवहार से खिन्न हो रहे हैं।

शिव जब अधिक अभद्र हो उठा तो मैंने कहा—“मुझसे क्यों लड़ते हो? मुझे तुमसे कोई मरोकार नहीं। विपिन तुम्हारे साथ जायें, घूमें, या जो चाहें करें, मुझसे कोई वास्ता नहीं। वे मेरे मित्र थे। वे मुझमें कहते थे कि ‘यार, शिव बहुत हैरान करता है, मेरा समय बर्बाद करता है और जबरदस्ती अप्रिय जगहों पर ले जाता है, क्या करू?’ मैंने इनसे कहा कि ‘साफ-साफ मना क्यों नहीं कर देते? कैमे आदमी है आप कि कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध आपमें काम करवाता है’।”

शिव का गरजता-बरमता स्वर एकाएक रुक गया। उसने विपिन की ओर देखा। विपिन चुप था। ‘सॉरी मिश्र जी,’ शिव बोला—“जब अपने दोस्त ही अपने नहीं रहे तो आपका इममें क्या दोष?” वह अपने कमरे में चला गया। विपिन भी अपने कमरे में चला गया। मैं भी कमरे में लौट आया। सभी लौट गये। कुछ देर बाद वार्डन साहब आये। लोगों से सुना, मुझे बुलाया, विपिन और शिव को भला-बुरा कहा, मुझे सांत्वना दी।

मैं स्वभावानुसार आज की इस घटना से बहुत बेचैन था। किमी चीज में मन नहीं लग रहा था। विपिन के इस व्यवहार को मैं पचा नहीं पा रहा था। दोस्त दोस्ती के अधिकार से अपने में सौ बातें करते हैं, क्या दोस्त को यही चाहिए कि वह उसकी बात नाजायज जगह छीट आये। एक दोस्त आये और एक चिट्ठी पकड़ा गये। चिट्ठी खोली, विपिन की थी। लिखा था—“दोस्त, मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ अपने व्यवहार से। न जाने किस उत्तेजना में मैं यह गलत काम कर बैठा। क्षमा नहीं करोगे? आज की शाम मेरे साथ घूमने चलो तो मुझे सुख मिलेगा और मैं समझूंगा कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया।”

—विपिन

मैं कुछ देर उस पत्र को हाथ में लिए बैठा रहा। उठा, कपड़े पहने, विपिन के कमरे में गया। लगा जैम तैयार होकर वह मेरा इन्तजार कर रहा था। थोड़ी देर तक दोनों ने दोनों को देखा, फिर धधाकर एक-दूसरे से लिपट गये। घूमने निकल गये। दशाश्वमेध, विश्वनाथ गली, चौक में घूमे, खूब घूमे, कुछ खाया-पिया। किसी ने आज की घटना का जिक्र नहीं किया, लौटे तो खाली हंसते-बतियाते रहे। लौटे तो मन खूब हलका था। खूब सोये।

यह स्थान हमारे लिए कितना रोमांचक रहा होगा, इसकी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि हमारे हॉस्टल की बगल में ही जयशंकरप्रसाद का मकान था। वे

दिवंगत हो चुके थे लेकिन लगता था उनकी आत्मा उस पूरे वातावरण में व्याप्त थी। मैं अकसर उनके घर के सामने से गुजरता और एक पवित्र अनुभूति मुझे घेर लेती। एक बार उनके कमरे के पास तक गया जहां वे बैठकर लिखते थे। बनारस आने से पहले ही 'आंसू', 'कामायनी', 'अजातशत्रु' पढ़ चुका था और काफी कुछ न समझते हुए भी उनके साहित्य की लय अपने भीतर बजती हुई महसूस करता रहता था। यह मारा साहित्य इमी कमरे में लिखा गया होगा, यह सोचकर मैं रोमांचित हो रहा था। प्रसाद के साथ जो मेरा एक अमूर्त भावात्मक सम्बन्ध था उसे मूर्त किया उनके अन्तेवासी डा० राजेन्द्र नारायण शर्मा ने।

गोवर्धन सराय के आसपास का वातावरण साहित्य का वातावरण कहा जा सकता था। गोवर्धन सराय के पास ही वेनिया पार्क था, जहां सुना था, प्रसाद और प्रेमचंद जी साथ-साथ टहलते थे। न जाने यह पार्क उनकी कितनी साहित्यिक चर्चाओं को अपने में आत्ममात् किये होगा। आधुनिक काल के दो महारथियों की पगध्वनियों और सपनों के स्वरो से भरा हुआ यह पार्क कितना प्रणम्य है। मैं इस बाग में टहलते हुए कल्पना करता रहता था कि वे दोनो महान् हस्तिया इस रास्ते से गुजरती रही होंगी, चलते-चलते, बात करने-करते वे यहा ठिठककर खड़ी हो जाती रही होंगी। कभी जाड़े की धूप खाने के लिए उम पत्थर की चौकी पर बैठ जाती रही होंगी। कभी-कभी उनके साहित्य और जीवन सम्बन्धी विचार टकराकर एक तलखी पैदा कर देते रहे होंगे या हो सकता है वे टहलते हुए साहित्य पर बात ही न करते रहे हों, रोजमर्रा की जिन्दगी की हलकी-फुलकी बातों में सुबह को प्रसन्न बनाते रहे हों।

इस पार्क की पूरब ओर मीताराम चतुर्वेदी रहते थे, उत्तर की ओर बेदब्र जी। फिर गोवर्धन सराय के अंदर लौटा आइए तो ब्रजभाषा के एक बहुत सिद्धहस्त बुजुर्ग कवि ईश जी मिलेंगे और मिलेंगे हास्यरम के नामी कवि बेधडक बनारसी। अवध-नारायण घर द्विवेदी ने इस स्कूल में मेरा दाखिला कराते समय कहा था कि स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा जी के छोटे भाई श्री राजेन्द्र नारायण शर्मा प्रसाद जी के अंतेवासी रहे हैं। वे होम्योपैथी के डाक्टर होने के साथ-साथ बहुत अच्छे कवि और वितक हैं। उनके मंपर्क में तुम्हारी साहित्यिक प्रतिभा को बल मिलेगा। शर्मा जी का दवाखाना स्कूल के पास ही था। मैं बीमार पड़ा तो उनके पास गया। बताया कि मैं कैब्रिज स्कूल का विद्यार्थी हूँ। उन्होंने दवा दी। मैंने कहा कि मैं कविताएं भी लिखता हूँ। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ कविताएं दिखाने को कहा। उन्होंने मुझमें पैसे नहीं लिए। बाद में मालूम पड़ा कि वे साहित्यकारों से पैसे नहीं लेते। मैं लौटा तो बीमारी के बावजूद बहुत प्रसन्न था। शर्मा जी के सौम्य व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। गोरा रंग, सुंदर आकृति, कुछ घुघराले थोड़े लंबे बाल, खादी के कीमती वस्त्र, गोरी कलात्मक अंगुलियों में कई कीमती अंगूठियां, बहुत साफ-सुथरा कमरा, करीने से सजी हुई मेज, आहिस्ता-आहिस्ता मीठी जुबान में बोलना, भाषा का छायावादी रंग, चेहरे पर एक सौम्य मुसकान और तिस पर साहित्यकारों की मुफ्त सेवा करने की एक आंतरिक संकल्पना।

मैंने उन्हें कुछ कविताएं दीं। उन्होंने उन्हें देखा, प्रभावित हुए, कुछ संशोधन

‘किए। जब उन्होंने कविता वापस की तो उन्होंने मेरी कवित्व-शक्ति की बहुत प्रशंसा की और जब मैंने अपनी कविता देखी तो बहुत प्रसन्न हुआ। मेरी कविता की भाषा में जो ऊबड़-खाबड़ शब्द थे उन्हें निकालकर शर्मा जी ने भाषा को प्रांजल छायावादी भाषा का रूप दे दिया था। मैं उनके सान्निध्य में निरंतर ऐसी भाषा की साधना करता गया और मुझे लगा कि इतने दिनों बाद मैंने सही काव्य-भाषा पा ली है। भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से शर्मा जी प्रसाद जी के गहरे प्रभाव में थे और मैं भी उधर ही बढ़ता गया। मैंने कहा था न कि प्रसाद जी के साथ मैं जो एक अमूर्त भावभूमक संबंध अनुभव करता था उसे शर्मा जी ने मूर्त किया। सन् '46 का समय था। छायावाद अपना उत्कर्ष पाकर जा चुका था। उसके बाद बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा जैसे कवि आ चुके थे और व्यक्तिवादी स्तर पर ही सही, छायावाद की भावात्मक और भाषागत अरूपता को तोड़ चुके थे। प्रगतिवाद भी आ चुका था और प्रयोगवाद भी किन्तु तब मुझे इतिहास के इन पड़ावों का गहरा ज्ञान कहाँ था? देहात से पहली बार शहर में आया था यानी एक सचेत साहित्यिक माहौल में। और मैं इस शहर के जिस परिवेश में आया वहाँ स्मृतियों के रूप में भी और वर्तमान रूप में भी छायावाद जीवित था।

शर्मा जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके यहां आसपास के अनेक साहित्यकार और पत्रकार आया करते थे। कुछ लोग 'आज' में काम करते थे, कुछ 'संसार' में। शर्मा जी ने इनसे मेरा परिचय कराया और इन्हें मेरी रचनाएं देने लगे। 'आज', 'समाज' (आज कार्यालय का साप्ताहिक पत्र) 'संसार' में मेरी कविताएं धड़ल्ले से छपने लगी। मैं इस शहर के साहित्यकारों के बीच ख्यात होता चला गया। अपने हॉस्टल, स्कूल में भी मेरी कविताओं के नाते एक हतबा बनता चला गया। सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मेरी रचनाओं ने मुझे कितना कुछ दिया है। सामान्य घर का सामान्य-सा देहाती व्यक्ति मैं सभी जगह यदि कुछ विशिष्ट व्यवहार पाता गया तो इन रचनाओं के नाते ही। मेरे टीचर, वार्डन मेरी रचनाएं हॉस्टल में भी सुनाते और क्लास में भी। सभांत घरों के लड़कों के सामने भी यदि मैं सिर उठाकर चल सका, कभी हीनता-बांध का अनुभव नहीं किया, तो इन रचनाओं के नाते ही। कितना जीवन दिया है इन रचनाओं ने। इनके कारण अपनी सांसारिक असपन्नता के बीच भी मैं हमेशा भरा-भरा अनुभव करता रहा।

शर्मा जी के दवाखाने के पास ही एक वैद्य जी का घर था। उनका लड़का था श्रीश कुमार—सुदर, स्वस्थ और अत्यंत नटखट। वह भी मेरे साथ ही कैम्पज एकेडेमी में पढ़ता था। वह शरारती तो बहुत था लेकिन मेरे प्रति उसके मन में बहुत आदर भाव था। उसी से मालूम हुआ कि वह रामनाथ सुमन का भानजा है। सुमन जी के नाम से मैं खूब परिचित था। साहित्यरत्न में उनकी आलोचना पढ़ चुका था। श्रीश सुमनजी का भानजा है यह भाव मुझे उसके प्रति अतिरिक्त स्नेहशील बनाये हुए था और उसके भीतर का साहित्यिक संस्कार उसे मेरे प्रति आदरशील बनाये था।

शंभूनाथ सिंह भी उसी क्षेत्र में ही रहते थे। साहित्यरत्न की परीक्षा देने आया था तो उनसे भेंट हो चुकी थी। एकाध बार और यहाँ भेंट हो चुकी थी। एक दिन

मिले तो बोले—“इन दिनों तो आप यहाँ की पत्रिकाओं में धूम मचाये हुए हैं।” मुझे ज्ञात नहीं हो सका कि वे किस टोन में यह बात कह रहे हैं। इसलिए न सुखी हुआ न दुखी। परिचय का विस्तार होता गया। इसलिए जब कभी स्थानीय कवि-सम्मेलन होता और वह शर्मा जी के परिचय-क्षेत्र में आता तो मैं भी बुलाया जाता। धीरे-धीरे बनारस के आसपास आयोजित होने वाले कवि-सम्मेलनों में भी जाने लगा।

तब कवि-सम्मेलनों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बहुत पैसों के लेन-देन की सभ्यता तब विकसित नहीं हुई थी, किराया दे दिया कुछ और पत्र-पुष्प, बस काफी था। बेधड़क बनारसी, शंभूनाथ सिंह आदि तो कवि-सम्मेलनों के मंच के लिए अपरिहार्य बन गये थे। बेधड़क जी शर्मा जी के पड़ोस में ही थे, उनके निकटतम लोगों में से थे। इसलिए उनसे भेंट-मुलाकात होती रहती थी; लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे संपृक्त हो पाना कठिन था। एक औपचारिक खुलापन उनमें था जो अपने भीतर किसी को धंसने नहीं देता था। मैं भी कभी धंस नहीं पाया। लेकिन तो भी मुझे उनका स्नेह मिलता रहा। बेठब जी और बेधड़क जी दोनों ही हास्य रस के क्षेत्र में काफी चर्चित नाम थे। बेठब जी (कृष्णदेव प्रसाद गौण) का व्यक्तित्व अत्यंत संभ्रात था। गोरे-चिट्ठे रंग के सुन्दर व्यक्ति, अच्छे कपड़े, हाथ में चुरट, चाल-ढाल में नफासत। डी० ए० बी० कालेज में पढ़ाते थे। शायद इंटर सेक्शन के प्रिंसिपल थे अतः मास्टर साहब के नाम से जाने जाते थे। काव्य तथा काव्येतर दोनों ही कारणों से उनका सम्मान था। कविता पढ़ते समय उनके ओंठों पर एक हनकी मुसकान फैली होती थी। उनकी कविताओं का हास्य भी मुखर नहीं होता था, मद-मंद दीप्त होता था। इसके विपरीत बेधड़क बनारसी (काशीनाथ उपाध्याय भ्रमर) छोटे कद के, सांवले रंग के, सामान्य नाक-नकश के आदमी थे। धोती, कुर्ता, जाकेट पहनते थे। बोलचाल में नफासत की जगह हुल्लडपन था। जोर से हंमते थे लेकिन कविता पढ़ते समय एकदम गंभीर रहते थे। उनका चेहरा वैसे भी हंसी का आलंबन था, किन्तु कविता पढ़ते समय उम चेहरे का आरोपित गंभीर्य कविता की चुलबुलाहट के विरोध में जब तन जाता था तब और हसी पैदा करता था। उनकी कविताओं में बेठब जी की कविताओं के विपरीत हास्य की ज्यादा मुखरता थी, सीधापन था, चुलबुलाहट थी। कविताओं का हास्य उनके चेहरे की बनायी गयी हास्यास्पदता से मिलकर और अधिक प्रभावशाली हो उठता था। उनका कविता पढ़ने का ढंग भी अद्भुत था।

कवि-सम्मेलनों में शंभूनाथ सिंह होते ही थे। वे अपरिहार्य थे। उन दिनों वे एक अच्छे नये गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। छायावादोत्तर रूमानी गीत-काव्य की विशेषताएं बहुत सुन्दर रूप में उनकी कविताओं में विद्यमान थी। सौन्दर्य और प्रेम की रूमानी किन्तु सीधी अभिव्यक्ति उनमें थी। ‘समय की शिला पर’ उनकी कविता प्रसिद्धि पा चुकी थी, और भी कई कविताएं तत्कालीन साहित्यिक वातावरण में गूँज रही थीं। उनके साथ उनकी शिष्य मंडली हुआ करती थी जिसमें प्रमुख स्थान नामवर सिंह, हरिमोहन, कुंवर बहादुर का था। बाद में केदारनाथ सिंह, ब्रजविलास, सूर्यप्रताप आदि भी इस शिष्य मंडली में दीक्षित हुए थे। शंभूनाथ सिंह गाते थे तो

गाते-गाते जानबूझकर कोई पंक्ति भूल जाते थे जिसकी उनकी शिष्य मंडली याद दिलाती थी। नामवर जी भी रूमानी कविताएं लिखते थे—विशेषतया प्रकृति के संदर्भ में। 'झूपुर झूपुर घान के समुद्र में हलर-हलर सुनहला विहान' उनकी बहुत प्यारी कविता थी जिसे वे अपने मधुर कंठ से गाते थे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। हरिमोहन भी गाते थे लेकिन उनका कंठ उतना प्रभावशाली नहीं था। 'बहुत दिन बीते बागों में खेले' कविता वे बार-बार पढ़ते थे। कुंवर बहादुर भी अच्छा गाते थे। शंभूनाथ जी अपने शिष्यों को खूब जमाते थे। मंच पर, मंच के बाहर उनकी खूब प्रशंसा करते थे। उनके शिष्य उन्हें जमाते थे। मैं अकेला था। न मैं किसी का शिष्य था न मेरा कोई गुरु। स्थानीय पत्रों में लगातार छपने के कारण मैं जान लिया गया था। अतः कहीं-कहीं कवि-सम्मेलनों में बुला लिया जाता था। मंच पर उपस्थित कवियों की ओर से कोई सुनियोजित प्रशंसा नहीं मिलती थी, मिलनी होती थी तो जनता से ही मिलती थी। गिरोह में शामिल होना मुझे कभी रास नहीं आया। इसलिए उससे मिलने वाले समर्थन से हमेशा वंचित ही रहा। शंभूनाथ और उनके कवि शिष्यों से मेरा परिचय घना होना गया, बाद में कुछ मे मित्रता की स्थिति भी बनी, किन्तु साहित्यिक मोर्चाबन्दी के स्तर पर मैं इनसे अलग ही माना जाता रहा।

उन्हीं दिनों एक कवि-सम्मेलन में त्रिलोचन शास्त्री मिल गये। शास्त्री जी को मैं कुछ खास नहीं जानता था। उनका 'धरती' काव्य-संग्रह निकल चुका है और वे वहाँ के कवियों से अलग किस्म की कविताएं लिखते हैं, इसका परिचय मुझे वही मिला। उन्होंने 'चंपा' कविता सुनाई जो मुझे एक अलग तरह की कविता लगी। सच पूछिए तो मेरे रूमानी संस्कार वाले कवि को यह कविता कविता ही नहीं लगी और वह कविता अब मेरे समझदार कवि मन को कविता नहीं लगती। यद्यपि भिन्न-भिन्न कारणों से इस कविता की चर्चा करने वाले लोग तब भी थे और अब भी हैं किन्तु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो समझा सके कि यह कविता और इसी तरह की शास्त्री जी की कई कविताएं (जैसे नगई महरा) कविता कहां से है। बात तो है मगर कविता?

खैर, तब मैं चर्चित कवियों की किसी कविता को आकलित करने की स्थिति में नहीं था, केवल अच्छा या अच्छा न लगने का अनुभव करता हुआ चर्चाओं से कुछ दूर तक अभिभूत हो सकता था। त्रिलोचन जी अलग तरह का लिखते हैं, रूमानी रुझान की जगह उनकी कविताओं की वस्तु और शिल्प में सादगी है, धरती की पकड़ है। ये कुछ ऐसी बातें थीं जो मेरे लिए नयी थीं और नयी तरह से लिखने वाले एक चर्चित कवि से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। शास्त्री जी की कविताओं ने मुझे वास्तव में प्रभावित भले ही न किया हो, उन्होंने मुझे अवश्य प्रभावित किया। उनसे मेरा पहला-पहला परिचय था। अपने ढंग से वे प्रतिष्ठित कवि थे। मैं इस शहर और साहित्य के जगत् में प्रवेश पाने के लिए हाथ-पांव मारता एक नया-नया कवि था। वहाँ दिये गये परिचय के अनुसार वे संस्कृत और हिन्दी साहित्य के विद्वान् पुरुष थे और मैं हिन्दी साहित्य का एक सामान्य-सा छात्र। किन्तु पहले ही परिचय में शास्त्री जी ने मुझसे जो आत्मीयता दिखाई वह अद्भुत थी। वे अन्य लोगों से तो परिचित थे ही, मैं ही नया

था। अतः मुझमें वे विशेष रुचि ले रहे थे। बिना किसी भेदभाव के, निहायत समानता और आत्मीयता के स्तर पर वे मुझसे जुड़े रहे थे, बल्कि मुझे अपने से जोड़ रहे थे। काशी के साहित्यकारों के अब तक के व्यवहार से यह व्यवहार एकदम अलग था। जिन लोगों से इतनी बार मिल चुका था वे लोग अब भी मेरे लिए या मैं उनके लिए भिन्न था, किन्तु शास्त्री जी बिना किसी अपनी गरिमा का अहसास कराये मुझसे अभिन्न हो रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दे रहा हूँ तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले—“मैं भी दे रहा हूँ, यह तो बहुत अच्छा हुआ।”

उनकी-मेरी दूसरी मुलाकात कुछ दिन बाद विश्वनाथ गली में हुई। मैं किसी दुकान से कुछ ले रहा था कि पीछे से आवाज आयी—“कैसे है रामदरश जी?” मैंने मुड़कर देखा कि शास्त्री जी हैं। उनके हाथ में कुछ अरतन-बरतन है। मैंने नमस्कार किया। उनके साथ हो लिया। वे हाल-चाल पूछते रहे, अपना बताते रहे, परीक्षा सम्बन्धी बातें भी करते रहे। जब वे अलग हुए तो मैं सोचने लगा, कितना सहज और खुला हुआ व्यक्ति है! यह दूसरा व्यक्ति तो पहचानता ही नहीं, पहचानता भी तो न पहचानने का अभिनय करता। शास्त्री जी ने पहचानकर स्वयं बुलाया और धरेलू स्तर की आत्मीय बातें करते रहे। मुझे कही से लगा ही नहीं कि कोई प्रतिष्ठित कवि और विद्वान् एक नये साहित्यकार से बात कर रहा है। जब मैं साल-भर बाद हिन्दू विश्वविद्यालय में गया तो शास्त्री जी से प्रायः भेंट होती रही, इनसे हम फिर वहीं मिलेंगे।

एक कवि थे चंचरीक। ये गोरखपुर के थे। ये लोक-कवि थे। गोरखपुर में इनका नाम सुन रखा था। एक दिन किसी कवि-सम्मेलन में भेंट हो गई। उन दिनों मेरी एक कविता ‘आखें’ बहुत प्रसिद्ध हुई थी—‘इनका ससार निराला है, इनकी अनजान कहानी है’ पक्ति बहुतों की जुबान पर उतर आई थी। चंचरीक जी ने यह कविता सुनी। मुझसे बातचीत की और पता नोट किया। एक दिन छात्रावास में आ गये। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वे ‘अप्सरा’ नाम की एक पत्रिका निकालते थे, उसके लिए उन्होंने मेरी ‘आखें’ कविता मागी। मेरे लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या होती? अप्सरा के दो-एक अंक निकल चुके थे, बहुत भव्य अंक थे। चंचरीक जी बहुत जीवट के व्यक्ति थे। वे ‘अप्सरा’ के लिए वेश्याओं से पैसे उगाहते थे और उनकी समस्या सम्बन्धी सामग्री भी उसमें देते थे। वे निस्संकोच भाव से उनके कोठे पर जाते थे, उनका दुःख-दर्द सुनते थे। संध्रांत साहित्यकारों के समाज में उनका आना-जाना कम था, जनता के बीच ही वे आते-जाते थे। लोक-कवि थे, लोक-कविताएं एकत्र करते थे। वे गोरखपुर के एक निर्धन परिवार के थे, जाति से भी बहुत ऊंचे नहीं थे, इसलिए उनमें बड़प्पन का कोई छद्म नहीं था। उनसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी।

उन्होंने उसी साल जाड़ो में चौरीचौरा में एक कवि-सम्मेलन आयोजित किया। मुझे बहुत सम्मान से बुलाया। मुझे अपने जिले के एक कस्बे में इतने सम्मान के साथ बुलाये जाने से एक पुलक हो रही थी। वह शायद कुभ मेलों का समय था या ऐसा ही कोई भीड़-भाड़ का समय था। बनारस स्टेशन पर गया तो टिकट नहीं मिल रहे थे। क्या करूं? सोच नहीं पा रहा था। किन्तु जाना तो था ही। ट्रेन आयी, मैं जाकर सेकंड

क्लास में प्रवेश कर गया। मैं गलत काम करने में बहुत भीरुता अनुभव करता हूँ। डिब्बे में गया तो किन्तु भीतर से बहुत डरा-डरा, सहमा-सहमा था। एक तो यह कि यह ऊँचे लोगों के बैठने की जगह है और मैं अपने को अभी इतना ऊँचा नहीं समझ रहा था कि इस जगह पर प्रकृतिस्थता अनुभव कर सकूँ, दूसरे बिना टिकट का था। इस डिब्बे में भी कुछ भीड़ थी। मैं कुछ देर खड़ा रहा। मेरे सामने जमींदार किस्म के एक रोबीले सज्जन बैठे थे। मैं सहमता-सहमता उनके पास बैठ गया। उनसे बातचीत हुई। वे बहुत सहृदय लगे। उनसे मैंने अपनी स्थिति बयान की। सामने के बर्थ पर केवल एक बर्मी दंपती बैठे थे। जमींदार ने कहा—“वहाँ बैठ जाइए। वहाँ काफी जगह है।” मैंने उधर देखा—महिला की बगल में जगह थी, किन्तु महिला की बगल में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी; लेकिन जमींदार के कई बार के आग्रह के बाद मैं वही जाकर बैठ गया। बैठा ही था कि महिला बौखला उठी और आऊं-आऊं करती हुई मुझे हाथ से मारने लगी। मैं घबराकर उठ गया और शर्मिन्दगी महसूस करता हुआ अपनी पहली जगह की ओर आने लगा। जमींदार वही से तड़पा—“आप वही बैठिए।” और बर्मी को अंगरेजी में डांटते हुए कहा—“तुम्हारी बीवी ने क्यों मारा? वहाँ जगह है तो आदमी बैठेगा ही। तुमने पूरा कंपार्टमेंट अपने नाम लिखा रखा है क्या?”

बर्मी ने उत्तर दिया—“ही हैज टच्छ माई वाइफ।”

जमींदार हंसा—बोला—“वेल मिस्टर, शी इज टच्छ बाई हंड्रेड्स इन दी जरनी।” ‘एश-एश’ कहता हुआ बर्मी चुप हो गया और मैं अपनी पहली जगह पर आकर बैठ गया। वह अच्छा जमींदार मेरी शर्मिन्दगी को सर्वज्ञ गया था। बोला—“कोई बात नहीं, कवियों को जीवन में अनेक तरह के अनुभव लेने चाहिए, यह अनुभव भी काम आयेगा।” वह हंसने लगा। मैं भी हंसने लगा। लेकिन मैं भीतर से प्रकृतिस्थ नहीं हो सका। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि छोटी-छोटी बातें भी मुझे उद्विग्न कर देती हैं। रास्ते-भर रह-रहकर यह घटना मुझे कोंचनी रही। चिंता यह भी थी कि यदि चैकिंग हो गई तो पकड़ा जाऊंगा और शर्मिन्दगी पर शर्मिन्दगी महसूस करनी पड़ेगी।

चौरीचौरा उतरा तो चंचरीक जी वहाँ मौजूद थे इसलिए टिकट चैकिंग के झमेले से बच गया, लेकिन मालूम पड़ा कि कस्बे में प्लेग फैला है अतः कवि-मम्मेलन नहीं होगा। मैंने कस्बे की ओर नजर उठाकर देखा—सन्नाटा भांय-भांय रो रहा था, सीलन की गंध वातावरण में फैली थी। मुझे स्टेशन पर ही वेटिंग रूम में ठहराया गया। उमी में कोई गायक अपनी गायिका युवा पुत्री के साथ ठहरे थे। उन्होंने मेरा परिचय पाकर कहा—“मेरे अहोभाग्य, काशी से आये हुए चरण कितने पवित्र होते हैं! इन चरणों के संपर्क में कुछ क्षण रहने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है।” मैं नज्जित हो उठा और मन ही मन कहा कि सौभाग्यशाली तो मैं हूँ कि इस गायिका सुन्दरी के साहचर्य में कुछ देर रहने का अवसर मिल रहा है। वे सज्जन भी समारोह में भाग लेने के लिए ही बुलाये गये थे किन्तु अब समारोह न हो पाने की वजह से वे सज्जन अपनी कन्या के साथ झोट रहे थे। कुछ देर तक उनका साथ रहा, समय महकता रहा, प्लेग की सीलन में भी एक फूल खिलता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी आयी और बाय-बेटी बसि गये।

गाडी का शोर अपने पीछे एक लंबा सन्नाटा छोड़ता चला गया। मैं वेटिंग रूम में अकेला पड़ गया। वेटिंग रूम के भीतर सन्नाटा, बाहर सन्नाटा, कस्बे में सन्नाटा, हवा में सन्नाटा और सन्नाटे को तोड़कर कभी-कभी उगता हुआ कुत्तों और मुर्दाखोर पक्षियों के शोर का सन्नाटा। सामने के एक पीपल के पेड़ पर कुछ गिद्ध बैठे थे जो कभी-कभी बड़े-बड़े पंख फड़फड़ाकर किसी दिशा में उड़ जाते थे और हवा में एक भट्टे से शोर की मोटी लकीर खींच जाते थे।

चंचरीक जी मुझे छोड़कर चले गये थे—शायद कुछ व्यवस्था में मशगूल थे। कुछ देर बाद आये और कस्बे के ही एक सुरक्षित लगने जैसे खित्ते के एक मकान में मुझे ले गये। वहाँ एक कमरे में पहले से ही गोरखपुर के कुछ कवि विराजमान थे। मुझे अच्छा लगा। वहाँ योगेन्द्र पाण्डेय भी थे। इनसे कुशीनगर के साहित्यिक समारोह के सिलसिले में मेरी भेंट हो चुकी थी। बहुत मिलनसार और खुली तबीयत के आदमी लगे थे। उन्होंने यहाँ लपककर मेरा स्वागत किया—“आओ-आओ भाई।” मुझे ठीक याद नहीं कि गोरखपुर के और कौन-कौन से कवि थे, शायद शिवप्रसाद मणि रहे हों, शायद चकोर जी भी रहे हों, लेकिन चार-पांच कवि तो थे अवश्य। कवि-सम्मेलन तो होना नहीं था। बस, आज की रात काटनी थी और कल सवेरे चल देना था। लेकिन जब रात काटनी ही थी तो अच्छी तरह क्यों न काटी जाय। शाम होते-होते बनारस के एक कवि और आ गये। बनारस में मेरी इनसे कभी भेंट नहीं हुई थी। गोरे रंग के, बन्द गले का कोट पहने हुए, भावुक-सी आंखें—कुल मिलाकर प्रथम झलक में ही मुझे प्रभावित कर गये। कुछ क्षण बाद चंचरीक जी ने परिचय कराया—ये है नर्मदेश्वर उपाध्याय। रात को कवि-गोष्ठी जमी। नर्मदेश्वर गाते भी बहुत अच्छा है, ज्ञात हुआ। उन्होंने घाघरा पर एक कविता पढ़कर सुनायी। वह अंदाज भी अच्छा लगा और कुल मिलाकर हम लोग एक-दूसरे की कविताओं और व्यवहारों से प्रभावित हुए और मित्र बन गये। योगेन्द्र और नर्मदेश्वर दोनों ही मेरे अच्छे मित्रों में शुमार हुए। चंचरीक जी ने हरिणी बाला लोकगीत सुनाया। वह गीत पहली बार मैंने वही उनके मुख से सुना। चंचरीक जी के लोक-कंठ से निकलकर उस करुण लोकगीत ने सबको भीतर तक हिला दिया। हमारी आंखों से आंसू झरने लगे। प्लेग की उस रात की उदासी में कविता ने हमें जीवन के कुछ अमूल्य क्षण दिये, कुछ दोस्तियां दीं, एक गहरी यादगार दी।

आज श्रीकान्त व्यास लिपि प्रकाशन के यशस्वी प्रकाशक बन गये हैं। मेरी-उनकी मुलाकात जब-तब होती रहती है, किन्तु जब भी वे मिलते हैं मुझे बनारस याद आ जाता है। हाँ, मेरी-उनकी पहली मुलाकात गोवर्धन सराय में ही हुई थी। मुझे प्रसंग याद

नहीं है किन्तु हुई थी और पहली ही मुलाकात में हम दोनों एक-दूसरे के नजदीक आ गये थे। वे चेतगंज में एक कमरे में रहते थे, उनके यहां गया। तब हम दोनों कुछ नहीं थे, लेकिन उस कुछ नहीं होने के भीतर से कितना कुछ पा लेते थे एक-दूसरे में। ऐसी छोटी-छोटी न जाने कितनी घंटों, मुलाकातों और संदर्भ हमारे भीतर धीरे-धीरे जगमगाते रहते हैं और हम उनसे बेखबर जीते रहते हैं।

बनारस के बारे में सुना था कि यह शहर पहले नया-नया आने वाले को अपने से बाहर ढकेलता है। यदि आप नहीं गये और जबरदस्ती ठहर गये तो वह शहर आपमें अपने सौंदर्य और प्रेम की परतें खोलने लगता है और भीतर से अपने में जकड़ लेता है। मेरा खयाल है कि थोड़े-बहुत अंतर से यह बात हर अच्छे शहर पर लागू होती है। शुरू में वह नये व्यक्ति को अजनबी लगता है, किन्तु जब उस व्यक्ति का निजी परिवेश बनना शुरू होता है तो वह शहर उसे अपने से बांध लेता है। यह सच है, लेकिन बनारस की बात ही और है। मैं शुरू-शुरू में इम शहर में आया तो घर के लिए जी हुटकता था। आने के कुछ दिन बाद ही बीमार पड़ गया। डायरिया थी। डा० राजेन्द्र नारायण शर्मा ने दवा की लेकिन तबीयत नहीं संभली। भागकर गांव गया। जाने की प्रक्रिया में रास्ते में ढरसी उतरा। उस बीमारी में ढरसी (अपने पुराने विद्यापीठ) के प्रति कितना मोह उमड़ आया था कह नहीं सकता। पंडित रामगोपाल जी ने मुझे देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। मुझे लगा कि मैं अपने घर आ गया। फिर वहां से उन्होंने मेरे गांव के कई लड़कों को मेरे साथ भेजा, घर तक साथ जाने के लिए। गांव गया, रामदेव वैद्य की दवा हुई, कुछ गांव-घर की आश्वस्ति साथ थी, ठीक हो ब्या और महीने-भर बाद बनारस लौट गया। धीरे-धीरे डा० राजेन्द्र नारायण शर्मा के सहयोग से मुझे बनारस का साहित्यिक माहौल मिलता गया, स्कूल के वातावरण में भी आत्मीयता घुलती गयी, कुछ मित्र बनते गये और बनारस मुझे भीतर से जकड़ता गया।

बनारस भौगोलिक, साहित्यिक और राजनीतिक अपने तीनों रंगों में विशिष्ट था। रेलवे स्टेशन से उतरकर बनारस की किसी दिशा में जाइए, रौनक ही रौनक दिखाई पड़ेगी। हम लोग गोवर्धन सराय से निकलकर मुख्य सड़क पर आते थे तो लगना था, जन-प्रवाह के बीच आ गये हों। चहल-पहल दिन-भर लगी रहती थी किन्तु शाम को तो उसकी रंगत का क्या कहना? वहां से गोदौलिया, गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट, फिर विश्वनाथ गली, चौक-चौक से टाउन हाल, घंटों घूमते रहिए, यदि तन न थका हो तो मन थकने का नाम नहीं लेता। दशाश्वमेध घाट पर गंगा की छबि का क्या कहना? सांझ के झूटपुटे में गंगा की धारा में उतरायी हुई नावें, नावों पर से उठता हुआ कोई गीत, अकेले या पंक्तियों में तैरते हुए दीप, दीपों की ज्योतियों से अंधेरे के पट पर लिखी जाती सौन्दर्य-मंगल की पंक्तियां, नहाते हुए लोग, पंजों की आसनियां, यहां-वहां गोलगप्पे और चाट आदि की छोटी-छोटी साफ-सुथरी दुकानें, मंदिरों में बजते हुए शंख, घंट-घड़ियाल और सबके ऊपर मृदंग और झांझ की धुन पर नाचते-गाते चैतन्य संप्रदायी बंगाली भक्त...। गंगा-तट की यह शाम, शाम नहीं, एक संश्लिष्ट अनुभव थी।

विश्वनाथ गली का अपना व्यक्तित्व था। सांप-सी पतली गली, इधर-उधर

मुड़ती हुई, पत्थरों की फर्श वाली साफ-सुथरी गली, भीड़ से अटी हुई लेकिन कोई ऊब नहीं, सफोकेशन नहीं। दोनों ओर छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी दुकानें, तरह-तरह की वस्तुओं की दुकानें और कुल मिलाकर इन दुकानों से उठती हुई सुगंध, सुगंध में बसी हुई गली—विश्वनाथ गली। हम जब भी गोदौलिया की ओर जाते इस गली से जरूर गुजरते। इस गली में बनारस ही नहीं होता था, पूरा देश होता था। वैसे देश तो गंगा घाट, गोदौलिया, चौक आदि में भी दिखाई पड़ता था लेकिन वहां फैला होता था। इस गली में घनीभूत हो उठता था। मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर, उड़ीसा, आसाम न जाने कहां-कहां के लोग अपनी वेशभूषा में, अपनी सांस्कृतिक छवि में दिखाई पड़ते। बंगाल तो खैर बनारस का एक स्थायी भाग ही है। बनारस का एक और रंग उसका आना रंग था—लोक-संस्कृतियों का रंग। इस बनारस को मैं अब तक कितने ही पर्व-त्योहारों के बीच देख चुका था। लगता था कि बनारस शहर होकर भी जैसे एक बहुत बड़ा गांव हो जिसमें गांव की न जाने कितनी संस्कृतियां, कितने स्वर, कितने रंग समाहित थे। मैंने सावन में बनारस को देखा—प्राकृतिक हरीतिमा और मानवीय हरीतिमा के बीच बनारस सावनमय हो गया था। उनये-उनये बादल, रिमझिम-रिमझिम वृष्टि, जगह-जगह भीगते और झूमते हरे-हरे पेड़ और यहां-वहां पेड़ों की डालों में या ओसारे में पड़े हुए झूले, धानी परिधान में झूले झूलती तथा कजली गाती युवतियां। पर्व के दिनों में जिस गली से निकल जाओ स्थानीय या गांव से आयी युवतियों का गाता हुआ एक झुंड दिखाई पड़ जाता। यहां-वहां अखाड़े आबाद थे। रातों को कही-न-कही कजली दंगल होता था। मुझे लगता था कि जो चीजें मेरे गांव में बिरल रूप में थीं वे यहां घनीभूत हो गयी हैं।

मैंने शरद में भी बनारस को देखा शरदमय होते। शरद तो त्योहारों से बजता हुआ अनुभव है। उमस-भरे भादों के विषम भागी वातावरण से निकला हुआ शरद ऐसा लगता है जैसे कीचड़ से लदा-फदा कोई व्यक्ति नहा-धोकर साफ-सुथरा होकर निकला है। सड़ी हुई चिड़चिड़ी गर्मी से निकालकर एक शान्त सौम्य और स्निग्ध समय के आत्मीय संसार में जीवन को ले आने वाली यह ऋतु कितनी प्यारी होती है। बनारस इसे जानता था। दशहरा, दीवाली और कार्तिक पूर्णिमा शरद के ये तीन बड़े पर्व हैं जो बनारस के वातावरण में और भी सजीव हो उठते थे, जगमगा जाते थे। दशहरे के अवसर पर प्रायः हर चौराहे पर एक जन-रामलीला होती थी। दिल्ली आने के बाद मुझे रामलीला को जन-रामलीला कहना पड़ रहा है। यहां की रामलीलाओं में पास से प्रवेश होता है। यानी रामलीलाएं चंदा देने वाले कुछ घरानों की शौकिया चीज हो गयी है। यहां आने से पहले मैंने रामलीला का यह बंद प्रदर्शन नहीं देखा था। इसलिए इस लीला की सापेक्षता में पहले की लीलाओं को जन-रामलीला कह रहा हूं जिनमें कोई तंबू नहीं, कोई घेरा नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं था। वे जनता के बीच चलती-फिरती रामलीलाएं थी। बनारस की रातें ऐसी रामलीलाओं से जगमगा उठती थीं। कार्तिक पूर्णिमा को गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक स्नानार्थियों के आने-जाने के लिए लोहे के तारों से घेरकर गलियां बना दी जाती थी। ऐसा प्रायः हर बड़े स्नान-पर्व पर होता था, किन्तु

कार्तिक पूर्णिमा का तो अपना ही रंग होता था। जो रंग मैंने बड़हलगंज में देखा था उससे अधिक व्यापक और घनीभूत रंग यहां दिखाई पड़ता था। इस भीड़ में शहर तो होता ही था, देहात ज्यादा होता था। ठट्ट के ठट्ट लोग गाते-बजाते देहात से चले आते थे। बनारस जैसे गीतात्मक महाकाव्य बन जाता था। धार्मिक आस्था का गहरा दबाव मैंने कभी नहीं अनुभव किया। अब तो बिलकुल ही नहीं करता, तब भी बहुत कम करता था इसलिए इन धार्मिक पर्वों को मैंने सदा सांस्कृतिक पर्व के रूप में ही अनुभव किया। मैं गंगा-स्नान नहीं करता था किन्तु गंगा-स्नान करने आयी भीड़ के सौन्दर्य में स्नान जरूर करता था। विविध रूप-रंग, स्वर, गंध से लहराते इस भीड़ के समुद्र में मैं घंटों बहता था, देहाती स्मृतियां जाग उठती थीं और मन के भीतर एक रूमानी महक भरी होती थी।

मेलों के साथ एक विकृति जुड़ी हुई है, उसे देहात में भी अनुभव करता था और इस धार्मिक पवित्र कहे जाने वाले शहर में भी। वह है लड़कियों से छेड़छाड़। दशाश्वमेध घाट पर बहुत-से लोग तो इसलिए घूमते रहते कि वे कपड़े बदलती औरतों को देख सकें। खैर, यह प्रलोभन बहुत सहज है और आंखें निरापद ढंग से अपना काम कर लेती है, किन्तु छेड़-छाड़ के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और यह प्रयत्न शोहदे लोग ही करते हैं। बनारस में शोहदों की कमी नहीं थी, इसका अनुभव मैंने अपने बनारस-निवास के दस वर्षों में लगातार किया। शोहदों की कमी तो नहीं है, न किसी गांव में, न शहर में, किन्तु बनारस का जो बिब लेकर मैं वहां गया था वह कुछ और ही था और वहां भी शोहदों के वही दृश्य देखकर मन कुछ खिन्न हो उठ्य, किन्तु बाद में यह सब देखते-देखते उसे किसी भी स्थान का सहज गुण मान बैठा। और जब यह फिकरा सुना कि— “रांड, सांड, सीढ़ी, संन्यासी, इनसे बचें तो सेवें काशी” तो समझ गया कि यहां शोहदई के खतरे बहुत हैं। बहुत पहले मे लोगों ने इस खतरे का अनुभव कर रखा है। इनसे बचकर जो काशी बनती है वह अद्भुत है। इनसे बचकर जो काशी का सेवन करना है वह असली काशी का सेवन करता है।

बनारस का राजनीतिक रंग भी कम सुंदर और जीवंत नहीं था। काशी विद्यापीठ का सारा माहौल ही राजनीतिक था। वह तो जैसे राष्ट्रीय चेतना से निर्मित ही हुआ था जहां अनेक समाजवादी नेता अध्यापन करते थे। वहां स्थित भारतमाता का मंदिर बहुतों का प्रेरणा-स्रोत था। बनारस आने वाले लोग उसे अवश्य देखते थे। पंडित मदनमोहन मालवीय का हिन्दू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय चेतना के उन्मेष का केन्द्र था। वह उच्चकोटि के विद्वानों और राजनेताओं का गढ़ था। बाबू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित ‘आज’ राष्ट्रीय स्वर का समाचार-पत्र था और पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा संपादित ‘संसार’ को भी राष्ट्रीय चेतनामय होना ही था। ये दोनों पत्र खुलकर राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति देते थे; बिद्रोही कविताएं, कहानियां और लेख छापते थे। आये दिन राष्ट्रीय नेता आया करते थे और किसी बड़े मैदान में सभा होती थी। कभी नेहरू जी, कभी डा० लोहिया, कभी जयप्रकाश नारायण जी, कभी आचार्य नरेन्द्र देव, कभी आचार्य छपलानी आता-करते-ले अपने स्वर से गुंजा-जाते थे। बन्धू-संपूर्णानंद,

श्री श्रीप्रकाश, कमलापति त्रिपाठी आदि तो वहाँ-थे ही। उसी साल यानी सन् '46 में ही शाहनवाज आये थे। नेता जी की गुंज भरी थी। उनके चार विशिष्ट सहयोगियों दिल्लीन, सहगल, शाहनवाज और लक्ष्मीबाई के नाम भी चारों ओर गुंज रहे थे। नेहरूजी ने इनका मुकदमा लडा था और ये छूटकर जेल से बाहर आये थे। जिस दिन शाहनवाज बनारस आये, उस दिन बनारस के उस्लास की सीमा नहीं थी। टाउन हॉल में दो लाख आदमी जमा हुए और शाहनवाज ने अपने जीवन्त अंदाज में जो भाषण दिया वह राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक एकता और बलिदान का उत्साह वातावरण में भर गया। कई दिनों तक हम लोग एक अद्भुत उमंग और ताजगी का अनुभव करते रहे।

हमारे स्कूल का वातावरण भी बहुत प्यारा था। प्राचार्य जटाशंकर शर्मा अंगरेजी पढ़ाने थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मेरी अंगरेजी बहुत कमजोर थी फिर भी व्याकरण ठीक-ठाक था। शर्मा जी मुख्यतः अंगरेजी व्याकरण ही पढ़ाते थे। मैं अंगरेजी की कक्षा में प्रायः संकुचित रहता, लेकिन विडंबना यह थी कि शर्मा जी लड़कों से व्याकरण पूछते-पाछते जब उत्तर नहीं पाते तो अंत में मेरी ओर देखते और कहते—तुम तो बताओगे ही। मैं बता भी देता। शर्मा जी के अपने प्रति इस अगाध विश्वास ने मुझे व्याकरण के प्रति अत्यधिक सचेत कर दिया और सचमुच मेरा व्याकरण बहुत अच्छा हो गया। हिन्दी व्याकरण की पृष्ठभूमि भी इसके लिए कुछ-कुछ उत्तरदायी है। शर्मा जी की आंखें मुझ चुपे व्यक्ति के भीतर न जाने क्या-क्या देख लेती थीं। परीक्षा नजदीक आयी तो एक दिन शर्मा जी ने कक्षा में छात्रों से पूछा—“हां भाई, कौन-कौन लोग फस्ट क्लास आयेंगे?” क्लास के तीन-चार मुखर स्वभाव के छात्रों ने हाथ उठा दिये। शर्मा जी ने उन्हें देखा। मुसकराकर कहा—“अच्छा-अच्छा, हाथ नीचे कर लो।” फिर धीरे-धीरे मेरी ओर दृष्टि घुमायी और बोले—“मिश्रा, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया?”

“मैं नहीं जानता सर, मेरा कौन-सा डिवीजन आयेगा। कैसे हाथ उठा दू?”

वे फिर मुसकराये—विश्वास की दीप्ति थी उसमें। बोले—“लेकिन मैं जानता हूँ। तुम्हारे बारे में तो जरूर जानता हूँ।”

मैं सकुचाया। पूरी क्लास में मुझे प्राचार्य की ओर से जो अतिरिक्त स्नेह मिला, वह मेरे लिए बहुत मूल्यवान था। वह दायित्व का एक भार भी था जिसे निभाना था। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैंने उनका विश्वास तोड़ा नहीं। अच्छे अंकों से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। पंडित प्रद्युम्न पांडे हिन्दी पढ़ाते थे। वे साहित्यरत्न थे, अच्छा पढ़ाते थे। जब वे क्लास ले रहे होते तो मैं दूर घास पर बैठा होता। मुझे अभिमान था कि मैं भी तो साहित्यरत्न हूँ। एक साहित्यरत्न की कक्षा में दूसरा साहित्यरत्न कैसे बैठ सकता था? मैं वैसे तो उस स्कूल का विद्यार्थी होने के नाते उनका विद्यार्थी ही कहा जाता, लेकिन समान शिक्षा की एँठ मुझे उनकी क्लास में बैठने नहीं देती और वे भी इस समानता का अनुभव करते थे। इसलिए मुझे समानता का व्यवहार देते थे। लेकिन जब मैं हिन्दी की किताब पढ़ता तो कई जगह कठिनाई अनुभव करता। कच्ची उम्र में केवल साहित्यरत्न पास कर लेने से ही कोई हिन्दी साहित्य का मर्मज्ञ तो नहीं हो जाता और न उसके पूरे टेक्स्ट पर उसका अधिकार हो जाता है। प्रद्युम्न जी वह पुस्तक कई

वर्षों से पढ़ा रहे थे, उस पर उनकी पूरी तैयारी थी इसलिए उस पुस्तक पर उनका पूरा अधिकार था, मेरा नहीं था। अधिकार नहीं होने पर भी मेरा अहंकार मुझे उनकी क्लास में बैठने नहीं देता। हां, जब वे संस्कृत पढ़ाते थे तो मैं उनकी कक्षा में बैठता था। यह अहंकार हास्यास्पद तो था लेकिन मेरा एक लाभ किया। मैं हिन्दी से अकेले जूझने की प्रक्रिया में काफी लहलुहान हुआ और संस्कृत में शिक्षक का सहारा होने के कारण, आश्वस्ति अनुभव करता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी में तो मुझे विशेष योग्यता (डिस्टिक्शन) प्राप्त हुई और संस्कृत जैसे अंक-दिखाऊ विषय में यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका।

22

एडमिशन की परीक्षा देकर घर आ गया। पेपर अच्छे हुए थे तो भी क्या होगा, चिंता बनी हुई थी। वे लोग धन्य हैं जो एक काम करके निश्चित हो जाते हैं और वर्तमान या भविष्य की ओर देखने लगते हैं। शिक्षक होने के कारण मैं अपने छात्रों को समझाता हूँ, जो बात गयी वह लौटकर तो आने की नहीं, उसे छोड़ो और आगे की सोचो; किन्तु मैं स्वयं जो बीत गयी, उससे उबर नहीं पाता। बात परीक्षा की ही नहीं है, जीवन की अनेक क्रियाओं की है। सोचता रहता हूँ, यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता। और विवेक के स्तर पर इस चिंता को झटककर फेंक देता हूँ, लेकिन यह चिंता कहीं से लौटकर मेरी संवेदना को कुरेदने लगती है। परीक्षाओं के संदर्भ में इस चिंता ने विशेष परेशान किया है। सो परीक्षा देने के बाद चिंतित था, जाने क्या होगा? दूसरी चिंता थी—आगे क्या करना है?

इन चिंताओं के साथ गर्मी की छुट्टियां कट रही थी। दिनचर्या पहले जैसी ही थी। गांव आकर मैं किसान का लड़का बन जाता था। खेती-बारी, घर-गृहस्थी के कामों से जुड़ जाता था। जब से बाहर गया तब से मेरे भीतर एक और मन उग रहा था जो गांव से कुछ-कुछ तनने लगा था। इस बार तो वह मन ज्यादा ही मुखर हो आया था। बनारस जैसे शहर में अच्छे स्तरों के लड़कों की जीवनचर्या से परिचित होकर तथा साल-भर स्वयं अपेक्षाकृत स्तरीय जिन्दगी जीकर तथा साहित्यिक वातावरण का रस पीकर वह मन देहात के धूल-धक्कड़-भरे जीवन से कुछ अरुचि महसूस करने लगा था। यह भी क्या जिन्दगी है कि स्टेशन पर उतरो तो अपना सामान-बामान सिर पर लादे हुए दस मील की दूरी पैदल तय करके घर पहुंचो और दंबरी हांको, भूसा ढोओ, खेत गोड़ो, बैलों को सानी-पानी दो, फिर अनेक किसानी कार्य करो। मेरे भीतर से एक शहरी सुविधावादी मन झांक रहा था जो कुछ कर तो नहीं पा रहा था किन्तु भीतर-भीतर मेरी स्थिति के प्रति एक हलकी-हलकी अरुचि पैदा कर रहा था। मैं अपनी स्थितियों से उसी

तरह जुड़ा था और सारे कार्य कर रहा था किन्तु उनके प्रति लगाव कहीं से दरक रहा था। सोचता था—इतनी लंबी छुट्टी देहात की इस भीषण हाहाकार-भरी गर्मी में कैसे कटेगी? लेकिन कट ही रही थी। इस गर्मी और किमानी कार्यों की गुस्ता के साथ-साथ गांव-घर का अपना आकर्षण भी तो था—मां का प्यार था, पिता की वात्सल्य-छाया थी, भाभियों की गहमागहमी थी, शादी-ब्याह की चहल-गहल थी; बारातें थी और मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे थे—यही न कि घर पर बीबी का साहचर्य था 'हां था, लेकिन नहीं था। उस समय परिवार में खुलकर पत्नी से बातचीत करना संभव नहीं था। और यदि संभव रहा होता तो भी कुछ खास बात नहीं रही होती। शहर की रंगीनियों में आंखें खोलते और साहित्य-जगत् की नायिकाओं से परिचित होते मेरे मन को उस सीधी-सादी, अरुमानी मन और तन वाली औरत में कौन-सा आकर्षण दिखाई पड़ता कि उसके साहचर्य में वह गर्मी की भारी छट्टियों को सरल और हलका बना लेता?

परिणाम की प्रतीक्षा थी। ज्यो-ज्यों उसके घोषित होने के दिन गमीप आ रहे थे, घबराहट बढ़ती जा रही थी। भइया इन दिनों बच्चा बाबू के मूल निवास बरही में ही नियुक्त थे। मैं सबेरे-सबेरे वही पहुंच गया। हम खा-पीकर बैठे तो अखबार वाला दिखाई पड़ गया। मैंने पूछा—“यहां अखबार आना है क्या?” “हां, नरेश बाबू के यहां आता है। क्यों?” “इन दिनों परीक्षाफल निकलना चाहिए।” “अभी मंगाते हैं।” कहकर भइया ने एक आदमी को अखबार लाने को भेज दिया। जो धुक-धुक करने लगा। न जाने क्या होगा? कहीं अंगरेजी में फेल न होऊँ। पूगी सूची पर नजर फेर गया। मेरे तो प्राण टंग गये। कहीं भी मेरा नंबर नहीं मिला। क्या मैं दुबारा फेल हो गया?

“क्या है?” भइया ने पूछा।

“नंबर मिल नहीं रहा है।” मैंने परेशान स्वर में कहा।

“क्या?” भइया चौंके। “ऐसा कैसे हो सकता है?” कहकर उन्होंने अखबार मेरे हाथ से ले लिया और मेरा नंबर पूछकर देखने लगे। चार-पाच सेकंड बाद ही खुशी से चिल्लाये—“यह क्या है तुम्हारा नंबर। शुरू में ही तो था।”

“कहां?” मैंने उनके हाथ से अखबार ले लिया और देखा शुरू में ही मेरिट लिस्ट वालों के नंबर दिये गये थे। मेरा नवां नंबर था। हिन्दी और गणित में डिस्टिक्शन भी था। वास्तव में मैं मेरिट लिस्ट वाला कालम छोड़ गया था। विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा नंबर उसमें होगा और भइया को विश्वास रहा होगा कि मेरा नंबर यही कहीं होना चाहिए। दरअसल मेरी क्षमता पर जितना दूसरे विश्वास करते रहे हैं उतना मैं स्वयं नहीं। हो सकता है मैं अपने बारे में तटस्थ नहीं हो पाता होऊँ इसलिए सही आकलन नहीं कर पाता। हमेशा कम ही आंकता हूँ। दूसरे लोग तटस्थ होकर देखते हैं इसलिए वे ठीक अनुमान लगा लेते हैं।

मेरे फस्ट पैस होने की खुशी में भइया शाम को मेरे साथ ही घर लौटे। मैंने पूछा—“अब?”

“अब क्या, तुम हिन्दू विश्वविद्यालय में नाम लिखाओ और पढ़ो।”

मैं उनके स्नेह में भीग आया किन्तु न जाने क्यों हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश का एक आतंक मेरे मन पर था। इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने की सामर्थ्य जुटा पाऊंगा क्या? न जाने कितना खर्चा बैठे?

“तुम चिन्ता न करो, मैं सब दख लूंगा।”

मैंने बी० एच० यू० में नाम लिखाने के लिए प्रस्थान किया तो भइया ने प्रवेश-शुल्क के अतिरिक्त एक हजार रुपये इकट्ठे दे दिये और कहा कि पोस्ट आफिस में डाल देना और जरूरत के मुताबिक निकालते रहना। कोई तकलीफ मत सहना। जरूरत पड़े तो फिर लिखना।

उन्होंने मेरी पढ़ाई-लिखाई के लिए जैस अपने को अगिन कर दिया था। वे अपने को निचोड़कर और देना चाहते थे और मैं कम-से-कम लेना चाहता था। मेरी जरूरतें बहुत कम थीं, उन्हें भी जितना कम करना संभव होता करता था। मुझमें ऐसी कोई लत नहीं थी जो खर्च करने के लिए बेबस कर दे। मैं स्वभाव से मितव्ययी रहा हूँ। इसलिए भइया के अधिक-से-अधिक देने को अपने कम-से-कम लेने की प्रकृति से सीमित करता रहा हूँ। जब बी० एच० यू० पहुंचा तो बी० एच० यू० का डर मेरे मन पर तारी था। विशाल फाटक, उस पर अगरेजी और हिन्दी में लिखा हुआ उसका नाम। इसके भीतर एक बड़ी दुनिया है। मेरा देहाती मन माल-भर बनारस रहने के बाद भी शहरी आतंक से मुक्त नहीं हुआ था। और यह भी कि साल भर बनारस रहने के बावजूद मैं पहली बार बी० एच० यू० के दर्शन कर रहा था। इसलिए बनारस के आतंक से कुछ राहत पाकर भी मन बी० एच० यू० के आतंक को पहली बार झेल रहा था। पिछले साल हॉस्टल में विपिन के यहां के कुछ लोग विपिन के यहां आते थे जो बी० एच० यू० में पढ़ते थे। वे संपन्न परिवारों के लोग थे और मुझे लगता था कि इतने बड़े विश्व-विद्यालय में ऐसे ही संपन्न घरों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं बी० एच० यू० के गेट के भीतर घुसा तो मेरे जैसे तमाम लड़के दिखाई पड़े—सामान्य धोती-कुरता पहने, कुछ के पांव में मामूली चप्पल, तो कुछ नंगे पांव, आंखों में धूल-धूमरित अटट देहात की गहरी छाया, कुछ बड़ी-बड़ी चूटिया लहराते हुए। संपन्न घरों के बच्चे भी दिखाई पड़े किन्तु कुल मिलाकर बी० एच० यू० का भीतरी संस्कार सामान्य समाज का संस्कार लगा। कोट-पेंट वाली संस्कृति की अपेक्षा धोती-कुरता वाली संस्कृति अधिक दिखाई पड़ रही थी। मेरा सहमा हुआ मन कुछ आश्वस्त हुआ। यह दुनिया हमारे गांव-देहात की दुनिया से अलग कोई अजीब दुनिया नहीं है, बल्कि उसी से बनी हुई दुनिया है। कुछ लड़कों से बातचीत हुई। हम साथ हो गये। आर्ट्स कानेज पहुंचा। प्रवेश-पत्र भरा। बिड़ला हॉस्टल में दाखिले के लिए भी फार्म भरा। एडमिशन में अच्छे डिबीजन में पास होने के कारण मैं भीतर-भीतर आश्वस्त था कि किसी भी दाखिले में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। गाम को मैं डरते-डरते डा० रामअवध द्विवेदी के यहां गया। वे मन्नन द्विवेदी के छोटे भाई थे और अपने जवार के कस्बे गजपुर के निवासी थे। सुना था कि वे बहुत अच्छे आदमी हैं और विशेषतया अपने जर-जवार के लोगों के प्रति उनमें बड़ी आत्मीयता

है। फिर भी मन में डर था—एक तो वे बड़े प्रोफेसर हैं, दूसरे अंगरेजी के प्रोफेसर। यदि उन्होंने अंगरेजी में ही बातचीत शुरू कर दी तो मेरी तो हालत खराब हो जायेगी। डरता-डरता मैं उनके यहां पहुंचा। मैं ड्राइंगरूम में बैठाया गया। कुछ क्षण बाद ही एक सुदर्शन व्यक्तित्व भीतर से आया। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा—गौर वर्ण की लंबी काया, खादी का शुभ्र परिधान, चेहरे पर तेज। “कहिए ?” उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा।

“जी, मेरा गांव डुमरी है। यहां आई० ए० में दाखिला लेने आया हूँ।”

डुमरी नाम सुनते ही उनके गंभीर चेहरे पर देहाती खुलापन आ गया।

“अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा है, लीजिए एडमिशन। कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है? कोई कठिनाई हो तो बताइए।”

“फिलहाल तो कोई कठिनाई नहीं है।”

“मैट्रिक में कौन-सा डिवीजन है ?”

“फस्ट और हिन्दी तथा गणित में डिस्टिक्शन है।”

“बहुत अच्छा। तब क्या कठिनाई होगी? आपकी फीस भी माफ हो जायेगी और वजीफा भी दिलवा दूंगा।”

“जी, आपकी कृपा।”

“रहेंगे कहां ?”

“जी, बिड़ला हॉस्टल में दाखिले के लिए फार्म भर दिया है।”

“हां, यह बहुत अच्छा किया। हॉस्टल में सुविधा होती है पढ़ाई-लिखाई की।”

वे बोले।

“जी, यही मोचकर वहां दाखिला चाहता हूँ।”

मैं वहां संकोच लेकर गया था लेकिन दिवेदी जी के साहचर्य में वह न जाने कब टूट गया। वे गांव-जवार की बातें करने लगे, मेरे गांव के कुछ लोगों के मजाकिया प्रसंग ढूँढ़ लाये और मस्ती से हंसते-हंसाते रहे। अंगरेजी के इस वरिष्ठ प्रोफेसर के भीतर एक देहाती बच्चा छिपा हुआ था जो न जाने कितने अगंभीर विनोदी प्रसंग याद कर-करके हंस रहा था, हंसा रहा था। उनकी हंसी में एक तरल खिलखिलाहट थी, निश्छलता थी।

कस्बा गजपुर, राप्ती नदी, राप्ती का कछार, कछार की फसल दिवेदी जी की हंसी में एक साथ मुखर हो रहे थे और मुझमें अपनापन भर रहे थे। जब मैं वहां से उठा तो एक बड़े प्रोफेसर के स्नेह की महक मेरे भीतर थी और इस महान् संस्था को लेकर मेरे मन में उपजे आतंक की एक पर्त और टूट चुकी थी।

बिड़ला हॉस्टल में कमरा मिल गया था। वार्डन थे डा० राजबली पांडेय। उन्हें मैं कुशीनगर वाले अधिवेशन में सुन चुका था और बहुत प्रभावित हो चुका था। वे अपने ही जिले के हैं, यह भी ज्ञात था। वे मेरे वार्डन हैं, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। उनसे मैं मिला। वहां भी वही सादगी, वही आत्मीयता, वही देहातीपन जो रामअवध जी के यहां दिखाई पड़ा था। पांडेय जी भी दिवेदी जी की तरह गांव-घर की

याद से बच्चों की तरह हंसते थे। इतने बड़े पंडित और बच्चे की-सी सहजता। यह बात मुझे वहां की तरह यहां भी प्रभावित कर रही थी। वेश-भूषा भी वही। अंतर इतना था कि द्विवेदी जी टोपी नहीं लगाते थे और पांडेय जी लगाते थे। थोड़े ही अरसे में मैं उनके समीप आ गया था। मैं कविताएँ लिखता हूँ यह बात शीघ्र ही प्रचारित हो गयी—पत्र-पत्रिकाओं के भी माध्यम से और वहां आयोजित होने वाली कविता-गोष्ठियों के भी माध्यम से। पांडेय जी यो तो प्राच्य इतिहास के पंडित थे लेकिन साहित्य में भी उनकी गहरी पैठ थी, अतः वे हॉस्टल तथा हॉस्टल के बाहर की कवि-गोष्ठियों में जाया करते थे। मुझे सुनते रहते थे और उन्होंने मेरे साथ गुरु-शिष्य भाव के अतिरिक्त साहित्य के एक सहभाव का सम्बन्ध भी बना लिया था। मैं उनसे खुला भी था और उतना ही अदब से बात भी। पांडेय जी वार्डन तो थे लेकिन उनमें वार्डन का आतंककारी प्रशासनिक रूप नहीं था। वे विद्वान् थे, बड़े इमान् थे, अतः अन्य वार्डनों की तरह कमरों में आकर ताल-झाक करना उनका काम नहीं था। कभी-कभार मस्ती में निकल पड़ते थे और व्यंग्य-विनोद में विगड़त लड़कों को कोच भी देते थे और पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर देते थे। वार्डनों की निरंतर हस्तक्षेपी हरकतों की अपेक्षा इस कभी-कभार व्यंग्यात्मक हस्तक्षेप का प्रभाव अधिक पड़ता था। लोग उनका सम्मान करते थे। वे अपने मारे पांडित्य के बावजूद छात्रों में घुल-भिल जाते थे।

सुना था य और इन जैसे अनेक लोग अभावग्रस्त परिवारों में आये थे और मालवीय जी की पारखी दृष्टि ने इनकी प्रतिभा की पहचान की थी और इन्हे पढ़ने की अनेक सुविधाएं दी थी। मालवीय जी की महानता की स्तुति की जाय या इन प्रतिभाओं की जिन्होंने सारी असुविधाओं के बीच अपने विकास और उन्नयन का मार्ग खोजा। दोनों ही स्तुत्य हैं। सोचता हूँ डा० राजबली पांडेय या ऐसे अनेक लोग अपनी विद्वता में आतंकित न कर अपने को सहज बनाये रह सके तो इसीलिए कि वे देहान के अभाव-ग्रस्त परिवारों में आये थे और जीवन के उस दर्द को पहचाना और जिया था जो इसान को इसान से जोड़ता है, जो भेदभावों से परे जाकर मनुष्य की एक केन्द्रीय चेतना की पहचान करता है। पांडेय जी के पास हम लोग अपनी समस्याएं लेकर महज भाव से जाते थे और वे रस लेकर उन्हें सुनते थे और निराकरण करने का प्रयत्न करते थे। यानी छोटी-छोटी बातों के लिए छात्रों के क्रिया-कलापों में हस्तक्षेप तो नहीं करते थे किन्तु उनकी बुनियादी समस्याएं सुनते थे। उनके वार्डनशिप में मैं पांच वर्षों तक रहा और न जाने कितने आत्मीय क्षण उन्होंने मुझे और औरों को भी दिये, सभी याद तो नहीं किन्तु उनका एक ममन्वित प्रभाव अभी भी मेरे भीतर महक रहा है।

वी० एन० यू० के थोड़े ही दिनों के अनुभव ने मुझमें एक आश्वस्ति भर दी। आतंक समाप्त हो गया और लगा मैं अकेला नहीं हूँ, अपने जैसे अनंत छात्रों की भीड़ का एक अंग हूँ। कक्षा में और हॉस्टल में भी बहुत-से अमीर लड़के थे—यानी शहरों से आये हुए संपन्न और सुशिक्षित घरों के लड़के। कुछ देहातों के जमींदार घरानों से आये हुए लड़के थे, किन्तु अधिक संख्या सामान्य देहाती परिवारों से आये लड़कों की ही थी। किन्तु एक बात अनुभव कर रहा था कि वहां अमीर-गरीब परिवारों

से आये होने का बोध नगण्य था। शायद बी० एच० यू० की आबोहवा ही ऐसी थी कि उसमें न अमीरी का रोब गालिब हो सकता था और न गरीबी के लिए हीनता-ग्रंथि बनने की कोई विवशता पैदा होती थी। पूरे वातावरण में राष्ट्रीयता और देशीपन का सहज प्रवाह बहता था। बहुत कम लोग थे जो कोट-पेंट पहनते थे, तमाम विभागों के अधिकांश लोग धोती-कुरता ही पहनते थे। अंगरेजी के विभागाध्यक्ष मेनन माहब तो कभी-कभी मद्रासी लुगी पहनकर आते थे। मालवीय जी जिन्दा थे यद्यपि एकदम अशक्त हो गये थे। उनका प्रभाव मानों अभी भी पूरे वातावरण में व्याप्त था। राष्ट्रीय आंदोलन की मरगर्मी छापी थी और सारे छात्र-नेता धोती-कुरता वाले थे और सामान्य घरों के ही थे। बी० एच० यू० आई० सी० एम० पैदा करने के लिए नहीं, नेता और विद्वान् पैदा करने के लिए विख्यात था। अतः वहाँ महजना की हवा प्रसन्न रूप में बढ़ती थी।

मेरे लिए कुठित न होने की दो वजहें और थी—एक कवि होना, दूसरी मैट्रिक में मेरी प्रथम श्रेणी। मैं कवि-रूप में जान लिया गया था। लोग मेरे कमरे में आने-जाने थे। पाडेय जी भी कभी-कभी कृपा करते थे, इसलिए मुझे एक वैशिष्ट्य प्राप्त हो गया था जिसमें मेरा पारिवारिक स्तर मुझे कभी चिढ़ाना नजर नहीं आता था। हॉस्टल में रहने वाले अपने सामाजिक स्तर के तथा ऊँचे स्तरों के अनेक कक्षाओं के छात्रों में बराबरी का एहसास सम्बन्ध बन गया था। इतना होने के बावजूद मेरी मैत्री अपने ही सामाजिक स्तर के लोगों तक सीमित थी। मैं वही, 'एट होम' अनुभव करता था। सब पूर्णतः तो वहाँ किसी को हम बान की चिन्ता ही नहीं थी कि कौन कहा में, किस आर्थिक श्रेणी में, किस प्राय या जानि से आता है। लोग महर्धर्मिता तथा पहचान के आधार पर एक-दूसरे में जुड़ते थे।

मेरी कविता ने मुझे बहुत महाराग दिया है। उमने मुझे अस्मिता दी और हीनता की भावना से उबार। यह त के एक सामान्य से घर में आया हुए युवक में था ही क्या जो दतनी बटी भीड़ में कही दिखाई पड़ता। बस, कविता थी जिसके नाते मैं वैशिष्ट्य प्राप्त करता गया। बिना हॉस्टल में कई साहित्यकार छात्र थे और अनेक छात्र साहित्यिक रुचि के थे। मेरे बगल के कमरे में शिवमागर मित्र थे तथा उसी विंग में रामविनायक सिंह थे, शंकरलाल मस्करा थे, उमाकान्त वर्मा थे और बहुत-से लोग थे। सभी मुझसे सीनियर थे। शिवमागर, रामविनायक और शंकरलाल मस्करा अच्छी कविताएं लिखते थे। उमाकान्त वर्मा कहानीकार थे। उन्हें अपनी पूरी कहानी जवानी याद रहती थी। गोष्ठियाँ जमती थीं, कवि-सम्मेलन होते थे। मेरी विशेषता इस बात में भी थी कि मेरी रचनाएँ स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में खूब छपती थी। मित्र लोग पढ़ते थे और तारीफ करने के लिए मेरे कमरे में आ जाते थे। त्रिचोचन शास्त्री ने भी मैट्रिक पास कर लिया था और इंटर की तैयारी कर रहे थे। वे भी हॉस्टल में आ जाया करते थे। ठाकुर प्रसाद सिंह से भी परिचय हो गया था। वे बी० ए० में थे और ईश्वर-गंगी में साइकिल पर आते थे। रामविनायक सिंह ठाकुर के मित्र थे और रामविनायक मेरे

मित्र थे। रामबिनायक के माध्यम से ही ठाकुर प्रसाद से मेरा परिचय हुआ और घीरे-घीरे घना होता गया।

उन दिनों प्रगतिशील कवि शिवमंगल सिंह सुमन शोध-कार्य कर रहे थे। उमाकान्त वर्मा उनसे हिले-मिले थे। उमाकान्त के जरिए सुमन जी से परिचय हुआ। सुमन जी का व्यक्तित्व बहुत मोहक था। विश्वविद्यालय की बड़ी-बड़ी हस्तियों से उनका सम्बन्ध बन चुका था। उन्हें ज्यों-ज्यों जाना, उनकी यह पहचान उभरती गयी कि उनमें ऐसा कुछ है कि वे सब जगह अपना सिक्का जमा लेते हैं। चाहे व्यक्ति हों, चाहे सत्ताएं, सुमन जी की पैठ सब जगह हो जाती है। सत्ताएं बदलती रहती हैं, सुमन जी के बर्चस्व पर असर नहीं पड़ता, उनका जादू बरकरार रहता है। सुमन जी के रूप-रंग में जो मोहकता है वही उनके बोलने-चालने के ढंग और व्यवहार में भी। वे बहुत स्तरीय ढंग से रहते थे। शोध-छात्र होकर भी बड़े-बड़े प्रोफेसर के मित्र थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे हम नये लोगों को बहुत स्नेह देते थे। कविताएं सुनते थे (वैसे सुनने की अपेक्षा सुनाते थे), सराहते थे, विश्वविद्यालय की कविता-गोष्ठियों में साथ ले जाते थे और कवि-सम्मेलनों की हड़दंग में हम लोगों की रक्षा करते थे। वे तो सिद्ध काव्यवाचक थे। एक खास अदा से कविता पढ़ते थे। उनकी जुबान की भंगिमा के साथ-साथ उनके हाथों और चेहरे की भंगिमा भी कविता पढ़ती थी। अपने बालों को झटककर, कभी शरमाकर, कभी रोष में आकर, कभी बांहें उठाकर, कभी उनमें एक लोच देकर जब वे पढ़ते थे तो हड़की हुई भीड़ शांत हो जाती थी, सुनती थी, तालियां बजाती थी। उनकी कविताएं सीधी अभिधात्मक होती थीं, उनकी चोट सीधी होती थी। सुमन जी में छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं था। वे सहज भाव से मिलते थे और जब भी मिलते थे अपने-आप अपनी कविताएं सुनाने लगते थे—चाहे बैठे हों, चाहे साथ चल रहे हों, चाहे रिक्शे पर हों, चाहे रेलवे प्लेटफार्म पर हों (हम कभी-कभी उन्हें छोड़ने स्टेशन भी जाते थे)। उनकी यह सहजता हमें अच्छी लगती थी। हम गौरव अनुभव करते थे कि इतना बड़ा कवि हमें अपने-आप ताबड़तोड़ कविताएं सुनाए जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कहने पर नहीं सुनाते, अपने बड़प्पन की ऐंठ दिखाते हैं।

त्रिलोचन जी हम लोगों के यहां आते-जाते थे। वे भी बहुत सीधे थे। छोटे से छोटे, नये से नये कवि से उनकी यारी हो जाती थी। लेकिन साथ ही उनमें एक जबर्दस्त अकड़ थी। वे बड़े-बड़े लोगों को ठोंगे पर रखते थे, चाहे इसके लिए कितनी भी हानि उठानी पड़ रही हो। वे सुमन जी के मित्र थे लेकिन उनके प्रशंसक नहीं थे। उनमें असंतुलन भी था यानी मूडी थे। जिस कवि या कहानीकार को आज कहते थे कि तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, तुमसे बहुत संभावनाएं हैं, उसी से किसी दिन यह कहते हुए सुनाई पड़ते थे कि “तुम कविता या कहानी लिखना छोड़ दो।” बहुत-से लोग आहत हुए। कइयों ने सुमन जी से कहा। सुमन जी ने त्रिलोचन जी को डाटा—“तुम इस तरह क्यों कहा करते हो?” लेकिन त्रिलोचन जी को याद भी नहीं रहता था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है।

आइए, जरा हॉस्टल की ओर से कॉलेज की ओर लौटें। अंगरेजी मेरी कमजोर

थी। इसे लेकर एक अजीब हीनता का बोध मुझे होता था। मेरी सारी ऊर्जा यहीं आकर हतप्रभ हो उठती थी। अंगरेजी की क्लास शुरू होने से पहले कई लोग दिखाई पड़े जो अपनी जुबान और वेश-भूषा में अंगरेजियत का खाब बरसा रहे थे। मेरा जी धक्क-धक्क करता था कि अंगरेजी जानने वालों की भीड़ में मेरी क्या स्थिति होगी? एक नाम अभी भी याद है सीताराम पांडे का। अंगरेजी की क्लास अभी शुरू नहीं हुई थी, हिन्दी की हो चुकी थी। इस छोटे से दौर में सीताराम ने अपनी काबिलियत, अपनी स्मार्टनेस और अच्छी अंगरेजी का आतंक जमा लिया था। मेरी तरह बहुत-से देहाती लड़के उनसे आतंकित हो उठे थे। आखिर अंगरेजी की क्लास शुरू हुई। क्लास थी डा० विक्रमादित्य राय की। धोती और लंबे कोट में अंगरेजी के अध्यापक को देखकर मेरे मन में अंगरेजी का जमा हुआ आतंक थोड़ा कम हुआ। उन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा—एकदम साफ-सुथरी समझ में आने वाली अंगरेजी। सीताराम मुझमें थोड़ी दूर पर बैठे थे। उन्होंने मुंह बिचकाया—“हूँ, देहाती अंगरेजी बोल रहा है।” इण्ट्रोडक्टरी भाषण दे चुकने के बाद डा० राय ने पूछा—“इस कक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से कितनों ने मैट्रिक में फर्स्ट क्लास पाया है?” मैं चौंका और इस आशय से चारों ओर देखा कि शायद बहुत-से हाथ उठें। कोई हाथ नहीं उठा था। मैंने हाथ उठा दिया। सीताराम के पास बैठे लड़के उन्हें कोचने लगे—“उठाओ भाई, हाथ उठाओ, तुम भी तो फर्स्ट क्लास हों।” सीताराम कोचे जाकर इधर-उधर उल्हमेल करते रहे लेकिन हाथ नहीं उठाया। डा० राय ने मुझे बुलाया और कहा कि हाजिरी तुम लिया करोगे।

क्लास छूटने के बाद लड़के सीताराम के पीछे पड़ गये—“अरे, तू तो बड़ी डींग हांकना था—मैं फर्स्ट क्लास हूँ, यह हूँ, वह हूँ...” सीताराम जान बचाकर भाग रहे थे और लड़के उनके पीछे पड़े थे। मैं सोच रहा था कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जिम विषय से मेरी रूह कांपनी है उसी का मानीटर बना दिया गया। कभी क्लास में डा० राय मुझसे कुछ पूछ देंगे और नहीं आयेगा तो क्या सोचेंगे? फर्स्ट क्लास विद्यार्थी की मिट्टी पलीद हो जायेगी। लेकिन मैं कर क्या सकता था? अंगरेजी के दूसरे प्राध्यापक थे—डा० टी० एन० सिंह। ये हमें कविता पढ़ाते थे। डा० राय गद्य पढ़ाते थे और उनमें गद्य-सी ही सफाई थी। डा० सिंह की वेश-भूषा आधुनिक थी और उनकी अंगरेजी हमारी समझ में न आने वाली थी। बहुत जल्दी-जल्दी ऊंची अंगरेजी बोलते थे तिस पर कविता का अध्यापन। सीताराम पांडे ने डा० सिंह की अंगरेजी सुनकर कहा—“हां, यह है अंगरेजी।” लेकिन हम लोग (यानी मैं और मेरे जैसे लोग) तो कुछ समझ ही नहीं पाते थे।

अंगरेजी के तीसरे अध्यापक थे चुनेकर जी। छोटे कद के थे। ये भी हर मौसम में पूरा सूट पहनते थे। बहुत सख्त और अनुशासनप्रिय अध्यापक थे लेकिन बुजुर्ग होने के कारण और नकली दांत के कारण साफ बोल नहीं पाते थे। तिस पर जल्दी-जल्दी बोलते थे। बहुत बोरियत महसूस होती थी। हाजिरी के बाद हम लोग यथासंभव क्लास में से निकल जाते थे। उनकी आंखें कमजोर थीं अतः भागते हुए लड़कों का देख नहीं

पाते थे। किताब भी आंख से खूब सटाकर पढ़ते थे। कुल मिलाकर उनकी क्लास हमारे लिए यातना थी। उन दिनों हिन्दी-प्रेम जोर मार रहा था, अतः कुछ छात्र उनकी क्लास में 'यस सर' कहने के स्थान पर 'उपस्थित महोदय' कह देते थे। इस पर चुनेकर जी भड़क उठते थे। वे या तो उस छात्र को फटकारते थे या क्लास से बाहर निकाल देना चाहते थे, लेकिन इससे अप्रभावित हुए बिना वे छात्र बिला नागा 'उपस्थित महोदय' कहते थे। चुनेकर जी एक दिन एक छात्र को लेकर पहुंच गये प्रिसिपल के पास। प्रिसिपल नाग बहुत दबग आदमी थे। अच्छी पर्सनैल्टी थी, गभीर चाल से चलते थे। नमस्कार करने पर हलका-सा सिर नवाकर उत्तर दे देते थे। उन्हें कभी हंमते नहीं देखा। चुनेकर जी उम छात्र को (शायद उमका नाम रमेशचन्द्र झा था) लेकर नाग माहब की ओर चले। रमेश बिलकुल भयभीत नहीं था। हम लोग मांस रोककर परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद रमेश लौट आये। नाग माहब ने रमेश को समझा-बुझाकर वापस भेज दिया और चुनेकर माहब को रोक लिया। उनसे क्या बान हुई यह तो पता नहीं चला किन्तु अगली बार जब रमेश ने 'उपस्थित महोदय' कहा तो चुनेकर माहब कुछ बोले नहीं। तब लगा कि नाग माहब ने उन्हें इन छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित न होने की सलाह दी थी। इसी बात को लेकर 'संसार' में बेधड़क जी की एक कविता भी छपी थी—

चले काटने पेड़ जड़ से पकड़ के
अंदेशा बना है कि पत्ता न खडके
उपस्थित महोदय जब कहते हैं लडके
चुनेकर महोदय न जाने क्यों भड़के

चुनेकर माहब के पढ़ाने में नीरसता भले रही हो लेकिन वे पढ़ाने अच्छा थे। अपनी तो अच्छी गति नहीं थी कि उनकी अच्छाई की पहचान करता किंतु अंगरेजी जानने वाले विद्यार्थी उनकी क्लास में डटे रहते। उनके एक व्यवहार ने उनके पांडित्य की ईमानदारी का बड़ा गहरा प्रभाव मुझ पर छोड़ा। वे पढ़ा रहे थे कि एक बंगाली लडके ने उन्हें टोक दिया —“सर, मुझे तो लगता है कि इसका अर्थ यह है।” चुनेकर जी पल-भर को रुके फिर बोले—“तुम ठीक कहते हो। मेरा अर्थ गलत था। मुझे शर्म आनी चाहिए अपनी गलती पर। एक प्राध्यापक होकर मुझे यह गलती नहीं करनी चाहिए।” बात आयी-गयी हो गयी लेकिन उनकी यह पंक्ति मेरे मन पर कहीं गहरे अंकित हो गयी। विद्यार्थियों के सामने अपनी गलती स्वीकार करने वाले आज कितने लोग हैं?

मैंने विषय लिए थे—हिन्दी, न गरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र। बी० एच० यू० में उन दिनों अन्य विषयों की भी पढ़ाई हिन्दी में शुरू हो गई थी। यानी अंगरेजी मैकशन के साथ हिन्दी सेक्शन भी था। मैं हिन्दी सेक्शन में ही था। डा० तिवारी और उमेशजी हमें अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। कन्हैयालाल वर्मा तथा बोरा माहब नागरिकशास्त्र। हमें कन्हैयालाल वर्मा का अध्यापन सबसे अच्छा लगता था। सीधी-सादी देगी वेश-भूषा में आते थे। उनकी धोती का एक छोर उनकी चप्पल के नीचे तक लहराता होता था। वे शुरू

मे अपने भाषण के सूत्र दे देते थे फिर धीरे-धीरे उनका भाष्य कर देते थे। पूरा भाषण एकदम साफ हो उठता था और हम लोग पूरा का पूरा भाषण उतार लेते थे। बोग साहब आभिजात्य के प्रतीक थे। बहुत सुन्दर व्यक्तित्व, सुन्दर आधुनिक वेश-भूषण, मुह में पान। बहुत नफासत से पढ़ाते थे। वे मूलतः अंगरेजी में पढ़ाते थे लेकिन उनकी हिन्दी भी अच्छी लगती थी—एक खाम स्वाद वाली हिन्दी। हिन्दी अपना विषय थी, अतः जाहिर है कि सबसे अधिक आश्वस्ति हिन्दी की कक्षा में मिलती थी। जहां तक मुझे याद है हमें डा० श्रीकृष्ण लाल, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और प० नन्ददुलारे वाजपेयी पढ़ाते थे। श्रीकृष्ण लाल जी गद्य पढ़ाते थे, विश्वनाथ जी कविता और वाजपेयी जी अनिवार्य हिन्दी के निबंध पढ़ाते थे। वाजपेयी जी की अपनी पहचान थी। तब वे पूरे हिन्दी विभाग में अलग रूप में जाने जाते थे। वे नये साहित्य के पक्षधर थे। वे छायावाद के श्रेष्ठ समीक्षकों में से तो थे ही, वे प्रगतिशील साहित्य के भी पक्षधर थे। उन्होंने एक गोष्ठी स्थापित की थी जिसमें नये कवि कविताएं पढ़ते थे। उम गोष्ठी का स्वर नव-चेतनावादी था। मैं नया था और वाजपेयी जी से मेरी व्यक्तिगत जान-पहचान नहीं बन पायी थी, अतः उनकी गोष्ठी में मन्गाना जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला किन्तु नया कवि होने के नाते अपरिचय के बावजूद उनसे जुड़ा अनुभव करना था। वाजपेयी जी का व्यक्तित्व दिव्य था—गोग रग, मझोला कद और धांती तथा रेशमी कुरता। उनके अरुणाभ मुखमंडल पर प्रतिभाक ओज के साथ-साथ सौम्यता की तरलता तैरती रहती थी। वे पढ़ाते या बोलते समय बार-बार अपने ओठों पर अगुली फेरते थे और चेहरे पर शरम की सी एक लाली आती-जाती रहती थी। निबंध की पुस्तक में उनका अपना भी एक निबंध था। उसे उन्होंने नहीं पढ़ाया। पढ़ाने का आग्रह करने पर यही कहते थे कि आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं अपना ही निबंध कैसे पढ़ाऊं ?

अध्यक्ष थे केशवप्रसाद मिश्र, जिनसे बाद में पढ़ने का अवसर मिला। उनके गायित्त्य और साहित्य-रसिकता की बड़ी धाक थी। प्रबू श्यामसुंदर दास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हरिऔध, डा० पीताम्बर दत्त बडधवाल को तो मैं नहीं देख पाया था किन्तु लगता था कि हिन्दी विभाग में उनकी महक फैली हुई थी जिसे हम महसूस करते थे और हिन्दी विभाग अपने वर्तमान रूप में इन विद्वानों की गरिमा वहन कर रहा था। हम अपने हिन्दी विभाग के यश में बहुत भरा-पूरा अनुभव करते थे।

बहुत सुंदर थी यह दुनिया। मात मील के घेरे में फैला हुआ हिन्दू विश्वविद्यालय अपने-जान में एक अलग संसार था—कॉलेजो, छात्रावासो, ऑफिस, आवासीय मकानों, बैंक, डाकखाने, अस्पताल से बना हुआ संसार। इस संसार में कितनी ही चिकनी-चिकनी सड़के, सड़कों के किनारे सघन वृक्ष, घास से शोभित खेल के मैदान, पार्क और बोटानिकल गार्डन। हम सुनह-सुबह घूमने निकलते थे और बोटानिकल गार्डन के प्राकृतिक से लगने वाले परिवेश में खो जाते थे—तालतलैया, बामो के झुरमुट, जंगली घासों, उनके बीच से गुजरती पगडंडियों के साथ-साथ आधुनिक उद्यानों की छवि भी उसमें वर्तमान थी—वह जैसे जीवन की सहजता और आधुनिकता के सगम वाले हिन्दू विश्वविद्यालय का

प्रतीक था। हिन्दू विश्वविद्यालय के महाद्वार से जो सड़क अंदर आती थी वह महिला कॉलेज और छात्रावास से सटी हुई सीधे गांव की ओर चली जाती थी। हम कभी उस सड़क पर टहलते होते तो गांव से आने वाले विविध कर्मियों से भेंट होती थी। लगता था कि हिन्दू विश्वविद्यालय में अंतरंग और बहिरंग दोनों ही रूपों में एक गांव घंसा हुआ है। मुनते हैं कि विश्वविद्यालय गांव की जमीन पर ही बना हुआ है। कितने गावों को उजाड़कर यह बनाया गया है। यह क्रिया स्थूल रूप में बहुत ही अमानवीय लगती है और वह तमाम उजड़ते घरों की यातना के चित्र आंखों में उतार देती है, इसलिए हम पर हम सोचना नहीं चाहते थे और उस उजाड़ के बाद जो निर्माण हुआ है वह इतना महान् है, इतना लोक-कल्याणकारी है कि उजड़ने की यातना इसके सर्जना-सुख में विलीन हो जाती है। हर निर्माण के पीछे एक उजाड़ तो होता ही है, किन्तु ऐसे भी तो उजाड़ होने हैं जो बस उजाड़ होते हैं, उन पर कोई रचना नहीं बनती या बनायी जाती। देश, धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर छोटे-बड़े तानाशाह आखिर उजाड़ने के सिवा करते क्या हैं, किन्तु इस उजाड़ के पीछे तो मालवीय जी का एक सपना था। उस सपने को रचने के लिए मालवीय जी को थोड़ी जमीन चाहिए थी, थोड़ा फलक चाहिए था, वह फलक उन्होंने प्राप्त किया और उस पर अपने बड़े स्वप्न का यह चित्र प्रस्तुत किया। इस चित्र का फलक गांव की जमीन है इसलिए लगता है उस फलक के भीतर का रूप, रस, गंध, स्पर्श इस चित्र में रसा-बसा हुआ है। सही अर्थों में यह गांव का विश्वविद्यालय है।

शाम को विश्वविद्यालय की सड़कें गहमा-गहमी से भर जाती थी। सारी सड़कें लंका, अस्ती, गोदौलिया की ओर भागने लगती थीं। कुछ लोग शहर में मटरगश्ती करने जा रहे हैं या सिनेमा देखने जा रहे हैं, बाकी बस लंका या अस्ती तक मनबहुलाव करने जा रहे हैं। शाम को घूमने के पीछे एक खास आकर्षण होता था महिला कॉलेज। जेल की दीवारों की तरह ऊंचे प्राचीरों में घिरा महिला कॉलेज और छात्रावास जैसे दिन-भर की घुटन के बाद शाम को खुलता था और लड़कियां भी थोड़ी राहत की सांस लेने के लिए या बड़ी दुनिया से जुड़ने के लिए चहारदीवारी से बाहर निकलती थी। कुछ चहारदीवारी के महाद्वार पर अपने से मिलने आये हुए लोगों से मिलती थी। छात्र इन मिलने वालों को ईर्ष्याभरी नजरों से देखते थे और सोचते थे, काश, वे भी किमी से मिल पाते। लड़के-लड़कियों में एक खास दूरी थी इसलिए लड़कियां लड़कों के लिए एक नायाब चीज मालूम होती थीं। इस दूरी के तहत ही उनमें सहजता नहीं आ पाती थी और लड़के अपनी अतृप्त प्यास की अभिव्यक्ति के लिए बोली-ठोली कसते थे, लड़कियों के रिक्शों का दूर तक पीछा करते हुए रिमार्क कसते रहते थे। कुछ लड़कियां शायद इसे मन-ही-मन पसंद करती रहीं हों अन्यथा लड़कों की यह हरकत उन्हें अच्छी-खासी परेशानी में डाल देती थी। कभी-कभी वे पलटकर धमकाती भी थीं और चप्पल-चोपल निकाल लेती थी।

जो भी हो लड़कियां जिस किसी उत्सव में पहुंचती थी, उत्सव जगमगा उठता था। इस जगमगाहट के उत्कर्ष का अनुभव मैंने बसंत पंचमी को किया। बसंत पंचमी के दिन हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था। मालवीय जी ने क्या सुन्दर दिन

चुना था। वसंत पंचमी सरस्वती का भी दिन है और वसंतागमन का भी दिन—यानी विद्या और सौन्दर्य दोनों के संगम का दिन। एक स्थान पर लड़कियां और लड़के एकत्र हुए। लगा जैसे वसंत मूर्तिमान हो उठा हो। सारी लड़कियां पीली साड़ी में थीं और लड़कों ने भी या तो पीली टोपी लगा रखी थी या पीला रूमाल ले रखा था। प्रकृति के पीताभ वातावरण में मानव-सौन्दर्य और परिधान की पीताभा लहरों की तरह लहरा रही थी। चारों ओर खिले हुए फूलों के बीच उत्साह से खिले हुए नेत्र वातावरण को एक अलग ही रस और गंध से उष्मित कर रहे थे। लगता था जैसे शून्य में हजारों कमल खिल गये हों और चल रहे हों। वसंत की शरारती हवा वस्त्रों से छेड़-छाड़ करती हुई बह रही थी। जुलूस शिलान्यास स्थान (जो महिला कॉलेज के प्राचीर के पीछे गंगा की ओर है) की ओर चल रहा था और 'परम मनोहर, अतीव सुन्दर ये सर्व विद्या की राजधानी', कुलगीत सामूहिक स्वर में गूंज रहा था। जुलूस के आगे-आगे कुलपति, उपकुलपति, अन्य अधिकारी तथा प्रोफेसरगण चल रहे थे। रूप, रंग, गंध, स्वर का जैसे एक पवित्र संगम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। सामूहिक सौन्दर्य का रूप अद्भुत होता है, उममें जो बाहरी और भीतरी लय होती है वह व्यक्तिगत सौन्दर्य में कहां? और सामूहिक मानवीय सौन्दर्य को यदि प्राकृतिक वातावरण के सौन्दर्य का साथ मिल जाय तो फिर सौन्दर्य की लय का क्या कहना? यही उत्सव यदि वसंत पंचमी को न होकर ज्येष्ठ-पंचमी को होता या भादों की किसी तिथि को होता जब प्रकृति या तो तपती हुई धू-धू धूल उड़ाती रहती या कीचड़ उछालती रहती तो इस उत्सव का सौन्दर्य क्या उतना ही होता जितना अब है? तब तो शायद लोगों को अपने को समूह की लय को समर्पित कर देने के स्थान पर अपने-अपने बचाव की चिंता ज्यादा होती। उत्सव से लीटे तो कोई थकान नहीं थी बल्कि लगता था कि नहाकर लीटे हों। तन-मन एक अद्भुत उल्लास की अनुभूति से स्फूर्त था। लगता था कि सचमुच मैंने दो-तीन घंटे में वसंत का पूरा जी लिया है।

हिन्दू विश्वविद्यालय कुछ ही दिनों में घर-सा लगने लगा था। प्राकृतिक और गंवई परिवेश से मंडित इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में प्रायः गांव-सुलभ एक सादगी थी—वेशभूषा में भी और व्यवहार में भी। धीरे-धीरे मेरे साहित्यिक और असाहित्यिक मित्र बन गये थे। हॉस्टल में और कक्षा में मैं जाना जाने लगा था। बिड़ला हॉस्टल में कवि-कहानीकार छात्र रहते थे। मेरे कमरे के पास के कमरे में शिवसागर मिश्र रहते थे। कुछ दूर पर उमाकान्त वर्मा थे, दूसरे विंग में शंकरलाल मस्करा थे और कई साहित्यिक मित्र थे जिनके चेहरे तो याद आ रहे हैं, नाम नहीं। प्रायः गोष्ठियां होती

थीं, छात्रावास के छात्र-संघ की ओर से कवि-सम्मेलन होते थे, हम सभी कविताएं पढ़ते थे। बाहर के भी मित्र आते थे, भाग लेते थे और हमारी दुनिया सघन और बड़ी होती जा रही थी।

साहित्य-सर्जक मित्रों के अतिरिक्त उन मित्रों की संख्या अधिक थी जो साहित्य-प्रेमी थे या केवल छात्र थे। भगतसिंह, मधुवन, उदयनारायण शुक्ल, विपिन दीक्षित, रामायण राय, शशी और बहुत-से लोग (जिनके नाम अब भूल गया हूं) मेरे साथी थे। भगत तो मेरे रूममेट ही थे। व केंब्रिज एकेडेमी (जहां से मैंने एडमिशन की परीक्षा पास की थी) में भी पढ़ चुके थे और मुझसे पहले वे उस हॉस्टल में रह चुके थे जिममें मैं रहा। वे फेल हो गये थे और जब फिर एडमिशन की परीक्षा देन आये थे तो हॉस्टल में आये थे। तभी मेरी-उनकी भेंट हुई थी। भगतसिंह आपकी इच्छा-अनिच्छा के मोहताज नहीं थे। वे दोस्ती के लिए स्वयं हाथ बढ़ाते थे और आपको दोस्ती में न सही परिचय में लपेट ही लेते थे। उन्होंने मुझे हॉस्टल में ही अपने परिचय में लपेट लिया था। वे मेरे अनचाहे ही मुझसे परीक्षा की तयारी, प्रश्नों आदि के बारे में पूछने लगे और अनिच्छा होने पर भी मैं उनसे जुड़ता गया था। खर्च का लम्बा कुरता, पाप्रजामा पहने सख्त, प्रौढ़, चौड़े चेहरे वाला यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आया था। किन्तु इस व्यक्ति ने धीरे-धीरे अपनी पसंदगी मुझ पर लाद दी और कुछ समय बाद (हिन्दू विश्वविद्यालय में आने पर) मेरा गहरा दोस्त बन गया।

भगतसिंह ने मुझमें न जाने क्या देखा कि मेरा साथ पाने के लिए मेरी ओर बढ़ता गया। पहली नजर में प्रिय न लगने वाला यह व्यक्ति धीरे-धीरे आगे भीतर की सुंदरता खोलता गया। वह सुंदरता थी दर्दभरी मानवीय चिन्ता की। एडमिशन परीक्षा की हल्की-सी ज्ञान-पहचान के बाद ही यह व्यक्ति मुझे बहुत निकट मान बैठे था। जब मैं आई० ए० में एडमिशन के लिए आया तो वहां भगतसिंह भी टकरा गये। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं बिडला हॉस्टल में रहना चाहता हूं तो उन्होंने बताया कि वे भी हॉस्टल में रहेंगे और प्रस्ताव किया कि हम दोनों एक कमरे में रूममेट के तौर पर रहें। मैंने कहा, ठीक है, किसी-न-किसी को तो रूममेट रहना ही है, आप ही मंत्री।

हमें पीछे की कनार में कमरा मिला। आगे के कमरे में बी० ए० में पढ़ने वाले यादव जी थे। आगे के कमरों और पीछे के कमरों के बीच एक जंगला होता था। कई लडके जंगले को तोड़कर आने-जाने का रास्ता बना लेते थे। जो भी हो, दोनों कमरे लगभग एक-दूसरे से जुड़े होते थे। प्रीवियस इयर के दो छात्र एक कमरे में रहते थे और फाइनल इयर के छात्रों को एक कमरे में अकेले रहने की इजाजत थी। भगतसिंह अपने साथ एक नौकर भी लाये थे। कमरे में हीटर पर वही नौकर खाना बनाता था। मैं तो मेस में खाता था किन्तु कभी-कभी भगतसिंह के हाथ का प्रसाद मिल जाता था। एक कमरे में दो आदमियों का होना, फिर एक नौकर का दखल, फिर उमी में खाना बनना बहुत असुविधाकारी था और बीच-बीच में भगतसिंह का नौकर तथा मित्रों पर गुस्सा बातावरण को और भी क्षुब्ध बना देता था। मैं कभी-कभी प्रतिरोध

करता तो भगतसिंह और भी चिढ़ जाते। हां, भगतसिंह ने अपने रहने-सहने के ढंग से अपने आर्थिक वैशिष्ट्य का बोध हमारे भीतर भर दिया था। मुझे लगता था कि उन्हें झेलने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मधुवन हमारे गाव के पास के कनइल गाव के थे। भगत से उनकी खूब पटती थी। व दुर्गा कुड मे कुछ छात्रों के साथ एक कमरा लेकर रहने थे। वे प्रायः भगतसिंह के यहा खाना खाते थे और भगतसिंह के साथ घूमने और सिनेमा देखने जाया करते थे। मैं भी प्रायः साथ होता था। भगतसिंह को झेलना आमाम नही था। वे कब किस बात पर झल्ला पड़ेंगे, कहना कठिन था और इम झल्लाते हुए भगतसिंह को झेलना मेरे लिए जरूरी तो नही था—आखिर वह मेरा क्या लगता था कि उसके पागलपन को झेलू। लेकिन यह सब होते हुए भी उसे झेलने को अभिणप्त था बल्कि यह कहिए कि उस झेलने के बावजूद उसके साथ हो लेने की मजबूरी बढ़ती जा रही थी। क्षणिक उत्तेजना के बावजूद वह बहुत प्यारा इंसान था (अभी भी है), मित्रों के सुख-दुःख मे मर मिटन वाला दास्त था, आदमी का दर्द उसे भीतर तक बेचैन कर देता था। वह गलत बात क खिलाफ आखिर तक लड़ सकता था। उसकी इन विशेषताओं के स्तर ज्यो-ज्यो खुलते गये, उसके प्रति मेरा लगाव बढ़ना गया। वह साल बीतते-बीतते मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया।

भगतसिंह अपनी चिड़चिड़ी प्रकृति के बावजूद बटुत हसोड और मजाकिया थे। उनमे चिड़चिड़े स्वभाव के पीछे कुछ था जो लगातार मेरी समझ मे आ रहा था। भगतसिंह तीम माल के रहे होंगे और फर्स्ट डयर मे पढ रहे थे। बदमाश लौंडा के विनोद के लिए यह एक अच्छा-खामा मसाना था। कोई उन्हें चाचा कहता, कोई मामा कहता, कोई ताऊ जी कहता। भगतसिंह यदि गुमुन्न स्वभाव के होते तो इन टिप्पणियों को अनसुनी कर देते और उनका गभीर चुप्पा स्वभाव देखकर शायद लौंडे बोलते भी नही, किन्तु भगतसिंह तो नहले पर दहला मारते थे। हर आदमी के मजाक का उत्तर मजाक म देते और मुझे भी शामिल कर लेते। इसलिए लौंडो से नोक-झोक चलनी रहती थी। दूसरी बात यह थी कि ज्यादा समय बीत जाने के कारण भगतसिंह का दिमाग बहुत तेजी मे विषयो को नही पकडता था, इसलिए क्लास मे टीचर भी उनका मजाक उडाते थे और वे टीचरो से भिड जाते थे और फिर हम लोगो स हस-हसकर नोक-झोक की बातें बताते थे। मेरी तरह उनकी भी अंगरेजी कमजोर थी, लेकिन वे बोलते थे अंगरेजी म ही और बहुत दबंग ढग से। दबना तो भग सिंह ने सीखा ही नही था। वे अपने को कही भी दयनीय नही बनाते थे। अपने प्रति किसी के मन मे करुणा नही उपजाते थे। वे जीवन-क्षेत्र के योद्धा थे—अपार जिजीविषा से भरे हुए।

हा, अपार जिजीविषा से भरे हुए। भगतसिंह ने कभी अपने को खोला नही। हम कई साल साथ रहे अतः क्रमशः उनके जीवन के दर्द के स्तर खुलते गये। धीरे-धीरे उनके भीतर की वेदना खुलती गयी। धीरे-धीरे दो-तीन वर्षों मे उनके रहने-सहने का ढग गिरता गया और उनसे बहुत सटे हुए साथी उनसे दूर हटते गये। वे मुझसे पैसे उधार मांगने लगे, तब मुझे आश्चर्य हुआ, कौतूहल भी कि आखिर भगतसिंह को क्या

हो गया ? फिर भगतसिंह धीरे-धीरे खुले कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। बचपन में ही मां-बाप मर गये। भाई ने सारी जायदाद हड़प ली। उसने भगतसिंह की काफी दुर्दशा की। भगतसिंह घर-द्वार छोड़कर बाहर-बाहर भागते फिरे। भूखे-प्यासे कहां-कहां भटकें ? कितने घन्टों किए ? सभी जगह दुस्कार मिली। अंत में मंन्यासी होना चाहा, लेकिन उस दुनिया की गलाजत ने उनका भयानक मोह-भग किया। अंत में जिजीविषा ने जोर मारा। घर लौटे, भाई से लड़े-झगड़े, पिटे, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। जान को खतरा था लेकिन भगतसिंह अपने हक की प्राप्ति से विचलित नहीं हुए क्योंकि उन्हें पढ़ने की धुन सवार थी। अंत में कचहरी से उन्हें अपना हक प्राप्त हुआ और सारी जायदाद बेचकर पैसे बैंक में डाल दिये और पढ़ाई शुरू की। जीवन के संघर्ष, अकेलेपन की वेदना और उम्र के बढ़ाव ने उनकी अध्ययन-शक्ति या प्रतिभा की धार कुंद कर दी थी इसलिए वे पाठ्य-पुस्तकीय ज्ञान को बहुत तेजी से ग्रहण नहीं कर पाते थे और लोग उनकी बड़ी उम्र तथा उनके जुझारू स्वभाव के कारण उनका मजाक उड़ाते थे। यह नहीं सोचते थे कि यह व्यक्ति विद्या के प्रति कितना लगाव रखता है कि किसी कारण इतनी अवस्था हो जाने पर भी पढ़ने आया है। उनके सामने केवल इतना ही था कि देखो-देखो, तीस साल का आदमी फ्रंट इयर में पढ़ने आया है। उनका भी दोष नहीं, आखिर लोग सामान्यतः बाहरी परिदृश्य ही तो देखते हैं, इतमीनान से किसी क भीतर गहराई तक झांकने की किसे फुरसत है ? और भगतसिंह जैसे लोग किसी को अपनी अतरंग दुनिया में, अपनी बेबमी और यानना में झांकने कहां देते हैं ? वे अपना निजी दर्द अकेले-झेलते हैं, उसका प्रदर्शन कर लोगों की दया और सहानुभूति नहीं बटोरते। छात्र तो छात्र, कुछ शिक्षक भी भगतसिंह का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। उनके सेक्शन को अंगरेजी पढ़ाते थे मिस्टर मेढ़। अंगरेजी तो वैसे ही सामान्य छात्रों के लिए आतंक बनी रहती है, दूसरे, अंगरेजी के शिक्षकों को आतंक पैदा करने में मजा आता है। मेढ़ साहब प्रायः भगतसिंह से ठीक उत्तर न पाकर कहते थे कि एक भगतसिंह तो फांसी पर चढ़ गये, दूसरे तुम हो, तुम्हें इस पंखे पर टांग देंगे, चक्कर काटते रहोगे। लड़के हंसते थे और बाद में मजाक उड़ाते थे किनु भगतसिंह मेढ़ से भी कई बार भिड़ गये, हर छेड़ने वाले से जूझते थे।

जाके पांव न फटे बेबाई

सो क्या जाने पीर पराई

यह चौपाई कितने बड़े सत्य का उद्घाटन करती है। भगतसिंह के पांव में बेबाई फटी थी इसलिए वे पीर पराई समझते थे। इस चिड़चिड़े, आशु क्रोधी व्यक्ति के भीतर पर-दुःख-कातर और अति संवेदनशील मनुष्य छिपा था जो उसके बाह्य आवरण को फाड़कर बार-बार बाहर आ जाता था। भगतसिंह जा रहे हैं, कोई भिखारी या इसी प्रकार का व्यक्ति आ गया। उनके पास पैसा नहीं है। “अरे यार देना एक रुपया।” भगतसिंह अपने मित्र से कहते थे। मित्र झल्लाते थे, चिढ़ते थे, लेकिन तब भगतसिंह नहीं झल्लाते थे बल्कि मित्र का सारा गुस्सा झेलते हुए उससे रुपया लेकर

भिखारी को दे देते थे और बहुत धैर्य के साथ मित्र को समझाते थे—“अरे भाई, पता नहीं इस आदमी को कौन-सी जरूरत हो? भूख-प्यास का दर्द बड़ा भयानक होना है मित्र।” भगतसिंह नाई से बाल कटवा रहे थे। नाई ने उनके मन मुताबिक बाल नहीं काटे। जब नाई ने उन्हें शीशा दिखाया तो भगतसिंह झल्ला उठे। क्रोध से रागल होकर उसका शीशा फेंक दिया जो झन्न से फर्श पर गिरकर चूर-चूर हो गया। नाई स्तब्ध था। दो मिनट बाद भगतसिंह ने बाल कटाई के पैसे के अलावा उसे दो रुपये देते हुए कहा—“ये दो रुपये शीशे के हैं। बाल जरा ढंग में काटा करो। जाओ, कोई बात नहीं।”

एक दिन दोपहर को जब लोग सो रहे थे तो भगतसिंह और मैं बरामदे में निकले। बरामदे में तार पर कुछ लडको के कपड़े सूख रहे थे। एक 17-18 साल का लगडा लडका लाठी के बल चलता हुआ आया था और तार को झकझोरकर कपड़े नीचे गिरा रहा था ताकि गिरे हुए कपड़ों को आसानी से उठाकर चपत हो जाय। हम निकले तो वह हमें देखकर ठिठक गया। भगतसिंह ने कहा—“अच्छा, जब तक कोई निकले, तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी हड्डी-पसली एक हो जायेगी।” उसने हाथ जोड़कर मलाम किया और लाठी पर टेक देता हुआ तेजी से भाग चला। तब तक कुछ लोग निकल आये और जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो वे लोग भगतसिंह को और मुझे भला-बुरा कहने लगे। लेकिन एक अच्छा काम करने के बदले मिलने वाली गाली और धिक्कार भी कितनी अच्छी लगती है। भगतसिंह ने मुझसे कहा - “यार, वह न जाने किस मजबूरी में यह चोरी करने आया होगा। पकड़ा गया होता तो इस छोटी-सी चोरी में उसकी इतनी दुर्गति हुई होती कि उसे देखकर रोयां धर्रा जाता।” मैंने सहज मन में भगतसिंह का समर्थन किया था और शायद यह मेरे मन की ही बात थी जिसे भगतसिंह रूपायित कर रहे थे। शायद यही वह बिन्दु था जो मुझे भगतसिंह से या उन्हें मुझसे जोड़ता था।

धीरे-धीरे भगतसिंह मेरे परिवार के व्यक्ति बन गये। पी-एच० डी० करते समय यानी सन् 1946 से '56 तक भगतसिंह कई तरह से मुझसे और मेरे परिवार से सम्बद्ध हो गये थे। वे हमारे सुख-दुःख, हसी-खुशी के साथी बन गये थे। भगतसिंह की एकत्र राशि समाप्त होती गयी और वे लगातार अभाव की अवस्था में गिरते गये और बी० ए० में एक बार फेल हुए तो फेल ही होते गये। मैं पी-एच० डी० करने लगा था तो वे हर साल बी० ए० की परीक्षा देने आया करते थे। भगतसिंह ने हार नहीं मानी। इस जीवट के व्यक्ति ने आखिर बी० ए० को परास्त कर ही दिया। सन् '56 मैं मैंने बनारस छोड़ा। तब से आज तक उनसे फिर भेंट नहीं हुई। सुना कि वे बेतिया में होम्योपैथी की डाक्टरी कर रहे हैं।

रामविनायक सिंह भी बिडला छात्रावास में रहते थे। वे बी० काम० के प्रथम वर्ष में थे। वे भी कविताएं लिखते थे। वे अच्छे दोस्त बन गये। उनकी साइकिल पर हम दोनों घूमते थे। गोष्ठीयों में साथ जाते थे। रामविनायक के माध्यम से ठाकुर प्रसाद सिंह से परिचय बढ़ा। ठाकुर प्रसाद सिंह तब शायद बी० ए० फाइनल में थे।

ठाकुर प्रसाद सिंह ईश्वरगंगी में थे और माइकिल से पढ़ने के लिए हिन्दू विश्वविद्यालय आया करते थे। उनसे आर्ट्स फैकल्टी में और विशेषतया रामविनायक के यहाँ भेंट हो जाती थी और गोष्ठियों में तो हो ही जाती थी। ठाकुर प्रसाद मुझे अच्छे लगे थे— दोस्त रूप में भी और कवि रूप में भी। वे बहुत मजाकिया भी थे, अच्छे वक्ता भी थे। ईश्वरगंगी के साहित्यकारों का एक मडल था, ठाकुर जिसके सरगना थे। इसमें शिवमूर्ति मिश्र शिव, नर्मदेश्वर उपाध्याय, रामविनायक सिंह, मंगलनाथ सिंह, कमलाप्रसाद सिंह, भइयालाल, हीरालाल चौबे आदि शामिल थे। त्रिलोचन जी भी काफी दूर तक इसमें जुड़े थे। ठाकुर प्रसाद सिंह की प्रतिभा ईश्वरगंगी यानी ठेठ पुरानी काशी के बीच बनी और विकसित हुई थी। इसलिए उनमें काशी की सांस्कृतिक परम्परा का गहरा रंग भी था, आम आदमी की जिन्दगी के दुःख-दर्द, अभाव और सघर्ष का अनुभव भी था, पितृहीन बानक का दायित्वबोध और पारिवारिक चिंता भी थी। इन गम्भीर दायित्वों और अभावों से लदे-फदे ठाकुर प्रसाद सिंह को कभी गमगीन या थका हुआ नहीं दखा। दरअगल बहुत दिन तक तो उनके पारिवारिक अभाव और सघर्ष के बारे में कुछ जाना ही नहीं। ठाकुर प्रसाद सिंह जैसे लोग अपने अभावों और पारिवारिक सघर्षों की प्रदर्शनी नहीं करते, उमें निजी वस्तु मानते हैं। हा, इन अभावों और सघर्षों का जो स्वस्थ प्रतिफल उनके व्यक्तित्व में होता है उसका लाभ समाज को अवश्य मिलना है। ठाकुर वास्तव में बहुत हसोट और शरारती प्रकृति के व्याक्त थे और हैं। अभाव और सघर्ष से व्यक्तित्व में या तो दृढ़नीयता पैदा हो जाती है या एक मौन जुझारू गभीरता, किन्तु ठाकुर की शरारती प्रकृति ने उन्हें न दर्यनीय होन दिया न गभीर। वे अपने दायित्व को समझते हुए भी हमेशा विनोदी मूड में रहते थे। छेड़-छाड़, चुटकुलबाजी, मनगढ़त या लोक-प्रचलित लतीफे आदि अनेक माध्यमों से वे मित्रों को हसाते थे और परिवेश को जीवत रखते थे। वे अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे कवि थे। अपने गीत अच्छे ढंग में गाते थे, अच्छे पाठक थे। इस छोटी-सी अवस्था में ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा था। वे अपने अध्ययन का रोब गालब किये बगैर उसका असर अपने मित्रों और श्रोताओं पर छोड़ते थे। ठाकुर में एक प्रभावशाली सर्जनात्मकता थी। वे परिस्थिति, दृश्य और पढ़ी हुई चीज का ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारते थे, उनमें एक नया अर्थ भर देते थे। धीरे-धीरे ठाकुर के साथ मेरा संपर्क गहराता गया और वे मुझे सहज मित्र के रूप में प्रभावित करते गये।

ठाकुर के लेखन में लोक का स्पर्श था और मेरे लेखन में लोक तो था किन्तु छायावादी रंग में रगा हुआ। ठाकुर के गीतों में भी रूमानी स्वर था, किन्तु वह छायावादी रंग से बोझिल नहीं था, सहज था। ठाकुर और त्रिलोचन के संपर्क से मेरा छायावादी संस्कार आहत हो रहा था, तिलमिला रहा था। धीरे-धीरे मेरे भीतर एक नये स्वर का अनुभव होने लगा। लोक-संपृक्ति पर जो रूमानियत का अतिरिजित रंग चढ़ा हुआ था वह धीरे-धीरे साफ होने लगा था। मेरा स्वभाव है कि मैं किसी के कहने या किसी बाह्य या नारे के दबाव से अपने को एकाएक नहीं बदलता। मैं धीरे-धीरे प्रभावित होता हूँ। पहले मेरे संस्कार बदलते हैं, तब उसके अनुसार मेरी कविता या साहित्य का

स्वर बदलता है। इसलिए हिन्दू विश्वविद्यालय के इस नये परिदृश्य में अपने को धीरे-धीरे बदलता गया और एम० ए० पास होने के समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी कविता का स्वर काफी बदल गया है। इसलिए एम० ए० के बाद जो कविताएं मैंने लिखीं (जिनका संग्रह 'बैरंग बेनाम चिट्ठियां' नाम से 1962 में आया) वे कविताएं 'पथ के गीत' (1951) की कविताओं से बहुत अलग हैं। अनुभव अधिक सहज रूप में आये हैं, अभिव्यक्ति में भी सादगी और बिबात्मकता है। एम० ए० के दिनों में ही मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। यह झुकाव भी धीरे-धीरे हुआ, भीतर से हुआ, मार्क्सवाद की चेतना अन्दर उतरी तब हुआ—मार्क्सवादियों के कहने से या समझाने-बुझाने से नहीं हुआ।

तो बात मैं ठाकुर की कर रहा था। ठाकुर की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे साहित्यकार तो थे ही (और साहित्यकार के रूप में गीत लिखते थे, निबन्ध लिखते थे और 'महामानव' नाम का महाकाव्य भी लिखा) पत्रकार भी थे। छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े लोगों से संपर्क साध लेते थे। उस छोटी-सी अवस्था में ही काफी बड़े-बड़े नेताओं, साहित्य-साधकों और समाज-सेवियों से उनका परिचय था। वक्ता तो थे ही और उनके वक्तव्य के भी अनेक रंग थे—कभी अत्यन्त भावुक हो उठते थे, कभी व्यंग्य-विनोद पर आ जाते थे, कभी लतीफे सुनाते थे, कभी चितक हो उठते थे। जिस किसी गोष्ठी या सभा का वे संचालन करते थे उसमें जान डाल देते थे। दूसरों की महफिलों को उखाड़ने में भी माहिर थे। अपनी मंडली को लेकर चलते थे और दूसरों की जमी-जमायी साहित्यिक महफिल उखाड़ आते थे।

ठाकुर के साथ मेरा संपर्क बढ़ता गया। मैं उनके घर भी आने-जाने लगा। इसका एक कारण साहित्यिक संघ की गोष्ठियां थीं। हां, ठाकुर प्रसाद ने ईश्वरगंगी में साहित्यिक संघ नाम की एक साहित्यिक संस्था की स्थापना कर रखी थी। उसे वे बहुत कुशलता से चला रहे थे। बाद में चलकर मैं भी इस संस्था का मंत्री बना और कई बड़े साहित्यिक आयोजन हुए जिनकी चर्चा बाद में करूंगा। ठाकुर के साथ मेरे संपर्क बढ़े और कह सकता हूं कि ठाकुर मेरे अच्छे मित्र बने या मैं उनका मित्र बन गया। लेकिन मेरा अपना स्वभाव तो साथ नहीं छोड़ता। मैं बहुत दूर तक जाकर एक जगह ठिठक जाता हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए किसी व्यक्ति से और विशेषतया एक संस्था से मेरी एक दूरी बनी रहती है। यह मेरे स्वभाव की मजबूरी हो सकती है या मित्रों और संस्थाओं को सर्वस्व भाव से समर्पण कर देने में कृपणता। कई बार दो मित्रों के स्वभावों का अंतर दोनों को एक दूरी पर खड़ा कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं दूसरे पक्ष से अपने प्रति जितना तबजुह चाहता हूं, नहीं मिलता है या मेरी अपेक्षा दूसरों को मिलता है, तब उस मित्र से कोई शिकायत न कर स्वयं अपने को थोड़ी दूरी पर खड़ा कर लेता हूं। यह मेरा स्वभाव है कि मैं मित्रों के लिए बहुत सक्रिय नहीं हो पाता, इसलिए दूसरे लोग मेरे लिए सक्रिय रहें, यह भी नहीं चाहता और अपने लिए किसी के सक्रिय न रहने पर मुझे कोई शिकायत नहीं होती। ठाकुर प्रसाद और मैं मित्र तो हुए किन्तु मैं नहीं कह सकता कि हमारी मैत्री अभिन्न मैत्री थी या बाद में

बनी। ठाकुर के बहुत-से मित्र थे, कुछ तो ईश्वरगंगी वाले थे, जो उनकी अपनी रचि के थे, जो मिलकर ऐसी-ऐसी बातें करते थे जिनके साथ मेरा माहचर्य स्थापित नहीं हो पाता था और मैं उस परिदृश्य में अजनबी लगता था, उनके कुछ मित्र शुद्ध साहित्यिक थे। बल्कि यो कहें कि वे मित्र उमी रूप में थे जिम रूप में मैं था, लेकिन मुझे लगता था कि ठाकुर की दृष्टि में कुछ लोग मेरी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण लगते थे और तब मुझे लगता था कि साहित्य भी हमारी अभिन्न दोस्ती का आधार नहीं बन पा रहा है। फिर भी हम मित्र बनते गए और है।

हिन्दू विश्वविद्यालय की साहित्यिक चहल-पहल का एक विशेष सगीत अटा हे मन में। यह चहल-पहल मेरे प्रवेश के दिनों में शुरू होकर वहां में विदा के दिन तक गहगती गयी थी। कविता-गोष्ठीया छात्रावास में तो हा ही ही थी, प्रोफेसरों के यहा भी होती थी। प्रायः डा० रामअवध द्विवेदी के यहा गोष्ठी होती थी जिममें डा० राजबली पांडेय, श्री बी० एल० माहनी श्री नरदुलारे वाजपेयी, श्री टी० एन० मिह, मुमन जी, डा० श्रीकृष्ण लाल और बहुत-से प्रोफेसर एकत्र होने थे। उनके साथ कविता लिखने वाले हमारे जैसे कई छात्र भी होते थे। वाजपेयी जी भी एक गोष्ठी चलाते थे जिसका स्वर प्रगतिशील था, जिममें नगर के अनेक प्रतिष्ठित और नये साहित्यकार भाग लेते थे। मैं भी कभी-कभी जाता था किन्तु नया होने के कारण वाजपेयी जी की दृष्टि में नहीं आ सका था। प्रारम्भिक दिनों की सम्भवतः पहले ही वर्ष की साहित्यिक चहल-पहल का चरम उत्कर्ष दिखाई देना निराला की स्वर्णजयती में।

निराला की स्वर्णजयती के आयोजक थे नईदुनारे वाजपेयी। सम्भवतः नागरी प्रचारिणी सभा काशी के तत्त्वावधान में वे यह आयोजन कर रहे थे। हम लोगों में बहुत उत्साह था। रामविनायक मिह के साथ मैं भाड़क से प्रचार कर रहा था। हम दोनों एक दिन रिक्शे पर बैठकर प्रचार करते हुए शहर में गुजरे। माड़क पर घोषणा करते हुए मैं सुनने वालों की प्रतिक्रिया भी देख रहा था और प्रतिक्रिया देखकर मुझे अपने चिल्लाने पर शरम आ रही थी। लोग हमारी आवाज सुनकर थोड़ा चौकते थे और जैसे अवाक् भाव से पूछते थे, ये निराला कौन है? अरे गांधी जी, नेहरू जी, जयप्रकाश जी, शाहनवाज जी, करपात्री जी, शकराचार्य जी को तो हम जानते हैं, ये निराला जी कौन स जी आ रहे हैं? उनकी इस आवश्यकता के बावजूद हम चीखते चले गये। यह तो हमें पता था ही कि साहित्यकार को आम आदमी नहीं जानना और हमारे देश में खाम आदमी भी साहित्यकारों को कितना जानते हैं? यह साहित्यकारों का नहीं, देश का दुर्भाग्य है।

नियत दिन पर निराला जी आये। उनका जुलूस निकला। वे केसरिया माफा बाधे हुए थे। जुलूस के आगे-आगे विराट् व्यक्तित्व वाले निराला चल रहे थे, पीछे साहित्यकारों, पत्रकारों की भीड़ चल रही थी। लोग उन्हें देखते थे, व्यक्तित्व से प्रभावित भी होते थे, किन्तु आंखों-आंखों में पूछने थे—ये हैं कौन? जुलूस नागरी प्रचारिणी सभा में जाकर रुका। मंगल गान, प्रास्ताविक भाषण आदि के बाद निराला जी बोलने खड़े हुए। पंडाल साहित्यकारों की भीड़ से घंटा पड़ा था और लोग निराला के मुख से

कुछ सुनने को उत्सुक थे। निराला जी बोलने लगे—“जब मैं इंग्लैंड में था, महारानी विक्टोरिया मुझसे अंगरेजी पढ़ने आया करती थी और मेरे लिए सूर्यमुखी के फूल लाती थी...” लोग ममझ गये कि वे भटक गये हैं। विक्षिप्तता के दौर से तो वे गुजर ही रहे थे अतः लोगों को लग गया कि अपने भाषण में ये पटरी पर मे उतर गये हैं और पना नहीं कब तक, कहां तक इम तरह चलेंगे। लेकिन निराला को रोके कौन ? किमकी हिम्मत थी कि उनमें कृष् कहें। सुभद्राकुमारी चौहान को निराला जी बहुत मानते थे—बहन जैसी। इसलिए वाजपेयी जी ने उन्हीं से कहा कि निराला जी से कहिए कि कृष् कविताएं सुनायें। सुभद्रा जी उठी और हाथ जोड़कर कहा—“निराला जी, लोग चाहते हैं कि आप कृष् कविताएं सुनायें।” निराला जी हंसे, बोले—“मूर्ख, जो बोल रहा ह वह भी कविता ही है। खैर, तू कह रही है तो कविताएं ही सुना रहा हूं।” फिर उन्होंने जमकर कविताएं सुनायी। निराला के मुख से कविता सुनने का अनुभव बहुतों के लिए नया था। मेरे लिए भी नया था। कितना मूल्यवान अनुभव था यह। एक और मूल्यवान अनुभव हमने प्राप्त किया—इस अवसर पर हिन्दी साहित्य के अनेक ऐसे महारथियों के दर्शन किये जिनकी चीजें पढते रहते थे, जिनके बारे में सुनते रहते थे। टीका-टीका मैं नहीं कह सकता कि उस समय किन-किन साहित्यकारों को देखा, किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि बहुतों को देखा। सुभद्राकुमारी चौहान, लक्ष्मीनारायण मिश्र, दिनकर, शि पूजन सहाय जैसे अनेक लोग आये थे। शिवपूजन सहाय की सरलता विख्यात थी, उनका माक्षात्कार भी किया। मुख्य द्वार पर उन्हें रोक लिया गया। मुख्य द्वार पर तैनात स्वयंसेवक उन्हें पहचानते नहीं थे, न उनका नाम सुना था। उन्होंने अपना नाम बताया तो भी स्वयंसेवकों ने उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया। सहाय जी ने उनमें टिकट खरीदा और ज्यों ही द्वार के अन्दर प्रवेश किया, किमी साहित्यकार ने उन्हें देख लिया और लपककर आये। स्वयंसेवकों को डांटा तथा सहाय जी से क्षमा-याचना करने हुए टिकट वापस कराना चाहा। सहाय जी ने अपनी सहज विनम्रता से कहा—“इस गज में यदि मेरी भी लघु आहुति पहुंच गयी तो मैं अपने को बड़भागी मानता हूं।” और वे बिना किसी गिला-शिकवे के हंसते-बतियाते पंडाल में चले गये थे। मोचता हूं कि यदि सहाय जी की जगह कोई ऐंठू साहित्यकार रहा होता तो इसे अपने मान-अपमान का विषय बना लेता और या तो बड़े रुआब से आयोजकों में मे किमी को बुलवाना या लौट आया होता और लौटकर समाचार-पत्रों में टिप्पणी लिखी होती।

इस अवसर पर कई दिन तक गोष्ठियां होती रही—कुछ नागरी प्रचारिणी सभा में हुई, कुछ हिन्दू विश्वविद्यालय में और कुछ अन्य जगहों पर। कवि-सम्मेलन भी हुए। नागरी प्रचारिणी सभा में आयोजित कवि-सम्मेलनों की परंपरा बड़ी शानदार रही है। इस अवसर पर भी आयोजित कवि-सम्मेलन बहुत भव्य था। सभा में गोष्ठी हो रही थी। विषय याद नहीं है। निराला जी चुपचाप बैठे हुए थे। कोई सज्जन बोल रहे थे। बोलने की प्रक्रिया में उन्होंने पंत जी का नाम लिया। निराला जैसे समाधि से जागे। उन्हें लगा जैसे कोई पंत की आलोचना कर रहा हो। उठ खड़े हुए। बोले—

“पंत इज ऐज ग्रेट पोयट ऐज एनीवन कैन बी। कीप क्वायट एण्ड सिट डाउन।” वे सज्जन सफाई देते हुए बोले—“मैंने पंत जी को क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने तो सम्मान से उनका नाम लिया है।” निराला जी फिर चुप्पी में खो गये और गोष्ठी चलती रही।

सुमन जी के प्रयत्न से एक कवि-सम्मेलन हिन्दू विश्वविद्यालय के रूइया छात्रा-वास के हॉल में हुआ जिसमें अन्य कवियों के काव्य-पाठ के साथ निराला ने ‘राम की शक्ति पूजा’ सुनाई। उनके मुख से ‘राम की शक्ति पूजा’ सुनने का यह पहला अवसर था। कविता तो मैंने बहुत बाद में समझी, उस समय तो केवल उसकी अनुगूँज अनुभव की। निराला के पढ़ने के ढंग से कविता का मारा ओज, व्यथा, आशा-निराशा जैसे वातावरण में बलियत हो रही थी। उनका व्यक्तित्व स्वयं राम का व्यक्तित्व लग रहा था। अतः जिस छात्रावासी वातावरण में हर कवि-सम्मेलन हूट का शिकार होता था उसी में लोग कविता न समझते हुए भी निराला के मुख से यह कविता शान्त भाव से सुन रहे थे। यह भव्य शान्ति, यह दिव्य सन्नाटा और उसके बीच उभरता निराला का प्राणवान स्वर-प्रवाह। लोगों पर जादू निराला के व्यक्तित्व का था, या कविता का था, या दोनों का था? शायद दोनों का था। इस कविता के साथ गोष्ठी समाप्त होते ही भीड़ में कोलाहल मच गया। जैसे बाँध तोड़कर जलप्रवाह बह चला हो। यह कोलाहल हूटिंग का कोलाहल नहीं था बल्कि कविता के प्रभाव की अभिव्यक्ति का कोलाहल था। हर अभिभूत व्यक्ति अपनी-अपनी बात कहना चाहता था।

दूसरी गोष्ठी हिन्दी विभाग में हुई। इस गोष्ठी में वाजपेयी जी ने निराला जी की ओर से काशी के पांच कवियों को सौ-सौ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। वे कवि थे—शंभूनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नामवर सिंह। दो के नाम याद नहीं आ रहे हैं। वाजपेयी जी की इस क्रिया ने वास्तव में निराला-जयंती को सार्थकता का एक नया आयाम दिया। नवता के पक्षधर निराला की ओर से एकदम नये कवियों को पुरस्कृत करना निराला का सही सम्मान करना था। नवता के पक्षधर वाजपेयी जी से अधिक इस बात को कौन समझ सकता था? एक ओर वाजपेयी जी थे, दूसरी ओर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग थे। विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों के लिए निराला अभी तक बहुत सार्थक और स्पृहणीय कवि नहीं थे। प्रसाद और पंत की तुलना में तो बहुत ही छोटे सिद्ध हो रहे थे। शायद बी० ए० स्तर तक उनकी कुछ कविताएं पढ़ायी जाती थीं। निराला के प्रति हिन्दी विभागों के व्यवहार का एक ज्वलंत उदाहरण इस समय भी प्रस्तुत हुआ। पं० केशवप्रसाद मिश्र इस समय विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने निराला का स्वागत करते हुए अंत में कहा—“निराला यदि इतने कठिन कवि न होते तो वे भी बड़े कवि हुए होते।” मुझे डर लगा कि कहीं निराला का स्वाभिमानी रूप अनियंत्रित होकर उबल न पड़े, किन्तु वे चुप रहे। वाजपेयी जी ने ही अपने ढंग से जवाब दिया था।

एक गोष्ठी पं० पद्मनारायण आचार्य के यहां हुई। वहां बहुत थोड़े लोग बुलाये गये थे। मैं भी पढ़ूँच गया था। वहां पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र और वाजपेयी जी

में भिड़ंत हो गयी। चर्चा का विषय था—हिन्दी साहित्य और राष्ट्रीयता। मिश्र जी ने कहा कि प्रसाद जी तो अपने लेखन में अभारतीय थे (इस आग्रह को वे अब तक दुहराते आ रहे हैं)। इस बार बाजपेयी जी का रक्ताभ चेहरा तमतमाकर और लाज हो गया और बहुत तैश में आ गये। बहुत कड़े स्वर में मिश्र जी का प्रतिवाद करने लगे। दोनों विद्वान् एक-दूसरे पर वाक्-प्रहार करने लगे। कुछ देर बाद निराला गरजे—“चुप रहो, प्रसाद हमारे सम्मान्य कवि हैं।” दोनों एकाएक चुप हो गये। फिर निराला जी से आग्रह किया गया कि वे कुछ सुनायें—गाकर सुनायें। वे प्रसन्न मुद्रा में थे। बोले—“हारमोनियम ले आओ।” पदमनारायण जी के यहां संगीत के कई वाद्य थे। हारमोनियम आया और निराला ने बाकायदा शास्त्रीय स्वर में अपने कई गीत गाये। निराला से संदर्भित ये क्षण मेरे जीवन के अमूल्य अनुभव बन गये।

निराला काफी दिन बनारस में रह गये। निराला के व्यक्तित्व ने न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है। उनमें से अधिकांश सच्ची घटनाएं होती थीं और कुछ काल्पनिक भी होती थी। इस बार के उनके बनारस-निवास के समय भी उनसे जुड़ी कहानियां फूट-फूटकर हम लोगों तक पहुंचती थीं। ये गऊ घाट पर किसी श्रद्धालु के यहां ठहरे थे। सुना, उनसे एक दिन मिलने के लिए बाबू सम्पूर्णानन्द गये। निराला लुगी पहने व्यायाम कर रहे थे। लुगी लफर-लफर कर रही थी। निराला को असुविधा हुई, उन्होंने लुगी उतार दी। निपट नगे हो गये। बाबू सम्पूर्णानन्द ने आंखें मूद लीं और कहा—“निराला जी, आप यह क्या करते हैं?” निराला ने कहा—“क्यों, क्या हुआ? शरीर के नंगा और अनंगा होने में क्या रखा है? आप तो दार्शनिक हैं, जानते हैं कि शरीर असत्य है, इसे नंगा करने में क्या हर्ज है? अरे, लोग तो भीतर से नंगे हो जाते हैं।”

“तो भी।” बाबू जी निराला जी से दार्शनिक बहस करने के मूड में नहीं थे।

“अच्छा, आपको बुरा लगता है तो पहन लेता हूं।” कहकर निराला ने लुंगी लपेट ली। पता नहीं यह बात सच है कि झूठ, लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ तो खुलता ही है। निराला की अनामिका की फोटो देखी थी और बाद की फोटो भी। छायावादी रूप-सज्जा, केश-विन्यास, देह से मनोहर दिखने की लालसा धीरे-धीरे झड़ती गयी और नंगे पठार की तरह उर्जस्वित काया की नग्नता उभरती गयी। कवि को देह के प्रति मोह नहीं रहा, वह लगातार भीतर धंसता चला गया या अपने से बाहर फैलता गया।

साहित्यिक गतिविधियों के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियां भी इस विश्वविद्यालय का विशेष आकर्षण थीं। अनेक नेता आते थे—कभी आचार्य कृपलानी आ रहे हैं, कभी जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं, कभी राममनोहर लोहिया आ रहे हैं, कभी आचार्य

नरेन्द्र देव आ रहे हैं और छोटे-मोटे नेता तो आते ही रहते थे। इस विश्वविद्यालय में स्वाधीनता-आन्दोलन के सिलसिले में चलने वाले आंदोलन की गतिविधियाँ खूब सक्रिय थीं। सरकार के डर से किसी राजनीतिक सभा में कभी व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। इसके संस्थापक मालवीय जी तो स्वयं स्वाधीनता-संग्राम के योद्धा थे और सरकार के पुर्जों के रूप में आई० सी० एस० या अन्य अधिकारी पैदा करना इस संस्था का उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था स्वाधीनता-सैनिक, साहित्यकार, शिक्षा-शास्त्री पैदा करना। मालवीय जी सनातनी विचारों के हिन्दू कांग्रेसी थे, लेकिन उनके विश्व-विद्यालय में अन्य विचारों की राजनीति की हलचलों के लिए बर्जसा नहीं थी। इसलिए कांग्रेस की हलचलों के साथ समाजवादी हलचलें भी चलती रहती थी। मालवीय जी के सम्बन्ध में सुना था कि उनकी वाणी में विद्युत् की गति और चमक है, किन्तु मेरा दुर्भाग्य कि जब मैं बी० एच० यू० पहुँचा तो वे बीमार थे। उनकी वाणी क्षीण हो गयी थी। कभी-कभी वे किसी समारोह में लाये जाते थे और वे बहुत धीरे-धीरे कुछ बुद-बुदाते थे। एक आदमी उनके मुँह से अपने कान सटाकर उनकी बुदबुदाहट सुनता था और फिर जोर से सभा के बीच कहता था। एक तेजस्वी व्यक्ति को इस रूप में देखना कितना दुःख था और अपने लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण !

मालवीय जी को तो नहीं सुन सका और एक तेजस्वी स्वर का साक्षात्कार करने से वंचित रह गया, किन्तु एक दूसरे तेजस्वी स्वर का सुनना अपने-आप में एक अद्वितीय अनुभव था। वह स्वर था वहाँ के तत्कालीन कुलपति डा० राधाकृष्णन् का। इतना सधा हुआ, सीमित समय में सम्पन्न हो जाने वाला, सुगठित भाषण मैंने नहीं सुना था। लगता था जैसे गठा हुआ निबंध पढ़ा जा रहा हो। एक भी शब्द का अपव्यय नहीं, एक भी अर्थ का दुहराव नहीं। वाणी में उतार-चढ़ाव नहीं। एक ओजस्विता समलय पर बहती रहती थी और एक निश्चित बिन्दु पर जाकर खट से रुक जाती थी और वह बिन्दु होता था प्रायः 45 मिनट बाद आने वाला बिन्दु। इससे लंबा भाषण वे नहीं देते थे। इसलिए अनेक छोटे-बड़े भाषणों में अनिश्चित लंबे समय तक चलने और ऊब पैदा करने का जो खतरा विद्यमान रहता है, वह यहाँ नहीं था। धोती, शेरवानी और पगड़ी में राधाकृष्णन् का व्यक्तित्व विशेष आकर्षण पैदा करता था। इस वेश-विन्यास से फूटती हुई अंगरेजी की अद्भुत धारा और उस अंगरेजी के मध्य से फूटती हुई भारतीय ज्ञान की परंपरा का परिदृश्य विरुद्धों के सामजस्य का अनुपम सौन्दर्य पैदा करता था। यह वह समय था जब ऐसे-ऐसे व्यक्तित्व पदों को गौरव प्रदान करते थे। अब तो चाहे कुलपति का पद हो चाहे मंत्री का या अन्य कोई उच्च पद, तमाम बौने लोग उससे ऊँचाई पाते हैं और अन्ततोगत्वा अपने साथ-साथ उस पद को भी बौना और अर्थहीन बना देते हैं।

उस समय की महिमा थी कि उसने हर क्षेत्र में ऊँची प्रतिभाएं पैदा कीं, जीनियस दिये किन्तु मालवीय जी की भी महिमा थी कि वे उस समय द्वारा निर्मित प्रतिभाओं में से चुन-चुनकर अपने विश्वविद्यालय में लाते थे। वे जहाँ भी गये वहाँ की अच्छी प्रतिभा की पहचान की और प्रयत्न किया कि वह प्रतिभा बी० एच० यू० में

आ जाय। वे प्रतिभाओ की पहचान कर उन्हें आमंत्रित करते थे और स्वयं अपने कुलपति काल में अपने यहाँ के छात्रों में प्रतिभाओं का निर्माण करते थे। न जाने कितने गरीब लोग यहाँ पढ़े। मालवीय जी ने बी० एच० यू० के आर्थिक असंतुलन की परवाह किये बिना उनकी आर्थिक सहायता करायी, फीस माफ की। उनकी मानवीय दृष्टि को इस बात की पूरी-पूरी पहचान थी कि प्रतिभाएँ विश्वविद्यालय के लिए तो हैं ही, विश्वविद्यालय भी प्रतिभाओं के लिए है। यदि विश्वविद्यालय के सारे तौर-तरीकों का मज्जती में पालन करने के कारण प्रतिभाशाली गरीब विद्यार्थी दबकर रह जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इस सारे तौर-तरीकों के पालन में लाभ क्या है? इसलिए मुनने में आया था कि उनके कुलपतित्व में विश्वविद्यालय आर्थिक अभाव का बोझ लिए चल रहा था, किन्तु इसमें क्या, न जाने इस कारण कितनी अच्छी प्रतिभाएँ उभरी जो अपने ज्ञान से इस विश्वविद्यालय को प्रातिभ समृद्ध प्रदान कर रही हैं। उन्हीं के नाते बी० एच० यू०, बी० एच० यू० है। किनी बड़ी विडम्बना है कि जिस विश्वविद्यालय में मालवीय जी देश-भर की प्रतिभाओं का आमंत्रित करते थे, उन्हीं में से बाद में चलकर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० राजबली पांडेय, डा० रामअवध द्विवेदी, डा० गोपाल तिवारी जैसी प्रतिभाएँ निष्कामित की गयीं। तब कुलपति का पद शैक्षिक ऊर्चा का पद नहीं रह गया था बल्कि राजनीतिक छलछद्म का मंच बन गया था और ऐसे ही लोग इस पद की शोभा बढ़ा रहे थे। यह परिदृश्य पूरे देश में व्यापक हो गया था और लगातार अपनी शैक्षिक ऊर्चा खोता जा रहा था।

मैं बी० एच० यू० में गया तो अनेक ऊँची प्रतिभाओं की गहमागहमी थी और मालवीय जी के होने की एक भरी-पूरी अनुभूति वहाँ व्याप्त थी। वे बीमार थे तो क्या हुआ, वे हैं, यह बोध पूरे विश्वविद्यालय को सजीवता प्रदान करता था। किन्तु मुझे इस अनुभूति का सुख 5-6 महीने में अधिक नहीं भिला। वे मई '46 के दिसंबर में दिवंगत हो गये। यद्यपि विश्वविद्यालय को इस बात का विश्वास हो गया था कि मालवीय जी जिस रूग्णावस्था में हैं, उसमें वे अधिक नहीं जी सकते, लेकिन इस अवस्था में भी उनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय को बहुत सहारा देती थी। जब उनके दिवंगत होने का समाचार फैला तो लगा जैसे विश्वविद्यालय की आत्मा सन्न स उड़ गयी हो। विश्वविद्यालय शोक-विह्वल हो गया। बड़े लोगों के मरने पर शोक-विह्वल होने या शोक-विह्वल दिखाने की परिपाटी सी बन गयी है और जब तो बड़े लोगों का मतलब होता है बड़े पद पर विराजमान नेता—राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री। वे जब मरते हैं तो शोक में झंडा झुकता है, रेडियो, टी० वी० कार्यक्रम बदल जाते हैं, शोक-सदस्य छपते हैं या शोक सभाओं में पढ़े जाते हैं, कई दिन की या कम-कम एक दिन की छुट्टी घोषित होती है। गर्ज कि सरकारी भाषा में सारा देश उनके दुःख में दबा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन होता यह है कि लोग छुट्टी में मौज-मस्ती मनाते हैं और कोमते हैं कि रेडियो और टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम नहीं आ रहा है, एक सारगो-वाला या बायलिन वाला दिन-रात टेंटे कर रहा है।

लेकिन उस समय बड़प्पन का इतना अवमूल्यन नहीं हुआ था। एक तो बड़प्पन

नेताओं में सिमटा नहीं था, दूसरे नेता का अर्थ होता था देश के लिए अपने को बलिदान करने वाला। इसलिए बड़े लोगों के दिवंगत होने पर जनता में वास्तविक पीड़ा व्याप्त होती थी, लोग मौन या मुखर भाव से रोते थे। और यदि बड़े आदमी का जीवंत संबंध किसी जन-समुदाय से हो, यानी वह बड़ा आदमी सबके लिए तो बड़ा हो ही, सबके बीच भी उसने एक ऐसी छोटी-सी दुनिया बनायी हो जिसके व्यक्ति-व्यक्ति के बीच वह जीवंत अनुभव बनकर व्याप्त हो, तो उस दुनिया की पीड़ा और यातना का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। मालवीय जी पूरे देश के नेता थे लेकिन बी० एच० यू० तो उनकी सघन कृति था। बी० एच० यू० की छोटी-सी दुनिया की सांस-सांस में उनका राग बसा हुआ था। इसलिए उनके दिवंगत होने के समाचार से पूरा बी० एच० यू० हाहाकार कर उठा। बनारस भी धर्रा गया। मालवीय जी से मेरा प्रत्यक्ष सरोकार नहीं था, किन्तु मैं अपने भीतर सदा उनकी उपस्थिति अनुभव करता था। इसलिए इस समाचार मे मैं भीतर तक धर्रा उठा। छात्रावास में, सड़कों पर, मालवीय जी के आवास के आसपास लोग रो रहे थे। बाग-बगीचे, मकान, हवा, आकाश, सभी मे जैसे एक आकुल मंथन हो रहा था।

शव-यात्रा शुरू होने का दृश्य बड़ा हृदय-विदारक था—रुदन का हाहाकार मच गया था। शव-यात्रा प्रारंभ हुई। भीड़ धीरे-धीरे बढ़ती गयी। बी० एच० यू० की भीड़ में बनारस की भीड़ शामिल होती गयी और मणिकर्णिका घाट तक पहुंचते-पहुंचते जैसे सारा शहर शव-यात्रा में शरीक हो गया था। जिन सड़कों और गलियों में शव-यात्रा हुई, उनके या तो लोग शामिल हो गये या उनकी वेदना। खिड़कियों से स्त्रियों की गीली आंखें झांकाती थीं और उनका दर्द भीड़ में शामिल हो जाता था। सड़क के दोनों ओर प्रणाम की मुद्रा में हाथ जुड़ जाते थे। चिता में आग लगी, फिर जोर से रुदन का हाहाकार उठा। मैं भरी-भरी आंखों से चिता को देखता रहा। मैं स्वभाव से भावुक हूं ही, इस दृश्य ने पता नहीं मुझे कितना भावुक बना दिया था।

हॉस्टल लौटा, मन बहुत उदास था। बार-बार रुलाई आ रही थी। इस महाप्रयाण के न जाने कितने दृश्य मेरे भीतर तैर रहे थे और मेरे कवि को बेचैन कर रहे थे। रात को कविता लिखी—

चिता जल रही है, गगन हिल रहा है
 धुआं में रहे कांप संदेश के स्वर
 अनल में जले जा रहे सांस के पर
 हुआ अस्त रवि चांद तारे खिलाकर
 किरन मौन होकर बहेगी निरंतर
 घरा के हृदय से व्यथा स्वर निकलता
 कि मेरा विभव स्वर्ग को मिल रहा है

सिहरती चली आ रही सांध्य बेला
 रहा छिप क्षितिज में गगन का उज्वेला

सुटाता हुआ मीन बरदान का स्वन
चला जा रहा आज पंथी अकेला
हृदय में छिपे क्षुब्ध अरमान छूकर
चिंता का विकल अग्नि कण हिल रहा है

समीपस्थ गंगा तरल हो रही है
कि जिसमें अमित आत्मा सो रही है
उमड़कर हृदय से सुवन को लगा लूं
इसी कामना से विकल हो रही है
दिशा के भरे लोचनों में पिघल कर
प्रकंपित लहर का रुदन मिल रहा है

नही बंध सका जो कभी बंधनों में
कभी जल सका जो न भव-लोचनों में
बरसता रहा स्नेह-रस बादलों-सा
वही जल रहा शुष्क से ईंधनों में
सुमन के नयन अश्रुकण भर रहे है
चला आज माली चमन हिल रहा है

पुनः प्रातः होगा, सुमन फिर खिलेगा
दिवाकर नयी ज्योति देकर मिलेगा
मगर ढल गया जो दिवाकर हमारा
नहीं फिर मिलेगा, नहीं फिर मिलेगा
लिए दर्द दिल में सदी जल रही है
व्यथा की कथा से पवन हिल रहा है

दूमरे या तीमरे दिन रुइया हॉस्टल के मामने शोक-सभा थी। अनेक प्रोफेसर और छात्र-नेता बोल रहे थे। मेरे कुछ मित्रों ने मेरी कविता सुन ली थी। वे आग्रह कर रहे थे कि मैं अपनी कविता सुनाऊं। मैं इनकार कर रहा था। पता नहीं किस मित्र ने कब एक चिट संयोजक के पास भेज दी और भाषणों के क्रम में मेरा नाम पुकार दिया गया तो मैं घबरा गया। किन्तु जाना था ही, गया। कविता सुनाई। भाषण और कविता का जो अंतर होता है उसे यहां भी होना ही था। कविता ने भीड़ को थोड़ी देर के लिए फिर भावुक बना दिया, लोगों की आंखें भीगने लगीं। पढते-पढते मैं स्वयं आर्द्र होने लगा। किसी तरह कविता पढ़कर मैं मंच से नीचे आया और भीड़ में खो गया। जो भी मिलता, कहता—“बहुत अच्छी कविता है।” मैं नहीं जानता था कि कविता अच्छी थी या बुरी, मैंने तो अपने दर्द की अभिव्यक्ति की थी और वह दर्द बहुतों के दर्द को यदि छू गया तो यही उसकी सफलता थी। कई दिन तक विश्वविद्यालय के प्रांगण में शोक-सभाओं का आयोजन होता रहा और एक उदासी, एक खालीपन यहां से वहां तक तैरता रहा।

पहले ही वर्ष इम विश्वविद्यालय ने मुझमें न जाने कितना कुछ नया भर दिया— नयी घटनाएं, नये दृश्य, नये सम्बन्ध, नये सुख-दुःख । इस महान् विश्वविद्यालय का एक और संदर्भ ऐमा प्रभावशाली था जिसे मैंने अन्यत्र नहीं देखा । वह था उसका दीक्षान्त समारोह । इस अवसर पर लगभग सप्ताह-भर सांस्कृतिक चहल-पहल में वातावरण मुखर हो उठता था । कवि-सम्मेलन, नाटक, नृत्य आदि से शामे बजने लगती थी । अपने छात्र-कलाकार तो अपनी कला दिखाने ही थे, बाहर से विशिष्ट कलाकार भी आमंत्रित होते थे । दिन को कुछ विशिष्ट विद्वानों के भाषण भी आयोजित होने थे । दीक्षान्त समारोह के दिन देश का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक या शैक्षिक व्यक्तित्व आमंत्रित होना था । उसे सुनने के लिए शहर और आसपास के गावों में भी लोग आते थे । वह एक मेला होता था । दीक्षान्त समारोह स्थल के आसपास बहुत-से लोग चक्कर काटते थे क्योंकि उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था । प्रवेश आइडेंटिटी कार्ड या निमंत्रण-पत्र से मिलता था । उस विशाल भीड़ में एक भनभनाहट, एक अनिश्चित जिज्ञासा नैरनी रहती थी और ज्योही डा० राधाकृष्णन् के साथ महान् अतिथि आता था, अपने-आप एक अनुशासित चुप्पी पसर जाती थी । और फिर शुरू होता था डा० राधाकृष्णन् की ठनकती हुई आवाज के माध्यम-वितरण कार्य । और अन में अतिथि का भाषण होता था । पहले साल दीक्षान्त समारोह मेरे लिए एक नया अनुभव था, फिर दो हर साल मैं उसी अनुभव से गुजरने लगा । पहला वर्ष मेरे लिए इम नये अनुभव के कारण अधिक मूल्यवान रहा ।

पहले वर्ष ने मेरे भीतर जो अनुभवों का एक नया संसार रचा, आने वाले वर्ष उममें या तो नया रंग भरते गये या नये आयाम जोड़ते गये । अनुभव गहराना भी गया और बड़ा भी होता गया । दूसरे वर्ष की सबसे बड़ी घटना थी स्वतंत्रता-प्राप्ति । 15 अगस्त, 1947 यानी दूसरे वर्ष का लगभग प्रारंभ । इम समय क्या उल्लास था ! उल्लास नहीं था बल्कि उल्लास का महासागर था जो अपनी उन्मत्त उत्तुंग लहरें उठाना हुआ धरती और आकाश के बीच ठाठे मार रहा था । स्वाधीनता-मग्नम के मन्द हिन्दू विश्वविद्यालय के महोत्सव की कल्पना की जा सकती है—कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई बजा रहा था । सभी लोग जैसे शरीर न रहकर महोत्सव के अनियंत्रित अनुभव बन गये थे । लोग झुंड के झुंड शहर की ओर जा रहे थे । मैं भी शहर की ओर निकला था । पूरा शहर जैसे जन-सम्मर्द बन गया था । कोई भी अपने घर में नहीं अट रहा था और बाहर बहते हुए जल-प्रवाह में सम्मिलित होना चाहता था । लहर लहर से जुड़ रही थी, धारा धारा से जुड़ रही थी और भारतमाता की जयजयकार से आसमान फटा जा रहा था । पटाखे छूट रहे थे । लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, यानी कि पागल हो रहे थे । लग रहा था कि अब किसी का दुःख उसका दुःख नहीं है, सबका दुःख है; उसका सुख उसका सुख नहीं है, सबका सुख है । हर घर चाहे छोटा हो या बड़ा, दीपमालिका से जगमगा रहा था और लगता था कि हर घर की दीपमालिका पूरे शहर और देश की दीपमालिका की पवित्र को दे दी गयी हो । दीपमालिका के प्रकाश में जैसे क्षेत्रों, जातियों, धर्मों और वर्गों के दायरे दब गये हो और रह

गया हो समूचा देश एक नयी आशा से लहराता हुआ ।

इस अवसर पर बिड़ला हॉस्टल में एक कवि-सम्मेलन आयोजित किया गया । मैं अब इतना जाना जाने लगा था कि उसमें मेरा होना अनिवार्य था । किन्तु इस आयोजन से पहले ही छपरा में आयोजित कवि-सम्मेलन के लिए मैं स्वीकृति दे चुका था । बिड़ला हॉस्टल के लिए मैं परिचित था । अतः मन में एक नयी जगह पर कविता पढ़ने का मोह भी था । छपरा गया । शंभूनाथ सिंह तथा और कई कवि साथ थे । मैंने स्वाधीनता के उपलक्ष्य में एक कविता लिखी थी । वहां मुनाई, खूब प्रशंसित हुई । वहां जाकर और नये स्थान से प्रशंसा पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । कविता की कुछ पंक्तियां थीं—

आज अग्नि के कुंजों से झर रही मधुर झनकार
नयी ज्योति उठ रही फाड़कर धुएं की दीवार
आहुति पूर्ण हुई जीवन की बलिवेदी मुसकायी
ली स्वतंत्रता ने प्राणों के शतदल पर अगड़ाई
हरमिगार के फूल झर रहे तारों के अधरों से
गमक रही है फिर सदियों पर जीवन की अमराई
झरते हुए रुदन स्वर सोये तरु के पात पुराने
भारत के नंदन में फिर स्वर उड़ते पंख पसार

प्राची के शिखरों पर भारत रवि का दीप जलाये
दिखा रहा है जिससे दुनिया मंजिल भूल न जाये
अखिल विश्व की मुक्ति-चेतना का बनकर मेनानी
गरज रहा फिर विजय घोष में हम गिरि शीश उठाये
भारत विजय ! तुम्हारी ही आशा में कितने माझी
दूर सिंधु में गिर गिर भी छोड़ते नहीं पतवार

छपरा से लौटा तो कई साथियों ने अलग-अलग व्यग्य किया कि “अब तुम कविता बेचने लगे हो क्या ?”

“क्या मतलब ?”

“मतलब यह है कि यहां के कवि-सम्मेलन में एक लड़के ने एक कविता पढ़ी और मुझे लगा कि यह कविता तुम्हारी है । मुझे लगता है कि मैंने तुमसे सुन रखी है ।”

“क्या थी वह कविता ?”

“ठीक याद नहीं, परन्तु थी आंखों पर । क्या तो था कि “इन आंखों में ही आग है इनमें ही पानी है ।”

“इन आंखों में ही आग भरी
इन आंखों में ही पानी है ।”

मैंने ठीक करते हुए कहा ।

“इकजैकटली, इकजैकटली।” मित्र बोला।

“हां, यह कविता तो मेरी है, उसने कहां से उड़ा ली? लेकिन दोस्त, इस कविता की चोरी से उतना दुःख नहीं हुआ जितना कविता को गद्य बना देने से।”

“नहीं, नहीं, उसने गद्य नहीं बनाया, उसने बहुत अच्छी तरह कविता पढ़ी। हर पंक्ति, हर शब्द को उसने अपने पढ़ने के अंदाज से सजीव कर दिया। कविता तुम्हारी है, लेकिन तुम उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते। उसे कवि-सम्मेलन में खूब वाहवाही मिली, सबकी जबान पर आ गयी है कविता।”

“तभी तो।”

“क्या तभी तो?”

“तभी तो जनाब ने मेरी पंक्तियों को गद्य की तरह मेरे सामने परोस दिया। इन आंखों में ही आग है, इनमें ही पानी है।”

“अच्छा, तो कविता को गद्य बना देने का इलजाम श्रीमान् मेरे मत्थे मढ़ रहे थे। अरे जहन्नुम में जाय कविता, मुझे कविता से क्या लेना-देना। मेरा वश चले तो कविता को क्या, तुम्हें भी निरा गद्य बना दूं ताकि एक भावुक आदमी की भावुकता से समाज का पिंड तो छूटे।”

हम हंसने लगे। चलने लगे तो उसने फिर पूछा—“तब क्या करोगे उस चोर का?”

“करूंगा क्या, उसे वह कविता दे दूंगा।”

“नहीं यार, ऐसा मत करना, इतनी अच्छी कविता पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए।”

“मगर वह है कौन?”

“बता दूंगा।”

पता चल गया। उस लड़के का रूममेट मेरा परिचित था। उससे चर्चा की। वह बोला—“पकड़ना हूं उसे।” तय हुआ कि वह कविता-चोर से कहेगा कि एक कवि हैं जो कवि-सम्मेलन के दिन थे नहीं, उन्होंने तुम्हारी कविता की बड़ी तारीफ सुनी है, सुनना चाहते हैं।

इस योजना के तहत वह लड़का कविता-चोर को पकड़कर मेरे कमरे में ले आया और कविता-चोर कविता पढ़ने लगा। मैंने अपनी कविता की कापी का वह पृष्ठ खोलकर परिचित लड़के को थमा दी थी जिस पर वह कविता लिखी हुई थी। कविता-चोर बहुत उत्साह से कविता पढ़ता गया और परिचित लड़का मेरी कविता की कापी पर नजर गड़ाये रहा। जब कविता समाप्त हो गयी तब उसने कविता-चोर के सामने मेरी कापी का वह पृष्ठ बढाते हुए कहा—“यह क्या है?”

कविता-चोर ने वह पृष्ठ देखा और एकाएक धबरा गया। पसीना-पसीना हो गया। मैंने आश्वस्त करते हुए कहा—“धबराइए मत, बताइए, इसे आपने कहां से उड़ाया?”

उसने बताया कि उसके किसी मित्र ने इस कविता को अपना बताकर इसे सुनाया

था और इसने इसे हथिया लिया ।

“यह कविता ‘अप्सरा’ में छपी थी । वहीं से उसने उड़ाया होगा ।”

“मुझे पता नहीं साहब, मैंने तो उसी से पाया था ।”

“कोई बात नहीं । जाइए, कविता का शौक हो तो अपनी लिखिए ।”

वह उदास-उदास-सा, पिटा-पिटा-सा चला गया और मैं सोचने लगा कि क्या मैं इस योग्य हो गया हूं कि मेरी कविताओं की चोरी होने लगे ? यह तो बहुत उत्साहवर्धक बात है । कविता की चोरी की बात आयी तो एक दृश्य और याद आया । यह घटना 1948 की है । रामनगर में कवि-सम्मेलन हुआ और मैं अध्यक्ष बनाया गया । कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी जिसकी कुछ पंक्तिया हैं—

ओ केशर के काश्मीर
उजड़े प्राणों के सूने वन मे
नव वसंत आज भी उडाना
सूना अंचल आता होगा
मूर्छित फूलों की सांसों की
नीरव चिता सुलगती होगी
लेकर यौवन की अंगड़ाई
कलिका आज न जगती होगी
सपनों के फूलों-सी फूली
वह क्षर-क्षर कुसुमों की घाटी
धुएं की लपटों में धायल-सी
मरघट-सी लगती होगी
यौवन के दर्दिले स्वर को
उकसाते होंगे मधु के क्षण
किन्तु डाल पर सूना बैठा
कोकिल आज न गाता होगा

एक छात्र कवि आये और इसे पढ़ने लगे । मैं सुनता रहा । कविता पढ़ने तक ही बात होती तो मैं चुपचाप पी भी जाता, कविता को भ्रष्ट तरीके से पढ़ने लगे, सारी पंक्तियां छिन्न-भिन्न होकर नष्ट-भ्रष्ट होकर मुझे चिढ़ाने लगीं । जब वे पढ़ चुके तो मैंने संयोजक को एक चिट दी—“इन सज्जन ने मेरी कविता पढ़ी है और भ्रष्ट रूप में पढ़ी है ।” कवि-सम्मेलन चलता रहा । संयोजक ने कविता-चोर को डांटा होगा । तभी एक कवि के कविता खत्म करते ही काव्य-चोर महोदय माइक पर आ गये और घोषणा की—“मैं यह बताना भूल गया था कि मैंने जो कविता पढ़ी वह श्री रामदरश मिश्र की थी—यानी इस कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय की ।”

“पकड़ गया, पकड़ गया ।” लोग चिल्लाये और वे हजरत वहां से धीरे से सरक

गये। यहां भी मुझे एक मुख का अनुभव हुआ कि मेरी कविताएं लोगों को इतनी अच्छी लगने लगी हैं कि उनकी चोरी होने लगी है। बाद में भी ऐसे अनेक प्रसंग आये।

दूसरा साल भी बीता। इस साल की एक और मुख्य घटना रही वाजपेयी जी का जाना। सागर विश्वविद्यालय में उनकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो गयी थी इसलिए वे हम लोगों को छोड़कर जा रहे थे। साहित्यिक वातावरण में एक खालीपन का अहसास तैरने लगा था। हिन्दी विभाग के लिए वे चाहे जो रहे हों, वहां की साहित्यिक बुनियाद के लिए तो वे परम तेजस्वी पुरुष थे। एक प्रखर समीक्षक के रूप में उनकी तेजस्विता उजागर हो चुकी थी। उनकी विदाई में जगह-जगह गोष्ठियां हुईं, उनके शिष्यों और साहित्यकारों ने अपनी अकुलाहट व्यक्त की, साथ ही अपने गुरुदेव की एकेडेमिक उन्नति पर हर्ष भी व्यक्त किया। हिन्दी विभाग की ओर से भी विदाई-गोष्ठी आयोजित हुई। उसमें सम्मिलित होने और कविता पढ़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला। वाजपेयी जी से न तो मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध बन पाया था, न उनसे एक लम्बे समय तक आत्मीयता परिवेश में साहित्य ही पढ़ने का अवसर मिला था, फिर भी मुझे लग रहा था कि औरो की तरह मैं कुछ खो रहा हूँ। मोच रहा था—“काश, इनसे मुझे लम्बा शिष्यत्व काल और आत्मीयता मिली होती।”

एक बार फिर प्रकृति की ओर चलते हैं। बी० एच० यू० प्रकृति के बीच और अपने में प्रकृति को लिए बसा है। हर मौसम अपनी पूरी गरिमा के साथ यहां आता है और फँस जाता है। पूरब की बरसात का अपना ही रंग। वह आती है तो जल्दी जाती नहीं। काले-काले बादल लगातार आकाश में तैरते हैं, बरसते हैं, रिमझिमाते रहते हैं, पुरवा सनसनाती रहती है, पेड़ झुकते हुए, हिलते हुए, स्पंदित होते हुए बूदों की लय पर गाते रहते हैं। यह खेल शुरू होता है तो पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस दिन तक नहीं थमता। मैंने कहा कि बी० एच० यू० प्रकृति के बीच और अपने में प्रकृति को लिए बसा है। छात्रावासों और कालेजों के बीच खुली-खुली दूरियां हैं, खुली-खुली सड़कें हैं, सड़कों के दोनों ओर सघन पेड़ हैं, बड़े-बड़े घाममय मैदान हैं, तरह-तरह के फूलों और लताओं में भरे उद्यान हैं। बरमान इनमें खूब खेलती है, इन्हें सराबोर करती है, गाती है, गरजती है और इनकी हरीनिमा की धुली आभा चारों ओर घानी कपड़े-सा फैला देती है, इनके भीतर से मुगंध और रस की कथा बनकर फूट चलती है। कोयल बोलती है, पपीहा बोलता है और अनेक पक्षी पंख फैलाये हवा में तैरने लगते हैं। प्रकृति का संस्कारी मेरा मन यहां प्रकृति से और अधिक जुड़ गया। मैंने बी० एच० यू० में बरसात पर बहुत-सी कविताएं लिखीं। वर्षा-ऋतु का अनुभव लगातार गहराता ही गया और वह बार-बार अभिव्यक्त होकर भी तृप्त नहीं होता था, नये रूप में फूटने को आकुल-व्याकुल रहता था।

यहां शरद में महीने-भर की छुट्टी होती है—दशहरे के पहले से दीवाली के बाद तक। मैं इन छुट्टियों में गांव चला आता था। मां की ममता, पिता का सहज प्यार, परिवार का आत्मीय वातावरण और भीतर तक घंसा हुआ अपने गांव का परिवेश इन छुट्टियों में मेरे साथ होता था। दशहरे में बनारस का वातावरण अद्भुत जीवंतता और महक से भरा होता है। मैंने बाद में इसका खूब आनंद लिया किन्तु रामलीला मुझे थुन्हीं

की ही अच्छी लगती रही। थुन्हीं हमारे गांव से दो मील की दूरी पर है। बचपन में हम इस मेले में जाया करते थे। इस मेले में जाने का अद्भुत उत्साह और 'प्रिल' मन में भरा होता था। वह संस्कार अब तक नहीं गया। इतने नगरों, महानगरों की यात्रा के दौरान एक-से-एक शानदार रामलीलाओं को देखने का अवसर मिला, किन्तु उम अवनर के प्रति मेरे मन में कोई विशेष ललक नहीं रही। न तो मैंने काशी में रहते हुए रामनगर की रामलीला देखी और न दिल्ली में रहते हुए रामलीला मैदान की रामलीला। किन्तु अब तक यदि मुझे दशहरे के वक्न गांव जान का अवसर मिला तो मैं थुन्हीं के मेले में अवश्य गया। न जाने क्या था उम मेले में जो मेरे भीतर आद्य त्रिव्य की तरह समा गया और बार-बार मुझे अपनी ओर खींचता रहा। माटी के घुघुके और मिहे, शरद की नयी मञ्जिया, दहाती दलवाइयो की मिठाइया, धराऊ माडियाँ की सुगंध, रामायण-गान की पवित्र धुन, देहाती आखो की उदासी में त्योहारो की चमक, राम लटमण, बन्दरगे और राक्षसो की लट्टाई, रावण का कागज का पुतला और मेले के पाम बहता हुआ नाला जिसे कभी हल कर, कभी नाव में पार कर मेल में जाना होता था। नाले की मटमैली गंध—यही तो था थुन्हीं का मेला, लेकिन फिर भी न जाने क्यों डममें मेरे लिए वेपनाह आकर्षण था। पर्व-त्योहार तो सभी जगह मिलते हैं, मौसम और ऋतुएं भी सभी जगह मिलती हैं, किन्तु अपने जाने-पहचाने और जिये हुए परिवेश में उनमें मिलने का मौन्दर्य और मुख कुछ और ही होता है, यह मैंने लगातार अनुभव किया है, शायद इसीलिए यहीं का मेला दशहरे के समय मुझे पृकारता है।

जाड़े का मौसम आना था। हम लोग छुट्टियों में दिन को गंगा के कछार में चले जाते थे। बी० एच० यू० के प्राचीर से आधे मील की दूरी पर गंगा बहती है। इस दूरी में रबी की फसले अंती पड़ी होती थी। उनके बीच घूमते थे, खाते थे, निकलते थे और अपने गांव के खेतों में जुड़े होने का अहसास जिनदा किये रहते थे, कभी गंगा के किनारे बैठकर उमकी स्वच्छ धारा को निहारते थे और उनके ऊपर से आने वाली हवा के स्पर्श में भीगते रहते थे। जाड़े की धूप गंगा और खेतों पर फैलकर उष्मा झरती थी, जिसे अपने में समेटने हुए हम छात्रावास को लौट आते थे।

फिर आती थी मेरी प्रियतम ऋतु वसंत ऋतु। सुबह-सुबह बोटानिकल गार्डन निकल जाता था, वहां देर तक घूमना था। सहज वन का आभाम देने वाला यह उपवन वसंत के रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वर का पूरा अनुभव उतार देता था। महिला छात्रावास में घूमने आने वाली छात्राएं वसंत में जाग्रत् रोमानी कल्पनाओं को स्पंदित करती थीं। कभी कभी तिजहर की खेतों की ओर निकल जाता था और उनकी वासंती रंगमयता से घन हो उठता था। फागुनी हवा के अल्हड़ झोंके फमलों को छेड़ते हुए, स्वयं में बजते हुए दिगंतों तक चले जाते थे, पत्ते उड़ते हुए एक विषण संगीत की तरह चारों ओर फैल जाते थे पेड़ों की डालियां नंगी होती जाती थी और उनके भीतर से फूटती हुई नयी आभा चमकने लगी थी और एक दिन लाल-लाल किसलय उन पर लद जाते थे। फागुन और वसंत पर मैंने कई कविताएं इस वातावरण में लिखी जो मुझे आज भी बहुत प्रिय हैं।

बी० एच० यू० और बनारस की होली की उमंग का क्या कहना ? हर व्यक्ति मस्ती में होता था। कुछ दिन पहले से ही वातावरण हड़दंग और रंग से भर जाता था। काशी के कुछ पत्रकार और साहित्यकार इस अवसर पर अश्लील सचित्र साहित्य निकालने के लिए प्रद्ययात थे। बी० एच० यू० में लड़कियों का बाहर निकलना कम हो जाता था। होलिका दहन के दिन शाम को डा० राजबली पांडेय के सभापतित्व में ऊपर की मंजिल के बरामदे में गोष्ठी जमती थी जिसमें हास्य, व्यंग्य, कविता-पाठ, गीत आदि का उन्मुक्त कार्यक्रम चलता था। नीचे हॉस्टल के ग्राउंड में हॉस्टल के अनेक छात्र नाचते, गाते, बजाते थे। मुझे याद है आज युवा तुर्क के रूप में प्रख्यान नेता रामधन पांढ में घुंघरू बांधकर नाचते थे। वे कैसा नाचते रहे होंगे, आप अनुमान कर सकते हैं। रामधन मुझसे एक साल आगे थे और बिड़ला छात्रावास के मेरे ही विंग में रहते थे। मस्त व्यक्ति थे, हम सबके दोस्त थे। वे हमेशा सौ-दो सौ मीटर की दौड़ में भाग लेते थे और सबसे पीछे पहुंचते थे। उनके लिए हमारे एक मित्र रमेशचन्द्र अस्थाना का रिमार्क था कि रामधन सौ-दो सौ मीटर दौड़ के लिए नहीं हैं, वे बहुत लंबी दौड़ के लिए हैं। उनमें त्वरा नहीं है किन्तु अनथकता है। उनकी सांस नहीं फूलती, अतः लंबी दौड़ में वे अवश्य विजयी होंगे। विजय हुए कि नहीं किन्तु इतना सत्य है कि रामधन लंबी दौड़ में लगातार दौड़ रहे हैं।

होली की बात करते-करते मैं कहां चला गया ? हां, रात गहमागहमी में बीतती थी और सुबह की प्रतीक्षा रहती थी। वैसे तो शरारत सबके साथ होती थी, किन्तु शरारतियों की दृष्टि कुछ विशेष लोगों पर ज्यादा टिकी जाती थी। भगर्तसिंह भी उनका निशाना बनते थे। पिछले साल तां वे शहर चले गये थे। इस साल उनका कमरा मेरी बगल में था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कमरे में बन्द करके बाहर से ताला मार दो और कह दो कि वे शहर चल गये हैं। मैंने ऐसा ही किया। लड़के बार-बार उन्हें पूछते हुए आये, मैंने कहा कि वे बाहर गये हैं, किन्तु उन्हें विश्वास नहीं होता था। लड़के ताला खटखटा-खटखटाकर चले जाते थे लेकिन करते क्या ?

उस दिन का एक विशेष खेल होता था हौज में लड़कों को पटकना। छात्रावास के सामने फुहारा लगा था। उसके पानी में रंग घोल दिया जाता था और लड़के किसी लड़के को टांगकर लाते थे और उसी में पटक देते थे। कोई कहता कि भाई, मैं स्वयं कूद रहा हूँ, आप मुझे छोड़िए, किन्तु जो मजा उठाकर फेंकने में है वह कूदने में कहां ? कोई भेदभाव नहीं—मुसलमान, ईसाई, देशी-विदेशी का कोई अंतर नहीं, सभी होली के रंग में खुशी-खुशी शरीक होते थे। सभी इसके कीचड़ को भी मानवीय उमंग का प्रसाद मानकर अगीकार करते थे। इस खेल के बाद लड़के झुंड के झुंड प्रोफेसरों के यहां निकलते थे और प्रोफेसर भी उन्मुक्त भाव से इनसे मिलते थे, मिठाइयां खिलाते थे और फिर दोपहर को मेस महाराजों के प्रसादस्वरूप फीस्ट मिलता था।

शाम को हम लोग शहर में निकलते थे। गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट, विश्वनाथ गली, चौक, मैदागिन तक जैसे भीड़ ही भीड़। रंग उड़ाती, हंसी-ठट्ठे करती, अपने लोगों से मिलती, हड़दंग मचाती भीड़ ही भीड़। उसी भीड़ में अश्लील साहित्य भी

बंटता हुआ नजर आता । काशी के ठेठ साहित्यकार इस भीड़ में डंकारते दिखाई पड़ते ।

बनारस की उमंग का क्या कहना ? होली तो चली गयी लेकिन बनारस की मस्ती तो बनी हुई है । उसे देखकर लगता है कि होली कुछ दिन और बनी रहे । और जगहों पर होली मस्ती के शिखर पर पहुंचकर दूसरे दिन एकाएक ढेर सारा खानीपन छोड़ जाती है, किन्तु बनारस वाले उसे एकाएक नहीं जाने देते, उसके प्रभाव को अगले मगल (बुढ़वा मगल) तक खींच ले जाते हैं और इस तरह उनका नशा धीरे-धीरे उतरता है ।

लेकिन छात्रों का नशा होनी के साथ ही उतर जाता था । परीक्षा पास होनी थी । कई बार तो परीक्षा की निकटता के कारण ठीक से होनी का नशा चढ़ता भी नहीं था । होनी है इसलिए एक दिन इसके साथ हो लेना चाहिए, इसी भाव में विद्यार्थी जुड़ जाते थे और होनी समाप्त होते ही पुस्तकों में धस जाते थे । चैत लगता था, उष्मा तेज होने लगती थी, हवा गरमाने लगती थी, लेकिन सुबहें और शामें और रातें प्यारी होती थी चार बजे पाम के कमरे में बाहर निकलकर शिवमागर मिश्र खुमागी-भरे स्वर में गाते थे—

सेजिया से सैया रुमि गइले हो कोइलरि
तारी मीठी बोलिया

चैत की अलमाई सुबह में उनकी अलसाई हुई आवाज में वहता गीत मुझे जगा देता । एक तरह से शिवमागर जी मेरे लिए एलामें घड़ी बन गये थे । उठकर पढ़ता था, फिर फ्रेश होकर थोड़ा घूमने निकल जाता था । चैत की सुबह की ठंडी-ठंडी सुगंधित हवा, पेड़ों के नगेपन का फोड़कर उगते हुए किसलय, फूलों से लदा हुआ बोटानिकल गार्डन, किसी कुज में कूकती हुई कायल, ये सब मुझे पुकारते थे, मैं इनमें खो जाता था । किन्तु शीघ्र ही किताबें बुलाने लगती थी और मैं अनचाहे इस संसार में दूसरे संसार की ओर खिंच चलता था । किताबों और प्रकृति का द्वन्द्व चलता ही रहता था । अब तक चला आ रहा है । बहुत-से विद्यार्थियों में पाला पड़ा जो किताबों की दुनिया से बाहर निकलते ही नहीं थे । य वे थे जो या तो परम विद्वान् बनने की प्रक्रिया में थे या वे थे जो पढ़ने के बावजूद फेल होते रहते थे या गिरते-पड़ते पास होते थे ।

मैं और मेरे जैसे बहुत-से लोग किताबों की दुनिया में होकर भी उसमें बंद नहीं थे । इसलिए दिन-भर के अध्ययन के बाद शाम को घूमने निकल जाते थे । मैं या तो खेतों की ओर निकल जाता या गंगा की ओर । ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जाती त्यों-त्यों गंगा-तट की शाम प्यारी होती जाती । बी० एच० यू० से गंगा-तट तक का रास्ता आने-जाने वालों से भरा ही होता । अंधकार झरने लगता और गंगा तथा उसके आस-पास का परिवेश स्वप्नलोक-सा फैल जाता—विशेषतया चांदनी रात में । उस पार रामनगर के किले से प्रकाश झलमलाता रहता और उसके प्रतिबिंब गंगा-जल में तैरते रहते । पास में और दूर नावों की गतियां रह-रहकर बजती रहतीं, नाव पर से कोई गीत उठता रहता ।

पास से पकी फसलों और आम तथा महुए की सम्मिलित मादक गंध आबारा की तरह भटकती रहती। कुछ दक्षिण भारतीय विद्यार्थी थे जो नियमित रूप से यहां आते थे और तट की रेत पर बैठकर अपने दक्षिणी स्वर के आरोह-अवरोह के साथ कोई गीत गाते रहते और वह गीत कांपता हुआ आस-पास भटकता रहता। फिर पुस्तकों की याद आती और मैं छात्रावास लौट आता। एम० ए० तक यही क्रम चलता रहा।

25

सब कुछ पूर्ववत् चलता रहा। दूसरे वर्ष में कुछ नये साथी बने। साहित्यिक माहौल गहराता जा रहा था। नामवर सिंह भी बी० एच० यू० के छात्र हो गये थे। वे बी० ए० प्रथम वर्ष में थे। एक अच्छे विद्यार्थी और साहित्यधर्मी के रूप में नामवर सिंह अच्छी तरह जाने जाने लगे थे। त्रिलोचन भी प्रायः हमारे छात्रावास आते थे। ठाकुर प्रमाद मिह थे ही। नरेश मेहता एम० ए० कर रहे थे या कर चुके थे। हरिमोहन भी थे। कही-न-कही काव्य-गोष्ठियां होती ही रहनी थी इसलिए शैक्षिक जीवन की एकरसता टूटती रहती थी और धीरे-धीरे हमारी दुनिया बड़ी होती जा रही थी। नामवर सिंह एक लॉज में रहते थे। मेरी-उनकी यारी नहीं थी किन्तु भेट तो होती ही रहती थी—गोष्ठियों में, आर्ट्स फैंकल्टी के अहाते में और कभी-कभी यों भी। एकाध बार मैं उनके लॉज पर भी गया। नामवर सिंह शम्भूनाथ सिंह के बहुत नजदीक थे और त्रिलोचन जी, सुमन जी आदि के भी स्नेह-भाजन थे। नामवर सिंह से मैं जुड़ना चाहता था और वे भी अपनी सहृदयता का परिचय देते थे, किन्तु कोई-न-कोई बात थी जो एक अंतराल कायम रखती थी। नामवर जी बहुत विनोदी और खुशमिजाज व्यक्ति हैं, तब भी थे, उनके साथ रहिए तो समय हलका हो जाता है। वे आपकी समस्याओं में रुचि भी लेंगे। किन्तु मुझे हमेशा महसूस हुआ कि यह खुलापन, यह खुशमिजाजी जितनी बाहरी है उतनी भीतरी नहीं। वे भीतर से काफी गरिष्ठ और बन्द हैं। उन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। उनकी दोस्ती भी साहित्यिक या सामाजिक महत्ता के अनुपात में कमोबेश होती है। मेरे लिए किसी की भी दोस्ती की यह अवस्था कभी भी प्रीतिकर नहीं रही। मैंने किसी को साहित्यिक-सामाजिक महत्ता की नाप-तौल में दो-तीन नहीं दी और न की। इसलिए मुझे जहां लगता है कि यह व्यक्ति मुझे छोटा समझकर दोस्ती का अनुपात कम कर रहा है वहां मैं नहीं जुड़ता या सामान्य परिचय के स्तर तक ही अपने को सीमित रखता हूँ।

मैं नामवर जी की शैक्षिक और साहित्यिक प्रतिभा की कद्र करता था और उनसे जुड़ने की भी लालसा मेरे मन में थी, किन्तु समानधर्मा की हैसियत से। पर नामवर जी हमेशा अपनी प्रतिभा के प्रति जागरूक थे। इसका दूसरों को भान कराते रहते थे। उन

दिनों हम लोग कुछ नया लिखते थे तो एक-दूसरे को सुनाते थे। नया सुनाने या सुनने एक-दूसरे के यहां जाया करते थे। मैं भी अपनी नयी कविता लेकर दो-एक बार नामवर जी के लॉज पर गया। जब कभी गया, नामवर जी कुछ करते रहते, जाहिर है कुछ करते रहेंगे। हर बार कहते—“जरा बैठिए, यह पूरा कर लें।” वे उमे पूरा करते और मैं (औरों का भी यह अनुभव था) चुपचाप कुछ देर बैठा रहता और सोचता कि क्या नामवर सिंह मेरे कमरे में जायें तो मैं उन्हें इस तरह बिठाकर अपने काम में उलझा रहूंगा? अपने वैशिष्ट्य का अहसास कराने के बाद वे मुडते थे, फिर बातें करते थे, कविताएं सुनते-सुनाते थे, कविताओं पर अपनी राय देते थे। संभवतः उसी वर्ष लखनऊ में एक अंतर्महाविद्यालय कविता प्रतियोगिता हुई। बी० एच० यू० से हिन्दी विभाग ने नामवर जी को और मुझे भेजा। यह देखकर प्रभावित हुआ कि नामवर जी रास्ते-भर ‘तार मप्तक’ पढते रहे। उस समय तक तो हमें न प्रयोगवाद का कोई ज्ञान था, न ठीक-ठीक परिचय ही और ‘तार मप्तक’ की कविताए पढ़ना-समझना तब तक अपनी रुचि में नहीं उतर सका था, किन्तु नामवर जी उसमें रमे रहे। और मैं मानता हूं कि उसे ममझते भी रहे होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की कविता प्रतियोगिता के अध्यक्ष डा० केसरीनारायण शुक्ल थे। निर्णायक थे विश्वविद्यालय के ही दो प्रवक्ता। हमदोनों ने अपनी-अपनी अति चर्चित कविताए सुनायी—नामवर जी ने ‘झुपुर-झुपुर घान के ममुद्र में हलर-हलर मुनहला विहान’ सुनाया और मैंने ‘जिन्दगी की राह पर पदचिह्न भरता जा रहा हूं’ कविता सुनायी। कविता पढते समय न मैंने कोई नाटक किया न नामवर जी ने। नाटक करना अपनी रुचि और सामर्थ्य में नहीं है। किन्तु कई कवियों ने खूब हाव-भाव में कविताए पढी। हावभाव कविता में भी था और पढने के ढंग में भी। एक कवि का हावभाव तो इनना अद्भुत था कि पूरा श्रोता-वर्ग अभिभूत हो उठा। फिर भी उस समय तक मुझे विश्वास था, विश्वविद्यालय के प्रवक्ता काफी ममझदार होते हैं और इन कवियों के हावभाव तथा जनता पर पडे उनके प्रभाव के बावजूद उनसे प्रभावित नहीं होंगे। हमें अपनी कविताओं की शक्ति पर भरोसा था; किन्तु वही हुआ जो होता आया है और हो रहा है। उस चटक-मटक वाले कवि को पुरस्कार मिल गया और उमी के कालेज को ट्राफी भी मिली।

मैं बहुत उदास हो गया किन्तु नामवर जी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने हंसकर कहा—“उन लोगों के निर्णय से हमारी कविताए छोटी नहीं हो जाएंगी और यह सब होता रहता है, परेशान न होइए।” सचमुच मुझे बहुत राहत मिली। नामवर जी का यह परिचय मुझे लगानार मिलता रहा। इन्हें बाहर से उद्विग्न कम देखा। जब वे नौकरी में नहीं थे और उन पर लगातार प्रहार हो रहे थे, तब भी उन्हें बाहर से उत्तेजित नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि वे उद्विग्न या उनेजित नहीं होते होंगे, होते होंगे, लेकिन या तो उसे पी जाते हैं या कुछ गिने-चुने लोगों के सामने ही उसे खोलते हैं। किन्तु मैं बाहर-भीतर में इतनी दूरी बनाये नहीं रख पाता। मैं भावुक हूं और मेरी भावुकता मेरे व्यवहार में झलकती रहती है। भावुकता रूमनियत के रूप में देखी-सुनी जाती है। यानी जो भावुक है वह रूमानी है, किन्तु मैं इसे मान नहीं पाता। रूमनियत एक दृष्टि

है जो अंतनोगत्वा वस्तुगत सत्य पर आत्मगत सत्य को तरजीह देती है। भावुकता भीतर के वेग को दमित न करके बाहर झलकने देने की छूट का नाम है। वह बीच की यात्रा है जिमका समापन वस्तुवादी सत्य में हो सकता है, किन्तु रूमानियत बीच की कठोर यथार्थवादी यात्रा से गुजरते हुए भी आत्मवादी परिणति में अपने को विसर्जित कर सकनी है। नामवर जी वास्तव में क्या है इसे मैं तो क्या पूरा हिन्दी-संसार अभी तक ठीक से नहीं जान सका, किन्तु उनका महपाठी और साथी हाने के कारण इतना जरूर जानता हूँ कि वे बाहर से चाहे जितने वस्तुवादी हो, भीतर में भाववादी है। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही उनकी विडम्बना भी।

यह वर्ष बहुत मनमनीखेज रहा। देश के बंटवारे के कारण हिन्दुओं और मुसलमानों का अपने-अपने घरों में पलायन और दूसरे स्थान पर शरणार्थी बनकर जाना अपने समय की बहन बड़ी विडम्बना थी। यह क्रम तो आजादी-प्राप्ति के बाद में ही शुरू हो गया था किन्तु धीरे-धीरे मधन होता गया। साम्प्रदायिक उपद्रव तो मधन होता ही गया। शरणार्थियों की गमग्या ने हमें और भी जटिल और कुरूप कर दिया। अडके-अडक शरणार्थी आते थे और जिसकिसी शहर में गजाडण होती थी, समा जाते थे अपने मताये हुए भाइयों के लिए लोगों की हमदर्दी के स्रोत खुल जाते थे। सरकार और समाज-सेवी मस्याएँ दोनों इनकी रोटी और आवास की व्यवस्था में ही लगी हुई थी। शहर में आने वाले हमारे कुछ सहपाठी शिविरों में जाते थे और उनका हालचाल बताते थे। उनमें में कई तो उनकी बह-बेटियों की कथा अश्लील स्वर में सुनाते थे। वास्तव में पंजाब और सिंध की औरते पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार की औरतों की अपेक्षा यों ही अधिक मृक्त और खाली होती है, हमारे इस गुसीबन न उन्हें और भी बेपरदा कर दिया था। पूर्वी प्रदेशों की घटी हुई मानसिकता के लिए यह एक स्पृहा की वस्तु बन गयी थी। हॉस्टल में कुछ मनमन छात्र इस दृश्य का रस लेने के लिए शिविरों में जाते थे। किन्तु परिदृश्य का यह केवल एक और बहुत नगण्य पहलू है। वास्तविकता यही थी कि इन शरणार्थियों के आगमन और उनकी व्यथा-कथा से पूरा हिन्दू-समाज अत्यंत क्षुब्ध, दुखी और उत्तेजित हो गया था। कांग्रेस की सभाएं होती थी। छोटे-बड़े नेता हिन्दू-मुसलमानों के बीच सौमनस्य पैदा करने वाले भाषण देते थे। इस संकट की घड़ी में संयम बरतने की शिक्षा देते थे, किन्तु कोई कैसे संयम बरते ! हिंदू महासभा और आर० एस० एस० के नेता आते थे, उनमें विश्वासी छात्र हॉस्टल में या हॉस्टल के बाहर उनकी सभाएं आयोजित करते थे और वे हिन्दुओं के साथ होने वाले अत्याचारों का बहुत उत्तेजक चित्र खींचते थे और कांग्रेस की मुसलिम तुष्टिकारी नीति की निन्दा करते थे। सुनकर मन दहशत से भर जाता था, जी सनसना उठता था और अत्याचार के खिलाफ अत्याचार करने की अंधी दौड़ में पड़ने के लिए उत्तेजित हो उठता था। वैसे भी अफवाहें खूब गरम थीं। पलभर में ही अफवाहों की जलती हुई आधियां चारों ओर फैल जाती थीं और उनके माध्यम से कटे हुए हाथों, पांवों, मुंडों से भरी हुई रेलगाड़ियां दहाड़ती हुई पूरे वातावरण में छितरा जाती थीं। भालों की नोक पर जूसते हुए आदमी, उनके सामने भोगी और फिर काटी जाती हुई उनके घरों की औरतें, जलाये जाते हुए उनके घर साकार हो उठते। दहशत से कांपता,

थरथराता, अपमान से बेबस जलता और हाहाकारों से भरा पूरा वातावरण हमारे आस-पास छा जाता और लोग बेचैन हो जाते। बदले में कुछ कर गुजरने का आक्रोश उठता। विश्वविद्यालय का परिवेश आखिर विश्वविद्यालय का परिवेश है, उसमें प्रोफेसर और विद्यासाधक छात्र रहने हैं इसलिए वहां मारकाट का दृश्य तो नहीं उपस्थित हो सकता और प्रायः यह भी संभव नहीं कि छात्र शहर में घूम-घूमकर दूभरे संप्रदायवालों को काटते फिरें, लेकिन माहौल से बचना भी तो संभव नहीं। वातावरण और भाषण जो उत्तेजना फैला रहे थे उमें बहुत विवेकपूर्वक पी जाना और सत्य-असत्य का ठंडा निर्णय करना भी तो संभव नहीं। इसलिए लोग जहां अपने संप्रदाय के लोगों की दुर्दशा और अपमान में आहत होते थे, वही बदले की भावना में किये गये अपने संप्रदाय के कृत्यों में राहत अनुभव करते थे। कुछ ही लोग ऐसे थे जो विशेष सांप्रदायिक चिंतन के नहत जानबूझकर, सांप्रदायिक साच को हवा दे रहे थे, बाकी तो समकालीन वातावरण में सहज ही क्षब्ध हो रहे थे। उस वातावरण में भी कांग्रेसी, समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के लोग इस उत्तेजना को शान्त कर सांप्रदायिक मौमनस्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे।

आजादी की प्राप्ति का उत्साह अभी थमा भी नहीं था कि विभाजन का यह कौआरोग पूरे वातावरण में छा गया। गांधी जी नोआखली में कूद पड़े थे। नोआखली में उनका जाना निश्चित प्रभाव पैदा कर रहा था। लुटकर, पिटकर आए हुए हिन्दू और सांप्रदायिक स्तर पर उनका हिा चाहने वाले नेता गांधी जी के पुसलिम बचाव में खुश नहीं थे। यही शिवांत मुसलमानों की भी। लेकिन सक्कूलर हिन्दू और मुसलमान एक ओर गांधी जी के प्रयत्नों से साम्प्रदायिक सौहार्द की संभावना से राहत महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर गांधी जी की जान की खैर मना रहे थे। पूरा देश स्तब्ध था कि गांधी जी अकेले ही सांप्रदायिक दावानल में एकता और भाईचारे का अलख जगाते घूम रहे थे। उन्हें कुछ हो गया तो? भयानक कोलाहल के बीच खोयी हुई मानवता को टेरनी हुई अकेली आवाज कैसी लग रही होगी।

गांधी जी नोआखली में अपना काम कर राकुशल निकल आये थे। वहां के हिन्दुओं और मुसलमानों के तने हुए भय को हलका कर आये थे और देश में स्थिति थोड़ी-थोड़ी संभली हुई लग रही थी। गांधी का राज-काज में कोई सम्बन्ध था नहीं, वे तो देश के बेताज के बादशाह थे, मानवता के सम्राट थे, इसलिए सामाजिक और मानवीय सेवा में लगे हुए थे। 30 जनवरी, '48 को मैं नामवर जी के यहा बैठा साहित्य-चर्चा कर रहा था कि एक मित्र हड़बड़ाये हुए आये, बोले—“गांधी जी शाट डेड।” हम दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गये।

“हां, अभी रेडियो से समाचार आया है।”

“हे भगवान्, यह क्या हुआ !” हमारी आत्मा चिल्ला उठी। मैं नामवर जी के लॉज से निकलकर अपने छात्रावास की ओर चला। लोग सड़कों पर निकल आए थे। बुक्का मारकर रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, ‘कहां जायें, क्या करें’ के भाव से इधर-उधर चक्कर काट रहे थे। मैं रोता-कलपता छात्रावास पहुंचा। छात्रावास में बही आलम था।

एक रेडियो को घेरकर हम लोग खड़े हो गये। नेहरू जी भरे गले से गांधी जी के बारे में बोल रहे थे और ऐसे विकट समय में संयम बनाये रखने के लिए देशवासियों से अपील कर रहे थे। रेडियो पर प्रार्थना की धुन रो रही थी और बीच-बीच में शोकसूचक सूचनाएं आ रही थीं। देश-विदेश के लोगों की समवेदना प्रसारित हो रही थी। लगता था जैसे हम रो रहे हैं, शहर रो रहा है, देश रो रहा है, पूरा विश्व रो रहा है, धरती रो रही है, आकाश रो रहा है, सारी दिशाएं रो रही हैं। शोक का इतना व्यापक और गहरा हाहाकार और हाहाकार का सन्नाटा शायद ही किसी समय ने सुना हो।

रात बीती। सबेरा हुआ। मैं घूमने गया तो देखता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में भाग लेने वाले लड़के बोटानिकल गार्डन से भागे जा रहे हैं। वे छिप रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। छात्रावास लौटकर आया तो देखा—कोलाहल मचा है। उत्तेजित लड़के शाखा वाले लड़के के ताले तोड़ रहे हैं, उन्हें खोज रहे हैं। अब मालूम हुआ कि गांधी के हत्यारे गौड़से की सजा इन्हे भोगनी पड़ रही है। गौड़से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का व्यक्ति माना जा रहा है और संघ को ही गांधी जी का हत्यारा माना जा रहा है। संघ ने ही बार-बार यह बात फैलायी कि गांधी जी मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए हिन्दुओं की उपेक्षा कर रहे हैं, बल्कि हिन्दुओं के कटने-मरने की उन्हें चिन्ता नहीं है, मुसलमानों की चिन्ता उन्हें बहुत है। कांग्रेसियों के कारण ही देश का बंटवारा हुआ और हिन्दुओं का सर्वनाश हुआ। इनके मारे और विशेषतया गांधी के मारे हिन्दू लुप्त रहे हैं, दब रहे हैं, अपने अधिकार खो रहे हैं, अपने प्रति किये गये अत्याचारों का बदला भी नहीं ले पा रहे हैं। इसी मोक्ष के प्रतिनिधि गौड़से ने गांधी जी की हत्या कर दी। इसलिए लोग उत्तेजित हैं और शाखा वालों को खदेड़ रहे हैं, उनके सामान नष्ट कर रहे हैं। हमारे विंग में भी शाखा के कुछ लोग रहते थे। उनके कमरे तोड़े जा रहे थे। तब तक डा० राजबली पांडेय आये और डांटकर शान्त किया। सारे के सारे वार्डन सावधान हो गये थे और अपने-अपने ब्लाक की अशान्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे।

पूरा वातावरण शोक और अशांति से भरा था। शोक-सभाएं हो रही थी। मैंने एक कविता लिखी—

रात घनी है बादल छाये, कांप रहे हैं पंथी के पग

कई शोक-सभाओं में यह कविता सुनाई। लोग द्रवित हुए। पत्र-पत्रिकाएँ शोक-कविताओं से भर गयी थी। मेरी कविता भी आज या समाज में छपी थी। संगम (इलाहाबाद) में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन होना था। यह तय हुआ कि बी० एच० यू० के प्रोफेसर और छात्र भारी संख्या में अस्थि-विसर्जन-यात्रा में सम्मिलित हों। यह भी तय हुआ कि सभी लोग सफेद खादी के कुर्ते-पायजामे में चलेगे। मैंने भी नया कुर्ता-पायजामा सिलवाया। अस्थि-विसर्जन की सुबह बी० एच० यू० सत्सार एक स्पेशल गाड़ी से इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंचा। जाड़े की कड़कड़ाती ठंडक में महज कुर्ता-पायजामा पहने छात्रों की भीड़ उस स्थल की ओर रवाना हुई जहां से अस्थि-कलश की यात्रा शुरू होनी

थी। लोग ठंडक में कांन रहे थे, दूसरी ओर इलाहाबाद के लड़के ऊनी कोट-पैट में थे और वे हमारी मूर्खता पर हंस रहे थे। मुझे भी लग रहा था कि अधिकारी प्रोफेसरों ने इस वेश में आने के लिए बाध्य करके व्यवहार-बुद्धि का नहीं, अति आदर्शवादिता का परिचय दिया है। वैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बी० एच० यू० के स्वभाव में यह अंतर रहा है। एक व्यवहारवादी रहा है, दूसरा आदर्शवादी।

अस्थि-कलश-यात्रा जहाँ में शुरू होनी थी वहाँ हम पहुँच गये। भीड़ तो थी किन्तु अभी बहुत भीड़ नहीं थी। अतः हमने आसानी से दख लिया कि एक रथ पर फूलों के बीच अस्थि-कलश रखा हुआ है—उदाम खोये-खोये से सरदार बल्लभ भाई पटेल एक ओर बैठे हुए हैं। मुझे ठीक-ठीक याद नहीं कि और कौन-कौन-से नेता रथ पर बैठे हुए थे। हा, इन्दिरा जी भी एक ओर बैठी थी। नेहरू जी रथ के अगले भाग में खड़े थे। रथ चल पड़ा। हम लोग भी साथ-साथ चले। रास्ते में रोते-सुकते लोग खड़े थे। रथ आते ही वे यात्रा में सम्मिलित हो जाते थे। अतः भीड़ निरंतर बढ़ती गई। नेहरू जी अपने स्वभाव के अनुसार रथ पर से उतर आते थे और तेज-तेज पैदल चलने लगते थे और जनता में एक गति पैदा हो जाती थी। नेहरू जी के चेहरे पर भाव आते थे, जाते थे, किन्तु मरदार पटेल अत्यंत म्लान्य भाव से एक स्थिति में बैठे थे। लगना था उनका चेहरा जड़ हो गया है। आकाश में हेलीकाप्टर उड़ रहे थे और फूल बरसा रहे थे। रथ त्रिवेणी पहुँच गया। रथ ऐसा था जो गनी में भी तैर सकता था अतः वह त्रिवेणी के जल में उतर गया और तैरने लगा। गांधी जी की अस्थिया फूलों के साथ गंगा जी में प्रवाहित कर दी गईं। अस्थिया तो डूब गईं लेकिन फूल तैरते रहे। तैरते फूल त्रिवेणी की लहरों में एक कविता रच रहे थे। वे मानो कह रहे थे कि आदमी को तो मरना ही होता है, उमर शरीर का अंतिम अवशेष भी काल के प्रवाह में डूब जाता है, किन्तु वह जो फूल छोड़ जाता है वह प्रवाह के ऊपर तैरता रहता है, अपने रंग और खुशबू में प्रवाह को भी रंग देता है। मुझे लगता था कि इस अवसाद की बेना में भी चारों ओर फूल खिले हुए हैं। साम्प्रदायिक विषय में भरे काटों में हंसते हुए फूल...

भीड़ बिखरने लगी थी। लौटकर गाड़ी पकड़नी थी। मेरे साथी भी मुझसे छूट गये थे। एकाएक भगतसिंह मिले, बताया—“अच्छे मिल गये, मैं तो परेशान था कि कैसा लौटूंगा।”

“क्यों, क्या हुआ?”

“किसी न मेरी जेब काट ली।”

“हे राम, ऐसे मौको पर भी लोग अपनी हैवानियत से बाज नहीं आने? क्या इस महापुरुष के बलिदान की यही पूजा है?”

हम लोग लौट आये थके-थके से, अवसादग्रस्त से। एक युग समाप्त हो गया था। उसकी उदासी वानावरण में व्याप्त थी—महाभारत की अंतिम साँझ की तरह।

इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो गई। परीक्षा समाप्त होते ही मुझे घर पहुंचना था। पिछले साल एक घटना घट गई थी। मैं इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहा था तो गांव के किसी व्यक्ति का (घर के किसी व्यक्ति का नहीं) पत्र मिला कि मेरे गांव में प्लेग आया था और मेरी पत्नी चल बसी। भगतसिंह ने सुना तो वे बहुत भावुक हो गये। वे एक मित्र की हैमियत से मुझे समझाने लगे, सांत्वना देने लगे और मैं भी उनकी सांत्वना से और भावुक हो गया, किन्तु मच बात तो यह थी कि इस पत्नी से मेरा कोई निकट का रागात्मक सम्बन्ध ही नहीं बनने पाया था, कोई साहचर्य-मूलक कथा ही नहीं बनने पाई थी, जिसे मैं गहरी तड़प के साथ याद करता। उम्र अपढ़ देहाती औरत का मैंने मुंह भी ठीक से नहीं देखा था, इसलिए पत्नी के रूप में जुड़ी एक औरत के चले जाने का सन्नाटा और अवसाद तो मन में घिरा था, किन्तु पत्नी के साथ जुड़ी अनेक प्रीति-मूलक सहयात्राओं की जो दुनिया बनती है, उसके अभाव का जो दर्द मालता है, जो असीम खालीपन भर जाता है, उसका अनुभव नहीं हो रहा था। पिछले वर्ष परीक्षा देकर घर गया, तभी लड़कियों के पिताओं का आना-जाना शुरू हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसके क्रिया-कर्म के दिन (जिसमें मैं नहीं पहुंच पाया था) उसके भाई उससे छोटी बहन के लिए बात चलाने लगे। भइया ने उन्हें डांटकर भगा दिया था—‘शरम नहीं आती, तुम्हारी बहन को मरे अभी कुल बारह दिन हुए है और तुम शादी की बात करने लगे-!’

खैर, वे तो चले गये (और चले कहां गये, भिन्न-भिन्न स्रोतों से दबाव डालते, डलवाते रहे) किन्तु अनेक लोगों का तांता शुरू हो गया। हमने तय किया था कि मृत्यु के साल-भर बाद ही दूसरा विवाह होगा। पहली शादी हुई तो मैं अवोध था और अमहाय भी। गांव-घर के लोग मिल-जुलकर कोई शादी तय कर देते थे और नाबालिग बच्चे को उनका निर्णय ओढ़ने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं होता था। उसके मन में यह भाव भी नहीं होता था कि पत्नी पढ़ी-लिखी हो या अपढ़ हो। छोटी उम्र में छोटी कक्षा में पढ़ता हुआ लड़का पत्नी की शिक्षा-अशिक्षा के बारे में सोच भी कैसे सकता था। अतः पहली बार जो कुछ हुआ उसमें मेरी इच्छा-अनिच्छा कतई शामिल नहीं थी किन्तु इस बार तो मैं हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र था, चौबीस-पचीस साल का युवक—साहित्य की दुनिया में कुछ कर गुजरने की आकांक्षा और सुंदर भविष्य का सपना पालना एक युवक, जिसके मन में नारी की एक महकती हुई तस्वीर थी, एक ऐसी नारी की जो सुंदर हो, शिक्षित हो, शीलवान हो और आधुनिक जीवन-यात्रा में सही रूप में महयात्रिणी बन सकती हो। घर में मेरी अस्मिता बन गयी थी अतः मैं पूरी तौर पर अपनी पत्नी के चुनाव का निर्णय लेने की स्थिति में था। मेरे घरवालों ने मुझे पूरी छूट दे रखी थी।

नाते-रिश्ते के तमाम लोग आये और पारंपरिक रूप से दबाव डालते-डलवाते रहे, किन्तु गांव के बुजुर्गों को यह अहसास हो गया था कि मेरे मामले में दखल देना

बेकार होगा। इसलिए कोई दखल नहीं दे रहा था। बिड़ला छात्रावास में बहुत-से लोग आये किन्तु मैं उन्हें टालता गया। बहुत-से मित्रों की ओर से भी सम्बन्ध आये, किन्तु मैं उदासीन रहा। कारण यह था कि जिस तरह की लडकी (और केवल लडकी) चाहता था वह मिल गयी थी। मैं उसे नहीं जानता था, घर के लोगों ने भी उसे नहीं देखा-जाना था, किन्तु गोरखपुर में रहने वाले तमाम स्त्रियों के लोगों ने उसके बारे में इतना बताया कि मुझे लगा इसे मैं बहुत पहले से जानता हूँ और गरीब वह लडकी है जिसकी मुझे तलाश रही है। मालूम हुआ कि उसका नाम सगस्वती है और दर्जा सात की परीक्षा दी है। जो भी उमकी बात करता, यही कहना कि परिवार में तो कुछ नहीं रखा है किन्तु लाखों में एक है। कपिलदेव गोरखपुर-निवाम की प्रक्रिया में उम लडकी के परिवार से परिचित थे। उन्होंने भी जोरदार नाईद की। मैं गोरखपुर गया तो उन्होंने कहा कि चलो लडकी दिखा दें। मैंने इनकार किया। मेरे मंस्कार यह गवारा नहीं करते थे। उन्होंने कहा—“कुछ नहीं, उसके मकान के सामने से गुजरते हैं, दिखाई पड गई तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं।” मैं डगता-डरता उनके साथ हो लिया। मकान के सामने से गुजरे तो देखा कि उसके अहाने में खाट पर एक लडकी बैठी हुई हंस रही थी। उसे देखते हुए आगे बढ़ गये। कपिलदेव ने कहा—“यही थी। कैसी लगी ?” मैंने कहा—“मेरी तो ठीक से नजर ही नहीं टिकी और इस तरह भला किसी को कोई कैम देख सकता है ?”

यानी मैं उसे सही अर्थों में देख नहीं सका, किन्तु तमाम लोगों की प्रशंसाओं की आखों में देखकर उसे देख और पसंद कर लिया था और मेरे घरवालों को मेरी इस पसंद का ज्ञान हो चुका था इसलिए वे लोग भी लगभग मेरी शादी तय कर चुके थे। न जाने कैसे, क्यों लोगों को यह भ्रम हो गया कि मेरा प्रेम-विवाह होने जा रहा है। बिड़ला हॉस्टल में एक मज्जान मेरे एक मित्र के यहाँ आये। उनसे बोले कि—
“रामदरश मिश्र की शादी के लिए आया हूँ ”

“तब ?” मित्र बोले।

“तब क्या, सुना है वे प्रेम-विवाह कर रहे हैं। आप कुछ मेरी महायत्ना कीजिए।”

मित्र ने उन्हें डाटकर भगा दिया—“आप मुझमें उनका प्रेम-विवाह तोड़वाने आये है !”

शादी के बाद भी तमाम लोग यही कहने रहे कि यह प्रेम-विवाह था। यह प्रेम-विवाह तो नहीं था किन्तु विवाह-प्रेम अवश्य था। विवाह होने के बाद हमारा प्रेम लगातार बढ़ता ही गया है और मुझे अपने इस निर्णय पर सदा गर्व रहा कि मैं सामान्य घर की एक अच्छी-सी लडकी से विवाह करना चाहता हूँ, अच्छे कहे जाने वाले घर की सामान्य लडकी से नहीं। और मैं इस निर्णय में बड़े-बड़े प्रलोभनों के सामने भी डिगा नहीं।

शादी तय हो गई। परीक्षा के दो दिन बाद तिलक का दिन रखा गया था और आठ-दस दिन बाद विवाह। मैं परीक्षा देकर घर जा रहा था। भाई साहब के आदेश.

से तिलक के लिए कुछ फल बगैरह भी बनारस में खरीद लिए थे। जून के दिन थे। सवेरे चोरीचोरा स्टेशन पर गाड़ी पहुंची। घर में एक कहार सामान लेने के लिए आया हुआ था। स्टेशन से गांव तक की दूरी दस मील की है। स्टेशन से यात्रा शुरू करते ही मई की गर्मी से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे-धीरे गर्मी असह्य होती गई, लू के चांटे तेज होते गए, किन्तु मैं एक री में चलता गया बल्कि कहार पीछे छूट गया। एकाध जगह पानी पीने के सिवा मैं कहीं रुका नहीं, सोचा—अब इकट्ठे घर पर ही रुकूंगा। बीच में रुकने का मतलब था या तो बीच में दोपहर बिताकर फिर शाम को चलना या और अधिक गर्मी में घर पहुंचना। एक बजे मैं घर पहुंचा। सुस्ताता चलता तो तीन बजे पहुंचता। पांच कोस की दूरी क्या चीज थी हम देहातियों के लिए और तिस पर मन में एक और ही हुलास था।

दूसरे दिन तिलक चढ़ गया और उसके पांच-छः दिन बाद शादी थी। घर चहल-पहल से भरा था। भइया पूरी तैयारी में लगे थे। तिलक के दूसरे दिन मुझे बुखार आ गया। सोचा, हरातर होगी। बुखार अपने-आप उतर जायेगा। लेकिन नहीं उतरा। लगा कि लू लग गई है। लू की देहाती दवा होने लगी। किसी ने भी इस बुखार को गंभीरता से नहीं लिया। तैयारी होती रही। हल्दी के दिन मुझे बुखार में ही हल्दी लगाने का रस्म पूरा किया गया। औरतें गा-बजा रही थीं और मैं भीतर-भीतर अन्वयमनस्क था। योजना थी कि रात रहते ही बाराती गोरखपुर के लिए निकल जायेगे। कहार, बाजे वाले भी घर पर ही रोक लिए गए थे कि बहुत सुबह ही अरिछन-परिछन हो जाएगा और हम लोग जल्दी निकलकर ठंड में गोरखपुर पहुंच जायेगे।

रात-भर औरतों का संगीत चलता रहा और बीमारी में ही मैं औरतों के शास्त्र की सारी औपचारिकताओं की लपेट में आता रहा। बाजे बजते रहे और मैं खाट पर पड़ा-पड़ा जागता रहा, देह में भयानक ऐंठन महसूस करता रहा। सुबह हुई, बाराती चले गए और अब मेरे तैयार होने की बारी थी। मैंने शिकायत की कि मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। बुखार तो कल ही उतर गया था इसलिए सभी लोग निश्चित हो गए थे। मैं भी निश्चित था, किन्तु बुखार उतरने के बाद देह में जो भयानक पीड़ा हो रही थी, उसे तो मैं ही समझ सकता था। मैंने बताया कि मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, तैयार होने की इच्छा नहीं हो रही है। मेरी छोटी बहन को पता नहीं क्या सूझा, वह सुबह के घुंघलके में लालटेन लाई और मेरे चेहरे को देखा और बुदबुदाई—“बड़ी माता (चेचक) लगती हैं।” सब लोग घबरा गये और मेरे शरीर का मुआइना होने लगा। पूरे शरीर में यहां-वहां दाने दिखाई पड़े। सुबह का प्रकाश फँस गया था और यह स्पष्ट हो गया था कि चेचक ही है।

माली जी शीतला माई के सबक हैं। उनकी राय शीतला माई की राय मानी जाती है। माली जी बुलाये गये। उनसे पूछा गया कि क्या इस अवस्था में विवाह के लिए मुझे ले जाया जाय? माली जी ने शीतला माई का ध्यान धरने का कुछ अभिनय किया, फिर बोले—“हां, ले जाया जाय, मइया हुकुम दे रही हैं।”

मैं जोर से डपटा—“नहीं, तुम भागो यहां से, बड़े आये शीतला मइया के

सेवक। इस हालत में मैं शादी के लिए नहीं जा सकता और न कर सकता हूँ।”

भइया, मां सबकी यही राय हुई कि इस हालत में ले जाना खतरनाक होगा— सब तरह से। मझले भाई दौड़ाये गये गोरखपुर की ओर। वे दोपहर को गोरखपुर पहुंचे। उनसे पहले बाराती पहुंच गये थे। लडकी वाले के यहां लडके का जनेऊ भी था, गाना-बजाना हो रहा था। सूचना मिलते ही एकाएक सन्नाटा छा गया, रंग में भंग हो गया। बाद में सुना कि मेरी सास (उस समय होने वाली सास) बदहवास हो गई और कहने लगी कि मुझे लडके के पास ले चलो। इस प्रक्रिया में एक छोटी-सी घटना घटी, जिसे देना मैं आवश्यक समझता हूँ। जब मझले भाई साहब गोरखपुर जाने की प्रक्रिया में कौड़ीराम के बस स्टैंड पर पहुंचे तो वही एक गायक जी मिल गये जो गाने के लिए मेरे विवाह में जा रहे थे। मेरी बीमारी की सूचना मिलते ही उन्होंने कहा— “और मेरी फीस का क्या होगा ?” मझले भाई ने चाहे जो भी जवाब दिया हो किन्तु यह प्रश्न अपनी जगह कितना क्रूर था, सोचकर थर्रा उठता हूँ। उस गायक कलाकार को मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं हुई और न उसके मुह से शुभकामना के दो शब्द फटे, उसे चिंता हुई और एकमात्र चिंता हुई तो अपनी फीस की। चाहे गायक हों, चाहे चित्रकार, चाहे कवि, चाहे अन्य कोई कलाकार; ऐसे कलाकारों और व्यवसायियों में फर्क होता है क्या ? कला की दुनिया में प्रवेश की पहली शर्त ही है कलाकार का मनुष्यता की आंर बढ़ना, दूसरों के दुःख-दर्द में शरीक होना। खैर, वह तो देहात का छोटा गायक कलाकार था, बड़े-बड़े नामी-गिरामी कलाकारों से भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारी प्राथमिक चिन्ता क्या है ? तुम स्वयं या तुम्हारे आसपास का मनुष्य ?

चेचक के दाने बढ़ते ही गये और दो दिनों में पूरा शरीर बड़े-बड़े फफोलों से भर गया। पूरा शरीर दाह से पीड़ित हो उठा। मन शरीर के दाह से उत्तप्त तो था ही, एक और ताप से तप रहा था। मुझे लग रहा था कि इस घटना से मेरी होने वाली पत्नी लाञ्छित होगी। अपने टुच्चे समाज को पहचानता हूँ। वह बड़ी आसानी से किसी भी अभिशाप और अभाग्य का दोष औरत के मिर मढ़ देता है। अतः लोग मन-ही-मन सोच रहे होंगे कि लडकी कुलच्छनी है, उसी के प्रभाव से दूल्हा बीमार पड़ा है। और यदि मुझे कुछ हो गया तो उसका जीवन बरबाद हो जायेगा। कोई उससे शादी नहीं करेगा। मैं नहीं जान सका कि मेरे घरवाले भीतर-भीतर क्या सोच रहे थे, लेकिन तो भी मुझे विश्वास था कि वे इस तरह की बात नहीं सोच रहे होंगे। उन्हें तो फिलहाल मेरी चिन्ता थी। वास्तव में मेरे मन में अपनी भावी पत्नी को लेकर अनेक चिन्ताएं तैर रही थीं। जब माली ने कहा था और कई लोगों ने तर्क दे दी थी कि मुझे शादी के लिए गोरखपुर ले जाया जाय, तो इसे इनकार करने के पीछे मेरी शारीरिक पीड़ा तो थी ही, यह चिन्ता भी थी कि शादी के बाद मेरा कुछ हो गया तो ? क्यों जान-बूझकर लोग एक मासूम बालिका को विधवा बनाने पर तुले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। और मैंने सख्त निश्चय के साथ शादी के लिए जाने से इनकार कर दिया था। ज्यों-ज्यों बीमारी गंभीर होती गई, मैं सोचने लगा कि मेरे निश्चय के अभाव में यदि सचमुच मेरी शादी कर दी गई होती तो ? तो ? मेरा पता

नहीं क्या होगा ? वैसे मेरे भीतर काफी अच्छी जिजीविषा है। गंभीर से गंभीर बीमारी से भी कभी मैंने मृत्यु की आशंका नहीं की, किन्तु मृत्यु आखिर मृत्यु होती है, वह जिजीविषा के बावजूद आ सकती है।

जून की भयानक गर्मी, पूरे शरीर में चेचक के बड़े-बड़े दाने, देहाती मकान का एक कमरा। जलन और ताप के मारे मेरा बुरा हाल था। कभी मां, कभी बहन, कभी भाभी नीम की पत्तियों-भरी कोंची भटकटैया डालकर उबाले गये पानी में डबो-डुबोकर मेरे शरीर पर फेंकतीं और ताप को शीतल करने का प्रयत्न करतीं। इन सारी परेशानियों के बीच मेरे भीतर एक सपना था—एक अच्छे जीवनसाथी के मिल जाने का सपना। वह रह-रहकर महक उठता था और दर्द कुछ कम हो जाता था। लोक-दृष्टि से शीतला माता ही चेचक हैं। विचित्र विडंबना है न, शीतला माता और चेचक का असह्य दाह ! न जाने कब, क्यों और कैसे शीतला माता और चेचक का सम्बन्ध जोड़ा गया होगा, किन्तु मुझे तो लगना है कि चेचक के दाह को कम करने के लिए शीतला कहा गया। शब्दों के उच्चारण में भी एक प्रभाव होता है। वह हमारी संवेदना को अधिक या कम करता रहता है। जो हो यह शब्द मेरे लिए एक और तर्क में प्रभाव छोड़ रहा था। शीतला माता, सात बहनों, नीम की डाल, उम पर पडा हुआ हिंडोला, वे झूला झूल रही हैं, गीत गा रही है। मालिन उन्हें झुला रही है। वे मालिन को आशीष दे रही हैं—पुत्र-प्राप्त का। सामने कितना संश्लिष्ट सौन्दर्य-विब उपस्थित हो जाता है। शीतला माता माता इसलिए हैं कि वे देवी हैं (देवी मनुष्य की माता ही हो सकती है) अन्यथा वे सातों बहनों युवतियां हैं, मुन्दरियां हैं। यानी उनके माध्यम से बूढ़ी माताओं का नहीं, सुन्दरी युवतियों का विब उभरता है। फूलों में भरा माली का उद्यान, नीम का आरोग्यवर्धक पेड़, शीतल हवा में झूमती उसकी हरी-हरी पत्तियां, उस नीम की डाल पर झूला झूलनी हुई उन्मुक्त कुंजला सातों बहनों, यह कितना अच्छा सौन्दर्य-विब है। लोक-गीतों में इस विब के साथ उनका एक दूसरा विब भी उभरता है कि मातों बहनों हवा में उड़ती हुई आ रही हैं, उनके साथ उनकी नारी-मेना भी है। सबकी सब प्यासी हैं। शीतला माई मालिन से पानी पिलाने को कहती हैं। मालिन पानी पिलाती है—धार-कपूर चढ़ाती है और तृप्त होकर मां उसे संवत्सा होने का आशीष देती हैं।

मैं चेचक को चेचक ही मानता था। मेरे चेतन मन को चेचक को देवी मान लेना भला कैसे स्वीकार्य होता ! किन्तु अचेतन मन का क्या किया जाय जो वचन ही ग्रहण किये गये मारे संस्कारों को ढोता और छद्म रूप में व्यक्त करता रहता है। इसलिए चेचक को चेचक मानने के बावजूद मेरे सपनों में एक अद्भुत लोक खुलता था। एक तो कवि मन, जो वैज्ञानिक होने के बावजूद मिथकों के सौंदर्य-विब के प्रति गहरा लगाव रखता है, दूसरे संस्कार में पड़ी देवी की कथा और चेतना, तीसरे बीमारी की अवस्था में भी भीतर-भीतर महमहाता होने वाली जीवन-संगिनी का प्रीतिकर अस्तित्व। अतः मुझे विचित्र सपने आते थे। आकाश में उड़ती हुई रंग-बिरंगी साड़ियां, उड़ते उड़नखटोले या आकाश में बना हुआ एक मकान जिसके अनेक जंगलों

मे से उन्मुक्त कुंतला नारियों के चेहरे झाकते होते और सूखने के लिए रंग-बिरंगी साडिया खिडकी मे से लटकी होती। कहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। सपनों का लहरे पर लहरा आता, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाता। कभी-कभी शीतला मा आती और कहती, “पुत्र, तू ठीक हो जायेगा, ले मेरा प्रसाद ले।” और सपनों के जगल मे से उबरता तो पाता सिर दर्द से और भारी हो गया है। बेचैनी और बढ गयी है।

एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा मिर-दर्द एकाएक गायब हो गया। मैंने बहुत उत्साह से यह बात मा को मुनायी। पिताजी ने भी सुन ली। न जाने इम कथन से वे क्यों दहल गये (शायद उन्हें मेरे निष्पद या अचेत होने का खतरा महसूस हो गया)। वे घबराय मे आये और अपनी धोती अपने गले मे लपेटकर मेरी खाट के पाये मे बाध दी और विधियाये—“ना मइया, छल मत कर। मैं तेरा पुराना सेवक हू। सेवक होने का दड द रही है मइया। बोल मइया, बोल कि तू मेरे बेटे का अनिष्ट नहीं करगी। नहीं बोलेंगी तो मैं इमी खाट मे फामी लगाकर जान दे दूंगा।”

मैं तो हतप्रभ हो गया। एक तमाशा मैं जीमारी के शुरू से ही अनुभव कर रहा था—वह यह कि लोग समझते थे कि मैं देवीमय हा गया हू। मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। अतः मे जो कुछ बोल रहा हू, दवी ही बोल रही है। मेरे माध्यम से वही हम रही है, रो रही है, खा रही है, पी रही है। मैं बार-बार प्रातिवाद करता कि नहीं, मैं अपने पूरे होशोहवास मे हू, मुझ पर किसी दवी-मवी का प्रभाव नहीं है, किन्तु लाग यह सुनने और मानने को तैयार ही नहीं थे। पिताजी भी यही बात दुहरा रहे थे आर बार-बार मुझसे आग्रह कर रहे थे—‘बोल मा, बाल, तू धोखा नहीं करेगी।’ मैं भी बार-बार कह रहा था—“मैं अपने पूरे होश मे हू, मुझ पर किसी दवी का अमर नहा है। मैं झूठ-मूठ मे कैसे कोई आश्वामन दू।” किन्तु पिताजी मेरी सुन ही नहीं रहे थे और मेरे कथन म और भी विक्षिप्त होकर गले मे धाती कसते जा रहे थे। मेरी मा काफी ममझदार थी। उमने मुझसे धीरे मे कहा—‘झूठमूठ मे उन्हें दिभासा दे दो पूता, नहीं तो अपना बुरा हाल कर लेगे।’ मैं भी नाटक के मूड मे आ गया और बहुत गभीर स्वर मे बोला—“अच्छा, गले से फासी निकाल, मैं तेरे बेटे का अहित नहीं करूंगी। यह जल्दी ही अच्छा हो जायेगा।”

“जय हो, देवी मा की जय हो।” गले से धोनी छुडाकर पिताजी चिल्लाये और मैं मन ही मन हंसने लगा।

धीरे-धीरे अच्छा हो गया। चेचक सूखने लगी। अच्छा होने के बाद जब मैंने पहली बार आईने मे अपना चेहरा देखा तो मन शाय कर उठा। अपना ही चेहरा अपनी पहचान मे नहीं आया और असह्य हो गया। कितना काला-कुरूप हो गया था मैं। पता नहीं यह चेहरा ऐसा ही रहेगा कि बदलेगा भी। तमाम चेचकी चेहरे दृष्टि मे उतरा आये, जिन्दगी-भर के लिए गहरे धावो से खुदे चेहरे। महीने-भर बाद दूल्हा बनकर जाना पडेगा। कैसा लगूया ? मेरा सौन्दर्य-बोध अपनी ही कुरूपता से चरमरा उठा। शादी-ब्याह मे ससुराल की औरतों के बीच सुदर्शन दीखने का आनंद एक अलग ही आनंद है, वही खंडित हो गया था।

अच्छा होने के बाद बारी-बारी से दो-चार बेशर्म लोग आये और प्रस्ताव रखा—“यह शादी तोड़ दीजिए, लड़की असगुनही है और मैं ज्यादा पैसे दूंगा।” मैंने उनके साथ क्या सलूक किया होगा, आप समझ सकते हैं। किन्तु मेरी मां की सोच अद्भुत थी। औरों के मन में लड़की को लेकर कोई द्वन्द्व था कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, किन्तु मेरी मां ने निर्द्वन्द्व भाव से घोषित किया—“लड़की बहुत सुलच्छनी है। उसी के पुण्य-प्रताप से मेरा लड़का अच्छा हुआ है।” घर के सभी लोगों ने मां का समर्थन किया और न भी किया होता तो भी मैं यही शादी करता।

महीने-भर बाद शादी हुई। मेरे श्वसुर श्री जंगी मिश्र रेलवे में बड़े बाबू थे किन्तु उनके सम्बन्ध बहुत व्यापक और बहुआयामी थे। बेतिया हाता में इनका एक छोटा-सा कच्चा मकान था, किन्तु वहां के बड़े-बड़े वकील, डाक्टर, नेता उनके मित्र थे। उनका मकान स्वाधीनता-नेनानियों का अड्डा था। शिबनलाल सक्सेना, भगवतीप्रसाद दुबे, पूरनमासी राम तथा जिला-स्तर के अनेक नेता वहां जुटते थे, हर तरह से आतिथ्य ग्रहण करते थे और योजनाएं बनाते थे। सरकारी नौकर होकर भी मिश्र जी नेताओं के साथ थे, बल्कि उनका सरकारी नौकर होना ही उनके यहां नेताओं के छिपने और कार्य करने के लिए बरदान हो गया था। सन् बयालीस में बेतिया हाता क्रान्तिकारियों का अड्डा बन गया था और तब बेतिया हाता में था क्या? पांच खटिकों के घर थे और मिश्र जी का घर था। बाकी सब जंगल था। अतः सारी गतिविधियां मिश्र जी के घर से संचालित होकर जंगल में बिखर जाती थी। जब मैंने शादी के बाद इस घर का इतिहास जाना तो यह कच्चा टूटा-फूटा घर मुझे मंदिर के समान पवित्र लगा। शादी के समय बेतिया हाता में काफी कोठियां बन चुकी थीं, किन्तु उन कोठियों में वह आत्मा कहाँ थी जो इस मकान में थी। ज्यों-ज्यों मैं ससुराल के परिवेश से परिचित हुआ, त्यों-त्यों यह सत्य पहचान में आता गया कि ये कोठियां मूक हैं, बधिर हैं, निस्पंद हैं और छोटा-सा कच्चा मकान स्पंदन-युक्त है, वह देखता है, सुनता है, बोलता है। इस घर में न जाने कब से जरूरतमन्द लोगों के ठहरने और आतिथ्य पाने का मिलसिला बना हुआ है। शादी से पहले क्रान्तिकारियों और नेताओं के आने-जाने, यहां रहने की कहानी सुनी थी, किन्तु शादी के बाद तो मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। जब कभी भी मैं ससुराल पहुंचा, वहां जर-जवार के कई-कई लोगों को ठहरे हुए पाया और न जाने दूर की रिश्तेदारी के कौन-कौन लोग यहां आकर ठहरते थे जबकि इन कोठियों में स्वयं अपने ही घर के लोगों को आतिथ्य नहीं मिलता। मैं प्रसन्न था कि मेरी शादी जिस घर में हुई है वह वित्तीय दृष्टि से चाहे कितना भी सामान्य हो, मानवीय संस्कार की दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट है।

शादी में पत्नी विदा नहीं हुई। तय हुआ कि अगले फागुन में विदाई होगी। बी० ए० में नाम लिखाने बी० एच० यू० चला गया। इस बार की पढ़ाई में एक महक भर गयी थी। लगता था कि मेरे कवि को उसकी कविता मिल गई थी। कविता लिखने और पढ़ाई करने में एक अतिरिक्त चाब भर गया था। हमेशा फूल-सा एक सपना मन में सैरता रहता। शिक्षकते-शिक्षकते पत्र लिखा। मन में संकोच था कि पता नहीं श्वसुर जी

क्या कहेंगे ? सरस्वती जी का उत्तर आया और लगा जैसे पूरा समय महक उठा हो ।

बी० ए० की पढ़ाई शुरू हुए दो महीने बीते होंगे कि गंगा में भयानक बाढ़ आ गई । बाढ़ का पानी विश्वविद्यालय के अन्दर तक समा आया । अध्यापन बंद हो गया । मैं इम अवसर का लाभ उठाकर गोरखपुर भाग आया और योगेन्द्र के यहां ठहरा । योगेन्द्र से आपकी मुलाकात करा चुका हूं । वे कवि थे, बी० ए० मे पढ़ते थे और वेतिया हाता में ही पंडित गौरीशंकर मिश्र के यहां अपने कई मित्रों के साथ रहते थे । बहुत जिंदादिल यार-बाश आदमी ।

27

बाढ़ हट गई थी और मैं फिर बी० एच० यू० लौट गया । भीतर एक नई ताजगी थी । पढ़ने और जीवन जीने में एक नया उत्साह भर उठा था । बी० ए० में कुछ और माथी मिले जिनमें उदयनारायण शुक्ल का नाम सबसे अलग है । वे हमारे ही जवार के गांव वकरुषा के शुक्ल थे । बहुत मखर, डाइरेक्ट और गप्पी व्यक्ति थे । हंस-हंसकर न जाने कितनी झूठी बानें मही बनाकर सुना जाते । कितनी काल्पनिक प्रेम-कहानियां कहते, बात-बात में उत्तेजित हो जाते और बड़े-मे-बड़े प्रतिद्वन्दी से भिड जाते । वे हर तरह से मुझसे भिन्न थे फिर भी मेरे अभिन्न मित्र थे । वह इसलिए कि वे मेरे सुख-दुःख के माथी थे । हमने एक-दूसरे को मीमाओं के साथ समझा था । मोचता हूं कि दो भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों की मैत्री के पीछे कही-यह बात तो नहीं होती कि वे एक-दूसरे के पूरक होते हैं । इम अपने अधूरेपन में कही दूसरे के अधूरेपन को अपना पूरक मानने लगते हैं । शायद यही सच हो । हम दोनों माथ घूमते थे, साथ ही एक ही मेस में खाते थे, साथ ही फैंकल्टी जाते थे । लेकिन क्षण्डा वे ही करते थे । जब देखो तब इनका उत्तेजित व्यक्तित्व किमी न किमी से टकराता रहना था । इनसे मेरी मैत्री का एक और कारण बन गया । इनकी शादी गोरखपुर के तत्कालीन जिलाधीश श्री मुरनिनारायण मणि त्रिगाठी के परिवार में हुई और मेरी पत्नी मणि परिवार से बहुत जुडी थी । उनकी पुत्रियां विद्या जी, शकूनला जी इनकी बहुत अच्छी मित्र थी और उनकी मां भी उन्हें बहुत प्यार करती थी । इसलिए यह भी एक सूत्र बन गया मुझे उदयनारायण से जोड़ने का । हम दोनों की चर्चाओं में ये संदर्भ भी आते रहते । हम लोगों की मैत्री सघन से सघनतर होती गई ।

बी० ए० मे था तो सब कुछ पूर्ववत् चलता रहा, किन्तु कुछ नये बिन्दु ऐसे अवश्य हैं जो मेरी जीवन-यात्रा में चिरस्मरणीय बनकर रह गए हैं । बी० ए० में दो नये शिक्षको से पढ़ने का सौभाग्य मिला । एक थे केशव जी, दूसरे थे डा० गणेश उन्नाल । केशव जी बी० एच० यू० के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष थे, इसलिए वे मेरे लिए नये थे । अर्थात् पहली बार उनसे पढ़ने का सौभाग्य मिला था । वे आधुनिक कविता पढ़ाते थे ।

उन्होंने पंत भी पढ़ाया, महादेवी भी, किन्तु 'कामायनी' का जो 'लज्जा' सर्ग पढ़ाया वह अद्भुत था। वे संस्कृत के पंडित थे। पंडित की वेशभूषा में रहते थे इसलिए उनके पांडित्य के प्रति तो हम सजग थे किन्तु वे संवेदना और वृष्टि में इतने नये होंगे यह ज्ञात नहीं था। उनकी संवेदना और वृष्टि की आधुनिकता का परिचय पाकर हम चकित थे। वे भिषकों की रूढ़ियों को झाड़ू फेंकते थे और नये संदर्भों में उनकी व्याख्या करते थे। उन्होंने लज्जा सर्ग के सौंदर्य का जो बिंब उपस्थित किया, वह आज तक मन पर अंकित है। हमारा दुर्भाग्य कि हम उनसे एम० ए० में नहीं पढ़ सके, नहीं तो हमने उनसे पूरी 'कामायनी' पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया होता। हमारे बी० ए० पास करते-करते उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया।

दूसरे अध्यापक थे डा० गणेश उनियाल। ये युवक थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में पी०एच० डी० करके सीधे यहाँ आये थे। वे राजनीतिशास्त्र के अध्यापक थे। पाजामा-कुर्ता पहनते थे। हम लोग राजनीति के हिन्दी सेक्शन में थे। उनियाल साहब हिन्दी नहीं बोल पाते थे, लेकिन इतना कम नहीं था कि उन्होंने हिन्दी में पढ़ाने की चुनौती स्वीकार की थी। वे बहुत मजाकिया थे, मजाक के साथ लड़कों को हसाते हुए हिन्दी में पढ़ाते थे। उनकी हिन्दी में प्रवाह नहीं था किन्तु उसमें एक अद्भुत प्राणवत्ता थी। उनकी टूटी-फूटी हिन्दी बहुत अच्छी लगती थी। वे हमारी साहित्यिक गोष्ठियों में भी जाते थे, वहाँ भी हमारे थे। विचारों से मार्क्सवादी थे किन्तु स्वभाव में किसी विचारधारा का बंधाव लक्षित नहीं होता था। धीरे-धीरे उन्होंने हिन्दी पर अधिकार कर लिया और देश के तमाम हिन्दी-विरोधी मूढ़ प्राध्यापकों को शिक्षा दी कि हिन्दी में हर विषय अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। वैसे आज हिन्दी में मानविकीय वैज्ञानिक, तकनीकी शब्दावली की इतनी सम्पन्नता है फिर भी प्राध्यापक हिन्दी में पढ़ाने में परेशानी अनुभव होने का बहाना बनाते हैं। कल्याण कीजिए मन् संतालीस-अड़तालीस की, जब कोई पारिभाषिक कोश नहीं था। तब बी० एच० यू० ने मानविकी के सारे विषयों के हिन्दी में भी अध्यापन की व्यवस्था की थी और हिन्दी में अनेक पुस्तकें लिखी गई थी। गणित के प्रोफेसर डा० ब्रजमोहन हिन्दी के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने हिन्दी में सफलतापूर्वक विज्ञान और गणित पढ़ाने के कई प्रदर्शन किए। खैर, तब की बात और थी, तब हिन्दी राजनीति का शिकार नहीं हुई थी और राजनीति में पढ़े-लिखे सुसंस्कृत लोग आया करते थे।

मैं जन्म से ही पेट का रोगी रहा हूँ और इसलिए सिर-दर्द का भी शिकार होता रहा हूँ। एक बार कब्ज ज्यादा ही बढ़ गया। बी० ए० का दूसरा साल था। अक्टूबर का महीना रहा होगा। पेट में दर्द उठने लगा। बिड़ला हॉस्टल की डिस्पेंसरी के डाक्टर ने बी० एच० यू० के अस्पताल में भेज दिया। डा० पटवर्धन ने देखा और कहा कि तुरत भरती हो जाइए। उदयनारायण के साथ सामान-वामान लेकर आया और भरती हो गया। दवा चलती रही किन्तु पेट में जो भयानक दर्द उठा था वह बढ़ता ही गया। रात को मेरी बीख सुनकर नया डाक्टर (छात्र डाक्टर) आया, कोई दवा दे गया। कोई फायदा नहीं। दूसरे दिन डा० मिश्र राउंड पर आये। उन्होंने मेरी छतपटाहट देखी। न

जाने उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने मेरी आंख देखी। देखकर कहा, इन्हें तो जांडिस है। रोग जांडिस है और पटवर्धन ने प्रेसक्रिप्शन पर कुछ और लिख रखा है। उन्होंने तुरत दवा बदली और दवा बदलते ही मुझे चैन पड़ गया। सही निदान हो गया था न। दूमरे दिन डा० मिश्र फिर आये। पूछा, “कैसे है?” “ठीक हूँ।” वे अपने साथी डाक्टरों की ओर देखकर मुस्कराये। “केस काफी बिगड़ चुका है, लेकिन घबड़ाने की कोई बात नहीं, समय से पकड़ में आ गया। घर से किसी को बुला लीजिए।”

उदयनारायण कालेज से छुट्टी पाते ही मेरी ओर भागते थे और अधिक से अधिक समय मेरे साथ बिताते थे। फल आदि लाते थे। फिर भी डाक्टर के आदेश पर उन्हें गोरखपुर तार भेज देने के लिए कहा। वही से घर भी सूचना मिल जायेगी।

अस्पताल का यह पहला अनुभव था। और यह अस्पताल भी कोई जनरल अस्पताल जैसा बड़ा और भीड़भरा नहीं था, छोटा-सा अस्पताल था फिर भी था तो अस्पताल। मेरे आसपास पन्द्रह-बीस मरीज चारपाइयों पर लेटे थे और तरह-तरह के रोग के दर्द से कराह रहे थे। मैं पन्द्रह दिन वहां रहा लेकिन लगा कि कैद हूँ। रुग्ण तन के साथ थका हुआ मन, चारों ओर सीलन की अनुभूति। जंगले से बाहर की चलती-फिरती दुनिया को देखता तो लगता कि बाहर के लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि चल-फिर रहे हैं, हस-बोल रहे हैं, खा-पी रहे हैं और मैं अभागा मरा हुआ मन लिए चारपाई पर पड़ा हूँ। कब छूटूंगा यहा से और कब औरों की तरह दुनिया में चहल-पहल में शरीक हूंगा।

अस्पताल में अपना ही दर्द कम नहीं होता, किन्तु बार-बार दूसरों का दर्द उठ-उठकर अपने दर्द को और संक्रांत और भारी कर जाता है। एक दिन सबेरे-सबेरे बिड़ला हॉस्टल या रुइया हॉस्टल से एक युवक लादकर लाया गया। वह हॉस्टल की ऊपरी मंजिल पर रहता था और वहां पहुंचकर सांप ने उसे काट खाय़ा था। डाक्टर लोग उसे बचाने को भिड़े रहे लेकिन नहीं बचा सके। जवान आदमी की लाश सामने पडी थी। मैं एक गहरी दहशत से भर गया। अपने दर्द में एक भय समा गया। लाश के पीछे चीखते-चिल्लाते दूरस्थ परिवार वालों का क्रन्दन सुनाई पड़ने लगा। मृत्यु की लपेट की जटिलता उभरने लगी। सांप नीचे की मंजिल को सबको छोड़ता-छाड़ता ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया और एक आदमी को डंस लिया। यह मृत्यु की जटिल लपेट नहीं तो क्या है? हम जितने यहां अस्पताल में सोये हैं, उनमें से किसे कब वह लपेट लेगी, शायद सभी मरीज अलग-अलग यही सोच रहे थे।

दूसरे दिन एक हैजे का मरीज आया। बड़ी खराब हालत थी। एक युवा डाक्टर (शायद वह छात्र डाक्टर था) मरीज की मृत्यु से लड़ने लगा। सभी लोग निराश हो गये थे किन्तु वह बहादुर डाक्टर बड़ी तत्परता से जूझता रहा। ग्लूकोज, इंजेक्शन आदि के अस्त्रों से मृत्यु के खुले मुंह को सिकोड़ने की कोशिश करता रहा। यह सब हमारे कमरे के बाहरी बरामदे में होता रहा, हम देखते रहे और भय से कांपते रहे—न जाने क्या हो? आखिर पांच-छः घंटे के अनवरत युद्ध से डाक्टर ने आयी हुई मृत्यु को लौटा दिया और सभी लोग उस डाक्टर की ओर प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव से देखते रहे। मरीजों को लग रहा था कि जैसे उसने उन्हीं को बचाया है। वह डाक्टर उस मरीज को जिन्दगी

सौंपकर थका-थका-सा वहां से सरक गया, नेताओं की तरह जगमाल पहनने के लिए वहां खड़ा नहीं रहा ।

तार मिलने के बाद भाई साहब आ गये । गोरखपुर से पंडित आद्याप्रसाद मिश्र भी आ गये । मेरी हालत खतरे में बाहर हो गई थी । यह जानकर भइया और आद्या जी थोड़े आश्वस्त हुए । आद्या जी शाम को लौट गये बल्कि उन्हें लौटा दिया गया क्योंकि गोरखपुर से लेकर डुमरी तक हाहाकार मचा हुआ था । बाद में सुना कि मेरे पिताजी बदहवास-से गोरखपुर आये थे और बार-बार मेरे बारे में पूछ रहे थे । उन्हें लग रहा था कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है । वास्तविक स्थिति बताने के लिए ही आद्या जी को उभी दिन लौटना पड़ा ।

पन्द्रह दिन बाद अस्पताल से छूटा तो लगा कि एक लंबी अवधि के बाद कैद में से छूटा हूँ । दो-चार दिन छात्रावास में रहा । उसके कुछ दिन बाद दिवाली की छुट्टियाँ होने वाली थीं । मैं कुछ स्वस्थ होते ही गोरखपुर आ गया । भइया छावनी पर चले गये और मैं मसुराल आ गया । एक गहरी विह्वलता मसुराल के घर में व्याप्त हो गई । जहां मेरे नवजीवन पाने की आभा दमक रही थी वहीं 'यदि कुछ हो गया होता तो' का दर्द भी आभा के नीचे झलमला रहा था । आंसू और हाम का संक्रान्त रंग उस घर में कई दिन तक छाया रहा ।

गांव जाने का मन हो रहा था लेकिन गांव जाने का अर्थ था दस मील पैदल चलना और दो मील तो बाढ़ द्वारा छोड़े गये पानी-कीचड़ में से गुजरना । अभी तो मील-भर भी चलने की हिम्मत नहीं थी । पन्द्रह-सोलह दिन बाद जब मैं काफी ठीक हो गया तो मझले भाई साहब के साथ चौरीचौरा पहुंचा । वहां ब्रह्मपुर के दूबे जी का हाथी आया था । उससे नकवार पहुंचा । आगे बाढ़-प्रभावित क्षेत्र में हाथी नहीं जा सकता था और मैं अपनी चल सकने की शक्ति के प्रति आश्वस्त नहीं था ; लेकिन चारा ही क्या था । नाव से नदी पार की । उसके बाद छोटे-छोटे नालों के पानी में हलता हुआ कीचड़ में पांव फंसाता हुआ चलने लगा और लगा कि मैं चल सकता हूँ । जब तक परीक्षा न हो, अपने भीतर की शक्ति का पता नहीं चलता । गांव से मील-भर की दूरी पर स्थित कपरफोरवा गांव में हमारे खेत हैं । वहां पहुंचे तो लगा कि पिताजी खेत में खड़े हैं । उन्होंने दूर से हमें आने हुए देखा, पहचानने की कोशिश की और नजदीक आते ही लपके और मुझे गोद में भरकर रोने लगे । वे भावुक तो बैसे ही थे, इस समय तो उनकी भाव्यता का प्रवाह उमड़ पड़ा था । उन्हें लगा कि वे मुझे दूसरे जनम में पा रहे हैं । उनके साथ गांव पहुंचा, सारा घर आर्द्र हो उठा । मां रोये जा रही थी । मैंने अनुभव किया कि परोक्ष का दर्द या विपत्ति कितनी भयावह होती है । मैं घर में कई बार बीमार पड़ा था और घनघोर बीमार पड़ा था, किन्तु सब लोग पास थे इसलिए बीमारी की वास्तविकता से परिचित थे । इस बार घर से दूर बीमार पड़ा था तो लोगों को लगा कि मैं मौत के मुंह में पड़ा छटपटा रहा हूँ और मुझे आया देख यही समझ रहे थे कि मैं मौत के मुंह में से निकलकर आ रहा हूँ ।

बी० ए० में एक घटना और घटी थी जिसकी तिक्तता और बिडंबना मैं भूल

नहीं पाता। कैसे निर्दोष लोग अकारण दोष के चंगुल में फंस जाते हैं। यह घटना इस कुरूप सत्य का साक्षात्कार कराती है। विश्वविद्यालय में शेख अब्दुल्ला आ रहे थे। काफी देर से हम लोग उनकी प्रतीक्षा में पंडाल में बैठे थे। पंडाल में जो खंभे लगे थे वे रगे गये थे। मेरे आगे एक मोटे सज्जन उस खंभे से सटे बैठे थे और उस खंभे का रंग उनके कुरते पर लग रहा था। मैं अपने साथियों के साथ हंम रहा था। उन्होंने मुड़कर देखा और ममझे कि हम लोग उनका मजाक उडा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि खंभे का रंग उनके कुरते पर लग रहा है। वे खंभे से थोडा हट तो गये लेकिन लगा कि वे हमारे हंमने के कारण नाराज हो गये हैं। उन्होंने कुछ देर बाद अपनी जेब में हाथ डाला, फिर चिल्लाये कि मेरा पेन गायब हो गया है। वे बार-बार मेरी ही ओर देख रहे थे। मुझे शक हुआ कि ये मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मैंने पूछा—“कौन-सा पेन था—पाकरं था क्या?” वे बोले—“हां, पाकरं था।”

शेख अब्दुल्ला अभी तक नहीं आये थे। मुझे लघुशंका महसूस हुई। मैं बहुत सकट में था। यदि उठना हूं तो यह आदमी सोचेगा कि मैं पेन लेकर चम्पत हो गया। इमनिग मैंने उनसे कहा—“श्रीमान् जी, लगता है आपको मेरे ऊपर संदेह हो रहा है। मुझे लघुशंका करने जाना है। बेहतर हो आप मेरे साथ बाहर चलें और देख लें कि मेरे पाम आपका पेन नहीं है।” वे राजी हो गये। बाहर आकर जैसे ही मैंने अपना पेन निकालकर उन्हें दिखाया, वे चिल्ला उठे—“अरे, यही तो मेरा पेन है।”

मैं चकित था। बोला—“अभी तो आप कह रहे थे कि आपका पाकरं खोया है। अब मेरे पेन पर आपकी तबीयत आ गई?”

“यही है, यही है मेरा पेन।” और कुछ दूर खड़े अपने एक साथी यादव या रावन को बुला लिया और उनकी माक्षी देकर कहा—“यही है मेरा पेन। मैंने तुम्हारे साथ यह पेन खरीदा था, याद है न?”

यादव जी कुछ नहीं बोले। पता नहीं अपनी चुप्पी से ने किसका समर्थन कर रहे थे। मैंने कहा—“यह पेन तो मुझे मेरी ससुराल से साल-भर पहले मिला था,” किन्तु वे सज्जन पहलवान थे, भंसे की तरह मोटे। बाद में पता चला कि उनका सरनेम झा था। नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने मेरा पेन अपने पाम रख लिया।

शेख साहब आ गये थे। उनका भाषण हुआ। लगा कि बहुत दिलचस्प भाषण हो रहा था। मैं भाषण सुनता हुआ भी ग्लानि में दबा था और कल्पना कर रहा था, भाषण के बाद की विषम स्थिति की। मेरे साथ श्री विद्यानंद दूबे थे। दूबे जी बाद में आई० ए० एस० होकर दिल्ली में कई श्रेष्ठ पदों पर रहे। उम समय तो वे फिलासफी में एम० ए० कर रहे थे और मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरी कबिताओं के भारी प्रशंसक।

भाषण समाप्त होते ही झा ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और महिषासुर की तरह मेरे खिलाफ हुंकारने लगे। अच्छे-अच्छे तर्कों से प्रतिवाद करने में मैं कभी भी कुशल नहीं रहा, मैं केवल अपनी सही बात कहना जानता हूं। वहां भी कहता रहा। दूबे जी मेरा साथ देते रहे। उन्होंने उन सबको मेरे चरित्र की शुद्धता के बारे में बहुत समझाया, किन्तु महिषासुर किसी की सुनता ही नहीं था। वह मुझे जलील करने

वाली शैली में अनाप-जानाप बकता रहा। मेरे मित्रों में केवल दूबे जी थे। बी० ए० के कुछ और छात्र छुट आये जो कहानी सुनकर मुझे चोरी न करने का उपदेश देने लगे। मैंने कहा कि यह पेन मेरा है और मेरी ससुराल से मिला है तो झा साहब अपने मैथिली अंदाज में बड़बड़ाये—“छि-छि-छि ! ससुराल से ऐसा सस्ता पेन मिलता है ?” मैंने गुस्से में कहा—“इसी सस्ते पेन और दूसरे के पेन के लिए मरे जा रहे हो ?”

निष्कर्ष यह निकला कि भीड़ में मैं चोर सिद्ध कर दिया गया और महिषासुर साहब वह पेन लेकर चले गये। दूबे जी के साथ मैं धीरे-धीरे थका-हारा-सा हॉस्टल की ओर चला। वे मुझे सान्त्वना देते रहे। कमरे के पाम पहुंचा तो देखा, कमरे के सामने भीड़ खड़ी है और वे सज्जन नेता बने हुए हैं जो कुछ देर पहले मुझे चोरी न करने का उपदेश दे रहे थे। वे थे तो मेरे बी० ए० के ही सहपाठी, किन्तु दूमरे सेक्शन के थे और उनमें मेरा कोई सरोकार नहीं था। वे सज्जन मुझे देखते ही लपके। बोले—“सॉरी पार्टनर, हम लोगों ने आपको गलत समझा। आपके कमरे में आकर असलियत मालूम हो गई। अब हम लोग निबटते हैं उस झा के बच्चे से।”

बात यो हुई कि मेरे पहुंचने से पहले ही ये लोग मेरे कमरे पर पहुंच गए थे। मेरे रूम पार्टनर थे बैजनाथ जी। सयोग से मेरे अंतरंग मित्र कपिलदेव भी आए हुए थे। मुझे उपदेश देने वाले सज्जन ने पूछा कि मिश्र जी कौन-सा पेन इस्तेमाल करते हैं। कपिलदेव समझ गए कि कोई खास बात है। मेरे पार्टनर से पहले ही वे बोल पड़े और मेरे पेन का नाम, रंग सब बता दिया और यह भी बता दिया कि यह पेन इनकी पत्नी ने इन्हें दिया था। इतना सटीक उत्तर पाकर वे सज्जन दंग रह गए और अपनी भूमिका पर लज्जित भी हुए। उन्हें तथा उनके साथ आये अन्य लोगों को विश्वास हो गया कि यह पेन मिश्र जी का ही है। मेरा पूरा विंग उत्तेजित हो गया। गुडे लगने वाले लड़के आस्तीन चढ़ाकर कहने लगे—“चलो समझते हैं झा के बच्चे से। अरे, हमें कोई लाछित करे तो बात समझ में भी आती है। इतने सीधे-सही आदमी को चोर बनाने की हिमाकत कैसे हुई उस आदमी की ?”

मैं अमर्ष से रो पड़ा था। लोगों ने समझाया—“रो मत पार्टनर, किसी गन्दे आदमी के कहने से चोर बन जाओगे ?” दल साजकर सभी लोग झा के लॉज में गये। झा अपने लोगों के साथ आये और चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे—“देखो यही चोर है, यही चोर है।” लेकिन इस बार मुझे नहीं बोलना पड़ा, और लोगो ने ही मेरे पक्ष में बात की और झा की लानत-मलामत की। किन्तु झा ने पेन नहीं दिया। उस पेन में कुछ नहीं रखा था, किन्तु दो बातें खास थी—एक तो मेरी पत्नी ने पहली भेंट में उसे मुझे दिया था, दूसरे मेरे ही पेन से मुझे ही चोर सिद्ध किया जा रहा था। मैं उस लॉज के वार्डन से मिला। वार्डन ने तीता मुह करके कहा—“ई झउवा यही सब करता रहता है।” उन्होंने दो दिन बाद मुझे बुलाया और झा से पेन लेकर बल्कि छीनकर मुझे दे दिया।

वास्तव में यह विडंबना ही हो सकती है। मैं चोर नहीं था, चोर बना और हो सकता है सचमुच झा के पास भी इसी रंग का, इसी नाम का पेन रहा हो और उस

भीड़ में खो गया हो और मेरे हंसने के कारण उन्हें मुझ पर शक हो गया हो और जब वार्डन ने पेन छीनकर मुझे दिया तो उन्हें लगता रहा हो कि उनका पेन मुझे दे दिया गया है। इसलिए जब भी झा मुझे रास्ते में देखते तो गदे तरीके से हंसकर टाण्ट कसते थे। वे पहलवान जीव थे, इसलिए उनके लिए यह सब क्षम्य था। यदि उन्हें लगता रहा हो कि सचमुच उनका पेन मैंने ले लिया तो उनकी भी तकलीफ का अन्दाज लगाया जा सकता है।

28

बी० ए० कर लिया। समस्या उठी एम० ए० कहां से किया जाय? केशव जी ने अवकाश प्राप्त कर लिया था इसलिए मुझे हिन्दी विभाग में एक बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा था। उदयनारायण को एम० ए० इलाहाबाद से करना था अतः यह तय हुआ कि हम दोनों मित्र इलाहाबाद से ही एम० ए० करेंगे। इलाहाबाद में नाम लिखाकर बनारस उतरा। बी० एच० यू० गया। डा० राजबली पांडेय से मिलने गया। उन्होंने पूछा—“एडमिशन ले लिया?” “जी ले लिया, लेकिन इलाहाबाद में।” “क्यों, राजनीति खेलनी है क्या?” उन्होंने रुष्ट होकर कहा। “यहां आपको सब लोग जानते हैं, यहां अच्छा डिवीजन बन जायेगा। वहां आपको कौन जानता है? वहां की राजनीति में पिस जायेंगे।” फिर थोड़ी देर बाद बोले—“यहां आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी आ रहे हैं। उनसे पढ़ना आपका सौभाग्य होगा।” द्विवेदी जी का नाम सुनते ही मैं पुलकित हो गया और हिन्दी विभाग में दिखाई पड़ने वाला गैप तुरत गायब हो गया। मैंने उसी दिन नाम लिखा लिया। नाम लिखाने में देर हो गई थी इसलिए मुझे बिड़ला छात्रावास में जगह नहीं मिली, मिली रूइया छात्रावास में। इससे मन थोड़ा खट्टा हो गया। मन खट्टा होने के दो कारण थे—एक तो यह छात्रावास मेरे लिए नया था और डा० राजबली पांडेय की वार्डनशिप से वंचित हो रहा था, दूसरे इसमें प्रायः आयुर्वेद के छात्र रहते थे। बिड़ला छात्रावास वाले रूइया वालों को च्यवनप्राश-च्यवनप्राश कहकर चिढ़ाया करते थे। इस बात को लेकर दोनों छात्रावासों के छात्रों में कई बार ठन गई थी। किन्तु अब क्या किया जाय?

एम० ए० का अध्ययन काल अनेक दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा—घटनात्मक भी। द्विवेदी जी के आने के समाचार से वातावरण में अद्भुत उत्साह फैला था, किन्तु एक वर्ग में विद्वेष का विष भी फैल रहा था। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा खुलापन था जो सबको बहुत भाता था। उनके व्यवहार में खुलापन, सौच-विचार में खुलापन, भाषण में खुलापन, हंसी में खुलापन यानी उनका पूरा अस्तित्व व्यक्तित्व के बोझ के बिपरीत एक आकर्षक विवेक था। उनसे पढ़ते समय हम कोर्स से बंधते नहीं

थे, उससे मुक्त होकर प्रसरित होते थे। उनके अध्यापन में एक संदर्भ, एक बिन्दु न जाने कितने संदर्भों और बिन्दुओं में जुड़कर एक बड़ा रचनात्मक जगत् बन जाता था। वे जो भी कहते थे, लगता था हमारे अनुभव में उतर रहा है। लगता था वह व्यवहार में चरितार्थ हो रहा है। 'पंडिताई भी एक बोझ है' का अनुभव करने वाला इतना बड़ा पंडित अपने छात्रों को पंडिताई की गरिष्ठता की ओर से ज्ञान की सर्जनात्मकता की ओर ले जाता था। वास्तव में पंडिताई बोझ है, अतीव बोझ है यदि वह वर्तमान जीवन को रचनात्मकता नहीं प्रदान करता। द्विवेदी जी के सारे लेखन, अध्यापन, प्रवचन और जीवन-चर्या का केन्द्रीय स्वर यह रचनात्मकता ही थी। द्विवेदी जी का सम्मान केवल हिन्दी वालों के बीच नहीं था बल्कि और विभागों के बड़े-बड़े विद्वान् और राजनेता भी उनका सम्मान करते थे। इसका कारण यही था कि द्विवेदी जी की सोच केवल हिन्दी सोच नहीं थी, भारतीय सोच थी, जिसमें अतीत की पूरी विरामा थी और समकालीनता की उदार चेतना थी। उस चेतना में साहित्य-संस्कृति के साथ समाजार्थिक और वैज्ञानिक चिंतन का गहरा दबाव था। द्विवेदी जी के इस व्यापक सम्मान से हम सभी लोग अपने को गौरवान्वित अनुभव करते थे।

नामवर जी एम० ए० द्वितीय वर्ष में थे। उनका उनमें सम्बन्ध पहले से ही था, अतः वे तो द्विवेदी जी के आते ही उनके निकट हो गये थे। मैं उनका विद्यार्थी था, किन्तु अपने स्वभाव के कारण उनकी निकटता नहीं पा सका था। मुझे किमी के निकट हो लेने की कला ही नहीं आती, हां, धीरे-धीरे समय के प्रवाह में अपने-आप किसी के निकट हो लू तो बात और है। काशी विद्यापीठ में एक कवि-गोष्ठी थी। उसमें द्विवेदी जी भी थे। मैंने एक गीत पढ़ा—'उमड़ रही पुरबैया कुनल-जाल-सी, लहर रहे अम्बर में काले-काले बदरा।' गीत पढ़ते समय मन में एक संकोच था, वह यह कि 'आधुनिक चेतना के इतने बड़े मर्मज्ञ विद्वान् के सामने मैं प्रकृतिपरक रूमानी-सा गगने वाला गीत पढ़ रहा हूँ। कैसा लगेगा उन्हें?' किन्तु मैंने गीत गाते-गाते द्विवेदी जी की ओर देखा— वे मस्ती से झूम रहे थे। मेरा उत्साह बढ़ गया और मैं और तन्मयता में पढ़ने लगा। गीत समाप्त होने पर उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं उनका विद्यार्थी हूँ तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो मैं दिन-प्रतिदिन उनके निकट होता गया।

द्विवेदी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके व्यक्तित्व का खुलापन। इसीलिए वे अतीत, वर्तमान, साहित्य के इस वाद, उस वाद के कटघरे में बंधे नहीं थे। वे उदार अर्थ में आधुनिक चेतना के मनुष्य और साहित्यकार थे। 'मनुष्यता ही साहित्य का लक्ष्य है' इस वे बलपूर्वक मानते थे; किन्तु मनुष्यता का क्या कोई बधा-बंधाया एक रूप-रंग होता है? वे मानते थे कि मानवीय या साहित्यिक सौन्दर्य समष्टि जीवन के संतुलन से ही पैदा होता है। जिस समाज में अमीरी और गरीबी की, सम्पन्नता और अभाव-ग्रस्तता की, ऊँच-नीच की भयानक विषमता व्याप्त हो वह समाज बहुत ही असुंदर है, वह परम अमानवीय है। समाज को सुंदर और मानवीय बनाने के लिए समता या संतुलन पैदा ही करना पड़ेगा। साहित्य में भी वे यथार्थ के पक्षधर हैं और यथार्थ

अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों से बनता है। यह यथार्थ सामाजिक और परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार द्विवेदी जी प्रकारान्तर से मार्क्सवादी समाजवाद और साहित्य-सोच के निकट हो उठते हैं, किन्तु वे अपनी सोच को किसान-मजदूर के खाने में बांध नहीं देते, उस अन्य क्षेत्रों में भी संचरण करने देते हैं। हमारी संवेदनाओं को आर्द्र और व्यापक तथा हमारे सौन्दर्य-बोध को सघन बनाने वाले साहित्य के अन्य स्वरो को भी पसंद करते हैं, वह रोमांटिक जैसा ही क्यों न लगता हो। द्विवेदी जी एक बहुत बड़ी भारतीय मनीषा की विरासत को अपने भीतर अनुभव करने वाले पंडित और सर्जक थे, साथ ही समकालीन भारतीय परिवेश-जीवन से उनका गहरा लगाव था। इसलिए मार्क्सवादी चिंतन उनके लिए विदेश में उत्पन्न मात्र अवधारणा नहीं था, वह उनकी देशी विरासत और परिवेशगत अनुभव के बीच अपना जीवन बनकर उभरता था। इसलिए उनके लेखन और सोच में शुष्क अवधारणागत कठमुल्लागन नहीं, संचित और अर्जित अनुभवों की बहुआयामिता और जीवंतता दिखाई पड़ती है। वे कविता को, साहित्य को एक उदार अर्थ में प्रगतिशील मानते हैं। उन्हें नहीं लगता था कि कोई कविता प्रतिगामी है यदि वह हमारी संवेदना को किसी भी प्रकार आर्द्र और सघन बनाती है। प्रतिगामी कविता वह है जो हमारी स्तब्ध वृत्तियों और रूढ़ियों को और भी स्तब्ध और जड़ बनाती हो, हमारे भीतर सुन्दर-असुन्दर का विवेक का अनुभव न पैदा करती हो, जो यथार्थ की गन्नाजत और जुगुप्सा में हमें धमाती हो, जो व्यक्ति-मृत्यु को लक्ष्य मानकर उसकी निरर्थक उलझनों में ले जाती हो।

यही वजह है कि पंडित जी (द्विवेदी जी) जहां चल रहा हूँ क्योंकि गति से पथ का निर्माण होगा' या 'मैं अषाढ का पहला बादल मेरी राह न बांधो' जैसी मेरी कविताएं पसंद करते थे तो दूसरी ओर 'उमड़ रही पुरवइया कुतल जाल-सी' जैसी शुद्ध प्रकृति-रस वाली कविताएं भी। उनमें कबीर पढ़ना एक अनुभव था। कबीर के एक-एक दोहे को लेकर अर्थ के व्यापक संदर्भों में हमें ले जाते थे। वे कविता के गुण, अलंकार, रम आदि की व्याख्या में न उलझकर जीवन-मृत्यु और मर्म की पहचान में प्रवृत्त होते थे। साहित्य को पढ़ने-पढ़ाने की जीवनवादी दृष्टि मुझे यही से मिली और मैंने अपने अध्यापन-काल में अलंकार-निर्देश करने को महत्त्व नहीं दिया, महत्त्व दिया उनके माध्यम में व्यक्त होती हुई चारुता को। और उसी की पहचान में अपने को तथा अपने छात्रों को लगाया। तो बात कर रहा था पंडित जी की। मेरी और बहुतों की इच्छा बनी होती थी पंडित जी का सान्निध्य प्राप्त करने की। कभी-कभी किसी बहाने उनके यहां जाता था। वे बहुत व्यस्त रहते थे। आने-जाने वालों का तांता लगा ही रहता था, तिम पर उनका अपना अध्ययन-लेखन, बाहर जाना, विभागीय प्रशासनिक कार्य, पत्र-पत्रिकाओं की मांग की टकराहट। वे अपने लिए समय निकालते फिरते थे। इसीलिए मेरे या अन्य छात्रों के जाने पर माता जी कहती थी—“नहीं हैं।” यदि वे नहीं होते थे तो माता जी 'नहीं हैं' कहकर अंदर चली जाती थीं। यदि वे होते थे तो 'नहीं' कहकर डांटती भी थीं—“चले आते हो तंग करने। तुम लोगों को कुछ काम-धाम नहीं है ?” उसके बाद वे हलके से मुसकराती थीं। तब हमें मालूम होता था कि पंडित जी

हैं, किन्तु मिलने की मनाही है। वास्तव में माता जी का यह व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता था, किन्तु जब अकेले में सांचता था तो अनुभव होता था कि पंडित जी तो बहुत संकोची व्यक्ति हैं, किसी को आने से मना कर नहीं सकते और ऐसे ही लोग वक्त-बेवक्त आते रहें तो इतने बड़े प्रतिभावान व्यक्ति का उपयोग केवल लोगों से मिलने-जुलने के काम में होकर रह जायगा। इसलिए माता जी उनके समय की रक्षा कर रही हैं। वे कटु बनकर भी साहित्य-जगत् का हित कर रही हैं। पंडित जी कभी-कभी तो पिछवाड़े छिपकर थोक भाव से आयी चिट्ठियों का जवाब लिखते थे और माता जी 'नहीं हैं', 'नहीं हैं' के उत्तर के साथ सबको वापस कर देती थीं। एक दिन पंडित जी ने मुझे बुलाया था। मैं पहुंचा तो माता जी ने उसी तरह उत्तर दिया—“नहीं हैं।” मैं जैसे तो बहुत संकोची व्यक्ति हूं, जब भी माता जी 'नहीं हैं' कहतीं, सिटपिटाया हुआ लोट आता और इसीलिए पंडित जी के यहां जाते हुए भी मन में माता जी का डर लगा रहता था, किन्तु जिस दिन पंडित जी बुलाते थे उस दिन मैं थोड़ा आश्वस्त होता था। मन में यह बल होता था कि अवांछित नहीं जा रहा हूं। इसलिए आज जब माता जी ने कहा कि नहीं हैं तो मैं डीठ बनकर अड़ा रहा। मैंने कहा—“पंडित जी ने मुझे बुलाया है।” पंडित जी ने सुन लिया और भीतर से ही चिल्लाये—“चले आओ भाई, मैं घर पर नहीं हूं।” मैंने माता जी की ओर देखा। वे हलके से मुसकरायी और मैं शान से अन्दर दाखिल हुआ।

माता जी अकेली नहीं हैं। वह नाम है उन पत्नियों का जो अपने बड़े पतियों के बड़प्पन के विकास के लिए अपने को खाक बना देती हैं। पति का सारा अलाय-बलाय अपने सिर लेती हैं और पति को वह पुण्य अर्जित करने देती हैं जिसकी सुगंध चारों ओर फैलकर दूर-दूर तक के वातावरण को सदियों तक महकाती रहती है। वास्तव में पति तो सुखरू होता है और पत्नी लोगों की कटु आलोचनाएं झेलती है। मैं एक बहुत छोटा साहित्यकार हूं किन्तु मैं मन की पूरी गहराई से अनुभव करता हूं कि मेरी पत्नी ने मेरे जीवन के तमाम विष को अपने भीतर उतारा है और मुझे अमृत दिया है। उनके द्वारा गृह-जंजाल से निश्चित कर दिये जाने के कारण ही मेरा इतना लिखना-पढ़ना संभव हो सका है। मेरी रक्षा के लिए उन्होंने न जाने कितनों की नाराजगी झेली होगी, कितनों की कटु आलोचनाएं पायी होंगी। बड़े लेखक हों या मेरे जैसे सामान्य लेखक, सभी जानते हैं कि उनकी पत्नियां जो कर रही हैं, उसमें उनकी भी इच्छा शामिल है, किन्तु स्वयं तो लोगों की दृष्टि में भद्र बने रहते हैं और उनकी पत्नियां उनकी इच्छा के इशारे पर आचरण करती हुई लोगों की दृष्टि में अप्रिय बन जाती हैं।

गुरुओं में बहुत-से लोग थे जिनके अपने-अपने रंग थे। पंडित विश्वनाथप्रसाद मिश्र से तो पढ़ता ही आ रहा था और मिश्र जी अपने शास्त्रीय अध्यापन के लिए प्रख्यात थे। वे टेकस्ट के गहरे पंडित थे। कविता पढ़ाते थे तो शास्त्रीय ढंग से उसे पूरा मूर्त कर देते थे। उनके पढ़ाने में रस होता था। रस के साथ व्यंग्य-विनोद का केंडापन भी होता था। ये क्लास में अपने ढंग से एक जीवंतता बनाये रखते थे। कविता पढ़ाने की प्रक्रिया में श्लेष आदि की मार करते रहते थे और लड़कों से कविता में प्रयुक्त अलंकार

भी पूछते थे। जब कोई लड़का सही अलंकार का नाम बता देता था तो वे एक खास अंदाज में बोलते थे—‘येह !’ मिश्र जी शास्त्र के पंडित थे और उसे सुलझाकर समझा था। वे साहित्यशास्त्र भी पढ़ाते थे लेकिन उसमें उनकी इतनी अच्छी पैठ थी कि उसे वे बहुत सुलझाकर रोचक बनाकर छात्रों के सामने परोसते थे। वे उसके भारीपन को काट-छांटकर उसके बुनियादी तत्त्वों को सामने रखते थे, किन्तु यह सब होता था शास्त्र की सीमा में ही। नवजीवनगत नया उन्मेष उसमें नहीं ला पाते थे। इसलिए वे द्विवेदी जी से तो अलग पड़ते ही थे, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से भी अलग हो जाते थे जिनकी शिष्य परंपरा में उनकी गणना होती है। द्विवेदी जी के आने से इन्हें और शर्मा जी को बहुत चोट पहुंची थी। इसलिए ये लोग उनसे नाराज थे। शर्मा जी तो बाहर-बाहर ही बोलते थे, किन्तु मिश्र जी कक्षा में भी द्विवेदी जी पर व्यंग्य कसते थे जो हम लोगों को नागवार लगता था।

डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा से भी इंटर से ही पढ़ते आ रहे थे और उनसे अब काफी परिचित हो चुके थे। शर्मा जी शौकीन तबीयत के गुरु थे। बहुत सलीके से घोनी-कुर्ता-टोपी पहनते थे। अंगुलियों में रंग-बिरंगी अंगूठियां शोभित रहतीं। शर्मा जी की चाल में एक अकड़ थी, बाणी में भी एक भंगिमा थी। वे वास्तव में साहित्य के अध्यापक की तरह नहीं, बल्कि उच्च समाज के एक नागरिक की तरह रहते थे। बड़े-से-बड़े लोगों से मेल-जोल, उनसे समान स्तर पर बोलने-बतियाने और व्यवहार करने की ठसक उनमें थी। ज्यों-ज्यों मैं उनके नजदीक होता गया, उनके व्यक्तित्व की ये रेखाएं उभरती गईं। उनके लिखने और कक्षा में बोलने की भाषा में तत्सम शब्दों का अद्भुत समारोह दिखाई पड़ता था। सामान्य बात को भी वे छायावादियों की तरह शब्दाडंबर के साथ कहते थे। विद्यार्थी गुरु-गुरु में उनकी भाषा से बहुत अभिभूत होते थे, धीरे-धीरे वे उसकी सामान्यता को समझने लगते थे। वे कक्षा में आने पर नयी बात शुरू करने से पहले कल के दिए हुए लेक्चर के उत्तरार्ध को दुहराते थे और हम लोग नयी बात शुरू होने की प्रतीक्षा करते थे। वे पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा आधुनिक कविता (संभवतः साकेत) पढ़ाते थे। शर्मा जी की पश्चिमी काव्यशास्त्र में विशेषतया कथा-साहित्यालोचन में अच्छी पैठ थी। जिस दिन वे विशेष तैयारी के साथ आते थे, उस दिन बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ‘कहानी का रचना विधान’ पुस्तक अपने समय की बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है। वह पुस्तक इस बात की परिचायक है कि कहानी की संरचना के विषय में शर्मा जी की समझ कितनी गहरी और साफ थी। इसी प्रकार उनकी अन्य पुस्तकें भी इस बात की प्रमाण हैं कि वे मन से जिस विषय में घंसते थे उसमें कुछ बहुत अच्छा कर दिखाते थे। सबसे मजेदार क्लास होती थी साकेत की। हम लोग जान लेते थे कि आज क्लास जल्दी ही छूटेगी। बात यह थी कि वे गुप्त जी के ‘अहा’, ‘अहो’ से बहुत चिढ़ते थे। जैसे ही अहा, अहो शब्द आते थे वे अटक जाते थे, उनका मुंह विकृत हो उठता था और कहते थे कि गुप्त जी के इम अहा, अहो से तो नाक में दम आ गया है। हम हंस पड़ते थे। मुंह बनाये हुए वे कुछ सेकंड रुकते थे—फिर कहते थे, जाओ। हम लोग हमते हुए बाहर निकल आते थे।

और गुरु थे पंडित पद्मनारायण आचार्य, पं० करुणापति त्रिपाठी, डा० श्रीकृष्ण लाल, डा० छैल बिहारी गुप्त 'राकेश', श्री विजय शंकर मल्ल, डा० राजपति दीक्षित। पं० पद्मनारायण आचार्य बहुत शिष्य-वत्सल थे। पत्नी के दिवंगत होने के बाद उनका मन काफी विरागी हो उठा था। बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी और पत्नी-वियोग का स्थायी अवसाद—वे साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर तक उदासीन हो गये थे। वे क्लास बहुत कम लेते थे, आते ही नहीं थे। मुझे याद है, बी० ए० के कुछ छात्र रोज विभाग में आते थे और पूछते थे—“आचार्य जी आये हुए है?” दस-बाग्ह दिन में किसी दिन वे आते दिखाई पड़ जाते तो लड़के विभाग के बाहर से ही उन्हें क्लास में खींच ले जाते। व खिंचे हुए चले जाते।

छोटे-से कद के आचार्य जी लंबे-लंबे केश और छोटी-छोटी दाढ़ी रखते थे, कभी नहीं रखते थे। पत्नी के मरने में अस्तव्यस्त हो उठे आचार्य जी पहले बहुत तेजस्वी रहे हैं। सुना था कि बाबू श्याममुंदर दास द्वारा लिखित साहित्यालोचन और भाषा-विज्ञान की निर्मिति में आचार्य जी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे लगता है, रही हंगी। उन्होंने एक संस्था चला रखी थी। वे अपने घर छात्रों को बुलाते थे और भाषा-विज्ञान, साहित्यालोचन, आधुनिक कविता संबंधी भाषण करवाते थे। जब कोई बोलने वाला नहीं आता था, तो स्वयं बोलते थे, हमारी शकाओं का समाधान करते थे। और लगता था कि उन्होंने चीजों का गहरा मनन किया है किन्तु अब सबसे संबध टूट-मा गया है। वे प्रसाद के बहुत बड़े भक्त थे। कामायनी के प्रति उन्हें गहरी श्रद्धा थी। उनके भीतर जो एक वैराग्यमूलक भाव आ गया था, उसी में वे प्रसाद के श्रृंगारिक प्रसंगों को भी देखते थे। एक बार क्लास में किसी लड़के ने प्रसाद की श्रृंगारिकता के बारे में कोई अमुविधा का सवाल कर दिया। आचार्य जी तमतमा उठे और बोले—“प्रसाद के बारे में ऐसा प्रश्न करने वाला छात्र चरित्रहीन है।” एक बार वे प्रसाद की कहानी पुरस्कार पढ़ा रहे थे। बोले—“यह कहानी समझने के लिए 'कामायनी' पढ़नी पड़ेगी। कामायनी समझने के लिए कालिदास को पढ़ना आवश्यक है और कालिदास को समझने के लिए वेद पढ़ना अनिवार्य है।” हम लोग स्तब्ध थे। एक कहानी पढ़ने के लिए इतना कुछ पढ़ना चाहिए, यह कैसे होगा ?

आचार्य जी की वाणी में बहुत प्रवाह और ओज था। यानी वे बहुत अच्छे वक्ता थे। वे चाहे जो कुछ कह रहे हों, हमें बहा ले जाते थे, किन्तु प्रसाद और संस्कृत साहित्य (विशेषतया कालिदास) के भावुक पाठक और वक्ता होने के बावजूद वे भाषा-विज्ञान के बिन्दु पर आकर बहुत वस्तुपरक हो उठते थे। मुझसे भाषा-विज्ञान के किसी प्रश्न पर लिखने को कहते तो मैं साहित्यिक पुट देकर लिखता, निरा तथ्य मुझसे लिखा ही नहीं जाता। इस पर वे मुझे बार-बार समझाते कि यहां साहित्य बिलकुल नहीं चलेगा। कोरा तथ्य लिखो। वे मुझे बहुत मानते थे। उनसे पारिवारिक सम्बन्ध हो गया था और बहुतों से हो गया था। वे बकरी पाले हुए थे, उसके दूध की चाय पिलाते थे। उस चाय में उनके स्नेह का रस मिला होता था इसलिए चाय बहुत स्वादिष्ट लगती थी। उनका घर हम अनेक छात्रों का घर हो गया था।

अन्य गुरुओं का भी स्नेह छात्रों को मिलता था और विभाग एक परिवार-सा लगता था। डा० श्रीकृष्ण लाल बंसे हमें 'कामायनी' पढ़ाते थे किन्तु उनका पूरा व्यक्तित्व गद्यात्मक था। उनकी स्मृति अद्भुत थी। चाहे जीवन-व्यवहार का क्षेत्र हो चाहे साहित्य का, उन्हें बहुत-सी बातें याद थीं। पंडित करुणापति बनारसी सौम्य संस्कृति के प्रतीक थे। गोरे रंग और सौम्य सुंदर रूप के धनी करुणापति जी रेशमी कुरते और खादी की धोती में खूब फबते थे। उनके माथे पर गोल-सा टीका दहकता रहता था। बड़े ही सौम्य अंदाज में पढ़ाते थे। राकेश जी का सुदर्शन व्यक्तित्व आधुनिकता लिए था। केवल वे ही (और कभी-कभी राजपति दीक्षित जी भी) सूट पहनते थे। आधुनिक वेशभूषा में उनका सुंदर रूप बहुत प्रभावशाली लगता था। लेकिन इस आधुनिक वेशभूषा में वे आतंकित नहीं करते थे, उस वेशभूषा में छलककर आता उनका स्नेह हमें आत्मीयता प्रदान करता था। श्री विजयशंकर मल्ल नयी चेतना के प्राध्यापक थे। बहुत धीरे-धीरे नाप-तोल कर बोलते थे। इसलिए वे क्लास में बहुत प्रभावित नहीं कर पाते थे, किन्तु वे अपनी नयी ठोस समझ के लिए विख्यात थे और हम नयी समझ के प्रत्याशी छात्र उनसे बातें करते तथा लाभान्वित होते थे।

अब फिर जरा लौटते हैं अपने साथियों की ओर। नामवर जी मुझसे एक साल आगे यानी एम० ए० फाइनल में थे। वे द्विवेदी जी के परम प्रिय शिष्य थे। वे पहले से ही कुछ लाल थे, अब उनकी लाली गहरी होनी जा रही थी। बाकायदा कम्प्युनिस्ट पार्टी से उनके सरोकार बनते जा रहे थे। साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अच्छी बनती जा रही थी। एक नये मित्र आये थे। वे बी० ए० फाइनल में थे और पिछले साल से ही उनसे परिचय बन गया था। वह परिचय अब लगानार गाढा हो रहा था। वे थे शिवप्रसाद मिह। वे कहानिया लिखते थे। अच्छे छात्र भी थे। शरीर से भारी-भरकम थे और स्वभाव में भी ठकुरई थी। किन्तु धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो उनसे परिचय बढ़ता गया त्यों-त्यों यह ज्ञात होता गया कि उनकी ठकुरई के नीचे एक तरलता थी। एम० ए० फाइनल में गया तो वे एम० ए० में आ गए। वे अच्छे छात्र तो थे ही, साहित्य-जगत् में भी उनका अच्छा प्रवेश हो गया था। उनकी कहानिया प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने लगी थी, इसलिए उनकी ठकुरईजन्य ठसक में प्रतिभा के अहंकार का पानी चढ़ने लगा था। इसके बावजूद वे सहज थे, सरल थे। कोई बनाव-छिपाव नहीं था, जो थे सामने थे। इसलिए धीरे-धीरे उनके साथ मेरी मैत्री बढ़ती गई। शिवप्रसाद की ठकुरई मुझे उन लोगों के शिष्ट रूप से ज्यादा प्यारी लगती थी जो ठाकुर या ब्राह्मण होकर मुंशी होते हैं। ये लोग बहुत शिष्ट, प्लेजेण्ट और सुसंस्कृत दीखने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनके भीतर न जाने कितनी पर्तें होती हैं जिनके कारण वे बाहर से खुले दीखकर भी भीतर से बहुत बन्द और दुरूह हो चठते हैं। यदि आप भी बंसे हैं तो व्यावसायिक जोड़-तोड़ के कारण उनसे जुड़े रहने के लिए विवश होते हैं, किन्तु यदि शुद्ध मित्र की हैसियत से आप उनसे जुड़ेंगे तो न जाने कितनी बार, कितनी तरह से और कहां-कहां उनसे आहत होंगे, टूटेंगे। टूटन को अपने प्यार से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं और टूटेंगे और अंत में आप मान लेंगे कि इनके साथ चलना है तो इसी तरह चलना होगा या आप उनसे एकदम

उदासीन हो जायेंगे। लिहाजा शिवप्रसाद से मेरी दोस्ती गाढ़ी होती गयी। मेरी-उनकी साहित्यिक प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। वे कहानीकार थे, मैं कवि था। कहानियां मैं भी कभी-कभार लिखता था किन्तु कहानी मेरा क्षेत्र नहीं बन पायी थी। कविताएं मेरी भी छपती थीं इसलिए शिवप्रसाद से मेरी कोई टकराहट नहीं थी। शिवप्रसाद में एक खास तरह का देहाती लगाव था। मुझे याद है जब मैं फाइनल में था तो वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत ली थी। पं० पद्मनारायण आचार्य संस्कृत पढ़ाते थे। पहले कह चुका हूं कि वे कालेज में कभी ही कभी आते थे। कुमारसंभव का पांचवां सर्ग कोर्स में था। आचार्य जी ने उसके गुरु के चार श्लोक गुरु करा रखे थे। डेढ़-दो महीने बाद आते तो फिर उसी को गुरु करते। इस तरह हमें लगा कि संस्कृत लेकर हम डूबे। बात-बात में मैंने शिवप्रसाद से यह बात कही तो बोले—मैंने बी० ए० में संस्कृत पढ़ी है और ये कविताएं भी पढ़ी हैं, चलो मैं सहायता करता हूं। और शिवप्रसाद मिह ने स्वयं तैयार करके मेरा कोर्स तैयार कराया—नियमित रूप से।

एम० ए० में मेरे नये साथी बने श्यामलाकान्त वर्मा। वे कबीर चौरा से आते थे साइकिल पर। वे भी तेज विद्यार्थी थे। एक तरह से हम दोनों परस्पर प्रतिस्पर्धी बन गये, किन्तु इस प्रतिस्पर्धा ने हमें अभिन्न मित्र बना दिया। हम साथ बैठते थे, साथ घूमते थे। पतली सांवली काया के श्यामलाकान्त में ऊर्जा बहुत थी। वे अपनी साइकिल पर बैठकर हमें पूरा शहर घुमा लाते थे। मैं उनके घर भी जाता था, उनके परिवार से मेरा अच्छा सम्बन्ध हो गया था। हम एक-दूसरे के सुख-दुःख के साथी बन गये थे यद्यपि हमारे स्वभावों में काफी अंतर था। वे कभी-कभी अकारण तुशं हो उठते थे और ऐसी-ऐसी बात कह देते थे जिससे मालूम पड़ता था कि उनके भीतर कोई ग्रंथि है। सन् '51 में मेरा पहला कविता-संग्रह 'पथ के गीत' छपा। श्यामलाकान्त जी का नाम उस पर प्रकाशक के रूप में छपा। वास्तव में वह पुस्तक छाप रहे थे मेरे मित्र रामायण राय। रामायण राय बी० ए० में मेरे सहपाठी और दोस्त थे। समाजवादी दल के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, बाद में वे एम० एल० ए०, एम० पी० और उत्तरप्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी बने। उन दिनों उनका अपना प्रकाशन भी था। उन्होंने मेरा काव्य-संग्रह छापना स्वीकार कर लिया था, किन्तु टाल-मटोल करते गए, करते गए। पुस्तक-प्रकाशन के लिए मैंने उन्हें दो सौ रुपये दिए थे। दो फर्मों छपे किन्तु इसके बाद काम ठप्प हो गया। उनके बहनोंई जयनाथ जी प्रेस चलाते थे। उन्हीं के प्रेस में किताब छप रही थी। रामायण जी सामाजिक कार्य करने की प्रक्रिया में बाहर चले गये। अंत में अपने खर्च पर मुझे वह किताब छपवानी पड़ी और प्रकाशक के रूप में श्यामलाकान्त जी का नाम दिया। बाद में बेचारे को काफी असुविधा झेलनी पड़ी—यानी उनके पास तमाम पत्र आने लगे पुस्तक-प्रकाशन के संदर्भ में।

'पथ के गीत' छपने का बड़ा सुख था। गुस्वर द्विवेदी जी ने भूमिका लिखी, यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी। मेरी कविताएं मेरे गांव-जवार में और बनारस के परिवेश में भी काफी लोकप्रिय हुई थीं, इसलिए एक खुशफहमी थी कि इसकी हजार प्रतियां आसानी से बिक जायेंगी, किन्तु अनुभव कुछ और ही रहा। जो लोग बेचने को

ले गये वे पैसे लेकर नहीं आये । सौभाग्य से राजेन्द्रकुमार एण्ड संस बलिया ने उसकी बची प्रतियां उठा लीं और मैं संकट से मुक्त हुआ । यह और बात है कि प्रकाशक ने भी मुझे पूरे पैसे नहीं दिए ।

बी० एच० यू० में एम० ए० में सहशिक्षा शुरू होती थी । हमारी कक्षा में भी कई लड़कियां या महिलाएं थीं । उनमें से चार-पांच दक्षिण भारत की थीं । क्लास में आपस में बातचीत करने की छूट थी । कह चुका हूँ कि मैं स्त्रियों के प्रति स्वभावतः संकोची रहा हूँ । धीरे-धीरे कई लड़कियां और महिलाएं मेरे करीब आयीं । प्रायः मुझसे कुछ पूछती-पाछतीं और मेरे नोट भी ले जातीं । उनके साहचर्य में मुझे अच्छा भी लगता, किन्तु जो भी मेरे संपर्क में आती, मेरे प्रति एक पवित्र बंधु भाव लेकर आती । मेरे मन में सहज झिझक भले ही रही हो उनके मन में मेरे प्रति एक अद्भुत विश्वास दिखाई पड़ता । मेरा इमेज काफी ठीक-ठाक था, इसलिए मेरे साथ बातचीत करने में उन्हें बदनामी का भय नहीं होता था । मेरे साथ के कुछ बांके लोग उनके पीछे पड़े होते, बहुत घुलने-मिलने की कोशिश करते । वे जितनी कोशिश करते, वे उतना ही बिदकती । यानी मेरा संकोच बांकों की मुखरता की अपेक्षा उनको ज्यादा प्रिय था । मैं नहीं जानता कि मेरे प्रति सख्य या बंधु भाव के पीछे उनका रमणीय भाव कितना था । था कि नहीं । किन्तु इतना विश्वास जरूर था कि इनके मन में मेरे लिए प्रिय भाव अवश्य था । एम० ए० के द्वितीय वर्ष में बाहर से प्राइवेट परीक्षा देने वाली लड़कियां आ गयी थीं । उनमें एक बहुत ही बोल्ड और आधुनिक किस्म की थी, एकदम अभावुक और मुखर । ऐसा लगता था जैसे इसका किसी से कोई लगाव ही नहीं है । मुझसे पूछती-पाछती थी, दोस्त की तरह खुलकर बात करती थी । एम० ए० की परीक्षा हो गई थी । परीक्षा होते ही मैं ससुराल चला गया, क्योंकि श्रीमतीजी ससुराल में ही थीं । चार-पांच दिन बाद लौटा तो मेरे एक मित्र ने बताया कि वह लड़की आज घर जा रही है, तुमसे न मिल पाने के कारण बहुत परेशान है । तुम्हें कई बार पूछ चुकी है । कृपया स्टेशन पर चले जाओ । मैं पहुंचा तो स्टेशन पर बैठी थी । मुझे देखते ही भावुक हो उठी । गाड़ी आने का समय हो चुका था । उसने कहा—“तुम भी हमारे घर चलो ।” “आऊंगा जब तुम्हारी शादी होगी ।” घत्त कहके वह लजा गई ।

गाड़ी आयी । वह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई । फिर उसने कहा—“चलो, तुम भी मेरे साथ चलो ।” मैंने भी दुहराया—“जब तुम्हारी शादी होगी तब आऊंगा ।” फिर उसने घत्त कहा ।

“क्यों, शादी नहीं करोगी ?” गाड़ी रेंगने लगी थी । मैं साथ-साथ चलने लगा । उसने कहा—“कर लूंगी, तुम्हारे जैसा कोई लड़का मिल जायेगा तो !”

गाड़ी जोर से झकझकायी और तेज हो गयी । मैं रुक गया । वह देर तक हाथ हिलाती रही । और मुझे विश्वास हो गया कि सादगी में भी जरूर कोई आकर्षण होता होगा और यह भी कि मन की परतें न जाने कितना कुछ छिपाये रहती हैं, कुछ खुलकर भी बन्द रहता है, कुछ बन्द रहकर भी खुलता रहता है ।

लड़कियों के साहचर्य से मैं बहुत धबराता रहा हूँ । ऐसा नहीं है कि यह साहचर्य

मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो लगता है किन्तु अटट देहाती संस्कार का मेरा श्रौंषु स्वभाव इनके साहचर्य से घबराता था। बी० ए० में था तो मेरे मित्र विपिन के एक दोस्त आये। विपिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहां विपिन के दोस्त के साथ एक बहुत सुदर्शना और आधुनिक किस्म की महिला बैठी थीं। विपिन ने मेरा परिचय कराया तो महिला तपाक से बोली—“मैं अमुक हूँ और ही इज माई हसबैंड।” किमी महिला की इस प्रकार की बोलनेस का पहला परिचय था। विपिन ने कहा—“भाभी जी बी० ए० का इम्तहान देने आई हैं, इन्हें हिन्दी में जरा मदद कर दो।” यह तय हुआ कि मैं कल महिला छात्रावास जाऊंगा, वहां गेट पर वे मिलेंगी या मैं रजिस्टर में नाम लिखकर उन्हें बुलवा लूंगा। फिर वे अन्दर ले जायेंगी और किसी नियत स्थान पर पढ़ेंगी।

मैंने हां तो कह दिया किन्तु घबराहट के मारे मुझे रात-भर नींद नहीं आई। प्राचीरों से घिरा हुआ महिला कालेज और छात्रावास मुझे बहुत आतंकित करता था। उसके आतंक-द्वार पर न जाने कितने मिलन-प्रार्थी धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहते, किन्तु मैं तो दूर से ही डर जाता था। आज सुबह से ही मन में हो रहा था, वहां जाना है। नियत समय पर मैं धीरे-धीरे वहां पहुंचा। गेट से कुछ दूर खड़ा होकर देखना रहा कि वे महिला बाहर आयी हैं कि नहीं। दिखाई नहीं पड़ी। गेट पर जाकर उन्हें भीतर से ब्रूनवाने की हिम्मत नहीं पड़ी। न जाने द्वार-रक्षक जी कितने सवालियों के घेरे में मुझे जकड़ेंगे। मैं कुछ देर तक वहां टहलता रहा। टहलना श्री बुरा लग रहा था। कोई यह न समझ ले कि मैं भी किसी का प्रत्याशी हूँ। इसलिए धीरे-धीरे मुड़ा और जल्दी-जल्दी चलकर हॉस्टल आ गया। विपिन ने पूछा तो डांट दिया—“मैं नहीं जाता-वाता उस जेल में।”

लेकिन आखिर इस जेल में एक दिन फंस ही गया। मैं एम० ए० प्रथम वर्ष में था और मेरी पत्नी सरस्वती जी की एक शिक्षिका एम० ए० (हिन्दी) की परीक्षा देने आयी थीं। सरस्वती जी ने लिखा था कि मैं इनकी कुछ सहायता करूँ। वे काफी वयस्का थीं, अपनी मां के साथ आयी थीं। कभी अपनी मां के साथ मेरे कमरे में पढ़ने आ जातीं, कभी अपने डेरे पर मुझे बुला लेतीं। वे ठेठ मध्यवर्गीय रूढ़ मानसिकता की महिला थीं। पति-परित्यक्ता थीं इसलिए उनकी मानसिकता और भी असहज हो उठी थी। रूढ़ धार्मिकता के जाल में बुरी तरह उलझी थीं। पता नहीं यह जाल पति-परित्यक्ता होने का कारण था या परिणाम। वे घनानंद पढ़ती थीं तो मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। वे पढ़ते-पढ़ते कहती थीं—“हाय रे, बेचारे को कितना कष्ट उठाना पड़ा था।” मैं पढ़ाना रोक देता। फिर पढ़ाता और फिर उनका यही रिमार्क सुनता। मुझे लगता है कि वे घनानंद की वेदना से अपनी वेदना का तादात्म्य कर लेती थीं। एक दिन वे बोलीं कि मुझे महिला छात्रावास में रहना है। आज प्रिंसिपल ने (या वार्डन ने) बुलाया है बात-चीत करने के लिए। हम लोग डेरे पर से महिला कालेज की ओर चले। गेट पर आकर मैं बिछड़ने लगा तो वे बोलीं—“आप भी अन्दर चलिए न।” “ना बाबा ना, मैं अंदर क्या करने जाऊँ? मुझे तो बाहर से ही बहुत डर लगता है।” वे हंसकर बोलीं—“अरे

मैं हूँ न, इसमें डरने की कौन-सी बात है ?” मन मारकर मैं उनके साथ पहली बार इस महाकारागार में प्रविष्ट हुआ। उनके साथ होने के बावजूद भीतर से घबराया हुआ।

हम अंदर की ओर चलते गये। ज्ञात हुआ कि छात्रावास पीछे की ओर है। काफी फासला पार कर हम छात्रावास तक पहुंचे। उन्होंने गेट पर पहुंचकर कहा— “आप यहीं खड़े रहिए, मैं वार्डन से बातचीत करके अभी आती हूँ।” वे मुझे छोड़कर अंदर चली गयीं। बसंत की शाम थी। अधकार गहरा रहा था। चारों ओर पार्क में फूल खिले हुए थे। सुगंध की खुमारी-भरी बसंती हवा सांभों से टकरा रही थी, लेकिन महिला छात्रावास में उमड़े हुए बसंत के बीच मैं डरा-डरा-सा खड़ा था। श्रीमती शिक्षिका जी अंदर गयीं तो गयीं ही रह गयीं और मैं इस झुटपुटे में अकेला खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं? कोई मुझे इस तरह खड़ा देखे तो क्या कहेगा? इच्छा होती थी कि वापस लौट चलूं, लेकिन गेट तक पहुंचते-पहुंचते मैं बीच में ही पकड़ लिया जाऊंगा। इलजाम लगेगा कि मैं कोई गुंडा एलिमेंट हूँ, अन्दर घुसकर कुछ अनर्थ करना चाहता था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन-ही-मन शिक्षिका जी पर क्रुद्ध हो रहा था— “अहमक औरत।” तब तक सुना कि अंदर से हमी का कोलाहल बाहर की ओर आ रहा है। मैं घबराया कि अब मेरी गन बनी। दस-बारह लड़कियां हंसती हुई ज्योंही गेट पर आईं मुझे देखकर चिल्ला उठीं— “भूत भून भूत” और भीतर की ओर भागीं। मेरी क्या हानत हुई होगी, कल्पना कर सकते हैं। मैंने अपने कपड़ों की ओर गौर किया। अरे, यह काली पैंट और शर्ट मुझे आज ही पहननी थी! कुछ देर बाद देखा कि दस-पंद्रह लड़कियां टार्च और लालटेन लिए बाहर निकलीं और जहां मैं खड़ा था उधर इशारा करके बोलीं— “वह देखिए।” तब तक श्रीमती शिक्षिका जी झपटी हुई अन्दर से आईं और बोलीं— “अरे, ये तो मेरे साथ हैं।” लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं, उनका डर विनोद में बदल गया और मेरे चलते-चलते एक ने कहा— “देखना, यह समाचार कल पेपर में जरूर आ जायेगा।” मैं मारे गुस्से के चुप था। शिक्षिका जी ने जब कुछ पूछा तो मैं गुस्से में उबल पड़ा— “यह कौन-सा करतब किया आपने कि इस सुनमान में लाकर खड़ा कर दिया और स्वयं अंदर जाकर गुम हो गईं? यह भी खयाल नहीं आया कि इम खतरनाक माहौल में बाहर किसी को खड़ा कर आई हैं?” वे सफाई देन लगीं कि बातचीत में देर हो गई। मैं मन-ही-मन क्रोध से सोचने लगा कि यह मूर्ख और पति-परित्यक्ता होने ही लायक है, तब तक वे बोलीं— “कोई बात नहीं, आप कवि हैं, आपको किसी अनुभव से डरना नहीं चाहिए। यह भी आपके लिए अमूल्य अनुभव रहेगा।” उनकी इस बात ने मुझे भीतर से एकदम हनका कर दिया। तो यह महिला भीतर से कहीं विनोदी भी हैं।

मेरी क्लास में एक थे बिदेश्वरीप्रसाद साहू। बांके यार थे। अच्छे खाते-पीते घर के मालूम पड़ते थे। चाल-ढाल-मुद्रा से वे परम रसिक लगते थे। प्रथम वर्ष में भेरा उनसे

कोई लगाव नहीं बन पाया था। जब मैं एम० ए० अंतिम वर्ष में बिड़ला छात्रावास में दाखला लेने आया तो यह जानकर हैरान हुआ कि बिन्देश्वरीप्रसाद साहू मेरा कमरा बुक करा चुके थे। यानी आगे के कमरे में वे स्वयं और पीछे के काउंटर कमरे में मैं। मेरे आते ही मुझसे मिले जैसे मेरे इंजार में ही थे, और इस व्यवस्था की सूचना दी। मेरा मुंह उतर गया बल्कि तीता हो गया। साहू समझ गये। बोले—“यार, तुम डरते हो न कि मैं अच्छा आदमी नहीं हू ठीक है। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, किन्तु अच्छा दोस्त तो हो ही सकता हूँ। पता नहीं शुरू से ही मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक अबोला लगाव क्यों रहा है? पिछले साल हम दूर-दूर ही रहे किन्तु मेरी इच्छा थी कि काश, मैं तुम्हारे संपर्क में आता। इसी भाव ने तुमसे पूछे बिना ही मुझसे यह काम करा दिया। मेरी सोहबत से डरते हो तो ठीक है, दूसरा कोई कमरा देख लो।”

साहू की इस आत्म-स्वीकृति ने मेरे भीतर उसके प्रति एक दूसरे भाव का संचार कर दिया और साथ ही मैंने चुनौती महसूस की। मैं ठीक रहूँगा तो क्या कर लेगा यह मेरा? मैं तो न जाने कितनी विपरीत स्थितियों में जीता रहा हूँ और अपनी अस्मिता बनाये रहा हूँ। सच बात तो यह है कि अनेक बिगड़ल चालचलन वाले भी मेरे प्रति एक भद्र भाव रखते हैं। मेरा विल पावर कमजोर नहीं है तो मैं किसी से क्यों डरूँ?

“क्या सोचा?” साहू ने पूछा।

“ठीक है, तुम्हारा निर्णय मेरे सिर-माथे।”

“मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा।” साहू ने बहुत दृढ़ता से कहा।

और वास्तव में पछताना नहीं पड़ा। साहू मेरे सुख-दुःख के साथी हो गए। वे रसिया थे। घुंघराले बड़े-बड़े बाल, फंसी घोती और कुर्ता, बड़ी-बड़ी आंखों में लाल-नाल डोरे। लड़कियों को देखते ही बहुत आर्द्र हो जाते थे। उनके पास एक रैले साइकिल थी। वह घूमती ही रहती थी। लड़कियों के वे बिना दाम के सेवक थे। उनके लिए किताबें और नोट मुहैया करने में उन्हें सुख मिलता था। किन्तु इस रसिकता के साथ-साथ वे बहुत अच्छे इंसान थे। उदारदिल, दोस्तों के सुख-दुःख में काम आने वाले, मनुष्य की पीड़ा से विचलित होने वाले। इसलिए वे अपनी भ्रमरवृत्ति के बावजूद, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। वे अपना ही नुकसान करते थे, दूसरों का नहीं। उनका सदाशयी रूप उन्हें मुझसे लगातार जोड़ता गया। वे अपनी साइकिल पर बैठकर हमें शहर ले जाते थे। मेरे साथ साहित्यिक सभाओं में भी जाने लगे थे। मेरी सुविधा-असुविधा का ख्याल करते थे। उन्हें इस बात का बोध था कि मुझे प्रथम श्रेणी लानी है और उनका अपना क्या? परीक्षा देंगे, देंगे, नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने मेरे खाने-पीने-नाश्ते-दूध आदि का हिसाब अपने पास रख लिया था और मुझे हिसाब-किताब से छुट्टी देकर केवल पढ़ने में लगा रखा था। जब कोई मुझसे मिलने आता तो साहू कह देते, अभी उनके पढ़ने का समय है, बाद में आइएगा। यानी वे मेरे अभिभावक बन गये थे। मैं उनके साथ घूमने जाया करता था, किन्तु कभी-कभी वे अकेले जाया करते थे। जब मैं भी चलने का आग्रह करता तो कहते—“नहीं, यहां मैं अकेला ही जाऊँगा।” मैं अपने लिए उनके इस

विवेक भाव के प्रति कृतज्ञता अनुभव करने लगता। यह व्यक्ति अपनी रसिकता की कमजोरियों से विवश है, किन्तु अपने एक दोस्त को उससे दूर रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि दोस्त का अच्छा इमेज कहीं कलंकित हो।

साहू में एक अद्भुत खुलापन था। क्लास की बहुत-सी लड़कियां प्राइवेट इन्सट्रान देने के लिए इस वर्ष आयी थीं। शहर में 'दीन विद्यालय' चलता था। वहां शाम को एम० ए० की पढ़ाई होती थी। ये लड़कियां वहां जाती थीं और आठ-नी बजे वे महिला छात्रावास लौटती थीं। साहू भी जाते थे। पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उनका साथ देने के लिए। उनके रिक्शे के पीछे अपनी साइकिल डाल देते थे और उनकी रखवाली करते आते थे। किसे किस पुस्तक की, किस नोट की आवश्यकता है, इसका खयाल रखते थे। इस प्रक्रिया में वे इस या उस लड़की के समीप होने की चेष्टा करते रहते थे और आकर मुझसे कहते थे—“यार, वह तो मुझे घास ही नहीं डालती। वह तो बार-बार तुम्हारी ही बात करती है। कहती है, वे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। हुंह, समुरा मिर खपाता फिरूं मैं और प्यारे हो गये तुम।” लेकिन साहू यह बात बहुत प्यार से कहते थे। इसमें ईर्ष्या नहीं, मेरे प्रति उनका प्यार झलकता था। मैं हंसकर रह जाता।

कुल मिलाकर साहू मेरे बहुत प्यारे दोस्त बने। उनके साथ अनेक स्मृतियां जुड़ी हैं। आखिर उन्होंने एम० ए० की परीक्षा नहीं दी और नहीं दी तो नहीं ही दी। हा 'ला' किया, वह भी कई वर्षों में। लेकिन परीक्षा के पीछे वे कभी हलकान नहीं हुए। अपनी मस्ती बरकरार रखी और पास हुए तो उसी मस्ती से पास हुए, मस्ती छोड़कर पास होना उन्हें मजूर नहीं था। लगता है आखिर परीक्षा को ही हार माननी पड़ी।

एम० ए० द्वितीय वर्ष में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुष्ट ग्रह उदित हुआ था। वह ग्रह यदि सफल हो गया होता तो मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई होती। वह भारतीय गणतंत्र का पहला चुनाव था। भइया से तमाम लोगों ने आग्रह किया कि एम० एल० ए० के चुनाव में मुझे उम्मीदवार बनायें। उन्होंने मुझसे कहा। मैं तो यह प्रस्ताव मुनते ही घबरा गया। व्यावहारिक राजनीति में मैं शून्य था। उसके प्रति मुझे कोई लगाव नहीं था। फिर एम० ए० का अंतिम वर्ष था। मुझे अच्छी श्रेणी में पास होना था। पास होने के बाद साहित्य और शिक्षा-जगत् में कुछ करने के सपने पाले हुए था। ये सारी बातें मैंने बतायीं किन्तु सबका समाधान कर दिया गया। भइयाने कहा—“तुम्हें अपना समय नहीं लगाना पड़ेगा, चुनाव-प्रचार मैं करूंगा और जहां तक बात साहित्य और शिक्षा-जगत् में कुछ करने की है वह एम० एल० ए० होने से कहां आहत हो रही है।” उन्होंने कई प्रसिद्ध साहित्यकारों और अध्यापकों के नाम गिना दिए जो व्यावहारिक राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने बार-बार कहा—“अपने जर-जवार के लोग तुम्हें चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई युवा व्यक्ति आये जो उनका दुःख-दरद ऊपर तक पहुंचा सके।” मैं भीतर से सहमत नहीं हुआ। मैं जानता था कि राजनीति का खेल मुझसे नहीं हो सकेगा, फिर भी मन मारकर स्वीकृति दे दी।

वैसे तो भइया प्रचार करेंगे ही, लेकिन एक बार तो जनता के दर्शन कर लेना

जरूरी होगा। अतः तय हुआ कि दिवाली की महीने-भर की छुट्टियों में मैं चुनाव-क्षेत्र में घूमूंगा। मैं छुट्टियों में घर पहुंचा और पहला भाषण अपने गांव में ही दिया और गांव मेरे साथ हो गया। मेरे पास राजनीति की भाषा नहीं थी, साहित्य की भाषा थी। उसी भाषा में कुछ राजनीतिक ज्ञान का संस्पर्श देकर भाषण करने लगा। गांव-गांव घूमने लगा। पहले आसपास के गांवों में घूमा और लगा कि लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं। एक तो लोग युवा व्यक्ति को चाहते थे जो मैं था, दूसरे कविता और साहित्यिक पुट वाले भाषण से प्रभावित हो रहे थे। मैं आसपास के गांवों के पढ़े-लिखों के बीच कवि के रूप में जान लिया गया था। वहा जब मैं जाता और बोलता तो पढ़े-लिखे लोग अपनी सांस्कृतिक ऊंचाई व्यक्त करने के लिए मेरी कविताओं और भाषण की सराहना करते थे, किन्तु मैं स्वयं अपने भाषण के खोखलेपन को समझता था। मेरे साथ मेरे गांव के और आसपास के गांवों के कई लोग होते थे जिनमें मदनेश जी का नाम विशेष महत्व का है। वे मेरे काव्य-गुरु रहे हैं और उन्हें मेरी उन्नति से निर्व्याज सुख मिलता था। हमारे पास कोई सवारी तो थी नहीं, बस पैदल घूमते थे। कभी उसी दिन, कभी दूसरे-तीसरे दिन शाम को घर लौटते थे। शरद की चादनी रात होती थी। आमपास के नालों में अपना अवशेष छोड़कर बाढ़ लौट गई थी और उनके किनारे कास के सफेद जगल फूले हुए चांदनी में नहा रहे होते थे। आसपास गन्ने के खेतों का विस्तार था। मैं वहा से होकर लौटता था तो मेरा कवि-मन राजनीतिक यात्रा की सारी थकान भूलकर ताजा हो उठता था। चुप-चुप उनसे कहता था—दोस्तो, देख रहे हो न, लोग मुझे कहां लिए जा रहे हैं, मैं जहां कहीं रहूं, मेरा साथ न छोडना।

मेरा चुनाव-क्षेत्र काफी बड़ा था। महीना-भर हम पैदल गांव-गांव घूमते रहे। हमारे साथ कभी कोई होता, कभी कोई। जिस क्षेत्र में जिसका प्रभाव होता उसे हम साथ ले लेते। दोपहर और शाम को गांव के किसी व्यक्ति के यहां डेरा जमता, खाना बनता, भाषण होता, कुछ योजनाएं बनती, वहां के लोगों से आश्वासन प्राप्त होता, हम आगे बढ़ते। हमारे साथ बरही के एक बाबू साहब, प्रभाकर सिंह, भी थे जो भइया के दोस्त थे। वे हमारे साथ थे। इतना ही नहीं, वे हमारे लिए जीवंत उत्साह थे। वे काली के पुजारी भी थे। उनके एक पट्टीदार भी उम्मीदवार थे, किन्तु बाबू साहब हमारे साथ थे। कहते थे—“तनी हेहर देखी, अरे ई मोहन जनखा आदमी क्या जीतेगा! अरे कवी जी प्रतापी आदमी है। भगवती मुझसे कह रही है कि कवी जी जीतेंगे और वोट गजो से ठूस-ठूसकर भरा जायगा।” उनकी बातों से हमारा खूब मनोरंजन होता था और हम अपनी थकान भूल जाते थे। इस तरह हम पूरे चुनाव-क्षेत्र का दौरा कर आये और हमारी गाठ से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। पैसा खर्च न करना हमारी मजबूरी थी, किन्तु इसका नैतिक पहलू भी है। वह पहलू लोगों को प्रभावित कर रहा था। नैतिक पहलू यह कि उम्मीदवार पैदल चलकर अपने मतदाताओं के पास आया। जो लोग चुनाव जीतने के लिए बेतहाशा खर्च-वर्च करते हैं वे अपने गुणों से नहीं, पैसे से मत बटोरते हैं और ऐसे ही लोग जीतने के बाद अपना सारा खर्च कई गुना सूद के साथ अनता से वसूल करते हैं। चुनाव के क्षेत्र में इतनी गलाजत और क्रूरता इन्हीं लोगों ने

पैदा की है। मुझे इस बात का बड़ा सुख था कि मैं पूरी तहसील के गांव-गांव का दौरा कर आया और अनेक तरह के लोगों का साक्षात्कार किया।

मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा था। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और कई लोग थे जिनमें गोरखपुर के एक वकील साहब भी थे। कांग्रेस के उम्मीदवार बाबू अक्षयवर सिंह थे। वे पहले भी इस क्षेत्र से एम० एल० ए० थे। जनसंघ के उम्मीदवार ब्रह्मपुर के दूबे कपिलदेव वकील थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी भी उम्मीदवार थे। बाद में हट गये थे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार का नाम याद नहीं आ रहा। राजनीति की दुनिया का पहला अनुभव था और पहला अनुभव यह हुआ कि इसमें कोई किसी का नहीं होता, सब कुछ अपना या अपने दल का स्वार्थ होता है। मेरे सबसे कट्टर विरोधी हुए मेरे प्रिय मित्र कपिलदेव। हमारी इतनी लम्बी दोस्ती राजनीति के क्षेत्र में आकर टकरा गयी। मैं तो साहित्य की ओर बढ़ता गया और वे राजनीति की ओर। वे समाजवादी दल के सदस्य थे और काफी दिनों से थे। उनके दल का भी व्यक्ति उठा था इसलिए उन्हें मित्र और दल के सदस्य के बीच चुनाव करना था। उन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह दल का चुनाव किया जो ठीक ही था। अपनी सारी भावुकता के बावजूद मैं उनकी भूमिका के औचित्य को भीतर-भीतर ममज्ञ रहा था, किन्तु जिस तरह वे मेरा विरोध कर रहे थे और मुझमें एक कटाव अनुभव कर रहे थे, वह मुझे नागवार गुजर रहा था। नही मालूम उनके विरोध के मूल में दल-ममर्थन कितना था और कितना मात्र विरोध-भाव। हा, उनके विरोध में विरोध-भाव भी हो सकता था। वे सोच सकते थे कि वे राजनीति के व्यक्ति होकर भी राजनीति का लाभ नहीं पा रहे हैं और मैं साहित्य का आदमी होकर राजनीति का लाभ उठाने आ रहा हूँ। जो भी हो, उनके विरोध में कुछ ऐसा अवश्य था जिसे शुद्ध सैद्धांतिक विरोध नहीं कह सकते। बहरहाल राजनीति की दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही सम्बन्धों पर उनके आघात को देख रहा था।

गोरखपुर के वकील साहब भी निर्दलीय थे। वे बहुत शौकीन तबीयत के थे। उन्होंने अनेक शौक पाल रखे थे, सोचा कि एक और शौक पाल लें। वे जहाँ कहीं प्रचार को जाने थे मेरा ही नाम सुनते थे, इसलिए उन्हें महसूस हुआ कि उनका असली प्रतिद्वन्दी मैं ही हूँ। हालांकि उन्हें कोई भी अपना प्रतिद्वन्दी नहीं मानता था, उनकी कोई बिसात ही नहीं थी। वैसे वे पैसे वाले थे और कई स्थानीय संस्थाओं में प्रभावशाली सदस्य या पदाधिकारी थे, किन्तु देहाती जनता के बीच इस शहरो बाबू का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर भी उन्हें भ्रम था कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊँ तो वे जीतेंगे। अंततः उन्होंने मुझे अपने रास्ते में से हटा देने में सफलता पा ली, किन्तु उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी जमानत जब्त हो गई।

हुआ यह कि मेरा परचा दाखिल कराया मेरे चचेरे भाई प्रतिष्ठित बैरिस्टर श्री कैलाशपति मिश्र ने। उन्होंने वह परचा एक दूसरे साथी वकील को दिखा दिया। उस वकील ने ओ० के० कर दिया। रिटनिंग आफिसर (एक मजिस्ट्रेट) के इजलास में परचे की जांच-पड़ताल का दिन आ गया। हम जुटे तो मेरे प्रतिस्पर्धी वकील साहब ने

मेरे परचे को सदोष बताया। तब हमें मालूम हुआ कि ओ० के० कहने वाला वकील हरामी था, उसने गलती देख ली थी और चुपके से इन्हें बता दिया था। बात इतनी थी कि मैंने अपने भाई साहब को अपना चुनाव प्रतिनिधि बनाया था, उसके नीचे हस्ताक्षर नहीं किया था। यह दोष जब एकाएक सामने आया तो क्षण-भर के लिए कैलाशपति भाई भी अप्रकृतिस्थ हो उठे, किन्तु फिर वे बहस करते हुए यह सिद्ध करने में जुट गए कि यह गलती नहीं है और अततो गत्वा उन प्रतिस्पर्धी वकील साहब के विरोध के बावजूद दो दिन बाद की तारीख डलवाने में सफल हो गये।

कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षयवर सिंह, जनसंघ के उम्मीदवार वकील कपिलदेव दूबे का व्यवहार मेरे प्रति बहुत शिष्ट था। उसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की कोई गंध नहीं थी। दो दिन का मौका मिला था। कैलाशपति भाई के सहयोग से हम शहर के दो नामी वकीलों—श्री सुखदेव सिंह और श्री सान्याल की सहायता पाने में सफल हो गये। इन लोगों ने केवल एक युवा व्यक्ति का केस मानकर इममें बहस करना स्वीकार किया, इसके लिए उन्होंने एक पैसा भी फीस नहीं ली और न ही तो अपने पैसे से रिक्शे पर आये-गये। बहस के दिन दोनों वकील आये और एक मजमा लग गया। श्री सुखदेव सिंह ने बहुत सहज भाव से मजिस्ट्रेट को समझा दिया कि परचे में कोई गलती नहीं है। प्रतिस्पर्धी वकील साहब की बोलती बन्द हो गयी थी और मजिस्ट्रेट के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह सुखदेव सिंह के तर्क से सहमत हो गया है।

वे बहस करके चले गये तो उम्मीदवार वकील साहब न कोर्ट में एक दूसरा पासा फेंका। वह यह कि मेरी उम्र अपेक्षित उम्र से कम है। और उन्होंने न जाने कहा से मेरे मिडिल स्कूल का एक जाली सर्टिफिकेट बनवा लिया। मैंने अपना मेट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाया। मजिस्ट्रेट ने मेरा सर्टिफिकेट गौर से देखा और उन वकील साहब से कहा—“नो नो मिस्टर, आपकी सर्टिफिकेट सही नहीं है।” मैंने तैश में आकर कहा—“देखिये सर, ये फ्राड कर रहे हैं।” वकील साहब ने तुरन्त मजिस्ट्रेट से शिकायत की—“देखिये सर, ये मुझे फ्राड कह रहे हैं।” मजिस्ट्रेट ने मुझे धूरकर देखा। तब तक वकील कपिलदेव दूबे मेरी बाह पकड़कर खींच ले गये—“चलिए मिसिर जी, बाहर चला जाय।” बाहर आकर कहा—“कचहरी में इस तरह नहीं कहा जाता।” और मैं आज तक नहीं समझ सका कि कचहरी में फ्राड को फ्राड क्यों नहीं कहना चाहिए। मजिस्ट्रेट स्वयं भी अनुभव कर रहा है कि मेरे खिलाफ फ्राड रचा जा रहा है और उसने उस फ्राड के विरुद्ध अपना निर्णय दिया। तब भी फ्राड को फ्राड कहने में कौन-सा नैतिक या कानूनी दायित्व बाधक हो रहा है! यह अजीब है न कि कचहरी में दिन-रात फ्राड होता है, किन्तु उसे फ्राड कहना गैरकानूनी है।

खैर, पीछे से भइया, कैलाशपति भाई और अन्य लोग आये और बताया कि लंच के बाद फौसला सुनाया जाएगा। देखा गया कि प्रत्याशी वकील मजिस्ट्रेट के साथ-साथ जा रहे थे। आशंका हुई कि कहीं वकील उन्हें समझा-बुझा न रहा हो। किसी ने बताया, संभव हो सकता है क्योंकि दोनों हमप्याला है। कैलाशपति भाई ने प्रतिवाद किया—“नहीं, ऐसा नहीं होता है,” किन्तु हुआ वैसा ही। लंच के बाद हम मजिस्ट्रेट

के सामने गये तो वे बोले—“सौरी मिस्टर मिश्रा, आपका परचा खारिज करना पड़ रहा है।” फिर वे मेरे प्रति व्यक्तिगत हो आये, बोले—“अरे, अभी आपके पढ़ने का समय है, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, कहां इस झमेले में पड़ गये।”

वैसे उनकी बात सही थी और भीतर से मैं भी इसे झमेला ही समझता था, किन्तु जब इस झमेले में किमी वजह से उतर ही गया था तो उससे एक हलका-सा लगाव भी हो गया था। इसलिए परचा खारिज होने की सूचना से मैं एकाएक उदास हो आया और उनकी मीख पर क्रुद्ध भी। बोला—“धन्यवाद महाशय, इस नेक सलाह के लिए, किन्तु मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है।” मैंने मजिस्ट्रेट की ओर गुस्से से देखा और बाहर आ गया।

मैं तो लौटकर अपनी पढ़ाई-लिखाई में जुट गया किन्तु भइया चैन से नहीं बैठे। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दिया। कुछ खास हुआ-बुआ नहीं किन्तु मजिस्ट्रेट और उनके आफिम के लोग परेशान तो हुए ही। उनके लोग हाईकोर्ट तक दौड़े। हाईकोर्ट में भी भइया ने खर्च नहीं किया, वहां पंडित रामवृक्ष मिश्र मुफ्त में यह केस लड़े। मुना कि मजिस्ट्रेट चुनाव-क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया में धोड़े से गिर पड़े और उनकी एक टांग टूट गई और यह भी सुना कि वे कह रहे थे कि जहां जा रहा हूं उस लड़के के पक्ष में लोगों को देख रहा हूं। लगता है उसका परचा खारिज करके मैंने गलती की। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षयवर सिंह जीते। भइया ने उनकी सहायता की। बाकी सभी लोगों की जमानत जब्त हो गई। और मैं एम० एल० ए० होते-होते रह गया और मेरा भाग्य राजनीति की कुचक्री दुनिया में फंसते-फंसते रह गया। वहां गया होता तो न माया मिलती न राम। साहित्य की दुनिया में राजनीति का कुचक्र कम तो नहीं, चाहे प्रतिष्ठा और पुरस्कार पाना हो, चाहे आलोचकों के मूल्यांकन से गुजरकर स्थापित होना हो। राजनीति की माया यहां भी दिखाई पड़ रही है और यदि साहित्य की राजनीति मेरी समझ में नहीं आयी तो राजनीति की राजनीति मेरी समझ में कहां आती? और तब मैं न साहित्यकार रह पाता और न राजनीतिक। फिलहाल साहित्यकार तो हूं और पूरे मन से हूं। साहित्य की राजनीति किसी को तात्कालिक लाभ भले दे दे, किन्तु साहित्य को स्थायी होने के लिए अन्ततोगत्वा साहित्य ही होना चाहिए। किसी का स्थायी साहित्य होता है कि नहीं, इसका फैसला वह तो नहीं कर सकता, किन्तु इतना तो वह जानता ही है कि साहित्य-कर्म से उसका जुड़ाव कितना आन्तरिक या कि कितना फैंशनपरस्त है। यदि उसका जुड़ाव आन्तरिक है, यदि साहित्य-कर्म उसकी वरीयता है, यदि वह जानता है कि साहित्य-कर्म के बिना उसका जीवन अधूरा या असाध्यक है तो वह अपनी शक्ति-भर साहित्य को स्थायी साहित्य बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। और मैं आज अपने निर्णय के प्रति नहीं, उस मजिस्ट्रेट के निर्णय के प्रति कृतज्ञ हूं कि उसने मुझे साहित्यकार रहने दिया।

एम० ए० की परीक्षा हुई। मेहनत करते-करते लस्तपस्त हो गया था। पंडित जी प्रायः शाम को टहलते हुए मिल जाते थे। मैं एक दिन बहुत दुःखी था। मध्यकालीन कविता का पेपर किया था। सूरदास पर एक प्रश्न था। मैंने बहुत इतमीनान से सवाल

करना शुरू किया। चार पृष्ठ लिखने के बाद मैंने प्रश्न फिर देखा और यह देखकर घबरा गया कि प्रश्न भ्रमरगीत पर आधारित है और मैं पूरा सूरसागर लेकर चल रहा हूँ। आघा घंटा व्यतीत हो चुका था। मैंने चार पृष्ठ काटे और जल्दी-जल्दी लिखने लगा। प्रश्न तो सारे कर लिए किन्तु मन को सन्तोष नहीं हुआ। पंडित जी मिले तो उन्हें बताया। वे हँसे और बोले—‘तब तुमने फालतू नहीं, टूट प्वाइंट लिखा होगा।’ मैं समझा कि मुझे दिलासा दे रहे हैं। और परीक्षाफल निकलने पर मुझे यह देखकर हैरत हुई कि सचमुच उस पेपर में मुझे सबसे अधिक अंक मिले थे।

पंडित जी के ही निर्देशन में एम० ए० का लघु शोध-प्रबन्ध लिख रहा था। उन्होंने विषय दिया था—‘ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्दावनलाल बर्मा’। शाम को टहलते समय वे प्रायः इस विषय पर बातें करते थे और सहज बातचीत में ही एक-एक अमूल्य सूत्र प्रदान करते थे। मैं उन सूत्रों का मूल्यवान उपयोग नहीं कर सका तो यह मेरी सीमा थी।

एम० ए० की परीक्षा के बाद लघु शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर मैं गोरखपुर चला गया। कभी गांव जाता, कभी गोरखपुर आ जाता। यों तो गोरखपुर में मेरी समुराल थी, किन्तु मेरा अधिक समय बीतता विद्याधर द्विवेदी विज्ञ के यहां। बल्कि मैं समुराल की अपेक्षा वहाँ ज्यादा ठहरता। मेरी पत्नी भी मेरे साथ होतीं। विद्याधर से ढरसी में मेरी गहरी मैत्री हो चुकी थी। वह निरन्तर बढ़ती ही गई। वे धीरे-धीरे कवि बनते गये और बहुत अच्छी कविताएं लिखने लगे। बहरहाल इनमें आप मेरे बाद में अनेक आत्मीय प्रसंगों में मिलेंगे इसलिए यहां केवल इतना ही कहना है कि मैं उनके यहां ठहरा हुआ था। परिणाम आया। मैंने देखा—प्रथम श्रेणी में प्रथम। मैंने खुशी से पुकारा, “विज्ञ जी !” “हां,” वे दौड़े हुए आये। “मैं प्रथम श्रेणी में प्रथम आया।” लगा जैसे वे स्वयं आये हों। सचमुच मेरी खुशी और गम उनकी खुशी और गम से एक हो गये थे। वे खुशी से नाचने लगे। उन्होंने मिठाइयां बांटीं। घर आया। भइया ने सुना, परिवार के अन्य लोगों ने सुना। भइया को लगा कि उनकी साधना पूरी हो गई। पत्नी की आंखें उत्साह और गर्व से छलक रही थीं।

जब खुशी का दौर थमा तो सोचा—‘अब?’ भइया की नौकरी ठंडी हो चुकी थी तो भी उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर मुझे एम० ए० की मंजिल तक पहुंचा दिया। मैं एम० ए० करने के बाद अपना नैतिक दायित्व समझने लगा कि अब मैं घर की सहायता करूँ। भइया नौकरी की पराधीनता से ऊब चुके थे। वे सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय गतिविधियों में अपने को नियोजित करना चाहते थे। इस इच्छा को वे कब से दबाए चले आ रहे थे—घर के कारण और विशेषतया मेरे कारण। कोई काम न होने के बावजूद बच्चा बाबू उन्हें नौकरी में उलझाए हुए थे और भइया का कर्मठ स्वभाव इस स्थिति के विरुद्ध बार-बार विद्रोह कर रहा था। अतः वे एक दिन पगहा तुड़ाकर वहां में चले ही आये और बच्चा बाबू की नाराजगी मोल ले ली। ऐसी स्थिति में मेरा दायित्व बढ़ गया था। उन्होंने दायित्व की मशाल मुझे थमायी तो नहीं, किन्तु मैं अनुभव करने लगा कि मुझे उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

इसी मानसिकता में मैं खड़ा था। पीछे मुड़कर देख रहा था—रोशनी की अनंत पगडंडियां थीं जो टूट-टूटकर भी मुझे एक-दूसरे से जोड़ती चली गई थीं और अंततः-गत्वा इस मंजिल पर पहुंचा दिया और मैं फिर आगे की ओर देख रहा था—दायित्व से भरा हुआ एक भविष्य जो कभी कोई रूप लेता था, कभी एकदम निराकार हो जाता था।

टूटते-बनते दिन

एम० ए० करने के बाद पी-एच० डी० तो करना ही था। प्राध्यापकी का लक्ष्य तो निश्चित था ही इसलिए जुलाई शुरू होते ही बनारस पहुंचना था किन्तु एम० ए० पास करने के बाद परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। भइया अब नौकरी में नहीं थे इसलिए मुझे लगता था कि मुझे अब अर्जन करना चाहिए। 'अर्जन करना चाहिए' इच्छा होना ही तो पर्याप्त नहीं था, उसे व्यवहार में उतारना तब सम्भव कहाँ था ? फिर भी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी तो मुझे भी उठानी ही थी। यानी उन्हें अपने साथ ले चलना था। वे मेट्रिक पास हो गयी थी। इंटरमीडिएट में उनका दाखिला भी कराना था। किन्तु किस आधार पर ले चलू ? अभी आर्थिक आधार क्या है ? यही सब सोचता हुआ परेशान था लेकिन यह तो निश्चित कर ही लिया था कि पत्नी को साथ ले जाऊंगा।

बिना किसी व्यवस्था के पत्नी को साथ ले जाना तो संभव नहीं था अतः पहले पी-एच० डी० में दाखिला लेने के लिए अकेला ही बनारस पहुंचा। पी-एच० डी० का फार्म भरा। गुरुवर द्विवेदी जी के निर्देशन में ही मुझे काम करना था। उन्होंने विषय दिया—'हिन्दी साहित्य की दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक की सामग्रियों का पुनः परीक्षण'। भारी-भरकम विषय था किन्तु विश्वास था कि गुरुदेव की कृपा से विषय निभ ही जाएगा। उनसे घरेलू बात भी की। उन्होंने आश्चर्य किया कि स्कालरशिप तो मिल ही जाएगी। इस आश्चर्य से मैंने निश्चित कर लिया कि दो-चार दिन में गोरखपुर जाकर पत्नी को लाऊंगा। समस्या मकान की थी। अतः मैंने मकान की तलाश की। मुझे याद नहीं, किस स्रोत से पता लगाकर मैं भक्ति-भवन, सिगरा पहुंच गया। एक बड़ा-सा मकान था, उसका बहुत बड़ा अहाता था। मुख्य मकान से सटे हुए बैरकनुमा सात-आठ कमरे बने हुए थे। वे किराये पर उठाये जाते थे। कमरों के पीछे नीबुओं का विशाल बगीचा था। अहाते में कुछ पेड़ थे और आगे एक बड़ा-सा पोखरा था। यानी कुल मिलाकर यह एक निचाट स्थान था। और तो और, मुख्य सड़क से इस मकान तक आने की जो फलांग-भर लम्बी सड़क थी, उसके अगल-बगल कोई मकान नहीं था। मकान के मुख्य भाग में उसके बड़े मालिक और मालकिन थे और उसके नीचे के भाग में एक परिवार किराये पर रहता था। बाद में मालूम पड़ा कि वे मित्तल साहब थे।

मकान लेने गया तो मकान मालिक के साथ मित्तल साहब भी मिले और मित्तल साहब ज्यादा मुखर थे। बल्कि, मकान मालिक की ओर से किराये आदि की

बातचीत भी उन्होंने ही की। बहरहाल उस बैरक में दो कमरे बीस रुपये में तय हुए। मन में भय तो था कि इस सुनसान निचाट जगह में कैसे रहा जा सकता है किन्तु बीस रुपये में दो कमरे और कहां मिलेंगे और जिसे सुनसान और निचाट समझ रहा हूं वहां खुलापन भी तो है। सघन बने हुए बनारस शहर में इतना खुला अहाता, ये पेड़-पौधे, यह खुली हवा कहां नसीब है? इस तर्क ने मकान पाने के उत्साह को दुगुना कर दिया। गोरखपुर जाकर पत्नी को ले आया।

सुबह-सुबह पत्नी को लेकर सरोपामान के साथ भक्ति-भवन पहुंचा तो मकान मालिक चाचा जी अहाते में टहल रहे थे। उन्होंने हमें देखकर पूछा—“कौन है आप लोग, कैसे आये है?”

“हम आपके किरायेदार है। यहां रहने आये है।”

“यहां कोई कमरा-बमरा खाली नहीं है।”

“अरे, अभी तो चार दिन पहले आपसे बात करके गया हूं, दस रुपये एडवांस भी दे चुका हूं।” मैं रुआंसा-सा हो आया कि सामान लेकर कहा जाऊंगा! तब तक मित्तल साहब निकल आये और बोले—“आइये, आइये, स्वागत है।”

“लेकिन यह तो कह रहे हैं कि यहां कोई जगह ही नहीं है।”

“अरे, आप आइए!” और उन्होंने मकान मालिक की ओर मुड़कर कहा—“आप भूल जाते हैं चाचा जी! अभी चार दिन पहले तो ये बेचारे आये थे और कमरा ठीक करके गये थे।”

“अच्छा-अच्छा, ठीक है, जाइए साहब, कमरे में सामान रखिए।”

कुंजी मित्तल साहब के ही पास थी। उन्होंने साथ जाकर कमरा खोला और मुझे जो परेशानी हुई थी उसे कम करने के लिए कहा—“भाफ कीजिए, चाचा जी जरा भूल जाते हैं। इसका बुरा मत मानिए।” मेरी तो जान में जान आयी थी इसलिए परेशानी के बावजूद राहत अनुभव कर रहा था।

“कोई जरूरत हो तो मुझसे निस्संकोच कहिएगा। मेरा परिवार नीचे वाले हिस्से में रहता है।”

“जी-जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब तो आप ही लोग हमारे सुख-दुःख के साथी हैं।”

“शयोर, शयोर!” और वे चले गये।

बैरकनुमा कमरे जहां से शुरू होते थे वहां के पहले और दूसरे कमरे मुझे मिले थे। एक कमरा तो मुख्य मकान के अन्तर्गत ही था, दूसरा उससे बाहर होकर था। पीछे एक आंगन था। आंगन में ही रसोईघर था और आंगन के पीछे नींबुओं का जंगली बगीचा था जहां दिन को भी अंधकार घिरा रहता था। आंगन से नींबुओं के बगीचे की ओर निकलने के लिए एक खिड़की थी और वही बाहर शौचालय बना हुआ था। मैं इस कल्पना से ही डर गया कि रात-बिरात कैसे कोई इस शौचालय में आएगा। रात को तो इस आंगन में ही निकलना कठिन है, शौचालय की तो बात दूर रही।

मुख्य मकान में ऊपर बड़े मकान मालिक और मालकिन रहते थे। नीचे मित्तल

साहब और एक कमरे में गोपाल जी नाम के एक व्यक्ति थे जो मकान मालिक के भानजे लगते थे। बाद में पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० दीनदयाल गुप्त मकान मालिक के दामाद हैं और गोपाल जी उन्हीं के भतीजे। मकान मालिक चाचा और मालकिन चाची के नाम से जाने जाते थे। गोपाल जी के बगल वाले कमरे में मैं था। उसके बाद पांच-छः कमरे खाली पड़े थे। जहां कमरे खत्म होते थे वहां मकान की चहारदीवारी थी, उसके बाद चाचा जी के ही एक भतीजे प्रकाश जी अपने परिवार के साथ रहते थे। वे लोग चाचा जी के विपरीत काफी तंगी की हालत में थे। धीरे-धीरे पता चला कि चाचा जी बी० एच० यू० से रिटायर्ड इंजीनियर हैं। मित्तल साहब एल० आई० सी० में आफिसर हैं और गोपाल जी भी कहीं काम करते हैं।

मकान के निचले हिस्से में आगे की ओर एक बहुत गहरा कुआं था। पानी का स्रोत वही था। वहीं से सभी लोग पानी भरते थे और नीचे के भाग के चारों ओर तहखाने बने हुए थे। बाद में हम लोगों ने गर्मी की दोपहरी में इस तहखाने का खूब उपयोग किया। बहुत ठंडी जगह थी। यहां अहाता बहुत बड़ा था। उसका रख-रखाव हो नहीं पाता था। चारों ओर घास-पात का फैलाव था, बीच-बीच में पत्थर के बेंच बने थे। दिन को ही लोमड़ी, नेबले, विषखोपड़े आदि अहाते में घूमते रहते। इस मकान की पहली रात थी। शाम होते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। पत्नी ने शाम को ही खाना बना लिया और खाना खाकर रात गहराने से पहले ही हम किचन से अरतन-बरतन उठाकर कमरे में आ गये। आंगन की ओर से कमरा बन्द कर लिया। नीबुओं के बगीचे से सियार बोलने लगे, आगे की ओर सुनसान पोखर में से उनका जवाब आने लगा। रह-रहकर कुत्ते पुंआने लगे। चारों ओर सन्नाटा झंझंझ कराने लगा। हम दोनों बन्द कमरे में सहमे पड़े थे। लगता था अब कोई दरवाजे पर थाप देगा या पीछे से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा। रह-रहकर लगता था कि जंगले से कोई झांक रहा है। उठकर जंगला भी बन्द कर दिया। अपने पास पंखा तो था नहीं, बल्कि यों कहिए तब तक पंखे के सुख के अभ्यस्त नहीं हुए थे। अगस्त के महीने में बन्द कमरे में पड़े होने की नियति झेल रहे थे। रह-रहकर पहरेदारों की आवाजें लूक की तरह उठती थीं और दूर तक अपनी रेखाएं खींचती हुई चुप हो जाती थीं। हम दोनों एक अजीब दहशत में फंसे थे। ऐसे खीफनाक सन्नाटे में हमारा दाम्पत्य जीवन शुरू होगा, यह हमने कहां सोचा था। दम्पती तो हम चार साल पहले बन चुके थे लेकिन हमारा वास्तविक और अलग दाम्पत्य जीवन तो अब शुरू हो रहा था। इसे इस तिलिस्मी घर में ही शुरू होना था।

किसी तरह रात टूटी तो सुबह-सुबह मित्तल साहब आये और कहा—“नहा-वहा लीजिए, हर प्रातः चाचा जी और चाची जी सामूहिक भजन करते हैं। यानी इस मकान में जो भी होते हैं उसमें शामिल होते हैं।” सुनकर बहुत खराब लगा। इस प्रकार के चुगदपन में मेरा विश्वास अब तो नहीं ही है, तब भी नहीं था लेकिन नये-नये किरायेदार को शामिल तो होना ही था। यह तो मुझे ज्ञात हो गया था कि चाचा जी सनकी आदमी हैं, न जाने पर न जाने क्या सनक कर बैठें। शामिल हुआ। रोते हुए मक

से उनके भजन में स्वर मिलाया। मित्तल साहब मेरी परेशानी को भांप गये थे। भजन समाप्त होने पर जब अलग हुए तो वे मेरे पास आये और हंसकर बोले—“बुरा लगा न ! आप भी सोचते होंगे कि नये-नये दाम्पत्य जीवन की रंगीनी में यह भजन-वजन कहां से घुस आया। लेकिन चिन्ता न कीजिये, यह चलेगा नहीं। चाचा जी को झक सवार होती है, दस-पांच दिन रहती है, फिर उतर जाती है।” वे हंसकर चले गये।

मुझे लगा कि मित्तल साहब बहुत चालाक और व्यावहारिक व्यक्ति है। वे चाचा जी को खूब समझते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनके कहे पर चलते भी हैं और उन्हें चलाते भी हैं। पता चला कि वे केवल मैट्रिक पास है और फिर भी अपनी योग्यता के बल पर एल० आई० सी० के अच्छे आफिसर के पद पर विराजमान हैं।

धीरे-धीरे दिन बीतने लगे और मैं इस परिवेश का अभ्यस्त होने लगा। मित्रों का आना-जाना शुरू हुआ। इस मकान को देखकर कई लोगो ने रिमार्क कसे कि नागना है देवकीनन्दन खत्री ने इसी मकान में अपने तिलिस्मी उपन्यास लिखे थे। धीरे-धीरे यहां के आसपास के लोगों से पहचान होने लगी या उनकी शकलें पहचानने लगा। मकान मालिक चाचा जी और चाची जी के व्यक्तित्व की परतें खुलने लगी। दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और दोनों ही असामान्य थे। हां, उनकी असामान्यता के रंग अलग-अलग थे। चाचा जी झककी स्वभाव के थे किन्तु निश्छल थे और चाची जी ठंडे स्वभाव की महिला थीं। चाचा जी ममझ में आते थे किन्तु चाची जी अबूझ थीं। कभी वे बहुत मृदु व्यवहार करती, उदारता दिखाती और ब्राह्मण के प्रति उनका वणिक मन श्रद्धालु हो उठता, कभी अत्यन्त क्रुद्ध और कृपण हो जातीं। पति-पत्नी दोनों ही बहुत सफाई-पसंद थे। धार्मिक व्यक्तियों की सफाई में एक मानसिक संकुचन होता है। वे इस सफाई के नाते अपने को महत्त्वपूर्ण और दूसरो को अस्पृश्य समझने लगते हैं और उनकी सफाई जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी नहीं। भीतरी सफाई से मेरा तात्पर्य है दूसरों के वास्ते मन का खुलापन—मैले-कुचैले गरीब लोगों को अपने में समेटने की पीडा। ऐसे सफाईपसंद धार्मिक ईश्वर को पूजा-पाठ-स्थल, कपड़े-लत्ते, पूजा-पात्र आदि की सफाई में ही देखते हैं; मैले-कुचैले गरीब लोगों की वेदनाभरी आंखों में, उनकी सेवा में, उनकी भोली-भाली इन्सानियत में नहीं देखते।

चाचा-चाची की छाया में हम सहज नहीं बन पाये और जितना बच सकते थे बचते ही रहे। कभी-कभी वे कई-कई महीने के लिए बाहर चले जाते, तब हम बहुत सहजता अनुभव करते। ऐसा कई बार हुआ लेकिन यह कोई अकेला केस नहीं। यह तो एक शाश्वत सत्य बन चुका है कि मकान मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध सहज नहीं बन पाते। बहुत सहज दीखने वाले व्यक्तियों का किरायेदार बनकर देख चुका हूं (और तब तक देखता रहा हूं जब तक अपना मकान नहीं बन गया) कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद संबंधों में कुछ न कुछ असहजता आ ही जाती है। दोष किसी ओर भी हो सकते हैं किन्तु उन दोषों को पचाने की जितनी ताकत मकान मालिक में होती है बेचारे किरायेदार में कहां हो सकती है? वह चाहे पद तथा मर्यादा में मकान मालिक से कितना भी बड़ा हो लेकिन आखिर मकान मालिक मकान का मालिक है। उसे

बदतमीजी करने का सहज अधिकार प्राप्त हो जाता है, कुछ न कुछ टुन्न-फुन्न करता ही रहता है। इसलिए असहज से दीखने वाले चाचा-चाची के व्यवहार में हम कुछ असहजता अनुभव करते रहे तो कौन-सी अनोखी बात हो गयी। अनोखी बात तो नहीं हुई किन्तु हम पहली बार किरायेदार बने थे। और इस अमहजता का अनुभव पहली बार कर रहे थे। इसलिए यह अनुभव कुछ अधिक ही लग रहा था। बाद में तो अभ्यस्त हो गये कि किरायेदार होना इसी अनुभव का नाम है—कहीं कम गहरा, कहीं ज्यादा गहरा।

पत्नी का नाम लिखा दिया था वसंता कालेज में—आई० ए० में। वे सुबह चली जाती थीं। मैं घर पर होता था। जब दोपहर बाद वे आती थीं तो मैं नागरी प्रचारिणी सभा चला जाता था—शोध के सिलसिले में। मेरे पास साइकिल थी, उसी से दिग्विजय करता कहीं भी आ-जा सकता था। शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करतः क्योंकि बताया था कि सड़क से भक्ति-भवन तक की फर्लांग-भर की दूरी निपट सुनसान थी। एक ओर किसी पुराने शाही भवन की ऊंची लम्बी चहारदीवारी की दीवार थी और एक ओर जंगलनुमा बगीचा। वह एक फर्लांग की दूरी न जाने कितने कोस की दूरी लगती थी। इस दूरी में कहीं कोई किमी को पकड़कर कुछ भी कर सकता था। इस रास्ते रात को मुझ जैसे इक्के-दुक्के लोग ही आते-जाते थे। वैसे मेरे पास साइकिल के सिवा था क्या, लेकिन उस जमाने में साइकिल का कोई कम महत्त्व तो नहीं था। आखिर साइकिल चोरियां होती ही थीं (अब भी होती हैं) और मेरे लिए तो वह सर्वस्व थी। यदि कोई छीन लेता तो मेरे लिए साइकिल का खरीदना असंभव हो जाता, केवल स्कालरशिप का वायदा। पता नहीं कब मिलेगी? अभी तो पी-एच० डी० का बाकायदे रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। घर से कुछ लाया था, उसी से काम चल रहा था। साइकिल छिन जाने का मतलब था मेरी गति का कुन्द हो जाना। न बी० एच० यू० जा सकता था न नागरी प्रचारिणी सभा। इसलिए इस दूरी से बहुत डरता था। मेरी शामें बाहर डराने लगती थी। ज्यों-ज्यों शाम गहराती थी, यह दूरी मेरे भीतर अपने डरावने स्वर में बजने लगती थी और मैं चाहे किसी कवि-सम्मेलन या गोष्ठी में जाऊँ, चाहे किमी मित्र के यहां किसी उत्सव में या नागरी प्रचारिणी सभा में या सिनेमा हॉल में या गंगा तट पर या गोदौलिया या चौक की हसीन चहल-पहल में, कमबख्त यह दूरी मेरे भीतर उभर आती थी और मैं अप्रकृतिस्थ हो उठता था। मैं जहां होता उसका आनन्द नहीं ले पाता था। मैं जैसे ही सड़क से इस सुनसान गली या सड़क पर आता, एक बार दूर तक कुछ अकनने की कोशिश करता और फिर बड़ी तेजी से साइकिल चलाता और भक्ति-भवन के महाद्वार पर आकर सांस लेता। दिक्कत यह थी कि भक्ति-भवन के महाद्वार पर लोहे के ग्रिलनुमा फाटक थे। साइकिल से उतरकर उसे खोलना पड़ता था। यह महाद्वार सुनसान सड़क की ओर खुलता था। अतः मैं सोचता था कि मेरे इतना तेज चलाकर आने से क्या फायदा जबकि यहां आकर मुझे रुकना पड़ता है। मुझे कोई यहां भी पकड़ ले तो कौन देखता है। फिर भी अपने घर के पास आ जाने की एक आश्वस्ति तो मन में होती ही थी। जिस दिन इधर आने वाला कोई साथी मिल जाता, उस दिन मेरे भीतर कोई पर्व-सा मन जाता।

सोचता रहा कि अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और स्कालरशिप शुरू हो जाएगी। ज्यों-ज्यों पास की पूंजी खत्म हो रही थी डर भीतर भरता जा रहा था। तभी एक दिन द्विवेदी जी ने कहा—“देखो भाई, तुम मेरे निर्देशन में काम नहीं कर सकते।” मैं सुनते ही रुआंसा हो गया। “क्यों पंडित जी?” मैंने दीन भाव से कहा। मैं उनकी ओर देखने लगा। वे कुछ द्विधा मे दीखे। लगता था वे कहना नहीं चाहते थे किन्तु कहे बिना अपने शिष्य को आश्वस्त भी कैसे कर सकते थे।

“बात यह है कि मेरे पास जगह नहीं है।”

“पंडित जी, यह एकाएक कैसे हो गया?”

“अब इसमें क्या रस है कि कैसे हो गया? इसे छोड़ो और कोई विकल्प सोचो।”

मैं बेहद उदास हो गया। पंडित जी चुप रहे। लेकिन उनकी चुप्पी उन्हें स्वयं सालती-सी लगी। शायद सोच रहे होंगे कि मैं उनकी बात टालने वाली बात मान रहा हूँ। किन्तु भला मैं ऐसा क्यों सोचता और मैं ऐसा सोचूंगा ऐसा वे भला क्यों सोचते! गुरु-शिष्य के बीच विश्वास न हो तो फिर क्या बचेगा?

“बात यह है कि लोगों ने बी० सी० से शिकायत की है कि सारे छात्र मेरे ही पास आ रहे हैं अतः संख्या निर्धारित होनी चाहिए। तय हुआ है कि मेरे पाम आठ में अधिक छात्र शोध नहीं कर सकते। आठ तो पहले ही हो चुके हैं। अब तुम्हारे लिए क्या करूँ?”

“एकाध साल रुक जाता हूँ।”

“नहीं, यह समझदारी नहीं है। पता नहीं मेरे पास कब जगह हो। साल लग सकता है, दो साल लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं। पी-एच० डी० कोई एम० ए० थोड़े हैं कि साल के अन्त में परीक्षा देनी होगी। करना हो तो दो साल में कर लिया, नहीं तो बरसों इसकी डाल पकड़कर लटके हुए है।”

मैं कुछ पूछ नहीं पा रहा था। वे फिर बोले, “और प्रश्न तुम्हारे स्कालरशिप का भी तो है। यदि विषय रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कैसे मिलेगी या कही नियुक्ति का जुगाड़ बनता है तो क्या होगा?”

मैं पंडित जी के यहां से लौटा तो मन बहुत भारी था, कुछ निर्णय नहीं कर सका था लेकिन निर्णय तो करना ही था। पंडित जी ने बताया था कि शर्मा जी (डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा) और मिश्र जी (पंडित विश्वनाथप्रसाद मिश्र) दोनों ही गाइड हैं और उनके पास जगह है। किसी के पास चले जाओ। मुझे सभी गुरुओं का स्नेह प्राप्त रहा है और सबके लिए मन में आदर का भाव रहा है इसलिए किसी के निर्देशन में काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी किन्तु पंडित जी की सर्जनात्मक दृष्टि अन्यत्र कहां मिलती? उस सर्जनात्मक दृष्टि के कारण ही छात्र उनकी ओर आकृष्ट होते थे। पंडित जी जैसे अपनी जड़ शोध सामग्रियों को गतिशील चिन्तन और मानववादी सर्जनात्मक दृष्टि से स्पंदित कर देते हैं, उन्हें जीवन्त बना देते हैं, वैसे ही कुछ अपना शोध भी बन जाएगा यह इच्छा उनसे गहरे जुड़े छात्रों के मन में होती थी।

मेरे मन में भी थी किन्तु जब यह सम्भव नहीं हुआ तो विकल्प तो ढूँढना ही था। मैंने सोचा, विश्वनाथ जी पंडित तो हैं किन्तु उनकी दृष्टि में खुलापन नहीं है। उनकी इतिहास-दृष्टि नयी नहीं है। वे विकास की गति को चक्रवत् मानते हैं अतः उनका पांडित्य मेरे शोध-कार्य को सर्जनात्मकता नहीं दे पाएगा और मेरी छोटी-सी सर्जनात्मक शक्ति उनके अगाध पांडित्य के आगे बहुत दबाव महसूस करेगी। डा० शर्मा आधुनिक साहित्य के उपाध्याय तथा आलोचक है और स्वभाव से भी मस्त है। मेरे कार्य में वे बहुत हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहाँ तक संभव होगा, वे मेरी गाड़ी मेरे ढंग से ही चलने देंगे। यही सोचकर उनके पाम गया। उन्होंने तुरन्त फार्म पर हस्ताक्षर कर दिया और कहा—“देखो भाई, तुम्हारा प्रस्तुत विषय मेरे वश का नहीं है। तुम यदि अपने बल पर यह काम कर सकते हो तो करो, मुझे आपत्ति नहीं होगी किन्तु यदि मेरी सहायता चाहते हो तो कोई आधुनिक विषय लो।”

डाक्टर माहब की स्पष्टवादिता ने मैंने बहुत राहत महसूस की। वास्तव में प्रस्तुत विषय भारी था ही और मेरी अपनी रुचि भी आधुनिक साहित्य में ही रही है। यह विषय केवल पंडित जी के भरोसे लेकर चल रहा था, उसमें मेरी रुचि बन नहीं पा रही थी। शर्मा जी के स्पष्ट कथन से मुझे इस विषय से भागने का अवसर मिल गया और आलोचना को शोध का विषय बनाया। शीर्षक रखा गया—‘हिन्दी आलोचना की प्रवृत्तियाँ और उनकी आधार-भूमि’। यह शोध-प्रबन्ध पूरा होने पर ‘हिन्दी आलोचना का इतिहास’ नाम में छपा तथा उसका संशोधित स्वरूप हिन्दी समीक्षा : स्वरूप और सन्दर्भ’ नाम से प्रकाशित हुआ।

नया शोध-कार्य शुरू हो गया। उसमें मेरी बुद्धि स्वयं धंस रही थी। विषय पकड़ में आ रहा था। कुछ सवालियों से स्वयं जूझता था और कुछ के लिए शर्मा जी के पास पहुँचता था। कार्य में रस आने लगा था। किन्तु जीविका की समस्या बनी हुई थी। अभी तक कुछ हुआ नहीं। एक दिन पंडित जी (द्विवेदी जी) ने बताया कि उन्होंने कमच्छा स्थित सेंट्रल हिन्दू कालेज (इंटर सेक्शन) में हिन्दी की एक अस्थायी लेक्चरर-शिप के लिए मेरा नाम भेज दिया है। वास्तव में अगस्त में ही उस पोस्ट का इण्टरव्यू हुआ था। उसमें मैं भी उम्मीदवार था, ठाकुरप्रसाद मिश्र भी थे। किन्तु डा० सुधीर उम्मीदवार के रूप में आये थे और चुन लिए गये थे। वे आये नहीं और वह पोस्ट खाली की खाली रह गयी। इसलिए अप्रैल तक काम चलाने के लिए उस पर मेरी अस्थायी नियुक्ति कर दी गयी। मुझे बहुत राहत मिली। तात्कालिक राहत के साथ-साथ भविष्य की एक आशा भी बनी कि शायद मैं स्थायी रूप से ले लिया जाऊँ।

कमच्छा में डा० राजपति दीक्षित अध्यक्ष थे और श्री बच्चनसिंह तथा श्री गगनरेश वर्मा उनके सहयोगी थे। नियुक्ति तो मेरी हो गयी किन्तु कक्षा के भय से प्राण कांप रहे थे। ज्वाइन करने से पूर्व डर के मारे नींद नहीं आयी। यही सोचता रहा कि कैसे पढ़ाऊंगा? कक्षा का सामना कैसे करूंगा? छात्रों को कैसे नियंत्रित करूंगा? अजीब मानसिक तनाव का समय था। भूख-प्यास, नींद सभी गायब। सबेरे ज्वाइन करने के लिए कालेज पहुँचा तो पता चला कि परीक्षाएं चल रही हैं। बड़ी राहत

महसूस हुई। कुछ दिन तो चैन से गुजरेंगे। मुझे भी झूटी दे दी गई और एक हॉल में जाकर खड़ा हो गया। उसमें तीन प्राध्यापक और झूटी दे रहे थे। उन्होंने बहुत स्नेह और आत्मीयता से मेरा स्वागत किया। मैं देख रहा था कि लोग घूम-घूमकर निगरानी कर रहे थे, संदेह होने पर किसी छात्र के पास ठहरकर 'बाच' करते थे। उसकी उत्तर-पुस्तिका उलटते-पुलटते थे। कभी किसी को डांट देते थे, किसी को आगाह करते थे और मैं सहज संकोच लिए जहां का तहां खड़ा रहता या कुर्सी पर बैठ जाता। मुझसे छात्रों के बीच टहलते भी नहीं बनता था। मुझे लगता था कि मैं तो स्वयं उनके बीच का हूं।

आखिर इस्तहान के दिन खत्म हुए और क्लास लेने का दिन आ गया। क्लास लेने जा रहा था तो बाहर खड़े लड़कों में से एक ने कहा—“यह नया लेक्चरर है।”

“अरे, यह तो खुद ही लड़का लग रहा है, क्या क्लास पढ़ाएगा ?”

इस रिमार्क से मेरी धुकधुकी और बढ़ गयी और भीतर से उत्तेजित हो गया और क्लास में जाकर पूरे जोश-खरोश के साथ बोला। उस क्लास में द्विवेदी जी के सुपुत्र बबुआ (जगदीशप्रसाद) भी बैठे थे और बहुत उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं पहले तो नर्वस हुआ (नर्वस इसलिए कि मेरी रिपोर्ट पंडित जी के पास पहुंचेगी) किन्तु बाद में मैं और ताव में आ गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर पढ़ाने लगा। पहले दिन की सारी कक्षाएं सकुशल सम्पन्न हुईं और मैंने बहुत राहत अनुभव की। बाद में बबुआ ने बताया कि पंडित जी पूछ रहे थे कि कैसा पढ़ाया ? मैंने कहा—“भइया ने जमा दिया था।” मुझे यह जानकर राहत मिली कि पंडित जी के पास मेरी रिपोर्ट ठीक-ठाक पहुंच गई है।

बारी-बारी आर्ट्स, कामर्स और विज्ञान के सेक्शन पढ़ा लिए तथा क्लास में अपने को तथा छात्रों को आजमा लिया। धीरे-धीरे दिन बीतने लगे। कक्षाओं में जैसा होता है होता रहा यानी तीते-मीठे दोनों प्रकार के अनुभवों से गुजरता रहा। वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों के लिए हिन्दी लगाव का विषय नहीं होती; उसे उन्हें किसी तरह परीक्षा पास करने तक अनिवार्य भाव से ढोना पड़ता है किन्तु कक्षा में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो साहित्यकार या साहित्य-प्रेमी बनने का संस्कार लिए होते हैं और वे हिन्दी के प्रति एक गहरा लगाव रखते हैं। यह लगाव परीक्षार्थी के लगाव से कुछ ज्यादा होता है। इसलिए कई विद्यार्थी मेरे बहुत निकट आने लगे। सबको मालूम था कि मैं कवि हूं। मेरी कई कविताएं बहुत मशहूर हो चुकी थीं यानी हिन्दी-प्रेमी छात्रों में मेरी अच्छी इमेज थी। वे छात्र कक्षा में भी कुछ साहित्यिक चर्चा छेड़ देते थे, कभी मुझसे कोई कविता सुनाने का आग्रह करते थे और कक्षा के बाहर भी मिलते थे, घर भी आने लगे थे। इन छात्रों के नाते कक्षा में एक आत्मीय वातावरण बनने लगा था। इनमें से कुछ छात्र कुछ लिखते भी थे। वे मुझे अपना लेखन दिखाते थे तथा सलाह मांगते थे। आज के हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित कवि विवेकानंद तथा कथाकार काशीनाथ सिंह उसी बैच के छात्र थे।

अपने विभाग द्वारा दूसरे विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापकों का भी भरपूर स्नेह मिला। अर्थशास्त्र या वाणिज्य के प्रबक्ता (नाम नहीं याद आ रहा है) वार्षिक समारोह के इंचार्ज थे। उन्होंने एक नाटक के लिए मुझसे एक भीत लिखावाया और

रिहर्सल के समय मुझे आमंत्रित करते रहे। अपने किसी गीत को स्टेज पर पहली बार देख रहा था। जब बी० ए० में था तो अखबार में पढ़ा कि कलकत्ते की किसी सांस्कृतिक संस्था ने वर्षा-मंगल मनाया था और उस अवसर पर हिन्दी के कुछ विशिष्ट कवियों की कविताओं के साथ मेरी भी एक कविता 'मैं अषाढ़ का पहला बादल, मेरी राह न बांधो' अभिनीत की थी किन्तु देखने का यह पहला अवसर था। बहुत अच्छा लगा था और उस गीत के माध्यम से साथियों और छात्रों का लगाव और भी बढ़ा था।

देखते-देखते अप्रैल भी आ गया और मेरी अस्थायी नियुक्ति का समय पूरा हो गया। फिर चिंता सवार हुई किन्तु एक तो पत्नी ने कुछ पैसे बचा लिए थे, दूसरे, भरोसा हो गया था कि जुलाई में जब यह जगह भरी जाएगी तो शायद मुझे मिल जाएगी। छः महीने का अनुभव हो गया है, प्रिंसिपल मलानी की भी अनुकूलता प्राप्त है, साथियों का स्नेह है।

31

कमच्छा के इण्टर कालेज में अध्यापन से मुक्ति पाकर हम लोग गर्मी की छुट्टियों में यानी मई, 1953 में गोरखपुर आ गए। ठहरे विद्याधर द्विवेदी विश्व के यहां। हेमन्त पेट में था और जून में उसके आविर्भाव की आशा थी। यद्यपि मेरी समुराल गोरखपुर में ही थी किन्तु मेरी पत्नी वहां नहीं गयीं। इसका एक कारण तो यह था कि मैं उनके साथ समुराल में दो-ढाई महीने लगातार रह नहीं सकता था और मैं स्वयं इस अवस्था में पत्नी की देखभाल करना चाहता था। दूसरे, विद्याधर के स्नेह का आग्रह था। वे मेरे इनने निकट के मित्र थे कि उनके यहां महीनों ठहर जाने में भी मुझे संकोच नहीं होता। उनके साथ मेरे श्वसुर जी के गांव के पास के मित्र (जो बहुत दिन तक श्वसुर जी के साथ ही रहे) आद्याप्रसाद मिश्र अपनी मां के साथ रहते थे अतः यहां भी एक घरेलू वातावरण था। तीसरी बात थी कि मेरी समुराल की ओर से हमें वहां ले जाने का कोई आग्रह नहीं था। बाद में ज्ञात हुआ कि इसका कारण सासु जी का विश्वास था। हेमन्त से पहले का बच्चा समुराल में ही पैदा हुआ था और वह बच नहीं सका। सासु जी को डर था कि उनके यहां बच्चा पैदा होने पर फिर कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए।

जो हो, विद्याधर के आत्मीय साहचर्य में वे दो महीने बहुत सुखद बीते। वे हमारी हर आवश्यकता का खयाल रखते थे। सुबह हम लोग रेलवे के खुले वातावरण में टहलते थे और पार्क में घूमते थे। फूलों से लदे गुलमुहर और अमलतास के वृक्षों से एक अपनापन बन गया था। दिन-भर तो विद्याधर रेलवे के दफ्तर में होते पर हमारी शामें साहित्यिक चर्चाओं में बीततीं। प्रगतिवाद की ओर उनका झुकाव भी हो गया था और

वे गोरखपुर के बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों में सम्मानित स्थान बना रहे थे। वे मुझे लेकर कभी किसी गाँव में, कभी किसी साहित्यकार के यहाँ जाते और कविता-पाठ तथा साहित्य-चर्चा का क्रम चलता रहता। विद्याधर मे उदग्रता थी और वाक्पटुता भी। वे अपने प्रतिद्वन्द्वी को अपनी तर्कशक्ति से पराभूत करने की चेष्टा में उग्र भी हो उठते थे और मार्क्सवाद, प्रगतिवाद को उन्होंने ज्यादा उग्रता से अपनाया था।

हम दोनों साहित्य के अनुशासन में रहकर ही मार्क्सवाद को अपना रहे थे। इसलिए हम प्रकृतिपरक और प्रेमपरक गीतों से परहेज नहीं करते थे किन्तु उन्हीं में से ऐसी कोई व्यंजना पैदा करते थे जिससे वे गीत प्रगतिवाद के स्वर से स्पष्टित हो उठते थे। इसके अतिरिक्त हमने ठेठ प्रगतिवादी कविताएँ भी लिखी किन्तु जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोग 'लाउड' नहीं हुए।

विद्याधर की प्रगति-स्वर वाली कई कविताएँ वातावरण में गूँज रही थीं।

‘धरती पर आग लगी
पछी मजबूर है
क्योंकि आसमान बड़ी दूर है।’

गीत बहुत ख्यात हो गया था। इसके अतिरिक्त जलते प्रह्लाद, गरम कोट जैसी अनेक कविताएँ आगे-पीछे आयीं और उनके प्रगतिशील व्यक्तित्व की गवाही देती रही। विद्याधर बहुत कर्मठ व्यक्ति थे। वे केवल कवि ही नहीं थे, कविता के लिए जीवन जीते थे यानी जिन विसंगतियों पर वे अपनी कविताओं में व्यंग्य करते थे जीवन में उनके विरुद्ध लड़ाई भी करते थे। जिन मानवीय संवेदनाओं को कविता में उतारते थे जीवन में उनकी रक्षा के लिए कर्मशील भी होते थे। वे उदार मित्र थे, सचेत और प्रबुद्ध नागरिक थे, जीवन्त सहकर्मी थे। वे प्रखर व्यंग्य कर सकते थे, अत्याचार पर क्रोध करते थे, दूसरों के दुःख में करुणा-विगलित हो उठते थे, जरूरतमंदों के लिए अपनी उदारता खोल देते थे। उनके व्यक्तित्व की ठेठ सादगी उनकी कविताओं में उतरती थी। यदि वे आगे चलकर पागल न हो गए होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक प्रखर साहित्यिक व्यक्तित्व बने होते। वे वास्तव में गोरखपुर की सही पहचान बने होते। उनके आगे-पीछे गोरखपुर से कई अच्छे साहित्यकार उपजे। उनमें से कइयों ने अपनी मुष्ठी मेघा से साहित्य में अपनी जगह बनायी किन्तु उनमें गोरखपुर कहीं नहीं है। उनके व्यक्तित्व गोरखपुर की मिट्टी में मनकर नहीं, उसे धो-पोछकर बने और वास्तव में वे केवल लेखक बने, आदमी का व्यक्तित्व नहीं।

हेमन्त के जन्म की तिथि पास आती जा रही थी। हमने पास ही रहने वाली एक ईसाई नर्स को तय कर रखा था। सुनने में आया था कि वह बहुत होशियार है, डॉक्टर की अपेक्षा पूरी कर देगी। 26 जून, 1953 की रात थी। घनघोर वृष्टि हो रही थी। वातावरण बहुत भयानक हो रहा था। पत्नी को दर्द शुरू हुआ। क्या किया जाए? लेकिन विद्याधर के रहते हुए 'क्या किया जाए' सोचने का प्रश्न ही नहीं था। वे

उस तेज हवा और बारिश में छाता लेकर निकल पड़े और कुछ देर बाद नर्स को लिए हाजिर हो गये। मालूम पड़ा कि वह नर्स रास्ते में फिमलकर गिर पड़ी और उमका हाथ टूट गया। फिर भी उम नर्स की मानवता और उत्तरदायित्वशीलता थी कि वह लौटकर घर नहीं गयी। आकर उसने एक हाथ से ही शिशु-जन्म का सारा कार्य सम्पन्न किया। वह अपने दर्द को भूनी रही। जब बच्चा हो गया और लौटने लगी तब उमने अपने दर्द की अनुभूति को अभिव्यक्त होने दिया। हां, इसी तूफानी मौसम में हेमन्त का आविर्भाव हुआ। शायद इसीलिए उसके व्यक्तित्व में 'जून की गर्मी', 'हवा का वेग' और 'वर्षा की आर्द्र उद्दामता' है।

छुट्टियों तक यानी जुलाई तक हम वहीं रहे। विद्याधर, आद्याप्रमाद मिश्र और उनके परिवार की देख-रेख में जच्चा-बच्चे की कुशल देखभाल होती रही। सासु जी भी आ गयी थी। छुट्टियां बीतीं। हमें लौटकर बनारस जाना ही था। चिंता बनी हुई थी कि कैसे काम चलेगा? किन्तु वह जगह विज्ञापित हो गयी थी जिस जगह पर मैं काम कर चुका था। अतः आशा थी कि कुछ महीनों के भीतर मैं उम पर नियुक्त हो जाऊंगा और आर्थिक चिन्ता दूर हो जायेगी। फिलहाल कुछ रुपये पत्नी ने बचा रखे थे।

हम फिर भक्ति-भवन, मिगरा बनारस पहुंचे। दायित्व-बोध तो बढ़ गया था किन्तु पुत्र के सान्निध्य का सुख भी तो जुड़ गया था। शीघ्र ही इण्टरव्यू का दिन आ गया। मैं काफी दूर तक आश्चस्त था। यहां का 'टापर' छात्र, इसी स्थान का अनुभव और सबसे बड़ी बात यह थी कि पंडित जी (आचार्य हजारीप्रमाद द्विवेदी) मुझे चाहते थे। प्रिमिपल मलानी ने भी एक अच्छा प्रमाण-पत्र दिया था। इण्टरव्यू मेरे लिये सबसे बड़ा 'हौआ' रहा है। मैं इण्टरव्यू के नाम से भयानक घबराहट महसूस करता रहा हूं; अब तक करता रहा।

विशेषज्ञों में नन्ददुलारे वाजपेयी और सम्भवतः रामकुमार वर्मा थे। इण्टरव्यू दे आया। ठीक-ठीक ही हुआ और उम्मीद थी कि ले लिया गया हूंगा किन्तु शाम को पंडित जी ने अपनी शैली में बताया कि तुम्हारे मामले में थोड़ा बट (But) लग गया। पैनल में तुम्हारा दूसरा नाम है। मैं हताश हो गया। पंडित जी ने समझाया कि घबराने की बात नहीं है, कुछ न कुछ तो होगा ही। अब तुम्हारे विरुद्ध एक अत्यधिक क्वाली-फाइड उम्मीदवार आ गये तो क्या करता! वे डबल एम० ए० हैं, पी-एच० डी० हैं और कुछ शिक्षण-अनुभव भी है। उन्हें कैसे अनदेखा किया जा सकता था। वे थे डा० भोलाशंकर व्यास। मेरे साथ प्रेमशंकर तिवारी भी थे। वे मुझसे एक या दो साल आगे थे और शुरू से ही हम लोग कविता के माध्यम से मित्र बन गये थे। वे भी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपनी सारी योग्यता लिए-दिए वे भी मेरी तरह परेशान हो रहे थे और अन्त में उन्हें भी मेरी ही तरह बनारस छोड़कर अनजाने शहर में जाना पड़ा और उसे कर्मभूमि बनाना पड़ा।

मैं मर्माहत रह गया। क्या करूंगा? कैसे काम चलाऊंगा? अब तो घर में एक सदस्य और भी आ चुका था। पत्नी द्वारा बचाए गए पैसे समाप्त हो गये थे। बच्चा

(हेमन्त) बीमार रहने लगा था। डा० सेन हमारे पारिवारिक चिकित्सक थे। उनकी दूकान दशाश्वमेध घाट पर थी और घर औरंगाबाद में (पं० कमलापति त्रिपाठी के पास)। हम लोग हेमन्त को लेकर उनकी दूकान और घर तक दौड़ते ही रहते थे। उनकी दवा हमें (मुझे, पत्नी और हेमन्त को) रास आती थी। लेकिन न जाने क्या बात थी कि हेमन्त ठीक-ठाक होकर फिर बीमार पड़ जाता था। वह चार-पांच दिन भी सही-सलामत नहीं रह पाता था। कुछ ठीक हुआ कि फिर अस्वस्थ। उसे प्रायः दस्त की शिकायत रहती थी और शिकायतें तो थी ही। उसके लिए लगातार दवा लानी पड़ती थी।

कुछ दिनों के बाद पंडित जी ने बताया कि उन्होंने यू० जी० सी० से लेक्चरर की दो अस्थायी जगहें मांगी हैं। उन्हें विश्वास था कि जगहें मिल ही जाएंगी। एक पर नामवर जी को नियुक्त कर दिया, एक पर मुझे। मेरी चिन्ता दूर हुई। हम दोनों पढ़ाने लगे। नामवर जी शुरू से ही अच्छे वक्ता रहे और साहित्य में तो उनकी अच्छी पेंठ थी ही। वे बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में उभरने लगे। मेरी तो बात क्या, काफी पुराने-पुराने गुरुओं की क्लास में भाग-भागकर छात्र उनकी कक्षा में जाते थे। उनकी कक्षा में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। यह मेरे लिए तो कम किन्तु सिद्ध गुरुओं के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। मेरी तो अध्यापक के रूप में अभी कोई जगह बनी ही नहीं थी। मेरे गाब का एक लडका केदारनाथ राय मेरे साथ ही रहता था और वह नामवर जी की क्लास में पढ़ता था। वह नामवर जी की अध्यापन शैली की बहुत प्रशंसा करता था। मैंने उससे कहा, “हा भाई, नामवर जी सुपढ़ व्यक्ति है और अच्छे वक्ता भी है, उनकी क्लास जमनी ही चाहिए।” उसने कहा, “नहीं, एक बात और है जो उन्हें इतना छात्र-प्रिय बनाये है।” “क्या ?” मैंने पूछा।

“वे क्लास में खूब मजाक भी करते हैं। लडके मजाक में खूब खुश रहते हैं।”

मुझे मालूम था कि नामवर जी मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति हैं। बिटी तो है ही, साथ रहने पर अपने मजाक और व्यंग्य-विनोद से साहचर्य को जीवित बनाए रखते हैं। इसलिए क्लास में भी उनकी यह प्रकृति निश्चय ही जागरूक रहती होगी।

“किन्तु एक बात है चाचा जी !” “क्या ?” “यही कि कभी-कभी तो वे बहुत हलका श्रृंगारिक मजाक कर बैठते हैं।” केदार ने कहा।

लगभग दो महीने पढ़ाने के बाद मुझे अपनी तनख्वाह की चिन्ता होने लगी। चूँकि अभी तक दोनों जगहें स्वीकृत नहीं हुई थी इसलिए अभी तक तनख्वाह मिलने का प्रश्न नहीं उठता था। हम तो भविष्य की आशा लिए काम में जुटे थे। तभी शायद डा० बच्चनसिंह ने मुझे बताया कि पंडित जी बहुत परेशान हैं। मैंने कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि दरअसल यू० जी० सी० ने दो जगहों में से केवल एक जगह की स्वीकृति दी है। पंडित जी परेशान हैं कि आप और नामवर सिंह में से किसे हटने को कहा जाए। मैं लपका हुआ पंडित जी के कमरे में गया। मैंने कहा, “पंडित जी, नामवर जी मुझसे बरिष्ठ हैं, नियमतः उन्हें इस जगह पर बने रहना चाहिए। मैं स्वयं अपने को वापस ले रहा हूँ।”

पंडित जी ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उनकी बोझिल आंखों में उनकी सहज तरलता स्पंदित हो उठी। उन्होंने कहा, “तुमने मेरा बोझ हलका कर दिया। मैं बहुत द्विधा में पड़ा था, क्या करूं। दोनों व्यक्तियों को एक साथ एक शर्त पर नियुक्त किया था। कैसे किसी को हटने को मैं कहता। मैं तो टांस से फैसला करने वाला था किन्तु तुमने समझा हल कर दी।” पंडित जी ने उसी समय एक सौ रुपये की स्कालर-शिप मेरे लिए प्रस्तावित की और स्वीकृति के लिए उसे आगे भेज दिया।

कक्षाएं मैं लेता रहा। हां अब कक्षाएं थोड़ी ही लेनी पडती थी। मेरे अध्यापन में ऐसी कोई विशेषता नहीं रही कि उसकी चर्चा की जाये। बस, कक्षाएं लेनी थी, नेता रहा। मेरी कक्षा के लिए और मेरे लिए छात्रों में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। मुझे विशेष आकर्षण में कोई रुचि भी नहीं रही। बस, सामान्य आदमी की तरह सामान्य गुरु बनकर धीरे-धीरे सहज भाव से अपना ज्ञान छात्रों में उतार सकूं, यही बहुत है। फिर भी कोई बात अवश्य थी कि कुछ बहुत प्रबुद्ध छात्र मेरा साहचर्य पाने को उत्सुक थे। शायद वह मेरी सर्जनात्मक प्रकृति रही हो। अच्छे छात्रों को मेरे कवि होने का बोध हो ही जाता था और वे स्वयं भी कुछ लिखने का सपना मन में पाले होते थे। इसलिए उन्हें कक्षा में प्राप्त करने के अतिरिक्त भी कुछ पाने की तडप होनी थी। शायद इसीलिए वे ऐसे सर्जनात्मक व्यक्तित्वों से जुड़ते थे जो अपने और उनके बीच बहुत दूरी न बनाये रहें। जाहिर है मैं अपनी सर्जनात्मक शक्ति में भी सामान्य ही था और मेरे-उनके बीच वय की भी कोई बहुत चौड़ी खाई नहीं थी, इसलिए मुझसे जुड़ने में वे आतंक नहीं महसूस करते थे जो चमत्कृत करने वाली प्रतिभाओं तथा गम्भीर गुरुओं के सम्पर्क में आकर करते हैं। कमच्छा के छः महीने के अध्यापन में भी बहुत-से छात्र जुड़े थे। वे मेरे घर आते थे, कविताएं सुनते-सुनाते थे। क्लास में भी, क्लास से बाहर भी साहित्यिक जिज्ञासाएं प्रस्तुत करने थे। यहां भी कुछ छात्र जुड़े। मेरी भी दृष्टि उन पर गयी और उनकी भी दृष्टि मुझ पर टिकी। शुकदेव सिंह उन्हीं छात्रों में से एक थे। बल्कि कहा जाए कि उनमें अति विशिष्ट थे। कक्षा में मैं उनकी मेधा पहचान गया था और वे मुझसे बहुत गहराई में जुड़े, जुड़ते चले गये और मेरे प्रति उनका अंतरंग आदर-भाव आज तक वंसा ही बना हुआ है। वे अब भी उसी तरह मेरे सामने वही छात्र हो आते हैं। छात्रावस्था में ही वे मेरे साथ ‘साहित्यिक संघ’ के सहमंत्री बने और अनेक गतिविधियों में भाग लिया। शुकदेव सिंह की प्रतिभा में गांव, घर की अभावग्रस्त सादगी और संघर्ष-शीलता घुली-मिली थी। छात्र और गुरु-सम्बन्धों में एक और सम्बन्ध धीरे-धीरे घुलता गया। वह था गांव की मिट्टी और सुख-दुःख का सम्बन्ध। उनकी आंखों में गांव की घूमरता और अभाव की तरलता थी जो भीतर-भीतर मेरी आंखों में समा जाती थी। वे धीरे-धीरे मेरे परिवार के सदस्य बनते चले गये। आज तक बने हुए हैं।

दूसरे शिष्य थे राजेन्द्रप्रसाद अग्रवाल जो राजेन्द्र कृष्ण के नाम से कविताएं लिखते हैं, तब भी लिखते थे। ये शुकदेव सिंह के सहपाठी थे और उन्हीं के समान मेरे प्रिय छात्र। इन्हें भी न जाने मुझमें क्या दीखा कि मेरी आत्मीयता पाने के लिए उत्सुक हो उठे। ये भी शुकदेव जी के साथ साहित्यिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे और मेरे:

सहयोग करते थे। ये भी धीरे-धीरे मेरे परिवार के सदस्य बन गये—मेरे परिवार के साथ सुख-दुःख की चिन्ता करने वाले सदस्य। राजेन्द्र कृष्ण सम्पन्न परिवार के थे इसलिए उन्हें शुकदेव की तरह आर्थिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेकिन उनमें सम्पन्नता की दुर्गंध नहीं थी बल्कि शिष्टता की एक खुशबू थी, एक गहरा मानवीय सरोकार था। राजेन्द्र कृष्ण आज एक ऊँचे सरकारी पद पर हैं किन्तु मेरे प्रति उनकी आदर-भाव की ताजगी वैसे ही बनी हुई है। राजेन्द्र कृष्ण अच्छे गीत लिखते थे, गाते भी अच्छा थे, किन्तु सरकारी नौकरी के दबाव में उनकी साहित्यिक प्रतिभा अपने विकास का मार्ग नहीं निकाल सकी।

और भी कई छात्र थे जो लिखते थे या सजनात्मक लेखन से गहरा लगाव अनुभव करते थे। इन विशिष्ट छात्रों के नाते ही मैं अपनी सामान्यता में भी गहरी तुष्टि का अनुभव करता था और मुझे लगता था कि मुझमें भी ऐसा कुछ है जिसे बांटने का सुख पाया जा सकता है। बिना किसी शोर-शराबे के, बिना किसी मंच-विजय के, बिना तालियों की गड़गड़ाहट के यह सुख पैदा होता है और जैसे एकांत अंधेरे में कोई पौधा चुपचाप बढ़ता, फूलता, महकता रहता है वैसे ही यह सुख चुपचाप मेरे भीतर महकता रहा है।

तब तक शिवप्रसाद सिंह भी एम० ए० हो चुके थे। उन्होंने अपने बैच में 'टॉप' किया था। वे भी शोध-छात्र बन चुके थे। उनके साथ विष्णुस्वरूप, हरिमोहन आदि भी थे। कुछ आगे-पीछे के सभी लोग शोध-छात्र के रूप में कक्षाएं लते थे। शिवप्रसाद सिंह को यू० जी० सी० की स्कालरशिप मिलती थी। हम नये लोगों की एक अपनी दुनिया थी—मस्ती से भरी हुई। शिवप्रसाद सिंह के अतिरिक्त हम सभी अभावग्रस्त थे किन्तु उस अभाव में भी मस्ती बनी हुई थी। हम सभी कक्षा में आने वाली कठिनाइयों को, पाठ्य-पुस्तकों में उठने वाली अर्थ सम्बन्धी दुरूहताओं को आपस में बांटते थे, हल करते थे। एक कठिनाई आयी थी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के एक निबंध को लेकर। उस निबंध में दुर्गाकुंड का कंकड़ अपना बखान करता हुआ अपने को बहुत कुछ कहता है, उसी क्रम में कहता है कि 'मैं कामदेव की पताका हूँ।' कंकड़ कामदेव की पताका कैसे हो सकता है? इस चिन्ता से हम सभी अलग-अलग परेशान थे। हम सबने एक-दूसरे से पूछा। किसी को इसका सही अर्थ नहीं सूझा। क्या करें? कक्षा में हम इसका क्या अर्थ करेंगे? हम सबने तय किया कि पंडित विश्वनाथप्रसाद मिश्र से पूछना चाहिए। हम लोग उनके पास गये। वे मुसकराए, "कहां। कैसे सब लोग एक साथ?" "पंडित जी, हम लोग एक मुसीबत के मारे आपकी शरण में आए हैं।" "कौसी मुसीबत आई है?" "काम के अर्थ की मुसीबत।" पंडित जी इस शाब्दिक उलटवांसी से खिल उठे। बोले, "वैसे तो न मैं काम की मुसीबत हल कर सकता हूँ न अर्थ की फिर भी कहो।" "नहीं पंडित जी, आप ही हल कर सकते हैं। आप रीति काव्य के भी आचार्य हैं और अर्थ-विश्लेषण के भी।" हमने अपनी कठिनाई बतायी। एक सेकण्ड कुछ सोचकर फिर मुसकराए, "इतनी-सी बात? अरे भाई, देखो, जब कोई प्रेम-पत्र लिखता है और अपनी प्रियसी की छत पर यह खिड़की में से कमरे में फेंकना चाहता है तो उसे कंकड़ पर लपेट देता है ताकि कंकड़ के

साथ पत्र अपने लक्ष्य तक जा सके। पत्र के साथ कंकड़ उड़ता-सा लगता है मानो कंकड़ प्रेम-पत्र (कामदेव) रूपी पताका लहराता हुआ अपने लक्ष्य पर जा रहा हो।”

पंडित जी फिर मुसकराए और हम ‘खुल गया पंडित जी, खुल गया’ कहकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। मिश्र जी अर्थ लगा लेने की अद्भुत तृप्ति से मुसकराते रहे। वास्तव में मैंने अनुभव किया कि विश्वनाथप्रसाद मिश्र और उन जैसे सच्चे सारस्वतीसाधक लोगों की वास्तविक तृप्ति यही रही है। जीवन में उन्होंने अर्थ लगा लेने की ही शक्ति अर्जित की है। सारी पारिवारिक और सांसारिक कठिनाइयों और समस्याओं के बीच समाधिस्थ होकर चटाई पर बैठे हुए हैं। आगे कोई पोथी खुली हुई है और वे उमकी अर्थ-मीमांसा में डूबे हुए हैं।

एक बार मिश्र जी ने बताया था कि वे कई बार कई-कई दिन और कई-कई रात एक शब्द के पीछे पड़े होते हैं और जब उमका अर्थ खुल जाता है तब ऐसा अनुपम सुख मिलता है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। बस, उसे सारस्वत सुख कहा जा सकता है।

बस, ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। मित्रों की छेड़छाड़, गुरुओं से जुड़े मानवीय प्रसंग हमारे अभावों को भरते रहे। हम लोग क्लाम लेने में पूर्व साथ बैठे होते और ज्यों-ज्यों क्लाम का समय पास आता, हरिमोहन की घबराहट बढ़ती जाती और ज्यों ही घंटा बजता, हरिमोहन बोल उठते—“आहि दादा, लगता है ई घंटवा माला मेरी छतिए पर बज रहा है।” वे मर्माहत में क्षण-भर बैठे रहते। हम लोग मुसकराते हुए उन्हें देखते रहते। वे फिर अपनी घबराहट झाड़कर उठ खड़े होते और हंसकर साथ हो लेते। “बस भाई ई घंटवा बजने तक मुझे घबराहट होती है। क्लाम में जाता हूं तो सब कुछ ठीक हो जाता है।”

परीक्षा हो रही थी। पंडित जी (हजारीप्रसाद द्विवेदी) परीक्षा के सुपरिटेंडेंट थे और हम लोग इनविजिलेटर थे। हम लोगों के साथ शायद दूमरे विभागों के भी कुछ लोग रहे होंगे। पंडित जी ने कहा, “चलो चाय पीते हैं।” हम लोग उनके कमरे में गए। चाय आयी, समोसे आए। हम लोग खाते-पीते रहे, बतियाते रहे। पंडित जी का साथ किसी भी बहाने मिले, यह हमारे लिए सौभाग्य और आनंद का प्रसंग होता था। बहुत देर तक हम लोगों को अपने साहचर्य में आनंदित करने के बाद पंडित जी एकाएक गंभीर हो गये और हमारी ओर देखकर बोले, “तुम लोगों को शायद याद नहीं कि परीक्षा की ड्यूटी देने आये हो? वैसे याद भी कोई अच्छी चीज नहीं है, उसे खो देना ही सुखद होता है।” वे ठठाकर हंसे और हम लोग कुछ लज्जित-से भागते हुए परीक्षा-कक्ष में आ गये। पंडित जी का अपना ढंग था। हंसी-विनोद में वे बड़ी और गंभीर बात कह देते थे। यदि आप नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं और यदि समझ गये तो फिर क्या कहना ?

मैं कवि-रूप में काफी जान लिया गया था। धीरे-धीरे मेरा झुकाव प्रगतिवाद की ओर हो रहा था। मैं मार्क्सवाद पढ़ने भी लगा था और उससे प्रभावित साहित्य की छवि भी धीरे-धीरे मेरी समझ में उतरने लगी थी। धीरे-धीरे मेरा छायावादी भाषा-संस्कार टूटने लगा था और लोक-सम्पृक्ति की काव्य-भाषा और चेतना मेरे भीतों में उभरने लगी थी। मैं इस तथ्य को शुरू में ही अनुभव करता था कि साहित्य एक लम्बी दौड़ है, इसमें जल्दी नहीं पडी होती। जैसा आप अन्दर में हों, वैसा ही दीखिये यानी अपने अनुभव में उतरे हुए सत्य को ही कहिये। हुआ यह कि कुछ नये-नये लड़के रातों-रात मार्क्सवादी पैदा हो गये और त्रे सभी स्थापित कवियों को प्रतिक्रियावादी और बूज्वा कहने लगे। छाती तानकर और आंखें तरेरकर चलते थे, दो साल बाद वे एकाएक कांग्रेसी हो गये। मैं अपने स्वभाव को छिपाकर नहीं, उसे नये संस्कार देकर साहित्य के नये जगत् की ओर पैर बढ़ा रहा था। इसलिए जब पूरी समझदारी और अनुभव के साथ प्रगतिवादी चेतना और दृष्टि में जुड़ा तो जुड़ता ही गया। प्रगतिवाद न तो मेरे लिए तेवर-प्रदर्शन की चीज बना, न कम्युनिस्ट देशों में कुछ पाने का प्रलोभन। वह मेरी भीतरी आवश्यकता बना। मेरे भीतर जो अपने अभावग्रस्त परिवेश की पीड़ा और अनुभव व्याप्त था उसे एक दृष्टि या दर्शन प्राप्त हो गया था जिसके नाते सामान्य जन के अभाव और दर्द को, उमकी जड़ों को, उसके कारणों को और उमके निदाज्ञ को समझने की चेतना प्राप्त हुई। इसलिए मैं अपने को प्रगतिवादी साहित्यकारों की जमात में जुड़ा हुआ अनुभव करने लगा लेकिन मैं उस जमान की शर्त पर उस जमात में कभी शामिल नहीं हुआ। उस जमात में बहुत से लोग साहित्य के नाम पर एकत्र तो होते थे किन्तु उनकी साहित्यिक समझ बहुत उथली और प्रचारवादी होती थी। वे नये लेखकों को फतवे देते थे। उन्हें लेखकों के अपने लेखकीय व्यक्तित्व की अपेक्षा उनका दलबद्ध व्यक्तित्व अधिक सार्थक लगता था। वे कथ्य और शिल्प को एक खास ढांचे में फिट करके देखना चाहते थे। यह क्रम अभी टूटा नहीं है। इसलिए मैं कभी भी इस दल में या उस दल में दीक्षित नहीं हुआ। सामाजिक नजरिए से अपने ढंग से अपने अनुभव में उतरे हुए यथार्थ को देने की कोशिश करता रहा। आज तक मेरी कोशिश यही रही है।

बहरहाल वह साहित्य की खुशबू से भरा हुआ समय था। 'नयी कविता' का सर्जन प्रारम्भ हो गया था, भले ही अभी वह आन्दोलन के रूप में नहीं उभरी थी। इलाहाबाद और बनारस साहित्य की गहमागहमी के दो केन्द्र बन गये थे। इलाहाबाद में परिमल की गोष्ठियाँ होती थीं और बनारस में साहित्यिक संघ की। परिमल की शाखा भी स्थापित हुई थी—'चेतना' संस्था के नाम से। 'चेतना' के संचालक शंभूनाथ सिंह थे और विजयदेवनारायण साही भी एम० ए० करके बनारस में ही आ गये थे और कुछ दिन विद्यापीठ में पढ़ाया था।

साहित्यिक संघ की स्थापना ठाकुरप्रसाद सिंह ने की थी। उस संस्था की चेतना प्रगतिशील थी यद्यपि इस पर न कम्युनिस्ट पार्टी का ठप्पा था न प्रगतिशील लेखक

संघ का। इसके सदस्य भी घोषित कम्युनिस्ट नहीं थे किन्तु कुल मिलाकर यह संस्था प्रगतिशील चेतना की बाहक थी। इसके लेखकों में एक साहित्यिक संस्कार था। उस संस्था में ठाकुरप्रसाद के अतिरिक्त त्रिलोचन, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मंगलनाथ सिंह, विष्णुचन्द्र शर्मा, विद्यासागर नौटियाल, शिवमूर्ति शिव, मैयालाल, राममेवक सिंह, भगवती सिंह, रामविनायक सिंह, नर्मदेश्वर उपाध्याय, लालजी सिंह, सत्यव्रत अवस्थी, पारसनाथ सिंह आदि अनेक ख्यात और नये लेखक आगे-पीछे शामिल हुए। मैं भी था।

दूमरी 'चेतना' गोष्ठी थी जिसमें शंभूनाथ सिंह, विजयदेवनारायण साही, हरिमोहन, शिवप्रसाद सिंह, ब्रजविलास, रवीन्द्र भ्रमर, विष्णुस्वरूप, प्रमोद आदि थे। दोनों संस्थाओं के लोग एक-दूसरे के कार्यक्रमों में जाया करते थे। कोई वर्जनात्मक रेखा नहीं थी। उस समय का साहित्यिक वातावरण बहुत प्रसन्न था। एक-दूसरे की टांग खींचने के स्थान पर एक-दूसरे को सुनने और समझने की उत्सुकता थी। मूल स्वर साहित्य का ही था चाहे संस्था का मिजाज सामाजिक रहा हो, चाहे व्यक्तिवादी। त्रिलोचन शास्त्री कई वर्षों तक नव संस्कृति संघ के मंत्री रहे। इसके बावजूद हम एक-दूसरे के गहरे मित्र थे। यानी मित्रता के लिए विचारधारा बाधक नहीं थी। इसी से साहित्यकारों के लचीलेपन की बात समझी जा सकती है। गोष्ठियां खूब होती थीं। साहित्यिक मित्र एक-दूसरे के यहां खूब जाते थे। इसलिए भक्ति-भवन का मेरा सूना मकान भी सूना नहीं लगता था। कालेज के विद्यार्थी तो आने ही थे, साहित्यिक मित्र भी खूब आते रहते थे। कई बार वहां गोष्ठियां भी हुईं। गोष्ठियों में बहसें होती थीं, पकौड़ियां लूट-लूटकर खायी जाती थीं। बाहर के साहित्यकार मित्र भी आते रहते थे। कोई मित्र रात को मेरे यहां आकर ठहरता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उस निर्जन स्थान की भयावहता कुछ कम हो जाती थी।

हम लोग जो भी नया लिखते दूसरों को सुनाते थे—गोष्ठियों में और अलग-अलग भी। मुझे लग रहा था कि मेरे लेखन में एक नया रंग उभर रहा है—पिछले लेखन से। कुछ भिन्न, सामान्य और लोक-जीवन की महजता उभर रही थी। गीतों में उच्छ्वसित भावुकता की जगह एक ठोस अनुभव की दुनिया करवट ले रही थी जिसे मैं अपनी नयी भाक्संवादी दृष्टि से एक सांकेतिक प्रगति चेतना दे रहा था। मैं स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में तो खूब छपा किन्तु अब बाहर की सम्मानित पत्रिकाओं में छपने के लिए संघर्ष कर रहा था। कविताएं लौट आती थीं। लौटने से मैं निराश नहीं था क्योंकि कविताएं तो मैं लिखता ही था, पत्रिकाओं में छपने और न छपने से उनके सज्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था और जब लिखता तो उनके लौटने पर दूसरी कविताएं भेजता था। एक दिन पंडित जी (आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी) से रचनाओं के लौटने की बात कही तो उन्होंने समझाया—“देखो, तुम पान नहीं खाते हो, सिगरेट नहीं पीते हो यानी तुम्हें कोई खर्चीली आदत नहीं है इसलिए तुम कुछ पैसे लगातार डाकखर्च के रूप में इस्तेमाल करो। लगातार रचनाएं भेजते रहो। तुम अच्छा लिखते हो, छपेंगी ही।” बल्कि उन्होंने मेरी कुछ कविताएं कुछ पत्रिकाओं को अपने पत्र के साथ भेजी भी किन्तु वे फिर भी नहीं छपीं। कुछ समय बाद 'आजकल' के संपादक श्री देवेन्द्र सत्यार्थी

जब साहित्यिक संघ के अधिवेशन में बनारस आये तो मालूम पड़ा कि वे 'आजकल' का भारतीय कविता अंक निकाल रहे हैं और उन्हें मेरी एक कविता बहुत पसंद आयी जिसे विशेषांक के लिए रख लिया और छापा भी। उस समय मैंने उनसे कहा— "महाराज, आपको मेरी यह कविता प्रिय लगी तो पहले क्यों नहीं प्रिय लगी? द्विवेदी जी ने उसे भेजा था।"

वे हंसकर बोले—“हां। वह कविता मिली थी लेकिन मुझे चिढ़ हो गई कि मांगने पर वे स्वयं अपनी कोई चीज तो नहीं भेजते, शिष्य की रचना भेज दी।”

मैं भी हंसने लगा। इसी प्रकार एक दिन पंडित जी के यहां गया तो वहां भवानीप्रसाद मिश्र मिल गये। पंडित जी ने परिचय कराया और भवानी भाई से पूछा भी कि इनकी कविताएं तुम लोग 'कल्पना' में क्यों नहीं छापने हो? पंडित जी वहां भी मेरी कविता भेज चुके थे। भवानी भाई ने कहा—“हां, मुझे तो इनकी कविताएं अच्छी लगती हैं किन्तु सम्पादक मंडल के और लोगों को ज्यादा ही नयी लगनी है।”

मुझे लगा कि भवानी भाई वहाने से यह कहना चाहते हैं कि 'कल्पना' जैसी आधुनिक पत्रिका के हिमाब मे मेरी कविताएं नयी नहीं हैं। उन्होंने अपने अन्दाज से उलटी भाषा मे बान कही। बान जो भी रही हो किन्तु मंच यही था कि वहां काफी दिन तक मेरी रचनाएं नहीं छपी—यद्यपि मैं भेजता रहता था। 'कल्पना' एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें छपने की हमरत हर एक नये लेखक को होती थी। शिवप्रसाद जी की कहानियां छपने लगी थीं। शंभूनाथ जी भी छपते थे। आखिर मेरी एक रचना छपी किन्तु वह कविता नहीं थी—कहानी थी। उस कहानी 'लोचन' की चर्चा भी हुई किन्तु मैंने उसे अपने किसी संग्रह मे नहीं दिया।

उस वक्त कुछ आगे-पीछे अनेक स्तरीय पत्रिकाएं निकली। कहा जा सकता है कि पत्रिकाओं की दृष्टि से यह स्वर्णिम युग था। 'कल्पना', 'आजकल', 'नया पथ', 'अवन्तिका', 'पाटल', 'अजंता', 'युग-चेतना', 'नयी कहानी', 'प्रवाह', 'हंम' न जाने कितनी ही अच्छी पत्रिकाएं निकलती थीं और सभी का स्तर और स्वरूप अखिल भारतीय था। वे गली-मुहल्ले से निकलने वाली पत्रिकाएं नहीं थी वरन् पूरे देश के हिन्दी साहित्यकार इन पत्रिकाओं के मंच पर उपस्थित थे। उनमें दल, विचार, वाद आदि के व्यवधान नहीं थे, सभी छपते थे छपने लायक रचनाओं के साथ।

धीरे-धीरे मेरा प्रवेश इन पत्रिकाओं में हो रहा था। आगे-पीछे मैं सभी मे छपने लगा। मैं प्रगतिवाद की ओर झुक तो रहा था किन्तु इस प्रक्रिया में न तो वर्जना की कोई रेखा खींची और न प्रगतिवाद का ठेठ चालू मुहावरा अपनाया। इसलिए कई बार प्रगतिवादी मित्रों को मेरी कविताओं को प्रगतिवादी मानने में बड़ी परेशानी होती थी और आज तक हो रही है। एक मजेदार घटना घटी। 'नया पथ' से मेरा थोड़ा सम्बन्ध बन चुका था। तब वह बम्बई से निकलता था। मैंने एक कविता भेजी 'तुम्हें क्या दिया, तुम्हें क्या दिया जिन्दगी की राह मे'। सम्पादक थे शिव वर्मा और शील जी उनकी सहायता करते थे। पत्र आया शील जी का। उन्होंने लिखा कि कविता प्रगतिवादी नहीं है। मैंने उनकी आपत्तियों का जवाब देते हुए एक लम्बा पत्र लिखा और बतलाया कि

कविता कैसे प्रच्छन्न रूप में वे सारी बातें संकेतित कर रही है जिनकी मांग शील जी कविता के ऊपरले स्तर पर कर रहे हैं। इस बार पत्र आया शिव वर्मा जी का। उन्होंने लिखा कि 'कविता बहुत अच्छी है। उस दिन शील जी अपना चश्मा भूल आए थे। इसलिए कविता ठीक से पढ़ नहीं सके। कविता शीघ्र ही छप रही है।' कविता छपी और सम्मान के साथ छपी। मैं शिव वर्मा के प्रति कृतज्ञ हो आया जो क्रांतिकारी होते हुए भी साहित्य की व्यंजना के प्रति अधिक सहृदय दिखाई पड़े। जहां साहित्य के लिए ही अपने को अर्पित करने वाले बहुत-से लेखक और आलोचक लाठी भांज रहे थे (और अब तक भांज रहे हैं) वहां शिव वर्मा जैसे राजनीतिक सरोकार के व्यक्ति का एक अत्यन्त नए कवि की रचना की व्यंजित प्रगतिशीलता को सम्मान देना कितना प्रीतिकर प्रतीत हुआ।

मैं साहित्यिक संघ का मन्त्री बना दिया गया। यद्यपि किसी संस्था का नेतृत्व करना मेरे बश का नहीं है फिर भी मित्रों के आग्रह के कारण इस कार्य को स्वीकार करना ही पड़ा। मंच-भीरु स्वभाव और नेतृत्व की प्रतिभा की कमी इन दोनों ही कारण से मैं भीड़ या समुदाय के आगे नहीं चल सकता, उसके साथ चलना अच्छा लगता है। मैं अपने में डूबा रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जिन्दगी की चहल-पहल मुझे बहुत अच्छी लगती है इसीलिए मैं लेखन भी रात के सन्नाटे में नहीं कर पाता। मैं लेखन मुबह करता हूँ जब मेरे कमरे में चारों ओर जीवन-प्रवाह का संगीत बजता रहता है। मैं कमरे में थोड़ा अकेला रहूँ और बाहर दुनिया चलती रहे, मेरे लेखन की इतनी-सी मांग होती है। तो मैं स्वभावतः लोगों के साथ रहकर सुख पाता हूँ किन्तु उनके बीच से सिर उठाकर नहीं, उनके बीच कहीं खोकर। इसलिए साहित्यिक संघ का मन्त्री बनकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं था, आश्वस्त था तो बस इस बात से कि यों तो मन्त्री मैं हूँ किन्तु नेतृत्व ठाकुरप्रसाद सिंह ही करेंगे। वैसे भी इस संस्था के व्यवस्था पक्ष की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी और साहित्यिक संचालन भी उनके परामर्श से ही होता था चाहे मन्त्री कोई बनता रहा हो। उनमें संगठन तथा साहित्यिक नेतृत्व दोनों का सभालने की अद्भुत क्षमता थी और बनी रही। इसलिए मन्त्री-पद का भार संभालने के बावजूद मैं आश्वस्त था।

गोष्ठियां पहले भी होती थीं, मेरे मंत्रित्वकाल में भी खूब हुईं। शुकदेव सिंह मेरे सहयोगी थे। वे मेरे शिष्य थे। बहुत प्रबुद्ध छात्र तथा साहित्य-चेता थे। इसलिए मुझे उनसे सहयोग लेने का पूरा अधिकार था और वे देते थे। राजेन्द्र कृष्ण भी मेरे प्रिय प्रबुद्ध छात्र थे तथा कविताएं लिखते थे। वे भी सहयोगी के रूप में हमसे जुड़े थे। न जाने कितनी गोष्ठियां हुईं, किन-किन विषयों पर हुईं और कितने-कितने लोगों ने भाग लिया। उन गोष्ठियों का कोई लिखित हिसाब तो अपने पास नहीं है किन्तु उनकी खुशबू मन में बसी हुई है।

ठाकुर और अन्य मंत्रियों के मंत्रित्वकाल में अनेक महत्त्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन हुए और हिन्दी के अनेक विद्वानों और लेखकों ने भाग लिया। कुछ में मैं उपस्थित रहा, कुछ में संयोग नहीं मिला किन्तु अपने मंत्रित्वकाल में होने वाले वार्षिक अधिवेशन की:

याद अभी तक ताजा है। पहली बार मुझे हिन्दी के अनेक जाने-माने लेखकों से पत्र-व्यवहार करने का सुख मिला। डा० रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, उपेन्द्रनाथ अशक, प्रकाशचन्द्र गुप्त, शमशेर और न जाने कितने लोग। केदारनाथ अग्रवाल को छोड़कर लगभग सारे आमंत्रित लेखक अधिवेशन में आए। केदारनाथ अग्रवाल का बहुत आत्मीय पत्र आया। उन्होंने बहुत स्नेह से अपने न आ पाने की विवशता व्यक्त की। मैंने नागार्जुन और अशक दोनों से ही अपने यहाँ ठहरने के लिए निवेदन किया था। नागार्जुन मेरे यहाँ ठहरे। आये अशकजी भी किन्तु ठहरे नहीं, खाना खाकर कहीं और चले गये। उनके साथ कौशल्या जी भी थीं। गोरखपुर से विद्याधर द्विवेदी विज्ञ और योगेन्द्र पाडेय भी आ गए।

नागार्जुन जी को पहले भी एक बार देखा था किन्तु उनका साहचर्य पाने का यह पहला अवसर था। गोरखपुर के मित्रों का उनमें परिचय कराया। वास्तव में कई कवि ऐसे होते हैं जिनकी रचना और ऊपरी व्यक्तित्व में साम्य नहीं होता, उनमें से एक नागार्जुन भी है। वे तब तक अपनी प्रगतिशील विद्रोही कविताओं द्वारा जाने जा चुके थे और पाठक के मन में इस कवि के विद्रोही प्रखर व्यक्तित्व का बिम्ब बना हुआ था किन्तु जब पाठक उन्हें पहली बार देखता तो चौंक जाता (मैं भी चौंका था) कि यही है नागार्जुन? एक निपट देहाती किस्म का सीधा-सादा आदमी जिसकी शकल-सूरत भी ठेठ देहाती मिट्टी से बनी हुई है। गोरखपुर से आये मित्रों ने कहा—“यही हैं नागार्जुन?” मैं समझ गया वे क्या कहना चाहते हैं।

हम लोग खा-पीकर सोए। रात को देखा कि दूसरे कमरे में (जिसमें नागार्जुन जी थे) लाइट जल रही है। जब-जब नींद खुली, देखा लाइट जल रही है। मैंने एक बार उठकर झांका, देखा नागार्जुन जी लिख रहे हैं। सवेरे मैंने उनसे पूछा, “आप रात-भर सोए नहीं क्या?” हंसकर बोले, “मच्छरों ने मोने नहीं दिया तो सोचा कविता ही लिख लूं। सो रातभर कविता के द्वारा मच्छरों से लड़ाई करता रहा।” मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे यहाँ इतनी सुविधा नहीं कि अपने सम्मानित अतिथि को मच्छरों के आतंक से बचा सकूं। पेड़, पौधों, ताल, जंगली घासों के बीच बसा हुआ भक्ति-भवन जैसे ही मच्छरों के आकर्षण का केन्द्र रहा है, दूसरे फरवरी-मार्च का महीना जिसमें मच्छरों की फसल पैदा होती है। इसमें बिजली का पंखा भी तो नहीं चल सकता और चल भी सकता तो अपने पास पंखा था कहा और न जाने कब तक नहीं रहा। मेरी चिन्ता को समझकर नागार्जुन ने मच्छर-प्रसंग को हंसकर उड़ा दिया और कहा, कविता सुनो। उन्होंने कविता सुनाई। कविता बहुत छोटी थी, कुम्भ मेले पर थी। उसी साल अव्यवस्था के कारण न जाने कितने लोग भगदड़ में मरे थे। उसी को केन्द्रित करके यह कविता लिखी गई थी। मैंने कहा, “क्या बात है, बहुत छोटी-सी किन्तु कितनी मारक कविता!”

“पसन्द आई?”

“हां, बहुत।”

“क्या बताओ ये मच्छर न होते तो यह कविता कैसे बनी होती?”

हम हंस पड़े। नागार्जुन ने अपने कष्ट को कैसे एक जीवन्त वातावरण में बदल दिया और मेरे अपराध-बोध की कैसे हंसी में उड़ा दिया, देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ।

नागार्जुन देखते-देखते मेरे घर के अभिभावक बन गए। चौके में चले गये और पत्नी के पास बैठकर अपनी भोजन-रूचियां बताने लगे और वैसे ही चीजें बनवाने भी लगे। हमें कितना अच्छा लगा यह देखकर कि जिसे हमने अतिथि के रूप में बुलाया था वह तो घर के बुजुर्ग की तरह सबको स्नेह और आत्मीयता बांटने लगा। व्यक्ति नागार्जुन की प्रगतिशीलता उनकी बिद्रोही भंगिमाओं में नहीं बल्कि लोगों के लिए बहते हुए स्नेह में रही है। वे और उनकी पीढ़ी के अनेक प्रगतिशील लेखक बहुत अच्छे इन्सान रहे हैं—स्नेहशील साथी इन्सान।

गोष्ठी बी० एच० यू० के एक कक्ष में आयोजित थी। हम वहां समय से पहुंचे। अध्यक्षता रामविलास जी को करनी थी। शमशेर, त्रिलोचन, प्रकाशचंद्र गुप्त, अशक, कौशल्या अशक, महादेव साहा, महेन्द्रचन्द्र राय, रुस्तम सैटिन आदि अनेक लोग आ गए थे। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी पधारे थे। नये-पुराने स्थानीय साहित्यकार तो थे ही, इलाहाबाद से कमलेश्वर (और शायद मार्कंडेय भी) आये थे। डा० रामविलास शर्मा की प्रतीक्षा थी। वे रिक्शे से उतरकर आते दिखाई पड़े—घोती और बुशशर्ट पहने हुए। रामविलास जी को वेश-विन्यास का क्या बन्धन! भला घोती और बुशशर्ट का कोई मेल है किन्तु रामविलास जी के लिए सब ठीक है। गोष्ठी शुरू हुई। कई-कई विचारों के लोग बोले। वैचारिक टकराहटों की गरमागरमी रही। अन्त में रामविलास जी का अध्यक्षीय भाषण हुआ। उन्होंने अपनी जीवन्त शैली में अनेक बातें उठाईं। लगा कहीं-कहीं वे द्विवेदी जी के विचारों पर प्रकारांतर से व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार कर रहे हैं। पंडित जी बैठे थे और सुन-सुनकर अट्टहास करते रहे। रामविलास जी खुली शैली में जो जी में आया बोले। मसलन उन्होंने शमशेर को सुझाव दिया कि उन्हें कविता करना छोड़कर कुछ ठोस काम करना चाहिए—मसलन बसूला-रुखानी लेकर लकड़ी का काम करना चाहिए। शमशेर ने उठकर आदाब अर्ज कहा। फिर रामविलास जी उपन्यास की ओर घूम गए और कहा कि इन दिनों एक बहुत अच्छा उपन्यास आया है। यह बात कहने के साथ उन्होंने हंसकर नागार्जुन से कहा—‘तुम क्या मेरी ओर देख रहे हो नागार्जुन। मैं तुम्हारी बात थोड़े ही कर रहा हूं, मैं तो ‘बलचनमा’ की बात कह रहा हूं।’ हंसी हुई और रामविलास जी आगे बढ़ गये।

दोपहर के बाद दूसरा सत्र था और शाम को नौका-विहार का कार्यक्रम रखा गया था। नौका-विहार के समय अशक जी ने समा बांधा। वे नाटकीय अंदाज में चुटकुले सुनाते रहे और सबको हंसाते रहे। अपने नाटक के कुछ संवाद भी नाटकीय अन्दाज में सुनाए, दूसरे लेखकों की आलोचना भी की। इस प्रक्रिया में उन्होंने बार-बार कुछ लेखकों के लिए ‘चुगद’ शब्द का प्रयोग किया। जब भी वे ‘चुगद’ शब्द का प्रयोग करते थे द्विवेदी जी समेत सारे लोग हंस पड़ते थे। कविता-गोष्ठी भी हुई। हम चांदनी रात में गंगा की लहरों पर बहते रहे और हमारे बीच बहती रही साहित्यधारा। हम नये

लोग साहित्य-सिद्धों के इतना निकट बैठकर उनकी प्रतिभा के ही नहीं, उनकी सहज आविश्यत के रस में भीग रहे थे—यह कितना अविस्मरणीय प्रसंग था। वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हो गया। लोग चले गये और मैं हलका महसूस करने के साथ-साथ अपनी कमियों की व्याख्या करने लगा—मेरी भूमिका कहां कमजोर थी। मुझे और अच्छे ढंग से क्या-क्या करना चाहिए था। मेरी यह आदत आज तक नहीं गई। मैं अक्सर पर प्रायः चूक जाता हूँ और बाद में सोचता हूँ कि ऐसा हुआ होता तो ज्यादा अच्छा रहा होता।

मैं मार्च सन् '56 तक बनारस में रहा और कह सकता हूँ कि यह समय काशी में साहित्यिक विचारगोष्ठियों और साहित्यिक समारोहों की गहमागहमी का काल था। हिन्दी साहित्य का पूरा साहित्यिक वातावरण अच्छी पत्रिकाओं से तो भरा ही हुआ था। मुझे इस दौर में काशी में होने वाली गोष्ठियों और समारोहों का तिथि-क्रम याद नहीं, बस याद है तो उनका होना। कह चुका हूँ कि काशी में प्रगतिशील चेतना के 'साहित्यिक संघ' के अतिरिक्त 'चेतना' नामक एक गोष्ठी चलती थी जिसका सम्बन्ध इलाहाबाद की 'परिमल' संस्था से था। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में काशी विद्यापीठ में 'नव संस्कृति संघ' नामक एक संस्था भी चली थी। यह भी कह चुका हूँ कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद हम सभी गोष्ठियों में जाया करने थे, रचनाएं पढ़ते थे, सुनते थे और उन पर जमकर आलोचनाएं होती थीं। मित्रता की कोई रियायत नहीं होती थी।

चेतना का वार्षिक समारोह था। यदि साहित्यिक संघ में रामविलास शर्मा, शमशेर, नागार्जुन, अशक आदि आये तो चेतना में अज्ञेय, धर्मवीर भारती, विजयदेव-नारायण साहू, सर्वेश्वर आदि को आना ही था। काफी अच्छी भीड़ थी। सुबह के सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे डा० देवराज और मुख्य वक्ता थे द्विवेदीजी। द्विवेदी जी को तो लगातार सुनता आया था किन्तु कभी-कभी तो वे अपने भाषणों में इतनी ऊंचाई तक उठ जाते थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस ऊंचाई तक उठते उन्हें कई बार बाद में भी देखा। उस दिन उन्होंने एक विराट् ऐतिहासिक और सामाजिक सन्दर्भ में मानव-शक्ति की जो व्याख्या की, वह अद्भुत थी। न जाने कितने-कितने सन्दर्भ, अर्थ और नये विश्लेषण सहज भाव से बहते हुए उनके भाषण का अंग बन जाते थे और सब मिलकर एक विराट् आशय की रचना कर देते थे। लगता था जैसे विराट् श्रोता-समुदाय अनायास भाव से उनके स्वर के साथ बंधा हुआ एक बड़े विचार और अनुभव का अंग बन गया है और कुछ समय के लिए कालबोध, स्थानबोध से मुक्त हो गया है। उस दिन भी यही स्थिति हुई। 'परिमल' की कलावादी रूखान से जुड़ी 'चेतना' की गोष्ठी में द्विवेदी जी ने प्रगतिशील सामाजिक चिन्तन और मूल्यबोध का सहज भाव से जो आख्यान किया उसके प्रभाव ने या तो आंदोलित किया या स्तब्ध कर दिया। उनके भाषण के बाद किसी के भाषण के प्रभावशाली होने का प्रश्न ही नहीं उठता था किन्तु प्रश्न केवल प्रभावशाली होने का नहीं था, तथ्यों और सत्यों के विवेचन का भी था। अज्ञेयजी का भाषण प्रभावशाली न भी हो, सारगर्भित तो होता ही है। उन्होंने सम्भवतः दूसरे सत्र में बहुत धीरे-धीरे टुकड़ों में सारगर्भित बातें उठाईं। डा० देवराज

ने भी अपने ढंग से महत्त्वपूर्ण तथ्यों और विचारों की अभिव्यक्ति की। भारती जी भी बोले। अच्छा बोलते थे, अच्छा बोले।

शाम को कविता-गोष्ठी थी। इलाहाबाद और काशी के सभी उपस्थित महत्त्वपूर्ण कवियों ने कविता-पाठ किया। भारती जी को पहली बार सुना। उन्होंने गाकर अपनी गजल 'द्वार कुछ बन्द कुछ खुला रखिए' सुनाई। धीरे-धीरे अच्छा गा लेते हैं। वैसे भारतीय जी से एक बार मेरी भेंट इलाहाबाद में 'परिमल' की एक गोष्ठी में हो चुकी थी। शंभूनाथ जी के साथ मैं एक काव्य-समारोह में इलाहाबाद गया था। संयोग से दूसरे दिन परिमल की गोष्ठी थी। शंभूनाथ जी के साथ मैं भी निमन्त्रित हुआ था। वहां जाने के बाद शंभूनाथ जी ने मेरा परिचय कराया तो भारती जी समेत कई लोगों ने पूछा, " 'उमड़ रही पुरवइया कुंतल जाल सी' कविता आपकी ही है न ?" मैंने परम सुख के साथ कहा, "हां।" उसके बाद जो भी सदस्य आता उससे मेरा परिचय कराया जाता। ये हैं रामदरश मिश्र, 'उमड़ रही पुरवइया कुंतल जाल सी' के कवि। 'अच्छा-अच्छा, आप है' कहकर वह व्यक्ति मेरी ओर गौर से देखता।

वास्तव में हुआ यह था कि संगम में मेरा एक गीत छपा था जिसकी पहली पंक्ति थी, 'उमड़ रही पुरवइया कुंतल जाल सी, लहर रहे अम्बर में काले-काले बदरा'। यह गीत मुझे बहुत प्रिय था, और लोगों में भी प्रिय हुआ था। इसी गीत की बगल में भारती जी का भी एक गीत छपा था, 'अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेले'। उनका यह गीत भी काफी ख्यात हुआ था। जाहिर है इस गीत के साथ मेरा गीत पढ़ा गया होगा और संभवतः सबसे पहले भारती जी ने ही पढ़ा और सराहा होगा, उन्होंने दूसरों से इसकी प्रशंसा की होगी। वैसे भी उस समय लोग अच्छी चीजें पढ़ते और सराहते थे। मैं काशी का एक नया अप्रचारित कवि अपनी एक कविता के माध्यम से इलाहाबाद के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। यह उस समय के साहित्यिक वातावरण की शुद्धता का एक उदाहरण है। उस गोष्ठी में मैंने अपनी एक और बहु-चर्चित कविता सुनाई, 'जग में मैं सबका आभारी, सबने जीवन को दान दिया'। किंतु इसे सुनने के बाद लोगों ने 'उमड़ रही पुरवइया' वाले गीत को सुनने की इच्छा व्यक्त की। मैंने वह गीत सुनाया। काफी दुबले-पतले थे भारती जी। इतने दुबले कि पीठ निकली हुई मालूम पड़ती थी। संघर्ष के दिन थे। सामान्य कुर्ता-पाजामा में थे और एक पुरानी साइकिल पर चलकर आए थे। किंतु चाहे भारती जी हों, चाहे हम लोग, अभाव के उन दिनों में कितनी सर्जनात्मक ऊर्जा और खुशबू महसूस होती थी। भारती जी ने अपनी सर्जना की सारी खुशबू उन्हीं दिनों बिखेरी थी। मोहन राकेश की स्मृति में लिखी गई उनकी कविताओं में इन दिनों की खुशबू झांकती दिखाई पड़ती है। उन्हीं दिनों वे अपनी पुरानी साइकिल पर कमलों से भरी दुपहरिया ढोकर लाते थे। उन्हीं दिनों 'उन्मन यह फागुन की शाम है' जैसी कविता उनके अन्तर से फूटी थी। यानी उन दिनों की उनकी कविताओं और कथा-साहित्य में इलाहाबाद की कस्बाई गंध अपनी पूरी सघनता के साथ अभिव्यक्त हुई थी—इलाहाबाद के कस्बाई त्योहार, पर्व, ऋतु, मौसम, साल, तलैया, लोगबाग, गलियां, सड़कें सभी तो कवि-मन की कच्ची जमीन से फूट रहे

थे। उसके बाद आज भारती जी को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही।

दूमरे दिन सुबह शंभूनाथ जी मेरे घर आए (या संदेश भेजा) यह कहने के लिए कि अज्ञेय जी मुझे पूछ रहे थे। उन्होंने मेरी कविता पसन्द की है। आज मुझसे मिलना चाहा है। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। अज्ञेय जी ने मेरी कविता पसन्द की है, यह समाचार सुगंध बनकर मेरे भीतर व्याप गया। आज गोष्ठी का दूमरा दिन है। वहां उनसे भेंट होगी ही।

गोष्ठी का प्रातःकालीन सत्र समाप्त हो गया। लोग चाय ले-लेकर कमरे में टहल रहे थे। यही समय था अज्ञेय जी से मिलने का। मैं उनके पास गया। नमस्कार करके खड़ा हो गया। वे चुप खड़े रहे। मुझे बिचित्र लगा। मुझे मिलने के लिए बुलाकर चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोलते ही नहीं। फिर मैंने ही कहा—“जी, आपने मुझे याद किया था ?”

“हां-आं-आं।” अपनी अभिजात भंगिमा में अज्ञेय जी बोले—“मुझे आपकी कल वाली कविता पसंद आयी थी, आप मुझे दे सकते है क्या ?”

“क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपके पते पर भेज दूंगा।”

“हां। और वैसी कुछ और कविताएं हों तो उन्हें भी भेज दें।”

“जी, बहुत अच्छा।”

फिर वे धीरे-धीरे दूसरी ओर सरक गए। मैं भी उनकी उपस्थिति का भागीपन महसूस कर रहा था, हलका हो गया। भीतर-भीतर प्रसन्न था यह सोचकर कि अज्ञेय जी की पारखी नजर जिस पर पड़ जाती है वह प्रकाश में आ जाता है। कइयो के साथ ऐसा हुआ है। ‘दूसरा सप्तक’ के अधिमंख्य कवि उनकी पारखी दृष्टि का स्पर्श पाकर जगमगाए है। यही स्थिति बाद में तीसरे सप्तक की भी हुई। मुझे याद है कि जब नरेश मेहता बनारस में थे तां हम लोगो की गोष्ठियो में आया करते थे और जब वे कुकुम गहराई जैसे शब्दों से युक्त कविताएं पढ़ते थे तो लोग उनकी छायावादी रंगमयता पर व्यंग्य से मुसकराते थे। जब वे ‘दूसरा सप्तक’ के कवि हो गए तो लोग चकित थे। कविताएं उनकी बदली हों या न बदली हों, लोग उन्हें गंभीरता से लेने लगे। अतः अज्ञेय जी ने मेरी कविता पसंद की है, यह बात मेरे लिए निश्चय ही बड़ी आह्लादक थी। बाद में मैंने उन्हें अपनी कुछ कविताएं भेजी किन्तु उनका क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला। यानी मैं उनकी पारखी दृष्टि का स्पर्श नहीं पा सका। बहुत बाद में (दिल्ली आने पर) उनसे भेंट-मुलाकात होती रही और तब उन्होंने अपना कठोर मोन तोड़कर लोगों से बोलना भी शुरू कर दिया था किन्तु उनके लोग ही धीरे-धीरे उनसे कटते गए और वे बत्सल निधि के शिविरों में चलने के लिए, जय जानकी यात्रा में भाग लेने के लिए न जाने किसे-किसे आमन्त्रित करते रहे। मुझसे भी बार-बार आग्रह किया किन्तु जब उनसे जुड़े लोगों ने ही लाभ लेकर उनसे किनारा कर लिया था तो, मैं तो अलग विचारधारा का व्यक्ति हूं और उचित समय पर उनके तबज्जुह से सर्वथा वंचित रहा, मैं अब उनसे क्यों जुड़ता ? खैर, यह बाद की बात है।

मैं कवि-सम्मेलनी कवि कभी नहीं रहा, हो भी नहीं सकता था किन्तु कवि-

सम्मेलनों में जाया करता था। मेरी ही तरह और भी अनेक अकवि-सम्मेलनी कवि कवि-सम्मेलनों में जाया करते थे। तब कवि-सम्मेलनों का रूप सम्मान-च्युत नहीं हुआ था। तब तक भांडों को कवि का दरजा नहीं मिला था और न गवैयों के आगे और लोग खारिज हुए थे। गवैये भी वे ही सम्मानित थे जो कवि भी थे। बच्चन जी अच्छा गाते थे, गोपालसिंह नेपाली अच्छा गाते थे किन्तु धीरे-धीरे भांडों और गवैयों की ऐसी प्रभुता बढ़ी कि कवि-सम्मेलनों की दुनिया से कवि लापता हो गए। किन्तु मैंने कहा न कि जब की बात मैं कह रहा हूँ तब तक ऐसा अवमूल्यन नहीं हुआ था। आज की तरह उनमें शरीक होने पर अपराध-बोध नहीं महसूस होता था। कविता का गायन या अगायन काँई मापदंड नहीं था और यह भी था कि प्रायः सभी कवि अच्छे-बुरे स्वर में गाते ही थे। हमारे समकालीन कवि परिवेश में शंभूनाथ सिंह, नामवर सिंह (जिन्होंने बाद में कविता लिखना छोड़ दिया था), ठाकुरप्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, श्रीपाल सिंह क्षेम, रवीन्द्र भ्रमर, हरिमोहन और अन्य अनेक कवि कवि-सम्मेलनों में गाते थे। मैं भी गाना था। कुछ लोग अच्छा गाते थे, कुछ लोग सामान्य। यानी उन दिनों गाने या न गाने की कोई कैंद नहीं थी। कवि-सम्मेलनों में जाने का मुझ जैसे लोगों के लिए एक दूसरा कारण भी था, वह यह कि उन गहरे अभाव के दिनों में उनसे कभी-कभी कुछ सहारा मिल जाता था। बनारस, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, छपरा, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती आदि आसपास के जिलों में आयोजित कवि-सम्मेलनों में हम जाया करते थे, उन कवि-सम्मेलनों के खट्टे-मीठे अनुभवों से गुजरा करते थे। न जाने कितने अनुभव हुए होंगे जो अब अवचेतन की पतों के नीचे दबे पड़े हैं।

गोरखपुर के ए० डी० गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल (बाद में इंटर कालेज) में एक कवि-सम्मेलन हुआ। उसमें मैं भी बुलाया गया। वहाँ जाने का एक विशेष आकर्षण था, वह यह कि मेरी पत्नी वहाँ की छात्रा रही हैं और उनकी अनेक सखियाँ अभी भी वहाँ पढ़ रही थीं। वे मुझे जानती थीं। सो एक तरह से सालियों के बीच कविता पढ़ने की महक भीतर भर उठी थी। इसके अतिरिक्त गोरखपुर अपने जिले का शहर तो था ही।

बनारस से मेरे अतिरिक्त शंभूनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, रवीन्द्र भ्रमर थे। शमशेर जी तब बनारस में थे, वे भी साथ में थे। भ्रमर बहुत अच्छा गाते थे (अब भी गाते हैं)। जब कवि लोग साथ हाँते थे तो चुप कहां रह सकते थे, सुनते-सुनाते थे। भ्रमर जी ने लोकगीत छोड़ दिया। मधुर कंठ से वे एक कहरवा गाने लगे :

बाजत आवेला ढोल से ढमाका

कि नाचत आवेला

ओई विसुनी कंहरवा

रामा नाचत आवेला

लोकगीत का जादू भ्रमर जी के कंठ के जादू से मिलकर एक अद्भुत तरल प्रभाव पैदा कर रहा था। हम सभी उस रस में भीग रहे थे किन्तु मैंने देखा कि शमशेर जी की आँखों से आँसू झर रहे थे। मार्मिक पंक्तियाँ सुनकर सद्यःद्रवित मैं भी हो जाता हूँ किन्तु मैं तो अपने को भावुक स्वभाव का मानता ही हूँ। शमशेर के बारे में तो इतना

ही जानता था कि बुद्धिवादी मानी जाने वाली प्रयोगवादी कविता (और नयी कविता) के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताओं की दुरुहता भी उनके अभावुक होने की गवाही देती है किन्तु यहां तो शमशेर का एक दूसरा ही रूप सामने आ रहा था। चश्मे के भीतर रससिक्न आंखों में आसू झरते जा रहे थे, वे उन्हें पोंछ भी नहीं रहे थे।

इमी बीच औडिहार आया। शंभूनाथ जी पान खाने उतरे। पान बेचने वाला एक लडका था। पता नहीं क्या हुआ कि शंभूनाथ सिंह जी ने उसे एक झापट रमीद कर दिया और मेरा नाम लेकर चिल्लाए—“रामदरश, जरा पकवना इसको, इसकी मग्मत्त कर दें।” भला मैं क्यों पकडता किन्तु हम सभी उतरकर नीचे आ गए और शंभूनाथ जी की गलती समझकर चप रहे। कुछ सयाने पान वाले आ गए और शंभूनाथ जी से बोले—“बाबू, आपने काम तो अच्छा नहीं किया किन्तु बेहतर है आप जाकर गाडी में बैठ जाइए, बहुत उलझिए नहीं।” हम लोग शंभूनाथ सिंह को अंदर खींच लाए। ज्यो ही गाडी सरकी उम लडके ने बडा सा पत्थर शंभूनाथ की ओर फेका। गनीमत थी कि वह पत्थर खिडकी की लकडी से टकराकर बाहर ही गिर गया। अब हमारे माहौल में रौद्र रस और भयानक रस का संचार हो उठा था। हम लोग स्तब्ध थे। कुछ देर बाद भ्रमर जी ने फिर कुछ गाकर माहौल बनाने की कोशिश की, किन्तु बना नहीं।

रात को कवि-सम्मेलन हुआ। हम लोगो के अतिरिक्त गोरखपुर के स्थानीय कवि भी थे। उनमें रामलाल जी प्रमुख थे। अछप्रक्षता सभवनः शंभूनाथ जी ही ऋ रहे थे। महिला विद्यालय का कवि-सम्मेलन। पूरे वानश्वरण में सुगंध व्याप्त थी। हर व्यक्ति जमने की कोशिश में था। मेरे लिए तो जमना और भी आवश्यक था क्योंकि मेरी पत्नी की सखिया यहां थी जो मेरे नाम में परिचित थी, बाकी रही-सही कमर शंभूनाथ जी ने पूरी कर दी—यह परिचय देकर कि इस शहर में मेरी ससुराल है और मेरी पत्नी इसी स्कूल की छात्रा रही हैं। कवि-सम्मेलनो में जमना न जमना निश्चित नहीं होता। एक ही कविता कही जम जाती है, कही उखड जाती है। इसलिए अपनी अच्छी में अच्छी कविता पढ़ने के लिए तैयार मन में धुकधुकी लगी होती है। बहरहाल मैंने अपनी कविता पढ़ी, मित्रो ने वाहवाही दी और सबसे बडी बात यह हुई कि गोरखपुर के कवि रामलाल ने घोषणा कर दी कि वे मेरी कविता पर प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कृत करेगे। रामलाल जी पुरस्कृत करेगे या नहीं (और नहीं किया) मेरे लिए इगका कतई महत्व नहीं था। महत्व इस बात का था कि उन्होंने यह घोषणा करके सामान्य लडकियो के मन में भी मेरी कविता के महत्व को सम्प्रेषित किया।

कवि-सम्मेलन की सयोजिका लडकी प्रबन्ध के मित्रमिले में हम लोगो से प्रायः मिलती थी। वह रूपरग, वेशभूषा और व्यवहार में बहुत आकर्षक थी। शमशेर जी हम लोगो में सबसे बरिष्ठ कवि थे इसलिए उन पर प्रति उसका अतिरिक्त सम्मान-भाव स्वाभाविक था। शमशेर जी की भावुकता का दूसरा रंग उभर रहा था। उस लडकी की वे बार-बार प्रशंसा कर रहे थे। उनकी आंखों में उस लडकी के सुन्दर व्यक्तित्व की छाया साफ पढ़ी जा सकती थी। उनकी आंखें भावुकता से भीग आयी थी और लौटते समय रास्ते-भर बहुत सयत रूप में उस लडकी की चर्चा वे करते रहे। मुझे शमशेर जी

की भावुकता का यह रंग बहुत मानवीय और प्रीतिकर लग रहा था ।

रवीन्द्र भ्रमर न जाने कब किसी स्टेशन पर छूट गए । उनका सामान हमारे ही पास था । मैं उनका सामान अपने माथ ले गया और वे दूसरी गाड़ी में पहुंचे ।

सिगनल के पास गाड़ी रुकी तो शंभूनाथ जी वही उतर गए किन्तु पटरी में सड़क तक की उतराई काफी सीधी थी । उतरते हुए वे तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगे । हमें लगा कि अब गिरे तब गिरे लेकिन वे सकुशल सड़क तक पहुंच गए । शमशेर जी घबरा गए और टिप्पणी की—“शंभूनाथ जी वयस्क हो गए हैं, इन्हें इस तरह बच्चों का-मा व्यवहार नहीं करना चाहिए ।” इस यात्रा में शमशेर जी से पहला लम्बा साहचर्य रहा । यह इस यात्रा का अतिरिक्त सुख था ।

33

इन्ही वर्षों में इलाहाबाद में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ । गोरखपुर से विद्याधर भी आ गए । हम लोग इलाहाबाद पहुंचे । हिन्दी और उर्दू लेखकों का भारी जमघट था । बार-बार विचार-गोष्ठियां हो रही थीं । बार-बार काव्य-पाठ हो रहा था । रामकेर जैसे कुछ लोक-कवि भी आए थे । कवियों ने लोक-कवियों को बहुत सम्मान से सुना । बार-बार वे मंच पर बुनाए गए । आश्चर्यजनक बात यह थी कि सबसे अधिक आकर्षण के केन्द्र प्रेमघवन बने हुए थे । वे नाचने की मुद्रा में अपने प्रगतिशील फिल्मी गीत गाते थे और लोग बार-बार उन्हें सुनना चाहते थे । भीड़ भी अभिजात दीखने वाले स्त्री-पुरुषों की थी । वे चाहे प्रगतिशील रहे हों चाहे और कोई, आम आदमी-से नहीं दीखते थे । बहरहाल हिन्दी उर्दू के अनेक कवियों का जमघट अपने-आप में बहुत सुखद था और उनमें से अधिसंख्य को पहली बार देख रहा था । अतः मेरे लिए यह और भी हर्षपूर्ण अनुभव था । मुझे इस अधिवेशन की विस्तृत और ठोस गतिविधियों की तो याद नहीं है किन्तु विचार-गोष्ठी और कवि-सम्मेलन का कुछ प्रभाव अवश्य मन पर अंकित है । पूर्वाह्न में विचार-गोष्ठी हो रही थी । अध्यक्ष मंडल में कई लोग थे जिनमें फ़िराक़, यशपाल के अलावा और कई व्यक्ति थे (नाम याद नहीं) । फ़िराक़ साहब ने अपनी हिन्दी कुंठा के अनुकूल ही हिन्दी-विरोधी भाषण दिया । उन्होंने कहा कि उर्दू कविता की परम्परा प्रगतिशील रही है और हिन्दी की प्रगति-विरोधी । उन्होंने कहा—“हिन्दी कवियों को देश की राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं था । जब बादशाह भक्त कवि को बुलाता है—आओ, सीकरी आओ, हम लोग धर्म और समाज की बेहतर की बातें करें तो संत मना करता है—‘संत को सीकरी सों’ कहां काम ।” रामविलास जी बीच में बोल पड़े—“अरे भाई, उसकी पनही टूट गयी थी ।” एक हंसी पड़ी और फ़िराक़ साहब का कुंठाग्रस्त भाषण चलता रहा । जब वे बैठ गए तब रामविलास शर्मा बोलने खड़े हुए । रामविलास जी ने प्रमाणों और तर्कों के सहारे फ़िराक़ साहब की स्थापना को धो दिया

और दिखा दिया कि यह है हिन्दी कविता-परम्परा और यह है उर्दू कविता-परम्परा । देख लो कौन-सी परम्परा प्रगतिशील रही है । यशपाल जी बोले और उन्होंने आलोचकों को आड़े हाथों लिया । उन्होंने कहा—“आलोचकों ने हमेशा मेरे मार्ग में रोड़े ही अटकाए हैं । उनकी आलोचना से मुझे अपने को पहचानने में तनिक भी सहारा नहीं मिला, इसलिए मैंने भी उनकी परवाह नहीं की । मैंने पाठकों की आलोचनाओं को हमेशा तरजीह दी है क्योंकि वे ईमानदारी में बात करते हैं । उनकी आलोचनाओं के अनुसार मैंने अपने लेखन में फेरबदल भी किया है । वे ही मेरे सच्चे पथ-प्रदर्शक हैं ।” जाहिर है उनका इशारा प्रमुखतः रामविलास शर्मा और डा० भगवत्शरण उपाध्याय (संभवतः वे भी वहाँ थे) की ओर था ।

शाम को कवि-सम्मेलन था जिसमें हिन्दी और उर्दू के कवियों ने कविताएं पढ़ी । कल में ही काव्य-पाठ के कई छोटे-छोटे दौर हो चुके थे किन्तु यह प्रमुख दौर था । उसमें मैंने अली सरदार जाफ़री की कविता भी सुनी और भाषण भी । सरदार जाफ़री की कविताओं में खेतों, खलिहानों आदि के बहुत व्यापक और ताजा बिम्ब आए थे । उन बिम्बों के नयेपन से मैं अभिभूत था । यह और बात थी कि उस नयेपन में अनुभवों की गहराई नहीं थी । मन को झकझोर देने वाले संवेदनात्मक आघात नहीं थे । इस बात का अनुभव मुझे बाद में और भी स्पष्टता से हुआ जब अपनी समझ थोड़ी और विकसित हुई और ऐसी कविताओं के ऊपरी नयेपन का उफान थम गया । हाँ, सरदार के भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ । वे बहुत अच्छे वक्ता हैं । इसलिए प्रगतिशील लेखक संघ को अनुदान राशि देने के लिए कवि-सम्मेलन में उपस्थित जनता से अपील का काम सरदार को ही सौंपा गया और उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से यह काम पूरा किया । याद नहीं कि कुछ पैसे मिले कि नहीं किन्तु यदि नहीं मिले तो इसमें सरदार जाफ़री के भाषण का कोई दोष नहीं था । स्टेज पर एक और दृश्य देखने को मिला, वह था जाफ़री और फ़िराक़ में मुह-फ़ुलोवल । मालूम हुआ कि दोनों में मान-मनुहार की नोक-झोंक चलती रहती है । इसका अनुभव कुछ समय बाद और गहराई से हुआ ।

उस वर्ष भी प्रगतिशील लेखकों का जमावड़ा था (संभवतः चीनी शिष्टमंडल आया था) । काफी संख्या में बाहर से लेखक आये थे । शाम को पहले कवि-सम्मेलन हुआ, बाद में मुशायरा । उस कवि-सम्मेलन में पहली बार कमलेश्वर से भेट हुई थी । उन्होंने कविता लिखनी शुरू की थी और मुझसे उनका परिचय एक कवि के रूप में ही कराया गया । कहानीकार के रूप में वे बाद में आये । उस कवि-सम्मेलन के बाद शायर लोग जाने लगे ।

मुशायरे का समय देर से ही शुरू होता है और जब हम लोग स्टेज पर थे तभी देखा कि सरदार जाफ़री झटके से हाल के अन्दर आये । उनका चेहरा तमतमाया हुआ था । कुछ क्षणों के बाद देखा कि फ़िराक़ साहब गाली बकते गेट से अन्दर होना चाहते थे । छड़ी फटकार रहे थे और जोर-जोर से बोल रहे थे । गेट पर खड़े स्वयंसेवकों ने उन्हें रोक लिया । फ़िराक़ साहब ने जबरदस्ती की तो उन्होंने उन्हें पीछे धकेल दिया । उस हाल में कई गेट थे । फ़िराक़ साहब एक गेट पर रोके जाते तो दूसरे गेट पर जाते

थे। वहाँ भी उन्हें पीछे धकेल दिया जाता था। कुछ गेट तो बंद कर लिए गए। आखिर वे अन्दर नहीं घुस पाये।

कवि-सम्मेलन समाप्त होने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए बाहर निकले तो देखा, फ़िराक़ साहब बाहर आहत शेर की तरह टहल रहे थे तथा गरज रहे थे—“आओ साले, अब देखता हूँ।” कुछ देर बाद वे घर लौट गये। मुझे बहुत अजीब लगा यह सब देखकर। चाहे वे जितने बड़े शायर और जीनियस हों, सामाजिक स्थानों पर इस तरह की फूहड़ हरकत क्षम्य नहीं मानी जा सकती। बल्कि वे बड़े शायर है इस नाने उनसे शिष्ट आचरण और मध्य व्यवहार की अधिक आशा की जाती है। अधिक मात्रा में शराब पीकर स्टेज पर आने वाले चाहे फ़िराक़ जैसे बड़े शायर हों, चाहे अनेक छूटभंगे मंचीय कवि, ये जनता के बीच कवि का बिम्ब विकृत करते हैं। लोग सोचते हैं, यही लोग है जो मनुष्यता, सद्व्यवहार, सौन्दर्यबोध और सुरुचि की बात करते हैं और बात ही नहीं करते, उसे जनता के भीतर उतारना चाहते हैं। क्या लोगों को मन-भर की सीख पिलाने के स्थान पर स्वयं छटांक-भर की तमीज नहीं सीख सकने? फ़िराक़ का हिन्दी-विरोध मशहूर है किन्तु विरोध करने का उनका जो फूहड़ तरीका था वह का एक बड़े शायर और विद्वान् का तरीका कहा जा सकता है? विचित्र बात यह भी है कि फ़िराक़ को उर्दू की अपेक्षा हिन्दी वाले ज्यादा प्यार और सम्मान देते थे।

हमे यह जानने की जिज्ञासा थी कि क्या हुआ कि सरदार जाफ़री इस तरह झटके से भागकर अदर आये और फ़िराक़ साहब उनके पीछे-पीछे इस रूप में आये। दूसरे दिन इसका रहस्य खुला। कमलेश्वर, माकंडेय और दुष्यंत कुमार (तीन मित्र) फ़िराक़ साहब से मिलने गये तो देखा, फ़िराक़ साहब जाफ़री साहब से पूछ रहे थे—“अरे यार, क्या कल ज्यादा पी लिया था?” हुआ यह (और अकसर यही होता था) कि पीने के बाद दोनों में कोई वहस छिड़ गई। सरदार जाफ़री तो पीने के बाद भी संयम में होते थे पर फ़िराक़ साहब बहक जाते थे और तब वही होता था जो हुआ।

इस बार के सम्मेलन की एक बड़ी छोटी-सी सुखद अनुभूति हुई। उस दिन तिजहर को हिंदी और उर्दू के कवियों की एक छोटी-सी गोष्ठी हुई। उसमें मैं और केदारनाथ सिंह भी गये। केदारनाथ सिंह ने अपना कोई गीत सुनाया, शायद ‘गीतों से भरे दिन फागुन के ये गाये जाने को जी करता’ और मैंने सुनाया—‘चैत आया है, चैत आया है, चैत आया चैना के फूल लाया है’। हम दोनों उन दिनों लोक-धुन से प्रभावित लोक-चेतना और प्रकृति-चेतना के गीत लिख रहे थे। ये गीत हम कई बार सुना चुके थे और प्रशंसा भी पा चुके थे किन्तु जो प्रशंसा यहां सरदार जाफ़री की छोटी-सी टिप्पणी में मिली वह हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक थी। उन्होंने कहा, “काश, उर्दू में भी ऐसे लोकपरक ताजा गीत लिखे जाते।”

कह चुका हूँ कि गोष्ठीयों और साहित्यिक समारोहों का सिलसिलेवार लेखा-जोखा मेरे पास नहीं है। उन दिनों न जाने कितनी विचार और काव्य-गोष्ठीयां बनारस में हुईं; कितनी इलाहाबाद में, कितनी गोरखपुर में और कितनी अन्य शहरों में। वे

ठीक-ठाक कब हुई और किस क्रम में हुई इसका दस्तावेज मेरे पास दर्ज नहीं है। अतः मैं अपने को उनके सामूहिक माहौल में फँककर उनसे प्राप्त और स्मृति में सचित सुगंधित अनुभवों को दे पा रहा हूँ। यह भी एक इतिहास है—किसी समय के समाज और साहित्य का भावात्मक इतिहास।

इलाहाबाद से मेरा कोई रागात्मक सम्बन्ध नहीं बना—आज तक नहीं बन पाया किन्तु उन दिनों कभी-कभी साहित्यिक कार्य से—चाहे रेडियो के कार्य से, चाहे गाँठियों या कवि-सम्मेलनों में भाग लेने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ जाता था। 'परिमल' के ग्रुप के विरुद्ध प्रगतिशील ग्रुप सक्रिय था। उसमें वयस्क लोगों के अनिर्गन्त मार्कंडेय, दुष्यत और कमलेश्वर की तिगड़ी थी। ये तीनों बड़े गहरे दोस्त थे। बाद में दुष्यत की 'कल्पना' में एक कविता भी छपी थी—'हम तीन मित्र'। प्रगतिशील सूत्र में मैं इन तीन मित्रों से जुड़ा था। मैं इलाहाबाद जाता था तो नर्मदेश्वर उपाध्याय (जो इलाहाबाद रेडियो में पहुँच गये थे) के यहाँ ठहरता था। नर्मदेश्वर पुराने दोस्त तो थे ही, बड़े ही स्नेही और भावुक व्यक्ति थे (उनका स्नेही और भावुक रूप अभी तक कायम है)। अच्छे गीतकार थे। हमारे-उनके गहरे पारिवारिक सम्बन्ध थे और मैं उनके यहाँ गृहता की आश्वस्ति अनुभव करता था। उनके पडोस में ही भैरवप्रसाद गुप्त रहते थे। मार्कंडेय, दुष्यत और कमलेश्वर जब सुनते थे कि मैं आया हूँ तो स्नेहवश आते थे और गपशप होती थी। हम सभी साहित्यिक भविष्य की आकांक्षाएँ लिए चलने वाले युवक साहित्यकार थे। अतः साहित्यिक वर्तमान और भविष्य को लेकर न जाने कितनी-कितनी बातें होती थी। दुष्यत में एक खास शरारती मन्ती थी। उसने एक बार कहा, "भैरव भाई, चाय पिलाओ।" भैरव जी ने कहा—“भाई, मेरी पत्नी कहीं गई हुई है और नौकर भी नहीं है।”

“अरे भैरव भाई, कोई बात नहीं। मैं किस काम आऊँगा, चलिए चाय बनाता हूँ।” कहते हुए दुष्यत कुमार उठ खड़े हुए। भैरव भाई को लगा कि अब बहाना नहीं चलेगा तो दुष्यत को रोकते हुए बोले—“अरे भाई, रुको-रुको, कोई इतजाम करता हूँ।” मार्कंडेय ने कहा—“अरे यार दुष्यत, मैं तो तेरी इसी अदा पर मरता हूँ।” भैरव भाई ने चाय पिलाई। देर तक गपशप हुई। एक-दूसरे के नये साहित्य पर चर्चा हुई। कौन क्या लिख रहा है? क्या नया आया है? यह सारा कुछ हमारी चर्चाओं में उतरा। इस तिगड़ी ने कहा क्या-क्या शरारतें की हैं इसका भी बखाना हुआ। हम अलग हुए तो काफी भरे-पूरे थे। ऐमा प्रायः होता था।

पडोस में ही अशक जी रहते थे। इलाहाबाद जाऊँ और अशक जी में न मिलूँ यत्र संभव नहीं था और विशेषतया तब जब पडोस में ही यानी नर्मदेश्वर उपाध्याय के यहाँ ठहरा होऊँ। कभी अकेले गया, कभी तिगड़ी के साथ गया। अशक जी मेरे यहाँ आ चूके थे इसलिए भी, और साहित्यिक कारण से भी उनसे एक सम्बन्ध बन चुका था। जाने पर वे बहुत स्नेह देते थे और कौशल्या जी बड़ी आत्मीयता में खिलाती-पिलाती थीं। अशक जी खूब साहित्यिक चर्चाएँ करते थे। वे पढ़ते बहुत हैं, उन्हें नये से नये लेखन का परिचय होता है, इसलिए वे बहुत विश्वास से नये-पुराने लेखन पर अपने ढंग से,

अपने टोन में बातें करते थे। वे अपने विरोधियों के भी साहित्य की चर्चा करते थे। उनका आत्म-प्रचार वाला अंश निकाल दिया जाये तो कहा जा सकता है कि उनका साथ बहुत जीवंत, रोचक और ज्ञानवर्धक होता है।

इलाहाबाद के और न जाने कितने संदर्भ हैं जो मेरी स्मृति में बसे हुए हैं। एक बार मैं ठाकुरप्रसाद सिंह के साथ किसी साहित्यिक समारोह में इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद के बाहर ही विजयदेवनारायण साही मिल गये। उन्होंने सूचना दी कि धर्मवीर भारती की आज शादी है। कल शाम को उनके घर पर ही स्वागत-समारोह है। जाप लोग आइये। हम लोग थोड़े पसोपेश में पड़े कि इम तरह कैसे जाया जा सकता है। क्या इम तरह अनाहूत जाना ठीक रहेगा? साही जी हमारे सकट को भाप गये और बोले, “अरे भाई, भारती जी को क्या मालूम था कि आप लोग यहां होंगे। और मैं उनकी ओर से आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ।”

“ठीक है, हम लोग आएंगे।” कहकर हम लोग अलग हो गये किंतु मन का द्रव्र गया नहीं। अशक जी के यहां पहुंचे। मालूम पड़ा कि जिस लड़की से भारती जी की शादी हो रही है वह अशक जी की सुपरिचित है और अशक जी के ही प्रयत्नो से यह शादी हो रही है। किन्तु न जाने क्या बात थी कि वे भारती जी से नाराज लग रहे थे और ठान बैठे थे कि शादी में नहीं जायेंगे। एक ओर वे शादी में न जाने की जिद पकड़े हुए थे, दूसरी ओर यह जिद कि हम लोग जरूर जायें। भारती जी को क्या पता कि आप लोग यहां होंगे नहीं तो जरूर आमंत्रित करते। कौशल्या भी जायेंगी।

बहरहाल हम लोग संकुचित भाव से शाम को भारती जी के यहां पहुंचे। स्थानीय साहित्यकार तो थे ही किन्तु जब किसी ने भारती जी को हमारे आन की सूचना दी तो वे लपके हुए आये और धधाकर गले मिले। हमारा सारा संकोच झड़ गया। कुछ देर बाद कांता जी कमरे में से निकली। उन्हें साहित्यकारों के बीच घुमाकर उनसे परिचय कराया गया। कांता जी के आने से लगा कि सभा में उजाला हो गया। बाद में जब भारती जी और कांता जी के सम्बन्धों में दगर की बात सुनी तो मेरे सामने यह शाम उतर-उतर आई। न जाने क्या बात है कि एक लम्बी जीवन-यात्रा में काफी टूट-फूट जाता है किंतु उसका कोई एक बिन्दु मोन्दर्य-बिम्ब बनकर पूरी गहराई के साथ मन में यों समाया रहता है कि न टूटता है, न फूटता है, सब कुछ के बावजूद भीतर बना होता है और बाद की यात्रा की टूटन-फूटन को एक अजीब दर्द से भरता रहता है।

निराला (और महादेवी) इलाहाबाद की आत्मा थे। लोगों से (चाहे वे बड़े लोग ही क्यों न हों) मिलते-जुलते रहने की मेरी आदत नहीं है। यह आदत अच्छी नहीं है किन्तु है तो है, किया क्या जा सकता है। उसने प्राप्त होने वाले ज्ञान तथा सुख-सुविधाओं के लाभ से वंचित होने का अभिशाप यही आदत झेलती है न। दूसरों का इससे क्या बनता-बिगड़ता है? मैं भी झेलता रहा हूँ। अतः मेरी इस आदत की कमजोरी से दूसरों को नहीं, मुझे ही शिकायत होनी चाहिए। मुझे शिकायत नहीं है क्योंकि यह आलस भाग-दौड़ की थकान से बचाता भी तो है।

अतः मैं जहाँ रहा, वहाँ के बड़े आदमियों के साहचर्य-जन्य सुख से वंचित रहा। साहित्यकार होकर भी मैं निराला या महादेवी का परिचय-पात्र नहीं बन सका। इलाहाबाद न जाने कितनी बार गया किन्तु इन लोगों से मिलने नहीं गया। वैसे दो बार निराला जी से मिला और एक बार महादेवी जी से। मेरा पहला काव्य-संग्रह 'पथ के गीत' निकला था। मैं किसी काम से इलाहाबाद गया था। एक मित्र के यहाँ ठहरा था। इच्छा हुई कि निराला जी के दर्शन कर आऊँ और उन्हें पुस्तक की एक प्रति भेंट कर दूँ। हम पहुँचे तो वहाँ डा० उदयनारायण तिवारी बैठे थे। निराला जी लगातार उन्हें डाट रहे थे और वे 'हां निराला जी, हां निराला जी' कहते हुए चुपचाप सब कुछ झेल रहे थे। राजेन्द्रप्रसाद मिह भी बैठे थे। निराला जी ने उनसे पूछा— "कसगत करते हो?" मित्र ने मेरा परिचय कराया। उन्होंने बहुत मन मे हालचाल पूछा। मैं बहुत संकोच में उनका उत्तर दे रहा था कि कहीं किसी बात से रुष्ट न हो जायें लेकिन बहुत सहजता और स्नेह से मुझे वे अपना रहे थे। उन्होंने सुरती मलकर मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। मैं सुरती नहीं खाता और निराला जी को मना नहीं करते बन रहा था कि कहीं नाराज न हो जायें। वे मेरा संकट भाप गये और कहा— "अच्छा-अच्छा, आप नहीं खाते, कोई बान नहीं।" थोड़ी देर बाद चन्द्रमुखी ओझा सुधा डब्बे में कोई चीज लाई और उसे निराला जी को दे दिया। उनके सामने ही निराला ने प्रेम से लाई हुई वह निधि लोगों में बाँट दी। निराला जी ने कहा— "नीजिए आप लोग। बहुत नायाब चीज है। विश्व में और कहीं नहीं मिलती।" लोगों ने हाथ पमार दिये और ले-लेकर सुडकने लगे। जब मेरी बारी आई तो देखा, वह घी था। मैंने भी लेकर सुडक लिया।

चलने लगा तो निराला जी से निवेदन किया कि इस संग्रह पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। उन्होंने बहुत उत्साह में कहा— "हां, हां, मैं पढ़ूँगा और अपनी राय बताऊँगा। वैसे एक ग्लास में ही इसे देख लिया है।" मैं वहाँ में चला तो मोचने लगा कि उन्होंने एक वाक्य में ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। उन्होंने एक ग्लास में ही देख लिया है। यदि देख लिया है तो एकाग्र वाक्य में अपनी राय भी जाहिर कर सकते थे। नहीं की तो स्पष्ट है कि उन्हें पुस्तक प्रभावित नहीं कर सकी। यह सोचकर अपने को सतोष दिया कि इसमें है क्या कि इतने बड़े कवि को प्रभावित करेगी।

निराला जी का एक प्रसंग और याद आ रहा है। वह प्रसंग भी मेरे लिए एक मूल्यवान अनुभव था। दिसम्बर या जनवरी का महीना रहा होगा। मैं काशी के कई कवियों के साथ इलाहाबाद के एक कवि-सम्मेलन में गया। कविता-पाठ चल रहा था। ठीक बारह बजे निराला आये। कम्बल ओढ़े हुए थे। उनसे 'राम की शक्तिपूजा' पढ़ने का निवेदन किया गया। वे खड़े होकर कविता पढ़ने लगे। उनके एक भक्त उनके साथ खड़े हो गये। कविता पढ़ने की प्रक्रिया में उनका कम्बल बार-बार नीचे सरक जाता था और उनके भक्त बार-बार उन्हें ओढ़ा देते थे। झट्लाकर निराला जी ने वह कम्बल उठाकर दूर फेंक दिया। घुटने तक की धोती पहने निराला जी कमर के ऊपर निपट नंगे खड़े थे। पठार जैसा उनका नंगा शरीर और 'राम की शक्तिपूजा' का पाठ। लगता

था जैसे स्वयं बनवासी राम गरजते समुद्र के पास चट्टान पर खड़े हों। इस कठोर ठंड में नंगे शरीर निराला को 'राम की शक्तिपूजा' का पाठ करते देख मन ओज और करुणा से एक साथ भर उठा।

34

दूसरा साल भी बीत गया। स्कालरशिप तो मेरी स्वीकृत हो गयी थी। किन्तु उसका मिलना बहुत कठिन था। बहुत भागदौड़ करने पर तीन-तीन, चार-चार महीने बाद कही कुछ हाथ लगता था और इस बीच उधार इतना चढ़ चुका होता था कि पैसा आते ही ममाप्ति की स्थिति में हो जाता था। हमारा जो नियमिन खर्चा था वह तो था ही, एक अतिरिक्त व्यय की निरंतरता ने हमें अपने में कस रखा था। कह चुका हूँ कि हेमन्त निरंतर बीमार रहने लगा। चार-पाच दिन ठीक-ठाक रहा नहीं कि फिर बीमार। उसे मुख्यतः पेट की बीमारी थी। दस्त लगते थे। हम लोग उसे लिए-दिए अपने पारिवारिक चिकित्सक डॉ० सेन के घर और दुकान तक भागते ही रहते थे। दवा और फल का व्यय हमारे नियमित व्यय के साथ जुड़ गया था। और व्यय तो हम काट सकते थे किन्तु बच्चे की दवा और फल का व्यय कैसे काटने। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान मे संबंधित हमारी अर्थव्यवस्था और विषम हो उठी थी।

ये हमारे आर्थिक संघर्ष के विकट दिन थे। आर्थिक अभाव और तज्जन्य अपमान की स्थितियाँ बचपन में भी झेली थीं किन्तु तब मैं उत्तरदायित्व से मुक्त था और जैसा था वैसा रह लेने में कोई कुंठा नहीं व्यापती थी किन्तु अब तो बीबी और बच्चे का भार मेरे ऊपर था और मैंने था तो शोध-छात्र किन्तु कक्षाएं लेने की वजह से कितने छात्रों का गुरु भी था। इसलिए मुझे प्रवक्ता की पद-गरिमा भी निभानी ही थी। इस आर्थिक संघर्ष के साथ बच्चे की स्वास्थ्य-चिंता हमें भीतर से तोड़े जा रही थी।

इस विषम स्थिति में मेरी शक्ति थी सरस्वती जी। वे अर्थोपार्जन में तो मेरी सहायता नहीं कर सकती थी किन्तु अपने कुशल प्रबंध से थोड़े में गृह-संचालन कर लेती थीं और सबसे बड़ी बात तो यह कि उन्होंने कभी भी अपने लिए किसी चीज की मांग नहीं की और कभी भी किसी चीज के लिए गिला-शिकवा नहीं किया। वे मेरे सुख-दुःख में रच-गचकर एक संघर्षमयी, निस्पृह सहघर्मिणी की तरह सहयात्रा करती रहीं और हमेशा बाहर से लुट-पिटकर आए हुए मेरे उदास थके मन को सहारा देती रहीं। वे सही अर्थों में मेरी शक्ति रही हैं। वे एक साथ पत्नी, प्रेयसी, साथी सब कुछ थीं। उनमें अथक श्रमशीलता की चमक है, दूसरों के लिए मानवीय संवेदना है और गहरी सादगी है जिसे बहुत स्वाभिमान के साथ जीती हैं। उनमें एक सात्त्विक बोध है जो गलत काम के विरुद्ध फनफना उठता है। इस गुण के कारण वे तमाम बातें लोगों के मुंह पर कह देती हैं जिन्हें मैं या तो कहता नहीं या धुमा-फिराकर कहता हूँ। इस कारण

मैं अपने ही घर में अपने दोस्तों और मेहमानों के बीच अजब स्थिति में पड़ जाता हूँ। मुझे इन पर गुस्सा आता है किन्तु गुस्सा उतरने पर सोचता हूँ तो पाता हूँ—हा, ठीक तो कह रही थी। मैं नहीं कह पाता, शिष्टता के कारण छिपा जाता हूँ, यह और बात है। इसलिए पास-पड़ोस में जो अच्छे लोग हैं उनमें उनकी खूब पटी और नकली धूर्त लोगो से वे नहीं निभा पायी और प्रायः टकराव की स्थिति आनी रही। बनारस से दिल्ली तक यह सिलगिला चलता रहा। पाम-पड़ोस में जहाँ कहीं उन्होंने दुःख-दर्द देखा, उसे बंटाने के लिए चली गयी। वहाँ उनकी मानवीय तरलता सक्रिय हो उठी। उस दुःख-दर्द को घर में भी उठा लाया और मुझे उसमें शरीक कर बैठी। तब से आज तक यह उनका जीवन-क्रम बना हुआ है। जहाँ कहीं से आएगी, किसी न किसी का दुःख लिए, आएंगी और मेरे सामने उसे उड़ेल देगी। किसी अभावग्रस्त को कोई मुख मिला तो उसकी अनुभूति स सम्पन्न हो उठेगी और मेरे भीतर उमं सम्प्रेषित कर देंगी। कहीं कोई अन्याय हो रहा हो तो उनकी बेचैनी देखने लायक होती है। वश में हुआ तो विरोध भी करेगी अन्यथा भीतर-भीतर तिलमिलाकर रह जाएंगी। वे मेरी साथी नहीं, पूरक भी है।

हा, तो बात बनारस की हो रही थी। समाज के अफाट सन्नाटे में उनकी महन-शीलता और धैर्य की लय बजती रहती थी। उधर चढता रहता किन्तु एक बात अवश्य थी कि हमें उधार पाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। सब लोग जानते थे कि इनका पैसा कहीं जाएगा नहीं। हमने और कुछ अर्जित किया हो या न किया हो, विश्वसनीयता अवश्य अर्जित की है। हम पति-पत्नी दोनों सिद्धान्त रूप से इस बात के कायल रहे हैं कि किसी की एक पाई का भी ऋण अपने ऊपर रहना नहीं चाहिए और इस सिद्धान्त को पूरी निष्ठा से व्यवहार में उतारते रहे हैं। पहले दूसरों का उधार चुकाओ फिर जो बचे उसका अपने लिए उपयोग करो। हमारा यह व्यवहार हमारे मित्रों से लेकर बनिया, धोबी, दूधवाले, अखबारवाले आदि तक स्वतः ही सम्प्रेषित हो जाता है। कभी-कभी इनमें से कोई अपनी आवश्यकता के दबाव से अपना पैसा मांगने आ भी गया तो मेरी बेबसी देखकर और भारी हो आया और चुपचाप लौट गया। इसलिए हमें उधार पाने में कठिनाई नहीं हो रही थी किन्तु पेमेंट में विलंब हो जाने पर हम स्वयं बहुत दुःखी और शर्मिन्दा हो उठते थे। आगे उधार लेने की हिम्मत नहीं होती थी। स्वाभिमान आड़े आ जाता था। और बहुत-सी चीजें ऐसी थीं जिन्हें उधार नहीं मांगा जा सकता था। सब्जी, फल, दवा जैसी अनेक चीजें थीं जिनके लिए तुरत नकद चुकाना पड़ता था।

हम लोगों के मित्रों में मभी फटेहाल थे। विष्णु स्वरूप तो भक्ति-भवन में ही रहते थे—हमारे बगल के कमरे में। उनकी अपनी सघर्ष-गाथा थी। हम लोग एक-दूसरे के दुःख-सुख में शरीक थे किन्तु दोनों ही खाली जेब वाले। शिवप्रसाद सिंह घर से भी सम्पन्न थे और उन्हें अच्छी स्कालरशिप भी मिलती थी। उनसे निसस्कोच मांगा जा सकता था और एक-दो बार कुछ लिया भी था। कई बार जेब में एक पैसा नहीं होता था और घर में आवश्यकता दहाड़ रही होती थी। मैं घर से सोचकर निकलता था कि

अमुक मित्र से मांगूंगा। वहाँ जाकर उनके साहित्य की बातें करने लगता और भीतर-भीतर सोचता रहता था कि पैसे की बात अब कहूँगा, अब कहूँगा लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप लौट आता था—अभाव से लदी घर की उस सुनसान उदासी के बीच। मेरा चेहरा देखकर पत्नी सब कुछ समझ जाती थी और कुछ पूछती नहीं थीं। अंधेरी रात, आगे दूर तक फैला हुआ सुनसान, पीछे नींबुओं के बाग में पसरा हुआ डरावना सन्नाटा, गिरगिटों, नेवलों, विपखोपड़ों और सांपों की सरसराहट, तमचर मनुष्यों के पैरों की आहट, अंधेरे में से झांकती उनकी डरावनी आंखें और लूक-सी जल-जलकर बुझती पहरेदारों की 'जागते रहो' की आवाज और कमरे में अभाव का गहरा सन्नाटा ... उममें डूबा हुआ मैं, पत्नी और सब कुछ से अनभिज्ञ एक अबोध शिशु ...।

हमारी विडम्बना यह थी कि हम मन से चाहते थे कि कोई न कोई अतिथि यहाँ आता रहे किन्तु हमारी व्यावहारिक कठिनाई यह थी कि कोई आ जाएगा तो हम उसका सत्कार कैसे करेंगे? मन का और व्यवहार का यह द्वन्द्व हमें भीतर ही भीतर तोड़ता रहता था। वैसे खाने-पीने, चाय-चीनी, दूध की स्थायी व्यवस्था तो उधार के रूप में हो गयी थी और तीन-तीन, चार-चार मास बाद स्कालरशिप के पैसे मिलने के समय उधार चुकाकर कुछ पैसे बच जाते थे तो कुछ दिनों तक हमे आश्वस्त किए रहते थे किन्तु प्रायः जेब खाली रहती थी। एक दिन मैं दशाश्वमेध घाट पर घूम रहा था। प्रायः घूमता था, घूमने के लिए पैसे थोड़े न लगते हैं। अपनी साइकिल थी, उसे रपटाया करता था और भक्ति-भवन से दशाश्वमेध घाट दूर भी नहीं था, पैदल भी आता-जाना रहता था। उस दिन मेरा मैट्रिक और बी० ए० का सहपाठी विपिनकुमार षडंगी मिल गया। विपिन से आप परिचित हो चुके हैं। वह बी० ए० पास कर अपने शहर रायगढ़ चला गया था। कई वर्षों बाद उससे भेंट हो रही थी। हम घघाकर मिले। उसने कहा—“चलो, चाय पीते हैं।” मैं बहुत संकट में पड़ा। मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। हालांकि विपिन पैसे चुकाएगा, वही अब तक चुकाता रहा है किन्तु तब की बात और थी, अब की और है। मैं काशी में हूँ, वह अपने शहर से काशी में आया है, वह हमारे शहर का और हमारा अतिथि है। क्या उसका पैसा चुकाना अच्छा लगेगा? क्या यह मेरा अपमान न होगा? दरअसल मुझे अपनी ओर से चाय पीने का प्रस्ताव रखना चाहिए था और मैं प्रस्ताव रखने के स्थान पर उसके प्रस्ताव के प्रति उदासीनता दिखाने लगा। उसने कहा—“चलो यार, इतने दिनों पर मिले हैं, वहीं बैठकर गपशप होगी।” आखिर मैं खिंचा हुआ-सा सामने की दूकान पर गया। आर्डर उसी ने दिया। चाय के साथ पकौड़ी का भी। उल्लास से बातें करने लगा। मैं भीतर से खोया हुआ-सा बाहर उसकी बातचीत में शरीक था। चाय-पकौड़ी मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही थी। काफी देर के बाद महसूस हुआ कि अब उठने का समय आ गया है। मैं पास पड़ा अखबार देखने लगा, बल्कि उसमें अपने को खो देने का अभिनय किया। विपिन धीरे से उठा और काउंटर पर पैसा चुकाने लगा। तब मैं अखबार रखकर उसकी ओर लपका—“अरे, विपिन, तुम यह क्या कर रहे हो?” तब तक वह पैसे दे चुका था और प्यार से बोला—“अरे, कुछ नहीं दोस्त, बहुत दिनों बाद तुमने अपने साथ चाय पीने का मुझे सौभाग्य दिया। तुम्हारे लिए यही बहुत

है। हम लोग तो तुम जैसे साहित्यकार मित्र पर नाज करते हैं।”

“अरे, यह क्या कह रहे हो विपिन ! यह सब तो तुम लोगों की आत्मीयता है।” मुझे लगा जैसे विपिन ने अपने इस स्नेहमयव्यवहार से मुझे और भी छोटा बना दिया। हम दोनों कुछ देर तक साथ घूमते रहे, फिर उसने कहा—“अच्छा मित्र, चलते हैं, देर होगी।”

“अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा इतने दिनों बाद अचानक मिलना।” वह चला गया और मैं अपने को धिक्कारता रहा—“कैसा भाग्य लेकर जन्मा है तू कि अपने इतने नजदीकी दोस्त से एक बार यह तक न कह सका कि मेरे घर चलो, अपनी भाभी और भतीजे से तो मिल लो !”

श्रीश कुमार और शुकदेव मित्र प्रायः साथ रहते थे। श्रीश कुमार कुछ दंड-फंद करते रहते थे और अपने खर्च के लिए यहां-वहां से पैसे निकाल लेते थे। शुकदेव सिंह को भी अपने क्रियाकलापों में शामिल किये हुए थे। अतः शुकदेव सिंह भी अपनी अभावग्रस्तता में से जीने का मार्ग निकाल रहे थे। अपने अभावों से परेशान होकर कभी-कभी मैं श्रीश कुमार के यहां पहुंचता था। वे मेरे परम प्रिय व्यक्ति थे। वे दुनिया-भर के लिए परम शरारती थे किन्तु मेरे सामने वे अति विनम्र हो उठते थे और मेरे सुख-दुःख में सही मन से साथ देते थे। इसलिए जब कही कुछ न होता था तो उनसे अपनी बात कहता था और वे अपनी आवश्यकता के पैसों में से निकालकर दो-एक रुपये दे देते थे। न होने पर पीड़ित हो उठते थे। उनकी मां और पिता का भी मैं परम स्नेह-भाजक था और उनके यहां कई बार ठहर चुका था।

कई बार मैंने पत्नी को गोरखपुर भेजा। सोचा उनका मन बहल जायेगा। बच्चे के लिए भी शायद बदला हुआ वातावरण लाभकर होगा और अभाव का बोझ थोड़े दिन के लिए थोड़ा हल्का हो जायेगा। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी चिट्ठी आती थी कि बच्चे का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। मैं तार देता कि चली आओ और वे दूमरे या तीसरे दिन उसे लिए-दिए फिर बनारस आ पहुंचतीं और मेरी गोद में आते ही हेमंत की तवीयन संभल जाती। यह बात दूमरी है कि दो-एक दिन बाद वह फिर बीमार पड़ जाता।

वास्तव में हेमंत मुझसे बहुत हिला-मिला था। मां के बिना तो उसके रहने की कल्पना ही नहीं की जा सकती किन्तु मेरे बिना भी नहीं रह पाता था। अतः गोरखपुर जाकर मेरे लिए हुड़कने लगता था और वहां से आते ही मेरी गोद में टूट पड़ता था और कुछ समय के लिए अपना दुःख-दर्द भूल जाता था। जैसे भेजने को तो मैं उन्हें गोरखपुर भेज देता था किन्तु दो ही दिन बाद इनकी अनुपस्थिति भारी पड़ने लगती थी और अपना अभावग्रस्त सन्नाटा और भी घना हो आता था। मैं अकेलेपन में बहुत घबरा जाता हूँ। इसलिए परिवार में पत्नी का और बाहर मित्रों का साहचर्य मुझे मेरे संकट में संभाले रहता है। इसलिए दो दिन बाद ही उन्हें बुलाने की सोचने लगता और ज्यों ही उनका पत्र आता, मैं तार दे देता—चली आओ।

हेमंत बचपन से ही बहुत विचित्र था। उसकी इच्छा-अनिच्छा बहुत साफ थी।

वह बन्द वातावरण में रहने की अपेक्षा खुले में आने का आग्रही था। शायद इसीलिए वह मां से जुड़ा रहकर भी पिता की ओर ज्यादा लपकता था। जब वह पिछले साल चार-पांच महीने का था तो हम गांव जा रहे थे। चोरी-चोरा उतरे। वहां पत्नी के लिए पालकी भेजी गयी थी। पत्नी हेमंत के साथ पालकी में बैठ गयीं। कुछ दूर चलने के बाद हेमंत रौने लगा, चुप ही न हो। मैं समझ गया कि वह पालकी के बन्द वातावरण में घुटन महसूस कर रहा है। मैंने पालकी रुकवायी और उसे अपनी गोद में ले लिया। मेरी गोद में आते ही शांत हो गया, लगा जैसे खुले वातावरण की ताजा हवा ने अपने स्पर्श से उसे ताजा कर दिया। पालकी लिए कहार आगे-आगे भागने लगे और मैं पांच महीने के बच्चे को गोद में लिए पीछे-पीछे चलने लगा। कहार तो तेज गति से काफी आगे निकल गये और मैं बच्चे को लिए अपनी चाल से चलता रहा। मेरी अजीब हालत थी। लोग एक अकेले पुरुष की गोद में पांच महीने के बच्चे को देखकर चकित हो रहे थे और करुणा से पूछते थे, इसकी मां कहां है? मैं रास्ते-भर सबको सफाई देता फिरा। हेमंत गोद में सो गया था। मैं कहारों पर काफी गुस्सा हो रहा था कि कमबख्त यह जानते हुए कि छोटा बच्चा मेरी गोद में है, पालकी लिए भागे जा रहे हैं और पत्नी पर भी क्रोध आ रहा था कि वे उन्हें रोकतीं क्यों नहीं? छः मील चलने के बाद पालकी रुकी हुई दिखाई पड़ी। जाते ही मैं कहारों पर बरस पड़ा।

हेमंत डेढ़ साल का था। थोड़ा-थोड़ा चलने लगा था, थोड़ा-थोड़ा बोलने भी लगा था। हम लोग गोरखपुर गये हुए थे। जाड़े के दिन थे। मैं गांव जा रहा था तो उसने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। मन तो मेरा भी हो रहा था ले चलने का लेकिन डेढ़ साल के बच्चे को बीस मील साइकिल पर ले जाना आसान काम तो नहीं था और चिन्ता थी कि यह मां से अलग चार-पांच दिन रह पाएगा क्या? उसकी जिद देखकर साथ ले जाना पड़ा। साइकिल के आगे राइ पर गदिया बांध दी। उस पर उसे बैठा दिया और निकल पड़ा। हेमंत भी बहुत आराम से साइकिल पर विराजे हुए थे और रास्ते में कभी बन्दर देखकर बोल पड़ते 'बंदर', कभी गाय देखकर 'गाय'। बीस-बाईस मील की यात्रा बिना थकावट के पार कर गये। गांव गये। वहां भी उन्होंने मेरे परिवार के लोगों के स्नेह का भरपूर आनन्द लिया और लोगों ने भी इनकी लीलाएं देखकर गहरा आनन्द-लाभ किया। वहां से लौटने लगे तो भइया भी साथ हो लिए। तय हुआ कि कौड़ीराम चलेंगे, वहां से बस पकड़ लेंगे। दिक्कत यह हुई कि भइया के साथ होने के कारण मैं साइकिल चला नहीं सकता था, उस पर हेमंत को बैठाकर ठेल रहा था। उस पर बैठे-बैठे हेमंत को नींद आने लगी। अतः यह भी देखना पड़ रहा था कि कहीं बैठे-बैठे नीचे न गिर जाए। इसलिए एक हाथ से उसे पकड़े हुए भी था। खैर, किसी तरह कौड़ीराम पहुंच गए। वहां बस के इन्तजार में अपार जनता खड़ी थी। टिकट लेने के लिये लम्बी-लम्बी लाइनें और ज्यों ही टिकट मिलना शुरू होता लाइन घनाकार हो जाती। लोग गड्ड-मड्ड होकर एक-दूसरे पर चढ़ जाते। भला ऐसे में अपना निर्वाह कहां था? एक अधिकारी से बात की कि हमारे साथ डेढ़ साल का बच्चा है। उसकी मां गोरखपुर में है। हमें गोरखपुर जल्दी पहुंचना है, कोई व्यवस्था कीजिए।

उसने बहुत सहानुभूति से हमारी बात सुनी। बच्चे के प्रसंग ने उसकी मानवता को स्पंदित कर दिया और उसने आश्वस्त किया।

बस आयी तो उसने आकर पूछा, “अरे भाई, बच्चे वाले सज्जन कहाँ है ?” मैंने कहा, “यहाँ हूँ।” उसने कडकटर को हिदायत दी कि इनको दो टिकट दे देना। मैंने आभार व्यक्त किया। गाड़ी में बैठ गये। उन दिनों बसों में उच्च और निम्न दो श्रेणियाँ होती थी। हमें निम्न श्रेणी में सीट मिली थी। गाड़ी चल पड़ी। बैठने के बाद हेमंत रोने लगा। पूछने पर उसने कहा—“मैं आगे बैठूँगा।” मैंने बहुत ममझाया किन्तु वह रोता ही गया और आगे बैठने के लिए जिद पर अड़ा रहा। आगे के एक सज्जन ने द्रविण होकर कहा—“अरे भाई, बच्चे को आगे भेज दीजिए मेरे पास।” हेमंत को आगे बिठाया गया। वहाँ बैठकर फिर रोने लगा। “अब क्या हुआ भाई ?” “पापा... पापा भी बैठेंगे।” बड़ा सकट उपस्थित हुआ। बच्चे को बिठाना तो आसान किन्तु मुझे कोई कैसे बिठाएगा ? मैं समझा-समझाकर हार गया किन्तु उमकी जिद कायम रही। आखिर एक सज्जन मेरी ओर मुखातिब होकर बोले—“आइये, मैं आपकी जगह बैठ जाऊँगा।” मुझे बहुत सकोच हो रहा था किन्तु करता क्या ? वहाँ जाकर बैठना पड़ा। अब जाकर हेमंत पूर्ण आश्वस्त हुआ और चुप होकर इधर-उधर देखने लगा। मैं संकोच-बोध से पीड़ित हो रहा था और मोच रहा था कि लोग कह रहे होंगे कि कितना उद्दण्ड लडका है इन सज्जन का। तब तक बगल में बैठे एक सम्भ्रात-से सज्जन बोले—“देखिए, आपका बच्चा बहुत इंटेलीजेंट है और बहुत स्ट्रांग लाइकिंग-डिसलाइकिंग का है। इसके विकास पर बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सम्भावनाएं छिपी हुई हैं।” मैं कृतज्ञता से भर आया। उन्हें धन्यवाद दिया और मन पर जो बोझ लदा था हलका हो गया।

हेमंत अभाव के फूल की तरह महकता रहा, हमारे खालीपन को तिल-तिल भरता रहा। अपनी मेधा में भविष्य की सम्भावनाएं जगाता रहा। किन्तु उसकी अनवरत बीमारी हमारे भीतर एक ऐसा दर्द पैदा करती रही जो सोते-जागते हमें सालता रहा। दवा पीते-पीते हेमंत लाचार हो गया था। दवा पीने के समय जब वह कहता—“मम्मी, मेरा हाथ पकड़ लो तब न दवा पीऊँगा।” तब हमारे भीतर एक ऐसी अहक भर जाती जिसे हम व्यक्त नहीं कर पाते, भीतर-भीतर पी जाते थे। उसकी मां बुदबुदा उठती—“पता नहीं कैसे लोगों के बच्चे स्वस्थ रहते हैं। वह दिन कब आएगा भगवान्, जब मैं भी स्वस्थ बच्चे का सुख अनुभव कर सकूँगी।”

लेकिन रूग्णावस्था में भी हेमंत की बाल-सुलभ लीलाओं में कोई कमी नहीं आयी। जैसे ही थोड़ा स्वस्थ होता अपनी बाल-सक्रियता से पूरा घर स्पंदित कर देता। शारीरिक गतिविधियों से तो खूश करता ही, अपनी इंटेलीजेंट बातचीत से भी करता। उसकी इंटेलीजेंट बातचीत तो बीमारी की अवस्था में भी चला करती। ठाकुरप्रसाद सिंह प्रायः हमारे यहाँ आया करते थे और हेमंत उनके आकर्षण का केन्द्र था। दोनों में खूब पटती थी। आते ही ठाकुर उसे छोड़ते—“हंस मेरे यार !” और हेमंत हंसने लगता। ठाकुर भी हंसने लगते, आसपास खड़े हम सभी लोग हंसने लगते। जब ठाकुर चुप हो

जाते तो हेमंत कहता, “चाचा, हंसो” और खुद हंसने लगता और ठाकुर भी हंसने लगते। वह ठाकुर को बिस्कुट खिलाता—“खाओ चाचा और चाय पीओ।” हेमंत में कुछ ऐसी बात थी कि पास-पड़ोस के परिवार उसे प्यार करते थे तथा हमारे सारे मित्र भी उसे प्यार करते थे। पास में ही एक गुप्त परिवार था। हेमंत उस परिवार का बड़ा दुलारा था। हमारे अन्य बच्चे भी पड़ोस के किसी न किसी घर से बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं।

हेमंत में एक अद्भुत शक्ति थी—चीजों की पहचान की। चाय, चीनी, मसाला आदि के तमाम डिब्बे ऊपर-नीचे रखे रहते थे। हम लोगों को कुछ निकालना होता था तो डिब्बे खोल-खोलकर देखते थे किन्तु हेमंत बिना खोले ही पहचानकर उठा लाता था। ‘हेमंत, चाय लाओ।’ हेमंत ठुमुक-ठुमुक चलते जाते और दो डिब्बों के नीचे रखे चाय के डिब्बे को पहचान जाते। जाते ही दोनों ऊपर के डिब्बे उतार देते और नीचे का डिब्बा लेकर चले आते और हम खोलकर देखते तो वह चाय का ही डिब्बा होता।

एक ओर हेमंत की अति आनंदप्रद बाल-क्रीड़ाएं और वार्ताएं थीं, दूसरी ओर उसकी कष्टदायक बीमारी की निरन्तरता और तीसरी ओर अपने आर्थिक अभाव का अटूट क्रम। हमने इसी सुख-दुःख के संघर्ष में दो साल काट दिए। हेमंत के दो साल तीन महीने बाद बेटी अंजलि का जन्म हुआ। कहीं कोई तैयारी नहीं—न डाक्टर, न नर्स, न किसी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन। बस, एक दाई ठीक कर ली गई थी, बाकी सब भगवान् के भरोसे था जैसे गांवों में या शहरों के सामान्य घरों में होता है। बेटी काफी स्वस्थ पैदा हुई और बाद में भी स्वस्थ ही रही। उसने हमारे अभाव को पहचान लिया था, इसलिए बिना किसी विशेष सुविधा के (बल्कि असुविधाओं के बीच) स्वस्थ और प्रमन्न चलती रही। और चमत्कार तो यह हुआ कि उसके आ जाने के बाद हेमंत भी स्वस्थ हो गया। विचित्र बान हुई कि जब हेमंत ने मां की गोद में अंजलि को देखा तो ईर्ष्या में दग्ध हो गया। यह दूररा कौन आ गया मां की गोद में? यह गोद तो उमकी है। और अंजलि की ओर यह कहते हुए झपटा कि लाओ, डग फेंक दें। वही अंजलि हेमंत की रोगनाशक बनकर आयी। उसकी मां बाद में प्रायः कहती, “मेरी बेटी भाई के लिए दुखहरन बनकर आयी है।” अंजलि के आ जाने से हमने जाना कि स्वस्थ बच्चे का सुख क्या होता है और यह सुख अंजलि के स्वास्थ्य का तो था ही, अब हेमंत के स्वास्थ्य का भी था।

भक्ति-भवन के उजाड़ वातावरण में न जाने कितने मित्र आये, साहित्यकार आये, कितनी गोष्ठियां हुईं और कितने जीवन-व्यापार चले। अभावों के बीच भी यह सब होता रहता था क्योंकि साहित्य हम लोगों के जीवन का अंग बन गया था। हम उसके लिए अपनी

सुविधाओं का त्याग करते थे। और मेरा अभाव अभाव भी इसलिए था कि स्कालरशिप के पैसे समय पर नहीं मिलते थे। जब मिलते थे तो जमा हुआ अभाव कुछ समय के लिए कट-छंट जाता था। इसलिए हमने अभाव के उन्हीं दिनों में प्रगतिवाद सम्बन्धी अनेक पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदी, नियमित रूप से खरीदीं और गोष्ठियों के लिए खर्च करते रहे। गोष्ठियां खूब होती थीं, कभी किसी के यहां, कभी किसी के यहां, कभी किसी सार्वजनिक स्थान पर। त्रिलोचन, ठाकुरप्रसाद सिंह, रमेशकुंतल भेष, शंभूनाथ सिंह, नामवर सिंह, शिवप्रसाद सिंह, विष्णु स्वरूप, हरिमोहन, केदारनाथ सिंह, विष्णुचन्द्र शर्मा, विद्यासागर नौटियाल, शुक्रदेव सिंह, राजेन्द्र कृष्ण आदि न जाने कितने नये और अनि नये लोग होते थे और कभी-कभी वरिष्ठ साहित्यकार और प्रोफेसर भी होते थे। कई गोष्ठियां हमारे निवाम-स्थान पर हुई थीं जिनकी स्मृति आज भी एक सुगंधित ताजगी दे जाती है।

गोष्ठियां तो होती ही थीं, हम लोग शाम को वैसे भी कहीं न कहीं मिलते थे— दशाश्वमेध घाट पर या किसी के घर या किसी चाय की दुकान पर। गोदौलिया पर एक रेस्त्रां था। वहां प्रगतिवादी लोग मिला करते थे। एक दिन ठाकुरप्रसाद सिंह को एक विशेष विनोद सूझा (कोई न कोई विनोद तो रोज ही होता था)। हम लोग जुट गये तो नामवर जी ने कहा—“ठाकुर भाई, चाय पिलवाइये।” “हां-हां, क्यों नहीं, यह तो आप लोगों की दुकान है, आर्डर दे दीजिये।” नामवर जी ने सात-आठ कप चाय का आर्डर दे दिया। चाय पीने के बाद ठाकुर धीरे से उठे और दुकान से बाहर हो लिये। मुझे तो इस नाटक का पूर्व पता था, दूसरों को नहीं था। जब नामवर जी को ज्ञात हुआ कि ठाकुर जा रहे हैं तो घबरा गये और ‘ठाकुर भाई’ आवाज लगाते हुए उनके पीछे-पीछे भागे। जाड़े का समय था। ठाकुर लम्बा कोट पहने भीड़ में भागे जा रहे हैं और नामवर जी उन्हें पुकारते हुए उनके पीछे-पीछे। उनकी परेशानी यह थी कि उनके पास भी पैसे नहीं थे और चाय का आर्डर उन्होंने ही दिया था। उस समय ठाकुर एक इंटर कालेज में प्रिंसिपल थे। अतः हम मित्रों के बीच उनकी आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक थी। कुछ दूर भागने के बाद ठाकुर रुक गये, मुसकराये और लौटकर चाय के पैसे चुकाये। हम लोगों ने इस प्रसंग का भरपूर मजा लिया। वैसे जहां-तहां ऐसे मजेदार प्रसंग उठते ही रहते थे।

मैं शोध के क्रम में नागरी प्रचारिणी सभा जाया करता था। वहां स्थानीय और बाहर से आये अनेक शोधार्थियों से भेंट-मुलाकात होती थी। साइकिल अपने पास थी—

जहां चाहे चला जाता था। जब चाहे लौटता था सभा से या मित्रों के यहां से या धूमकर लौटते-लौटते शाम हो जाती थी। कभी-कभी साइकिल के लैम्प की चैकिंग हो जाती थी। मैं भी कई बार पकड़ा गया। पहली बार पकड़ा गया तो आठ आना जुरमाना हुआ। मेरी जेब की कुल पूंजी वही थी। जुरमाना चुकाकर यानी अपनी सारी पूंजी गवाकर लौटने लगा तो बहुत दुःख भी हुआ और गुस्सा भी। गुस्सा इस बात पर था कि सजा देने वाला अधिकारी मुझे उपदेश देने लगा था : “आप लेक्चरर हैं, आपकी दो निश्चय का पालन करना चाहिए।”

“साहब, आप जुरमाना कर ही रहे हैं तो उपदेश क्यों दे रहे हैं ?” कहकर वहां से चल पड़ा और जिस म्युनिसिपलटी का यह अधिकारी मुझे सजा के साथ-साथ उपदेश दे गया, उसी म्युनिसिपलटी की तमाम विसंगतियां मेरे सामने साकार होने लगीं। यह मुझे तो साइकिल में लैम्प लगाने को कह रहा है और रास्ते के तमाम खंभों पर लैम्प नहीं हैं, केवल टंगे हुए हैं। तमाम गलियां अंधकार में डूबी हुई हैं जिनमें सवारियों सवारियों से, पैदल पैदल से टकराते हैं और अंधेरे में लूटपाट होती है। मैंने घर आकर गुस्से में एक कविता लिखी और लगा कि कुछ बदना ले लिया है।

इसके बाद मैंने चाहा कि साइकिल में लैम्प लगवा लू किन्तु इतना पैसा कहां था कि तमाम जरूरी चीजें छोड़कर लैम्प खरीदता। इसलिए एक दिन फिर पकड़ा गया। अबकी बार दूसरी जगह पकड़ा गया और संयोग से उनमें से एक सिपाही ऐसा था जो पहले दिन वाली चौक में था और उसने बहुत अपमानजनक शब्दों में कहा— “अरे, तुम उम दिन पकड़े गये थे फिर भी होश नहीं आया !” मैंने उसकी ओर हिकारत से देखा—‘ये टके-टके के आदमी, भूजा छोर, दुनिया-भर के अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने वाले शैतान मुझे उपदेश दे रहे हैं।’ इच्छा हुई कि उसके ऊपर खंखारकर धूक दू लेकिन ऐसा कहा संभव था। बस अपनी आंखों से ही उस पर लानत बरसाता रहा। अबकी दो रुपये जुरमाना हुआ। पैसा तो गस में था नहीं, साइकिल वहीं छोड़ आया। दूसरे दिन पैसे लेकर गया। छोड़ाकर लाया।

शोध-प्रबन्ध का कार्य चलता रहा और साहित्य-साधना भी चलती रही बल्कि यों कहिए कि साहित्य-साधना तो चलती ही थी, शोध-प्रबन्ध का कार्य भी चल रहा था। साहित्य-साधना तो अपने रक्त में समा गयी थी किन्तु शोध-कार्य व्यावसायिक जीवन का हिस्सा था, उससे नौकरी मिलनी थी। अब तक मैं लगभग सभी अच्छी पत्रिकाओं में छप चुका था। पत्रिकाओं के नये-नये अंकों की प्रतीक्षा रहती थी। नयी-नयी पत्रिकाओं की अद्भुत सुगंध व्याप्त थी। ‘कल्पना’, ‘कहानी’ ये दो पत्रिकाएं विशेष रूप से हमारे आकर्षण का केन्द्र थीं। ‘कल्पना’ तो मेरे पास डाक से आती थी किन्तु ‘कहानी’ के लिए हम चौक जा-जाकर पूछा करते थे कि नया अंक आया कि नहीं और विशेषतया जिस अंक में अपनी कहानी घोषित होती थी उसकी प्रतीक्षा की तड़प तो अद्भुत होती थी।

उन्हीं दिनों अशक जी ‘संकेत’ निकाल रहे थे। कविताएं मांगी थीं। मैं किसी काम से इलाहाबाद गया तो कविताएं लेता गया। अशक जी कं घर गया तो वहां साहित्य की गहमागहमी देखी। वहीं ‘रेणु’ से भेंट हुई। उनका ‘मैला आंचल’ निकलकर चर्चित हो चुका था। उन्होंने किसी पत्रिका में सद्यःप्रकाशित प्रयोगवाद सम्बन्धी मेरे लेख की प्रशंसा की थी और कहा था कि इस दिशा में आप आगे बढ़िए। नागार्जुन भी अशक जी के यहां ही बैठकर ‘संकेत’ के लिए ‘वरुण के बेटे’ उपन्यास लिख रहे थे। कमलेश्वर वीर मार्कंडेय तो ‘संकेत’ के सहायक सम्पादक थे ही, वे वहां प्रायः डटे रहते। अशक जी ने मेरी दो लम्बी कविताएं चुनीं और मेरे सामने ही उन्हें पढ़कर मेरी अनुमति से कुछ संशोधन किए। ‘संकेत’ में छपने का सुख भीतर-भीतर महकता रहा। उसमें अपने समय के अनेक प्रतिष्ठित और नये रचनाकारों के साथ छपने का आनंद कुछ और ही था। जगदीश

गुप्त 'नयी कविता' निकालते थे। 'परिमल' से अपना कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः जाहिर है उसमें मेरे छपने का सवाल ही नहीं था। बनारस से शंभूनाथ जी तथा आस-पास के अनेक लोगों की कविताएं छपी। एक दिन जितेन्द्रसिंह मिले। उन्होंने आग्रह करके कविता मांगी। मैंने सुखपूर्वक दी। वह कविता 'बादल चले जा रहे' छपी और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में कितना छपा, कितना यश पाया किन्तु उस समय की पत्रिकाओं और पुस्तकों में छपने की जो खुशी थी, खुशबू थी, वह फिर महसूस नहीं हुई।

शोध-कार्य पूरा होने को आ गया था। विष्णुस्वरूप ने सूचना दी कि दुर्गाकुंड पर एक मकान है जिसकी ऊपरी मजिल पर शितिकंठ मिश्र रहते हैं। नीचे का हिस्सा खाली है। हम दोनों मिलकर ले लें। मुझे बात पसंद आयी और भक्ति-भवन छोड़कर वहां चले गये। वह मकान संस्कृत विभाग के पं० त्रिष्वनाथ पांडेय का था जिनके सुपुत्र डा० शिवनाथ पांडेय इन दिनों भगर्तसिंह कालेज में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। कुछ महीनों का वह समय अच्छा रहा।

शितिकंठ और उनका परिवार हेमंत को बहुत प्यार करता था। उनकी एक प्यारी-प्यारी-सी बेटी थी जो हेमंत की दोस्त थी। हेमंत प्रायः उन्हीं के यहां रहता था। शितिकंठ की पत्नी भी बहुत भद्र थी किन्तु बीमार रहती थी।

सुबह चार बजे शितिकंठ ओर मैं धूमने निकल जाते थे। बी० एच० यू० के परिसर में धूमते घामते कभी-कभी गुट्टू छात्रावास चले जाते थे और जाकर शिवप्रसाद सिंह को जगाते थे। हमारी हिमाकत यह थी कि एक तो हम सोये हुए शिवप्रसाद को जगाते थे, दूसरे उनसे चाय मंगाने को कहते थे। पहले तो उठाए जाने के कारण शिवप्रसाद थोड़े अन्यमनस्क दीखते थे फिर प्रसन्न होकर गपशप में शरीक हो जाते थे। बी० एच० यू० के खुले प्रसन्न वातावरण में सुबह-सुबह का यह भ्रमण दिन-भर के लिए कितनी ताजगी भर देता था ! किन्तु इस मकान का निवासकाल बहुत थोड़ा रहा। शोध-प्रबन्ध तैयार हो गया था। प्रस्तुत करना था किन्तु फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। बनारस के एक प्रकाशक रमाशंकर जी ने मेरा एम० ए० का शोध-प्रबन्ध छपा था और 'पथ के गीत' की प्रतियां उठवाकर उस पर 'राजेन्द्रप्रसाद एण्ड ब्रदर्स, बलिया' प्रकाशन का ठप्पा लगा दिया था। इस पुस्तक को मैंने अपने पैसे से छपवाया था। अतः उठवाने वाले को कम-से-कम मेरा खर्च तो चुकाना ही चाहिए था। रमाशंकर बहुत मीठे आदमी थे। पैसे के लिए बार-बार वायदे करते थे, मीठी-मीठी बातें करते थे। मैं दौड़-दौड़कर उनके यहां जाता था। प्रायः घर में होते हुए भी वे कहला देते कि नहीं है किन्तु जब दूकान में ही पकड़े जाते तो क्या करते ? फिर तो मीठी-मीठी बातें और वायदे करते। मैंने उन्हें अपने अभाव का वास्ता दिया, बताया कि शोध-प्रबन्ध टकित हो रहा है। उसके टंकण और फीस के लिए पैसे चाहिए। मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। उन्होंने छाती ठोककर वायदा किया—“मेरे रहते आपको परेशानी नहीं होगी। अमुक दिन आइये, अवश्य प्रबंध करके रखे रहूंगा।” उस दिन गया और वे गायब थे। अंत तक उस आदमी ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया और मेरे लेखकीय

जीवन में प्रकाशक का जो पहला बिंब निर्मित किया वह बहुत ठंडा, क्रूर और अमानवीय था। अंत में पंडित जी से पैसे लेकर मैंने फीस चुकायी और शोध-प्रबंध प्रस्तुत किया। आगे फिर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। अब क्या हो? क्या किया जाये?

बी० एच० यू० में नौकरी की कोई आशा नहीं रह गयी थी। पांच-छः महीने पहले (जब मैं भक्ति-भवन में रहता था) नौकरी की एक आशा फिर बंधी थी और फिर टूट गयी। बी० एच० यू० के इण्टर कालेज (जहां मैं पढ़ा चुका था) में लेक्चरर की फिर एक जगह रिक्त हुई। लगा कि शायद इस बार बात बन जाए। पर आशा इसलिए भी बंधी थी कि इस बार दीनदयाल गुप्त जी एक्सपर्ट थे। गुप्त जी भक्ति-भवन के मानिक (जिन्हें चाचा जी कहा जाता था) के दामाद थे। चाचा जी ने गुप्त जी से मेरी सिफारिश की। उनसे मिलने मेरे शोध-निर्देशक डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा आये। मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे बारे में गुप्त जी से चर्चा की। इससे मुझे और भी विश्वास हो गया। मेरे विरुद्ध एक उम्मीदवार थे विद्याभूषण मिश्र। वे बुजुर्ग थे और बसंता कालेज में पढ़ाते थे। लोगों ने मुझे साबधान किया कि वे तुम्हारे आड़े आ सकते हैं। वाजपेयी जी एक्सपर्ट हैं, वे उनके सहपाठी हैं और दीनदयाल गुप्त जी से भी उनकी अच्छी जान-पहचान है और डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा से भी उनकी यारी है। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास तब हुआ जब मेरी नियुक्ति नहीं हुई। पंडित जी (द्विवेदी जी) ने टहलते हुए कहा, “फिर ‘बट’ लग गया भाई।” वे बहुत दुःखी थे। गुस्से में बोले— “तुम्हारे एक हितैषी लखनऊ तक गए थे, विद्याभूषण जी के लिए कहने को।”

मैं बहुत दुःखी हो गया। अपनी असफलता से तो हुआ ही, पंडित जी की असफलता से भी हुआ। यह कैसी विडम्बना है कि बाहर के एक्सपर्ट जो अपने यहां अपने मनोनुकूल नियुक्तियों के लिए न जाने कितना कुछ करते हैं और अपने प्रतिकूल नियुक्तियां नहीं होने देते, वे ही इतने बड़े व्यक्तित्व की इच्छा का बेशर्मी से विरोध कर उसी के विभाग में उसके प्रतिकूल नियुक्तियां करा लेने के षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं। पंडित जी का महान् व्यक्तित्व तिकड़म और जोड़-तोड़ की भाषा नहीं जानता। अपने विभाग में अपने छात्रों की नियुक्ति न करा पाने की असफलता से पंडित जी को भीतर-भीतर कितनी पीड़ा होती होगी, सोचकर मैं और भी दुःखी हो रहा था।

अब लगता था कि बी० एच० यू० में ठिकाना नहीं मिलेगा। पत्नी और बच्चों को पहले ही गोरखपुर भेज दिया था। शोध-प्रबंध जमाकर मैं भी गोरखपुर जाने लगा। सामान का क्या किया जाये? श्रीश कुमार आए, आते ही रहते थे। तय हुआ कि कुर्मियां, मेज, तख्ते यहां रख दिये जायें। मेरे श्वसुर जी फुरसत से उन्हें ले जायेंगे। रिक्शे पर सामान लादकर श्रीश कुमार के घर की ओर चले। हमारे यहां बांस का एक लम्बा डडा था। मैं उसे छोड़ रहा था किन्तु श्रीश कुमार ने उसे भी ले लिया। मैं रिक्शे पर था और सामान भी रिक्शों पर लदा था, श्रीश कुमार साइकिल पर थे। उनके हाथ में वही डडा था। वे उस डडे का रास्ते-भर विदूषकी उपयोग करते रहे। वे किसी आने-जाने वाले आदमी के सामने डडे को हिलाते थे, इस मासूमियत और कौशल से हिलाते थे कि उसे स्पर्श न करे और लगे कि कोई अनजाने हिला रहा है।

वह आदमी चौंक-चौंककर पीछे हटता था और श्रीश कुमार अनजान से बने रहते। कभी किसी आदमी के आगे या पीछे डंडे को ठक से जमीन पर मारते और वह आदमी उछलकर आगे या पीछे हो लेता। ऐसे ही उन्होंने एक दाढ़ी वाले आदमी के पीछे डंडा ठोका तो वह आदमी उछलकर आगे बढ़ गया। जब मुड़कर देखा तो चिचिया उठा, “अमां मियां, जमादार हुए होते तो पूरी सड़क की सफाई कर डालते, देखने में तो किसी शरीफ घर के लगते हो।” मेरा और रिक्शे वाले का तो हंसते-हंसते बुरा हाल था किन्तु श्रीश कुमार बिलकुल चुप थे।

श्रीश कुमार शरारत के पर्याय बन चुके थे। उनकी अनेक शरारतों का मैं साक्षी रहा हूँ किन्तु मेरे साथ होने पर वे जो शरारतें करते थे वे सभ्य होती थीं। जैसे एक बार नागरी प्रचारिणी सभा में एक विशाल सभा थी। उसमें हमारे पास गुरुजन बैठे थे। श्रीश ने कहा, “पंडित जी, एक आनंद करता हूँ।” मैंने कहा, “करो।” उन्होंने पास बैठे एक गुरु के कान में कहा, “गुरु जी, आपकी बगल में एक पाकेटमार बंठा हुआ है।” उन गुरुदेव ने अगल-बगल देखा और अपने कोट की दोनों जेबें समेटकर आगे की ओर कर लीं।

“प्रणाम पंडित जी।” मैं चौंककर देखता हूँ—रिक्शे पर एक सज्जन धोती-कुर्ता-टोपी पहने लाल टीका लगाये मगन होकर चले जा रहे हैं। श्रीश के प्रणाम से वे चौंके और ‘प्रणाम भाई प्रणाम’ कहकर दोनों हाथ जोड़ दिये। मैं पूछता हूँ—“श्रीश, ये सज्जन कौन थे?” “पता नहीं कौन था यह उल्लू। मैंने तो मजा लेने के लिए उसे प्रणाम कर दिया।” श्रीश कुमार की शरारतों में से यह एक खास शरारत थी। आज भी उसे दुहराया। मैंने देखा कि वह प्रणाम लेने वाला व्यक्ति हैरान-सा पीछे मुड़-मुड़कर देख रहा था कि मुझे प्रणाम करने वाला यह डंडे वाला व्यक्ति कौन है?

गोरखपुर लौट आया। अब तक शोध-प्रबन्ध बहाना था और अनियमित ही सही, एक सौ रुपए की स्कालरशिप तो मिलती थी। अब? अब कहां जायें? क्या करें? इतनी योग्यता लेकर बेकार रहने से आसपास के लोगों में मान घट जाता है बल्कि अपमान की स्थिति पैदा हो जाती है। ससुराल में था। मेरी पत्नी के फूफा जी कालपी में गांधी आश्रम में थे। वे दर्जा सात फेल थे किन्तु धीरे-धीरे अपनी दूसरी योग्यताओं से काफी सम्पन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गये थे। बाद में वे एम० एल० ए० भी हुए थे। मेरी बेकारी पर तरस खाकर मुझे समझाने लगे—“अरे क्या रखा है कविता-सविता लिखने में और पी-एच० डी०-बी-एच० डी० करने में? कुछ और किया होता तो कोई काम-धंधा चल निकला होता।” मैं उन्हें क्या कहता? कुछ कहने से वे कुछ समझते क्या? उनके पास पैसा था, नेतागिरी थी, साहित्य उन तक कैसे पहुंचता? अतः उनका उपदेश सुनकर मुसकरा भर दिया। उन्होंने पत्नी को समझाया, “चल, कालपी चल, वहां माहीद नगर में एक मिडिल स्कूल खोल रहा हूँ, तुम्हें प्रिंसिपल बना दूंगा। रामदरस से ज्यादा पैसा कमाओगी।” पत्नी भला कहां मानने वाली थीं। उन्होंने उनकी भाषा में समझा दिया—“फूफा, पैसे तो कमा लूंगी लेकिन जिन्दगी-भर आपकी तरह इस्तीफा की जगह इस्थापा ही बोलूंगी।” मेरी मुसकान की व्यंजना से उन तक नहीं

पहुँची किन्तु पत्नी का अभिघातक शब्द-प्रहार उन तक अवश्य पहुँचा। वे तिलमिला उठे और बहुत दिन तक नाराज रहे।

गांव के लोग भी हैरानी से कहते—“अरे इतना पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी नहीं लग रही है। पढ़ना बेकार ही है न।”

कई जगह आवेदन-पत्र दे रखा था। एम० एम० यूनिवर्सिटी बडौदा में भी आवेदन भेज रखा था। दानापुर, पटना से मेरे मित्र रामचन्द्र मधुप का मुझे तार मिला। मधुप जी मेरे बहुत स्नेही मित्र तथा मेरे काव्य के प्रशंसक थे। मैं प्रायः उनके छात्रावास में जाया करता था। वे भी मेरे होस्टल और बाद में मेरे घर आया करते थे। उन्होंने मनोविज्ञान में एम० ए० किया था और दानापुर के कालेज में प्राध्यापक हो गये थे। उन्हें मेरी बहुत चिन्ना थी। उन्होंने तार देकर दानापुर बुलाया था। मैं पहुँचा तो उन्होंने बताया कि इस कालेज में हिन्दी प्रवक्ता की एक जगह है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप ले लिए जायें किन्तु आप पता मेरा दीजियेगा।

मधुप जी ने नया-नया प्रेम-विवाह किया था। नव-दाम्पत्य के आह्लाद और उत्साह से भरे पारिवारिक वातावरण में दम्पती के स्नेह और आत्मीयता का सुख पाकर बहुत प्रसन्न हो आया था और दो दिन बाद गोरखपुर लौट आया। मैं इन दिनों गोरखपुर में (समुराल में) ही था क्योंकि आवेदन-पत्रों में यहीं का पता दे रखा था। गांव में तो सप्ताह में एक बार डाक बंटती थी, वहां जाऊंगा तो इंटरव्यू के बाद चिट्ठी मिलेगी। दानापुर के इंटरव्यू की चिट्ठी आ गयी, साथ ही बडौदे के इंटरव्यू की भी। बडौदे का इंटरव्यू पहले था। जाहिर था कि मैं बडौदा जाता ही। वहां हो गया तो ठीक, नहीं तो दानापुर चला जाऊंगा।

36

बडौदा के लिए रवाना हो गया। इतने लम्बे सफर पर पहली बार निकला था। कुछ पता ही नहीं था कौन-सा रास्ता है? कितनी दूर का रास्ता है? श्वमुर जी रेलवे में थे अतः उन्होंने काफी जानकारी दे दी थी। जून की तपती गरमी में एक अनजान लम्बे सफर के लिए निकला हुआ यात्रा-भीरु मैं गाड़ी में से खाली-खाली आसमान, सूनी-सूनी दिशाओं को निहारता चला जा रहा था। घर तो बहुत पहले छूट गया था किन्तु घर छूटने के बाद नये घर बनते गये थे। बनारस उन्हीं घरों में से एक बहुत प्यारा घर था। ये सारे घर बहुत पास-पास थे, इसलिए अपने वास्तविक घर से छूटकर भी बहुत दूरी नहीं अनुभव होती थी। अब एक बहुत दूर के स्थान पर जा रहा था, जहां कोई अपना नहीं है। इन घरों के छूटने का तो दर्द था ही, एक नये स्थान पर भटकने की आशंका भी भीतर भरी थी और सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि इतनी लम्बी यात्रा तय करने के बाद नौकरी सगेगी भी कि नहीं। जहां मेरे इतने सारे लोग थे और स्वयं द्विबेदी जी की बरद छाया

थी, वहाँ से तो मैं बिस्थापित हो गया, जहाँ कोई नहीं है वहाँ मुझे कौन पूछेगा ? एक ही आश्वासन था, वह यह कि एम० एस० यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बी० के० ज्युल्की डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा के मित्र थे और शर्मा जी ने मेरे आवेदन-पत्र को अप्रसारित किया था ।

आगरा पहुँचा, वहाँ से बयाना पहुँचा । वहाँ से फ्रंटियर मेल पकड़ना था । इस भाग-दौड़ में सो नहीं पाया था । आँखें जल रही थीं, शरीर में भारी थकान भर गई थी । जब फ्रंटियर आया तो मेरे होश उड़ गये । उसमें सामान्य डिब्बे दो ही थे और बे बुरी तरह भरे हुए थे । फ्रंटियर छोड़ दिया तो कल साक्षात्कार के समय नहीं पहुँच पाऊंगा और डिब्बों में तिल रखने की जगह नहीं । भीतर का रेला बाहर के रेले को ठेल रहा था । मैं खिड़कियों के पास जा-जाकर अनुनय कर रहा था—ऋपया मेरा होल्डाल अदर जाने दीजिये, कल मेरा इंटरव्यू है किन्तु कोई सुनता ही नहीं था । आखिर मैंने एक खिड़की से होल्डाल अन्दर ठेल ही दिया और स्वयं दरवाजे पर लटके हुए कुछ लोगों के साथ लटक गया । भीतर घुसने की कोई गुजाइश नहीं थी । इतनी तेज गाड़ी पर पहली बार चढ़ा था, उसकी गति का पूर्व अनुभव नहीं था । जब फ्रंटियर ने तेज रफ्तार पकड़ी तो हवा और उसके साथ उड़कर आने वाले छोटे-छोटे कंकड़ मुझसे टकराने लगे । वे मेरी कनपटियों को पीटने लगे । मुझे डर लगा कि कहीं गिर न जाऊँ । आखिर कब तक इस तरह लटके-लटके चलूँगा । उतरना भी विकल्प नहीं था । दूसरी किसी गाड़ी से समय से नहीं पहुँच पाऊंगा और मेरा होल्डाल पता नहीं कहां किस हाल में होगा, उसे भीतर से कौन निकालकर देगा ? अतः मैं थकी देह, जलती आँख लिए लटके-लटके यात्रा करने के लिए अभिशप्त था । लेकिन अद्भुत शक्ति होती है मनुष्य की । वह किसी परिस्थिति में अपने लिए रास्ता निकाल ही लेता है । स्टेशन पर जो भीड़ फैली होती है, गाड़ी छूटने के बाद धीरे-धीरे वह सिमटने लगती है और डिब्बों में समा जाती है । अजनबी की तरह घबका-मुक्की करने वाले लोग कुछ देर बाद साहचर्य की उष्मा अनुभव करने लगते हैं और एक-दूसरे के लिए जगह बनाने लगते हैं । धीरे-धीरे पायदान पर लटकी हुई भीड़ अन्दर हो गई । मैं भी अन्दर हो गया किन्तु बड़ी मुश्किल से पाँव टिकाकर खड़ा होने की जगह मिली । लटकने के बाद अन्दर पाँव टिकाकर खड़ा होने में एक आश्वस्ति प्राप्त हुई किंतु यह आश्वस्ति कुछ देर बाद पाँव के साथ थरथराने लगी । कब तक खड़ा चलता रहूँगा ? अब तो जलती आँखों में नींद भी उतरने लगी थी किन्तु ठहरती कैसे ?

ऊपर की एक बर्थ पर एक सरदार जी लेटे हुए थे । उन्हें इतनी भीड़ में पता नहीं मुझी पर क्यों रहम आ गया और बोले—“आओ बादशाहो, तुम भी एक किनारे बैठ जाओ ।” मेरे लिए तो यह वरदान था । किसी तरह आगे बढ़कर ऊपर की बर्थ पर चढ़ गया और एक किनारे बैठ गया । अब नींद फिर उतरने लगी थी और अब तो उसे मेरी आँखों में ठहरने का आधार भी मिल गया । किनारे बैठा हुआ था । नींद के झोंके आने लगे और मुझे डर लगा कि मैं कहीं लुढ़ककर नीचे न गिर जाऊँ । अतः अपने झोले में रखी चादर निकालकर अपने को पास वाली लोहे की जंजीर से बांध दिया ।

दो बजे रात को बड़ीदा आया। बड़ीदा आने से पहले नीचे उतरा। खोजकर अपना होल्डाल संभाला। वह किसी की सुराही का पानी गिरने से भीग गया था।

उतरकर बहुत आश्वस्त अनुभव की। प्लेटफार्म पर ही होल्डाल खोलकर सो गया। सबेरे उठा तो एक आदमी मेरे पास आया। उसने पूछा—“लॉज में रहना है?” “हां” कहकर उसके साथ हो लिया। लॉज स्टेशन से सटा ही हुआ था। वहां गया। पहली समस्या यह आई कि रास्ते में होल्डाल के भीग जाने से मेरे कपड़े भीग गये थे और मुचड़ गये थे। मालूम हुआ कि धोबी तीन-चार घंटे में धोकर दे देगा। नहा-धोकर बाहर निकल आया इस बड़े नगर का जायजा लेने के लिए। यह नगर बहुत साफ-मुथरा और खुला-खुला लग रहा था। मैं घूमता-घूमता एक बड़े पार्क में पहुँच गया। मालूम पड़ा, उसका नाम है कमाटी बाग। यों ही घूमता रहा और उस विशाल बाग की सुन्दरता में गुजरता रहा। घूमते-घूमते देखा, इसमें ‘जू’ भी है। तरह-तरह के जीव-जंतुओं में आंखें मिलाता घूमता रहा। इस शहर के आदमियों से पहचान होने से पहले जीव-जंतुओं से पहचान हो रही थी। दो घंटे बाद लॉज लौटा। खा-पीकर सो गया।

शाम चार बजे साक्षात्कार था। रजिस्ट्रार आफिस लॉज से दूर नहीं था। अतः आश्वस्त था। समय में पहुँच गया। साक्षात्कार में बैठने वाले सभी लोग मेरे लिए अपरिचित थे। कुलपति हमा मेहता, रजिस्ट्रार वी० के० ज्युत्शी, डीन श्री कंटक (अंग्रेजी के प्रोफेसर) और श्री उदर्यासिंह भटनागर (हिन्दी विभागाध्यक्ष)। मेरा सौभाग्य कि हिन्दी का कोई महारथी नहीं था। इन लोगों ने खुलकर बातों की और मुझे इण्टरव्यू के बाद ही ज्ञात हो गया कि मैं ले लिया गया हूँ।

श्री उदर्यासिंह भटनागर बड़े उल्लास से मुझे अपने साथ ले चले। रास्ते में विभाग के दूसरे सज्जन भारतेन्दु सिन्हा मिले। भटनागर जी ने उन्हें सूचना दी। अपने घर ले गये। अपने घरवालों से परिचय कराया। चाय पीने के बाद बोले—“चलिए, लॉज से आपका सामान लाने है।”

मैं बहुत संकोच में पड़ा। पता नहीं कब मकान मिले, तब तक भटनागर जी के घर कैसे कहूँगा? मेरा संकोच समझकर वे बोले—“चलिए, चलिए, इसे भी अपना घर ही समझिए।” वे हमें अपने घर पर ले आये। पूरे घर ने मुझे देखते-देखते अपना अभिन्न सदस्य बना लिया। इस परिवार से बहुत प्यार मिला। श्रीमती भटनागर तो बहुत ही प्यारी और स्नेहमयी महिला थी। बच्चे भी बहुत सुसंस्कृत और प्यारे थे। भटनागर जी के साथ मैं रोज मकान की खोज करता था। आखिर एक नयी बन रही चाली में दो कमरे मिल ही गये। राहत की सांस ली। भटनागर परिवार से मिलता हुआ सहज प्यार मेरे लिए भारी पड़ रहा था इसलिए मकान मिलते ही हलकापन महसूस किया। गोरखपुर सूचित किया। पत्नी और बच्चे आ गये और सही अर्थों में मेरी गृहस्थी शुरू हुई।

बड़ीदा में नीकरी मिली तो मेरी जीवन-यात्रा में एक निश्चितता आई और यह सोचकर आंखें भर आई कि अपने परिवेश ने मुझे अपने भीतर से निकाल फेंका और

एक निपट अनजाने परिवेश ने प्यार से अपना लिया। भटनागर जी के साथ शाम को एक लम्बी सँर पर निकलता था और लगता था कि नया परिवेश धीरे-धीरे मुझसे परिचित होकर मेरे भीतर उतरता था, वह मुझसे बातें करता था, मेरा सुख-दुःख पूछता था और मेरे परिवेश को बड़ा बना रहा था। 'बड़ीदे की शाम' नामक निबंध मैंने इसी मानसिकता में लिखा।

बड़ीदा का सामाजिक और शैक्षिक परिवेश मेरे लिए बहुत नया था। यहां के सामाजिक जीवन में अपने यहां की अपेक्षा बहुत खुलापन था, उत्सवधर्मिता थी, श्रृंगार-प्रियता थी। हमारे मोहल्ले से थोड़ी ही दूर पर कमाटी बाग था जिसका दर्शन मैंने बड़ीदा में आते ही किया था। हर रविवार को यहां घूमने वालों का मेला-सा लगता था। उसके केन्द्रीय स्थल पर बेंड बजता रहता था और लोग झूमते थे, घूमते थे, खाने-पीते थे। उस दिन कामवालियां भी खूब सज-धजकर बालों में फूलों की वेणी सजाये निकलती थी और यहां यह निर्णय करना कठिन होता था कि कौन स्त्री मध्यवर्गीय है, कौन निम्नवर्गीय? कौन पढी-लिखी है, कौन अनपढ़? मेरी पत्नी तो एक बार चकरा गई। एक दिन एक सजी-धजी औरत हमारे घर आई और पत्नी से पूछा—“बेन जी, आपको कामवाली चाहिए?”

“चाहिए तो।”

“क्या देंगी?”

“कामवाली को भेजिए तो उससे बान कर लूंगी।”

“मैं ही हूँ।”

“आप?” पत्नी चकित भाव से बोलीं। उन्हें यह डर समा गया कि इननी सजी-धजी औरत यदि काम करेगी तो पता नहीं कितना मांगेगी और न जाने इसके कितने नखरे उठाने पड़ेंगे। अतः उन्होंने बहाना बना दिया कि एक से बात की है, यदि वह नहीं आयेगी तो आपको बता दूंगी, अपना पता बता जाइए।

जब वह चली गई तो पत्नी ने राहत की सांस ली और भटनागर जी को यह घटना सुनाई। भटनागर जी हमें—“आप नाहक डर गईं। अरे, वह अपने टूटे घर में जाकर एक पुराना मामूली पेटिकोट पहनकर बैठेगी। ये बाहर निकलती है तो सज-धजकर ही निकलती है। आपके यहां काम करने आयेगी तो इस तरह सज-धजकर थोड़े आयेगी।” धीरे-धीरे हमें इस सत्य का ज्ञान हो गया। हमने जान लिया कि यहां के लोग अपनी थोड़ी सुख-सुविधाओं का भी मलीके से इस्तेमाल करते हैं। इन औरतों के पास कपड़े बहुत नहीं हैं किन्तु यहां रोज कपड़े घर पर धुलते हैं। गृहिणियों के कर्तव्य में से एक मुख्य कर्तव्य होता है—रोज कपड़े धोना। धोकर वे कपड़े खुद प्रेस कर लेती हैं या करा लेती हैं। गली-गली प्रेस करने वाले धोबी फैले होते हैं। पुरुषों को काम पर भेजकर सवेरे-सवेरे औरतें नल के नीचे कपड़ों का ढेर और पीटने की मुबड़ी लेकर बैठ जाती हैं और धुलाई की आवाज एक लय में बजने लगती है। गुजरात आकर पत्नी ने यह नया काम सीखा। इससे हम लोगों को बहुत राहत मिली। मुझे याद है कि बनारस में मेरे पास कई धोतियां और कई कुर्ते थे किन्तु सभी धोबी के यहां

घुलते थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कालेज जाते समय घोबी कपड़े नहीं लाया तो उस दिन छुट्टी लेनी पड़ जाती थी। धीरे-धीरे यहां इस संकट से मुक्ति मिली।

चाहे छोटी हों या बड़ी, लड़कियों का मुख्य पहनावा फ्राक था। शुरू-शुरू में यह मेरे उत्तर भारतीय संस्कार को बहुत कोंचता था। उत्तर भारत में लड़की जहां बड़ी हुई, वह या तो साड़ी पहनने लगती है या सलवार। साड़ी के साथ वक्ष को ढकने के लिए आंचल काफी होता है किन्तु सलवार के साथ दुपट्टा जरूरी है। यहां एक तो पिंडालियों तक उधड़ी टांगें और दूसरे, वक्ष पर फ्राक के सिवाय कुछ नहीं। जब मैं क्लास में जाता था तो पहली बेंच पर बैठी लड़कियों पर नजर पड़ते ही मैं नजर चुराने लगता था। विशेषतया कुछ स्थूल लड़कियों के वक्ष उनके खले गले के फ्राक में से आधे उभरे होते थे। पढ़ाने की प्रक्रिया में उन पर नजर पड़ते ही मैं झट से अपनी आंखें पीछे की बेंचों की ओर डाल देता था। किन्तु धीरे-धीरे मैं इस परिवेश का अभ्यस्त हो गया और कुछ दिन बाद उनकी वेशभूषा मुझे वैसी ही सहज दीखने लगी जैसे अपने यहां की साड़ी और सलवार। वास्तव में हर नया दृश्य पहले आंखों को चौंकाता है फिर लगातार अपने सम्पर्क से उन्हें सामान्य कर देता है।

कह चुका हूं कि यहां का वातावरण खुला हुआ था। लड़के-लड़कियां साथ बैठते थे, खुलकर बातें करते थे, साथ घूमते थे, साथ खेलते थे। यहां भी और बाद में अहमदाबाद तथा नवसारी में भी अनुभव किया कि पिकनिकों में जब खेल होते थे तो लड़के-लड़कियां एक-दूसरे को निस्संकोच पकड़ते थे। हमारे यहां तो जैसे एक-दूसरे को छूना वर्जित है। छूना तो दूर, खुलकर बातचीत करना भी वर्जित है। यहां लड़कियां किसी 'सर' के आगे हाथ पसारकर बैठ जातीं—“सर, आपको हाथ देखना आता है, मेरा हाथ देखिए न।” और सर हाथ देखने की क्रिया में अनभिज्ञ होकर भी हाथ मसल-मसलकर उसकी रेखाएं पढ़ने का नाटक करते रहते। बाद में अहमदाबाद में जब मैं गया तो वहां एक दिन मैं स्टाफ रूम के सामने बाहर खड़ा था तो एक लड़की आयी और बोली—“सर, आपको हाथ देखना आता है, मेरा हाथ देखिए न।” मुझे तो हाथ देखना आता ही नहीं और यदि आता भी तो क्या मैं इस तरह छात्र-छात्राओं की भीड़ में खड़ा होकर उमका हाथ देखता? वह हाथ फैलाये खड़ी थी और मैं अपनी असमर्थता जाहिर करता रहा। वास्तव में जो चीज मेरे उत्तर भारतीय संस्कार के लिए चौंकाऊ थी वह उनके लिए सामान्य थी। उन्हें लगता ही नहीं था कि इसमें कोई दोष है। जब मैं बनावस में था तो एक फिल्म देखी थी जिसमें पिकनिक पर गये लड़के-लड़कियां आपस में पकड़म-पकड़ायी खेल रहे थे। मैंने गुस्से में कहा था—“ऐसा भला कहीं होता है, फिल्म झूठी है।” यहां आकर लगा कि नहीं, वैसा भी होता है।

उनके महिला छात्रावासों के आसपास कोई चहारदीवारी नहीं थी और न वहां छात्रों के जाने की कोई मनाही थी। छात्र जाते थे, अपनी मित्र छात्रा के कमरे में बैठते थे और उसे लेकर घूमने निकल जाते थे। प्रेम भी-काफी कुछ खुलकर होता था। ऐसा नहीं था कि प्रेमी-युगल सर या किसी बड़े व्यक्ति के आगे एकदम झेंप जाते हों या छिप जाते हों या बहाना बनाने लगते हों। दरअसल लड़के-लड़की में बातचीत और

उन्मुक्त व्यवहार की तो सामाजिक छूट यहां है ही, अब कौन-सी बातचीत और उन्मुक्त व्यवहार प्रेम के सहित हो रहा है और कौन-सा यों ही, यह निर्णय करना सहज नहीं होता था। इसलिए देखने वाले भी इसकी चिंता नहीं करते थे और प्रेम करते हैं तो करें, देखने वाले को कौन मुसीबत आ रही है। किन्तु उत्तर भारत में सबसे अधिक मुसीबत देखने वालों पर ही आती है। वे इस चिंता में ज्यादा रहते हैं कि लड़का-लड़की मिल रहे हैं तो उनका अभिप्राय क्या है? हालांकि न उस लड़के से उनका कोई सम्बन्ध होता है, न उस लड़की से। यह नया वातावरण लगातार मेरे उत्तर भारतीय संस्कार से टकरा रहा था और उसे अपने में जज्ब कर उदार बना रहा था।

विश्वविद्यालय के एक समारोह में कुलपति हंसा मेहता के सामने लड़के-लड़कियों ने खलकर फिल्मी प्रेम-गीत गाये तो मैं चकित रह गया। उत्तर भारत की शैक्षिक संस्थाओं के समारोहों में आज तक फिल्मी गीत नहीं सुने थे। उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां तो शास्त्रीय संगीत या साहित्यिक गीत का ही रस झरता था। यहां तक कि परिवारों में भी बड़े-बूढ़ों के आगे लोग फिल्मी गाने नहीं गाते थे। याद है, एक बार डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा के यहां बैठा था। उनकी छोटी लड़की एक फिल्मी प्रेम-गीत गुनगुनाती हुई आयी। मैंने चकित भाव से शर्मा जी की ओर और उन्होंने मेरी ओर देखा। वे बोले—“देख रहे हैं न, जाने यह पीढी कहां जायेगी? अभी से यह हाल है।” यही संस्कार लिए मैं महिला कुलपति की उपस्थिति में विश्वविद्यालयी महोत्सव में फिल्मी गीत सुन रहा था। कल्पना की जा सकती है कि मेरी मनःस्थिति कैसी हुई होगी। उत्तर भारत के स्कूलों, कालेजों में अन्त्याक्षरी प्रतियोगिताएं होती थीं जिनमें चुनी हुई कविताएं पढ़ी जाती थीं। यहां अनुभव किया कि अन्त्याक्षरी में फिल्मी गाने गाये जाते हैं। किन्तु धीरे-धीरे मैं इस वातावरण का अभ्यस्त हो गया और कुछ दिनों बाद ये चीजें सहज लगने लगीं।

यहां के शैक्षिक वातावरण में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक हलकापन देखा। वैसे कक्षाओं के छात्र कहां नहीं शोर करते हैं, कहां नहीं बदतमीजियां करते हैं और कहां नहीं मनोरंजन चाहते हैं किन्तु अनुपात में ये चीजें यहां ज्यादा देखीं। यहां छात्र-छात्राएं कक्षा में मनोरंजन अधिक चाहते हैं और ज्ञान-गुणता कम। इसलिए यहां उन अध्यापकों को ज्यादा सफल होते देखा जो अपने विषय के मर्मज्ञ नहीं हैं बल्कि ज्ञान में सपाट हैं किन्तु जो फिल्मी संवाद के ढंग से भाषा बोलते हैं, चुटकूले सुनाते हैं, किस्मे-कहानियां सुनाते हैं। यानी फिल्मी दुनिया ने यहां के सामाजिक जीवन को तो प्रभावित किया ही है, शैक्षिक जगत् को भी किया है। यानी ज्यादा किया है। यह बात मैं सन् '56 की कह रहा हूं, बाद में तो धीरे-धीरे फिल्मी प्रभाव की गिरफ्त में पूरा देश आ गया।

हिन्दी इण्टरमीडिएट तक अनिवार्य थी। पूरे गुजरात में अनिवार्य थी। हमें कला, बाणिज्य, विज्ञान, ललित कला सभी संकायों में हिन्दी की कक्षाएं लेनी पड़ती थीं। हम तीन अध्यापक थे। दरअसल अनिवार्य विषय होने के कारण छात्रों को हिन्दी की कक्षाओं में आना ही होता था किन्तु मुझे नहीं लगता था कि वे गहरे रागात्मक

लगाव से कक्षा में बैठते थे। इसका कारण मैं भी हो सकता हूँ। हो सकता है उन्हें मेरे अध्यापन में ही कोई आकर्षण न दिखाई पड़ता रहा हो। मुझे लगता है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक मैं छोटी कक्षाओं के छात्रों को बांध पाने में समर्थ नहीं हुआ। इसके उलट हिन्दी ऑनर्स और एम० ए० की कक्षाओं के छात्र मुझसे अधिक लगाव रखते रहे। इसका कारण यही हो सकता है कि मेरे पास वह वाक्-कौशल नहीं है जिसके जादू से बी० ए० तक के छात्र सम्मोहित हो जाते हैं या वह आतंककारी तरीका नहीं है जिससे डरकर छात्र चुप रहते हैं। मैं जो कुछ जानता हूँ उसे एक आत्मीय वातावरण में धीरे-धीरे खोलता चल सकता हूँ और चूँकि बी० ए० हिन्दी ऑनर्स और एम० ए० हिन्दी के छात्र हिन्दी के साथ गहरा अपनापन रखते हैं और वे वाक्-कौशल की अपेक्षा या उसके साथ-साथ ठोस सामग्री चाहते हैं इसलिए मेरे जैसे अकुशल वक्ता भी वहाँ खप जाते हैं। बल्कि एक सीमा तक उनके अपने लगते हैं।

मैं पहले कह चुका हूँ कि बी० एच० यू० में मेरे अध्यापक की पहचान एक कवि-रूप में भी होती थी। हिन्दीभाषी छात्रों में से लेखकीय प्रतिभा या रुचि वाले अनेक छात्रों का मुझसे कवि होने के नाते ही गहरा लगाव बन जाता था किन्तु गुजराती-भाषी छात्रों में तो मैं केवल हिन्दी का एक सामान्य अध्यापक ही माना जाता था। अतः मुझे उनसे ऐसा कोई अपनापन नहीं मिलता था जो मुझे तोष दे सके। हां, बी० ए० ऑनर्स, जो इसी वर्ष शुरू हुआ था, में चार छात्र थे। उन्हें मेरे लेखकीय रूप का भी बोध था। उन्हें मेरे अध्यापन से भी काफी तोष मिलता था। वे चारों परिवार के व्यक्ति बन गये थे। उन चारों में से एक थे रमणलाल पाठक जो इन दिनों वहीं रीडर है। इन चार छात्रों की छोटी-सी दुनिया में जितनी तृप्ति मिल सकती थी, वही वहाँ के अध्यापन की तृप्ति थी।

कला-संकाय से दो फर्लांग की दूरी पर ललित कला-संकाय था। वहाँ भी मुझे क्लास लेने जाना पड़ता था। कला-संकाय की क्लास के तुरत बाद वाली क्लास लेने वहाँ जाना पड़ता था। साइकिल से जाने के बावजूद दस-पन्द्रह मिनट लेट वहाँ पहुंचता था। छात्रों को (और शायद डीन को भी) यह भ्रम हो गया था कि मैं हमेशा लेट पहुंचने वाला अध्यापक हूँ। डीन ने तो शायद लिखित शिकायत भी भेज दी थी। छात्र इंतजार करते रहते। खैर, उन्हें हिन्दी में रुचि कहाँ थी? बस पढ़ लेते थे। एक दिन मैंने एक निबन्ध लिखने को दिया। जांचने लगा तो एक निबन्ध बहुत अच्छा दिखाई पड़ा। वह बहुत काव्यात्मक ढंग से लिखा गया था। मैंने पूछा—“किसका है?” छात्र खड़ा हो गया।

“आपने बहुत अच्छा निबन्ध लिखा है। आपका नाम क्या है?”

“गुलाम मुहम्मद शेख।”

“ललित कला में आपका विषय क्या है?”

“चित्रकला।”

“आपमें बहुत अच्छी काव्य-प्रतिभा छिपी है, मि० शेख। आप कविताएं लिखते हैं क्या?”

“जी सर, गुजराती में कविताएं लिखता हूं और हिन्दी की भी कविताएं पढ़ता हूं। आपकी कई कविताएं मैंने पत्रिकाओं में पढ़ी हैं।” उमने कुछ पत्रिकाओं में छपी कविताओं के नाम गिनवा दिये। मुझे यह जानकर बहुत तोष मिला कि यहां भी मुझे कवि-रूप में जानने वाले कुछ छात्र हैं। मैंने गुलाम मुहम्मद को सलाह दी कि वे सुरेश जोशी से मिलें। सुरेश जोशी गुजराती विभाग में प्राध्यापक थे और गुजराती में नयी प्रयोगवादी कविता और कलावादी चिन्तन के सूत्रधार थे। वे हिन्दी साहित्य के भी अध्येता थे और अज्ञेय के लेखन के प्रशमक थे। एक बार अज्ञेय को लेकर उनके साथ मेरी बहस हो गयी। वे ‘शेखर एक जीवनी’ और ‘नदी के द्वीप’ से बहुत प्रभावित लगे। प्रेमचंद और उन जैसे सामाजिक चेतना के साहित्यकार उन्हें या उन जैसे साहित्यकारों को पसंद नहीं हैं। उनके लिए जो कहा जा रहा है उसकी सामाजिक और मानवीय मूल्यवत्ता का कोई महत्त्व नहीं था, महत्त्व था वह कैसे कहा जा रहा है। इसलिए उनके उपन्यासों और कविताओं में छिन्न-भिन्न मन की जटिल यौन संवेदनाओं को कलात्मक प्रयोग के साथ चित्रित कर देना ही उद्देश्य होता है। जो भी हो, सुरेश जोशी गुजराती में नये लेखन और चिन्तन के प्रखर व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे थे। वैचारिक और दृष्टिमूलक मतभेद होने के बावजूद नया लेखक होने के नाते हम दोनों एक-दूसरे को स्नेह देते थे। लेखकीय रिश्ता एक बड़ा रिश्ता होता है। गुलाम मुहम्मद शेख का रुझान भी प्रयोगवादी कला की ओर था—चित्रों में भी और कविताओं में भी। चित्रों में कलावाद के विभिन्न आन्दोलन चलते रहते हैं अतः बड़ा चित्रकार का कलावादी हो जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है और उसके चित्र के कलावाद का असर उसकी कविताओं पर भी पड़ता है। दूसरे, गुलाम मुहम्मद कविता के लिए सुरेश जोशी से जुड़ने लगे, अतः उनकी कविताओं में कलावाद का गहरा प्रभाव भर गया किन्तु यह सब तो बाद की बात है, फिलहाल तो इतना ही था कि शेख एक नवसिद्ध कवि थे और सुरेश जोशी से जुड़ने के लिए अग्रसर हो रहे थे। बाद में तो वे एक अच्छे प्रयोगवादी कवि और राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार बने और उसी सकारण में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस चाल में मैं रहता था उसी में बगल वाले कमरे में रहने के लिए शेख भी आ गये अपने एक दूसरे कलाकार मित्र के साथ। अतः कक्षा के सम्बन्ध के साथ-साथ पड़ोसी का भी सम्बन्ध हो गया। शेख हिन्दी के विद्यार्थी नहीं थे। हिन्दी तो उनके अपने प्रमुख कला पाठ्यक्रम के साथ सामान्य रूप से जोड़ दी गयी थी किन्तु फिर भी उन्होंने तब और बाद में भी मुझे गुरु का गहरा सम्मान दिया। मैं भी उन्हें अब तक अपने बहुत आत्मीय व्यक्ति के रूप में याद करता हूँ। उन्होंने मेरे उपन्यास ‘पानी के प्राचीर’ और कविता-संग्रह ‘बैरग बेनाम चिट्ठियाँ’ की कवर डिजाइन भी बनायी। ‘जल टूटता हुआ’ की भी कवर डिजाइन उनसे बनवायी थी और वे उसे लेकर बड़ीदा से दिल्ली आये थे किन्तु प्रकाशक ने कांजिलाल से दूसरी ही कवर डिजाइन बनवा रखी थी। अतः शेख की डिजाइन नहीं जा पायी।

बड़ौदा में नौकरी मिली और भटकते हुए जीवन को एक सहारा मिला किंतु पहली बार अहिन्दीभाषी लोगों के वातावरण में आया था और इतनी दूर आया था, इसलिए मन उदास रहता था। अंतरंग हिन्दीभाषी मंडल में भटनागर जी का परिवार था और कक्षा में हिन्दी ऑनर्स के चार छात्रों का छोटा-सा मंडल था। होने को हिन्दी विभाग के दूसरे प्रवक्ता श्री भारतेन्दु सिन्हा भी थे, उनका परिवार भी था किंतु वे अबूझ व्यक्ति थे। कभी तो बहुत खुले हुए प्रसन्नचित्त नजर आते थे, कभी उलझे हुए। कभी खुलकर स्वागत करते थे, कभी ऐसा रूख दिखाते थे कि वे बहुत व्यस्त हैं और मैं वहां अवांछित पहुंच गया। यह व्यवहार मेरे ही साथ नहीं था, यह उनका स्वभाव था। भटनागर जी भी उनके इस प्रकार के व्यवहार के भुक्तभोगी थे। परिवार में उनकी मां थीं, पत्नी थीं, एक बच्ची थी, दो बहनें थीं। वहां जाने पर सभी स्वागत-सत्कार करते थे, खिलाते-पिलाते थे। उनकी मां तो अत्यन्त बत्सला थी किंतु कुल मिलाकर वहां एक सहजता लक्षित नहीं होती थी क्योंकि यह पूरा परिवार अपनी ही प्रशंसा में लगा रहता था। कभी भारतेन्दु जी की प्रतिभा और शैक्षिक उपलब्धियों की चर्चा चल पड़ती, कभी बच्ची को केन्द्रित कर प्रशंसाओं का प्रवाह बहता रहता, कभी बहनों की उपलब्धियों की प्रशंसा होती। तारीफ यह थी कि एक व्यक्ति जो बात उठाता, सारा परिवार तह पर तह जमाने लगता। उस परिवार के साथ रहने का मतलब था चुपचाप उनकी आत्म-प्रशंसाओं का निरीह श्रोता बना रहना। मैं सह तो बहुत कुछ लेता हूँ, इसे भी सह लेता था किंतु भीतर ही भीतर मैं इस स्थिति के साहचर्य का सुख नहीं ले पाता था बल्कि एक ऊब अनुभव करता था। किंतु मैं उनका सहकर्मी था और मेरे लिए अभी हिन्दीभाषी लोगों की दुनिया बहुत छोटी थी अतः उनके यहां जाता ही रहता था। मैंने यह अनुभव कर लिया था कि भटनागर जी और सिन्हा जी में व्यक्तिगत और विभागीय सौमनस्य नहीं है। भटनागर जी सीधे और खुले व्यक्ति थे और सिन्हा साहब चालाक और जटिल व्यक्ति। भटनागर जी कायस्थ होने के बावजूद नाम के साथ जुड़े सिंह (उदर्यासिंह) को सार्थक करते थे। इसलिए किसी भी अधिकारी या प्रोफेसर को नापसन्द करने पर या तो उससे टकरा जाते थे या उदासीन हो जाते थे। सिन्हा साहब सबसे सम्बन्ध जोड़ते रहते थे और उन पर अपनी योग्यता की धाक बैठाते रहते थे। हिन्दी न जानने वालों और हिन्दी के शिक्षण से सम्बन्ध न रखने वालों ने मुझसे सिन्हा साहब के पांडित्य की बात कही और भटनागर जी के विरोध में भी कुछ कहा। मुझे आशंका हुई कि सिन्हा साहब अपने अनुकूल और भटनागर जी के प्रतिकूल वातावरण बनाने में सक्रिय थे। मुझे अपने बारे में भी सन्देह हुआ। उसका कारण था मेरा भटनागर जी के निकट होना। मेरा स्वभाव रहा है कि मैं अपने विभागाध्यक्ष को हमेशा सहयोग देता रहा हूँ, वह चाहे मुझसे जूनियर हो, चाहे सीनियर, चाहे विद्वान् हो, चाहे दुनियादार। अतः मैं भटनागर जी को पूरा सहयोग दे रहा था। दूसरी बात यह थी कि भटनागर जी ने मेरे आते ही मुझे अपने सहज स्नेह भाव से प्रभावित कर दिया था। इसका यह अर्थ नहीं था कि मैं सिन्हा

साहब का विरोधी था किंतु लगता है कि मैं भटनागर जी के साथ जोड़कर सिन्हा-विरोध में शामिल कर लिया गया था।

मैं तो यों ही इस दूर शहर में पहली बार आकर उदास रहता था, दूसरे यह शहर मेरे और परिवार के स्वास्थ्य को रास नहीं आ रहा था। हाइपर एसिडिटी मेरा पुराना रोग था किंतु मैं इसके असली रूप से परिचित नहीं था, केवल पेट का कोई रोग मानकर इसके उभरने पर पेट की गोलियां ले लिया करता था। यह क्या है? क्यों है? इसकी दवा क्या है? क्या खाना-पीना चाहिए आदि बातों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। बड़ौदा आने पर इसका भीषण प्रकोप हुआ। भटनागर जी ने सलाह दी कि डा० कुलश्रेष्ठ को दिखाऊँ। डा० कुलश्रेष्ठ उत्तर भारत के थे और बड़ौदा के राज-परिवार के डाक्टर थे। भटनागर जी मुझे लेकर वहाँ गये। उन्होंने देखा और बताया कि हाइपर एसिडिटी है। दवा लिखी। उम वक्त उनकी फीस पंद्रह रुपये थी किंतु मुझसे फीस नहीं ली। भटनागर जी ने बताया कि वे प्राध्यापकों से फीस नहीं लेते और उत्तर भारत के होने के नाते हिन्दी के लोगों से तो उनका खास जुड़ाव है। धीरे-धीरे उनकी दवा से लाभ हुआ और सबसे बड़ी बात यह हुई कि मुझे अपने पुराने रोग की सही जानकारी मिल गई तथा कौन-सी दवा और क्या भोजन लेना चाहिए—इसका ज्ञान हो गया।

मैं संभला भी नहीं था कि पत्नी रोग की चपेट में आ गई। उनके पूरे शरीर में फफोले निकल आये। उन फफोलों में भयानक जलन और खुजली होती थी। पत्नी एक अकथ वेदना में गुजरने लगीं। डा० कुलश्रेष्ठ की शर्षण में गये। उन्होंने देखा-दाखा और काफी दिनों में बड़ी मुश्किल से वह संभाल में आयीं।

पत्नी संभलीं नहीं कि एक भयानक समय हमारे ऊपर टूट पड़ा। दशहरे-दीवाली की लम्बी छुट्टी हो गई थी। एक लम्बा सन्नाटा हमारे बाहर-भीतर पसरा था। पढ़ाई के दिन होते थे तो कालेज आना-जाना लगा होता था, लोगों से भेंट-मुलाकात होती रहती थी और हिन्दी आँसू के चार विद्यार्थियों का मेरे घर आना-जाना लगा होता था किंतु छुट्टियों में वे भी अपने-अपने गाँव चले गये थे। क्वार की घूप में एक गहरी उदासी व्यापी हुई थी। अपने यहाँ के दशहरे की बहुत याद आ रही थी और वह याद घूप की उदासी को और गहरा कर रही थी। गाँव बहुत याद आ रहा था। अलगनी परपमरी हुई मक्के की लाल बालियाँ, बरसाती सीलन से मुक्त होने के लिए फैली हुई धराऊ साड़ियाँ दूर से अपनी महक और रंग फेंक रही थीं। अपने पूरे भीतरी-बाहरी परिवेश के साथ घर बहुत याद आ रहा था। आज तक घर से बाहर रहा, किंतु बाहर रहकर भी अपनों की गहमागहमी के बीच रहा। इन दिनों पहली बार लग रहा था कि घर से दूर हूँ, घर से कटा हुआ हूँ। लगा जैसे माँ-बाप, भाई-भाभियों आदि की ममताभरी आँखों में हमारे लिए दर्द छलछला आया था। वे आँखें भी मेरी आँखों में उतर आई थीं।

इसी उदासी में हेमंत की बीमारी एक भयानक यातना बनकर उभरी। हमने एक दिन अनुभव किया कि हेमंत का सिर बाईं ओर को झुक आया है। हेमंत बचपन से ही बहुत नाटकी रहा है। वह दूसरों की नकल करता रहा है। इसलिए हमने पहले यह समझा कि यह कमबख्त किसी की नकल करके गर्दन टेढ़ी किए हुए है। उसकी माँ ने उसे पीट

भी दिया लेकिन जब दूसरे दिन उसकी गर्दन और झुक आई और बायां पांव लड़खड़ाते लगा तो हमें कुछ चिंता हुई। पास की डिस्पेंसरी में गये। वहां डा० पाठक इंचार्ज थे। वे बहुत भले डाक्टर और मनुष्य थे, हमें बहुत मानते थे। उन्होंने देखा और सुझाव दिया कि बच्चे को डा० जैन को दिखाऊ। डा० जैन बाल-रोग के विशेषज्ञ थे। मैं हेमंत को लेकर घर आया। पत्नी ने बेबैनी से पूछा, “क्या कहा डॉक्टर ने?” “उन्होंने डा० जैन को दिखाने को कहा है।” पत्नी की घबराहट और बढ़ गई। अब प्रश्न था कि पता नहीं डा० जैन की फीस क्या होगी? पास पैसे नहीं थे और शनिवार होने की वजह से 12 बजे ही बैंक बन्द हो गया था। भटनागर जी के पास गया। उनके पास भी पैसे नहीं थे और किसी से हम मांग भी नहीं सकते थे। पैसे मांगे जा सकने वाला सम्बन्ध और किसी से नहीं था। वैसे भी पैसे मांगने में मैं बहुत भीरू हूँ, अभिन्न लोगों से भी बहुत मुश्किल से मांग पाता हूँ और वह भी तभी जब शीघ्र वापस करने की स्थिति में अपने को पाता हूँ। बच्चे की अबूझ बीमारी की व्यथा को हमारी तात्कालिक अर्थ-हीनता ने और भी भारी कर दिया। पता नहीं डाक्टर की क्या फीम होगी और जब मैं फीम नहीं दे पाऊंगा तो वे क्या व्यवहार करेंगे? अब जो भी हो बच्चे को तुरन्त दिखाना ही था, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।

बच्चे को लेकर डाक्टर के यहां गया। उन्होंने विस्तार से जानकारी ली और यह बात बार-बार पूछी कि आपके खानदान में किसी को टी० बी० तो नहीं थी। मेरे ‘नहीं, नहीं’ कहने पर भी वे बार-बार पूछते रहे कि सोचिए ऐसे किसी व्यक्ति के सम्पर्क में तो नहीं रहे जिसे टी० बी० रही हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था इसलिए इसे भी इनकार किया। बाद में घर पहुंचने पर पत्नी ने एक मित्र की याद दिलाई कि उनकी पत्नी को टी० बी० रही है और हेमंत को उस परिवार से बहुत प्यार मिला था। प्यार के साथ यह असर भी मिल गया होगा। काफी जांच-पड़ताल करने के बाद डाक्टर ने बताया कि बच्चे को पोलियो है। पोलियो का नाम सुनते ही मेरे होश उड़ गये। डाक्टर ने कहा, इसे तुरन्त अस्पताल में भरती कराइए। बच्चों के वाइरस का इंचार्ज मैं ही हूँ। चिट्ठी लिख दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी।

डाक्टर की फीस पूछी। उन्होंने बताया—पन्द्रह रुपये। मैंने साहस जुटाकर कहा, “डाक्टर साहब, मैं आज फीस नहीं दे पाऊंगा, परसों दूंगा।” वे थोड़ा अचकचाये। उन्हें कुछ अजीब-सा लगा होगा कि यह कौन आदमी उधार चिकित्सा कराने आ गया है। मैंने कहा, “डाक्टर साहब, मैं विश्वास करने योग्य व्यक्ति हूँ। विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में लेक्चरर हूँ। आज एकाएक आपके पास आ जाना पड़ा, न मेरे पास पैसे थे न मेरे मित्रों के पास। परसों बैंक खुलते ही आपका पैसा चुका दूंगा।”

वे लेक्चरर का नाम सुनकर आश्चर्य-से हो गये। पूछा, “कब आवे हैं?”

“तीन-चार महीने पहले आया हूँ।”

“कोई बात नहीं, पैसे मिल जाएंगे, बच्चे की चिन्ता कीजिये। आज ही, अभी इसे लेकर अस्पताल जाइये।”

किसी तरह गिरता-पड़ता घर पहुंचा। पत्नी बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही

थीं। जाते ही पूछा, “क्या हुआ ?”

“पोलियो।”

“यह क्या है ?”

“एक तरह का लकवा।”

उन्होंने झपटकर हेमंत को अपनी गोद में ले लिया और भींचकर रोने लगीं। हमारे आसपास सामान्य तबकों के ही लोग रहते थे। वे जुट आये और आर्द्र कठ से समझाने लगे, “मत रो बाई, भगवान् सब भला करेगा।” हम दोनों हेमंत को लेकर अस्पताल पहुंचे। वह तुरन्त भर्ती कर लिया गया। रात हो आई थी। हेमंत की चैकिंग शुरू हुई। उसे एक कमरे में ले जाया गया। हम लोग बाहर निष्प्राण-मे बैठे उसके निकलने का इन्तजार करते रहे। जब निकला तो उसकी बुशर्ट खून से भीगी थी। पत्नी चीख-सी उठी। नर्स ने समझाया, “रोओ मत बेन, यह तो उनकी बैंकबोन से पानी निकालकर जांच की गई है।” हेमंत अचेत-सा था। उसे ले जाकर खाट पर सुलाया गया और आक्मीजन की नली उसकी नाक में लगा दी गई। हाथ-पांव भी जकड़ दिये गये। हम तो बाहर खड़े रहे। जब उसकी यह सारी गत बना दी गई तब हमें अन्दर बुलाया गया। उसे इस हालत में देखते ही हृदय चिंघाड़ उठा। पत्नी मुंह दबाकर हबसने लगी। मैं सारी वेदना दबाकर हतप्रभ-सा खड़ा रहा, फिर बाहर आकर निठाल-सा बैठ गया। डा० जैन दिखे। “कहिए डाक्टर साहब, क्या हालत है ?”

“देखिये, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की रात गुजर जाये तो कुछ कहा जा सकता है।” नर्स ने आकर कहा, “देखिये, बकत हो गया है, आप बाहर जाइए। मिसेज मिश्रा चाहें तो ठहर सकती है।”

समस्या अंजू बेटी की थी। छोटी-सी बेटी को लेकर वे अस्पताल में कैसे ठहर सकती हैं और बेटी मेरे साथ रात को रहेगी नहीं। अतः तय हुआ कि पत्नी घर जाएं, मैं यहां बाहर बेंच पर सो लूंगा। वे चली गईं। मैं नीचे चला आया। नर्सों से कह आया कि मैं बाहर बेंच पर रहूंगा, कोई आवश्यकता हो तो बुला लिया जाऊं।

वह कयामत की रात थी। कार्तिक के प्रथम पक्ष की कुछ भीगी हुई रात। खुले आकाश के नीचे नंगी बेंच पर मैं लेटा हुआ। नींद कहां आनी थी। लगता था अस्पताल-भर का दर्द मेरी छाती में समा गया है। दो-एक बार रोने की आवाजें सुनाई पड़ीं, लगा कोई गुजर गया है। विलाप की आवाजें लूक की तरह मुझे भीतर तक चीरतीं और अपने पीछे दहशत का भयानक सन्नाटा छोड़ती गुजर गईं। घर में जागती पत्नी के हबसने की आवाज मेरे भीतर बज रही थी। बिटिया को छाती में दबकाए इस भयानक रात से लड़ रही होंगी। यहां मैं लड़ रहा था। जागते-जागते नींद आ जाती थी तो चौंकर जाग जाता था कि ऊपर से कोई बुरी खबर न आ रही हो। सारी रात बुरी खबरों की आशंका से लद गई थी और मैं उसे जागते-सोते ढो रहा था। आखिर रात बीती। ऊपर गया। हेमंत अभी उसी अवस्था में पड़ा था। डाक्टर की बात याद आई कि आज की रात बीत जाये तो कुछ कहा जाये। आज की रात तो बीत गई। डाक्टर दिखाई पड़े। उनसे पूछा तो बोले, “पहले से तो ठीक हालत है किंतु अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता।”

अभी भी वह खतरे से बाहर नहीं है।" यानी चिंता और आशंका का जो पहाड़ हमारे ऊपर लदा था वह ज्यों का त्यों लदा रहा, एक इंच नहीं सरका।

पन्नी आई और मैं अंजू को लिए घर चला गया। गुजरात में लोहे या बेंन की एक टोकरी मिलती है जिसे साइकिल के आगे टाग देते हैं और उसमें बच्चे को बैठा देते हैं। जहां चाहे जाइए, बच्चे थकते नहीं हैं। मैंने भी अपने बच्चों को खूब घुमाया है और इस समय तो यह टोकरी बहुत काम आ रही थी। अंजू को बैठाकर अस्पताल जाता था, घर आता था, बाजार जाता था। और कौन था देखभाल करने वाला ?

मैं कह चुका हूं कि जहां मैं था वह मोहल्ला प्रायः सामान्य लोगों का था। हमारे मकान मालिक सम्पन्न थे और कुछ पारसी-परिवार थे जिन्हें सम्पन्न कहा जा सकता था। हमारे मकान के ठीक सामने एक ग्वाला-परिवार था। परिवार गरीब था किंतु लोग बहुत अच्छे थे। उस घर में एक जवान बेटी थी काशी जो हमारे घर से बहुत हिली-मिली थी। इस परिवार के लोग अपनी सारी मानवीय आर्द्रता हम पर उड़ेल देना चाहते थे। उसकी बगल में एक पटेल-परिवार था। मालकिन थी एक मोटी पटेलानी जो ठेठ औरत थी और उसका पति पटेल पियक्कड़ था। उसके यहा उसी तरह के यार-दास्त आया करते थे। कभी-कभी पटेल-पटेलानी आपस में खूब गाली-गलौज, मार-पीट करते थे। आसपास के लोग इनसे डरते थे। मुझे बड़ी घिन थी इस परिवार से। सुना था कि पटेलानी पटेल की ब्याहना बीवी नहीं थी। इन्हें कोई सन्तान नहीं थी। दिन को पत्नी अस्पताल चली गई थी। मैं घर पर अंजू बेटी को लिए-दिए कुछ घरेलू काम निबटा रहा था। पटेलानी आई। मैंने पूछा, "क्या है ?"

"अरे कुछ नहीं रे मास्टर, जब से नमरे बच्चे का हाल सुना है, पटेल को और मुझे नींद नहीं आई। भगवान् भी कैमा है कि तमरे जैमे अच्छे लोगों को मुमीबत में डाल देता है। अरे हमरे का सताता है तो ठीक है। हम लोग तो पापी हैं, न जाने क्या-क्या पाप करते हैं पण तमरे का क्यों सताता है ?" उसकी आंखें भर आई थी।

मैं विश्वास-अविश्वास के द्वन्द्व में पड़ा रहा। इम औरत के प्रति जमे हुए तिरस्कार भाव की चादर एकदम जगह-जगह से दरक उठी किन्तु उसे मैं झटककर फेंक नहीं सका। हम लोग पढ़ते आये हैं और सिद्धान्ततः इसका समर्थन भी करते हैं कि सफेदपोश लोग भीतर से बहुत ठंडे और निस्संग होते हैं और बाहर से गंदे दिखाई पड़ने वाले लोग वास्तव में भीतर से बहुत भावोष्ण और मानवीय सरोकार वाले होते हैं किन्तु जब इस सिद्धान्त को व्यवहार में उतारने का समय होता है तब द्विधा में पड़ जाते हैं। उनके हृदय के क्रिया-व्यापार हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनके अदृश्य आलोक को नहीं पहचान पाते। उसमें एक तो हमारे मध्यवर्गीय संस्कार बाधक होते हैं, दूसरे यह आवश्यक नहीं कि हर पिछड़े हुए आदमी में अनिवार्यतः वह आलोक हो ही। कई बार हम उनसे गुजरते हुए उनके अमानवीय क्रिया-व्यापारों के अनुभवों से भी गुजरे होते हैं। अतः हम हर समय यह निश्चय नहीं कर पाते कि बाहर से गंदा दीखने वाला व्यक्ति भीतर से अच्छा होगा ही ? मैं पटेल-परिवार के दृश्यों, क्रिया-व्यापारों का द्रष्टा रहा हूं और ये क्रिया-व्यापार किसी भी पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए सहा नहीं

हो सकते और वह इनसे दूर-दूर रहने में ही अपनी प्रतिष्ठा और हिन समझता है। किन्तु पटेलानी को आज नजदीक में देखकर और उमकी बातचीत से उसके अदृश्य का एक आभास पाकर मरी तटस्थता हिल गई थी और पटेलानी को गौर से देखने लगा था।

“मास्टर, तुम इस बच्ची को हमारे पास छोड़ दो, हम इसे प्यार से रखेगा और तुम बच्चे का ख्याल करो।”

उमका प्रस्ताव पुनः पुनः अजीब पमोपेश में पड़ गया। बच्ची को उसके पास छोड़ दू ? न जाने ये उमके माथ क्या व्यवहार करे ?

“क्या सोचने लगे मास्टर ? यही न कि हम लोग गंदे हैं, शराब पीते हैं, झगड़ा करने हैं। अरे, यह सब तो हमारा मामला है। इस बच्ची को तो देवता की तरह रखेंगे।” मैं कुछ नहीं बोला। पटेलानी ने बाहें पमार दी। मुझे डर लगा कि बच्ची उम देखकर चिल्ला न पड़े किन्तु वह उमकी गोद में चली गई। शायद उसकी निश्चल आंखें पटेलानी की भीतर की निश्चलता और सोये हुए ममत्व को अधिक सहजता से पहचान गईं।

मैं थोड़ा निश्चित होकर गृह-कार्य करने लगा किन्तु फिर भी चिंता बनी हुई थी कि बच्ची को पता नही ये कैसे रखें। खाना खाकर थोड़ा सो लिया तो पत्नी को भेजने के लिए अस्पताल जाने की तैयारी की। बच्ची को लेने गया तो देखा—पटेल-पटेलानी बच्ची को गोदी में लेकर नाच रहे थे। उमके हाथ में लालीपाप था। उसे चू गती हुई पटेल-दम्पती के नाचने-गाने की लय पर खिल-खिलाकर हंस रही थी। मैं उसे लेने गया था किन्तु उम खुश देखकर विचार बदल दिया। पटेलानी को बोल दिया कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ इसकी मां को भेजने।

“जाओ मास्टर। कोई फिकर मत करो। यह छोकरी तो हमसे थोड़ी ही देर में हिल मिल गयी।”

छुट्टियों के इस सन्नाटे में कोई भी साथ नहीं था। यदि ऑनर्स के छात्र होंते तो शायद भागदौड़ करते और हमारे इस भयावह समय में हमारे साक्षीदार होते। इस सन्नाटे में पटेल-पटेलानी का घुस आना मुझे अच्छा लगा। चलो कोई तो आया हमारे दर्द का साक्षीदार बनकर।

दूसरा दिन भी बीता। उसी तरह मैं रात को अस्पताल के बाहर बेंच पर सोया और उसी तरह गत चिंता बनकर मेरी नींद पर सवार रही और आशकाओं की कौंध भरती रही। उसी तरह डा० जैन ने जवाब दिया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी हालत कुछ बेहतर लगी, आक्मीजन की नली-बोली निकाल दी गई थी। तीसरे दिन मैं सुबह-सुबह गया तो हेमंत अपने बेंच पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं बाथरूम चला गया। वहां से वापस आने को जैसे ही मुड़ा, देखा—हेमन लगड़ी मारता हुआ, हंसता हुआ, मेरी ओर लपका आ रहा है। करुणा से मन भर आया। लपककर उसे उठा लिया और आंखों में आसू छलछला आये। सुबह-सुबह पत्नी भी घर से आ गयी। डा० जैन प्रसन्न मुद्रा में थे और हंसते हुए पत्नी से कहा—“बेन, मैं आपको दीवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ।”

“वह क्या डाक्टर साहब ?”

“आपका मुन्ना । कल इसे ले जाइये और खूब खुशी के साथ दीवाली मनाइये । इतनी शुभ दीवाली आपने कभी नहीं देखी होगी ।”

“देखी है डाक्टर साहब, अपने पति को भी एक बार दीवाली के आसपास ही वापस पाया है ।”

“तब तो दीवाली आपके लिये बहुत शुभ त्योहार है, बधाई !”

“हम लोग आपके बहुत आभारी हैं डाक्टर साहब, किन शब्दों में धन्यवाद दें ।”

“नही, प्रो० मिश्र, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं । आप नहीं समझ सकते कि एक बच्चे को उमके मां-बाप की झोली में डालकर डाक्टर को कितनी खुशी होती है । मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बच्चे को वापस पाकर ।” हमारी आंखें खुशी और कृतज्ञता के कारण आंसुओं से भर आई थीं, बरसने लगी थीं । पांचवें दिन हेमंत को अस्पताल में छुट्टी देते गमय डाक्टर ने कहा था—“देखिये प्रो० मिश्र, इस रोग के अमर को दूर करने के लिए कोई दवा नहीं है । बस, जितना हो मके इसे अंडा, मांस, मछली खिलाइये, यही एकमात्र इलाज है ।”

मुन्ने को वापस पाकर हमने एक नई जिन्दगी पा ली थी । पत्नी स्वयं शाकाहारी हैं, पर बच्चे के लिये मां क्या नहीं कर सकती ? उन्होंने अंडा, मछली, मांस, सब कुछ पकाना शुरू कर दिया और वास्तव में उमका अच्छा प्रभाव पाया । महीना-भर में ही हेमंत का पोलियो-प्रभाव काफी दूर हो गया और वह लाल हो गया । डाक्टर जैन ने उमे देखकर कहा—“वाह, कमाल किया मिसेज मिश्रा आपने । आज तक पोलियो से ऐसी रिकवरी नहीं देखी थी ।”

38

हम तो यों ही घर में दूर इस नये शहर में आकर एक उदामी और अकेलापन अनुभव कर रहे थे, इन घटनाओं ने और भी हमें उदास और अकेला बना दिया । ऐसा नहीं है कि यहां के लोगों में हमारे प्रति कोई उदामीनता रही हो, हम जिस किमी के यहां गये, स्नेह पाया, सद्भाव पाया । लागणी या उष्मा गुजरानियों के व्यवहार की अपनी वस्तु है किन्तु जिस माहौल में रहने का मेरा संस्कार बना था, वह यहां कहां था ? किमी के घर जाओ और सद्व्यवहार पाओ इतना ही तो पर्याप्त नहीं है । आखिर किसके घर जाओ ? कितने लोग हैं जिनके घर जाया जा सकता है और गोरखपुरी या बनारसी ढंग से उनके बीच घंटों खुनकर जिया जा सकता है । यहां तो इस बात की भी सावधानी बरतनी पड़ती थी कि कहीं हमारे किमी व्यवहार से ये हमें असह्य न समझ लें और ‘हमें’ का अर्थ होता है हमारे यहां के लोगों को । पड़ोस में हमारे छात्र शेख थे और एक बंगाली सज्जन थे । शेख और मुझमें उन्न का फासला था, अतः उनसे भी बहुत अनीपचारिकता नहीं हो

सकती थी। बंगाली सज्जन खुलकर, घुल-मिलकर बातें करते थे, क्योंकि उन्हें भी तो कलकत्ता छोड़ने का दर्द था किन्तु ये रेलवे में इंजीनियर जैसी कोई चीज थे अतः उन्होंने मजदूरों के साथ अपनी साहबों के अनेक रिश्ते कायम करके और अर्थोपार्जन में अपने को अधिकाधिक मशगूल करके शीघ्र ही अपने दर्द का इलाज दूढ लिया। हां, सामने का ग्वाला-परिवार और पटेल-पटेलानी-परिवार अपनी तरह से अवश्य हमारे सुख-दुःख में शामिल था किन्तु वह हमारा वह परिवेश तो नहीं बन सकना था जिसमें हम अपने को डुबा दें।

इसलिए जब कोई अपनी ओर का व्यक्ति मिल जाता था तो हमारे सुख की सीमा नहीं रहती थी। एक दिन मैं शाम को घर आया तो ज्ञात हुआ कि वृन्दावनलाल वर्मा के सुपुत्र सत्यदेव वर्मा मुझसे मिलने आए थे। भेट न हो पाने की कचोट से मन भर गया किन्तु यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि वे कल फिर आएंगे। कल फिर आए। मैं उनकी प्रतीक्षा में ही था। वे बहुत जिन्दादिल इन्सान के रूप में दिखाई पड़े। उन्होंने कहा—“मैं तो आपको जानता ही था, आपने पिताजी पर एम० ए० का लघु-प्रबन्ध लिखा है। मैंने उसे पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। किन्तु यह नहीं जानता था कि आप यहां हैं। पड़्या जी ने कहा—‘आप आए हैं तो हिन्दी विभाग के एक व्यक्ति से अवश्य मिलिए—रामदरश मिश्र से।’ मैंने कहा कि मैं उन्हें जानता हूँ यदि वे वही हैं जिन्होंने मेरे पिताजी पर एम० ए० का लघु-प्रबन्ध लिखा है। ‘हा, वही है।’ उन्होंने ही कहा। उन्होंने ही आपका पता बताया है। फिर मैं बहुत उत्साह से आपसे मिलने आया किन्तु भेट न होने से दुःखी हो गया। आज मुझे लौटना था किन्तु कल भेट न होने से आज रुकना पड़ा।”

कह नहीं सकता कि गृह-ममता से पीड़ित मेरे मन में सत्यदेव वर्मा के साहचर्य ने कितना कुछ भर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा—“अब जाऊंगा, रात की गाड़ी से बम्बई जाना है।” मुझे धक्का लगा और आग्रह कर बैठा—“नहीं, आप आज मत जाइए, आज रात हमारे साथ रहिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा।” वे हमारे आग्रह का सम्मान करके रुक गए। डेर मारी बातें हुईं। बहुत देर से सोये। किन्तु जब मेरी आंख खुली तो देखा वर्माजी नहा-धोकर तैयार हैं और बूट पर पालिश कर रहे हैं। “अरे बहुत जल्दी जाग गए!” “हां, सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई है।” मैं बाथरूम में गया तो देखा टब भरा हुआ है। वास्तव में बाथरूम में नल नहीं था। नल बरामदे के ठीक नीचे लगा हुआ था। वहा बाल्टी भरते थे और बाल्टी उठा-उठाकर टब में पानी डालते थे। यह काम आज हमारे उठने से पहले हो गया था। पत्नी से कहा, “देखती हो वर्मा जी ने क्या किया है?”

“क्या किया है?”

“इन्होंने अच्छी मेहमाननवाजी निभाई है। सुबह उठकर मेजबान का टब भर डाला है।” वर्मा जी हल्के-हल्के मुस्करा रहे थे।

“यह क्या किया भाई साहब आपने?” पत्नी ने शर्मिन्दगी-भरे स्वर में कहा।

“अरे कुछ नहीं भाभी जी, सबेरे उठने की आदत है और उठकर बैठा तो रहुंगा

नहीं, कुछ न कुछ कलंगा ही। जब अपना काम सम्पन्न करने से भी समय नहीं कटा तो टब भी भर दिया। और आप लोग मुझे मेहमान बनाकर क्यों अपने से अलग करना चाहते हैं। मैं तो थोड़ी ही देर में इस परिवार का सदस्य बन गया। क्या आप लोग मेरे इस अधिकार को छीनना चाहते हैं ?”

अब इस पर कोई क्या जवाब देता। मैं कृतज्ञ भाव से बोला—“ईश्वर करे आप इस परिवार के सदस्य बने रहें और हम आपके परिवार के।” बर्मा जी हमारे कुछ ममय को अपने साहचर्य में अधिक आत्मीय बनाकर बम्बई चले गये, किन्तु उनसे एक गहरा सम्बन्ध जुड़ गया। झांसी से उनका तो पत्र आया ही, आदरणीय वृन्दावनलाल वर्मा का भी पत्र आया। उन्होंने लिखा था—“मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पुत्र को आपके यहां इतना स्नेह मिला।”

ऐसे ही जब कोई अपनी ओर का मिल जाता था तब थोड़ी देर के लिए सन्नाटा यरथरा उठता था। त्योहार आते थे और लगता था कि वे हमें दूर से पुकार रहे हैं। हम तो अपने प्रदेश और उसके परिवेश के विविध रंगों और अनुभवों के भोक्ता थे इसलिए इस नये परिवेश में वह हमें पुकारता-सा लगता था किन्तु हेमंत जिमने अभी उत्तर भारतीय परिवेश को बहुत थोड़ा देखा था इस नये परिवेश में उदास हो उठा था। बड़ौदा आने के दो-तीन दिन बाद की बात है। हम बरामदे में बैठे हुए थे। हेमंत अहकने लगा।

“क्या बात है बेटा ? क्यों रो रहे हो ?”

“पप्पा, मुझ यहां अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना घर बुला रहा है। कहता है—मुन्ना, मुन्ना, तुम कहां हो ?—लौट आओ।”

हम भीतर तक हिल गये। वास्तव में घर तो हमें भी बुला रहा था किन्तु हम किससे कहते ? हेमंत के मां-बाप तो साथ थे। वह उनसे कह सकता था। लगता है हेमंत का यही सूनेपन का बोध पोलियो का संकट बन गया और हेमंत अपने-आप में भले ही सूनापन अनुभव कर रहा हो, वह मेरे लिए तो सूनापन काटने का अच्छा साथी था। वह अपनी छोटी उम्र में ही न जाने कितना कुछ जानता और साथी का-मा संवाद करता था। एक दिन मैं उसे साइकिल पर लिए जा रहा था। जाते-जाते मैंने सड़क पर थूक दिया। उसने कहा—“पप्पा, सड़क पर नहीं थूका करते, इससे बीमारी फैलती है।” मैं लज्जित हो उठा किन्तु अपने बच्चे के इस नागरिक-बोध से मन गर्व से भर आया। जहां बड़े-बड़े लोग सड़कों और जन-स्थानों को छिलकों, थूक, बलगम और घर की गन्दी चीजों से पाटते रहते हैं वहां यह तीन साल का बच्चा सहजता से अनुभव करता है कि सड़क पर थूकना नहीं चाहिए। एक दिन उसके सौन्दर्य-बोध का एक और आयाम खुला। हम बरामदे में बैठे थे। ये हजरत मेरी बगल में थे। सामने वाली लड़की काशी कुछ काम कर रही थी। इन्होंने पुकारा—“काशी, ओ काशी, काम छोड़ो और आकर बैठो। देखो कितनी प्यारी-प्यारी चांदनी रात है।”

हम लोग हंसने लगे। काशी भी हंसती हुई आई और आकर इसकी बगल में बैठ गयी। “हां, अब ठीक है।” हेमंत ने कहा। हम फिर हंसने लगे। लेकिन मुझे आश्चर्य

हो रहा था कि यह बोझ इसे कहां से मिला ?

बड़ौदा में कुछ और लोगों से परिचय हुआ था। पंड्या जी पहले कला-संकाय के डीन थे और इतिहास के प्रोफेसर थे। हिन्दी में उनकी गहरी रुचि थी और ब्रजभाषा साहित्य में अच्छी पढ़ भी थी। वे मुझे मानते थे। उनकी दृष्टि में मैं हिन्दी का समझदार प्रवक्ता था। उनमें मेरे साहित्यिक सम्वाद होने रहते थे। नंददुलारे वाजपेयी बड़ौदा आते थे तो उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। पता नहीं किन कारणों से भटनागर जी पंड्या जी और वाजपेयी जी इन दोनों से चिढ़े हुए थे और वे दोनों इनसे चिढ़े हुए थे। वाजपेयी जी का मैं सम्मान करता था किन्तु उन्होंने कई-कई बार बी० एच० यू० में मेरा विरोध किया और मुझे नियुक्त नहीं होने दिया और द्विवेदी जी के प्रति अप्रीतिकर भाव रखते थे, इसलिए मैं भीतर-भीतर उनसे खिन्न था। उनके आने पर मन में यह भाव उठा कि आते हैं तो आएँ, जाते हैं तो जाएँ, मुझे क्या लेना-देना है इस द्वेषी व्यक्ति से ? अतः मैं मिलने नहीं गया। पंड्या जी मिले तो उन्होंने बताया कि वाजपेयी जी आए थे, हिन्दी विभाग का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। आपको तो आना ही चाहिए था। “मुझे पता नहीं चला।” मैं झूठ बोल गया। बहरहाल वे दूसरी बार आए तो उनसे मिला। वे बड़े स्नेह से मिले। पिछले प्रसंगों का कोई आभास उनकी बातचीत में नहीं उभरा। मेरे भी मन की कड़वाहट बहुत कुछ घुल गयी किन्तु यह सच्चाई तो अपनी जगह शेष रह ही गयी और रहेगी कि मुझे तो बनारस छोड़ना पड़ा और इस छोड़ने का जो सुख-दुःख मैंने झेला, उसका बहुत कुछ श्रेय उनको भी है।

भटनागर जी हिन्दी विभाग को सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जोड़े हुए थे। हिन्दी विभाग की ओर से उनका नाटक ‘जागीरदार’ खेला गया। नाटक अच्छा है और तमाम सीमाओं के बीच भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया। वसंत पंचमी के अवसर पर कवि-दरबार का कार्यक्रम रखा गया जिनमें हिन्दी साहित्य के कई वरिष्ठ कवियों की भूमिका निभाते हुए छात्रों ने उनकी कविताएं पढ़ीं। उद्घोषक के रूप में मैं कार्य कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद है सिन्हा जी की कोई भूमिका नहीं थी। सम्भवतः ये सब भी कारण थे (जिनका अनुमान मैंने बाद में लगाया) जिन्होंने मुझे भटनागर-सिन्हा-विरोध कांड में भटनागर जी के साथ जोड़ दिया।

फागुन आ गया। मेरे प्रवासी मन को इस ऋतु में अपना गंवई परिवेश और याद आने लगा। गोरखपुर के ही एक सज्जन किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बड़ौदा आए थे। वे मुझसे मिलते थे। मिलते थे तो गोरखपुर के मिलने की एक अनुभूति होती थी। होली के आम-पास आये और बोले—“होली में गोरखपुर जा रहा हूँ। होली के बाद आ जाऊंगा।” मुझे धक्का-सा लगा। कितना सुखी आदमी है यह कि होली में घर जा रहा है। काश, मैं भी जा पाता और साल-भर की जमी हुई जड़ उदासी झाड़ आता किन्तु मेरे भाग्य कहा ? मैं तो फागुन आते ही फागुन को खोजने लगा था। रंगों से भीगे राही, उड़ते हुए फागुनी गीत, फसलों का उमड़ता यौवन, मस्त हवा में झरझराकर उड़ते हुए पत्ते, वसंत को धारण करने के लिए नंगे होते पेड़, बहुत कुछ खोज रहा था मैं। कहां हैं वे सब ? कहां है फागुन ? फागुन में फागुन को न पाकर मेरा मन

किनना सूना हो चला था, तिस पर यह आदमी यह समाचार लेकर आ गया कि वह होली मनाने गांव जा रहा है। उम ममाचार ने मेरे सूनेपन को और दहका दिया। होली आयी। हमने अपने में रंग खेल लिए। यह अच्छा हुआ कि बिना किसी पूर्वपीठिका के होली के दिन होली आ गयी। यानी हमारे मोहल्ले के सामान्य लोगों में होली की थोड़ी हुडदंग एकाएक जाग उठी। भला हो उस बूढ़े-से सिंधी का जिसने अपने स्वांग के जीवन की एकरसता में होली की थोड़ी जान डाल दी। वह मुर्दा बनकर खाट पर सोया था और कुछ व्यक्ति खाट को कंधे पर उठाये हुए 'राम-नाम सत्य है' कहते हुए चले जा रहे थे और मुर्दा बना वह बूढ़ा बार-बार उठकर बैठ जा रहा था और विचित्र-विचित्र भगिमाएं करने लगता था। लोग हंसते-हंसते लोट-पोट हो रहे थे। कितना अजीब था न कि एक मुर्दा कितने जिन्दा लोगों को जीवंतता प्रदान कर रहा था। होली बीत गयी लेकिन लगा कि इस बार की होली और वसन ऋतु बिना जिए ही चली गयी और अब तो हर साल ऐसे ही चली जाएगी, अब मैं वसंत को कभी नहीं जी पाऊंगा।

रजिस्ट्रार ज्युश्री जी की कृपा से मुझे अध्यापक कुटीर में जगह मिल गयी। प्रमन्नता हुई। वह अच्छी जगह थी। विश्वविद्यालय के बहुत-से प्राध्यापक और रीडर यहां रहते थे। भटनागर जी भी यहां रहते थे। विश्वविद्यालय की बिल्डिंग होने की वजह से यह सस्ता भी था और प्रशस्त तथा सुन्दर भी। साल का अंत आ गया था। परीक्षाएं हो रही थी। पहले ही वर्ष में परीक्षा-कार्य से लद गया। अपने यहां का परीक्षक था ही, एस० एस० सी० का भी परीक्षक बन गया और अपने-आप गुजरात विश्वविद्यालय को इंटर परीक्षा का परीक्षकत्व आ गया। इतना सारा काम अपने-आप पाकर खुशी तो हुई किन्तु सारा काम लगभग एक ही अवधि में निबटाना था। परीक्षण के अनुभव से विहीन मैं इस कार्यभार के समुद्र में डूबने-उतराने लगा। एस० एस० सी० का काम ठीक एक विशेष अवधि में करना ही था। स्थानीय अध्यक्ष भटनागर जी पाम ही थे, वे भी अपना काम समय से मांग रहे थे। ये सब काम पहले निबटाने पड़े। बाकी बचा गुजरात विश्वविद्यालय का काम। वही सबसे बड़ा था और उसके भी काम की अवधि पूरी होने आ रही थी। मुख्य परीक्षक की बार-बार चिट्ठियां आ रही थी। मैंने बीमारी का बहाना बनाकर एक सप्ताह की अवधि बढ़वा ली और जम गया। सुबह चार बजे से रात दस बजे तक कापी देखता था। इस काम में एक कठिनाई आयी थी। वह यह कि हममें एक प्रश्न अनुवाद का था—हिन्दी से गुजराती अनुवाद का। गुजराती मुझे विनकुल नहीं आती थी। इसे कैसे देखूं? सुरेश जोशी (जो कुटीर में ही रहते थे) से अनुवाद कराया और अपनी इंटर की एक छात्रा आबान को यह काम सौंपा कि इस मॉडल अनुवाद के आधार पर तुम अनुवाद की गलतियां काटती चली जाओ, उन गलतियों के आधार पर मैं अंक देता चला गया। आबान पारसी लड़की थी—बहुत सुंदर, सुशील, प्यारी-प्यारी-मी। उसकी आवाज में अद्भुत माधुर्य और शील था। पहले मैं जिस मकान में रहता था, उसके मालिक के मकान की बगल में ही उसका मकान था। वह मेरी क्लास में भी थी और पड़ोस में भी। उसने मुझसे विनती की थी कि मैं हिन्दी में उसकी मदद कर दूं। इसलिए वह मेरे घर आया-जाया करती थी। एक तरह

से वह हमारे परिवार का अंग बन गयी थी। इसलिए उसे यह काम सौंपा था। उसने नियमित रूप से आकर बहुत निष्ठापूर्वक मेरे काम में सहायता की। आखिरी दिन के आखिरी क्षण तक साथ रहकर उसने उत्तरपुरस्तिकाओं की चैकिंग भी की और उनके अंक भी चढ़वाए। जिस दिन यह काम समाप्त हुआ मैंने राहत की सांस ली और लगा कि अपने तमाम कामधाम में लदा यह वर्ष मेरे सिर से उतर गया और कल परिवार के साथ गांव जा सकता हूँ। गांव जा सकने की खुशी से रात महकती रही। रात की ऐसी महक कभी-कभी ही अनुभव होती है। तब तक आरक्षण का चक्कर नहीं चला था और भीड़ भी ऐसी नहीं होती थी। बहरहाल दूसरे दिन किसी गाड़ी से घर के लिए रवाना हो गये। हम बड़ौदा से मथुरा आये। मथुरा से छोटी लाइन की गाड़ी में कानपुर आये। कानपुर में प्लेटफार्म पर सोये थे। पता नहीं हमें सावधान करने के लिए या कोई करिश्मा दिखाने के लिए पुलिस का एक सिपाही आया और डंडा पीटते हुए उसने पुकारा—“ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर।” हम जगें तब तक हेमंत जागकर बैठ गया था और बोला—“कहिए, क्या है?” हमने जगकर हेमंत की लीला देखी, सिपाही कह रहा था, “अरे ई देखो डम लड़के को। यही रखवाली कर रहा है।” हेमंत कुलियों को देखकर कह उठता था—“पापा, पोलई आया।” दरअसल पोलई हमारे गांव के हरिजन थे। पिछली बार अपनी बैलगाड़ी से हमें चौरी-चौरा छोड़ने आये थे और हमारा सामान चढ़ाया-उतारा था, इसलिए हेमंत को हर कुली पोलई लगता था।

गोरखपुर पहुंचे। कुछ दिन समुराल में रहे। फिर गांव पहुंचे। इस बार गांव नया-नया सुख दे रहा था। इसी बीच मेरे भतीजे रामनिवास की शादी तय हो गयी। शादी का दिन हमारे कालेज खुलने के बाद पड़ रहा था अतः मैं बहुत पसोपेश में था। मुझे ठीक पता नहीं था कि विश्वविद्यालय खुलने पर पहले दिन मेरी उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं। मेरी समझ से अनिवार्य ही थी अतः मैंने रजिस्ट्रार ज्युत्शी जी को पत्र लिखकर पूछा कि वे कोई मार्ग सुझाएं। उन्होंने उत्तर दिया—“आप अपने मित्र उदयसिंह भटनागर से सलाह लीजिये, जिनसे लेते रहे हैं।” पत्र पाकर मैं असमंजस में पड़ गया कि आखिर इस पत्र का आशय क्या है? अपने प्रति ज्युत्शी जी के स्नेह को देखते हुए मैंने इसका यही अर्थ लिया कि रजिस्ट्रार होने की वजह से स्वयं कुछ कहना नहीं चाहते, भटनागर जी से पूछने के लिए कह रहे हैं, किन्तु भटनागर जी से पूछने के लिए मेरे पास समय नहीं था, अतः यही उचित समझा कि पहले दिन उपस्थित होकर छुट्टी लेकर चला आऊं। यही किया। बड़ौदा पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि भटनागर जी नहीं आये हैं। फिर पता लगा कि छुट्टी के एक ओर उपस्थित होना आवश्यक है। मैं उस ओर उपस्थित था अतः इस ओर अनुपस्थित हो सकता था। व्यर्थ मैं ही इतनी लम्बी यात्रा की।

छुट्टी लेकर फिर पहुंच गया। रामनिवास की शादी हो गयी। शादी के बाद बड़ौदा पहुंच गया। भटनागर जी भी आ गये थे। एक दिन प्यून ने एक खत दिया। मैं उसे खोलकर पढ़ ही रहा था कि संयोग से उसी समय सिन्हा जी आ गये। मुझे तो लगता है कि यह संयोग नहीं था क्योंकि मेरे इतने सारे खत आते थे, कभी उन्हें मेरे किसी खत में रस नहीं हुआ। किन्तु इस खत को पढ़ते देख पूछ बैठे—“क्या है?” और

झपटकर मेरे हाथ से खत लेकर पढ़ने लगे। पढ़कर मिर हिलाते हुए वापस कर दिया। खत मेरी नौकरी के कनफर्मेशन से सम्बन्धित था। उसमे मेरा प्रोवेशन पीरियड छः महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। पत्र पढ़कर मैं झल्ला उठा। मैं सीधे प्रिसिपल के पास गया। उन्होंने कहा—“मुझे कुछ पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ। मैंने आपके विपरीत कोई रिपोर्ट नहीं की, मैं तो आपसे बहुत प्रसन्न हूँ।” डीन कंटक के पास गया। उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। पंड्या जी तो मेरे प्रशंसक ही थे। सुनकर उन्हें भी हैरानी और पीडा हुई। अजीब बात थी कि किसी को न पता था, न किसी को मेरे प्रति असंतोष, तो फिर यह हुआ कैसे? ज्युत्शी जी से मिलने गया। मेरे प्रति उनका सहज स्नेह एक उदासीनता में बदला दिखाई पड़ा। उनसे पूछा तो वही जवाब—“अपने रहनुमा भटनागर जी से पूछिए।” मैं समझ गया कि इस कांड के पीछे कही भटनागर जी के साथ मेरे गहरे सम्बन्धों का हाथ है। लगता है जमकर ज्युत्शी जी के कान भरे गये है। इस अपमान पर दुःखी तो था ही, एक क्रोध की लहर मेरे भीतर लहर रही थी। इच्छा होती थी यह नौकरी इन लोगों के मुह पर मारकर कहीं चला जाऊ। किन्तु जिस नौकरी के लिए इतने-इतने कष्ट झेले, उसे पाया भी तो हजार मील की दूरी पर, उमे छोड़ पाना इतना आसान है क्या?

किन्तु कभी-कभी चमत्कार हो जाता है और सोची हुई बात व्यवहार में उतर आती है। इस पत्र की प्राप्ति के तीन-चार दिन बाद ही दस बजे रात को दरवाजा खटका। मैं मोने जा रहा था। दरवाजा खोला तो देखा कि एक अपरिचित सज्जन सामने खड़े है। बोला, “आइए।” अन्दर आते ही उन्होंने अपना परिचय दिया, “मेरा नाम विश्वनाथ गुक्ल है। मैं डा० सतीश मिश्र का सम्बन्धी हूँ। उन्होंने ही आपके पास भेजा है।” डा० सतीश मिश्र इतिहास के प्रवक्ता थे, ‘कुटीर’ में ही रहते थे और वे मेरे तथा मेरे साहित्य के प्रशंसक थे। “कहिये, क्या सेवा करूँ?” मैंने कहा।

“मैं सेंट जेवियर्स कालेज, अहमदाबाद में हिन्दी विभाग का अध्यक्ष हूँ। कालेज दो वर्ष पहले खुला है। वहाँ इस वर्ष गुजरात विश्वविद्यालय का हिन्दी में अनुस्नातक केन्द्र खुल रहा है। केन्द्र खुलने की शर्त यह है कि विभाग में कम से कम दो व्यक्ति ऐसे हों जो एम० ए० क्लास लेने के योग्य हों। योग्यता का तात्पर्य यह है कि या तो एम० ए० में उनकी प्रथम श्रेणी हो या द्वितीय श्रेणी तथा पाच वर्ष का बी० ए० शिक्षण का अनुभव हो। मैं तो योग्य हूँ किन्तु मेरे साथ जो दूसरे सज्जन हैं वे योग्य नहीं हैं। अतः किसी व्यक्ति की तलाश में निकला हूँ। आपकी दृष्टि में कोई व्यक्ति हो तो बताइये।”

मैंने छूटते ही कहा—“मैं स्वयं चल सकता हूँ।”

“आप चल सकें तो फिर क्या कहना?”

बात की बात में सब कुछ तय हो गया। तय हुआ कि मैं परसों अहमदाबाद आकर प्रिसिपल से मिल लूंगा और तब निश्चय करूंगा। “यानी महीने-भर बाद मैं वहाँ आकर ज्वाइन करूंगा।”

“नहीं, महीने-भर बाद का प्रश्न ही नहीं है। हमें तो तत्काल चाहिये, तभी केन्द्र की अनुमति मिलेगी। आपको यहाँ सुरत त्यागपत्र देना होगा।”

प्रश्न यह था कि बिना मेरे त्यागपत्र दिये सेंट जेवियर्स कालेज के प्रतिपत्न नियुक्तिपत्र नहीं देंगे और बिना नियुक्तिपत्र पाये मैं त्यागपत्र दे दू तो बाद में कोई गड़बड़ी न हो जाये।

“देखिये, आप चिन्ता न कीजिये। प्रिंसिपल जो कहेंगे उमें पक्का समझिए। हिज बड्स आर ऐज प्रीसियस ऐज गोल्ड।” शुक्ल जी ने मुझे आश्वस्त किया।

“ठीक है, मैं परमो आऊंगा।” मेरा मन तो तत्काल प्रतिशोध ले लेने के भाव से पुनर्कित हो रहा था। लगता था कि मेरे मन की बेचैनी समझकर ईश्वर ने ही शुक्ल जी को भेजा था।

नियत दिन अहमदाबाद पहुँचा। सम्भवतः जुलाई (1957) का महीना था। स्टेशन में बस से ला न दग्वाजा आया। वहाँ से यूनिवर्सिटी की बस पकड़नी थी। टिकट लेने के लिए ज्यो ही जवाहर जैकेट की जेब में हाथ डाला, मेरे हाथ उड़ गये। मनी बैग गायब था। अब क्या करूँ? दूसरी जेब में दस पैस थे। कडक्टर ने कहा—“भाई, मेरे पाम केवल दस पैसे हैं, मुझे जाना तो यूनिवर्सिटी है किन्तु इन पैसों में जहाँ तक का टिकट मिलता हो, काट दो। किसी ने मेरा मनी बैग उड़ा दिया।” कडक्टर ने टिकट देकर कहा—“जहाँ आपका उतरना हो वहाँ उतरियेगा, बीच में उतरने की जरूरत नहीं।”

इस शहर में आते ही दुःख और सुख के अनुभव साथ ही हुए। आते ही किसी ने जेब काट ली। इस शहर ने पहला स्वागत इसी तरह किया किन्तु इस कडक्टर ने उस स्वागत को काटकर इस शहर के स्वागत के दूसरे आयाम की रोशनी दिखा दी। चिन्ता थी—लौटूंगा कैसे? अभी किसी से परिचय भी नहीं हुआ, किससे पैसे मागूंगा? सुख-दुःख की मिली-जुली मानसिकता लिए मैं यूनिवर्सिटी स्टैंड पर उतरा और पूछता-पाछता सेंट जेवियर्स कालेज जा पहुँचा। विश्वनाथ जी मिले। उन्होंने प्रिंसिपल से मिलवाया। बातचीत हुई। तय हो गया कि मैं त्यागपत्र देकर दो-तीन दिन बाद यहाँ आ जाऊँ।

विश्वनाथ जी ने स्टाफ में सबसे परिचय कराया। श्री सी० एल० शास्त्री (संस्कृत), वारिस अलवी (उर्दू), चिम्मन भाई पटेल (अर्थशास्त्र) और बहुत-से लोग। लोगो ने बड़ी उष्मा के साथ मेरा स्वागत किया। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा। मैंने सहज भाव से अपने जेब कटने की कहानी सरका दी। चिम्मन भाई ने ही लौटने के लिए दस रुपये दिए।

शाम की गाड़ी पकड़कर बड़ीदा लौटना था। बस स्टैंड पर पहुँचने से पहले ही जोर की बारिश आ गयी। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर भीगता रहा। भीगकर लथपथ हो गया। बारिश कम हुई तो बस पकड़कर स्टेशन पहुँचा। भीगे कपड़ों में ही बड़ीदा पहुँचा।

दूसरे दिन मैंने त्यागपत्र दे दिया। भटनागर जी भी इस बात से प्रसन्न थे कि मुझे अपने अपमान का बदला लेने का अवसर शीघ्र ही मिल गया। उन्होंने कहा, “भारिए पंडित जी त्यागपत्र इन सबों के मुँह पर।” त्यागपत्र लेकर प्रिंसिपल के पास पहुँचा तो वे अचकचा गये। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कयो यह आदमी लगी-लगायी नौकरी

छोड़ रहा है। कारण, मैंने प्रोबेशन का एक्सटेंशन दे रखा था। इस बात से तो वे पहले से ही चिंतित थे। आज भी चिंता व्यक्त की—“न जाने किस कारण से प्रोबेशन को एक्सटेंड किया गया। मुझसे तो पूछा नहीं गया। फिर भी आपको नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए। अब कहां जायेंगे?”

“गांव जाऊंगा। मेरे पास खेत है, खेती करूंगा।” झूठ बोल गया।

“ठीक है, मैं इसे रखे ले रहा हूँ, आप और मोचिए। मैं इसे अभी आगे नहीं भेजूंगा।”

“धन्यवाद सर, आपके सद्भाव के लिए, किन्तु सर, अब मुझे इस पर कुछ सोचना नहीं है। मैं आज ही से अपने को मुक्त समझ रहा हूँ।”

आज मैं बड़ौदा छोड़ रहा था। वैसे तो अनेक कारणों से बड़ौदा मुझे अपने से जोड़ न सका और एक तरह की सीलन मेरे भीतर भरता गया किन्तु आखिर साल-भर रद्दा, इसने मुझे पहली नौकरी दी, यहां के प्राकृतिक परिवेश ने एक आत्मीयता दी, समाज ने जीवन जीने के लिए कुछ नये तीर-नरीके दिये, एक नयी सस्कृति से पहचान कराकर मेरे मानसिक क्षितिज का विस्तार किया और कुछ लोगों के आत्मीय साहचर्य का रम दिया। इसलिए इसे छोड़ते हुए मन भर आया।

प्यारे जू है जग की यह रीति

विदा के समें सब कंठ लगावें

लगा कि यह शहर भरी-भरी आंखों से मुझे जाते हुए देख रहा है। किन्तु अभी तो परिवार यही है। आधा तो मैं यही छूटा जा रहा हूँ। अभी तो लौटकर आऊंगा, फिर इस शहर को अंतिम अलविदा कहूंगा।

सेट जेवियर्स कालेज ज्वाइन कर लिया। छात्रावास में ही एक कमरे में मुझे रहने के लिए जगह मिली। उस कमरे में गुजराती के एक नये प्राध्यापक भी ठहरे हुए थे। दो-एक दिन विश्वनाथ जी के माथ मकान की तलाश में घूमा ही था कि बीमार पड़ गया। बीमार पड़ते ही मुझे एक दूसरे कमरे में डाल दिया गया। तेज बुखार में तपता रहा। कालेज के एक ब्रदर (जो मैकेनिक थे और दवा-बवा का भी काम देखते थे) मुझे देखने आये और सुई घूसेड़ गये। कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे में अकेला मैं तपता-तड़पता रहा। लड़के आते थे, जाते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक लड़के को बुलाया और कहा, फादर प्रिंसिपल से कह दो कि किसी डाक्टर को बुला दें और एनासिन या कोडोपारिन मिल सकती है तो मंगवा दो। वह चला गया। मैं बुखार में बुत्त पड़ा रहा। हॉस्टल के कारीडोर से लड़के आते रहे, जाते रहे, उनके

मजाक का शोर उमड़ता रहा। कालेज के शोर की बजबजाहट भी आती रही और मैं अपने बुखार के गहरे ताप के साथ इसे भी झेलता रहा। खिड़की से अहमदाबाद दिखाई पड़ता रहा और मैं कल्पना करता रहा कि इन मकानों में कहां क्या होगा? मैं इस शहर के भूगोल से बहुत थोड़ा परिचित था किन्तु बीमारी के अकेलेपन में उस शहर के मकानों को देख-देखकर कल्पना में उड़ने से कौन रोक सकता था? वहां मुझे अब रहना है, एक शहर से ऊबकर उसमें मन रमाना है। फिलहाल तो लक्षण अच्छे नहीं दीख रहे थे। आते ही जेब कटी, बीमार पड़ा, मकान की दिक्कत हो रही है। पता नहीं यह शहर मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा? इस कालेज में आते ही बीमार पड़ा। बीमार तो पड़ना ही था। उस दिन जाते हुए बुरी तरह भीग जो गया था और घंटों वे भीगे हुए कपड़े पहने रहा। कालेज में अभी कोई व्यापक और गहरे सम्बन्ध नहीं बन पाये थे। बन पाये होते तो यों अकेले न तड़पता। कोई न कोई आता रहता।

अकेलेपन में बुखार से तपता हुआ मैं अंड-बंड कल्पनाओं और सपनों में फंसा था कि देखा डाक्टरनुमा एक व्यक्ति कमरे में आये। बोले—“मैं डाक्टर देरासरी हूं। प्रिंसिपल का फोन गया था। यू आर प्रो० मिश्रा। है न?”

“जी डाक्टर साहब।”

उन्होंने देखा। बताया कि फलू है। सुई दी, दवा दी।

फिर पूछा—“फीस कौन देगा?”

“मैं खुद नहीं जानता डाक्टर साहब कि कालेज देगा या मैं दूंगा। आपकी फीस मिल जायेगी इतना जानता हूं।”

“आलराइट।” कहकर वे चले गये। (बाद में उनकी फीस मैंने चुकायी थी और वे एक तरह से मेरे फैमिली डाक्टर बन गये थे।)

दवा ने फायदा किया। दो दिन बाद बुखार एकदम उतर गया किन्तु कमजोरी भयानक थी। उसी बीच प्रिंसिपल साहब सी० एल० शास्त्री के साथ आये और बोले—“मिस्टर शास्त्री हैज ए गुड न्यूज फॉर यू।”

शास्त्री जी ने बताया—“मेरे विभाग में एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी। उनके लिए एक मकान ले लिया गया था। उसका अग्रिम किराया दे दिया गया है किन्तु अब वे नहीं आ रहे हैं। अब वह मकान आपको मिल सकता है।”

मैं बहुत प्रसन्न हुआ। “तो अब मैं अपना परिवार ला सकता हूं।”

“हां-हां, क्यों नहीं? अब क्या रुकावट है?”

मैंने राहत की सांस ली। सोचा, एकदम ठीक हो जाऊं तो बड़ीदा जाकर परिवार लाऊं। तभी भटनागर साहब का तार मिला—“वाइफ एट लेबर।” शशांक पेट में था और नवां महीना लग गया था, कभी भी प्रसव हो सकता था। तार पाकर घबरा गया। गाड़ी के समय का पता लगाया। विश्वनाथ जी को बुलवाकर बड़ीदा जाने की बात कही और कहा कि प्रिंसिपल से कह दें कि मैं दो दिन बाद आऊंगा। एक छात्र से आटोरिक्षा बुलवाया। चला नहीं जा रहा था, पांव डगमगा रहे थे किन्तु बड़ीदा जाना ही था। पता नहीं, पत्नी किस हाल में होगी।

धीरे-धीरे चलने लगा तो चलने की ताकत आ गई। शाम के झुटपुटे में अध्यापक कुटीर पहुंचा तो पत्नी को देखा—वे लेटी हुई थीं। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर हल्की-सी मुसकान आ गई। “कैसी हो?”

“ठीक हूं किन्तु आप कैसे हैं? आपको क्या हो गया था?”

“मैं तो जब से गया बीमार रहा। फलू से उठकर आ रहा हूं। तुम्हारा तार मिला तो घबड़ा गया।”

“हां, दर्द उठा, लगा कि वह समय आ गया है। भटनागर जी ने घबड़ाकर तार कर दिया।” दोनों बच्चे मा के पास उदास बैठे थे। मुझे देखकर उनके चेहरों पर रौनक आ गई।

“ये बेचारे भी दो दिन से ठीक से कुछ खा-पी नहीं सके। किसी तरह खिचड़ी-उचड़ी पका लेती हूं। कभी ब्रेड मंगा लेती हू। ये खेलने भी नहीं जाते। मुझे घेरकर बैठे रहते हैं।”

“ठीक है, आज मैं खाना पकाऊंगा।”

“हां, आप बहुत भले-चंगे हैं न। और खाना पकाने में बेहद एक्सपर्ट भी तो है।” व्यंग्य करके वे मुसकराने लगीं।

“अरे, आज तो मैं ठीक हूं। ठीक-ठाक ढग से खाना बना लूंगी।”

दूसरे दिन हम ले चलने-भर के लिए सामान पैक करते रहे। हम दोनों बीमार थे, अतः सारा सामान पैक करके ले चलने की स्थिति में नहीं थे। तय हुआ कि शेष सामान मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। तीसरे दिन मैंने सपरिवार बड़ोदा को अलविदा कह दिया। पास-पड़ोस के लोग निकल-निकलकर झांकने लगे। किसी ने मुंह से कहा, ‘आउजो।’ किसी ने आंखों से मौन भाव से कहा—‘आउजो।’ मैं भी मौन भाव से लोगों से, आसपास के पेड़ों, मैदानों, सड़कों से मौन विदा ले रहा था और उनके ‘आउजो’ के उत्तर में मानो कह रहा था कि आऊंगा तो जरूर लेकिन दूसरे रूप में।

अहमदाबाद पहुंचे तो शाम हो गई थी। सीधे सी० एल० शास्त्री के घर पहुंचे। उन्हें साथ लेकर उस मकान पर पहुंचे जिसमें हमें रहना था। वह मकान एक कालेज में संस्कृत के अध्यापक मिस्टर जेतली का था। जेतली ने कहा—“यह मकान तो किसी और को देने का वायदा कर चुका हूं। आपके आदमी नहीं आये तो मैंने यह निर्णय लिया।” शास्त्री जी क्रुद्ध हो गये। “आपको इस पूरे महीने का एडवांस दे रखा था, आपको महीना-भर प्रतीक्षा करके ही कोई निर्णय लेना था। आपने मुझसे पूछे बिना कैसे किसी को दे दिया।”

“आज बीस तारीख है। आपके आदमी नहीं आयेंगे तो क्या मैं मकान खाली रखूंगा?” यात्रा की थकान, बीमारी की थकान, उस पर से मकान न मिलने की थकान। हम दोनों थके-हारे से दोनों बच्चों के साथ तांगे पर बैठे थे और सोच रहे थे, अब क्या होगा? सारा सामान लिए-दिए क्या हम सड़क पर रहेंगे? शास्त्री जी जेतली जी से उलझते हुए थे। शास्त्री जी ने प्रस्ताव रखा कि इस महीने के अन्त तक रहने की अनुमति दे दीजिये। जेतली इसके लिए भी राजी नहीं थे। शास्त्री जी ने क्रोध में जेतली

को काफी खरी-खोटी सुनाई और झल्लाकर मुड़े—“बलिए मिश्र जी, इसने बहुत क्रूर व्यवहार किया है लेकिन मेरा घर तो है।” हम ऐसे दुःखी थे जैसे कोई भारी अपराध किया हो। कुछ भी न कहा—न अहो, न अहा। शास्त्री जी के घर गये। उनका मकान तिमजिले पर था। ऐसी हालत में पत्नी का चढना-उतरना कितना कठिन था लेकिन करता क्या ?

शास्त्री जी के घर पर आत्मीयता मिली। उन्होंने बहुत सहज भाव में हमें पारिवारिक स्नेह दिया किन्तु आखिर हम यहाँ शास्त्री जी के मेहमान बनकर तो आये नहीं थे। हमें अपना घर चाहिए था। वह चिंता हमें खाए जा रही थी। गहरी उदासी की मीलन भीतर भर गई थी। हम शास्त्री जी के परिवार में सब कुछ पाकर भी खाली थे, उदास थे। हम पति-पत्नी के बीच एक डरी हुई चुप्पी छाई हुई थी। वे मेरी बीमारी के दुहराव की आशंका से चिंतित थी, मैं इस हालत में उन्हें इस तरह कष्ट पाते देखकर भीतर तक हिन उठा था। जो महिला गृहस्वामिनी रही हो, वह मेहमान के रूप में दूसरों के घर पड़ी हुई इस अवस्था में यो डरी हुई खामोशी जी रही हो, यह मेरे लिए कितना दुःखदायक था। वे आमन्न प्रसवा थी। कभी भी दर्द उठ सकता था। तब क्या होगा ? इस मकान में लैट्रिन-बाथरूम सब नीचे ही थे। तिमजिले में उन्हें बार-बार नीचे आना पड़ता था, यह और भी कष्टप्रद था।

शास्त्री जी ने चिम्मन भाई पटेल का जमानत पर जेतली को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे इस महीने के अन्त तक उम मकान में हमें रहने देंगे। वास्तव में जेतली को डर था कि हम वहाँ जाकर खाली नहीं करेंगे। लाद-फादकर उस मकान में गये। गये तो, लेकिन चिंता बनी रही कि सात दिन बाद क्या होगा ? वास्तव में जेतली की इच्छा के विरुद्ध आये हैं अतः जेतली-परिवार सात दिनों में ही न जाने कितनी हिंकारत हम पर उड़ेल देगा। मैं फिर बीमार पड़ गया। मेरी शका सही हुई। एक तो वर्तमान में जेतली-परिवार की हिंकारत, दूसरे सात दिन बाद मकान छोड़ने की चिंता, तीसरे मेरी बीमारी, चौथे आमन्न प्रसवा पत्नी की शारीरिक और मानसिक वेदना, पाचवें बादलों की छाह से लदे दिनों का अवसाद—एक गहरे संश्लिष्ट दर्द के माहौल में हम जी रहे थे।

यद्यपि अहमदाबाद में हमारे सम्बन्धी भी थे (और बहुत-से लोग थे जिनमें बाद में परिचय हुआ) किन्तु न उन्हें मेरा पता था, न हमें उनका। इन्हीं दिनों एक सज्जन मेरे यहाँ आये। नमस्कार किया। बोले—“मेरा नाम रमाकांत शर्मा है। कामर्स कालेज में हिन्दी पढ़ाता हूँ। आपको पढ़ा है। किसी से सुना कि आप आये हैं तो आ गया। मेरा घर भी गोरखपुर जिले में ही है।” बातचीत के मिलमिले में वे हमारे गांव के पद से सम्बन्धी निकल आये। हमारी पहली मसुराल उसी गांव में थी जहाँ इनकी मसुराल है। बहरहाल वे मेरी परिस्थिति से बहुत विचलित हुए। बताया—“मेरा परिवार गांव गया था, अब तक मेरा घर खाली ही था। अब परिवार आ गया है, नहीं तो कुछ दिन आप लोग हमारे साथ रह सकते थे।”

वे फिर बोले—“मैं आपके लिए मकान खोजूँगा लेकिन पहले जेतली से तो बात

कर लूं।” मैंने मना किया किन्तु वे नहीं माने। मुझे लेकर जेतली के घर पहुंचे। शाम के आठ-नौ बजे होंगे। हम गये तो शर्मा जी ने जेतली से सीधे कहा—“क्यों आप मिश्र जी को हैरान कर रहे हैं?” इस पर जेतली भड़क उठे। बोले, “क्या बकवास करते हो, गेट आउट।” मैंने शर्मा जी की बांह पकड़ी और खींचते हुए कहा, “चलिए यहां मे।” शर्मा जी खड़े हो गये और धूरकर जेतली को देखा और मेरे खींचने पर खिंचते हुए मे मेरे साथ चने आये। किन्तु लगा कि वे खाली मेरा खयाल कर मेरे साथ आ रहे हैं, उनके भीतर उथल-पुथल मची है।

मेरे साथ मेरे कमरे पर आये। मैंने कहा—“अब जाइए, देर हो रही है।” वे चले गये। किन्तु कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वे सीधे घर नहीं गये। मेरे यहां मे जेतली के यहां गये और पुकारकर कहा—“अरे प्रोफेसर जेतली, निकल घर में मे, मैं तुझे गेट आउट का अर्थ बताना हूं।” शर्मा जी का गर्जन सुनकर जेतली अन्दर छिप गए और उनकी पत्नी ने उन्हें सावधान किया कि निकलना मत नहीं तो मारेगा। जेतली की सारी अकड़ गुम हो गई। शर्मा जी ललकारते रहे और वह घर में छिपकर बैठा रहा। पास-पड़ाम के लोग निकल आये। शर्मा जी ने पड़ोमियों से कहा—“देखिए, यह प्रोफेसर है, इसे इतनी नमीज नहीं है कि घर आये दो प्रोफेसरो से कैसे व्यवहार किया जाना है। संस्कृत का प्रोफेसर है, कक्षा में भारतीय संस्कृति पढाता होगा और घर आये पढ़े-लिखे लोगों को ‘गेट आउट’ कहना है। मैं उससे गेट आउट का अर्थ समझना चाहता हूं लेकिन निकलता ही नहीं।” पड़ोस के लोगों ने जेतली के व्यवहार के लिए क्षमायाचना की और शर्मा जी को घर वापस भेज दिया। शर्मा जी घर नहीं गये। फिर नोटकर मेरे यहां आये और सब कुछ बता गये।

शर्मा जी के व्यवहार से मुझे चोट पहुंची। इसलिए नहीं कि उनका व्यवहार अशोभन था (उनका व्यवहार तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के अनुकूल ही था, उचित और सुन्दर था) बल्कि इसलिए कि जेतली कहेगा—“देखिए, मैं इसीलिए मकान नहीं दे रहा था। मैं जानता था कि उत्तर भारत के लोग लड़ाकू होते हैं।” मैं जिस स्थिति और मानसिकता में जी रहा था, उमे यह प्रसंग और भी जटिल तथा विषम बना सकता था। सबेरे टहनते हुए जेतली साहब मेरी ओर आये। बोले—“देखिए, रात शर्मा जी बिना वजह मुझसे टकरा गये। मैंने ऐसा क्या किया था?”

इच्छा तो हुई इस असुन्दर व्यक्ति को ललकारकर कहूं कि आपने कुछ नहीं किया था, केवल बेहूदगी के साथ ‘गेट आउट’ कहा था किन्तु जिस स्थिति में था उममें यह नहीं कह सका। कहा—“जाने दीजिए, मैं शर्मा जी के व्यवहार के लिए अपनी ओर से खेद व्यक्त करता हूं। मुझे पता नहीं था कि वे मेरे यहां से आपके यहां ‘गेट आउट’ का अर्थ पूछने जा रहे है।”

“अब देखिए मेरा क्या दोष? अगले महीने की पहली तारीख को प्रिंसिपल आ जायेंगी। उन्हें मैंने वायदा कर रखा है। एडवांस ले रखा है।” मुझे लगा कि जेतली जी मोच रहे हैं कि यहां आ जाने के बाद मैं कहीं समय पर मकान न छोड़ूं अतः बहाने से मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। “चिन्ता न कीजिए जेतली साहब, मुझे चाहे

सड़क पर रहना पड़े, मैं इस महीने की अंतिम तिथि को मकान खाली कर दूंगा।”

“मेहरबानी।” कहकर वे चले गये।

इस बीच मकान की खोज होती रही, नहीं मिला। लॉ कालेज में अंगरेजी के प्राध्यापक भगवती सिंह को मेरे आने की खबर मिली तो वे भी मिलने आये। वे हमारे बनारस के साथी थे। साहित्यिक संघ में साथ रहे। महीना बीत गया, मकान नहीं मिला। भगवती सिंह हमें अपने यहाँ ले गए। उनके मकान मालिक और मालकिन हमारी, विशेषतया पत्नी की दुर्दशा की बान सुनकर सहानुभूति से भर गये किन्तु उनकी सहानुभूति केवल दो दिन रही। यहाँ भी लैट्रिन नीचे ही थी और हम रहते थे पहली मंजिल पर। पत्नी को इस हालत में बार-बार नीचे जाना पड़ता। मकान मालिक ने पत्नी से कहा—“जितनी बार बाथरूम जाती हो पानी डाल दिया करो।” यद्यपि लैट्रिन में नल लगा था किन्तु मकान मालकिन चाहती थीं कि साफ पानी डाला जाये। साफ पानी का नल बाउंडरी के पास था। पत्नी इस हालत में वहाँ से बाल्टी भरकर लानी थी और लैट्रिन में पानी डालती थी। अपनी असहायता का इतना गहरा अहसास पहले कभी नहीं हुआ था। गुजराती लोग घर, बर्तन, कमरे की सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इसी के तहत पत्नी को इस हाल में यह सजा भोगनी पड़ रही थी किन्तु इस सफाई का दूसरा पक्ष यह था कि ये लोग स्वयं स्नानघर में पेशाब करते थे। शौच के बाद खाली पानी से हाथ धो लेते थे और मटके के ऊपर रखे गिलास को मटके में डुबा-डुबाकर एक के बाद एक पानी पीते थे, गिलास का बर्बाद हुआ पानी मटके में चला जाता था। यह बात मैं किसी को सम्मानित या अपमानित करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, सफाई अन्तर्विरोध की बात कर रहा हूँ और यह भी इसलिए कि बहुत सफाईवाद कहीं-कहीं अमानवीय हो जाता है जिसे हम इस समय भोग रहे थे। किसी सफाईवादी मकान मालिक का किरायेदार बनने के बाद जो यातना झेलनी पड़ती है उसे बहुतो ने अनुभव किया होगा।

मेरा बुखार तो उतर गया था किन्तु कमजोरी बहुत थी। भगवती सिंह जी मकान खोज रहे थे और एक मकान देखकर आये तो बोले, “शाम को चलकर देख लीजियेगा।” मुझे प्रसन्नता हुई। शाम को पहुँचा तो एक बूढ़े सज्जन झूले पर झूलते हुए मिले। उन्हीं से भगवती सिंह की बातचीत हुई थी। उन सज्जन ने कहा कि मेरी मां ने मकान देने से मना कर दिया है। भगवती सिंह क्रोध में आ गये। बोले—“आपको शरम नहीं आती। स्वयं बूढ़े होकर कुछ निर्णय नहीं ले सकते। सुबह ‘हां’ कह दिया था और जब ये बीमारी की हालत में मकान देखने आये तो ‘नहीं’ कह रहे हैं और बच्चे की तरह मां का बहाना बना रहे हैं। लगता है अभी तक आप मां के आंचल में छिपकर मां का दूध पीते हैं?” वे सज्जन चुपचाप सुनते रहे और उनका मौन एक ठंडा क्रूर मौन बनकर हमें बेधता रहा। हम लौट आये।

मैं अजीब चक्रब्यूह में फँसा था। मेरा अपना बुखार, मकान न मिलने की तड़पन, आसन्न प्रसवा पत्नी की दुर्दशा तो थी ही, एक और बात मुझे भीतर तक बेचैन बनाए

हुए थी। प्रिंसिपल क्या सोचते होंगे। इस आदमी ने नौकरी शुरू की नहीं कि छुट्टियां ही छुट्टियां...। मेरे बारे में उनका क्या विचार बन रहा होगा। रमाकांत, जो हमारे लिए बहुत परेशान थे, एक दिन आये और बोले कि पास में ही एक मकान खाली हो रहा है। मैंने बातचीत की है। चलिए, तय कर लिया जाये। वहा गये, खैर वहां भी बहुत निश्चय-अनिश्चय का दौर चला। मकान मालिक से भगवतीमिह की कहा-सुनी भी हो गयी किन्तु अंत में मकान मिल गया। मकान क्या था—एक मकान के भीतर एक अंधेरा कमरा और किचेन था। मकान मालिक के आगन में होकर वहा जाना पड़ता था। वह ऐसा स्थान था जहां किसी को बुलाने में शरम आती थी। विश्वनाथ जी एक दिन आये और बोले—“अच्छा, इसी कमरे के लिए मकान मालिक ने इतनी हुज्जत की थी और वह भी किराया साठ रुपये।” बहरहाल बेघरपन की इस यातनाप्रद यात्रा में इस घर ने एक आश्वस्ति दी। धीरे-धीरे जिन्दगी सामान्य होने लगी। पढ़ाने भी लगा। मालूम पड़ा कि पास में ही प्रफुल्ल मुशी का प्रसूतिगृह है। वहां पत्नी का नाम रजिस्टर्ड करवा दिया और थोड़े ही दिन बाद 17 अगस्त, 1957 को शशाक का जन्म हुआ। गौराचिट्टा अत्यन्त मुन्दर-सा बच्चा शशाक। यहा एक नयी बात देखी, वह यह कि प्रसूति के अधिसंख्य डाक्टर पुरुष है। उत्तर भारतीय सस्कार के लिए यह बात असह्य थी किन्तु गुजरात में यह बहुत सहज ही थी और उस परिवेश में जो सहज थी उसे स्वीकार करने के लिए मैं लगातार अपने को तैयार करता रहा। मेरे सामने ही उत्तरप्रदेश के एक सज्जन डा० प्रफुल्ल मुशी से बहस कर रहे थे कि मैं तो अपनी पत्नी का प्रसव आपके हाथों नहीं कराऊंगा। किसी नर्स को यह काम सौंप दीजिए।

“देखिए जी।” मुशी भाई बोले, “डाक्टर न स्त्री होता है न पुरुष, डाक्टर, डाक्टर होता है और यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी की देखभाल कबल नर्स करे तो कोई खतरा होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और आपको लिखकर देना होगा कि आप अपने रिस्क पर उन्हें नर्स के हवाले कर रहे हैं।”

वे सज्जन चले गये। पता नहीं अपनी पत्नी को लाये कि नहीं, मगर मुझे लगा कि मुशी भाई का प्रसूतिगृह बहुत उच्चकोटि का प्रसूतिगृह है। मुंशी भाई को अपने मरीजों के लिए जूझते देखा है, उनकी सुख-सुविधा और बेहतरी की चेष्टा में लगे देखा है और तमाम मरीजों की गालियां सुनकर भी प्रकृतिस्थ रूप में काम करते देखा है। पुरुष हुए तो क्या हुआ, यहां औरत को भरती करके निश्चित हुआ जा सकता है।

मैं अकेला-अकेला जूझ रहा था। खाना बनाता था। पत्नी के लिए दूध में मेवे ढालकर पुष्टई तैयार करता था। कालेज जाता था और सारे काम करने होते थे। शशाक रात-भर जागता था। दिन को सोता था। पत्नी उसके इस क्रम से बेहद थकान अनुभव करने लगी थीं। मकान का यह भीतरी अंधेरा कमरा स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब था, तिस पर मकान मालिकिन की टोका-टोकी शुरू हो गयी थी। “आपके आदमी इधर से न आये, उधर में आये, यह मत करो, वह मत करी।” जैसे सीलन के भीतर सीलन भरती जा रही थी और मन अवसाद से लदा जा रहा था। कुल मिलाकर

अहमदाबाद-आगमन के प्रारंभिक दिनों में हमने जो कड़वा जीवन-रस पिया उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता ।

40

स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो रही थीं । सेंट जेवियर्स कालेज में अनुस्नातक केन्द्र खुल गया था । अहमदाबाद और उसके आसपास के नगरों और गावों के हाई स्कूलों में काम कर रहे तमाम हिन्दी शिक्षक और अन्य सारे स्नातक भरभराकर प्रवेश के लिए टूट पड़े और जब शिक्षण-कार्य आरंभ हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थी परिचय में आये । उनमें से अनेक उत्तर भारत (बिहार, यू० पी०, पंजाब, राजस्थान) के थे । अनेक विद्यार्थी मेरे लगभग हमउम्र थे । धीरे-धीरे हमारी दुनिया बड़ी होती गयी । हमारे सुख-दुख में सहायक होने वाले लोग हमसे जुड़ते गये और अकेलेपन के सीलन-भरे सन्नाटे को फाड़कर एक नया आत्मीय अहमदाबाद उभरने लगा । पहले बैच में हमारे सम्बन्धी अवध-नारायण त्रिपाठी भी थे । इनके बड़े भाई रामअवधेश जी भी यहीं थे । ये लोग हमारी ससुराल के गांव के थे इसलिए हमसे वही नाता मानते थे । अवधनारायण तो हमारे साथ ढरसी के स्कूल में पढ़ भी चुके थे । किन्तु हमारे यहां आने का इन्हें ज्ञान नहीं था । इसलिए हमें इतने दिन तक अपना दुःख अकेले झेलना पड़ा । उम बैच में अरविन्द जोशी, अखिलेश, दीक्षित, प्राणशंकर प्रभाकर, हरीश पंडित आदि अनेक ऐसे छात्र थे जो मेरे आत्मीय वृत्त में लगातार आते गये और हमारी दुनिया बड़ी करते गये । एम० ए० की क्लास लेने के लिए कालेजों से वरिष्ठ अध्यापक आते थे । श्री रणधीर उपाध्याय, भगवतशरण अग्रवाल, अम्बाप्रसाद शुक्ल आदि कई लोग कक्षा लेते थे । विश्वनाथ शुक्ल इंचार्ज थे । वे बहुत व्यावहारिक और प्रबन्ध-कुशल प्राध्यापक थे । कालेज के स्टाफ में भी अपनी घाक जमाये हुए थे और प्रिंसिपल डिसूजा के भी बहुत नजदीक थे । इनके अतिरिक्त अलबी, सी० एल० शास्त्री, चिम्मन भाई पटेल, मिस्टर वकील आदि अनेक प्राध्यापक कालेज में थे जो कालेज की शक्ति थे । बाद में बाबा भाई चिम्मन त्रिवेदी, महेन्द्र दवे आदि भी आगे-पीछे आये ।

प्रिंसिपल फादर डिसूजा अंगरेजी के प्राध्यापक थे और बहुत अच्छे वक्ता, वाक्पटु तथा कुशल प्रशासक थे । उनके प्रशासन में चुस्ती तो थी ही आतंक भी था । दो साल पहले खुले हुए कालेज को बहुत तेजी के साथ ऊंचाई की ओर ले जा रहे थे । बिल्डिंग के सन्दर्भ में नये-नये निर्माण हो रहे थे और पूरे परिवेश का सुन्दरीकरण हो रहा था । कालेज बिल्डिंग और हॉस्टल के बीच की दूरी में फूलों से भरा उद्यान-सा था । कालेज के आगे की ओर भी फूलों का शृंगार था । प्रिंसिपल फादर और अन्य फादर तथा ब्रदर कालेज बिल्डिंग के ऊपरी भाग में रहते थे । प्रिंसिपल की स्मरणशक्ति अद्भुत थी । वे

प्रायः सभी छात्रों और शिक्षकों को उनके पारिवारिक इतिहास के साथ जानते थे। उनके पास सबका रेकार्ड रखने वाला एक बड़ा-सा रजिस्टर था जिसे वे मजाक में 'चित्रगुप्त नो चोपडा' (चित्रगुप्त की किताब) कहते थे। प्रिंसिपल के अथक परिश्रम से कालेज उन्नति के पथ पर अग्रसर था। पहले की अपेक्षा अच्छे छात्र आ रहे थे और बाद के वर्षों में तो वहां प्रवेश पाना बहुत कठिन हो गया। उच्च प्रतिशत अंक पाने वाले ही वहां लिए जाने लगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने लगा। खेलकूद, सांस्कृतिक गति-विधियां, सभी क्षेत्रों में यह कालेज तेजी से ऊंचे उठने लगा और देखते-देखते यह एक अत्यन्त स्पृहणीय कालेज बन गया।

बी० ए० ऑनर्स में छात्रों की अच्छी संख्या थी। नवनीत गोस्वामी, करुणेश शुक्ल आदि कई ऐसे छात्र उसमें थे जो धीरे-धीरे मेरे परिवार के अंग बन गए। और भी बहुत-से छात्र थे जो मेरे यहा आते-जाते थे। अहमदाबाद में बडौदा के विपरीत हिंदी-भाषी लोगों की एक बड़ी दुनिया थी जो मुझे मिल रही थी। इसलिए मेरी ऊब टूट रही थी। गुजराती परिवेश भी यहां ज्यादा अपना लगने लगा था क्योंकि बहुत-से गुजराती छात्र हिंदी के विद्यार्थी थे और वे मुझे अपने पारिवारिक वातावरण से जोड़ रहे थे। यहां का पडोसपन भी बडौदा की अपेक्षा अधिक उष्म था।

हिन्दी विभाग में हम तीन लोग थे—विश्वनाथ शुक्ल, हरिहर शुक्ल और मैं। कालेज में हरिहर शुक्ल जी मुझसे बरिष्ठ थे किन्तु एम० ए० पढ़ाने के लिए अभी योग्य नहीं हुए थे। कुल मिलाकर हिंदी विभाग सभी दृष्टियों से ठीक था। हममें सौमनस्य था। दोनो शुक्ल अपने-अपने ढंग से बहुत व्यावहारिक और प्रबन्ध-पटु थे। इसके विपरीत मैं था किन्तु तीसरा व्यक्ति होने के कारण प्रबन्ध-पटुता की कोई आवश्यकता मुझे नहीं पडती थी और अव्यावहारिकता का भी फिलहाल कोई खमियाजा नहीं उठाना पड़ रहा था, यद्यपि बाद में तो उठाना बहुत पड़ा। मैं कुछ निजी लोगों से ही खुलकर बात कर सकता हूँ। स्टाफ की मीटिंगों में भी मैं प्रायः चुप ही रहता था, चुप ही रहता हूँ। यहां चुप रहने का एक कारण और था, वह यह कि बहस प्रायः अंगरेजी में होती और मैं अंगरेजी में बातचीत तो कर सकता हूँ, बहस नहीं। और मेरा दिमाग अनेक प्रबंधात्मक प्रशासनिक मुद्दों पर सक्रिय भी नहीं हो पाता, जिनकी चर्चा बैठकों में उठती रहती थी। इसलिए लोगों के बीच मेरा इमेज संभवतः एक गंभीर और सीधे-सादे आदमी का था। एक दिन मैंने विश्वनाथ जी से एक मजाक किया। विश्वनाथ जी बहुत खुश हुए और ठठाकर हंसे। मैं भी अट्टहास कर उठा। वे बोले—“इतना अच्छा और बारीक मजाक मैंने बहुत दिनों बाद सुना है। मैं तो समझता था कि आप बहुत गंभीर और सीधे-सादे आदमी हैं, आज पहली बार आपकी विनोदप्रियता और बारीकी का पता चला।” जहां मैं उनकी इस टिप्पणी से खुश हुआ, वहीं यह सोचकर तकलीफ भी हुई कि लोगों तक मेरी विशेषताएं पहुंचने में इतना समय क्यों लगता है? एक ओर तो वे लोग हैं जो अपनी प्रथम उपस्थिति के समय ही अपनी सारी असली और नकली विशेषताएं एक अतिरिक्त चमक के साथ सामने वालों पर उड़ेल देते हैं, दूसरी ओर वे लोग हैं जो काफी दिन तक अपने साहचर्य में रहने वालों पर भी अपन गुणों को खोज

नहीं पाते, एक लम्बा समय ही धीरे-धीरे उसकी परतें खोलता है। मुझे लगता है कि मैं भी दूसरी श्रेणी के लोगों के बीच का एक छोटा-सा आदमी हूँ। विश्वनाथ शुक्ल बहुत खुशदिल, व्यावहारिक और चालाक व्यक्ति थे। वे प्रिंसिपल के मुंहलगे भी थे। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय के सभी बड़े अधिकारियों तथा गुजराती साहित्य के वरिष्ठ लेखकों से भी सम्बन्ध बना लिया था। उनकी व्यवहार-बुद्धि के कारण हिन्दी विभाग काफी तबज्जुह पा रहा था। विश्वनाथ जी से मेरी अच्छी मैत्री हो गयी। पारिवारिक सम्बन्ध भी गहराया। हम दोनों अलग-अलग स्वभाव के बावजूद एक-दूसरे को बहुत स्नेह करते थे, सहयोग देते थे और भरोसा करते थे। हरिहर जी मैं भी मेरा बहुत प्रिय सम्बन्ध था। हरिहर जी कालेज में मुझमें वरिष्ठ थे और मैं किसी के रास्ते में आने वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ, न कभी रहा। इसलिए गबन निभ जाती रही। हरिहर जी भी एक अच्छा आदमी होने के साथ-साथ गहरी व्यवहार-बुद्धि-सम्पन्न व्यक्ति थे। इसीलिए वे बाद में प्रिंसिपल बने और प्रिंसिपल बनकर कई कालजा का बहुत अच्छा मचानन और विकास किया।

समग्रतः कालेज का वातावरण बहुत अच्छा था। स्टाफ में हम सभी एक-दूसरे के मित्र और सहायक थे। अहमदाबाद में मुझे एक अच्छा सामाजिक और साहित्यिक वातावरण मिला। यहां उत्तर भारतीय समाज था। इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पांडे जी उसके संचालक थे। सामाजिक और साहित्यिक उत्सव हाते रहते थे। रूखियाल की मिल एरिया के कितने ही व्यक्ति हमारे छात्र बन गये थे। कभी-कभी वे भी अपने यहां के स्कूलों में होने वाले समारोहों में अतिथि बनाकर ले जाते थे। मेरे इर्द-गिर्द हिन्दी से जुड़े तमाम छात्रों का समूह घिर आया था। इसलिए धीरे-धीरे अहमदाबाद मुझे अपने-पन से जोड़ने लगा था। करुणेश बी० ए० के छात्र थे और रिची रोड पर उनकी बाजे की दूकान थी। वहां प्रायः शाम को अपनी ओर के छात्रों का जमघट लगता था। अबधनारायण, नवनीत, उनके छोटे भाई विनीत रावत, रघुनाथ भट्ट और अन्य सारे छात्रों की भीड़ जुटती थी। बाजार करने के लिए निकलता था तो मैं भी वहां जा पहुंचता था। वहां उनके बीच अच्छा लगता था। हम एक-दूसरे के सुख-दुःख से परिचित होते थे। समस्याओं के समाधान भी होते थे।

मेरा पी-एच० डी० का रिजल्ट आ गया था। उसकी भी एक कहानी है। यों तो मुझे गत दिसम्बर में सम्पन्न होने वाले दीक्षांत समारोह में डिग्री मिल जानी चाहिए थी किन्तु नहीं मिली। मेरे शोध-प्रबन्ध के एक परीक्षक डा० केमरी नारायण शुक्ल लेनिन-ग्राड में थे। दीक्षान्त समारोह के दिन के आसपास जब उन्हें केबुलग्राम दिया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि शोध-प्रबन्ध उन्हें मिला ही नहीं। यूनिवर्सिटी ने मुझे लिखा कि मैं 50 रुपये भज दूँ ताकि हवाई डाक से दुबारा शोध-प्रबन्ध भेजा जा सके। यह सब हुआ और गत मई में जब मैं गोरखपुर गया तब मौखिकी सम्पन्न हुई। उसके परिणाम की प्रतीक्षा थी। घोषित हुआ किन्तु जो डिग्री मुझे 56 में मिलनी चाहिए थी, 57 में मिल रही थी। खैर, मित्रों और छात्रों में एक उत्साह उमड़ा। एम० ए० की कक्षा में छात्रों ने मेरा अभिनंदन किया। भगवतस्मरण अग्रवाल स्वस्तिक कालेज में पढ़ाते थे। बाद में

एल० डी० आर्ट्स कालेज में आ गये। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में हिन्दी में एम० ए० किया था इसलिए हमारे यहाँ एम० ए० की कक्षा लेने आते थे। वे कवि भी थे। पांडे जी द्वारा आयोजित समारोहों में उन्हें कविता पढ़ते सुना था, तभी जाना था कि वे कवि हैं। जब वे हमारे यहाँ क्लाम लेने आने लगे, तब उनसे परिचय बढ़ा और निरन्तर सघन होता हुआ मैत्री में बदल गया। हम दोनों प्रायः समारोहों में साथ जाते थे, एक-दूसरे के घर आना-जाना तो था ही। रामाकान्त शर्मा से आप परिचित हो चुके हैं। उन्होंने तो मेरे गाढ़े दिनों में मेरा साथ देकर मेरी मैत्री छीन ली थी। वे मेरे बहुत गहरे मित्र बन गए। रश्ते में तो आते ही थे। पारिवारिक सम्बन्ध भी बहुत गहरे हुए। रामाराम से रामसुन्दर शुक्ल भी एक महिला कानेज में आ गये थे। जगन्नाथ पांडेय भी कालेज में पढ़ाते थे। वे प्रतापगढ़ के थे। बड़े मस्त और सहयोगी व्यक्ति थे।

रणधीर उपाध्याय एल० डी० आर्ट्स कालेज में पढ़ाते थे और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में गहरे जुटे थे। अहमदाबाद में उनकी अच्छी पहुँच और जगह थी। गुजराती और हिन्दी के बीच व संतुल्य थे। गुजराती के मारे शीर्षस्थ और नये साहित्यकारों से उनका लगाव था। उनसे मेरा पढ़ना परिचय आ तो वे अच्छा चले गये। बोले—“आप वे रामदरश मिश्र तो नहीं हैं जो ‘रूपना’, ‘राष्ट्रवाणी’, ‘कान्ती’ आदि पत्रिकाओं में छपते हैं?”

मैंने मकाम में कहा — हाँ हाँ तो वही रामदरश मिश्र।”

जैसे वाह वाह आ-वा आ-वा। क्या बात है तो आप है। वह रामदरश मिश्र? अरे, मैं तो समझता था कि इतना लिखने वाला यह व्यक्ति काफी वयस्क होगा, मगर आप तो ”

“नाबालिग निकले।” मैंने जोड़ा।

वे ठाँककर हँस। “मचमुच, सचमुच आप कवि हैं? वाह-वाह!” और उनकी आँखों में, चेहरे पर तरल हमी उमड़ आयी थी। पाम बँठे विश्वनाथ जी तथा अन्य मित्र विभिन्न भावों से वह प्रसंग देख रहे थे।

एम० ए० कक्षा ठीक चलती थी। शुक्ल जी शिक्षण के अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी करते रहते थे। इसलिए महामागहमी बनी रहती थी। एम० ए० कक्षा सुबह होती थी, उसके बाद कालेज की कक्षाएँ शुरू होती थीं। यह बहुत बड़ी विडम्बना प्रतीत होती थी कि एम० ए० की कक्षा लेने के बाद फर्स्ट इयर बी० ए० को पढ़ाने जाना पड़ता था। ‘कामायनी’ पढ़ाकर उसके स्वाद में भरा हुआ सीधे फर्स्ट इयर में पहुँचता था—कोई मामूली निबन्ध पढ़ाने के लिए। वयस्क छात्रों के बीच चिंतन और अनुभव की गहराई में एकाग्र होने की प्रक्रिया से निकलकर मनोरंजन की मुद्रा में आये छात्र-छात्राओं के बीच थानेदारी करने जाना पड़ता था। उन्हें हिन्दी पढ़ानी पड़ती थी जिन्हें हिन्दी की परीक्षा पाम तो करनी थी किन्तु उसके साथ जिनका सहज लगाव नहीं था। कुछ मेकनन अगरेजी माध्यम में पढ़े लड़कों के थे और कुछ गुजराती माध्यम वालों के। अगरेजी वाले कानवेटी प्रभाव में ग्लैमरवश अगरेजी को मातृभाषा मानते हैं और गुजराती तो गुजराती वालों की मातृभाषा थी ही। हिन्दी के साथ किसका लगाव हो?

बहुत थोड़े विद्यार्थी थे जिनकी मातृभाषा हिन्दी थी और जो हिन्दी को प्यार और आत्मीयता से देखते थे। हिन्दीभाषियों में से भी बहुतेरे कानबेंटी शिक्षा से आए थे इसलिए उनमें अगरेजी के प्रभाव के बावजूद हिन्दी के प्रति एक लगाव था और वे प्यार से हिन्दी पढ़ते थे। वैसे हिन्दी अनिवार्य थी, पढ़नी तो सबको पड़ती ही थी। हा, बी० ए० ऑनर्स में अनेक हिन्दीभाषी छात्रों के साथ अनेक गुजरातीभाषी छात्रों ने हिन्दी ली थी। एम० ए० में तो गुजरातीभाषी छात्रों की ही संख्या अधिक थी। वे बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि गुजराती तो उन्हें आनी ही है, हिन्दी का अतिरिक्त ज्ञान और उपाधि पाकर अपनी उपयोगिता और ज्ञान बढ़ा लेंगे और गुजरात में तथा गुजरात के बाहर हिन्दी के कारण मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ऐसे अनेक छात्र मिले जो लेखन-कार्य तो करते थे गुजराती में और व्यवसाय के लिए अपनाया हिन्दी को। यह चर्चा बाद में होगी फिलहाल इतना ही कि एम० ए० और बी० ए० ऑनर्स की कक्षाओं के कारण मुझे अध्यापन की तृप्ति मिलनी रही।

41

जिस मकान में था उसकी सकीर्णता में ऊबा हुआ था। सेलटैक्स में काम कर रहे मेरे एक विद्यार्थी मालवीय जी अपने विभाग के महत्त्व के कारण बहुत प्रभावशाली थे। उनकी कृपा से काकरिया में एक मकान मिल गया। वह अच्छा मकान था, खुला हुआ था। यद्यपि पहले मकान की अपेक्षा वह कालेज से बहुत दूर था किन्तु दूरी मुझे कबूल हुई। मेरे प्रिय छात्र कांकरिया पर भी जाया करते थे। अतः आत्मीयता की रीतक वहा भी लगी रहती थी। पड़ोस में कुछ बहुत अच्छे स्नेही गुजराती-परिवार थे जिनसे हमारा गहरा पारिवारिक सम्बन्ध बन गया था। पड़ोसी देसाई और उनकी पत्नी बीना बेन का हमें गहरा सहयोग और प्यार मिला।

कालेज दूर होने के कारण दिनचर्या थोड़ी कठिन हो गयी। वहा से कालेज पाच-छ मील से कम नहीं पड़ता रहा होगा। सुबह 7 बजे एम० ए० की क्लास होती थी। साइकिल से छः बजे भागना पड़ता था और वहा से लौटते-लौटते ढाई-तीन बज जाते थे। खूब कसकर भूख लग आती थी। गुजरात का प्रभाव मुझ पर भी पड़ गया था यानी यहा लोग प्रायः सुबह नाश्ता नहीं करते, खाली पेट चाय पीते हैं और खाना खाने के पहले तक खाली चाय पीते रहते हैं। मैं भी यही करता था। चाय के साथ कुछ लेना चाहिए, इसकी न चिन्ता थी न ज्ञान। इसका बड़ा खराब असर पड़ा। इसके कारण मेरी हाइपर एमिडिटी बढ़ गयी। यह रहस्य कई साल बाद तब खुला जब डाक्टर ने मुझसे पूछा कि आप चाय के साथ कुछ लेते हैं कि नहीं? मेरे 'नहीं' कहने पर उन्होंने कहा— "यह तो आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एसिडिटी उसी का परिणाम है। आपको चार-चार घंटे बाद कुछ लेते रहना चाहिए और चाय की जगह दूध लेना

चाहिए।" खीर, यह तो सब बाद की बात है, फिलहाल तो खाली पेट चाय पीने का एक ही असर महसूस कर रहा था कि घर पहुंचते-पहुंचते खूब भूख लग जाती थी। इस मकान में भी हम देर तक नहीं रह सके। इसका कारण दूरी तो थी ही, उस मकान के एक खंड में रह रहे दूसरे किरायेदार भी थे। वास्तव में हमने यह अनुभव किया कि मकान में यदि लैट्रिन-बाथरूम, बरामदा, आगन या इनमें से कोई चीज 'कॉमन' हो तो निभनी नहीं है। किसी न किसी वजह से टकराहट हो ही जाती है। दोष किसी का भी हो सकता है। इस मकान में एक बरामदा कॉमन था जिसे पहले किरायेदार ने छेका रखा था और उसका बूढ़ा बीमार बाप वही बैठा खांसता-थूकता रहता था। मेरे कमरे का द्वार उसी बरामदे में खुलता था। किरायेदार से कई बार कहा गया कि इन्हें अंदर बैठाया कीजिए किन्तु पटना किरायेदार होने के कारण वह उस पर अधिकार जमाए बैठा था। लैट्रिन-बाथरूम भी कॉमन थे जो तरह-तरह की समस्या पैदा करते रहते थे। रह-रहकर कफ़ा-सुनी हो जाती थी। जगन्नाथ पांडेय में मालूम पड़ा कि गुजरात विद्यापीठ के सामने एक नयी कालोनी बन रही है और उस कालोनी में फिलहाल तीन-चार घर ही बने हैं और दो कमरे का एक फ्लैट हमें मिल सकता है। तब हम काकरिया वाला मकान छोड़कर उस मकान में चले गये।

यह नया मकान कालेज के बहुत समीप था और जगन्नाथ पांडेय हमारे पड़ोसी थे। मकान के दूसरे फ्लैट में एक झा साहब आ गए। अतः यह हमें अच्छा लगता था। मकान मालिक भी इसी मकान में रहते थे। वे रिटायर्ड थे, अच्छे थे। बस, एक ही बात थी कि यहा बड़ा सुनसान था। साबरमती नदी के किनारे यह मकान था। वहा के आस-पास दूर-दूर तक मकान नहीं थे। यहा भी भक्ति-भवन वाला मामला था। गुजरात विद्यापीठ के पास मुख्य मार्ग छोड़कर अति सुनसान मार्ग से इस मकान तक आना पड़ता था किन्तु कभी कुछ अवांछित नहीं घटा।

सुनसान का अपना सौन्दर्य होता है, इसमें मैंने प्रायः अनुभव किया है और यह अनुभव यहां और गहरा हो उठा था। मकान के पीछे साबरमती-नदी की विषम जमीन थी—कटे हुए कगार, उनमें कहीं गड्ढे, कहीं खाई-सी बनी हुई, उनमें उगे हुए जंगली पौधे और छोटे-छोटे पेड़, नदी पर फैले हुए रेत ढोने वाले लोग और उनके गवहे, बीच में नदी की बहुत पतली-सी, उथली-सी धारा, उस पार फिर वही रेत का विस्तार, इस पार और उस पार कपड़े धोती औरतें, नहाते लोग, खेलते बच्चे और विस्तार के बाद कगार और कगार के पास से शुरू होते सघन मकानों के जंगल, चिमनियों के घुएं। मैं नदी के किनारे खड़ा होकर देर तक उसे देखता था और कल्पना करता था, कहा से आती है यह नदी? कहा को जाती है यह नदी? यह उथली क्यों है? थोड़ी ही दूर पर साबरमती आश्रम है। सुन रखा था, देखा नहीं था किंतु उसकी महक मेरे भीतर छाई रहती थी। कभी चलकर देखूंगा गांधी जी के आश्रम का। मेरा भी स्वभाव अद्भुत है। अनेक स्थानों की निकटता अनुभव करता हूँ किन्तु उन्हें देखने की उतावली नहीं होती। लगता है उनके पास तो हूँ ही, कभी भी चलकर देख लूंगा। कल्पना में सदा हाथ पसारकर उन्हें छूता हुआ प्रतीत होता हूँ। इसी प्रक्रिया में कभी-कभी वह साहर छूट जाता है

और वह स्थान नहीं देख पाता। यह बात स्थान तक ही सीमित नहीं, व्यक्तियों और वस्तुओं तक फैली हुई है। अतः साबरमती आश्रम की सुगंध अनुभव करता हुआ भी साल-भर तक उसे देख नहीं सका और जब बाहर में एक मित्र आये और उन्होंने आश्रम देखने-दिखाने का आग्रह किया तो उनके साथ वहा गया।

इस मकान के एक ओर के सुनसान के बाद सुनसानपुर गाव था, दूसरी ओर सुनसान के बाद गांधी पुल और उसके पाम आई० टी० आ०, आकाशवाणी भवन आदि थे। सामने की ओर गुजरात विद्यापीठ था। सुनसान के छोटे में सागर के बीच द्वीप-मा दो-तीन मकानों का यह मञ्जल प्रकृति का खुला मुख भोग रहा था। अभी मकान में बिजली नहीं आई थी किंतु साबरमती की ओर से आती हुई हवाएँ तो हमारे साथ थी और सुनसान का खुलापन प्रकाश की कमी की कुछ पूर्ति कर देता था। वैसे भी हमारे पास अभी तक बिजली का पखा नहीं था। अतः हवा के मन्दर्भ में बिजली होने के और न होने के सुख-दुःख से हम परे थे। हम तो अभी तक बिजली के पखे में सुख में वचित थे अतः कोई असुविधा नहीं अनुभव करते थे किंतु उन्ही दिनों हमारे गुरु डा० जगन्नाथ-प्रभाद शर्मा हमारे यहाँ पधारे। वे विश्वविद्यालय के काम में बड़ौदा आते थे। हमारी प्रार्थना पर वहाँ से यहाँ आये। डा० शर्मा मौज-मर्ती की प्रकृति के व्यक्ति थे—अनेक सुविधाओं के बीच रहने वाले। हमारे यहाँ बिजली का पखा तक नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं किंतु उनकी परेशानी का मैं अनुभव करता रहा। वे अपनी परेशानी को भीन भाव से पीते रहे, यह हमें और भी बेचैन करने वाली बात थी। मैंने कहा—“पंडित जी, आप कृपा कर हमारे यहाँ पधारे, यह हमारे लिए कितना गौरव की बात है किंतु अभी इस मकान में बिजली नहीं लगी और आपको गर्मी की यातना झेलनी पड़ रही है यह कितनी कष्टकर बात है।” पंडित जी ने अपने मन अदाज में इन बातों को टाल दिया किंतु मैंने तय किया कि बिजली की फिटिंग होते ही मैं पखा खरीदकर लाऊंगा।

वैसे तो मेरा ममार इतना बड़ा हो गया था कि यह सुनसान भी मित्रों और शिष्यों के आने-जाने के क्रम से गुजान रहा था किंतु यहाँ आकर गुजरात विद्यापीठ के लोगों से परिचय हुआ। उनमें विशेष नाम है अम्बाशकर नागर का। उनसे परिचय बढ़ता गया। हम लोग एक-दूसरे के यहाँ आने-जाने लगे और परिचय मैत्रीभाव में बदलने लगा। नागर जी वहाँ टिन्डी पढाते थे। उनके यहाँ रखे सगीत के माज-बाज में ज्ञात हुआ कि सगीत में भी उनकी पैठ है। नागर जी बिना इस्त्री किये खादी के मोटे कपडे पहनते थे। मैं यह जान न पाता था कि बिना इस्त्री किये कपडे पहनना गुजरात विद्यापीठ के परिवेश का परिणाम है या नागर जी की रुचि की मादगी का या अभाव का। बहरहाल, मैं उनकी रुचि की सादगी का ही परिणाम मानकर मन ही मन उनकी सादगी की बहुत प्रशंसा करता था। वे मुझे अपनी मीठी बातों, सौम्य दीखने वाले आचार-व्यवहार और सादे रहन-सहन से बहुत प्रभावित करते थे। कुछ दिनों बाद बड़ौदा में लेक्चरर की एक जगह निकली तो हमें (मुझे और त्रिभुवनाथ जी को) लगा कि वहाँ इन्हें जाना चाहिए। नागर जी जाने में सकोच कर रहे थे किंतु हम लोगों के आग्रह से उन्होंने वहाँ आवेदन-पत्र दिया और ले लिए गये। नागर जी बड़ौदा चले गए

और हमसे दूर हो गए किन्तु मन से हम दोनों एक-दूसरे के और निकट आते गए ।

इस वर्ष एक और घटना घटी । हा, मैं इसे घटना ही कहूंगा क्योंकि इसने मेरे जीवन को दूर तक अपने से जोड़ा । किन्तु उस वक्त तो यह घटना नहीं लगी थी, शैक्षिक जीवन के कार्यक्रम का एक साधारण-सा अंग लगी थी । पढाना हूँ, छात्र तो आते ही रहते हैं किन्तु उस दिन मेरे घर एक ऐसा छात्र आया जिसे कभी देखा नहीं था । वह मेरा छात्र भी नहीं था । उसका हुलिया ठेठ देहाती लडके का — मोटे खड्क का पाजामा या धोती, कुरता और टोपी । आखी में और चेहरे पर अटट देहान की घूसरता । अपने पूरे देहातीपन में यह लडका कुछ अतिरिक्त लग रहा था ।

“आइए, बैठिए ।”

वह महज ढग में बैठ गया ।

“कहिए ?”

“जी सर, मैं पाम के एक गाव में आया हूँ । मेट जेवियर कालेज से हिन्दी में बी० ए० (ऑनर्स) करना चाहता हूँ ।”

“बहुत अच्छा । नाम लिखा लिया ?”

“जी सर, नाम लिखा लिया । आपसे कालेज में तो भेट होगी ही, किन्तु घर पर मिलने की इच्छा हुई । चना आया ।”

उसके कथन में कोई सकोच या शिक्षक नहीं थी, बल्कि सहजता और सादगी थी । उसे विश्वास था कि वह जो कर रहा है, ठीक कर रहा है और ज़िमके यहा आया है, वह व्यक्ति भी उमें सहज रूप में ही लेगा ।

मैं इस व्यक्ति को देख रहा था—कोई बनावट नहीं, कोई दुराव-छिपाव नहीं । खालिम देहाती व्यक्तित्व, जिसमें से सीधी-सादी बेलाग और खुरदरी आत्मीयता की चमक फूट रही थी । उसकी भाषा में भी वही आत्मीय खुरदरापन था ।

“आप सोचते होंगे कि क्लास में तो भेट होती ही, यहा क्यों चले आये ? लेकिन सर, पता नहीं कौन-सी प्रेरणा मुझे आपके पास तक खींच लाई । सोचा, आपसे आपके घर पर मिलूँ—आपके परिवार से मिलूँ ।”

“नहीं, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा । अच्छा किया आप आये । आप मेरे लिए एकदम नये हैं किन्तु नये नहीं लग रहे हैं ।”

“धन्यवाद सर, वास्तव में आपके लिए मैं एकदम नया हो सकता हूँ किन्तु आप मेरे लिए एकदम नये नहीं हैं । आपकी कुछ चीजें मैंने पढी हैं । मेरे हिन्दी शिक्षक भोलाभाई पटेल भी आपकी चीजें पढते रहते हैं और वे मुझमें चर्चा करते रहते हैं । सर, आपकी रचनाएं पढकर ही हमें लगता रहा है कि आपसे मिलने में हमें सक्काच नहीं होगा ।”

“धन्यवाद ! आप गुजरात के देहात में रहकर मेरी रचनाएं पढते रहे हैं यह मेरे लिए बहुत प्रमन्नता की बात है । सचमुच आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा । अरे हा, आपने भोलाभाई का नाम लिया था । वे तो बहुत प्रबुद्ध ज्ञात हो रहे हैं ।”

“हां सर, वे भी इमी वर्ष एम० ए० करने आने वाले हैं। तब आपसे उनकी भेंट होगी।”

वह लड़का देर तक बैठा रहा। घर-द्वार की बातें होती रहीं।

“अच्छा सर, चलता हूँ। आता रहूँगा।”

“हां-हां, जरूर आते रहिएगा।” वह चलने लगा तो मैंने कहा, “अरे, इतनी बातें हो गईं, आपका नाम तो पूछा ही नहीं।”

“रघुवीर।”

हां, मैं रघुवीर चौधरी की बात कर रहा था। वे एक बार मेरे साथ, बल्कि मेरे परिवार के साथ जुड़े तो जुड़ने ही चले गये और उसके अभिन्न अंग बन गये। मेरा सुख-दुःख उनका सुख-दुःख बन गया। मेरे उत्कर्ष का आनन्द और संकट की यातना उनका आनन्द और यातना बन गयी।

सेंट जेवियर कालेज में मेरा यह दूसरा साल था और इस साल के अन्त में ही जेवियर छोड़कर नवमारी चला गया किंतु एक ही साल में रघुवीर मेरे साथ गहराई से जुड़ गए। रघुवीर तेज छात्र थे। उनकी तेजी उन्हें कक्षा की बनी-बनायी पद्धति में फिट नहीं होने देती थी। कक्षा में अध्यापक प्रायः नोट लिखाते थे। रघुवीर चुपचाप बैठे रहते थे। अध्यापक डांटते थे—“बैठे क्यों हो, लिखते क्यों नहीं?”

“सर, लिखने लायक कोई बात ही तो लिखूँ। ये बातें तो हमें नोटबुकों में मिल जाएंगी। मैं तो कुछ नयी बात जानना चाहता हूँ।”

“अच्छा-अच्छा, आप अपने को बहुत तीसमार खां समझते हैं, लेकिन ये ही बातें इम्तहान में काम आएंगी। इम्तहान में भी बैठे रहिएगा नयी बात खोजते हुए।”

रघुवीर या तो निरुद्धेग भाव से बैठे रहते या ऐसी कोई बात कह देते जिससे शिक्षक की गुहता आहत हो जाती। इसलिए प्रायः शिक्षक उनसे रुष्ट रहते, उन्हें उद्दण्ड और अशालीन कहते और प्रायः मेरे सामने कहते क्योंकि वे जानते थे कि रघुवीर मेरे बहुत निकट है। मैं या तो चुप रहता या उन्हें समझाता कि ‘रघुवीर मुझे तो ऐसे नहीं लगते।’ और बान सही थी।

रघुवीर उद्दण्ड या अशालीन कतई नहीं थे। वे सच को छिपाने की कला नहीं जानते थे। उसे बहुत बेलाग ढंग से व्यक्त कर देते थे। गलत बात (जो उन्हें गलत लगती थी) को सहन नहीं कर पाते थे, उसका खुला प्रतिवाद कर देते थे। वे किसी को आहत करने के लिए कोई कार्य नहीं करते थे, वे अपने सच की अभिव्यक्ति के लिए कार्य करते थे। इसलिए आहत होने वाले लोग आहत उनकी उद्दण्डता से नहीं, सच की अभिव्यक्ति से होते थे। अन्यथा रघुवीर में अपने गुरुओं, सहपाठियों और मनुष्य मात्र के लिए गहरा इन्सानी प्यार था। वे सबके सुख-दुःख में साथ देने वाले व्यक्ति थे। चूंकि रघुवीर को केवल छात्र के रूप में नहीं, बल्कि निकट के एक व्यक्ति के रूप में जानने का मुझे अवसर मिला था अतः मैं उनके असली रूप को जानता था कि बहुत गुरुभक्ति दिखाने वाले, श्रद्धा से विगलित होकर नाटकीय मुद्रा से गुरुओं के पांवों पर लोट जाने वाले छात्रों की अपेक्षा उद्दण्ड और खुरदरे कहे जाने वाले रघुवीर ज्यादा गुरु-भक्त थे।

गर्मी की छुट्टियों में साले की शादी पड़ी। पत्नी गोरखपुर चली गई। मैं अकेला रह गया। वैसे तो अकेला पड़ गया किंतु अकेला भी कहां पड़ा। प्रायः अरविन्द जोशी, नवनीत गोस्वामी, करुणेश शुक्ल, अवधनारायण त्रिपाठी आते ही रहते थे। शाम को कोई न कोई मेरे साथ घूमने निकलता था। पड़ोस में पांडे जी थे ही, फिर भी बाहरी दुनिया की गहमागहमी मेरे साथ चाहे कितनी ही क्यों न हो, परिवार की अनुपस्थिति में मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। परिवार मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। पत्नी गई तो न कोई चिट्ठी न पत्री। महीना गुजर गया। मेरी चिन्ता बढ़ गई कि आखिर हुआ क्या? हर गाड़ी के समय उनके आने की आशा में मेरी आंखें रास्ते पर बिछ जाती और एक अरसे के बाद अपने में निराश लौट आतीं। आखिर हुआ क्या? वे सही-सलामत गोरखपुर पहुंचीं भी कि नहीं? मेरे तारों का भी कोई जवाब नहीं। आशा, चिंता और क्रोध की एक संश्लिष्ट अनुभूति ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मुझे बुखार आ गया।

कमरे में अकेला लेटा था। बुखार आया और मेरे साथ हो लिया। वह मुझे अपने में कसता चला गया। मैं कराहने लगा। कोई आगे न पीछे। बगल के कमरे में झा माहब का परिवार रहता था। उन्हें सूचित करने के लिए मैं और जोर-जोर से कराहने लगा। घंटों कराहता रहा लेकिन मेरी कराह किवाड़ के उस पार नहीं पहुंची। उस जलती व्यथा में भी सोचने लगा कितने बहरे लोग है ये। इन्हें यह जानने की उन्मुक्ता भी नहीं हो रही है कि कमरे में कौन जोर-जोर से कराह रहा है। दो घण्टे बाद मैं झा के नौकर का नाम लेकर पुकारने लगा। अब उन लोगो को मेरे बजूद का पता चला। पांडे जी को बुलाया। दवा मंगवाई। सयोग यह कि हमारे यहां नियमित आने वाले लोगो में दो-तीन दिन तक कोई नहीं आया।

बुखार उतर गया था। उस दिन नवनीत गोस्वामी आ गये। मेरी हालत पर उन्हें अफसोस हुआ और इससे अधिक अफसोस इस बात पर हुआ कि वे इस बीच आये नहीं। आज खाना खाने की इच्छा हो रही थी। नवनीत ने कहा—“सर, मैं कुछ बनाता हूँ, क्या खाएगा?”

“खिचड़ी।” मैंने कहा।

नवनीत ने बड़े प्रेम से खिचड़ी बनायी और जैसे ही मैंने पहला कोर मुह में डाला, सांस टंगी की टंगी रह गयी।

“क्या हुआ सर?”

“नवनीत, तुम्हारे प्यार में मिर्च बहुत पड़ गयी है।”

“सर, मैंने मिर्च की छोंक लगायी थी।”

“अरे भाई, बीमार आदमी का पथ्य बना रहे थे, मिर्च तो नहीं डालनी थी।”

“सर, मिर्च की छोंक के बिना स्वादिष्ट खिचड़ी कैसे बन सकती है।”

“अरे भाई, तुम मुझे स्वादिष्ट खिचड़ी खिला रहे थे कि एक बीमार को पथ्य दे रहे थे।”

बहरहाल खिचड़ी छोड़ दी। नवनीत बहुत दुखी हुए और दुबारा सादी खिचड़ी बनायी। बाद में हम दोनों इस प्रसंग पर खूब हंमते थे।

फिर तो और शिष्य भी आ गये और सबको दुःख हुआ कि वे मेरी बीमारी में नहीं आ सके और मुझे अकेले इतनी यातना झेलनी पड़ी। एक दिन बिना किसी सूचना के श्रीमती जी भी आ गयी। उन्हें सदी मलामन देखकर चिंता तो दूर हुई किन्तु उनकी पत्र-विषयक उदामीनता को लेकर जो क्रांघ मरे भीतर जमा हुआ था, वह भी व्यक्त हाने में नहीं रह सका।

मैं अध्यापक हूँ तो अध्यापक के कर्म का पूरा निर्वाह करने का प्रयत्न करना रहा। यानी नियमित रूप से कक्षाएं लेकर छात्रों को अपनी शक्ति-भर सामग्री देना रहा। कक्षा में पाठ्य-क्रम में सम्मिलित पुस्तकों और विषयों को पढाने में जिस एकाग्रता और श्रम की आवश्यकता होती है उसमें मैंने प्रमाद नहीं किया किन्तु अध्यापक के साथ-साथ एक कवि और लेखक होने के कारण मैं कक्षा के बाहर अपने छात्रों में रचनात्मक सम्बन्धों में जुड़ना चाहता रहा हूँ। अतः जो छात्र रचनात्मक प्रतिभा और रूझान के रहे हैं वे कक्षा के अतिरिक्त समय में भी मुझमें जुड़ते रहे हैं और मैं भी उनसे जुड़ता रहा हूँ। अतः प्रायः मेरे घर काव्य और विचार-गोष्ठियां होती रही। कभी-कभी मित्र और शिष्य भी अपने यहां गोष्ठियां रखते थे यानी गोष्ठियों का क्रम चलता रहता था।

गोष्ठियों के अनिर्दिक्त साहित्यिक मभाएं भी होती थी। जैसे उत्तर भारतीय समाज और भिन्न-भिन्न कालेजों के हिन्दी विभाग सांस्कृतिक पर्वों पर तथा विशिष्ट लेखकों की जयंतियों के अवसरों पर साहित्यिक आयोजन रखते रहते थे किन्तु सबसे अधिक प्रभावी संस्था थी करुणेश शुक्ल की। अखंडानंद हॉल में इस संस्था (नाम याद नहीं आ रहा) की प्रायः महीने में एक मभा हो ही जाती थी। इस संस्था का कोई औपचारिक रूप नहीं था। करुणेश जी इसके संयोजक थे और उन्होंने मुझे अध्यक्ष बना रखा था। इसके साथ पैसे और पद की कोई औपचारिकता नहीं जुड़ी थी। करुणेश जी सब अपने पुरुषार्थ से सम्पन्न करते थे। उनके इस काम में उनके अभिन्न मित्र अवधनारायण त्रिपाठी, नवनीत गोस्वामी, उनके अनुज विनीत गोस्वामी और रखियाल इलाके के अनेक शिक्षक मित्र सहयोग करते थे। निमंत्रण जबानी बंट जाते थे और हर सभा में अच्छी-खामी भीड़ हो जाती थी। हिन्दी के लेखकों और विद्वानों के अनिर्दिक्त उर्दू, गुजराती और अंगरेजी के विद्वानों के भी भाषण होते थे। वह एक जीवंत संस्था थी जो हिन्दी के छात्रों, अध्यापकों और लेखकों में एक रचनात्मक उत्साह पैदा किये हुए थी। जब तक मैं गुजरात में था यह संस्था सक्रिय रही, मेरे बहा में आने के बाद क्या हुआ पता नहीं। आशा है, करुणेश शुक्ल की सक्रियता से यह संस्था बहुत बाद तक सक्रिय बनी रही होगी।

यह नयी कविता का दौर था। गुजराती में भी नयी कविता लिखी जा रही थी। अभी तक गुजराती साहित्य से मैं बहुत परिचित नहीं हो पाया था किन्तु भाषा और साहित्य दोनों से एक सामान्य परिचय अवश्य बन गया था। पोस्टर पढ़-पढ़कर गुजराती लिपि सीख गया था और बहुत-से शब्द भी जान गया था। साहित्य में उमाशंकर

जोशी के नाम से पहले से ही परिचित था; गुजरात में आकर और भी जान गया था। बड़ौदा में सुरेश जोशी से परिचित हो चुका था। गुजरात में रह रहे हिन्दी मित्रों और शिष्यों के माध्यम से निरजन भगत, प्रियकांत मणियार, राजेन्द्र शाह और अन्य अनेक नामों से परिचित हो गया था किन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से सुरेश जोशी को छोड़कर अन्य किसी कवि या लेखक से परिचित नहीं हो सका था। इसका कारण मेरा सकोची स्वभाव है। उमाशंकर जोशी को रोज अपने कालेज के सामने मे छाता लगाए हुए भाषा भवन जाने देखता था। वे भाषा साहित्य भवन के निदेशक थे। सामने पड गए तो नमस्कार भी कर लेता था किन्तु उनसे परिचय नहीं हो पाया। उनसे परिचय की एक ललक मेरे मन में महकती रहती थी। विश्वनाथ जी अपने स्वभाव के अनुमार उनसे परिचित हो चुके थे। कुछ और भी नाम उस समय गुजराती भाषा के साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्र में चर्चित थे—यशवत शुक्ल, झीना भाई, 'स्नेह रश्मि', एम० आर० भट्ट आदि। ये लोग साहित्यकार तो थे ही कालेज या स्कूल के प्राचार्य भी थे। शुक्ल जी इनमें भी परिचित थे और मैं अपरिचित। ऐसा नहीं है कि मुझे इनमें परिचय की आकांक्षा न रही हो। थी, परन्तु इनसे मिलने-जुलने का कोई आधार तो चाहिए था। खाली किसी से मिलने और परिचय करने के लिए मैं हाथ जोड़े हुए कहीं भी नहीं जा पाता। कुछ प्रमंगों में मिलते-जुलते लोगों में सहज ही परिचय बनता चला जाता है तो अच्छा लगता है। गुजराती के इन साहित्यकारों से भी मेरा परिचय हुआ और उमाशंकर जोशी का तो मैं बहुत स्नेहभाजन बन गया किन्तु एकाएक नहीं, धीरे-धीरे। और इन लोगों ने भी मुझे धीरे-धीरे मेरी कुछ विशेषताओं के आधार पर जा जाना वह जानना टिकाऊ हुआ। उस जानने में मेरे प्रति स्नेह था और मेरी अस्मिता के प्रति स्वीकार का भाव।

लेकिन जो गुजराती साहित्यकार मित्र मेरे साथ शिक्षक थे या किसी दूसरे कालेज में शिक्षक थे और हिन्दी के शिक्षकों के माध्यम से मेरे साहित्य के बारे में सुनते थे, उनसे मेरा परिचय बड़े सहज भाव में हो जाता था। उनसे मैं कविताएँ सुनता था, उन्हें सुनाता था और समग्र भाव से हिन्दी और गुजराती कविता के एक खुले बड़े परिवेश में जी रहा था।

कह चुका हूँ मकान सूने में था और हमारे पाम न पंखा था, न मकान में बिजली। इसलिए गर्मियों में हम लोग बाहर ही सोते थे। मकान मालिक का पूरा परिवार अंदर ही सोता था। चारों ओर फैले हुए सुनसान के बीच बाहर सोना कम खतरनाक नहीं था किन्तु एक तो भीतर सोना संभव नहीं था, दूसरे हमें गर्मियों में बाहर (वह सुनसान ही क्यों न हो) सोने की आदत बन गयी थी। सबसे बड़ी चिंता तो तब होती थी जब मैं बाहर जाता था। तब भी पत्नी बच्चों के साथ बाहर ही सोती थी। हाँ, मेरी खाट पर वे तकिया-वकिया लगाकर चादर उड़ा देती थी और मेरे वहाँ होने का भ्रम पैदा करती थीं। वैसे वे बहुत निर्भीक महिला हैं। आपदाओं और खतरों से लड़ने से वे घबराती नहीं हैं। भक्ति-भवन (बनारस) में भी कई बार वे अकेली रह जाती थीं और बंगलों से चोरों की आंखें धूरती थी, कभी किबाड़ों पर ठकठकाहट होती थी तो

वे मुझे ऐसे पुकारती थीं जैसे मैं दूसरे कमरे में सोया हों। फिर चोर धीरे से सरक जाते थे। कई बार तरह-तरह के खतरों ने उन्हें घेरा किन्तु उनकी बुद्धि उनसे निकलने का रास्ता खोज लेती थी और यों भी किसी के सामने डर से भीगी बिल्ली कभी नहीं बनीं, तन जाती हैं, चाहे जान चली जाये। इसलिए वे मेरे न रहने पर भी आत्मविश्वास के साथ बाहर सोती थी। बैसे यहाँ कभी कोई खतरा उपस्थित नहीं हुआ। गुजरात का माहील शांत और सुरक्षित है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ स्त्री की अस्मत्, धन, जान सभी की सुरक्षा है। कितनी भी रात को स्त्रियाँ लौट रही हैं, उन्हें डर नहीं है। कोई रास्ते में चाकू की नोक पर आपको लूटने के लिए तैयार नहीं मिलेगा, किराने के दूकानदार के यहाँ आर्डर देकर घर आ जाइये, ठीक नाप-तौल के साथ चीज आपके घर पहुंच जायेगी और आप किसी भी मुसीबत में पड़िये, आपके पड़ोसी आपकी मदद के लिए आ जायेंगे। साल-भर मे ही हमने इस नये परिवेश की इस सुन्दरता का अनुभव कर लिया था।

43

बरसात आ गयी थी। इस साल पानी अच्छा बरस रहा था। एक रात सोने में साबरमती की उद्दाम घरघराहट सुनायी पड़ने लगी। एकाएक क्या हो गया साबरमती को? सबेरे उठकर देखा तो साबरमती उफनती आ रही थी। रेत के चौड़े पाटो के बीच पनली रेखा-सी सरकती साबरमती में उन्मुक्त उफान आ गया था। रेत के पाट तो कब के डूब चुके थे, अब तो वह निचाई पर बसे झोंपड़ों और मकानों को निगलती हुई ऊंचे-ऊंचे कगारों को लांघने के लिए पागल हो रही थी। किनारे की बस्तियाँ भय से कांप रही थी। हमारे मकान की ओर के तट बहुत ऊंचे थे और उस पार की ओर के तट अपेक्षाकृत नीचे थे। हमें यह भय नहीं था कि साबरमती अपने ऊंचे कगारों को लांघकर हमारे घरों तक पहुंच जायेगी। इसलिए हम इस भय से मुक्त होकर तट पर खड़े होकर, बैठकर साबरमती के प्लावन का दृश्य देख रहे थे। मेला-सा लग रहा था। तमाम लोग साबरमती के उन्मत्त क्रोध का दृश्य देखने के लिए एकत्र हो गये थे। पानी हरहराता हुआ वेग से दौड़ रहा था। लहरें बड़ी-बड़ी चट्टानों की तरह उठती थीं, गिरती थीं। बड़े-बड़े पेड़, झोंपड़ियाँ, जानवर बहते जा रहे थे। पेड़ ऊपर-नीचे होते थे तो बड़ा भयानक दृश्य होता था जैसे कोई उन्मुक्त कुंतला डायन पानी में ऊपर-नीचे हो रही हो। रघुवीर भी आ गये थे और साथ खड़े थे। कभी-कभी कोई आदमी इस हरहराते प्लावन में भी घुसकर कोई बहती हुई लकड़ी खींच लाता था और सिद्ध करता था कि प्रकृति कितनी ही दुर्घर्ष क्यों न हो, मनुष्य को अपने अगम क्षेत्र में आने से रोक नहीं सकती।

पानी बढ़ता ही जा रहा था। अभी तक तो हम धारा के भीषण खेल को एक द्रष्टा की तरह देख रहे थे किन्तु उसके निरन्तर उफनते रूप को देखकर डर लगने लगा कि कहीं इसके भोक्ता न बन जायें। रात को सोये तो चौंक-चौंककर जागते रहे। भादों की काली रात की गाढ़ी छाया के नीचे साबरमती की घरघराहट सुनते रहे और कल्पना करते रहे कि वह हमारी ओर बढ़ी आ रही है। यदि घर तक आ गयी तो कहां जाएंगे ? मकान तो एक मंजिला है। दुश्चिन्ता में फंसी, टूटती-जुड़ती नींद का भार ढोते हुए रात कटी तो सबसे पहले नदी की ओर दृष्टि गयी। यह देखकर संतोष हुआ कि नदी का जल अपना उफान खींचकर नीचे उतर रहा था। देखते-देखते काफी नीचे उतर गया। साबरमती कितनी भावुक नदी है—उत्तेजना में फनफना उठी और दूमरे ही क्षण उत्तेजना शांत होने पर सहज हो गयी। नदी धीरे-धीरे फिर काफी नीचे उतरकर बहने लगी और किनारे पर धीरे-धीरे नेत फैलने लगी।

मैं आभारी हूँ अपने इस मकान का जो मेरे और प्रकृति के बीच महानगर की दीवार बनकर नहीं खड़ा था, बल्कि बह आश्रय था जिसकी छांह में खड़ा होकर मैं प्रकृति के विविध रूपों को जीता हुआ उमसे अपना क्रमागत तादात्म्य बनाये रख सका। चारों ओर के खुलेपन में हर ऋतु, हर मौसम अपने को खोलता हुआ फैल जाता था और अपने साथ बने मेरे अनुभवों को लगातार ताजा करता रहता था। उनये-उनये बादलों का साबरमती के जल के ऊपर बरमना कितना सुंदर लगता था। लगता था जैसे बादलों और साबरमती के बीच जल का संगीत मूर्त हो उठा हो। इम संगीत में ठंडी पुरवा हवा में बजता पेड़ों का संगीत मिलकर एक रागचक्र की सृष्टि करता था। भीगे आकाश में उड़ते बगुलों और सारसों के श्वेत पंखों की गति और पेड़ों की धुली हरीतिमा के बीच से उठती पपीहों की पुकार, मोरों की पिहुक से यह रागचक्र और भी वर्तुल और सघन हो उठता था। बिजली चमकती थी तो ऊंचे-ऊंचे घरों के पीछे लुप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि सामने नदी के मीलों खुले हुए विस्तार में अपनी आभा-लिपि अंकित कर जाती थी और चिमनियों तथा व्यवसाय के इम महानगर में भी मैं प्रकृति का यह राग जीना रहता था।

बरसात बीत गयी। शरद् ऋतु आ गयी। शरद् वैसे तो अपने-आप में बड़ी प्यारी ऋतु है, सब जगह अपनी छवि बिखेरती है किन्तु उम छत्रि के साथ मानवीय छवियां अलग-अलग ढंग से जुड़ती हैं। उत्तर भारत में शरद् की छवि में रामलीला की छवि जुड़ जाती है, गुजरात में यह छवि धनीभूत होती है, देवी की आराधना में चलने वाले गर्वा नृत्य से। नवरात्र शुरू होते ही घर-घर में त्योहार की उष्मा और महक भर जाती है। हर दरवाजे पर रंगोली सजायी जाती है, उस पर फूल बिखेरे जाते हैं और पास-पड़ोस की तमाम औरतें मिलकर गर्वा नृत्य शुरू कर देती हैं। कृष्ण और देवी के गीतों के साथ गर्वा नृत्य चक्राकार उठता-गिरता चलता रहता है। स्त्रियां ताली बजा-बजाकर मुड़ती, उठती एक मंडल में नाचती रहती हैं। पुरुष भी शामिल होते हैं। ढोलक भी बजती है। यह सामूहिक नृत्य वास्तव में सरल लोकनृत्य है, इसे किसी कला-मंदिर में नहीं सीखना पड़ता। बस, नृत्य चलता रहता है। जो भी आता है शामिल हो जाता

है। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष का भेदभाव नहीं होता किन्तु इस लोकनृत्य को कलानृत्य के रूप में भी परिणत कर लिया गया है। अभिजात घरों की लडकियाँ और महिलाएँ कुछ मंडलियाँ बनाए हुए हैं, जहाँ इन्हीं नृत्य को अनेक कलात्मक भूमिकाएँ देने की शिक्षा दी जाती है और ये मंडलियाँ विशेष समारोहों पर विशिष्ट जनसमुदाय के सामने कलात्मक गर्वा प्रस्तुत करती हैं। जहाँ सामान्य जन-समुदाय इस नृत्य के माध्यम से सामूहिक लय में अपनी आराधनामूलक अनुभूति व्यक्त करता है, वहाँ अभिजात गर्वा-मंडलियाँ इस नृत्य के माध्यम से अपने कलात्मक वैशिष्ट्य की अभिव्यक्ति करती हैं। सामूहिक लय दोनों में है किन्तु एक लय बड़ी है, भले ही वह बहुत सधी हुई नहीं है और उस बड़ी लय में हर व्यक्ति अपने को समर्पित कर देना चाहता है किन्तु दूसरे की लय छोटी है—दस-बीस व्यक्तियों की है और वहाँ हर व्यक्ति कला के प्रति और उसके माध्यम में अपने प्रति सजग है। वह चाहता है कि लोगों की नजर उसके वैशिष्ट्य पर टिके। लोक-कला को अभिजन-कला बनाने या अभिजन-कला को लोक-कला का रंग देने की स्थिति सर्वत्र ऐसी ही है। कालजो के समारोहों में या टाउन हॉल में आयोजित होने वाले विशिष्ट सांस्कृतिक अधिवेशनों में इसी प्रकार के गर्वा के दर्शन होते थे।

शरद की शाम बहुत प्यारी होने लगी थी। वातावरण में उमस के स्थान पर एक खुली शीतलता तैरने लगी थी। हरमिगार के फूलों की महक में हवा में एक सात्त्विक मादकता भर जाती है और जहाँ से गुजरते थे वही महिलाओं का समूह गर्वा नृत्य करता दिखाई पड़ता था। घर पहुँचते थे तो नदी के तट के आसपास के हरमिगार के फूलों की महक का आभास होता था। रात-भर फूल चूते रहते थे झर...झर...झर... झर...। सबेरे-सबेरे उठकर नदी के किनारे जा बैठता था, देखता था—पड़ोस के नीचे फूल बिछे हुए हैं। मन फूलों की खुशबू के साथ उनके अंत की कठिनाई से भर जाता था। फूल डाली पर मुरझाते हैं या लोगों द्वारा तोड़ लिए जाते हैं किन्तु इस वृक्ष को क्या अभिशाप लगा है कि इसके फूल खिलते ही अपनी पूरी जवानी में आसू की तरह टपकने लगते हैं। तब तक नदी की आर्द्र रेन पर कोई सारस केकार उठता था, पछियों के झुंड जल में अपनी लघु-लघु छायाएँ छोड़ते जल के ऊपर खुले विस्तार में पख मारने लगते थे।

हम कुछ मित्रों ने निश्चय किया कि शरद पूनम की रात को अहमदाबाद के भिन्न-भिन्न मुहल्लों में साइकिल से घूमे और गर्वा देखेंगे। भगवतशरण अग्रवाल, अबधनारायण त्रिपाठी (और शायद कुछ और लोग रहे) साइकिल से निकले और दो-तीन बजे रात तक घूमते रहे। भिन्न-भिन्न इलाकों में घूमे। पुराने शहर के केन्द्र में गये। वहाँ तो न जाने कितना बड़ा जनसंक्रम था। जो आता शामिल हो जाता और इतने बड़े मंडल के बावजूद कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कोई गड़बड़ नहीं क्योंकि अनुशासन भीतर का था। सचमुच इस लोकनृत्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया, भीतर से भर दिया और मैं सोचने लगा कि अपने यहाँ ऐसा कोई लोकनृत्य क्यों नहीं है जिसमें मध्यवर्ग और उच्चवर्ग के लोग भी शामिल होते हों। लोकनृत्य केवल तथाकथित छोटी जातियों का है, वह भी इतने विशाल पैमाने पर नहीं। वास्तव में उच्चवर्गीय लोग नृत्य

को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। उनके घरों का कोई लड़का या लड़की नृत्य में दीक्षित हो जाये तो जैसे भूचाल आ जाता है।

नवरात्र से लेकर दीपावली तक गुजरात में शरद् ऋतु अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक छवि के साथ छायी रहती है। क्वार की पूर्णिमा के गर्वा महोत्सव के बाद दीपावली की आहट बजने लगती है और वह आहट धीरे-धीरे पटाखों की धूम के साथ घनी होती चली जाती है। दीपावली के दिन तो फिर पटाखों के धूम-धड़ाके का कहना ही क्या? लक्ष्मी के स्वागत में जाने लक्ष्मी का कितना व्यय हो जाता है। मिट्टी के दीपों के साथ विद्युत् दीपों की जगमगाहट से पूरा शहर गूज उठना है। श्री श्री को खीचनी है। व्यापारिक और व्यावसायिक नगर अहमदाबाद में श्री की श्री से इतनी धूमधाम से पूजा हो तो स्वाभाविक ही है। वैसे पूरा गुजरात बहुत सलीके से श्री की आराधना करना जानता है, इसलिए अपनी-अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई इस पर्व को बहुत उत्साह से मनाता है। दीपावली के दूसरे दिन इनका वेस्ता वर्ष (नया वर्ष) शुरू होता है। उस दिन सबेरे ही तैयार होकर लोग निकल जाते हैं एक-दूसरे को नववर्ष की बधाई देने के लिए। यह पूरा दिन बहुत चहल-पहल का होता है। इस दिन के साथ ही शरद् की चहल-पहल ठंडी पड़ जाती है। उत्तर भारत में शरद् और उसकी गतिविधियों का विस्तार कार्तिक पूर्णिमा तक होता है।

मेरे लिए शरद् मात्र शहरों की चहल-पहल का नाम नहीं है। इसलिए चाहे गुजरात के नगर रहे हो, चाहे उत्तर भारत के, मैं वहां शरद् को पूरा-पूरा नहीं पाया। मन उम शरद् को जीने के लिए हुटकता ही रह गया जिसे मैंने अपने गांव के खेतों, बगीचों, नदियों, तालों, मैदानों, पर्वों में जिया था। उस शरद् में सब जुती हुई मिट्टी की गंध थी, उसमें भविष्य के सपनों की तरह फमलों की डीभिया उगनी थी, उसमें ताल-तलैयाँ और नदियों का निथरा हुआ जल था, जिसमें पूरा आकाश प्रतिबिंबित हो उठना था। उसमें अभावग्रस्त लोगों की आंखों में एक सामाजिक उत्साह लेकर उतरने वाले पर्व-त्योहार थे। उस शरद् की दीपावली में मिट्टी के दीये छोटे-छोटे माटी के घरों के सपनों की तरह टिमटिमा उठते थे। हम लोग घरों के कोने-अतरों में दीयों की रोशनी रख आते थे। उन कोने-अतरों में जमा हुआ वर्ष-भर का अंधकार उस नन्ही रोशनी में नन्ही हंसी बन जाता था। हम नवांकुरित खेतों में दीये रख आते थे। नन्ही रोशनी में नन्हे-नन्हे दीये भविष्य की मुसकान की तरह पुलकित हो उठते थे। माटी के दीये में से निकलती हुई रोशनी माटी में से उगते अंकुरों की रोशनी से गले मिलकर माटी से जुड़ी गांव की जिन्दगी की हंसी बन जाती थी। उस दीपावली में मिट्टी की जो खुशबू थी, अब कहां नसीब होती है? वह शरद् ऋतु अब कहां दिखाई पड़ती है? दशहरे के मेलों और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान, पर्व के अवसर पर घरों में बंद गांव की औरतों का झुंड का झुंड लोकगीतों की लय पर प्रवाह की तरह उमड़ पड़ना था और रात-दिन का वातावरण थोड़े समय के लिए मुक्त पंख उड़ते उनकी खुशियों के छोटे-छोटे पंछियों से भर जाता था। शरद् तो अब भी है किन्तु कहा है वह शरद्?

दूसरे साल एक और घटना घटी। बड़ौदा के श्री उदयसिंह भटनागर के विरुद्ध जांच समिति बैठा दी गयी थी। वे पिछले वर्ष भाषण देने के लिए जेवियर में बुलाये गए थे तो संकेत कर रहे थे और दुःखी लग रहे थे। छुट्टियों में ज्ञात हुआ कि जांच समिति ने उनके विरुद्ध निर्णय दे दिया है। यानी वे निलंबित कर दिये गये हैं। बहुत दुःख हुआ और सबसे बड़ा दुःख तो इस बात का हुआ कि उस जांच समिति में हिन्दी के एक आचार्य और एक ख्यात कवि भी थे। भटनागर जी के कथनानुसार कवि जी उनके सहपाठी रह चुके थे। इस बात की ओर पीड़ा थी। भटनागर जी के बड़े परिवार की असहायता का ध्यान आ-आकर मुझे बुरी तरह सान रहा था। भटनागर जी ने मुकदमा कर दिया था और इस सिलमिले में वे अहमदाबाद मेरे यहां भी आये थे। कुछ दिनों बाद भटनागर जी का पत्र आया कि उन्हें गार्डी कालेज, नवसारी में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष और अनुस्नातक केन्द्र के प्रभारी के रूप में नियुक्ति मिल गयी है। वहां श्री पतराम गौड़ पढ़ाते थे। उनके पिलानी चले आने से वह जगह खाली हो गयी थी और मैं लिख चुका हूँ कि उस समय केन्द्र के प्रभारी होने के योग्य वृद्धों बहुत कम व्यक्ति थे। इस समाचार से मुझे बहुत राहत मिली। लगा, एक भरा-पूरा परिवार अभाव के जबड़े में फंसने से बच गया। केन्द्रों पर स्थानीय योग्य व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं होती थी इसलिए व्याख्यान देने के लिए बाहर से बुलाये जाते थे। भटनागर जी ने मेरा नाम प्रस्तावित किया और प्रिंसिपल ए० के० त्रिवेदी ने सहर्ष अनुमति दे दी। हर शनिवार की रात को हम बम्बई पैमेंजर से नवसारी के लिए रवाना होते थे और इतवार की सुबह यहां पहुंचकर व्याख्यान देते थे। कालेज की ओर से ही वहां हमारे ठहरने और भोजन की व्यवस्था होती थी। ए० के० त्रिवेदी राजा तबीयत के आदमी थे। वे तपे हुए प्रिंसिपल थे। कोई उनका हाथ रोक नहीं सकता था। वे काफी बुजुर्ग हो गये थे, तो भी प्रिंसिपल बने हुए थे। हमारे ठहरने और भोजन की व्यवस्था करना उनका उत्तरदायित्व नहीं था (यह और कहीं नहीं था) किन्तु उन्होंने अपने अतिथि अध्यापकों का सम्मान करने के लिए यह व्यवस्था कर रखी थी। टी० ए०, डी० ए० और पारिश्रमिक के तत्काल भुगतान की भी व्यवस्था उन्होंने करवा रखी थी। मेरे साथ अहमदाबाद से नवसारी जाने वाले और कई व्यक्ति थे। मनोविज्ञान के व्यास जी, अर्थशास्त्र के चारी जी। भगवतशरण अग्रवाल भी सूरत जाते थे अतः सूरत तक और वहां से वापसी में उनका भी साथ रहता था। अच्छा साथ था। हर सप्ताह की यह यात्रिक यात्रा इस साथ से आनंद से कट जाती थी।

इस साल के लगभग अंतिम भाग में फिर एक गाज गिरी। मैं एम० ए० की कक्षा लेकर भटनागर जी के साथ निकल ही रहा था कि चपरासी ने मेरे पास आकर कहा—“प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं।”

जाते ही उन्होंने कहा—“डा० मिश्र, हमारे विद्यार्थी आपसे बहुत प्रभावित हैं इसलिए मैं आपको अपने यहां आने का निमंत्रण दे रहा हूँ।”

“मैं समझा नहीं सर।”

“बात यह है कि गुजरात विश्वविद्यालय भटनागर जी को एम० ए० केन्द्र के इंचार्ज के रूप में मान्यता नहीं दे रहा है। मैंने बहुत कोशिश की किन्तु बात नहीं बनी क्योंकि बी० ए० में उनका थर्ड क्लास है। अतः बहुत दुःख के साथ मुझे कोई और व्यवस्था करनी पड़ रही है। चूँकि आप यहां पढ़ा रहे हैं और छात्र आपको चाहते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हिन्दी विभाग के अध्यक्ष और केन्द्र के इंचार्ज होकर आ जाएं।” मैं चुप रहा।

“वहां आप बेसिक क्या पा रहे हैं?”

“दो सौ बीस रुपये सर।”

“मैं आपको चार सौ रुपये दूंगा। बोलिए, आपको मंजूर है?”

“सर, भटनागर जी मेरे मित्र है। आप उन्हीं को विस्थापित कर मुझे सुस्थापित करना चाहते हैं। इनके कष्ट के बीच तो उन्हें आपके यहां नौकरी मिली है। अब मैं अपनी तरक्की के लिए अपने ही मित्र की पीठ पर बैठ जाऊँ।”

मेरा मन गीला हो आया था। त्रिवेदी जी बोले—“डा० मिश्र, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। इस व्यक्ति की पीड़ा को मैं खूब समझता हूँ और मुझे इस अवस्था में इन्हे महारा देकर बहुत आत्मिक शांति मिली थी। मैं इन्हें बहुत चाहता हूँ किन्तु यह अप्रिय निर्णय मेरा नहीं है। मैंने गुजरात विश्वविद्यालय से इनके लिए बहुत लड़ाई की है किन्तु विश्वविद्यालय सुनने को तैयार नहीं और वह भी क्या करे, अपने नियम में बंधा है। यद्यपि इतने मीनियर आदमी के लिए बी० ए० का थर्ड डिबिजन रास्ते में नहीं आना चाहिए किन्तु वाइस चांसलर अपनी जिद पर अड़ा है। अब मुझे अपना सेंटर तो चलाना ही है, बोलिए क्या करूँ?”

“फिर भी सर।”

“देखिए डाक्टर मिश्र, आपका अपराध-बोध बेकार है क्योंकि मुझे तो किसी आदमी को नियुक्त करना ही है। आप नहीं आयेंगे तो कोई और आयेगा। आपको जानता हूँ अतः आप आएँ तो मुझे बहुत प्रमन्नता होगी।”

“ठीक है सर, थोड़ा सोचने का अवसर दीजिए।”

“ठीक है, आप अगले रविवार तक अपना निर्णय दे दीजिए।”

“थैंक्यू सर।” कहकर मैं उठ आया।

भटनागर जी बाहर मेरा इन्तजार कर रहे थे। उन्हें कुछ शंका हो गई थी क्योंकि उन्हें पता तो था ही कि गुजरात विश्वविद्यालय उन्हें मान्यता नहीं दे रहा है। आते ही पूछा—“प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे?” मैंने बहाना बनाकर कुछ और कह दिया। इनसे कैसे कहता कि वे आपकी जगह मुझे नियुक्त कर रहे हैं। और न कहने का भी दाँद कम तो नहीं था, भीतर भीतर साल रहा था कि यह व्यक्ति नहीं जानता कि प्रिंसिपल साहब उसके स्थान पर किसी को नियुक्त करने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन जब इन्हें इस बात का पता चलेगा तो कैसा अनुभव करेंगे और मेरे बारे में

क्या सोचेंगे ? मैंने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि इनसे बताये बगैर मैं अपना निर्णय नहीं लूंगा ।

अगले सप्ताह अपने बड़ोदा वाले मुकदमे के सिलसिले में भटनागर जी अहमदाबाद आये, मेरे यहा ही ठहरे । बात उन्होंने ही चलाई कि 'गुजरात विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मगन भाई एक विशेष कारण से उनसे चिढ़े हुए हैं इसलिए मान्यता नहीं दे रहे हैं।' अबमर पाकर मैंने प्रिमिपल के साथ हुई बातचीत उन्हें सुना दी । व थोड़ी देर हतप्रभ रहे किन्तु लगता था जैसे वे उसके लिए तैयार थे । बोले—“पंडित जी, जब मुझे हटना ही है तो आप अवश्य बहा जाइये । आप नहीं जायेंगे तो कोई और जायेगा । अपने मित्र को ही यह सुविधा मिले तो अपना दुःख कुछ कम हो जाएगा ।”

दर्द से वे भर आये थे । मैं उनके दर्द और उदारता से भीतर तक सहम गया था । बोला— “ठीक है भटनागर जी ! किन्तु फिर भी ।”

“फिर भी-विर भी कुछ नहीं, पंडित जी, भावुक मन बनिए और इस बार जाइये ता प्रिमिपल को अपना निणय दे दीजिए । मेरा तो जा होगा दखा जायेगा ।”

मैंने अगली बार निर्णय दे दिया । सेट जेवियर कालेज में भी लागू इम समाचार से परिचित हो गये । चिम्मन भाई पटेल बोले—“मैंने प्रिमिपल डिस्सूजा से कितनी बार कहा—इन्हें प्रोफेसर ग्रेड दे दीजिए । इतने अधिक क्वानिफाइड को जूनियर ग्रेड में आप कब तक रख पायेंगे । किन्तु उन्होंने मेरी नहीं सुनी । कहते रहे—‘एक ही विभाग में दो व्यक्तियों का कैसे प्रोफेसर ग्रेड दिया जा सकता है ?’ अरे क्यों नहीं दिया जा सकता ? ऐसा कोई नियम है क्या ?”

बहरहाल मेरा नवसारी जाना तय हो गया । मुझे कालेज की ओर से विदाई दे दी गई । प्रिमिपल न बहुत गद्गद भाव से मेरे शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कार्यों की सराहना की । एम० ए० क और बी० ए० ऑनर्स क छात्रों ने भरी आखों से विदाई दी । यह तय हुआ कि गर्मी की छुट्टियों में हम गोरखपुर जायेंगे और वही में सीधे नवसारी चले जायेंगे । नवसारी में एम० ए० अध्यापन के सिलसिले में नवसारी, सूरत तथा अन्य स्थानों के कई प्रौढ शिक्षक तथा अन्य नौकरियों में कार्यरत व्यक्ति मेरे छात्र बन गये थे और मुझे उनका आदर और स्नेह मिला था । सूरत के ही एक शिक्षक दसाई ने मकान खोजने का जिम्मा लिया था । उन्होंने गोरखपुर के पते पर मुझे सूचित कर दिया था कि मकान मिल गया है और वे सूरत में मेरे साथ हो लेंगे । ऐसा ही हुआ । जब हम नवसारी जाने के लिए सूरत पहुँचे तो वे स्टेशन पर उपस्थित मिले । साथ गये और हमें हमारे नये मकान में स्थापित कर आये ।

नवसारी में मुझे बहुत स्नेह और सम्मान दिया । गार्ड कालेज के प्रिमिपल ए० के० त्रिवेदी ने मुझे पद और पैसा देकर वहा के स्टाफ में पहले जैसे ही मेरा रुतबा बढ़ा दिया था और एम० ए० पढाने के क्रम में वहा के प्रभावशाली छात्रों का पहले ही सद्भाव अर्जित कर चुका था, यहा आ जाने पर धीरे-धीरे स्नेह-सद्भाव का दायरा विस्तृत और सघन होने लगा । यो तो मुझे लेकर स्टाफ में भीतर-भीतर एक असंतोष लहरा रहा था । इतने दिनों से काम कर रहे लोगों की अपेक्षा प्रिमिपल ने मुझ जैसे नये

आदमी को इतनी अच्छी तनख्वाह दे दी और पद तो दिया ही। किसी-किसी को कहते मुना—“भाई, यहां पैसा मिलता नहीं, सौदा करके लिया जाता है।” किन्तु धीरे-धीरे लोगो ने मुझे अपना लिया। मेरे स्वभाव को देखते हुए उन्हें टकराने का अवसर ही नहीं मिला, अतः मेरे लिए उनका स्नेह ही उभरता गया और सभी लोग मेरे अपने बन गये। आफिम, लाइब्रेरी सभी से सम्बद्ध छोटे-बड़े लोगों का मुझे गहरा सद्भाव मिला। कस्बे में जगह-जगह सभायें हुईं और मुझे अध्यक्ष या मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जाने लगा। याज्ञवल्क्य अग्निहोत्री, देसाई, वकील तथा कई लडकिया सूरत से पढ़ने के लिए आते थे। हमारे कस्बों से नारणभाई पटेल, के० सी० भट्ट आदि आते थे। दिनकर देसाई नवसारी के ही थे और नेता थे। ये सभी मेरे बहुत निकट के छात्र थे और चूंकि सभी प्रौढ थे इसलिए मित्रवत् भी थे।

बी० ए० ऑनर्स में उर्मिला देमाई, विनोद पटेल, रमण नायक, देवदत्त पटेल आदि कई छात्र थे जो धीरे-धीरे मेरे परिवार के अभिन्न अंग बन गये। बी० ए० ऑनर्स में एक घटना घटी। मैं बी० ए० ऑनर्स की पहली क्लाम ले रहा था। मैं क्लास में चुका तो पूछा—“आप सभी ऑनर्स के छात्र हैं?” गुजराती बहुत स्पष्टवादी होते हैं। वे बिना लाग-लपेट के बात करते हैं। एक लडकी बोनी—“सर, मैं ऑनर्स की छात्रा नहीं हूँ और मैं भी लोग नहीं है। हम यह देखने आये हैं कि आप कैसा पढ़ाते हैं। उसे देखकर ही निर्णय करेंगे कि हिन्दी ऑनर्स लें कि न लें।”

“ठीक है, मुझे तो सुन लिया, अब फैसला कर लीजिएगा।”

“कर लिया सर।”

मैंने यह नहीं पूछा कि क्या फैसला कर लिया। यदि वह बिपरीत फैसला कर बैठे तो पूछने पर स्पष्ट कह देगी और कक्षा में अपमान अनुभव करूंगा। हमारे दिन देखा कि वह कक्षा में सबसे आगे बैठे थी। वह उर्मिला देमाई थी—कक्षा की अत्यन्त होनहार और ‘बोल्ड’ छात्रा। वह मेरी बहुत प्रिय छात्रा बन गई। मेरी पत्नी का भी उसे भरपूर स्नेह मिला। उसने भी हम दोनों को बहुत सम्मान दिया।

रमण नायक स्कूल में शिक्षक थे, वे भी हमारे अच्छे छात्र थे और बहुत अतरंग रूप में हमसे जुड़े। विनोद पटेल और देवदत्त पटेल भी मेरे परिवार के अंग बन गये। बाद में सभी किसी न किसी अच्छे पद पर नियुक्त हुए और आज तक मेरे प्रति उनका गहरा आदर-भाव बना हुआ है।

नवमारी छोटा-सा शहर था बल्कि पचास हजार की आबादी वाला एक बड़ा कस्बा कहा जा सकता है। यहां पारसियों की संख्या अच्छी-खामी है। मैंने कई मायनों में इसे बहुत फारवर्ड कस्बा पाया। लडके-लडकियों में रोमांटिक सम्बन्ध यहां ज्यादा ही दिखाई पडा। लगता था हर लडकी का कोई लडका मित्र है। यहां वर्जना कम ही देखी। साथ-साथ धूम रहे हैं, खुलकर प्रेम-सम्बन्धी चर्चायें कर रहे हैं, पिकनिक में खूब खुलकर खेल रहे हैं और घर-पकड कर रहे हैं। यानी स्पर्श की वंजना से वे पीड़ित नहीं थे। पारसी लडकियों में और ज्यादा खुलापन था। कभी-कभी कक्षा लंबडर की तेज महक से भर जाती थी और मेरा सिर झन्ना उठता था। जो भी हो वहां का वातावरण

युवाकाल की महक और उमंग से भरा हुआ और बहुत जीवंत लगता था।

सब कुछ था किन्तु मेरे लिए यह शहर बहुत छोटा पड़ता था। अधिकांश प्रौढ़ छात्र बाहर से आते थे, अतः उनके यहां जा नहीं सकता था। दो-चार घर ऐसे थे जहां जाया जा सकता था किन्तु वहां कब तक जाता। मुबह तो लिखने-पढ़ने में बीतता था किन्तु क्लास के बाद क्या किया जाये? मन ऊबता था। किसी के यहां बैठकर गपशप करने की इच्छा होती थी किन्तु कहा न कि ऐसे घर बहुत थोड़े थे जहां हम जाकर गपशप कर पाते। कहीं जाते भी थे तो वहां मेरे प्रति सम्मान बिछ जाता था, बराबरी के स्तर पर आकर मन को खोल जाने वाले संवादों की जगह सम्मानसूचक औपचारिकता घेर लेती थी। घूमने निकलता था तो पन्द्रह-बीस मिनट में लौट आता था। घर से थोड़ी दूर पर एक छोटा-सा बाजार था, आखिर वहां कब तक घूमता। अकेले-अकेले बड़ी घुटन महसूस होती थी। पूरा शहर मुझे बंद पिजड़े-सा लगने लगा। कभी-कभी सूरत या अन्य किसी स्थान पर कोई गोष्ठी या सभा हांती थी तो वहां जाने पर मन थोड़ा बदल जाता था। विभाग में हम तीन थे, बल्कि ढाई थे। मेरे बाद श्रीमती मुधा फडके थीं जो काफी सख्त लगती थी। उनके वहां जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उनके बाद थे के० सी० भट्ट जो पार्टटाइम लेक्चरर थे। वे चूंकि मेरे शिष्य रह चुके थे, इसलिए उनके यहां आना-जाना था। यहां एकमात्र साथी वही थे। मैं उनके यहां जाता था, वे हमारे यहां आते रहते थे। उन्हीं के साथ प्रायः घूमता था किन्तु घूमे कहा? यही प्रश्न था।

मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब था। जब आया था तो सूखा था, बरसात में भर गया। उसके किनारे-किनारे भी कभी घूमता था। किन्तु किनारा इतना साफ नहीं था कि आनंद में घूम सकूँ। उसके किनारे एक बांध-सा बंधा था। उस बांध पर बहुत छोटी-छोटी झोंपड़ियां थीं। वे इतनी नीची थी कि आदमी लटककर ही उनके अन्दर जा सके। उनमें अनंत अभिशप्त इन्सान कीड़े-मकोड़ों की तरह रहते थे और उन झोंपड़ों के सामने उनके गंदे सामानों की दुनिया फैली होती थी। कहीं-कहीं ताल के किनारे के रास्ते कीचड़ से भरे होते थे। अतः इतने बड़े ताल के किनारे घूमने का जो सुख हो सकता था उससे बंचित होना पड़ता था।

जिस मोहल्ल में मैं था, वह प्रायः सामान्य वित्त के लोगों का था। अनेक अभावग्रस्त अभिशप्त जिन्दगी ढोने वाले लोग यहां थे। एक लोअर डिवीजन के क्लर्क सामने के मकान में रहते थे। उनकी एक बहुत प्यारी-सी बेटी थी। वह मेरी बेटी अजू की मित्र थी। वह अंजू के साथ प्रायः मेरे ही घर रहती थी। बारिश हो रही थी, रात को अरगारग कुछ टूटने की आवाज आई। पूरा मोहल्ला जाग गया। मालूम पड़ा वह उमी लड़की का घर था। वह लड़की अपने मां-बाप सहित उस मकान में दब गई। अस्पताल की गाड़ी आई, उन्हें लेकर अस्पताल गई। और लोग तो बच गये किन्तु वह लड़की चल बसी। सबेरे देखा लड़की का बूढ़ा दादा मकान के खंडहर पर बैठा खामोश ठंडी निगाहों से कुछ देख रहा था। अंजू ने पूछा—“पापा, गीता (उस लड़की का नाम था) के यहां खेलने जाऊं?”

पहले तो मैंने बहुत बहकाया फिर बताया कि वह मर गई बेटा ।

“मरना क्या होता है ?” वह पूछती रही और परेशान होती रही ।

“वह भगवान् के घर गई ।”

“कब आयेगी ?”

“कभी नहीं आयेगी ।” कहकर छुट्टी पा ली किन्तु कुछ देर बाद देखा अंजू एक कोने में गुमसुम बैठी मिसक रही है । लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे कि यह घर भूतहा है । उसमें एक आदमी आत्महत्या करके भूत बन चुका है । अजीब लगा कि ये लोग अपनी-अपनी स्थितियों के मूल कारणों को नहीं जानते, नहीं जानते कि एक गरीब क्लर्क अच्छे मकान में नहीं रह सकता । उसे एक सस्ता मकान चाहिए । सस्ता मकान तो खस्ता हालत में ही होगा । खस्ता मकान कब गिर पड़ेगा, कौन जानता है ? इन्हें जानना चाहिए कि गीता को भूत ने ही नहीं, गरीबी के भूत ने मारा है और वही इन सबको अलग-अलग तरह से मार रहा है ।

45

मेरे मकान के दो हिस्से थे । यहां मकानों की बनावट विचित्र तरह की होती है । एक कमरा, उसके पीछे एक कमरा, फिर रमोईघर । यानी मकान लम्बे-लम्बे बने होते हैं । एक हिस्से में हम थे, एक में एक पटेल-परिवार था । ये लोग गांव के पिछड़े हुए वर्ग से थे । पति को कहीं एजेंटी की नौकरी मिल गई थी, अतः ठीक-ठाक ढंग से रहते थे । उनके यहां काफी आधुनिक सामान थे । हम दोनों के कमरों के पीछे एक बड़ा-सा आंगन था । चूक वे पहले से रहते थे अतः काफी कुछ छैंक रखा था और हमारे संकेत पर भी वे सुविधाओं में बंटवारा करना नहीं चाहते थे । इसको लेकर पत्नी के मन में असंतोष था जो वहां से मेरे पाम तक आता रहता था । एक बान और यी जो हमें बुरी लग रही थी । उनका लडका बहुत दुष्ट था । वह प्रायः अंजू को पीट दिया करता था और मां एक पुचकारभरी मनाही करके रह जाती थी । कभी-कभी वह भी नहीं करती थी । बच्चे तो शरारती होते ही हैं । यदि मां-बाप उचित तरीके से बच्चों को डांट-डपट दें तो पिटने वाले बच्चे का पक्ष संतोष पा लेता है । एक दिन उमने पास में ही खेलती हुई अंजू को काठ पर ढकेल दिया । अंजू रोती और खून चुआती घर आई तो मुझे स्वयं अंजू पर गुस्मा आ गया और पटेलानी के सामने ही उसे दो चपत लगाकर डाटन लगा—“रोती क्यों आती है, तुझे मारना नहीं आता ? वह क्या तुझसे बड़ा है ? खबरदार, यदि फिर पिटकर आयी तो ।”

पटेलानी ने सब सुना और पटेल के आने पर नमक-मिर्च के साथ सुनाया । पटेल अपना सारा आवरण उतारकर अपने ठेठ रूप में आ गए और आंगन में खड़े होकर मुझे सलकारने लगे और न जाने क्या-क्या आक्षेप करते हुए घमकियां देने लगे ।

मैं उनकी धमकियों का क्या उत्तर देता ? वैसे भाषा और मानसिकता कहां से लाता ? थोड़ा-बहुत प्रतिवाद करके अपने कमरे में आ गया और उद्विग्न हो गया । लगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ इस मकान में नहीं रह सकता । वैसे भी मैं स्वभावतः कुछ कटा-सुनी के बाद अप्रकृतिस्थ हो जाता हूँ और बार-बार मन उमी घटना पर चक्कर काटने लगता है और मोचने लगता है : इसमें मेरी अपनी गलती कहा थी ? मैंने पत्नी से सलाह की । उनकी भी इच्छा थी कि यह मकान छोड़ दिया जाये, इन अमभ्यो के साथ नहीं रहा जा सकता । वारिश हा रही थी । मैं उमी में छाता लेकर दिनकर भाई की ओर निकल गया ।

“कैसे गुरु जी ? इस बरसात मैं कैसे कष्ट किया ?”

मैंने पूरी घटना सुनाते हुए उनसे कहा, “चलिए, मेरे लिए कोई मकान ढूँढिए ।”

वे बहुत जोर से हुंसे । बोले—“अरे गुरु जी, आप इननी-सी बात से परेशान हो गये । यदि दिन-भर में चार-पाच बार किसी से मेरी टकराहट न हो जाये तो मुझे रात में नीद नहीं आती और आप है कि इस जरा-सी बात पर इतना परेशान हो गये ।”

“भाई, यह अतर मेरा और आपका नहीं, साहित्यकार और राजनेता का है ।”

दिनकर भाई फिर जोर से हुंसे और बोले—“गुरु जी, मकान छोड़ने की क्या जरूरत है, चलिए उस पटेल नाम के जन्तु को ठीक करा देते हैं ।”

“अरे नहीं भाई, यह सब कुछ नहीं, मुझे उसके साथ किसी भी हालत में रहना नहीं है ।”

“अच्छा चलिए ।” और मैं उसी बरसात में उनके मोपड़ के पीछे मकान ढूँढने निकल पड़ा । सयोग था कि पारसियों के मोहल्ले ‘गार्ड हिल’ में एक मकान खाली हुआ था । उसके मालिक सूरत में रहते थे । वे हाड बैद्य थे और हर रविवार को अपने इस मकान में आते थे—रोगियों को देखने के लिए । वे आये हुए थे । उनमें बातचीत हुई और चालीस रुपये में उनका तीन मजिना मकान मिल गया । यह मकान स्वतन्त्र था इसलिए और भी अच्छा लगा । यह मोहल्ला थोड़ी ऊँचाई पर बसा हुआ था अतः उसका नाम था ‘गार्ड हिल’ । मैं दूसरे दिन इस मकान में आ गया ।

उस मकान से जुड़ा हुआ एक मकान था जिसमें एक पारसी-परिवार रहता था । मालिक रिटायर्ड थे । उनकी पत्नी, दो पुत्रियाँ और पुत्र था । बहुत अच्छे लोग थे । इस परिवार से हमें बहुत पारिवारिक प्यार और सहायता मिली । शशाक तो इस परिवार का ही बच्चा हो गया था । दोनों लड़कियाँ और लड़का जैसे हमारे ही घर के बच्चे लगते थे । इस परिवार के लोग जैसे मन से सुन्दर थे वैसे ही तन से भी । इस परिवार की समुद्र के पास कोई छावनी थी । हम उनके वहाँ पिकनिक मनाने गये और जो आनन्द आया वह वर्णनातीत है । उस मोहल्ले के और भी पारसी लोग हमें बहुत प्यार करते थे । कोई पारसी छात्रा मिल जाती तो बहुत आग्रह से अपने घर ले जाती और घर वाले जैसे प्यार में बिछ जाते ।

मैंने कहा कि यह मकान तिमंजिला था । नीचे के हिस्से में केवल पानी का

नल था, छोटा-मोटा स्टोर था और सबसे ऊपर के हिस्से में एक बहुत बड़ा हॉल था। वास्तव में बीच का हिस्सा ही रहने के लिए था। उममें दो कमरे, किचन, शौचालय आदि थे। परिवार इतना छोटा था कि ऊपर के हॉल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। मकान के सामने एक खुला मैदान था। उसके दूसरी ओर एक मकान था, जिसमें होम्योपैथी के एक डाक्टर अपनी दुकान चलाते थे। यानी इस मकान की बाहरी और भीतरी स्थिति इतनी खुली हुई और प्रिय थी कि मैं निश्चित भाव से अपना लिखने-पढ़ने का काम कर सकता था। इस मकान में कई महत्वपूर्ण कविताएं लिखीं। 'आत्महत्या से पहले' कविता यही लिखी गयी। 'आते धिर-धिर, जाते फिर-फिर' बादल सम्बन्धी कविता भी यहीं लिखी। 'पानी के प्राचीर' का लेखन तो बड़ौदा में ही शुरू कर दिया था किन्तु संभवतः उसे पूरा नवसारी में ही किया। मेरे कई महत्वपूर्ण निबंध भी यहीं लिखे गये।

मब कुछ के बावजूद मेरा मन यहा ऊबता था। लिख चुका हूँ कि यहां की दुनिया बहुत छोटी पड़ती थी। बहुत कम लोग थे जिनमें संवाद हो सकता था। घूमने-फिरने के लिए निकलता था तो दस-पन्द्रह मिनट में लौट आता था। इसलिए अपना जिला, अपना घर बहुत याद आता था। मैं प्रायः ऊंची खिडकी के पास बैठकर अपने प्रदेश के आकाश की ओर निहारा करता था। उधर से आते और इधर से जाते उड़ते पंछियों को देखा करता था। सोचता था कि ये कितने भाग्यशाली हैं कि जहा चाहते हैं जा सकते हैं। शायद ये मेरे घर की ओर से भी होकर निकलते हों। उधर की ओर जाते बादलों के टुकड़ों को देखता रहता। दिल्ली की ओर जाती रेलगाड़ी की घड़कनें मेरी घड़कनों से समा जातीं और सोचता, कब इस गाड़ी में सवार होऊंगा। नदी के पास जाता, लौट आता। एक दिन दिनकर भाई से कहा कि शहर के बाहर खुली प्रकृति के बीच मुझे घुमाइए। उनके मोपेड पर बैठकर नदी के पार के इलाकों में यों ही चक्कर काट आया। थोड़ा ताजा हो आया था कि फिर इस कस्बे के रीलन-भरे वातावरण में आ गया। इस मानसिकता को मैंने 'पिंजडा' नामक कहानी में व्यक्त किया।

मैंने श्री विश्वनाथ शुक्ल से अपने यहां कक्षा लेने के लिए निवेदन किया था। वे हर रविवार को कक्षा लेने के लिए अहमदाबाद से आते थे जंमे पहले मैं आया करता था। वे मेरे आत्मीय मित्र थे और जीवंत व्यक्ति थे। उनके आने में रविवार का दिन गहमागहमी में बीत जाता था।

नवसारी के समाज के प्यार और सम्मान के बीच अपना अकेलापन लिए-दिए यों ही चलता रहा। छात्रों के साथ भी पिकनिक पर जाकर जी बहला आया, कभी सूरत चला गया, कभी अमलसाड़। कभी और किसी समारोह में चला गया। ऐंमे ही साल बीतने को आया। सारा साल तो सामान्य रूप में काट सकता था किन्तु होली का त्योहार यों ही तो जाने नहीं दिया जा सकता। किन्तु होली का माहौल कहां से लाया जाए? यहां तो कोई गतिविधि ही नहीं। मैंने होली की शाम को अपने घर एक गोष्ठी रखी जिसमें कालेज के अनेक छात्रों और अध्यापकों को आमंत्रित किया किन्तु हमारे लिए होली एक गोष्ठी का नाम नहीं है, वह तो रंग का महोत्सव है

जिसका यहां कोई पद-संचार ही नहीं। बहरहाल हमने अपने परिवार में ही रंग का महोत्सव मनाया। मैं, पत्नी, बच्चे आपस में ही रंगोत्सव मनाने लगे। इसी बीच के० सी० भट्ट अपने बच्चों के साथ आ गये। भट्ट यों भी मस्त आदमी थे, दूसरे हमारे और हिन्दी के सम्पर्क में आने के कारण उत्तर भारतीय मानसिकता के समीप थे। वे भी रंगोत्सव में शामिल हो गये। उसी बीच पारमी-परिवार की दोनों लड़कियां (परवीन और छोटी का नाम भूल रहा हूँ) आ गयी और रंगोत्सव के आकर्षण ने उन्हें भी अपने में समेट लिया। वे भी खुलकर रंग खेलने लगीं। काफी देर तक मेरे घर में रंगोत्सव की चहल-पहल मची रही। परवीन अपनी बहन के साथ लौटी तो हमने उसे अपनी मां से कहने मुना—“मा, बहुत आनन्द आया। हमारे यहा ऐसा कोई त्योहार क्यों नहीं है?” के० गी० भट्ट लौट गये। शाम को मालूम पडा कि उनके मकान मालिक ने उन्हें रंग खेलने के लिए गवार की मज्जा दी और भर्त्सना की तो भट्ट ने उन्हें काफी खरी-खोटी सुनायी। शाम को गोष्ठी हुई, जिममें कविता, गीत, चुटकुले आदि मुनाये गये और लोगो ने होली का आनन्द लिया। अच्छी तरह होली मन जाने में मेरा मन हल्का हो आया था। उदासी छट गयी थी।

एम० एस० सी० (मैट्रिक) का मैं तीन माल से परीक्षक था। इम माल माँडरेटर के रूप में कार्य करने का निमंत्रण मिला। इस कार्य के लिए महीना-भर पूना में रहना था। पूना देखने की इच्छा तो जगी किन्तु अपरिचित शहर में जाने से मन धबरा रहा था। साथ में गुजराती विभाग के एक सज्जन मिल गये, फिर तो उत्साह हुआ। चला गया। एक गुजराती लाज में ठहरा। वही अहमदाबाद के कुछ साथी मिल गये, जिनमें रमाकान्त शर्मा और जगन्नाथ पांडे भी थे। उनके मिल जाने से अकेलेपन का भारीपन कम हो गया। फिर बम्बई से आये हुए कुछ प्राध्यापको से भेंट हुई और पूर्व परिचय गाढ़ा हुआ। उनमें पारमनाथ मिश्र प्रमुख थे। एक दिन घूमते-फिरते डा० रामयतन सिंह भ्रमर भी आ गये और उनको देखते ही बम्बई वालों ने काफी जश्न मनाया। बहरहाल माँडरेशन के उबाऊ काम के बीच इन मित्रो का साहचर्य मुझे सुख देता रहा। शाम को पूना के बाजार में घूमते-घामते थे। यह शहर मुझे माफ-सुधरा और अच्छा लगता था। लोग स्वस्थ थे। स्त्रियो के स्वास्थ्यजन्य सौन्दर्य की आभा और डी प्रकार की थी। परेशानी भोजन करने की थी। उस लाँज में गुजरानी खाना बनता था जो मुझे रास नहीं आता था। अतः उत्तर भारतीय भोजन की तलाश में बाजार में भटकने फिरते थे। कभी कभी पजाबी होटल में खा लेते, कभी किसी मारवाडी भोजनालय में।

वैसे माँडरेशन का कार्य बहुत उबाऊ और नीरस होता है, वह भी घर में दूर स्थान में। किन्तु कह चुका हूँ कि कई पुराने मित्र मिल गये थे और कई नये मित्र बन गये थे। इस मित्र-संगम में इन नीरस दिनों का उबाऊन काफी कम हो गया था। मैं, रमाकान्त शर्मा और जगन्नाथ पाण्डे लाँज के एक ही कमरे में थे। शर्मा जी मेरे साथ खूब जोर-जोर से हंसते थे। पाण्डे जी भी बहुत विनोदी स्वभाव के थे और वे स्वयं विनोद के आलम्बन भी थे। वे एक-एक घराऊं बात निकाला करते थे। विचित्र-विचित्र

विनोदी हरकतें भी करते थे। वे कपड़े धोकर इस्त्री नहीं कराते थे, बल्कि उनमें से एक-एक को बारी-बारी से गद्दे के नीचे डाल लेते थे और गद्दे पर लेटकर अपनी पीठ हिलाते रहते थे। यह दृश्य बहुत मनोरंजक होता था। हम कहते थे—यह देखो, पंडवा पिठिया रहा है। पाण्डे जी मंद-मद मुसकराते थे।

शाम को हम लोग घूमने निकल जाया करते थे और पूना के नागरिक और थोड़े-बहुत प्राकृतिक सौन्दर्य का जायजा लेकर दिन-भर की थकान मिटा लेते थे। कभी-कभी बड़ी विचित्र घटनाएं घट जाया करती हैं जिनका तर्क समझ में नहीं आता। एक दिन हम लोग नदी का पुल पार कर डम पार से उस पार जा रहे थे। उधर से एक पागल आ रहा था। पाण्डे जी बीच में चल रहे थे। वह पागल सबको छोड़ता हुआ जब पाण्डे जी के पास आया तो जोर से अंउवाता हुआ उनकी छाती पर झपटा। पाण्डे जी एकाएक घबड़ा गये और जोर से डपटकर झटके से उममें अपना पिण्ड छुड़ाया। हम लोग मजाक करने लगे कि लगता है पाण्डे जी से उमकी पुरानी जान-पहचान है नहीं तो आगे के इतने लोगों को छोड़कर इन्हीं पर क्यों झपटता ? पाण्डे जी की विनोद-मुद्रा गायब हो चुकी थी। उन्होंने झपटाने के लिए कहा, “नहीं-नहीं, यह केवल आकस्मिक था।” बात आयी-गयी हो गयी। कई दिन बाद हम लोग पूना के एक भीड़भरे बाजार से गुजर रहे थे। मैंने देखा, वही पागल भीड़ में गुजर रहा था। दूसरो को भी दिखाया। एकाएक उम पागल की नजर पाण्डे जी पर पड़ी और वही से आऊं-आऊं करता हुआ पाण्डे जी की ओर लपका। हम लोगो ने डाट-डपटकर भगाया किन्तु उसके बाद हसते-हसते बुरा हाल हो गया और पाण्डे जी की हसी फिर गायब हो गयी।

“अब बोलो पाण्डे जी ?” मैंने कहा।

“हां हो. कोई बात तो है कि यह ससुरा मेरी ओर झपट रहा है।” पाण्डे जी गंभीर होकर बोले। विनोद की बात तो अपनी जगह थी किन्तु अब तक मैं नहीं समझ पाया कि वह पागल पाण्डे जी के साथ ऐसा क्यों करता था।

पूना आने में पहले ही मुझे विश्वनाथ शुक्ल से सूचना मिल गयी थी कि वे प्रिंसिपल होकर रुड़की जा रहे हैं। उनके विकल्प के रूप में कौन आये, इसके बारे में उन्होंने मुझसे बात की, न मैंने। पूना आया तो अहमदाबाद में मेरे पास कुछ पत्र आए (मैंने रघुवीर चौधरी को पत्र लिखकर पूना का पता दे दिया था) कि मैं विश्वनाथ शुक्ल के स्थान पर अहमदाबाद लौट आऊं। मेरी परेशानी नैतिक थी। प्रिंसिपल १० के० त्रिवेदी ने इतने महत्त्वपूर्ण ढंग से मुझे नवसारी में बुलाया था और साल-भर नहीं हुआ, मैं कैसे छोड़ जाऊं। यह सकेत भी मिल गया था कि विश्वनाथ जी अपने स्थान पर पोरबन्दर में काम कर रहे नित्यानंद पटेल को लेने की मिफारिश कर रहे हैं। मैंने रघुवीर को लिख दिया कि भाई, सुना है वहा नित्यानंद जी के आने की बात हो रही है, मैं कैसे आ जाऊं ? रघुवीर का पत्र आया—“सर, सीता के स्वयंवर में तो बहुत से राजे-महाराजे आये, रावण भी आया था किन्तु जयमाला तो राम के गले में ही पड़ी न।” मैं समझ नहीं रहा था कि रघुवीर किस हैमियत से मुझे बुला रहे हैं। आखिर वे जेवियर के छात्र हैं, प्रिंसिपल तो नहीं किन्तु तभी बारिस अलवी का लम्बा पत्र मिला। उन्होंने भी

मुझे अहमदाबाद आने के लिए आमंत्रित किया। अब मैं समझ गया कि इन पत्रों के पीछे स्वयं प्रिंसिपल की प्रेरणा है। बम्बई के मित्रों ने बात की। उन्होंने निम्नान्त भाव से सलाह दी—“आपको अहमदाबाद जाना चाहिए। नवसारी में क्या रखा है। अहमदाबाद केन्द्रीय स्थान है। जब वहाँ विभाग खुलेगा तो उसमें आपके रीडर-प्रोफेसर होने का अवसर होगा। आप भावुक मत होइए।”

मैंने आधा मन बना लिया। अलबी माहब को पत्र लिख दिया कि अभी तो परीक्षा-कार्य में व्यस्त हूँ। आपके प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूँ। उनका पत्र आया कि परीक्षा-कार्य में निवृत्त होते ही प्रिंसिपल माहब मे मिल जाइये। रघुवीर को भी अपनी स्वीकृति-सी दे दी। घर की बहुत याद आ रही थी और इस उबाऊ काम के बीच तो और भी। एक-एक दिन पहाड़-सा छाती पर लदा मालूम होता था जो सरकने का नाम नहीं लेता था। आखिर अबधि ममाप्न होने को आयी। मन घर लौटने के उत्साह से भर गया। बम्बई तक का आरक्षण करा लिया था। इसलिए वहाँ तक तो आराम में आया किन्तु वहाँ से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी के लिए बड़ी विकराल भीड़ प्लेटफार्म पर खड़ी थी। कुली की कृपा से एक मीट मिल गयी, न मिलती तो घर लौटने की ऐसी बेचैनी थी कि किसी तरह डब्बे में समाता ही। गाड़ी नवमारी एक बजे रात को पहुंची। डर था कि इतनी रात को कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। नहीं मिली तो कहां रहूंगा? खैर, उतरते ही एक तांगा मिल गया। भूकते हुए कुत्तों से भरी गलियों से होता हुआ तांगा घर पहुंचा तो मुझे बहुत गहरे आनंद की अनुभूति हुई। नीचे से आवाज देना शुरू किया किन्तु यह क्या? कोई आहट नहीं। पुकार-पुकारकर मैं थक गया किन्तु न बत्ती जली, न कोई आहट हुई। जो उत्सुकता लिए मैं इस रात को चीरता घर पहुंचा था वह तो थककर खामोश हो गयी। आखिर पड़ोसी पारसी मित्र का जंगला खुला और गृहिणी ने सिर निकालकर पूछा—“कौन है?”

“मैं।” और उन्होंने आवाज पहचानकर कहा, “रुकिए, मैं खुलवाती हूँ।” उन्होंने बीच की खिड़की से पत्नी को पुकारा। अब जाकर उनकी नींद टूटी। लपककर नीचे आयी और दरवाजा खोलते हुए दुखी कंठ से कहा—“अभी तक प्रतीक्षा में जागती रही, जागते-जागते अभी-अभी नींद लग गयी और लगी तो ऐसी कि बस...।” बच्चे जग गये। महीने-भर के तरसे हुए बच्चे हेमत और अंजू गले से लिपट गये। हेमत तो सो गया किन्तु अंजू तो मेरा मुंह देखती हुई, हैं-हैं करती हुई लगातार मुझे प्यार करती रही। चिट्ठियों का ढेर सामने पड़ा था। सरसरी निगाह से उन्हें उलटा-पलटा। पत्नी से सुख-दुःख की बातें की। अहमदाबाद के पत्रों की बात बतायी। परिवार में आकर लगा जैसे महीने-भर की नहीं, साल-भर की जेल काटकर आया हूँ।

गुजरात यूनिवर्सिटी से उत्तर-पुस्तकें आयी थी—चार-पांच सौ के करीब। उन्हें भेजने का समय समाप्त-सा हो रहा था और अभी तक मैंने देखना भी शुरू नहीं किया था। सोचा, इन्हें देख लूं तो साथ लेकर अहमदाबाद निकल जाऊं और जेवियर के प्रिंसिपल से भी बात कर लूं। मेरे मुख्य परीक्षक थे अम्बाप्रसाद शुक्ल। बार-बार उनके पत्र आ रहे थे। एक उबाऊ काम से छूटकर आते ही दूसरे उबाऊ काम में डूब गया और

जल्दी-जल्दी निबटाकर उन्हें लेकर अहमदाबाद पहुंचा। मेरे मित्रों और शिष्यों ने घघाकर स्वागत किया। प्रिसिपल से बात हो गयी। समस्या थी नोटिस देने की। उन्होंने कहा—“नोटिस दे दीजिए। अभी तो छुट्टिया है। यदि उसके बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा तो महीना-भर और सही।” चूँकि प्रिसिपल मुझे चाहते थे, दूसरे माध्यमों से मुझे पाने की इतनी कोशिश की थी इसलिए उन्हें मेरी सुविधा का ध्यान तो रखना ही था।

मैं नवसारी लौट गया किंतु त्यागपत्र लेकर प्रिसिपल के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक अपराध-बोध से मन ग्रस्त था। दिनकर भाई को बुलाया। त्यागपत्र लिखकर उन्हें दिया और कहा कि आप कह दें कि मैंने अहमदाबाद में आपको यह पत्र दिया है। कहिएगा कि फिलहाल मैं अहमदाबाद में ही हूँ। दिनकर भाई गये और लौटकर खबर दी कि त्यागपत्र पाते ही त्रिवेदी जी ने माथा पकड़ लिया। बोल उठे, “अब ये भी।” बात यह थी कि मेरे पहल दो व्यक्ति त्यागपत्र दे चुके थे जिससे वे परेशान थे। यह तीसरा त्यागपत्र पाकर वे विचलित हो गये और कहने लगे कि खिस्ती ने बदला लिया है और अधिक पैसा दकर बुला लिया। अरे, “मुझसे कहा होता तो उतना ही पैसा मैंने दे दिया होता।” दिनकर भाई ने प्रतिवाद किया—“नहीं-नहीं, वहा अधिक पैस नहीं मिले हे। वहा तो कुछ लोगो द्वारा पोरबन्दर के नित्यानन्द पटेल के लिए कोशिश की जा रही थी किन्तु प्रिसिपल ने मिश्र जी को ही चाहा और मिश्र जी पैसे के लिए नहीं, भविष्य के लिए गये है।”

नित्यानन्द का नाम सुनने ही प्रिसिपल को डूबते का सहारा मिल गया क्योंकि और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो एम० ए० केन्द्र का प्रभारी होने के योग्य भी हो और यहा आने के लिए तैयार हो। बहरहाल उन्होंने बाद में नित्यानन्द जी से लिखा-पढ़ी की और अपने यहा नियुक्त कर लिया। मैं छुट्टियों में गाव चला गया। प्रिसिपल के पत्र आते रहे कि यथासंभव मैं छुट्टियों के बाद शीघ्र जेवियर ज्वाइन कर लूँ। छुट्टियों के बाद मैं नवसारी गया क्योंकि अभी नोटिस काल में एक महीना बाकी था। मैंने सांचा कि अब त्रिवेदी साहब से मिलकर अपनी सफाई दे लूँ। अब वे तत्कालिक घक्के से उबर चुके होंगे और नित्यानन्द की नियुक्ति भी कर ली है। उनसे मिला। शिकवा-शिकायत हुई और उन्होंने मुझे बाकी समय से मक्ति देकर कहा, “आप जाइए, जेवियर ज्वाइन कर लीजिए।” मैंने आभार माना।

सेंट जेवियर में अपने पुराने मित्रों के बीच पहुंचकर बहुत सुख माना। कुछ नये लोग आ गये थे जिनमें गुजराती विभाग के चिम्मन त्रिवेदी और महेन्द्र दवे भी थे। महेन्द्र दवे कवि थे। भरविन्द जोशी के माध्यम से मेरे बारे में बहुत सुन चुके थे अतः बड़े प्रेम से मिले। चिम्मन त्रिवेदी पिछले साल ही आ गये थे। मेरे पुराने शिष्यों में भी बहुत

उत्साह था। एम० ए० मे बी० ए० के छात्र आ गये थे और बहुत-से और नये छात्र थे। रघुवीर चौधरी, कृष्णेश शुक्ल, रावत, नवनीत गोस्वामी एम० ए० मे आ गये थे। रघुवीर को बी० ए० मे प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई थी जो इस कालेज के लिए बड़े गौरव की बात थी। रघुनाथ भट्ट, महावीरसिंह चौहान, सुमन अजमेरी, रामकुमार गुप्त आदि भी एम० ए० के नये वंच म थे। गाव के स्कूलो से भी अनेक लोग आये थे।

बी० ए० मे नये छात्र के रूप मे आये थे विनीत गोस्वामी, कमलेश अग्रवाल, भंवरलाल गुर्जर, प्रेम पालीवाल, हमीना कादरा, सर्वेन्द्र मणि त्रिपाठी, दयाशकर त्रिपाठी, गुलाबसिंह। मेरे भतीजे रामनिवास भी वहा से बी० ए० करने आये थे।

हिन्दी विभाग मे मेरे स्थान पर गन वर्ष जगदीश शर्मा आ गये थे। इस वर्ष याज्ञवल्क्य अग्निहोत्री और रघुवीर चौधरी आ गये थे—पार्टटाइम लेक्चरर के रूप मे। बी० ए० मे प्रथम आ जाने पर यहा पार्टटाइम लेक्चरर के रूप मे नियुक्ति हो जाती है इसलिए रघुवीर की नियुक्ति हो गई थी। हरिहरजी तो पहले से थे ही। कुल मिलाकर हम पाच थे। एम० ए० टीचिंग के लिए मेरे अतिरिक्त केवल जगदीश शर्मा ही मान्य थे। बहुत अच्छा लग रहा था। काफी गहमागहमी थी। विश्वनाथ शुक्ल की सी प्रबधपटुता, सामाजिक सम्बन्ध-निर्माण-क्षमता और हमते-हमाते रहन की चेष्टा मुझमे नही थी। फिर भी लाग मुझे पसंद करते थे। प्रिसिपल के पास आते-जाते रहने और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते रहने का न मरा स्वभाव था न इच्छा। इसलिए विश्वनाथ शुक्ल की सी धाक मैं बैठा नही सकता था। मुझे सभी लोग निरापद मानते थे, इसलिए मुझसे लागो का एक सहज लगाव था।

यहा मेरी पुनर्नियुक्ति मे एक अप्रिय स्थिति पैदा हो गई थी। कहा जा चुका है कि विश्वनाथ जी अपनी जगह नित्यानंद पटेल को लाना चाहते थे। इस सम्बन्ध मे न उन्होंने मुझसे बात की थी न मैंने। मैं तो यहा आने के लिए उत्सुक ही नही था, अतः उनमे अपने लिए क्या बात करता और शायद उन्होंने मेरी निरुत्सुकता भापकर नित्यानंद के लिए बात चलाई थी। कह चुका हू कि जेबियर के अधिकारी नित्यानंद को न चाहकर मुझे चाह रहे थे और मेरे आत्मीयो के माध्यम से मुझ पर आने के लिए दबाव डाल रहे थे। अत मे मुझे आना पडा। इसमे मेरी ओर से कोई पहल नही थी किन्तु सभवतः विश्वनाथ जी यह समझ बैठे कि मैंने एक तो पहले अपने आने की इच्छा नही जाहिर की दूसरे जब उन्होंने नित्यानंद पटेल के लिए प्रयत्न किया तो उनके इस प्रयत्न मे बाधक बनकर मैंने उनका अपमान किया। अतः हमारी मैत्री मे अफारण खिचाव आ गया। वास्तव मे मेरी-उनकी भेट नही हुई और न आमने-सामने कहा-सुनी हुई किन्तु जेबियर के ही मित्रो और कुछ आत्मीय शिष्यो के द्वारा उनकी नाराजगी का पता चल गया। प्रिसिपल टिसूजा न भी हमी-हसी मे बहुत-से सकेत दे दिये। विश्वनाथ जी के साथ बने सबधो मे आयी दरार का लेकर मैं दुःखी था। मैंने अपनी ओर से कुछ नही किया और इतना सब हो गया। उनमे मेरे गहरे पारिवारिक सम्बन्ध थे। एक-दूसरे पर गहरा विश्वास था। हम सुख-दुख के साथी थे। अलग अलग स्वभाव के होकर भी एक-दूसरे को पसंद करते थे। फिर यह क्यों हो गया ? क्यों हो जाता है ऐसा ? मगर हो गया तो

हो गया और दोनों पक्षों में जाने-अनजाने एक खिचाव आता गया। अन्य लोग इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। पिछले साल के कुछ ऐसे छात्र थे जो विश्वनाथ जी के प्रिय छात्र थे और जाहिर है कि मुझसे परिचित नहीं थे। उन्होंने कक्षा में मुझसे कुछ प्रश्न किये। उत्तर तो मैंने दे दिए किन्तु कुछ छात्रों ने बताया—“पर, ये विश्वनाथ जी के प्रिय छात्र रहे हैं और आपको परेशान करने के लिए सवाल पूछते हैं।” मैंने समझाया—“नहीं सवाल पूछने का उन्हें अधिकार है। किसी को भी अधिकार है और अधिकार की बात क्यों उठाई जाए। यह क्यों न कहा जाये कि उनके मन में कोई जिज्ञासा है इसलिए अपने गुरु से उमका उत्तर पाना चाहते हैं। और जहां तक रही परेशान करने की बात तो मैं उनके प्रश्नों से परेशान होने वाला नहीं। मुझे अपने-आप पर भरोसा है।” “नही सर, आप नहीं जानते उन्हें। वे आपको परखना चाहते हैं।” कहकर उदास मन से वे चले गये। मैं सवाल करने वालों के स्वर को समझ रहा था और शिकायत करने वालों की बात मही थी किन्तु मैं इस तरह की सस्ती बातों को बढ़ावा देना नहीं चाहता था। किन्तु शीघ्र ही वे छात्र अपनी तात्कालिक एंड जोड़कर महज रू. 5 में आ गये और मेरे बहन प्रिय और हानहार छात्रों में शुमार हो गये। कुछ छात्रों के प्रश्नों में शरारत थी। वे वास्तव में मजाकिया लहजे में मुझसे भिडना चाहते थे। मैंने उन्हें समाला और ते कुछ दिन बाद गंभीर और मेरे भक्त छात्र बन गये। उन्होंने स्वीकार किया—“सर, हम तो क्लास में मौजूद-मजा लेने आते थे किन्तु आपके सम्पर्क में आकर हमारे भीतर पढ़ने की इच्छा जाग गयी और हम आपके बहुत ऋणी हैं।” वे छात्र लेक्चरर बने, प्रिंसिपल बने। मुझे सचमुच अपने अध्यापन-कार्य की यह उपलब्धि लगनी है कि उमने कुछ छात्रों को पढ़ने की ओर प्रवृत्त किया। दरअसल मैंने यहां व. बी० ए०, एम० ए० के छात्रों का असीम प्यार पाया। इससे बड़ी उपलब्धि एक अध्यापक की क्या हो सकती है? प्यार तो मुझे अपने कालेज के साथियों का भी मिला, आमपास के नगरिकों का भी मिला। धीरे-धीरे गुजरात मेरे लिए प्यार का नाम हो गया।

गुजरात कालेज में दो नये प्राध्यापक आए थे—श्री गोवर्धन शर्मा और श्री प्रभास शर्मा। दोनों ही एम० ए० के अध्यापन के लिए मान्य थे। मैंने इन्हें इस वर्ष एम० ए० की क्लास दी। श्यामसुंदर शुक्ल भी मान्य थे किन्तु उन्हें अभी तक क्लास नहीं मिली थी। उन्होंने अपने एक अवांछित लेख से विश्वनाथ जी तथा हिन्दी के सभी प्राध्यापकों को नाराज कर लिया था, साथ ही कुछ प्रिंसिपल भी नाराज हो गए थे। किन्तु इस साल मैंने उन्हें आमंत्रित किया। पहले के अध्यापक तो थे ही। मैंने जब विषय बांटे तो सबने अपनी-अपनी पसंद के विषय ले लिए। बचा भाषा-विज्ञान। भाषा-विज्ञान मेरा अपना विषय कभी नहीं रहा किन्तु विडम्बना देखिये कि वही मेरे पल्ले पड़ा। भाषा-विज्ञान पढ़ाने में मैं आश्वस्ति अनुभव नहीं करता था। मेरा उम पर अपना कोई विशेष अध्ययन-मनन नहीं था। इसलिए मैं पुस्तकों से नोट बनाता था और क्लास में लिखवाता था। हर बार कक्षा में मैं अपनी योग्यता के लिए क्षमा-याचना करता था और यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह विषय मेरे गले पड़ा है अतः ढो रहा हूँ। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। एक दिन कुछ छात्र आए और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा—“सर, हम कुछ

निवेदन करना चाहते हैं।”

“कहिए ?”

“सर, आप भाषा-विज्ञान जैसा पढाते हैं वैसा तो कोई भी पढा सकता है किन्तु जो आपका अपना विषय है उसे आप जैसा आप ही पढा सकते हैं। हम आपका सर्व-श्रेष्ठ पाने से वचित हो रहे हैं।” भाषा-विज्ञान सम्बन्धी अपने अध्यापन की कमजोरी तो मैं खुद जानता था और बार-बार उसे व्यक्त भी कर चुका था किन्तु करता क्या ? बहरहाल मित्रों से बान की तो प्रभाम शर्मा और श्यामसुन्दर शुक्ल इस विषय को लेने को तैयार हो गए। मैंने राहत की सास ली। इसके बाद मब कुछ ठीक चलता रहा। भगवतशरण अग्रवाल के मित्र डा० गोवर्धन शर्मा मेरे भी निकट आते गए।

मेरे जीवन का यह बहुत सुखद काल था। अहमदाबाद हर तरह से मुझे पूरा भा गया था और अब घर तथा बनारस जैसा ही अपना लगने लगा था। वल्कि कई अर्थों में यह बनारस से भी प्यारा लगने लगा था। बनारस की अपेक्षा यहाँ सामाजिक खुलापन अधिक था। यहाँ मुझे भौतिक और मानसिक सभी दृष्टियों से एक तृप्ति प्राप्त हो रही थी और यदि चार वर्षों बाद अहमदाबाद छोड़ना न पडा होता तो इस नहीं छोड़ता। हमने 'आस्था' नामक एक साहित्यिक संस्था बना रखी थी। उसकी गोष्ठियाँ लगातार होती थीं। प्रायः मेरे ही घर (समस्त ब्रह्म क्षत्रिय सोसायटी) पर होती थीं। उसमें साहित्य-रासक प्राध्यापक तो भाग लेते ही थे, छात्र भी आते थे बल्कि छात्रों को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। पढी गयी रचनाओं पर चर्चा भी होती थी। रघुवीर चौधरी भी उन दिनों हिन्दी में लिखने लगे थे। मुझे याद है कि मेरे घर आयोजित एक गोष्ठी में रघुवीर ने एक कविता पढी। भाई लोग इस उभरती हुई प्रतिभा की कविता के वस्तुगत सत्य को पहचानने के स्थान पर उसके हिन्दी उच्चारण पर टिप्पणी करने लगे। मुझे लगा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने हस्तक्षेप किया, “गुजराती हान से उच्चारण का यह स्वरूप हाना स्वाभाविक है जैसे हमारे उच्चारण में हमारी स्थानीयता दखल देती है। वास्तव में देखने की बात तो यह है कि रघुवीर की जो कविता है वह कविता की दृष्टि से कितनी सशक्त या कमजोर है। मुझे तो इनकी कविता में बहुत जान दिखाई पड रही है। मैं इसके लिए इन्हे बधाई दूंगा।” लोग मेरी टिप्पणी पर तो चुप हो गए किन्तु उनका मन चुप नहीं हुआ। वास्तव में रघुवीर चौधरी कही न कही लोगों को खटकते थे। इसलिए लोग उनके प्रति अपना भाव किसी न किसी रूप में व्यक्त कर देते थे।

गोष्ठियाँ शहर में भी होती थीं, नवजीवन कालोनी में भी होती थीं। गुजराती कवियों की गोष्ठियों में भी मैं जाता था। गुजराती साहित्य-परिषद् में मैंने हिन्दी कविता पर लेख पढा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी हिन्दी साहित्य के कार्यक्रम आयोजित होते थे, वहाँ भी मैं बुलाया जाता था। गर्ज कि जो साहित्यिक वातावरण मेरे जीने के लिए आवश्यक था, वह अहमदाबाद में बन गया था।

उमाशंकर जोशी गुजराती के बहुत सम्मानित साहित्यकार और विद्वान् थे। वे एकाध बार सेंट जेवियर में भाषण देने आ चुके थे किन्तु उनसे मेरा परिचय नहीं हो

सका था। किसी मीड में किसी का परिचय कैसे कराया जाता है वैसे ही मेरा भी करा दिया गया था किन्तु मैं इनसे निकट सम्पर्क चाहता था। एम० ए० के इंचार्ज के रूप में मैंने हिन्दी विभाग की एक वार्षिक संगोष्ठी की, जिसमें कविता-पाठ का भी आयोजन किया गया। कविता-पाठ वाले सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में उमाशंकर जोशी को आमन्त्रित किया। कृपा कर वे आये। कविताएं पढ़ी गयीं। उन्होंने कविता में बिम्ब पर अपने विचार व्यक्त किए और इस सदर्भ में पठित कविताओं की चर्चा की। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें मेरी पूरी की पूरी छन्दात्मक कविता भाव की दृष्टि में याद हो गयी। उन्होंने उसमें आये एक-एक बिम्ब को लेकर जो व्याख्या की, उससे मैं अपने काव्य के सौन्दर्य और उनकी स्मृति तथा विश्लेषण-क्षमता पर चकित रह गया। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात से हुई कि उमाशंकर जी के निकट आने की मेरी आकांक्षा फलवती होनी शुरू हुई। फिर तो मैं धीरे-धीरे उनके बहुत निकट आ गया। उनका बहुत गहरा स्नेह और आत्मीयता मिली। यह गुजरात-निवास की मेरी बहुत प्रिय उपलब्धि रही। उनके घर आने-जाने लगा। साहित्य पर चर्चाये होने लगी। उमाशंकर जी अच्छी हिन्दी बोलते थे, हिन्दी में भाषण दे लेते थे और जब भी मिलते हिन्दी में सृजित होते नये साहित्य के बारे में पूछते और चर्चाएं करते थे।

यह समय हिन्दी शिक्षण की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। बल्लभ विद्यापीठ में मोहनवल्लभ पंत प्रोफेसर के रूप में आये थे। रामेश्वर खडेलवाल रीडर बनकर आ गये थे। इनके अतिरिक्त ओमानद मारम्बत, जगदीशचन्द्र जोशी, पवनकुमार, सुरेशचन्द्र त्रिवेदी आदि अनेक युवा पीढ़ी के प्राध्यापक वहा थे। इनके कारण वहा के वातावरण में एक जीवन्तता बनी हुई थी और हम लोग एक-दूसरे के यहां आया-जाया करते थे। बड़ौदा विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में यद्यपि प्रोफेसर, रीडर की नियुक्ति हो गयी थी किन्तु वह विभाग लगातार दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बना रहा। वहा लोगो के साथ प्राकृतिक हादसे होते गये और जिनके साथ प्राकृतिक हादसे घटित नहीं हुए, उनमें से कई अपने चरित्र से अपने लिए और विभाग के लिए स्वयं हादसा बन गये। लागो के मन में इस विभाग के अनेक चरित्रो के प्रति सम्मान का भाव तो नहीं ही था, उलटे उपहास का भाव था। पूरा हिन्दी साहित्य जगत् जानता है कि बाद में विभाग के दो वरिष्ठ सदस्यो में कैसी कुत्सित लड़ाई हुई और कैसे दोनों ने एक-दूसरे को नगा किया।

मैं बड़ौदा से एक बार हटा तो फिर नहीं जुड़ा और अहमदाबाद का हिन्दी साहित्य का वातावरण बल्लभ विद्यापीठ के प्राध्यापक साहित्यकारों से खूब जुड़ा। बड़ौदा के पास कुछ था ही नहीं जो हमें उससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता। बल्लभ विद्यापीठ के पं० मोहनवल्लभ पंत बुजुर्ग प्रोफेसर होकर भी हम सबसे मित्र भाव रखते थे। हमें उनका बड़ा गहरा स्नेह प्राप्त था। वे हमें प्रायः अपने यहां बुलाते थे और हमारे बुलाने पर हमारे यहां आते भी थे। रामेश्वर खडेलवाल रीडर तो थे किन्तु उससे पहले वे कवि थे और यह कवि-रूप उन्हें नये साहित्यकारों के साथ भी सहभाव प्रदान करता था। हम लोग बड़ी मस्ती से एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे, आते-जाते थे,

कविताएं पढ़ते थे ।

इसी वर्ष (यानी 1960 में) किसी काम से बम्बई गया । भानुकुमार जैन के यहां ठहरता था । पिछली यात्राओं में वीरेन्द्रकुमार जैन मित्र बन चुके थे । रामावतार चेतन तो मित्र थे ही । दोनों 'धर्मयुग' में काम करते थे । 'धर्मयुग' कार्यालय में गया । शुरू में वीरेन्द्र जी मिले । उन्हें नमस्कार किया । उन्होंने नमस्कार के उत्तर में सिर ऊपर उठाया, फिर सिर झुकाकर काम करने लगे । मैं चकित था, अपमानित अनुभव भी किया । फिर चेतन मिले । उनसे जिक्र किया । उन्होंने कहा—“आप वीरेन्द्र जी पर नाराज मत होइए । वे इस समय बहुत अपसेट हैं ।”

“क्यों भला ?”

“उन्हें उम्मीद थी कि सत्यकाम जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद 'धर्मयुग' के सम्पादक बन जाएंगे । दूसरे नम्बर पर होने के कारण उनका ऐसा सोचना उचित ही था किन्तु वे सम्पादक नहीं बन सके । डा० धर्मवीर भारती को सम्पादक बना दिया गया ।”

“अच्छा ! वे आ रहे हैं ?”

“आ गए । आज ही उबाइन किया है ।”

मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि चेतन जी ने स्वयं उसे उजागर कर दिया ।

‘अब तो 'धर्मयुग' परिमल का पर्याय बन जायेगा । देखिये अब इलाहाबाद ही होगा 'धर्मयुग' में ।’

खैर, जो भी हो यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि 'धर्मयुग' को धर्मवीर भारती जैसा योग्य और सर्जक सम्पादक मिला । मैं उनसे मिलने उनके केबिन में गया । वे तपाक से मिले और मेरे संशय को काटते हुए बोले—“देखिये, मैंने एक बड़ा दायित्व लिया है । उसके निर्वाह के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए । हमारे लिए लिखते रहिए ।” फिर बहुत स्नेहपूर्ण बातें होती रहीं । यह शायद पहला अवसर था जब भारती जी ने मैं अकेले में इतनी अतरगता से बात कर रहा था । सत्यकाम जी आये । बैठे और जातं समय उपदेश दिया, “देखिये, मैंने बड़ी मेहनत से इस पत्रिका को बनाया है, पचास हजार तक इसकी बिक्री बढ़ा दी है । आप नये सर्जक हैं । देखिएगा इसकी बिक्री घटने न पाये ।”

भारती जी ने बहुत विनयपूर्वक आक्षेपवाद के रूप में उनका उपदेश ग्रहण किया । कहा—“कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद टूटने न पाये ।”

भारती जी को मैं कविताएं, कहानियां भेजता रहा, छपती रही । वे एक अतराल के बाद पत्र लिखकर रचना भेजने का आग्रह करते रहते । थोड़े ही समय में अनुभव हो गया कि भारती जी ने 'धर्मयुग' को 'परिमल' से अलगा लिया है और अपने पत्र को साहित्यकारों की एक बड़ी बुनियाद से जोड़ा है । मैंने उन्हें अपने कालेज की 'हिन्दी साहित्य सभा' की ओर से अहमदाबाद आने के लिए आमंत्रित किया । वे सहर्ष आये । साहित्यकारों और प्राध्यापकों में उनके आने से बड़ा उत्साह फैल गया । कई जगह

साहित्यिक आयोजन हुए। वे मेरे ही घर ठहरे थे। उन्होंने अपने चूटकुलों और बिनोदात्मक संस्मरणों का खजाना खोल दिया। मेरी छोटी बिटिया अंजू भारती जी से खूब हिलमिल गयी। वह उनका साथ नहीं छोड़ती थी। इस चार वर्षीय बिटिया का सौन्दर्य-बोध बहुत जाग्रत् था। जब कोई काला-कलूटा या असुंदर व्यक्ति (चाहे वह मेरा छात्र हो, चाहे दोस्त, चाहे और कोई) मेरे यहां आता था और हम लोग कहते थे कि बेटा, अंकल को नमस्ते करो तो वह मुंहफट लडकी एकदम कह उठती, “घत्, ऐसे आदमी को मैं अंकल नहीं कहूंगी।” इसके विपरीत कोई ठीक-ठाक आदमी होता तो उसके साथ घुलमिल जाती। ऐमा कोई अतिथि आना तो उसके आते ही यह सवाल करती, “पापा, ये कब जाएंगे?” वह आदमी एकाएक अचकचा जाता। मैं मुसकराता और आश्वस्त करते हुए कहता—“घबराइए नहीं, इसके पूछने का आशय यह है कि आप आते ही चले तो नहीं जाएंगे। इसे ठीक-ठाक दीखने वाले लोगों से बातचीत करने, उनके साथ ममय गुजारने में आनंद आता है।” तब वह व्यक्ति ठठाकर हसता। अंजू ने शायद ऐसा ही प्रश्न भारती जी से भी किया था और भारती जी को मेरे घर पर दो-तीन दिन ठहरने की प्रक्रिया में यह ज्ञात हो गया कि अंजू के पूछने का आशय क्या था?

मेरी पत्नी अपनी ओर से अच्छे से अच्छा खाना बनाती ही रहें, फिर भी उन्हें लगा कि अतिथि के मनपसंद खाने की भी जानकारी ले लेनी चाहिए। उन्होंने भारती जी से कहा—“भाई साहब, मुझे लग रहा है कि आपको मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा है।”

“अरे नहीं-नहीं भाभी जी, यह आप क्या कह रही हैं?”

“तो फिर मन से खाते क्यों नहीं?”

“अरे इतना तो खाता हूं, फिर मन से न खाने का प्रश्न कहां?”

“नहीं, मैं चाहती हूं आपकी पसंद की कोई चीज बनाऊं। बताइए, आपको क्या पसंद है?”

“भाभी जी, मेरी कोई खास पसंद नहीं।”

“फिर भी।”

“बासी पूड़ी और भरी मिर्च का अचार।”

हम हंसे और प्रसन्न भी हुए। मैंने कहा—“हमारी ही तरह आपके खानपान की रुचि में भी बचपन जीवित है, वह महानगरी रुचि से आक्रांत नहीं हुआ।”

पत्नी उन्हें बासी पूड़ी तो नहीं खिला सकीं किन्तु जाते समय उन्हें एक डिब्बा भरी मिर्च का अचार जरूर दे दिया और भारती जी उसे बहुत प्रेम से ले गये।

उन्हीं दिनों वल्लभ विद्यापीठ में भारतीय हिन्दी परिषद् के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस परिषद् से मेरा कोई सरोकार नहीं बन पाया था। इसलिए मैं इसके किसी अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुआ था और इस अधिवेशन को छोड़कर बाद में भी किसी में सम्मिलित नहीं हुआ। इसके दो कारण हैं : (1) स्वभाव ही ऐसा है कि मैं बहुत कम आता-जाता हूं। दिल्ली में आने के बाद देखा—यहां मंत्रालयों, दूतावासों में न जाने कितने जलसे होते हैं (जहां जाकर लोग अनेक तरह के सम्बन्धों की

रचना करते हैं) पर मैं नहीं जाता। वहीं जाता हूँ जहाँ कुछ साहित्यिक परिवेश हो और अनौपचारिकता हो। (2) मुझे लगता था कि भारतीय हिन्दी परिषद् में प्रोफेसरों का वर्चस्व है, बाकी लोग तो भीड़ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन भीड़ के रूप में जाने वाले भी अपना-अपना काम वहाँ करते हैं—यानी पारम्परिक सम्बन्ध बनाते हैं, परीक्षकत्व तथा ऐसी ही लाभ की चीजों के लिए गोटी फिट करते हैं। न मैं प्रोफेसर हूँ, न गोटी फिट करने वाला भीड़ का कोई व्यक्ति। फिर क्या करने जाऊँ? इस न आने-जाने की हानि तो मैंने काफी उठायी किन्तु लाभ-हानि में ही तो जीवन नहीं चलता। अपने भीतर का सुख कम मूल्यवान तो नहीं।

वल्लभ विद्यापीठ वाले अधिवेशन में भी मैं गया नहीं, मुझे जाना पडा। परिषद् के सचिव ने हमारे कुलपति को गुजरात विश्वविद्यालय में प्रतिनिधि भेजने को कहा। एम० ए० केन्द्र का प्रभारी होने के कारण मुझे भेजा गया। मैं गया। हमारे बहुत-से छात्र और मित्र भी गये। डा० नगेन्द्र तो उम्र ममय तपे हुए अध्यक्षों में से थे, बल्कि सबसे अधिक प्रतापी अध्यक्ष थे। परिषद् पर भी उनका सर्वाधिक प्रभाव था। वे तो थे ही, और भी अनेक प्रोफेसर, अध्यक्ष, रीडर, प्राध्यापक आदि थे। चहल-पहल थी। मिलना-जुलना, देखना-दिखाना और सांठ-गांठ की प्रक्रिया जारी थी। मेरे कई विद्यार्थी नगेन्द्र जी को देखने आये थे और वे बहुत खुश थे कि उन्होंने उन्हें पान खिलाया है। मैं भी उन्हें दूसरी बार देख रहा था। पहली बार निराला-जयंती-समारोह में नाव पर बनारस में देखा था आज यहाँ देख रहा था। गुजरात से गाव जाने की प्रक्रिया में दिल्ली से कई बार गुजरा किन्तु स्वभाव के अनुसार उनसे या किसी अन्य साहित्यकार से परिचय प्राप्त करने के लिए मैं दिल्ली के भीतर नहीं गया। मुझे अपनी बनावट पर आश्चर्य होता है कि जहाँ अनेक नये-नये साहित्यकार या प्राध्यापक बड़े लोगो से परिचय प्राप्त करने की योजना बनाकर यहाँ-वहाँ अभियान करते हैं, वहाँ किसी शहर से गुजरते हुए भी वहाँ के प्रतापी लोगों से परिचय का प्रसाद पाने की कभी मेरी इच्छा ही नहीं हुई। प्रथम दर्शन के समय नगेन्द्र जी के चेहरे पर जो गर्व का आकुचन देखा था, वही इस समय भी देख रहा था और बाद में तो देखता ही रहा।

बहरहाल विचार-गोष्ठियाँ हुईं। बहसें हुईं। पाठ्यक्रमों पर विचार हुआ। मैंने भी गुजरात विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हवाला दिया। इस अधिवेशन में तमाम बातें हुईं जैसी प्रायः होती हैं, किन्तु कुछ बातें ऐसी थी जो अपनी जीवंतता के कारण मुझे याद हैं और जो अधिवेशन की ऐकडेमिक जड़ता को तोड़कर अनौपचारिक उत्सव की तरह उगी थीं। उनमें से एक था—कवि-सम्मेलन। कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता शंभूनाथ सिंह और संचालन ओमानंद सारस्वत कर रहे थे। शंभूनाथ जी के साथ नंददुलारे वाजपेयी बैठे हुए थे। ठीक याद नहीं कि वरिष्ठ प्रोफेसरों में से और कोई वहाँ था कि नहीं क्योंकि प्रोफेसर और सर्जनात्मकता का सम्बन्ध अनिवार्य नहीं होता। प्रायः विपरीत ही होता है। जाहिर है शुरू में कनिष्ठ और स्थानीय कवियों से पढ़वाया जाता है। वाजपेयी जी ने शंभूनाथ सिंह से कहा, “किसी अच्छे कवि से कविता पढ़वाइए।” शंभूनाथ सिंह के पास मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, “जिसका नाम

सबसे अच्छा हो, उसी को बुलाता हूँ।” उन्होंने सूची देखी और ओमानंद से कहा, “इस कवि को बुलाइये।” ओमानंद ने अपने विदूषकी लहजे में पुकारा—“अब आपके सामने स्वर्णकिरण जी कविता पढ़ेंगे।” कोई उठा ही नहीं। लोगों ने चारों ओर देखा कि इस नाम का कवि कहां है? है कि नहीं? तब तक एक कवि उठे। उन्हें देखते ही लोग चिल्लाये—यमदूत, यमदूत। स्वर्णकिरण जी इस उपाधि से एक बार स्तब्ध होकर ठिठके, फिर धीरे-धीरे माइक पर आ गये किन्तु उन्हें लेकर श्रोताओं का मन विनोद पर उतर आया था। बात यह हुई कि पहले दिन शाम को गुजराती के स्थानीय कलाकारों ने मंच के नाटक ‘नो एक्टिजट’ का गुजराती रूपान्तर मंच पर प्रस्तुत किया था। उसमें काली पेट और काला अंगरखा पहने यमदूत आया था। स्वर्णकिरण ने भी काली पेट और काली शेरवानी पहन रखी थी। बस, श्रोताओं को मसाला मिल गया।

स्वर्णकिरण भी श्रोताओं के उपहाम का बदला लेने पर तुल गये। यानी वे किमी की भी परवाह किये बिना कविता पढते रहे। श्रोता उनकी ऐसी की तैसी करते रहे और वे श्रोताओं की। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कविता। हाहाकार मच गया। श्रोता चिल्लाते रहे। अध्यक्ष और सयोजक उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे। मेरी बगल में बम्बई से पधारे एक विद्वान् बैठे हुए थे जो शुरू में ही आकर्षण का केन्द्र बने हुए थे। लगता है बम्बई वाले उन्हें अपने मनोरंजन के लिए ही मनाकर लाये थे। उनका नाम था—सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्या मार्तंड। वे गोष्ठियों में और बाहर गुरांति घूम रहे थे और अपने पांडित्य में लोगों को चुनौतियां दे रहे थे। एक चुनौती यह भी थी कि कवि-सम्मेलन में वे चौबीस भाषाओं में कविताएं पढ़ेंगे। संस्कृत से शुरू करके न जाने कितनी-कितनी भाषाओं में गुजरते हुए हिन्दी तक आएंगे। मैंने उनसे कहा, “पंडित जी, इस कवि के बाद आपका ही नम्बर है।” इस पर उन्होंने बहुत क्रोध से कहा, “अरे, यह हटे तब तो पढ़ूँ।” मैंने कहा, “आप खुद उठ जाइये तो ये खुद वहां से सरक लेंगे।” किन्तु मार्तंड जी विवश क्रोध के साथ बैठे रहे। आखिर स्वर्णकिरण जी ने श्रोताओं के सतत अनियंत्रित शोर का सम्मान करके माइक छोड़ दिया। फिर सारस्वत जी ने एक-एक शब्द पर जोर देते हुए और विदूषकी ढंग से उच्चारण करते हुए घोषणा की—अब आपके सामने आ रहे हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्या मार्तंड... विद्या मार्तंड जी के उठते ही बम्बई वालों ने हो हो हो हो करना शुरू किया, जैसे कह रहे हो—आ गया, आ गया। हमारे मनोरंजन का वादशाह। मार्तंड जी ने कृपा की कि चौबीस भाषाओं वाला इरादा छोड़कर केवल हिन्दी में काव्य-पाठ आरंभ किया। कविता भक्ति की थी। लोग शुरू में ही शोर करने लगे। मार्तंड जी का क्रोध उफन पड़ा—“अरे मूर्ख प्राध्यापको, श्रृंगार रस पढ़ते-पढ़ते तुम्हारे कान में कीड़े पड़ गये हैं, भक्ति रस तुम्हें कैसे सहन हो।” उनके क्रोध-कथन पर हल्ला और तेज हो गया। आखिर मन ही मन मूर्ख समुदाय को गाली देते हुए और उस पर आंखों से घृणा उगलते हुए मार्तंड जी बैठ गये और अपने ज्ञान के अपमान पर बहुत देर तक गुमसुम रहे। कवि-सम्मेलन चलता रहा। अच्छी-बुरी कविताएं पढ़ी जाती रहीं किन्तु मार्तंड जी अपमान से अपने में खोये रहे और उठकर चले गये।

इस अधिवेशन का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा—भोजन। उत्तर भारतीय लोगों के लिए गुजराती भोजन बहुत ग्राह्य नहीं होता किन्तु यदि ढंग का भोजन हो तो स्वाद बदलने के लिए दो-एक दिन खाया जा सकता है। गुजराती भोजन समृद्ध और शुद्ध हो तो भलग स्वाद का होकर भी बहुत अच्छा लगता है किन्तु विद्यानगर में जो खाना मिला वह बहुत दरिद्र खाना था। उत्तर भारत के आदमी को मूंगफली के तेल में छनी पूड़ी के साथ कटोरी भर दूध दे दिया जाये और ऐसे ही कुछ भामूली-सी गुड़-डली सब्जी तो वह क्या खायेगा? इसलिए बहुत-से लोग तो खाना खा ही नहीं सके और कई लोगों का पेट खराब हो गया।

इस अधिवेशन की एक उपलब्धि यह भी मानता हूँ कि कई नये लोगों से मेरी पहचान हुई। नंदन जी मे तो दोस्ती हो गयी। न जाने उन्हें मुझमें क्या दीखा कि एक दिन खाना खाते समय (वे मेरे पास ही बैठे थे) कह उठे—“तुम मुझे बहुत अच्छे लगे।” मैंने भी तहेदिल से यही वाक्य दोहराया। और तब मे हम दोनों एक-दूसरे को अच्छा लगते आ रहे हैं। जब वे ‘धर्मयुग’ में गये और फिर दिल्ली आये तो लगातार हमारे सम्बन्ध हमारे सम्पर्कों से गाढ़े होते रहे। अधिवेशन सम्पन्न होने पर बहुत-से लोग अहमदाबाद गये। शंभूनाथ, ब्रजविलास नंदन तो मेरे साथ ही गये और मेरे साथ ही ठहरे। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा में काव्य-गोष्ठी हुई तथा और भी साहित्यिक आयोजन हुए। उन्हीं दिनों मेरा शोध-प्रबंध ‘हिन्दी आलोचना का इतिहास’ बी० एच० यू० से प्रकाशित हुआ था। अतः इस साहित्यिक परिवेश की महक और गाढी हो गयी।

चिम्मन भाई पटेल कांग्रेस के नेता तो थे ही, लगातार बड़े नेता बनते गये। उनका स्नेह मुझे प्राप्त था। अतः कांग्रेस द्वारा संचालित कक्षाओं में भाषण देने के लिए मुझे बुलवाते थे। मेरे मना करने पर भी उनका स्नेह खींच लाता था। वे सरदार पटेल कालेज के प्रिंसिपल होकर चले गये। कालेज अहमदाबाद में ही था अतः भेंट-मुलाकात होती रहती थी। भेंट-मुलाकात का एक माध्यम और था, वह थी हिन्दी पाठ्यक्रम समिति। पाठ्यक्रम समितियों की विडम्बना की मत पूछिये। सीनेट के सदस्य ही उसके सदस्य होते थे। इसलिए हिन्दी पाठ्यक्रम समिति से हिन्दी वालों का कोई मरोकार नहीं था। सीनेट के सदस्य ही चुनते थे कि वे किन्हीं दो समितियों के सदस्य रहेंगे और अध्यक्ष का चुनाव भी वही करते थे। हिन्दी समिति में चिम्मन भाई बहुत सक्रिय थे। उन्हीं के कालेज के अर्थशास्त्र विभाग के प्रवक्ता जयेश भाई अध्यक्ष बनाये गये। चिम्मन भाई के स्नेह से मुझे और बड़ौदा के अंबाशंकर नागर को सदस्य के रूप में को-आपट किया गया। नागर जी तो बड़ौदा में थे और जयेश भाई हिन्दी से अनभिज्ञ। अतः व्यावहारिक रूप में मुझे को सब कुछ देखना पड़ता था। कोपत भी होती थी कि क्या

ये हम दोनों (मैं और नागर जी) में से किसी को अध्यक्ष नहीं बना सकते थे ? किन्तु उन लोगों के स्नेह और आत्मीय भाव को देखते हुए कोफ्त का भाव टिकता नहीं था—चलो कोई हों अध्यक्ष, काम होता रहना चाहिए ।

हमारे सहकर्मी हरिहर शुक्ल जेवियर छोड़कर चिम्मन भाई के कालेज में हिन्दी विभागाध्यक्ष होकर चले गये थे । वे हमारे पड़ोसी थे । हम लोगों में गहरे पारिवारिक सम्बन्ध थे । हरिहर भाई बहुत व्यावहारिक व्यक्ति थे अतः चिम्मन भाई को प्रसन्न रखते थे । विभाग का संचालन वे ठीक करते थे और मोहल्ले में पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार और सहायक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे । वैसे तो जब वे हमारे साथ जेवियर में थे तब भी हमारी-उनकी कोई टकराहट नहीं थी । अब तो वे हमारे कालेज में थे और एम० ए० अध्यापन के लिए जेवियर में आते थे । अब टकराहट की कोई बात ही नहीं उठ सकती थी । वे व्यवहार-बुद्धि वाले कुशल व्यक्ति थे और मैं मूलतः मर्जनात्मक वृत्ति वाला व्यक्ति । अतः वे मुझे अच्छे व्यावहारिक सुझाव देते थे, कुछ व्यक्तियों और स्थितियों के खतरों से सावधान भी करते थे और अपने कालेज के प्रिंसिपल चिम्मन भाई तथा हिन्दी समिति के अध्यक्ष जयेश भाई के रुख की सूचना देते रहते थे । कुल मिलाकर वे मेरे शुभचिन्तक थे और एक ही मोहल्ले में पड़ोसी होने के कारण मुझे उन पर बहुत भरोसा था । बाद में हमारे सम्बन्ध और भी सघन हुए—दिल्ली आने पर । उसके बाद मे वे प्रिंसिपल हो गये और बड़ी कुशलता से कई कालेजों की प्रिंसिपली की । अंत में वे अपने गांव के पास के ईडर नामक स्थान पर एक कालेज के प्रिंसिपल हुए और उमे बहुत खूबसूरत कालेज के रूप में सजित किया । उसमें उन्होंने अनेक गुजराती-हिन्दी साहित्य-संगोष्ठियां आयोजित की जिनमें मुझे बार-बार बुलाया । किन्तु यह बाद की बात है यानी मेरे दिल्ली आने के बाद की ।

‘समस्त ब्रह्म क्षत्रिय मोसायटी’ (जहां मैं रहता था) नया मोहल्ला था—बहुत खुला हुआ मोहल्ला । छोटा-सा मोहल्ला । हम सभी एक-दूसरे को जानते थे । मैं जिस मकान में था वह बहुत अच्छा मकान था । उसका बहुत बड़ा अहाता था । अहाते में चारों ओर कैक्टस की बाड़ लगी थी और मुख्य द्वार पर ग्रिल का फाटक था । अहाते में घाम उगी होती थी । इतने बड़े अहाते में जंगली घास उगी हो, यह बात मेरे मन को जंचनी नहीं थी । चाहता था—उसमें कुछ फूल हो, कुछ सब्जियां हों, सुबह-सुबह उठते ही फूलों और सब्जियों की शोभा में नहाकर मन और नेत्र ताजा हो उठें किन्तु इतना श्रम करना मेरे वश का नहीं था । माली रख सकता था किन्तु एक बड़ी दिक्कत थी और वह दिक्कत गुरु से ही मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी । वह यह कि उस बड़े मकान के एक छोटे से हिस्से में एक दूसरा परिवार रहना था । वह परिवार थोड़ा विचित्र था । उससे हम लोग बचते रहते थे । उसके कारण अहाते का फाटक बंद नहीं रख सकते थे । हम बंद करते थे तो वे लोग आने-जाने की प्रक्रिया में उसे खोलकर छोड़ देते थे । भला इस स्थिति में कैसे कोई फूल और सब्जी उगा सकता था । आबारा पशु अंदर घुस आते थे और घास चरते थे । मैंने कभी-कभी फूल लगाने का प्रयत्न किया भी किन्तु इन पशुओं ने आकर सत्थानाश कर दिया । इसलिए अपने अहाते को फूलों

और सक्जियों की शोभा से भरा-पूरा देखने की इच्छा मन में ही रह गई। पहली बार तो इतना बड़ा अहाता मिला था, वह भी मेरे सपनों का अहाता नहीं बन सका।

मेरे मकान में दो बड़े कमरे थे। एक रसोई थी, बड़ा आंगन था, गैलरी थी, सामने एक छोटा-सा बरामदा था। कुल मिलाकर पहली बार एक सुंदर मकान मिला था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी विधवा मालकिन बम्बई में रहती थीं। मकान मालिक और किरायेदार की टकराहट और तज्जन्य अशांति का प्रश्न नहीं था किन्तु टकराहट से बचाव कहां हुआ? ऊपर जिन पड़ोसी की बात की थी उनसे टकराहट हो ही जाती थी। परिवार के मालिक किसी सेठ के यहां कार ड्राइवर थे। वे बहुत तेज बोलते थे। अपने घर में तो उनकी आवाज अशांति पैदा करती ही थी, कुछ टुन्न-फुन्न के अवसर पर हमारे दरवाजे पर उफनकर हमारी शांति भी भंग करती थी। उम परिवार का बड़ा लड़का बहुत सीधा था। वह भी कोई छोटी-मोटी नौकरी करता था। उसकी बीबी बड़ी ही दयनीय थी। सीधे-सादे लड़के की बीबी दयनीय हो ही जाती है। उसके शरीर में रक्त नहीं था। पीली दुर्बल देह लिए रात-दिन गृहकार्य में खटती रहती थी और अपनी सास, ननद और देवर की निरंतर ताड़ना महती रहती थी। हां, उम परिवार में जो गृह-स्वामिनी थीं वे टिपिकल सास थीं। एक लड़की थी, जो पढ़ती थी। पढ़ाई में फेल होने लगी तो पढ़ाई छोड़ा दी गयी और घर पर रहकर अशोभन हरकतें करती रहती। भाभी के प्रति अपनी मां के कठोर व्यवहार में शामिल होती रहती थी या उसकी खातिर बाहर लड़ाई होती रहती थी। दो लड़के और थे। एक लड़का पढ़ता-लिखता था और अपने परिवार के उजड़ रूप से शर्मिन्दा होता रहता था। वह हम लोगों के साथ उठता-बैठता था और अपने परिवार वालों से अलग अपनी एक पहचान बनाने की बेचैनी उसमें थी। कुछ दिनों बाद उसे इस पारिवारिक वातावरण से मुक्ति मिली तो बहुत प्रमन्न हुआ यानी वह एक नौकरी पाकर अहमदाबाद से बाहर चला गया। सबसे छोटा लड़का भी अपढ़ था और दुनिया-भर का गुस्सा आंखों में कसे घूमता रहता था। कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। इसलिए पड़ोस की अशान्ति ने हमें शान्त रहने नहीं दिया। बार-बार बहू की यातना और उसका क्रंदन हमें बेचैन कर देता था। बार-बार उसके विरुद्ध उस परिवार का सम्मिलित हाहाकार हमारे कमरे, आंगन और हमारे मन में उबलने लगता था और कभी-कभी इस परिवार की टकराहट हमारे दरवाजे से ही उठती थी। इस मोहल्ले में यह परिवार अकेला और उपेक्षित पड़ गया था।

अहाते की दूसरी ओर एक सभ्य परिवार था जिसमें एक अवकाश-प्राप्त दुर्बल व्यक्ति को गिरते-पड़ते सुबह से रात तक काम करते और गाली खाते देखता था। गालियों की बौछार के बीच धम्म-धम्म पीटने की आवाजें प्रायः उठती रहती थीं। गृह-स्वामिनी एक मोटी-सी औरत थी जो संभवतः इस बूढ़ की भयहू (भ्रातृजाया) लगती थी। वह कुछ करती-धरती दिखाई नहीं पड़ी, केवल इस बूढ़ को गालियां देती दिखाई पड़ी। सुना था कि बूढ़ ने अपनी सारी आमदनी और पी० एफ० के पैसे इस परिवार के लिए लगाने दिये थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसी का पुरस्कार यह

परिवार उसे दे रहा था। उस बूढ़ व्यक्ति की मौन यातना सारी खिड़कियां तोड़कर हमारे घर में पैठ आती थी। मन बार-बार अशांत हो उठता था। इन दो यातनाओं के बीच हमारा अपना सुख सुख कैसे रह सकता था।

वैसे यातनाओं की कमी नहीं थी इस मोहल्ले में। लेकिन सबसे हमारा सीधा मरोकार तो नहीं न बन सकता था। जो दूर के थे उनकी यातना के बारे में सुनता था, जो नजदीक के थे उनकी यातना कहीं न कहीं हमारे अनुभव का अंग बन जाती थी। यहां कुछ और उत्तर भारतीय परिवार थे जिनसे स्वभावतः पारिवारिक सम्बन्ध बन गया था। एक थे कपूर साहब—किसी बैंक में ऑफीसर। उनकी दो पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री पोलियो से अपंग हो गयी थी। घिसटकर चलती थी। बहुत प्यारी लड़की किन्तु अपंगना की यातना झेल रही थी और मां-बाप की यातना की तो इंतहा ही नहीं थी। उसकी प्यारी-प्यारी तरल आंखों ने हमारे साथ इतनी गहरी आत्मीयता स्थापित कर ली थी कि उसके सामने पड़ते ही मन दर्द में झनझना जाता था। इतनी बड़ी दुनिया को अपने मामले में गुजरते देखती तो उसकी आंखों में न जाने कैसे-कैसे असहाय सपने बनते-टूटते रहते थे।

एक दूसरा परिवार था जिसके गृहस्वामी अच्छी नौकरी में थे। उनके पास आधुनिक जीवन के सारे साजो-सामान थे। उनके स्वयं के उपयोग के लिए कई-कई जोड़े जूते, कपड़े आदि थे किन्तु पत्नी साधे की (जोड़ वाली) मामूली साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर घूमती थी। बच्चे भी बिना इस्त्री किये कपड़े और हवाई चप्पल पहनकर स्कूल जाते थे। पत्नी की जिदगी गहरी उदासी से भरी हुई थी। उनकी बातों से सकेन मिलता था कि घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। अपमान होता है, उपेक्षा होती है, अच्छी आमदनी के बावजूद पति उन्हें गृह-खर्च के लिए बहुत कम देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी स्थिति का कारण होती है—सुरा-मुंदरी। वह कारण यहां भी उपस्थित था। उनकी पत्नी मेरी पत्नी की मित्र थी, इसलिए उस परिवार की व्यथा छन-छनकर हमारे यहां आती रहती थी।

दर्द कहां नहीं है, यातना कहां नहीं है और टकराहटें कहां नहीं होती है? और मैं अपनी लघुता में यह अहंकार क्यों पाल रहा हूँ कि लोगों का दर्द मेरा दर्द बन गया था। मुझे कहना चाहिए कि सब कुछ के बावजूद यहां मुझे अच्छा लग रहा था। इस मोहल्ले में भाईचारा था। लोग मुझे प्रेम से अपनाए हुए थे। शहर के तमाम आत्मीय लोग इस मकान में आते रहने थे। बाहर के अनेक साहित्यकार मित्र आये, इस मकान में ठहरे। इसी मकान में अनेक साहित्यिक गोष्ठियां हुईं और मैंने न जाने कितनी कविताएं-कहानियां लिखीं। 'जल टूटता हुआ' इसी मकान में लिखा गया। बहुत कुछ मिला यहां रहते हुए।

इस मोहल्ले से थोड़ी दूर साबरमती नदी बहती थी। सुबह-सुबह मैं उधर घूमने निकल जाता था। नदी-तट तक कच्ची सड़क थी। सड़क के दोनों ओर खेत पड़ते थे जिनमें मौसमी फसलें लहराती रहती थीं। नदी में पानी की धारा तो बहुत पतली थी जिसे लोग हुसकर पार किया करते थे। मैं तट पर जाकर घूमता था या बैठ जाता

था। बगलों की पंक्ति उड़ती थी, सारस कँकारते हुए तट के आर्द्र बालुका विस्तार पर घूमते थे। पास के बगीचे से मोर पिहंक्ता था। वैसे मोर की पिहंक्ता तो मैं रात को भी सुनता था। बालुका राशि पर कहीं-कहीं लंबी-लंबी जंगली वनस्पतियाँ उगी होती थी। नदी के इस पार ही शहर समाप्त हो जाता था। उस पार दूर-दूर तक बस्तिया नहीं थी, खेत थे, तमाम लोग पानी हल-हलकर उस पार जाते थे। मैं सोचता था, कहा जा रहे हैं लोग ? इसी मानसिकता में मैंने अपना प्रिय गीत लिखा था—

रात रात भर मोरा पिहंके
बैरिन नीद न आए
बड़े भोर सारस कँकारे
नदिया तीर बुलाए।

साबरमती तट से लौटकर मैं ताजा हो उठता था और अपने मे पूरे दिन को ताजगी से जी लेने की शक्ति भर लेता था।

इस मोहल्ले के चारों ओर खानी जगहें थी, खुले मैदान और खेत थे। इसलिए प्रकृति के बीच रहने का भी सुख अनुभव होता रहता था। मन्दिर थे, जिनमें घंटियों और भजनों के कोमल स्वर के साथ माइक पर प्रवचनों के कर्कश स्वर उठते थे और प्रकृति के इस सुखद खुलेपन को अपनी असुन्दरता से बोझिल कर देते थे। एक तो प्रवचन वैसे ही अवांछित चीज है, दूसरे, यदि भौंड़े स्वर में उगला जाए तो उसकी अवांछनीयता अधिक धनी हो जाती है। प्रवचन कौन देता है, प्रवचन की सार्थकता-निरर्थकता इस पर निर्भर होती है। जो प्रवचन के सत्य को स्वयं अपने आचरण में उतार लेता है उसका प्रवचन तो सार्थक लगता है किन्तु जो आचरण में सत्य को उतारता है वह प्रवचन नहीं देता; उसका तो आचरण ही उसका प्रवचन होता है। प्रवचन देने वाले सत्य-व्यवसायी होते हैं। वे किताबों के सत्य को रटकर उसे प्रवचन के रूप में धर्मभीरु जनता की भीड़ में फेंकते रहते हैं। वे स्वयं अपने प्रवचन से एकदम विरुद्ध आचरण करते हैं, प्रवचन के लिए वे मत्याचरण की आँच अर्जित करने के स्थान पर बाणी का कौशल अर्जित करते हैं और उनका प्रवचन जनता को सुधारने के लिए नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए होता है। आध्यात्मिक सत्य का प्रवचन करने वाले भौतिक सुख में जितना डूबना चाहते हैं उतना और कोई नहीं। ईश्वर, धर्म, नैतिकता, आदर्श—ये सब प्रवचनकारियों के लिए वस्त्र होते हैं जिन्हें पहनकर वे भीड़ में जाते हैं और जब अकेले होते हैं तो उन्हें खूटी पर टांगकर निपट नंगे हो जाते हैं और प्रवचन सुनने वालों पर व्यंग्य से मुसकराते हैं। प्रवचन की यह विडम्बना धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आज सर्वत्र अपनी कुरूपता के साथ व्याप्त हो उठी है। बहरहाल और क्षेत्रों के प्रवचन तो कभी-कभी होते हैं और एक ही स्थान पर नहीं होते किन्तु धर्म के प्रवचन तो रोज सुबह-शाम, कभी-कभी दिन-भर आपके पास के धर्मस्थान में दहाड़ते रहते हैं। आप उन्हें झेलने के लिए अभिशप्त होते हैं। उस मन्दिर और मेरे घर के बीच खुला आकाश था अतः माइक से उछाला गया प्रवचन मेरे घर में आकर गिरता था। धर्मप्राण लोगों को तो घर बैठे धर्म का अनुसंधान करने का व्यवसर प्राप्त हो जाता है किन्तु मैं क्या करूँ ? मैं तो

मारस्वतघर्भी व्यक्ति हूँ, मेरे लिए तो यह प्रबचन गरल ही सिद्ध होता था ।

दिन बीत रहे थे । बच्चे बड़े हो रहे थे । हेमंत, अंजू दोनों स्कूल जाने लगे थे । दोनों पास के किसी गुजराती स्कूल में जाते थे । हेमंत को हिन्दी तो आती ही थी, अखबार पढ़-पढ़कर गुजराती भी सीख गया था । मेरी चिन्ता यह थी कि यदि हम कल गुजरात में नहीं रहे तो इन बच्चों की गुजराती का क्या महत्त्व रहेगा ? उत्तर भारत के स्कूलों में तो हिन्दी ही देखी जाएगी । गुजराती के साथ-साथ ये हिन्दी और अंगरेजी पढ़ सकें, तब तो ठीक, नहीं तो परेशानी हो जाएगी । कारपोरेशन के हिन्दी स्कूल तो थे किन्तु एक तो वे बहुत दूर थे, दूसरे उनकी स्थिति बहुत स्पृहणीय नहीं होती ।

वैसे मैं कानवेंटी शिक्षा का विरोधी रहा हूँ । मेरा दृढ़ विश्वास रहा है कि यह शिक्षा हमारे बच्चों को अपनी जड़ों से काटती है और उन्हें जन-सामान्य से अलगाकर पश्चिमोन्मुख आभिजात्य के सपने दिखाती है । कारपोरेशन के स्कूलों में आने वाले बच्चे यदि निम्नवर्गीय और निम्नमध्यवर्गीय स्थितियों और संस्कारों के कारण देशी मुहावरे में लाता-लूती और गाली-गलौज करते हैं तो कानवेंटी बच्चे सभ्यता के आवरण में छिपी अपनी गालियाँ और बेहूदी हरकतें सभ्य मानी जाने वाली अंगरेजी भाषा में उगलते हैं । यदि कारपोरेशनी बच्चे एक-दूसरे की मां-बहन को गाली देने हैं तो कानवेंटी बच्चे पूरे देश की मां (भारतमाता) को, उसकी धूलि-धूसरित सन्तानों को, उसकी अपनी भाषा और परम्पराओं को, उसके पर्वों और त्योहारों को गाली देते हैं । उन्हें अपनी उधार ली हुई भाषा और अमरबेलि वाली संस्कृति पर नाज करना सिखाया जाता है । मैं यह सब जानता हूँ किंतु यह भी जानता हूँ कि फिलहाल अंगरेजी के बिना निबाह नहीं है और वह जहाँ रहिए वहाँ साथ रहेगी । गुजराती तो गुजरात में ही छूट जायेगी । सेंट जेवियर कालेज में पढ़ाने वाले अधिसख्य प्राध्यापकों के बच्चे जेवियर स्कूल में या माउण्ट कारमल स्कूल में पढ़ते थे । विद्वश होकर मैंने भी सोचा कि अपने बच्चों को वहीं डाल दूँ । फादर प्रिंसिपल से पत्र लिखवाया और बच्चों का दाखिला हो गया । अंजू को माउंट कारमल में डाल दिया और हेमंत को जेवियर स्कूल में । शशांक भी चार साल का हो गया था, उसे भी कुछ दिनों बाद जेवियर में डाल दिया ।

हेमंत का माध्यम गुजराती ही रहा क्योंकि वह शुरू से गुजराती पढ़ रहा था । वह अंगरेजी माध्यम से चल नहीं सकता था किंतु शशांक और अंजू का माध्यम अंगरेजी रखा । हेमंत ज्यों-ज्यों बड़ा हो रहा था पढ़ाई के प्रति उसकी सलग्नता कम हो रही थी । मोहल्ले के सामान्य किस्म के बच्चों के साथ खेलने-कूदने, ऊधम मचाने में और कोर्स से बाहर की चीजें पढ़ने में उसे अधिक रस मिलता था । समझाने-डांटने के बावजूद वह अपने रास्ते पर चल रहा था । एक ओर उसकी सामान्य प्रतिभा का विकास हो रहा था, दूसरी ओर स्कूली रुचि का ह्रास । जब हम पहली बार अहमदाबाद में आए थे और कांकरिया पर रह रहे थे तो हेमंत वहाँ के एक स्कूल के पास जाकर बैठ जाता था । बच्चों को आते-जाते, पढ़ते, खेलते-कूदते देखता था और कहता था, हम भी स्कूल में पढ़ेंगे । हम समझाते थे कि अभी तुम्हारी अवस्था नहीं हुई है, थोड़ा इन्तजार करो । हम सोचते थे कि स्कूली शिक्षा के प्रति इसमें गहरी रुचि और लगन है । स्कूल में भरती

होते ही यह अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाएगा। उसने अखबार देख-देखकर गुजराती पढ़ना सीख लिया था, यह भी उसकी भावी प्रगति का सूचक था किंतु अब लग रहा था कि इसकी लाइन अलग है। छोटी अवस्था में ही उसने कोर्स की किताबों के साथ अन्य किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास, पुराण, महापुरुषों, वर्तमान राजनीति और जीव-जन्तुओं के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। लेसन करने में उसका मन ही नहीं लगता था। एक बात स्वीकार लू कि बच्चों की स्कूली पढ़ाई की तैयारी में आजकल मा-बाप जो मूमिका निभाते हैं, हमने नश्री निभाई। न मैने, न मेरी पत्नी ने कभी बच्चों का लेसन कराया। कभी-कभार ध्यान तो दिया नहीं तो सब उनकी अपनी इच्छा पर चलता रहा। तब भी देखा और आजकल भी देख रहा हू कि विशेषतया कानवेंटी बच्चों की आधी से ज्यादा पढ़ाई घर में होती है। मास्टर लोग उन पर लेसन का एक सन बोझ लाद देंगे। घर आकर बच्चे उनके नीचे दबे ही रह जायें यदि मा या बाप सहायता न करे। सहायता नहीं बल्कि पूरा का पूरा करवाते हैं। एक मॉटे बस्ते में बड़े अनेक विषयों का बोझ ढोते इन छोटे-छोटे बच्चों का विकास होता है कि ह्वास, मैं नहीं वह सकता किंतु मां-बाप की मुसीबत जरूर बढ़ जाती है। इसीलिए पब्लिक स्कूल इन दिनों भारी डोनेशन लेने के साथ-साथ बच्चों के साथ उनके मा-बाप का भी इन्टरव्यू लेते हैं।

शशाक भी पढ़ाई के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। इसका कारण शायद अंगरेजी माध्यम का होना था। हमारा नियमित रूप से लेसन न तैयार कराना भी हो सकता है। उसका तो स्कूल जाने का मन ही नहीं होता था। घर से थोड़ी ही दूर पर बस-स्टैंड था। वह बस उसके स्कूल के पास से गुजरती थी। हेमंत और शशाक दोनों उसी बस से जाते थे और उसी से आते थे। दो छोटे बच्चों का अकेले बस से स्कूल जाना विचित्र लग सकता है किंतु अहमदाबाद में यह विचित्र नहीं था, सामान्य था। यहाँ की बसों के ड्राइवर और कंडक्टर दिल्ली के कंडक्टरों और ड्राइवरो से एकदम अलग थे। यहाँ आराम से सबके चढ़-उतर जाने के बाद कंडक्टर सीटी मारते हैं और यदि बच्चे हैं तो उन्हें तो बहुत आराम से चढाते-उतारते हैं। दिल्ली की तरह नहीं कि औरत या बच्चे या बूढ़े किसी की परवाह नहीं। कंडक्टर को सीटी मारनी है और ड्राइवर को गाड़ी चलानी है, बस ये इतना ही जानते हैं। लोग बस पकड़ने के लिए बस के पीछे-पीछे भागते हैं तो भागे, आघ्र लटके हुए हैं तो लटके रहे, उतरते समय वे पूरे नहीं उतरें तो न उतरे, बूढ़े या बच्चे या औरतें हैं तो रहा करे और चढ़ते-उतरते इनकी टांग टूटती है, सिर फूटता है तो टूटे-फूटे, इनकी बला से। इन्हें अपनी सीटी दिखाई पडती है और ड्राइविंग। यदि खाली बस लेकर ही इन्हें समय से पहले मजिल तक पहुँच जाने का चास मिल गया तो ये यह भी करते हैं। आप खड़े-खड़े सोचते रहिए कि ये बसें जनता के चढ़ने के लिए हैं या ड्राइवर के खेल के लिए। किन्तु गुजरात में ऐसा नहीं है। यदि ड्राइवर देख लेगा कि बच्चे चढ़ने के लिए भागे आ रहे हैं और थोड़ी दूर पर हैं तो थोड़ा रुक जायेगा, कंडक्टर उन्हें ध्यान से चढ़ा देगा।

मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा होता था, इसलिए हम निश्चित थे। दोनों बच्चे

स्कूल जाने में बहुत उत्साह अनुभव नहीं करते थे, इसलिए मां की कोशिश के बावजूद जरा बिलम्ब से तैयार होते थे और जिस बस से इन्हें जाना होता था उसका समय निश्चिन्त था। ये खरामा-खरामा स्टैंड की ओर जाते थे। यदि ड्राइवर इन्हें आते देख लेता था तो रुक जाता था और ये भी भाग लेते थे किंतु शशांक एक खेल प्रायः करता था। स्कूली ड्रेस से सजघजकर बस्ता लटकाये मस्ती से झूमता हुआ वह हेमंत के साथ बस स्टैंड की ओर चलता था। स्टैंड पर जाकर खड़ा होता था और ज्यों ही दूर से बस आती दिखाई पड़ती थी, सिर ऊंचा करके उसे देखता था और बस्ता लटकाए खड़-खड़-खड़-खड़ घर की ओर भाग खड़ा होता था। हेमंत कभी तो उसे पकड़कर वापस ले जाने में मफल होता था। कभी उसका पीछा करता-करता स्वयं घर लौट आता था। प्रायः यह दृश्य चलता ही रहता था। हम बहुत दिन तक परेशान रहे।

शशांक की एक दूसरी आदत ने हमें बहुत हैरान कर रखा था। वह बहुत लापरवाह और भुलक्कड़ था। रोज कोई-न-कोई चीज स्कूल में छोड़ आता था। नाश्ते का डिब्बा तो प्रायः रोज ही खोता था। मजे की बात तो यह कि स्कूल से लौटता था तो एक पांव में जूता नहीं है। मस्ती में लंगड़ी मारता हुआ, फदर-फदर करता, हंसता हुआ घर की ओर आता था। मां पूछनी थी कि एक जूता कहाँ गया तो अचकचाकर खुद अपना पांव देखता था। सामान तो हेमंत भी खूब खोता था किंतु शशांक उससे आगे था।

उसकी एक तीसरी और आदत थी—चटोरेपन की, जो प्रायः सभी बच्चों के लिए बहुत स्वाभाविक होती है। उन्हें हम रोज जेब-खर्च और बस का किराया देते थे। शशांक कई बार किराये के पैसे खाने में खर्च कर देता था। हेमंत के पास पैसा हुआ तो किराया वह दे देता था। किन्तु होता प्रायः यह था कि जिस दिन वह किराये के पैसे खाने में खत्म कर देता था उस दिन हेमंत में मिलता ही नहीं था, अकेले पैदल घर की ओर मार्च कर देता था। हेमंत के आने पर हम पूछने थे कि “शशांक कहाँ है?” “वह तो आते समय मिला ही नहीं।” हम लोग हैरान हो जाते थे। मैं साइकिल से स्कूल भागता था। प्रिंसिपल से पूछता था। पुलिस में रपट लिखाता था। इधर-उधर खोज करता था और जब घर पहुंचता था तो यह घर पहुंचा मिलता था। क्रोध के बदले करुणा उभड़ती थी कि इतनी दूर यह पैदल चलकर आया है। एक बार तो गजब ही हो गया। काफी समय गुजर गया। मैं स्कूल जाकर और थाने में रपट लिखाकर लौटा था। स्कूल से लेकर घर तक की सड़क का गहराई से मुआयना किया किंतु कहीं भी शशांक का पता नहीं, अब तो हमारे होश उड़ गये। पूरे मोहल्ले को पता चल गया और लोग हैरान-से इधर-उधर खोजने लगे। आठ-साढ़े आठ बजे के लगभग देखा, श्याम सुन्दर शुक्ल उसे साइकिल पर बैठाकर ला रहे हैं। अब सांस में सांस आई। श्याम सुन्दर जी ने बताया—“वह स्कूल से सीधे मेरे घर आया, पैदल। वहाँ मेरी पत्नी ने उसे खिलाया-पिलाया। मैं था नहीं। मैं होता तो तुरंत लेकर आता। मैं अभी घर आया तो सारा किस्सा मालूम पड़ा और इसे लिए भागा आ रहा हूँ।” बातें यह थी कि शुक्ल जी का घर शशांक के बस के रास्ते में पड़ता था, हालांकि यह बस का रास्ता काफी लम्बा था।

वह सीधे रास्ते से जल्दी घर आ सकता था किंतु बच्चे की मस्ती ठहरी, उधर मुड़ गया। शायद उसे रोज-रोज किराये के पैसे खाकर घर आने में डर लगा हो, शायद उसे खूब भूख लगी हो और उसने सोचा हो कि शुक्ल चाचा के घर जल्दी पहुँच जाऊंगा। जो भी हो उसने पूरे वातावरण को कंपित तो कर ही दिया था। अब सबकी जान में जान आई।

अंजू शुरू से ही व्यवस्थित थी। उसने किसी रूप में हैरान नहीं किया। वह छोटी थी किंतु टाउन हॉल पर बम से उतरकर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पैदल पार कर स्कूल पहुँचती थी और उसे लेकर कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं हुई। वह अपने सामान को भी ठीक-ठाक रखती थी और अपने पाठ भी तैयार रखती थी। यानी इन दोनों बच्चों की अपेक्षा वह अधिक गंभीरता और तेजी से विषय को पकड़ रही थी। थोड़े ही दिनों में उसे अंगरेजी के वाक्य बोलने आ गये थे। उसने कुछ अच्छे मित्र बना लिए थे। उसका अंगरेजी बोलना मुझे एक दिन चौंका गया। उसने कहा—

“पापा, हिन्दी इज बेरी बँड लँगवेज।”

“क्या कहा ?”

“हिन्दी इज बेरी बँड लँगवेज।” उसने दुहराया।

“तुमसे किसने कहा ?”

“पापा, लडकिया सब ऐसे ही बोलती है।”

कानबेटी शिक्षा का पहला तमाचा मेरे गाल पर लगा। कानबेटी परिवेश भ्रान्त-भाले बालकों को उनकी मातृभाषा के प्रति अपमान और घृणा का भाव नहीं सिखाएगा तो क्या सिखाएगा ? अंगरेजी को सबसे सभ्य भाषा मानकर उसी जुबान में इन बच्चों को अपना मा को गाली देना सिखाया जाता है। इन छोटे-छोटे बच्चों को नहीं पता कि वे क्या सीख रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इस परिवेश में कुसंस्कृत होकर जब वे एक दिन बड़े हो जाते हैं तो वे भी अपने को अंगरेजी परिवार का ही ममझने लगते हैं और अभिजात बनने और बने रहने के मोह और दभ में वे अपने बच्चों को माँ की गाली देना सिखाते हैं। इस देश में कब से यह परम्परा चल रही है।

मेरा माथा झन्ना उठा। उसे समझाया—“नहीं, बेटे, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहने वाले तुम्हारे स्कूल के छात्र और शिक्षक अज्ञानी हैं या खुद गंदे हैं। हिन्दी तुम्हारी मातृभाषा है और तुम्हारी ही तरह कितनों की मातृभाषा है और बहुतों की मातृभाषा गुजराती होगी, कुछ की मराठी होगी, कुछ की दक्षिणी भाषाएँ होगी। जिम भाषा में तुम्हारे माँ-बाप बोलते हैं, तुम लोगो को प्यार करते हैं, सुख-दुःख की बातें करते हैं वह भाषा खराब कैसे हो सकती है ? क्या तुम्हारी माँ और मैं खराब लोग हैं ? और जो लोग तुम्हारे स्कूल में अंगरेजी बोलते हैं और तुम लोगों के अपने-अपने घरों की भाषाओं को खराब भाषा कहते हैं वे क्या तुम्हारे माँ-बाप से अच्छे लोग हैं ?”

“नहीं।” उसने बलपूर्वक कहा।

“तो अपनी मातृभाषा को खराब नहीं कहते।”

“और लडकियाँ कहती हैं तो उनका क्या किया जाये ?”

“तुम उनका क्या कर सकती हो ? सुनकर हंस दो या कम से कम जो तुम्हारी दोस्त हैं उन्हें समझा दो। जब इस देश के बहुत बड़े-बड़े लोग भाषा का यह जहर पूरे देश के जीवन-प्रवाह में घोल रहे हैं तब तुम क्या कर सकती हो ? बस, खुद इस बात को समझ जाओ, यही बहुत है।”

मैं स्वयं सेंट जेवियर में पढाता था और देशी लौडो के विदेशी तेवर का साक्षात्कार करता था किंतु लडको की अपेक्षा लडकियों में यह तेवर ज्यादा देखा। एक बार माउट कारमल में बच्ची की फीस देने गया तो देखा, कुछ लडकियां हिन्दी पुस्तकों के नामों का उच्चारण बहुत उपहाम के साथ कर रही थी—अक्षरो को बिगाड़-बिगाड़कर पढती थी और हंसती थी। कालेज में भी कुछ लडकिया ऐसी थी जो अपने को अंगरेजों की भतीजी समझती थी। लगता ही नहीं था कि ये गुजराती परिवार में पैदा हुई हैं। ये अंगरेजी भाषा और परिवेश से जुड़कर अपने जीवन को घन्य मानती थी। यदि कोई देशी बडा आदमी कालेज में अतिथि के रूप में आ गया तो इनके लिए कुछ नहीं हाता था किंतु यदि विदेशी आ गया तो उसके स्वागत में बिछ जाती थी और उसके माहचर्य में कृतार्थ हो उठती थी।

ऐसे माहौल में मेरी बच्ची ‘हिन्दी इज बेरी बंड लंगवेज’ सीखेगी ही। किंतु मेरी मजबूरी थी कि उसे अंगरेजी भाषा वाले स्कूल में डाले हुए था। भाषा के रूप में अंगरेजी भाषा सीखना अच्छा ही है और विशेषतया तब जब कि अंगरेजी नौकरी-चाकरी के लिए अनिवार्य शर्त बन गई है। और यह बात तो थी ही कि गुजरात में हमेशा के लिए हमारा रहना तय नहीं था और उत्तर भारत में गुजराती की अपेक्षा अंगरेजी ही बच्चों के काम आती और यह भी विश्वास था कि कानबेंटी माहौल के बावजूद हमारे बच्चों में पारिवारिक देशीपन बना रहेगा। उनकी जड़ें अपनी मिट्टी से कभी उखड़ नहीं पायेगी क्योंकि हमारे परिवार में अंगरेजी और उसके माहौल के प्रति गर्व का अनुभव नहीं किया जाता, बल्कि रहन-महन, खान-पान, मोच-विचार, बोल-चाल, भाषा-भाव सबमें देशीपन का सम्मान गहरे स्तर पर होता है।

चौथी सतान थे विवेक। यह दौर माहित्यिक प्रमन्नता के साथ-साथ पारिवारिक प्रमन्नता का भी रहा। बस तो हमारे तीन बच्चे हो चुके थे—दो बेटे और एक बेटी और परिवार-नियोजन की दृष्टि में यह संख्या ज्यादा ही कही जायेगी और मैं स्वयं अधिक सतान नहीं चाहता था किंतु तब परिवार-नियोजन का न इतना हल्ला-गुल्ला था, न उमके उपाय थे। जो कुछ उपाय थे उन्हें आदमी शर्म के मारे दुकान में या अस्पताल से ले नहीं पाता था। अतः हमारे न चाहने पर भी चौथी संतान जब मा के पेट में आई तो हमें न सुख हुआ न दुःख किंतु उसके पैदा होने पर सुख ही सुख हुआ। 17 जनवरी को 10 बजे दिन को पुत्र का जन्म हुआ—10 पाँड के बहुत स्वस्थ बच्चे का जन्म। उस दिन विवेकानन्द जयन्ती थी अतः मेरे मन में सदा उस बच्चे का नाम उग आया - विवेक। कह चुका हूँ, चौथी संतान न चाहते हुए भी संतान की दृष्टि से यह वर्ष उपलब्धि-वर्ष था। कारण इसका यह था कि अनेक दृष्टियों से विवेक इस घर की रौनक बना। यानी पहले से वर्तमान रौनक को उसने और विस्तार तथा सघनता

प्रदान की। वह अपनी स्वस्थ सुन्दर काया और बाल-सुलभ चेष्टाओं से सबके आकर्षण का केन्द्र बन गया था।

48

हमारे साथ जगदीश शर्मा, रघुवीर चौधरी, सुरेन्द्र रावत और याज्ञवल्क्य अग्निहोत्री थे। अग्निहोत्री तो साल-भर के लिए ही थे, साल-भर बाद भडौच चले गये लेक्चरर होकर। जगदीश शर्मा भी राजस्थान चले गये। उनके राजस्थान चले जाने के कारण एम० ए० के अध्यापन के लिए एक प्रवक्ता चाहिए था।

अगले वर्ष किसी की नियुक्ति करनी थी। रमाकान्त शर्मा मेरे नजदीकी मित्र थे। वे कॉमर्स कालेज में हिन्दी पढ़ाते थे। एम० ए० के अध्यापन की योग्यता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की हमारे यहाँ आने की। मैंने प्रिंसिपल साहब में बात की। पहले तो वे राजी हो गये, बाद में उदासीनता दिखाने लगे। बात यह थी कि प्रिंसिपल के कुछ मुहलगे प्राध्यापक थे, जो उनके कान भरते रहते थे। शर्मा जी के कथनानुसार जब वे एन० सी० सी० में थे तो प्रिंसिपल के एक मुहलगे प्रवक्ता और एन० सी० सी० आफीसर से किसी कंपनी में उनकी कहा-सुनी हो गयी थी। उसने जब सुना कि वे जेवियर में आ रहे हैं तब उसने प्रिंसिपल साहब को उनके बारे में उलटा-सीधा सिखा दिया। शर्मा जी हार मानने वाले जीव नहीं थे। वे पहुँच गये प्रिंसिपल के पास और अपना पक्ष बहुत बलपूर्वक रखा। प्रिंसिपल ने उनसे कहा, "सुना है मिश्र जी आपके सम्बन्धी है?"

"जी नहीं, मेरे सम्बन्धी नहीं है। मेरे मित्र है।"

शर्मा जी प्रिंसिपल से बातचीत करके मेरे घर आये और प्रिंसिपल से हुई सारी वार्ता सुनायी और सम्बन्धी होने वाली बात भी कही। मैं समझ गया कि प्रिंसिपल को किसने यह बात बतायी होगी। हर आदमी से डरा हुआ वह व्यक्ति आफिस के काम से आफिस में घुसे रहने और ममर्थ लोगों की प्रिंसिपल से शिकायत करने को ही अपनी सारी शक्ति बना रहा था। इस तरह के नये लोगों का एक छोटा-सा दल था। इस दल का यहाँ के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हर तरह से अपनी जगह मजबूत बनाने में सलग्न था।

मैंने सम्बन्ध वाले आरोप को लेकर प्रिंसिपल साहब को एक खत लिखा जिसमें मैंने इस आरोप को बेहूदा करार देते हुए शुद्ध अकादमिक आधार पर शर्मा जी के प्रति अपने समर्थन को स्पष्ट किया था। इसमें मैंने शर्मा जी की अपेक्षा संस्था के प्रति अपना लगाव व्यक्त किया था। मैं समझ गया था कि प्रिंसिपल अनेक कारणों से शर्मा जी को नहीं चाहते हैं। यह देखते हुए मुझे शर्मा जी के अति उत्साह के प्रति थोड़ी चिड़ भी हो

रही थी, आखिर अपने को न चाहने वाले प्रिंसिपल के पीछे वे क्यों पड़े हैं ? क्यों चाहते हैं कि वह आपको किसी न किसी तरह चाहें ही। किन्तु यह बात मैं शर्मा जी से कह नहीं सकता था। उसके दूसरे अर्थ भी निकल सकते थे। शर्मा जी बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं— एक अच्छे अर्थ में जिद्दी। वे जिस काम में हाथ डालते हैं उसे पूरा करने के लिए लहू-लुहान हो जाते हैं। यदि उनके काम में कोई अनुचित बाधा आती है तो वे और भी जिद्दी हो उठते हैं। यदि प्रिंसिपल ने शुरू में ही मना कर दिया होता तो वे आगे नहीं बढ़ते किन्तु आगे बढ़ने के बाद जब किसी की झूठी शिकायत पर प्रिंसिपल अन्यायमानस्क हो उठे तो शर्मा जी भी जिद पर आ गये। वास्तव में अब मवाल केवल नौकरी का नहीं था, मवाल था अपने चरित्र पर लगाये गये झूठे आरोप का प्रतिवाद करने का। शर्मा जी यह नौकरी पाकर इस आरोप का प्रतिवाद करना चाहते थे।

मेरा पत्र पाकर प्रिंसिपल ने अपनी अनिच्छा के बावजूद शर्मा जी को नियुक्ति दे दी और उनसे या किसी और से कहा—“डा० मिश्र कभी-कभी बहुत तुर्ष हो उठते हैं।” शर्मा जी विभाग में आये यह मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय था। उनके आने से मेरी शक्ति बढ़ी थी। वे मेरे परम सहायक मित्र तो थे ही, अब सहायक सहकर्मी भी हो गये। किन्तु उनकी विरोधी शक्तियाँ लगातार सक्रिय रहीं। प्रिंसिपल भी प्रीत दृष्टिगत नहीं होने थे। मेरे विपरीत शर्मा जी अधिक मुखर व्यक्ति हैं। जहाँ मैं स्टाफ कौंसिल की बैठकों में चुप रहता था वहाँ शर्मा जी गरगराकर बोलते थे। इस तरह बोलकर वे अनेक लोगों को चौंकाते थे और प्रियता हासिल करने के स्थान पर लोगों को अपने प्रति शंकालु बनाते थे। वैसे शर्मा जी शिष्य-वत्सल अच्छे शिक्षक थे। छात्रों में घुल-मिलकर उनकी समस्याओं को ममझते थे, उनसे निकटता स्थापित करते थे और साफ-सुथरे ढंग से पढाते थे। अतः छात्र वर्ग उनसे प्रमन्न था।

शर्मा जी कविता भी लिखते थे (लिखते हैं) और बहुत अच्छा गाते थे। घर में गोष्ठियाँ होती ही रहती थीं, हम दोनों घूमते-घामते कहीं भी बैठ जाते थे, चाहे कोई पार्क हो चाहे कालेज का लॉन हो, चाहे और कोई एकांत जगह; कवितार्ये सुनने-सुनाते थे। शर्मा जी मेरे गीत गाते थे तो मुझे अपने गीत और अच्छे लगते थे।

1960 में मेरा शोध-प्रबन्ध आया था। 1961 में 'पानी के प्राचीर' उपन्यास छपकर आ गया। उपन्यास दो साल पहले ही पूरा हो गया था किन्तु 'हिन्दी प्रचारक संस्थान' ने छापने में विलम्ब कर दिया। छपना भी '60 में ही शुरू हो गया था किन्तु दो फर्में छपकर ठप्प हो गया था। गर्मी की छुट्टियों में स्वयं बाराणसी गया और 15 दिन रहकर सारे प्रूफ देखे, तब जाकर छपाई किनारे लगी। 'पानी के प्राचीर' के छपने की महक मेरे तन-मन में भर गयी थी। लगता था कि अपने कठार-जीवन की सारी महक जो मेरे भीतर अंदी पड़ी थी, इस उपन्यास के माध्यम से व्यक्त हो उठी थी। उसमें कथा भी थी, कविता भी थी, मैं भी था और मेरा परिवेश भी था। जो रचनात्मक तृप्ति इस कृति के माध्यम से हुई वह इससे पहले नहीं हुई थी। अहमदाबाद के हिन्दी परिवेश में उसकी गंध छा गयी। कुछ गुजराती साहित्यकारों ने भी उसे पढ़ा और सराहा। नामवर जी का भी पत्र आया जिसमें उन्होंने बहुत आत्मीयता से उपन्यास

के बारे में लिखा था और एक बात को रेखांकित किया था कि 'ब्राह्मणों के विरुद्ध लिखने का आपने जैसा साहस दिखाया वैसा साहस मैं ठाकुरों के विरुद्ध लिखने में न दिखा पाता। पर यह विरोध कुछ ज्यादा ही हो गया है।' अहमदाबाद में गोष्ठियाँ हुईं। उन्हीं दिनों कृष्णचन्द्र बेरी का पत्र आया कि चरनीशोब जी इस उपन्यास का अनुवाद रूसी में करने जा रहे हैं। यह समाचार मुझे हर्ष में भिगो गया और आत्मीय लोग भी मेरी इस उपलब्धि से बहुत तृप्त हुए। कुछ पत्र-पत्रिकाओं में समीक्षाएँ भी छपीं किन्तु हिन्दी साहित्य के समीक्षक वर्ग में कोई हलचल नहीं पैदा हुई। कोई आग नहीं लगी। मेरी रचनाओं में आग लगाने जैसी बात होती भी नहीं। और न मुझमें ही कोई ऐसी बान है कि मैं कुछ ऐसे समीक्षकों को तैयार कर लूँ जो मेरी कृति आने ही चिल्ला उठें, "आग है, आग है इसमें।" और वह आग जगल की आग की तरह एक कोने से दूसरे कोने तक फैलती चली जाये। किन्तु मुझे सुख इस बात का है कि 'पानी के प्राचीर' धीरे-धीरे पाठकों, विद्वानों और शोधार्थियों के भीतर अपनी पखुडिया खोलता गया और धीरे-धीरे चर्चा के भीतर आ गया। यही स्थिति मेरी अन्य अच्छी रचनाओं की भी हुई है। तीन साल बाद डा० प्रभाकर माचवे ने इसके बारे में लिखा कि यद्यपि इसकी चर्चा 'मैला आचल' और 'बलचनमा' की तरह नहीं हुई किन्तु है यह तगड़ी कृति।

साहित्य-रचना और प्रकाशन की दृष्टि से चार-पाच वर्षों का यह काल मेरे लिए महत्त्वपूर्ण रहा। 'पानी के प्राचीर' के प्रकाशन के बाद ही मैंने 'जल टूटता हुआ' का लेखन आरम्भ कर दिया था। यद्यपि पूरा किया दिल्ली जाने के बाद 196१ में, किन्तु काफी कुछ अहमदाबाद में ही लिख चुका था। अतः ही कविताएँ, कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओं में छपीं और विशेष बात यह हुई कि कहानी लेखन में भी मैं अधिक सक्रिय हो गया। मेरी अनेक कहानियाँ 'धर्मयुग', 'सारिका' आदि में छपीं। आलोचना में भी सक्रियता आयी। 'साहित्य सदर्भ और मूल्य' नाम से मेरे समीक्षात्मक निबन्धों का संग्रह आया और 'आजकल' के सम्पादक श्री चन्द्रगुप्त विद्यालकार ने मेरे एक लेख 'रवीन्द्रनाथ टैगोर और छायावाद' से प्रभावित होकर छायावाद पर कुछ नये लेख लिखने का आग्रह किया और उन्होंने तार भेज-भेजकर छायावाद पर छ-सात निबन्ध लिखवा लिए तथा धारावाहिक रूप में 'आजकल' में प्रकाशित किया। इन लेखों की भी खुशबू मेरे भीतर भरी थी। बाद में ये निबन्ध क्रमशः साथी प्रकाशन में 'छायावाद का पुनर्मूल्यांकन' और ऋषभचरण जैन एव सतति से 'छायावाद का रचनालोक' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुए।

सन् 1962 में मेरे मित्रों के सहयोग से 'बैरग बेनाम चिट्ठियाँ' मेरा काव्य-संग्रह प्रकाशित हुआ। 'आस्था' हम लोगों की साहित्यिक गोष्ठी थी, उसी के नाम (यानी आस्था प्रकाशन) से इसका प्रकाशन हुआ। इसमें रमाकान्त शर्मा और रघुवीर चौधरी का गहरा सहयोग तो था ही, राजेन्द्र कडिया का भी कई स्तरों पर व्यावहारिक सहयोग मिला। उस पुस्तक की अच्छी चर्चा हुई। पत्र-पत्रिकाओं में उसकी अच्छी समीक्षाएँ प्रकाशित हुईं। नामवर जी ने व्यक्तिगत पत्र लिखा कि यह संग्रह उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे इस पर अवश्य कही लिखेंगे। यह उनकी आत्मा का स्फूर्जित संकल्प है। उसी

पत्र में केदारनाथ सिंह का भी पत्र था। उन्होंने इन कविताओं की ताजगी की खुले मन से सराहना की थी। नामवर भाई ने यह भी लिखा था कि इस पुस्तक के प्रकाशन का जो काम हिन्दी जगत् को करना चाहिए था उसे गुजराती मित्रों ने किया, उनके प्रति हिन्दी जगत् आभारी है। सबसे सुखद बात यह हुई कि बच्चन जी का पत्र आया कि यह पुस्तक वी० पी० पी० से उनके पास भेज दी जाए। बच्चन जी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए उत्सुक हुए, यही इसका मूल्य था। वी० पी० पी० से भेजने का प्रश्न ही नहीं था। उन्हें पुस्तक की एक प्रति भेंटस्वरूप भेज दी और तभी से बच्चन जी के साथ मेरे सम्बन्ध बने। उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा।

यह सब कृष्ण हुआ किन्तु पुस्तक के बिकने की समस्या अपनी जगह स्थिर रही। मित्रों ने कुछ प्रतियां बेचीं, कुछ प्रकाशकों को दे दी गयीं किन्तु अधिकांश तो मेरे ही पास रहीं और जब दिल्ली आया तो बची हुई प्रतियां भी ढो लाया। बाद में एक प्रकाशन ने औने-पौने दाम पर सारी प्रतियां उठा लीं। और अब स्थिति यह है कि शोधार्थियों द्वारा उसकी मांग होने पर कोई प्रति नहीं मिलती।

इन्हीं दिनों भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन था। सरकारी अधिकारी की हैमियत से ठाकुरप्रसाद मिह वहां आए हुए थे। एक दिन सुबह-सुबह मेरे घर उपस्थित हो गये। उन्हें इतने दिनों बाद अपने घर देखकर मुझे कितने आह्लाद की अनुभूति हुई होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वे अपने पुराने दोस्त मास्टर हेमंत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे किसी सरकारी काम से आये थे अतः मेरे यहां चंद घंटे ही ठहरे और अपना काम करके भावनगर लौट गये। वे मुझे आमंत्रित कर गये। साथ में हेमंत को भी। वहां वे उत्तरप्रदेश मंडप की ओर मे कोई साहित्यिक आयोजन कर रहे थे। वह साहित्यिक आयोजन क्या था, मुझे बुलाने का इंतज़ार था।

हेमंत के साथ भावनगर पहुंचा। मेले में हम लोग खूब घूमे-घामे, आसपास की जगहों का भ्रमण किया। समुद्र-तट पर गये। उन्मत्त हवा के साथ घंटों सागर-तट पर बिनाए। एक शाम को ठाकुर भाई के सहयोग से श्री जयेन्द्र त्रिवेदी ने एक हॉल में एक साहित्यिक आयोजन किया, जिसमें भावनगर के अनेक साहित्यकार, साहित्य-प्रेमी स्त्री-पुरुष उपस्थित थे। हम लोग हॉल में पहुंचे तो जयेन्द्र भाई ने हमें मंच पर बैठाया और परिचय कराया। हेमंत हम दोनों के बीच बैठा हुआ था। ठाकुर भाई ने अपने मजाकिया लहजे में हेमंत का परिचय करते हुए कहा—“ये छोटे रामदरश मिश्र हैं और आज की सभा के अध्यक्ष ये ही हैं।” हेमंत ने हंसकर एक अंगड़ाई ली और अध्यक्ष की अदा में बैठे रहे।

हम दोनों के भाषण के बाद ठाकुर ने कहा कि अध्यक्ष जी कुछ कहेंगे? हेमंत ने निर्भीक रूप से गुजराती कविता का पाठ शुरू किया। लोग अभिभूत थे, प्रसन्न थे और उसके साथ-साथ वह कविता दुहरा रहे थे। हेमंत ने कविता समाप्त की और कहा—“थोड़ी देर बाद मैं फिर पढ़ूंगा।” लोग हंसने लगे। सभा समाप्त हुई। हेमंत की घाक जम गयी थी। लड़कियों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगीं और वह थकड़ के साथ ऊनी चादर लहराता हुआ भीड़ में से बाहर हो लिया। जयेन्द्र भाई के

आग्रह पर मैं कई बार भावनगर गया था और उनके साहित्य को समर्पित स्नेह और व्यक्तित्व का साहचर्य पाकर बहुत सुखी हुआ था किन्तु इस बार का माहौल कुछ अलग ही था। इसमें ठाकुर और जयेन्द्र भाई दोनों के व्यक्तित्व का रस मिला हुआ था।

अकादमिक, साहित्यिक और पारिवारिक सभी दृष्टियों में यह मेरा सुखद काल था किन्तु रह-रहकर कुछ अप्रिय घटनाएं मुझे उद्विग्न कर जाती थी। 1960 में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कई महारथी शिक्षकों के साथ बी० एच० यू० से हटाये गये थे। जिस विश्वविद्यालय में मालवीय जी भारत के कोने-कोने से योग्य विद्वानों को खोज-खोजकर लाते थे वहां में इतने ऊंचे विद्वान् चुन-चुनकर निकाले जा रहे हैं, शिक्षा-जगत् की यह विडम्बना शिक्षा-जगत् में जुटे किसी भी व्यक्ति के लिए उद्विग्नकारी हो सकती है। मैं तो बी० एच० यू० का और आचार्य द्विवेदी का प्रिय छात्र रहा हूँ। आचार्य द्विवेदी का हटाया जाना हम सबके लिए उद्विग्नकारी तो था ही, अपमानजनक भी था। जिन लोगों ने यह अपकृत्य किया था, वे बहुत छोटे थे और अपनी छोटी मानसिकता के तहत द्विवेदी जी का नहीं, बी० एच० यू० का और पूरे शिक्षा और साहित्य-जगत् का अहित और अपमान किया था। वे द्विवेदी जी जैसे ज्ञान-शिखर का क्या बिगाड़ सकते थे? उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय में सम्मान ले गया और गौरवान्वित अनुभव किया किन्तु गंदी राजनीति से प्रेरित क्षुद्र लोगों ने बी० एच० यू० का जो अहित किया वह अक्षम्य है, साथ ही हम लोगों के मनो को जो सदमा पहुंचाया, उसका असर जा नहीं रहा था, अब तक बना हुआ था।

इसी क्रम में हमारे अपने परिवेश में कुछ छोटे-छोटे सदर्भ घटित हुए जो उस सदमे की पीड़ा को एक निरन्तरता देते रहे। यह बात दूसरी है कि यहाँ में जो भी निकला, बाद में अच्छी जगह ही गया। अभिशाप बरदान बनता गया। जिन रघुवीर चौधरी ने प्रिंसिपल की ओर से मुझे नवसारी में अहमदाबाद की ओर खींचा था उन्हीं पर प्रिंसिपल की नाराजगी की चोट हुई। रघुवीर चौधरी अपनी साफगोई में और निगवृत आचरण से अनेक लोगों को नाराज कर देते थे। वह दल जो शर्मा जी के विपरीत सक्रिय था, इनके विरुद्ध भी सक्रिय हो उठा। कमजोर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए औरों में डरने लगता है। इस दल के सुनियोजित प्रयास से और आहत गुरुओं की शिकायत से प्रिंसिपल साहब रघुवीर के विरुद्ध हो गये और मुझे बुलाकर उनकी शिकायत की तथा अपना निर्णय सुनाया कि अब इस कालेज में रघुवीर के लिए जगह नहीं है। मैंने रघुवीर की ओर से प्रिंसिपल को बहुत आश्चस्त किया किन्तु वे नहीं माने। मैंने कहा—“मैं उनकी जिम्मेवारी लेता हूँ।” इस पर बोले—“डा० मिश्र, इस संसार में कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकता।” मुझे प्रिंसिपल के इस निर्णय से बहुत धक्का लगा। चूँकि रघुवीर की एम० ए० फाइनल की परीक्षा चल रही थी इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन यह बात मेरे भीतर उद्वेग मचाये हुए थी। रघुवीर एम० ए० का आखिरी प्रश्न-पत्र देकर मेरे साथ मेरे घर आये। उस अवसर पर उन्हें इस अप्रिय निर्णय की सूचना दी। एकाएक वे स्तब्ध रह गये। तुरंत उठकर चले गये। याद नहीं कि इसके बाद प्रिंसिपल से उनकी कुछ कहा-सुनी हुई कि नहीं।

दूसरी घटना घटी रमाकांत शर्मा के बारे में। साल बीतने से पहले ही प्रिंसिपल ने मुझे सूचित कर दिया कि अगले साल से शर्मा जी की आवश्यकता नहीं है। मुझे काटो तां खून नहीं। अपने पूर्व कालेज से इस्तीफा देकर आया हुआ यह व्यक्ति एकाएक कहां जाएगा? मैंने इस क्रूर निर्णय का बहुत विरोध किया किन्तु प्रिंसिपल को इससे क्या मतलब कि कौन कहां जाएगा, उसे तो बस यह देखना होना है कि वह उसके यहां रहेगा कि नहीं। शर्मा जी एन० सी० सी० कैंप में कूदने की प्रक्रिया में गिर पड़े थे। उनकी टांग टूट गयी थी और प्लास्टर चढ़वाकर घर में विश्राम कर रहे थे। उस हालत में भी उन्हें अपनी कक्षा की चिन्ता बनी हुई थी। उन्हें पता नहीं था कि कालेज-व्यवस्था ने उनके विरुद्ध बहुत क्रूर अमानवीय निर्णय ले लिया है। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उनमें कहूं। आखिर कहना तो था ही। किसी तरह कहा और कल्पना की जा सकती है कि उनकी क्या दशा हुई होगी। मैं भयानक अपराध-बोध में पीड़ित था कि मेरे कारण इस आदमी की जमी-जमाई नौकरी गयी किन्तु शर्मा जी बार-बार मेरे अपराध-बोध का निराकरण करते हुए कहते थे—“इसमें आपका क्या दोष है? दोष तो मेरा है कि अपनी महत्त्वाकांक्षा के कारण इस कालेज में आना चाहा और आपको भी हैरान किया। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जो बेमन से मुझे ले रहा है वह घात करेगा ही।” बहरहाल शर्मा जी अपनी वेदना का अमहनीय बोझ ढांते हुए भी अपने बचाव के प्रयत्न में जुटे रहे और एक दूमरे फादर को विश्वास में लेकर उनमें अपनी कृष्ण कहानी कही और मुझसे कहा कि फादर ने बहुत महानुभूति से मेरी बात सुनी और आश्वस्त किया कि सब ठीक हों जायेगा। किन्तु एक दिन जब फादर प्रिंसिपल उम दूसरे फादर के साथ शर्मा जी की हुई बातचीत का हवाला देकर उनके प्रति अपनी नापसदगी और क्रूर निर्णय को और तर्कसंगत बनाने लगे तो मैं दंग रह गया। दंग रह गया यह जानकर कि जिस फादर के सामने शर्मा जी ने मानवीय रिश्ते से अपना दुःख-दर्द कहा, उसने पता नहीं प्रिंसिपल से क्या आग लगा दी कि प्रिंसिपल और उत्तेजित हो उठे।

खैर, शर्मा जी को जाना था, गये और थोड़ी भटकन के बाद दूसरी जगह लग भी गये। रघुवीर ने एम० ए० किया, वे भी विद्यापीठ में लग गये। योग्य व्यक्तियों का अवरोध तो बना जा सकता है, उनका भविष्य नहीं। अब बचा मैं और रावत जी। लेकिन मुझे लगने लगा कि यहां अब रावत ही बचेंगे। इसकी दो वजहें थीं। एक तो शर्मा जी को निकालकर प्रिंसिपल ने एम० ए० में टाड़ दिया। सेटर एल० डी० आर्ट्स कालेज में चला गया जहां रणधीर भाई विभागाध्यक्ष थे। वे ही केन्द्र प्रभारी बने। दूसरा कारण यह था कि गुजरात विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स हुआ। हिन्दी इंटरमीडिएट में अनिवार्य थी, अब वह केवल प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स में एक बैकल्पिक भारतीय भाषा के रूप में रह गई या फिर बी० ए० ऑनर्स कोर्स में रह गई। हिन्दी का प्रच्छन्न विरोध पालकर चलने वाले शिक्षाशास्त्रियों को हिन्दी को स्थान-च्युत करने का बहाना मिल गया। इस अवसर का जैवियर कालेज ने दूसरा लाभ यह उठाया कि अपने यहां हिन्दी ऑनर्स समाप्त कर दिया। अब मेरे लिए क्या ही क्या? केवल प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स पढ़ाने के लिए तो कालेज मुझे सबसे अच्छी तनख्वाह देगा नहीं। वह तो

एक पूरी योजना के तहत मुझे हटाना चाहता था। प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए राबत जी पर्याप्त थे या उनकी रक्षा के लिए प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स पर्याप्त था। कालेज ने मुझसे सीधे-सीधे कुछ न कहकर बहुत कुछ कह दिया।

49

डाक्टरों की दुनिया भी पुलिस की दुनिया की तरह जनता में भयावह दुनिया मानी जाती है। दोनों दुनियाओं से लोग बचना चाहते हैं किन्तु जाना दोनों जगह पड़ जाता है। फर्क इतना है कि कभी-कभी पुलिस आपको पकड़कर ले जाती है और डाक्टरों के यहाँ आप खुद जाते हैं और पुलिस के चंगुल से आप छूट नहीं सकते किन्तु डाक्टर तो बदल सकते हैं या पैसे नहीं हैं तो बीमार रहकर भी, कष्ट झेलकर भी घर बैठे रह सकते हैं। किन्तु यह भी तो है कि आपका पाला पुलिस से कभी-कभी ही पड़ता है, डाक्टरों से तो प्रायः पड़ता है। पुलिस आतक का नाम है और आतंकित करती है किन्तु डाक्टर तो सभ्य, सुशील और शिक्षित व्यक्ति के रूप में सामने आता है और आपकी जेब काटकर भी सभ्य और संभ्रात बना रहता है। हा साहब, डाक्टरी जैसा मानवीय पेशा आज शुद्ध कमाऊ पेशा बन गया है। देहाती के अस्पतालों में यज्ञ तो ये जाते नहीं हैं और जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में बैठकर जन-सेवा करने के स्थान पर साइकिल पर गाव-गाव घूमकर सरकारी दवाओं का निजी सम्पत्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उन दवाओं के दाम तथा फीस दूहते फिरते हैं और अस्पताल में आई जनता डाक्टरों का इतजार करती रह जाती है और डाक्टर मिलते हैं तो दवा नहीं मिलती।

शहर में प्रैक्टिस करने वाले बड़े डाक्टरों की तो बात ही न पूछिए। लगता है पैसा ही उनका माई-बाप है। मरीज का मर्ज दूर करने का लक्ष्य रखने के स्थान पर यह देखते हैं कि इससे कितना दूहा जा सकता है। चाहे वे अस्पताल में हों, चाहे निजी क्लीनिक में, उनके आचरण में भयानक यांत्रिकता और सवेदनहीनता लक्षित होती है। एक सघी हुई व्यावसायिकता उनके पूरे आचरण में कसी होती है। वे यह भी नहीं देखते कि कोई व्यक्ति कितना मजबूर है, कितना अभाव-शापग्रस्त है। उससे लेने की नहीं, उसे देने की आवश्यकता है। उनकी फीस और दवा के दाम की एक यांत्रिकता बनी है, सब पर समान भाव से लागू होती रहती है। इसलिए गरीब व्यक्तियों की सही इलाज के पास तक पहुँच ही नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में भी (जहाँ मुफ्त इलाज होता है) उन्हीं की पहुँच होती है जो रुतबे वाले हैं, बाकी सामान्य जनता तो वहाँ भी दिन-दिन-भर लोटती है, कराहती है, दुस्कारी जाती है और भगवान् के भरोसे जीती है।

इतने मानवीय कर्म (जिसकी वे ज्ञपथ लेते हैं) से जुड़े ये डाक्टर दर्द की भाषा

के स्थान पर केवल पैसे की भाषा समझते हैं, कितनी बड़ी विडम्बना है। किन्तु ऐसा नहीं है कि इस पेशे की मानवता की पूजा करने वाले डाक्टर नहीं हैं। बहुत थोड़े ही सही, किन्तु हैं जो ददं की भाषा भी समझते हैं, जो पैसे का स्वागत तो करते हैं किन्तु उसकी आराधना नहीं करते और वे थोड़े-बहुत पैसों पर सामान्य जन की भी सेवा करते हैं। अहमदाबाद में डा० गनपत पटेल एक ऐसे ही डाक्टर थे। उनके यहां अच्छी-खासी भीड़ होनी थी किन्तु उन्होंने नित्य प्रति अपना कुछ समय गरीबों को दे रखा था। वे उस समय बिना फीस के उन्हें देखते थे। आवश्यकता पडने पर उनकी आर्थिक सहायता भी करते थे।

मेरी आख में सफेद झिल्ली पैदा हो गई थी जो आख की कोर से पुनली की ओर बढ़नी आ रही थी। रमाकान्त शर्मा से उनका परिचय था। वे मुझे उनके यहां ले गये। पाच रुपये फीम देकर पर्ची कटाई और अपने नम्बर पर डा० पटेल के पास पहुंचे। शमा जी ने उनसे मेरा परिचय कराया—“ये डा० मिश्र है, सेट जेवियर कालेज के प्रोफेसर।” वे अच्छे की तरह खिलखिलाकर हसे। आख देखी और कहा, “कल-परसों मे किमी दिन आटये, ऑपरेशन कर दूंगा।” चलने लगे तो उन्होंने अपने क्लर्क को बुलाकर उनके वान में कुछ कड़ा। वह क्लर्क बाहर जाकर फिर अदर आ गया और पाच रुपये मुझे लौटाने लगा। मैंने कहा—“यह क्या डाक्टर साहब? नहीं-नहीं, फीम तो आपको रखनी पड़ेगी।” वे खिलखिलाए, बोले—“अरे, हम दोनो ही डाक्टर है। मैं आज आपकी दवा कर रहा हू, कल आप कर दीजिएगा।” बहरहाल उन्होंने रुपये वापस कर दिये।

दूसरे दिन मैं जब सहायक पुलिस कमिश्नर दास साहब के घर से लौट रहा था, कार डाक्टर साहब के यहां रुकवा दी। चुपचाप डाक्टर के यहां जाकर आंख का आपरेशन करवा लिया। डाक्टर साहब ने सप्ताह-भर की दवा दी और कहा—“कल दिखा जाइएगा।”

मैं स्कूटर पकडकर घर आया तो मेरी आंखो पर बधा पट्टी देखकर पत्नी चौंक पडी—“यह क्या?”

“ऑपरेशन करवाया है।”

“अरे, बताया तक नहीं। चुपके से कराकर अकेले-अकेले चने आ रहे हैं? बताया होता तो मैं आ गई होती।”

“अरे, इसमे बताना क्या और आना क्या? मोचा, दाम साहब की गाड़ी छोड़ जायेगी।”

“तो फिर उसने छोड़ा क्यों नहीं?”

“अब वे जाने। मैंने उनसे यह तो नहीं कहा कि वे मुझे ऑपरेशन के बाद घर तक छोड़वा दे किन्तु यह बात तो चला ही दी थी कि रास्ते में ऑपरेशन कराना है, पच्चीस-तीस मिनट लगेंगे। अब यह तो उन्हें स्वयं कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं, कार इंतजार कर लेगी। आखिर उनकी कार रोज घर तक आती ही है।”

“वे क्यों कहेंगे, उन लोगों को तो अपने काम से काम होता है। अपने काम से

उनकी कार घर आती है, आपको ले जाती है फिर घर तक छोड़ जाती है। आज आपको काम पड़ गया तो उनकी कार आधा घंटा इंतजार नहीं कर सकती थी।”

“छोडो, दूसरो को क्या करना चाहिए यह तो दूसरे जानें, मुझे जो करना था करके आ गया। अब इसमें परेशान होने की क्या बात है?”

दूसरे दिन विनीतलाल गोस्वामी आ गये। उनके साथ डाक्टर के यहाँ जाना हुआ। डाक्टर उन्हीं के मोहल्ले (दरियापुर) में थे। विनीतलाल मेरे प्रिय शिष्यो में अपना निराला स्थान रखते हैं। मैंने तो दोनों भाई मेरे अति आत्मीय शिष्य रहे हैं किन्तु दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। नवनीत गंभीर स्वभाव के कम बोलने वाले पतले व्यक्ति हैं और अध्ययन के प्रति भी उनकी रुचि शुरू से रही है। विनीत शरीर में स्थूल, अधिक बोलने वाला चंचल व्यक्ति है। सुना था कि पढाई-लिखाई में उसकी गहरी रुचि नहीं रही। शुरू-शुरू में जब विनीत मेरे सम्पर्क में आया तो उमके इसी रूप का परिचय मिला था किन्तु धीरे-धीरे माहित्य के अध्ययन में उसकी रुचि घंसती गयी और एम० ए० पास करते-करते साहित्य की अच्छी सोच-समझ वाला आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया। उसका मोटापा, चंचलता और वाचालता तो ज्यो की त्यो बनी रही किन्तु साहित्य-चेतना में काफी अंतर आ गया।

इसका श्रेय विनीतलाल के पिता गोस्वामी जी और स्वयं विनीत मुझे देते रहे। पता नहीं यह कितना सत्य है किन्तु इतना अवश्य सत्य है कि विनीत के मन में मेरे प्रति अगाध श्रद्धाभाव भरा रहा है। विनीत अधिक-से-अधिक मेरा साथ चाहना और मेरी सेवा करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहता। मेरे घर, घर और अपने घर पर भी मेरा शरीर दबाता, मिर पर तेल मालिश करता। मेरे न चाहने पर भी उसकी श्रद्धा-भावना अपनी ओर खींच ही लेती और यह सेवा का अवसर निकाल ही लेता।

पत्नी विनीत के बडबडियापन से चिढ़ती थी। उन्हें यह भी शिकायत थी कि यह वक्त-बेवक्त मुझे जहा-तहा बिलगा देना है। वे विनीत को डाटती भी रहती थी किन्तु इस चिढ़ और डाट के पीछे विनीत के प्रति उनका गहरा स्नेह था। जैसे मिलने आने वाले छात्रों और मित्रों के प्रति उनके मन में गहरा सद्भाव रहा है और वक्त-बेवक्त उनके चाय-पान की व्यवस्था करती रही है किंतु जो छात्र किसी प्रकार अशोभन लगते हैं उनके प्रति वे सहृदय नहीं हो पाती। आवश्यक व्यवहार उनके प्रति भी करती है किंतु उम व्यवहार में मात्र औपचारिकता होती है, सौहार्द नहीं। मैं तो सबको झेल लेता हूँ और कई बार रुचियों का भी अंतर हो जाता है। जो छात्र उन्हें अप्रिय लगता है आवश्यक नहीं कि मुझे भी अप्रिय लगे। किंतु कह चुका हूँ कि विनीत को स्नेह देती हुई भी उसे डाटती थी।

अतः दूसरे दिन जब विनीत मुझे डाक्टर के यहाँ ले जाने लगा तो उन्होंने हिदायत दी कि देखो इन्हें सीधे घर ले आना। विनीत ने वहाँ तो अपने बातूनीपन से पत्नी को आश्वस्त कर दिया किंतु जब डाक्टर को दिखाकर मेरे लौटने का समय आया तो विनीत विनीतपन पर उतर आया। उसने आग्रह किया—“सर, बगल में ही तो घर है। चलिये, झोड़ा बिभाष कीजिये।” उसके आत्मीय आग्रह ने मुझे झेर लिया। मैं उसके घर गया।

उसने देर तक मेरी सेवा की, खिलाया-पिलाया। दो घंटे बाद हम चले तो विनीत की रूह कांपने लगी। वह स्कूटर पर घर के पास तक जाकर रुक गया, बोला—“सर, अब तो आगे आप अकेले ही जाइये।”

“क्यों?” मैंने मुसकराकर पूछा।

“सर, भाभी जी बहुत क्रोध में होंगी। आज उनके सामने पड़ गया तो मेरी खैर नहीं, मुझे लौटने दीजिये।”

“क्यों, आज सारा कोप मुझे अकेले ही सहना पड़ेगा?”

“नहीं सर, आपको भला वे क्या कहेंगी लेकिन मेरी तो सचमुच खैर नहीं होगी।”

मुझसे आज्ञा लेकर वह लौट गया और जैसे ही स्कूटर की आवाज आयी, पत्नी घबरायी हुई-सी बाहर निकली।

“क्यों, क्या हो गया था? सब ठीक तो है?”

“लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?”

“अरे, इस हालत में आप गये थे और आने में कई घंटे लग गये, घबराने की बात ही है। कहां देर लग गयी?”

“अरे विनीत अपने यहां लेकर चला गया था।”

“मैं जानती थी। उमको मैंने यहीं मना किया था किन्तु वह सुनता थोड़े ही है, अपनी ही करता है और आप हैं कि उसके साथ खिचे चले जाते हैं। उससे यह भी नहीं हुआ कि घर तक छोड़ ही जाये। अबकी आता है तो खबर लेती हूं।”

मैं उस भावी दृश्य की कल्पना कर हंसता रहा जिसमें विनीतलाल पत्नी के मामले पड़ेंगे। फिलहाल कुछ बोलना उचित न मम्झकर खाट पर जाकर लेट गया।

“कमबख्त तीन घंटे तक चिंता में डाल दिया। यह भी नहीं हुआ कि घर तक छोड़ जाये।” पत्नी बडबडाती रही।

“अरे भाई, छोड़ने आया था लेकिन तुम्हारे डर से मोहल्ले के बाहर ही उतारकर लौट गया।”

अपने डर के भारीपन के अहसास से पत्नी मुसकरायी और फिर अपना वाक्य दोहराया—“अबकी मिले विनीतलाल तो बताती हूं।”

तो मैं बात कर रहा था डाक्टर की। विनीतलाल तो अपने स्नेहाधिकार से जबरदस्ती घुस आये। एक सप्ताह बाद आंख का टांका कटा तो मैंने पूछा—“डाक्टर साहब, आपको क्या दे दूं?”

“कुछ नहीं।” वे खिलखिलाये।

“नहीं डाक्टर साहब, इतना बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा।”

“और मैंने अगर पैसे ले लिए तो उसका बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा।”

“यह क्या बात हुई डाक्टर साहब?”

“बात हुई न डाक्टर साहब, बास्तब में आप मेरी पुंजी के गुरु हैं।”

“मैंने उसे पढ़ाया है क्या?”

“नहीं पढ़ाया है तो क्या, वह उसी कालेज की छात्रा रही है जिसमें आप पढ़ाते हैं। आप गुरु हुए कि नहीं ?”

कृतज्ञता से मेरा माथा झुक गया, आंखें भर आयीं। मुझे संकोच में गड़ा देख वे फिर खिलखिलाये—“अरे डाक्टर, हम दोनों ही डाक्टर हैं। एक पेशे के लोग एक-दूसरे से फीस नहीं लेते। कल आप मेरी दवा कर दीजिएगा।”

यह बात व्यक्तिगत नहीं है। कह चुका हूँ कि डा० पटेल सामान्य जनों की भी सेवा करते थे। मेरे साथ तो एक नैतिकता जुड़ गयी कि उनकी पुत्री उस कालेज की स्नातिका थी जहाँ मैं पढ़ा रहा था किन्तु सामान्य जनों के लिए किसी जान-पहचान या सम्बन्ध-मूलक नैतिकता की आवश्यकता नहीं थी, केवल उनका सामान्य होना ही काफी था।

डा० प्रफुल्ल मुंशी का जिन्न कर चुका हूँ जिनके प्रसूतिगृह में शशांक और विवेक का जन्म हुआ था। पहले तो उनके साथ हमारा सम्बन्ध डाक्टर और मरीज का था। उनके यहां बच्चे हुए, उन्होंने फीस ली बस, किन्तु कह चुका हूँ कि डाक्टर के रूप में वे अपना दायित्व बहुत पवित्रता से निभाते थे। मरीजों के साथ उनका सम्बन्ध बहुत स्निग्ध और सहिष्णुतापूर्ण था। मरीज औरतों की भयानक से भयानक गालियां सुनकर भी वे सारू बेन (ठीक है बहन) कहकर रह जाते थे और उनके लिए जो उपयुक्त होता था वही करते थे किन्तु बाद में मैंने उनका एक छोटा-सा निजी काम कर दिया। उसके बाद डा० मुंशी हमारे कितने अपने हो गए, कह नहीं सकता। वे मूलतः प्रसूति के और नारी-रोग के विशेषज्ञ थे किन्तु हमारे हर रोग में वे सहायक होना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारा एक पंसा भी खर्च न हो और हमारा रोग-संकट दूर हो जाये। दोनों बच्चे तो पहले ही हो चुके थे और वे उनकी फीस ले चुके थे। उसके बाद तो उन्हें इस सम्बन्ध में मेरा अर्थ-भार कम करने का अवसर ही नहीं मिला किन्तु अन्य प्रकारों से वे मेरा अर्थ-भार कम करने में जुटे रहे। अपने यहां से दवाइयां भेजते रहे। और जब हम अहमदाबाद से चलने लगे तो लगा जैसे रो देंगे।

हमारे मोहल्ले के पास एक डाक्टर थे—बाबू भाई। सामान्य डाक्टर थे किन्तु बनारस से लेकर दिल्ली तक यह हमारा सौभाग्य रहा है कि सामान्य डाक्टर भी हमारे लिए बहुत सफल सिद्ध होते रहे। बाबू भाई की दवा हमें रास आती थी और उनका मस्त व्यवहार डाक्टर का नहीं, आदमी का व्यवहार लगता था। वे दवाओं का दाम भी कम लेते थे। मैं तो दिल्ली पहले ही आ गया था। पत्नी महीना-भर बाद आयीं और उन्होंने उन दिनों बाबू भाई से इलाज करवाया था। पैसे देने लगीं तो वे बोले, “सरस्वती बेन, मैं जाने वालों से पैसे नहीं लिया करता।” पैसे थोड़े ही रहे होंगे किन्तु बात पैसे की नहीं भावना की थी। यह बात उन्होंने कही तो थी अपनी सहज मस्ती में किन्तु उनकी आंखें भर आयी थीं।

इन डाक्टरों को देखकर इस अमानवीय होते हुए पेशे के प्रति टूटता हुआ विश्वास टूटते-टूटते रह जाता है। लगता है अभी कुछ लोग हैं जो इस पवित्र पेशे को पैसे की ही दृष्टि से नहीं, मनुष्य की दृष्टि से भी देखते हैं और मन में एक सपना

जगाते हैं। काश, काफी डाक्टर इस पेशे को केवल व्यावसायिक पेशा न मानकर कुछ-दूर तक मानव-सेवा भी मानते।

50

मैं एक नयी उद्विग्न मानसिकता के चक्रव्यूह में पड़ गया। भीतर और बाहर की गहमा-गहमी ठंडी पड़ने लगी। जब मैं साठ में नवसारी से अहमदाबाद आया था तब मैं पुराने और नये मित्रों के बीच बड़ा भरा-पूरा अनुभव करता था। उनके साथ न जाने कितनी बैठके हुईं, गोष्ठियां हुईं। गुजरात हिन्दी प्राध्यापक परिषद् बनी, मैं उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। नदियाड में उसका वार्षिक अधिवेशन हुआ और रात को एक कमरे में जो विनोद-समारोह हुआ, वह अविस्मरणीय था। एक बड़े कमरे में मेरे साथ भगवतशरण अग्रवाल, गोवर्धन शर्मा, प्रभास शर्मा, श्याम सुन्दर शुक्ल, रामलखन शुक्ल और कई लोग थे, कुछ छात्र भी थे। प्रभास जी को नायक बनाकर भगवतशरण ने नोटकी की तर्ज पर मुह से जा तबला बजाया और लोगो ने गाया, वह अद्भूत था। उस विनोद के उछाह में रात-भर जागते रहे किन्तु उसी में प्रभाम जी को कहीं कुछ लग गया और बाद में कुछ लोगो ने उन्हें समझा दिया कि आपका उपहास किया गया है। तब से प्रभास जी कई लोगो से खिंच गये।

इस बार जब मैं अहमदाबाद आया था तब कई लोग मेरे मित्र बनकर बहुत नजदीक आये थे। उनका मेरे यहाँ (और मेरा उनके यहाँ भी) आना-जाना लगा था। भगवतशरण अग्रवाल तो काफी पहले में मेरे मित्र थे, गोवर्धन शर्मा उनसे और मुझसे जुड़ने वाले नये मित्र थे। न जाने क्या हुआ कि कुछ समय बाद भगवतशरण अग्रवाल और गोवर्धन शर्मा दोनों के मन में मुझे लेकर उदासीनता आ गयी, बल्कि खिंचाव आ गया। बोलचाल थी किन्तु उसमें ठंडापन स्पष्ट झलकता था और जब मैं अपने कालेज की उपेक्षा की मार झेलने लगा, तब तो मुझे लगा कि मैं एक अद्भूत गहरी उदासी और उपेक्षा के सन्नाटे में फँस गया हूँ। एम० ए० केन्द्र तो छिन ही गया था अतः उस नाते प्राप्त होने वाला लोगो का लगाव तो ठंडा हो ही गया था, जब बी० ए० ऑनर्स भी समाप्त कर दिया गया तब तो जैसे लोगो ने किनारा ही कस लिया। मेरी स्थिति मेरी अपनी दृष्टि में चाहे दयनीय न रही हो, लोगो की दृष्टि में दयनीय बन गयी। सम्बन्धों का इतना ठंडापन मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। रमाकान्त शर्मा तो मेरे गहरे दुःख के साथी रहे, इसलिए इस दुःख में वे मेरे प्रति अपने आत्मीय सरोकारों में और भी सघन हो आये थे। जेबियर के दुःख को वे भोग चुके थे और उस दुःख से लड़कर बहुत कुछ उबर चुके थे—इसलिए मेरे प्रति उनकी छटपटाहट जैसे स्वयं उनके अपने प्रति लग रही थी। वे लड़ना जानते हैं इसलिए मेरे लिए भी लड़ने का हौसला बटोरे हुए

थे। उनके अतिरिक्त रघुवीर चौधरी, करुणेश, नबनीत, बिनीत, महावीरसिंह चौहान, भंवरलाल गुजंर, भोला भाई पटेल आदि शिष्य मेरे दुःख में साथ खड़े थे। वे क्या कर सकते थे किन्तु मेरे आसपास एकाएक घिर आये गहरे मन्नाटे में उनकी उपस्थिति की छोटी-छोटी पुकारें सहारा दे रही थीं। अबघनारायण त्रिपाठी तो अपने सम्बन्धी ही थे। उनकी चिन्ता स्वाभाविक ही थी। हरिहर जी पड़ोसी थे अतः आते-जाते उनसे भेंट हो जाती थी और वे हालचाल पूछ लेते थे।

इस वर्ष प्रतिकूल घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही थीं। इसी वर्ष (यानी '63 में) हिन्दी पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष का फिर चुनाव होना था। जयेश भाई अहमदाबाद से बाहर चले गये थे। उनकी जगह पर किमी को नियुक्त होना था। मैं और अंबाशकर नागर मनोनीत सदस्य थे। बेहतर यही होना कि हममें से कोई व्यक्ति अध्यक्ष हो जाता। हमारे प्रिसिपल भी चाहते थे। जेबियर से मैं बैठक में पहुंचा। पांच मिनट विलंब से पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि अध्यक्ष का चुनाव हो गया। चिम्मन भाई की कृपा से कलोल के कोई हाई स्कूल के गुजराती टीचर अध्यक्ष बना दिये गये थे। इतनी शीघ्रता मैंने कम देखी थी। शायद मेरा पांच मिनट बाद पहुंचना उनके निर्णय के लिए सुविधाजनक हो गया। किन्तु अध्यक्ष बनने की मेरी कोई स्पृहा नहीं थी। खामखाह लोग मुझे अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। जब मैं अपने कालेज में महस्वहीन हो गया तो बोर्ड का अध्यक्ष बनकर क्या पा जाता? चिम्मन भाई तो नेता थे—आनन-फानन में काम करके जाने वाले व्यक्ति। वे तुरंत चले गये तो नागर जी ने इस निर्णय की विद्रूपता का रोना रोना शुरू किया। मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ उमे बताया और चिम्मन पटेल नाम के नये अध्यक्ष की अयोग्यता का रोना रोये। यह भी बताया कि वे तां मुझे चाहते रहे।

कालेज पहुंचा तो प्रिसिपल ने उत्सुकता से पूछा—“क्या हुआ?” मैंने बता दिया और नागर जी ने जो बताया था वह भी बता दिया। प्रिसिपल को न जाने मेरे अध्यक्ष होने की इतनी चिन्ता क्यों सता रही थी कि फोन पर चिम्मन भाई से शिकायत की कि जान-बूझकर डा० मिश्र को आप लोगोने काटा और एक अयोग्य व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया। चिम्मन भाई ने इसका प्रतिवाद किया और यह जानकर कि मैंने प्रिमिपल से यह सब कुछ कहा है मुझसे नाराज हो गये। परीक्षा सम्बन्धी एक काम से नाराज तो वे मुझसे पहले ही हो चुके थे और उसी संदर्भ में डा० नागर से प्रसन्न भी हुए थे, अब और नाराज हो गए। नागर जी बहुत कुशल और सफल व्यक्ति है। वे लोगो की शिकायत करके भी उनके प्रिय बने रहते हैं। चिम्मन पटेल के क्रिया-कलापों की मुझसे शिकायत करते रहे और उनके प्रिय बने रहे, उलटे अप्रियता मैंने प्राप्त की। इसी तरह वे कुंवर चन्द्रप्रकाश का और उनके परिवार के न जाने किन-किन अशोभन क्रिया-कलापों का कच्चा चिट्ठा मेरे सामने खोलते रहे और जब रीडरशिप की प्राप्ति की बात आयी तो कुंवर साहब की अनुकूलता उन्होंने प्राप्त की और प्रतिकूलता मैंने। इसी प्रकार विद्यापीठ के गिरिराज किशोर का मजाक उड़ाते रहे किन्तु अबसर पर उनकी भी अनुकूलता प्राप्त कर ली। उनके व्यक्तित्व में ऊपरी तौर पर ऐसी मिठास है कि सामने

वाला व्यक्ति सहज ही उसमें भीग जाता है और किसी को यह शंका ही नहीं हो पाती कि इनना मुशील, सम्य और मूढ व्यक्ति किसी की शिकायत कर सकता है और यदि करता है तो निश्चय ही वह सही होगी।

हा, तो सन् '63-64 के सूनेपन की बात कर रहा था। मैं प्रिंसिपल के रख को समझ गया था और अन्यत्र जाने की योजना बना रहा था किन्तु नौकरी रखी तो नहीं हुई है कि जब चाहा एक को छोड़कर दूसरी पकड़ ली। फिर एक नया सहाग उदित हुआ था—मोचता था, शायद मिल जाये। यानी गुजरात विश्वविद्यालय में रीडरशिप की जगह विज्ञापित हो गई थी। प्रिंसिपल को भी उम्मीद थी कि मैं ले लिया जाऊंगा। शायद इसीलिए वे मेरे प्रति कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले रहे थे। फिर भी मेरे प्रति अपनी उदामीनता से वे अपना रख जाहिर कर ही रहे थे। प्रिंसिपल कुशल प्रबन्धक थे अतः वे पदानुक्रम का बड़ा ध्यान रखते थे और पदानुक्रम की दृष्टि में उस कालेज में मेरा वरिष्ठ स्थान था और वे कालेज के अकादमिक मामलों में मेरे महत्त्व को सुगक्षित रखते थे किन्तु अब उन्होंने महत्त्व देना छोड़ दिया था। मेरी उपेक्षा कर रहे थे। कमेटियों में मेरा नाम गायब रहने लगा, परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में मेरी पूछ खत्म हो गई। प्री-यू० कोर्स पढाकर चुपचाप म्टाफ रूम में बैठा रहता और कालेज के महत्त्वपूर्ण कार्यों की धाराएं मुझे अनछुए अगल-बगल से निकल जाती थी। मेरे वरिष्ठ सहकर्मियों को इस बात में बड़ी पीड़ा हो रही थी। चिम्मन भाई त्रिवेदी, बाबा भाई पटेल, रजनी पटेल आदि मेरे प्रति प्रिंसिपल के रवैये से बहुत दुःखी थे। सी० एल० शास्त्री, वारिस अलवी आदि भी खिन्न थे किन्तु कोई कर क्या सकता था ?

गुजरात विश्वविद्यालय में रीडरशिप की जगह विज्ञापित हो गई थी। अब मेरे लिए केवल इसी का अबलम्ब था किन्तु क्या इसे पाना इतना आसान था ? मेरे परिचय की दुनिया इतनी छोटी थी कि बड़े लोगों में सहाग पाने की कोई आशा ही नहीं थी और केवल अकादमिक योग्यता में तो इसे पाया नहीं जा सकता था। ये मेरे बुरे दिन चल रहे थे और लोग अकारण नाराज होने जा रहे थे। एक दिन हरिहर शुक्ल जी मिले और पूछा, "रीडरशिप में क्या हो रहा है ?"

"होना क्या है, आवेदन-पत्र दे दिया है किन्तु होना-हवाना थोड़े ही है। रणधीर भाई यहां के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और यहां के सभी प्रभावशाली लोगों से उनका सम्बन्ध है। उनका ही होगा और होना भी चाहिए।"

"ना-ना, आप भ्रम में हैं। आपके प्रतिद्वन्दी रणधीर भाई नहीं, आपके परम मित्र अंबाशंकर नागर हैं। उनसे बचिये।"

मैं एकाएक विश्वास नहीं कर सका किन्तु हरिहर भाई जब कह रहे हैं तब सत्य ही होगा क्योंकि वे चिम्मन भाई पटेल के कालेज में हिन्दी विभागाध्यक्ष हैं और नागर जी ने अनेक कारणों से चिम्मन भाई की गहरी अनुकूलता प्राप्त कर ली है। कालेज में इस पद को लेकर कुछ चर्चाएं भी होती होंगी। हरिहर जी उसे सुनते होंगे। मुझे यह भी ज्ञात हो गया कि नागर जी का सौम्य व्यक्तित्व बहुत दुरूह है। मुझसे चिम्मन भाई की शिकायत करते रहे और उनसे मेरी। मैं चिम्मन भाई का क्या बिगाड़ सकता था किन्तु

चिम्मन भाई मेरा तो बिगाड़ सकते थे और मेरा बिगाड़कर नागर जी का बना सकते थे। और हो सकता है कि जो नागर जी बड़ौदा में बैठे हुए मुझे नये पद की शुभकामनाएँ दे रहे हैं, वे स्वयं उमे प्राप्त करने के लिए जाल बिछा रहे हों। हरिहर जी चतुर व्यक्ति हैं, उनकी पहचान गलत नहीं होगी। अब मेरा ध्यान रणधीर भाई की ओर से हटकर नागर जी की ओर चला गया। किन्तु मैं कर क्या सकता था। इस समय तो अपने लोग भी पराये हो रहे थे। परायों के अपने होने की आशा कौन करता ?

इसी समय मेरे विरुद्ध एक घमाका हुआ। हिन्दी वालों की रणनीति का गदा और घिनौना रूप यहाँ भी दिखाई पड़ा। एक चिट्ठी बहुत व्यापक पैमाने पर विनरित की गई। कालेज के प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, वी० सी० और शहर के तमाम प्रभावशाली लोगों के पास वह भेजी गई। एक प्रति मुझे भी मिली। पढ़कर जी तिलमिला गया। उसमे मेरे चरित्र-हनन के लिए अनेक काल्पनिक, अश्लील बातें कही गई थी। इस तरह की गन्दी रणनीति से मेरा दूर का भी सम्बन्ध नहीं रहा इसलिए इसे सह पाना मेरे लिए कठिन हो रहा था किन्तु करता क्या ? यह घिनौना काम किसने किया है ? दृष्टि कभी किसी पर जाती, कभी किसी पर। मैं तो वैसे ही बहुत भावुक हूँ, इस घटना ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया और इस पत्र को लेकर पहले प्रिंसिपल से मिला। वे हुंसे और बोले, "इन गन्दे लोगों को प्रहार भी नहीं करना आता। डा० मिश्र को जानने वाला कौन आदमी विश्वास करेगा कि सेक्स के मामले में उनका चरित्र कमजोर है। आप इनकी परवाह न कीजिये डा० मिश्र और पूरे मन से अपनी लड़ाई लड़िए। गुमनाम पत्र नपुंसक लोग लिखते हैं और उनका कोई महत्त्व नहीं हाता।" मेरा जी हलका हुआ और अपने बारे में प्रिंसिपल की टिप्पणी के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

रजिस्ट्रार से मिला। उन्होंने भी कहा कि ऐस समय आये इन पत्रों का कोई महत्त्व नहीं और ऐस पत्रों से हम लोग कोई राय नहीं कायम करते और आपके बारे में ऐसी बातें स्वतः गलत प्रमाणित हो जाती है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको किस पर सन्देह है। जुबान पर नाम तो आया किन्तु बचा ले गया और कहा कि सन्देह तो सन्देह ही होता है। बिना प्रमाण के किसी का नाम कैसे लिया जाये। बहरहाल वह पत्र मेरे चरित्र के बारे में किसी पर अमर नहीं डाल सका किन्तु किसने पत्र लिखा होगा इसकी कल्पना कर-करके लोग उनके चरित्र की छानबीन अवश्य करने लगे।

मार्च में मैं एस० एम० सी० का डिप्टी चीफ माडरेटर होकर बड़ौदा चला गया। मेरे साथ रमाकांत शर्मा भी थे और जगन्नाथ पांडे भी थे जो चीफ माडरेटर थे। हम लोग एक ही लाँज में ठहरे थे। बड़ौदा जाने से पूर्व ही ज्ञात हो गया था कि विशेषज्ञ समिति बन गई है। समिति अद्भुत थी, न भूतो न भविष्यति। चिम्मन पटेल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सीनेट में उन्होंने तीन नाम प्रस्तावित किए : (1) कुंवर चन्द्रप्रकाश, (2) डा० सरनाम सिंह, (3) गिरिराज किशोर। कुंवर चन्द्र-प्रकाश, यानी डा० अंबाशंकर नागर के वर्तमान विभागाध्यक्ष। डा० सरनाम सिंह यानी डा० नागर के शोच-प्रबन्ध के निर्देशक और गिरिराज किशोर, यानी गुजरात विद्यापीठ के हिन्दी-सेवी और नागर जी के विद्यापीठ काल के मित्र और अध्यक्ष। एक व्यक्ति के

सुरक्षा-कवच की तरह उसके तीन सम्बन्धी। और योग्यता भी देखिए। डा० सरनाम सिंह उस समय केवल रीडर थे। यानी हिन्दी-जगत् में प्रोफेसरों का अकाल था कि रीडर की नियुक्ति के लिए एक रीडर से ही सन्तोष किया गया। गिरिराज किशोर इतिहास में बी० ए० थे और हिन्दी प्रचारक थे। साहित्य और विशेषतया हिन्दी साहित्य से उनका छत्तीस का सम्बन्ध था। जाहिर था कि ये तीनों नाम डा० नागर की इच्छा से प्रस्तावित किये गये थे और हिन्दी से अनभिज्ञ सीनेट के लोगों को इन नामों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। चिम्न भाई काग्रम के नेता थे। सीनेट में भी उनका वर्चस्व था। इसलिए कुछ विरोध होता तो भी बहुमत से पास हो गया होता। श्री उमाशंकर जोशी इस खेल को समझते हुए भी विवश थे। बस, वे इतना भर कर सके कि एकेडेमिक कौमिल में डा० नगेन्द्र का नाम प्रस्तावित कर स्वीकृत करा लेने में सफल हो गए। वैसे मेरे लिए बचा क्या? केवल नगेन्द्र जी से अकादमिक न्याय की आशा थी किन्तु उनसे भी मेरा परिचय नहीं था। फिर भी इतना विश्वास था कि नगेन्द्र जी साहित्य के माध्यम से अवश्य मुझे जानते होंगे।

बडौदा में माडरेशन करने के क्रम में ही ज्ञात हुआ कि माक्षात्कार का दिन तय हो गया। माडरेशन का काम जिस दिन समाप्त हो रहा था संयोग से उसके दमरे दिन माक्षात्कार की तिथि पड़ी थी। कह चुका हूँ कि डा० नागर कलाकार व्यक्ति है। वे आज तक मुझसे कुवर चन्द्रप्रकाश और उनके परिवार की शिकायतें करते थे किन्तु जब स्वार्थमिद्धि का समय आया तब उन्होंने कुवर साहब को पटा लिया, खूब पटा लिया। कुवर साहब का बाहरी-भीतरी व्यक्तित्व मुझे कभी सुन्दर नहीं लगा था और उनसे मेरी सम्पृक्ति नहीं हो पाई थी किन्तु मैंने उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया, पर कलाकारों ने उन्हें इस समय मेरा विरुद्ध तान दिया, खूब तान दिया। डा० सरनाम सिंह में भी मेरा कोई भला-बुरा परिचय नहीं था, उन्हें भी तान दिया गया। यानी मेरे प्रति उनकी उदासीनता तो समझ में आती है किन्तु अकारण मेरे प्रति उनका क्षोभ समझ में नहीं आता। मुना था कि ये लोग कटिबद्ध थे कि मेरा नाम पैनाल में भी न आने पाये।

कह चुका हूँ कि आशा नगेन्द्र जी में थी किन्तु यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि मेरे विरुद्ध उनके भी कान भरे जा चुके हैं। उत्तर भारत में विराजमान इनके एक प्रतिनिधि और मेरे भूतपूर्व मित्र (जो नगेन्द्र जी के समीप थे) ने अपना काम कर दिया था। वे नगेन्द्र जी को समझाने में सफल हो चुके थे कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, लिखता हूँ। तां भी मुझे आशा थी कि नगेन्द्र जी जैसा ऊंचा व्यक्ति इन शिकायतों में परिचालित न होकर अकादमिक और साहित्यिक दृष्टि से जो ठीक समझेगा, करेगा।

माडरेशन-कार्य समाप्त हो गया। हम लोग अराजकी की गाड़ी से अहमदाबाद रवाना होने के लिए स्टेशन पर आये। बम्बई से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी में बडौदा में दो डिब्बे जुड़ते थे। हम लोग उसी में बैठने के लिए गये। हम यानी मैं, रमाकांत शर्मा और केदारनाथ दूबे 'यतीन्द्र'। दो बर्थों पर एक व्यापारी-परिवार पसरा हुआ था। यानी आवश्यक रूप से सारी जगह छेँके हुए थे। काया से सभी स्थूल थे। हम लोग खड़े थे और उनसे निवेदन किया कि वे लोग थोड़ा अपने को समेटें और हम लोग बैठ

जायें। वे लोग नहीं माने तो रमाकांत जी एक बर्थ के कोने पर बैठ गये। उस परिवार में खलबली मच गई। परिवार का मालिक और सबसे मोटा व्यक्ति बोला, “आप बिना मेरी इजाजत के कैसे बैठ गये?” रमाकांत जी ने कहा, “क्यों, क्या आप देश के राष्ट्रपति हैं कि आपकी आज्ञा ली जाये और गाड़ी में बैठने के लिए तो राष्ट्रपति की भी आज्ञा नहीं चाहिए।” उस आदमी को गुस्सा आ गया और उठकर रमाकांत जी का कालर पकड़ लिया और गाली देते हुए बोला, “उठ यहा से।” हम लोग मकते मे आ गए। कल मेरा साक्षात्कार है। सोचा, क्यो बिना वजह झगडा बढ़ाया जाये। हम कम्पार्टमेंट के बाहर आ गये। इस घटना के बाद उस मोटे के छोटे भाई (जो मध्यप्रदेश में कही इंटर कालेज में प्राध्यापक था) को भी कुछ होश आया और हम लोगो से बातें करने लगा। बोला, “आपके मायी ने अनावश्यक झगडा पैदा करा दिया।”

“भाई, झगडा तो आपके भाई साहब ने बढ़ाया। सीट पर बैठना कोई गुनाह तो है नहीं।”

हम दोनों देख रहे थे कि घटना के बाद शर्मा जी अदृश्य है। ‘कहा गये’ यह चिन्ता हमें माल रही थी। मैं सोच रहा था कि शर्मा जी स्वस्थ होते तो इम मोटे के शरीर पर चढ़ बैठते। कहा जा चुका है कि एन० सी० सी० कैम्प में उनकी टाग का फ्रैक्चर हो चुका था और अभी तक उनकी टाग मचकती थी और वे छड़ी के सहारे चलते थे।

देखा, शर्मा जी पुलिस के दो सिपाहियों के साथ छड़ी के सहारे जल्दी-जल्दी चले आ रहे है और आते ही सिपाहियो को ललकारकर कहा, “यह रहा रास्कल, पकड लो इसको।” अब तो सारा दृश्य ही बदल गया। उन सिपाहियों ने उस मोटे को पकडा और कहा, “चल थाने।” वह मोटा विधियाने लगा। लेकिन सिपाहियो ने उसे दबोच लिया और उस मोटे का जो मोटा परिवार अपने वीर पुरुष की बहादुरी पर मुग्ध होकर अब तक प्रसन्न हो रहा था, रोने-विधियाने लगा। थाना पास ही था। मैं भी गया। थानेदार से घटना बताई गई। शर्मा जी ने उन सिपाहियो पर जिस बात से रुआब डाला, उसी से थानेदार पर भी डाला। बात यह थी कि बड़ौदा के पुलिस उप-कामिश्नर श्री निरंजनदास मेरी शिष्या के पिता होने के कारण मेरे मित्र बन गये थे। वे पहले अहमदाबाद में थे। हम लोग एक दिन उनसे मिलने भी गये थे। शर्मा जी ने प्लेटफार्म पर झूटी पर तैनात सिपाहियों से यही कहा था कि दास साहब हमारे मित्र है। दारोगा से भी यही कहा गया। मैंने दारोगा से कहा, “जरा दास साहब को फोन मिलाइए।” दारोगा ने कहा, “अरे साहब, दास साहब को क्यों तकलीफ देंगे, मैं तो हूँ ही।” उन्होंने दोनो सिपाहियो से कहा, “इसको हवालात मे बन्द कर दो और इसे बन्द करके इसके साथियों को भी पकड़ लाओ।” उस मोटे की हालत देखने लायक थी। हलचल-हलचल कांप रहा था। सिपाही उसे लेकर हवालात की ओर चले तो शर्मा जी ने मुझसे कहा, “भाप चलिए, आपको कल इण्टरव्यू देना है। मेरी गाड़ी छूट जायेगी तो कोई बात नहीं, मैं इसे ठिकाने लगाकर ही आऊंगा।”

गाड़ी का समय हो रहा था। अतः मैं गाड़ी की ओर चला। वहां जाने के बाद

मोटे के परिवार वालों की बेहाली देखी। मैंने बताया कि वे हवालात गये, आप लोग गाड़ी से उतरने की तैयारी कीजिए। तब तक देखा कि शर्मा जी आगे-आगे और पुलिस वालों के साथ मोटेराम पीछे-पीछे चले आ रहे हैं। गाड़ी में आने के बाद शर्मा जी चीखकर बोले, “टच माई फीट रास्कल। तूने सबके सामने मेरा अपमान किया है इसलिए सबके आगे पांव छू-छूकर माफी मांग।” मोटेराम सबके सामने शर्मा जी के पाव छू-छूकर माफी मांगने लगे। फिर सब कुछ शान्त हो गया। शर्मा जी ने बताया कि मोटा हवालात के आगे मेरा पांव छूकर माफी मांग रहा था तो मैंने कहा—“यहां नहीं, सबके सामने माफी मांग।” फिर बड़ीदा से अहमदाबाद तक मोटे-परिवार ने कोई बात नहीं की, आपस में भी चुप ही रहे, जैसे सहम गये हों।

51

इण्टरव्यू का आतंक कई दिन पहले ही मुझे पर सवार हो गया था। वास्तव में इण्टरव्यू मेरे लिए आतंक का पर्याय ही रहा है। आज तो वह अपनी पराकाष्ठा पर था। और इण्टरव्यू सहज भाव से आतंक बनते है किन्तु यह तो सुनियोजित आतंक बनकर आया था। पहले से तय था कि जो चाहे हो जाये मुझे नहीं लिया जायेगा, पैनाल में नाम भी नहीं रखा जायेगा। ‘नहीं लिया जायेगा’ इतना ही काफी नहीं था, नहीं लेने के लिए आखिर उन्हें कोई आधार तो बनाना पड़ेगा और वह आधार होगा उलटे-सीधे सवाल करके मुझे अपमानित करना। शर्मा जी घर पहुंच कर दस बजे रात को मेरे यहां आये। मुझे ढाढ़स देते रहे, यतीन्द्र जी भी मेरे यहां ठहरे थे और इधर-उधर की बातें करके आश्वस्त करते रहे।

बहरहाल इण्टरव्यू का समय आया। नागर जी पहले गये। काफी लम्बा इण्टरव्यू। फिर मैं गया। यह अच्छा था कि उम्मीदवार की कुर्सी के ठीक सामने नगेन्द्र जी की कुर्सी थी और उनकी बगल में कुलपति की। इन तीन विशेषज्ञों (?) की कुर्सी उम्मीदवार की बगल में एक पंक्ति में थी। जाते ही एक बार इन आला विशेषज्ञों पर नजर पड़ी थी, फिर तो मैं नगेन्द्र जी की ही ओर देखता रहा। इन तीनों के सवालों के जवाबों के समय भी मैं नगेन्द्र जी की ही ओर देखता रहा। सबसे पहले नगेन्द्र जी ने सवाल पूछे और मेरे उत्तरों पर अपनी सन्तुष्टि प्रकट की। वे हर बार कहते रहे—“यस, इट इज बेरी गुड आनसर।” कह चुका हूं कि मेरे विरुद्ध उनके कान भरे गये थे और मैंने कुछ माध्यमों से अपने प्रति उनका मन साफ करने का प्रयत्न किया था। उनका मन साफ तो नहीं हुआ था किन्तु उन्होंने आश्वस्त किया था कि वे मेरा अहित नहीं करेंगे। वे यह जानते थे कि तीनों लोग मेरे विरोध में हैं और वे अकेले हैं, किन्तु हमें विश्वास था कि नगेन्द्र जी चाहें तो अकेले काफी हैं। उस समय उनके प्रताप का ताप पुरे हिन्दी-जगत् पर छाया हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि खुलकर विरोध करे।

इन तीनों में से दो तो उनके कृपाकांक्षी ही हैं, वे उनके विरोध में कैसे जा सकते हैं ? किन्तु विडम्बना तो यही थी कि नगेन्द्र जी के मन में मेरे प्रति भ्रान्तियां थीं जिन्हें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। इसलिए डर था कि मेरे प्रति उनका समर्थन इतना वेगवान नहीं होगा जो इन तीनों के विरोध को माफ-माफ काट मके। और दही हुआ। एक ओर ये तीनों नागर जी के लिए तैयार होकर आये थे, दूसरी ओर नगेन्द्र जी की महानुभूति नागर जी, रणधीर भाई सबके प्रति थी।

नगेन्द्र जी के बाद इन तीनों ने सवाल पूछे और मैंने बिना उनकी ओर देखे उत्तर दे दिये। जितना सम्भव था, इन्होंने ऊट-पटाग सवाल पूछे और मुझे उन्नेजित करने का प्रयत्न किया और जितना सम्भव हो सका मैंने मयम बताया। एक विन्दु पर तो कुवर साहब ने मुझे 'डाउन' करने की प्रती कोशिश की। डा० नगेन्द्र ने पूछा— "मान लीजिये आप रीडर चुन लिए जाते हैं तो शाध-क्षेत्र में कौन-से नये काम कराइयेगा ?"

मैंने कहा— "गुजरात में बहुत-से गुजराती हिन्दी लेखक हुए हैं, उनकी हिन्दी कृतियों का अध्ययन कराऊंगा और तुलनात्मक अध्ययन की भी बहुत सम्भावनाएँ हैं।"

"गुजरात के गुजराती हिन्दी कवियों पर तो यहाँ काम हो रहा है, हुआ है।" कुवर साहब बोले।

"हां, हुआ है किंतु खतियौनी वाला काम हुआ है। मैं पहल तो यह देखूंगा कि ये कृतियाँ साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान हैं कि नहीं। और मैं खतियौनी न बनाकर साहित्यिक विश्लेषण कराऊंगा।"

"खतियौनी वाला काम किसने किया है ?" कुवर साहब बोले।

"मैं नाम नहीं लूंगा।"

"नहीं, आपको नाम लेना चाहिए। बताइये न किसने खतियौनी की है ?" वे तुले हुए थे।

मैंने बार-बार कहा— "मैं नाम नहीं बनाऊंगा।" वे भी जानते थे कि मैं नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ और मैं भी जानना था कि वे बार-बार नाम उगलवाने पर जोर क्यों दे रहे हैं ? नाम लेने पर वे कुलपति से यही कहते, "दखिये साहब, ये दूसरे उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं।"

मैंने कुलपति जी से यह कहा, "महादय, मैं किन्हीं कारणों से नाम नहीं लेना चाहता, मुझे बाध्य न किया जाये।"

"आलराइट।" कहकर दूसरे विशेषज्ञ से सवाल पूछने का इशारा किया।

खैर, किसी तरह उम चक्रव्यूह से बाहर आया। इण्टरव्यू कुल मिलाकर अच्छा ही हुआ था और नगेन्द्र जी के महायक व्यवहार से आशा बंध गई थी कि सब कुछ ठीक ही होगा।

मेरे बाद रणधीर भाई का साक्षात्कार था। मैं घर चला आया। बाद में मालूम पड़ा कि नगेन्द्र जी के प्रयत्नों से पैनल में मेरा नाम रख लिया गया था। वे लोग तो पूर्व निर्णय के अनुसार इस बात पर तुले हुए थे कि मेरा नाम पैनल में भी न हो। तीन नामों

(मेरे, नागर जी तथा रणधीर भाई के नामों) का एक पैनल बना दिया गया था, कोई वरीयता-क्रम नहीं दिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि सिडिकेट फिर हमारा साक्षात्कार लेगी और वही रीडर का चुनाव करेगी।

मैं तो थककर बैठ गया किंतु रमाकान्त शर्मा आये और बोले—“ना, हम लोग मामान्य हुए तो बग हुआ, संघर्ष जारी रखेंगे।” वे मुझे लेकर सिडिकेट के कई सदस्यों के पाम गये। सेंट जेवियर कालेज के प्रिंसिपल ने भी कुछ सदस्यों से कहा। श्री सी० एल० शाम्शी और श्री के० एन० शाह ने भी कुछ लोगों से कहा। वास्तव में सिडिकेट के ऊचे लोग मुझे जानते नहीं थे। चिम्मन पटेल तो सिडिकेट के सदस्य थे ही, उनका प्रभाव भी खूब था। उनके माध्यम से नागर जी का प्रचार बहुत आसानी में हा गया था। उनका नागर जाना भी उनके पक्ष में था। वे गुजरातियों के बीच गुजराती नागर थे और राजस्थानियों के बीच राजस्थानी नागर। इसलिए हमारा प्रयत्न यही था कि सिडिकेट के लोग मुझे जान लें, मेरी योग्यता में थोड़ा-बहुत परिचित हो लें और हमें लगा कि हम लोग अपने इस प्रयत्न में सफल हो गये।

सिडिकेट के लोगो के मामले हमारी पेशी हुई। उनमें हिन्दी साहित्य से परिचित या साहित्य से परिचित मरिक्ल से दा-एक लोग थे। लॉ कालेज के प्रिंसिपल मिस्टर पंडित ने रंग, ध्वनि आदि पर प्रश्न पूछे। गुजरात के शिक्षा निदेशक मिस्टर शर्मा मेरे विरुद्ध तैयार होकर आये थे और अज्ञेय पर प्रश्न पूछे। एम्-एम् शर्माओं को मैं क्या खनि जाना किन्तु यह प्रश्न बोटिंग का था। बहुत विचित्र-त्रिविचित्र प्रश्न पूछे गए। एक ने पूछा—‘प्रेमचंद को जानते है?’ चिम्मन भाई ने पूछा—“हिन्दी के बारे में कुछ बताइये।” साक्षात्कार के समय देखा कि विक्रम गाराभाई आये और चले गये। उनके चले जाने में मुझे चिंता हुई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि उनका वोट मेरे पक्ष में जायेगा।

शाम को पता चला कि चिम्मन भाई जीत गए। वास्तव में यह जीत उन्हीं की थी। उनकी कृपा में नागर जी को आठ वोट मिल और मुझे अपनी दौड़-धूप से सात वोट। विक्रम भाई के लौट जाने का फल मुझे भोगना पड़ा। अब मुझे अंतिम रूप से लग गया कि गुजरात में मेरा दाना-पानी उठ गया।

अपनी नियति की कल्पना कर मैं गुजरात से बाहर कई जगह आवेदन-पत्र दे चला था। धुनिया गया। वहाँ के कालेज के एग्जामपर्ट मेरी क्लेपों देखकर आतंकित हो गये और प्रस्ताव किया कि पार्टटाइम लक्चररशिप स्वीकार करनी हो तो करें। मन में उन्हें भर्ती-सी गाली देकर मैं लौट आया।

आगरा के केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के टण्टरब्यू में गया। वहाँ में भी अपमानित होकर लौटा क्योंकि वहाँ भाषा-विज्ञान के मबालों से ताबड़तोड़ टकराना पड़ा। उमी क्रम में डा० रामसिंह तोमर से कहा-मृनी हो गयी। वहाँ से लौटने के बाद वहाँ के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण राव का पत्र लिखा और अपमानजनक साक्षात्कार-प्रक्रिया की शिकायत की। राव साहब का एक बहुत आत्मीय पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं स्वयं नहीं चाहता था कि आप संस्थान में आएँ, यह आपके लिए उचित जगह नहीं

थी किंतु जिस ढंग से आपका इण्टरव्यू लिया गया, उससे मैं स्वयं असंतुष्ट हूं। बहरहाल इस बहाने आपसे मित्रता हुई, यह सुख कम नहीं है।

वास्तव में मेरे लिए यह बहुत बड़ा सुख हुआ। इसके बाद मैं राव साहब का आत्मीय बन गया। उनके व्यक्तित्व में एक सहज बड़प्पन था जिसका प्रसाद मुझे मिलता रहा। इनकी चर्चा फिर होगी।

नागपुर विश्वविद्यालय में आवेदन-पत्र दिया था। वहां ली जाने की सभावना थी क्योंकि पंडित मोहनवल्लभ पंत (जो कि मेरे लिए बहुत चिंतित हो रहे थे) वहां एक्सपर्ट थे किंतु मुझे समय से इण्टरव्यू लेटर ही नहीं मिला। वहां पहुंचकर पंत जी ने मुझे नहीं देखा तो बहुत दुःखी हुए।

एक इण्टरव्यू में दिल्ली भी गया। वह साल-भर की जगह थी। वैसे मुझे पता था कि डा० नगेन्द्र का मन मेरी ओर से साफ नहीं हुआ था, होन का कोई आधार भी उपस्थित नहीं हुआ था अतः वहां लिए जाने का प्रश्न ही नहीं था। वैसे भी उनसे डर लगता था। एक तो वैसे ही उनकी आकुंचित मुद्रा, दूसरे मेरे प्रति उनका भाव। उनके सामने जाने में डर लगता था किन्तु नौकरी के लिए तो उनके सामने जाना ही था। इण्टरव्यू के बाद मिले, हलका-सा मुसकराए और बोले—“सिडिकेट में तुमने अच्छी फाइट दी।”

कालेज, यूनिवर्सिटी तथा अपने कहे जा सकने वाले तमाम मित्रों और छात्रों की ओर में एक अद्भुत उदासीनता और उपेक्षा बरस रही थी। उसके चक्रव्यूह में घिरा मैं मौन-मौन छटपटा रहा था। किसी ओर से उत्साहवर्धक खबर नहीं मिल रही थी। मैंने पी-एच० डी० गाइड होने के लिए आवेदन-पत्र दिया। मर ही साथ गोवर्धन शर्मा ने भी दिया। एक्सपर्ट हुए सोमनाथ गुप्त। उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी वह उन्हीं के योग्य थी। उन्होंने फरमाया कि गोवर्धन शर्मा का कार्य शाघ-कार्य है और रामदरश मिश्र का कार्य समीक्षा-कार्य। अतः गोवर्धन शर्मा ही गाइड होन योग्य है। उनकी रिपोर्ट से लगा कि जैसे उन्हें हम दोनों में से एक का चुनाव करने को कहा गया है। यह भी विचित्र ही था कि हिन्दी के इतने विद्वानों के बीच सोमनाथ गुप्त ही एक्सपर्ट के रूप में प्राप्त हुए। वे सभवतः गोवर्धन शर्मा के गाइड रह चुके थे। मैं यह देखकर हैरान था कि गुजरात में सुशोभित राजस्थान और उससे जुड़े हुए राजस्थान में राजस्थान मेरे पीछे पड़ा था ?

मेरे थोड़े-से हितैषी मुझे लेकर चिंतित थे किंतु विश्वास था कि चाहे जो हो मेरी नौकरी तो बनी रहेगी। इस बीच हरिहर भाई ने चिम्मन भाई पटेल का संदेश दिया। उन्होंने कहलाया था कि मिश्र जी के प्रति मेरे मन में बहुत सद्भाव है। यदि उन्हें नौकरी का खतरा हो तो हमारे कालेज में जब तक चाहे रह सकते हैं। मुझे उनका यह रवैया अच्छा लगा और उनके कालेज जाकर उन्हें धन्यवाद दे आया। वहां भी उन्होंने अपनी बात दुहरायी और मैंने जवाब में कहा—“आभारी हूँ। जब वैसी नीबत आयेगी तब देखा जायेगा।”

नयी नौकरी की तलाश में मेरे दिन बीतने लगे। प्रिंसिपल मुझे नौकरी न

मिलते देख परेशान हो रहे थे और घबरा चुका जा रहा था। वे चाहते थे कि मैं स्थिति को भांपकर जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। वैसे वे कहते कुछ नहीं थे, केवल मेरी उपेक्षा को मौन भाषा में वे मुझे लगातार चेतावनी दे रहे थे। वे मुझे हटाने वाले थे ही, आज नहीं तो कल, इसलिए लगातार मुझमें गलतियाँ खोज रहे थे। वे इस टोह में थे कि मैं कहां क्या गलती करता हूँ और कुछ लोग स्वभावतः मेरी सहज बात को भी गलती बनाकर प्रिंसिपल के दरबार में पहुंचाया करते थे। साइंस के एक वरिष्ठ प्राध्यापक ने क्रिमी संदर्भ में उभरे मेरे सहज क्षोभ को एक अलग अर्थ देकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा दिया। प्रिंसिपल ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने उन्हें सही बात बतलाकर उनका मन साफ करना चाहा। वे चुप तो हो गए किन्तु उनका मन भला क्या साफ होता ?

उन्ही दिनों छमाही परीक्षा थी। अब मैं गीनियर सुपरवाइजर से जूनियर सुपरवाइजर बना दिया गया था। त्रिम दिन मुझे ड्यूटी देनी थी, मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया। मैंने फोन में प्रिंसिपल को अपनी बीमारी में सूचित कर दिया। जुकाम मुझे बहुत तेज हाता है। एक तरह से वह मुझे चारपाई पर पटक देता है। मैं जुकाम में पड़ा था। घुवरी चौधरी आए और मेरी हालत देखकर बोले—“सर, ऐसी स्थिति में आप बाहर निकले थे क्या ?”

‘नहीं भाई, मैं तो जुकाम में इग तरह लस्त-पस्त हो जाता हूँ कि दो दिन पूर्ण विश्राम करता हूँ, निकलूँ तो मुझे फलू हो जाये।’

“बड़े धूर्त लाग है। साइंस वाले त्रिवेदी ने प्रिंसिपल से कह दिया कि आप जहर में घूम रहे थे। चूँकि आप गीनियर सुपरवाइजर में अनविजिलेटर बना दिये गये हैं इसलिए बीमारी का बहाना बनाकर नहीं आये है।”

“आपसे किसने कहा ?”

“चिम्मन भाई रास्ते में मिल गए थे, वही बता रहे थे।”

मुझे बहुत गुस्सा आया। यह तो स्पष्ट ही था कि इस समय प्रिंसिपल क्या चाहते थे और अपने चाहने को न्यायसंगत बनाने के लिए एक न एक दोष खोज रहे थे किन्तु इतना तथ्यात्मक झूठ मेरे मिर लादा जा सकता है इसकी कल्पना तक नहीं की थी। मैं फलू की परवाह किये बिना तुरत उठा, स्कूटर किया और प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच गया। उस समय तक शिक्षक जा चुके थे, केवल आफिस के लोग और प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल ने मुझे देखकर उमी तरह तनाव पहन लिया जैसे क्रिमी अपराधी को देखकर पहन लिया जाता है। उन्होंने मोचा होगा कि मैं अपने अपराध के लिये क्षमायाचना करने आया हूँ। किन्तु मैं तो गुस्से में था। जाते ही पूछा—“आपसे किसने कहा कि मैं शहर में घूम रहा था ? मेरी हालत देख रहे हैं। इस हालत में मैं घूम सकता हूँ ? इस बात ने मुझे इतना उद्विग्न कर दिया कि मैं इसी समय यहाँ आने से अपने को रोक नहीं सका। सर, त्रिवेदी तो क्या यदि ईश्वर भी आपसे आकर कहता तो मैं उसे कहता, तू झूठ बोल रहा है ईश्वर।”

प्रिंसिपल को लग गया कि यह आदमी अपराध-बोध लेकर नहीं, विरोध-भाव

लेकर आया है और मेरे कथन में उन्हें सच्चाई दिखाई पड़ी। वे बोले—“डाक्टर मिश्र, मुझमें जिस व्यक्ति ने कहा मैं उस पर अविश्वास नहीं कर सकता और आप पर भी अविश्वास नहीं कर सकता। आप दोनों व्यक्ति मेरे लिए समान भाव से विश्वमनीय हैं। उन्होंने कहा तो मैंने विश्वास कर लिया, आप कह रहे हैं तो आपकी बात पर भी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जाइये, आराम कीजिये, कोई बात नहीं।”

मैं चला आया किन्तु जानता था कि प्रिसिपल भीतर-भीतर और चिढ़ गये होंगे। मैंने दो-तीन दिन बाद डा० त्रिवेदी को पकड़ा तो उन्होंने मासूमियत में कहा, “आप जैसा ही व्यक्ति मैंने देखा था। हा सकता है आप न रहे हों।”

“हो सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं था तो आपको विश्वास नहीं होता। इसमें हो सकता है लगाने की मुमीबत क्यों पाल रहे हैं और कौन कहा जा रहा है, कहा दिखाई पड़ रहा है, इसकी सूचना देने का काम आपको सौंपा गया है क्या?”

कुछ महीने बाद फिर एक घटना घटी। फरवरी का महीना था। परीक्षा की तैयारी की छुट्टियां हो गयी थीं। उन्ही दिनों दिल्ली में नवनीत गोस्वामी की शादी पड़ी। नवनीत मेरे बहुत आत्मीय छात्र थे और उनमें घरेलू सम्बन्ध भी थे। उनकी शादी में मुझे जाना ही चाहिए था किन्तु जिस मानसिकता में मैं जी रहा था, उसमें कहीं जाने-वाने का उत्साह नहीं हो रहा था। किन्तु बार-बार के आत्मीय दबाव के नाते मैं जाने की पूर्व संध्या को तैयार हो गया। ऐसी स्थिति में प्रिसिपल से पूछने का अवसर नहीं मिला और मन में यह भाव भी था कि तैयारी की छुट्टियां ही हैं, इन छुट्टियों में कभी-कभी कालेज चले जाते हैं। दो-तीन दिन की बात है। क्या फर्क पड़ता है? वैसे मन में लगातार एक अपराध-बोध बना हुआ था कि कुछ भी हो, अहमदाबाद में रहते हुए भले ही कालेज न जाता हूँ, बाहर जाने के लिए प्रिसिपल से छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। छुट्टी लेने का अवसर नहीं मिला किन्तु छुट्टी न ले पाने का अपराध-बोध मन को सालता रहा। तीन-चार दिन बाद लौट आया तो प्रिसिपल ने मिलते ही सवाल किया कि आप दिल्ली में शादी में गये थे? मैं समझ गया, उन्हें यह सूचना किसने दी होगी। खैर, मैंने उनसे स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि यहाँ भी तो खाली ही बैठा था। उन्होंने कहा, “नहीं, खाली कैसे? इन छुट्टियों में कोई भी छात्र अपनी कठिनाई हल करने के लिए शिक्षक से सम्पर्क कर सकता है इसलिए हर शिक्षक कालेज में या शहर में उपस्थित रहना चाहिए।”

“मुझमें कठिनाई पूछने वाले रहे कहां? हिन्दी की कक्षा ही कहां रही कि कोई कठिनाई पूछने आयेगा। जब तक मैं यहाँ रहा कोई भी तो कुछ पूछने नहीं आया। जो हिन्दी इस कालेज में बची है उसकी कठिनाई हल करने के लिए राबत जी पर्याप्त है।” जाहिर था कि प्रिसिपल को मुझसे दृष्ट हाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। एक बहाना और मिल गया।

इन घटनाओं के आघात से छिन्न-भिन्न मानसिकता में जी ही रहा था कि मई में घर से समाचार आया—पिताजी का देहात हो गया। वैसे उनकी मृत्यु संभावित थी

और एक तरह से बांछनीय भी क्योंकि पक्षाघात से पीड़ित हो गए थे और जो जिन्दगी जी रहे थे उसे जिन्दगी जीना नहीं कह सकते। फिर भी इससे पिता-विहीन होने की वेदना कम तो नहीं हो जाती। इस अफाट मन्नाटे को पितृ-विहीनता का मन्नाटा और गद्ग तथा व्यापक बना गया। इस मन्नाटे को लिए-दिए मैं दिन काट रहा था, किसी से कहने नहीं गया और न मित्रों में से कोई इस मन्नाटे में सुख-दुःख पूछने आया। वेचरणधीर भाई आये थे। आत्मीय शिष्यों का तो आना-जाना लगा ही रहता था।

यह माल भी बीन गया। गर्मी की छुट्टिया बीत गयी, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन मी० एल० शास्त्री गरे घर आये और बानचीत करते-करते बोले—“मिश्र जी, यदि कालेज आपको आधी तनखाह दे तो आपको स्वीकार्य होगा?” मैं चाका। वे बोले—“नहीं नहीं, प्रिंसिपल ने मुझसे नहीं कहा है, यह एक आशंका जैसी है। यदि ऐसी स्थिति आये तो आपका क्या निर्णय होगा? इसके प्रति मैं सचेत करने आया हूँ।”

मैं व्यथा से मुसकराया।

‘शास्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप अपने-आप नहीं आये, भेजे गये हैं और आप भी जानते हैं कि यह स्थिति कितनी अप्रिय होगी। रही बात स्वीकारने-न-स्वीकारने की, तो प्रवक्षता में तो कुछ भी किया जा सकता है।’

पहली तारीख को हम लोग स्टाफ रूम में बैठे थे। वह ‘पे डे’ था। वेतन लेने के पढ़ने मझे छोड़कर सारा स्टाफ प्रिंसिपल के कमरे में पहुँचा। मुझे किसी ने चलने के लिए नहीं कहा और न बताया कि वे क्यों जा रहे हैं। कुछ देर बाद सभी लोग मुह लटकाने लौट आये। सबने तनखाह ली, मैंने भी ली। गिना तो आधी तनखाह थी। उम्मेदना कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहा। न लेते बनना था, न छोड़ते बनना था। आखिर उसे जेब में रख लिया। रास्ते में चिम्मन भाई त्रिवेदी न बहुत व्यथापूर्वक बताया कि सारा स्टाफ प्रिंसिपल से यह कहने गया था कि मिश्र जी की तनखाह मत काटिये। काटना हो तो उन्हें बिना बताये हम लोगों की तनखाहों में से कुछ-कुछ निकालकर उनकी तनखाह पूरी कर दीजिये, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मान।

मैंने स्टाफ के लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा, “यह ठीक ही हुआ चिम्मन भाई, मुझे पता चलना तो मेरे जमीर को मजूर नहीं होता।”

कुछ मित्रों ने मलाह दी कि कोर्ट केस कर देना चाहिए। बान तो मही थी। मैं यू० जी० सी० ग्रेड में था। स्थायी था। कालेज को कोई अधिकार नहीं था कि वह मुझे निकालता या मेरी तनखाह कम करता किन्तु कोर्ट-कचहरी जाना मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। कोर्ट तो तब भी जाया जा सकता था जब रीडरशिप के लिए बनी विशेषज्ञ समिति में गिरिराज किशोर जैसे सर्वथा अयोग्य सदस्य थे और डा० मरनाम सिंह शर्मा रीडर होकर रीडर की नियुक्ति के लिए आये थे और डा० नगेन्द्र को छोड़कर सभी के सभी सदस्य डा० नागर से किसी न किसी रूप में जुड़े थे। तब भी लोगों ने राय दी थी किन्तु मैंने केस नहीं किया। स्वभाव के साथ-साथ यह बात भी तो थी कि केस जीत जाने पर आखिर काम तो इसी व्यवस्था में करना पड़ेगा। क्या आनंद

आयेगा ? दुनिया इतनी बड़ी है तो क्यों अवांछित रूप में इस छोटी जगह के कीचड़ में हाथ-पैर मारूं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कालेजों में जगह निकली थी। श्यामलाल कालेज नया-नया खुला था। एस० चांद एंड कम्पनी से मेरी दो पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थीं। श्यामलाल जी चाहते थे कि मेरी नियुक्ति हो किन्तु डा० नगेन्द्र नहीं चाहते थे। डा० नगेन्द्र की एक विशेषता है कि वे स्पष्टतावादी हैं। वे अपने रोप और हर्ष को स्पष्ट प्रकट कर देते हैं, किसी को धोखे में नहीं रखते। इंटरव्यू उनके कमरे में ही था। इंटरव्यू के पहले बाहर मिल गये और मुझसे स्पष्ट कह दिया कि चूकि नया कालेज है और विभाग के पहले आदमी की नियुक्ति है अतः आपकी नियुक्ति नहीं होगी। आप यहां के पाठ्यक्रम आदि के बारे में कुछ नहीं जानते।

मैं क्या कहता दुःखी होने पर मिवाय। निर्णय तो इंटरव्यू से पहले ही ज्ञात हो गया था किन्तु जब गया था तो इंटरव्यू तो देना ही था। इंटरव्यू में गया। डा० नगेन्द्र की दूसरी बड़ी विशेषता है कि वे इंटरव्यू में किसी के कमजोर पहलू पर आक्रमण नहीं करते, उनके अपने क्षेत्र में प्रवेश कर उनकी योग्यता का आकलन करते हैं और एक बार उसकी योग्यता जान लेने के बाद उसे बार-बार हैरान नहीं करते। अतएव वहां मेरे जाते ही उन्होंने अज्रेजी से कहा—“ये डा० मिश्र हैं। बहुत योग्य हैं। मैं इन्हें जानता हूं। मुझे कुछ नहीं पूछना है, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिये।”

रमाकान्त शर्मा ने डा० रामयतन सिंह भ्रमर के निर्देशन में शोध किया था। डा० नगेन्द्र उस शोध-प्रबन्ध के परीक्षक थे। उन्होंने मौखिकी के लिए शोधकर्ता और निर्देशक दोनों को अपने कमरे में बुला लिया था। मैं तो दिल्ली पहुंचने से ही आया हुआ था, डा० नगेन्द्र के कमरे के पास पहुंच गया। मौखिकी के पश्चात् मैं भी कमरे में चला गया। हम लोग बैठे थे, उसी बीच रमाकान्त जी ने नगेन्द्र जी से कह दिया—“आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं। ये ‘आउट आफ जाब’ है।” “है !” नगेन्द्र जी चौक उठे, “यह मुझे मालूम नहीं था। मैं ममज्ञता था कि वहां मनोवैज्ञानिक ढंग से ऊबकर नौकरी खोज रहे हैं।”

उन्होंने पूछा—“पी० जी० डी० ए० बी० कालेज में अपनाई किया है ?”

“जी।”

“इंटरव्यू लेटर मिला ?”

“नहीं। मैं तो कई दिन का आया हुआ हू।”

“तो जाओ, प्रिंसिपल से कह दो कि तुम्हें इंटरव्यू लेटर दे दें। कहना—मैंने कहा है।”

मेरे ‘आउट आफ जाब’ की सूचना से उन्हें जो बेचैन होते देखा, वह अनुभव अद्भुत था। हम साथ ही आर्ट्स फैकल्टी से बाहर निकले। जब अलग होने लगे तो उन्होंने कहा—“लेकिन तुम पालिटीशियन हो।”

“जी नहीं, मैं पालिटीशियन नहीं हूं और चाहे जो होऊं। आपके साथ काम करने का अबसर मिलेगा, तब आप स्वयं इस बात का अनुभव कर लेंगे।”

खीर, इंटरव्यू हुआ। मैं ले लिया गया लेकिन विडम्बना यहाँ भी साथ लगी रही। सेंट जेवियर में मेरी 'बेसिक पे' छः मही रुपये थी, यहाँ पांच सौ तीस रुपये दिये गये। इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। जो भी मिला साभार स्वीकार किया।

अहमदाबाद पहुँचकर सबको सूचना दी। बहुत दिनों बाद मैं ऊर्जा और उमंग के साथ प्रिंसिपल से मिला। पहले तो प्रिंसिपल ने अभ्यस्त उदासीन भाव में देखा किन्तु जब मैंने कहा कि दिल्ली के एक कालेज में मेरी नियुक्ति हो गयी तो खिल उठे, नगा जैम उनके ऊपर का भार उठ गया हो।

“कब जागेंगे ?”

“कल।”

“नो-नो, हमें भी तो कुछ समय दीजिये कि हम आपके लिए कुछ कर सकें।” व हमारे साथ-साथ स्टाफ-रूम पे आये और एक प्रफुल्ल चहक के साथ सबको सूचना दी और बताया कि कल इनकी विदाई में स्टाफ की ओर से एक आयोजन होगा।

दूसरे दिन विदाई का आयोजन हुआ। मेरे गुणगान हुए, मेरे प्रति स्नेह की वर्षा की गयी और महीने की जो आधी तनखाह बाकी थी उसे मुझे अर्पित किया गया। 'वर्ड्स इनसाइटक्लोपीडिया' पुस्तक की एक प्रति भेंट की गयी। कालेज के मेरे आत्मीय मित्रों ने अलग-अलग मुझे बधाई दी और उन्हें लगा कि मचमुच एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गयी। मेरी नियुक्ति से उनके चिंतन मन खिल आये थे। सब कुछ भूलकर मेरा मन भी खिल आया था। कालेज में नियुक्ति मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं थी, आवश्यकता की पूर्ति थी। इस समय मेरे सतोष के लिए इतना ही काफी था।

धीरे-धीरे मित्रों और शिष्यों को भी मालूम हो गया किन्तु किमी को विदाई का अवसर दिये बिना मैं दो दिन बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जहाँ छः वर्षों तक मैंने इतने शिष्य बनाये, इतने मित्र बने, वहाँ से मैं उनके किसी आयोजन के बिना चुपचाप दिल्ली आ रहा था। परिवार का छोड़कर फिलहाल मैं अकेला ही दिल्ली आ रहा था। मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पर फादर प्रिंसिपल, अन्य कई फादर एवं कुछ मित्र थे।

गाडी सरकी और आठ वर्षों की निवास-भूमि गुजरात से मैं एक दर्द-भरी विदाई लेकर दिल्ली का ओर जाने लगा। न जाने कितने मुख-दुःखों की अनुभूतियाँ मेरे भीतर उथल-पुथल मचा रही थी और दिल्ली का एक अजनबी महानगरीय माहौल मेरे भीतर एक दहशत बनकर उभर रहा था।

रास्ते में उमाशंकर भाई की बात याद आ रही थी—“जो हुआ सो बहुत बुरा हुआ और हमें उसकी गहरी पीडा है लेकिन एक दृष्टि से अच्छा भी हुआ। आपकी साहित्य-साधना के लिए सही जगह दिल्ली ही है। जाइए और इस भोगे हुए दर्द का सर्जनात्मक उपयोग कीजिये।”

उत्तर पथ

दिल्ली में उदयभान मिश्र के यहां ठहरा। वे माडल टाउन में रहते थे। पिछली बार आया था तो 'ई' ब्लॉक में थे, इस बार 'जी' ब्लॉक में चले गये थे। पिछली बार आया था तो अजितकुमार के बच्चे की वर्षगांठ थी। उसमें कई लोग शहर के दूरस्थ इलाकों से आये थे। उनमें अशोक वाजपेयी भी थे। रात को घर लौटने के स्थान पर वे तथा दो-एक सज्जन और (नाम नहीं याद आ रहे हैं) उदयभान मिश्र के यहां ही ठहर गये। मैं तो ठहरा हुआ था ही। रात काफी हो चुकी थी किन्तु जब कई साहित्यकार मिले हों तो समय का प्रतिबंध कहाँ रहता है? अशोक वाजपेयी तब साहित्य के स्वामी नहीं हुए थे, किसी कालेज में अंगरेजी पढ़ाते थे और हंसते भी थे (अब पता नहीं हंसते हैं कि नहीं)। वे अनेक साहित्यकारों की नकल करके हंसा रहे थे। हम लोग जोर-जोर में हंस रहे थे। फिर उदयभान मिश्र का ख्याल आया कि मकान मालिक का परिवार तो रहा है, उसे बाधा पहुँच रही होगी। उन्होंने कहा—“अब सो जाना चाहिए।”

“अरे नहीं भाई, मैं तो यह लेख पढ़कर ही मोऊगा, नहीं तो मुझसे पहले श्रीकांत पढ़ लेगा।” अशोक वाजपेयी बोले। इनका इशारा इनकाउंटर के नये अंक में छपे एक लेख से था।

मैं चकित रह गया। मैं नहीं सोच पाया कि अगर श्रीकांत ही पहले पढ़ लेंगे तो कौन आफत आ जायेगी? क्या वे उस लेख का सारा ज्ञान यों सोख जायेंगे कि बाद में पढ़ने वालों को कुछ मिले ही नहीं? अपने को अत्यधिक आधुनिक दिखाने का यह भी एक फैशन नहीं है क्या? अरे भाई, यदि कोई लेख स्थायी महत्त्व का है तो उसे हम दस दिन बाद भी पढ़ सकते हैं। हम पढ़ते इसलिए थोड़े हैं कि दूसरों को बता सकें कि हमने तुमसे पहले पढ़ लिया है, पढ़ते इसलिए हैं कि उससे हमारा विचार समृद्ध होता है, अनुभव बढ़ता है या वह रचना हमें नये सवालों के रूबरू करती है। वह हमें बाहर से मुखर नहीं करती, भीतर से गंभीर बनाती है। किन्तु अशोक वाजपेयी उस समय जिस मुद्रा में बड़े-बड़े साहित्यकारों की मिमिकरी कर रहे थे, यह लेख पढ़ने की उतावली का तर्क उस मुद्रा से मेल खाता था। आखिर वे लेख पढ़कर ही सोये और लोग उनके प्रतिस्पर्द्धी ज्ञानार्जन का दंड भोगते रहे—अपनी नींद पर बिजली की तीखी रोशनी झेलते हुए।

उदयभान के साथ एक नौकर था—तूफानी। उसे वे गांव से लाये थे। तूफानी अपने नाम के विपरीत बहुत बेचारा था। काम तो बहुत करता था किन्तु उसकी

गरीबी और गंवई बेशकरी के कारण उदयभान द्वारा उसे प्रायः पिट जाना पड़ता था। उदयभान भावात्मक रौ वाले आदमी हैं, जिधर बह जायें। तूफानी के प्रति क्रोध की गी में बह जाते थे और मुझे यह बात मालती थी और प्रायः अप्रिय हस्तक्षेप करना पड़ता था। वैसे उदयभान मेरी बात का बुरा नहीं मानते थे, मेरे प्रति उनमें गहरा सद्भाव था।

हम लोग अपनी-अपनी ड्यूटी से बचे हुए समय में मकान खोजते थे। उदयभान मुझमें कई महीने पहले दिल्ली आ गये थे अतः वे दिल्ली-अनुभव के मामले में मुझमें मीनियर थे। वही मुझे यहाँ-वहाँ ले जाने थे। माडल टाउन, कमलानगर, शक्तिनगर न जाने कहा-कहा हम लोग मकान की खोज में घूमे। बहुत खट्टे-मीठे अनुभव हुए। वैसे मेरी इच्छा थी माडल टाउन में ही रहने की क्योंकि उदयभान तो वहाँ थे ही और बहुत-से प्राध्यापक और माहित्यकार वहाँ रहने थे।

बहरहान मैं चाहता था कि माडल टाउन में ही मकान मिले और एक दिन खोजने-खोजने मिल भी गया। ई ब्लाक में एक मकान बन रहा था। पूछताछ की। मकान मालिक जयभगवान गौयल ने बहुत सम्मान से बात की और बात की बात में सब कुछ तय हो गया।

अहमदाबाद पत्र लिख दिया—“आ जाओ, मकान मिल गया है।” नियत समय पर पत्नी बच्चों और सामान के साथ आ गयी। मकान अभी एकदम पूरा नहीं हुआ था किन्तु रहने लायक हो गया था। हमें उसमें जाना ही था, चले गये। मकान मालिक के परिवार के लोग भी उस ‘अनफिनिशड’ मकान में आकर रहने लगे थे। मकान मालिक पहले स्कूल टीचर थे, नये-नये व्यापारी बने थे अतः अभी जीवन में टीम-टाम नहीं आयी थी। पुरानी दिल्ली से आये थे—उनकी मारी पहचान बटोरे हुए। उनके और उनके परिवार की सान्दगी में गहरा प्यार था और वे मूलतः शिक्षक होने के नाते दूसरे व्यापारियों से भिन्न थे और मुझ शिक्षक का सम्मान करते थे।

डॉ० ए० वी० कालेज में पढ़ाते हुए मुझे महीना-भर हो गया था। स्टाफ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। सभी उन्न और अनुभव में मुझसे छोटे थे अतः सबके मन में मेरे प्रति एक सम्मान भाव था। उन्न और अनुभव में वरिष्ठ होने के बावजूद इस कालेज के हिन्दी विभाग में मेरा चौथा स्थान था। डॉ० हरगुलाल अध्यक्ष थे, उनके बाद थे डॉ० जगदीशकुमार और डॉ० महेन्द्र। ये तीनो कमलानगर और जवाहरनगर में रहते थे—बिल्कुल पास-पास। डॉ० हरगुलाल मुझे प्रायः अपने यहाँ खीच ले जाते, खिनाते-पिलाते और हंगोशा एक बड़े भाई का सा सम्मान देते। हम लोग सभा-सोमाइटियों में भी प्रायः साथ जाते। जगदीश और महेन्द्र के यहाँ भी प्रायः जाना था, खाता-पीता था। उनके यहाँ भी बहुत आत्मीयता पाता था। यानी हम लोगों का एक परिवार-सा बन गया था।

सेट जेवियरस कालेज में मैं कालेज और गुजरात विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठ हिन्दी प्राध्यापक था। वहाँ कई वर्ष तक अध्यक्ष और केन्द्र-प्रभारी होने का सुख-दुःख पा चुका था। यहाँ एक कालेज में गिरा और वहाँ भी चौथे स्थान पर। यह बात

तकलीफ देने के लिए कम तो नहीं थी। किन्तु मेरे स्वभाव और लेखन-कर्म ने हमेशा ऐसी बातों में सुख ही माना। औपचारिकताएं मुझे कभी राम नहीं आयी। अध्यक्ष होने के नाते न जाने कितनी औपचारिकताओं में गुजरना होता है। कोई कमेटी बने तो उसका सदस्य अध्यक्ष हुआ, कोई भाषण देने आया तो स्वागत और धन्यवाद देने का काम अध्यक्ष का होगा। टाइम टेबल अध्यक्ष बनायेगा। प्रवेश की चिन्ता अध्यक्ष करेगा। विभाग के छात्रों में झगटा हुआ या और कोई कठिनाई हुई तो समाधान अध्यक्ष करेगा। कोई नियुक्ति होनी है तो फाइल लेकर अध्यक्ष जायेगा विश्वविद्यालयी विभागाध्यक्ष के पास। और न जाने कितने छोटे-छोटे कार्य होते हैं जो अध्यक्ष या वरीयता-क्रम से दूसरों को करने पड़ते हैं। ये काम लोगों को सुख दते हो तो दें, मुझे नहीं देते। इसलिए इनसे बचने होने का मुझे कभी दुःख नहीं हुआ बल्कि राहत ही अनुभव होती रही। चौथा स्थान होने के कारण अध्यक्ष से फिमला हुआ कार्य मुझ तक पहुंचता ही नहीं था, दूसरे और कभी-कभी तीसरे व्यक्ति तक आकर अटक जाता था।

चौथे स्थान पर आकर मस्त रहने का एक दूसरा कारण था अपना लेखन-कर्म। मुझे आने लेखन-कर्म में जां गहरी तृप्ति मिलती रही है उसके आगे पद और वरीयता की तृप्ति की कभी याद ही नहीं आती। अतः आने विभाग और अन्य विभागों के अपने में कनिष्ठ मित्रों के स्नेह और आत्मीय व्यवहार के बीच में सुखी था।

इसके बावजूद मैं यहाँ प्रकृतिसम्य नहीं था। पा रहा था। दिल्ली की पूरी दुनिया मुझे अजनबी लगती थी या मैं इस दुनिया के बीच अपने को अजनबी महसूस करता था। अहमदाबाद की दुनिया के बीच मैं घुलमिल गया था। वहाँ के लोग, वहाँ के छात्र, वहाँ के मित्र मेरी अपनी दुनिया बन गये थे। वहाँ की समाज-व्यवस्था, यातायात-व्यवस्था, लोगों के व्यवहार पड़ोसीपन आदि में जो गहरी अर्थात्मीय थी वह यहाँ नये-नये आये मेरे और मेरे परिवार के मन को नहीं मिल पा रही थी। यतीना अध्यापक मित्र यहाँ के छात्र रहे हैं और यहाँ कई वर्षों में पढ़ाते रहने का कारण यहाँ के अपने हों गये हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में वरिष्ठ होने के बावजूद इस कालज के लिए नया हूँ इसलिए शुरू-शुरू में छात्रों का सौहार्द प्राप्त नहीं हुआ। एक नये अध्यापक के प्रति जो उनका महज व्यवहार जाना है वैसा होता रहा। कुछ कक्षाओं में तो कुछ बहने ही उड़ते किन्तु के बड़े बड़े छात्र थे जो मुझे उद्दिग्ध कर दते थे। कुल मिलाकर यहाँ के छात्र शुरू के दिनों में मुझे बहुत अप्रिय और अशोभन लगे। मैं प्रकृतिसम्य नहीं हो पा रहा था और रत-रहकर गुजरात के माहौल की याद आ रही थी। शुरू में तो मैं अम्ला ही आया था अतः बाहर में उद्दिग्ध होकर आये मन को घर में जो शानि मिलती है उममें भी बचिन था।

कहना चाहूँ कि कालज के स्टाफ का मेरे प्रति सम्भाव था यद्यपि अभी वह बात कहा में हो सकती थी जो सेट जेवियर्स में थी। दूसरे विभागों के लोगों को भी ज्ञात था कि मैं क्या लेखक हूँ अतः वे मेरी सामान्यता के बावजूद मुझे विशेष स्नेह देते थे। श्री चोपडा बहुत मीठी मुसकान वाले प्रिंसिपल थे। वे आतंककारी अधिकारी नहीं थे। वे मिलने पर मुसकान फेंकते हुए प्यार से बातें करते थे और बातचीत का माध्यम

हिन्दी होने के कारण और भी सहजता अनुभव होती थी किन्तु 'हां 'किन्तु'। पर उसकी बात बाद में होगी।

इसके बावजूद मैं फिलहाल यहां एक भीतरी उद्विग्नता और अनाश्वस्ति अनुभव कर रहा था। उसके कुछ कारण ऊपर व्यक्त किये ही हैं, कुछ कारण और थे। एक कारण तो इस कालेज की बिल्डिंग थी। इसकी अपनी कोई बिल्डिंग ही नहीं थी, डी० ए० वी० स्कूल के ही एक विंग में कालेज चलता था। छत पर टेंट लगाकर कुछ केबिन बना दिये गये थे। सेंट जेवियर कालेज की खुली बिल्डिंग और फूलों वाले खुले परिवेश के स्थान पर घुटन-भरा एक स्कूल विंग। मन सिकुड़कर रह जाता था। दूसरा कारण था यातायात का विषम रूप। उन दिनों दिल्ली में बस पा लेना आसान नहीं था। आजादपुर और विनयनगर के बीच 15 नम्बर की बस चलती थी जिसमें चढ़ पाना टेढ़ी खीर था। बस लदी-लदी आती थी, लदी-लदी जाती थी। एक गयी तो दूसरी कब आयेगी, कोई ठिकाना नहीं। ड्राइवर जहां चाहता था आगे-पीछे बस रोक देता था या बिना रोके भगा ले जाता था। चढ़ जाइए तो आप कहां हैं इसका पता ही नहीं चलता था। लोग बसों को खदेड़-खदेड़कर चढ़ते थे। ऐसा लगता था कि बसों और सवारियों में रेस हो रही है। कभी-कभी तो मैं घंटों स्टैंड पर खड़ा रहता था। माडल टाउन से कालेज आते समय कभी-कभी लेट हो जाता था। यहां की कुरूप बस-सेवा से उद्विग्न हो उठता था। आते-जाते तन-मन थकान से भर जाता था। एक दिन बस की कृपा से थोड़ी देर से पहुंचा तो देखा छात्र लोग बाहर टहल रहे हैं। प्रिंसिपल ने उनसे कारण पूछा। उन्होंने बता दिया कि मेरी कक्षा है और मैं पहुंचा नहीं हूँ। तब तक मैं पहुंच गया। प्रिंसिपल ने छात्रों के सामने ही मुझसे जो व्यवहार किया उसे शोभन नहीं कहा जा सकता। मैंने बस की अव्यवस्था का उल्लेख किया और क्लास में चला गया। किन्तु मैं उनके इस व्यवहार को पचा नहीं पाया। यह व्यवहार अभद्र था। इस मुसकराते हुए चेहरे का एक 'किन्तु' उघड़कर सामने आ गया।

नये शहर का तीर-तरीका, उससे मेरा अजनबीपन, नये परिवेश में अभी स्थिर न होकर उसमें निरंतर भटकने की बेचैनी परिवार की अनुपस्थिति में और भी सालती रहती थी। यहां की साहित्यिक दुनिया को भी पहचानने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो मेरा बहुतों से परिचय था, बहुतों से पत्र-व्यवहार भी था किन्तु दिल्ली के माहौल में उन्हें पहचानना एक नया काम था। मुझे लग रहा था कि दिल्ली का माहौल दूसरे शहरों, कस्बों और गांवों से आये साहित्यकारों को अपनी गिरफ्त में लेकर कुछ से कुछ बना देता है और जिन्हें हम पहले से जानते भी आये हैं उन्हें यहां नये सिरे से पहचानना पड़ता है।

इस साल पानी खूब बरस रहा था। बरसात का महीना एक ओर ग्रीष्म के ताप के बाद बादलों की सघन छाया और जल से वातावरण में एक उल्लास भर देता है, दूसरी ओर न जाने कौसी एक उदासी भी छा जाती है। एक तो मैं यों ही यहां के लिए नया था, दूसरे लगातार बरसता हुआ पानी मेरी उदासी को बढ़ा रहा था।

मैं जयभगवान गोयल के मकान के पिछले हिस्से में रहता था। माडल टाउन

के मकानों की यह आखिरी कतार थी। मकान के पीछे दूर-दूर तक तालनुमा नीची जमीन फैली हुई थी जिसमें बरसात का जल भरा हुआ था। उसके बाद एक बगीचा था जिसमें जार्ज पंचम के आने के समय बना हुआ एक स्तंभ है। उसके बाद खेत ही खेत, फिर यमुना नदी...। यहां से वहां तक जल भरा था और रोज पानी बरसता था। इस जल-विस्तार पर गिरती हुई बूदों का दृश्य बहुत मनोरम होता था। जल के ऊपर बुदबुदो का नर्तन होने लगता था और बादलो से लेकर ताल तक जल की एक लय बन जाती थी। मैं मकान के पिछले हिस्से में रहता था, अतः यह सारा दृश्य दिखाई पड़ता था। प्रायः मैं चहारदीवारी के पास खड़ा होकर यह व्यापक प्रकृति-दृश्य देखता था। सामने जल में कुई व फूल खिले होते थे, ऊपर अनेक जलपाखी उड़ा करते थे। दीवार के उम पार मेढक टरते थे, कभी कोई सांप भी दिखाई पड़ता था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे एक ओर शहर था, दूसरी एक खुली प्रकृति का विस्तार। शहर में बैठा-बैठा मैं महज ही गांव में पहुंच जाता था। इस ताल के पीछे के बगीचे में बाद में कभी-कभी गया किंतु बैठे-बैठे कल्पना के माध्यम से वहां राज पहुंच जाता था। उसके बाद खेतों में घूम लेता था, यमुना के तट पर टहनता हुआ उसमें नहा लेता था और इस सुखद कल्पना से भरा होता था कि किमी दिन उधर चलूंगा। माडल टाउन में हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक झील थी। वह कमलों में भरी थी। सुबह-शाम उसके किनारे-किनारे घूमता था और खिले हुए कमलों से देर तक मौन मवाद करता था। उसके दूसरी ओर घासो, वनस्पतियों और पेड़ों से भरा प्रकृति का विस्तार था जो मेरे अजनबीपन में अपनेपन का रंग भरता था।

53

माडल टाउन में प्रकृति के सहज रंग के साथ-साथ समाज का भी सामान्य रंग था। इसमें रहने वाले लोग बहुत ऊंची हैसियत के नहीं थे। बहुत कम लोग रहे होंगे जो उच्चवर्गीयता की सीमा को छूते होंगे। मकान मालिकों में अधिकांश सामान्य व्यापारी थे या सामान्य नौकरीपेशा वाले लोग थे। जोड़-बटोरकर या कर्ज ले-लेकर मकान बनवा लिए थे किन्तु उनके रहन-सहन का स्तर या तो सामान्य था या घटिया था। यानी जोड़-तोड़ करके ठीक-ठाक मकान तो बनवा लिए थे किन्तु उन्हें अभी उनमें रहना नहीं आया था। उनमें रहने वाले अनेक परिवार तो अपढ़ या कम पढ़े थे, औरतें ठेठ गंवई संस्कार की थी—उनके बोलने-चालने, उठने-बैठने, पहनने-ओढ़ने के ढंग में कोई महानगरी प्रभाव नहीं था। कभी-कभी तो उनके अच्छे बने मकान में जाइए तो फूहड़पन का आलम बिखरा मिलता था।

माडल टाउन के मकान मालिकों की दुनिया कास्मोपोलिटन थी। कोई ठेठ

हरियाणा का बनिया था, कोई मुलतानी था, कोई सिन्धी था, कोई बंगाली था, कोई उत्तरप्रदेशी था, कोई राजस्थानी था। किंतु सबसे अधिक हरियाणा के बनिये थे और इनका स्तर फिलहाल इस महानगर में भी कस्बाई या गंवई था।

पर्व-त्योहारों पर उनका ठेठ लोक-रूप लक्षित होता था। चौराहों पर पूजा या टोटके के खाद्य पदार्थ पड़े होते थे, बरगद या पीपल की परिक्रमा होती थी, चींटियों को आटा खिलाया जाता था। उनके बोलने की शैली भी लट्टुमार थी। इस परिवेश में एक ओर तो मेरे देहाती परिवेश वाले मन को देहाती आश्वस्ति मिलती थी, दूसरी ओर रुढ़ियों की गलाजत के प्रति विद्रोही मेरे आधुनिक मन को कहीं बेचनी भी महसूस होती थी। मेरे मन की बनावट भी विचित्र है न। वह एक ओर रहन-सहन, खान-पान, प्रकृति और सांस्कृतिक संस्कारों की दृष्टि से ठेठ गांव से जुड़ा है, दूसरी ओर नागरिकता की भावना, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विसंगतियों के विरुद्ध नयी चेतना की दृष्टि से आधुनिक है। इसलिये वह एक ओर तो ठेठ मध्यवर्गीय समाज के बीच रहना पसंद करता है, दूसरी ओर उसकी विसंगतियों से आहत भी होता है। उसे ऊंचे मोहल्लों का भव्य सन्नाटा बहुत डरावना लगता है और द्वीपों से एक-दूसरे से कटे हुए चिकने-चुपड़े लोग बहुत चिपचिपे और ठंडे लगते हैं। बहरहाल माडल टाउन का यह परिवेश अपनी विविधता में उसे मजेदार ही लग रहा था।

समय बीत रहा था। अभी भी यह मोहल्ला मेरे लिए नया ही था। सबको जानता भी नहीं था। किन्तु कुछ दृश्य बार-बार सामने उभर रहे थे, कुछ चरित्र बार-बार अपनी ओर खींच रहे थे। एक मकान था जिसमें बूढ़े मकान-मालिक और किरायेदार में प्रायः झगड़ा होता था। दोनों दो प्रांतों के थे और दोनों अपनी-अपनी भाषा में ठेठ गालियों का आदान-प्रदान करते थे, औरतें भी शामिल हो जाती थीं। मकान-मालिक थाने की ओर दौड़ते थे और किरायेदार लपककर उन्हें पकड़कर वापस लाते थे। हर तीसरे-चौथे यह दृश्य दिखाई पड़ता था। मकान मालिक थे कि मकान खाली कराने पर तुले थे और किरायेदार थे कि न छोड़ने की आन पर अड़े थे।

दूसरा परिवार था जिसमें गृहस्वामी आए दिन अपनी पत्नी और एक लड़की की निर्दय पिटाई करता था। हम थर्रा जाते थे और कई बार गुस्सा आता था कि पुलिस को बुलाकर इस गृह मालिक की मरम्मत करा दी जाये। मां-बेटी की चीख से पूरा मोहल्ला थर्रा जाता था। विडम्बना यह थी कि मां-बेटी की पिटाई में बाप के साथ एक लड़की भी शामिल होती थी। बेटे चुपचाप देखते रहते थे।

एक परिवार था जिसमें बाप-बेटे में बजती रहती थी। बेटा बाप के घर में किरायेदार था। बेटा बहुत मीघा और भला था। उसकी पत्नी को उसका बाप, मां और एक बहन (जो समुराल से भाग-भागकर मायके आती थी) सताते थे और वह लड़का इस अन्याय का प्रतिकार करता था। इस पर जो तांडव होता था वह अद्भुत था। लड़का तो अपनी शराफतवश घर में धीरे-धीरे प्रतिवाद करता था किन्तु बाप खूब चीखता-चिल्लाता था; घर में से निकल जाने के लिए कहता था। औरतों की तरह रोता था और उन्हीं की भाषा में बेटे और उसकी पत्नी को सरापता था।

“तेरी अर्थी उठेगी।”

“कोई बात नहीं।” बेटा बोलता।

“तेरी अर्थी को मैं ही कंधा दूंगा।”

“कोई बात नहीं।”

“कोई बात कैसे नहीं, हरामजादा, तेरी अर्थी उठाने से मेरा कंधा तो दुखेगा।”

“कोई बात नहीं।”

इस पर झल्लाकर वह आंगन में से सड़क पर बेटे के अरतन-बरतन फेंकने लगता था। लोग चकित थे कि इकलौता बेटा बाप के घर में किरायेदार बनकर रह रहा है और बाप उसका दुश्मन बना हुआ है। लोगों ने शुरू में एकाध बार बीच-बचाव किया किन्तु बाप किसी की सुनता ही नहीं था और नहीं तो अपमानित कर देता था। विचित्र बात यह थी कि वह औरों के झगड़े में महज ही पंच बनकर बीच-बचाव करने आ जाता था। वह अपने स्वभाव के कारण मोहल्ले में आतक बना हुआ था।

एक चौथा परिवार था। ठीक-ठाक कोठी थी। गृहस्वामी और उसके बच्चे छोटी-छोटी बात पर पड़ोसियों से झगड़ा कर लेते थे और बच्चे पनिहा सांप की तरह फुफ्फुकारते थे काटने की ताकत नहीं थी। छाती फुला-फुलाकर, आँखें तरेर-तरेरकर वे अपनी वाणी द्वारा शक्ति का ऐसा इजहार करते मानो शत्रु को क्षण-भर में नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। रात को यों ही चिल्ला उठते थे—चोर-चोर-चोर... और पाम-पड़ोस में अनावश्यक रूप से एक तहलका मच जाता। वे बहुत विश्वास में चोर के आने और जाने का हवाला देते। धीरे-धीरे लोगों को अहमाम हो गया कि ये सब नाटक करते हैं। मोहल्ले के बच्चों में प्रायः इनकी लड़ाई होती। मेरे बच्चों में भी कई बार इनकी मुठभेड़ हुई।

हेमंत में एक परिवर्तन आ गया। पहले वह खेल-खेल में मार खाकर रोता हुआ घर आता था। यहाँ भी दो-एक बार आया किन्तु एक दिन दखा कि झगड़े में पीटकर और पिटकर घर लौटा तो उसकी आँखों में आसू नहीं थे, गुस्सा था। और उसके बाद तो यही क्रम बना रहा। यह मोहल्ला ऐसा था जिनमें लड़कों को झगड़ा करने की प्रवृत्ति पारिवारिक संस्कार में मिली थी। परिवार के बड़े लोग झगड़ते थे और बच्चों को नियंत्रित करने के स्थान पर या तो उनके झगड़े के प्रति उदासीन रह जाते थे या उनका पक्ष लेते थे। मैं और मेरी पत्नी बच्चों को नियंत्रित करना चाहते थे इसलिए हेमंत और शशांक जब कहीं से मारपीट करके आते थे तब हम उन्हें डांटते थे, कभी-कभी पीट भी देते थे। इससे इन बच्चों का मन दुखता था। हेमंत ने पूछा भी—“क्या आप चाहते हैं हम पिटकर आयें?”

“नहीं, पिटकर मत आओ किन्तु इन लड़कों के साथ क्यों खेलते हो, क्यों धूमते-फिरते हो?”

“तब कहां जायें? मोहल्ले के लड़के तो ये ही सब है। क्या खेलना-कूदना ही छोड़ दें? और छोड़ भी दें तो ये लौंठे आते-जाते छोड़ेंगे। फिर या तो इनसे छिपो और पिटो या पीटो। बाप क्या चाहते हैं?”

“मैं इनमें से कुछ नहीं चाहता। चाहता हूँ तुम मोहल्ले के अच्छे लड़कों के साथ रहो और पढ़ने-लिखने में मन लगाओ। तुम्हारा मन पढ़ने-लिखने की अपेक्षा मटरगश्ती करने में ज्यादा लगता है, इसीलिए तुम्हारी टकराहट इन टुच्चे लीडो में होती रहती है।”

मेरी बात अनसुनी करके वह चला जाता। हेमंत की पढाई का ढर्रा ही दूसरा रहा। गुजरात में भी उसने कोर्स के ढर्रे की पढाई में मन नहीं लगाया किंतु बाहरी चीजे खूब पढता रहा। दिल्ली में जब हम आये तो बच्चों के नाम निखाने का प्रश्न पैदा हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि बच्चे सितम्बर में आये थे और सितम्बर में स्कूलों में जगह नहीं बचती। जहा जाओ यही उत्तर मिलता कि जगह भर गयी है। तीनों बच्चे अहमदाबाद में कानवेट में पढते थे और कह चुका हूँ कि हेमंत और शशाक कानवेटो पढाई की ऐसी की तैसी कर रहे थे, उनका ठेठ देशी मिजाज अगरेजी शिक्षा को मुह चिढ़ाता था। दिल्ली आने पर एक बार यो ही मेट जेवियर स्कूल में गया। मेरी आशा के अनुरूप ही बात नहीं बनी। बात बनती तो भी मैं वहा बच्चों का नहीं पढा पाता। तीन-तीन बच्चों को वहा पढाकर जीने के लिए हमारे पास पैस नहीं बचते। और यहा हिंदी माध्यम के अनेक अच्छे स्कूल थे जो मर आदर्श, इच्छा और इन बच्चों के स्वभाव के ज्यादा अनुकूल थे। हेमंत को लेकर गुजरानी स्कूल में गया। गुजरानी उम आती ही थी इसलिए यह स्कूल उसके अधिक अनुकूल था। मुझे आशा थी कि गुजराती स्कूल गुजरात में आने वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति का रख अपनायगा और उनके लिए कोई जगह बनायेगा ही।

मैं हेमंत को लेकर स्कूल में गया। वहा स्कूल के अध्याक्ष ने कुछ गवाह पूछे। सौभाग्य था कि उन्होंने जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जो हेमंत के लिए अधिक अनुकूल थे। उसने उन प्रश्नों के अच्छे उत्तर दिए और अध्याक्ष ने प्रसन्न होकर प्रिंसिपल को फोन किया कि मैं एक बहुत अच्छा बच्चा भेज रहा हूँ, भर्ती कर ले। वह भर्ती हो गया और पढाई चलने लगी किन्तु वही बात। कोर्स से पढरी नहीं बँटती थी और वह इधर-उधर की चीजे खूब पढता था और स्कूल और मोहल्ले के घुमकड़ लड़कों के साथ खेलता-कूदता, लडता-झगड़ता घूमता था।

अज और शशाक को माडल टाउन के ही एक छोटे से माडल स्कूल में भर्ती कराया। इसका नाम था बसल माडल स्कूल। बसल जी इसके प्रबन्धक थे और श्रीमती बसल प्रिंसिपल थी। यह स्कूल उनके मकान के अहाते में ही था। दिल्ली को यदि छोटे-छोटे पब्लिक स्कूलों की दूकान कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पब्लिक स्कूल का पहला आकर्षण है उसका नाम—‘अमुक पब्लिक स्कूल’। यदि नाम में किसी ईसाई सत का नाम जुड़ा हो या अगरेजी नाम हो तो उसका आकर्षण और बढ़ जाता है। तीसरा आकर्षण है अगरेजी माध्यम का होना। बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल शिक्षा की शानदार दुकानें हैं, जहा महंगी कीमत देकर ठगे जाने के लिए मिनिस्टर, पूजीपति, अफसर, प्रोफेसर सभी लाइन लगाये रहते हैं। उसके आर्थिक बोझ का अनुभव करते हुए मध्यवर्गीय लोग भी इस लाइन में खड़े होते जाते हैं; आये दिन उसकी आर्थिक चोट की तिलमिलाहट अनुभव करते हैं, झीकते हैं लेकिन उनके लाइन में खड़ा होने की परम्परा नहीं टूटती,

प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है। ये सभी ठगे जाते हैं किन्तु ये सभी जानते हैं कि ठग लिए जाने का यह सौदा महंगा नहीं है। हाँ, पब्लिक स्कूलों से अंगरेजी सीखकर निकलने वाले लडके ही तो देश के मालिक बनते हैं। उनको पहला लाभ यह होता है कि शादी के बाजार में बहुत ऊँची कीमत वाले बिकाऊ माल बन जाते हैं। उन्हें न अपने देश की सामान्य जनता की चिंता होती है और न उनकी सांस्कृतिक परम्परा की। उन्हें बस अपने पद, पैसे और अहंकार की चिंता होती है और वे तरह-तरह में देश और समाज को अपने लाभ के लिए भुनाते हैं। वे बेचारे देश की चिंता में विदेशों में उड़ने फिरते हैं। जब पब्लिक स्कूलों में पढ़ने में बच्चों को देश को इन कदर भुनाने का अवसर मिलता है तो अभिभावकों को सिर मुड़ाकर लाइन में खड़ा होने का अपमान और पैसे की चोट की तिलमिलाहट सहन कर लेने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

वही दुकानों पर सबकी पहुंच नहीं हो पाती, इसलिए छोटे हुए अधिकांश लोग अपने बच्चों का पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का हंगरन लिए हुए अन्य विकल्पों की तलाश में घूमने रहते हैं। वे विकल्प हैं वे पब्लिक स्कूलनुमा छोटे-छोटे स्कूल जो किमी भी छोटे-मे मकान में या बड़े-मे मकान के किमी हिस्से में खोल दिये जाते हैं जिनमें स्कूल के मानिक या मानकिन यदि वे पढ़े-लिखे या पढ़ी-लिखी हैं तो प्रबंधक और प्रिंसिपल बन जाने हैं और दो-दो सौ रुपयों पर कुछ गजुष्ट लडके-लडकियों (विशेषतया लडकियों) को टीचर लगा लेने हैं और व्यक्तिगत नौकर की तरह उनमें व्यवहार करते हैं। पब्लिक स्कूल की रगत पैदा करने के लिए बच्चों की यूनिफार्म तय कर देने हैं, अपने ही यहां या अ-किताबों की बिक्री में प्रबन्ध कर देने हैं, रिक्तिक और अनेक सांस्कृतिक, कार्य-क्रमों का मिलमिला बनाये रखने हैं, स्कूल के भवन, पखा गाना आदि के लिए बच्चों में फंड वसूलने रहते हैं और चाहे जैसी भी टुटही अंगरेजी की व्यवस्था क्यों न हो उसे माध्यम बनाकर अभिभावकों को आकृष्ट करते रहते हैं।

बहरहाल माडन टाउन में छोटे बच्चों के लिए बमल माडल स्कूल ही मुझे ठीक-ठिकाने का लगा। उन्हें सरकारी प्राइमरी स्कूल में डाल नहीं सकता था। उसकी हालत रोज देखता था। बमल माडल स्कूल का एक आकर्षण मेरे लिए यह था कि वहां हिन्दी शिक्षा का माध्यम थी और बमल दम्पती का स्वभाव हिन्दुस्तानी-मा लग रहा था।

स्कूल (चाहे सरकारी हो चाहे गैर-सरकारी) अपने को ही स्तरीय मानते हैं। वे मजबूत हैं कि हमारे स्कूल से आने वाले बच्चे उनके स्तर के नहीं हैं इसलिए वे टेस्ट लेते हैं। हमारे बच्चे (अंजू और शशाक) सेंट जेवियर जैसे प्रतिष्ठित स्कूल से अपनी-अपनी कक्षाएं पास करके आये थे किन्तु बमल माडल स्कूल के आगे सेंट जेवियर स्कूल की क्या बिमात ? इस स्कूल ने जेवियर के प्रमाणपत्र को प्रामाणिक न मानकर टेस्ट लिया और कृपा करके अंजू को तो उसकी वांछित क्लास में भरती किया किन्तु शशाक को एक साल पीछे कर दिया। हमें इस फैसले को स्वीकार करना ही पड़ा। शशाक तो यों ही पढ़ने में लापरवाह था, दूसरे गुजरात से आने के कारण हिन्दी कमजोर थी। आगे वह लिथड़ता हुआ चले, इससे बेहतर था साल-भर पीछे में शुरू करे और नींव मजबूत कर ले।

विवेक (जिसे हम लोग घर में बम्बे कहते हैं) तीन साल का हो रहा था। वह तन-मन दोनों से ही बरिबंड था। खूब स्वस्थ था और मन से बहुत निर्भीक था। डर नाम की चीज उसके भीतर थी ही नहीं। वह मुझे बहुत हिला-मिला था। जब कभी मैं बाहर जाता तो मेरे साथ जाने की जिद करता। नहीं जा पाता तो घंटों लोट-पोटकर रोता, रात को उठ-उठकर रोता और जैसे ही मैं लौट आता मुझे देखते ही होय-होय करके नाचने लगता। वह मेरे ही पास सोता था। यद्यपि मुझे इसमें बड़ी असुविधा होती थी फिर भी वह मेरे ही पाम सोता था। मेरी नीद बहुत कच्ची है। तनिक से व्यवधान से टूट जाती है। विवेक रात को ज्यादा ही उल्हमेल करता, अपने पांव में लगातार मेरे शरीर को कोंचता रहता, मैं उसे लगातार हटाता और वह गहरी नीद में भी लगातार मुझसे सटककर अपना पद-संचालन करता रहता। कई बार मैं झल्ला जाता और उसे पीट भी देता किन्तु वह सोता मेरे ही पास। इस पारस्परिक यातना के बावजूद हम दोनों का साथ सोना अनिवार्यता बन गया था।

वह खूब जमकर दूध पीता था। यदि बिना दूध पिये सो जाता था तो रात को उठकर दूध मागता था। यदि सोये में उसके ओठ पर अगुली फिरा दी जाती तो दूध की बोटल समझकर मुह फाड़ देता था। सोते में मुह में दूध की बोटल लगा दी जाती तो नींद में ही आराम से सारा दूध पी जाता। दिल्ली आने के बाद जब पहली बार हम गोरखपुर गये थे तो वह छत से गिर पड़ा था। बान यों हुई कि विवेक और मेरे साने दीपनारायण की बेटी पुष्पा दोनों छत पर खेल रहे थे। उसमें अभी रेलिंग नहीं लगी थी। वे दोनों बंदरों को चिढ़ाते-चिढ़ाते छत पर दौड़ रहे थे और दोनों एक साथ छत पर से गली में आ गिरे। गली में कोई खतरनाक चीज नहीं थी और दोनों के शरीर के मार्मिक अंग गली की जमीन में नहीं टकराये इसलिए काफी चोट के बावजूद दोनों बच गये। विवेक के ओठों पर काफी चोट आयी थी। ओठ कटकर सूज गये थे किन्तु जैसे ही दूध की बोटल उसके ओठ में लगायी गयी मुह फँलाकर उसे पकड़ लिया और गटागट सारा दूध पी गया। खुलकर खाने-पीने के कारण ही वह इस चोट को आसानी से झेल गया और जल्दी ही अच्छा हो गया। चोट तो विवेक की क्रीडा बन गयी थी। खेलते-खेलते न जाने कहां से चोट लगा आता। चप्पल, जूते तो उसके पाव में ठहरते नहीं थे, आज आये, कल कहीं छट गये। श्रीमान् खेलने गये तो नंगे पाव भाग लिए या चप्पल पहनकर गये तो खेलने में असुविधा महसूस होने के कारण उसे उतार दिया और न जाने कहां-कहां खेलते और छिपते फिरे। पांव में कांटा गड़ गया या शीशा चुभ गया तो जनाब को चिंता नहीं। खेल-खालकर आये तो घर के फर्श पर पैरों के लाल निशान देखकर मा ने घबराकर पूछा—“अरे, तुम्हारे पांवों से लाल निशान कैसे बन रहे हैं? कहीं तुम्हारे तलवे में कुछ चुभा तो नहीं, कुछ कटा तो नहीं?”

“नहीं मां, मुझे कुछ नहीं हुआ है।”

“देखू तो।” कहकर मां ने तलवा देखा तो लम्बा-सा चीरा, जिसमें से खून बह रहा है।” घबराकर बोली—“अरे, यह चोट कहां लगी रे?”

“कहां? ओय, मुझे तो पता ही नहीं चला।”

ऐसा प्रायः होता था और हम लोग घबरा जाते थे किन्तु विवेक के लिए यह कुछ भी नहीं था। तलवार, बंदूक, गोला-बारूद आदि का खेल खेलने में विवेक को बहुत रम आता था। इन हथियारों के नाम से उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। उसे कहा जाना कि तुझे सेना में भेजेंगे तो खिल जाता, चहकने लगता। पाकिस्तानी हमले के दिन थे। ब्लैक आउट चल रहा था। खतरे का सायरन बजा। मेरे और मकान मालिक के परिवार के सभी लोग मकान की भीतरी गैलरी में जमा हो गए। सभी लोग खतरे की आशंका से डरे हुए थे। मकान मालिक के बच्चे तो भय से कांप रहे थे, किन्तु विवेक ने पूछा—“हम लोग यहाँ क्यों छिपे बैठे हैं?”

“बेटा, पाकिस्तान ने हमला किया है। वह बम गिरा सकता है। इसलिए सायरन बजते ही लोग छिपने की जगहों में छिप जाते हैं।”

अपने खिलौने की बन्दूक की ओर झपटते हुए विवेक ने कहा—“रुको, मैं अपनी बन्दूक दागकर साने दुश्मनों की ऐसी की तैसी करता हूँ।”

बच्चे के इस निर्विकार साहम की बात सुनकर सभी लोग उस भय के आलम में भी हँस पड़े किन्तु विवेक हँसा नहीं क्योंकि वह तो पूरे मन और आस्था से गोनी दागने की बात कह रहा था।

विवेक की एक बात में हम परेशान थे। वह गालियाँ सीख गया था। नींद में भी वह गालियाँ बकना था और मोये-मोये किमी को ललकारता था। लगता था कि कुछ लड़का में इसका झगडा हुआ है और नींद में भी वह उनसे लड़ रहा है। जब किसी सम्मानित अतिथि या महिला के मामले उसकी गालियाँ मुनता तो बहुत लज्जा का अनुभव होता था। लोग उसे बच्चा समझकर हँस देते थे किन्तु मैं इस भाव से पानी-पानी हो जाता था कि आखिर ये लोग मेरे पारिवारिक संस्कार के बारे में क्या मोचने होंगे। यही न कि हम बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पाते। हमारे परिवार में अपरिचित कोई अतिथि तो यह भी आशंका कर सकता था कि इस बच्चे के संस्कार पर कहीं मेरे पारिवारिक परिवेश की तो छाया नहीं है, लेकिन करते क्या? डाट-डपटकर, समझाकर हम हार गए। बरिबंड स्वभाव वाला यह बच्चा जो चाहता था वही करता था। दरअसल हम कर भी क्या सकते थे। परिवेश के संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं और जब बच्चे मिलते हैं तब एक-दूसरे को अपने संस्कारों से प्रभावित करते हैं। जब मैं दिल्ली में आया गालियों की बहार देख रहा हूँ। पढ़े-लिखे बाबुओं को बस में, सड़क पर, बाजार में बातें करने देख लीजिए, तकिया-कलाम की तरह गालियों के फूहड़-फूहड़ शब्द उनके मुखारविन्द में झरते दिखाई पड़ेंगे। कम पढ़े-लिखे या अपढ़ लोगों की तो पूछिये ही मत। बच्चे तो डमी परिवेश में पनपते हैं न। आप अपने घर में लाख उन्हें संस्कारित कीजिए, बाहर की दुनिया से उन्हें काट तो नहीं सकते और यह बाहर की दुनिया न जाने उन्हें कितना कुछ सिखानी है। बच्चे बच्चों से ज्यादा सीखते हैं। बाहर के बच्चों को कहा-सुनी, लड़ाई-झगड़े में गालियाँ देते सुनना हूँ तो बंग रह जाता हूँ इसलिए विवेक का गालियाँ सीखना कोई अजूबा नहीं था किन्तु हमारे पारिवारिक संस्कार को यह आहन करता था।

माडल टाउन विश्वविद्यालय के शिक्षको और साहित्यकारो का नगर बन गया था। माडल टाउन काफी बस गया था फिर भी बसने की प्रक्रिया मे था अतः यहा किराये के मकान आसानी मे मिल जाते थे। यह विश्वविद्यालय के समीप पडता था अतः बहुत-मे प्राध्यापक यहा रहते थे। अनेक साहित्यकार भी यहा पहले से रहते थे किन्तु जब मैं 1964 मे आया उमके आसपास अनेक साहित्यकार इस मोहल्ले मे आये और आते ही चले गये। दयोद्व साहित्यकार श्री विधोगी हरि और अर्ण मल्सियानी बहुत पहले मे यहा थे, उनका अपना मकान था। इनके अतिरिक्त आगे-पीछे आने वाले साहित्यकारो और प्राध्यापको मे ये—देवीशकर अवस्थी, अजितकुमार, स्नेहमयी चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्मेना, शमशेर, नामवर मिह, विश्वनाथ त्रिपाठी, ऋषण शकर शुक्ल, रमण गौड, उदयभान मिश्र, बालस्वरूप राही, पद्मधर त्रिपाठी, नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, मलप्रज, भोलानाथ निवारी, सत्यदेव चौधरी, रमानाथ त्रिपाठी, अवधनागयण मुद्गन चित्रा मुद्गन आदि। कुछ वर्ष बाद मावित्री सिनहा भी आ गयी।

इस मोहल्ले मे बहुत साहित्यिक गहमागहमी थी। वैसे इस समय पूरे साहित्य के क्षेत्र मे गहमागहमी थी। प्रायः गोष्ठिया होती थी। प्रायः किसी न किसी के गृहा बैठक जम जाती थी और साहित्यिक-असाहित्यिक चर्चाए गर्मा जाती थी। नामवर जी तो नयी कविता और नयी कहानी के समीक्षक मसीहा बन ही चुके थे, अब देवीशकर अवस्थी साठोत्तरी लेखन—अकहानी, अकविता के लेखको का ध्यान खींचने वाले नये समीक्षक के रूप मे उभर रहे थे। वे नयी कहानी की तिगडी—मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव और कमलेश्वर के तो मित्र थे ही (वे लोग प्रायः उनके यहा आते रहते थे), साठोत्तरी लेखक दूधनार्थमिह (जब आते थे), रवीन्द्र कालिया, विमल, मुद्रागक्षम आदि का भी जमावडा उनके यहा होने लगा था।

देवीशकर अवस्थी देशी-विदेशी नया साहित्य योजनाबद्ध रूप से पढकर अपना आलोचक रूप संवारने मे लगे थे और धीरे-धीरे नामवर जी के लिए चुनौती बनने जा रहे थे। दरअसल इस मोहल्ले मे प्रतिभायें बहुत थी किन्तु मर्जनात्मक प्रतिभायें थी किसी को आलोचक के रूप मे सजने-सवारने की चिन्ना नही थी, अतः वे सचेत भाव से आलोचक व्यक्तित्व बनाने के लिए, उसे मजाने-सवारने के लिए देशी-विदेशी साहित्य नही पढते थे, केवल आनंद के लिए और अपने समय के साहित्य के प्रति सजगता के लिए पढते थे। सच्चे सर्जक मे अपनी रचना के प्रति आत्मविश्वास होना है, वह छोटे या बडे आलोचक का मुखापेक्षी नही होता और खासकर उस माहौल मे जब आलोचना बुरी तरह खेमो मे बट गयी हो और आलोचक के पास तटस्थ मानदंड न रह गया हो, वह व्यक्तियों को देखकर उनकी कृतियो का आकलन करता हो, किसी की कविता मे छीक भी उसे महान् लगती हो और किसी अच्छी से अच्छी रचना पर न बोलने की उसने कसम खा ली हो। कहना न होगा इस समय आलोचना बुरी तरह खेमो मे बट गयी थी। नामवर जी के अपने कवि और लेखक थे और देवीशकर जी अपना लेखक-मडल बना

रहे थे। हां, कह रहा था कि मच्छा सर्जक आलोचक का मुखापेक्षी नहीं होता फिर भी आलोचना की आवश्यकता होती है। हर छोटा-बड़ा सर्जक चाहता है कि उसकी रचनाओं का मूल्यांकन भी हो और इस समय तो (बल्कि नयी कविता के ही दौर से) हर सर्जक किसी-न-किसी रूप में आलोचक बना हुआ था। वह अपनी पीढ़ी, अपनी धारा की मर्जना का प्रवक्ता और आकलनकर्ता बना था। उसे लग रहा था कि वह जो नया लिख रहा है उसे उसमें पिछले खेमे के लोग या दूसरी धाराओं के लोग नहीं समझ और मगह पा रहे हैं। उसे लिखने के साथ-साथ अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर अपनी धारा की मर्जना को समझाने और स्थापित करने का काम भी करना चाहिए। अतः माठ के बाद के सर्जकों में भी अपनी-अपनी रचनाओं को स्थापित करने के लिए आपाधापी मची थी। वे सभी अपने-अपने और अपनी जमात में शामिल लोगों के प्रवक्ता बने हुए थे और चाहते थे कि आलोचक भी उनके प्रवक्ता बनें। इसलिए साठोत्तरी लेखकों विशेषतया अकहानी वालों का जमावड़ा देवीशंकर अवस्थी के यहां होता था।

मेरा तो किमी आलोचक में लेखकीय-आलोचकीय सम्बन्ध ही नहीं बना, किन्तु देवीशंकर अवस्थी में मेरा विश्वविद्यालयी और व्यक्तिगत सम्बन्ध तो था ही। मैं उनके गृहा नागा करना था। वे मेरे यटा आया करते थे। जब कभी कई दिन बीत जाते थे तो वे कमलेश जी के साथ यह कहते हुए आ जाते—“भई बहुत दिन हो गये मिले हुए, ऐसी भी क्या नाराजगी।” वे दोस्त आदमी थे और धरेलू तथा विश्वविद्यालयी समग्र्याओं को मुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे।

देवीशंकर जी के ही आमगास अजितकुमार थे और उनकी बगल के मकान में सर्वेश्वर जी रहते थे। अजितकुमार बहुत मित्रनमर व्यक्ति है, घर हो या बाहर सबमें बहुत प्रेम में मिलते हैं। घर, परिवार और साहित्य की बातें समान रूप में करते हैं और दूसरों को महसूस करा देते हैं कि वे उनके साथ हैं। इनमें मेरी बड़ी पुरानी पहचान थी और इन्हीं के माध्यम में देवीशंकर अवस्थी में भी भेट हुई थी। तब ये और देवीशंकर जी कानपुर में किमी कालेज में पढ़ाने थे और 'कविताये सन् 1954' निकालने की योजना बना रहे थे। उस प्रक्रिया में ये लोग काशी के कवियों से मिलने बनारस आये थे तो मेरे यहां भी आये थे। कविताओं के माध्यम में अजितकुमार को तो जानता था किन्तु देवीशंकर अवस्थी को पहली बार जाना था। गुजरात जाने के बाद हिन्दी के तमाम कवियों में मेरी व्यक्तिगत जान-पहचान नहीं हो पायी थी और कुछ संजो जान-पहचान थी वह विकसित नहीं हो पायी। दिल्ली आने पर बहुत-से लोगों को पहली बार देखा और जिनमें पहले हलकी-सी जान-पहचान थी उनमें बार-बार मिलने का अवसर मिला। अजितकुमार से अब प्रायः मिलना-जुलना होता था। अजित जी के घर पर मिलने का अपना आनंद था। उसमें स्नेह जी के सौम्य और सहज व्यक्तित्व का साहचर्य और उनके आतिथ्य का रम भी मिला होता था।

सर्वेश्वरदयाल सबसेना सं भी मेरी जान-पहचान-पुरानी थी। इलाहाबाद में शंभुनाथ सिंह के साथ मैं उनके घर ठहर चुका था किन्तु इसके बावजूद जान-पहचान में कोई उष्मा नहीं आयी। सर्वेश्वरदयाल मूडी आदमी थे, कभी तो आप उनके सामने

आकर नमस्कार कीजिये तो वे मुह फेर लेते या देखते हुए भी न देखने की सी उदासीनता बरसते, कभी उनका मन हो तो आपको पुकारकर बुला लेते और शिकायत भी करते—“अरे भाई, ऐसी भी क्या बेरुखी।” कभी तो उनकी बातों से आत्मीयता की गरमाई बरसती, कभी मामूली-सी बात में आग हो जाते और तब कुछ भी कर सकते थे। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व अविश्वमनीय था और उनमें अपने कृतित्व के प्रति अहंकार का भाव भी जबर्दस्त था। इसलिए मैं सर्वेश्वर में बचता था। उनके यहाँ तभी गया जब कोई गोष्ठी हुई। बाहर या जलमों में भी उनसे तभी मिलता था जब वे स्वयं मिलने की इच्छा दिखाते थे। प्रायः हर आदमी की सर्वेश्वर के बारे में यही राय थी।

मैं उनके लेखन को पसंद करता रहा, पसंद करता हूँ। उनके लेखन में लक्षित होने वाला खुलापन और सामाजिक यथार्थ की उष्मा मेरे स्वभाव को रास आती है किन्तु ‘दिनमान’ में छपी उनकी समीक्षात्मक टिप्पणियों में उनकी अगोचकी वृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। वे किसी की भी कृति पर कैसा भी अवाछिन प्रहार कर सकते थे, करते रहे थे। लगता था ‘दिनमान’ में छपने वाली समीक्षा का मतलब ही हो गया था दूमरे पर चोट करना किन्तु अपने ऊपर की गयी चोट वे सहन नहीं कर पाते थे। एकदम उनका मिजाज उखड़ जाता था।

याद आता है होली प्रमंग। दिल्ली आने के बाद यह हमारी शायद पहली होली थी। धीरे-धीरे हम लोग एकत्र होते हुए रग खेलते हुए चल रहे थे और मी ब्लाक पहुंच गये थे। अजितकुमार के यहाँ होली खेलकर नीचे आये तो देखा सर्वेश्वर जी अपने गेट पर साफ-सुथरे खड़े हैं। एक लडकी ने उन पर अपनी शीशीनुमा पिचकारी में रग डाल दिया। सर्वेश्वर ने शीशी छीनकर गुस्से में दूर फेंक दी। इतने पर भी नामवर जी ने सर्वेश्वर के मुह पर गुलाल मल दिया। फिर क्या था—सर्वेश्वर भिड़ गये नामवर जी से। पहले तो हम लोगो ने समझा कि खेल-खेल में भिड़े हैं किन्तु शीघ्र ही लग गया कि वे क्रोध में हैं। सामने रेत की ढेर थी। वे नामवर जी का पांव पकड़कर खींच रहे थे और उन्हें पटकने के प्रयत्न में थे। नामवर जी अपने हाथ का इस्तेमाल न कर कबल पांव जमाये हुए और हाँ-हाँ कहते हुए सर्वेश्वर की इस क्रिया का प्रतिवाद कर रहे थे। सर्वेश्वर अपने सारे प्रयत्नों के बावजूद नामवर जी को गिरा नहीं पाये। आखिर नामवर जी को कहना पड़ा—“बस भाई सर्वेश्वर, बम।”

“बस हो गया बस ? सहते-सहते आजिज आ गया हूँ।”

उन्होंने नामवर जी को छोड़ दिया और हाफते-हाफते घर में चले गये।

मुझे लगा कि ‘सहते-सहते आजिज आ गया हूँ’ कथन के पीछे सर्वेश्वर के साहित्य पर नामवर जी की टिप्पणियाँ या उदासीनताएं रही होंगी। हम लोगो का होली का मूड बिगड़ गया था। फिर भी इसे भूलकर रग में आने का प्रयत्न कर रहे थे। नामवर जी तो इस घटना के प्रति यों उदासीन हो गये जैसे कुछ हुआ ही न हो।

सर्वेश्वर जी और नामवर जी दो विरोधी छोर थे। एक अति उदम, एक अति ठंडा। एक की उदमता, कभी उष्मा झरती थी, कभी आग। एक का ठंडापन कभी

सभ्यता की पहचान बनता था, कभी क्रूर उपेक्षा का। दोनों में अहंकार के अलग-अलग रंग थे।

शमशेर जी भी दिल्ली आ गये थे। मलयज और प्रेमा जी भी। शमशेर जी की भद्रता और शराफत के क्या कहने? उनसे मिलना प्रीतिकर लगता है। वे कभी भी अपनी गुस्ता से सामने वाले पर हावी नहीं होते, छोटा बनकर उसके भीतर घुल जाते हैं, रस-बस जाते हैं। मैं उनके साहित्य का बहुत प्रशंसक नहीं रहा हूँ। उनकी कविताओं की दुरूहता उनके काब्यास्वाद को टुकड़ों में बांट देती है। हम कविता से सहज ही गुजरते हुए एक माबुत अनुभव-बिम्ब नहीं बना पाते बल्कि पंक्ति-पंक्ति की दुरूहता से जूझते हुए बौद्धिक व्यायाम से उनका अर्थ खोलते हुए कविता के अंत तक आते हैं तो अनेक बटे हुए अर्थों का बोध हमारे साथ होता है। यह कविता की सीमा है या मेरे जैसी रुचि और शक्ति वाले पाठकों की, यह मैं अंतिम रूप से नहीं कह सकता शायद मेरी ही सीमा है क्योंकि शमशेर हमारे आलोचकों और कवियों के बहुत चहेते कवि हैं। यह बान दूमरी है कि इनमे से कितने उन्हें ममझते हैं और कितने कविता की बारीक समझ का घनी बने रहने के लिए समझने का स्वाग करते हैं। दो-एक अपवादों को छोड़कर किसी भी आलोचक या कवि ने शमशेर की कविताओं से गुजरकर उनकी समूची समझ का परिचय नहीं दिया। मैं जब कभी इन प्रशंसकों द्वारा शमशेर की कविताओं के बारे में लिखी गयी समीक्षाओं से सहारा लेने के लिए उनके पास गया तो देखा वे जागन के मिवा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि शमशेर की कविताएं समझने में किसी को महारत हासिल है, किसी को नहीं है, सवाल है कि कहा और क्यों महारत हासिल की जाए? एक कविता होती है जिसका सौन्दर्य अपने समय की टकराहटों में बना होता है जिसके बिम्ब हमारे गहरे सुख-दुःख के अनुभवों में बने होते हैं और जिसकी पंक्तियां अपने में लपेटकर घटों उलझातीं नहीं, अपनी अर्थ-छवि को खुर्दबीन में देखने की मांग नहीं करती, बल्कि वे हमें अपने में रमाती हैं और रमाकर भी आगे की पंक्तियों की ओर बहा देती हैं और धीरे-धीरे पूरी कविता हमारे भीतर उतरती चली जाती है और कविता पूरी करने के बाद हमें इतना कुछ मिल चुका होता है कि हम फिर उस कविता की ओर लौटते हैं और दूमरी यात्रा में कुछ और पाते हैं। पाने का क्रम चलता रहता है। वह कविता हमें अपनी दुरूहता के कारण बार-बार अर्थ में जूझने के लिए अपनी ओर नहीं खींचती बल्कि सहज आत्मियता के कारण बार-बार अःशुद्ध करती है। वह रंगों, ध्वनियों और गंधों की अरूप अनुगूंज के स्थान पर अनुभवों के सघन और मूर्त संसार से गुजरती है जिनमें हम अपने समय की ओर उसके माध्यम से पूरी मनुष्यता की हलचल अनुभव करते हैं। ऐसी कविताएं यदि जटिल भी होती हैं तो उनसे जूझने और जूझकर उनके भीतर निहित एक बड़ी और सघन सामाजिक दुनिया के सत्य का साक्षात्कार करने का उत्साह होता है जैसे मुक्तिबोध की 'अंधेरे में' कविता से।

बहरहाल मैं शमशेर की कविताओं के अपने महत्त्व को कम नहीं कर रहा हूँ। कविता के एक पाठक की हैसियत से अपनी कविता की पसंद की बरीयता की बात कर रहा हूँ। एक सही आलोचक को तो हर प्रकार के सौन्दर्य और प्रवृत्ति वाली कविता से

गुजरना और उसका आकलन करना पड़ता है किन्तु दूसरे लोग तो अपनी पसंद की रचनाओं के ही पाम बार-बार जाते हैं।

शमशेर जी की कविता की दुनिया भले ही अरूप हो, सूक्ष्म हो और सीमित हो किन्तु वे अपने व्यक्तिन्व में अत्यंत खुले हुए और व्यापक है। वे अपनी दुनिया की मीमात्रों को अच्छी तरह पहचानते हैं। वे प्रगतिशील लेखक सघ में जुड़े रहे हैं और अनेक प्रगतिशील कविताएँ भी लिखी हैं फिर भी उनकी पहचान इन प्रगतिशील कविताओं के कारण नहीं बनी है। इन प्रगतिशील कविताओं ही जग्य बोलने वाले प्रगतिशील आलोचकों को यह ध्यान मालूम हो या न गे शमशेर को मालूम है। शमशेर प्रायः कहते थे कि जो मैं लिखना चाहता हूँ लिख नहीं पाता और जो मैं लिखना हूँ उसमें सन्तुष्ट नहीं हूँ। 'लिखना चाहना है' में उनका नात्पर्य होता था सामान्य जन के सुख-दुःख को लिखने में। और कभी-कभी जब वे सामान्य जन पर लिखते थे तो उसे बहुत उत्साह में सुनाते थे किन्तु स्पष्ट हो उठता था कि जिसे वे लिखना चाह रहे थे उसे लिख नहीं सके हैं, उसमें सपाटता आ गयी है। वह वर्तमान और कलात्मक माकेतिकता नहीं, जो उनकी कविताओं की विशेषता है। निश्चय ही 'अमन का राग', 'बैल' आदि जैसी कविताएँ उनके पाम हैं जो उनकी सामाजिक और प्रगतिशील मनःस्थिति और दृष्टि की कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं और जो उनकी बहुत अच्छी कविताओं में शुमार हैं किन्तु शमशेर की ये कविताएँ शिल्प की दृष्टि में उनकी रक्षान वाली कविताओं की ही श्रेणी में हैं और शमशेर के मन में बहुत सादगी से जनसामान्य की बात कहने की गहरी आकांक्षा जोर मारती थी किन्तु इस आकांक्षा की अभिव्यक्ति में वे सपाट हो उठते थे।

शमशेर के साथ होना आत्मीयता में सराबोर समय के साथ होना होता था। वे अपनी बात कभी नहीं करते थे। वे आपकी बात, उनकी बात और उनकी बात करने थे और चाहे व्यक्ति हों चाहे माहिल्य किमी के प्रति उनकी दृष्टि पूर्वग्रही नहीं दिखाई पड़ती थी। वे तमाम प्रगतिशीलों के विपरीत अनेक धाराओं की कविताओं की खुली चर्चा और प्रशंसा करते थे, उनके आगे व्यक्ति व्यक्ति के रूप में आते थे, किमी पार्टी या विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। अतः उनके लिए ऐसा नहीं था कि किमी विशेष विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति प्रिय हो और दूसरी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति त्याज्य या अप्रिय। बच्चन, अज्ञेय और ऐसे ही अनेक व्यक्तिवादी कहे जाने वाले कवि उन्हें उतने ही प्रिय थे जितने प्रगतिवादी कहे जाने वाले कवि। एक दिन जब वे अज्ञेय की कविताओं पर प्रीतिकर टिप्पणी दे रहे थे तब मैंने पूछा—“शमशेर जी, अज्ञेय में भी व्यक्ति के सौन्दर्य और प्रेम की अभिव्यक्तियाँ प्रधान हैं और आपमें भी, फिर क्या बजह है कि प्रगतिशील लोग अज्ञेय का तिरस्कार करने हैं और आपको अपना चहेता कवि मानते हैं और आपकी इसी प्रकार की कविताओं को बहुत उत्साह के साथ (गोया कि वे प्रगतिशील कविताएँ हों) अपनाते हैं और इनके विरुद्ध कभी वे सवाल नहीं उठाते हैं जो अज्ञेय की इसी प्रकार की कविताओं के विरुद्ध उठाते हैं।

शमशेर जी मुसकराये और बोले—“यह इनायत मुझ पर इसलिए बरसती जाती है कि मैं एक समय 'प्रगतिशील लेखक सघ' का सदस्य रहा हूँ।” मैं उनकी इस स्पष्ट-

बादिता और अपने प्रति अमोह से अभिभूत था। भाबुक-सा लगने वाला यह व्यक्ति अपने प्रति किनना निर्मम है और दूसरों के प्रति कितना मदय।

विश्वनाथ त्रिपाठी मेरे सतीर्थ है। उन्होंने मुझसे चार साल बाद एम० ए० पास किया। जब मैं पी-एच० डी० कर रहा था तब वे बी० एच० यू० में आ गये थे और धीरे-धीरे साहित्यिक क्षेत्र में जाने जाने लगे। वे अच्छे छात्र थे। गोष्ठियों में उन्होंने कविताएँ सुनाईं तो ज्ञात हुआ कि उनमें अच्छी कवि-प्रतिभा भी है। दिल्ली में आया तो ज्ञान हुआ कि विश्वनाथ जी किरोड़ीमल कालेज में पढाते हैं और माडल टाउन के एफ ब्लॉक में रहते हैं। हम दोनों का एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना शुरू हुआ और धीरे-धीरे हमारे सम्बन्ध निकट से निकटतर हाते गये और बाद में तो हम लोग एक ही विभाग में सहकर्मि बन गये।

डा० रमानाथ त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय के साध्य कालेज में आ गये थे। वे कानपुर में देवीशंकर अवस्थी के सहकर्मि रह चुके थे अतः यहाँ भी उनके सम्बन्ध बने रहे और धीरे-धीरे मेरे और उनके बीच सम्बन्ध बनने लगे।

पंडित कृष्णशंकर शुक्ल और डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी साथ-साथ घूमते मिल जाते थे। उन दोनों में परिचय हुआ। दोनों के अपने-अपने रंग थे। प० कृष्णशंकर शुक्ल को समीक्षक के रूप में जानता था, उन्हें पढ़ा था और प्रभावित हुआ था। व्यक्ति के रूप में उन्हें बी० एच० यू० में एक बार देखा था, प्रेमचंद के बारे में उनका भाषण सुना था और उनकी व्यंग्यात्मक शैली में प्रभावित हुआ था। दिल्ली में आकर उन्हें निकट में जानने-बूझने का अवसर मिला। पंडित जी बहुत प्रेम और सहज भाव में मिलते थे। मेरे मन में उनके प्रति सहज आदर भाव था जो उनका व्यंग्यहार में और भी सघन होता गया। वे कभी-कभी मेरे घर पर भी आते थे और उनके परिचय के साथ-साथ उनकी व्यवहार-वृद्धि का भी हमें लाभ मिचता था। मेरी पत्नी, बच्चे सबमे वे घर के बड़े-बूढ़े की तरह व्यवहार करते थे और हमारी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते थे। वे बहुत सयत व्यक्ति थे। जैसे अपने जीवन में सयम में काम लेते थे वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार में भी। वे खुले हाकर भी यह जानते थे कि किसमें कितने समय तक किस सीमा तक बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए। वे बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, किसी के आगे हाथ नहीं पसारते थे। वे इतने बड़े विद्वान् होकर भी हिन्दू कालेज में हिन्दी के मात्र प्राध्यापक थे यह बात उन्हें भीतर से असंतुष्ट करने के लिए काफी थी और रहे भी होंगे। इसके तहत कभी-कभी उनकी तल्खी बहाने से व्यक्त हो जाती थी लेकिन उन्होंने सीधे अपना असंतोष कभी व्यक्त नहीं किया। सच बात तो यह है कि उन्होंने अपना निजी दर्द कभी बाहर छलकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी साहित्य-साधना के उपलक्ष्य में कुछ विशेषतां नहीं ही पाया, उलटे बाद में नियति ने परिवार में दुनिया-भर का दर्द उन्हें दे दिया। जबान बटे की मौत के कारण अवकाश प्राप्त करने पर भी पारिवारिक जिम्मेदारियों से लदे रहे और सुना है अंत में वाराणसी में निहायत एकाकी जीवन बिताते रहे। फिर भी उनके स्वाभिमान और संस्कार ने उन्हें

कभी झुकने नहीं दिया, कभी दीन होने नहीं दिया। इनका साहचर्य मेरे लिए प्रेरणाप्रद था।

कुछ दिनों बाद नर्मदेश्वर चतुर्वेदी भी हमारे मकान की बगल के मकान में किरायेदार होकर आ गये। उनका अपना रंग था। खूब हंसते-हंसाते थे और मेरे परिवार में महज ही घुल-मिल गये थे।

जब मैं दिल्ली में आया तो शुरू के दिनों में माडल टाउन का यही साहित्यिक और शैक्षिक वातावरण था। यह वातावरण धीरे-धीरे अधिक रंगमय और वैविध्यपूर्ण होता गया और कई वर्षों तक उसकी गहमागहमी छायी रही।

कुछ वर्ष बाद त्रिलोचन जी भी माडल टाउन में आ गये। कालान्तर में डा० सुरेन्द्र निवारी भी आये। वे 'प्रचेता' नाम की एक पत्रिका भी निकालने लगे। उनसे भी हमारे घरेलू संबंध बने। डा० कृष्णदत्त पालीवाल प्राध्यापक हो गये थे और माडल टाउन में रहने लगे थे। वे शुरू में ही अच्छे अध्येता थे। उनके यहाँ भी मैं प्रायः चला जाता था। उनके और उनकी पत्नी के साथ साहित्य और घर-द्वार की बात करने में आनंद आता था।

कालेज में अध्यापन की जिन्दगी ठीक-ठाक चल रही थी। पास कोर्स को पढ़ाने में कोई रस नहीं था। पढ़ाना था, पढ़ा रहा था। हा, ऑनर्स कोर्स में कुछ तृप्ति का अनुभव होता था क्योंकि वहाँ लगता था कि बच्चे हिन्दी को अपना विषय और अपने अध्यापक को अपना अध्यापक मानते हैं। मुझे भी लगता था कि मैं हिन्दी साहित्य पढा रहा हूँ और उनके बीच पढ़ा रहा हूँ जो हिन्दी साहित्य के प्रति गहरी निष्ठा और आदरभाव रखते हैं। कालेज की पत्रिका के सम्पादक का भार मुझे सौंप दिया गया था। यह भी एक अच्छी बात थी मेरे लिए। उसके माध्यम से मुझे कुछ रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान हो रही थी और उनसे एक अपनेपन का सम्बन्ध बन रहा था। कह चुका हूँ कि डी० ए० बी० का प्राध्यापक-जगत् बहुत अच्छा था। उन सबसे मुझे बहुत प्यार और सद्भाव मिलता था। प्रिमिपल चोपड़ा भी मधुर मुसकान वाले प्रिय व्यक्ति थे और मेरे लिए एक सुखद बात यह भी थी कि वे कुछ लिखते भी थे और वे अपने कमरे में बुलाकर मुझे अपना लेख सुनाते भी थे। वे जानते थे कि मैं पत्र-पत्रिकाओं में खूब छपता हूँ अतः वे पूछते थे कि क्या यह रचना (जिसे वे खाका कहते थे) किसी पत्रिका में छप सकती है? मैं कहता—“रचना तो अच्छी है, कही भेजूगा, उम्मीद है छप जायेगी।” दो-एक जगह भेजी, छपी नहीं किंतु चोपड़ा साहब पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे कोई लेखक तो थे नहीं, शौकिया कभी-कभार कुछ लिख दिया, छपे तो ठीक, न छपे तो ठीक।

इस रचनात्मक सूत्र से मैं अपने को उनसे कुछ अलग प्रकार से जुड़ा अनुभव करने लगा किन्तु यह मेरा भ्रम ही था। वे शुद्ध प्रिंसिपल थे। मेरी रचनाशीलता के प्रति उनके भीतर कोई अतिरिक्त स्नेह-भाव नहीं था। इसका पता तब चला जब उन्होंने मुझे गुजरात विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम-समिति में भाग लेने के लिए अहमदाबाद जाने की अनुमति नहीं दी। मैं इस समिति का सदस्य पहले से था और दिल्ली आने पर भी मदस्यता बनी रही, अतः मुझे आमंत्रित किया जाता रहा। अहमदाबाद से आने के बाद अभी दिल्ली राम नहीं आयी थी। अहमदाबाद अपनी ओर खींचता था और जब यह निमंत्रण मिला तो उत्साह में भर उठा। किन्तु चोपडा साहब ने बहुत ठंडे मन से उत्तर दिया—“देखिए, मैं इन सब कामों के लिए अनुमति नहीं देता। इससे काम का हर्ज होना है देखिये, मैंने स्वयं आना-जाना छोड़ दिया है और छुट्टियों में ही ये सब काम करता हूँ।” कुछ दूररे साथियों से बात की। उन्होंने भी कहा कि ये हजरत अनुमति नहीं देते। स्वयं को तो बाहर कोई पूछता नहीं, हमें भी जाने नहीं देते।

यह विचित्र अनुभव था। मुझे तो लगा था कि इन्हें इस बात का गर्व होगा कि इनके फालेज के प्राध्यापक इतने खगत हैं कि बाहर उनकी पूछ होती है और बड़े उत्साह में जाने की अनुमति देगे किन्तु यहाँ तो उलटा ही हुआ। इनके मन में तो जैसे प्रतिस्पर्धा या जिन का भाव हो कि मुझे तो कही जाना होना नहीं, औरों को क्यों जाने दूँ। भीतर-भीतर बहुत घटन अनुभव होने लगी।

दिल्ली में यह पहला जाड़ा था। आठ माल तक गुजरात में रहने के कारण ऊनी कपडा में सम्बन्ध छूट गया था। वहाँ तो बस एक हाफ स्वेटर ही काफी होता था किन्तु दिल्ली की सर्दी के लिए तो पूरी तैयारी चाहिए। तमाम नये खर्चों में यह बड़ा खर्चा भी जुड़ गया। नयी जगह होने के कारण अतिरिक्त आप के स्रोत नहीं बन पाये थे और खर्चें तमाम नये-नये। इस साल जैसे बहुत पानी बरगा था वैसे ही जाड़ा भी खूब बरस रहा था। गरम कपडों में ममूद हाने के त्रावजूद बस स्टैंडों पर खड़ा-खड़ा भीतर-भीतर धग्थराना था। यह शायद इसलिए भी था कि आठ वर्षों तक गुजरात में रहने के बाद दिल्ली के पहले जाड़े का मामना कर रहा था।

दिम्बर में एक दिन समाचार आया कि मा नहीं रही। इस समाचार ने मुझे स्तब्ध कर दिया। कुछ ही दिन पूर्व पिताजी गुजरे थे, अब मा चली गयी। पिताजी के गुजरने की स्थिति के लिए तो हम प्रस्तुत थे किन्तु एकाएक मा चली जायेगी, इसकी कल्पना भी नहीं थी। कई वर्षों में गाव भी नहीं गया था अतः मा से मिले बहुत दिन हो गये थे। गर्मी की आगामी छुट्टियों में जाने का मन था कि यह समाचार ! लगा जैसे मैं सन्न में सोख लिया गया हूँ। मेरे भीतर भरी हुई मा जैसे मुझे एकाएक खाली करके चली गयी।

छुट्टी लेकर घर की ओर भागा। वे अकाल के दिन थे। पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार के अनेक क्षेत्र अकालपीडित हो रहे थे। अपने बस स्टैंड कसिहार उतरा। वहाँ से हमारा गाव पांच मील पड़ता है। कसिहार से हमारे गाव तक कछार का विस्तार है। नदी, नाले, खेत, बीच-बीच में कुछ छोटे-बड़े गांव। जाड़ों में दूर-दूर तक फैले हुए खेत

बहुत सुहावने लगते हैं मटर, तीसी और सरसों के फूलों से फँली हुई लम्बी-लम्बी दूरियां रंग जाती हैं। लेकिन इस बार देख रहा था कि खेतों में कोई रौनक नहीं थी। लोग चलते-फिरते पुतले नजर आ रहे थे। एक गहरी उदामी की मीलन वातावरण में व्याप्त थी। इस सीलन में मेरे लिए मा की मृत्यु की गंध व्याप गयी थी। धीरे-धीरे घर पहुँचा। भइया मिले—हाथ में तीर बाम लिये हुए। मुझे देखकर आश्वस्त हुए। बताया कि “एक दिन उमके पेट में दर्द हुआ। कुछ देहाती दवा की गयी। कुछ आराम पड़ा। मैं उसी के पाम रहा। दमरे दिन उमने कहा, ‘अब मैं ठीक हूँ। जाओ, खेत में अपना काम देखो।’ उमने धूप में खाट पर सुलाकर खेत चला गया। कुछ दूर बाद खेत में घर में सूचना आयी कि मा की तबीयत बिगड़ गयी है। घर पहुँचा तो वह हमें छोड़कर जा चुकी थी।” भइया उठकर कहीं चला गया। मैं जहा का तहा बैठा रहा। मोचना रहा इस बार मा नहीं मिली। जब भी आता था आने ही पानी लेकर निकलती थी, पाम आकर बैठ जाती थी, बाल-बच्चों का, अपनी बहू का हालचाल पूछती थी। जिनने दिन घर रहता वह अपनी ममता की छाह में भरती रहती और परदेश की सारी थकान जैसा खींच लेना चाहती। आज कब में बैठा हूँ? कहा है मा? एकाध बार तो लगा कि अब निकली तब निकली।

थोड़ी देर बाद खाना खाने गया। भतीजी खाना परम रही थी। खान लग तो यहा भी आभास हुआ कि अब मा पास आकर बैठ जायेगी और हालचाल पूछेगी। मैं खाते-खाते मा में खो गया और अपने-आप हाथ रुक गया और न जाने कब आखों में आसू झरने लगे।

“क्या हाल है बाल-बच्चों का बाबू?” बड़ी भाभी अपने कमरे में मैं निकलकर आ गयी थी और पास बैठकर हालचाल पूछने लगी थी। मैं चौका और आसू पाछकर खाना खाने लगा।

मां न होकर भी पूरे वातावरण में व्याप्त थी। गांव में निकला तो हर औरत की जबान पर मेरी मा का नाम था। उमकी नेकी की चर्चा थी। रात को सोया तो नींद नहीं आ रही थी। लगता था मा का साया आस-पास डोल रहा है। बचपन में लेकर अब तक मा में जुडी न जाने कितनी स्मृतियाँ अघेरे में उतरा रही थी। नींद आयी तो सपने में भी मा आयी। मैं बहुत प्रमन्न हुआ—मा ता जीवित है, वह तो मेरे सामन है। फिर भी कुछ दूर-दूर है। क्या बात है? मा कुछ दूर-दूर क्यों है? आकर मेरे माथे पर हाथ क्यों नहीं फेरती? अपनी बहू और पोते-पोतियों का हालचाल क्यों नहीं पूछती? कुछ अरूप-अरूप-सी क्यों है? जा भी हो वह सामने है, इतना ही क्या कम है?

“मा!” मैं उसकी ओर लपका और न जाने मा कहा छिप गयी। घबराहट में नींद टूट गयी और मैंने फिर अपने को मा की अनुपस्थिति के अघेरे सैलाब में डूबता हुआ पाया। तब से आज तक उसकी अनुपस्थिति की अनुभूति मुझे छोड़कर नहीं गयी और वह अब भी प्रायः मेरे सपनों में आती है। और पत्नी तो तब से मेरे गात्र गयी ही नहीं। उन्हें गांव जाने पर मेरे पिताजी और मां की जो स्नेह-छाया मिलती थी अब कहाँ मिलेगी? जाने पर एक अभाव डंसेगा, स्मृतियाँ दंशित करेंगी। वैसे किसी के मरने से

कोई कहीं जाना नहीं छोड़ देता किन्तु मेरे गांव जाना पत्नी की अनिवार्यता तो नहीं है। वे तो निरन्तर मेरे साथ बनारस, बड़ौदा, अहमदाबाद, नवसारी और दिल्ली की दुनिया में गृहस्थी की भारी जिम्मेदारी ढोती हुई और उसे रचनात्मक रूप देती हुई चलती रही हैं। गांव जाना उनके लिये जरूरी नहीं रहा किन्तु यदि पिताजी और मां होती तो उनका दुलार और प्यार उन्हें कभी-कभी खींच ही लेता।

मां का क्रिया-कर्म किया गया। क्रिया-कर्म की प्रक्रिया में यों तो अनेक रूढ़ियां संवेदनशील और सचेत मन को सालती हैं किन्तु सबसे असुंदर और वीभत्स दृश्य होता है महापात्रों का। किसी का प्रिय दिवंगत हो गया, उसके जाने की चोट उसे क्षत-विक्षत किये हुए है, ऊपर से तमाम कर्मकांडी क्रियाओं से उत्पन्न आर्थिक बोझ उसकी गर्दन तोड़ देता है, पंडित-पुरोहित और महापात्र मिलकर उस दुखी आदमी को नंगा कर देते हैं। यदि उसके पास वित्त है तो ठीक नहीं तो अनेक गरीब लोग इस कर्मकांड की चपेट में खेत-बारी बेच देते हैं, घर-द्वार रेहन रख देते हैं और आर्थिक मार उनके प्रिय के बिछड़ने की मार में अधिक घातक बन जाती है। इस सारे परिदृश्य में महापात्रों का नाटक तो जुगुप्सा और क्रोध पैदा करता है। वैसे तो मेरे मन में इस प्रथा के प्रति शुरू में ही चिढ़ रही है किन्तु अब तो यह असह्य लगती है। बहुत लम्बे समय के बाद अपने घर में किसी के क्रिया-कर्म में महापात्रों का नाटक देखने का अवसर मिल रहा था। वैसे अब महापात्र भी समय की जागृति को समझकर नाटक को चरमोत्कर्ष तक नहीं ले जाते किन्तु नाटक तो करते ही हैं। मैं तो चुपचाप एक ओर बैठा था यह सोचकर कि यदि ये लोग अशोभन रूप दिखायेंगे तो देखूंगा। भाई साहब ही उनसे निबट रहे थे। उनकी दुनिया-भर की मांगों की काट वे ही कर रहे थे। वे भी इस महापात्री कांड से बहुत चिढ़ते हैं किन्तु लोक-रीति निभाने के लिए यह दृश्य झेलना ही पड़ता है। वे भी झेल रहे थे, मैं भी झेल रहा था। गांव में एकाएक इस प्रथा को लाधा नहीं जा सकता। इससे गुजरे बिना क्रिया-कर्म ही पूरा नहीं होगा और गांव के लोग यह मानेंगे ही नहीं कि घर पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है और तेरहवीं के दिन होने वाले खान-पान में सहयोग ही नहीं देंगे। इसलिए मैं या भाई साहब इस प्रसंग का निषेध न कर इसके आतंक को ही कम करने का प्रयास कर सकते थे और मुझे लगा कि महापात्रों ने कुछ नाटक-वाटक करने के बावजूद आतंक नहीं पैदा किया और यह प्रसंग आसानी से सम्पन्न हो गया।

क्रिया-कर्म के पश्चात् मैं दिल्ली लौट आया। मन प्रकृतिम्य नहीं हो पा रहा था। इतने दिनों तक घर से दूर शहरों में अकेला-अकेला जीवन-सघर्ष करते रहने के बावजूद मां के चले जाने के बाद लग रहा था निराश्रित हो गया हूँ। क्रिया-कर्म होने से पहले मैं भाई साहब के साथ गांव में निकला था कि एक औरत ने टिप्पणी कसी थी—“बेचारे टूअर (मां-बापविहीन निराश्रित) हो गये।” तब तो यह बात सुन ली थी। दिल्ली लौटने पर रह-रहकर उस औरत की बात मुझसे टकराने लगी और लग रहा था सचमुच ही मैं टूअर हो गया हूँ। मरने से पहले मां को देख लिया होता, कुछ बातें कर ली होतीं तो शायद इतना नहीं अखरता। कई साल से उससे मिल नहीं पाया था। अप्रस्तुत रूप से

उसका जाना मुझमें समा नहीं रहा था, बार-बार मुझे चीरकर अस्थिर किये दे रहा था।

56

हिन्दी-विभाग में डा० नगेन्द्र अध्यक्ष थे। उनके पश्चात् डा० भावित्री मिनहा (रीडर), डा० विजयेन्द्र स्नानक (रीडर), डा० ओम्प्रकाश (रीडर) थे। डा० उदयभानु सिंह प्रवक्ता थे। साध्य सम्मान में डा० दशरथ जाज्ञा (गडर हेड), डा० सत्यदेव चौधरी (प्राध्यापक), डा० शानिस्वरूप गुप्त (प्राध्यापक), डा० दवीशकर अवन्थी (प्राध्यापक) और डा० रमानाथ त्रिपाठी (प्राध्यापक) थे। डा० नगेन्द्र उन दिनों अपनी प्रभता और यशः चरम शिखर पर थे। पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों का हिन्दी-विभाग उनकी प्रभता की आच का स्पर्श कर रहा था। नियुक्तियों में उनका प्रमुख हाथ था। अनेक सरकारी समितियों में भी वे थे और वहाँ भी नियुक्तियों में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो उनकी धाक के आतक का क्या कहना? उनकी मरजी के बिना हिन्दी-विभाग में कोई पता नहीं हिन्ता था। उनसे मिलने में लोग घबराते थे। छात्रों की तो बान ही क्या, विभाग के, लोगों को भी उनकी कठोर मुद्रा विचलित कर देती थी। दूसरे विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ-वरिष्ठ प्रोफेसरो को भी उनके भामने विचलित होते दखा है। नगेन्द्र जी अपनी वाणी में भी व त कठोर थे। किसी को भी डाट-फटकार सकते थे, किसी के प्रति अपने अप्रिय और कठोर भाव का त्रनाग ढग में कठोर वाणी में व्यक्त कर देते थे। अपनी प्रीति तो वे खुलकर व्यक्त नहीं करते थे किन्तु अप्रीति को व्यक्त करने में वाणी या मुद्रा की कठोरता पर कोई आवरण नहीं चढता था। किन्तु उनके आतक क पीछे उनके स्वभाव के साथ-साथ उनकी उन्नत कर्मठता थी। उन्होंने अपने अथक परिश्रम, सूझबूझ और सघर्षशीलता से अग्रजियत के माहौल वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभाग को बनाया, उसे अस्मिता दी, गरिमा दी, थोड़े ही दिनों में भारतवर्ष के गिने-चुने प्रतिष्ठित हिन्दी-विभागों के समकक्ष ला दिया, यह बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्य वरिष्ठ प्रोफेसरो के बीच नगेन्द्र जी की बड़ी प्रतिष्ठा रही और एकेडेमिक कौंसिल तथा एक्जीक्यूटिव कौंसिल में उनकी बात का बहुत महत्त्व होता था।

प्रभावशाली प्रोफेसर के साथ-साथ वे वरिष्ठ आलोचक और काव्यशास्त्री थे। इन दोनों के संयोग से बना उनका व्यक्तित्व दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ-साथ भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के हिन्दी-विभाग को प्रभावित किये हुए था। भारतीय हिन्दी परिषद् में उनकी सक्रिय और विचारपूर्ण भूमिका उनकी प्रभविष्णुता को एक नया आयाम दे रही थी। जाहिर है नगेन्द्र जी विभागीय दायित्व और लेखकीय दायित्व

दोनों को समान गरिमा और बरीयता से निभाना चाहते थे तथा निभा रहे थे अतः उन्हें अपने समय की मूल्यवत्ता को पहचानना ही था। उसे बेकार के प्रपंचों में बरबाद होने से बचाना ही था। उन्होंने अपनी दिनचर्या कम रखी थी। प्रोफेसर के रूप में श्रमपूर्वक पढ़ाना, अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक और अकादमिक व्यवस्था देखना और साहित्यिकर्मियों के रूप में लिखना तथा महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का सम्पादन करना, उस प्रक्रिया में तमाम लेखकों से काम कराना ये कितने कार्य थे जिन्हें नगेन्द्र जी कुशलता से सम्पादित कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इन कामों के लिए अपने समय को बांट रखा था। जाहिर है यदि लोग अपनी सुविधा से लगानार आते-जाते रहे और गपशप करते रहे तो कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए नगेन्द्र जी ने नियम बना रखा था कि जिसे मिलना हो फोन करके और समय लेकर आये। वे चौपाल नहीं लगाने थे, काम की बात करते थे—मक्षेप में। फोन पर भी वे अनि मक्षिप्त बान करते थे। यहाँ तक कि वे कहा करते थे कि फोन पर नमस्ने-बोमस्ने क्या, मीत्रे काम की बात करा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बिना फोन किये पहुँच जाना तो या तो मिलते नहीं या मिलने पर बार-बार कहते—फोन करके आना चाहिए था। बाहर के एक वरूठ प्रोफेसर से भी उन्हें यह बात बार-बार कहते भूना गया।

नगेन्द्र जी की कार्य-पद्धति में त्वरा है। वे काम को न तो लटकाते हैं न उलझाते हैं। काम चाहे उनका ही चाहे आपका तुरन्त करने में और किसी हो झूठे आश्वासन नहीं देते। वे गाफ़ हाँ या नाँ कह दते हैं। किसी को भ्रम में नहीं रखते। इसी तरह उनके दोस्त और दुश्मन भी माफ़ होते हैं। उनकी पसन्द-नापसन्द माफ़ होनी है। अपनी नापसन्द और दुश्मन के प्रति अपने व्यवहार का कटु में कटु रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं।

नगेन्द्र जी ने हिन्दी-विभाग को बनाया, इसके लिए उन्होंने स्थानीय शिक्षियों के साथ-साथ बाहर के विश्वविद्यालयों के लोगों का भी खब नियुक्त किया। वे अपने समय के प्रति मन्नेत होने के कारण यह जानते थे कि कौन व्यक्ति क्या है? बाहर के अनेक नये साहित्यकारों और लेखकों को उन्होंने बड़े स्नेह में अपने यहाँ नियुक्त किया। नियुक्तियों से बहुत बड़े-बड़े लोग जाति-पात का घधा चला रहे थे। नगेन्द्र जी इस रोग से कभी ग्रस्त नहीं हुए बल्कि इसका विरोध ही किया। दूसरी बात यह भी कि जिसे ठीक मज्जा नियुक्त कर दिया, नियुक्त करने के बाद बार-बार उम पर अहसान जताने की या बार-बार उमसे आभार की मौखिक अभिव्यक्ति कराने की प्रवृत्ति उनकी नहीं रही। हाँ, यह जरूर चाहते रहे कि उन्होंने जिसका हित किया है वह उनको सम्मान तो दे, उनके खिलाफ तो न बोले। वैसे भी उनका इतना आतक था कि कोई भीतर-भीतर भले ही उनके विरुद्ध बोलता रहा हो, बाहर बोलने का साहम नहीं करता था। सच पूछिये तो उनकी कठोर मुद्रा और डाँट-फटकार वाली पद्धति प्रीतिकर नहीं लगती थी किन्तु उनके वर्चस्व को देखते हुए लोग अपने-अपने ढंग से इस चुपचाप सह लेते थे। दिल्ली में बाहर से आये हुए लोग उनमें उपकृत थे और दिल्ली के प्राध्यापक तो उनके छात्र ही थे जिनमें से कितनों को तो उन्होंने सपरिवार लगाया था और जो निरंतर उनकी कृपा-दृष्टि का प्रसाद पा रहे थे।

मैं भी उपकृत था, गहरे उपकृत था। जब मैं अहमदाबाद से विस्थापित होने की स्थिति में आ गया था तब नगेन्द्र जी ने अपनी सारी व्यक्तिगत नापसदगी के बावजूद मुझे डी० ए० वी० कालेज में नियुक्त किया। मेरे प्रति व्यक्तिगत नापसदगी उन पर कुछ लोगो द्वारा थोपी गयी थी। इसके बावजूद वे यह नहीं सहन कर सकते थे कि साहित्य-जगत् में उभरता हुआ एक व्यक्ति बेकारी की सजा भोगे। उनकी साहित्यधर्मिता उनके व्यक्तिगत राग-विराग से टकराकर ऊपर आ गयी और मुझे नियुक्त कर दिया और सच पूछिये तो नगेन्द्र जी के इस साहित्यकार की महत्ता के प्रति मेरे और मेरे जैसे अनेक साहित्यधर्मियों के मन में सम्मान का भाव ज्यादा रहा है और उनकी कठोर मुद्रा के प्रति भय की अपेक्षा उनके साहित्यकार के प्रति सम्मान का भाव हमें उनके सामने बिनत किये रहा है। शुरू के दिनों में मैं बराबर इस बात के बोझ से दबा रहा कि नगेन्द्र जी दूसरो द्वारा दिये गये पूर्वग्रहवश मुझे नापसद करते हैं, मुझे राजनीतिज्ञ कह चुके हैं। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा किन्तु कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे उनकी बदली हुई धारणा मुझ तक आने लगी। देवीशकर अवस्थी से उनकी बातचीत होती थी। देवीशकर जी ने ही बताया कि नगेन्द्र जी मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलने लगे हैं। कहते हैं—“बहुत अच्छा आदमी है।” मुझे बहुत आश्चर्य प्राप्त हुई। मेरी शैक्षिक योग्यता, मेरे लेखन-कर्म की तां वे अनुश्रुति पहले ही कर चुके थे, मेरे व्यक्ति के बारे में भी वे अच्छा कहने लगे हैं इसमें बहुत राहत मिली। अच्छा हुआ उन्हें स्वयं भान हो गया कि मैं वह नहीं हूँ जो उन्हें बताया गया है। मैं वह हूँ जिसे वे स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने अनुभव में जान रहे हैं।

मेरे लिए प्रसन्नता की बात थी कि वे थोड़े ही दिनों में मुझ पर अनिश्चित ध्यान देने लगे। वे कभी-कभी मेरे घर भी आ जाते और घूमने के लिए साथ ले लेते। साथ-साथ गोष्ठियों और मन्नाओं में भी ले जाने लगे। लेखन सम्बन्धी कुछ विशिष्ट दायित्व भी मुझे सौंपने लगे। उन्हें हिन्दी साहित्य के बृहत् इतिहास के तेरहवें खंड के लिए छायावादोत्तर कविता पर लेख लिखना था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम लिख दो। मैंने लिखा जो बाद में ‘हिन्दी कविता : तीन दशक’ और फिर ‘हिन्दी कविता आधुनिक आयाम’ नाम से छपा। नगेन्द्र जी को अहसास हो गया कि पी० जी० डी० ए० वी० कालेज में वेतन के मामले में मेरे साथ अन्याय हो गया है। वह उनकी उदासीनता के कारण हुआ है। अब वे बार-बार पूछते—“तुम्हें डी० ए० वी० में कितना कम मिला?” मैं बताता—“मुझे मेट जेवियर्स में कुल छः सौ रुपये मिल रहे थे, यहाँ कुल पाच सौ तीस मिले।” वे अब कर क्या सकते थे बस लिखने के काम के द्वारा क्षतिपूर्ति करना चाहते थे। कुछ दिनों बाद मुझे एम० ए० के अध्यापन और पी-एच० डी० के निर्देशन का काम देकर मेरी बरिष्ठता को रेखांकित कर दिया। यानी कालेज में तो मैं एकदम जूनियर था किन्तु उसके बावजूद समग्रतः मैं सीनियर बना हुआ था।

डा० नगेन्द्र ने उन्ही दिनों डा० लक्ष्मीनारायण लाल की नियुक्ति खालसा कालेज में की थी। नगेन्द्र जी उन्हें एक अच्छे लेखक के रूप में जानते थे और उसी के तहत बड़े सम्मान से कई इनक्रीमेंट दिलाकर उनकी नियुक्ति की थी। डा० लाल को

भी एम० ए० कक्षाएं मिलने लगी थीं और डा० साहब कालेज की जूनियारटी के बावजूद उन्हें भी समग्रतः वरिष्ठता प्रदान कर रहे थे। डी० ए० बी० कालेज में एक वरिष्ठ व्यक्ति सांध्य कक्षाओं से सुबह की कक्षाओं में आना चाहता था। सुबह की कक्षाओं के वरिष्ठ प्रवक्ता घबराये कि उस व्यक्ति के यहां आ जाने में कहीं सुबह वालों की वरिष्ठता न प्रभावित हो जाये। किसी को नगेन्द्र जी में कहने की हिम्मत नहीं थी। उनके प्रति मेरी निकटता को देखते हुए मुझे यह बात कहने का काम सौंपा गया। मैंने फोन किया—“मिलना चाहता हूं।” “किस काम में?” मैंने बता दिया। उन्होंने कहा—“देखो, तुम और डा० लाल कालेज में जूनियर जरूर हो किन्तु तुम लोगों की वरिष्ठता कालेज में सिद्ध नहीं होगी। तुम लोग वहां लाइन में नहीं हो।” उनके इस सम्भाव ने मुझे भीतर तक प्रभावित कर दिया।

डा० नगेन्द्र अपने साहित्यिक व्यक्तित्व के कारण एक ओर साहित्यिक व्यक्तियों को महत्त्व देते थे (यानी बड़े-बड़े साहित्यकारों के साथ उनका उठना-बैठना तो लगा ही रहता था, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की भीड़ में से वे साहित्यिक प्रातःभाषों को जलगा लेते थे और उनके साथ उनके सम्बन्धों में एक अलग तरह की उष्मा होती थी।) दूसरी ओर उनका प्रोफेसर विश्वविद्यालयी और विद्यालयी वातावरण को उसके पूरे 'नार्म' के साथ स्वीकारता था। जूनियारटी-सीनियारटी का वे बहुत ध्यान रखते थे और जब कभी साहित्यिक और विश्वविद्यालयी वातावरण एक-दूसरे में घंसा जाते थे यानी गोष्ठी तो साहित्यिक होनी थी किन्तु वक्ता प्राध्यापकों के बीच में होते थे तो वहां साहित्यिकारों का वरिष्ठता-क्रम प्राध्यापकों के वरिष्ठता-क्रम में बदल जाता था। डा० नगेन्द्र के व्यक्तित्व के कई रंग थे जिन्हें मैं धीरे-धीरे अनुभव करता गया।

डा० सावित्री मिनहा से मेरा नया-नया परिचय था। नाम से तो हम दोनों एक-दूसरे को जानते थे इसलिए जब हम पहली बार मिले तो एक-दूसरे के प्रति परिचय का भाव हम दोनों के मन में था। डा० मिनहा का व्यक्तित्व बहुत उन्मुक्त था जो उनकी निश्छल खुली हंसी में व्यक्त होता था। उनकी आंखों में, शिष्टियों के लिए वात्सल्य रस और मित्रों के लिए मन्थ रस झरता रहता था। तब वे रामाकशोर रोड पर रहनी थीं। एक दिन मैंने मिलने का समय लिया। घर पहुंचा तो मंजू मिनही। मंजू भी मां जैसी प्यारी और सरल। सावित्री जी कहीं गयी थी किन्तु उन्हें याद था कि मैं अमुक समय पर उनके यहां पहुंचूंगा। वे कहीं से जल्दी-जल्दी आयीं। मंजू ने कहा—“मम्मी, यू आर लेट।” सावित्री जी भभाकर हंसी और उस हंसी में तारा विलम्ब-बोध डूब गया। मेरी-उनकी यह पहली आत्मीय और अनौपचारिक भेंट थी। इसके बाद हमारे सम्बन्ध उत्तरोत्तर और गाढ़े तथा आत्मीय होते गये, पारिवारिक होते गये। उनका मेरे प्रति जो आत्मीय भाव था, उमी के तहत उन्होंने मंजू के शोध-कार्य के लिए मुझे निर्देशक बनाया। कुछ समय के बाद वे माडल टाउन में आ गयीं। फिर तो हम लोगों का प्रायः रोज साथ उठना-बैठना होता था। नगेन्द्र जी भी आ जाते थे। हम घूमने निकलते थे और नगेन्द्र जी तब एकदम अनौपचारिक मुद्रा में होते थे, हंसी-विनोद करते थे और तब लगता था कि वे नगेन्द्र जी कोई और नगेन्द्र जी हैं। सावित्री जी से सम्बन्धित न

जाने कितनी स्मृतियां मेरे भीतर अंटी हैं। डा० विजयेन्द्र स्नातक भी दिल्ली विश्व-विद्यालय के हिन्दी-विभाग के स्तम्भों में से हैं। वे इसके वरिष्ठतम सदस्य थे और अपने पांडित्य तथा लेखन द्वारा काफी यश पा चुके थे। मुझे याद है जब मैं डी० ए० वो० कालेज में नियुक्त होने के बाद पहली बार उनसे मिला तो वे बहुत सहज भाव में मुझे बांहों में भरकर मिले। उनकी पहली ही भेंट ने अपरिचय की दीवार गिरा दी। वास्नव में डा० स्नातक पुराने से लेकर नये तक सब कुछ पढ़ते थे और नये लेखकों के बीच होने में उन्हें सुख मिलता था। उनमें नगेन्द्र जी जैसी मुद्रा की गरिष्ठता नहीं थी, उनकी मुद्रा खुली हुई थी। बातें खुलकर करते थे। उनसे मिलने में किसी को आतक अनुभव नहीं होता था।

अनुसंधान परिषद् हिन्दी-विभाग की महत्त्वपूर्ण संस्था थी जिसे डा० नगेन्द्र के निर्देशन में डा० स्नातक और डा० रामस्वरूप सभानते थे। इस संस्था के तत्त्वावधान में न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण विचार-संगोष्ठियां हुईं, कितने मूल्यवान लेख पढ़े गए। यह संस्था बहुत सक्रिय थी तथा इसकी गोष्ठियों में सदैव अच्छी-खासी उपस्थिति रहती थी। मुझे भी दो बार इसमें प्रपत्र पढ़ने का काम सौंपा गया। इसकी वर्ष की पहली गोष्ठी परिचय-गोष्ठी हुआ करती थी। जिस साल आया उस साल की पहली गोष्ठी परिचय-गोष्ठी तो हुई ही, कवि-गोष्ठी भी बन गयी। यानी कुछ कवियों को कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं यहाँ के लोगों के द्वारा कवि रूप में अच्छी तरह जाना जाता हूँ इसलिए कविता पढ़ने के लिए मुझसे बार-बार आग्रह किया जाने लगा। मैंने प्रसन्न भाव से कविताएँ पढ़ी और यह देखकर बहुत सतोष हुआ कि वे कविताएँ बहुत मराही गयीं।

डा० ओम्प्रकाश इस विभाग में वरिष्ठ रीडर थे और डा० नगेन्द्र के बहुत निकट थे किन्तु वे भरे समयस्क थे। उन्होंने इस समयस्कता के बोध को प्रार्थमिकता देकर मुझे स्नेह दिया। मुझे याद है दिल्ली आने के बाद जब मैं पहली बार उनके आवास पर गया तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता अनुभव की और बहुत उल्लाम से मुझमें मिले, खाना खिलाया और पूछा—“कालेज में आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने वहाँ के प्राध्यापकों से कह दिया है कि इन्हें जूनियर मन ममझना। किसी मजबूरी-वश तुम्हारे कालेज में चौथे स्थान पर आ गए हैं किन्तु हर दृष्टि से बहुत वरिष्ठ हैं। इस बात का ध्यान रखना।” मैं उनकी इस बात में बहुत अभिभूत हुआ और उन्हें बताया “कि नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। वहाँ के सारे प्राध्यापक मुझे बड़े भाई का-सा सम्मान देते हैं।”

डा० उदयभानु सिंह की डा० नगेन्द्र से टकराहट चल रही थी। डा० सिंह की निकटता प्राप्त नहीं हो पायी थी। जब मैं एम० ए० क्लास लेने कला संकाय में जाने लगा तो कक्षा में आते-जाते कभी-कभी डा० सिंह से भेंट हो जाती थी। वे हालचाल पूछते थे और लिखने-पढ़ने सम्बन्धी बात चलती तो नगेन्द्र जी के प्रति उनका असंतोष और विद्रोह-भाव व्यक्त हो उठता था। डा० सिंह विभाग में लगभग अकेले थे। यह टकराहट तो उनकी डा० नगेन्द्र से थी और उन व्यक्तियों से थी जिनके कारण नगेन्द्र जी

से उन्हें असतोष हुआ किन्तु विभाग के तमाम लोग डा० सिंह से मिलने से कतराते थे। डा० सिंह विद्वान् व्यक्ति है और यशस्वी अध्यापक रहे हैं और जो अध्यापक डा० नगेन्द्र के छात्र रहे, वे उनके भी थे अतः सभी लोग भीतर-भीतर उनका सम्मान तो करते ही थे (कम से कम असम्मान करने का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था) किन्तु विभागीय वातावरण को देखते हुए लोग उनसे खुलकर मिलने से कतराते थे। किन्तु डा० सिंह अपनी अकेली यात्रा भी तनकर कर रहे थे। बाद में तो वातावरण बहुत बदला और सम्बन्धों में न जाने कितने परिवर्तन हो गये।

माध्य सस्थान में डा० दशरथ ओझा प्रभागी थे। शुरु में विशेष सान्निध्य प्राप्त नहीं हुआ। जब कई माल बाद मैं नियुक्त होकर साध्य सस्थान में गया तो यह अवसर प्राप्त हुआ किन्तु आने जाते यहाँ-वहाँ मिलते-जुलते उनको कुछ जान गया था। डा० ओझा बहुत मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। नये से नये आदमी से बहुत रसमय भाव से मिलते हैं और गहरे घुले शब्दों में उमक प्रति स्नेह झरते हुए ठहाका लगाते हैं। वे आपसी और कुछ दे या न दे पहली ही भेंट में एक मरस समझ-खडती दे ही देते हैं। उनके मदन आर्त्थिक की कहानी ख्यात है। उनके व्यक्तित्व का यह लक्षण है कि दो विपक्षी खेमों के लोग उनके यहाँ ठहरते हैं यानी वे दोनों के ही निकट होते हैं। खूब पैदल चलते हैं और आहार-व्यवहार में बहुत मयत हैं, इसीलिए लोग उन्हें वरिष्ठों से एक जैसा देखते हैं। डा० ओझा की रसमयी वाणी और मृदुल व्यवहार के नीचे अतिनिहित भाव-भूमि और वैचारिक यथार्थ के सबंध में लोग विभिन्न मत रखते हैं।

डा० सत्यदेव चौधरी से विभाग और माडल टाउन दोनों स्थानों पर भेंट होती थी। डा० चौधरी बहुत सहज और भोले व्यक्ति हैं। वे काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ हैं किन्तु उनके व्यवहार में काव्यशास्त्र की गरिष्ठता नहीं, कथा-साहित्य की निश्छल गति है। वे कट्टर आर्यसमाजी परिवार के हैं किन्तु उनमें साध और व्यवहार की कट्टरता नहीं, लालच है। अपने छात्रों के साथ भी उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे और मित्रों के सुख-दुख में वे गहरे माझीदार थे और हैं। एक बार मैं बीमार पड़ा तो वे आये और मेरे मना करने पर भी पूरी देह दर तक दबाते रहे। ऐसे लोगों के सहज भोलेपन को विनाद का विषय बनाने वाले कम नहीं होते—कलाम में भी और मित्रों के बीच भी। वैसे डा० चौधरी स्वयं अपने ऊपर विनोद कर लेते हैं। डा० चौधरी का मुझे लम्बा साहचर्य ही नहीं, उनका गहरा स्नेह भी मिलता रहा।

दिल्ली आये हुए कई महीने हो गए किन्तु अभी राम नहीं आ रही थी। इसका एक कारण था, गुजरात के विपरीत यहाँ के लोगों का व्यवहार। गुजरात में पड़ोसीपन की

उष्मा और मिठास के अनुभव के पश्चात् एकाएक दिल्ली के पडोसियों के ठंडे या विरोधी साहचर्य में आ जाने की पीडा पत्नी को बहुत आहत कर रही थी। अजीब-अजीब तरह के पडोसी मिले थे जो किसी के काम तो आते नहीं उलटे बात-बान में झगडा कर लेते हैं और बिना किसी जान-पहचान के आपकी कोई भी चीज मांगने चले आते हैं। पडोसियों का आपस में बाधने वाली न जातीय एकता थी न प्रादेशिक एकता थी, न वैचारिक एकता थी भिन्न-भिन्न स्थानों के, भिन्न-भिन्न जातियों के, भिन्न-भिन्न पेशों के, भिन्न-भिन्न आचार-व्यवहार के लोग बिना किसी लय के एक भीड़ की तरह बसे हुए थे, मानो द्वीपों का समूह ही। छोटी-छोटी बात पर कौआगेर मच जाता था और बात की बात में हाथ उठ जाते थे। जबानी लडाइया गुजरात में कम नहीं होती किन्तु मारपीट की नीबत वहा बहुत कम आती है। यहा तो बानचीन के साथ ही मारपीट शुरू हो जाने के नजारे आम दीखते थे। इसलिए भय बना रहता था—विशेषतया लडकों को लेकर कि पडोसियों से कोई शारीरिक टकराहट न हो जाए।

यहा के लडके भी अहमदाबाद के लडकों की अपेक्षा लडाकू स्वभाव के थे अतः हमारे लडकों को भी इस लडाई में फमना पडता था और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लडना पडता था। प्रायः पीटकर या पिटकर घर आते थे। हम लोग इस परिदृश्य से बहुत दुखी थे और चिंतित थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए ?

मुझसे लडाई होने का कोई भय नहीं था क्योंकि लडाई मेरी आदन नहीं। यदि देखता था कि कोई अकारण बदनमीज हुआ जा रहा है तो उससे शारीरिक रूप में भिडने की बजाय उपेक्षा कर जाता था। यहा कौन किस बात पर आपसे बदतमीजी कर बैठेगा, पता नहीं चलता। एक बार मैं माडल टाउन से एस० चाद के यहा गया जो उस समय फौआरे पर था। जाते समय मैंने आजादपुर में फुआरा जाने वाली बस को रास्ते में देखा और मेरी बस (जो किसी और नम्बर की थी और स्टेशन तक की थी) उसे छोडकर आगे बढ़ गयी। मैं एस० चाद गया और चार-पाच मिनट बाद फौआरे के बस-स्टेड पर आ गया और सोचने लगा कि पीछे छूटी हुई बस आ गई होगी या आ रही होगी। हम लोग स्टेड पर खटे थे और बस का इतजार कर रहे थे। मेरे पास एक तदुरुस्त जवान आदमी खडा था। उसने कहा—“बस नहीं आ रही है।” मैंने कहा—“बस को आना चाहिए। मैंने रास्ते में उसे छोडा है।” उसने सुन लिया। दो-तीन और व्यक्तियों ने यही कहा तो मैंने उनसे भी यही बात कह दी। इस पर पहले वाला आदमी बिगड गया—“आप कोई खुदा है कि कह रहे हैं तो बस आ ही जाएगी।” मैं तो अचकचा गया। उससे बोला, “आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं ? यह कौन-सा तरीका है बोलने का ?”

“और क्या, आप कब से एक ही बात दुहरा रहे हैं।”

“तो आपमें तो नहीं कह रहा हूँ। मैंने बस को आते हुए देखा था सो कह रहा हूँ। आपको क्यों तीता लग रहा है ? अरे बोलने-बतियाने से समय की ऊब कम होती है।”

इस पर वह बौखला गया। बोला—“लड़ना चाहते हो तो आ जाओ।” और

वह अपनी वास्तीन चढ़ाने लगा ।

“माफ कीजिए जनाब, मैं कोई पशु नहीं हूँ कि सड़को और चौराहो पर लडता चलू । आपको लडने की तडप हो तो अपने समान किसी को तलाशिए । आपको मेरी बान मे कष्ट हुआ हो तो मुझे खेद है ।” वह आदमी फिर भी उत्तेजित रहा और अनाप-शनाप बोलता हुआ लडने के लिए खूद मारता रहा । एक दूसरा जवान आदमी पाम मे ही खडा देख रहा था । वह पास सरक आया और उससे बोला—“ओय, तुझे लडने की हसरत हो तो मैं पूरी कर दू । ये शरीफ आदमी शराफत दिखा रहे है । तुझसे माफी भी माग ली और तू है कि सिर पर चढा जा रहा है । बोल, चढाऊ मैं भी आम्तीन ?” पहने वाले ने नये को आखो से तौला और सहमकर चुप हो गया और मुझे लगा कि अभी इसानियत मरी नहीं है । दूसरो की सहायता के लिए अभी भी लोग आ जाते हैं, चाहे वे अपरिचित ही क्यों न हो । दिल्ली मे अनेक बुरे अनुभवो से गुजरने के बाद एक अच्छे अनुभव मे गुजरने की स्थिति उमम के बीच हवा के एक ताजा झोके के समान गहन और शक्ति दे जाती थी ।

दिल्ली के राम न आने का दूसरा कारण यहा की बेहद खराब यातायात-व्यवस्था थी । अहमदाबाद मे बस की व्यवस्था बहुत ही सुचारु थी । स्त्री, बच्चे, बूढे सभी सुरक्षापूर्वक यात्रा कर लेते है । किमी को न भागकर बस पकडनी पडती है और न किमी रो हडबडी मे उतरते हुए गिरना पडता है । न यात्रियो की अराजकना होती है, न बस स्टैंड मे जागे-पीछे रुकती है । न कडकटर की बोली कान को छीलती है, न ड्राइवर की किन्तु दिल्ली मे एक तो बसें आती नहीं थी, आती थी तो लदी हुई और स्टैंड से आगे पीछे रुकती थी और आगे या पीछे दौडकर बस पकडनी पडती थी बल्कि लटकना पडता था और उतरने समय देह छल जाती थी पत्नी अहमदाबाद मे आयी-आयी थी । गुरुदेव ज्जारीप्रसाद द्विवेदी की बडी पुत्री इन्दुमती (पुतल) और जामाता कैलाशपति ओझा श्रीराम कालेज आफ कामर्स के स्टाफ क्वार्टर मे रहते थे । मैं तो दिल्ली आने से पहले भी कई बार यहा जा चुका था किन्तु पत्नी को पहली बार जाना था । कह चुका हू कि वे पंडित जी के परिवार मे बहुत ही हिली-मिली थी, एक तरह से उस परिवार का अंग बन गयी थी अतः स्वाभाविक है कि दिल्ली आने ही पुतल से मिलने का उछाह उनके मन मे होना । वैसे भी पुतल मे एक महज फक्कडपन है जो उसके आत्मीयो को बहुत सुखद लगना है । पुतल में द्विवेदी की मस्ती है । उमकी बातचीन मे भी पंडित जी का फक्कडाना अदाज है । उममे पंडित जी की उदारता है और उन्ही की तरह दिखावे और व्यक्तिगत भाज-मज्जा के प्रति अनाकर्षण और महज सादगी है । कैलाश जी भी बहुत प्रिय व्यक्ति हैं । घर आये व्यक्तियों के प्रति उनका स्नेह-मद्भाव देखते ही बनता है । कुछ घरों मे जाइए तो पत्नी सत्कार करेगी, पति ठडा रहेगा और कुछ घरों में डमका उलटा होगा । कुछ ही घर ऐसे होते है जहां पति-पत्नी दोनों बल्कि बच्चे भी आने वाले के लिए अपने मद्भाव मे उष्ण होते हैं । कैलाश जी का घर ऐसा ही है ।

हां, तो पत्नी ने दिल्ली आते ही पुतल के यहां चलने का प्रस्ताव रखा । हम गये ।

माडल टाउन से मोरिम नगर है ही कितनी दूर, लेकिन वहा से लौटकर पत्नी ने कसम खायी थी कि अब मैं दिल्ली में बस से नहीं जाऊंगी।

लम्बी प्रतीक्षा के बाद भी बच्चों के साथ भागकर बस पर चढ़ना, अनियंत्रित भीड़ में पिसना और उतरने के लिए फूहड़ मर्घर्ष में गुजरना और फिर लौटते समय इसी क्रम से गुजरना यह पत्नी का पहला बस-अनुभव था। लौटने के बाद तो वे यमान और खीस के बाँझ में लदी थी और प्रतिज्ञा की थी कि बस से नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो टैक्सी या स्कूटर में। किन्तु उनकी प्रतिज्ञा कोई राजा रामचन्द्र की प्रतिज्ञा तो थी नहीं, मध्यवर्ग की एक मामान्य गृहिणी की थी जो आवश्यकताओं के बोझ से दबकर मौ-मौ बार टूटती है। शुरू से ही वे घर का सारा काम देखती रही है—मारा बाजार वे ही करती हैं। यदि वे टैक्सी या स्कूटर में बाजार करने लगी तो चल चुकी गृहस्थी। और दबत पड़ने पर टैक्सी और स्कूटर कहा मिलते हैं? कुछ दिनों बाद हम लोग अम्बा पिक्चर हाउस पर पिक्चर दर्शन गए। बच्चों के साथ बस पकड़ना आसान तो नहीं था। बसे छूटने लगी फिर टैक्सी और स्कूटर की खोज हान लगी। बस भरी-भरी आती थी। जो खाली भी दिखाई पड़ती थी उनके ड्राइवर मीधे तन हुए निकल जाते न जान उन्हें खाली गाने लेकर वहा पहुंचने ही जल्दी थी। बच्चे गर्मी और प्यास में विलंबिला रहे थे। फिर याद नहीं किम माध्यम में घर चोटे। घर लौटकर मैं पूछा, “अब? आज तो मैंने टैक्सी और स्कूटर में यात्रा की तुम्हें छूट दी थी।”

पत्नी बड़बडाइ, “यह शहर भी कमबख्त कोई शहर है, जहा घर में निकलना मुश्किल है।” पर निकलना तो था ही। कुछ दिन बीते होंगे। पत्नी को कुछ खीदने के लिए लालकिला जाना पडा। मैं कहीं और गया था। उन दिना कुछ जगहे ऐसी था जहा से बस मिलना भगवान् मिलने से भी कठिन था। लालकिला उन सभी जगहों में शीर्षस्थ था। बसों की स्थिति ता दयनीय थी हीं, लालकिल पर तरह-तरह के लोगो की अपार भीड़ होती थी। जरायमपेशे के लोग भी इस भीड़ में हाते थे। सबसे अधिक जेबे यहां कटती थी। गुडई यहां होती थी, औरता से छेड-छाड यहां होती थी। उन दिन जब देर से घर पहुंचा तो पत्नी लालकिले से लौट आती थी। मालूम पडा अभी-अभी आयी है। वे ब्रदहवास-मौ लगी। पूछा—“क्या बात है, इतनी देर से क्यों आयी?”

“आ गयी यही गनीमत समझिए। मुझे ता लगा कि आज पहुंचूगी ही नहीं।” देखा उनकी आखों में दहशत की एक गहरी छाया थी और वे बहुत अव्यवस्थित-सी लग रही थी।

“क्या बात है?”

फिर उन्होंने जो किम्सा सुनाया वह वास्तव में बहुत विचलनकारी था। उन्होंने बताया।

किसी भी कवर बस नहीं मिली। काफी देर-देर से कुछ बसे आयी तो उनमें चढ़ पाना मेरे लिए संभव नहीं था। समय बीतता जा रहा था। शाम गहराती जा रही थी। स्कूटर भी खाली नहीं मिलते थे। जो खाली दीखते थे वे आने के मूड में नहीं होते थे। मेरे पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने पूछा, “कहा जाना है?”

“माडल टाउन ,’

“मुझे भी उधर ही चलना है। हम दोनों मिलकर कोई स्कूटर कर लेते है।”
आखिर एक मरदार जी तैयार हो गए। मैं स्कूटर में बैठी तो वह बूढ़ी भी बगल में
आकर बैठ गयी। उस बूढ़ी के लड़के ने उस बूढ़ी से कुछ खुसुर-पुसुर किया।

सरदार जी ने मुझसे पूछा—“यह औरत आपके साथ है ?”

“नही।”

सरदार जी ने बूढ़ी औरत से कहा—“आप उतरिए।”

“अरे, क्या हो गया ? ले चलिए न, बेचारी बूढ़ी औरत है। क्यों उतार रहे है ?”

“आप वप रहिए।” उमने मुझे डाटा।

बूढ़ी का लडका भी झगडने लगा—“ले क्यों नहीं जाते ?”

“मैं नहीं ले जाऊंगा, आप उतरिये। नहीं पुलिस को बुलाऊंगा।” वह औरत
उतर गयी। मैं भी उतरने लगी तो सरदार ने मेरा हाथ पकड़कर डपटकर कहा—“तुम
बैठो।” उसकी आंखों में आग झर रही थी। देखकर मैं कांप गयी। उसने बहुत तेजी
में स्कूटर हांका। मैं तो बुरी तरह डर गयी। बैठी-बैठी कांपने लगी। घड़कन बुरी तरह
तड गयी। सरदार एकदम तेजी से स्कूटर भगाना हुआ जा रहा था। बीच में कोई
पुलिसवाला मिलता था तो दो-तीन सेकंड के लिए स्कूटर रोककर उसमें कुछ कहना था,
फिर भगा ले चलता था। बदहवासी में मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कहा जा रही हूँ ?

“हा, यहन जी, अब रास्ता बताइए, किधर चलना है ?”

मैंने चौंककर देखा माडल टाउन आ गया था। थोड़ी जान में जान आयी।

घर के मामले जब स्कूटर में उतरी तो सरदार जी बोले—“माफ करना
वहन जी, मैं आपके साथ कुछ बेअदबी की है, नो। आप मेरी छोटी बहन है। आज
आप उस बूढ़ी औरत के फदे में फस गयी होती, व टग थे। रास्ते में उनका गैंग हांगा।
वे उमी बूढ़ी को उतारने के बहाने आपको भी लूटते आं मुझे भी। अब आप कान
पकड़िए कि किमी अनजान आदमी के साथ स्कूटर या टैक्सी में नहीं बैठेगी।”

वही सरदार जो मुझे डरावना लग रहा था, फारिषता लगने लगा। उसने पैसे
भी नहीं लिये। मेरे बार-बार के आग्रह के बावजूद उमने पैसे नहीं लिए। बोला—
“छोटी बहन से पैसे कैसे लेना ?”

“चलो, अंत भला सो भला। अब प्रकृतिस्थ हो जाओ।”

मुझे दिल्ली आये साल-भर हो गया था। अगस्त में स्मिता का जन्म हुआ।

सितम्बर का महीना आ गया। भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया।
अभी लोग चीनी आक्रमण के हादसे से उबरे नहीं थे कि यह पाकिस्तान का आक्रमण !

पता नहीं पाकिस्तान ने भारत को क्या समझा कि युद्ध घोषित कर दिया। शायद उसे चीनी हमले के समय भारत की सैन्य शक्ति की कमजोरी का पता चल गया था और उसे अमेरिका से अभेद्य समझे जाने वाले पैटन टेक मिल जाने के कारण अपनी शक्ति पर ज्यादा विश्वास हो गया था। किन्तु उसे पता नहीं था कि चीनी हमले के समय भारत की पराजय भारत की पराजय नहीं थी, मंत्री के विश्वास की पराजय थी और विश्वास-भंग के बाद शांति के कबूतरों के स्थान पर या उनके साथ-साथ शक्ति की फमल उगायी जाने लगी। नेहरू जी के लाल गुलाब में बसी सौन्दर्य की सुगंध के स्थान पर लालबहादुर शास्त्री के किसानों और जवानों के पसीने की शक्ति की महक झर रही थी। लालबहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किमान' का नारा दिया और उन्होंने समूचे देश की बुनियादी शक्तियों को सघटित कर उन्हें ठोस बना दिया। इसलिए पाकिस्तानी हमले के समय देश काफी बदन चुका था। इसका अहसास पाकिस्तान को नहीं था। रहा होता तो हमला करने की जुर्रत न करता।

बहरहाल हमला कर ही दिया ता युद्ध छिड़ गया। जाहिर है शत्रुओं के हमले का सबसे बड़ा निशाना राजधानी होती है। राजधानी में भी वे जगहे जो सुरक्षा की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विजय किसी की हो, युद्ध की प्रक्रिया में दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं। माडल टाउन के पाम रेडियों ट्रांसमीटर के ऊँचे-ऊँचे खम्भे लगे हुए हैं जिन पर लाल-लाल रोशनिया चमकती रहती है। इसे लेकर हम लोगों को अतिरिक्त भय था। दूसरी बात यह थी कि माडल टाउन के पीछे दूर तक सुनसान था। ऊँची-ऊँची घास थी, ताल का ऊँचा-नीचा स्तर था, फिर बाग था, फिर खेत थे। यह डर भी था कि पाकिस्तानी जासूस आसानी में इस सुनसान में छतरी से उतर सकते हैं, छिप सकते हैं, विचार सकते हैं और मौका देखकर कहीं भी बम डाल सकते हैं। रह-रहकर अफवाहें भी आ रही थी—यहाँ ऐसा जासूस पकड़ा गया, वहाँ वैसा जासूस पकड़ा गया, वहाँ बम गिराया गया है, वहाँ गोली चल गयी, वहाँ आग लग गयी। इन अफवाहों में दहशत और बढ़ जाती थी।

ब्लैक आउट चल रहा था। रातों को मारी रोशनिया गुल हो जाती थी। रेडियों से घोषणा होती थी कि लोग रात को अपने घरों की रोशनिया बाहर न आने दें। खिडकियों पर प्रकाश-अवरोधक कागज चिपका दें। अच्छा हो, रोशनी न जलाए। मोहल्ले के लोग घूम-घूमकर निगरानी करते थे कि कहीं रोशनी बाहर तो नहीं आ रही है। यदि कहीं आती दीखती तो हल्ला करते—“रोशनी बन्द करो।” कहीं-कहीं झगडा भी हो जाता।

मोहल्ले के कई-कई लोग बारी-बारी से रातों को पहरा देते। एक दिन मेरी भी बारी आयी। निकल पडा। सितम्बर की अँधेरी रात में निकलने का अवसर मिला था। शहर में तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की रात का अन्तर मिट-सा ही गया है। देहात में कृष्ण पक्ष की सुनसान काली रात से भी बरसात की रात की झनझनाहट का अनुभव मेरे लिए विस्मृत-सा हो गया था। वह अनुभव फिर ताजा हो आया था। प्रकाशविहीन रात के सन्नाटे में हम सात-आठ व्यक्ति लाठी लिए घूम रहे थे, श्रीगुरों की झन्नाहट

रात को और भयावह बना रही थी और सबसे अधिक भयावह बना रही थी इस रात में कहीं भी कुछ घटित हो जाने की आशंका। हम लाठी पीटते पहरा दे रहे थे। घूम-घामकर खुले पार्क में बैठ जाते थे, गपशप करने लगते थे, इस बीच कहीं से कोई आवाज आती तो चौंक जाते, उठ खड़े होते, लगता कि सुनसान क्षेत्र में किसी पाकिस्तानी जासूस ने कुछ तोड़-फोड़ की है। हम वीरों की तरह छाती फुलाये हुए लाठी ठकठकाते हुए सावधान हो जाते किन्तु सच बात तो यह कि भीतर-भीतर दहल जाते। एक-दूसरे को जाग्रत् करते हुए भीतर-भीतर भयभीत रहते।

रोज सायरन बजता था। सायरन खतरे का सूचक था। सायरन बजते ही लोग अपने-अपने घरों की गैलरियों में दुबक जाते। सांस टंग जाती। जैसे ही खतरा टलने की सूचना देने वाला सायरन बजता सांस नीचे आ जाती और प्रकृतिस्थ होकर अपने-अपने कमरों में पहुंच जाते। हम पहरा दे रहे थे कि सायरन बज उठा।

शास्त्री जी का दिया हुआ 'जय जवान जय किसान' का नारा वातावरण में व्याप्त हो रहा था और देश में नयी स्फूर्ति भर रहा था। देश की अपनी जमीन से उगने वाले छोटे शरीर के इस नेता का कद कितना बड़ा है यह देश ने उसके छोटे से प्रशासन काल में और इस सकट की घड़ी में पहचान लिया था। इस देश की शक्ति है किसान, इमें किसान-संस्कार का नेता ही अनुभव कर सकता है और वह यह भी जानता है कि सेना में भरती होने वाले ये सिपाही (जवान) किसानों के घरों से ही आते हैं। एक ही परिवार देश के लिए दो मोर्चों पर लड़ता है—एक खेती के मोर्चे पर, एक सीमा के मोर्चे पर। देश का यह सामान्य आदमी ही देश की ताकत है—समाज, सेना और अन्यान्य क्षेत्रों में ऊंचाई पर टंगे हुए बड़े-बड़े लोग नहीं। वे तो सामान्य जन के श्रम के उपभोक्ता हैं। इस सामान्य जन की अपनी देशी भाषा है—उसके खून-पसीने, सुख-दुःख, स्वप्नों और आशंकाओं से मनी अपनी भाषा। वह भाषा उनकी अस्मिता है, उनकी ताकत है, उनका अतीत है—वर्तमान है, भविष्य है। लेकिन परोपजाती वर्ग इस वर्ग के श्रम का उपभोग करते हुए उनकी भाषा का अपमान करता है। जमान से न सटने वाली अंगरेजी भाषा को मूल्यवान समझता है। यह अपमान उपभोग करने के लिए ही करता है। जिस दिन इस भाषा को सम्मान मिल जायेगा उसी दिन इस परोपजाती वर्ग का ठाट दह जायेगा और अंगरेजी में आरोपित मूल्यवत्ता का अता-पता नहीं चलेगा। शास्त्री जी के आने से आशा बंधी थी कि 'जय जवान जय किसान' के साथ-साथ आज नहीं तो कल उसकी अपनी भाषा की भी जय बोली जायेगी। यानी जयहोगी। शास्त्री जी की आम आदमी की इस पकड़ ने देश के वातावरण में शक्ति का संचार कर दिया।

चीनी हमले ने देश की जनता को एकता के भाव से स्पंदित कर दिया था। यद्यपि उस समय उत्साहित होने के लिए हमारे पास ठोस कुछ नहीं था। सीमा पर क्या हो रहा है, हमारी सैनिक शक्ति कितनी है इसका सही भान आम जनता को नहीं था। जब नेहरू जी ने आवेश में कहा था कि सीमा पर चीनी सैनिक चढ़ आये हैं, मैंने अपनी सेना से कहा है कि उन्हें मार भगायें तो जनता को ठीक पता नहीं था कि हमारे

सैनिक उन्हें भगाने में सक्षम हैं कि नहीं। लोगों में एक वायवीय जोश था। जब यशवंतराव चव्हाण रक्षामंत्री बनाकर बुलाये गये तब लोगो को लगा कि बहुत बड़ी बात हो गयी। चव्हाण कोई करिष्मा कर देंगे। हमारे कवियों ने कवितायें लिखीं जिनमें पृथ्वीराज चौहान की वीर-परम्परा में इस चव्हाण को देखा गया। दिनकर ने भूषण के अंदाज में एक कविता लिखी जिमकी आखिरी पंक्ति शायद थी 'त्यो मलेच्छ चीन पर वीर चव्हाण है ।'

देशवासियों में अपूर्व जागरण था। लोग अपने राजनीतिक भेदभाव भुलाकर देश के लिए एकजुट कार्य करने लगे। किन्तु उनका वायवीय जोश शीघ्र ही टूटने लगा। अपने सैनिकों की मौतें (जिन्हें क्रुबानी नाम दिया गया) और असफलतायें सामने आने लगीं। हमारे सैनिक मारे गये, खे गये, बंदी बनाये गये। पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बातचीत में बड़ी पीडा में कहा कि काश, हमारी सेना ने नमूने के ही तौर पर किमी चीनी सैनिक को बंदी बनाया होता। नेहरू जी भी बहुत टूटे, देश का मनोबल टूटा। हां, चीन-समर्थक हमारे एक राजनीतिक दल को कष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी दृष्टि में चीन हमलावर ही ही नहीं सकता। उनके लिए वह फरिश्ता देश है। जो कुछ खोट है अपने ही देश में है।

लेकिन इस पराजय ने देश को जगा दिया और ढाई-तीन वर्षों में ही देश की शक्ति संघटित हो गयी। हमारा देश कमजोर तो है नहीं, चीन ने तो दोस्ती के नाम पर उसकी पीठ में छुरा मारा था। विश्वामघान का छुरा खाकर देश मचेत हो गया और ठोस सैन्य शक्ति में सम्पन्न हो गया। उसकी शांति-कामना, पचशील के मिद्वान्त गुलाब, कबूतर आदि ज्यों के त्यो रहे किन्तु अब ये इवाई नहीं रहे, ठोस शक्ति में संवर्धित हो गये। पाकिस्तानी हमले के समय भी देश में अद्भुत जागृति थी और मारे राजनीतिक दल भेदभाव भुलाकर एक हो गये थे और जनता विभिन्न मोर्चों पर मुस्तैदी से लड़ रही थी किन्तु इस बार सबको विश्वास था कि हमारी सुरक्षा-शक्ति ठोस है, मुदढ़ है। इस विश्वास से उनकी चेतना में एक चमक आ गयी थी।

किन्तु व्यापारियों का वर्ग ऐसा है जो किसी भी अवसर को भुनाये बिना नहीं छोड़ता। बड़े-बड़े देशों और समाजों को निगल लेने वाले बड़े व्यापारियों की माया तो अबूझ होती है। उसे समझना मेरे बूने की बात नहीं किन्तु छोटे-छोटे व्यापारियों से अपना काम पडता रहना है। इसलिए उनकी छोटी-छोटी अमानवीय लीलाये अनुभव में उतरती रहती हैं। मिट्टी का तेल, चीनी, पावरोटी आदि न जाने कितनी छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन की गहरी जरूरतें हैं। ये व्यापारी इन्हे जमा करके चोर-बाजारी करने की कोशिश में जुट जाते हैं। इन दिनों भी जुट गये थे। कितनी वितृष्णा होती है इस वर्ग की इन हरकतों में। एक ओर तमाम लोग देश की सुरक्षा के लिए बाहरी-भीतरी मोर्चों पर डटे हुए, त्याग की भावभूमि पर उतरे हुए हैं, दूसरी ओर यह वर्ग देश की विपत्ति को भुनाने में रस ले रहा है।

कहा जा चुका है कि अफवाहों का बाजार गर्म था। बार-बार रेडियो पर ऐलान होता था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ये अफवाहे हमें उत्तेजित भी करती थी,

आशंकित भी। कभी-कभी साम्प्रदायिक जोश भी उभारती थीं क्योंकि ये अफवाहें कुछ मुमलमानों को पाकिस्तानी समर्थक बताकर कुछ घटनाएं उछाल देती थी। इस समय दाढ़ी रखना भी खतरनाक हो गया था। बसो में आते-जाते लोग ऐसे लोगों को पाकिस्तानी जासूस समझ लेते थे।

युद्ध के समाचार लगातार आ रहे थे। पाकिस्तानी पैटन टेक हीआ बना हुआ था। एक दिन एक समाचार ने पूरे देश को उल्लगित कर दिया। मालूम पड़ा कि एक मिपाही हमीद ने पैटन टेक का भेदन कर दिया। लेकिन इस उल्लाममय समाचार के साथ-साथ यह दर्दनाक खबर भी आयी कि हमीद गहीद हो गया। शास्त्री जी ने जय जवान कहकर मिपाही की जिम शक्ति का सम्मान किया था, हमीद वह शक्ति साबित हुआ। उस मिपाही ने अमर्य पैटन टेक का नहीं, पूरे भारत के भय का भेदन कर दिया, पाकिस्तानी शक्ति का भ्रम तोड़ दिया और जब ज्ञान हो गया कि पैटन टेक भेद्य है तब तो भागीप सेनिकों के लिए वह खिलौना हा गया। पटापट टूटने लगा और पाकिस्तान की आशान्ति शक्ति छिटाकर रह गयी।

उन्ही दिना फिर गुजरात विश्वविद्यालय में आमत्रण आया पाठ्यपुस्तक-समिति की बैठक का। अहमदाबाद जाने का बहुत मन तो रहा था किन्तु प्रिमिपल चोपडा वहा जाने नहीं सके थे। मैने २० नगेन्द्र से कहा। डाक्टर साहब ने प्रिमिपल चोपडा का फोन पर कहा —“उन्हें जान गया नहीं दते? आपके कानज में नियुक्त कर दिया है तो क्या रिगमित किया दिया है। आपको गौरव का अनुभव करना चाहिए कि आपके काज के लोग उन तरह की गमितियो के मदम्य है।”

प्रिमिपल चोपडा नगेन्द्र जो का क्या प्रियाद रत? इतना ही कहा—“नहीं डाक्टर साहब और नहीं बात नहीं, काम का हज होना है।”

यह भी काम का ही एक हिस्सा है। यदि लोग मर्यादा नहीं करेगे तो विश्व-विद्यालयों का काम कैसे चलेगा?”

डाक्टर साहब शाम का मरी जा आये ता इस बातचीत की सूचना दी और कहा कि अब वे मना नहीं करेगे किन्तु एक बार पूछ लेना।

अब कौन पछता है। मैने आफिस में आवेदनपत्र फेंका और चत पडा अहमदाबाद की ओर। अहमदाबाद में 10 बजे रात को छूटी है। बलैक आउट के दिन थे। स्टेशन पर भीतर की ओर बहुत मद-मंद रोशनी थी। मैने टार्च ले रखा था। किसी तरह अपनी बर्थ खोज-खाजकर उस पर अपने को जमाया।

यह अद्भुत अनुभव था। बाहर अंधेरे का मैलाब, गाडी के भीतर प्रकाश गुम और गाडी चली जा रही है जैसे अंधेरे के सागर में अंधेरे का एक द्वीप भागा जा रहा हो। स्टेशनों पर भी भीतर भीतर हलका-हलका कामचलाऊ प्रकाश था। वैसे तो गाडी को बनी-बनाई लाइन पर चलना होता है, बिना प्रकाश के भी यानी आख मूदकर चल सकती है किन्तु कही किसी ने लाइन उखाड़ दी हो तो? कही और व्यवधान आ गया हो तो? यह डर बार-बार बेचैन कर देता था किन्तु कुछ देर बाद सो गया। सोने में क्या अंधकार, क्या प्रकाश?

रात बीती, दिन बीता, शाम हुई। अहमदाबाद नजदीक आने लगा लेकिन वहां पहुंचते-पहुंचते तो बज गये थे यानी फिर अंधकार गहरा गया था। मैं उतरा। एक स्कूटर पकड़ा। स्कूटर वालों ने अपने प्रकाश को हरे-हरे कागजों से बांध रखा था। काम-चलाऊ प्रकाश तो ही किन्तु उसकी चमक ऊपर दिखाई न पड़े। सड़को पर चलते हुए स्कूटर, टैक्सियां, कारें आदि अंधकार में जुगनू की तरह लग रहे थे और लगता था कि सड़कें जुगनुओ से भरी हुई हैं।

गुजरात विद्यापीठ में रघुवीर चौधरी रहते थे। उन्हीं के यहा ठहरना था। विद्यापीठ के गेट पर ही अनेक छात्र लाठी लिए पहरा दे रहे थे। मुझे देखते ही लपके, कौन हैं आप ? कौन हैं आप ? मैंने अपना परिचय दिया और गंतव्य बताया तो उनमें से एक छात्र मुझे साथ लेकर रघुवीर चौधरी के मकान के नीचे तक छोड़ आया। अंधेरे में सीढ़ियां टटोलता ऊपर पहुंचा, रघुवीर के कमरे पर दस्तक दी।

“कौन ?” आवाज आयी।

“खोलिये।” शायद उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली और लपककर कमरा खोल दिया।

“आप सर ! आइये-आइये। बहुत अच्छा लगा, इस अंधेरे में आप आये।”

उन्होंने अपने कमरे के आगे खुली अगासी में बिस्तर लगा रखा था। वही बैठा। उन्होंने कहा—“न्यूज सुनते है।” और ज्यों ही रेडियो खोला, समाचार की पहली पंक्ति सुनाई पड़ी—गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंतराय मेहता का विमान पाकिस्तानी विमानों ने मार गिराया।

“हे ईश्वर, यह क्या हुआ ?” हम दोनों के मुह से फूटा। समाचार ने विस्तार से बताया कि बलवंतराय मेहता पर्यवेक्षण के लिए गये थे। हालांकि उनका जहाज नागरिक था और अपनी सीमा में था किन्तु पाकिस्तानियों ने उसका पीछा किया, उस पर प्रहार किये। विमान चालक ने बचाने की कोशिश में काफी पैतरे बदले किन्तु पाकिस्तानी प्रहार की पकड़ में आ ही गया।

यह बहुत बबरं कार्य था। अलड़ाकू विमान को मार गिराना कायरता की निशानी है। लोग क्षुब्ध थे, दुखी थे। बलवंतराय मेहता बहुत प्रिय और योग्य मुख्यमंत्री थे। उनके मरने और इस तरह से मरने के समाचार से गुजरात और पूरा देश हिल गया था और लग रहा था कि भारतीय सेना प्रतिशोध में कुछ करेगी। अगले दो-तीन दिनों में ज्ञात हो गया कि वायुसेना के बहादुरों ने पाकिस्तान के कई सैनिक ठिकानों की अच्छी खोज-खबर ली है।

हिन्दी पाठ्यक्रम-समिति की बैठक तो अब कहां होनी थी ? पूरे राज्य में कई दिन का शोक मनाया गया। मैं दो-तीन दिन रहा। उमाशंकर जी से मिला। अब वे गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति हो गये थे। वे चाहे कुछ भी हो जायें, कवि ही रहेंगे। मैं कवि उमाशंकर से ही मिला। सेंट जेबियर्स कालेज गया, पुराने सहकर्मियों से मिला। नगर के अपने शिष्यों और मित्रों से मिला। बहुत स्फूर्ति और ताजगी मिली। लौटा तो एक गहरी तृप्ति का अनुभव कर रहा था।

युद्ध में अपने देश की कामना का भाव स्वाभाविक है और यह भी स्वाभाविक है कि अपने देश के पक्ष को सही समझा जाए किन्तु आज का समझदार और संवेदनशील नागरिक युद्ध के प्रसंग को इतने सरल रूप में नहीं स्वीकार पाता। देशों की राजनीति इतनी जटिल हो गयी है कि कौन देश सही है, कौन गलत, इसका सही निर्णय सरल नहीं होता। देशों के राजनेता जब आंतरिक समस्याओं को नहीं मुलझा पाते या अपनी अप्रक्रियाओं से बदनाम होने लगते हैं और विरोधी दलों तथा जनता से परेशान हो जाते हैं तो सबका ध्यान बंटाने के लिए बाहरी आक्रमण का भय दिखाते हैं और एक दिन टकरा जाते हैं। विरोधी दल इस बात को समझते हैं किन्तु देश के साथ हो लेने की विवशता से वे विरोध नहीं कर पाते। यह ऐसा उन्माद का क्षण होता है कि कोई भी अपने देश की हरकतों का विरोध नहीं कर पाता। विरोध करके जनता में बदनाम होता है, राष्ट्र-विरोधी होने का लांछन सहता है। अतः समझदार लोग युद्ध की मानवीय विभीषिका का अनुभव करते हुए भी राष्ट्रवादी होने की नियति झेलते हैं। एक कवि होते हैं जो चारणों की परम्परा के होते हैं, जो स्थितियों को समझे बगैर हर अवसर पर सस्ते सपाट स्वर में घटिया राष्ट्रवादी कविताएँ लिखते हैं, मंचों पर गाते हैं और पैसा पाते हैं। इनमें किसी भी अवसर पर किमी के पक्ष में पैसा देकर गवा लीजिए। ये शब्द-व्यापारी हैं, शब्दों का आचरण नहीं करते, उन्हें भुनाते हैं। युद्ध के समय ऐसे कवि कुत्तों की तरह गली-गली भूंकते नजर आते हैं लेकिन कविता के लिए खतरे नहीं उठाते। इस प्रसंग में दो घटनाएं याद आ रही हैं। पहली घटना कुछ पहले की है। कुछ वीर रस के कवि ग्वालियर में आयोजित एक वीर रस कवि-सम्मेलन में भाग लेने बम द्वारा जा रहे थे। रास्ते में डाकू मानसिंह के गिरोह ने उस बस को घेर लिया। शेष जनता तो जो थी वह थी लेकिन कवि लोग अपनी-अपनी धोतियां या पेंट गीली करते हुए घिघिया रहे थे—“अरे भाई हम तो कवि हैं। ग्वालियर जा रहे हैं कवि-सम्मेलन में भाग लेने के लिए।” मानसिंह टहलता हुआ उधर आया और अपने आदमियों से पूछा—“क्या बात है ?”

“सरदार, ये सब कह रहे हैं कि ये कवि हैं।” मानसिंह ने बड़ी हिकारत से कहा—“अरे छोड़ो-छोड़ो, इन मच्छरों को कहां पकड़ लिया।” और उन्हें भगा दिया और वे राष्ट्रीय चेतना के वीर रस के कवि भाग खड़े हुए, बिना इस बात की चिंता किये हुए कि शेष लोगों का क्या होगा ?

दूसरी घटना है पाकिस्तानी आक्रमण के समय की। वीर रस का कवि-सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें लालबहादुर शास्त्री को भी बुलाया गया। उन्होंने कवियों से हमकर कहा—“आप वीर रस के कवि हैं तो यहां क्या कर रहे हैं ? सीमा पर जाकर अपने सिपाहियों में जोश भरिये।” उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी थी। जैसे उन्होंने इन भांड जैसे वीर रस के कवियों की चुटकी ली हो—हिम्मत हो तो वहां जाओ जहां जवान बिना तुम्हारी कविता के जोश में भरकर देश के लिए कुरबान हो रहे हैं। वे आचरण कर रहे हैं और तुम शब्दों की मड़ती कर रहे हो।

मच्छे कवि के लिए युद्ध एक सार्वभौम समस्या है। उसकी यातना किसी देश की नहीं मानव-मात्र की यातना है। वह जानता है कि किसी देश का आम आदमी दूसरे देश के आम आदमी से लड़ना नहीं चाहता, वह शांत रहकर अपनी रोजी-रोटी कमाना चाहता है, संस्कृति और कला का विकास करना चाहता है। अपनी असफलताओं से ग्रस्त और महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित नेता लोग आम आदमी को युद्ध में लिप्त होने के लिए अभिशप्त करते हैं। आदमी उहा मरना हो या वहा, उसकी बीबी विधवा होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, बुजुर्ग मा-बाप निराश्रित हो जाते हैं। हर जगह आदमी के शरीर में खून ही बहता है, जिसका रंग लाल होना है। हर जगह कला, संस्कृति और मानव-मूल्य टूट-टुकड़े होकर छितरा जाते हैं। मच्छे ग्राहित्यकार की चिंता देश के साथ-साथ अखिल मानवता की होनी है। उसकी संवेदना में मनुष्य मात्र का दर्द वजना है इसलिए जब युद्ध होने है तो वह मस्ती ललकारे नहीं उछालता, चुप होकर अपने नागरिक-कार्य करता है और एक बड़े त्रामद अनुभव से गुजरकर युद्ध के बुनियादी प्रश्न पर विचार करता है। युद्ध और शांति की पारम्परिक टकरावों के जटिल यथार्थ को उभारता हुआ शांति के पक्ष में मनुष्य को प्रेरित करना है। हिन्दी में 'कुरुक्षेत्र', 'अधायुग', 'उन्मुक्त' और न जान कितने छोटे-बड़े मार्थक प्रयत्न हुए हैं किन्तु ये उन्नेजनाओं के रूप में तत्काल नहीं होते। इनके लिए लेखक न जाने अनुभव और चिन्तन की कितनी गहरी पतों में गुजरता है।

बहरहाल इसे मेरी समझदारी कहिए या राष्ट्रमोह, यह बात आसानी में कह सकता हूँ कि भारत हमलावर दश नहीं है। सभी जानते हैं कि भारत ने चीन पर नहीं, चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया और अब जग का ऐलान भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने किया।

हम जैसे लोगों की स्थिति विचित्र होती है। दुविधाग्रस्त हाती है। इस या उस देश के तमाम लोग निर्द्वन्द्व भाव में अपने देश की चिन्ता करते हैं और उन्हें मनुष्य के मरने की चिन्ता नहीं होती है, केवल अपने देश के सिपाहियों के मरने की चिन्ता हाती है। दूसरे देश का ममूचा नाश हो जाये तो उनकी खुशी की पराकाष्ठा नहीं होनी। किन्तु मानवीय संवेदना और सोच वाले एक ओर अपने दश की चिन्ता करते हैं, दूसरी ओर समग्र मनुष्यता की। वे चाहते हैं युद्ध बंद हो। दोनों देशों में शांति और भाईचारापन स्थापित हो।

लालबहादुर शास्त्री नेता थे किन्तु उनकी मोच मनुष्य की थी। वे युद्ध नहीं चाहते थे। वे अभी-अभी तो प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अभी देश के लिए बहुत कुछ रचनात्मक कार्य करने थे और अभी तो वे जनता में लगातार उठ रहे थे अपनी असफलता छिपाकर जनता को युद्ध की ओर धकेलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इस नये छोटे कद के नेता की शक्ति का अवमूल्यन कर पाकिस्तान ने भारत में टकराने का यह सही अवसर समझा। सच बात तो यह है कि शुरू-शुरू में अपने दश ने भी शास्त्री जी की शक्ति का अवमूल्यन किया था। नेहरू जैसे विराट् स्तम्भ के बाद लालबहादुर जैसे सामान्य व कित का प्रधानमंत्री बनना लोगों को विचित्र लगा। लोग सजाक करते थे, यह लक्षु मानव क्या

करेगा? किन्तु शास्त्री जी ने शीघ्र ही लोगों की यह उपहासास्पद और संदेहास्पद मुद्रा अपने प्रति गहरे विश्वास में बदल दी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे व्यक्ति के रूप में नेहरू जैसे विगट तो नहीं है किन्तु नेहरूसे बड़ी इस देश की वह मिट्टी है जहां से अनंत सामान्य जनसमुदाय अन्न, पानी, संस्कृति, सभ्यता और शक्ति का रस ग्रहण कर रहा है। शास्त्री जी देश की उमी मिट्टी के प्रतिनिधि थे। उमी मिट्टी से बने लालबहादुर ने उस मिट्टी की शक्ति को पहचाना और उसके सपूतों किसान और जवान की जय बोली।

पाकिस्तान को शीघ्र ही बोध हो गया कि यह एक बित्ते का आदमी बहुत कटावर है। उममे उलझकर उमने गननी की है। शास्त्री जी इस मिट्टी का प्रतिनिधि होने के कारण और स्वयं की मानवीय मोच के कारण युद्ध नहीं चाहते थे बल्कि शांति चाहते थे। उन्हें इस देश के लिए बहुत कुछ करना था किन्तु जब युद्ध लाद दिया गया तो यह छोटा-सा व्यक्ति अपनी और देश की पूरी ऊर्जा के साथ तनकर खड़ा हो गया। शांति काय करना में स्थापित नहीं होती। इसलिए शांतिकामी शास्त्री जी ने युद्ध का जवाब शांति-पाठ गनही, ऊर्जा म दिया और ऊर्जा से जवाब देने हुए भी शांति की कामना करते रहे। आखिर कुछ दशों के प्रयत्नों के कारण युद्धविराम लागू हुआ और ताशकंद में अयूब खा और शास्त्री जी को मिलाया गया। पाकिस्तान काफी इलाका खो चुका था, संघ में उमे वापस किया गया। यह सब चल रहा था और लोग युद्ध में मुक्ति पाकर राहत की मांस ले रहे थे। सबेरे उठा ही था कि मकान मालिक जय भगवान गोयल ने रेडियो सुनकर कहा— 'डाक्टर साहब, शास्त्री जी का निधन हो गया।'

'क्या यह रहे है आप?' मैं चौका।

'हां, ठीक कह रहा हूँ। अभी-अभी रेडियो से खबर आयी है।'

'हे गम, यह क्या हुआ?' कहते हुए मैं भरभराकर रो पड़ा। लगा जैसे सारा अन्तरतम पघलकर बाहर फूट पड़ना चाहता है। रह-रहकर भीतर से हूल उठ रही थी—यह क्या हुआ?

देखने-देखते वातावरण इमी मनाधार और नज्जन्य दुःख से भर गया। लोग वास्तव में जाहत थे, दर्द में छटपटा रहे थे। इस छोटे कद के बड़े आदमी के प्रति श्रद्धा से नत थे। शास्त्री जी को एकाएक क्या हो गया? लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी महज मृत्यु हुई है। उन पर कोई गहरा दबाव पड़ा है। ममझीते में उन्हें दबाववश काफी कुछ छोड़ना पड़ा है। कुछ भी हो, शास्त्री जी मरे नहीं, मरने के लिए विवश किये गये हैं।

'सो मुहू सौ बातें' लेकिन ये बातें चटखारे वाली गपशप की बातें नहीं थीं बल्कि इस प्रिय नेता के प्रति गहरी चिंता और वेदना से उपजी थीं। इस नेता ने शांति के लिए अपना बलिदान कर दिया। देश को शांति मिलनी इतनी बड़ी कीमत चुकाकर।

हां, बहुत बड़ी कीमत चुकायी देश ने। बाद में आज तक लोग कहते हैं कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में रहे होते तो देश कुछ और बन गया होता। तब यह देश बड़े घरानों का न होकर जनसामान्य का होता। इस देश की मिट्टी को सम्मान मिला

होता। लेकिन इस देश के भाग्य में बड़े घरानों का दास होना लिखा है तो शास्त्री जी भला क्यों जीते ?

शास्त्री जी का शव देश लाया गया। उनकी शवयात्रा में मैं भी गया पूरे परिवार के साथ। यहां तक कि तीन-चार महीने की स्मिता भी मां की गोद में गयी। शव-दाह के स्थान का भूगोल ठीकठाक नहीं मालूम था। अतः हम लोग राजघाट पहुंच गये। वहां से सरकते-सरकते शवदाह के स्थान की ओर चलने लगे। सड़क के बीच में तो केवल नेता लोग चल रहे थे, जनता फुटपाथ पर चल रही थी। अपार भीड़ थी। उम भीड़ में राजघाट से लेकर शवदाह स्थल तक की अच्छी-खासी दूरी आसानी से कट गयी। अनेक देशों के बरिष्ठ राजनयिक आये थे। पुलिस यहां से वहां तक उतरायी हुई थी जो जनता की देख-रेख कम, उत्तेजित ज्यादा करती थी। वास्तव में वह तो फुटपाथ पर चल रही जनता और मड़क के बीच में चल रहे नेताओं के बीच दूरी बनाये रखने का काम मुस्तैदी से कर रही थी। इस काम को खूबसूरत अंजाम देने के लिए कभी-कभी जनता को डंडों का प्रसाद भी खिलाती थी।

शवदाह की क्रिया सम्पन्न होते ही भीड़ लौटने के लिए उमड़ी। उस रेले में हम बुरी तरह फंस गये। साथ में बच्चे थे, बूढ़ी सास थी और पत्नी की गोद में तीन मास की स्मिता थी। मैं किस-किसकी रक्षा करता। रेला उमड़ा तो हम लोग सड़क के किनारे की ओर ठिले और किनारे पर लम्बी-चौड़ी खाई में गिरते-गिरते बचे। मैंने स्मिता को बांह में लेकर भीड़ से ऊपर उठा दिया और किसी तरह सबको निकालकर बाहर ले आया। पछना रहा था, क्यों सबको लेकर आया। भीड़ में बचकर निकले तो सवारी की समस्या आयी। लालकिले आये। वहां की भयानक स्थिति देखकर फौआरे आये। वहां से निराश हुए तो स्टेशन आये। संयोग से एक प्राइवेट बस आजादपुर की ओर जा रही थी, उसमें बैठकर चैन की सांभ ली।

साहित्यिक गोष्ठियों और सभाओं की गहमागहमी वातावरण से व्याप्त थी। घरों पर तो छोटी-छोटी अनौपचारिक गोष्ठियां होती ही रहती थीं, अनेक संस्थाओं की ओर से भी आयोजन होते रहते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेजों के हिन्दी-विभागों में कई-कई दिवसीय संगोष्ठियां होती थीं। 1965 में अनुसंधान परिषद् की ओर से द्विदिवसीय आलोचना-गोष्ठी हुई। उसमें मैंने भी पर्चा पढा। विभागीय संगोष्ठियों में विभाग के लोगों के अतिरिक्त नगर के तमाम प्रतिष्ठित साहित्यकार आते थे। उन दिनों विभाग की ओर से आयोजित लगभग सभी गोष्ठियों में डा० नगेन्द्र के कारण मुझे भाग लेना पड़ता था। हिन्दी साहित्य सभा की ओर से डा० ओम्प्रकाश ने एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी

की थी, जिसमें कविता गीत, कहानी आदि पर अलग-अलग गोष्ठीयां हुई थीं। उन्हीं दिनों डा० नगेन्द्र ने 'संज्ञा' नामक एक गोष्ठी की स्थापना की थी जिसमें गिने-चुने लोग ही बुलाये जाते थे। गिने-चुने लोगों में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था। पहली गोष्ठी में नामवर जी ने लेख पढ़ा था और देवीशंकर अवस्थी ने उनके विचारों का जमकर प्रतिवाद किया था और उसमें ईमानदारी का अभाव देखा था।

संगोष्ठियों के क्रम मुझे याद नहीं हैं। आज समय की इतनी दूरी पर बैठा हुआ तत्कालीन वातावरण में व्याप्त उनकी अनुगूँज अनुभव कर रहा हूँ और बिना किसी क्रम के उनकी प्राणमत्ता की चर्चा कर रहा हूँ।

उन्ही दिनों हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से एक संगोष्ठी हुई। स्थल याद नहीं पड़ रहा है। उन दिनों यह विशेषता थी कि संगोष्ठीयां प्राणवान होती थी और मारे साहित्यकार बहुत उष्मा के साथ भाग लेते थे। याद है इस संगोष्ठी में नयी पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के तमाम लोग उपस्थित थे। हम लोग सभा शुरू होने से पहले ही पहुँच गये थे। जाड़े की धूप में लॉन में खड़े होकर बात कर रहे थे। मोहन राकेश के ठहाके लग रहे थे। कमलेश्वर अपनी फुरहरी छोड़ रहे थे। उन दिनों सचेतन आन्दोलन रहा था। इससे सबसे अधिक कमलेश्वर आहत थे। हम लोगो से थोड़ी दूर पर महीपसिंह नामवरसिंह से बात कर रहे थे। कमलेश्वर ने एक व्यंग्य किया। कमलेश्वर नामवर जी से भी रुष्ट थे क्योंकि नामवर जी नयी कहानी में इन लोगों को विशेष महत्त्व नहीं दे रहे थे। उनके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कहानीकार थे—निर्मल वर्मा। कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेन्द्र यादव ने निगड़ी बनाकर अपने को नयी कहानी का मसीहा सिद्ध कर लिया था। उनके हाथ से कहानी पत्रिकायें भी आती-जाती रहीं। अब इन स्वयंसिद्ध कहानी-मसीहाओं को नामवरसिंह वह महत्त्व नहीं दे रहे थे जो वे स्वयं अपने को दे रहे थे तो नाराज होना स्वाभाविक है। कमलेश्वर कहा करते थे कि शुरू के दिनों में हम लोग प्रयाग में नामवरसिंह को कमरे में बन्द करके अपने अनुकूल समीक्षाएं लिखवाया करते थे। नामवरसिंह ने समीक्षा के ईमान को खराब किया है।

किसने किसे खराब किया यह एक अलग बहस है बहुरहाल, इस धूप में खड़े-खड़े लोग साहित्यिक विनोद में डूबे थे। बुजुर्ग साहित्यकारों की मंडली दूसरी ओर खड़ी थी और वहाँ अच्छी-खासी गंभीरता छाई थी। तब तक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी आ गये। नये साहित्यकार शुरू में ही खड़े थे अतः पंडित जी उनके बीच से गुजरे। उनके आते ही नये लेखकों में उनके प्रति श्रद्धा और प्रीतिकर उल्लाम का भाव छा गया। मोहन राकेश सहित उन अनेक लेखकों ने उनके पांव छुए जो पुराने लेखकों के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए थे। द्विवेदी जी वहाँ से सरककर पुराने लेखकों के बीच गये। जाते ही उनका ठहाका फूटा और अन्य लेखक भी हंस पड़े। नये लेखकों के बीच से किसी ने टिप्पणी जड़ी—पंडित जी के जाते ही बूढ़ों में भी हंसी फूट पड़ी।

बहस संभवतः साहित्य के सौन्दर्यबोध पर थी। द्विवेदी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कालिदास के हवाले से सौन्दर्यबोध की जो नयी व्याख्या की वह अद्भुत थी। नये लेखक भी मंत्रमुग्ध थे और उन्हें भी अपनी सौन्दर्य-दृष्टि की नवता का अभिमान

खोखला लगने लगा। उनके व्याख्यान के बाद फिर कई नये लेखकों ने उनके पांव छूकर उनके ज्ञानदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

द्विवेदी जी दिल्ली में आते ही रहते थे और उन्हें बार-बार सुनने का अवसर मिलता था। उन्हें तो मैं जब एम०ए० कक्षा का छात्र था तब से सुनता आ रहा था, कक्षा में भी और कक्षा के बाहर भी। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि पंडित जी हमारे लिए बारीक पड़ गये हैं। मन् '65 के आमपाम की बात होगी—श्रीराम कालेज आफ कामर्स में आधुनिक बोध पर एक सगोष्ठी आयोजित की गयी थी। पंडित जी उमके अध्यक्ष थे। उन दिनों आधुनिक बोध या आधुनिकता बोध की बड़ी चर्चा थी। अकविता-अकहानी आंदोलन शुरू हो गया था। आधुनिकता मूल्य है या प्रक्रिया, इस पर बहस छिड़ी थी और कुछ शहरी किम्म के बुद्धिजीवी आधुनिकता को शहर के मध्यवर्ग और उच्चवर्ग में जोड़कर उनके सम्बन्धों की टूटन, अक्लेपन, मृत्युबोध, मत्त्रास आदि में आधुनिकता देख रहे थे। उन्होंने अपने व्यापक भारतीय परिवेश के समकालीन जीवन में उभरने वाली नयी सामाजिक चेतना, मूल्यबोध, जीवनदृष्टि आदि के बहुआयामी और गतिशील यथार्थ में आधुनिकता का न देखकर उसे कुछ पश्चिमी फारमूलों में बांधकर एक वाद बना दिया था अर्थात् उनके लिए आधुनिक बोध आधुनिकतावाद बन गया था। वे अपने परिवेश में उभरने वाले समझकर अस्तित्ववादी सूत्रों में समझने का प्रयत्न कर रहे थे। आधुनिकता उनके लिए परिवेशजन्य अनुभव न बनकर बहस करने के लिए मात्र पुस्तकीय ज्ञान बन गया था इसलिए उनकी बहसों और लखों में आधुनिकता का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता था वरन् उलझना ही जाता था। उनकी कहानियों और उपन्यासों के मात्र ठोस न होकर आधुनिकता की एक अहेतुकनीला करने दिखाई पड़ते थे। अकहानी-अकविता के लेखकों तो जो थे वे थे ही, नयी कविता और नयी कहानी के स्वस्थ लेखक भी इस दौर में आकर आधुनिकता के फारमूलों के शिकार हो रहे थे। राजेन्द्र यादव तो शुरू से ही आधुनिकता की यात्रिक पकड़ में थे, कमलेश्वर जैसे कस्बे के जीवन की प्रामाणिक छवि उभारने वाले कहानीकार भी 'खोई हुई दिशाएँ' जैसी अनक परवर्ती कहानियों में यात्रिक आधुनिकता की लपेट में आने लगे थे। 'न आने वाला कल', 'आधे अधरे' आदि रचनाओं में मोहन राकेश अस्तित्ववादी फारमूलों में ग्रन्थ होते दिखाई पड़ते हैं।

सब पूछिये ना नयी कविता और नयी कहानी के दौर में ही आधुनिकता की बहस छिड़ी थी और लटपट्टा लेखन करने वाले लेखकों और कवियों का एक वर्ग था जो अस्तित्ववादी और मनोविश्लेषणवादी फारमूलों के आधार पर आधुनिकता की अरूप बहस शुरू कर चुका था। बहरहाल आधुनिकता इन तमाम लेखकों के चलते एक रहस्यवाद बन गयी थी। उयो-उयो गोष्ठियाँ होती थी वह और उलझती जाती थी और हर गोष्ठी के बाद श्रोताओं को लगता था कि उनके पल्ले कुछ नहीं पडा और आधुनिकता के सम्बन्ध में उनका अपना ज्ञान भी उलझ गया है। कुछ वर्ष बाद की बात है। आधुनिक हिन्दी और नेपाली कविता पर शोध-प्रबन्ध लिखने के लिए नेपाली छात्र रामदयाल राकेश मेरे निर्देशन में आये। पहले अध्याय में उन्होंने आधुनिकता के स्वरूप की चर्चा की। मुझे दिखाने को ले आये। मैंने देखा। मैंने कहा—“भाई, मैं तो कुछ समझ

नहीं सका। आप मुझे समझाइये।” वे बोले—“सर, समझा तो मैं भी नहीं। मैंने तो लक्ष्मीकान्त वर्मा के ‘नयी कविता के प्रतिमान’ और डा० रमेश कुल मेघ की पुस्तक ‘आधुनिकता और आधुनिकीकरण’ से सामग्री लेकर लिख दिया है।”

मैं क्या कहता? आधुनिक माहित्य के दो विद्वानों की प्रसिद्ध पुस्तकों के सम्बन्ध में क्या टिप्पणी देना? इतना ही कहा—‘जापने उनके विचारों को ठीक से पकड़ा नहीं होगा, बहरहाल मैं आधुनिकता का विद्वान् तो नहीं हूँ किन्तु आधुनिक लेखक ज्ञान के नाने आधुनिकता को मैंने अपने ढंग में जो समझा है उसे आपको बनना रहा हूँ। नानात्व में आधुनिकता मेरे और हमारे समाज की एक ठोस जरूरत है। हम उसकी माया की लपेट में पड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि अरत और समाज के लिए उसका स्वस्थ उपयोग करने के लिए हैं। वह यदि हमारे लिए रुग्ण चेतना है तो हमारी पुरानी परंपरा ही नहीं। किन्तु जानना है कि वह रुग्ण चेतना नहीं है, वह मध्यकालीन सामंती रुग्ण चेतना के विरुद्ध एक नयी जीवन-चेतना, एक स्वस्थ जीवनमूल्य में युक्त एक नया आचरण है जो हमारे अपने परिवेश में अपने ढंग में मूर्त होती है।

हां, तो बात कर रहा था श्रीराम कालेज आफ कामर्स की सगोष्ठी की। मैं कुछ देर में पहुँचा। वहाँ आने में गंगाप्रसाद विमल भी थे। वे मेरे जाने से पहले ही बोन चुके थे और अन्य कई लोग वहाँ चले थे। मैं गया तो आमप्रकाश दीपक बोल रहे थे। आमप्रकाश दीपक नाहियावादी नेता और लेखक थे। उनकी ममता माफ़ थी। वे बोले। समय में आया। फिर पंडित जी बोले। उन्होंने आधुनिकता को आधुनिक जीवन-मदर्थों में व्याख्या की। उन्होंने आधुनिकता को स्वस्थ जीवन-चेतना के रूप में ही स्वीकार किया। जब भी कोई अवधारणा हमारे परिवेश में मूर्त होती है और उसे हम वहाँ में समझते हैं तब हमारी मोत्र साफ़ होती है और सुनने वालों की भी समझ में आती है। द्विवेदी जी उन बड़े लेखकों में हैं जो मानते हैं कि साहित्य जीवन के लिए जाना है और जीवन के सन्दर्भ में ही उसे समझा जा सकता है। पंडित जी बोले तो सुनने वालों के दिमाग में छाया कुहामा छूट गया और आधुनिकता अपने जीवन में सर्दभित होकर उनकी पकड़ में आ गयी।

सभा समाप्त होने के बाद हम लोग पंडित जी के साथ पृतल के यहाँ चले। पंडित जी रास्ते में भी कहते रहे और पुनः के यहाँ पहुँचकर भी ठहाका मार-मारकर कहते लगे कि और सब तो ठीक लेकिन अपना विमल क्या बोला। उसकी तो बात ही मेरी समझ में नहीं आयी। नामवर जी बोले—“पंडित जी के शिष्यों की दो परम्पराएँ हैं—1. काशी की परम्परा, 2. चण्डीगढ़ की परम्परा। काशी-परम्परा के शिष्यों की बात समझ में आती है किन्तु चण्डीगढ़-परम्परा के लोगों की बात नहीं।

किसी ने टिप्पणी जड़ी—“डा० मेघ तो काशी-परम्परा के ही हैं।” फिर नामवर जी बोले—“काशी-परम्परा की भी दो शाखाएँ हैं। एक शाखा उनकी है जिन्होंने बी० एच० यू० में एम० ए० किया, दूसरी शाखा उन शिष्यों की है जिन्होंने वहाँ से केवल पी०एच० डी० किया है। असली शाखा तो एम० ए० करने वालों की है।”

पंडित जी ठाहके लगाते रहे। उनके साथ सभी लोग हंसते रहे। पंडित जी जहां हों वहां का वातावरण जीवन्त न हो उठे, यह सभव नहीं था।

61

कानेज मे सुना कि देवीशंकर अवस्थी नहीं रहे। मै एकाएक विश्वास नहीं कर सका। परसों ही तो वे कलकत्ता के कया-ममारोह से लौटे थे। 'विवेक का रग' छग रहा था। आते ही वे स्कूटर से प्रकाशक के यहा चल पडे—यह देखने कि उसकी क्या स्थिति है? उनकी मा ने कहा, बेटा, खाना खाकर जाओ। वे बोले—“अभी आता हू मा। आकर खाना खाऊंगा।” वे दरियागज म लौट रहे थे कि ओवरटेक करने के क्रम मे एक टंक्मी ने उनके स्कूटर को धक्का मार दिया। वे गिरकर बेहोश हो गये। स्कूटर के पीछे मुरली मनोहर प्रसाद सिंह बैठे थे। उन्हें भी चोट आयी किन्तु खतरनाक चोट नहीं। वे अस्पताल ले जाये गये। सुरेश अवस्थी की जान-पहचान के कारण उन्हें अस्पताल मे ठीक-ठाक व्यवहार मिला। लेकिन मुझे अभी-अभी फोन से सूचना मिली कि वे दिवगत हो गये।

मै तो मन्न रह गया। हे भगवान्, यह क्या हो गया? मै उठा, धीरे-धीरे अपने महयोगियो के पास गया। हरगुलाल जी से बताया और कहा—“आज मै क्लाम नहीं लूंगा।” सुनकर सारे साथी दुखी हुए। हम लोग मेरी क्लास मे गये। वहा एक छोटी-सी शोक-सभा की। फिर मै घर की ओर चल पडा।

बस मे बैठा था। मन मे देवीशंकर जी भरे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिन पहले मौत का फदा काटा था। उनके चेस्ट में कोई परेशानी थी। पटेल चेस्ट मे भरती हुए। वहा से स्वस्थ होकर निकले थे। वहा से तो निकल आए लेकिन लगता है जैसे मौत क्रुद्ध हो गयी हो और दूसरा जाल बिछाकर भीतर ही भीतर बडबडाई हो—“वहा मे तो निकल आये, अब यहा से कहा निकलोगे?”

घर पहुचा। पत्नी को समाचार दिया। वे भी अवाक् रह गयी। हम देवीशंकर जी के घर की ओर भागे। वहां जो कर्ण दृश्य था उसकी कल्पना की जा सकती है। उनकी बूढ़ी मा के सामने छाये अंधकार का अनुभव कर रहा था और कमलेश जी पर तो वज्र ही टूट पडा था। इस प्यारी भद्र महिला ने किसी का क्या बिगाडा था कि उसे इतनी बडी सजा दी गयी। कमलेश जी के सामने जाने का साहस नहीं हो रहा था। ऐसे में पता नहीं कैसे लोग विपत्तिग्रस्त को समझाने बैठ जाते हैं, तरह-तरह के उपदेश देने लगते हैं। हम तो उसके सामने होने से डरते है और यह भी जानते हैं कि वह व्यक्ति समझाने से अपनी वेदना को अच्छी तरह व्यक्त कर लेने से हलका होगा।

साहित्यकार जुटते गये। नयी और पुरानी पीढ़ी के तमाम साहित्यकार, प्रकाशक

एकत्र हो गये। एम्बुलेंस कार नहीं मिल पायी। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद ओम्प्रकाश जी (प्रकाशक) ने अपनी कार पर शव को लदवाया। शवयात्रा चल पड़ी।

देवीशंकर जी का शवदाह करके लीटे तो बहुत खालीपन महसूस होने लगा। देखते-देखते अपना एक प्रिय साथी, सुख-दुःख में शरीक होने वाला एक सहयात्री, साहित्य सहचर चला गया। उनके होने से हमारे वातावरण में एक भरापुरापन महसूस होता था, आज खाली-खाली-सा लग रहा था।

पिछले वर्ष मुक्तिबोध चले गये थे, इस वर्ष देवीशंकर जी। क्या हो गया है समय को? मुक्तिबोध कई महीने दिल्ली में पड़े रहे बेहोश। बेहोशी में ही चले गये। वे चले गये तो लोगों को ध्यान आया कि वे एक बड़े कवि थे, बड़े आलोचक थे और बड़े कथाकार भी थे। जब तक जीते रहे उनकी प्रतिभा की पहचान नहीं हुई। उनकी बेहोशी में प्रतिभा की पहचान शुरू हुई। वह उनके किस काम की! वह तो दूसरों के काम आयी। मुक्तिबोध पर काम कर-करके लोग नयी प्रतिभा वाले लेखक कहलाने लगे और उन्हें शिन्हा बनाकर हड़सा-हड़सा करते हुए विरोधी माने जाने वाले साहित्यकारों का दरवाजा तोड़ने लगे। मुक्तिबोध प्रगतिशील प्रतिभा के स्टेटस सिबल बन गये। जो लोग आलोचक की हैमियत से कवि मुक्तिबोध के प्रति अपना दायित्व नहीं निभा सके, वे ही आज तत्कालीन आलोचना को लांछित करते हैं कि मुक्तिबोध की उपेक्षा की गयी। उनमें पूछा जा सकता है (और पूछा जाता भी है) कि आप भी तो आलोचक थे, आपने तब अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया।

लम्बी बीमारी के बाद मुक्तिबोध चले गये। उनका जाना मेरे लिए एक सशक्त साहित्यकार का जाना था। उनमें मेरा निजी परिचय नहीं था और न मैं उनके साहित्य का ही नव तन्मय अध्येता बन पाया था किन्तु देवीशंकर का जाना मेरे एक मित्र का जाना था, जिसके साथ न जाने कितने जीते-जागते रागात्मक सन्दर्भों से मैं गुजरा था। मुक्तिबोध अपनी साहित्यिक क्षमता का लगभग उपयोग कर चुके थे, देवीशंकर जी को करना था। मुक्तिबोध का जाना अप्रत्याशित नहीं था, लोग उनके गमन का दुःख झेलने के लिए तैयार थे, देवीशंकर एकाएक चले गये।

मुक्तिबोध का जाना हम सबके लिए एक कवि का जाना था किन्तु उनके परिवारजनों के लिए उनका जाना पति का, पिता का, भाई का जाना था जो अत्यन्त दारुण था। उनकी पत्नी को प्रभाकर माचवे जी के यहां देखा था। पति के मरने की वेदना के साथ उनके पीछे छूटी हुई असहायता और अभाव का सन्नाटा उनके मुखमंडल पर व्याप्त था।

देवीशंकर जी भी अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चे, बूढ़ी मां, एक भाई, एक बहन (रेखा) छोड़ गये थे। देवीशंकर जी के चले जाने की तकलीफ के साथ उनके छोटे हुए परिवार की वेदना मन में उमड़ रही थी। डा० नगेन्द्र सच्चे अर्थों में विश्व-विद्यालयीय हिन्दी-परिवार के मुखिया थे। उन्होंने कमलेश जी से कहा था कि ईश्वर के किये पर तो अपना बश नहीं है किन्तु एक आदमी जो कर सकता है वह मैं जरूर करूंगा इस परिवार के लिए। उनकी यह सांत्वना हम सबके लिए आश्चर्यकारिणी थी।

साहित्य के क्षेत्र में ये आन्दोलनों के दिन थे। न जाने कितने छोटे-छोटे आन्दोलन इस शहर से उस शहर में कुरकुरमुत्तों की तरह उग आये थे। कविता के क्षेत्र में अकविता, अन्कविता, अस्वीकृत कविता, विद्रोही पीढी, क्रुद्ध पीढी, भूखी पीढी, शमशानी पीढी की कविता और न जाने क्या-क्या ? लगना था साहित्य एक बड़ा बाजार है जिसमें तमाम दुकानदार अपना-अपना माइन बोर्ड टांगे हुए अपने माल की खपत के लिए चिल्ला रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो माठ के बाद की इन तमाम नामों वाली कविताओं का बुनियादी स्वर एक ही था और वह था—निषेध का। सब कुछ के निषेध का। निषेध करके कवि जो देना चाहते थे वह था उनका निजी वीभत्त और अश्लील भोगभाव। अमेरिका से आया हुआ गिन्सबर्ग उनका ममीहा बन गया था। गिन्सबर्ग जैसे लोग अपने नगेपन से थोड़ी देर के लिए ठहराव में एक उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, कोई मौलिक बदलाव नहीं। हमारे यहां के निषेधवादी कवि (और कथाकार) निषेध को ही अपने-आप में साहित्य और जीवन का लक्ष्य मानकर यह मुगलना पाल बंटे कि वे कूड़े में डेर पर बाग दे-देकर साहित्य के सिद्ध बन जाएंगे। निषेध का भी एक सामाजिक लक्ष्य होना है और वह निषेध सीधे उस राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में टकराना है जो व्यक्ति के मानवीय अधिकारों का दमन कर उग्र शोषण करती है। वह निषेध पुरानी व्यवस्था की जड़ताओं से टकराकर एक नयी स्वस्थ व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है अतः उसमें व्यक्तिगत भावनाओं की अगजकता नहीं होती। एक सामाजिक मूल-चिन्ता का निमंत्रण होता है। माठ आते-आते देश के लोगों का मरकार में मोहभंग हो गया था। अब तक किसी न किसी प्रकार जो स्वाधीनता-प्राप्ति के साथ आस्था जुड़ी थी वह खण्डित हो गयी थी। लगने लगा कि सारे सम्बन्ध और मूल्य निरर्थक हो गये हैं किन्तु निषेध करके हम देश और समाज के भविष्य के बारे में, उसकी बेहदती के बारे में सोचना छोड़ देंगे क्या ?

अकविता का नाम दिल्ली के कुछ मित्रों ने उठाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि 'अकविता' के माध्यम से ये लोग क्या कहना चाहते हैं। अकविता यानी कविता नहीं। जब कविता नहीं तो क्या ? और फिर उस पर कविता के नाम पर बहम क्यों हो ? मैं वास्तव में इसे समझना चाहता था। डा० श्याम परमार ने एक रेस्त्रा में गोष्ठी की। मैं यही उत्सुकता लेकर उसमें शामिल हुआ। लेकिन उममें उनके पेपर और कुछ और अकवितावादियों के व्याख्यानो में यह तो स्पष्ट नहीं हुआ कि कविता होकर भी यह अकविता क्यों कही जाती है। इतना अवश्य स्पष्ट हुआ कि यह भी कविता ही है, बस नयी कविता। छायावादी कविता आदि की तरह इसे भी एक नाम दे दिया गया है—'अकविता'। यह कविता संवेदना, मूल्य, भाषा, हर स्तर पर परम्परा का निषेध करती है।

श्याम परमार, गंगाप्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, मौमित्र मोहन, मुद्राराक्षस, मणिका मोहिनी, बिष्णु शर्मा, मोना गुलाटी आदि दिल्ली के अकवितावादी कवि थे।

बाहर के भी तमाम कवि भी (वे कवि जो बाद में मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े और अकविता से अपना अलगवाव घोषित किया) थे जिनमें घूमिल, कुमार विकल, चंद्रकांत देवनागे, मतीश जमाली, श्रीराम शुक्ल, राजकमल चौधरी और न जाने कितने छोटे-बड़े नाम थे। जगदीश चतुर्वेदी 'अकविता' नामक पत्रिका निकालते थे जो इस आन्दोलन का मुखपत्र था।

ऊपर कहा जा चुका है कि साठोत्तर काल में निषेध अपने परिवेश से फूट रहा था किन्तु अकविता का निषेध जिधामा, अश्लीलता और निष्क्रियता में भरा हुआ था। निषेध कवियों को बेचैन नहीं कर रहा था, वे उसमें रम ले रहे थे। आखिर साठ के बाद देश दो-दो युद्धों से गुजरा। माना कि भारत के साथ चीन के युद्ध ने हमें हतोत्साहित किया और गुलाबधर्मी शांति के प्रति विरक्त कर दिया किन्तु पाकिस्तान के साथ मन् '65 के युद्ध ने तो किसान और जवान का नारा दिया उसके महत्त्व को रेखांकित किया। एक छोटे में मनुष्य ने देश को विजय दिलायी और अपनी कुरबानी भी दी। देश के तमाम तबकों के लोग इस राष्ट्रीय हलबल में शामिल हुए। आखिर यह अपना परिवेश नहीं था क्या? वास्तव में अपने देश के सामान्य जन की तकलीफ और संघर्ष से कटी हुई कविता-कहानी को यौन-संदर्भों में निषेध के सिवा क्या दिखाई पड़ता? परिवेश की टोंग वस्तु का दगाव रचना को मूर्तता प्रदान करता है—इस दबाव में रहिन होने के कारण अकविता और अकहानी अमूर्त हो गयी। अकहानी चूकि कहानी थी और कन्नानी किननी भी व्यक्तिगत हो, कथा का कोई न कोई तत्त्व उसमें होता है और कथा का संवध वाहरी दुनिया में होता है इसलिए अकहानी इनके लेखकों की मानसिक और उद्देश्य-मूलक अमूर्तता और उलझन के बावजूद कुछ मूर्त है, ममझ में आती है और पाठक में थाना-बहुत जुड़नी है। गंगाप्रसाद विमल, रवीन्द्र कालिया, दूधनाथ सिंह, ममता कालिया, जगदीश चतुर्वेदी, जानरजन, राजकमल चौधरी, प्रयाग शक्न, मुद्राराक्षम आदि अनेक कथाकार अकहानी रचने में सलग्न थे और नयी कहानी की परम्परा का निषेध करने के लिए मचेत भाव में कुछ नये कारनामे दिखाये जा रहे थे।

साठोत्तर काल राष्ट्रीय सामाजिक मदर्भ में मोहभंग का काल था और अकविता अकहानी तथा इसी परिवार की अन्य नत्कालीन धाराओं पर इसका प्रभाव पड़ा था, किन्तु उन रचनाओं में मोहभंग का व्यक्तिवादी निषेधात्मक पक्ष ही अधिक था, सामाजिक मदर्भ में विधेयात्मक पक्ष नहीं के बराबर था। इस रचना-यात्रा में वे भी शामिल थे जो नयी कविता-कहानी में आये थे और वे भी जो बाद में प्रगतिशील रुझान के माने गये। 'यह दुनिया एक फिसफिसाई हुई-मी चीज हो गयी है' (रघुवीर सहाय), 'हम सब बौने हैं' (गिरिजाकुमार मायूर), 'हम सब गुबरैले हैं' (मर्वेश्वर), 'क्रांति गूगी है' (घूमिल) आदि न जाने कितनी कविताएँ इस बात का प्रमाण हैं।

ये रचनाएं आधुनिक मानी जा रही थी। आधुनिकता प्रवृत्ति के रूप में ही नहीं, रचना-मूल्य के रूप में भी ग्रहण की जा रही थी। यानी आधुनिकतावादी रचना ही रचना की दृष्टि से मूल्यवान हो सकती है। और यह आधुनिकता क्या है? दो गोष्ठियों की चर्चा करना चाहूंगा। एक गोष्ठी में दो कहानियाँ पढ़ी गयीं, एक कहानी थी भीष्म साहनी

की जिसके केन्द्रीय पात्र के रूप में दादी मा आयी थी। दूसरी कहानी थी उषा प्रियंवदा की जिसमें एक नयी लड़की की समस्या उठायी गयी थी। इन कहानियों पर बहस हुई। मुद्राराक्षम ने कहा—भीष्म जी की कहानी पारम्परिक है। भला दादी नानी पर भी आज कोई कहानी लिखी जा सकती है! आज तो आज के सबसे आगे के आदमी पर कहानी लिखी जानी चाहिए, तभी वह आधुनिक और मार्थक कहानी बन सकती है। दूसरी गोष्ठी (सगोष्ठी) खालसा कालेज की है। इस मगोष्ठी में गंगाप्रसाद विमल ने एक वान उठायी थी। मेरे चर्चा-प्रवर्तन के बाद वे बोले थे और कहा था कि बहुत दिनों बाद उन्हें डा० मिश्र से छेड़छाड़ करने का अवसर मिला है। उन्होंने एक ओर यह कहा कि हमारे साहित्य को आधुनिक होना चाहिए, दूसरी ओर कहा—“लेकिन हमारे समाज में आधुनिकता अभी आयी कहा?” मेरे भीतर सवाल पैदा हुआ कि हमारे समाज में आधुनिकता नहीं है तो हम आधुनिकता कहा से लाये? यानी हमें अपने परिवेश से नहीं (क्योंकि वहा तो है नहीं) बाहर से आधुनिकता लाकर अपने साहित्य की रचना करनी चाहिए। इन लोगों की दृष्टि में अपने समकालीन परिवेश के बदलाव की पहचान में आधुनिकता नहीं है, बल्कि वह बाहर से प्राप्त नवीनतम अवधारणाओं में है।

इस प्रकार के साहित्य के पोषण के लिए आलोचक भी मिल गये थे। ये रचनाकार अपने समर्थन के लिए तो स्वयं आलोचक बनकर आये ही थे, आशिक या ममग्र भाव में कुछ आलोचक भी इनके साथ हो गये थे। देवीशकर जी अकहानी के रचनाकारों को प्रश्रय दे रहे थे, इन्द्रनाथ मदान तो ममग्र भाव से शहरी मध्यवर्गीय आधुनिकता के समर्थक थे। नामवर जी ने प्रच्छन्न रूप से कमलेश्वर, यादव, राकेश की नयी कहानी का विरोध करने की प्रक्रिया में निर्मल बर्मा की परम्परा में आने वाली अकहानी को हवा दे दी।

डा० महीपसिंह के नेतृत्व में सचेतन कहानी का आन्दोलन शुरू हो गया था। महीपसिंह पहले बम्बई के खालसा कालेज में थे और उनकी कुछ कहानियाँ मीने पढी थी जो पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। वे संभवतः मुझसे दो साल पूर्व बम्बई से दिल्ली आ गये थे। जब मैं दिल्ली आया तो सचेतन कहानी का आन्दोलन भी शुरू हो गया था। वास्तव में बना-बनाकर चलाये जाने वाले इस या उस आन्दोलन में मेरा प्रकृत्या विरोध रहा है। एक समय के सामाजिक दबाव से उभरने वाली चेतना यहा से लेकर यहाँ तक के साहित्य में अभिव्यक्ति पाती है और उसके सामान्य स्वरूप को देखकर उसे एक नाम दे दिया जाता है या किसी बहुत बड़े दार्शनिक आन्दोलन के प्रभाव में लिखे गये साहित्य को नया नाम मिल जाता है किन्तु जब कुछ लोग मिलकर अपनी रचनाओं को उछालने के लिए आन्दोलन चलाते हैं तो पहले तो उसे हम आन्दोलन नहीं कह सकते, दूसरे उसके उद्देश्य की लघुता के कारण उसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिल सकती।

मैं अपने ढंग से अपनी दृष्टि और संस्कार के अनुसार समकालीन चेतना को अभिव्यक्ति दे रहा था किन्तु हमारी आलोचना और साहित्येतिहास की बिडम्बना यही है कि वह दलबद्ध आन्दोलनों से बाहर देखता ही नहीं। वह इन्हीं दलबद्ध साहित्यकारों

और उनके साहित्य की चर्चा और उल्लेख करता है। यह सच है कि नयी कविता और कहानी के तमाम कवियों और कहानीकारों की अच्छी रचनाएं साठ के बाद आयीं किन्तु नयी कविता और नयी कहानी को साठ के बिन्दु पर समाप्त मान लिया गया। रचनाएं अच्छी आती रहीं नयी कविता और नयी कहानी के रचनाकारों की और चर्चा होती रही कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए तमाम साठोत्तरीवादों की। मैं स्वयं नयी कविता और नयी कहानी के आन्दोलन के बीच से उभरा हुआ रचनाकार हूँ किन्तु मेरी अपनी महत्वपूर्ण (मेरे अपने लेखन के सन्दर्भ में) रचनाएं साठ के बाद ही आयीं जिन्हें न साठोत्तरी आन्दोलनो में शामिल किया जा सकता था, न साठ के बिन्दु पर समाप्त घोषित नयी कविता और नयी कहानी में।

बहरहाल इस विडम्बना की पहचान के बावजूद किसी बनाये जाते हुए दल में सम्मिलित होने की इच्छा मुझे कभी नहीं हुई। हाँ, इन दलों या सायास प्रचारित आन्दोलनों में उभरते हुए स्वस्थ और अस्वस्थ तत्त्वों की पहचान करने का प्रयास जरूर करना रहा, उन पर लिखना भी रहा। साठोत्तरी कविता पर मेरे लम्बे-लम्बे लेख 'धर्मयुग' और 'आजकल' में छपे और अन्य पत्र-पत्रिकाओं में भी कई टिप्पणियाँ और छोटे-छोटे लेख आये। सचेतन कहानी पर भी मेरा एक लम्बा लेख 'संचेतना' में छपा।

तो मैं सचेतन कहानी की बात कर रहा था। यह कहानी-आन्दोलन भी कुछ रचनाकार मित्रों को मंगठिन करके उठाया गया था किन्तु इसकी एक बात रेखांकित करने योग्य है, वह यह कि यह साठोत्तर काल के साहित्यान्दोलनों में दिखाई पड़ने वाली मूल्यहीनता, बीभत्सता, जिघांसा और यौन-मर्दाभित नंगेपन की बजबजाहट और नयी कहानी की निष्क्रियता के विरोध में मूल्य-चेतना, सक्रियता और सामाजिक अर्थमत्ता का पक्ष लेकर खड़ा हुआ था। इसकी साहित्यिक उपलब्धियाँ जो रही हों किन्तु इस घुटनभरे माहौल में उमने ताजा हवा का श्लोक देने का प्रयास किया। महीपर्सिंह के साथ मनहर चौहान, योगेश गुप्त, आनंद प्रकाश जैन, हेतु भारद्वाज, वेद राही, नरेन्द्र कोहली, रामकुमार भ्रमर आदि इस धारा में शामिल थे।

मेरे दिल्ली आने से पूर्व दिल्ली में पहले से रहने वाले या दिल्ली में नये-नये आने वाले अनेक साहित्यकारों से मेरा साक्षात् परिचय था। दिल्ली आने पर अनेक से मेरा सम्बन्ध ठंडा पड़ गया। कारण यह है कि मैंने अनुभव किया कि वे अपने व्यवहार में बहुत ठंडे यानी साहित्य का हिसाब-किताब लगाने वाले लोग थे। मिलने पर कोई उष्मा नहीं, कोई खुलापन नहीं, हंसी-ठहाका नहीं और यदि हंसी-ठहाका था भी तो तकली ऊपर से निकलकर ऊपर-ऊपर गुजर जाने वाला। बहुत छोटे-छोटे साहित्यिक दायरे बने हुए

वे जिनमें दीक्षित लोगों के चर्चे होते थे। अनुभव के बिना आधुनिकता का नकली फलसफा झाड़ते हुए और नकली तेवर पहने हुए लोग साहित्य का बारा-न्यारा करते हुए उतराये हुए थे। मैं अपने को इस माहौल में बहुत अजनबी पा रहा था। मैं तो साहित्य के किमी कठघरे में खड़ा होने की स्थिति में नहीं था अतः एक साहित्यकार की हैसियत से अपने को अकेला पा ही रहा था, व्यक्ति की हैसियत से भी मैं इन तमाम व्यक्तियों में जुड़ नहीं पा रहा था। उनमें मिलने पर मिनट-भर बाद ही संवाद समाप्त हो जाता था।

मेरेभीतर देहात के तमाम संस्कार अभी भी बाकी थे। ठठाकर हंसना मुझे अच्छा लगता है। मित्रों के बीच अपने मन को खोलकर रख देने में मुझे सुख मिलता है और जितना जानता और अनुभव करता हूँ उससे अधिक का दिखावा करने का उत्साह नहीं होता। किन्तु साहित्य के जगमग परिवेश में मैं आ गया था उसमें एक सज्जन ऐसे थे जो मिलने पर न हंसते थे, न बोलते थे। ठंडे मन से कहते थे, आइए। और चलते समय हाथ से गों हाथ मिलाते थे जैसे हाथ में हाथ नहीं छिपकानी की पूंछ का गिरा आ गया हो। दिल्ली आने से पहले वे मेरे मित्र थे, दिल्ली आने के बाद उनमें मेरा मिलना ही बढ़ हो गया क्योंकि वे कुछ बड़े साहित्यकार भी बना दिए गये थे। एक थे जो मिलने पर एक इंच मुस्कान लाकर या बकरी की तरह हल्के से मिमियाकर गंभीर हो जाते थे जैसे गलती में मुस्करा पड़े हों। एक थे जो कभी मिलने पर हंसते थे, कभी रोते जैसे लगते थे और यह पता करना कठिन होता था कि इन्हें मुझमें मिलकर खुशी हुई है कि दुःख। कुछ लोग खापी हंसते ही रहते थे और उस हंसी के साथ पूरे हिन्दी साहित्य का मजाक बनाते रहते थे। 'टी हॉउस' या 'कॉफी हाउस' में ऐसे खाली और निदक कहकहों का नजारा लिया जा सकता था। लगता है साहित्यकारों के सारे सम्बन्ध साहित्यिक गठजोड़ के तहत ही बन-बिगड़ रहे थे। उसी के हिसाब से सम्बन्धों में उष्मा और ठंडापन लाया जा रहा था।

इसमें कोई शक नहीं वह साहित्यिक हलचल की दृष्टि से बहुत सक्रिय काल था या यों कहें कि स्वाधीनता के बाद जो साहित्यिक हलचल शुरू हुई थी वह एक दूसरे रूप में इस काल में भी जारी थी और हलचल साहित्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है लेकिन यह हलचल हमारे सामाजिक सम्बन्धों की निर्मात्री बन जायेया हमारे सामाजिक सम्बन्ध इन हलचलों को चलाये रखने के लिए बनें, यह बहुत स्वस्थ बात तो नहीं कही जा सकती। किन्तु इस समय था कुछ ऐसा ही। मैं लिखता था और मन से लिखता था, खूब छपता था और साहित्य में माना जाता था, किन्तु मैं कहीं नहीं था। यानी साहित्यिक चर्चाओं में मेरा नाम अनुपस्थित था। इस स्थिति के बावजूद मैं अपने भीतर अपने लेखन के प्रति बहुत आश्वस्त था। चर्चित होने के लिए उन लोगों से ताल मेल बैठाना, उनके साथ उठने-बैठने की हसरत पालना मेरी रुचि में नहीं था जो आदमी कम और असली या नकली साहित्यकार ज्यादा थे, जिनके साथ बैठकर आदमी की खुली उष्मा अनुभव करने के स्थान पर एक बंद और जोगाड़ू साहित्यकार के ठंडे साहचर्य की नियति झेलनी पड़ती है। मैं अनुभव करता हूँ और तब भी अनुभव करता था कि इस

नियति को झेलने से भागते रहने के कारण मुझे काफी कुछ खोना पड़ा, जिनकी चर्चाओं और आलोचनाओं का महत्त्व था उनसे तमाम लोग रिश्ता बना लेते थे और अपनी रुचि-अरुचि को गौण मानकर चर्चित हा उठने के प्रलोभनों को ही लक्ष्य बनाकर चलते रहे। मैं तो रुचि-अरुचि को प्रधान मानकर बने-बनाये साहित्यिक सम्बन्ध भी तोड़ देता रहा हूँ। मैं वहाँ जाना, उठना-बैठना पसंद करता हूँ जहाँ खुलापन हो, घरेलूपन हो, एक-दूसरे को ममझने और प्यार देने का भाव हो। यदि वे साहित्यकार है तो उनसे साहित्यिक सम्बन्ध तो होगा ही किन्तु चालाकी वाला नहीं।

कह चुका हूँ कि मैं आया तो उदयभानु मिश्र के ठहरा था। वे कथि थे। उनसे मेरे सम्बन्धों का राज यही था कि वे खुले मन से मेरे सम्पर्क में आये। हम खुलकर माथ घूमने थे खाते-पीने थे, हगते-गाते थे और एक-दूसरे के सुख-दुःख को समझते थे, साहित्यिक चर्चाएँ भी खलकर करते थे।

शमशेर और दन्वीशकर अत्रस्थी की चर्चा कर चुका हूँ। देवीशकर जी के पास ही मुन्गी मन्टेर प्रमाद मिश्र रहते थे। जब वे बिहार में थे और अनकृत भाषा में लेख लिखा करते थे तब ग पत्र व्यवहार के माध्यम में उनसे परिचय था। वे तब अपने लेखों में मेरी कविताओं का जिक्र करते थे, तब वे मार्क्सवादी नहीं हुए थे। उन्होंने एक व्याप्तगन प्रसंग में मझे अहमदाबाद पत्र लिखा था कि आपग भेट तो नहीं है किन्तु न जान मन को कहना है कि आप मेरे बहुत निकट है और मैं यह जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूँ। उन्होंने वह जिम्मेदारी सौंपी तो नहीं किन्तु विश्वास तो सौंपा ही था। दिल्ली में मैं उनके यहाँ प्रायः जाया करता था और वे तथा सरिना जी हमारे यहाँ आया करते थे। हमारे-उनके विश्वासपूर्ण सम्बन्ध बढ़ने ही गए।

राजनीतिक दृष्टि में डा० रमानाथ त्रिपाठी और मैं अलग-अलग विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, हमारे स्वभावों में भी काफी अन्तर है लेकिन हमारे व्यक्तिगत और घरेलू सम्बन्ध बनते गये। हम प्रायः एक-दूसरे के यहाँ जाते थे, माथ घूमते-घामते थे और बहुत-सी मार्थक-निरर्थक बातें, साहित्यिक-असाहित्यिक चर्चाएँ करते थे। मडको पर भुट्टे खाते घूमते थे। खूब हसते-बनियाते थे। एक-दूसरे के सुख-दुःख के माथ हो लेते थे। और बहुत-सी बातें थी।

कृपाशंकर मिश्र तब कुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रिमर्च करते थे और पता नहीं किम क्षण में एक दिन वे मेरे यहाँ आये कि हमारे परिणाम के अग बन गए। बाद में वे कुक्षेत्र छोड़कर दिल्ली में रिमर्च करना चाहते लगे और इस प्रक्रिया में दिल्ली में ही रहने लगे। मेरी पत्नी ने कहा— “मेरे यहाँ ही रहिये।” वे मेरे ही यहाँ ठहरे और उन्होंने मेरा और मेरे परिवार के सुख-सम्मान का पूरा ध्यान रखा। वे हर तरह से हमारे परिवार के सदस्य बन गए थे। वे खूब हंसते थे। हमते-हंसते झुक-झुक पडते थे। हमारे बच्चों ने उनको ‘हसने वाला चाचा’ नाम दे रखा था।

सन् 1962 की बात है। एक दिन मैं अपने ई० नाक के चौराहे से गुजर रहा था तो उधर से डा० विश्वनाथ त्रिपाठी एक व्यक्ति के साथ आते दिखाई पड़े। मैं ठहर

गया। मैंने उनके साथ वाले तेजस्वी लगने वाले श्यामवर्णी व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने मुझे देखा।

“आप लोगों का परिचय नहीं है?” विश्वनाथ जी ने पूछा।

हम दोनों नकारसूचक चुप्पी साधे रहे।

“ये हैं डा० रामदरश मिश्र और ये हैं डा० नित्यानंद तिवारी।” तिवारी जी आह्लाद से हंसे और नमस्कार किया। मैंने भी प्रसन्नता से भरकर नमस्कार किया। तिवारी जी के नये साहित्य से संबंधित कुछ लेख पढ़े थे। मैं बहुत प्रभावित था। उनके मिलन से और भी प्रभावित हुआ। दिल्ली में अनेक नये लोगों से मिला। किन्तु थोड़ी-थोड़ी पूंजीवाले नये लोगों की एंठ और कृत्रिमता देखते बनती है। नित्यानंद जी के लेखों ने मुझे उनकी प्रतिभा की धार का आभास मिल गया था किन्तु अनेक नये लोगों के विपरीत यह व्यक्ति पहली ही भेंट में अपने व्यक्तित्व के खुलेपन और निश्छल हंसी से प्रभावित कर गया। लगा जैसे हम दोनों के भीतर के तार जुड़ गये हों और हमी से हंसी मिल गयी हो।

उस समय वे शायद नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आये थे। कुछ दिनों बाद राजधानी कालेज में उनकी नियुक्ति हो गयी तो हम दोनों प्रायः मिलने लगे और निकट से निकटतर होते गये।

डा० महीपसिंह मुझसे पहले दिल्ली आ गये थे और सचेतन आन्दोलन छेड़ दिया था। एक दिन डा० महीपसिंह से किसी जलसे में भेंट हुई, उनसे बातें हुईं और वे मुझे बहुत जीवत व्यक्ति लगे और व्यक्ति के स्तर पर मुझे उनसे जुड़ाव अनुभव हुआ। उन्होंने अपने घर भी बुलाया। मैं गया। आना-जाना शुरू हुआ और हम लोग धीरे-धीरे मित्र बनते गये। महीपसिंह में एक खुलापन था, दोस्ताना उष्मा थी और दोस्तों के हित के लिए क्रियाशीलता थी। वे सद्गृहस्थ थे और साहित्य में महयात्री होने के साथ-साथ विश्वविद्यालयी संदभ में भी सहयात्री थे। इसलिए हम अपनी अलग-अलग साहित्यिक मान्यताओं और रचनात्मक प्रवृत्ति की भिन्नता के बावजूद बहुत अच्छे मित्र बन गये।

महीपसिंह बहुत कर्मठ व्यक्ति है। उनमें अद्भुत संगठन क्षमता है। कहा जा चुका है कि उन्होंने चर्चा के हाशिये पर पड़े हुए अनेक कहानीकारों को संगठित कर सचेतन आन्दोलन चलाया। इससे नये कहानीकारों के एक संगठित दल को बहुत बुरा लगा और सचेतन कहानीकारों को बदनाम करते रहे। यानी उनका संगठन तो ठीक है और साहित्यिक है किन्तु दूसरे का संगठन ठीक नहीं है और असाहित्यिक है।

सचेतन आन्दोलन से मेरा कोई सरोकार नहीं था किन्तु महीपसिंह से गहरे सम्बन्ध बन गये और वे आज तक चलते आ रहे हैं। जबकि उनके सचेतन आन्दोलन से जुड़े तमाम लेखक बाद में उनसे कटते गये, तब उससे न जुड़ा हुआ मैं उनसे अधिकाधिक जुड़ता गया। जहाँ केवल साहित्यिक समीकरण ही सम्बन्धों का एकमात्र आधार होता है वहाँ सम्बन्धों में न गहराई आ पाती है न स्थिरता। साहित्यिक समीकरण सम्बन्धों की निर्मित के निमित्त बन सकते हैं किन्तु यदि वे सम्बन्धों के पर्याय बन जाएं तो यही

होता है। सम्बन्धों के सूत्र जोड़कर उन्हें नेपथ्य में चला जाना चाहिए और सम्बन्धों को अन्य अनेक मानवीय और पारिवारिक आधारों पर विकसित होने देना चाहिए।

महीप के आन्दोलन के साथ मेरा कोई सरोकार तो नहीं था किन्तु हमारी साहित्यिक यात्रा का भी परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। हम यह अनुभव कर रहे थे कि उस साहित्यिक परिदृश्य में चर्चा होती नहीं करायी जाती थी। तमाम लोग मिल-जुलकर विभिन्न आधारों पर कुछ नामों को उछालने में सफलता पाने का क्रम बनाये हुए थे। तब क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि अपने लेखन की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए लोगों के बहरे कानों पर शोर मचाया जाये। महीप ने मुझसे पूछा—“क्या आप कवि नहीं हैं? कितने लोगों ने आपकी कविताओं का मूल्यांकन किया? क्या आप कहानीकार नहीं हैं? फिर क्यों नहीं लोग आपकी कहानियों की चर्चा करते? इसलिए नहीं कि आपकी कविताएँ और कहानियाँ कमजोर हैं बल्कि इसलिए कि आप साहित्यिक जुलूसों में शामिल नहीं होते?”

महीप ने जो तर्क दिये, उनमें मैं इनकार तो नहीं कर सकता था फिर भी जुलूस में शामिल होना मेरे वश की बात नहीं थी। किन्तु कुछ मित्रों के साथ होकर साहित्यिक विचार-विमर्श तो चल ही सकता था जहाँ खुलकर अपनी मान्यताएँ और सोच व्यक्त की जा सकती थी। महीप ने ‘संचेतना’ नामक एक त्रैमासिक पत्र की प्रस्तावना की और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हर अंक में एक कहानीकार पर एक लेख जायँगा और उसकी एक कहानी छपेगी। महीप ने पहले अंक में मुझे ही लेने का फैसला किया। मुझे अच्छा लगना ही था और यह और अच्छा लगा कि मेरी कहानियों पर लेख लिखा नित्यानंद तिवारी ने।

नित्यानंद तिवारी थोड़े ही दिनों में मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गये थे। शादी के बाद तो पारिवारिक सम्बन्ध भी बने और बहुत गहरे सम्बन्ध बने। नित्यानंद का मेरे और मेरे साहित्य के प्रति बहुत सद्भाव रहा किन्तु एक बात मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि नित्यानंद की आलोचना में मैंत्री दखल नहीं देती। वे मित्र हों चाहे दूसरे लोग, सबके सम्बन्ध में वही कहते और लिखते हैं जो ठीक समझते हैं। जैसे भी आलोचना में वे गंभीरता बरतते हैं। किसी भी लेखक के सम्बन्ध में हलके ढंग से रिमार्क नहीं कसते हैं। यानी वे अपनी आलोचना की विश्वसनीयता किसी भी मूल्य पर टूटने नहीं देते। हम उनसे सहमत हों या न हों, यह नहीं कह सकते कि वे किसी असाहित्यिक दबाव में आकर किसी के पक्ष या विपक्ष में आलोचना लिख रहे हैं। इसलिये अपनी कहानियों के सम्बन्ध में उनके विचार पढ़ना मेरे लिये सुखद था। अभी तक तो किसी ने मेरी कहानियों पर लिखा ही नहीं था इसलिए अपने कहानीकार रूप के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं का बोध नहीं था। हाँ, पाठकों के पत्र जरूर आते थे और खूब आते थे किन्तु पाठकों की और आलोचकों की प्रतिक्रिया में अन्तर होता है। पाठक लेखक से अनजान होकर भी उसकी चीज पसंद कर सकता है क्योंकि वह चीज उसे अच्छी लगी है, उसकी बात उसके पास तक पहुँची है किन्तु आलोचक जान-बूझकर के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और अपनी आलोचकीय गरिमा की सुरक्षा

का ध्यान उसे ज्यादा रहता है, रचना की महत्ता का कम। इसलिए वह तमाम किन्तु-परन्तु लगाता हुआ अनेक भंगिमाओं के साथ रचना के महत्त्व या अमहत्त्व का उद्घाटन करता है। वह खुलकर या प्रसन्न होकर किसी रचना के बारे में कुछ कहना अपनी आलोचनात्मक गरिमा की तोहीन समझता है।

तो मैं कह रहा था कि मेरी अनेक कहानियों पर पाठकों के पत्र आते रहते थे, उन्हें मेरी कहानिया पसंद थी किन्तु किसी आलोचक की दृष्टि में अभी वे नहीं उतरी थी और कहानीकार तो अपना-अपना दल बनाकर ही झंडा गाड़ने में लगे हुए थे। सन् 1963 में 'धर्मयुग' में मेरी एक कहानी छपी थी 'खाली घर'। उसी वर्ष से भारती जी ने कहानी का एक स्तम्भ शुरू किया जिसमें बारी-बारी से हिन्दी के कई कहानीकारों की कहानियां छपीं और उनके वक्तव्य भी छापे। जब यह स्तम्भ-योजना पूरी हो गयी तो भारती जी ने अंतिम किस्त के अंत में एक टिप्पणी छपी—“और इस वर्ष जो कहानियां छपीं उनमें 'खाली घर' पर सबसे अधिक पाठकों के पत्र आये।” मेरा खयाल है जितने पत्र 'धर्मयुग' को मिले उतने ही पत्र मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले होंगे। किन्तु पाठक पत्र लिखते रहें आलोचकों को तो उन्ही लोगों की कहानियों की चर्चा करनी है जो उन्हें थमा दिये गये हैं या जिनकी बात करने में उन्हें कोई 'रिस्क' नहीं है।

बहरहाल नित्यानंद का लेख मेरी कहानियों पर पहला आलोचनात्मक लेख था यानी आलोचक के दर्पण में मुझे पहली बार अपनी कहानी का चेहरा देखने को मिला था और यह देखकर अच्छा लगा कि वह चेहरा ठीक-ठाक है बल्कि सुन्दर है। डा० निवारी ने मित्रता के दबाव से मुकन होकर कहानी की सीमाओं का भी खुलकर निर्देश किया था किन्तु कुल मिलाकर उन्होंने अपने मानवीय प्रगतिशील दृष्टिकोण के आलाप में कहानियों की बुनियादी शक्तियों को रेखांकित किया था जिसमें अपने कहानी-लेखन के प्रति मेरी आस्था और दृढ़ हुई।

'संचेतना' को महीपसिंह ने एक बार निकाला तो हारे नहीं। अन्य अनेक छोटी पत्रिकाओं के लघु जीवन के विपरीत महीपसिंह के श्रम और संयोजन के कारण उमने दीर्घ जीवन प्राप्त किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 'संचेतना' के सामान्य अंकों में महीपसिंह के मित्र परिसर को ज्यादा महत्त्व मिला किन्तु भिन्न-भिन्न कठघरों में खड़ी अनेक पत्रिकाओं के विपरीत इसने और लोगों का भी खूब छापा और महत्त्व दिया। संचेतना ने आगे चलकर कुछ बहुत अच्छे विशेषांक दिये जिनमें 'हिन्दी कहानी', 'दो दशक की यात्रा', 'विचार कविता', 'समकालीन हिन्दी उपन्यास', 'विष्णु प्रभाकर' विशेषांक बहुत महत्त्व के हैं। इनमें हिन्दी के प्रायः सभी वर्गों और विचारों के लोगों का सहयोग लिया गया। इसके अतिरिक्त हिन्दी कहानियों के अंगरेजी अनुवाद से संबंधित एक विशेषांक निकला जिसका अपना महत्त्व है। बहरहाल ये सब बातें बाद की हैं, अभी तो उसके पहले अंक की चर्चा हो रही थी।

कुछ आगे चलकर शायद 1967 में डा० नरेन्द्र मोहन से भेंट हुई। वे जालंधर से दिल्ली के खालसा कालेज में आये थे। कृपाशंकर जी ने उनकी चर्चा की, उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की। हम मिले और धीरे-धीरे निकट होते गये और बहुत निकट होते

गये। कह चुका हूँ कि मित्रों के साथ साहित्यिक सम्बन्ध भी बनते जाते थे, यहाँ भी बैसा ही हुआ। नरेन्द्र मोहन नयी समझ के आलोचक थे, (कवि तो बाद में हुए) और योजना-कली भी थे। 'सचेतना' के सम्पादकीय से जुड़कर उन्होंने उसकी रूपरेखा को संवारने-सजाने में बहुत श्रम किया और विशेषांकों में तो उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 'विचार कविता विशेषांक' तो मूलतः उन्हीं की योजना का फल था। वे बहुत निष्ठापूर्वक कोई काम करते हैं। वे जो लिखते रहे, उस पर काफ़ी श्रम करते रहे।

नरेन्द्र मोहन में मुझे कुछ ऐसी बात दिखी जो मुझे उनकी ओर खींचती गयी। उनकी साहित्यिक समझदारी ने तो अपनी ओर खींचा ही, उनके व्यक्तित्व का खुलापन भी आकर्षक लगा। वे यार-बाश व्यक्ति हैं। मैंने शुरू में ही उन्हें अपना दोस्त माना किन्तु उन्होंने मुझे मदा दोस्ती की उम्र के साथ बड़े भाई का आदर-सम्मान दिया। हमारे-उनके बीच अवस्था की दूरियाँ थी भी, नहीं भी थी। हम सभी मित्र के रूप में अपना मुख-दुःख, हामी-रुदन बाँटते थे और साहित्य की महयात्रा में खुलकर अपनी बात कहते थे, फिर भी नरेन्द्र मोहन उस भारतीय दृष्टि को नहीं छोड़ पाते थे जो अवस्था की दृष्टि में अपने में बड़े लोगों का सम्मान करती है और यह शील-विवेक रखती है कि उनके माहचर्य में क्या किया जाये, क्या न किया जाये और उनके साथ कब कैसा व्यवहार किया जाये। उनमें मरा गहरा पारिवारिक सम्बन्ध बन गया।

नरेन्द्र मोहन पञ्जाब में आये थे। उन्होंने अपने स्वभाव और साहित्यिक प्रतिभा के कारण बड़ा अनेक साहित्यिक और असाहित्यिक मित्र बनाये थे। दिल्ली आकर हम लोगों से जुड़े। ये उनके बनने के दिन थे। बनने का एक आसान रास्ता यह होता कि अपनी मित्र मङ्गी की जय बोली जाये। दूसरे लोगों की एकदम बेशर्मी से उपेक्षा कर दी जाये। हिन्दी साहित्य में उस समय यह प्रक्रिया बहुत जोगे पर थी।

यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों ने अपने को साहित्यिक 'एलीट' सिद्ध करके यह मामर्थ्य हाँमिल कर ली थी कि वे कहे तो अपने लांग। के बारे में और दुनिया समझे कि ये जो कह रहे हैं वही ठीक है, जिनके बारे में कह रहे हैं वे वास्तव में महत्त्वपूर्ण रचनाकार या आलोचक हैं। इस प्रक्रिया का असर पड़ना स्वाभाविक था। प्रतिक्रिया में वह असर नरेन्द्र मोहन पर भी पड़ा था किन्तु नरेन्द्र मोहन ने अपने बीच के महत्त्वपूर्ण लेखकों की बात करते हुए दूसरे महत्त्वपूर्ण लेखकों को हमेशा याद किया, उन्हें यथोचित महत्त्व दिया। इसलिये औरों की देखा-देखी उनकी आलोचना संकीर्ण नहीं हुई। आगे चलकर वे कविताएं लिखने लगे।

थोड़ा आगे चलकर एक और व्यक्ति मुझसे जुड़ा और जुड़ता ही चला गया और आज तक गहरे जुड़ा हुआ है। वह है डा० विनय। डा० विनय से मेरी भेंट तेलीवाड़ा में हुई। उस दिन हिन्दी-विभाग की अनुसंधान-परिषद् में मुझे आलोचना पर लेख पढ़ना था। पी०जी०डी०ए०बी० कालेज से विभाग आना था किन्तु एकाएक बसों की हड़ताल हो गयी। दूसरी सवारियाँ भी मिलना कठिन हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ। कैसे पहुँचूँ। ताँगे पर हरमुलाल जी के साथ तेलीवाड़ा तक आया और किसी सवारी की तलाश में सड़क पर खड़ा था। कुछ नहीं मिल रहा था। तब तक स्कूटर पर आते एक

आदमी को हरगुलाल जी ने पुकारा और कहा, “डा० विनय कुमार, मिश्रजी को विभाग पहुंचा दो। इन्हें पेपर पठना है।” समस्या हल हुई किन्तु उस समय विनय से कुछ खाम पहचान नहीं हुई। उस समय विनय नये साहित्य से नहीं जुड़े थे।

न जाने कब कैसे विनय नये साहित्य की ओर उन्मुख हुए और यह उन्मुखता उन्हें हमसे जोड़ती गयी। वे नयी कविता की गोष्ठियों में दिखाई पड़ने लगे और छोटी-मोटी गोष्ठिया आयोजित करने लगे। उन गोष्ठियों में वे मुझे प्रायः अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करते थे। धीरे-धीरे मेरे-उनके साहित्यिक सम्बन्ध बनते और सघन होते गये, फिर पारिवारिक सम्बन्ध भी जुड़े। पहली बार उनके घर गया तो उनकी पत्नी प्रमिल जी को देखा और लगा कि चेहरा जाना-पहचाना है। विनय ने ही बताया कि ये एम० ए० में आपकी शिष्या है। विनय के अनुज उन दिनों ‘ज्ञान भारती’ नाम की प्रकाशन-संस्था भी खोले हुए थे। डा० विनय मार्ग-निर्देशन करते थे। डा० विनय को इस बात का श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकाशन के माध्यम में मेरे कहानीकार को समग्र रूप से पाठकों के सामने आन दिया। मेरी कहानिया छपती थी, विशेषतया माठ के बाद मैं कहानी के क्षेत्र में अधिक सक्रिय हुआ और वे खूब छपी थी। डा० विनय ने मेरा-पहला कहानी-संग्रह ‘खाली घर’ छपवाया जिमकी अच्छी-बुरी चर्चा से मेरी कहानिया कुछ जानी-पहचानी गयी। यानी यहाँ से मेरे कहानीकार का एक समग्र बिम्ब साहित्यिक परिदृश्य में उभरना शुरू हुआ। तमाम खेमेबाज आलोचकों की उदासीनता के बावजूद मेरी कहानिया धीरे-धीरे अदलबदल पाठकों और लेखकों के मन में अपनी पहचान उभारने लगी।

डा० विनय ने दूसरे वर्ष यानी 1969 में मेरी आलोचना पुस्तक ‘हिन्दी कविता-तीन दशक’ छपवायी। यह पुस्तक मेरी अपनी आलोचना-पुस्तकों में अच्छी पुस्तक है और पाठकों ने इसे पसंद किया है। इस प्रकार मेरे रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन के दो विशिष्ट बिन्दुओं को प्रकाशित कर डा० विनय ने मेरे साथ लेखकीय और पारिवारिक सम्बन्ध और मैत्री भाव में एक नया आयाम जोड़ा।

सन् 1969 मेरे लिये बहुत महत्त्वपूर्ण वर्ष रहा, लेखकीय दृष्टि में भी और अकादमिक दृष्टि से भी। 1969 में ‘हिन्दी कविता : तीन दशक’ तो छपा ही, ‘जल टूटता हुआ’ उपन्यास तथा ‘पक गयी है धूप’ कविता-संग्रह भी छपा। ‘जल टूटता हुआ’ की अपनी कहानी है। इसे अहमदाबाद में ही लिखना शुरू कर दिया था और यह सन् 1965 में पूरा हो गया था। तब नामवरसिंह राजकमल प्रकाशन में थे। उन्होंने संकेत किया था कि यह उपन्यास उन्हें दू। किन्तु एक दिन देवीशंकर जी ने कहा— “देखिये, अपने मित्र राजेन्द्र यादव अक्षर प्रकाशन खोल रहे हैं। उन्हें यह उपन्यास दे दीजिये।” मैंने उनकी बात मान ली और पाहुलिपि अक्षर प्रकाशन को दे दी। जवाहर चौधरी राजेन्द्र यादव के पार्टनर थे। इस प्रकाशन में पहला सेट निकला, दूसरा निकला और किसी सेट में मेरा उपन्यास नहीं आया। जब भी अक्षर प्रकाशन जाकर बात करता, जवाहर चौधरी वायदा करते कि अगले सेट में आ रहा है। ऐसे ही जब उन्होंने एक दिन कहा कि अगले सेट में आ रहा है तो मैं झट्ला पडा, “आप क्यों झूठ बोलते हैं

—अगले सेट की किताबों की तो घोषणा हो चुकी है।” जवाहर चौधरी ने अपने को संभाल लिया—“अरे नहीं-नहीं, राजेन्द्र ने ऐसे ही बिना मुझसे पूछे-पाछे नाम दे दिया है।” मैं जानता था कि जवाहर जी मुझे बहला रहे हैं। उनकी बात से लगा कि वे तो देना चाहते हैं किन्तु राजेन्द्र यादव के मन में ही कोई गाठ है जो इसे छपने नहीं दे रही है। देवीशंकर जी जीवित होते तो पूछता—“आपने किसे उपन्यास दिला दिया। मैंने तो आपके कहने का सम्मान किया और ये समझते हैं कि य मुझे छापकर मुझे उपकृत करेंगे।” बहरहाल मैं झन्लाकर साल-भर बाद अक्षर प्रकाशन से पाडुलिपि उठा लाया। तब भी जवाहर चौधरी कहते रहे कि मैं उसे छापने वाला हूँ, मत ले जाइये। बाद में अनुभव किया कि वहाँ से पाडुलिपि वापस लाकर अच्छा ही किया क्योंकि तमाम लेखकों को इस प्रकाशन के लेन-देन को लेकर शिकायतें करते सुना। वहाँ से लाकर मैंने इसे नेशनल पब्लिशिंग हाउस को दिया। उन्होंने कहा, अपने विशेषज्ञ से पढ़वाकर फंसला करूंगा। तब उनके साथ श्री राजेन्द्र काम करते थे और साहित्यकर्मों होने के कारण उनके साहित्यिक सलाहकार भी रहे होंगे। तब यह प्रकाशन बंग्लो रोड पर एक छोटी-सी जगह में था। मलिक माहब ने मेरा कोई विशेष परिचय नहीं था। अतः दो-तीन महीने बाद उसे इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि इनना मोटा उपन्यास छापने की स्थिति में वे नहीं हैं। फिर मैंने दो-एक और मामान्य प्रकाशकों से सम्पर्क किया, उन्होंने भी असमर्थता प्रकट कर दी। फिर मैं एक दिन वाराणसी गया और अपने उपन्यास ‘पानी के प्राचीर’ के प्रकाशक श्री कृष्णचन्द्र बेरी से कहा तो उन्होंने अपने सहज और परिचित मंत्री भाव से कहा—‘रख दो, छप जायेगा।’

वहाँ रख दिया किन्तु जानता था कि यत्रा दत्र लगेगी। इनके यहा एक तो पाठ्य-पुस्तकों और बाल-पुस्तकों के प्रकाशन का अटूट क्रम लगा रहने से दूसरी पुस्तकों पर विशेष ध्यान नहीं जाता, हमारे इन पुस्तकों के छपने की कोई मुनिश्चित योजना नहीं होती। पुस्तक छपते-छपते कहीं भी कितने भी दिन के लिये रुक सकती है। ‘पानी के प्राचीर’ के अनुभव से मैंने जाना था और हुआ भी यही। यानी मन् ‘66-’67 में दिया गया उपन्यास ‘69 में आया। तब तक पूर्वांचल को लेकर लिखे गये कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास आ गये थे। डा० भारती ने यह उपन्यास पढ़कर लिखा कि कितना अच्छा रहा होता 1965 में पूरा हुआ यह उपन्यास अपने समय से यानी वाद में प्रकाशित उपन्यासों से पहले आ गया होता। तब कुछ और बात बनी होती।

मुझे इस उपन्यास की रचना से बहुत संतोष मिला था किन्तु यह चिंता तो लगी ही थी कि लोगों को कैसा लगेगा? नित्यानंद जी ने इस उपन्यास को पढ़कर अपना गहरा संतोष व्यक्त किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर तो और लोगों की अनुकूल प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं। डा० विनय के ही घर इस पर गोष्ठी हुई जिसमें 15-20 साहित्यकार उपस्थित थे। लेख पढ़ा नित्यानंद तिवारी ने। यानी इस पुस्तक की चर्चा की शुरुआत भी विनय के यहां से हुई। फिर तो धीरे-धीरे (नामवर समीक्षकों की उदासीनता के बावजूद) यह लोगों का ध्यान आकृष्ट करता गया। इस पर पत्रिकाओं और पुस्तकों में समीक्षाएं आती गयीं। सुना था कि उस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार

की दौड़ में भी था। यह पुरस्कार मिलता तो उसी को है जिसे मिलना होता है किन्तु उस समय इतना भी बहुत अच्छा लगा था कि किमी ने इसे दौड़ में शामिल होने के लिए धीरे में धकेल दिया था।

इसी वर्ष 'पक गयी है घूण' भी छठी। भारतीय ज्ञानपीठ में छपी थी और वहाँ से छपने का अपना मुख होता है। इसी वर्ष मैं पी० जी० डी० ए० वी० कालेज से दिल्ली विश्वविद्यालय के साध्य मस्थान में आया और उसी का परिणाम था कि बाद में मैं रीडर और प्रोफेसर हुआ। मुझे लगता रहा है कि कई बार प्रतिकूल परिस्थितियाँ भविष्य के लिए बरदान बन जाती हैं। साध्य मस्थान में हिन्दी प्राध्यापक की जगह खाली थी किन्तु मैंने इसलिए वहाँ आवेदन-पत्र नहीं दिया कि कालेज में मेलेकगन ग्रेड में आने की संभावना थी। अपने समय शिक्षण-अनुभव में वरिष्ठ होने के बावजूद कालेज में मरा चौथा नम्बर था। मुझे आशा थी कि फिर भी कुछ होगा। लेकिन नहीं हुआ। कालेज के हिसाब में जिन्हे हाना था वे हुए और मैंने निराशा में साध्य मस्थान के लिए आवेदन-पत्र दे दिया और वहाँ ले लिया गया। यानी विश्वविद्यालय-संस्था के क्रम में लग गया।

64

विवेक पढ़ने जान लगा था। कहा जा चुका है कि वह स्वभाव में बहुत बरिबड था। ताकत भी थी। भय नहीं गया था। जिस बात पर तुल गया, तुल गया। स्कूल नहीं जाने का मन है तो नहीं जायेगा। लाख कोशिश कर लीजिए। वह पहले माडल टाउन में ही मेरे एक मित्र सनेही जी के स्कूल 'सर्वोदय विद्या मंदिर' में जाता था। वहाँ से रिकशा आता था। रिकशेवाला चिल्लाता था—“बीबे बाबू।” बब्बे बाबू का मन होता तो जाकर रिकशे पर बैठ जाते, नहीं तो कहते—“नहीं जायेगे।” किन्तु नहीं जाने से कैसे काम चलेगा। नहीं जाने का तो उनका मन प्रायः होता था। अतः हम लोग उन्हें पकड़कर रिकशे पर बैठा आते थे। रिकशे पर बैठकर बब्बे बाबू तूफान मचा देते और पीछे की ओर से कूद पड़ते थे। रिकशेवाला उन्हें पकड़ता था तो उससे दृष्टुम-दृष्टुम शुरू हो जाता था। रिकशेवाला धबराकर छोड़ देता था और बब्बे बाबू विजयी की तरह तने हुए घर लौट आते थे। उनकी इस आदत से हम भी परेशान थे, स्कूल वाले भी परेशान थे, किन्तु हम ममज्ञ गये थे कि बब्बे बाबू वह चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती काबू में रखा जा सके। सनेही जी भी प्यार से ही उन्हें वश में करना चाहते थे और हम भी किन्तु आखिर कोई किनना सहन करेगा, अतः बब्बे बाबू अपनी भयानक जिद के कारण कभी-कभी पिट भी जाते थे।

कभी-कभी वे चौराहे पर अकेले आठ-दस लड़कों से डेला-डेलीबल करते दिखाई

पड़ते थे और वहाँ से लौटने के बाद उनमें कोई उत्तेजना या थकान नहीं होती थी।

कुछ दिनों बाद विवेक का स्कूल बदल गया। वे मोहल्ले के ही एक प्राइवेट माडल स्कूल में जाने लगे। स्कूल जाने की आदत में थोड़ा-सा सुधार अवश्य हुआ था किन्तु स्कूल की औपचारिकताओं ने उन्हें उद्विग्न कर दिया। बच्चों की टाई ठीक रहनी चाहिए, जूता चमकता होना चाहिए, यूनीफार्म में चुस्ती होनी चाहिए, कपड़े किसी भी कदर अस्त-व्यस्त नहीं होने चाहिए। बच्चे की बोलचाल में अंगरेजी की एँठ और औपचारिकता होनी चाहिए। उसकी चाल-ढाल चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए। बिना शिथिलता के उसके मुँह में समय में गुड मॉनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट फूटनी चाहिए और माँ-बाप को हिदायत मिलनी चाहिए कि वे बच्चे को इस माँचे में ढालें या ढलने में महायत्न दें।

विवेक इस स्कूल में गया तो विवेक और स्कूल दोनों एक-दूसरे के लिए चुनौती बन गये। स्कूल चाहता था विवेक को एक माँचे में ढालना और विवेक थे कि वे तुने थे स्कूल के उन सारे यांत्रिक नियमों को तोड़ने को जो उनका उन्मुक्त व्यक्तित्व को कपना चाहते थे। वे घर में निकलते थे तो कभी टाई पहनना भूल जाते थे, कभी जूता। टाई पहनकर निकलने भी थे तो उन्हें रास्ते में या स्कूल में तंग करती थी और उसे निकालकर बस्ते में रख लेते थे या कहीं फेंक देते थे। जूतों की जगह चप्पल पहनकर निकल जाते थे। प्रायः पाँच में चोट ही लगी होती थी इसलिए जूता पहना नहीं जाना था या फिर स्कूल का रिक्शा आकर दरवाजे पर रुकता था और वे तैयार नहीं होते थे और फिर इतनी जल्दी-जल्दी में तैयार होना पड़ता था कि जूता पहनने का मौका ही नहीं मिलता था या स्कूल से आकर जूता निकालकर कहीं यों फेंक देते थे कि जल्दी-जल्दी में मिलता ही नहीं था। यही हाल बस्ते का था तथा और चीजों का भी था। हम लोग हैरान थे—परन्तु करने क्या ?

हैरान कौन नहीं था। स्कूल वाले विवेक से हैरान थे, विवेक स्कूल वालों से हैरान थे और हम विवेक और स्कूल दोनों से हैरान थे। स्कूल विवेक की शिकायत करता था, विवेक स्कूल वालों को गाली देता था। हम जानते थे कि स्कूल वाले बच्चे को स्कूल के तौर-तरीकों और अनुशासन में ढालना पसंद करते हैं। हम जानते थे कि विवेक जैसे कुछ बच्चे एक उन्मुक्त स्वभाव लेकर पैदा होते हैं और वे किसी लीक से बंधकर नहीं, उससे हटकर विकसित होते हैं, इसलिए वे लीकों (चाहे वे किसी क्षेत्र की हों) के लिए चुनौती बन जाते हैं।

विवेक कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। कई कारण संचित हो गये थे। एक तो वह यह कहता था कि प्रिंसिपल वर्तमान है। दौड़ में फस्ट में आया और उमने फस्ट कर दिया अपनी बेटी को। मुझे एम स्कूल में नहीं पढ़ना। दूसरा कारण था टाई के लिए मार खाना। वह कहता—साली टीचर ने मुझे टाई न लगाने के लिए मारा। मैं नहीं लगाता टाई-फाई। मेरा दम घुटता है। तीसरा कारण था हिन्दी माध्यम का एकदम इंग्लिश माध्यम में बदल जाना। उस स्कूल में पहले शुरू की कक्षाओं में हिन्दी माध्यम थी, एकाएक इंग्लिश कर दी गयी और हिन्दी की सारी किताबें बेकार हो गयीं

और स्कूल में ही इंगलिश की पुस्तकें उन्हें देकर घरवालों को देने के लिए उनके बिल थमा दिये गये। एकाएक इंगलिश का भार विवेक मह नहीं पाया। एक तो यह अचानकता, दूसरे इस ब्यवहार के प्रति प्रतिरोध का भाव, इसलिए विवेक इंगलिश माध्यम के साथ साहचर्य स्थापित नहीं कर पा रहा था और इसके लिए उसे दंडित होना पड़ता था। यह दंडित होना उसके भीतर स्कूल के प्रति आक्रोश भर रहा था। अतः वह घर बैठ गया। बहुत कहने पर ज़िद कर बैठा था कि वह यहाँ नहीं पड़ेगा। आखिर किमी तरह मैं उसे लेकर स्कूल पहुँचा, प्रिंसिपल से बात की, उसकी शिकायतें मामने रखी। प्रिंसिपल ने उसके टीचर को बुलाया। वे अपने ओठों पर एक किलो लिपस्टिक लादे हुए उसके में आयी, प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ ममझाया तो उन्होंने मंत्री ओर बड़ी हिंकारन की दृष्टि में देखा, फिर बोली—“देखिए जी, आपका लडका स्कूल के कायदे के मुताबिक नहीं चलेगा तो उसे डाटना भी पड़ेगा। उसे ममझाने की जगह आप शिकायत लेकर आये हैं।”

मुझे बहुत अमध्य और अभद्र लगी यह टीचर। मैंने प्रिंसिपल से कहा—“मिसेज प्रिंसिपल, इनसे कहिए कि इन्हें जो कुछ कहना हो आपसे कहे, मैंने इनमें कुछ नहीं कहा है। जो कुछ कहा है आपसे कहा है। हम शिक्षार्थियों को यह भी समझना चाहिए कि स्कूल बच्चों को बाँधने के लिए नहीं होते, उन्हें खोलने के लिए होते हैं। जूता टाई, मोजा शिक्षा नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के अपने स्वभाव की पहचान कर उनकी संभावनाओं को खोलना होता है, उनका जूता, मोजा ठीक करना नहीं होता। दुर्भाग्य से आज शिक्षा इन्हीं पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसीलिए छोटे बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। मैंने इन बच्चों को आपके स्कूल में इसीलिए भेजा था कि आपके यहाँ पढ़ाई हिन्दी में हाती है और इंगलिश भी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। अब बच्चा एकाएक आ जाने वाले इंगलिश माध्यम के भार को सभाल नहीं पा रहा है तो इसमें उसका क्या दोष ?”

“लेकिन और भी तो बच्चे हैं, वे तो कुछ नहीं कहते ?” फिर वे मँडम बोली थी। मैंने उनकी ओर देखा और बोला—“प्रतिरोध केवल सजीव बच्चे ही करते हैं जिनमें अपनी पसंद, नापसंद शुरू से होती है। निर्जीव बच्चों को तो आप चाहे जिस रूप में ढाल सकते हैं किन्तु सजीव बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार ही विकसित करना होता है।”

प्रिंसिपल बोली—“आप ठीक कह रहे हैं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे किन्तु इतने बच्चों में सबके अलग-अलग स्वभाव के अनुसार नियम बनाना तो संभव नहीं है अतः कुछ आप भी प्रयत्न कीजिए कि यह स्कूल के वातावरण में अपने को ढाले और जहाँ तक हिन्दी से इंगलिश माध्यम करने का सवाल है वह मैंने तमाम अभिभावकों के आग्रह से किया है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे शुरू से ही अंगरेजी में बोलें। स्कूल मैंने अपने लिए तो खोला नहीं है। अभिभावकों की जो इच्छा होगी उसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे आपके बच्चे को धीरे-धीरे इस ओर आकृष्ट करने की। आप भी हमारा सहयोग कीजिए।”

“मैडम, स्कूल केवल व्यवसाय नहीं है कि बाजार की मांग को देखते हुए हम उसे ढालते चलें। वह एक सिद्धान्त भी है, जिसका निश्चय स्कूल खोलने वाले को करना पड़ता है। हिन्दी माध्यम एक बुनियादी शिक्षा-नीति का परिणाम है। केवल कुछ लोगों के चाहने, न चाहने का परिणाम नहीं है। बहरहाल मैं आपके फैसले को बदल तो सकता नहीं, स्कूल आपका है। हां, इतना अवश्य कहूंगा कि इंगलिश माध्यम से पढ़वाना हो तो इसका ध्यान रहे कि टीचरें योग्य हो जो उन्हें सही उच्चारण दे सकें।”

प्रिंसिपल थोड़ा मुमकराई। मैंने कनखियो से देखा कि इंगलिश मैडम का रंगा-पुता चेहरा मेरे प्रति घृणा से काला पड़ गया था। विवेक को प्रिंसिपल ने बहुत प्यार किया, ममझाया और मैं चला आया।

65

हेमंत, शशांक, विवेक अपने-अपने ढंग में जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में उत्पात मचाये हुए थे। अंजू और बन्नो दोनों बेटिया बेटियों की तरह ही दोनों क्षेत्रों में बहुत शालीनता और गम्भीरता में पग बड़ा रही थी।

बन्नो का नाम बनश्री रखा गया था और संक्षिप्त नाम बन्नो पड़ गया। बाद में न जाने क्या हुआ कि उसका नाम बनश्री से मिमता रख दिया गया किन्तु पुकारने का नाम बन्नो ही रह गया। इन दोनों बेटियों के बारे में न कभी स्कूल से शिकायत आयी न पास-पड़ोस में। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छी थीं, अच्छे अंक मिलते थे। बाद में अंजू को कुछ ऐसी मंद बुद्धि लड़कियों का साथ मिल गया जिनके कारण उसकी शैक्षिक प्रगति बाधित हुई और उसके डिबीजन खराब होने लगे। बन्नो में शुरू से ही अच्छी मेधा दिखाई पड़ी और साथ ही लड़कों जैसी हाँच भी उसमें लक्षित होने लगी। पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने, सांस्कृतिक क्रिया-कलापों और सामान्य ज्ञान के प्रति उसमें बहुत उत्साह और पकड़ थी। अंजू का गान्ता लड़की का था, सीधा था, इसका वर्तुल। अपने बल पर कुछ बन जाने की प्रवृत्ति उसमें शुरू में ही दिखाई पड़ने लगी थी। हमने कभी उसे लड़की की सीमा में बाँधने की कोशिश नहीं की। उसे अपने मार्ग पर चलने दिया। और हमें प्रसन्नता है कि वह आज एक लड़का या लड़की के रूप में नहीं, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सामने है, जीवन और ज्ञान के संकुल मार्ग में चलना पसंद करती है। निरंतर एक तैयारी की यात्रा में गुजर रही है।

बहरहाल तब हम दोनों बेटियों में तो निश्चिन्त थे किन्तु लड़कों की जीवन और शिक्षा-यात्रा उद्विग्न किये हुए थी। विवेक तो अभी छोटा था, अतः वह बरिबंड होकर भी सामाजिक दृष्टि से बहुत परेशानी का कारण नहीं बना था। शशांक का पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगता था, अतः स्कूल से शिकायतें तो आती थीं किन्तु लड़ाई-भगड़े

की शिकायतें बहुत कम आती थी। शशाक का कोई दल नहीं था और तैश में आ जाता था ता यह नहीं दखता था कि वह अकेला है और विरोधी पक्ष में कई है। बिना सोचे-समझे पिल पड़ता था और पिट जाता था।

शशाक की चटोरपन की आदत बढ़ती ही जा रही थी। पैसा किसी काम में दिया जा रहा हो, आशका बनी होती थी कि उसका सही उपयोग नहीं हो पायेगा। उसके स्तन में वैक की कोई रेकर्गिंग योजना शुरू हुई थी। हर महीने दस रुपये जमा किये जाते थे। कुछ महीने बाद किसी काम में वे पैसा निकालने की जरूरत पड़ गयी। शशाक में कहा गया कि निकाल लो। वह कई दिन तक टाल-मटोल करता रहा। मैंने जोर देकर कहा—“आज पैसा जरूर निकाल लाना।”

शाम को वह स्तन में लौटा ही नहीं। हम लोग बहुत चिन्तित हुए। दूसरे दिन स्कूल गया तो ज्ञात हुआ कि वह स्तन गया ही नहीं था। मुझे लग गया कि वह जमा पैसा निकालकर खर्चा होगा या कई महीने में जमा ही नहीं किया होगा, खाना खा रहा होगा। लेकिन अब चिन्ता पैसा ही नहीं, शशाक की थी। अनेक सम्भावित जगहों पर खोज कर ली गयी। कहीं नहीं मिला। हमारी पीटा का अंत नहीं था। श्रीमतीजी का देखकर उन लगाने लगा था और हम उन लोगों की अनंत बेदना पर कुछ सहभागी हो रहे थे जिनके बच्चे सदा के लिए खो जाते हैं। कैसे जीने होंगे वे लोग ?

एक दिन मेरे साने दीपनारायण चुपके में मेरे यहाँ आये और बताया कि शशाक आया हुआ है और डर के मारे यहाँ नहीं आ रहा है। मैं तो अन्तर्जान का वहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। कई दिन में भूखा था, नहाये-धोये भी नहीं था। उस देखकर दया आ रही थी। पत्नी उनके साथ गयी और शशाक उन्हें देखने ही से पड़ा। पत्नी प्यार से समझा बुझाकर उसे ले आयी। मरी ओर से आश्वस्त किया। वह सामने आया तो मैंने उसे छाती से लगा लिया और डाटा कि इतनी छोटी-सी बात के लिए डरकर भागने की क्या आवश्यकता थी ? मैंने खा गये थे तो क्या हो गया ? पैसा खाने के लिए ही होते हैं।

उसने बताया कि वह अम्बई चला गया था। वहाँ जाते ही किसी गदत आदमी के हाथ में पड़ गया, उसमें लड़-झगड़कर फिर स्टेशन आ गया और गाड़ी में बैठ गया। उसने हाथ पर छुरे का निशान भी दिखाया। हम एक होने वाले अनिष्ट की आशंका में काप गये किन्तु उसके टाँ जानें में राहत भी अनुभव कर रहे थे। शशाक को भगाने वाली बुद्धि और सकल में सम्भाल लने वाली बुद्धि दोनों का साक्षात्कार कर हम दुःख और मुँह का अनुभव कर रहे थे।

किंतु हेमत का अपना दल था। मोहल्ले के तमाम शरारती लडके उसके साथी थे—कोका, बादशाह, अशोकी, मराठी और न जाने कितने-कितने लडके। कह चुका हूँ कि बचपन में दूसरों द्वारा पिट जाने की प्रतिक्रिया में वह अपने को दूसरों को पीटने लायक बना रहा था। पहले घर रोता हुआ आता था अब पीटकर या पिटकर चुपचाप आता था, पूछने पर भी कुछ नहीं बताता था। दूसरी बात उसमें यह थी कि वह तैश में नहीं, योजना के साथ लड़ता था। घर में तो वह जरूर तैश में रहता था बल्कि तैश में ही रहता

था, किंतु बाहर अपने तैश की समय के हिमाब मे कम-ज्यादा करता रहता था। जहां देखना था कि घिर गया है वहा बुद्धि से काम लेकर निकल आता था, जहा देखना था कि तैश से काम चल जाएगा वहा तैश मे आ जाता था।

अब वह कालेज मे चला गया था और वहा भी पढने-लिखने मे कोई रुचि नहीं थी, बस यही सब करना था। कालेज जाने मे पहले जब वह अपेक्षाकृत छोटा था तो मोहल्ले के शरारती लडको के साथ न जाने कितने क्रिया-कलाप करता था। वैसे हेमत उन शरारती लडको के साथ अवश्य था और बहुत-स खेल करता था किन्तु उनमे उसकी कोई वृत्तियादी समानता नहीं थी। वह शुरू मे ही मनुष्य था। उमने कभी कोई क्रूर कर्म नहीं किया वलिक दूसरो की सहायता करने मे, लडकियो की दृजत बचाने मे, पशु-पक्षियों के भी नरुम भरणे मे, गरीबों और असहायो त आसू पोछने मे वह सदा नत्पर रहता था। वह अपने घर की चिंता करता हो या न करता हो (और न ही करता था) दुमरों के दुःख दर्द मे शामिल जरूर होता था। अपनी मा के दुःख-दर्द के बारे मे शागद ही अभी पूछा हं किंतु जानता ह कि दोस्तों की माताओं के लिए उमने बहुत कुछ किया। घर या अस्पतालो मे उनके लिए जाता था। घर से सामान ले जाकर न जाने कितने जरूरतमंद दोस्तों को देता रहा। हमे यह तबलीफ तो जरूर रही कि दखो, यह लडका अपने घर का कोई मरना भी रहे तो चिंता नहीं करता और दोस्तों के यहा किसी को कोई तकलीफ हो तो सब कुछ छोड-छानकर भाग खटा हुआ। भ्रष्टे याद नहीं कि इसन घर के लिए कभी कुछ किया हो किन्तु हम लोग अपना काम कर लेन मे ममथं थे और हमारे जीवन की गाडी बिना किसी (चाहे अपने हा या पराये) की सहायता के ठीक-ठाक चल रही थी, इसलिए हम लोग हेमत की अपने घर क प्रति घोर उदासीनता को देखते हुए भी हम बान मे पमन थे कि उसका सामाजिक व्यवहार मूजत. मानवीय है। इसलिए हम उमके माथियो मे चिढत थे। हम जानते थे कि उमके साथी शरारती ही नहीं क्रूर है, अमानवीय है। उनकी शरारतों मे बाल-मुलभ क्रीडा-भाव नहीं है, हिंसा-भाव है। हम हम उनके साथ होने मे मना करते थे, डाटते थे और कभी कभी इस बात का लेकर बहुत अप्रिय प्रमग घांटत होने थे लेकिन हेमत अपने राग्ने पर अडिग भाव मे चल रहा था और इन दोस्तों के साथ न जाने कितनी शरारतें करता था। कुछ की जानकारी हमे होती थी, कुछ की नहीं होती थी। कुछ मे ये शरीक होते थे, कुछ मे मात्र दर्शक बन रहते थे। शरारतों के केन्द्रीय चरित्र तो अशोकी, कोका, बादशाद तथा मराठी हुआ करते थे। वैसे मराठी हेमत का दोस्त ता था किन्तु हमके इन दोस्तों मे नहीं जुडा था। ये लडके खुलकर शरारतें करते थे और उपालभ लेकर जाने वालो को इनके बाप डाटकर भगा देते थे और मैं था कि उनके उपालभ को मुनता था, दुखी होता था और लडके को डाटता था। उन दिनों पूरे मोहल्ले मे एक टी० वी० मेट था मिस्टर चौधरी के यहा। 15 अगस्त, 26 जनवरी को बहू टी० वी० उनके खुले ओसारे मे रखा जाता था। वहा आमपास के लोग आकर देखते थे। चौधरी इन शरारती लडकों को अंदर नहीं आने देते थे। बम, क्या था, ये लडके उनके गमले को गिराकर तोड देते थे, बाहर मे ढेले मारते थे और चौधरी के खिलाफ हाय-हाय के नारे लगाते थे। इन लडकों का समवयस्क था

बाबूलाल, वह लाला का लड़का था। उसकी मां भी लाला की ठेठ बीबी थी। बाप दुबला-पतला लम्बा-सा। ये लड़के बाबूलाल को तग करते रहते थे और एक रात कोका, अशोकी बाहर सोते हुए बाबूलाल के बाप की खाट उठाकर ले गए और एक गंदी नाली के किनारे रख आये। मुबह बाबूलाल के बाप की नींद टूटी तो वह अपने को वहा पाकर हैरान हो गया, उसे डर लगा कि कोई भूत-वूत तो यहा नही रख गया है। मुबह खाट टांगे हुए घर पहुंचा तो देखा घर में कुहराम मचा हुआ है।

एक दिन मुबह-मुबह सामने के मकान में रहने वाले बूढ़े गुप्ता जी (जिन्हें हम लोग बिन्नी का बाबा कहते थे) आय और शिकायत कर गये कि “कल तहके जब बिन्नी सो रहा था तो हेमत ने नाली के कीचड़ में झाड़ू डुबाकर उसके मुह पर दे माग। मैं पचायत बुला रहा हू।”

मैं अब ऐसी बातों से ऊब गया था और इस बात से भी चिढ़ हो गयी थी कि इस मोहल्ले में न जाने किस-किसके बच्चे एक-मे-एक गदी शरारत करते रहते हैं। उनमें न कोई कहने जाता है न पंचायत होती है। मुझे को लोग कमजोर समझते हैं इन सब बानों के लिए। मेरे बच्चों की भी मेरे प्रति यही शिकायत थी कि आप सबकी बान सुन लेते हैं इसलिए सब लोग सुनाते रहते हैं, नही तो किसके बच्चे शरारत नही करते? बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग एक-से-एक बदतमीजिया किया करते हैं। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा कडा पडना चाहिए। मैंने बिन्नी के बाबा से कह दिया—“जाइए जो करना है कीजिए, मेरी जान मत खाइए।”

वे चले गए और कुछ देर बाद उनके पडोमी कौर साहब मेरे पास आए और बोले—“डाक्टर साहब, चलिए, सभी लोग बुला रहे हैं।”

“मैं नही जाता किसी अंचायत-पंचायत में। जिसको जो करना हो कर ले। मुझे क्या इन लोगो ने कोई मुजरिम समझ रखा है और अपने को न्यायाधीश।”

“नही डाक्टर साहब, आप मेरे कहने में चलिए। इस कौर के रहते आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आच नही आयेगी।”

खैर, मैं उनके साथ चला। वहा देखा अनेक मकान-मालिक बैठे हुए हैं जिनमें कुछ तो शरीफ थे और मेरा सम्मान करते थे। बाकी शुरू हो गये—“साहब, आपका लटका बहुत बिगड गया है। वह एक-से-एक खराब हरकतें करता है। अब उसकी हरकतें अमह्य हो गयी हैं। उसे सभालिए नही तो...।”

“नही तो क्या?” मैंने पूछा।

“नही तो क्या? का क्या मतलब साहब आप हमसे सवाल करने के स्थान पर उससे सवाल क्यों नही करते? कल उसने गदी नाली में डुबाकर झाड़ू मुह पर मार दिया। यह कोई बरदाश्त करने लायक चीज है?”

“देखिए श्रीमान् लोगो, पहली बात तो यह है कि मैं अपने बच्चों को हर बेजा बात पर डांटता हूँ। लेकिन यह भी जानता हूँ कि आप लोगो में से अधिसंख्य के बच्चे चटिया शरारतें करते रहते हैं और आप उन्हें मना नही करते और नही तो शिकायत करने वालों से लड़ पड़ते हैं। कहिए तो नाम गिनाऊँ?” लोग चुप रहे।

“दूसरी बात यह है कि यह बच्चों का आपसी मामला है। वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं। हम लोग बिना वजह उनकी बात को मुद्दा बनाकर अपने में लड़ते हैं।”

“यह आप क्या कह रहे हैं !”

“ठीक कह रहा हूँ। आपने जिस लड़के के लिए पचायत बटोरी है उससे पूछकर बटोरी है? आपको पता है कल शाम को वह हेमंत के साथ खेल रहा था ?”

“इसमें क्या होता है! इससे झाड़ू मारने का काम सही तो नहीं हो गया।”

“नहीं, डाक्टर साहब दूसरी बात कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, लड़के को जिम बात की कोई शिकायत नहीं, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और वह प्रेम से अपने अपराधी के साथ खेल रहा है।” कौर न मेरा समर्थन किया। मेरा कड़ा रुख देखकर पंच लोग भी चुप हो गये और सभी लोग अपने घरों को खिसक गये।

66

डा० मावित्री सिनहा भी माडल टाउन में आ गयी थी। मैं प्रायः उनके यहाँ जा बैठता। उनके यहाँ जाने में किसी प्रकार की औपचारिकता का दबाव महसूस नहीं होता था। वे भी कभी अकेले, कभी डा० नगेंद्र के साथ मर यहाँ चली आती थीं। खूब खुलकर बाने होती थी, हम जी भरकर हँसते थे। वे मरी पत्नी का भी बहुत प्यार करती थी। कभी कभी मुझे कहती थी—‘तुम कहाँ क’ रगिण लेखक हो? न तुम शराब पीते हो न चरुट पीते हो, न बीबी छान्नी है, न तुम्हारी आँखों में तेवर है।’ फिर भभाकर हम पड़ती थी। मैं भी हम पड़ता था और कहता था—“नहीं चाहिए ऐसी आधुनिकता।” वास्तव में उनके साहचर्य में बिताये गये आत्मीय क्षण बहुत मूल्यवान् थे। कुछ समय बाद वे प्रोफेसर क्वार्टर में चली गयीं। लेकिन हमारे आने-जाने के क्रम में उडापन नहीं आया।

एक दिन मुना कि डाक्टर नगेंद्र न अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया है। इस घटना की न जाने किननी व्याख्या की गयी और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन्हें त्यागपत्र देने पर विवश होना पड़ा। किन्तु मैं उन व्याख्याओं में न पड़कर इतना ही कहूँगा कि यह घटना बहुत अविश्वसनीय लगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में नगेंद्र जी के वर्चस्व को देखते हुए यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन समय से बड़ा कौन है? समय ने धीरे-धीरे विभाग में भी उनकी आतंककारी तनी मुद्रा के विरुद्ध कुछ छात्रों को खड़ा कर दिया और दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा प्रशासकीय दल आया जिनके कारण उनका प्रशासनिक वर्चस्व दरकने लगा और कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा।

सावित्री जी प्रोफेसर हो गयी थी, अब विभागाध्यक्ष हो गयी। उनके यहाँ जाना मैंने कम कर दिया। एक दिन बहुत अमर्ष में बोली—“अध्यक्ष बनकर मैंने कोई अपराध कर दिया क्या कि मित्र लोगो ने मिलना बंद कर दिया?” मैं समझ गया कि वे चोट मुझ पर कर रही हैं। मैंने बहुत विनम्रता से कहा—“मिसेज सिनहा, मैंने आपके यहाँ आना कम किया है तो केवल इसलिए कि आपका समय नष्ट न हो। आपके पास इतना अधिक कार्य-भार आ गया है, यदि मित्र लोग समग्र-असमय आकर आपको घेरे रहे तो आप काम कैसे करेंगी।”

“देखो, मैंने अध्यक्षता मित्रों को खोने के लिए स्वीकार नहीं की है। अध्यक्षता मैं विभाग में करूंगी, घर पर नहीं। घर पर मैं मित्रों और आत्मीयों से उसी तरह मिलते रहना चाहती हूँ जैसे पहले मिलती थी और आप खाली मित्र नहीं हैं, विभागीय सहकर्मी भी हैं। आप लोगो से सलाह-मशविरा करके ही तो मैं अपना दायित्व पूरा कर पाऊंगी।”

मैं उनके स्नेह भाव के प्रति विनत था। स्वीकार करना पड़ा कि पहले की तरह ही आता रहूँगा। थोड़े ही दिनों में ज्ञात हो गया कि सावित्री जी विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे बहुत शालीन थीं किन्तु अपने निर्णयों में बहुत माहमी थीं। वे विभाग के लिए कुछ नये निर्णय लेना चाहती थीं। उनमें से एक प्रभावशाली निर्णय था, पाठ्यक्रम में नये साहित्य का प्रवेश। जैसे वे नयी पीढ़ी की दोस्त थी वैसे ही नये साहित्य की भी प्रशंसिका थीं। उन्होंने हम लोगों से कहा—“आप लोग पुस्तकों के नाम चनिए, मैं चाहती हूँ स्वान्त्योत्तर साहित्य भी पाठ्यक्रम में आये।” हमने (यानी मैंने नित्यानन्द तिवारी ने और कुछ और लोगों ने) उनकी सहायता की और उन्होंने अनेक नाराजगियों और प्रतिरोधों के बीच अडिग भाव में नये साहित्य और नयी कृतियों का प्रवेश कराया। तब से यह परम्परा आगे ही बढ़ती रही।

डा० गिनहा विभाग के शैक्षिक माहौल में साहित्यिक गरमी लाना चाहती थी। विभाग में छात्रों की संस्था थी (और है) ‘हिन्दी साहित्य सभा’ और शिक्षकों की संस्था थी (है) ‘अनुमधान परिषद्’। हिन्दी साहित्य सभा के परामर्शदाता थे डा० ओम्प्रकाश। डा० गिनहा ने मुझे भी उनके साथ लगा दिया और मेरे साथ कालेज के कई साहित्यकारों (अजितकुमार, इंदु जैन, मन्नु मडारी) को जोड़ दिया। मुझे थोड़ा मकोच हो रहा था क्योंकि मैं साध्य संस्थान में था और ‘हिन्दी साहित्य सभा’ दिन की कक्षाओं की थी। लेकिन मैंने कहा न कि सावित्री जी बहुत माहसी निर्णय लेती थीं। मुझे इस कार्य में संकोच हो रहा था, उन्हें नहीं हुआ। मुझे यह सोचकर इस काम से झिझक हो रही थी कि डा० ओम्प्रकाश जैसे बरिष्ठ व्यक्ति को यह बात प्रिय नहीं लगेगी। उन्हें लगेगा कि क्या वे अकेले यह कार्य करने में असमर्थ थे कि एक आदमी और (जो कि साध्य संस्थान में है और लेक्चरर है) उनके साथ जोड़ दिया गया और उसके साथ कालेज के लोगों को भी नत्थी कर दिया गया। वास्तव में उन्हें प्रिय नहीं लगा। वे कभी भी ‘हिन्दी साहित्य सभा’ के किसी कार्यक्रम में नहीं आये और एकाध बार उन्होंने व्यंग्यात्मक वार्ता

से भी अपनी अप्रियता व्यक्त कर दी।

खैर, डा०सिनहा के निर्देशन में अनेक रचनात्मक गोष्ठियां हुईं। वे हिन्दी-विभाग के शैक्षिक और शास्त्रीय वातावरण में रचनात्मक वातावरण का प्रवेश कराना चाहती थी और अनेक तरह से इस कार्य की मिट्टि में जुटी थी। कई अच्छी काव्य-गोष्ठियां हुईं। वे बाद में बीमार पड़ गयी थी और कई बार बीमारी की अवस्था में भी कुछ देर के लिए गोष्ठियों में आयी।

उनकी प्रेरणा में हम लोगो ने नये कवियों की कविताओं का एक सफल तैयार किया 'मुट्टियों में बद आकार'। मेरे साथ सहयोग कर रहे थे दिविक रमेश और सुरेश ऋतुपर्ण। सफल छात्रा 'ऋषभचरण जैन एवं मन्ति' प्रकाशन में।

दरअमल हिन्दी-विभाग का माहौल एक नया रूप ले रहा था। प्रोत्साहन पाकर अन्तर्गत रचनात्मक प्रतिभाएं सामने आ रही थीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कक्षा में फल शिष्यक ही नहीं होता बल्कि अपने छात्रों के बीच से रचनात्मक शक्तियों की पहचान करने के लिए प्रयत्नशील एक रचनाकार भी होता हूँ। इसलिए आज तक बनाम में अनेक अहमदाबाद तक न जानते रचनात्मक प्रतिभा-स्पन्द छात्र मुझसे जुड़े हुए दिखते थे। डी० ए० डी० का राज में मे 'अकुर' पत्रिका का संपादन करता था। उसमें बहुत-सी रचनाएं छापीं किन्तु प्रतापसिंह के अतिरिक्त कोई शभावनापूर्ण छात्र दिखाई नहीं पता। किंतु एम० ए० की माध्य कक्षाओं में कुछ छात्र दिखाये देते जिनमें मैं अच्छी सभ्यता की पहचान करती थी। उन्हें भी मैं प्रोत्साहित किया। वे मेरे निकट आने लगे और बहुत गहराई में जुट गये। प्रताप महगल, दिविक रमेश सुरेश होकर उन्हीं छात्रों में से थे। दिन में भी कक्षाएं लता था और वहां भी अनेक रचनात्मक प्रतिभाएं उभर रही थीं - मुख्तियारसिंह, सुरेश ऋतुपर्ण उन्हीं में से थे। उन सभी प्रतिभाओं को मेरा माहुर्य तो पाने था ही, मावित्री जी इन्हे अत्यन्त वन्दनलता और प्रोत्साहन दे रही थीं।

सन् '71 में दक्षिण पार्श्वर की स्थापना हुई। एक रोजेसर और दो रीडर-पद की मांग हुई। उन पदों पर क्रमशः डा० विजयन्द्र मनातक, डा० निर्मला जैन और डा० मन्नेन्द्रकुमार की नियुक्ति हो गयी। कुछ दिनों बाद-दा जगहे और निकली। मैं एक दिन डा० मावित्री मिनहा के यहाँ गया तो उन्होंने पूछा—“आवेदन-पत्र दे दिया?”

मैंने उदासीन भाव में कहा—“नहीं दिया, न दगा।”

“क्यों?”

‘कोई लाभ नहीं, मुझे नहीं होना है रीडर। ऐसा ही ठीक है।’

“नहीं, आवेदन-पत्र जरूर दीजिए और देखती हूँ इस बार कैसे नहीं होता है।”

मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास चमक रहा था। पिछले रीडर-शिप के चुनाव के पश्चात् डाक्टर साहब के साथ जब घर आयी थी तब उनकी आंखों में दर्द भरा था और वे साथ साथ चलती हुईं भी मुझसे आंखें चुरा रही थीं। मैंने उनकी वेदना को महसूस किया था। आज लगा कि उसी की प्रतिक्रिया में उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दहक रहा था।

यहां आने के बाद मैं दो बार रीडरशिप के लिए आवेदन-पत्र दे चुका था। एक बार तो इंटरव्यू में गया ही नहीं क्योंकि डा० सत्यदेव चौधरी को होना था। वे यहां बहुत बरिष्ठ प्रवक्ता थे, उन्हें होना ही चाहिए था। तब पदोन्नतियां बहुत क्रम से होती थीं। जिसे होना होता था वही आवेदन-पत्र देता था। तब नगेन्द्र जी उसे संकेत करते थे। मैंने उनकी अनुपस्थिति में आवेदन-पत्र दे दिया था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह यहां की परिपाटी के विपरीत है और डा० नगेन्द्र इस बात का बहुत बुरा मान गये हैं तो मैं इंटरव्यू में नहीं गया। डा० नगेन्द्र के अध्यक्ष-पद से हटते ही यह परिपाटी चरमराकर टूट गयी और सभी लोग स्वतंत्र हो गए किसी भी पद के लिए संघर्ष करने को। इसलिए दक्षिण परिसर के लिए बहुत-से लोगों ने आवेदन-पत्र दिये, मैंने भी दे दिया। इस बार काफी उम्मीद से दिया था किन्तु नहीं होना था, नहीं हुआ। बहरहाल इस बार फिर विश्वास के साथ गया और हो गया। डा० तारकनाथ बाली उत्तर परिसर के लिए और मैं दक्षिण परिसर के लिए चुना गया। डा० स्वरूप-सिंह पिछली बार भी कुलपति थे, इस बार भी। पिछली बार भी उन्होंने अपनी विशेष मुद्रा में मेरा इंटरव्यू बिगाड़ने की कोशिश की थी, इस बार भी। किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर मैं उनसे निबटने को तैयार था और ज्यों ही उन्होंने मेरे उत्तर को बिगाड़ने की कोशिश की, मैं बलपूर्वक अपने उत्तर पर अड़ गया और कहा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इस विषय के विद्वानों के मतों के साक्ष्य दे सकता हूं। विशेषज्ञों ने भी मेरा समर्थन किया और मैं डा० स्वरूपसिंह की अटपटी लपेट में नहीं आ सका। मैं विभाग के चौथे सदस्य के रूप में दक्षिण परिसर में 1971 में दाखिल हुआ। तब दक्षिण परिसर परिसर क्या था—बस धीला कुआं पर बेंकटेश्वर कालेज के कुछ कमरों में अपराह्न में कक्षाएं चलती थीं और केवल तीन विभाग खुले थे—हिन्दी, अंगरेजी और वाणिज्य।

डा० सावित्री सिनहा ने राजधानी कालेज में सेवारत डा० नित्यानंद तिवारी को हिन्दी-विभाग में प्रवक्ता के रूप में लिया। वे चाहती थीं कि नित्यानंद तिवारी जैसे मेघावी लोग हिन्दी-विभाग में आयें। डा० सिनहा को अनेक साहित्यिक शैक्षिक मित्र और छात्र बहुत चाहते थे शायद इसीलिए ईश्वर भी उन्हें चाहने लगा। और विभागाध्यक्ष होने के कुछ ही साल बाद ज्ञात हुआ कि उन्हें चेस्ट कैंसर है। उसका आपरेशन हुआ और आपरेशन के बाद धाब की यातना उन्होंने हंसते-हंसते सही और एक दिन हंसते-हंसते लोगों को रुला गयीं। दर्द की नियति तो हर व्यक्ति को झेलनी होती है लेकिन कोई हंसकर झेलता है, कोई रोकर। वे महाजन नसिग होम में दाखिल थीं। कई बार गया तो वे दर्द से तड़पती मिलीं। कोई कैपसूल लिया, राहत मिली और हंसकर बात करने लगीं—अपने बारे में नहीं, मेरे और मेरे परिवार के बारे में। उन्हें आभास हो गया था कि वे बचेंगी नहीं किन्तु वे मृत्यु की छांव से आतंकित कभी नहीं लगीं। कोई बहलाने की कोशिश करता तो कहतीं—“अरे छोड़ो भाई, मुझे क्यों फुसला रहे हो। मुझे मालूम है कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूं लेकिन जितने दिन जी रही हूं उतने दिन मौत से डरकर क्यों जिऊं।” और ऐसे ही एक दिन चली गयीं। उनके जाने के बाद

लगा कि कितना बड़ा आत्मीय परिवार था उनका। कितने-कितने लोगों की आंखों में उनका बेचैन हृदय उमड़कर भर आया था। डा० नगेन्द्र को अपने बड़े से बड़े निजी और पारिवारिक दुःखों में अपने को कसने हुए देखा था, लेकिन इस समय वे भी अपने को सभाल नहीं पा रहे थे और छिप-छिपकर आसू बहा रहे थे।

67

मैं गर्मी की छुट्टियों में प्रायः गाव जाता रहता था। गारखपुर तक तो परिवार के अन्य लोग भी रहते थे किन्तु गाव मैं ही जाता था। कभी कभी बच्चे भी चल जाते थे। जब तरु मा और पिताजी थे, पत्नी भी चली जाती थी किन्तु उनके दिवंगत होने के बाद वे कभी नहीं गयीं।

दरअसल गर्मी की छुट्टियों में गाव जाना अब प्रिय नहीं लगता था। गाव में खुले बरामदे में ही समय काटना हाता था और खुले बरामदे में लू के झोंके में लडने की शक्ति धीरे-धीरे क्षीण हो गयी थी। धीरे-धीरे वहाँ के घर गृहस्थी के कामों में जुड़ने की शक्ति और उत्साह दुर्बल पड़ गया था। पढ़ना जाना था ता काफी समय खेतबारी के कामों के साथ कट जाता था। कभी शादी-ब्याह की गहमागहमी में समय बीत जाता था। कभी रिश्तेदारों के यहाँ घूम आता था। अब वहाँ जाने के बाद खलबलाती हुई गर्मी में कहीं निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। शहर की सुविधा-दर-सुविधा मरे भीतर ममानी गयी और दहानी जदगी की बर्तनार्यों में लडों की शक्ति कम करती गयी।

दिल्ली आने के बाद मैं कई बार गाव गया। पहली बार साथ में हेमत, अजू, शशि और विवेक भी थे। पत्नी गारखपुर में (मायके में) ही रह गयी थी। अजू को गाव जाने का बड़ा उत्साह था। बहुत हमती-विहमती गाव पहुँची थी। जाते ही मालूम पड़ा कि भइया खलिहान में है। हम खलिहान पहुँचे। वच्चा न सूर्य पहली बार देखा। बहुत खुश हुए और छोटा हाथी कहते-कहते उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे।

भइया ओसौनी कर रहे थे। मैं उनके पास खड़ा था। बच्चे सूर्य के पीछे दौड़-दाडकर आ गये और हाफत-हाफते खड़े हो गये। फिर हम लोग खाना खाने घर पहुँचे। अजू रोने लगी—“मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे अम्मा के पास भेज दो।”

“अरे, अभी तो आयी हो और अभी-अभी जाने की बात करने लगी।”

“मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अम्मा के पास भेज दो।”

“अच्छा भाई, अब आज तो रहो, कल सुबह चली जाना।”

“नहीं, नहीं, मुझे अभी जाना है।”

खैर, किसी तरह उसे चुप किया गया और दूसरे दिन सवेरे मझले भाई के पुत्र

जयप्रकाश उसे साइकिल पर बैठाकर गोरखपुर छोड़ आये ।

शेष बच्चों का भी कोई खास मन तो लग नहीं रहा था किन्तु उन्होंने गाव के बच्चों के साथ थोड़ा-बहुत सम्बन्ध बना लिया और खेल-कूद से अपने को जोड़कर समय को झेल गए ।

डुमरी का परिवार बड़ा हो गया था । बड़े भाई साहब के पहले पुत्र रामनिवास में परिचित करा चुका हूँ । उनके दूसरे पुत्र थे श्रीनिवास और तीसरे थे प्रकाशचन्द्र । एक लड़की थी मालती । मझले भाई के चार पुत्र (श्रीप्रकाश, जयप्रकाश, अरुण, अशोक) और दो पुत्रियाँ (उर्मिला और उषा) थीं । श्रीनिवास शारीरिक दृष्टि में मशक्त थे किन्तु पढ़ने-लिखने में विशेष गति नहीं थी । रामनिवास तो गुजरात में मेरे साथ रहकर बी० ए० और गुजरात विद्यापीठ में हिन्दी का पी० एड० कर चुके थे और गुजरात में ही बदल-बदलकर नौकरियाँ कर रहे थे । वे अद्भुत स्वभाव के स्वामी हैं, अतः किसी भी नौकरी में उनका स्थायी मेल नहीं हो पा रहा था । आगे चलकर तो न वे नौकरी को रास आए और न नौकरी उन्हें रास आयी और उन्होंने अपना जीवन रास्ते पर यो डाल दिया जैसे उन्हें कहीं जाना ही नहीं है ।

छोटे भाई प्रकाशचन्द्र पढ़ रहे थे और महानन के बावजूद किनारा नहीं पा रहे थे । किसी तरह मैट्रिक किया, फिर गिरते-पड़ते इण्टर और बी० ए० भी किया और फिर बेकारी के जंगल में भटकने लगे । यानी भइया के तीनों पुत्र किसी नौकरी के किनारे नहीं लगे । लेकिन नौकरी ही तो सब कुछ नहीं हाती, यदि पास खेत हो तो उनमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है । श्रीनिवास और प्रकाशचन्द्र दोनों शरीर से मजबूत थे । उनमें उम्मीद की जा सकती थी कि यदि ये नौकरी नहीं करते तो जमकर खेती तो करा सकते हैं और अपने काम भर को आसानी से अर्जित कर सकते हैं । लेकिन बहुत आश्चर्य हुआ यह देखकर कि उन्हें गृहस्थी के काम में कोई रस ही नहीं था । इनकी शादियाँ हो गयी थीं और श्रीनिवास बच्चा पैदा करने में अच्छी-खासी महारत हासिल कर रहे थे । कुछ आगे चलकर मझले भाई के परिवार ने अपने को इन लोगों से अलग कर लिया, यानी मोटे तौर पर खेतों के दो भाग हो गये । एक भाग उनके पास था, एक भाग दूसरों के पास । मेरे खेत दोनों में बंट गये थे ।

मझले भाई के बच्चे भी पढ़ने-लिखने में सामान्य ही थे किन्तु धीरे-धीरे वे किसी-न-किसी डाल से लगते गये । श्रीप्रकाश और जयप्रकाश बी० ए० बी० एड० करके क्रमशः अमहिया और चौरीचौरा के विद्यालयों में अध्यापक बन गए और अरुण ने काफी पापड़ बेलकर गोरखपुर में दूकान खोल ली । फिर बहा से दूकान बड़ाकर अमहिया में दूकान खोल ली । छोटे बेटे अशोक भी खूब भटके और काफी बाद में आगरा के केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में हिन्दी के शोध सहायक बन गये ।

किन्तु ये सब बाद की बातें हैं, मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय सब लोग एक में ही थे और शायद कोई नौकरी में नहीं लगा था । दिल्ली आने तक मैं यथासंभव घर की आर्थिक सहायता करता रहता था । दिल्ली आने के बाद अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गयीं और महानगर का खर्च भी बढ़ गया, अतः नियमित रूप से

सहायता करने की स्थिति में नहीं रहा। और यह भी कि अब बच्चे बड़े हो गये, उन्हें घर का बोझ कम करना चाहिए।

तो मैं जिस यात्रा की बात कर रहा था, उस समय तक मैं गांव जाता था। जाता था तो कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करता था। मेरे घर की विशिष्ट पहचान रही है खेतीबारी के मामले में पिछड़ा रहना। पिताजी के जमाने में तो यह विशिष्टता अपनी चरम सीमा पर थी किन्तु वे अकेले थे और सैलानी वृत्ति के थे तो पिछड़ापन समझ में आता है किन्तु यह समझ में नहीं आता कि क्यों बाद में अनेक बच्चों के होने के बावजूद यह क्रम बना रहा। लगता है यह इस घर का स्वभाव बन गया है। भइया जमींदार की नीकरी में मुक्त होकर घर पर रहने लगे थे और वर्षों कलम घिसने वाली उनकी दुबली-पतली कोमल अगुलिया अब खेतीबारी के हाथियारों को संभाल रही थी। जमींदार के गृहा अपनी एक आवाज में खेतिहर मजदूरों की भीड़ इकट्ठी कर लेने वाला व्यक्तिव समय से अपना काम करा लेने के लिए गांव में मजदूर नहीं पा रहा है और घर के लड़के भी उस तरह कर्मठ नहीं लक्षित हो रहे हैं जिन तरह गांव के और घरों के हैं। इम्लिंग खेतों की बोवाई देर से हो रही है, कटाई देर से हो रही है। भूसा खलिहान में रखा है तो रखा हुआ है। भूसे का मदिल बनने में देर हो रही है और जब तक भूसा ढोकर मदिल में आना है एक-चौथाई आवारा पशुओं के पेट में जा चुका होता है।

इस बार मैं गया तो सारे गांव का खनिज्ञान उठ चुका था। भइया हलवाहे के साथ अकेले खलिहान में उपस्थित थे और अनाज उगा रहे थे। भइया के मत्ता करने पर भी मैं काम में पिल पड़ा। घर के बच्चे भी साथ गए। कई दिन तक काम में जुटा रहा। गांव के लाग पाम से गुजरते थे और देखकर थोड़ी देर ठमककर खड़े हो जाते थे और टिप्पणी करते थे—“बहुत खट रहे हैं डाक्टर माहब।”

मैं मुस्करा-भर देता था। मझने भाई माहब ग्राम पञ्चायत में सेक्रेटरी थे ब्रह्मपुर ब्लॉक में। वे भी मझसे मिलने आ जाते थे। इस बार भी आये थे, लेकिन वे इधर-उधर घूमते रहे।

एक समस्या और उत्पन्न हो गयी थी। सारे खलिहान में केवल अपना अनाज और भूसा बाकी था इसलिए सारे छुट्टा पशु खाने के लिए इधर ही लपकते थे। दिन-भर किमी न किमी को उन्हें हाकने का भी काम करना पड़ता था। रात को ये पशु और भी चपेट मारते थे क्योंकि उस समय उन्हें हाकने वाले मोये रहते थे। मैं बच्चों के साथ खलिहान में सोता था और सोता कहा था, उठ-उठकर रात-भर पशुओं को हाकता था। वैसे तो कभी खलिहान में सोने का बड़ा सुख होना था। बचपन में चैत-बैसाख की रातों में खलिहान के पैरों (काटी गयी फसल का ढेर) पर सोने का अपना सुख था। रात को बहने वाली अलमस्त हवा में बहुत अच्छी नींद आती थी, रजाई ओढ़नी पड़ती थी और गांव-भर के लोगों की रोनाक लगी रहनी थी। कोई गाता था, कोई नाचता था। कोई कथा कहता था, कोई मजाक करता था। कोई झगडा करता था, कोई विचित्र-विचित्र तरह की बोली बोलता था और पशुओं को हाकने की हट्ट-हट्ट की आवाजों की लय बनी रहती थी। खलिहान का काम चैत में शुरू होता था जब दोनों

पाकड़ के पेड़ (जिनके नीचे खलिहान थे) लाल-लाल नये पत्तों से भरे होते थे और उन पर बैठकर कोयल कूकती रहती थी। यह दृश्य बैसाख पूरा होते-होते उठ जाता था और प्रायः मेरा खलिहान बचा होता था—अकेलेपन की उदासी और सन्नाटा झेलता हुआ। अब तक खलिहान का जो विस्तार गीतात्मकता से भरा होता था, वह अब अपने सूनेपन में खुल जाता था और मेरे खलिहान को एक गहरे उचाट के बीच स्थित कर देता था।

इन दिनों मेरा खलिहान इसी उदासी में डूबा हुआ था और मैं इस उदामी के ठहराव को अपनी सक्रियता से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रात को खलिहान में एक सुनसान में सोये होने के डरावने बोध से गुजर रहा था। लगता था पास ही कहीं सांप किसी मेढक को पकड़े हुए है और मेढक के स्वर में सन्नाटा ही रिरिया रहा है। बचपन के भूतवादी संस्कार वाले मन में यह सन्नाटा कभी-कभी भूत बनकर डराने लगता था।

यो भी इस बार गांव की यात्रा न जाने क्यों बहुत उदासी से भरी थी। गाव में बहुत अकेलापन लग रहा था। कोई मिलने नहीं आया, किमी ने हालचाल नहीं पूछा। गर्मी की ऊब से निकली हुई पसीने की धार में गाव की उदासीनता की धार भी मिल गयी थी। लगता था दिन ठहर गया है, गाव ठहर गया है, सम्बन्ध ठहर गये हैं और मेरी आंखें सूने में कुछ खोजने की कोशिश कर रही है।

मुझे कई बार लगा है कि गाव की राजनीति में मेरा घर अकेला पड़ गया है। एक खास तरह की स्वार्थ की राजनीति में जुड़े लोग ऊपरी गहमागहमी में भरे हुए हैं। तमाम पिछलग्गू लोभ में या स्वार्थ से इस गहमागहमी में अपनी आवाजे मिला रहे हैं और मेरा घर इस गहमागहमी के प्रवाह में एक टापू की तरह अकेला पड़ा है और उसका प्रभाव मेरी यात्राओं पर भी पड़ा है। यानी गाव मेरे जाने पर मेरे साथ भी वही उदासीनता बरत रहा था जो मेरे घर वालों के साथ बरतता था। इस बार मैं इस मत्प को बहुत गहराई में अनुभव कर रहा था। इसकी शुरुआत प्रारम्भ में ही हो गयी थी। जोखू तेली मेरे महापाठी रहे हैं। उन्होंने भइया से कहा था कि वे अपनी गाड़ी लेकर कसिहार बस स्टेशन पर आयेगे। वे नहीं आये। मैं अपने बच्चों को लेकर पैदल ही घर पहुंचा—पाच मील पैदल चलकर। जोखू तेली गाव के बाहर ही बगीचे में काम करते हुए मिल गए। उन्होंने कहा—“मेरे दात में दर्द था इसलिए गाड़ी लेकर नहीं आ सका। जाती बार मेरी गाड़ी अपने पावों की धूल से पवित्र कर दीजियेगा।” मैं गाव के भी अपने सहपाठियों को सहपाठी की तरह ही देखता हूँ चाहे वे प्राइमरी में साथ रहे हो चाहे मिडिल में और चाहे वे नौकरी कर रहे हों चाहे पुस्तकालय में फस गए हों। इसलिए जोखू की यह बोली मुझे सहज नहीं लगी। वे लेने नहीं आये इसका कारण भी झूठ था और जाते समय गाड़ी को पवित्र करने के लिए आग्रह का स्वर भी झूठा था। आखिर जोखू को मुझसे इतना असहज होने की क्या आवश्यकता थी? गाव में प्रवेश किया तो कुछ लोगों ने बच्चों के साथ मुझे देखा। उस देखने में भी अजनबीपन लगा। और तब से जब तक रहा, इसी असहजता और अजनबीपन का अनुभव करता रहा।

खलिहान में काम कर रहा हूँ। कोई बारात जा रही है। परिछन हो रहा है। परिछन करती औरतें पाकड़ के नीचे के ब्रह्म बाबा की परिक्रमा कर रही हैं। उत्सव की वेश-भूषा में सजी-धजी हुई गांव की तमाम बहूएँ, बेटियाँ विवाह का गीत गाती हुई सामूहिक लय की तरह बह रही है और मैं वही सबमे अनदेखा-अनजाना-मा खड़ा हूँ। मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि किसकी शादी है, बारात कहा जा रही है ?

इस पूरे सन्नाटे में केवल एक व्यक्ति मुझसे मिलने रोज आ जाता था। वे थे रामानुज। रामानुज से आपकी पहचान हो चुकी है। वरहज में साथ पढ़ते थे। गांव के पास के गांव रानापार के कवि पंडित मदनेश जी के मुपुत्र हैं। वे पागल हो चुके थे। उनके एक हाथ में एक ग्लाम होता था और एक हाथ में बाम की सुटुकनी। वे आते थे तो गांव के लडक छेड़ते थे किन्तु वे उदग्र पागल नहीं थे, बहुत शांत भाव में बातचीत करते थे और खिलखिलाकर हसते थे। मेरे पास बैठते थे, कुछ देर बातियाते थे, हसते थे और फिर उठकर चल देते थे—यह गंहत हुए “कि बहुत काम पड़ा है, कल फिर आऊंगा।” और रामानुज के आने-जाने, बोलने बतियाने में सन्नाटे में जड़ यह यात्रा कुछ स्पंदित हुई, भ्रमबन्धों की जीवतता का कुछ अहसास जीवित रहा। स्वार्थों से लदे-फदे इनने बुद्धिमान लोगों के मजाक का पात्र बनता एक पागल जिलाये रख सका एक मरत हुए मूल्यवान अहमाम को और उसे पता नहीं कि वह किनना मूल्यवान काम कर रहा है। लौटते समय भी जोड़ की गाड़ी मेरे पावों की धूल में पवित्र नहीं हो सकी लेकिन रामानुज मिवान तक हमारे साथ आये थे विदा करने के लिए। उनकी आंखों में उमड़ आये दर्द के जल ने मुझे अत्रशय पवित्र कर दिया। वे अपनी जगह पर खड़े-खड़े देर तक हमें देखते रहे और अपने मौन स्वर में पूछते रहे—“फिर क्या आइयेगा ?”

68

‘जल टूटता हुआ’ के एकदम बाद यानी 1970 में ‘बीच का समय’ उपन्यास ‘राधाकृष्ण प्रकाशन’ में प्रकाशित हुआ। लेकिन यह ‘जल टूटता हुआ’ के नीचे दब गया। ‘जल टूटता हुआ’ की चर्चा धीरे-धीरे शुरू हो गयी थी और चर्चा धीरे-धीरे गहराती जा रही थी।

1972 में ‘सूखता हुआ तालाब’ उपन्यास छपा—‘नेशनल पब्लिशिंग हाउस’ से। इस उपन्यास ने भी ध्यान आकृष्ट किया और पत्र-पत्रिकाओं में उसकी काफी समीक्षाएं आयी और अच्छी आयीं।

इधर कहानियाँ भी अधिक सक्रियता से लिखने लगा था। दूसरे संग्रह के लिए कहानियाँ तैयार थी। कुछ प्रकाशकों को लिखा। एक ही उत्तर आया—“अभी गुंजाइश नहीं है।” तब कहानी-संग्रह छापने में प्रकाशकों को दिलचस्पी नहीं थी या कम थी।

पाठक पत्र-पत्रिकाओं में कहानियां पढ़ लेता था और पत्र-पत्रिकाएं सस्ती होती थी इसलिए कहानी-संग्रहों की बिक्री अच्छी नहीं थी। ऐसे ही नेशनल पब्लिशिंग हाउस को पत्र लिखा तो एक पत्र आया—“आपका कहानी-संग्रह यहाँ से जरूर छपेगा। आपसे मिलने भी आऊंगा। पद्मधर।”

पद्मधर त्रिपाठी के नाम से परिचित था। उन्हें कवि रूप में जानता था। उनका पत्र पाकर अच्छा लगा। उन्हें फोन किया। फिर भेंट हुई। वे माडल टाउन में ही रहते थे। घर भी आना-जाना शुरू हुआ। 1974 में उनकी देख-रेख में नेशनल से मेरा ‘एक वह’ कहानी-संग्रह छपा। हमारे पारिवारिक सम्बन्ध बने। हमने बहुत-सा समय एकसाथ मस्ती में बिताया और सुख-दुःख में भागीदार बने।

बहरहाल उन्होंने बहुत उष्मा से मेरा कहानी-संग्रह ‘एक वह’ छपा। उन दिनों ‘अपने लोग’ लिख रहा था। पद्मधर जी का गहरा आग्रह था कि वह उपन्यास में उन्हीं को यानी नेशनल पब्लिशिंग हाउस को ही दू। उपन्यास पूरा हुआ। उन्हें दिया। और 1976 में प्रकाशित हुआ।

इस उपन्यास के साथ दुर्भाग्य शुरू से ही जुड़ गया। पहला दुर्भाग्य स्वयं प्रकाशक ने पैदा किया था। वह यह कि इसकी बाइंडिंग इतनी खराब थी कि किसी प्रति में कोई फर्मा गायब है तो किसी में कोई। पाठकों के पत्र आने लगे मेरे पास भी और प्रकाशक के पास भी। मेरा खयाल है कि क्राउन साइज में छपना इसका दूसरा दुर्भाग्य था। मोटा उपन्यास डिमाई में ही अपनी पूरी छवि ले पाता है। इसके साथ एक बड़ा दुर्भाग्य और घटित हुआ जिसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा।

दुर्भाग्य के बावजूद इस उपन्यास ने छपते ही आलोचकों और पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। छपने के पश्चात् ही इस पर एक गोष्ठी हुई जिसकी अध्यक्षता श्री विष्णु प्रभाकर ने की और पर्चा पढ़ा—डा० विश्वनाथ त्रिपाठी और डा० विनय ने। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि प्रायः सभी वक्ताओं ने इस उपन्यास को महत्त्वपूर्ण माना। पत्र-पत्रिकाओं में लगातार समीक्षाएं आने लगीं। कुछ समीक्षाएं कुछ उन अख्यात पत्रिकाओं में भी आयीं जहां पुस्तक समीक्षार्थ नहीं भेजी गयी थी और लिखने वाले भी ख्यात नहीं थे। इससे यह ज्ञात हुआ कि उस समीक्षक ने स्वतः स्फूर्त होकर यह समीक्षा लिखी है और किसी पत्रिका या पत्र को दे दी है। गुरुवर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी तुरन्त अपनी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भेजी और डा० नगेन्द्र ने भी (जो उपन्यास-पठन से बहुत सम्बद्ध नहीं हैं) उपन्यास पढ़ा और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी।

उपन्यास में मैंने सामाजिक विडम्बनाओं के साथ-साथ राजनीतिक विडम्बनाओं को खुले मन से उद्घाटित किया था। किन्तु जब छपने का समय आया तब आपातकाल लग गया था और लिखने-बोलने पर बहुत सारे प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। यदि मैंने उपन्यास की कथावस्तु प्रकाशक को बता दी होती तो शायद वे छापने का साहस नहीं करते। आपातकाल की वर्जनाओं को देखते हुए मैंने उपन्यास में कुछ आपत्तिजनक लगने वाले शब्दों में फेर-बदल कर दिया था लेकिन उससे कितना अन्तर पड़ता।

मैं आशंकित था कि कभी भी कुछ घट सकता है। एक दिन मेरे पड़ोसी (जिनके यहाँ फोन था) ने पुकारकर कहा—“आपका फोन है।” मैंने फोन उठाया। उधर से आवाज आयी—“पी० ए० टू० पी० एम० आपसे बात करना चाहते हैं।” मैं धक्क से रह गया। लगा कि वह क्षण आ गया जिसके आने की आशंका थी।

“हैलो, मैं बिशन टंडन, पी० ए० टू० पी० एम० बोल रहा हूँ।”

“जी, कहिये।”

“मैंने आपका एक उपन्यास पढ़ा है।”

इस वाक्य ने मेरी घडकन तेज कर दी।

“सूखता हुआ तालाब’। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया।” मैंने आश्वस्ति की सांस ली।

“जी शुक्रिया।” मैंने कहा।

“मैं इस उपन्यास से इतना प्रभावित हुआ कि आपको फोन करने से अपने को नहीं रोक सका। मुझे गोविन्द मिश्र ने यह उपन्यास पढ़ने को कहा था।”

“जी बहुत आभारी हूँ मैं।”

“जब मैंने भगवती बाबू (भगवतीचरण वर्मा) से इस उपन्यास का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, उनका ‘जल टूटता हुआ’ पढ़ो। उमे भी पढ़ूंगा। कहा से प्राप्त होगा?”

“जी, मैं भिजवा दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे परिचित होना। और अपनी रचना के माध्यम से परिचित हो रहा हूँ, यह और भी सुखद है।”

“इधर आपने क्या लिखा है?”

मैं इस सवाल पर थोड़ा अटक गया। फिर कहा, “कुछ नहीं, एक उपन्यास लिख रहा हूँ।” मैं ‘अपने लोग’ को उनसे बचा गया।

फिर तो हमारा मिलना-जुलना भी हुआ। हम परस्पर आत्मीय होते गये।

लेकिन मैं जिस खतरे से भाग रहा था वह आ ही गया, लेकिन दूसरे रूप में आया—बहुत कुरूप और घिनौने रूप में।

सप्रू हाउस में कविता की प्रेषणीयता पर बहम चल रही थी। मैं भी बक्ता था। बोलने के बाद बाहर निकला तो केदारनाथ सिंह मिल गये। उन्होंने बहुत चिंतित मुद्रा में मुझसे कहा—“सुनिये, एक विकट समस्या पैदा हो गयी है।”

“क्या?”

मैं के० एन० सिंह (नेना) के यहाँ बैठा था। वही लखनऊ के विधायक रिजवी साहब मिल गये। उन्होंने कहा—“आपके मित्र रामदरश मिश्र का उपन्यास निकला है ‘अपने लोग’। उसमें माम्प्रदायिकता का स्वर भरा हुआ है।” मैंने प्रतिवाद किया—“नहीं, यह हो ही नहीं सकता। वे तो प्रगतिशील लेखक हैं। वे ऐसा कर ही नहीं सकते।”

“उन्होंने किया है। पृष्ठ...देख लीजियेगा। मैं विधानसभा में सवाल उठाऊंगा।”

केदार जी मुझसे बोले, “वे समझाने पर नहीं समझे। आप लखनऊ चले जाइये

और इसे रफा-दफा कीजिये। इमरजेंसी है। इसमें कोई तर्क काम नहीं आएगा। साम्प्रदायिकता की तोहमत तो बहुत गंदी तोहमत है। इसमें जेल हो गयी तो बहुत बड़ा कलंक लग जायेगा।”

मैं सभा छोड़कर घर आ गया। प्रकाशक मलिक साहब को फोन से स्थिति की सूचना दी और लखनऊ एक पत्र पंडित जी (हजारीप्रसाद द्विवेदी) को लिखा, एक रिजवी साहब को। पंडित जी ने उपन्यास पढ़ा था, मराहा था, इसलिए वे उपन्यास के बारे में सब कुछ जानते हैं। रिजवी साहब को पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्हें ‘अपने लोग’ की एक प्रति भेजना रहा हूं, उसे देखें। उन्हें समझा दिया कि पृष्ठ...पर एक साम्प्रदायिक मानसिकता का हिन्दू बातचीत के मिलसिले में मुसलमानों को भला-बुरा कह रहा है। मैंने उम पात्र की मानसिकता की विकृति का उद्घाटन किया है, वह मेरी सोच का प्रतिनिधि नहीं है। आप बतायें कि साम्प्रदायिकता का आरोप किसने लगाया है?”

रिजवी साहब का इस आशय का पत्र आ गया—“पत्र मिला। मही स्थिति की जानकारी मिली। मैं आपके माध हू। यह आरोप दिल्ली से निकलने वाले उर्दू अखबार ‘अलजमइत’ में छपा है। वास्तव में कुछ लोग मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने में लगे रहते हैं?”

मैं रिजवी साहब की ओर से निश्चित हुआ और मुझे सूत्र भी मिल गया। मेरे मित्र और उर्दू विभाग में प्रवक्ता डा० अमीर आरफी मेरे यहाँ आये। पूछा, “किस सोच में डूबे हो?”

उन्हें बताया तो बोले—“मुझे वह डायलाग उर्दू में लिखा दो।” उन्हें लिखा दिया और उन्होंने मेरे अन्य उपन्यासों के भी वे अंश उर्दू में उतार लिए जो मुसलमानों के प्रति मेरे सद्भाव और प्रगतिशील दृष्टि के परिचायक थे।

इसी बीच डा० नगेन्द्र आये और कहा कि तुम और मलिक साहब कमलापति त्रिपाठी से मिल लो। उन्होंने बताया—“आज मैं कमलापति त्रिपाठी के यहाँ बैठा था तो एक सांसद ने कहा कि आज तो संसद में आपके विभाग की खूब चर्चा हुई।”

“कैसी चर्चा?” मैंने पूछा।

“आज मौलाना हाशमी आपके विभाग के लेखक डा० रामदरश मिश्र के नये उपन्यास ‘अपने लोग’ को लेकर खूब गरजे-तरजे। उन्होंने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज भी मुसलमानों के विरुद्ध साम्प्रदायिकता का जहर उगला जा रहा है। ‘अपने लोग’ नामक उपन्यास इसका सबूत है।”

मैंने प्रतिवाद किया—“मैंने यह उपन्यास पढ़ा है। यह तो बहुत अच्छा और प्रगतिशील उपन्यास है।”

“हां, आप तो कहेंगे ही। आपके शिष्य जो है।” कमलापति त्रिपाठी बोले।

“नहीं, वे मेरे नहीं, हजारीप्रसाद द्विवेदी के शिष्य है।” मैंने कहा।

खैर, मुझे जो कुछ कहना है कह दिया है। तुम कल शाम छः बजे मिल लो। मैंने उनसे समय ले लिया है।”

मैंने राजेन्द्र अवस्थी को फोन किया। वे कमलापति जी के निकट थे। अवस्थी जी से जब भी मैंने कोई सहायता मांगी है उन्होंने दी है। उन्होंने कहा—“मैं कल आऊगा।”

दूसरे दिन मलिक साहब और मैं कमलापति जी के यहाँ पहुँचे। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद हमें बुलाया गया। जाकर त्रिपाठी जी को नमस्कार किया। वे कुछ बोले नहीं। हम बैठ गये।

कुछ दूसरे लोग आये। उन्होंने उनके पाव छुए। उन्होंने उनसे बात की। अब मुझे अपने प्रति उदासीनता का रहस्य समझ में आया। कोई भी हो मैं पाव नहीं छूता। चंद श्रद्धेय व्यक्तियों के ही पाव छाना रहा हूँ। कुछ देर बाद त्रिपाठी जी हमारी ओर मुड़े। मैंने आने का उद्देश्य बताया और कहा कि मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बान का है कि मौलाना हाशमी मेरे उपन्यास की बात कर रहे थे और किसी ने नहीं पूछा कि आखिर इस उपन्यास में यह बान कौन कह रहा है। यह लेखकीय टिप्पणी है या किसी पात्र का सवाद। उमी राज्य सभा में श्रीकान्त वर्मा जैसे साहित्यकार भी थे, क्या उन्होंने भी नहीं जानना चाहा? मैंने स्पष्ट किया कि मुसलमानों के विरुद्ध बोले गये वाक्य एक गलत मोच वाले अश्लील पात्र के हैं। उन्हें लेखकीय वाक्य बनाकर उछाल दिया गया है और लोग हैं, जो चुपचाप सुन लेते हैं।

“मैं समझ गया। इसे गलत ढंग से पेश किया गया है। और माइनारिटी का सवाल बड़ा नाज़क हो उठता है। लेकिन आप लोग किसी भी सवाद में इतनी गालियाँ क्यों भर दते हैं। हम लोग भी तो लेखक थे। हमारी भाषा तो कभी इस तरह नहीं होती थी।” त्रिपाठी जी बोले।

मन हुआ कि कहूँ कि हाँ, आप लोग भी भाषा लिखते थे— लच्छेदार निष्प्राण भाषा। लेकिन कैसे कह सकता था। इन्हें चिढ़ाना तो आया नहीं था। बस इतना ही कहा—“पंडित जी, कथा की भाषा पात्रों की सवाद-भाषा भी होती है और उसमें पात्रों के चरित्र का रंग आ जाता है।”

“हाँ, ठीक है, मैं देखूँगा अब यदि प्रश्न राज्य सभा में उठा तो।”

हम चले आये।

दूसरे दिन डा० आरफी मुझे लेकर सी० पी० आई० के दफ्तर गये जो जामा मस्जिद के पास था। ‘अलजमइत’ कांग्रेसी मुसलमानों का अखबार था और सी० पी० आई० इमरजेसी में कांग्रेस के साथ थी। इसलिए आरफी मालूम ने सी० पी० आई० नेता रामसागर जी से ‘अलजमइत’ के सम्पादक को फोन कराया। हम लोग अलजमइत पहुँचे तो आरफी साहब सम्पादक से भिड़ गये—“य क्या बान है? बिना समझे-बूझ आप लोग किसी को मजहबी बनाये दे रहे हैं। आप लोग नॉबेल का मतलब नहीं समझते। इस नॉबेल में एक अहमक किसिम का हिन्दू करेक्टर एक खास काटेक्स्ट में मुसलमानों के खिलाफ कुछ बक गया है, उसे आप लोगो ने लेखक का नजरिया मानकर उसे कठघरे में खड़ा कर दिया।”

सम्पादक एकाएक सिरिया गये। बोले—“साहब, हमें तो कुछ नहीं मालूम।

कालमिस्ट...साहब को किसी ने फोन पर कहा कि अमुक उपन्यास में अमुक पेज पर मुसलमानों के खिलाफ छपा है। उन्होंने उपन्यास मगाकर उस पेज को पढ़ा और छाप दिया।”

“कहा है वे ?”

“वे तो तभी से छुट्टी पर हैं। कुछ पैरालिसिस का अटैक हो गया है।”

“तो ? अब आप क्या करेंगे ?”

“मैं भी वह उपन्यास पढ़ूँगा तभी कुछ कह सकता हूँ। लेकिन वे बता रहे थे कि उस उपन्यास में से एक फर्मा गायब है। हो सकता है उस फर्म में भी कुछ काबिने एतराज बात हो।”

“मुझे मालूम है इस किताब की वाइडिंग में गड़बड़ी हुई है लेकिन आप विश्वास कीजिये, मुसलमानों के बारे में और कहीं कुछ नहीं है। तो भी यह प्रति लीजिये और पढ़िये, इसमें कोई फर्मा गायब नहीं है।”

“ठीक है, दस-पंद्रह दिन बाद आइयेगा। तब तक यह नॉवेल मैं पढ़ लूँगा।”

“अच्छी बात है,” कहकर हम लोग चले आये।

अब तक हमारी मित्रमंडली तरह तरह के अनुमान लगाती रही कि किसने कहा से ‘अलजमइत’ को यह सूचना दी होगी। अभी तो उपन्यास को छपे थोड़े ही दिन हुए, उर्दू वाले इतनी जल्दी यह उपन्यास क्यों पढ़ने लगे ? अनेक लोगो पर शकाए उठती थी लेकिन सम्पादक से मिलने के बाद यह निश्चित हो गया कि किमी स्थानीय आदमी न ही फोन पर सूचना दी है। अब स्थानीय लोगो के चेहरे पढ़ने लगा कि किसने यह काम किया होगा, क्यों किया होगा ? या तो कोई शत्रुता हो या किसी स्वार्थ की टकराहट की आशंका हो, ऐसा कोई शत्रु दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्वार्थ की टकराहट भी साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी लेकिन मेरे न टकराने पर भी कोई मुझे अपने रास्ते में यो ही बाधा तो अनुभव कर ही सकती है, लोग करते आये हैं। ऐसे चेहरे मामने आये और ऐसे चेहरो मे वे चेहरे भी जो उपन्यास पढ़ चुके थे। बहरहाल मैं इस ऊहापोह में चलता रहा और मेरी समझ में आ भी गया कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है।

पता चला कि दिल्ली प्रशासन में मेरे खिलाफ फाइल बन गयी है। डा० भगवान-सिंह उसी दफ्तर में काम करते थे। उनमें सम्बद्ध अधिकारी का पता कर उनके साथ ही बहा पहुँचा। वे अफसर कोई मुसलमान थे। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे तो उपन्यास के बारे में कुछ नहीं मालूम। ‘अलजमइत’ में छपी खबर और मौलाना हाशमी के भाषण के आधार पर फाइल बनायी और उमें सी० बी० आई० के पास भेज दिया है।

“ठीक है साहब, भेज दिया है तो ठीक किया है।”

वे समझाने लगे—“जिस भी करेक्टर के जरिये हो आपने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया ?”

“अब मैं आपसे उपन्यास की भाषा सीखने नहीं आया हूँ। आपने अपना काम कर दिया है, अब यह उपदेश तो रहने दीजिये। इतनी-इतनी पत्रिकाओं में इस उपन्यास

की प्रशंसा हो रही है, किसी ने भी इस पर साम्प्रदायिकता का आरोप नहीं लगाया है। बम आप लोगों को ही उसमें वह दिखाई पड़ती है और साहब, यदि गालियों पर ही उपन्यास को खारिज करना होगा या साम्प्रदायिक ठहराना होगा तो राही मासूम रजा का 'आधा गाब' भी ठहराया जा सकता है। लेकिन किसी ने नहीं ठहराया और वह एक महत्त्वपूर्ण उपन्यास माना गया।”

“देखिये साहब, मुझे तो लगता है कि इस उपन्यास को इस दोष से बरी करने के लिए पत्र-पत्रिकाओं में जल्दी-जल्दी माकूल समीक्षाएं करायी जा रही है।” उन्होंने कहा।

मुझे बहुत क्रोध आया कि यह अपठ अफसर न जाने कितने भद्दे-भद्दे आरोप लगाये जा रहा है। आपातकाल में इसकी बन आई है इसलिए अपने को पता नहीं क्या समझ रहा है। वहां से मैं चला आया।

कुछ साहित्यकार चिंतित थे, कुछ मजे ले रहे थे और कभी वे मुझसे कभी मलिक साहब से कहते थे कि इस उपन्यास के खिलाफ यह हो रहा है, वह हो रहा है। वे कहते थे हिंनैषी के स्वर में लेकिन उनका मतव्य मुझसे छिपा नहीं रह सका। मैं एक अजीब दहशत से भरा हुआ था। उस दहशत को ये साहित्यकार छोड़ते रहने थे। दहशत जेल जाने की नहीं थी, दहशत थी साम्प्रदायिकता के जुर्म में जेल जाने की। पुस्तक में आयी राजनीतिक बहसों में सरकार के विरुद्ध कम बातें नहीं थी और उस आधार पर मुझे बदी बनाया जाता तो अच्छा लगता किन्तु जिस साम्प्रदायिकता को मनुष्य के लिए सबसे कुरूप वस्तु मानकर उसका विरोध करता आया और हम उपन्यास में भी किया उसी के जुर्म में फसना मेरे लिए डूब मरने की बात थी। मुझे फसाने वाले मेरे मित्र ने दूर की मार की थी। मुझे एकदम अयोग्य बना डालने का षड्यंत्र रचा था और अब ये हितैषी-नुमा मित्र मेरी इस नियति का रस ले रहे थे। मैं मोया-सोया किसी अनहानी की आशंका से जाग उठता था। रात को गेट खटकता था तो आशंका होती थी कि पुलिस आ गयी। सपने में भी पुलिस आती थी।

एक दिन ऐसे ही हितैषीनुमा मित्र ने जब कहा कि कुछ कीजिये, बात यहा तक पहुंची है, तो मैं झल्ला उठा और प्रतिक्रिया में मेरा सत्य जाग उठा। मैं बोल पड़ा— “आपकी चिंता और सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन आप मेरे लिए चिंता न किया कीजिये। मैंने वह उपन्यास लिखा है और मुझे हर प्रकार के परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं रहूंगा।” और हम मानसिकता के उभरते ही मैं निडर हो गया। जैसे ताल ठोंककर खड़ा हो गया—जिसको आना हो आये, जहा ले चलना हो ले चले, आखिर मेरी कृति है, उसके परिणाम से क्या डरना !

शायद सी० बी० आई० की जांच चल रही थी और कुछ पढ़े-लिखे अफसरों को इस काम में लगा दिया गया था। कुछ अफसरों ने बहाने से मेरे मित्रों के माध्यम से यह उपन्यास मंगवाया।

दूसरी ओर डा० अमीर आरफी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने विशेषतया उर्दू के लेखकों और मुसलमान लेखकों के बहुत सारे हस्ताक्षर एकत्र किए।

कुछ मित्रों ने हिन्दी लेखकों के हस्ताक्षर बटोरे। इस प्रकार काफी हस्ताक्षर एकत्र हो गये और मैंने उन हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र भेजा।

10-15 दिन बाद मैं अमीर आरफी के साथ फिर 'अलजमइत' पहुँचा और उसके सम्पादक से मिला। हमें देखते ही सम्पादक जी हतप्रभ हो गये।

“क्या विचार है आपका ?”

“पढ़ लिया है। आप चाहें तो अखबार में छोरी रिपोर्ट के खिलाफ खत भेज दें, हम छाप देंगे।”

“हम क्यों भेजें ? आपने गलत इलजाम लगाया है। आप उसके लिए खेद व्यक्त कीजिये।”

“देखिये, यह तो मैं नहीं कर सकती। यह करने के लिए हाशमी साहब से पूछना पड़ेगा और उस समय वे बहुत बिजी हैं। उनसे मिलना मुश्किल हो रहा है।”

“तो ?”

“तो क्या, आपका खत छाप दूंगा।”

“नहीं, उससे नहीं बात बनेगी। उससे मुझ पर लगा इलजाम वापस कैंम होगा।”

“तो फिर कुछ दिन इतजार कीजिये। हाशमी साहब से पूछकर ही कुछ कर पाऊंगा।”

“ठीक है, हम चलते हैं।”

हम चले आये। यह राहत तो मिली कि सम्पादक अपनी गलती समझ रहे हैं किन्तु उस तोप का क्या होगा जिसे वे दाग चुके हैं और जिसके कारण फाइल बन चुकी है और ऊपर के तबके में जांच हो रही है।

कुछ दिनों बाद ही आपातकाल उठ गया और चुनाव की घोषणा हो गयी। और उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि जांच करने वाले ऊपर के लोगो ने दिल्ली प्रशासन के आरोप को निरस्त कर दिया है और लिख भेजा है—इस उपन्यास में कुछ भी आपत्ति-जनक नहीं है।

चुनाव हुआ। कांग्रेस बुरी तरह हारी। एक बार मन तो हुआ कि अलजमइत और दिल्ली प्रशासन जाकर सम्बद्ध व्यक्तियों को चिढ़ा आऊं लेकिन ऐसे खयाल मेरे भीतर कुछ क्षण ही रहते हैं। सोचा, जाने दो। कुछ ने सुझाव दिया कि मैं 'अलजमइत' और दिल्ली प्रशासन पर मानहानि का दावा कर दूँ, इससे उपन्यास और चर्चित हो जायेगा। मैंने कहा—“जाने दो। अब इस चक्कर में कौन पड़े और पुस्तक की ऐमी प्रसिद्धि टिकाऊ नहीं होती।”

सन् '76 में ही मेरा लघु उपन्यास 'रात का सफर' छपा—राधाकृष्ण प्रकाशन से। वह 'अपने लोग' की छाह में वैसे ही दब गया जैसे 'जल टूटता हुआ' की छाह में 'बीच का समय'। वैसे 'रात का सफर' 'बीच का समय' की ही भाँति सामान्य पाठकों में प्रिय हुआ और खूब बिका तथा पढ़ा गया।

जनता पार्टी की सरकार आयी। ऐसा लगा कि देश पर से आतक की छाया उठ गयी। आपानकाल भी क्या काल था ? लगता था जैसे कोई नियम-कानून नहीं रह गया है। न जाने कितने शिक्षक और नेता जेलो में ठूस दिये गये। उनका क्या अपराध था किसी को पता नहीं—न पकड़ने वाले को, न पकड़े जाने वाले को। वे लोग किमी मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच की रैली करते पाये गये जो टाग टूटने की बजह में प्लास्टर चढ़वाकर महीने-भर से अपने कमरे में पड़े थे या बुखार में पड़े थे या जिनके नाम कभी भार० एम० एम० स या उसके किसी नेता के यहाँ से पत्र आया था या जिसके यहाँ से सी० पी० एम० की गध आ रही हो। तमाम लोग जेलो में जा चूके थे और तमाम लोग अपनी-अपनी बारी की भयभीत प्रतीक्षा में डूबे हुए थे। वे किमी भी प्रतिक्रम आहट पर चौक-चौक पटते थे—अब कोई आया।

सरकार के विरुद्ध वाणी बंद कर दी गयी थी। कोई कुछ नहीं बोल सकता था। एक भयभीत मौन सबके भीतर पसरता हुआ था। यदि वाणी मुखर थी तो इंदिरा जी, उनकी सरकार और मजय गांधी की जयजयकार में। अनेक चापलूम या डरे हुए नेता, अफसर और साहित्यकार जय बोलने की होंड मचाए थे। मबम बडी विडम्बना तो यह थी कि बिना किमी पद के मजय गांधी देश के सबसे बड़े मालिक बने हुए थे, उनके लिए नियम-कानून की कोई पाबन्दी नहीं थी। वे जो चाहते थे वही कानून बन जाता था और बड़े-बड़े नेता उन्हीं को दण्ड का सबसे बड़ा मानकर उनके पीछे-पीछे उनका जूता उठाये घूमते थे और उनके दशाग्रे पर अनेक कार्य करते थे।

हा कार्य करने थे, यह अच्छी बात थी। यानी इस समय काम हो रहा था। मजय गांधी नाम था क्रिया का। उन्होंने केवल सोचना नहीं देखा, उन्होंने अपने मपने को या सरकार के कार्यक्रम को तुरन्त क्रिया में उतारना चाहा। चाहे जैसे हो, काम होना चाहिए। नमबन्दी उनका सबसे बड़ा कार्य था। देश की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए नसबन्दी जरूरी है और नमबन्दी के लिए जोर जबर्दस्ती जरूरी है क्योंकि कब से जनसंख्या के नियंत्रण की बात हो रही है, कब से सरकार सतति-निग्रह के लिए दवाएँ और माधन बाट रही है, कब से इसका प्रचार हो रहा है लेकिन लोग है कि सुनते ही नहीं। बच्चे पर बच्चा पैदा किये चले जा रहे हैं और खामकर निम्न वर्ग ने तो जैसे बच्चा पैदा करने का कारखाना खोल दिया है। मजय गांधी को सतति-निग्रह का कार्यक्रम पूरा करना ही था और उसके लिए सबसे कारगर और स्थायी उपाय है नमबन्दी। सो हो गयी नमबन्दी-अभियान की शुरुआत। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वे सरकारी स्कूल के शिक्षक ही क्यों न रहे हों उन्हें इस काम में लगा दिया गया। प्रत्येक कर्मचारी को कुछ निश्चित मात्रा में नमबन्दी के केस देने ही होते थे और यदि उन्हें तरक्की चाहिए तो योग्यता नहीं, नसबन्दी के केसों के प्रमाण-पत्र पेश करने होंगे। भगदड मची हुई थी। नसबन्दी के केस चाहिए, चाहे जैसे भी हो। चाहे अविवाहित हों, निस्सतान हों, बूढ़ा हों, केस चाहिए। इस समय आदमी आदमी न रहकर नसबन्दी का केस बन गया था।

लोग पकड़े जा रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे मजदूर निबट रहे हैं। नसबन्दी करने वालों का दल हमला कर रहा है, वे अपना लोटा-बोतल लेकर बदहवास भागे जा रहे हैं। अजीब अफरा-तफरी मची हुई थी, अजीब डर छाया था माहौल में।

दूमरा कार्यक्रम था सफाई-अभियान का। वाजिब बात है, नगर को साफ रहना ही चाहिए। गाव साफ रहें या न रहें, नगर को साफ रहना ही चाहिए और दिल्ली नगरो की रानी है। नगर में बड़े लोग बसते हैं—नेता हैं, पूजीपति हैं, अफसर हैं। यहा बड़ी-बड़ी सुकुमार गाडिया हैं। नगर गदा रहेगा तो उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। सडक पतली रहेगी तो उनकी गाडियो को गुजरने में असुविधा होगी। पतली सडकों को चौडा करो गलियो को चौडा करो, सकरे मोहल्लो के मकानो को गिराकर सुदर मोहल्लो का निर्माण कराओ, झुग्गी-झोपडियो को माफ कराओ, अवध मकान अनियंत्रित भाव में उगकर शहर की सुदरता में कोढ पैदा करते हैं, उन्हें नष्ट करा। अभियान जारी है देश के इस कोने से उस कोने तक और विशेषतया दिल्ली में। कुरूप घर डरे हुए हैं, तग गलिया डरी हई हैं, अवैध मकान डरे हुए हैं, पतली सडको के किनारे के दूकान-मकान डरे हुए हैं। रोलरो के धडधडाने की, मकानो के अररा-अरराकर टूटने की, बीच-बीच में पुलिस की बडूको की गोलियो की और सबसे ऊपर सबका समेटनी हुई नेता प्रवर की मडली के मुसकराने और अट्टहास की आवाजें पूरी दिल्ली में और पूरे नागरिक माहौल में बजबजा रही हैं। गौर में देखिये तो यत्र बुरा काम नहीं था। इस देश के लोग स्थानों को गदा करने में प्रतिस्पर्धा में करते रहने हैं और गलियो, सडको तथा अन्य सार्वजनिक स्थानो का निजी प्रयोग करने में होड-मी मचाये रखते हैं। वे सामाजिक हित की चिंता कम करते हैं, धर्म की ज्यादा। यानी किसी जगह कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप शुरू कर दे, कोई छोटा-सा मंदिर-मस्जिद आदि बनवा दे तो उसे गिरवाने या हटवाने का साहस कोई नहीं कर सकता, इससे समाज को चाहे कितनी भी हानि क्यों न होती हो, सार्वजनिक जीवन चाहे कितनी भी असुविधाओं से ग्रस्त क्यों न हो उठता हो। संजय गांधी ने यह हिम्मत दिखा दी। उन्हें लगा कि यह माफ होना चाहिए तो होना ही चाहिए। बीच में चाहे मंदिर आये चाहे मस्जिद। सामाजिक जीवन की स्वच्छता के लिए गिरने दो जो गिरता हो। लोग सोचते थे और बाद में और सोचने लगे कि इस देश को ऐसी क्रियाशीलता मिल जाए तो यहां कुछ काम हो किन्तु यह क्रियाशीलता कितनी अनियंत्रित और स्वेच्छाचारी थी और एक ऐसे आदमी की थी जो समाज-सेवक नहीं था बल्कि बिना किसी पद के देश का सर्वोच्च शासक बना हुआ था।

इस समय डर नाम हो गया था शमन का। डर केवल मां-बेटे का। मा-बेटे ने आपातकाल की कुरूपता को ढकने के लिए या आपातकाल की सार्थकता सिद्ध करने के लिए बहुत-से ऐसे काम किये जो बाहरी तौर पर अच्छे लगते थे। चोर-बाजारी, महंगाई, अपव्यय, कामचोरी आदि असुंदर स्थितियों को नियंत्रित किया गया। 'बातें कम, काम ज्यादा, नारा दिया गया, गरीबी-उन्मूलन की घोषणा की गयी और बहुत-सी सुंदर दीखने वाली बातें उछाली गयी लेकिन डराकर। और डर केवल मां-बेटे का। कांग्रेस के बड़े-बड़े महारथी इंदिरा जी के सामने कांपते थे। सुना था कि एक बड़े नेता ने

चाय पीते हुए कुछ ऐसी बात कह दी जो इंदिरा जी को प्रिय नहीं लगी। इंदिरा जी ने ठंडी निगाहों से मात्र उनकी ओर देखा और उनका प्याला प्लेट में कांपने लगा— खड़ खड़...खड़...। कांग्रेस के लोग इसी भय से भयभीत होने को कांग्रेसी अनुशासन का नाम देते आये हैं। हां, इस समय इसी भय से कांग्रेस भी अनुशासित थी और देश भी। बड़े-बड़े महारथी इंदिरा जी का स्तवन करने में ही अपने अस्तित्व की रक्षा समझते थे इसलिए उन्हें कोई दुर्गा रह रहा था, कोई 'इंदिरा इज इंडिया' कह रहा था।

इस घुटन के विरुद्ध साहित्य लिखा जा रहा था लेकिन उसे न तो कोई छपाता था न छापता था। सरकार इतनी भयभीत थी कि मामूली शब्द भी उसे गोली की तरह लग जाता था और उमका सेंसर विभाग (जो न साहित्य समझता है न भाषा) किसी भी शब्द का कुछ भी अर्थ निकालकर किसी को जुर्म के कठघरे में खड़ा कर देता था। शब्द से सरकार डरी हुई थी और सरकार से शब्दकर्मी।

लागन अवध भयावन भारी
मानहु काल रात्रि अंधियारी
छुद्र जंतु सम पुर नर-नारी
डरपहि एकहि एक निहारी

हां, दो भय एक-दूसरे के सामने तने हुए थे और डर रहे थे, डरा रहे थे। इस माहौल में मैने भी कई कविताएं लिखी थी जैसे 'बसंत', 'चिडियाघर', 'पतझर की हवाएं', 'गुटिया', 'आइए कुछ नहीं मुनें बोलें' आदि। मुझे याद है मैने बम्बई के एक कालेज में ये कविताएं सुनाई थीं। एक कविता सुनाने के बाद मैंने माहौल का जायजा लेना चाहा था तो प्रिंसिपल ने मुस्कराकर कहा— "सुनाइए-मुनाइए, कोई बात नहीं।" मैंने सारी कविताएं सुनाईं, खूब पसंद की गयी और मुझे लगे कि भय का जितना गहरा तनाव दिल्ली में है, उतना अन्यत्र नहीं।

जो भी हो आपातस्थिति ने हमें एक बड़ा अनुभव दिया, वह यह कि वाणी पर प्रतिबन्ध की यातना कितनी भयानक और उबाऊ हांती है। जिन्हे खाने-पीने और मरत रहने में मनलब है या जिनकी वाणी केवल सुविधाप्रदायक आकाशों की जय-जयकार के लिए होती है उन्हें वाणी के प्रतिबन्ध की यातना भना कैसे ब्याप सकती है किंतु सही बात कहने के लिए बेचैन लेखनी और वाणी पर आपातकाल के दबाव ने जां कहर बरपा दिया वह बहुत भयानक था। अद्भुत बात यह भी है कि वाणी और लेखनी के दमन से उत्पन्न घुटन को उन लोगों ने भी अनुभव किया जो बाहर के कई तानाशाह देशों के वाणी-दमन के प्रशंसक हैं। वे उन देशों के वाणी-दमन के पीछे किसी बड़े मानवीय मूल्य को खोज निकालते हैं। वे वे लोग हैं जो सत्य पाते नहीं, दिये गये सत्य के समर्थन के लिए तर्क गड़ते रहते हैं। वे तर्क अलग-अलग लोगों, दली, देशों के लिए अलग-अलग होते हैं।

आपातकाल थोड़े ही दिन रहा किंतु लोगों को लगा कि कितने दिन से इस कुएं में पड़े हैं। जैसे ही इसकी समाप्ति की घोषणा की गयी, लोगों ने एक राहत की सांस ली और चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध जनमत की जो आंधी आयी वह बड़ी प्रचंड

थी। वह लगभग समूची कांग्रेस को बहा ले गयी, उसने इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा। देश में अपूर्व उल्लास छा गया। कई पार्टियों ने मिलकर एक जनता पार्टी बनायी और लोगों ने उसे बड़े गर्व और उत्साह के साथ देश की बागडोर सौंप दी।

जनता पार्टी में कई दलों का विलय हुआ और काफी पढ़े-लिखे लोग चुनाव में जीते। कांग्रेस जैसी बड़ी और मशकत पार्टी के विकल्प में एक बड़ी विरोधी पार्टी की कामना देश कब से कर रहा है ताकि लोकतंत्र के नाम पर चलने वाली कांग्रेस की तानाशाही समाप्त हो। इस समय ऐसा लगा कि देश को जनता पार्टी के रूप में कांग्रेस का विकल्प मिल गया लेकिन दुर्भाग्य यह कि जनता पार्टी में जिन दलों का विलय हुआ था उनकी दलीयता भीतर में गयी नहीं और थोड़े ही दिनों में दलीय स्वार्थों और दलों के व्यक्तिगत स्वार्थों की टकराहट शुरू हो गयी। मोरारजी देसाई, जगजीवनराम, चरणसिंह आदि में प्रधानमंत्रित्व के लिए तो टकराहट थी ही, राजनारायण जैम अनेक लोगों ने अपनी ऊलजलूल टिप्पणियों और क्रियाकलापों से जनता पार्टी के लिए अनेक बाधाएं खड़ी कर दी और डेढ़ माल में ही जनता पार्टी की सरकार विघटित हो गयी।

जनता क्या करे? उसने तो एक विकल्प का आदर किया किंतु यह विकल्प तो बहुत निकम्मा निकला। अब कहा जाये? फिर उसने देश की सत्ता कांग्रेस की झोली में डाल दी और अपनी सारी सीमाओं और गलाजत के बावजूद कांग्रेस सरकार धान से चलती रही और धर्म, जाति तथा क्षेत्र के नाम पर राजनीति पनपती रही और धर्म-निरपेक्ष कहलाती रही।

आपातकाल में लोगों ने अलग-अलग बहरी चुप्पी माघ ली थी और सबसे बड़ी विडम्बना तो यह थी कि वाणी-पुत्रों की वाणी भी डर से मौन हो गयी थी। इसका अनुभव सभी कर रहे थे। आपातकाल समाप्त होने के बाद इस बात पर चिंता व्यक्त की गयी और कुछ ऐसा उपाय सोचा जाने लगा कि पुनः यदि ऐसी स्थिति आये तो लेखकों की वाणी मौन न हो। अलग-अलग तो कोई भी आवाज उठाने का साहस नहीं करेगा और यदि करेगा भी तो उसका असर नहीं होगा। अतः कोई ऐसी लेखकीय संस्था बनायी जाये जो न केवल लेखकीय बल्कि देश और समाज के अन्य ज्वलंत प्रश्नों पर विचार करे और आवाज भी उठाय। डा० महीर्षिंह की सक्रिय पहल से 'भारतीय लेखक संगठन' की स्थापना हुई। इसमें हिन्दी के ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं के दिल्ली स्थित लेखकों को भी शामिल किया गया। वास्तव में यह संस्था मिद्वान्ततः भारतीय लेखकों की थी किंतु व्यवहारतः इसमें हिन्दी के दिल्ली स्थित लेखक ही ज्यादा थे। यह स्वाभाविक भी था। श्री विष्णु प्रभाकर इसके अध्यक्ष बने, श्री भवानीप्रसाद मिश्र तथा मैं उपाध्यक्ष। डा० महीर्षिंह महामन्त्री तथा डा० नरेन्द्र मोहन उपमन्त्री बने और अनेक साहित्यकार इसके सदस्य बने।

संगठन की गतिविधियां बहुत जोर से शुरू हुईं। गोष्ठियां होती थी, साहित्यिक और साहित्येतर विषयों पर चर्चा होती थी। एक छोटा-सा विचार-पत्र भी निकलता था। धीरे-धीरे अन्य प्रदेशों और नगरों के साहित्यकार इसके पदाधिकारी और सदस्य

होने लगे। अन्य नगरों में शाखाएं भी खुलने लगीं।

गुजराती के यशस्वी साहित्यकार डा० रघुवीर चौधरी और वसंत परिहार के प्रयत्नों में कुछ समय बाद अहमदाबाद में इसका एक त्रिदिवसीय अधिवेशन हुआ। बहुत महामागहमी रही।

चार साल बाद नये चुनाव में पदाधिकारी बदल गये। मैं अध्यक्ष बना और नरेन्द्र मोहन महासचिव तथा डा० महीपसिंह उपाध्यक्ष। अन्य पदाधिकारी भी बदले। धीरे-धीरे भारतीय लेखक मंगठन साहित्यिक गतिनिधियों में मिमटना गया यद्यपि बहुस के मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक भी रखे जाते रहे। डा० महीपसिंह के महामचिव रहते समय अनेक महिलाएं संगठन से जुड़ी रहीं। अब उन्होंने आना बंद कर दिया। स्वयं महीपसिंह को भी वह उत्साह नहीं रहा। कुछ समय बाद डा० नरेन्द्र मोहन ने घरेलू कारणों से महासचिव-पद छोड़ दिया। लेकिन वे जितने दिन रहे मेरे साथ अच्छा तालमेल बना रहा और अनेक ठोस कार्य हुए। उपसचिव कई थे। नरेन्द्र मोहन जी के त्यागपत्र के पश्चात् डा० विनय को महामचिव बनाया गया। अलीगढ़ में संगठन की इकाई खुल गयी थी, धामपुर में भी खोली गयी और दोनों स्थानों पर अधिवेशन हुए।

संगठन में वैम तो बहुत लोग थे किन्तु कुछ विशेष लोग उससे बड़ी गहराई से जुड़े रहे और उनके पदाधिकारी भी बनते रहे। गोपालकृष्ण कौल, दवेन्द्र इम्सर, जगदीश चतुर्वेदी, सुरेन्द्र निधारी, हरदयाल, बलदेव वंशी, मुखवीर सिंह, हरिप्रकाश त्यागी, कमल किशोर गोयनका, धर्मेन्द्र गुप्त, रत्नलाल शर्मा, प्रताप सहगल, अश्विनी पागशर, मोतीलाल जोतवाणी, सुरेश ढीगरा, जानचंद गुप्त, दयानंद वर्मा आदि तो शुरू से ही थे, बाद में कमल कुमार, रमेशचंद्र मिश्र, सत्यपाल चुध, विद्या शर्मा, गुरुचरणसिंह आदि जुड़े। बाहर के साहित्यकारों में विवेकीराय वेदप्रकाश, अमिताभ, भगवानदास वर्मा, शैलश जैदी, यश गुलाटी, प्रेमकुमार, वसंत परिहार, महाबोरसिंह चौहान आदि थे जो इसमें लगातार जुड़े रहे। 1989 में बम्बई में भी इसकी इकाई खुली। उसके संयोजक सूरज प्रकाश थे और वहां के अनेक साहित्यकार इसके सदस्य रहे।

डा० विनय बहुत उत्साही व्यक्ति हैं और ऊर्जावान भी लेकिन इतने बहुधंधी हैं कि किसी भी काम को उचित समय नहीं दे पाते। उनका मारा काम भाग-दौड़ और अफगानफरी में होता है, उनके महासचिव काल में उनके इस स्वभाव का खमियाजा संगठन को उठाना पड़ा। समय में कोई काम नहीं हो पाता था। चिट्ठियां भी समय से नहीं भेजी जाती थी अतः आलम यह हो गया कि कभी-कभी वार्षिक अधिवेशनों में पन्द्रह-बीस आदमी दिखाई पड़ने लगे। अध्यक्ष के रूप में मैं बहुत असुविधा और पीड़ा अनुभव कर रहा था और मित्र लोग थे कि मुझे बार-बार अध्यक्ष बना रहे थे। तीन बार मैं अध्यक्ष बना। मित्रों को चौथी बार नये अध्यक्ष की बात सोचनी ही पड़ी और कुछ मित्रों ने तत्कालीन हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० तारकनाथ बाली से इस बारे में बातचीत की और उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। इस समय वे ही संगठन के अध्यक्ष हैं। डा० विनय महासचिव बने हुए हैं।

इस संगठन के माध्यम से अनेक अच्छे कार्यक्रम हुए। इस क्रम में एक बहुत ठोस

कार्य हुआ—कई पुस्तकों का एक साथ प्रकाशन। बात यों हुई कि डा० महीपतिह ने संगठन के प्रारंभ में ही लेखक-सहयोग निधि की एक योजना बनायी थी जिसमें एक लाख रुपये एकत्र करने का उद्देश्य था। शुरु में बहुत उत्साह के साथ काम चला। अनुदान की राशि एक रुपया थी। सोचा गया था कि इस सहयोग निधि में सरकार या पूंजीपतियों के भारी अनुदानों के स्थान पर सामान्य जन से एक-एक रुपये का अनुदान लिया जाये ताकि उसमें तमाम सामान्य लोगों की शरीकता तो हो ही, संगठन किसी सत्ता या पूंजीपति का दबाव न अनुभव करे। किन्तु आगे चलकर लोगों का अनुदान-उगाही का उत्साह ठंडा पड़ गया। इसी क्रम में एक योजना बनी कि कुछ पुस्तकें तैयार कराकर किसी प्रकाशक को दे दी जायें और उसकी पूरी रायल्टी लेखक-सहयोग निधि को दे दी जाये। ममकालीन कविता, कहानी, निबंध और नाटक में संबंधित चार बहुत अच्छी पुस्तकें तैयार की गयीं। संगठन के लोग ही उनके सम्पादक बने और प्रभात प्रकाशन ने बहुत प्रेमपूर्वक बहुत अच्छे ढंग से उन्हें प्रकाशित किया। पूरी रायल्टी सहयोग निधि में जमा कर दी गयी। सहयोग निधि में बहुत पैसे जमा नहीं हो पाये किन्तु सभ्य-समय पर उसी में से कुछ जरूरतमंद लेखकों को कुछ सहयोग दिये गये।

दिल्ली में धीरे-धीरे मेरे आत्मीय परिवेश का क्षेत्र व्यापक होता गया। धीरे-धीरे अनेक लोगों से मेरा सम्बन्ध बनता गया। उनमें से कुछ विशिष्ट सम्बन्धों की चर्चा करना चाहूंगा।

न जाने किन क्षणों में कृष्ण गोपाल वर्मा से भेंट हो गयी। बंसे तो मैं प्रायः देखता था कि तेज-तर्रार-सा लगने वाला कूर्ता-पाजामा पहने एक युवक फुर्ती से आता है, जाता है और जब बोलता है तो उसकी बाणी में प्रतिभा और अध्ययन का ओज टपकता है किन्तु पहचान नहीं। पहचान कब हुई, किसने करायी, यह ठीक से याद नहीं। किन्तु जब हुई तो लगा कि यह बहुत प्यारा व्यक्ति है, बहुत ही मित्र और अतिथि-वत्सल। निश्चय ही यह समय 1970 के आसपास का रहा होगा क्योंकि मुझे याद है कि बहूमुझसे मांगकर 'जल टूटता हुआ' ले गया था और पढा था। 1972 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास 'सूखता हुआ तालाब' की समीक्षा की थी। बाद में 1976 में प्रकाशित 'अपने लोग' की भी समीक्षा की थी।

कृष्ण गोपाल वर्मा से परिचय हो गया था और क्रमशः गहरा हो रहा था। यह और भी गहरा रहा था इसलिए कि उन्होंने डा० सावित्री सिनहा की बहन की बेटी अर्चना सिनहा (अब अर्चना वर्मा) से प्रेम-विवाह किया था। अर्चना जी के पी-एच० डी० के शोध-कार्य के लिए मुझे नगेन्द्र जी के साथ सहनिर्देशक बनाया गया था। इसलिए हम

लोम प्रायः एक-दूसरे के यहां आने-जाने लगे थे। जब कभी अकेलापन अनुभव होता वे हमारे यहां चले आते या हम उनके यहां चले जाते। जाते ही बर्मा जी उल्लास से फूट पड़ते और अपनी विशिष्ट शैली में बातें तां करते ही, खिलाने-पिलाने की भी व्यवस्था करते। हम लोग न जाने कहां-कहां की बातें करते। साहित्य से लेकर जीवन के अनेक संदर्भों तक की यात्रा करते रहते। वे आग्रहपूर्वक देर तक बैठते और उस समय को अपनी आत्मीयता से सराबोर रखते। वे हंसराज कालेज में अंगरेजी के प्राध्यापक हैं इसलिए उनका अंगरेजी का अच्छा ज्ञान तो है ही, हिन्दी-साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि और पैठ है। मैं उनके अंगरेजी ज्ञान के आगे चुप ही रहता किन्तु वे अंगरेजी ज्ञान का आतंक न मचाकर हिन्दी-साहित्य के एक छात्र के रूप में प्रस्तुत होकर मुझे बड़ा बनाये रखते। अर्चना जी भी पूरे मन से हम लोगों की चर्चा में शरीक रहतीं। वे गृहिणी धर्म भी संभालतीं और साहित्य धर्म भी। वे मिरांडा कालेज में प्राध्यापिका थीं किन्तु सामान्य प्राध्यापिकाओं से अलग साहित्य को गहरे समझने-बूझने में सक्रिय थीं।

बर्मा जी के यहां अनेक लोग मिल जाते थे और प्रायः सीतेश जी और अरुणा सीतेश जी भी मिल जाते थे। किन्तु यह कथा थोड़े बाद की है।

जब दिल्ली में जनसघ शासन हुआ था तब साहित्य कला परिषद् की स्थापना हुई थी। श्री दयाप्रकाश सिनहा लखनऊ से उसके सचिव होकर आये थे। श्री दयाशंकर मिश्र शिक्षा निदेशक थे। उनसे मेरे अच्छे सम्बन्ध थे और उनके आग्रह से मैं साहित्य कला परिषद् में कुछ जुड़ गया था। दयाप्रकाश जी आये तो उनमें परिचय हुआ। वे बहुत सद्भाव से मिले और धीरे-धीरे उनमें मित्रता गहराती गयी। वे स्वभाव से ही बहुत सज्जन और प्रिय व्यक्ति हैं, साथ ही अच्छे नाटककार भी। अतः स्वभावतः ही उनसे मेरा सम्बन्ध अधिकाधिक अंतरंग होता गया। हेमंत की रचि नाटक में ही गयी थी। वह उनके नाटकों के प्रस्तुतिकरण में भाग लेने लगा था, अतः सिनहा जी तथा उनकी पत्नी उसे बहुत प्यार करने लगे थे।

एक दिन पत्नी कहीं से आ रही थीं। बस में उन्हें सिनहा जी मिल गये। उन्होंने नमस्कार किया और बगल की सीट दे दी तो सिनहा जी ने बहुत संकोच से नमस्कार किया। पत्नी उनसे हालचाल पूछने लगीं और वे संकोच से 'हूं' 'हां' करते चलते रहे। पत्नी को लगा कि वे आज कुछ सकुचा रहे हैं और उनसे बातचीत करने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। अंत में सिनहा जी को कहना पड़ा—“माफ कीजिए, मैं आपकी पहचान नहीं रहा हूं।” पत्नी को अब काटो तो खून नहीं। वे सिनहा जी के इस व्यवहार पर चकित थीं। अब तक उन्होंने दयाप्रकाश जी को तीन-चार बार ही देखा था। अब उन्हें कुछ शक हुआ। पूछा—“आप दयाप्रकाश सिनहा जी नहीं हैं?”

“नहीं, मैं उनका छोटा भाई सीतेश सिनहा हूं।”

दोनों को पता चल गया कि गलती कहां हो रही है। पत्नी इतनी सकुचायीं कि स्टैंड पर उतरते ही पानी में भीगती हुई घर की ओर चल दीं। सीतेश जी से एक दिन के० जी० बर्मा के यहां भेंट हुई तो यह किस्सा छिड़ गया। उन्होंने कहा—“मैं तो परेशान था अपने भाग्य पर कि कैसे आज अनाहूत रूप से एक भद्र महिला मुझसे बात करने का

सौभाग्य प्रदान कर रही हैं। लेकिन आज पहली बार नहीं हुआ है। प्रायः लोग हम दोनों भाइयों में बालमेल कर देते हैं और मैंने बचपन में इसका अच्छा-खासा लाभ उठाया है। भाई साहब को मेरे कारण बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। वे बचपन से ही शरीफ थे और मैं शरारती। आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीतती रही होगी।”

सीतेश जी बहुत मस्त और विनोदी व्यक्ति हैं। इनके साथ इनकी पत्नी अरुणा जी हांती थीं। वे आई० पी० कालेज में अंगरेजी की प्राध्यापिका हैं और हिन्दी की कहानी-लेखिका। अरुणा जी जितनी ही सुन्दर हैं उतनी ही शालीन। उनकी शालीनता उनकी उपस्थिति मात्र से बरसनी रहती है और उनकी हंसी में अद्भुत स्निग्धता है। अरुणा जी और सीतेश जी दोनों अपने स्वभावों से स्थूल रूप से प्रतिकूल होते हुए भी मूल रूप से एक ही हैं—भद्र सुसंस्कृत और मित्र-वत्सल। के० जी० के यहां जब ये दोनों होते तो बैठक में और भी रौनक आ जाती। बाद में तो हम लोग सीतेश जी के यहां आने-जाने लगे थे और उनके पारिवारिक स्नेह की उष्मा अनुभव करने लगे थे। पत्नी के दिवंगत होने पर जब दयाप्रकाश जी फीजी से लौटे थे तो लखनऊ जाने तक सीतेश जी के यहां ही रहने लगे थे और हम लोगों का आना-जाना और भी बढ़ गया था।

एक दिन मेरे यहां एक सज्जन सपत्नीक आये। उन्होंने अपना परिचय दिया—
“मैं संतोष शुक्ल हूं। दिल्ली कालेज में इतिहास पढ़ाता हूं और ये मेरी पत्नी मञ्जुला शुक्ल। इन्होंने उज्जैन विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम० ए० किया है।”

“जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरे योग्य सेवा बतायें।”

“जी सेवा नहीं, मैं तो मात्र दर्शनार्थ आया हूं।”

“अरे नहीं, ऐसा मत कहें। मेरे दर्शन में क्या रखा है? दर्शन तो बड़े लोगों का होता है।”

“मेरे लिए तो आप बड़े ही हैं। मैं तो कब से आपका पढ़ता आ रहा हूं। आपसे मिलने की इच्छा तो बहुत पहले से थी किन्तु जब विशाल त्रिपाठी से ज्ञात हुआ कि आप यहीं हैं तो बहुत प्रसन्नता हुई और मिलने की तडप मन में भर गयी। किन्तु देखिए, बगल में रहकर भी आपसे मिलने का संयोग नहीं बन सका। ‘मिलूंगा, मिलूंगा’ सोचते-सोचते कई महीने बीत गये।”

“ऐसा ही होता है महानगरों में।”

“नहीं, महानगर का सवाल नहीं है। सवान था अपनी शिक्षक का। आप जैसे प्रख्यात साहित्यकार से मिलने में डर लगता था।”

“डर किस बात का?”

“मुझे कुछ साहित्यकारों से मिलने का अनुभव प्रीतिकर नहीं रहा। उन्होंने अजीब यांत्रिकता, अहंकार और ठंडापन दिखाया। इसलिए आपसे भी डरते-डरते मिला। हालांकि विशाल जी ने आश्वस्त कर दिया था फिर भी।”

“अरे भाई, मैं तो बहुत छोटा साहित्य-सेवी हूं, मुझमें ऐसा क्या है कि अहंकार करूंगा।”

“अहंकार तो छोटे लोग ही करते हैं। कहते हैं न कि अक्षजल गगरी छलकत

जाए। आपमें अहंकार नहीं है और वह इसीलिए कि आप बड़े हैं।”

“धन्यवाद आपके इस सम्मान-प्रदर्शन के लिए। चलिए, शायद आप जैसे मित्रों के मद्भाव से ही कभी कुछ ठीक-ठाक बन जाऊं।”

उनमे देर तक बात होती रही और वे उठकर गये तो बहुत प्रसन्न और तृप्त लग रहे थे और धीरे-धीरे मेरे परम अंतरंग और मेरे परिवार के अभिन्न अंग बन गये। मुख-दुःख में माथ खड़े मिले। मुझे याद आ रहा है सितम्बर का महीना-जब मेरा पूरा घर एक माय मनेरिया में पड़ा हुआ था। हम किंगी के लिए कुछ कर न पाने की लाचारी झेलते हुए एक दूगरे को निरीह नेत्रों से देख लेते थे और अपनी-अपनी पीड़ा के समुद्र में उतर आते थे, हम सभी आसपास पड़े हुए अपने मे स्थित द्वीपों में लग रहे थे, जो इतने पास होकर भी न जाने कितनी दूर थे। अजनबीगन का यह कितना जीवित संदर्भ था। अजनबी भीड़ में मानसिक अकेलापन अनुभव करना एक बात है और आत्मीयता से मरावोर अपने लोगों के बीच में अजनबीगन की नियति झेलने की विवशता दूसरी बात है। हम टगी नियति को झेल रहे थे। एक-दूगरे के लिए कितना कुछ करने की चाह लिए हुए अपने-अपने में बंधे थे। इस समय एकमात्र सहारा थे संतोष और मंजुला शुक्ल। संतोष आते थे, श्वायें लाते थे, समय-समय पर हमें खिला जाते थे, खाने-पीने की व्यवस्था करते थे और हम नरह वे अपनी जिन्दगी जीते हुए हमारी भी जिन्दगी जी रहे थे। उन्हें राहत नहीं मिली जब हम सभी स्वस्थ हो गये।

वेटी की णाद्री में और न जाने कितने घरेलू प्रसंगों में वे हमारे साथ सक्रिय रहे, बल्कि वे और उनके जैसे मित्र मेरी अपेक्षा अधिक सक्रिय रहे।

डा० अवनीन्द्र कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक होकर आये थे। वे पहले दमण में थे, जहां मेरे एक मित्र रामलखन शुक्ल हिन्दी पढ़ाते थे। ये शुक्ल जी के अच्छे मित्र थे। शुक्ल जी के यहां मेरी चर्चा चलती रही होगी, इसलिए जब ये दिल्ली आये तो मुझसे मिले और प्रायः मिलने रहते थे। इस प्रायः भेंट ने मेरे-उनके बीच परिचय गाढा होने लगा। मेरी पत्नी बहुत दिनों बाद मेरठ में बी० ए० कर रही थी। उनका एक विपर था संस्कृत। संस्कृत के कई प्राध्यापक मेरे मित्र थे और वे माडन टाउन में ही रहते थे। मत्रने जाश्वस्त किया था कि वे संस्कृत पढ़ा देंगे लेकिन सभी ने अपने व्यवहार में वेहद निराश किया। एक मज्जन बुलाते थे, ड्राइंगरूम में बैठवाते थे और अन्दर बंठकर कुछ और काम करते थे।

एक दिन डा० अवनीन्द्र भारतीय स्टेट बैंक में मिल गये। संस्कृत की कोई बात चली तो मेरे मुंह में गहजभाव से निकल पड़ा कि संस्कृत जाने तो बहुत गैर-जिम्मेवार होते हैं। न जाने कितने मित्रों ने बहुत फूले हुए शब्दों में पत्नी को पढ़ाने का आश्वामन दिया किन्तु उन्हें बुला-बुलाकर उनका काफी समय खराब कर-करके कुछ नहीं पढ़ाया और अपने प्रति बहुत विचित्र धारणा को जन्म दिया।

अवनीन्द्र जी ने बहुत ठोस शब्दों में कहा—“आपने मुझे आजमाये बिना संस्कृत वालों पर यह सामान्य टिप्पणी कैसे जड़ दी?” उनके स्वर में दूसरे लोगों जैसी प्रीति-प्रदर्शक स्फीति नहीं थी बल्कि व्यावहारिक संक्षिप्ति थी जो वास्तव में मेरी टिप्पणी

को चुनौती देती लग रही थी और विश्वसनीय लग रही थी। मैंने कहा—“बलिये, आपको भी आजमा लेते हैं।” और अबनीन्द्र जी ने मेरी टिप्पणी को खारिज ही नहीं किया बल्कि वे परम अतरंग और विश्वसनीय मित्र बन गये। मित्रों के बीच उनकी विश्वमनीयता की साख था। जो कहते थे उमे करते ही थे। मेरे अनेक कार्यों में उनका गहरा सहयोग उनकी मित्र वत्सलता का परिचायक है। अजू के लिए वर खोजने के क्रम में वे न जाने कहा-कहा मेरे साथ गये और सद्परामर्श देते रहे। अंजू के विवाह में उन्हें बुखार था किन्तु टैबलेट ले-लेकर उसे दबाते रहे और अनेक व्यवस्थाओं में अपने को जोते रहे। उसका विवाह होते ही अपने को ढील दिया और बुखार की गोद में गिर पड़े और कई दिन तक पड़े रहे। उनके माध्यम से जिन मित्रों से जुड़ा, वे भी काफी प्रामाणिक निकले।

एक विशेष सन्दर्भ में मेरे दो मित्र याद आ रहे हैं। डा० ब्रजनाथ गर्ग और डा० बी० के० सिंह। डा० सतीश गर्ग पी० जी० डी० ए० वी० कालेज में प्राध्यापक होकर आ गये थे। तब मैं उमी कालेज में था। डा० सतीश गर्ग हेली-मेली आदमी है। हेलमेल से उनके परिचय और प्रभाव की दुनिया काफी बड़ी हो गयी है। मेरे भी सम्पर्क में आये और आते ही गये। फिर हमारे गहरे पारिवारिक सम्बन्ध बन गये। उन्हें कोई भी काम सौंपता, बहुत उत्साह से पूरा करते, आवश्यकता पडने पर मेरे साथ ही लेते। व्यावहारिक सुझाव देते। मेरी पत्नी मेरठ यूनिवर्सिटी से बी० ए० की परीक्षा दे रही थी। केन्द्र गाजियाबाद था। सतीश गर्ग ने गाजियाबाद के अपने मित्र डा० ब्रजनाथ गर्ग से हमारा परिचय करा दिया था। ब्रजनाथ गर्ग का बहुत आत्मीय आग्रह था कि मेरी पत्नी परीक्षा देने के समय उनके यहा ठहरे। वे ठहरी। ब्रजनाथ गर्ग बहुत मस्तमौला और साफदिल आदमी है। उन्होंने इम्तहान-भर पत्नी को जिस आदर-भाव से अपने यहा रखा, वह अनुपम है। वे ही नहीं, उनके पिताजी, बड़े भाई साहब, उनकी श्रीमती जी सबने पत्नी की ऐसी देखभाल की मानो उनके द्वारा पत्नी नहीं, पत्नी द्वारा वे ही उपकृत हुए हो। अपने सगे-सम्बन्धी तो दो-चार दिन में ही आतिथ्य से ऊबने लगते हैं किन्तु इस परिवार ने बिना किसी सम्बन्ध के या स्वार्थ के या गहरे पूर्व परिचय के पत्नी को इतने दिन तक जो उष्म आत्मीयता प्रदान की, वह विरल है।

पत्नी और बेटी अंजू दोनों आगरा विश्वविद्यालय से एम० ए० की परीक्षा दे रही थी। डा० अबनीन्द्र कुमार के माध्यम से उनके मित्र डा० बी० के० सिंह स मेरा परिचय हो चुका था। डा० बी० के० सिंह आर० बी० एस० कालेज में हिन्दी-विभाग में थे और अपनी ईमानदार तेज-नरारी और सहयोगी प्रवृत्ति के कारण वहा बहुत प्रभावशाली थे। आगरा जाता तो उन्हीं के यहा ठहरना पडता। जब पत्नी अंजू के साथ परीक्षा देने आगरा गयी तो डा० बी० के० सिंह के आग्रह के कारण उन्हें उन्हीं के यहा ठहरना पडा। उनके पास दो ही कमरे थे और वे, उनकी पत्नी, तीन बच्चे तो थे ही, आने-जाने वालों का भी क्रम बना ही रहता था। फिर भी मेरी पत्नी और बेटी को अपने यहा इम्तहान-भर (यानी महीना-भर) ठहराने में उन्हें अपार सुख का अनुभव

हुआ। उनकी पत्नी भी सहज भाव से इन्हें अपने घर का ही आदरणीय और प्रिय सदस्य मान बैठीं और पति-पत्नी ने (तथा बच्चों ने भी) इनकी जो देखभाल की वह अनुपम है। खुदाई खिदमतगारी में घर से बाहर-बाहर रहने वाले बी० के० सिंह को अब घर की चिंता भी सताती थी और उन्हें इस बात का ध्यान घर खींच लाता था कि भाभी जी और बिटिया को कोई परेशानी तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। और डा० बी० के० सिंह के साथ मेरा मैत्री भाव दिन-दिन गहराता ही गया। वे अपनी निःस्वार्थ सेवाओं और ईमानदार सक्रियता के कारण आगरा विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अपरिहार्य महासचिव बने हुए हैं।

71

दिल्ली में आकर दिल्ली के साहित्यकारों से प्रीतिकर और अप्रीतिकर परिचय तो हुआ ही, बाहर के भी कई छोटे-बड़े साहित्यकारों से जुड़ा। कौन साहित्यकार कितना बड़ा है, कितना छोटा, किससे जुड़ना मेरे साहित्यिक स्वार्थ के लिए लाभदायी रहेगा, किससे जुड़ना नहीं, मेरे संबन्ध-निर्माण के पीछे यह सोच सक्रिय नहीं रही है। जिम साहित्यकार (छोटा रहा हो या बड़ा) से सहज क्रम में जुड़ना संभव हुआ, मैं जुड़ा। जहां मुझे अपने प्रति सहजता दिखी, उधर हो लिया। दिल्ली में आने से पूर्व अज्ञेय जी के ठंडे व्यवहार के बारे में काफी सुन रखा था और एकाध बार अनुभव भी किया था। यहां आने के पश्चात् उदयभान मिश्र के साथ उनसे मिलने गया। वे अपनी नियंत्रित मुद्रा के बावजूद बहुत प्रेम से मिले। उसका एक कारण यह भी था कि अहमदाबाद में उनके अनुज श्री भामोद जी (जो उस समय गुजरात में उप शिक्षा निदेशक थे) से मेरा बहुत निकट का सम्बन्ध स्थापित हो गया था। वे बहुत सुपठ व्यक्ति हैं। वे मुझे बहुत मानते थे और घर जाने पर बड़ी उष्मा के साथ मिलते थे, खिलाते-पिलाते थे। देर तक साहित्य-चर्चा होती थी। उन्होंने अपने अग्रज अज्ञेय जी से मेरी चर्चा की होगी। अतः मेरे जाने पर अज्ञेय जी के बंद चेहरे पर मुसकान की मुखरता छा गयी थी और अपनी शैली में ठहर-ठहरकर हमसे बातें भी करते रहे। संयोग से वहां माचवे जी भी थे। माचवे जी की मुखरता के बहाव में तो न जाने कितने-कितने मौन बह जायें। हम चारों के बीच एक सुखद संवाद-सा बन गया था। फिर किसी दिन अज्ञेय जी के यहां काव्यगोष्ठी हुई, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। वहां गया। बहुत आत्मीय वातावरण में काव्य गोष्ठी सम्पन्न हुई। कपिला जी स्वयं चाय लाती रहीं, नाश्ता लाती रहीं, परोसती रहीं और गोष्ठी को पारिवारिक उष्मा प्रदान करती रहीं। उस गोष्ठी में नयी कविता के दिल्ली स्थित प्रायः सारे कवि थे। उसमें वात्स्यायन जी ने अपने गीत गाये भी। पता नहीं क्यों गाये? ताल-स्वर के तो वे ज्ञाता जरूर रहे होंगे किन्तु उनके स्वर में गीतात्मक माधुर्य कतई नहीं था। उनके

महात्मक गायन को सुनकर तरह-तरह की प्रतिक्रियायें हो रही थीं। श्रीकांत वर्मा को मैंने कभी ठठाकर हंसते नहीं देखा किन्तु उस दिन देखा कि वे अपनी हंसी बरबस दबाये जा रहे हैं। लगता था कि यदि गोष्ठी के शिष्टाचार का दबाव न होता तो वे हंसी में फूट पड़े होते। वे एक किनारे बैठे थे। उन पर औरों की नजर नहीं थी किन्तु मैं उन्हें देख रहा था और मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि श्रीकांत वर्मा के भीतर हंसी का जखीरा भरा है, भले ही वे आधुनिकतावादी दबाव में मुसकराकर रह जाते हों। बहरहाल, वह बहुत आत्मीय और जीवंत गोष्ठी थी।

अज्ञेय जी से फिर भिन्न-भिन्न प्रसंगों में भेंट होती रही। वे देखकर बहुत प्रीतिकर ढंग से मुसकराते, दो-चार औपचारिक बातें होती और बस। यानी उनसे मेरा कोई गहरा सम्बन्ध नहीं बन सका। इसका जिम्मेवार मैं ही हूँ। मैं जब ऐसे लोगों के यहां उठूंगा-बैठूंगा नहीं तो सम्बन्ध कैसे गहरायेंगे? और मित्रों को छोड़कर किसी के यहां उठने-बैठने की मेरी आदत नहीं है। साहित्यिक रिश्ता भी नहीं बन पाया। मैंने अज्ञेय जी को अपने साहित्य की ओर उन्मुख होते कभी नहीं पाया और मुझे भी उनके साहित्य में ठेठ अपनापन नहीं मिला।

मैं और उदयभान मिश्र 'नयी कविता के गीत' नाम से एक गीत संकलन निकाल रहे थे। इस संदर्भ में अज्ञेय जी से साक्षात्कार लिया। उन्होंने बहुत मन से साक्षात्कार दिया। वह संकलन तो नहीं निकल सका किन्तु अज्ञेय जी ने अपने उत्तर अपनी एक पुस्तक में प्रकाशित किये। उन्होंने प्रश्न तो लिए किन्तु इस बात का उल्लेख करना उनके अहम को गवारा नहीं हुआ कि ये रामदरश मिश्र और उदयभान मिश्र द्वारा एक साक्षात्कार के समय पूछे गये प्रश्नों के उत्तर हैं।

अहमदाबाद में नक्षत्र संस्था के द्वारा आयोजित एक समारोह में उनका सहभागी होने का अवसर मिला। रघुवीर चौधरी और वसंत परिवार के प्रयत्नों से अहमदाबाद में एक साहित्यिक-संस्था 'नक्षत्र' की स्थापना की गयी जिसमें देश की सभी भाषाओं के दो-दो साहित्यकारों को प्रतिवर्ष बुलाने की योजना बनायी गयी। पहले वर्ष हिन्दी के दो साहित्यकारों—अज्ञेय और मुझे बुलाया गया। सुबह को एक ही मंच से हम दोनों बोले थे और शाम को एक काव्य-समारोह हुआ था जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त गुजराती के कुछ विशिष्ट कवियों ने कविता-पाठ किया था। हमारे चुने गीतों का गायन भी हुआ था। अज्ञेय और मैं दोनों साथ ही रेडियो पर भी बोले थे। यह सब होते हुए भी अज्ञेय जी अपने अहम के कवच से बाहर नहीं आये। कभी हलका-सा मुसकरा दिया और कभी कुछ बोल दिया। गुजराती के आधुनिकतावादी कवियों और लेखकों पर अज्ञेय के इस व्यक्तित्व का तो मानो जादू छा गया। वे लोग अभिभूत थे, मुग्ध थे।

बच्चन जी से मेरा परिचय पहले ही हो चुका था। मुझे उनका स्नेह प्राप्त था। दिल्ली आने पर उनके यहां प्रायः मपरिवार जाने लगा। तब वे विलिंगटन क्रीसेंट में थे। जाने पर उनके प्रीतिकर साहचर्य का रस प्राप्त होना था। वे मेरे परिवार से लेकर साहित्य तक सबके प्रति अपना निश्चल लगाव व्यक्त करते थे। वे रचनायें पढ़ते थे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। जब मैंने 'लोकायतन' की समीक्षा लिखी थी तो

उन्होंने कहा था—“इस पुस्तक पर मैं भी बही लिखता जो तुमने लिखा है, इसलिए मैं उस पर लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, मेरी भाषा तुम्हारी भाषा जैसी निर्मम नहीं होती।” लिख चुका हूँ उन्होंने मुझे पत्र लिखकर मेरा काव्य-संग्रह ‘बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ’ अहमदाबाद से मंगाया था। दिल्ली के महानगरी माहौल में बच्चन जी जैसे वरिष्ठ और प्रभावशाली साहित्यकार का स्नेह निश्चय ही एक आश्वस्ति प्रदान करता है। वैसे तो उनसे भेंट होती ही रहती थी किन्तु हम (पति-पत्नी) होली के दिन अपराह्न में उनके यहाँ अवश्य जाते थे किन्तु एक बार कुछ ऐसा घटित हुआ कि हमने जाना छोड़ दिया। हुआ था कि हम पहुँचे तो तेजी जी कॉलवेल की आवाज सुनकर निकली। उन्होंने कमरे का आग्रा फाटक खोला और उसमें अनेक अड़ाकर कहा—“बच्चन सो रहा है, क्या काम है?”

‘कह दीजियेगा उनसे कोई काम नहीं है, केवल होली मिलने बला आया था।’

हम लोग कुछ सेकंड इन आशा में खड़े रहे कि शायद वे अन्दर बुलाकर दो-चार मिनट के लिए बैठने को कहें। जब हम लोगों को लौटा देने की मुद्रा में वे खड़ी ही रूठी ना हम लोग झटक से मुड़े और माडल टाउन लौट आये। हमने अपने को बेहद अपमानित अनुभव किया। उसके बाद हम फिर एक बार वहाँ गये, जब बच्चन जी ने अपनी एक वर्षगांठ पर अपने कुछ अंतरंग लोगों को बुलाया—अपने हाथ से चिट्ठी लिखकर। मैं भी उन अंतरंगों में शामिल था।

दिनकर जी से मेरी हल्की-सी पूर्व पहचान थी। दिल्ली आने पर पहचान गहरी हुई। वे जब भी मिलते बड़े प्रेम से मिलते और हर बार दो बातें जरूर कहते—

(1) रामदरश, तुमने अच्छा किया कि गद्य साहित्य में आ गये। वास्तव में यह युग गद्य का ही है।

(2) रामदरश, तुम अपने बाल काले क्यों नहीं कर लेते, अभी से बुजुर्गियत ओढ़े क्यों घूम रहे हो?

मैं केवल मुस्करा देता।

जैनेन्द्र जी से तो मेरा परिचय दिल्ली में ही हुआ। गोष्ठियों में बार-बार उनसे भेंट होती। हम साथ बोलते। मेरा खयाल है कि उन्होंने मेरा कुछ पढ़ा नहीं था, वे मुझे केवल एक प्राध्यापक आलोचक के रूप में जानते थे। हाँ, जब मेरी साठवीं वर्षगांठ पर मेरी पुस्तक ‘इकमठ कहानियाँ’ का उन्हें विमोचन करना पड़ा तो कुछ कहानियाँ पढ़ीं और उन्होंने उनके सम्बन्ध में अपनी अच्छी राय जाहिर की। मुझे लग गया कि उन्होंने शायद पहली बार पढ़ा है। इसमें उनका दोष नहीं है, मेरा ही दोष है कि मैंने उन्हें अपने को पढ़वाया नहीं और बड़े लोग नये लोगों के बारे में पढ़वाने से ही पढ़ते हैं। बार-बार उनसे भेंट होती रही और उनके व्यक्तित्व के रंग खुलते रहे। यह बात मुझे अच्छी लगी कि वे अपने विरोध में कही जाने वाली बात भी ध्यान से और निश्तेजित होकर सुनते थे।

डा० रामविलास शर्मा से कई बार आगरा में भेंट हुई थी और उनके निश्चल और अनौपचारिक व्यवहार का क्या कहना? जब भी उनसे मिला उन्होंने बहुत स्नेह से

अपनाया। पता नहीं उन्होंने मेरा कुछ पढ़ा है कि नहीं किन्तु ऐसे लोगों से सम्बन्ध इस आधार पर नहीं बनता-बिगड़ता कि उन्होंने मेरा कुछ पढ़ा है कि नहीं। ये लोग साहित्य के सच्चे आराधक हैं और उनसे मिलकर मन समृद्ध अनुभव करने लगता है। रामविलास जी तो मिलने पर अपने स्नेह से और ज्ञान से भी भर देते हैं। हम पड़ोसी मोहल्लों में रहते हैं किन्तु मेरा अपना आलस कि उनसे मिल नहीं पाता, घर में बैठा-बैठा ही उनके साहचर्य की खुशबू अनुभव करता रहता हूँ। लोग दूर-दूर से उनसे मिलने आते हैं (और मेरे यहां आकर यह सूचना देते हैं) तो मेरा आलस मुझे और झालने लगता है।

श्री बालकृष्ण राव के साथ अपने सम्बन्ध की शुरुआत की चर्चा कर चुका हूँ। आगरा वाले साक्षात्कार के बाद उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। तभी 'माध्यम' पत्रिका की शुरुआत हुई। उन्होंने पहले या दूसरे अंक में 'आधुनिक बोध और साहित्य' मेरा लेख छपा और फिर मेरी अनेक रचनायें और समीक्षायें वहां छपीं। 'समय देवता' एक लम्बी कविता वहीं छपी थी और उस पर पाठकों के बहुत पत्र आये थे। राव साहब गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति हुए, फिर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। जहां कहीं भेंट होती थी, वे बहुत प्यार से मिलते थे बल्कि अपनी ओर से सम्मान देते थे। उदाहरण के लिए दो छोटे-छोटे प्रसंगों का उल्लेख करूंगा। जब वे गोरखपुर विश्व-विद्यालय में थे तो मेरे मझले भाई रामनवल मिश्र अपने एक मित्र के साथ उनसे मिलने गये। उनके मित्र को अपने स्कूल के किसी साहित्यिक समारोह में राव साहब को आमंत्रित करना था। चपरासी अन्दर जाने ही न दे। वह कहता रहा कि शहर के बड़े-बड़े लोगों के साथ मीटिंग चल रही है। मैं नहीं जाने दूंगा।

भाई साहब ने कहा—“उनसे एक मिनट का काम है। जाकर कह दो कि डा० रामदरश मिश्र के भाई साहब आये हैं, मिलना चाहते हैं।”

“नहीं साहब, आप किसी के भाई हों, मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता।”

“रामदरश मिश्र के भाई साहब को मैं नमस्कार करता हूँ। आइये, अन्दर आइये।”

इन लोगों ने देखा स्वयं राव साहब बाहर आकर इन्हें बुला रहे थे। उन्होंने मीटिंग में बैठे-बैठे भाई साहब की बात सुन ली थी और उठकर चले आये थे।

उन्होंने बड़े-बड़े अधिकारियों से कहा—“आप लोग थोड़ी देर के लिए क्षमा करेंगे। एक बहुत आत्मीय व्यक्ति के भाई साहब आ गये हैं।”

उन्होंने समारोह में जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की किन्तु कहा—“मेरे लिए यह कम नहीं कि इसी बहाने रामदरश मिश्र के भाई साहब के दर्शन हुए।” भाई साहब और उनके मित्र अभिभूत थे व्यक्तित्व के इस बड़प्पन से।

जब वे आगरा विश्वविद्यालय में आ गये थे तो मैं जब भी वहां जाता उनसे मिलता। हम लोगों से मिलने के लिए उनके पास समय की कमी नहीं थी। जाने पर उठ खड़े होते थे। एक दिन मैं गया तो ज्ञात हुआ क्रिकेट मैदान में छात्रों और शिक्षकों के बीच नुमाइशी क्रिकेट मैच हो रहा है। मैं उनसे मिलना चाहता था। वे अनेक उच्च-पदाधिकारियों के साथ मैदान के किनारे बैठे थे। डा० बागीन्द्र दत्त पाण्डेय ने उनके कान-

में कहा—रामदरस मिश्र आये हैं। वे एकदम खड़े हो गये और तब अनेक पदाधिकारियों को खडा होना ही था। मैं बहुत सकुचाया। “आया जाय, आया जाय।” अपने खास लहजे में राव साहब ने कहा और अपने पास ही एक कुर्सी डलवाकर बैठा लिया।

वे आई० सी० एस० थे। वे बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति थे। कई भाषाओं के मर्मज्ञ थे, कवि थे। उनमें एक ओर एक आई० सी० एस० का शिष्ट आभिजात्य था, दूसरी ओर देशी भाषा और जमीन से गहरे लगाव से उत्पन्न खुलापन। कुलपति के रूप में जिस विश्वविद्यालय में रहे, वहां हिन्दी के विकास के सराहनीय प्रयत्न किये। उन्होंने कोशिश की कि सारा कामकाज हिन्दी में हो।

अजमेर की एक संस्था ने अपने त्रिदिवसीय साहित्यिक समारोह में हम दोनों को बुलाया। हम दोनों आसपास के कमरे में ही ठहरे। वहां उनको और भी नजदीक से देखने का मौका मिला और जब उन्होंने नयी कविता के विरोध में बार-बार बेवकूफी-भरा सवाल करने वाले संस्कृत के एक प्राध्यापक से कहा—“कहिये, बहस हिन्दी में हो कि संस्कृत में,” तो मैं चकित रह गया। यानी राव साहब संस्कृत भी इतनी जानते हैं कि उममें बहस कर सकें। राव साहब उन लोगो में थे जो अपने नये से नये साहित्यकार साथी को भी भान नहीं होने देते थे कि वे उससे बड़े हैं और समानता के स्तर पर उससे बातचीत करने थे। याद है वह दिन भी जब वे माडल टाउन में श्री वियोगी हरि के यहां किसी बैठक में आये थे। माडल टाउन के हम कई साहित्यकार उनसे मिलने ही वियोगी जी के यहां पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने पर उन्होंने कहा—“हां भाई, अब कहां चलना है? जो सबसे नजदीक घर हो वहां चला जाय।”

इमका लाभ उठाते हुए मैंने कहा, “सबसे नजदीक तो मेरा ही घर है।”

“एवमस्तु ! चलिए आप ही के यह चलने है।”

सभी लोग हमारे यहां आये। नामवरसिंह, देवीशंकर अवस्थी, अजितकुमार, रमेश गौड़ आदि तो याद आ रहे हैं, शायद कुछ और लोग भी थे। वहां दो घंटे तक गपशप चलती रही। वह एक स्मरणीय बैठक थी। राव साहब के साथ न जाने कितने और प्रसंग हैं जो मेरी यादों में सुरक्षित हैं। एक दिन एकाएक उनके दिवंगत होने की सूचना मिली तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वे इस दुनिया में नहीं हैं।

भवानी भाई (भवानीप्रसाद मिश्र) से दिल्ली के बाहर कई बार भेंट हो चुकी थी। वे काफी पहले दिल्ली आ गये थे और जब मैं दिल्ली आया तो उनसे यहां-वहां भेंट हो जाती थी। भवानी भाई से मिलना वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा लगता था। मस्त फक्कड़ कवि और व्यक्ति। जो सच लगा कह दिया, किसी का डर नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई छल नहीं। दिल्ली के तमाम असहज दम्भी और ठूढ़ आधुनिकतावादी रचनाकारों की ठस भीड़ में वे सहजता की आंघी से उड़ते जाते थे। करो तुम लोग साज-शृंगार, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। वैसे भवानी भाई के यहां मेरा उठना-बैठना नहीं था किन्तु मेरे प्रति उनके गाढ़े स्नेह और उनके प्रति मेरे गहरे सम्मान-भाव का सहज ही संवाद होता रहता था। वे ‘गगनांचल’ के सम्पादक हो गये थे। कोई रचना उन्हें भेजता था तो लिखते थे—“पसंद आयी और आपकी रचनाएँ

मुझे पसंद आती ही हैं।" 'अपने लोग' उन्हें बहुत पसंद आया था। एक दिन उन्होंने बताया—'भाई, यह उपन्यास मुझे बहुत पसंद आया। साहित्य अकादमी बापों से कहा—इस पर पुरस्कार दे दो लेकिन वे मव कुछ ममझते ही नहीं।" उनकी सहजता और मस्ती उनके हर कार्य में थी और सारे कार्यों के बीच एक लय थी। मैंने अपना गीत-संग्रह 'मेरे प्रिय गीत' उन्हें समर्पित किया था। किन्तु इस बात की कसक मन में रह गयी कि वे पुस्तक तैयार होने से पहले ही चले गये। उनका जाना वास्तव में एक खालीपन छोड़ गया।

सहजता के क्रम में एक दमरा नाम है विष्णु प्रभाकर। इनसे भी मेरी जान-पहचान दिल्ली में ही हुई। विष्णु जी के मामले में तमाम पीढ़ियों का अंतराल गलकर बह जाता है और डमीलिया वे सभी पीढ़ियों और विचारधाराओं के साहित्यकारों से आदर पाते हैं। भारतीय लेखक संगठन के वे अध्यक्ष थे और मैं उपाध्यक्ष। इस क्रम में भी उन्हें जानने का अच्छा अवसर मिला और अनुभव किया कि वे अपने मानवीय आदर्शों और मान्यताओं पर अडिग रहने हुए अन्य विचारों के लोगों को भी सम्मान देते हैं और उनका सहज व्यक्तित्व दूसरों को गहरी आत्मीयता प्रदान करता है। मुझे उनका बहुत स्नेह मिला है। मेरे साहित्य से भी उनका लगाव रहा है। 'कितने बजे है' और 'अपने लोग' की उन्होंने जो समीक्षाएं की थीं। इम मेरे साहित्य के प्रति उनके अपनत्व का परिचय मिलता है। वास्तव में भवानी भाई हो या विष्णु प्रभाकर ये लोग अपना साहित्य जीते भी हैं। ये लोग आदमियत को साहित्य में बड़ा मानते हैं इसलिए लोगों से मिलने-जुलने के क्रम में उन्हें अपने साहित्य की अपेक्षा अपना इमानी प्यार अधिक बाटते हैं। मुझे तो इनके साहित्य और व्यक्तित्व दोनों का रस मिला है।

डा० प्रभाकर माचवे से मैं दिल्ली में अनेक बार मिला। कई बार गोष्ठीयों में और अन्य प्रसंगों में उनके घर गया। उनका घर ठेठ भारतीय परिवार का घर लगा। वे स्वयं बहुत खुले हुए व्यक्ति हैं। बातें करते हैं। नये लोगों की अकुण्ठ भाव में प्रशंसा करते हैं। उनके साथ रहते हैं तो घुल-मिल जाते हैं। मैंने उन्हें एक दिन अपने घर बुलाया—खाने पर। चले आये सहज भाव से। घंटों बैठे बतियाते रहे। अजितकुमार को भी खाने पर आना था। वे कहीं फस गये थे। डा० माचवे मेरी प्रतीक्षा की उद्विग्नता को समझते हुए स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे और 'कोई बात नहीं, कोई बात नहीं' कहते हुए प्रतीक्षा का समय लम्बा करते जा रहे थे। खाना ठंडा हो रहा था। आखिर हमें प्रतीक्षा छोड़कर खाना पड़ा और माचवे जी ने ठंडा खाना बड़ी रुचि से खाया। एक बार हरिद्वार की एक साहित्यिक संस्था ने हम दोनों को साथ बुलाया। वहां हम लोग साथ ठहरे और वहां उनके खुले साहचर्य की गहरी उष्मा और आत्मीयता के रस का मैंने अनुभव किया।

डा० भारतभूषण अग्रवाल से भी यहाँ-वहाँ भेंट होती रहती थी। वे बिनोदी व्यक्ति थे और उनमें भी एक सहज खुलापन था। उनके यहाँ जाकर उनके साथ भोजन किया। मेरे निमंत्रण पर वे मेरे यहाँ आये। स्थान की दूरियाँ थीं किन्तु तब वे साहित्यकारों की सम्बन्धगत गहराइयों में डूब जाती थीं। तब साहित्यकारों में एक-दूसरे से

मिलने की अद्भुत उमंग थी।

गिरिजाकुमार माथुर से भी मेरी जान-पहचान दिल्ली में ही हुई लेकिन उनसे मेरी निकटता नहीं रही। अपनी ओर से तो मैं किसी से योजनाबद्ध रूप से यो ही नहीं मिलता और माथुर माहब से तो मिलने का कोई प्रसंग ही नहीं था। वे रेडियो और दूर-दर्शन के बड़े पदों पर रहे, मेरा उनके वहां होने से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने भी संभवतः मेरा साहित्यिक ठीठ से नहीं पढ़ा था, इसलिए साहित्यिक सम्बन्ध भी उष्म नहीं हुए। जब वे सेवामुक्त होकर जनकपुरी अपने मकान में आये और मैं वाणी विहार में आ गया तो हमारा पड़ोसी सम्बन्ध बना और धीरे-धीरे हमारे व्यक्तिगत और साहित्यिक सम्बन्ध बने। मैं तो उन्हें पढ़ता-पढ़ाता आ ही रहा था, उन्होंने भी मुझे पढ़ा और प्रभावित हुए। मेरी अनेक कथाकृतियों और काव्यकृतियों से गुजरने के बाद (हलफ-हलफे पहले भी गुजरे होंगे) उन्हें साहित्यिक परिदृश्य में मेरी स्थिति का बोध हुआ और 'गगनाचल' में मुझे बार-बार बड़ी उष्मा में छाया। माथुर माहब में अपने आत्मीयों में गहरा लगाव है। वे उनसे मिलना, बातचीत करना, हमी-ठहाका करना खूब पसंद करते हैं लेकिन उनसे सद्गुणता नहीं है। उन्होंने जो अफसरी जिन्दी जी है उसमें उनका साहित्यकार मुक्त नहीं हो पाता। वे बारपठना-क्रम का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रायः हर जगह रखते हैं। एक बात वे कई-कई बार कहते हैं और प्रायः कहते हैं। बात आमन-मामन हो रही हो या टेलीफोन पर, समझ की लम्बाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अधिक-स अधिक मान्निष्ठ चाहते हैं आपका।

हिमायु जोशी अच्छे कथाकार तो हैं ही, बहुत प्यारे आदमी भी हैं। वे अच्छे गियर हैं। मिलने पर उन ही गहरी आत्मीयता का साक्षात्कार करता हूँ। उनकी महजता उनके गंवरई सम्कार की देन हैं। गंवरई जीवन के यथार्थ में निर्मित उनके कथा-साहित्य में भी यही महजता दिखाई पड़ती है। उन सहजता के कारण ही शायद मैं उनसे और उनके साहित्य में उनका लगाव अनुभव करता हूँ। मैं काफी दिनों में 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सम्पादकीय विभाग में हूँ और मैं जब कभी 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के दफ्तर जाता हूँ तो उन्हीं के कारण जानूँ हूँ।

डा० हरदयाल अपनी पीढ़ी के बहुत साफ-सुथरे समीक्षक हैं और उगो तरह साफ-सुथरे मित्र भी। भारतीय लेखक संगठन के पदाधिकारी और सदस्य के रूप में तो मुझसे जुड़े ही रहे हैं, स्वतंत्र रूप से भी हमारा परस्पर बहुत लगाव रहा है। साहित्यिक परिवेश में भी हम अच्छे सहयात्री रहे हैं। दृष्टियों और पक्ष के अलग होने के बावजूद हम साहित्य के कठघरावाद और छद्म के विरोध के मामले में साथ रहे हैं।

दिल्ली आया तो बलदेव वंशी कवि के रूप में अंकुरित हो रहे थे और बहुत उत्साह से साहित्यिक गण्टियों में आते-जाते थे। उनसे जान-पहचान हो गयी थी और धीरे-धीरे सघन हो रही थी। 'भारतीय लेखक संगठन' में वे भी सदस्य और पदाधिकारी हुए। इस प्रक्रिया में हमारी भेंट होती रहती थी। संगठन के रचनात्मक कार्यों में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वे अनेक साहित्यिक योजनाओं में जुड़े रहे हैं और उन्हें अपनी अच्छी रचनात्मक प्रतिभा तथा सक्रियता से सफल बनाया है।

दिल्ली आने पर दिल्ली के बाहर के कई नामों से मैं बहुत आत्मीय स्तर पर जुड़ा। मुझे ठीक याद नहीं कि विवेकीराय का पहला पत्र मुझे कब मिला लेकिन सत्तर के आसपास का कोई वर्ष रहा होगा। उनके नाम से मैं परिचित था। वे समीक्षाएं लिख रहे थे और 'अलग-अलग बैतरणी' की एक बहुत लम्बी समीक्षा उन्होंने लिखी थी। उनका 'बबूल' उपन्यास भी आ चुका था। बहरहाल उन्होंने किसी संदर्भ में मुझे पत्र लिखा और पत्रों से शीघ्र ही हमारे बीच आत्मीय संबंध बन गये। गांव की जमीन ने दोनों को अप्रयास शीघ्र ही जोड़ दिया। वे 'स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथा-साहित्य में ग्राम जीवन' विषय पर शोध कर रहे थे। इस प्रक्रिया में वे मेरी तमाम रचनाओं से जुड़े और जब उनका शोध-प्रबंध छपकर आया तो मैं उसमें अनंत बार अपना और अपनी रचनाओं का उल्लेख देखकर चकित रह गया। आज तक किसी शोध-प्रबन्ध में मेरी इतनी तो क्या, आवश्यक चर्चा भी नहीं हुई थी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया तो उन्होंने लिखा कि "मुझे आपकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। उनमें अपनापन पाता हूं और अपने समाज और देश को पाता हूं।"

अभी तक उनसे भेंट नहीं हुई थी। एक बार जब मैं बनारस गया तो वे मुझमें मिलने आये किंतु जब वे मिलने आये तब मैं स्टेशन आकर गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी वहीं से बनकर चलती थी और उसे छूटने में अभी आधा घंटे की देर थी। वे स्टेशन आये और हर डिब्बे की जांच-पड़ताल करते हुए मेरे डिब्बे में आये और मेरे सामने खड़े हो गये। नमस्कार किया। मैं अपरिचय के भाव से उन्हें देखता रहा। वे बोले—“मैं विवेकीराय हूं।”

“अरे !” मैं खुशी से उछल पड़ा—आप मुझे कैसे पहचान गये ?”

“आपको पहचानने में मूल कर सकता हूं क्या ? आपको इतना पढ़ा है, उसमें से आपका व्यक्तित्व बना लिया है और पत्रिकाओं में आपके छपे चित्र भी तो देखे हैं।”

“क्या बात है ?”

“जा पर जा कर सत्य सनेह। कितना खोजा आपको। वहां जाता था तो मालूम पड़ता आप वहां गये, वहां जाता था तो वहां गये। अंत में शंभूनाथ जी के यहा आया तो ज्ञात हुआ कि आप स्टेशन चले गए। मैं भागा-भागा यहां आ रहा हूं।”

“अपने प्रति आपके इस स्नेह के लिए आभारी हूं मित्र। आज के जमाने में कौन किससे खोजता है और वह भी इस तरह ?”

“अरे, तो इस खोज में तो मुझी को सुख मिलता था, इसमें आप पर कोई एहसान थोड़े ही किया।”

“आपकी यह सरलता तो मुझे और भी आभारी बना रही है।”

हम लोग बात तो कर रहे थे किंतु भीतर-भीतर यह अतृप्ति हल मार रही थी कि अभी गाड़ी छूट जाएगी। मैंने कहा—“हम लोग पहली बार मिले भी तो इस अफरा-तफरी में। पत्र-व्यवहार के पश्चात् मन में एक इच्छा बस गयी थी कि हम लोग मिलेंगे तो घंटों बात करेंगे, घूमेगे-फिरेंगे, चाय पियेंगे, मूंगफली खायेंगे, बरसात का मौसम हुआ तो साथ-साथ भुट्टे खायेंगे। यदि देहात में मिले तो खेतों में भटकेंगे। अब तो मन हो

रहा है कि या तो मैं गाड़ी छोड़ दूँ या आप मेरे साथ गोरखपुर चलो।”

वे हंसे। जानते थे कि दोनों में से एक भी संभव नहीं है।

गाड़ी ने सीटी दी।

“अच्छा, फिर मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। मेरी तो इच्छा है कि कभी आपको गाजीपुर ले चलूँ, वहाँ से अपने गाँव ले चलूँ।”

“मुझे बहुत मुख मिलेगा।”

गाड़ी सरक उठी। विवेकीराय हाथ हिलाते रहे।

तब से हमारे संबंध गहराते ही चले गये। उन्होंने लगभग मेरे सारे गद्य-साहित्य पर समीक्षाएं लिखी और उन्हें मेरे लेखन में बहुत गहरी आश्वस्ति प्राप्त होती रही। मैंने भी उनके कुछ उपन्यासों पर लिखा। इस तरह लेखन तो हमें जोड़ता ही गया, हम बराबर मिलते भी रहे। इस मिलन का सारा श्रेय उन्हीं को है। जब कभी मैं वाराणसी गया वे मिलने आये। यहाँ तक कि वे गोरखपुर भी मिलने आये। मेरे बेटे की शादी में बडहलगंज आये। दो बार दिल्ली आये और मेरे साथ रहे। और मैं उनकी इच्छा के अनुसार गाजीपुर नहीं जा सका। वहाँ जाने की इच्छा मन के भीतर महकती ही रह गयी। लगता है पूर्वांचल की मिट्टी के लगाव ने हम दोनों को सहज ही बहुत गहराई से परस्पर जोड़ दिया।

विवेकीराय देहाती घरती की उष्मा से बने एक सीधे-सच्चे कर्मठ इंसान हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने को कहीं से कहीं तक उठाया। वे गाँव की खेतो-बारी भी देखते हैं और गाजीपुर में अध्यापन तथा साहित्य-सेवा में भी लीन रहे। गाँव के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह करते हुए भी उन्होंने बहुत लगन से विपुल साहित्य पढ़ा और लिखा। वे अपने मित्रों और परिचितों में तथा पाठकों में भी बहुत प्यार से जाने जाते हैं।

1972 में कन्हैयालाल नंदन ‘पराग’ के संपादक होकर दिल्ली आ गये। नंदन दिल्ली आ रहे हैं यह सुखद बात थी। वे आये। वे महीप के भी बहुत अच्छे मित्र थे और मेरे भी। इसलिए प्रायः मैं, महीप और वे साथ होते थे और गपशप, हंसी-ठहाका चलता रहना था क्योंकि हम तीनों खुलकर हंसने-ब्रतियाने वाले लोग हैं। मिलते हैं तो समय को कुछ दूर पर, कुछ देर तक ठहर जाने के लिए कह देते हैं और जीवन की सारी औपचारिकताओं से मुक्त होकर मिलते हैं। बाद में नंदन जी क्रमशः ‘सारिका’ और ‘दिनमान’ के संपादक हुए। जाहिर है कि अपने आफिस में कोई भी अच्छा संपादक खाली तो नहीं बैठेगा। उसे कुछ तात्कालिक कार्य निबटाने पड़ते हैं, कभी सहयोगियों के साथ औपचारिक बैठक चल रही होती है, कभी ‘संपादकीय’ का डिक्टेसन दिया जा रहा होता है। ऐसी स्थिति में चाहे कोई कितना भी निकट का मित्र हो, उस अपनी मैत्री का अधिकार दिखाते हुए सीधे संपादक के कमरे में तो नहीं न घुस जाना होता है। आफिस जाने पर नंदन पहले मेरे लिए संपादक होते थे, अतः पहले मैं बाहर बैठे सहायक से मिलता था। संपादक जी की व्यस्तता का पता करता था। कभी-कभी बाहर बैठकर कुछ देर इंतजार करता था। चिट भिजवा देता था। बैसे प्रायः काम कुछ भी नहीं होता था।

उधर से गुजर रहा होता था तो सोचता था मिलता चलूँ। अतः अपने और मित्र नंदनजी के बीच संपादक नंदन को पार करने में कुछ समय लग जाता था। कभी-कभी उनकी अधिक व्यस्तता जानकर बिना मिले भी लौट आता था। कुछ लोग इस प्रक्रिया से गुजरने में बुरा भी मान जाते हैं। मोचते हैं कि मित्र से मिलने के लिए औपचारिकता से क्यों गुजरा जाए। मित्र का काम होता है कि उमका आना मुनकर कृष्ण की तरह जिस किमी हालत में हों उमके स्वागत के लिए दौट पड़े। न दौड़ पड़े तो तुरत बुना ले, कितु मुझे अपने मित्रो में उनके आफिम या कार्य-स्थल पर मिलते समय इम औपचारिकता की अनिवार्यता का पूरा बोध रहता है।

नंदन जी फुरमत पाकर बुना लेते थे और उठकर स्वागत करते हुए कहते थे—

“माफ करना रामदरश भाई, आपको इतजार करना पडा।”

“कोई बात नहीं भाई। मैं समझता हूँ।”

“भाई, बहुत-से लोग नाराज हो जाते हैं।”

“होने दो।”

कुछ देर बाद काम निबटाकर नंदन जी अपने आफिम कक्ष को निजी कक्ष में बदल देते थे—कुछ देर के लिए। चपरासी से कह देते थे—“कुछ देर के लिए और किमी का आना बंद और कोई भी काम मत लाना।”

फिर साहित्यिक प्रसंगों में लेकर निजी प्रसंगों तक की चर्चा की यात्रा शुरू होती जाती थी। वे अपने नवलखित गीत गाकर सुनाने लगते थे। अनर्गल हंसी-मजाक और गपशप भी चल पड़ती थी। मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखकर उनसे विदा लेता था और वे फिर झटके में अपने सपादकीय कक्ष में लौट जाते थे।

उन्हे जो काम सौपा गया उसे अथक परिश्रम से संपादन किया। ‘पराग’, ‘सारिका’ और ‘दिनमान’ पत्रिकाओं का संपादन करने की प्रक्रिया में वे कितना श्रम करते थे और अपनी सूझ-बूझ से कैसे उन्हे नयापन प्रदान करते थे इसका अनुभव मैंने किया है। सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे जिस पत्रिका में गये उमें सबके लिए खोला। जिन पत्रिकाओं में कुछ ही लोग छपते थे, उनमें वे सबको छापने लगे और इसके लिए वे लेखकों को ससम्मान आमंत्रित करने लगे। नंदन जी बहुत पार-बाश व्यक्ति हैं। वे बहुत उष्मा के साथ मित्रता निभाते हैं। मैंने जब भी किसी की सहायता के लिए उनसे कहा, उन्होंने मेरी बात को बहुत आदर दिया, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि उन्होंने संपादन में मित्रता निभाई बल्कि वे इस बात के लिए सावधान रहे हैं कि किसी योजना में पहले दूसरों की चीजें छप जाएं तब मित्रता की परिधि में आने वाले साहित्यकारों की छपे।

यह तो कोई बात नहीं हुई कि महत्त्वपूर्ण साहित्यकार उनके मित्र हैं, इसलिए उनकी पत्रिका में छपे ही नहीं। ‘दिनमान’, ‘सारिका’ की यात्रा देख जाइए। लगता है कि उनके आने से पहले ये पत्रिकाएं कुछ खास लोगों के लिए थीं और दूसरे स्वाभिमानी साहित्यकार यह सोचते थे कि ये संपादक यदि नहीं मांगते तो हम क्यों रचना भेजें ?

नंदन जी की बड़ी भारी उपलब्धि है कि उन्होंने इन पत्रिकाओं का संसार बड़ा किया ।

यों तो महावीरसिंह चौहान मेरे प्रिय शिष्य रहे और जब अहमदाबाद में था तो मेरे निकट सम्पर्क में थे ही किंतु मेरे दिल्ली आने के पश्चात् ही उनकी आलोचनात्मक मेधा प्रस्फुटित हुई और दिन-दिन सघन होती गयी । उनकी इस आलोचनात्मक मेधा ने मुझे अतिरिक्त रूप से अपनी ओर आकृष्ट किया । वैसे छात्र-जीवन से ही उनके भीतर साहित्य के प्रति गहरी जिज्ञासा थी । वे प्रायः नये-नये साहित्यिक प्रश्नों के साथ मेरे तथा अन्य गुरुओं के पास आते थे और कविताएं भी लिखते थे, किंतु उनकी जिज्ञासा आलोचनात्मक मेधा के रूप में मेरे आने के बाद ही विकसित हुई । उन्होंने मेरी भी अनेक कृतियों की समीक्षाएं लिखी और हर कृति को किसी एक केन्द्रीय मुद्दे पर पकड़कर बहुत नयी और सश्लिष्ट विवेचना की । महावीर गांव की शक्ति लिए हुए गांव से आये है इसलिए उनकी संवेदना मानवीय और दृष्टि प्रगतिशील है । इसी संवेदना और दृष्टि के साथ वे रचनाओं की समीक्षात्मक यात्रा करते हैं और उसकी तमाम जटिलताओं के साथ न्याय करते हुए भी अपने निष्कर्षों में काफी खुले हुए हैं । यानी उनकी समीक्षाएं पाठक को कड़ी पहुंचाती हैं, आधुनिकतावादी असमंजस में नहीं छोड़ देतीं । मैं ज्यों-ज्यों उनकी समीक्षात्मक शक्ति से परिचित होता गया, त्यों-त्यों उनमें और-और उतरता गया । बड़ा आनंद भी आता है यह देखकर कि मेरा एक प्रिय शिष्य इतना अच्छा समीक्षक है और तकलीफ भी होती है कि इनने अच्छे समीक्षक की ओर हिन्दी-साहित्य की दृष्टि क्यों नहीं गयी ।

भोला भाई पटेल अहमदाबाद में मेरे प्रिय और प्रबुद्ध छात्र थे । अब वे गुजरात विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के आचार्य अद्यक्ष हैं और गुजराती के प्रख्यात समीक्षक हैं, किंतु जब पढ़ते थे तब भी उनमें गहरा विद्या-यसन था । साहित्य के बुनियादी सरोकारों के प्रति उनकी जागरूकता मुझे उनके प्रति आकृष्ट कर रही थी और धीरे-धीरे वे मेरे आत्मीय परिवृत्त में घंसते जा रहे थे । उनकी निष्ठल और लययुक्त खिलखिलाहट और चेहरे की प्रसन्न दीप्ति उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है ।

अहमदाबाद में था तो डा० रामलखन शुक्ल से मेरा सहज परिचय था । वे हंसते-मुसकराते मिलते थे, कम बोलते थे और किसी बात पर खिलखिला पड़ते थे । किंतु दिल्ली आने के पश्चात् उनसे संबंध लगातार गहराते गये । वे अहमदाबाद से दमण के एक कालेज में जा चुके थे । वहां से प्रायः दिल्ली आते थे और अवनीन्द्रकुमार के यहां ठहरते थे । मेरे यहां भी आते थे और अनेक प्रसंगों पर बातें होती थीं । वे बड़ोदा रीडर बनकर गये । वे अकेले रहते थे, विधुर थे और बहुत मर्यादावादी थे । जीवन, साहित्य और शिक्षण-कार्य के प्रति उनकी दृष्टि बहुत नैतिक थी और अपने माहौल की व्यावसायिक असुंदरता से ऊबे रहते थे । वे उपन्यासकार थे । सौंदर्यशास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी । वे एकाएक चले गये मानो उनकी नैतिकता माहौल की बदसूरती को बर्दाश्त नहीं कर सकी ।

दिल्ली आया ही आया था कि पटना के एक सज्जन मिलने घर आये । मैं उन्हें

जानता नहीं था। शायद अभी उन्हें जानने का कोई कारण भी नहीं था। लेकिन प्रथम भेंट में ही हम दोनों एक-दूसरे से जुड़ गये। वे थे डा० गोपाल राय। फिर हम एक-दूसरे के निकट होते गये। डा० गोपाल राय ने समीक्षा-पत्रिका निकाली और अनेक बाधाओं के बावजूद उसे अभी तक निकाल रहे हैं। मैं भी समय-समय पर समीक्षाएँ लिखता रहा। गोपाल राय धीरे-धीरे कथा-समीक्षक के रूप में विकसित हुए। हम दोनों ने एक-दूसरे की खट्टी-मीठी समीक्षाएँ की, सुखी-दुखी हुए। वैचारिक टकराव से भी गुजरे लेकिन यह सब कुछ एक सौमनस्यपूर्ण वानावरण में हुआ।

वेदप्रकाश अमिताभ मे मेरी जान-पहचान मेरे शिष्य प्रेमकुमार के माध्यम से हुई। वैसे उनकी कुछ चीजें मैं पहले देख चुका था। अमिताभ अलीगढ़ के डी०एस० कालेज में पढ़ाते हैं कवि भी हैं। कहानीकार भी हैं किन्तु सर्वप्रथम उनकी आलोचनाओं के माध्यम से उनमें मेरा साहित्यिक परिचय हुआ। अमिताभ बहुत श्रमशील, अध्ययन-शील, नवदृष्टि सम्पन्न और खूले मन वाले आलावक हैं और साथ ही बहुत ही भद्र व्यक्ति हैं। वे अपने मित्रों और शिष्यों में बहुत प्रिय हैं और मुझे तो उनका अनिर्वक्त सम्मान-भाव मिला है। वे अकारण ही मुझे गुरुवत् मानते हैं। मुझे उनके साथ होने, साहित्य-चर्चा करने, बोलने-बतियान घूमने-फिरने में बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ एक पुस्तक 'हिन्दी उपन्यास के सौ वर्ष' का सम्पादन करने का भी सुख मिला है। उन्होंने मेरे प्रति अपने सहज मद्भाव की अभिव्यक्ति के लिए डी प्रेमकुमार के साथ 'उपन्यासकार रामदरश मिश्र' पुस्तक का सम्पादन किया। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि अमिताभ नयी हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में अच्छे स्थान के हकदार हैं लेकिन हक मिलने और हकदार होने में फर्क होता है न। हिन्दी आलोचना तो तेज-तर्रार दा-चार व्यक्तियों का पर्याय बनकर रह गयी है। कविता और कहानी के क्षेत्र में भी वे चुपचाप अपनी शक्ति के प्रमाण दे रहे हैं। 'दूसरी शहादत' कहानी-संग्रह न अपनी सहजता से मुझे काफी प्रभावित किया।

आगरा जाते रहने के क्रम में क० मु० विद्यापीठ आगरा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक (अब रीडर) डा० गोविन्द रजनीश में भेंट होनी रहती थी और धीरे-धीरे मेरे मित्र बन गये। वे बहुत मित्र-वत्सल हैं। रजनीश जी साहित्यिक और अकादमिक जोड़-नोड़ से बचकर चुपचाप अपना कार्य करते हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छे शिक्षक के साथ-साथ अच्छे आलाचक हैं। उनसे मिलना मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है।

हि० प्र० यू० की परीक्षा के क्रम में मैं सपत्नीक शिमला गया हुआ था। अतिथि भवन में ठहरा था। सुबह एक सज्जन दिखाई पड़े। उन्होंने नमस्कार किया और बताया, "मेरा नाम शशिभूषण शीताशु है। गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय में रीडर हूँ।" अच्छा-अच्छा, आपसे मिलकर बहुत प्रमन्नता हुई। डा० मेघ आपकी चर्चा बल्कि प्रशंसा कर रहे थे। मैं आपके लेखन से गुजरा हूँ और प्रभावित हूँ।"

वैसे तो बहुतों में भेंट होती है, बातचीत होती है, साथ-साथ बहुत प्यार से कुछ समय भी बीतता है। पर अलग होने पर कुछ खोने का बोध नहीं होता। जीवन-भर ऐसे

ही चलता रहता है। किन्तु कुछ लोगों से पहली ही भेंट भीतर कुछ ऐसी घंस जाती है कि वह धीरे-धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगती है। अनजाने ही दोनों ओर से एक ही साथ एक-दूसरे से जुड़ने का स्वाभाविक उत्साह सक्रिय हो उठता है। कुछ ऐसा ही यहां भी हुआ और हम दोनों शिमला-निवास के चार दिनों में काफी निकट आ गये। वे मेरे ही नहीं, पत्नी के भी स्नेह-भाजन हो गये। फिर तो हमारे सम्बन्ध लगातार गहराते गये। घर आना-जाना शुरू हुआ। वे विभागाध्यक्ष बने तो विभाग के काम से अनेक बार अमृतसर जाना पड़ा। तब भी गया, जब बाहर के लोगों का जलते हुए पंजाब में प्रवेश करने का उत्साह मर गया बल्कि उनमें डर समा गया।

विजेन्द्र मेरे शुरू के प्रिय शिष्यों में रहे। उनकी साहित्य-प्रगति के साथ मेरे प्रति उनके सम्मान-भाव की उष्मा बढ़ती ही गयी। वे भरतपुर के राजकीय कालेज में अंगरेजी के प्राध्यापक हो गये थे और कवि के रूप में जाने जाने लगे थे। मैं गुजरात में था और उसे पत्र-व्यवहार होता रहता था। उन्होंने मेरे शब्द-संग्रह 'वैरंग वेनाम चिट्टियां' पर एक बहुत अच्छी समीक्षा लिखी थी। अहमदाबाद में आगरा जा रहा था तो उन्होंने भरतपुर में मुझे खींच लिया। कालेज में व्याख्यान कराया, माछ आगरा गये। जब मैं दिल्ली आया तो उन्होंने भरतपुर बुलाया। कृपाणंकर जी के साथ गया। घाना पक्षी विहार भी देखा। दो-तीन दिन तक विजेन्द्र के साथ रहा। काफी गहमागहमी रही। फिर एक काव्य-प्रसंग में उन्होंने मुझे बुलाया। वे स्वयं भी दिल्ली आते रहे, मेरे साथ रहते रहे। विजेन्द्र काफी उग्र प्रगतिवादी थे और मैं उम तरह का प्रगतिवादी कभी नहीं हो पाया किन्तु इससे विजेन्द्र का मुझसे और मेरे साहित्य से लगाव कभी कम नहीं हुआ। और सच पूछिये तो उनकी उग्र प्रगतिवादिना अच्छे साहित्य की पहचान के रास्ते में नहीं आयी। उनका प्रगतिवाद फारमूलों में नहीं, उनकी कविताओं में परिवेश की संवेदना और उसके शब्दों के रचनात्मक प्रयोग के रूप में दिखाई पड़ता है।

विजेन्द्र के माध्यम से भरतपुर के चन्द्रभानु भारद्वाज से जान-पहचान हुई। वे 'संप्रेषण' पत्रिका निकालते थे। मुझे उसमें सलाहकार संपादक के रूप में रखा। चन्द्रभानु धीरे-धीरे मेरे आत्मीय परिवृत्त में आ गये। चन्द्रभानु भी प्रगतिशील थे किन्तु मेरी ही तरह खुले हुए। इसलिए उनकी पत्रिका भी बंधी नहीं। चन्द्रभानु नौकरी के सिलसिले में जयपुर चले गये थे। वहीं रहते थे। उनके माध्यम से मेरा परिचय हुआ कवि और प्रशासक ताराप्रकाश जोशी से 'जल टूटता हुआ' पर इन दोनों ने एक विचारगोष्ठी जयपुर में ताराप्रकाश जोशी के घर पर ही आयोजित की। उसमें मुझे बुलाया गया। ताराप्रकाश ने ही लेख पढ़ा। उनके साथ जयपुर घूमा-घामा और तभी से वे मेरे स्नेही मित्र बने हुए हैं।

जगदीश चतुर्वेदी अच्छे साहित्य-योजना-कल्पी और अकविता के चर्चित कवि हैं। अकविता से मेरा प्रिय संबंध नहीं बन पाया इसलिए मैं जगदीश की कविताओं के साथ कभी गहरा लगाव नहीं अनुभव कर सका। उनकी जीवन-पद्धति भी मेरी जीवन-पद्धति से काफी अलग है, विरोध की स्थिति तक अलग है किन्तु यह सब होते हुए भी

जगदीश मुझे प्रिय लगते रहे। उनमें मित्रों के प्रति खुला अनुराग है, निश्चलता है। वे अपना विरोध सुनकर भी बुरा नहीं मानते यानी विरोध उनकी मित्रता के ताप को कम नहीं करता। यही कारण है कि जगदीश मुझ जैसे अपने काव्य के अप्रशंसक को भी प्यार-सद्भाव देने रहे।

गंगाप्रसाद विमल से मेरा परिचय दिल्ली आने से पहले ही हो चुका था। तब मैं अहमदाबाद में था और वे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में उनमें भेंट भी हो चुकी थी। वे साहित्य के क्षेत्र में बहुत उत्साह से उभर रहे थे। हम दोनों ने एक-दूसरे की साहित्यिक योजनाओं में सहयोग भी दिया। विमल बहुत प्रीतिकर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। दिल्ली आने पर उनमें अकविता और आधुनिकतावाद का ऐसा रंग चढ़ा कि उनके लेखन में से उनका जिया हुआ ठोम पहाड़ी परिवेश गायब होने लगा। अच्छा है अब फिर उनका अपना पहाड़ी परिवेश उनके लेखन में उतर रहा है। साहित्य के जगत् में तमाम उतार-चढ़ावों से गुजरने के बावजूद विमल मेरे प्रति अपना लगाव बनाये रहे।

प्रख्यात प्रगतिशील समीक्षक डा० शिवकुमार मिश्र से मेरी यहां-वहां भेंट होती रहती थी किन्तु गुजरात की भूमि ने हम दोनों को बहुत करीब ला दिया। मैं वहां से आकर भी वहां था, मिश्र जी लगातार यह बात दुहराते रहे और मुझे अपने पास अनुभव करते रहे। सभाओं में, संगोष्ठियों में उनसे वहां भेंट होती रहती थी। वे विद्वान् व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व में खुले हुए अतः उनकी प्रगतिशीलता काफी आग्रही होकर भी अप्रिय नहीं लगती। और बुनियादी तौर पर एक ही दर्शन से जुड़े होने के कारण हम दोनों साहित्य की समझदारी में विरोधी नहीं लगते। कफ़ी हद तक साथ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन अनंतोगत्वा आग्रही और आग्रही न होने का फर्क तो बीच में आ ही जाता है पर मिश्र जी का विद्वान् और भद्र व्यक्तित्व इन फासलों को बहा ले जाता है। मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं और मुझे इस बात का बहुत सुख है कि उन्होंने मुझे बड़े भाई का सा आदर दिया है। प्रगतिशील आलोचकों में शायद उन्होंने ही मुझे कुछ ढंग से पढ़ा भी है।

दिल्ली के और कई नये-पुराने साहित्यकारों और प्राध्यापक साहित्यकारों से मेरी प्रीतिकर निकटता स्थापित हुई, उनमें कुछ नाम हैं—डा० रत्नलाल शर्मा (कथा समीक्षक और व्यंग्य लेखक), डा० नरेन्द्र कोहली (कथाकार), अश्विनी पाराशर (कवि, आलोचक), सुरेन्द्र तिवारी (कथाकार), अमरेन्द्र मिश्र (कथाकार, संपादक गगनांचल), कमल किशोर गोयनका (प्रेमचंद के साहित्य के प्रख्यात शोधक), धर्मेन्द्र गुप्त (कथाकार)।

दिल्ली आने पर अहमदाबाद के रामकुमार यादव (नवोदित कवि और प्रबुद्ध पाठक) मेरे निकट संपर्क में आये। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका, प्रतिभाशाली नयी कवयित्री और आलोचक डा० चन्द्रकला त्रिपाठी और उनके पतिदेव डा० बशिष्ठ नारायण त्रिपाठी से मेरी घरेलू और साहित्यिक निकटता बनी। कलकत्ता के डा० कृष्णबिहारी मिश्र तथा चंडीगढ़ के यश गुलाटी की आत्मीयता प्राप्त हुई। मद्रास के आर० शौरिराजन, पी० बाल सुब्रह्मण्यम और डा० सुंदरम तथा तिरुपति के डा० शिवराम रेड्डी का आत्मीय लगाव मिला।

मन् '78 का मितम्बर मास। चार तारीख। उस रात दो बजे मेरी छोटी बच्ची स्मिता चिल्लायी कि मड़क पर पानी आ गया और हम लोग उठकर मड़क पर आ गये। स्मिता एक दिन पहले से ही अपना बस्ता-बोस्ता सहेज रही थी। वह आतंकित थी और घर के सभी लोग उमका मजाक उड़ा रहे थे। दरअसल हमें यह कतई अहसास नहीं था कि हम लोग खाई-खंदक में बसे हुए हैं। रेडियो से खबरें जरूर आती रहीं किन्तु सब लोग यही सोचते रहे कि मरकागी प्रचार-साधनों के जैसे सारे शब्द अर्थहीन होते हैं वैसे ये शब्द भी होंगे। इन प्रचारों में अमली चित्र भी तो नहीं था कि पानी कितना आयेगा। इसलिए मड़क पर पानी आने के वावजूद हम लोग बहुत सावधान या आतंकित नहीं हुए—गोचते रहे कि अब इसमें ज्यादा पानी नहीं चढ़ेगा; किन्तु पानी चढ़ने लगा। फिर मैं तो अपनी किताबें नीचे के शेल्फ से उठाकर ऊपर के शेल्फ में रखने लगा। कुछ किताबें तीन फुट की ऊंचाई वाले जगहों पर रख दी, कुछ को खाट के ऊपर खाट गिछाकर डाल दिया, कुछ को चार फुट ऊंचे अपने भज्रून टायनिंग-टेबुल पर डाल दिया। पानी और बच्चे कुछ जरूरी सामान ऊपर ले जान के लिये सीढ़ियों पर रखने लगे। तब तक तो यह भी निश्चित नहीं था कि हम कहाँ जाएं।

पानी गैलरी में तेजी से भर रहा था और हम लोग अब कुछ बेचैन-से हो रहे थे। इनने में हमारी महान नालाकिन आई और बोलीं "जल्दी कीजिये, आपके लिए मिपानी गैली की तरफ दी है।" दरअसल पानी का बहाव देखकर वे लोग भी सावधान हुए थे और जल्दो-जल्दी मिपानी गैली करने में जुट गये थे। तब तक पानी कमरे में प्रवेश कर गया। पानी इनती गैली में उठ रहा था कि हमने कुछ गोचने-ममझने या निर्णय लेने की शक्ति का अन्त-व्यग्न कर दिया था। कमरे में पानी बढ़ना गया और हम लोग खाने-पीने, जोड़ने-बिछाने के सामान यथाभव ऊपर ठुचाने लगे थे। मैं अपने कुछ कामज-पत्र समेटकर ऊपर छोड़ आया। पानी बढ़ने लगा। एकाएक मेरा छोटा लडका विवेक चिल्लाया—“भा.गये-भा.गिये, पानी में अब रेंट आने वाला है।” इतनी निर्णय बुद्धि नहीं जागी कि भेन-स्त्रिच आंफ कर दिया जाय, और हम लोग दरवाजे-खिड़कियां बंद करके ऊपर चले गये—हम आश्वस्ति के साथ कि जो सामान बचे हैं, वे इतनी ऊंचाई पर हैं कि पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। कुछ यह भाव भी था कि सामानों को जाना हो तो जाएं, कौन अपनी जान मुसीबत में डाले !

लेकिन सचमुच ही हमें नहीं मालूम था कि हम खाई-खंदक में बसे हुए हैं। अभी भी विश्वास नहीं होता कि माडल टाउन जैमी अभिजात कालोनी में इतना पानी आ सकता है, लेकिन जो सच है—वह है। और सुबह होते-होते हमने देखा कि चारों ओर समुद्र लहरा रहा है। धीरे-धीरे जंगले, दीवारें, चहारदीवारियां डूबती चली जा रही हैं। पानी बढ़ने के साथ यह आश्वस्ति टूट गयी कि यह पानी ज्यादा नहीं बढ़ेगा—और अब यह लगने लगा कि यह पानी किसी भी ऊंचाई तक बढ़ सकता है। पानी बढ़ने के साथ-साथ भय और घबराहट बढ़ने लगी। जिस मिपानी में हम थे, उसकी ओर बढ़ी तेजी से पानी बढ़ रहा था—जीने पर होता हुआ। बस, तीन सीढ़ियां बच गई थीं और

स्मिता फिर शोर करने लगी कि सामान छन पर ले चलो—जल्दी ही मियानी में भी पानी भर आयेगा। इस बार किसी ने उसके भय का मजाक नहीं उड़ाया। हर आदमी सोचता था कि हाँ, पानी आ सकता है ! लेकिन हम मामान ढोते-ढोते इतने थक गये थे कि अब सामानों को ऊपर चढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पानी आयेगा तो देखा जायेगा !

आमपास और सामने के लोग, जहाँ तक संभव हुआ, पानी में जा-जाकर सामान निकालते रहे और दोपहर होते-होते सारी गतिविधियाँ ठहर गयीं। अब किसी के पास कोई काम नहीं रहा। लोग छतों पर से एक-दूसरे को देखने लगे—नीचे डूबते अपने-अपने सामानों की चिंता छोड़कर हंसी-मजाक का आदान-प्रदान करने लगे। हमारे साथ डा० राजकुमार शर्मा का भी परिवार था। हंसी-मजाक में हमने समय को हल्का करने का प्रयत्न किया। राजकुमार जी ने कहा, “डाक्टर साहब, आपके ‘पानी के प्राचीर’ और ‘जल टूटता हुआ’ के तो दर्शन कर लिए, अब ‘सूखता हुआ तालाब’ देखने की इच्छा है।”

हमारे मकान मालिक का स्नेह, श्रीमती सरला गुप्ता का मानवीय सहयोग, राजकुमार जी का साहित्यिक संसर्ग, ये हमारे इन दिनों के सवल थे। परेशानियाँ थी—खास तौर पर उन लोगों को, जो छतों पर ठहरे थे—जिनके पास ऊपर की मंजिल नहीं थी। उन्हें खास परेशानी पानी और शौचालय की थी, किन्तु लोग परेशानियों को भूलने के लिए अपनी जिजीविषा को पहचान रहे थे। यह माडल टाउन है, जहाँ खाते-पीते और अमीर लोग बसते हैं; इसलिए खाने-पीने की वह समस्या यहाँ नहीं आयी, जो गरीब बस्तियों में आती है और न घर उड़ने, पेड़ों पर लटकने, पानी पर बहने, डूब जाने का सत्रास ही यहाँ था, लेकिन यह तय था कि इस बाढ़ के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए किसी का आटा खत्म हो गया था, किसी का तेल, किसी का चावल, किसी की दाल। दूध-सब्जी आदि रोज आने वाली चीजों की समस्या तो थी ही। दूध की समस्या बड़ों के जीवन-मरण का प्रश्न तो नहीं बन सकती, किन्तु बच्चों के लिए बन सकती है। मेरे सामने की छत पर, चार महीने का बच्चा बिना दूध के डेढ़ दिन तक रहा। हम उसे अपनी छत से देखते रहे। वह हमारे घर आता-जाता है, इसलिए उसकी पीड़ा हमें और सालती रही। वह चुपचाप मा या बाप की गोदी से चिपटा हुआ दहशत अनुभव कर रहा था। न जाने कितने ऐसे शिशु विलखते रहे होंगे। हम आमने-सामने एक-दूसरे को देखते थे, किन्तु कुछ कर नहीं सकते थे। हम सब नदी के द्वीप बने हुए थे।

हम सोचते थे कि जब सरकार ने लोगों को इतना सावधान किया है, तो उसके लोग हमारी खोज-खबर लेने आते होंगे। सरकार को तो अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए था—लोग करें या न करें ! लेकिन कहीं कोई नहीं आया। दिन-भर हम लोग कभी आसमान में देखते थे कि शायद कोई हेलीकॉप्टर ही दिखाई दे जाये, कभी गली के छोर पर देखते—शायद कोई नाव ही दिखाई दे जाये, जो कम-से-कम बच्चों के लिए दूध तो दे जाये। लेकिन दो दिन तक कोई नाव नहीं आयी। दूसरे दिन रात को

दस बजे एक नाव आयी, जिस पर से आवाज आ रही थी—“किसी ने बाहर जाना है ?”

“कहाँ ले जाओगे भाई ?”

“आजादपुर ले जाकर छोड़ देंगे।”

“उसके बाद इस अंधेरे में कहां मरेंगे ?” कुछ लोगों ने आक्रोश से पूछा। लेकिन नाव बिना कोई जवाब दिये आगे निकल गयी। उसने खानापूति कर दी थी।

“अरे भाई, पता नहीं ये कौन है ? ले जाकर रास्ते में लूट लें और पानी में डकेल दें... क्या पता ?” एक ने मजाक किया।

हां, बाद में पुलिस वालों की तथा छिपे स्वर से फौजियों की जो कहानियां सुनीं, उनमें यह मजाक मजाक नहीं रह गया। पुलिस ही क्यों, जनता के अनेक वर्गों के लोग भी लूट-मार मचाने में पीछे नहीं रहे। आदमी की मजबूरियों का कसकर फायदा उठाया गया। एक ओर जनसेवी संस्थाएं थी, दूसरी ओर जनशोषी लोग और तंत्र थे। दूसरे दिन एक खाट की एक नाव पर चढ़कर मेरा लटका शशांक बाहर गया और मोरी गेट से बड़ी मुश्किल से 23-23 रुपये वाले ‘अमूल’ दूध के डिब्बे 30-30 रुपये में ले आया। बाहर तो चला गया, लेकिन लौटना इतना आसान था क्या ? किसी प्रकार एक गिन्न की नाव मिल गयी, नौ शाम तक लौट पाया।

तीसरे दिन से सरकारी नावें दिखाई पड़ने लगी, लेकिन उन पर धके-हारे चेहरे वाले आठ-दस फौजी सिपाही बैठे रहते। उनके चेहरों पर रक्षा या सहायता का कोई भाव ही दिखाई नहीं देता था। लोग अपने-अपने छुज्जों पर खड़े होकर पुकारते रहते और नाव अन्यमनस्क भाव से आगे सरक जाती। मैं नहीं समझ पाता कि इन नावों पर कौन लोग बैठे हैं, क्योंकि जरूरतमंद लोग तो बैठने ही नहीं पा रहे थे।

दो दिन तक हम लोग भयानक गन्नाटे में डूबे रहे और दूसरे दिन तिजहूर को एक हेलीकाप्टर की आवाज आयी तो रोमाच हं आया। लगा कि कोई खोज-खबर लेने वाला आकाश से हमें देख रहा है। इतना काशी था। हेलीकाप्टर बिना कुछ गिराये चला गया। इसके बाद कई हेलीकाप्टर आये और आकाश में घूम-घामकर चले गये, नीचे भी नहीं झुके ताकि हमें यह राहत मिले कि वे हमसे मौन संवाद करना चाहते हैं। कोई मंत्री होगा—बाढ़ का मुजरा ले रहा है, जले पर नमक छिड़क रहा है ! दो दिनों तक छिटपुट प्राइवेट छोटी-छोटी नावें भी आयीं और किसी की पुकार सुने बिना—सँर करके चली गयी। इस लीला और विहार न मन में कई बार ऐसा क्रोध उत्पन्न किया कि ऊपर से पत्थर या ईंट खींचकर द मारूं।

हम प्रायः छत पर ही रहे, लेकिन यह कहना भी पूरा मही नहीं है। सामने छत पर से एक आदमी ने इशारा किया कि पुस्तकें तैर रही हैं। मैं इसे भूलना चाहता रहा, लेकिन भूलकर भी भूल नहीं पाया और पहली रात जिन परेशानियों में बीती, उनमें एक परेशानी इन पुस्तकों की भी थी। वैसे पहले दिन दो बजे के बाद पानी धीरे-धीरे कम होने लगा था। हम लोगों को यह जानकर राहत मिली कि अब पानी मियानी तक नहीं आयेगा, किन्तु शाम को रेडियो में समांचार आया कि सबसे खराब समय

अब आने वाला है। 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक पानी बौर बढ़ेगा। हमारे तो होश उड़ गये। हे भगवान्, रात को फिर कैसे-क्या करेंगे? सभी लोग थककर चूर थे, फिर भी सबने हीसला बांधा कि उठ-उठकर, छत पर से बारी-बारी, सामने की दीवार के पानी को देखेंगे। यदि पानी बढ़ेगा तो उठकर सामान मियानी में से छत पर लायेंगे। टार्च नहीं थी, सबको एक-एक दियासलाई दी गयी। सबके हीसले पस्त थे, मैं जल्द उठ-उठकर दीवार को देखता रहा और पानी बढ़ने की आशका के साथ-साथ, पानी में तैरती पुस्तक की पीडा मुझे बराबर कोचती रही। खैर, सुबह हुई और पानी बढ़ने के बजाय थोड़ा नीचे सरक आया था।

दूसरे दिन डरते-डरते पानी में उतरा। डर सापों का ज्यादा था, क्योंकि दिन-भर मडक और गैलरी के पानी में छोटे-बड़े सांप तैरते रहे और शहरी लोग उन्हें देख-देख चिल्लाते रहे—साप-साप! मुझे छोटे-छोटे साप, साप लगते ही नहीं रहे। मैं देनात का आदमी, बड़े-बड़े गेहुंवन और करैत सापो को देखने का अभ्यासी रहा हूँ। लेकिन पानी में सांप तो क्या, जोक भी टकरा जाये तो बड़ा गिलगिलापन लगता है। किवाड़ खोलकर अंदर पहुँचा। छाती-भर पानी में कमरो की हर चीज उलटी होकर तैर रही थी। किताबें ही किताबें, पत्रिकाएँ ही पत्रिकाएँ! तैरता हुआ सोफा, तैरती हुई खाटे, तैरना हुआ डाइनिंग-टैबुल, खामोश डूबा हुआ फ्रिज, भीगकर फूला हुआ गेहूँ का ड्रम, भीगी हुई रजाइया-गद्दे, और क्या-क्या गिनाऊँ! बच्चों की सहायता से घंटा-भर तैरती किताबों और पत्रिकाओं को छानता रहा। और भी जो चीजें बाहर निकाली जा सकती थीं निकालीं। चीजे भीग-भीगकर इतनी बोझिल हो गयी थी कि उठती ही नहीं थी। किसी कदर इन चीजों को अपनी छत पर, लगी हुई दूसरी छत पर, छजली पर यानी जहाँ-जहाँ जगह मिली, वहाँ-वहाँ पसार दिया। आश्वस्त हुआ कि चलो, सूख-साखकर किताबें, पत्रिकाएँ कुछ काम की रह जायेंगी, लेकिन दूसरे दिन रात का बादल घिरे तो लगा कि अब सर्वनाश हो गया! किताबों के बच पाने की आशा एकदम छोड़ दी। मियानी में आकर यह भूल जाना चाहा कि पानी कितनी जोर में बरस रहा है। सबेरे उठने पर मालूम हुआ कि बादल बूदाबाँदी करके चले गये थे—जी बहुत हलका हो गया। किताबें कितने ही दिनों तक सूखवन की तरह छनों-छजलियों पर सूखती रही, कुछ उड़-उड़कर इधर-उधर गिरती रही। उन्हें हम उलट-पुलटकर सुखाते रहे। लेकिन कल उन्हें नजदीक से देखा—मभी की जिल्दें उजड़ चुकी थीं। सभी विकृत और आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी थीं।

ये विभीषिकाएँ जहाँ आदमी को अमानवीय बनाती हैं, वहाँ आदमी को आदमी के करीब भी लाती हैं—आदमी को नये सिरे से पहचानने में मदद करती हैं, उसके भीतर सुप्त सामाजिक भाव को जगाती हैं। मैंने इस विभीषिका में, अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित, अपने मे सिकुड़ते भद्र चेहरो को भी देखा और अपना सब कुछ औरों के लिए खोलकर रख देने के लिए बेचैन, धाम में दिखने वाले मानवीय चेहरों को भी देखा। मोहल्ले में बदनाम लडकों को धूम-धूमकर, तैर-तैरकर लोगों की मदद करते भी देखा, और संघातता तथा शालीनता का प्रभा-मंडल लगाये लोगों की कायरता और

आत्महीनता भी देखी। शहर और गांव की शक्ति का अन्तर भी देखा। पहले दिन एक ब्रॅम हमारी सड़क पर चार-पांच घंटे तैरती रही, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। पेट फूल गया था, आँखों में असीम भटकाव और भय उभर आया था। सभी लोग देख रहे थे—कुछ करुणा से, कुछ तमाशे के भाव से। मैं सोचता रहा कि अगर यह गांव होता तो क्या यह भ्रंस पांच घंटे तक पानी में यों भटकने पाती ! लेकिन सवाल यह भी तो था, उस भ्रंस को शरण भी कोई कहा देता ? एक कुतिया के दो बच्चे बिछड़ गये थे। वह पीछे के ताल में बहते हुए—धोबी के झोपड़े पर चुपचाप बैठी हुई थी। कभी वहां से तैरकर सामने सड़क पर आती, फिर लौटकर वहीं पहुच जाती—क्योंकि उसके दोनों बच्चे वही से गायब हुए थे। उसकी बेचैनी बड़ी दर्दनाक थी। उसके सामने अनेक पार खाने के सामान फेंके गये, मगर उसने छुआ तक नहीं। दूसरे दिन रात को वह हमारे दरवाजे पर की दीवार पर आकर बैठ गई और रात-भर इतने करुण स्वर में रोती रही कि मैं सो नहीं सका। लगा, जैसे वह नहीं, रात ही रो रही है !

चारों ओर अथाह जल। अपनी-अपनी सतों में एक-दूसरे को देखते हुए हम लोग। ऐस में कोई अपना आ जाये तो कंसा लगेगा ? दूसरे दिन पानी में तैरते हुए हजार पाम दो व्यक्ति आये, दोनों ही माडल टाउन के। एक श्री एम० पी० शुक्ल (शिवाजी कालेज में इंग्लिश के प्रवक्ता), दूसरे रणवीर चौधरी (अर्बिद कालेज में हिन्दी के प्रवक्ता) और हमारी जरूरत की चीजें पहुचाने के लिए दोबारा तैरकर आये। ती-रे दिन नाव पर डा० महीरामिह और डा० नरेन्द्र मोहन आये और मुझे खीनक माडल टाउन में बाहर ले गये। कितना अच्छा लगा था—पानी में बाहर की घरती तो छूकर ! मित्रों से बातचीत ने मेरे मीलन-भरे मन में एक गुनगुनी धूप भर दी। वही मेरा शिष्य दबदब मिल गया, जो दो दिन में मज्ज तक आने के लिए भटक रहा था और पुलिस आने नहीं दे रही थी। ऐस ही कितने लोग—कितने लोगों में मिलने और उनकी सहायता करने को बेचैन थे, लेकिन वे आने नहीं पा रहे थे। फिर भी नावे भरी रहती थी। पता नहीं ये कौन लोग थे, कैसे नावां पर चढ़ जाते थे—यह तो अधिकारी ही जाने !

पानी घटने लगा था। चौथे दिन सुबह झाककर नीचे देखा—फर्श पर मे पानी हट गया था। मैं नीचे को भागा और फर्श को पावों से छूकर कंसा अनुभव किया, इसे कह नहीं सकता। यह एक नयी सुबह थी, नयी धरती थी और नया मैं था।

दिल्ली में आकर भी अपने भावी जीवन के बारे में कुछ सोचता नहीं था। मेरे आत्म स्वभाव ने जैसे सब कुछ समय के भरौसे छोड़ दिया कि जो होगा सो होगा। दिल्ली में

आकर लोग प्रायः मकान बनवाने के बारे में सोचने लगते हैं। मैं सोचता ही नहीं था। आज यह सोचकर हैरानी होती है कि आखिर क्यों नहीं सोचता था। यह तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सेवामुक्त होने के बाद गाव में जाकर खेती-बारी कराऊंगा, यदि मैं जाना भी चाहूंगा तो बच्चे जायेंगे नहीं। फिर मैं मकान के बारे में क्यों नहीं सोचता था? क्या जन्म-जन्मांतर तक किराये के मकान में ही रहूंगा—इस मकान से उस मकान में और उस मकान से इस मकान में—मकान मालिक के बढ़ते हुए किराये और अपमानजनक व्यवहार का गदा बोझ झेलना हुआ। नहीं, ऐसा भी नहीं। तो फिर मकान के बारे में क्यों नहीं सोचता था? शायद पैसे के अभाव के कारण। इतने पैसे कहा से लाऊंगा? शायद अपने स्वभाव के कारण—अरे कौन पड़े इम झंझट में!

फिर भी लोनी गाव में तमाम मित्रों के साथ '66-'67 में जमीन का एक टुकड़ा ले ही लिया था। ले तो लिया था किन्तु आखिर उतनी दूर मकान बनवाने कौन जाता। प्लॉट पड़ा है, देखा जाएगा। प्रस्तावित वैशाली के लिए सदस्य बनाये जा रहे थे। डा० रमानाथ त्रिपाठी के साथ सचिव के पास गया। रमानाथ जी सदस्य बन गये। मैं नहीं बना। त्रिपाठी जी ने कहा भी कि पैसे मैं दे रहा हूँ, आप भी बन जाइये लेकिन नहीं बना। 1970-71 की बात होगी, मेरे मित्र और राजधानी कालेज में प्रवक्ता सुधाकर शुक्ल ने एक कालोनाइजर में मिलकर उत्तमनगर में एक कालोनी बसाने की योजना बनाई। उनकी कोशिश थी कि यह कालोनी प्राध्यापकों की हो। अतः अपने अनेक प्राध्यापक मित्रों के यहाँ घूमते फिरे। मेरे यहाँ भी आये और मैं एकदम अनिच्छा व्यक्त करता हुआ उनके पास से उठ गया। किन्तु मेरे अनजान उन्होंने पत्नी की रजामंदी से हमारे नाम प्लॉट बुर्क करा दिया। जब उसकी रजि ट्री कराने के सिलसिले में पैसे लेने की बान आयी तो मुझे बताया गया। झूठ मारकर मुझे पैसे की व्यवस्था करनी ही पड़ी। प्लॉट तो हो गया किन्तु मकान? उसकी तो कल्पना ही नहीं हो पा रही थी। एक तो उजाड़ स्थान (जहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं), दूसरे इतने पैसे कहा से आये? इसलिए जमीन लेने के बाद भी मैं उसी तरह निश्चित था जैसे जमीन ली ही नहीं थी।

सुना गया कि कुछ लोगों ने मकान बनवा लिए हैं। राजधानी कालेज के रामसुरेश पांडे, रमाकांत शुक्ल, रमाशंकर श्रीवास्तव, गोविन्द चातक और सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी ने मकान बनवा लिए थे। इन लोगों ने वास्तव में जंगल में अलख जगाया था। तब बिजली नहीं थी, बाजार नहीं था। पानी तो खैर बहुत बाद में आया। तमाम असुविधाओं के बीच रहकर इन आदिवासियों ने इस मोहल्ले का भाग्य जगाया। इसका नाम भी रख दिया बाणी विहार। लोग धीरे-धीरे खिंचते गये। एक-एक मकान बनता गया मानो अधकार-भरे आकाश में एक-एक तारा उग रहा हो और आज यह मोहल्ला आकाश की तरह काफी तारों से भर गया है।

सन् 1979 में मेरे घर में मकान बनाने की कुछ सुगबुगाहट होने लगी। थोड़े पैसे का भी जुगाड़ संभव दिखने लगा था। हेमंत की शादी भी होने वाली थी, अतः बड़े मकान की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। पत्नी ने अपने भाई दीपनारायण

से बात चलायी तो वे एक दिन अपने मोहल्ले के अपने परिचित आर्किटेक्टनुमा व्यक्ति रामनिवास को लेकर आ पहुंचे और मेरी सारी उदासीनता के बावजूद यह तय हो गया कि अमुक दिन को नींव खोदी जायेगी और काम चालू हो जायेगा। मैं तो जैसे फंस गया। साइत निकाली गयी। उस दिन हम लोग पहुंच गए मुहूर्त करने के लिए। वहां दूसरी बार पहुंच रहा था। एक बार जमीन देखने गया था, दूसरी बार अब आया था। उत्तमनगर के स्टैण्ड से बाणी विहार की ओर चला तो कुछ दूर चलने के बाद लगा कि लीट जाऊं। सौ दो सौ गज तक तो ठीक-ठाक कच्ची सड़क थी, उसके बाद सड़क टूटी-फूटी थी, गड्ढे थे, गड्ढों में पानी भरा था और दोनों ओर उजाड़ लोट रहा था और उसमें अमुरक्षा और गंदगी का साम्राज्य था। खंर, आ गए थे तो क्या लोटते ? इतने मित्रों ने यहाँ इतनी कड़ी तपस्या करके इम भूमि को जगाया। अब तो बिजली (जो बहुत जरूरी चीज है) भी आ गयी है। तो साहब, हमारे साने साहब दीपनारायण शाहदरा की फौज लेकर पहुंच गए मकान बनवाने के लिए। हमें तो कुछ पता नहीं था कि मकान बनवाने में किन-किन लोगों की आवश्यकता होती है किन्तु दीपनारायण जी ने जो गोल साजी थी उसमें बाकायदा भवन-निर्माण के लिए आवश्यक पलटन के सारे पदाधिकारी मौजूद थे—आर्किटेक्ट रामनिवास जी, ठेकेदार गुप्ता जी और फिर तमाम मजदूर। काम चालू हो गया। जब काम चालू हुआ तो मैं दम्बई में था। वहाँ से कई दिन बाद लौटा तो प्लाट पर गया और देखा कि डी० पी० मी० हो गयी है। मकान कैसे बना और कैसे बिगडा, यह सब पत्नी जानती है। उन्ही की साधना थी कि मकान बन मका। मैं तो मुश्किल से दस-पांच दिन प्लाट पर गया हूंगा।

वैशे भी पूरा मकान एक साथ बनवाने की अपनी औकात नहीं थी किन्तु जितना बनवा मका उतना भी सही-सलामत कहा बन सका। बीच में ही आर्किटेक्ट नामधारी महोदय गायब हो गए। उनमें पैसे का हिमाव मांगा तो थोड़े परेशान हुए और फिर लुप्त हो गये। ठेकेदार भी पैसे के लिए उन्हें दूढ़ता फिरा, मिस्त्री भी वे जो लाए थे वह नमूना था। उनके और ठेकेदार के अभाव में हम लोगों ने खुद मिस्त्रियों से अपनी अक्ल के अनुसार मकान बनवाना शुरू किया किन्तु कहा न मिस्त्री भी आला छाटकर लाये गए थे, उन्होंने जो सामान बरबाद किया वह तो किया ही, कोई चीज सही-सलामत नहीं बनायी। कभी कोई दीवार गिर रही है, कभी छत टेढ़ी हो रही है, कभी कुछ, कभी कुछ। फर्श बनाया, उसकी भी शोभा चिसाई के बाद दिखाई पड़ी और जी रो पड़ा। अब अपने पर कोफ्त हुई कि मकान बनवाना ही था तो अपने मन में उत्तमनगर या जनकपुरी में ही मिस्त्री और ठेकेदार क्यों नहीं ढूढ़े, क्यों दीपनारायण के जिम्मे लगा दिया। वे न जाने कहां-कहां से नमून छाटकर लाए जिनके कारण पैसे की बरबादी तो हुई ही, मकान भी बाधित रूप नहीं ले सका। फिर भी उनको यह श्रेय तो देना ही पड़ेगा कि वे यदि अपने आला आर्किटेक्ट को लेकर मेरे घर न आये होते और उत्साह न दिलाया होता तो मकान तब शुरू न हुआ होता।

मकान में व्यवधान पड़ने का एक और कारण था—वह था सीमेंट का संकट। सीमेंट कंट्रोल पर मिलता था और अनधिकृत कालोनी में बन रहे मकान को भला सीमेंट

कहाँ से मिलता। न जाने कैसे-कैसे कहां-कहां से जोगाड़ करना पड़ा। फिर भी संकट कहां हल होने वाला था। बाजार में सीमेंट का भाई-बंधु सीगोल आ गया था। कई जगह उसका इस्तेमाल करना पड़ा और जहां-जहां उसका इस्तेमाल हुआ, काम खराब हुआ।

अनधिकृत कालोनी में मकान बनवाने का एक बड़ा संकट है नगर निगम या डी० डी० ए० का ओवरसियर। वह मोटर साइकिल या स्कूटर पर घूमता-फिरता है और उसे सूचित करने वाले कुछ दलाल भी होते हैं। पहले तो वह दीवार को उठने देगा। इधर से उधर निकलता हुआ देखता रहेगा। ज्यों ही छत पड़ने का समय आयेगा चालान लेकर हाजिर हो जाएगा। वह पैसा तो लेता ही है और लोग जानते हैं कि पैसे देने पड़ेंगे किन्तु जिस नाटकीय पद्धति से पैसा वसूलता है वह बड़ी त्रासद और अपमानजनक होती है। सहज और सम्मानजनक व्यवहार करना न तो उसके संस्कार में होता है न उसके पेशे में। उसकी मोटर साइकिल की आवाज बड़ी भयावह लगती है। जब मेरा मकान बना या मुझसे पहले औरों का बना तब इस मोहल्ले में मोटर साइकिल या स्कूटर आने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि बहुत थोड़े लोग बसे थे और जो बसे थे उनके पास केवल साइकिलें थीं। अतः जब मोटर साइकिल की आवाज सुनाई पड़ती थी तो लोग दहल जाते थे, जान जाते थे कि आ गया ओवरसियर।

मेरी पत्नी ही मकान बनवा रही थीं। दीवार काफी उठ गयी थी। दो-चार दिन बाद छत पड़ने वाली थी। एक मोटा-सा ओवरसियर आया (और हर ओवरसियर को मैंने मोटा ही देखा। मुफ्त माल आखिर चर्बी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा), उसने गुस्सा-भरी नजरों से इधर-उधर देखा फिर बोला—“किसका मकान है।”

“कहिए, क्या बात है? मेरा मकान है?”

“मकान क्यों बनवा रही हैं?”

“बहुतों ने बनवाया है, मैं भी बनवा रही हूँ।”

“दीवार गिरवा दीजिए, मैं नहीं बनने दूंगा।”

“आप गिरवा दीजिए, मैं तो बनवा रही हूँ।”

उसने कुछ देर तक लटकाऊ शैली में बात की। फिर देखा कि कोई अनुकूल बात नहीं बन रही है तो चालान बुक निकाली। उसने हिंकारत बरसाते हुए कहा—“हिंमाकत तो देखिए अनअर्थॉराइज्ड कालोनी में महल बनवा रहे हैं—आगे कनोपी, बगल में कनोपी। वाह भाई वाह।”

पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी तो आर्किटेक्ट ने कहा—“बहन जी, इसे कुछ दे-दिलाकर छुट्टी कीजिए!”

“अरे तो साफ-साफ कहता क्यों नहीं?”

“अरे यह साफ-साफ कैसे कहेगा?”

“तो आप बात कीजिए।”

वह उससे बात करके आया। बोला, “कह रहा है—मैं औरत से बात नहीं करता। मकान मालिक को भंजिए।”

“मकान मालिकन तो ये ही हैं। मकान इन्हीं के नाम पर है।” मैंने कहा।

“फिर भी इनके पति को भेजो।”

“अरे साहब, वे प्रोफेसर है। उनको समय नहीं मिलता है। देखते नहीं कि ये ही मकान बनवा रही हैं।”

“कुछ भी हो, कल उन्हीं को भेजिए दफ्तर में।” उसने चालान काटकर दे दिया।

मैं दूसरे या तीसरे दिन आर्किटेक्ट के माथ आफिस पहुंचा तो वह बड़े रुआब और बेरुखी म मंरे मामने आया। बोला—“अब कुछ नहीं हो सकता, चालान कट गया है, आप लोग पहले नहीं चेतते है।”

मैं अपमान पीकर बैठा रहा और आर्किटेक्ट खुशामद के स्वर मे उनसे बात करता रहा। वह झटके पर झटका देता रहा।

मैंने कहा—“मिस्टर...जी आपको यह काम करना तो है ही, चाहे जैसे करें।”

वह समझ गया और मुझे बाहर की ओर ले गया। मैंने उसे हजार रुपये दिये। उसने चुपचाप ले लिया और हमे पाम के रेम्प्रां में ले गया और कोका कोला पिलाया। उसका तना हुआ चेहरा हमने लगा था और वह अब ओवरसियर से आदमी में बदल गया था।

ओवरसियर दूसरे दिन मकान पर आया और राय दी कि शीघ्र ही इसकी पुताई करवा दीजिए ताकि मकान पुराना लगे। उसने हमारे आर्किटेक्ट को डांटते हुए कहा, “क्या खि-खि-खि-खि लगाये हुए हो, जल्दी से काम करो।” बहरहाल वह आदमी अब आदमी-सा दीखने लगा और एक दिन जब मैं मकान के पास बैठा था तो वह आकर ठहर गया। बोला—“आप कहां पढ़ाते है?”

“मैं दल्नी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हू।”

“क्या बताऊ प्रोफेसर साहब. बहुत परेशान हूं।”

“क्या बात है?”

“मंरी दो संतानें है। एक लड़का एक लड़की। दोनों ही नहीं पढ़त हैं। लड़की तो खैर अपने घर चली जायेगी और वह किसी और परेशानी का कारण भी नहीं है किन्तु लड़का तो पढ़ना भी नहीं है और बिगड़ता भी जा रहा है?”

“क्या करता है?”

“क्या बताऊं साहब, दिन-रात पैसे मांगता है, न आज कहां-कहां उड़ाता है। नहीं देने पर गाली-गलौज करता है और मारने की धमकी देता है।”

“ओ हो हो, यह तो बुरी बात है।”

इस ओवरसियर स सताया गया मेरा मन उसकी यातना का मजा लेने लगा था।

“कोई उपाय है प्रोफेसर साहब, जिसमे वह पढ़ सके और उसका व्यवहार ठीक हो सके?” ओवरसियर के स्वर में दीनता उभर आयी थी।

“देखिये, इसके लिए कोई बना-बनाया नुस्खा नहीं बता सकता। बात यह है कि

जब वह देखता है कि बापजान पैसे खूब ला रहे हैं तो वह उसमें हिस्सेदार बनना चाहता है। उसके साथी-बाथी भी उमी तरह के होंगे और पैसे से मौज-मस्ती करने की लत पड़ जाये तो पढाई में कहा मन लगता है। पढाई तो एक साधना है।”

“हा प्रोफेसर माहब।” वे कुछ कह नहीं सके और चले गए।

मेरे आर्किटेक्ट ने छूटते ही कहा—“बाबूजी, देखा इस हरामखोर के माथ ईश्वरीय न्याय। अरे हराम की कमायेगा तो बेटा हरामपनी करेगा ही। विद्या तो बड़ी पवित्र चीज होती है बाबूजी। हराम की कमाई में कही विद्या आती है?”

मकान बनता रहा, त्रिगडता रहा। मेरे मना करने पर भी पत्नी ने इन आला कागीगरो की गय और महायता में छन के ऊपर भी दीवार खिचवा दी यानी दुमजिला मकान बनवान लगी। दीवारें उठ गयी थी। आधी-पानी आया और मारी दीवारें छन पर भहरा पडी। छत मजबूत थी, नहीं तो नीचे आ गयी होती। खैर, कुछ पिचक तो गयी ही। मैंने पत्नी से कहा, और बनवाओ दुमजिला मकान। और वह भी इन बेवकूफो से। आर्किटेक्ट माहब तो पैसे लेकर पलायन कर गये। मिस्त्री भी कई आये और चले गये, अत में बचा खुमान नाम का एक मिस्त्री जो मिस्त्री कम मजदूर ज्यादा था। किन्तु वह ईमानदार था। हम लोगों ने अब अपने दम मिस्त्री में निर्माण-कार्य जारी रखा और उसने अपनी अकल के अनुमार ही मकान को अपरूपता प्रदान करनी शुरू की। चर्निण अपरूपता ही मही, वह डटा तो रहा और उस समय हम जितना बनवा सकते थे उमने बनाया।

मकान 1979 में शुरू हुआ था। मिनम्बर तक कुछ कमरे तैयार हो गए थे। हानार्कि अभी न किचेन बना था, न फर्ण की घिसाई हुई थी, न छत पर टाइल्स बिछे थे, न स्लाइडिंग डोर में शीशे थे। पत्नी को लगाना कई महीनो माडल टाउन में म आ-आकर बनवाना पडता था और अनेक शागीरिक-मानसिक यातना में गुजरना पड रहा था अतः निश्चय किया गया कि हम लोग नये मकान में चले जाए। वह जैसा भी है अपना तो है और बडा है। इसी जुलाई में हेमत की शादी हो गयी थी और किराये का मकान छोटा पड रहा था। अतः हम लोग 20 सितम्बर को इस नये मकान में आ गए। स्थानान्तरण में सबसे बडी मुसीबत पुम्नकें रही हैं। एक ट्रक तो वे ही थी। उन्हे लाकर बरामद में पटक दिया गया और न जाने कितने दिन तक वही पडी रही।

आने से पहले त्रिजली लगवा ली थी। यानी एक बडी समस्या हल हो गयी थी। हम मकान के ढांचे के नीचे विराजमान थे। मेरी पुत्री अजू को बच्ची पैदा हुई थी। आधी-पानी आया और शीशाविहीन स्लाइडिंग डोर के रास्ते उसका सारा वेग पूरे घर में फैल गया। छन जगह-जगह स चूने लगी। छत के ऊपर पानी भर गया। त्रिजली के मीटर के बोर्ड के पीछे की अनमीमेटेड दीवार से आकर पानी मीटर में प्रवेश करने लगा। मकान में रहकर भी हमें लगा कि हम खुली छत के नीचे खडे है। हमें बडी पीडा हुई कि इतना पैसा खर्च करने पर भी हमें नंगा मकान ही मिला। किन्तु अनुभव ने हमें बता दिया कि इस मकान में कहा क्या कमी है। उसी रोज शीशे वाले के पास गया और स्लाइडिंग डोर में शीशा लगवाया। मीटर बोर्ड के पीछे की दीवार

सीमेंटेड करायी और कुछ दिनों में छत पर टाइल्स लगवा लीं। अब जाकर मकान रहने लायक हुआ।

आला आर्किटेक्ट ने बिना किसी महारे के आगे एक लम्बी कनोपी निकलवा दी थी। वह हिलती थी। हमें पता नहीं चलता था कि यह क्या है? एक दिन देखा कि छत झुक रही है। काम करता हुआ मिस्त्री खुमान बोला—“बाबू जी, वह बेवकूफ गमनिवाम काम बिगाड गया। वो साला मुझी को डांटता था लेकिन देख रहे हैं न, माग काम खराब कर दिया। उम भूरख ने बिना किसी खंभे के इतनी बड़ी कनोपी खड़ी कर दी, उमे झकना ही था।” उमने चलता हुआ काम छोडकर जल्दी-जल्दी में कनोपी के नीचे दो पिलर खड़े किये। अब जाकर कनोपी का स्पंदन रुका लेकिन छत जिननी टेढ़ी हो गयी थी—हो गयी थी। उसका कोई क्या करता? तब से आज तक यह घर बन रहा है। अभी भी अनेक चीजें छूटी हुई हैं। वे भी बन जाएंगी। जल्दी क्या है? हा, जल्दी तो मेरे जीवन मे कभी रही ही नहीं। सब धीरे-धीरे ही चलता रहा है।

“बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे

खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे-धीरे।”

मेरी और मेरे आगे की लाइन में कोई मकान नहीं था। पीछे की लाइनों में कुछ मकान बने थे, कुछ बन रहे थे। यानी आमपाप एक विराट् मन्नाटा फैला हुआ था कुछ प्लाटों में छोटी छोटी गुमठिया बनी हुई थी और जंगली झाडियां तथा पेड़-पौधे उगे थे। उम नाने अमुरक्षा और भी बढ़ गयी थी और गंदगी का साम्राज्य फैल रहा था। इधर-उधर के तमाम लोग और खासकर मजदूर इधर ही आते थे और नित्य-कर्म ने निवृत्त होने के लिए जहां चाहे बैठ जाते थे। हमारी यह भी ड्यूटी हो गई थी सुबह-शाम निगरानी रखें कि कोई हमारे मकान के पास बैठकर ता यह पवित्र कार्य नहीं कर रहा है। इस व्यापक मन्नाटे के बावजूद कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। कभी कोई हमारी चहारदीवारी लांघकर अन्दर नहीं आया। कोई चीज गायब नहीं हुई। यानी कभी कोई डर नहीं लगा। हां, लगता है मन्नाटे की अपेक्षा आबादी ज्यादा भयावह होती है। उत्तमनगर की आबादी ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी, अप्रिय घटनाएं घटती गयी। मामने की सडक काफी चौड़ी थी, लेकिन कच्ची थी, ऊबड़-खाबड, ऊंची-नीची। पानी बरमने ही पानी और कीचड से भर आती थी। यह बात दमरी है कि यह मिट्टी अभी तक गांव की मिट्टी बनी हुई थी और वह शीघ्र ही पानी को अपने में जजब कर लेती थी। इस तरह पानी बरमने और सूखने का क्रम चलता ही रहता था। पहली बरमात पड़ते ही न जाने कहां से बड़े-बड़े पीले-पीले मेढक निकल आते थे और अपने संगीत मे मेरा घर भर देते थे। पानी को रौंदते हुए ट्रकें गुजरती थीं और पानी के हिमकोरे मेरी आगे की दीवार से टकराते थे। हम बार-बार अपने आगे मिट्टी डलवाकर ऊंची करते थे और ट्रकें इसे कुचलकर फिर नीची कर देती थीं और सूखता हुआ पानी एक दलदल छोड़ जाता था। कितनी बार इन ट्रकों को रोकने के तरह-तरह के उपाय किये गये किन्तु ट्रकें कहां रुकती थीं। वे न जाने कितने लोगों का जीवन हैं और जीवन कहीं रोकने से सकता है, चाहे कैसा भी मार्ग हो?

मेरे मकान के अन्दर-बाहर चारों ओर मकान बनाने के उपकरण बिखरे थे। खाली प्लाट तो बिखरे ही थे। इन खाली प्लाटों के बाद कुछ मकान थे, फिर उन मकानों के बाद गाव के खेत शुरू होते थे जो अनंत विस्तार में व्याप्त थे। यानी मैं अपने मकान में रहता हुआ भी धूल-मिट्टी से सने गाव में ही रह रहा था। अब तो मेरा मकान काफी बन गया। फिर भी उम शहरी मकान नहीं कहा जा सकता। पत्नी की कृपा से कुछ लकड़िया, कोयले, कुछ कवाड़ के सामान, मिट्टी के चूल्हे मकान में अपनी-अपनी जगह बनाये दिखाई पड़ेगे। ये मकान क शहरी विन्यास को चिढ़ाते में लगत है। वैसे ये न भी हो तो शहरी विन्यास भंग होता है। मेरे घर में किसी को भी चीजे बहुत करीब में सजाकर रखने की आदत नहीं है। यदि किसी दिन सावधानीपूर्वक विन्यास किया भी गया तो दो-चार दिन बाद फिर घर अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। सत्रम बड़ी समस्या तो पुस्तकें और पत्रिकाएँ हैं चूँकि लोग उन्हें पढ़ते हैं इसलिए वे रोज उलट पलट होती रहती हैं, पढ़कर कोई कहीं रख देता है, कोई कहीं। इतनी पत्रिकाएँ, कागज, चिट्ठिया, आखिर कहा नरु और कहा मजाकर रखी जाये। अतः बेतरतीबी ही घर की तरतीब बनी हुई है और उसी से लगता है कि घर भंग्यता में स्तब्ध नहीं है बल्कि खुरदरेपन से स्पन्दित है, चल रहा है और दरअसल यही स्पन्दन और जीवन की गति-शीलता हमारे परिवार की कहानी है, इसीलिए मेरा घर, मेरा परिवार मुझे अच्छा लगता है—भरा-पुरा और जीवत लगता है।

पूरे उत्तमनगर की तरह उसका यह मोहल्ला बाणी विहार भी अधबना ही था लेकिन निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है, कभी यह मकान बन रहा है कभी वह। सारी असुविधाओं के बीच भी निर्माण का अनवरत क्रम कितना अच्छा लगता है, उसमें जीवन की गति मालूम पड़ती है। मैं बाणी विहार में सतत ईंट-लोहे का संगीत बज रहा था। रेत, स्टोन डस्ट, सीमेंट की सरसराहट हवा में गुंजती रहती थी, ट्रकों का डरावना स्वर भी निर्माण की क्रिया से जुड़कर प्रीतिकर हो उठता था।

हम असुविधाओं के बीच अवश्य थे किन्तु जीने के लिए मूलभूत वस्तुओं का अभाव नहीं था। निर्माण की गति के साथ सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा था। पहले कुछ ही वस्तुओं की कुछ ही दूकानें थी, बाद में दूकानें ही दूकानें हो गयीं और हर चीज यहाँ मिलने लगी। पहले उत्तमनगर में एक डाक्टर था, बाद में डाक्टर हो डाक्टर होने चल गये। दवा की दूकानों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति हुई। सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। कुछ लोग तो घर में गड़े हुए पम्प के पानी से ही काम चला लेते थे किन्तु वह सबके वश का नहीं था। पानी के मुख्य पाइप से निकालकर एक पतली पाइप बाणी विहार में लाई गयी थी और दो-तीन स्थानों पर नलके लगा दिये गये थे। जनता विशेषतया औरतें वही लाइन लगाती थी और बाल्टी आगे-पीछे करने के क्रम में कौआरों मचाती थी। कभी-कभी मुहल्ले के शुरू में रहने वाला कोई व्यक्ति पाइप काटकर पानी भरता था और पानी बाहर बह चलता था तथा नलके सूने उदास खड़े रहते थे, कभी-कभी आसू की तरह दो-चार बूंदें चू पड़ती थी टप टप टप टप। पत्नी हमसे ऊबकर एक मजदूर के द्वारा मुख्य सड़क से पानी भगाने लगी थी। खैर, कई वर्षों

बाद पानी की समस्या हल हुई। बाद में नालिया भी बनीं लेकिन अभी तक नालियों के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पायी। अतः नालियो मे गदा पानी ठहरा रहता है और बजबजाया करता है। अभी तक सीवर का प्रबन्ध नहीं हुआ, किन्तु फिलहाल उसकी काई परेशानी नहीं है क्योंकि लोगो ने सेपटी टैंक बनवा रखे है। असुविधाएं अभी भी अनेक है लेकिन अविकसित और शुरू मे अनधिकृत कालोनी मे मकान बनवाने का खतरा उठाने वाले व्यक्ति को इन असुविधाओ का बोध पहले से ही होता है। वे उन्हें दूर करने का प्रयास तो करने रहते है, उनमे घबराने नहीं।

उन असुविधाओ मे लउने के लिए ही वाणी विहार मे 'वाणी विहार-विकास-समिति' का गठन हुआ था। जब मैं आया तब डा० रामसुरेश पाण्डेय इसके अध्यक्ष थे और श्री वी० ग्ल० जैन महासचिव। मेरे आने से पूर्व अन्य कई लोग इसके पदाधिकारी रह चुके थे। समिति न वाणी विहार के विकास के लिए काफी सघर्ष किया। पाण्डेय जी बहुत दबंग और जुझारू व्यक्ति है इसलिए अनेक खतरों को झेलते हुए वे अध्यक्ष के अधिकारों और दायित्वों का निर्वाह करते रहे। वे साफ दिल के आदमी है। जा मुह मे आता है कह देते है। इस मोहल्ले मे तरह-तरह के स्वभावों और पेशों के लोग थे। अनेक को लगने लगा कि पाण्डेय जी प्राफेसर होने का कारण औरा को छोटा समझते है और उनके प्रति रूखा व्यवहार करते हैं।

मुझे आये कई वर्ष हो गये थे और अध्यक्ष पद के लिए लोगो की निगाह मुझ पर टिकी हुई थी और मैं इस झझट मे पटना नहीं चाहता था। आखिर अगले चुनाव में लोगो न मुझे घेर लिया। काफी लोग पाण्डेय जी को अध्यक्ष के रूप मे अब देखना नहीं चाहत थे। दो दल हो गये और लोग मेरे पास यह कहने आये कि "इस तनाव से आप ही बचा सकते हैं। यदि आप अध्यक्ष होना स्वीकार कर ले तो यह सघर्ष टल सकता है। दोनों पक्ष आपका नाम पर गहनन है।" बहुत बबर्सी मे मैंने हामी भर दी किन्तु न जाने कहा क्या गलतफहमी हुई कि पाण्डेय जी भी उठ गये। चुनाव हुआ और चुनावी हथकण्डों का साक्षात्कार किया। मैं अध्यक्ष बना और के० के० तिवारी महासचिव किन्तु महासचिव के चुनाव मे कोई झझट पैदा होगयी और काफी दिनों तक तनाव चलता रहा। कुछ दिनों बाद फिर चुनाव हुआ और फिर दोनों पक्षों मे संतु बनने के लिए मुझे अध्यक्ष पद के लिए उठना पडा और फिर कोई गलतफहमी पैदा हुई कि पाण्डेय जी फिर मेरे विरोध में खड़े हो गये और फिर मैं अध्यक्ष तथा के० के० तिवारी महासचिव चुन गये तथा मुझे उठाने वालों मे से अनेक सदस्य चुन गये और फिर मैंने कुरूप चुनावी हथकण्डो का अनुभव किया। पाण्डेय जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है। बहुत गहरे और खुले हुए घरेलू सम्बन्ध है किन्तु उनमे बुनियादी तौर पर नेतृत्व की कामना है इसलिए किसी-न-किसी बहाने उन्हें मेरे विरुद्ध उठने का अवसर मिल जाता था और मैं इस पथ और कार्य से भागता हुआ भी उनसे लड़ने के लिए अभिशप्त हो उठता था। वे जब लड़ते थे तो सारे चुनावी हथकण्डे भी अपनाते थे यानी लगता है कि ये सब चीजें चुनाव के साथ जुड़ ही गयी है। चुनाव के बाद हमारे सम्बन्ध उसी तरह सहज हो जाते थे। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि वाणी विहार के लोगो ने मुझे बहुत स्नेह दिया—चाहे वे वाणी विहार-समिति के सदस्य

हों, चाहे चुनाव हारने वाले लोग, चाहे अन्य लोग। सबके सहयोग से मेरे अध्यक्ष काल में बाणी विहार के लिए कई विकास-कार्य हुए। इन कार्यों की सम्पन्नता में महापौर महेन्द्रसिंह साथी जी के निजी सहायक श्री जी० एस० बेदी की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। मेरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में तो बड़ी सक्रियता रही। नये चुनाव का समय आ गया। मेरी इच्छा थी कि चुनाव समय से हो जाये किन्तु बाणी विहार में उन दिनों इतने कार्य सम्पन्न हो रहे थे कि अनेक लोग इन कार्यों के सम्पन्न हो जाने पर ही चुनाव कराना चाहते थे। बहरहाल चुनाव तो होना ही था। विलम्ब से ही सही, चुनाव हुआ और इस बार मैंने तय कर लिया था कि मुझे अब अध्यक्ष नहीं होना है। चुनाव हुआ, बहुत सरगर्मी रही। खेमाबंदी तो थी ही। फिर डा० रामसुरेश पांडेय अध्यक्ष बने किन्तु उनकी पूरी कार्यकारिणी में विरोधी खेमे के लोग आये।

‘बाणी विहार’ अपनी सारी असुविधाओं के साथ मुझे अच्छा लगा। इसका एक कारण तो यह है कि इसमें गांव जैसी इकाई है। हम सभी एक-दूसरे को नाम से जानते हैं और पर्व-त्योहार, सुख-दुःख के समय बड़ी आसानी से साथ हो लेते हैं। यानी यहां हमारी पहचान सुरक्षित है। दूसरी बात यह है कि यहां अभिजात मोहल्लों की तरह भव्य सन्नाटा नहीं है, बल्कि सामान्य लोगों की निरंतर चहल-पहल है। लोगों में अभी एक दूसरे के प्रति घोर निलिप्तता नहीं व्यापी है और निर्माण का संगीत भी निरंतर बजता रहता है। सामान्य समस्याएं हमें सामाजिक रूप से चिंतित और सक्रिय किये रहती हैं। तीसरी बात यह है कि यहां सारे सामान आस-पास ही उपलब्ध हो जाते हैं। चारों ओर बाजार-ही-बाजार हैं।

बैसे तो इस मोहल्ले के निर्माण के समय सुर्धाकर शुक्ल की इच्छा यही थी कि यह प्राध्यापकों का मोहल्ला हो किन्तु यह नहीं हो पाया। बैसे काफी प्राध्यापकों ने प्लाट लिए पर कुछ ने बाद में बेच दिये। अन्य अनेक प्लाटों का भी कई-कई बार पुनर्विक्रय होने लगा और इस क्रम में प्लाट महंगे अतः खंडित होते चले गये। फिर भी प्राध्यापकों की अच्छी-खासी संख्या यहां है। डा० रामसुरेश पांडेय, डा० ललित शुक्ल, डा० गोविन्द उपाध्याय, डा० रमाकांत शुक्ल, डा० रमाशंकर श्रीवास्तव, डा० गोविन्द चातक, डा० शोमनाथसिंह, श्री के० के० तिवारी, डा० जाफर मेहदी, श्री एन० जी० गायन, डा० सुरेन्द्रनारायण त्रिपाठी, डा० टी० एन० चौधरी, डा० सुधाकर शुक्ल विभिन्न कालेजों में पढ़ाते हैं। डा० राज, श्री के० के० धवन, एम० डी० खन्ना, आर० डी० व्यास, दीपराज त्रिपाठी, कीमतीलाल आदि भी शिक्षा जगत् से जुड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त बी० एल० जैन, पी० पी० गोयल, सुखवीर त्यागी, अनिल माथुर, जी० एस० बेदी, एन० डी० शर्मा, आर० पी० श्रीवास्तव, सूर्यदीन गुप्त, नागपाल आदि छोटे-बड़े सरकारी-गैरसरकारी पदों पर कार्य करते हैं। नवीन मेहता, पी० एल० भाटिया का अपना व्यापार है। यशपाल बाली, जयकिशन गर्ग और अरोड़ा प्रापर्टी डीलर हैं।

मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाणी विहार में बहुत पहले से हैं यानी जिन्होंने इस मोहल्ले के विकास के लिए संघर्ष किया और जिनके कारण इस मोहल्ले की प्राथमिक पहचान बनी। इनमें काशीराम त्यागी और सरदार सूरतसिंह का

नाम भी महत्त्वपूर्ण है। सरदार सूरतसिंह तो 1984 के दंगे के बाद मकान बेचकर चले गये। त्यागी जी रिटायर थे किन्तु सक्रिय थे।

होली-दीवाली को हम सभी लोग एक-दूसरे के यहां जाते थे, अब भी जाते हैं किन्तु अब वाणी विहार का इतना विस्तार हो गया है कि सबका सबके यहां जाना संभव नहीं हो पाता किन्तु तब के लोग अभी भी एक-दूसरे के यहां आते-जाते हैं। होली सार्वजनिक मनती है। हम लोग एकत्र होकर होली जलाते हैं और दूसरे दिन पूरे मोहल्ले में घूमते हैं और रंग खेलते हैं—गाव जैसा ही।

हर आदमी की दुनिया में एक और दुनिया होती है। वाणी विहार की दुनिया में भी हम शिक्षकों की एक दुनिया है और इस दुनिया की चर्चा कर चुका हूं। किन्तु मैं शिक्षक के साथ साहित्यकार भी हूं बल्कि प्रथम वही हूं अतः शिक्षकों की दुनिया में भी साहित्यकारों की एक दुनिया पाने की इच्छा होती है। वाणी विहार में भी साहित्यकारों की एक दुनिया है। डा० ललित शुक्ल मोनीलाल नेहरू कालेज में प्राध्यापक हैं। वे मुझमें कई वर्ष पहले वाणी विहार में आ चुके थे। उनमें मेरी भेंट '68-'69 में ही कभी हुई थी। तब मैं माडल टाउन में था। वह उनमें मेरी पहली भेंट भी थी और पहला परिचय भी। वे कवि और समीक्षक के रूप में उभर रहे थे। बाद में कथाकार और रिपोर्ताजकार के रूप में भी जाने गये। पहले परिचय में ही मुझे ज्ञात हो गया कि शुक्ल जी साहित्य के परिदृश्य में गहरे जुड़े हुए हैं। साहित्य उनका शौक नहीं, प्रतिबद्धता है। वाणी विहार में आया तो हम पड़ोसी हो गये और हमारी लेखकीय सहघर्मिता ने हम एक-दूसरे का अन्तरंग बना दिया। कभी मैं उनके यहां बैठ जाता, कभी वे मेरे यहां बैठ जाते और अनेक तरह की गणशप होती रहती। ललित जी अच्छे अध्येता हैं और बहुश्रुत भी हैं। अतः उनके साथ बैठने पर बहुत-सी नयी बातें उभरती हैं। वे 'लेखनी' नामक मस्था भी चलाते हैं।

डा० गोविन्द उपाध्याय राजधानी कालेज में इतिहास के प्राध्यापक हैं। वे कवि भी हैं। तमाम साहित्यिक और सामाजिक बातों पर बहस कर सकते हैं। वे प्रायः मिल जाते हैं या कभी-कभी मेरे यहां चले आते हैं। वह समय उनकी वाणी से भर जाता है।

डा० रमाकान्त शुक्ल इस मोहल्ले की रौनक हैं। संस्कृत के विद्वान् और कवि शुक्ल जी राजधानी कालेज के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक हैं। वक्ता हैं, पहलवान हैं, रमिया हैं, विनोदी हैं, देववाणी परिषद् के संचालक हैं और न जाने क्या-क्या हैं। अपनी अनेक गतिविधियों से वे बाहर जाने आते हैं और वाणी विहार का नाम रौशन किये रहते हैं। उनके साथ मेरा कोई खास उठना-बैठना तो नहीं हो पाता किन्तु मुझे उनका भरपूर स्नेह प्राप्त है।

डा० रमाशंकर श्रीवास्तव भी राजधानी कालेज में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। इनसे भी जान-पहचान पहले ही चुकी थी किन्तु वाणी विहार में आने पर इनसे बहुत गहरा साहचर्य स्थापित हुआ। ये अच्छे उपन्यासकार हैं, व्यंग्यकार और नाटककार भी हैं, सद्-गृहस्थ हैं, अच्छे मित्र और शिष्यवत्सल हैं। इनके यहां भी मेरा उठना-बैठना होता है। साहित्य और साहित्येतर विषयों पर हम घंटों बतियाते हैं। हम दोनों अपने पारिवारिक

सुख-दुःख खोलते हैं। इनके यहां बैठने पर बहुत पारिवारिक सहजता का अनुभव होता है यानी ललित शुक्ल और रमाशंकर श्रीवास्तव दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके यहां मैं प्रायः जाकर बैठकी करता हूं। वे 'आम्बाद' नामक एक संस्था के संयोजक हैं और मैं उसका परामर्शदाता। रमाशंकर जी होली से पूर्व इस संस्था के माध्यम में बहुत उत्साह से मूर्ख सम्मेलन करते हैं।

डा० गोविन्द चातक भी राजधानी कालेज में हिन्दी विभाग में हैं। वे अच्छे नाटककार और नाट्य समीक्षक हैं किन्तु इनने अंतर्मुखी व्यक्ति हैं कि न किसी के यहां जाते हैं न किसी को अपने यहां आने के लिए उत्साहित करते हैं। अतः उनके सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। कभी-कभी यहां-वहां दिखाई पड़ जाते हैं तो दुआ-सलाम हो जाता है, बस।

इस साहित्यिक दुनिया से जुड़ी हुई दुनिया है शिक्षकों की। डा० राममुरेश पांडेय की बात कर चुका हूं। उन्हीं के कालेज में पढ़ाते हैं डा० सुधाकर शुक्ल। सुधाकर शुक्ल में मेरे बहुत अच्छे घरेलू सम्बन्ध हैं। वे माडल टाउन भी खूब आते थे और मेरी घरेलू समस्याओं को सुलझाने में मदद करते थे। यहां तो एकदम निकट के पड़ोसी हैं किन्तु वर्षों से वे दिल्ली विश्वविद्यालय के विरुद्ध मुकदमा लड़ते-लड़ते मुकदमामय हो गए हैं। उनके साथ बैठने का मतलब होता है उनके मुकदमे की बात सुनना जिसे वे बहुत रसमग्न होकर सुनाते हैं। मुझमें यह धैर्य नहीं है।

डा० सुरेन्द्रनारायण त्रिपाठी राजधानी कालेज में संस्कृत के प्राध्यापक हैं, बड़े विद्वान् व्यक्ति हैं। बातों की जानने की उनमें बालूमुलभ जिज्ञासा है और जानी हुई बात को अपनी पूजी बनाकर नहीं रखते, तुरंत बाट देते हैं। वे वृद्धावस्था में भी बहुत सक्रिय हैं। यह सक्रियता तन-मन दोनों की है। वे मेरे अग्रज हैं। मुझे बहुत स्नेह देते हैं और कभी-कभी मेरे यहां आकर अपने बहुआयामी मत्संग से लाभान्वित करते हैं।

स्व० श्री के०के०तिवारी मोतीलाल नेहरू कालेज में राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक थे। वे मेरे साथ वाणी विहार-विकास-समिति के महामन्त्री थे। बी० एच० यू० में वे मेरे छात्र रह चुके थे और उम छात्र-धर्म को अभी तक निभाते चले आ रहे थे। उन्हें मेरे यहां आने में सकोच होता था किन्तु मैं कभी-कभी उनके यहां जाकर बैठना था और इधर-उधर की खबर सारी बाते होती थी। वे अपने ड्राइंगरूम में सोफे पर ही तर्किया लगाये लेटे रहते थे, कई-कई अखबार सामने फैले होते थे, पास में फोन रखा रहता था, लोग आते थे, जाते थे, बतियाते थे, फोन करते थे, कराते थे। लगता है जैसे तिवारी जी का दरबार लगा हुआ है। कोई भी काम हो तिवारी जी छाती ठोककर जिम्मा ले लेते थे किन्तु...हां, चाहे जो हो, वे वाणी विहार के उत्सव थे।

डा० राज मेरे शिष्य रह चुके हैं और वे भी आज तक इस सम्बन्ध को निभाते हैं। डा० राज अपनी योग्यता के बावजूद प्राध्यापक नहीं हो पाये किन्तु स्कूल में ही सही उन्होंने अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी है। वे कई विषयों में दखल रखते हैं और अनेक कमेटीयों और संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। वे बहुत व्यस्त जीव हैं। उन्हें हमेशा भागते हुए स्कूल जाते देखा है किन्तु हमारे लिए समय निकाल लेते हैं और हमारा कोई भी

काम बहुत उत्साह से करना चाहते हैं।

मोतीलाल नेहरू कालेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक श्री एम० जी० गायन से हम लोग आते-जाते कभी-कभी उनके दरवाजे पर ही मिल लेते हैं। अपने लोहे के फाटक के उस पार वे खड़े होते हैं, इस पार हम और इमी आसन में न जाने कितनी बातें हो जाती हैं।

राजधानी कालेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता जाफर मेहदी का मकान मेरे मकान के एकदम पीछे है। मृदु स्वभाव वाले शिष्ट मेहदी साहब और उनके परिवार के साथ हमारे बहुत मित्रपूर्ण पारिवारिक सम्बन्ध हैं।

डा० टी० एन० चौधरी पूना इन्स्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। वे अपने विषय के जागरूक चिंतक और विद्वान हैं। वे हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत उष्मा के साथ भाग लेते हैं। वे शिष्ट और तेजस्वी व्यक्ति हैं।

श्री मुरलीधर खन्ना राजधानी कालेज में जुड़े हैं और अपना एक बाल-विद्यालय चलाने हैं। वे हमारे हर काम में साथ हो लेते हैं।

धवन साहब, एन० टी० शर्मा, मुखवीर तामी, रामअजोर मिश्र, बी० एल० जैन, अनिल माधर, जी० एन० वेदी, पी० एस० भाटिया आदि अनेक लोगों का प्यार और सहयोग मुझे मिला है। इसलिए वाणी विहार अपनी अनेक असुविधाओं के बीच मुझे प्रिय लगता है। यहाँ बंधन का बोझ कम विस्तार नहीं है। अतः लगता है यहाँ अपनी तरह के अनेक लोगों के बीच हमारी पहचान बनी हुई है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हम महल्ले के सारे लोगों का अपना चरित्र हैं, कोई हिमी का पर्याय नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है जैसे गाँव के लोगों की होती है। हमारे वाणी विहार में रीतक तो रहती ही है मेरे लेखकों की विविध चरित्रों की विशेषताओं का अनुभव होता है, यानी चरित्र सम्बन्धी मेरे लेखकीय अनुभवों का विस्तार होता है।

वाणी विहार में कभी 'आम्वाद', कभी 'लेखनी', कभी 'मीमामा' (डा० राममुरेश पाडेय जिसके महामन्त्रि हैं और मैं अध्यक्ष), कभी 'भा० टी० लेखक सङ्घ' के माध्यम में साहित्यिक गोष्ठियाँ होती रहती हैं। इन गोष्ठियों में पड़ोसी या लगभग पड़ोसी मोहल्लों के कई साहित्यकार जैसे डा० रमेशचन्द्र मिश्र, डा० नरेन्द्र मोहन, प्रताप महगल, विद्या शर्मा, गुरुचरण सिंह, नरेन्द्र मिन्हा, भगवती पंडित आते हैं। विशिष्ट गोष्ठियों में दूर-दूर से भी लोग आते हैं या आते हैं जैसे श्री गिरिजाकुमार मायूर, राजीव सम्भेना, डा० विनय, डा० नित्यानन्द तिवारी, डा० ज्ञानचन्द गुप्त, पी० अश्विनी पागशर, डा० रत्नलाल शर्मा, जगदीश चतुर्वेदी, डा० नरेन्द्र कोहली, डा० ब० देव वशी, प्रमोद मिन्हा, डा० मुखवीरसिंह, श्रवणकुमार, प्रेम जनमेजय, डा० कृष्णबिहारी मिश्र कई बार यहाँ की गोष्ठियों में आ चुके हैं। रामलाल कालेज में हिन्दी के प्रवक्ता और कवि-नाटककार-शोधक रमेशचन्द्र मिश्र तो हमारे वाणी विहार के ही लगते हैं। वे साहित्यिक और सामाजिक सभी सन्दर्भों में हमारे साथ यो दिखाई पड़ते हैं कि लगता है हमारे मोहल्ले के हैं बल्कि मुझे लगता है कि मेरे घर के हैं।

वाणी विहार का प्रसंग (और वह भी विशेषतया मेरे सन्दर्भ में) पूरा नहीं होगा

जब तक एक व्यक्ति की चर्चा न की जाये। वह व्यक्ति हूँ डा० विजय रावत। वे डाक्टर हैं, आर्यसमाज रोड पर उनका क्लीनिक है किन्तु स्वभाव से साहित्यिक होने के कारण वे वाणी विहार के शिक्षकों और साहित्यकारों से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। एक योग्य और ईमानदार डाक्टर तो वे हैं ही, बहुत मानवीय भी हैं, इसलिए अपने मरीजों से बहुत कम फीस लेते हैं और असमर्थों का तो मुफ्त इलाज कर देते हैं। ईमानदार इतने कि जो रोग उनके बश के बाहर होता है, उसके लिए रोगी को विशेषज्ञों के पास भेज देते हैं, पैसे उगाहने के लिए स्वयं लटकाए नहीं रखते। मुझे हर शहर में कोई-न-कोई अच्छा और ईमानदार डाक्टर मिला है, यहां दिल्ली में भी मिला। माडल टाउन में रमेशचन्द्र गुप्त मिले और वाणी विहार में डा० रावत। वे एक तरह से मेरे परिवार के सदस्य हो गये हैं। वे हमारे लिए एक आशवासन हैं। वे बहुत अच्छे साहित्य-पाठक हैं। उन्होंने मेरा काफी साहित्य पढ़ रखा है। जब उनसे पहली भेंट हुई, उससे पहले काफी कुछ उन्होंने पढ़ रखा था। मैं उन्हें अपनी हर पुस्तक देता हूँ बल्कि वे मेरी हर नयी कृति की प्रतीक्षा करते रहते हैं और अपनी राय देते हैं। वाणी विहार की गोष्ठियों में वे आये, हम सभी चाहते हैं लेकिन चाहते हुए भी उन्हें आने की फुरसत कहां ?

74

जब कभी मैं दिल्ली में अपने शिष्यों के बारे में सोचता हूँ तो एक तुलना सहज भाव से उपस्थित हो जाती है, वह यह कि गुजरात के आठ वर्षों की अवधि में मेरे जितने अच्छे शिष्य वहां बने, उस अनुपात में दिल्ली की 25 वर्षों की अवधि में नहीं बन सके। यहां तक कि हिन्दू विश्वविद्यालय के तीन वर्षों की अवधि में (जब मैं रिसर्च स्कालर के रूप में कक्षाएं लेता था) भी मैंने समय के अनुपात में काफी अच्छे शिष्य पा लिये थे। कभी-कभी सोचता हूँ दिल्ली में अच्छे अंतरंग शिष्य क्यों नहीं मिल सके ? ऐसा नहीं है कि यहां शिष्य नहीं मिलते हैं। आखिर जितने छात्र पढ़ते हैं शिष्य ही तो होते हैं और उनमें से अनेक मेरे अन्य सहकर्मियों के अंतरंग शिष्य भी कहे जा सकते हैं और वे कुछ न कुछ सीमा तक मेरे भी शिष्य कहे जा सकते हैं किन्तु मैं अपने उन शिष्यों की बात करता हूँ जो मेरे निहायत अपने शिष्य लगते हैं। लगता हो कि उनके साथ मेरा विशेष जुड़ाव है, लगता हो कि उनके बनने में मेरा भी कोई योगदान है, लगता हो कि वे मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ गये हैं।

ऐसी स्थिति दो ही संदर्भों में पैदा होती है—1. वह शिष्य सबका शिष्य होकर भी शोध-कार्य की प्रक्रिया में मुझसे जुड़ गया हो, 2. उसमें रचनात्मक प्रतिभा हो और अपने सर्जनात्मक लेखन के सदर्भ में मुझसे जुड़ गया हो। बाकी तो बस दुआ-सलाम के लिए होते हैं। दिल्ली महानगर में एक तो दूरियां इतनी हैं कि क्लास के बाहर कोई किसी

से मिल नहीं पाता, दूसरे हिन्दी विभाग में लड़कियां ही ज्यादा होती हैं। पढ़ाई के बाद पता नहीं कौन कहां चली जाती है। तीसरे दिल्ली का आधुनिक निलिप्त स्वभाव जो लोगों को जुड़ने नहीं देता। इसलिए मैं कक्षा में पढ़ने वाले सामान्य शिष्यों की बात नहीं कर रहा, विशेष शिष्यों की ही बात कर रहा हूँ।

पी० जी० डी० ए० वी० कालेज में रचनात्मक लेखन के माध्यम मे प्रतापसिंह को पाया था जो अब जनसत्ता में हैं और वर्षों तक भेंट न हो पाने के बावजूद वे मेरे शिष्य हैं। जब मैं एम० ए० कक्षाएं लेने लगा तो कुछ रचनात्मक प्रतिभाओं की विशेष पहचान से गुजरा। सुरेश ऋतुपर्ण, हरीश नवल, दिविक रमेश, प्रताप सहगल, मुखबीर सिंह, किरणचन्द्र शर्मा, सुरेश ढींगरा, प्रेम जनमेजय आदि अनेक छात्रों की मैंने उनके सर्जनात्मक लेखन के कारण विशेष पहचान की और वे भी अपने इसी स्वभाव के कारण मुझसे विशेष रूप से जुड़े। इन सबके सम्मान और प्यार की उष्मा मुझे प्राप्त है। प्रताप सहगल और मुखबीर सिंह को इमनिंग रेखांकित करना चाहूंगा कि वे लगातार लिख रहे हैं, लगातार इनसे गहरा व्यक्तिगत और साहित्यिक साहचर्य बना हुआ है और ये मेरे मुख-दुःख में मुझसे जुड़े हैं।

मेरे निर्देशन में अनेक छात्रों ने एम० ए०, एम० फिल० और पी-एच० डी० के शोध-प्रबन्ध लिखे। मुझे याद नहीं कि इस प्रक्रिया में कभी कोई अशोभन घटना घटी हो, अतः सभी शोध छात्रों का आदर-मद्भाव मुझे प्राप्त होता रहा। मिलने पर सभी का मद्भाव झनक आता है। यानी यह व्यक्त होता है कि दिल्ली में मिलना नहीं हो पाता अन्यथा उनके भाव में कोई अन्तर नहीं आया है। एक शोध छात्रा ऐसी भी याद आ रही है जो शोध-कार्य करते समय बहुत आदरभाव समर्पित करती थी, किन्तु नौकरी लगने के बाद कभी दिखाई नहीं पड़ी। यहां तक कि उसने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? यह जैसे भी हुआ हो लेकिन किसी दुर्भाव के तहत नहीं हुआ होगा। लेकिन यह अपवाद ही है। अपने आत्मीय शोध छात्रों में जो नाम याद रहे हैं वे हैं—इब्राहीम शरीफ, मंजु सिनहा, वीणा बंसल, आदर्श खेतरपाल, देवदत्त, वीणा अग्रवाल, कमलकुमार, ज्ञानचंद गुप्त, नीलम ऋषि, अरुणा गुप्ता, गोविन्द व्यास, रत्ना व्यास, कंचन मेहता मुषमा, बीरेन्द्रकुमार, शारदा वर्मा, विनय नंदा, रवीन्द्र त्रिपाठी, श्रीप्रकाश, मुकुल शर्मा, प्रेमकुमार, निर्मल बच्छी, हरजेन्द्र चौधरी, राजकुमारी पाण्डेय।

मैं अपने कुछ उन छात्रों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जिनसे मेरे ज्यादा ही घरेलू सम्बन्ध बने।

मंजु सावित्री जी की पुत्री हैं और संभवतः पी-एच० डी० की मेरी पहली छात्रा रहीं। मंजु अपनी मां की तरह ही मादगी और प्रीतिकर स्वभाव की प्रतिमूर्ति हैं। इनमें अच्छी रचनात्मक क्षमता थी। काश, उसका विकास हुआ होता।

मैं डी० ए० वी० कालेज से 1969 में साध्य संस्थान में आया था। जाहिर था कि साध्य संस्थान में तब प्रायः वे ही लोग पढ़ने आते थे जो कहीं सेवारत होते थे। वे एक तो अपेक्षाकृत प्रौढ़ होते थे दूसरे दिन-भर के कार्य की थकान से लदे होते थे। इसीलिए

उनमें से कुछ अपनी प्रौढ़ता के प्रदर्शन के लिए कभी-कभी मूर्खतापूर्ण ढंग से शिक्षक से उलझ जाते थे और काफी छात्र थके-थके दीखते थे। लगता था कि व्याख्यान में ध्यानस्थ होने के स्थान पर जंभाई ले रहे हैं किन्तु उत्तरार्ध की कक्षा में एक स्थूल से छात्र पर मेरी निगाह प्रायः टिक जाती थी। वह आंख मूदकर मेरा व्याख्यान सुनता था। भ्रम हो सकता था कि यह सो रहा है किन्तु वह सो नहीं रहा होता था बल्कि ध्यानस्थ होकर मेरी बात सुनता था। इसका प्रमाण यह था कि वह मेरे व्याख्यान के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर सिर हिलाता था और मौन भाव से अपनी सहमति और प्रसन्नता व्यक्त करता था। मैं भीतर-भीतर इस छात्र से एक मौन प्रीतिकर्ण भाव जोड़ बैठा था। एक दिन उससे पूछा—“आपका नाम क्या है?”

“ज्ञानचंद गुप्त।”

“क्या करते हैं?”

“दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मचारी हूँ।”

“अच्छी बान है।”

इसके बाद एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि साध्य संस्थान के बाबू लोग मेरा एक काम अटकाये हुए है। उन्होंने मुझसे कहा—“चलिए मेरे साथ।”

उनके साथ आफिस में गया और ज्ञानचंद ने बात की बात में वह काम करा दिया। इसके बाद तो जब भी मेरा कोई काम विश्वविद्यालय के किसी आफिस में अटकता तो ज्ञानचंद गुप्त हाजिर हो जाते और प्यार से या लड़-झगड़कर वह काम करवा लाते। वे धीरे-धीरे मेरे परिवार से भी जुड़ने लगे थे। लेकिन इन सबके बावजूद अभी वह समीपता नहीं आयी थी जिसके लिए मैं इन्हें याद कर रहा हूँ।

वे एम० ए० कर चुक थे। एक दिन मिल गये तो पूछा, “क्या कर रहे हो?”

“पी-एच०डी० करना चाहता हूँ मेरठ में। डा० भोलानाथ तिवारी ने भापा विज्ञान का एक विषय दिया है, वह मुझसे चल ही नहीं रहा है। आप कुछ सहायता कीजिये।”

मैंने कहा—“भाई, भाषा-विज्ञान में मेरी भी गति नहीं है। हा, तुम साहित्य का कोई विषय क्यों नहीं लेते? उममें मैं तुम्हारी भरपूर मदद कर सकता हूँ।”

वे प्रार्थना हो आये। मैंने ग्रामचेतना के उपन्यासों पर काम करने को कहा। खूर्जा में प्राध्यापक अपने मित्र डा० सुधेश को गाइड बनाने के लिए कहा और यह सारी व्यवस्था हो गयी। ज्ञानचंद को मनपसंद विषय मिल गया था और अनौपचारिक रूप से मैं निर्देशन कर रहा था। उनका काम चल निकला। वे जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहते थे। मैंने ज्ञानचंद का परिश्रम देखा। दिन-भर आफिस में होते थे, फिर मेरे यहाँ आते थे, विषय पर विचार-विनिमय करते थे, घर जाकर लिखते थे, फिर सबेरे मेरे यहाँ आ जाते थे और वहाँ से आफिस पहुँच जाते थे। उनके चेहरे पर न कोई थकान दिखाई पड़ती थी, न खिन्नता। उनके पास साइकिल थी। उसी से घोडा से माइल टाउन और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक की यात्रा घुमते रहते थे। उन्हें हार मानते तो कभी देखा नहीं। कठिन से कठिन काम के सामने खड़े होकर घबराते नहीं थे, यही कहते थे, “हो जायेगा डाक्टर साहब।” वे मेरे यहाँ सुबह सात-आठ बजे पहुँच जाते तो

कुछ खाने-पीने का आग्रह करने पर कहते, "मैं तो खा-पीकर ही निकला हूँ।" दोपहर को खाने के बक्त खाने का आग्रह करने पर भी यही कहते, "खा-पीकर निकला हूँ।"

'अरे भाई, तुम छः बजे सुबह के निकले हुए हो, कब खाना खा लिया?'

"छः बजे ही खा लिया था।" आखिर वे खाते और जितना खाना होता है उतना ही खात लेकिन न भी खाते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि छः बजे सुबह ही वे खा-पीकर निकले होते थे।

उनका शोध-प्रबन्ध सम्पन्न हो रहा था और मैं उसमें सन्योग दे रहा था किन्तु वे अन्तिम दिनों में भूत की तरह काम में नग गये थे और बिना छुट्टी लिए उसे पूरा कर ही दिया। समय में उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि भी मिल गयी और कुछ दिनों बाद वे आफिस से निकलकर रामजम कालेज में आ गये।

ज्ञानचंद बहुत जुझारू व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, सामान्य व्यवहार से लेकर का 'न की गतिविधियों तक सबमें उनका जुझारूपन दिखाई पड़ता है। वे अध्यापित प्रगतिशील व्यक्ति है जो जाति और धर्म की गजाजत के खिलाफ सही बात के लिए लड़ने हुए दिग्दर्शक पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में वे बहुत उदग्र भी हो उठते हैं। वे किसी से भी टकरा सकते हैं किन्तु मेरे सामन आज भी विनयावनन रहते हैं। मैं डाटू तब भी उनका माहम नहीं है कि वे कुछ उग्र बोल सके। उनकी जैसी गुरु-श्रद्धा आज सामान्य नहीं रह गयी है वह भी महानगरो में।

दवदत्त ने मेरे निर्देशन में 'आचलिक उपन्यासों में व्यक्तिवाद और प्रगतिवाद' पर काम किया। उसमें दहात की सादगी, निश्चलता और कर्मठता भरी हुई थी। वह भी मेरे मुख-दुःख का मरुचर बन गया था। पी-एच० डी० कर लेने के बाद नौकरी के लिये बहुत भटका लेकिन वही कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अन्त में हरियाणा सरकार ने उन्हें प्राध्यापक नियुक्त कर लिया। अब दवदत्त में कम भेट होती है किन्तु इससे मन की उष्मा में कोई अंतर नहीं आया है।

प्रेमकुमार न अलीगढ़ के धर्म समाज काज सपर ए० किया। मैंने उनकी एम० ए० की मौखिकी ली थी। मौखिकी तो मैंने लगभग सौ छात्रों की ली थी किन्तु दो छात्रों को न जाने मूल्यमें क्या दिखा कि वे मुझसे जुड़ने को उत्सुक हो उठे। प्रेमकुमार मेरे पास आये और याद दिलाया कि मैंने उनकी मौखिकी ली थी।

"तो?"

"मैं आपके निर्देशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध करना चाहता हूँ।" अपने प्रति उनका यह अहेतुक लगाव देखकर स्वीकृति दे दी। समय पर उनका विषय स्वीकृत हो गया। वे अपने विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए अलीगढ़ से दिल्ली आते रहे और गहरे और गहरे जुड़ते चले गये।

उनका शोध-कार्य पूरा हो गया और कालांतर में गहरे सघर्ष के बाद धर्म समाज कालेज, अलीगढ़ में नौकरी भी लग गयी। प्रेमकुमार मेरे आत्मीय शिष्य है, मेरे लिये सतोष का विषय इतना ही नहीं है, वे अच्छे आदमी भी हैं, छल-कपट से दूर, मञ्चे ज्ञान—जो सीधा होकर भी इंसानी हकों की लड़ाई लड़ता है। उनमें एक तेजी है

जिसके तहत वे अन्याय के खिलाफ उग्र हो उठते हैं। मेरे सतोष की बात यह भी है कि प्रेमकुमार में आलोचना और सर्जना की अच्छी प्रतिभा है। पी-एच० डी० करने के बाद वे बैठ नहीं गये हैं बल्कि कहानियाँ लिखते हैं, आलोचनाएँ लिखते हैं और अन्य साहित्यिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं।

उनके साथी हरिमोहन मेरे शिष्य न होकर भी शिष्यवत बने हुए हैं। वे अच्छे कवि-आलोचक हैं और साहित्य के माध्यम में मेरे समीप आते गये।

वीरेन्द्रकुमार ने मेरे निर्देशन में एम० फिल० भी किया और पी-एच० डी० भी। मादीपुर गांव से आने वाले वीरेन्द्र ने गांव की सरलता, जीवट और बड़ो के प्रति आदर-भाव है। सामान्य परिवार से आने वाला यह छात्र बहुत परिश्रमी है। पी-एच० डी० कर लेने के बाद भी प्रथम श्रेणी का यह छात्र बहुत दिन तक नौकरी के लिए भटका। अमफलताओं का बोझ लादे वीरेन्द्र जब भी मिलता बहुत उत्साह से मिलता और उसकी यह सहज आनंदप्रद इच्छा थी कि वह मेरे लिखे हुए की प्रतिलिपि करे। मेरे मना करने पर भी वह यह काम करता रहा और इधर की दो-तीन पुस्तकों की पांडुलिपि की साफ प्रतिलिपि उसी ने की। काफी प्रतीक्षा और सघर्ष के बाद राजधानी कालेज में उसकी नियुक्ति हुई तो हम सबने एक निश्चितता की मास ली।

वीणा अग्रवाल जैसे तो एम० फिल० में मेरी छात्रा रह चुकी थी, किन्तु पी-एच० डी० में जब मेरे निर्देशन में काम करने लगी तो वे और बृजपाल जी निरंतर मेरे निकट होते गये। बृजपाल जी एक कम्पनी में अच्छे पद पर हैं किन्तु पति-पत्नी दोनों में अद्भुत विनयशीलता है। दोनों ही किसी का (विशेषतया गुरुओं का) काम करके प्रसन्न होते हैं। वीणा बहुत परिश्रमी, समझदार और जीवट वाली महिला है। वे जिस काम को ठान लेगी करके ही रहेगी। मैं जानता हूँ कि कैसे उन्होंने भयंकर मिरदद के बीच पी-एच० डी० का शोध-कार्य सम्पन्न किया और साथ ही घर-परिवार के नौ काम निबटाती ही रही। बृजपाल जी हमेशा उनके साथ आते थे और साहित्यिक चर्चाओं में रस-मग्न होकर बैठे रहते थे।

इब्राहीम शरीफ ने मेरे निर्देशन में एम० ए० का लघु शोध-प्रबंध लिखा और शुरू से ही वे हमारे परिवार के साथ जुड़ गये। इस प्रतिभाशाली और नेक-दिल छात्र में रचनात्मक प्रतिभा और मस्ती थी। शोध का काम नहीं किया तो नहीं किया और जोश आया तो कई अध्याय एक साथ लाकर डाल गये। उनकी रचनात्मक प्रतिभा कहानी के रूप में फूटी और वे नयी पीढ़ी के प्रमुख कथाकार बन गए। उनकी अकाल मौत ने मेरा एक आत्मीय ही नहीं छोड़ा, साहित्य से उसका एक प्रमुख हस्ताक्षर भी छीन लिया।

डा० कमलकुमार ने जब मेरे निर्देशन में पी-एच० डी० किया तब उनकी रुझान रचनात्मक साहित्य की ओर दिखायी नहीं पड़ी थी लेकिन बाद में धीरे-धीरे वे कविता और कथा-लेखन के क्षेत्र में बहुत तत्परता से प्रवृत्त हुईं और मैं उनका विकास देखकर बहुत प्रसन्नता अनुभव करने लगा। कमलकुमार को भी मेरे साहित्यिक और पारिवारिक योग-क्षेम के साथ बहुत अपनापन अनुभव होता है।

हरजेन्द्र चौधरी ने मेरे निर्देशन में पी-एच० डी० किया। हरजेन्द्र में सीधी समझ

है, सीधा व्यवहार है और हमारे प्रति सीधा आदर-भाव है। वे चर्चित तो नहीं हुए किन्तु सहज और सीधे-सच्चे अनुभवों के सीधे-सच्चे कवि हैं। आलोचना की पकड़ भी उनकी बहुत अच्छी है। उनके जुझारू ग्रामीण व्यक्तित्व में ऊर्जा और प्यार का अच्छा समन्वय है।

श्रीप्रकाश ने मेरे निर्देशन में एम० फिल० और पी-एच० डी० के शोध-प्रबंध लिखे। श्रीप्रकाश में पुस्तकें खरीदने और पढ़ने की गहरी रुचि थी। वास्तव में वे स्कालर के रूप में अध्यापन को क्षेत्र बनाना चाहते थे लेकिन गुरुओं की कृपा से इस क्षेत्र में नहीं जा पाये और अब एलाइड सर्विस में हैं।

मुकुल शर्मा ने भी मेरे निर्देशन में एम० फिल० का लघु शोध-प्रबंध लिखा और अब मेरे ही निर्देशन में पी-एच० डी० कर रहे हैं। वे प्रबुद्ध छात्र रहे हैं, कवितायें भी लिखते हैं। आवश्यकता से अधिक भावुक हैं। साहित्य और साहित्येतर दोनों क्षेत्रों में ज्यादा ही जिज्ञासु हैं, जिसका सामना मुझे करना पड़ता है। वे गुरु-शिष्य की मूल्यवान परंपरा को जीना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि अधिक से अधिक मेरे साथ रहें, घूमें और गोष्ठियों-सभाओं आदि में जायें।

और अंत में दक्षिण कोरिया से आये हुए हिन्दी छात्र उनगू ली का जिक्र करना चाहूंगा। ये हमारे एम० ए० के छात्र रहे हैं। अब आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० कर रहे हैं। ली मेरे परिवार के अंग से बन गये हैं। घर के सारे बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वे भी मेरे घर में एक बच्चे की तरह ही लगते हैं।

75

दक्षिण परिसर पहले वेंकटेश्वर कालेज में शुरू हुआ था, फिर मुख्य परिसर में ही विलीन हो गया था। दो साल बाद फिर उमकी सत्ता अस्तित्व में आयी और साउथ एक्सटेंशन में किराये के मकान में कक्षाएँ चलने लगी। कुछ दूर पर एक मकान में आफिस चल रहा था और एक अलग मकान में पुस्तकालय था। इस प्रकार अलग-अलग मकानों में चलने वाले दक्षिण परिसर में परिमर का कोई माहौल तो नहीं था, मुख्य परिसर की गहमागहमी यहां कैसे हो सकती थी किन्तु लगता था कि जो छात्र आते थे, वे पढ़ने आते थे और कोई आकर्षण तो यहां था नहीं। मुख्य परिसर के समान न यहां घूमने-फिरने की खुली और खुशनुमा जगहें थीं, न प्रेमालाप के लिए प्रकृति की एकांत गोद थी, न इसके चारों ओर बिखरे हुए कालेज थे। फिर यहां कोई क्यों आएगा पढ़ने के सिवा। इसलिए यहां के छात्र अपेक्षाकृत कक्षा में ही हांते थे। यह बात दूसरी है कि कुछ लोग कक्षा में होकर भी कक्षा में न रहें।

कक्षाएँ मैं मुख्य परिसर में भी लेता था, अतः दोनों परिसरों की कक्षाओं के माहौल का अन्तर अच्छी तरह अनुभव कर रहा था। मुख्य परिसर में सप्ताह में केवल

एक दिन क्लास लेता था, यहां तीन दिन। क्योंकि मैं दक्षिण परिसर में ही नियुक्त हुआ था। मुख्य परिसर में कक्षाएँ बड़ी-बड़ी होती थीं और उन छात्रों से सम्पर्क का कोई अन्य साधन नहीं था। अतः लगता था कि मैं एक बड़ी कक्षा की अजनबी भीड़ में अपना भाषण फेंककर चला आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ बेमन से पढ़ाता था। मुख्य परिसर और दक्षिण परिसर की कक्षाएँ मैं समान रुचि से लेता था किन्तु लगता था कि मेरे भाषण अलग-अलग ढंग से ग्रहण किये जा रहे हैं। दक्षिण परिसर की पूरी कक्षा जैसे मेरी आंख में होती थी और मैं पूरी कक्षा की आंख में होता था और मेरा भाषण आंखों का सवाद बन जाता था। यह ज्ञान मैं केवल अपने लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे अन्य सहकर्मियों का भी अपने बारे में यही अनुभव था। दक्षिण परिसर की कक्षाएँ अपने छोटे आकार, बाहरी आकर्षण के अभाव तथा शिक्षकों के प्रति आनंदन के कारण भीड़ नहीं होती थीं बल्कि परिवार-सी लगती थीं। छात्र-छात्राये हमारे प्रेम के अनुशासन में दीखते थे, इसलिए यहाँ की कक्षाओं में पढ़ाकर निकलने पर यह नहीं लगता था कि मैं भीड़ में भाषण फेंककर आ रहा हूँ बल्कि लगता था कि अपनों के बीच अपना अनुभव और ज्ञान पूरी आत्मीयता से उतारकर आ रहा हूँ।

दक्षिण परिसर के हिन्दी विभाग में हम चार व्यक्ति थे—डा० विजयेन्द्र स्नातक, डा० निर्मला जैन, डा० महेन्द्रकुमार और मैं।

हम लोगों के बीच अच्छा सौमनस्य था। हम एक-दूसरे की बात सुनते-समझते थे और परस्पर सहयोग करते थे। मेरी तो वैसे भी लोगों से टकराते चलने की आदत नहीं है और कैरियर के प्रति महत्वाकांक्षी न होने के कारण अपनी ओर से मैंने कभी कोई टकराहट नहीं पैदा की। विभागीय मित्रों के साथ ही लेता रहा हूँ इसलिए डा० स्नातक, डा० निर्मला जैन, डा० महेन्द्रकुमार सभी मेरे प्रति प्रीतिकर भाव रखते थे।

मैं हिन्दी-साहित्य-सभा का परामर्शदाता बना दिया गया था अतः छात्रों के साथ जुड़ने का एक और माध्यम मिल गया था। हिन्दी-साहित्य-सभा की सभाएँ और गोष्ठियाँ होती रहती थीं। इस बहाने मैं कक्षा की रचनात्मक प्रतिभाओं के अधिक निकट सम्पर्क में आ पाता था। इन अनेक वर्षों में सभा के अनेक अध्यक्ष और सचिव बने और उन्होंने मेरे परामर्श से अनेक आयोजन किये। उनमें से कुछ तो मेरी स्मृतियों में बचे रह गये और उनसे अभी भी सम्पर्क है। बाकी तो एम० ए० करने आये थे। उन्हें साहित्य में कोई गहरा सरोकार नहीं था। एम० ए० किया और अपने घरे में लग गये। जो छात्र मुझे याद रह गये वे हैं वेद प्रकाश दूबे और वसंत पांडेय। वेद प्रकाश बैंक अधिकारी हैं और अब बैंक मम्बन्धी लेखन करते हैं। वसंत पांडेय पीएच में सम्पादकीय विभाग में हैं और अच्छी कविताएँ लिखते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक छात्र मेरे निकट सम्पर्क में आये और वे मेरी स्मृतियों में बसे हैं। कभी-कभी भेंट भी हो जाती है।

कक्षा में और कक्षा के बाहर ये छात्र निरंतर अपनी जागरूकता और आत्मीय भाव से मुझे भरते रहे हैं। सबके नाम तो याद नहीं हैं हाँ, चेहरे जरूर मेरी स्मृतियों में उभर रहे हैं। जिनके नाम याद हैं और जो किसी न किसी रूप में अपनी छोटी-बड़ी पहचान बना सके हैं और बना रहे हैं, वे हैं अचला शर्मा, चंचल चौहान, सुषमा भटनागर

(ये पहले बैच के छात्र रहे), गीता शर्मा, अर्चना विद्यालंकार, नीराजना गौतम, श्याम सुशील, अनामिका त्रिपाठी, अमित जोशी। गीता शर्मा ने तो मेरे निर्देशन में पी-एच० डी० का शोध-प्रबंध भी लिखा।

कक्षा में पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्याख्यान तो चलते ही थे, कभी-कभी कुछ प्रबुद्ध छात्र विषयांतर कर साहित्य-चर्चा के लिए आग्रह कर बैठते थे। मुझे यह व्यतिक्रम अच्छा लगता था। वास्तव में कभी-कभी यह होना भी चाहिए कि पाठ्यक्रम की बधी-बधाई लीक से हटकर छात्र साहित्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिचित होने के लिए शिक्षक से सवाद की स्थिति बनाये। मैं यह व्यतिक्रम चाहते हुए भी अपनी ओर से पहले इसलिए नहीं करता था कि सामान्य छात्र यह सोचने लगेगा कि ये विषयांतर करने हैं और उसका समय खराब करने हैं क्योंकि वह तो पाठ्यपुस्तक की बधी लीक पर सीधा चलकर परीक्षा के लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है और विषयांतर को समय खराब करना मान बैठता है किन्तु दक्षिण परिसर में कई वर्ष ऐसे छात्र आये जो कक्षा में कभी-कभी लीक में इटककर चलने वाली चर्चा में रस लेना चाहते थे। और जब उनकी आर से पहल हानी थी तब मुझे सकोच करने का कांड कारण नहीं होता था। मैं स्वयं भी लीक पर चलने-चलते रुब जाता था। मुझे याद है कि जिस वर्ष गीता शर्मा, अर्चना विद्यालंकार आदि छात्राये थी उस वर्ष की वैकल्पिक विषय की कक्षा अधिक अनौपचारिक हो गयी थी। कभी-कभी तो गीता और अर्चना विकल्प की कक्षा में कोई कविता मुनान का आग्रह कर बैठती थी और कविता में आये नये शब्दों को वे जानना चाहती थी और उस तरह कविता के बहाने साहित्य में अनेक बिन्दुओं को हम छू जाते थे। श्याम मुशील अच्छे कवि हैं, तब भी कवितायें लिखते थे।

हिन्दी-साहित्य-सभा के तत्त्वावधान में उस मकाननुमा परिसर में न जाने कितने महत्त्वपूर्ण लोगों के व्याख्यान हुए। कविता-पाठ हुए। आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, भवानीप्रसाद मिश्र, धीरंजयकुमार माधुर, विजयदेव नारायण साही, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, निर्मल वर्मा, कृष्णा मोबती और न जाने कितने नये-पुराने लोग आये और अपने व्याख्यान और कविता-पाठ से छात्रों को प्रेरित किया। बाद में जब बेनिता हुरेज मार्ग पर दक्षिण परिसर का अपना भवन बन गया तो साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए अधिक उपयुक्त स्थान मिला और साहित्यकारों के आने का क्रम बना रहा बल्कि तीव्र हुआ। रामधियास शर्मा, शिवमगलमिह सुमन, नामवरसिंह आदि साहित्यकार भी आये।

यद्यपि मैं हिन्दी-साहित्य-सभा का परामर्शदाता था किन्तु इसके कार्यक्रमों का निश्चय मैं छात्रों के साथ-साथ अपने वरिष्ठ सहयोगियों डा० विजयेन्द्र स्नातक और डा० निर्मला जैन से परामर्श लेकर करता था। डा० महेन्द्रकुमार को इन साहित्यिक कार्यक्रमों से कोई सरोकार नहीं था। निर्मला जी मुझे परामर्श के साथ व्यावहारिक सहयोग भी देती थी बल्कि यो कहिये कि उनके सहयोग के बिना साहित्य सभा के कार्यक्रमों की सफलता ही संभव नहीं थी।

डा० निर्मला जैन ने साउथ एक्सटेंशन वाले परिसर से लेकर वर्तमान परिसर में अनेक महत्त्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किये। इनमें भाग लेने के लिए देश-विदेश के अनेक

महत्त्वपूर्ण साहित्यकार और प्राध्यापक आये। कई-कई दिन तक चलने वाले इन सेमिनारों में निर्मला जी के अथक परिश्रम और सूझ-बूझ के कारण बहस, व्यवस्था और उपस्थिति की लय बनी हुई होती थी। उन्हें उनके सहयोगियों और शिष्यों का भरपूर सहयोग मिलता रहा।

दक्षिण परिसर का अपना भवन हो यह हम लोगों के लिए कितनी सुखद कल्पना थी। न जाने कितने दिनों से सुन रहे थे कि उसके लिए जमीन मिलने वाली है लेकिन कहीं कुछ नहीं। आखिर आबाद साहब ने जमीन पाने में सफलता पा ली। हम लोग जगह देखने के लिए ले जाये गये। पहाड़ी जमीन—ऊबड़-खाबड़। लेकिन इसे लेकर कितनी सुंदर कल्पना मन में उपजने लगी थी—चारों ओर प्रशस्त पहाड़ी वातावरण, ऊंची-नीची सड़कें, पेड़-पौधे, विषम घरातलों पर उठे हुए भिन्न-भिन्न भवन। कितना अच्छा लगेगा परिमर। भवन बनना शुरू हो गया था। फिलहाल एक ही भवन यानी कला संकाय बन रहा था। उम्मीद थी कि अगले सत्र के आरम्भ में हम नये भवन में चले जायेंगे। किंतु नये सत्र में नहीं जा सके। ज्ञात हुआ कि दशहरे की छुट्टियों के बाद जाना संभव हो पायेगा। दशहरे की छुट्टियों से पहले ही आफिम और लाइब्रेरी के सामान वहां जाने शुरू हो गये थे। बड़ा उल्लास था कि दशहरे की छुट्टियों के बाद हम नये भवन में जायेंगे और उस खुले वातावरण में जाने और अध्यापन करने का नया सुख पायेंगे। दशहरे की छुट्टियों में मैं गांव गया। बहुत दिनों बाद दशहरे में गांव जाने का अवसर मिला था, अतः मन एक नयी पुलक से भरा हुआ था। इच्छा थी—फिर गांव की रामलीला देखूंगा और बचपन की स्मृतियां ताजा कर लूंगा।

गोरखपुर से मझले भाई साहब के साथ गांव की ओर चला। उन दिनों बाढ़ आयी हुई थी। बाढ़ तो हर माल इस इलाके में आती है, किंतु दशहरे में पहले वह कब की लौट चुकी होती है और दशहरे के समय घरती धली हुई प्रसन्न दीखती है। वह अपना फसलों के लुट जाने का दर्द भूलकर नयी फसल के लिए तैयार होने की प्रसन्नता प्राप्त कर लेती है और लोग भी रामलीला की चहल-पहल से गुजरते हुए, गाते-बजाते हुए अतीत को भूलकर भविष्य के सपने देखने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। दशहरे के मेले में महिलाओं की रंग-बिरंगी साड़ियां उतरा जाती हैं, बच्चे भी रंग-बिरंगे कपड़ों में घर से मेले तक फैल जाते हैं और मिठाई खरीदकर मिट्टी का घुघुका बजाते हुए घर लौटते हैं। वह शाम उनके घुघुकों के स्वरों से भर जाती है।

लेकिन इस बार बाढ़ देर से आयी और चूकि इस बार गांव जाने का मेरा कार्यक्रम बन गया था, अतः बाढ़ की आंशिक उपस्थिति के बावजूद गांव जा रहा था। हां, आंशिक उपस्थिति इसलिए कि वह आकर हट रही थी। मटियरा घाट पहुंचा तो देखा गोरों नदी उफनायी हुई है। यद्यपि वह अपने को समेटने की प्रक्रिया में है किंतु अभी भी दूर-दूर तक फैली हुई है। नाव से नदी पार की किंतु अभी नदी पार कहां हुई? नदी के बाद भी हम पानी के विस्तार में थे, अतः नाव नदी के बाद भी चली जा रही थी। नदी के पास का गांव टापू बना हुआ था और पास के जल में गांव के लोग नहा रहे थे। नाव चली जा रही थी और कुछ दूर स्थित बांध के पास रुकी। इसके

पास सूखी जमीन थी। पैदल चलने के बाद बिशुनपुरा के पहले पानी का विस्तार मिला। किंतु यह गहरा नहीं था, हलकर जाया जा सकता था, लोग हलकर ही जा रहे थे। बहुत दिनों बाद पानी में लहलहाते धान के खेत देखने को मिल रहे थे। हरे-भरे धानों के खेत बालियों से लदे थे। कभी-कभी पुरुवा के झोंके लहरा जाते थे तो पूरा खेत उनकी लय पर धीरे-धीरे नाच उठता था। उनकी हरीतिमा आंखों को सुख दे रही थी। उनमें से फूटती हुई कच्ची गंध घ्राण और प्राण में समा रही थी।

बाढ़ के पानी में एक हल्की उष्मा रहती है। बहुत दिनों बाद पानी की इस उष्म छुवन का अनुभव कर रहा था। धीरे-धीरे पग बढ़ाते हुए गहराई के अनुसार धोती ऊपर-नीचे करते हुए चले जा रहे थे और हमारे तथा अन्य राहियों के पगों की गति से पानी में आवाज की जो हिलकोरें उठ रही थी उनमें दूर-दूर तक का वातावरण बज रहा था।

बिशुनपुरा गांव में पैठते ही क्वार की गंध बहुआयामी हो उठी। बात यह है कि बाढ़ तो आयी थी किंतु केवल नालो और उनके आसपास के नीचे खेतों में फैल गयी थी। ऊंचे के खेतों में फसल बची रह गयी थी। जबसे राप्ती का बाध बंधा है बाढ़ का प्रकोप इधर कम हो गया है। अतः गांव में पैठते ही एक बड़े से दरवाजे पर कोदों का डांठ दिखाई पडा जिम पर बैल चल रहे थे। कोदों के डांठ से एक अलग तरह की गंध उठ रही थी। मक्के की बालिया इम-उम दरवाजे पर रस्मियों पर टंगी हुई सूख रही थी उनकी अपनी गंध थी और सबको मिलाकर बनती हुई गांव की अपनी गंध थी। इस गंध से होना हुआ मैं अपने गांव पहुंचा और यह गंध वहा और भी घनीभूत हो गयी क्योंकि मौसम की इस गंध के साथ अपनी जन्मभूमि की गंध भी मिल गयी थी और इसमें बचपन की स्मृतिया भी समा रही थी।

लेकिन इसके बावजूद क्वार की वह गंध सहा थी जिमके लिए मैं गया था। बरसाती मौसम के दबाव के कारण क्वार का अपनापन आहत था। न यह क्वार था, न सावन-भादो। बरसात में पुरुवा बहती है तो उसकी छुवन से पत्थर भी रोमांचित हो उठता है और जब गुमसुम होती है तो लगता है सांस का आना-जाना ही बंद हो गया है। क्वार आते ही बरसात का यह खेल बंद हो जाना है, दिशाएं खुल जाती है, हवा भी समभाव से बहने लगती है और दिन की चिनचिनानी धूप के बावजूद रातों में एक सुखद आर्द्रता धीरे-धीरे झरने लगती है। लेकिन इस बार तो क्वार एकदम बद था। हवा गुमसुम थी। ऐसे मौसम को भी मैंने गांव में सहज भाव से जिया है। कमरों के अन्दर सोया हूं। न कभी मच्छर की शिकायत रही, न उमस की। याद नहीं कभी इससे शिकायत की हो किंतु नगर की सुविधाएं भोगने के बाद तो ऐसा मौसम नहीं सहा जाता। अतः मुझे लग रहा था सांभ बंद हो जायेगी। गांव के तमाम लोग सहज भाव से इस बंद मौसम में काम कर रहे थे, सो रहे थे, जाग रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे किंतु मुझे लग रहा था कि मैं प्रत्येक पल छाती पर इस बंद मौसम के लदाव का ही अनुभव कर रहा हूं, उसी के बारे में सोच रहा हूं और गिन रहा हूँ कि कब ये दिन बीतें कि मैं यहां से भागूं।

रात को छत पर सोता था। जानता हूँ कि क्वार की रात में खुले में नहीं सोना चाहिए किंतु इम गुमसुम मौसम में नीचे बरामदे में मोना कठिन था। छत पर ही भनीजे लोग खाट में डहे लगाकर उन पर चादर तान देते थे ताकि ऊपर में शीत न गिरे। मैं सोता था तो नीचे मकान की बगल में पड़ी बंद झोंपड़ी से भाई साहब के मस्ती में भजन करने की आवाजें आती थीं। भनीजे अपनी पत्नियों के साथ कमरों में मोते थे और उन्हें मौसम से कोई शिकायत नहीं थी।

दशहरा, जिसके लिए आया था, अभी दूर था और इस बाद मौसम में ठहरना कठिन हो रहा था अतः तीन-चार दिन बाद ही गोरखपुर को लौट पड़ा। फिर व्रत में दिल्ली आ गया और छुट्टियाँ बीतने-बीतते मैं बीमार पड़ गया। वाइरल फ्लू था। छुट्टियाँ खत्म हो गयी थीं। मैं कल्पना कर रहा था कि नये भवन में शिक्षण-कार्य प्रारम्भ हो गया होगा। कितना अच्छा लगता होगा नया परिवेश। उन्ही दिनों विश्व-हिन्दी-सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मैं अपने दुर्भाग्य पर पछता रहा था कि इस शहर में देश-विदेश से कितने-कितने माहित्यकार, हिन्दी-मन्वी और हिन्दी-सम्पर्क नेता लोग आये होंगे और मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ। टी० वी० से कभी-कभी एक झलक देख लता था। बहरहाल फ्लू की गहरी चपेट में था। यो भी मुझमें बुखार बर्दाश्त नहीं हाना। यह फ्लू तो कुछ ज्यादा ही भयावह होकर आया था। कभी-कभी साम अफलाने लगती थी। कई बार पत्नी डा० रावन को बुलाकर लायी। उन्होंने सुई दी तो चैन पड़ा। बुखार उतर गया था। लेकिन दो दिन बाद फिर डायरिया हो गया। गुजरात से कई लोग विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में आये थे। वे मुझमें मिलने आये। एक सज्जन मिठाई का डिब्बा भी लाये। मैंने एक टुकड़ा चखा। अनुमान लगाया गया कि शायद उसी में फूड प्वायजन हो गया। मरे को मारे शाहमदार। कमजोरी तो बँसे ही थी, इस भयानक खूनी पेचिश ने तो निचोड़ ही डाला। डाक्टर भी परेशान। उन्होंने भरसक कोशिश की कि मुझे नर्सिंग होम न जाना पड़े। वे चाहते थे कि यथासंभव मेरा पैसा खर्च न हो। आखिर एक शाम को उन्होंने अपनी घबराहट न छिपाकर पत्नी से कह दिया कि कल सुबह इन्हे नर्सिंग होम में दाखिल करा दीजिए। लेकिन सुबह होते-होते पेचिश का प्रकोप कम हो गया। डाक्टर आए तो प्रसन्न हुए और कहा—“नियंत्रण में आ गया है, अब नर्सिंग होम जाने की आवश्यकता नहीं।”

ताबड़तोड़ दो-दो बीमारियों ने मुझे तोड़ दिया था। ठीक होने में महीना-भर लग गया लेकिन अभी ठीक-ठाक तक़्त कहा आयी थी। फिर भी दक्षिण परिमर का नया भवन देखने का उल्लास था—एक दिन निकल गया। स्कूटर से डगमगाता हुआ उतरा और पूछता-पूछता विभागीय कक्ष में दाखिल हुआ।

मुझे लोगो ने देखा और देखकर हैरान हुए कि मैं इतना बीमार था। दरअसल बीमारी के बीच विभाग के किसी व्यक्ति से भेंट नहीं हुई थी। शायद किसी को पता भी नहीं रहा कि मैं इतना अधिक बीमार रहा। विभाग में कई लोग बैठे थे। एक ने कहा—“अरे, हम लोगो को पता ही नहीं चला।”

“अच्छा है, बीमारी का विज्ञापन न हो तो।” मैंने कहा।

“वैसे मैंने औपचारिक रूप में ए० आर० को सूचित कर दिया था।”

खैर, जो हो इस परिसर में पहली बार आकर मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था। एक तो यो भी बीमारी के बाद पहली बार बाहर निकलना ताजगी दे जाता है, दूसरे यह निकलना दक्षिण परिसर में था। खुले-खुले में परिसर का भवन बहुत अच्छा और अपना लग रहा था। दोनों ओर फूल उगाये गये थे। चारों ओर ऊबड़-खाबड़ पथरीला विस्तार था जिसमें जगल-झाड़िया फँसी हुई थी। मुख्य द्वार से अंदर घुसिये। धीरे-धीरे हलकी-हलकी ऊर्चाई-भरी सड़क में आगे बढ़िए, फिर अपना कला सकाय।

पहले दिन में इस भवन के प्रति जो आकर्षण मन में समाया, वह लगातार गहरा ही होता गया। परिसर में नित नये निर्माण होते गये और मेरे केंद्रीय आकर्षण में नये-नये आयाम जुड़ते गये। कितना अपना लगता है यह परिसर। इस परिसर का प्राकृतिक परिवेश तो सुंदर था ही, इसका सामाजिक परिवेश भी कम सुंदर नहीं था। कह चुका हूँ कि इस परिसर में एक पारिवारिक माहौल का अनुभव होता था। विभागों के बढ़ने से और नये-नये भवन बनने चले जाने से यह समार बड़ा तो हो रहा था और अपनेपन का घनत्व भी कम हो रहा था फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी भी छात्रों और शिक्षकों के बीच अपनेपन का तार जुड़ा था। शिक्षकों के बीच भी परिचय की उष्मा थी और पुस्तकालय तथा आ फर्मों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ भी हमारे निकट के सम्बन्ध थे। जो काम उत्तर परिसर के आफिसों के जगल में महीनों भटकना रह सकता था, वह यहाँ बात की बात में हो जाता था। इस परिसर के केंद्रीय आकर्षण थे इसके निदेशक डा० आबाद अहमद। आबाद साहब बाहर में लेकर भीतर तक बहुत 'प्लेजेंट' व्यक्ति कहे जा सकने हैं—मौम्य, शांत, मुसम्कृत। वे बहुत सुलझे हुए दिमाग के सक्रिय निदेशक हैं। वे अपने गारे अध्यापकों को नाम से जानते हैं। बैठके बहुत मनुलित ढंग से करते हैं, बहुत सलीके से सुसंस्कृत रूप में वे अपनी बात प्रस्तुत करते हैं और सबको सम्मान देते हुए उनकी बातें सुनते हैं। उसमें समस्या की सही पकड़ दिखाई पड़ती है और बिना किमी बड़बोलपन के उससे निबटने का प्रयत्न करते हैं, और निबटते हैं। मैं लिख चुका हूँ कि मेरा स्वभाव रहा है कि मैं कालेज और विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारियों से नहीं मिलता और वे भला मुझसे क्यों मिलने लगे। अतः वे मुझे नहीं जानते। दक्षिण परिसर के पिछले दोनों निदेशकों से जब किसी मभा में भेंट होती तो हर बार मैं उन्हें अपना परिचय देता और वे अच्छा-अच्छा कहकर रह जाते। इसमें अधिक मुझे उनसे चाहिए भी क्या था? किंतु आबाद साहब व्यक्तिगत भेंट न होने के बावजूद मुझे जानते थे—नाम से जानते थे—अच्छी तरह जानते थे। अपने अवकाशप्राप्ति के दिन जब मैंने यह बात कही तो वे जोर से हँसे थे।

इष्टरव्यू मेरे लिए बहुत अप्रिय प्रसंग रहा है। किंतु इससे बचना भी कहां संभव था? दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने से पूर्व न जाने कहां-कहां प्राध्यापक रहा और

न जाने कितने सफल-असफल साक्षात्कारों से गुजरा। दिल्ली विश्वविद्यालय से भी सम्बन्धित कई साक्षात्कारों से गुजर चुका था। जब सांध्य संस्थान में प्राध्यापक हो गया तो मोचा ठीक है, अब यही ठीक है। लेकिन दां माल बाद दक्षिण परिसर खुला और रीडर की दो जगहें हुईं। फिर उद्वेग। आवेदन-पत्र दू कि न दू। दू तो फिर वही नकारा। साक्षात्कार न दू तो क्यों न दू? लोग मोचेंगे कि यह अपने को योग्य ही नहीं समझता और आखिर इम क्षेत्र म रहना है तो रीडर बनने की कामना में मुक्ति भी कैसे मिल सकती है। आवेदन-पत्र दिया, असफल रहा। फिर जगह हुई, दिया, इस बार सफल हो ही गया।

फिर लगा कि ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय का रीडर बन गया हूं, यह बहुत है, आगे चैन से रहूंगा किंतु दो ही मान बाद फिर उद्वेग। एक पद खाली हुआ। डा० उदयभानु सिंह जैसे विद्वान् और वरिष्ठ शिक्षक अभी तक रीडर बने हुए थे (रीडर भी वे कुछ ही साल पहले हुए थे)। उन्हें प्रोफेसर होना ही चाहिए। इस पद के लिए बाहर से बड़े-बड़े प्रतिस्पर्धी आये। वे आये तो आये, अपने पूरे विभाग के प्रायः सारे रीडरों ने आवेदन-पत्र दे दिया। हम कई लोग नहीं चाहते थे आवेदन-पत्र देना किंतु एक रीडर अड़े हुए थे कि वे तो देंगे ही। इसलिए मन मारकर हम लोगों ने भी आवेदन-पत्र दे दिया। इंटरव्यू के दिन भी मैंने और निर्मला जी ने चाहा कि हम लोग इंटरव्यू न दें और अपने अन्य साथियों से बात भी की किंतु वही सज्जन अड़े हुए थे—'मैं तो इंटरव्यू दूंगा ही।' उनके नाते हम लोग भी मैदान नहीं छोड़ सके। हम जानते थे कि हमें नहीं आना चाहिए था और हम नहीं ही होंगे और डा० उदयभानु सिंह को होना ही चाहिए किंतु हम अभिशप्त हो गये थे बेमन में इंटरव्यू देने के लिए। नामवर जी भी उम्मीदवार थे। हम लोग देख रहे थे कि कहां है, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बाद में ज्ञात हुआ कि वे कहीं और बंठे थे और वही से इंटरव्यू देने आये और निकल गये। खैर साहब, जैसे-तैसे इंटरव्यू हुआ। एक्सपर्ट के रूप में महादेवी वर्मा भी थीं। डा० उदय भानुसिंह ले लिए गये। इस इंटरव्यू को लेकर न जाने कितने किस्से उड़े—किसने किसके खिलाफ किसको पटाया और क्या हुआ।

कुछ साल बाद प्रोफेसरशिप के दो पदों पर इंटरव्यू हुए। काफी उथल-पुथल थी इन पदों को लेकर। काफी सरगमियों के बाद प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू हुआ। डा० निर्मला जैन और डा० ओम्प्रकाश लिए गये। इसके कुछ दिनों के बाद डा० नगेन्द्र की जगह खाली हुई। फिर सरगमीं शुरू हुईं। इस बार मेरा नाम हवा में उछल रहा था। मैं तो कभी भी अपने भाग्य के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ, इसलिए उछल रहा है तो उछल रहा है यह मानने के सिवा क्या करता? कुलपति जी से स्वभावतः मेरा कोई भला-बुरा परिचय नहीं था। एक विश्वस्त स्रोत से ज्ञात हुआ कि वे मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं कम्युनिस्ट हूं। मुझसे यह भी कहा गया कि मैं किसी मंत्री से कुलपति को कहलाऊं और इम धारणा की काट कराऊं।

मुझे यह अजीब लगा। ये सज्जन कांग्रेस की कृपा से कुलपति हुए थे और अपनी सारी कमजोरियों के बाद कांग्रेस की बैंकिंग से पांच साल खे गये थे। उनकी कांग्रेस-

शक्ति तो समझ में आती है किंतु किसी को कम्युनिस्ट कहकर शैक्षिक उन्नति से वंचित करने का औचित्य क्या है ? क्या यह देश कांग्रेसियों का है ? क्या यह विश्वविद्यालय उनकी पैतृक सम्पत्ति है ? क्या कम्युनिस्ट पार्टी बैन पार्टी है ? क्या वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ? यदि है तो क्या किसी कम्युनिस्ट को प्रोफेसर होने का अधिकार नहीं है ? फिर विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए ये महानुभाव ऐसी बात क्यों कह रहे हैं ? क्या यह उमे अपनी या कांग्रेसियों की मिलिक्रयत ममझ रहा है ?

और किमी का कम्युनिस्ट होना गाली है क्या ? वैसे मैं उस अर्थ में कम्युनिस्ट हूँ भी नहीं जिस अर्थ में पार्टी कांडधारी लोग होते हैं। मैं इसी अर्थ में कम्युनिस्ट हूँ कि मेरा विश्वास मार्क्सवादी दर्शन में रहा है। एक ओर कम्युनिस्ट पार्टी में अनुशासित और एक खाम मार्क्सवादी फ्रेम में अपने लेखन को जडकर चलने वाले लेखक मुझे मार्क्सवादी नहीं मानते, दूसरी ओर प्रोफेसरशिप की राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग गाली के तौर पर मुझे कम्युनिस्ट करार दे रहे हैं। तीसरी ओर मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इस गाली का मंत्रियों द्वारा प्रतिवाद कराऊँ। चूँकि कम्युनिज्म मेरे लिए गाली नहीं है और मैंने अपने ऊपर उमका लेबल नहीं चिपकाया है और सिद्धान्ततः मैं एक कम्युनिस्ट को विश्वविद्यालय में तरक्की पाने का बैमा ही हकदार मानता हूँ जैसा किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति को। अतः मैं कुलपति के सामने यह सफाई क्यों पेश करूँ या कराऊँ कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। 'अपने लोग' उपन्यास निकला था तो किमी ने मुझे साम्प्रदायिक बना डालने की कोशिश की थी। उसे पता था कि कुछ सान बाद प्रोफेसरशिप का मघर्ष होने वाला है। इन्हें साम्प्रदायिकता की सनद दिना दो, हमारे काम आयेगी। उस बार भी कांग्रेसी राज्य था, इस बार भी था। ब्रह्महान नमाम आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू ठीक ही हुआ था और मुना था कि एकमपर्ट लोग मेरे नाम से महमत थे किंतु कुलपात जी को किमी कम्युनिस्ट को नहीं लेना था तो नहीं लेना था। तमाम बहाने बनाकर मेरे नाम से अपनी असडमति व्यक्त कर दी और दूसरे नामों पर विशेषज्ञों की सहमति नहीं हो सकी, अतः कोई नहीं लिया जा सका।

वैसे भी प्रोफेसरशिप मेरे लिए जीवन-मरण का प्रश्न नहीं था। प्रोफेसर होता हूँ तो ठीक, नहीं होता तो क्या छिन जाएगा ? अपने को सार्थक करने के लिए मेरे पास काफी कुछ है। नहीं होने को तो दुनिया में बहुत-सी चीजें हैं। किम-किमके लिए आदमी रोये और उसने जो कुछ स्वयं अर्जित किया है उसके ही सुख में मस्त क्यों न रहे ? अनुपस्थित और दूसरों द्वारा प्रदान की जाने वाली चीजों के लिए उपस्थित और अपने द्वारा अर्जित चीजों के होने का सुख कम क्यों दिया जाये ? इसलिए मैं बिल्कुल ठीक-ठाक था। चूँकि मेरे अवकाश ग्रहण का समय पास आ रहा था, अतः कभी भी प्रोफेसर न हो पाने की वास्तविकता को भी आत्मसात कर लिया था। उसके बारे में सुख-दुःख के साथ सोचता ही नहीं था। संयोग था कि प्रोन्नति योजना लागू हो गयी और हम कई लोग एक साथ 1984 में प्रोफेसर हो गये। यानी मैं अपने अवकाश ग्रहण से साल-भर पूर्व प्रोफेसर हो गया। चूँकि यह तिथि साल-भर पहले से लागू होती थी अतः '83 से ही हम प्रोफेसर मान लिए गए। तब जाकर निश्चित हुआ कि अब किसी इंटरव्यू में

नहीं जाना पड़ेगा। 31 जनवरी, सन् 1985 में रिटायर हो गया। फिर पांच वर्ष पुनर्नियुक्ति योजना के अन्तर्गत सेवारत रहा। अंत में 31 जनवरी, 1990 को अवकाश ग्रहण किया।

77

सबसे पहली संतान हेमंत थे, उनके बाद अंजू (अंजलि) थी। जाहिर है मां-बाप को लड़की की शादी की चिन्ता पहले होती है अतः अंजू के एम० ए० होते ही हम लोग इस चिन्ता से सक्रिय भाव से जुड़ गए। कितने-कितने कैसे-कैसे अनुभव हांते हैं लड़की के लिए वर ढूँढने में। किनना अपमान अनुभव होता है। अब तो शादी तय होने तक न जाने कितनी-कितनी दीवारें पार करनी होनी है। पहले बाप की हैसियत या रुचि के अनुसार कहीं कोई वर पसंद कर लेते थे, लेन-देन तय होता था और शादी हो जाती थी। लड़की की शादी तो करनी ही है, यदि बाप की औकात बहुत कमजोर हुई तो भी किसी तरह और कहीं भी लड़की देनी ही होनी थी। लड़की दे दी जाती थी, उसकी अपनी कोई इच्छा-अनिच्छा नहीं होती थी।

अब पहली पसंद लड़की की होती है। होनी ही चाहिए। उसे आई० ए० एम०, इंजीनियर, प्राध्यापक, डाक्टर आदि में से कौन-म्ह वर चाहिए। फिर बाप को देखना होता है कि किम वर की बोली कितनी है यानी कौन कितने में नीलाम हो रहा है। फिर लड़के की पसंद आती है—लड़की कानवेंट में पढी है कि नहीं? यानी वह फरटि-दार अंगरेजी में प्यार कर सकती है कि नहीं? फरटिदार अंगरेजी में प्यार का स्वाद ही और होता है। चटक लिपस्टिक में डूबे ओठों (मोटे हो या पतले, भद्रे हों या सुदर) को वक्र बना-बनाकर बोली जाती लपलपाती अंगरेजी में प्रेम का जो स्वाद होता है वह देशीय भाषाओं में कहां होता है? फिर साहब लोगों को अपने दोस्तों और पार्टियों में बीबियों की नुमाइश भी तो करनी होती है। यदि इस नुमाइश में उनकी बीबी की अंगरेजियत कुछ कमजोर पड़ गयी तो उनकी नाक ही कट जायेगी न। यानी बीबी भी उनके लिए सुन्दर कीमती विदेशी सामानों की तरह एक अदद सामान होती है जिसके साथ होने से पतिदेव का रुतबा बढ़ जाता है। इसलिए इधर पढ़े-लिखे समाज में कानवेंटी बीबियों की मांग बढ़ गयी है और लड़की के बाप से पहला सवाल होता है—“क्या लड़की की शिक्षा कानवेंट में हुई है?”

फिर लड़की के नाक-नकश, रंग, लम्बाई-चौड़ाई का पूरा नकशा मांगा जाता है जिसके आधार पर तय किया जाये कि लड़की को देखना है कि नहीं?

फिर लड़की के बाप के बाप, भाई, ताऊ, चाचा, मामा आदि की हैसियत की फेहरिस्त मांगी जाती है।

फिर लेन-देन तय होता है। यानी कानवेंट से बात शुरू करने वाले आधुनिक

सोग परम्परा की भी कोई ऐसी गलाजत छोड़ना नहीं चाहते जो उनके हित में हो। लड़की के बाप को चारों ओर से बांधकर आधुनिक लड़के वाले शादी करते हैं लेकिन माग का सिलसिला बना रहता है। कानवेंटी लड़की तेज हुई और वर महोदय के संस्कार ठेठ मध्यवर्गीय रहे तो टकराहट शुरू हो जाती है। आधुनिकता का नकली आवरण फटने लगता है। लड़की की स्वच्छंदता उनके दिल में उसके प्रति शक पैदा करने लगती है। फिर या तो थोड़े ही दिनों में तलाक हो जाता है या वे टकराते हुए चलते रहते हैं या लड़की जला दी जाती है।

मैं संस्कार से भी और दृष्टिकोण में भी देशी हूँ और अपनी बेटी को इस प्रकार के नकली आधुनिकता वाले परिवार में नहीं देना चाहता। हमारे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा भी देशी स्कूलों में हुई है और परिवार का संस्कार भी देशी है। हम घर में एक-दूसरे से बहुत अनौपचारिक हैं। देशी खाना पसंद करते हैं। नीचे बैठकर खाना अच्छा लगता है। अपनी भाषा में बोलने-बनियाने में सुख और गौरव दोनों अनुभव करते हैं, भोजपुगी भी बोलने है। हम जानते हैं कि हमारी बेटी अंगरेजी भाषा और उसके संस्कार से कम हुए नकली वातावरण में सहज नहीं रह पायेगी, उसका दम धुटेगा, अतः मैं स्वयं ऐसे घरों और उनके परिवारों में बेटी देना नहीं चाहता। लड़की की शादी का विज्ञापन दिया था। फोन पर एक सप्ताह की बातचीत हुई। कई बार तो बहुत हमी आती है जब किसी परिवार में लड़के तो कानवेंटी हाने हैं किन्तु मा-बाप ठेठ गांव में आये हुए। अफसर की गांव में आयी बीवी पूछती है—

“आपकी लड़कियाँ अंगरेजी स्कूल में पढ़ी हैं ना? खूब हाली हाली अंगरेजी बोल लेनी है न? अरे हमारा लड़कियाँ बहुत अंगरेजी बोलती हैं न। ऊ माहब है, ओ के अंगरेजी बोले वाली लड़की नहीं मिलेगी तो उसनी नकिये कर जाएंगे न।”

“अरे छोड़िये जब आपके पति की नाक नहीं कटी तो आपके लड़के की बयों कटेगी। मेरी लड़की तो एम० ए० पी-एच० डी० है और अंगरेजी भी जानती है।”

“अरे हमारा जमाना तो और था न।”

“सही है। सही कह रही है आप। आपके जमान में लड़क-लड़की की शादी होती थी। अब पद की, भाषा की, रुपये-पैसे की शादी हाने है।”

“आप लड़की के बारे में सारी जानकारी भेज दीजिए, ये लाग विचार करके आपको बता दूँगे।”

“लेकिन मैंने तो विचार कर लिया है बहन जी, मुझे नकली घर में लड़की नहीं देनी है।” और मैंने फोन बंद कर दिया।

एक इंजीनियर माहब के पिता का पत्र आया। उसमें अपने पुत्र के व्यक्तित्व और योग्यता का दिव्य वर्णन किया था और उसने भी कानवेंटी लड़की को बरीयता दी थी। मैं बाहर गया था। पत्नी मेरे एक शिष्य के साथ मिलने गयी। देखा एक देहाती औरत उपले पर रोटी थोप रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह लड़के की मा है। लड़के का बाप एकाएक पत्नी को देखकर चौंक गया और अस्त-व्यस्त मामूली घरेलू परिवेश के कारण परेशान-सा हो गया। उसने कुछ देर बाद अपने इंजीनियर पुत्र को

बुलाया। एक ठिगने कद का मामूली-सा लड़का हाजिर हुआ। उसकी बड़ी-बड़ी मूँछें थीं मानो उसने अपने व्यक्तित्व की दरिद्रता की क्षतिपूर्ति के लिए मूँछें बढ़ा ली थीं। बाप ने कहा—“अभी-अभी ये भोपाल में आये हैं, थके हैं, अस्त-व्यस्त हैं।” और दो-चार मिनट बाद ही उसे अन्दर जाने को कह दिया।

“कैसे लगे हम लोग आपको ?”

“बहुत अच्छे।”

“तो हम लोग कब आये लड़की देखने ?”

“मैं घर जाकर अपने पतिदेव से मलाह कर आपको सूचित कर दूगी।”

“वैसे आप लोग क्या खर्च करना चाहेंगे ?”

“यही सत्तर-अस्सी हजार।”

“ठीक है, बहुत है हमारे लिए।”

रास्ते में शिष्य ने साश्चर्य पूछा—“भाभी जी, क्या सचमुच आपको यह रिश्ता अच्छा लगा ?”

“अरे पागल हो गये हो। मैंने उस आदमी की आत्ममुग्धता को थोड़ी और हवा दे दी है। वह कुछ दिन तक सपना देखेगा तो देखने दो।”

ऐसे अनक अनुभवों में हम गुजरे। हमारे लिए वर का उच्चपदस्थ होना जरूरी नहीं था और अंगरेजी वाला माहौल तो हम चाहते ही नहीं थे। हमारी प्रथम पसंद थी लड़का। यानी लड़का व्यक्तित्वशाली हो, अच्छे चरित्र का हो, उसमें देशी महजता हो, परिवार में सहजता हो। लड़का यदि योग्य है और कही लगा हुआ है तो आज नहीं तो कल उच्चपदस्थ हो ही जायेगा।

और जब हमें एक स्रोत से ज्ञात हुआ कि आगरा में एक लड़का है और आगरा कालेज में दर्शन विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष और जबलपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व रीडर ब्रजगोपाल तिवारी का सुपुत्र है तो मन में सहज आकर्षण भर आया और जब हम उसे देखने गये तो देखते ही लगा कि यह वही लड़का है जिसे हम पाना चाहते रहे। पत्नी और मैंने एक-दूसरे की ओर देखा और सकेतो से ही अपनी स्वीकृति का विनिमय कर लिया। वह लड़कें थे—अश्विनी तिवारी यानी हमारे वर्तमान जामाता। वे तब एफ० सी० आई० में एक छोटे पद पर काम कर रहे थे किन्तु हमें इसकी चिंता नहीं हुई। विश्वास बना कि आज नहीं तो कल कुछ बड़ी हैसियत पा जायेंगे।

बहरहाल आवश्यक औपचारिकताओं के बाद शादी तय हो गयी। काफी दिनों से अनुकूल जामाता की खोज में असफल हो रहे थे और कई बार मन बहुत उदास और खिन्न हो उठता था। अब छाती पर से यह भार हटा तो पहली बार लगा कि बेटी पराई हो रही है। एक दर्द के बाद दूसरा दर्द उभर आया। हंसती-गाती अजू एकाएक स्तब्ध हो गयी। उसकी आँखों में एक अवाकपन भर गया। खोई-खोई-सी देखती थी। बेटी के बाप और मा का हृदय भी कितना विचित्र होता है। जवान बेटी घर में अनभ्याही रहती है तो दिन-रात नींद नहीं आती। यही सोचता रहता है कि बेटी कब अपने घर आएगी और जब बेटी का अपने घर जाना तय हो जाता है तो वह चिल्लाता है—‘बेटी-

पराई हो रही है।' बचपन से लेकर अब तक उसके साथ जुड़े सुख-दुःख, प्यार और दर्द के अनन आत्मीय प्रसंग भरभराकर फूट पड़ते हैं और थरथराने लगते हैं। अपनी सक्रिय आत्मीयता से घर के वातावरण को उष्म रखने वाली बेटी धूप-सी चुपचाप सरक जायेगी और छोड़ जायेगी एक सूनापन। घर-आंगन, बरतन, कपड़े से लेकर मां-बाप के सिर तक व्याप्त बेटी की अगुलियों का स्पर्श प्राणों में बजने लगता है, आंखों में उमड़ने लगता है। चली जाएगी बेटी—एकाएक चली जायेगी और पता नहीं कहां जायेगी और बाप की आंखों की छांह, मां की छाती की ममता, भाई की बांहों का भरोसा, सखियों के साहचर्य की उमा छोड़कर जहा जायेगी, वहा क्या पायेगी, कौन जानता है ?

घर में विवाह का गीत होने लगा था। वह गीत अपनी गहरी आर्द्रता के साथ मेरे भीतर पैठ जाता था और मैं भीतर-भीतर समग्र भाव से दर्द से बज उठता था। आंखें भर-भर आती थी और मैं अपने को इधर-उधर छिपाता फिरता था।

मेरे मित्रों ने शादी का सारा पबन्ध सभाल लिया था। डा० अबनींद्रकुमार, डा० मतोष शुक्ल, डा० ज्ञानचंद गुप्त, डा० अमीर आरफी, डा० राजपाल, डा० अवध नागायण त्रिपाठी, देवदत्त आदि कितने ही मित्रों और शिष्यों ने अलग-अलग काम बांट लिए थे और पता भी नही चलने दिया कि कहां क्या हो रहा है ? डा० महीपसिंह आये बोले—“तुम तो बहुत रिलैक्सड हो। लगता ही नहीं है कि बेटी की शादी है।” बेटी की शादी मे बाप निर्जल ब्रत रखना है। यह न मेरे वंश का थान इसमें मेरा विश्वास था। बीच का रास्ता निकाला गया कि फल और रम पर आधारित व्रत रखा जाय। मैंने तहो किया। बेटी की शादी के बाद जब पत्नी ने कहा कि चलिए, खाना खा लीजिए तो मैं बोला कि खाना ता खा लिया है।

“कब ?”

“अरे, मित्रो ने कहा तो खा लिया।”

पत्नी हंसी। बोलीं—“तब व्रत रखने की क्या आवश्यकता थी ?”

“यह तो मैं भी नहीं जानता।”

विवाह ठीक-ठाक सम्पन्न हो गया।

शादी सम्पन्न हो गयी। मेरे अनेक मित्र सपरिवार रुक गये थे। उनके रुकने से अच्छा तो नग ही रहा था, शक्ति भी प्राप्त हो रही थी।

विदाई का अवसर आया। घर में धर्मशाले तक बेटी को कार में जाना था। धर्मशाले पर उनकी बम खड़ी थी, वहां से बम में जाना था। अंजु घर में विदा हो रही थी तो मैं कहीं छिपकर रोने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे विदा करने की। लोगों ने कहा—“कार के साथ धर्मशाले तक चलिए।” मैंने मना कर दिया—“मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है।”

बेटी कार से धर्मशाले पर गयी। हेमन उसे कुछ समझाते हुए साथ-साथ चलने लगे। मैंने अपने को संभाला और एक मित्र के साथ धर्मशाले पर पहुंचा। वह बस में बैठ चुकी थी। उसे देखा, उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में स्तब्धता भरी थी। मैंने आंखें हटा लीं। वह भारी जडाऊ चादर ओढ़े हुए थी। उसके पास उसकी बड़ी ननद

जो कानपुर के किसी कालेज में प्रिंसिपल हैं बँठी हुई थीं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा—
“इतनी भारी गर्मी और इतनी भारी चादर !” और बड़े प्यार से चादर उतार दी। मुझे
उनका यह सुसंस्कृत और खुला व्यवहार बहुत अच्छा लगा।

बस स्टार्ट हुई तो मैं लौटा। मेरे सामने माडल टाउन का सब कुछ वही था
लेकिन लगता था जैसे किसी ने उसके प्राण सोख लिये हों। मेरी आँखों के आगे गहरा
सूनापन बिछा था। पावों में मन-मन भर के पत्थर कूट दिये गये थे। घर आया। पत्नी ने
आँखें मिली। हम दोनों ने झटके में आँखें फेर ली और मैं अपने तख्ते पर गिरकर हवमने
लगा। पत्नी को अनेक काम निबटाने थे इसलिए वे उन कामों में अपने को खोकर
अपना दर्द समेटती रही।

शशाक चटाई बिछाकर पड़ा तो दिन-भर पड़ा ही रहा और कई दिन तक
किसी से बोला नहीं। लगना था जैसे मुन्न हो गया हो। खाना-पीना भी छोड़ दिया
था। हम मोचते रहे, मनुष्य का स्वभाव कितना जटिल होता है। प्रायः शशाक और
अंजू में लड़ाई हो जाती थी। एक बार तो शशाक ऐसा ब्रिदका कि अजू से राखी
बधवाना ही छोड़ दिया और शादी के समय तक नहीं बधवायी। जब अजू की शादी
तय हुई तो सबसे अधिक भाग-दौड़ उसी ने की। उसने और उसके मित्रों ने अथक
परिश्रम किया और जब अजू चली गयी तो वही राखी न बधवाने वाला भाई कटे
पेड़ की तरह गिरा और मुन्न हो गया। उसे देखकर डर लगने लगा। वह कुछ कदता
भी नहीं था, केवल हमें देखता था और इधर-उधर चला जाता था। कई दिनों
के बाद जब अजू लौटकर आयी तो वह प्रकृतिस्थ हुआ और बहन की खुशी में बह
चला।

हेमंत 27-28 माल के हो गए थे। उनकी शादी भी होनी ही चाहिए थी किन्तु
सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनकी नौकरी नहीं थी। समस्या यह थी कि नौकरी तो
कभी भी नहीं होगी। उन्हें तो नाटक के क्षेत्र में फ्री-लान्सिंग करनी है, कर रहे हैं किन्तु
अभी तो कुछ भी स्थिति नहीं बनी है। नौकरी या अर्जन की स्थिति न होने पर भी उम्र
का तकाजा तो था कि शादी कर दी जाए। हमने यही निर्णय लिया। गोरखपुर में आये
हुए सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया।

शादी की तिथि निश्चित हो गयी। लौटने के बाद होने वाले स्वागत-समारोह
की भी तिथि निश्चित हो गयी। निमंत्रण-पत्र छप और बट गये। पैसे देकर धर्मशाले में
स्थान आरक्षित करा दिया गया किन्तु तभी सूचना आयी कि लडकी वाले के यहां
ताबडतोड़ दो-दो मौते हो गयी। सब कुछ स्थगित हो गया। मौत के बावजूद लडकी
की शादी कहा रुकती है, उम्र होना ही होता है अतः महीने-भर बाद की तिथि निश्चित
की गयी। हा, अब उल्लास नहीं रहा। स्वागत-समारोह वाला कार्यक्रम हमने रद्द ही
कर दिया।

तब दिल्ली और गोरखपुर के बीच सीधी गाडी नहीं थी। दिल्ली से लखनऊ
बड़ी लाइन से, वहा से गोरखपुर छोटी लाइन से। इससे बहुत समय लगना था और
बहुत दिक्कत होती थी। सीधे आरक्षण नहीं मिलता था, अतः लखनऊ में टीटियों की

चांदा थी, खुले आम लूटते थे, उनकी जेबें नोटों से भरी होती थीं और कोई नहीं था पूछने वाला और अभी कौन है पूछने वाला। यदि आपके पास सामान है तो कुली लूटते थे। दोनों प्लेटफार्मों के बीच की दूरी पार कराने के लिए कुली जी कुछ भी मांग सकते थे और झख मारकर देना पड़ता था। उन पर भी रेलवे का कोई नियंत्रण नहीं था और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि आते या जाते समय मुख्यतया गोरखपुर से आने समय कनेक्टिंग गाड़ी यदि छूट गयी तो भ्रुगतिये। यदि लखनऊ से दिल्ली तक आरक्षण करा रखा है तो फिर दूमरी गाड़ी में आरक्षण मिलने से रहा।

एक बार मैं एक शादी के सिलसिले में सपरिवार गोरखपुर गया था। वहां से अलख सुबह की गाड़ी में लौट रहा था और लखनऊ में सबसे अंत में छूटने वाली गाड़ी से आरक्षण करा गया, लेकिन वह गाड़ी उस दिन कांखती-कूखती लखनऊ पहुंची तो अंतिम गाड़ी भी छूट चुकी थी। हमारे पास सामान था। किम तरह उन सामानों के साथ हम प्रतीभाल में पहुंचे, फिर चार बजे सुबह की गाड़ी में सामान चढाने के लिए कुली न मिलने पर वन्चे बारी-बारी में ढो-ढोकर ले गये और फिर कानपुर में उतरे-चढे, इन्की रमति भी हिला देती है। पूरे दो दिन लग गये थे। बहरहाल हमें आसाम मेल से कानपुर पहुंचना था और वहां में कटिहार एक्सप्रेस में गोरखपुर। कई मित्र बारात में चलन वाले थे। सबसे टिकट खरीद लिए गये थे। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि आधे लाग नहीं आये और समय से सूचना न मिलने पर हम टिकट भी वापस नहीं कर सके थे। बारात में कुछ मेरे मित्र थे (डा० महीपसिंह, डा० विनय, डा० सुधाकर शुक्ल, डा० ज्ञानचंद गुप्त) कुछ हेमंत के मित्र थे, कुछ शशाक के। हेमंत के मित्रों की अपक्षा शशाक के मित्र अधिक सक्रिय थे। वे ही काम करते थे। अत तक उनके कारण ही यात्रा की कठिनाइया आमान होती रही। मेरे जामाता अश्विनी तिवारी और पत्र विवेक भी साथ थे। मित्रों के साथ यात्रा बहुत जानंदमयी रही। हम दूसरे दिन सुबह गोरखपुर पहुंचे। हेमंत के श्वमुर श्री श्रीभागवत तिवारी का मकान और दूकान गोरखपुर शहर में है किन्तु शादी गोरखपुर से 36 मील दूर स्थित उनके गांव महुलिया में ही रही थी। अतः हमें गोरखपुर के एक होटल में चार-पांच घंटे ठहरकर बस से महुलिया पहुंचना था। गोरखपुर से अनेक साहित्यकार मित्र डा० रामचंद्र तिवारी, डा० भगवतीसिंह, डा० रामदेव शुक्ल, डा० परमानंद श्रीवास्तव साथ ही गये। रास्ते में गांव वालों के साथ मेरे बड़े भाई साहब मिल गये। महुलिया पहुंचने पर डा० त्रिवेकगय और जगदीशनागायण श्रीवास्तव मिल गये।

यद्यपि बरसाती मौसम होने के कारण दिन कभी सुहाना हो उठता था, कभी उमम में लद जाता था लेकिन इतने साहित्यकार मित्रों के कारण मरजाद का दिन आनंद से बीत गया। मझले भाई के भी कुछ कवि मित्र आ गये थे और सुबह 10 बजे जमकर कविता-पाठ हुआ, शाम को महफिल के समय भी हुआ। एक बहुत मजेदार घटना घटी। मैं तो सुबह उठकर बड़हलगंज कस्बे में स्थित लड़की वालों के सिनेमाघर चला गया। वहां अतिथिगृह में नित्यकर्म सम्पन्न कर रहा था कि भागे-भागे महीपसिंह आ

गये। आते ही बोले—“अरे यार, तुम यहा आकर छिपे हो और वहां मेरी हालत खराब हो रही थी।”

बात यो हुई कि मरजाद के दिन सुबह-सुबह नेटुआइनें (नटों की औरते) आ गयी। वे आती ही है, गाती हैं, अश्लील मजाक करती है और समझी से पैसे वमूलती है। मैं तो सुबह-सुबह सिनेमा चला आया था। वे आयी तो पूछा—समझी बाबू कहा है? कुछ लोगो ने शरारतवश महीपसिंह की ओर इशारा कर दिया। फिर क्या था, वे महीपसिंह को लेकर शुरू हो गयी। लोग आनंद लेते रहे और महीपसिंह के लिए अच्छी-खासी मुसीबत पैदा हो गयी। वे किसी तरह जान छुड़ाकर वहा से भागे और नहाने-घोने के लिए सिनेमाघर मे आ गये। मैं जब नहा-धोकर पहुचा तो तेलवान आ चुका था। यानी समझी की अनुपस्थिति मे समझी से सम्बन्धित कई कार्य सम्पन्न हो चुके थे। वास्तव मे मैं कोई औपचारिकता पाल नहीं पाता। समझी होकर भी मैं समझी के रूप मे अनुपस्थित था। जैसे ओर लोग थे, वैसे ही मैं भी था।

देहाती बारात के ये सब लुत्फ है, इनके बिना यहा की बारात क्या? मेरे मित्रो ने शायद बहुत दिनों बाद देहाती बारात का लुत्फ उठाया होगा। विवाह सम्बन्धी ठेठ देहाती गीन, औरतो की गाली आदि देहाती रस पैदा कर रहे थे। इनका अपना आनंद होता है। यह आनंद वही ले सकते है जो उस परिवेश मे जुडे हुए हो या गुजरे हो। डिस्का और गुरुकुली सम्कृति वाले भिन्न-भिन्न कारणो से इममे नाक-भौं सिकोडते है यानी एक के लिए यह गवारू और पिछडा है तो दूसरे के लिए यह फूहड और अनंतिक है। वास्तव मे ये गीत परम सास्कृतिक है। विवाह सम्बन्धी गीतो मे विवाह मे जुडी न जाने कितनी गतिविधिया, सम्बन्ध, सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ और दर्द उभर आते है। यानी ये गीत बाहरी-भीतरी यथार्थ के दस्तावेज है। औरतो की मीठी गालिया वातावरण मे रस तो घोलती ही हैं इस बात का भी द्योतन करती हैं कि इस पुरुष-प्रधान समाज मे कुछ पर्व-त्योहार दमित स्त्रियो के हृदय को खुलने का अवसर देते है। इससे वे चहारदीवारी और रूढ नैतिकता के कठोर अनुशासन मे घुटकर जीने के बावजूद स्वस्थ हो लेती है। गा-बजाकर, श्रृंगारिक भावनाओ की अभिव्यक्ति कर, हसी-मजाक कर हल्की हो लेती है और घुटन मे भी जीने की शक्ति पा लेती है।

तीसरे दिन बारात विदा हुई। उसी दिन दोपहर को हमे गोरखपुर से लखनऊ के लिए गाडी पकडनी थी और शाम को लखनऊ मे दिल्ली के लिए गाडी पकडनी थी। हेमन, माया (उनकी पत्नी) और मेरे जामाता अश्विनी तिवारी, शशाक और विवेक कां महुलिया से कार से लखनऊ पहुचना था। हेमत और माया लखनऊ से प्लेन पकडने वाले थे और शशाक, विवेक तथा अश्विनी जी सामान लेकर गाडी पर मिलने वाले थे। हम गोरखपुर पहुच गये। गाडी कुछ लेट आयी और हमारा डिब्बा गोरखपुर मे ही लगा था—ट्रेन के एकदम पीछे। ट्रेन लेट तो थी और लेट होती गयी। घबराहट के मारे बुरा हाल था लगता है। हम लखनऊ वाली गाडी छूटने के बाद पहुचेंगे। अश्विनी, शशाक और विवेक गाडी में सामान रखकर इंतजार करते होंगे और वे अलग परेशान हो रहे होंगे।

लखनऊ वाली गाड़ी छूटने में 15 मिनट बाकी थे तो हमारी गाड़ी लखनऊ पहुंची। हमारा डिब्बा पीछे था। वह छोटी लाइन के प्लेटफार्म के बाहर अंधेरे में लगा था। वहां कोई कुली ही नहीं। फिर हम सब मिलकर सामान प्लेटफार्म पर ले आये— यानी उजाने में। फिर कुलियों से बकसक। आखिर किसी तरह सामान लदवाये, हांफते-डांफते बड़ी लाइन के प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी में पहुंचे। गाड़ी छूटने ही वाली थी। अश्विनी, शशांक और विवेक बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। अब वे सामान उतारने की सोच रहे थे। हम पहुंचे तो उन्होंने भी और हमने भी राहत की एक लम्बी सांस ली।

तीसरी शादी शशांक की हुई। शशांक पढ़ाई-लिखाई से भागते रहे, किसी तरह पास होते गये और एक्सटर्नल छात्र के रूप में उन्होंने बी० काम० कर लिया। बी० काम० हो गये तो निश्चितता हुई कि चलो नौकरी की निम्नतम अहंता तो प्राप्त कर ली। थर्ड क्लास बी० काम० को कौन-सी नौकरी मिलती? लेकिन शशांक बहुत मेहनती और स्वाभिमानी लडका है। स्वाभिमान इतना कि मां-बाप से पैसा मागने में संकोच। वह इस बात का अनुभव करता था कि वह जवान हो गया है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पढ़ने में वह मेहनत में दृढ़ता था, व्यावहारिक जीवन में उतना ही मेहनती था। माल-भर विद्या विहार कालोनी के सन्दर्भ में मुद्दाकर शुक्ल का महायक बनकर अथक दौड़-धूप करता रहा। यह दूसरी बात कि उसकी सारी दौड़-धूप निरर्थक गयी। कुछ दिन तक बुकमेलिंग का काम किया। आस्था प्रकाशन नाम में एक प्रकाशन चलाने का इरादा था। मुझे उम्मीद थी कि लोग उसकी मदद करेंगे। किन्तु माल-भर बाद मुझे बिना बताये वह बैठ गया। मैंने पूछा तो झल्लाकर बोला—“मैं नहीं करता यह घटिया काम।”

“घटिया?”

“हां, घटिया।”

फिर अपने अपने अनुभव मुनाये। हिन्दी विभाग के जो लोग पुस्तक-क्रय के समय पुस्तक-विक्रेता या प्रकाशक से कमीशन खाते हैं वे यह जानकर कि मेरा पुत्र है कमीशन नहीं मांगते थे और नहीं मांगते थे तो पुस्तक क्यों खरीदें—बहाने बना देते थे। कुछ लोग उमे मेरा पुत्र जानकर अतिरिक्त उत्साह दिखाने थे, पुस्तक खरीदते थे और प्रस्ताव रखते थे कि प्रकाशन खोलते ही मेरी पुस्तक छापना। और भी न जाने कितनी बातें थी। दिन-रात दौड़ना सो अलग। व्यवसाय उसकी रुचि नहीं मजबूरी थी। इसी व्यवसाय में वणिक् वृत्ति के लोग न जाने कितना कुछ अशोभन झेलकर अपना कारोबार खूब बढ़ा लेते हैं किन्तु मेरे परिवार में व्यावसायिक वृत्ति का संस्कार पैदा ही नहीं हुआ इसलिए व्यापार में किमी बच्चे की रुचि ही नहीं हुई। लेन-देन, मीदंबाजी और उससे जुड़ी मानसिकता तथा अनेक गतिविधियों से गुजरना मेरे घर में किसी को रास नहीं आता।

डा० नगेन्द्र के कहने से श्री रामनिवास जाजू ने उसे बिड़ला की बल्ब कम्पनी ई० सी० ई० में लगा दिया। उसकी नियुक्ति सोनीपत में हुई। वह रोज उत्तम नगर

से सोनीपत जाता था और आता था। इतना होता तो भी कोई बात नहीं, वह तो 24 घंटे का नौकर बना दिया गया था। उसके बाँस अग्रवाल उसे इकहा घोड़े की तरह वक्त-बेवक्त दौड़ाया ही करते थे। उसे शाम को गुडगाव भेज देते थे और वह वहा से 12-1 बजे रात को घर लौटता था। उनके शोषण के दबाव से एक दिन वह आफिस में ही बेहोश हो गया। फिर अग्रवाल ही अपनी गाडी में लादकर घर छोड़ गये। मैं था नहीं। पत्नी ने गुस्से में कहा, “अग्रवाल कम्बन्धन मेरे लडके का खून पी गया।”

“बदा ही अग्रवाल है।” अग्रवाल ने कहा। पत्नी कुछ बोली नहीं, उन्हें इस नजर से देखती रही, ‘अच्छा तू ही अग्रवाल है।’

एक दिन मैं डा० दशरथ ओझा के साथ श्री रामनिवास जाजू स मिला। हालांकि लडके ने मना किया और कहा कि वे लोग मम्बन्धी हैं और सारी बातें जाजू जी की जानकारी में होगी तो भी जी नहीं माना। जाजू जी कवि हैं और साहित्यकार के नाते ही उनसे परिचय था और इसी अधिकार में उनके पाम गया था। उनसे अपने बेटे की व्यथा सुनाई। उन्होंने मुझे कर्मठता का उपदेश देना शुरू किया और अपनी कथा सुनाई कि उन्होंने कितने परिश्रम में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उनके तिवक्त स्वर से लगा कि उन्हें फर्म के किसी अधिकारी (और वह भी मम्बन्धी) की शिकायत अच्छी नहीं लगी बल्कि खराब लगी। मैं उन्हें अपने ढंग में मेहनत और शोषण का अन्तर समझाता रहा और यह बताने की वाशिष्य करता रहा कि मेरे लडके से जो दिन-रात काम लिया जा रहा है वह मेहनत नहीं शोषण है। लेकिन जाजू जी को यह अंतर समझा नहीं सका। कवि होने के बावजूद वे मूलतः उद्योगपति परिवेश के हैं और उद्योगपति यदि श्रम और शोषण का अन्तर समझ ल तो समाज को विपमताएँ काफी कम हो जाये। नयी नौकरी के लिए बहरहाल शशाक का प्रयत्न जारी रहा। जब तक उसे ठीक-ठाक नौकरी नहीं मिल जाती वह चैन नहीं लगा। कुछ दिनों बाद आई० एस० आई० (मानक भवन) में उसकी नौकरी लग गई और उसने ई० सी० ई० कम्पनी को सूचित किये बिना जवाइन कर लिया। जाजू जी न जो व्यवहार किया था उसे देखते हुए सूचित करने की ‘कर्टसी’ की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

यह नौकरी ठीक थी किन्तु शशाक का मन अभी ठहरा नहीं था। वह लगानार बैंक की नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा था और एक दिन मफल हो ही गया। दिल्ली जोन के भारतीय स्टेट बैंक में उसकी नियुक्ति हो गयी। और अब समझा गया कि शादी का उपयुक्त अवसर आ गया है। लडकी वाले आने लगे। शशाक की शर्त थी कि लडकी नौकरी में हो और हमारी शर्त थी कि लडकी सुन्दर हो और कद ठीक-ठाक हो। हमने अनुभव किया कि मनपसंद लडकी खोजना ज्यादा कठिन काम होता है। लडकी वाला तो लडके की खोज में यहाँ-वहाँ जा सकता है और आसानी से नापसंद कर सकता है यानी नापसंद होने पर वहाँ नहीं जाएगा किन्तु यदि लडके वाला लडकी खोजता है तो लडकी वाले सोचते हैं कि लडके में कोई खोट होगी तभी यह स्वयं लडकी खोज रहा है यानी लडके वाले इसके यहाँ नहीं जा रहे हैं।

हमारी पसंद की लडकी नहीं मिल रही थी। यदि नौकरी वाली मिलती थी तो

शकल-सूरत से भाषाजस्लाह होती थी और शकल-सूरत से ठीक होती थी तो नौकरी में नहीं, या नौकरी वाली योग्यता नहीं। हमने शशाक को राजी कर लिया कि नौकरी पर जोर न दे। नौकरी वाली अहंता भी फिलहाल काफी है। लडकी वालों से हमने कह रखा था कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी पसंद की लडकी हो। पढे-लिखे लोग भी यदि इतनी सीधी-मच्छी बात नहीं ममझ पाते तो क्या किया जाये? कई लोगों ने बहुत प्रशंसा कर-करके अपनी पुत्रिया दिखाई और हम दुखी हो गये। पहली लडकी को देखने शशाक गये थे। वहा से लौटकर बहुत झल्लाये और कहा—“आप लोग पसंद कर लीजाए, मुझे साथ ले चलेंगे तो जो भी कानी-कूबडी मिलेगी, ‘हा’ कह दूंगा। मुझसे न लडकी देखी जाती है न ना करते बनता है। आप लोग जो पसंद करेंगे मुझे स्वीकार्य होगा।” इससे हम लोगों की कठिनाई बढ गयी। हेमन अपनी शादी में पहले गोरखपुर जाकर अपनी पत्नी देख आये थे और हरी झडी दिखा दी थी इसलिए इस सम्बन्ध में हमें कुछ करना ही नहीं था किन्तु यहा तो लडके ने सारा भार हमारे ऊपर ही डाल दिया। लडकी को अस्वीकार करने की पीडा उसी की नहीं थी, हमारी भी थी। हम नहीं चाहते कि किसी लडकी को देखकर ना कहे। लडकी वैसे ही इस पुरुष-प्रधान समाज में उपेक्षित अनुभव करती है और विवाह को लेकर न जाने कितने सपने उसके मन में उगते रहते हैं और लडके वाले झटके से तोड़ते रहते हैं और ऊबकर मा-बाप भी उसे कोसने लगते हैं, अभागिनी-कुलच्छिनी समझने लगते हैं इसलिए इस अर्थ में हम बहुत सवेदनशील हैं। हम लडके के वे मा-बाप नहीं हैं जो अपने थोथे अहम की तृप्ति के लिए लडकियों को बाजार में बिकने वाले गाय-बैल की तरह देखते हैं और बडी आसानी से ‘ना’ बोल देते हैं। लडकी देखकर अस्वीकार करने में अपने को न जाने कितना मारना पडता है इसलिए हम लडकी वालों में जोर देकर कहते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी पसंद की लडकी चाहिए और लडकी वाले हमें पूरा आश्वस्त करके बल जात थे और लडकी देखते ही हमारी परेशानी बढ जाती थी। लडकी ठीक हमारी पसंद के विपरीत होती थी; एक बार तो अपना नुंग हल हो गया। एक मित्र के साथ भी यही बात घटी। लौटकर हम लोग सोचने लगे कि उनसे क्या कहे? इसी सोच में हम पति-पत्नी बीमार पड गये। वे घर आये। पत्नी बडी हिम्मत करके नापसंदगी की बात कह सकी। परेशानी यह थी कि लडकी देखे बिना कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता था। फिर हम लोगों ने लडकी इस शर्त पर देखनी शुरू की कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं, लडकी हमें पसंद होगी तो हम स्वयं सूचित कर देंगे। इस शर्त को मानने के बावजूद लोग पूछते थे। उनका पूछना भी स्वाभाविक था और हमारा परेशान होना भी। आखिर इस परेशानी का अन्त हुआ और शशाक की शादी दिल्ली के बिहारीपुरा कालोनी में श्रीकृष्ण देव त्रिपाठी के यहां हो गयी।

पहली बहू माया जब घर आयी थी तो मैंने आते ही कह दिया था कि इस घर में बहू-ससुर-सास की औपचारिकता नहीं चलेगी। तुम इस घर की बेटी की तरह रहोगी। इससे मुझे भी सुख मिलेगा और तुम्हें भी। औपचारिकता मेरे और तुम्हारी सास के स्वभाव में ही नहीं है और यदि हम चाहें तो भी दो कमरों के मकान में वह निभ

नहीं सकती। माया मेरी बात समझ गयी इसलिए खान-पान, रहन-सहन, उठने-बैठने में कहीं कोई वर्जना नहीं रही। यही बात मैंने दूसरी बहू रीता से भी कही और वह भी समझ गयी और वह भी घर की लडकी जैसे सहज आचरण से गुजरने लगी। हम इस अर्थ में सौभाग्यशाली है कि दोनों बहुएं पढ़ी-लिखी होकर भी सीधी-सादी और धरेलू हैं, सुसंस्कृत और सभ्य है।

विवेक भी शादी के योग्य हो गये है किन्तु अभी तो पढ रहे है। बी० काम० करने के बाद कम्पनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स शुरू किया। साल-भर बाद उसके साथ ला शुरू किया लेकिन लगता था कि उनका मन नहीं लग रहा है। कालेज के दिनों में भी वे कई बार पटरी से उतरे थे और हमें चिंतित किया था इसलिए अगनी प्रतिभा के अनुकूल वे डिग्रीजन नहीं पा सके। अब लगा था कि कम्पनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स करके कही लग जायेगे, आर्थिक दृष्टि से रवयं तो निश्चित होंगे ही, मुझे भी निश्चित करेंगे, लेकिन उनकी भटकन दूर नहीं हुई और बड़े भाई साहब के प्रभाव से नाटक की ओर झुकने लगे। बड़े भाई साहब की आर्थिक स्थिति का हस्त देख चुका था और देख रहा था। मैं नहीं चाहता था कि एक बेटा और जीवन-भर आर्थिक अनिश्चितता का शिकार बने किंतु मैं कर क्या सकता था? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर उनके चरण बढ रहे थे। एक बार असफल हुए, दूसरी बार सहज ही अपनी प्रतिभा के बल पर प्रवेश पा गये। लगता है यही इनका सही रास्ता था क्योंकि इस रास्ते पर एक बार चले तो पूरी तन्मयता से चलते गये। यह क्षेत्र उन्हें इतना अधिक रास आया कि उसकी गहराई में डूबते चले गये और शिक्षा तथा अभिनय दोनों ही क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता सिद्ध कर दी। यह उनका तीसरा वर्ष है। यहां से निकलने के बाद वे क्या बनते है यह तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल तो हम अच्छी सभावना से आश्वस्त है। पाचवी सतान वेटी स्मिता अपने पथ पर ठीक ही चलती रही। इसे लडको के विपरीत सदा अपने सही पथ पर ही पाया। यह नहीं है कि वह आख मूदकर एक ही रास्ते पर चलती रही। अपने मुख्य मार्ग पर तन्मयता से चलते हुए भी उसने दूसरे रास्तों की उपेक्षा नहीं की। वह बास्केट बाल की खिलाडी भी रही और दिल्ली राज्य के दल का कई बार प्रतिनिधित्व किया। विविध प्रकार के ज्ञान के प्रति भी जागरूक रही। एक ओर साहित्य के प्रति गहरा समर्पण है तो दूसरी ओर राजनीति, फिल्म आदि के सामान्य ज्ञान के प्रति सचेत रही। खेल-कूद की दुनिया से तो उसका सरोकार गहराता ही गया। वह अब खेलती तो नहीं किंतु खेल की पत्रकारिता जरूर करती है।

मार्ग छोड़ते रहने और अपने मुख्य मार्ग पर चलते हुए अन्य मार्गों से भी जुड़ा रहने की कोशिश करते रहने में अंतर होता है। हेमंत और विवेक मार्ग छोड़ते चलते रहे और अंत में उन्हें अपना मार्ग मिला। स्मिता शुरू से ही लिखाई-पढ़ाई और बाद में हिन्दी साहित्य की लिखाई-पढ़ाई के मार्ग पर चली और अब तक चल रही है किन्तु उसने साहित्य के अध्ययन के साथ अनुवाद कोर्स भी किया और हिन्दी साहित्य के अनेक छात्रों की तरह उसने साहित्य की धोट नहीं लगायी, उसे समझने की चेष्टा की। उसने पुस्तकालय की अनेक उच्चस्तरीय पुस्तकों का सहारा लेकर अपने नोट तैयार

किये और अपना सारा समय साहित्याध्ययन को ही न देकर अन्य प्रकार के ज्ञानार्जन को भी दिया। इस प्रक्रिया में वह परीक्षाओं में अंकों की अपेक्षित ऊंचाई नहीं छू सकी। मैट्रिक, बी० ए० और एम० फिल० में उसने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, यू० जी० सी० की जूनियर स्कालरशिप भी उसे मिली किन्तु एम० ए० में हम सबकी आशा के विपरीत 58½% पर अटक गयी लेकिन इस बात से हमें संतोष है कि उसके व्यक्तित्व का ठीक विकास हुआ। उसका ज्ञान-क्षेत्र सरल-सपाट नहीं, वर्तुल बना। उसमें आत्मविश्वास है, अपने भविष्य के प्रति विश्वास है, गहरी मानवीय संवेदना और करुणा भाव से युक्त इस लडकी में अन्याय के प्रति रोष है, नारीसुलभ गहरी सौन्दर्य-रुचि के साथ-साथ पुरुषसुलभ लापरवाही भी है और संभवतः इसीलिए उसने एम० फिल० में भवानी-प्रसाद मिश्र के काव्य-संग्रह गीत फरोश पर लघु-प्रबन्ध लिखा और पी-एच० डी० के लिए आंचलिक उन्नयन को चुना।

और शादी? उसे अपनी शादी की अपेक्षा अभी कृष्ण बनने की चिंता है किन्तु हम तो मां-बाप हैं न, हमें तो उसकी शादी की भी चिंता होगी ही।

78

गोरखपुर मेरा अपना गृह नगर है। इस नगर से मेरा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहा। मेरी सारी पढाई या तो गांव में हुई या ढरमी में या बरहज में या वाराणसी में। गोरखपुर से मेरा कोई वास्ता बना नहीं, फिर भी यहां-वहां मिलते-मिलाते और कभी आते-जाते वहां के नये साहित्यकारों से सम्बन्ध बन गया था जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। वैसे यह शहर साहित्यिक दृष्टि से इस मायने में बड़े महत्त्व का रहा कि यहां से दशरथप्रसाद द्विवेदी ने 'स्वदेश' पत्रिका निकाली थी, प्रेमचंद यहां नामल स्कूल में अध्यापक रहे थे और अपना काफी महत्त्वपूर्ण लेखन यहां किया था। फिराक साहब भी यहां के थे। उर्दू के आलोचक मजन् गोरखपुरी भी यहीं के थे। रामाधर त्रिपाठी 'जीवन' भी इस शहर में थे किन्तु कुल मिलाकर यह शहर नये साहित्य के क्षेत्र में चर्चित नहीं रहा। यानी नये लोगों में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं उभर रही थी जिसकी ओर ध्यान जाता। पंडित विद्यानिवास मिश्र के कुछ निबंध छप रहे थे किन्तु यशस्वी तो वे आगे चलकर हुए।

शादी के बाद इस शहर में मेरा आना-जाना शुरू हुआ और यहां के साहित्यकारों के साथ उठना-बैठना होने लगा। विद्याधर द्विवेदी विज्ञ तो मेरे मित्र ही थे और उनकी चर्चा भी कर ही चुका हूं। नयी पीढ़ी में कुछ लोग उभरने लगे थे। रामसेवक श्रीवास्तव, भगवानसिंह और परमानंद श्रीवास्तव ये तीन छात्र साहित्यकार साथ रहते थे और हम तीन मित्र के तर्ज पर विकास का सामूहिक संघर्ष कर रहे थे। रचना-कर्म

के साथ परमानंद श्रीवास्तव पत्रिकाओं में लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे और स्थापित लेखकों की प्रशंसाएं कर-करके उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। गोरखपुर आने पर इन लोगो से भेंट होती थी और इनकी कविताएं भी सुनने का अवसर मिलता था। उसी समय या कुछ आगे-पीछे और कई साहित्यकार उभरे और उनसे मेरा परिचय हुआ। वे थे हरिहरसिंह, जगदीश नारायण श्रीवास्तव, गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव, देवेन्द्रकुमार, श्यामकिशोर मिश्र, माधव मधुकर आदि। गोरखपुर जाने पर इनसे अवश्य भेंट होती थी—कभी अलग-अलग, कभी गोष्ठियों में। जगदीश और गिरीश जी को तो मेरे साहित्य से बहुत लगाव था। वे मेरी जो रचनाएं पसंद करते थे उनकी अकुठ भाव से चर्चा करते थे। मेरी रचनाओं के प्रति उनकी यह अकुठ आत्मीयता व्यक्तिगत सम्बन्धों में बदलती गयी और वे दोनों आज मुझे और मेरी रचनाओं को बेहद प्यार करते हैं। इन लोगो ने मेरी रचनाओं पर काफी कुछ लिखा भी।

गोरखपुर में विश्वविद्यालय बन गया था जिसमें शुरू में कालेजो के प्राध्यापको की ही भर्ती हुई थी किन्तु बाद में धीरे-धीरे बाहर से भी लोग आने लगे थे। इसी प्रक्रिया में डा० रामदेव शुक्ल और विश्वनाथप्रसाद तिवारी आये थे। विश्वनाथप्रसाद तिवारी से परिचय पहले हुआ, रामदेव शुक्ल से बाद में। विश्वनाथ जी से कभी-कभी भेंट हो जाती थी और यह मालूम पड गया था कि वे कविताएं लिखते हैं किन्तु कोई विशेष बाह्य नहीं हुई। काफी दिनों बाद जब वे बेतियाहाता में मकान बनवाकर आ गये तो इनमें भेंट होने लगी। विश्वनाथ जी कविता और आलोचना के क्षेत्र में धीरे-धीरे उभरते गये। वे परमानंद जी से काफी जुड़े हुए थे किन्तु अच्छा हुआ कि वे शुरू से ही अपन मार्ग पर चले और उनकी अपनी पहचान बनती गयी।

रामदेव शुक्ल की कुछ कथा-रचनाएं पत्रिकाओं में पढी थी किन्तु उनमें कभी भेंट नहीं थी। तब वे देवरिया में थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बालकृष्ण राव ने एक दिन मुझसे कहा कि मैंने हिन्दी विभाग में रामदेव शुक्ल नाम के एक बहुत प्रतिभाशाली युवक की नियुक्ति की है। वह पहले देवरिया के किसी कालेज में था। सभी से मुझे रामदेव से मिलने की इच्छा थी और जब मैंने अपने भतीजे के द्वारा सुना कि रामदेव जी मुझसे मिलना चाहते हैं और वे मेरे साहित्य के अच्छे पाठक हैं और उसे पसंद करते हैं तो उनसे मिलने की इच्छा प्रबल हो गयी। उनसे भेंट हुई और एक ही भेंट में हमारे देहाती सत्कारों ने हमें एक-दूसरे का बना दिया। धीरे-धीरे हमारे सम्बन्ध गहराते गये। रामदेव जी अनेक उपन्यासों के प्रणेता, रचनाकार हैं, आलोचक हैं, विद्वान् हैं लेकिन देहात उनके व्यक्तित्व और रचना की टेक है। देहात के सम्बन्ध से ही शायद वे मुझे और मेरी रचना को प्यार करते हैं।

वैसे तो हिन्दी विभाग के सभी लोगों से मेरा अच्छा-खासा परिचय था, किन्तु डा० रामचन्द्र तिवारी के साथ उठने-बैठने में मुझे ज्यादा अपनापन महसूस होता था। वे बेतियाहाता में ही रहते हैं, मेरी ससुराल से थोड़ी ही दूर पर। उनके यहां आसानी से पहुंच जाता था और उनसे सहज संवाद बन जाता था। तिवारी जी विद्वान् हैं, नये-पुराने सभी का उन्हें अच्छा ज्ञान है और उनमें अपने ज्ञान के प्रति न तो दंभ है, न

दिखावा। जो जानते हैं, जो सही मन से अनुभव करते हैं और सोचते-विचारते हैं उसे ही वे प्रस्तुत करते हैं। वे विनयशील हैं और बहुत आदर-भाव से अपने अग्रजों के अनुदान को स्वीकार करते हैं। सबको नकारकर अपनी लघुता में एँठे चलने वाले तमाम नये लोगो का छिछोरापन उनमें नहीं है। उनकी निश्छलता और सादगी मेरे लिए आकर्षण का विषय रही है।

गोरखपुर में मैं नहीं रहा किंतु गोरखपुर सदा मेरे साथ रहा। गाव की जमीन तो मेरे साथ ही चलती रही, गोरखपुर शहर भी किमी-न-किमी रूप में मुझमें जुड़ा रहा। यदि गाव की जमीन मेरे कई उपन्यास, कविताएँ, निबन्ध और कहानियाँ बनकर मेरे भीतर में फूटी तो गोरखपुर शहर 'अपने लोग' उपन्यास में रूपांतरित हुआ। अहमदाबाद में काफी दिनों तक रहा तो वहाँ की जमीन भी मुझसे जुड़ी और उसने 'दूसरा घर' का रूप धारण कर लिया। मुझे हमेशा लगता रहा कि अपनी जमीन और मूर्त परिवेश को छोड़कर रचना बन ही नहीं पाती। उनके बिना मेरी रचना की पहचान ही नहीं बन पाती। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस गोरखपुर शहर में चर्चित हो जाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त कर लेने वाले कई चालाक रचनाकारों (जो किसी गाव या कस्बे में आये हैं) की रचनाओं में कहीं यह शहर या गाव या कस्बा दिखाई ही नहीं पड़ता। इसके दो ही कारण हो सकते हैं— 1. आधुनिकतावाद के फैशन में पड़कर इन्होंने किसी आधार पर न ठहरे हुए अरूप सार्वभौम सत्य की अभिव्यक्ति करनी चाही जिसे उन्होंने अपने अनुभव से नहीं, पश्चिमी साहित्य और उसमें प्रभावित अपने यहाँ का साहित्य पढ़-पढ़ाकर प्राप्त किया। 2. इनकी अपनी कोई जमीन बनी ही नहीं। ये जिस किसी परिवेश में जिये उसमें असम्पृक्त होकर अपने लिए जिये। इसलिए जब उन्हें छोड़कर दूसरी जगह गये तो उनका कोई भी संस्कार या प्रभाव अपने साथ नहीं ला सके। अपनी आलोचनाओं में भी ये लाग जमीन वाली और बेजमीन वाली रचनाओं में फर्क नहीं कर सके और आलोचना के नाम पर मोहक शब्दों का जाल फैलाते रहे।

लेकिन गोरखपुर में नयी पीढ़ी के अनेक रचनाकार ऐसे थे जो भले ही चर्चा के केन्द्र में आने के कौशल से वंचित होने के कारण अचर्चित रह गये किंतु उनकी रचनाओं में गोरखपुर है। उनके अपने गाव-गिरांव या कस्बे हैं और उनके माध्यम में वे बृहत्तर मानवीय सत्य तक पहुँचना चाहते हैं। रचना का सही मार्ग यही है, वह आपको कहां तक पहुँचाता है यह आपकी प्रतिभा और साधना पर निर्भर करता है। अपनी जमीन छोड़कर मानवीय सत्यों को पाया ही नहीं जा सकता और जमीन छोड़कर मानवीय सत्यों को पाने के लिए बौद्धिक फितरत करने वाले लोग रचना के रास्ते पर ही नहीं होते, वे एक बिंदु पर खड़ा होकर कुछ देर के लिए शब्दों के कौशल से रचना का एक विभ्रम पैदा कर सकते हैं।

रामदेव शुक्ल, विश्वनाथप्रसाद तिवारी, गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव, जगदीश-नारायण श्रीवास्तव, हरिहर सिंह, देवेन्द्रकुमार और कई लोग अपनी-अपनी प्रतिभा और साधना के बल पर उपलब्धि के भिन्न-भिन्न पड़ावों तक पहुँचे और पहुँचेंगे लेकिन

उपलब्धि के वैषम्य के बावजूद इनमें एक समता है कि ये अपनी जमीन से जुड़े रचनाकार हैं। डा० रामचन्द्र तिवारी अपनी जमीन और विरासत से जुड़े आलोचक हैं।

यशस्वी निबन्धकार और पंडित विद्यानिवास मिश्र न जाने कब से बाहर हैं लेकिन पकड़डोहा उनसे नहीं छूटा, गोरखपुर नहीं छूटा, अपनी समृद्ध विरासत उनसे नहीं छूटी। वे गोरखपुर में न रहकर भी सही अर्थों में गोरखपुर के हैं, इसी अर्थ में मैं भी गोरखपुर का हूँ। विद्यानिवास जी और मेरी जमीन भी एक ही है। हमारे गांव सटे हुए हैं। एक गांव, जिला और उससे जुड़ाव की प्रवृत्ति के कारण हम भौगोलिक रूप से दूर-दूर रहते हुए भी समीपता अनुभव करते रहे। पंडित जी का सबंध-संसार बहुत बड़ा और बहुआयामी है। उस संसार में मैं भी कहीं हूँ लेकिन ठेठ उनके गांव के आदमी की तरह, उनके गंवई महपाठी की तरह और एक जमीन से जुड़े लेखक की तरह। इसी घरातल पर मुझे उनका स्नेह और आत्मीयता प्राप्त है।

जमीन का जुड़ाव एक गहरे सम्बन्ध-सूत्र की रचना करता है इसलिए गोरखपुर में मेरा साहित्य उनके द्वारा बड़ी उष्मा के साथ अपनाया गया जो गोरखपुर की जमीन से जुड़े हैं किंतु दूसरी तरह के लोगो के लिए मैं साहित्य के परिदृश्य से अनुपस्थित ही नजर आया।

जो भी हो, अब गोरखपुर नये साहित्य की दृष्टि से चर्चा के भीतर आ गया है। इसका कारण साहित्यिक प्रतिभाएं तो है ही, पत्रिकाएं भी है। कुछ साल पहले काफी दिन तक लालबहादुर वर्मा द्वारा सम्पादित 'भगिमा' पत्रिका निकली जिसने विशेषतया देश-भर के जनवादियों का ध्यान आकृष्ट किया। अब कई वर्षों से डा० विश्वनाथप्रसाद तिवारी के सम्पादन में 'दस्तावेज' निकल रहा है जिसने दलमुक्त होकर रचना और आलोचना प्रकाशित की और उपलब्धि की स्तरीयता प्राप्त की। मदनमोहन 'नयी रचनाएं' निकाल रहे हैं जो नवोदित प्रतिभाओं के आकर्षण का केन्द्र है। देवरिया से 'अंचल भारती' का प्रकाशन भी एक सुखद घटना है। इस पत्रिका के प्रकाशन के क्रम में श्री जयनाथ मणि त्रिपाठी मुझसे मिले और मुझे सलाहकार सम्पादक बनाया। यह पत्रिका अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद इस मायने में महत्त्वपूर्ण है कि वह खुली हुई है, उसमें पूर्वांचल की गंध भी सुरक्षित है और धीरे-धीरे वह देश के साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट करने लगी है। इस पत्रिका के माध्यम से जयनाथ मणि और देवरिया के साथ मेरे बहुत आत्मीय सम्बन्ध बने।

रहा था तभी ज्ञात हुआ कि इंदिरा जी को उनके अंगरक्षकों ने गोली मार दी है। वे अस्पताल में हैं। धीरे-धीरे यह आवाज भी उठ रही है कि वे दिवंगत हो चुकी हैं लेकिन अभी घोषित नहीं किया जा रहा है। त्रिवेणी सभागार से यूनिवर्सिटी जाकर मुझे क्लास लेनी थी और लेकर फिर आना था। मैं क्लास लेने गया किन्तु वातावरण बेचैन-सा लग रहा था। मैं वहां से त्रिवेणी सभागार न जाकर घर को लौट पड़ा। रास्ते में स्थिति की गंभीरता पर विचार करने लगा और डरने लगा—पता नहीं यह घटना क्या-क्या गुल खिलायेगी।

शाम को इंदिरा जी के देहावसान की घोषणा हो गयी और वातावरण में एक गहरी उद्विग्नता छा गयी। तरह-तरह की बातें होने लगीं। इंदिरा जी के अंगरक्षक सिख थे और चर्चा यही थी कि उन्होंने ही गोली चलायी है। इस बात की भर्त्सना होने लगी कि अंगरक्षक ही भक्षक बन गये। कितना घृणित और मूल्यहीन काम है यह। चूक दोनों अंगरक्षक सिख थे इसलिए लोगों ने बड़ी आमानी से सारी सिख कौम को अपनी भर्त्सना की लपेट में ले लिया। इसके साथ पिछली कई बातें जुड़ गयीं। आतंकवादी सिख हैं जो खानिस्तान चाहते हैं और निरीह लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं। वे भिडरावाला के नेतृत्व में पवित्र स्वर्ण मंदिर को हथियारों का जखीरा बना रहे हैं। सरकार की मजबूरी यह थी कि वह स्वर्ण मंदिर में पुलिस या सेना नहीं भेज सकती थी। स्वर्ण मंदिर के घर्माघिकागी इन गतिविधियों को रोक नहीं पा रहे थे। अंत में इंदिरा जी को स्वर्ण मंदिर में सेना भेजनी पडी। भिडरावाला मारे गये और वहां से आतंकवादियों को निकाला गया।

पवित्र स्वर्ण मंदिर में सेना के प्रवेश ने सिखों की आत्मा को चोट पहुंची। कुछ सिख सैनिक सेना छोड़कर चले आये। यहां-वहां कई शहरों में थोड़ी अशांति उत्पन्न हुई। इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने अबसर पाकर इसी गुस्से के फलस्वरूप उन्हें गोली से भून दिया और एकाएक पूरी सिख कौम लाठन की गिरफ्त में आ गयी। मुझे लगातार कुछ घटित होने का डर सता रहा था। दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे के आसपास हम लोग अपनी छत पर खड़े थे कि देखा आर्यसमाज रोड से शोर करती हुई भीड़ चली आ रही थी। तब मकान बहुत थोड़े बने थे इसलिए अपनी छत पर में हम दूर-दूर के भी दृश्य देख लेते थे। देखा कि गुरुद्वारे में कई लोग ईंट-पत्थर लिए खड़े हैं। दो-एक व्यक्ति तलवार लिए पैंतरे बदल रहे हैं। जाहिर था कि ये लोग भी आशंकित होकर अपनी सुरक्षा के लिए तैयार थे। देखते-देखते दोनों पक्षों में भिड़न्त हो गयी। गुरुद्वारे में कम ही लोग थे इसलिए देर तक प्रतिरोध नहीं चल सकता था। भीड़ ने ईंट, पत्थरों तथा लाठियों से गुरुद्वारे का बोर्ड तोड़ दिया, अंदर घुसकर पंखे तोड़ दिये। अब हमें लग गया कि दंगा शुरू हो गया। वाणी विहार में कई सिख परिवार थे। हमें उनकी चिंता सताने लगी। हम (पति-पत्नी) दरवाजे पर आकर खड़े हो गये। हमारे दरवाजे से होकर भीड़ एक सिख परिवार की ओर बढ़ने लगी। भीड़ में बच्चे, किशोर और युवक ही ज्यादा थे बल्कि वही थे। पत्नी ने उन्हें प्यार से रोका, "बेटा, उधर कहां जा रहे हो? बहुत हो गया! अब लौट जाओ।"

“नहीं, आंटी जी, आप नहीं जानती ये लोग बहुत मनबढ़ हो गये हैं। हमारे प्रधानमन्त्री तक को नहीं छोड़ा।”

“नहीं बेटे, ऐमा नहीं मोचना चाहिए। दो-चार लोगों के कारण पूरी कीम पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। अब बताओ यहां जो सिख रह रहे हैं उन्होंने क्या अपराध किया है जो तुम लोग उनके जान-माल के पीछे पड़े हो। करे कोई मरे कोई।” मैने कहा।

भीड कहा कोई तर्क मुनती है लेकिन पत्नी के बार-बार समझाने पर कुछ युवकों ने कहा—“अच्छा आंटी जी, बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाइये।”

“बेटे, पानी तो सबको पिलाऊंगी, तुम्हारी आंटी जो हू लेकिन आंटी की बात मानकर तुम लोगो को यही से लौट जाना पड़ेगा।”

“ठीक है आंटी जी।”

और वे मचमुच पानी पीकर लौट गये। यह तात्कालिक रेला तो लौट गया लेकिन विपत्ति तो नहीं लौटी। हमें लग गया कि अब अधिक सुनियोजित ढंग में कुछ होगा। अभी तक तो कुछ लडकों का स्वाभाविक रोप था। समय बीतने के साथ अफवाहें गरम होती गयी और चारों तरफ में कुछ अवटिन होने के समाचार आने लगे। टी० वी० इंदिरा गांधी के शत्रु के आसपास उठने दुख और क्षोभ के वातावरण को उभार रहा था। नेता लोग उमी परिवेश में डूबे हुए थे और इधर शहर में (और लगभग पूरे देश में) अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। यह भी सुनने में आ रहा था कि अमुक-अमुक नेता ने इस अराजकता को हवा दी है, पुलिस भी निष्क्रिय है।

हम लोगो ने बाणी विहार-विकास-समिति की बैठक बुलायी। मैं समिति का अध्यक्ष था, अतः मेरा दायित्व था कि इस स्थिति में निबटने के लिए लोगों में मलाह-मशविरा करूँ। तय हुआ कि रात को पहरा दिया जाये। पहरेदार तो या ही किन्तु उससे क्या होता? आठ-आठ, दस-दस आदमी बारी-बारी में रात-भर पहरा दें। श्री के० के० तिवारी प्रधान मन्त्रि थे। उनके यहां लोग जमा होते थे। नवम्बर शुरू हो गया था, ठंडक पड़ने लगी थी। लोग सड़क पर अलाव जलाते थे। चाय बनती रहती थी, रेवड़िया भी रखी रहती थी। थोड़ा गरम होकर लाठी लिए हुए चक्कर काट आते थे। हमारे मोहल्ले में और आसपास कई मिख परिवार थे। हममें तो बेहद भाईचारापन था किन्तु दंगों में मोहल्ले के लोग आपस में थोड़े मार-काट करते हैं। वे तो एक-दूसरे के सम्बन्धों के रस में भीगे रहते हैं और वे नजदीक से अनुभव करते हैं कि जाति या सम्प्रदाय कोई हो, सभी लोग मनुष्य ही होते हैं। उनके दुःख-दर्द, हर्ष-उल्लास समान ही होते हैं, सबकी रंगों में एक ही रक्त बहता है। जाति या सम्प्रदाय कोई हो, कोई मरता है तो पत्नी विधवा होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, बूढ़े मा-बाप की आंखों में अफाट अंधकार पहाड़ की तरह जम जाता है। परिवार के लोगों के सामने ही परिवार के लोगों का बारी-बारी कल होता है, औरतों के साथ व्यभिचार होता है और लोग तड़पते हुए असहाय से खड़े रहते हैं या अपनी बारी का इंतजार करते हैं। क्या यह यातना किसी एक जाति, सम्प्रदाय या वर्ग की यातना है? नहीं, सबकी है किन्तु जब हम पर पड़ती है तो वह यातना यातना लगनी है। जब हम दूसरों पर यह यातना डालते हैं तब हमारे लिए वह

मनोरंजन बन जाती है। मानवीय यातना का यह सूत्र कम-से-कम पड़ोसियों को बांधे रहता है क्योंकि हम एक-दूसरे को मनुष्य के रूप में भली-भांति पहचानते हैं किंतु अनजान लोग हमारे लिए कुछ और हो जाते हैं इसलिए बलबाई प्रायः अपने मोहल्लों में नहीं दूसरे मोहल्लों में दंगा करते हैं, वहां पहचान से उत्पन्न मुरीबत नहीं होती। वहां कोई आदमी आदमी नहीं केवल हिन्दू या मुसलमान या सिख या और कोई कौम होता है। इसलिए किसी एक घटना ने उस क्रम के प्रति उनकी वद्धमूल अमली-नकली खीझ नफरत की आग बनकर फैल जाती है और सम्प्रदायों की भीड़ को निगलने लगती है।

हम लोगों को अपने पड़ोसी सिख परिवारों के प्रति बेहद चिंता थी। डर था कि हमारे मोहल्लों के लोग रात-बरात हल्ला बोलकर इन्हें खत्म न कर दें। हम लोग संगठित तो थे फिर भी डरे हुए थे—कहीं हजारों की भीड़ एक साथ टूट पड़ी तो ?

पहला दिन खूब अराजकता में बीता। आश्चर्य तो यह था कि इतना उत्पात होने के बावजूद न पुलिस थी न सेना। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री होने की घोषणा हो गयी थी। लगना था मारा मंत्रिमंडल और मत्ता इंदिरा जी की मृत्यु के दुःख में ही सिमट गयी थी। शहर में और देश में अनंत निरपराधों की जानें जा रही हैं, इसकी विंता किसी को नहीं थी। हम लोग बार-बार अधिकारियों को फोन कर रहे थे। उधर से या तो कोई जवाब नहीं मिलता था या उत्तर मिलता था—हम कुछ नहीं कर सकते। हम विस्मित थे कि आखिर सरकार इस नगर और पूरे देश में घटित हो रहे अमानवीय ताडव के प्रति बेखबर क्यों हैं ? इंदिरा जी की हत्या होते ही उमे इन घटनाओं की सम्भावना को पहचान लेना चाहिए था और तुरंत पुलिस तथा सेना को सावधान कर देना चाहिए था और कम-से-कम पहले दिन की शाम तक कर्फ्यू लगा देना चाहिए था। बाहर से दंगाइयों के समूह आते थे और सिख परिवारों के घरों के चक्कर लगाते थे—शायद उन्हें ठीक-ठीक पता नहीं चल पाता था कि सिखों के घर कौन-कौन से हैं ? बाणी विहार के लोगों की सतर्कता का ही परिणाम था कि बाहरी लोगों का सिख परिवारों का पता नहीं चल पाता था। वे अंदाज में इधर-उधर मंडराते थे। उत्तम नगर के कई मोहल्लों से उनके मरने और जलने की खबरें आती थीं तो हम बेहद परेशान हो जाते थे। कुछ मित्रों ने कुछ सिख परिवारों को अपने-अपने यहां छिपा रखा था। इसकी भनक उपद्रवियों को मिल गयी थी और वे बार-बार उन्हीं के घरों को फूक देने की धमकी दे रहे थे।

अराजकता में पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, मारे सिख परिवार कैसे गूहे, कहां रहे इसका एक नमूना देना चाहूंगा। तीसरे दिन कर्फ्यू लगा। हमारे मोहल्ले में भी सेना आ गयी थी।

हमारे घर से दूर पर एक सिख परिवार था—सूरतमिह जी का। पत्नी ने कहा—“सुनिये, सुना है सूरतमिह का परिवार अपने पड़ोसी मित्र धवन साहव के यहां था लेकिन लोगों को यह बात ज्ञान हो गयी। इसलिए फिर चुपके में वे लोग अपने घर में चले आये। उनकी छोटी जवान बेटी है। कहिये तो उसे अपने घर में रख लिया जाए।”

मैंने तुरन्त स्वीकृति दे दी और तय हुआ कि रात के अंधेरे में उसे बुला लिया

आयेगा। तब तक सड़क पर फौजी गाड़ियों की हलचल दिखाई पड़ी। मैं छत पर से नीचे उतरा और फौजियों से कहने गया कि फंसे हुए सिख-परिवारों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाइये। मेरे साथ मोहल्ले के दो-एक व्यक्ति और थे। हम फौज की गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि फौजी चिल्लाये—“खबरदार, कोई आगे न बढ़े, गोली मार दी जायेगी। सभी लोग अपने-अपने घरों में लौट जायें।” हम आगे नहीं बढ़ सके और निराश होकर लौट आये। पत्नी से बताया तो वे बोलीं—“मैं जा रही हूँ।” मैंने कहा—“जाओ, शायद औरत का लिहाज करें।”

वे गयीं तो लोग चिल्ला उठे—“मत जाइए मिसेज मिश्रा। फौज गोली मार देगी” किंतु वे बढ़ती ही गयीं। फौजी चिल्लाये—“रुक जाइये।” वे दोनों हाथ उठाये हुए फौजियों की तनी हुई बंदूकों के सामने बढ़ती ही गयीं। फौजी भी चकित थे। इनके पास पहुंचने पर आफिसर ने कहा—“कहिये मंडम, क्या बात है?”

“बात यह है कि कई सिख परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाइये।”

“चलिये, हम लोग तो इसीलिए आये हैं किंतु खबरदार, और कोई साथ नहीं आयेगा। आप हमें ले चलिये।”

पत्नी आगे-आगे और फौजी जीप पीछे-पीछे। पत्नी थोड़ी देर के लिए घर आयी थीं। फौजी जीप ज्यों ही बाणी विहार के अंदर सड़क पर आयी फौजियों ने देखा कुछ लोग घूम रहे हैं। आफिसर चिल्लाया—“खबरदार, गोली मार दूंगा।” भगदड़ मच गयी। पत्नी घर के पिछले दरवाजे से निकलीं तो देखा डा० रमाशंकर श्रीवास्तव गली में भागे आ रहे हैं हांफते-हांफते।

“अरे, इस तरह घबराये हुए से भाग क्यों रहे हैं?”

“अरे भाभी! मैं तो घूम रहा था कि एकाएक फौज की गाड़ी आ गयी और वे चिल्लाये कि भागो नहीं तो शूट करते हैं।”

बाद में पत्नी ने इस बात को लेकर डा० रमाशंकर जी का मजाक उड़ाया—“कैसे मर्द हैं आप लोग कि फौज की एक शिड़की पर गली-गली भागने लगे।”

“भाभी! आप मेरा ही मजाक उड़ायेंगी, गायन साहब को कुछ नहीं कहेंगी जो डपट सुनते ही पास के एक छोटे से गड्ढे में दुबककर लेट गये।”

हम लोग इस दृश्य की कल्पना करके खूब हंसे। वास्तव में गायन साहब की काया ऐसी है जो छोटे से छोटे गड्ढे में समा सकती है।

बहरहाल पत्नी घर से निकलकर फौज की गाड़ी के पास गयीं और आगे-आगे वे ओर पीछे-पीछे फौज की गाड़ी—यह कहती हुई कि खबरदार, मंडम के अलावा कोई सामने नहीं आयेगा।

पत्नी सरदार सूरतसिंह के यहाँ गयीं। दरवाजा खटखटाया। कोई आहट नहीं। उन्हें लगा कि भीतर भय की एक गहरी सरसराहट रेंग रही है। पत्नी ने आवाज दी—“खोलिये-खोलिये, मैं मिसेज मिश्रा हूँ। फौज के अफसर मेरे साथ हैं।”

लगा अंदर थोड़ी आश्वस्ति की सांस उठी। किसी लड़की ने कहा, “यह तबे

मिश्रा आंटी हैं।” उन लोगों ने दरवाजे के छेद से बाहर झाँककर निश्चित कर लेना चाहा कि जो कुछ कहा जा रहा है सही तो है न।

दरवाजा खुला। लोगों के चेहरे भय से स्तब्ध थे। सूरतसिंह और अन्य कई लोग खाट के नीचे दुबके पड़े थे, वहाँ से निकले। पत्नी का हृदय दहल गया और जब मैंने सुना तो कांप गया। दूसरों के किये की सजा दूसरे क्यों पाते हैं?

पत्नी इस परिवार को निकालने के बाद बारी-बारी से सारे सिख-परिवारों के यहां गाड़ी ले गयी और सबको फौज की छाया में सुरक्षित स्थानों को भिजवाया। मैं अपनी छत पर से ही लोगों को जाते हुए देख रहा था। लगता था जैसे लोग मौत के कुए में से निकलकर खुली हवा में आ गये हों किन्तु भय की स्तब्धता अभी भी चेहरों पर जमी हुई है।

मैं बड़ी क्षमिन्दगी महसूस कर रहा था कि वाणी विहार-विकास-समिति का अध्यक्ष होकर मैं वह नहीं कर सका जो पत्नी ने कर दिया किन्तु साथ ही पत्नी के इस साहस और मानवीय प्रयासों के लिए गहरा गौरव-बोध अनुभव कर रहा था। शायद मेरे हीनता-बोध को देखकर ही पत्नी ने कहा—“मैंने जो कुछ किया वह आपका ही किया हुआ है। आप मुझे न जाने देते तो मैं कैम जाती? आप जब असफल होकर लौटते थे तो आपके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। उसी को देखकर तो मैंने साहस किया। दरअसल आपकी बेचैनी ने मेरी बेचैनी को सक्रियता दी।”

मैं केवल मुसकराया था। यह चर्चा जोरो पर थी कि इस दंगे में कुछ कांग्रेसी नेताओं का हाथ था। पत्नी के प्रयत्नों के दो-चार दिन बाद मालूम पड़ा कि एक छूटभइया नेता किसी से कह रहा था—“सुना है वाणी विहार में मिसेज मिश्रा ने सिखों के बचाव में बहुत पुरुषार्थ दिखाया है। उन्हें सका फल भोगना पड़ेगा।”

हमने उस मित्र से कह दिया—“जाकर उससे कह दीजिये जो करना हो कर ले। ऐसे-वैसे सड़क छाप नेता हमने बहुत देखे हैं। फल हमें नहीं उसे और उस जैसे अनेक छोटे-बड़े नेताओं को भोगने पड़ेंगे।”

हर दंगे की तरह यह दंगा भी बीत गया किन्तु अपना बदनुमा दाग छोड़ गया और छोड़ गया तमाम असहाय लोगों को बेघर-बेसहारा तड़पते रहने के लिये। हर दंगे की तरह यह दंगा भी अपनी अमानवीय हरकतों के बीच कुछ अदभुत मूल्यवान मानवीय सम्बन्धों की घटनाएं दे गया। इन घटनाओं के माक्षात्कार से मन में यह विश्वास बना रह जाता है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच का इंसानी रिश्ता अभी बचा हुआ है और बचा रहेगा और जब तक बचा रहेगा, दुनिया बची रहेगी।

दक्षिण परिसर के हिन्दी विभाग में डा० विजयेन्द्र स्नातक सेवामुक्त हो चुके थे और डा० महेन्द्रकुमार उत्तर परिसर चले गये थे। डा० विश्वनाथ त्रिपाठी रीडर होकर

यहां आ गये थे। डा० नित्यानंद तिवारी भी कक्षा लेने दक्षिण परिसर आते थे और चूकि वे हम सभी के अच्छे मित्र है इसलिए लगता था कि वे भी दक्षिण परिसर के ही हैं। कुछ दिनों बाद जब महेन्द्र जी ने यहा की जगह खाली की तो नित्यानंद जी की नियुक्ति दक्षिण परिसर मे हो गयी।

दक्षिण परिसर का हिन्दी विभाग छोटा है और कहा जा सकता है कि उममे एक लय है। सभी लोग माथ ही बैठते है, दोपहर का खाना खाते हैं, चाय पीते रहते हैं, समस्याओ पर बात करते रहते हैं, हंसी-मजाक करते है तथा खुलकर हंसते है। मुझे भी एक दिन इनके साथ बैठकर भोजन करने का अवसर मिलता था क्योंकि सोमवार को जब इन लोगो की क्लास शुरू होती थी तब मेरी खत्म हो चुकी होती थी। बुधवार को मैं उत्तर परिसर जाना था, बृहस्पतिवार को इन तीनों की कक्षाएँ उत्तर परिसर में होती थी। बम, शुक्रवार ऐसा दिन होता था जब हम सभी साथ होते थे। वैसे भी प्रबन्ध-व्यवस्था से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं बना। उसमे कभी मेरी रुचि भी नहीं रही। बस, क्लास लेता था, विभाग जहा शरीक करता था शरीक हो जाता था। हेड और इंचार्ज होने की यातना से बच गया। एक बार माठ वर्ष का होने से पूर्व महीने-भर के लिए इंचार्ज होने की नौबत आ गयी थी। दो-चार कागजों पर हस्ताक्षर किये थे बस। कभी साहित्य सभा का परामर्शदाता था, उमसे भी मुक्ति मिल गयी थी। पुस्तकालय-समिति मे सदस्य था। कभी कोई प्रकाशक पुस्तके लाया, कुछ छाट-छूट ली बम। प्रशासनिक और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों मे कम मे कम लगाव के कारण मैं बहुत हलका-हलका महसूस करता था। बिभाग पर कोई आवश्यक बोझ नहीं होता था। मेरे इस सुख का श्रेय विभाग के अन्य मित्रो को है, विशेषतया डा० निर्मला जैन को। क्योंकि ये प्रशासनिक या व्यवस्था सम्बन्धी कार्य शैक्षिक कार्यों के साथ अपरिहार्य भाव से जुडे हुए है, किसी न किसी को तो करना ही पडेगा। अपने शैक्षिक कार्यों के साथ इन कार्यों को भी निर्मला जी बडी कुशलता और रुचि से सम्पादित करती थी, अतः उसका बोझ दूसरो के कंधो पर कम से कम पडता था। वैसे अन्य दोनो मित्र भी उन्हें भरपूर सहयोग देते रहे है और उन्होंने जब जहा चाहा मैं भी उनके साथ खडा रहा।

मित्र तो हम सभी है और एक-दूसरे की बातो का सम्मान करते है किन्तु विभाग मे मेरी सबसे अधिक समीपता रही डा० नित्यानंद तिवारी से। इसका कारण विभाग नहीं है वरन् विभाग के बाहर की दुनिया है। हम विभाग मे न होते तो भी शायद यह अंतरगता होती। शुरू मे वे राजधानी कालेज मे थे और मैं डी० ए० बी० कालेज मे और हम दोनो एक-दूसरे के निकट आये तो आते ही चले गये। हां, दक्षिण परिसर मे हम दोनो साथ हो गये तो इतना ही हुआ कि हम सप्ताह में तीन-चार बार अनायास ही मिल जाते रहे। नित्यानंद मे कई ऐसी बातें है जिनके कारण मैं एक बार जुडा तो उनसे जुडता ही चला गया। सबसे बडी बात यह है कि वे निश्छल व्यक्ति हैं, जो कहेँगे उस पर भरोसा किया जा सकता है। चाहे जीवन-व्यापार हो चाहे साहित्यालोचन, नित्यानंद मे गहरी विश्वसनीयता है। दूसरी बात यह है कि वे

स्वयं बहुत प्रखर आलोचक और मेघावी होने के बावजूद दूसरों का सम्मान करते हैं। दूसरे उन्हें यदि अच्छे लगते हैं तो खुले मन से उन्हें अच्छा कहते हैं। अपने प्रति तो वे बहुत निम्पूह हैं जैसे कुछ पाने की इच्छा ही न हो। जब तमाम छोटी-छोटी प्रतिभाएं लेखक या आलोचक के रूप में अपने को जनवाने के लिए लगातार हाथ-पांव मार रही हैं और आत्म-प्रचार में लीन हैं तब नित्यानंद अपनी प्रखर समीक्षात्मक प्रतिभा को लिए-दिए चुप हैं। मस्ती में कभी कुछ लिख देते हैं या कोई लिखवा लेता है तो लिख देते हैं फिर उसके बारे में डंका नहीं पीटते। बस पढ़ना, मित्रों और शिष्यों के लिये हमेशा कुछ करने के लिये उत्सुक रहना, उनके साथ चाय पीना, पान खाना और अनेक साहित्यिक और सामाजिक सवालों पर बातचीत करना और मन से अपनी कक्षाएं पढ़ाना उनका सुख है। जहां वे अपनी पसंद के साथ जुड़े व्यक्तियों और सन्दर्भों के प्रति अपने को खोल देते हैं वहीं नापसंदों के प्रति तुर्ष भी हो उठते हैं। उनसे खूब जूझते भी हैं। वे जनवादियों में जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ लेकिन न वे कभी किसी वाद के कठघरे में बंद हुए न मैं। हमने एक व्यापक और कलात्मक रूप में ही साहित्य में जनवाद या प्रगतिवाद की उपस्थिति स्वीकार की है।

नित्यानंद के साथ मेरी मैत्री का कारण व्यक्तिगत पसंद तो है ही, साहित्यिक पसंद भी है। मैंने कभी यह भ्रम नहीं पाला कि मैं महान् साहित्यकार हूँ किन्तु यह हीनताबोध भी नहीं है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मुझे इतना विश्वास है कि मैंने हर विधा में अच्छा और सार्थक लेखन किया है, जिसे उसके बारे में बोलना है बोले, चुप रहना है चुप रहे। नित्यानंद मेरे साहित्य के बारे में बोलते हैं, बोलते रहे हैं और जो बोलना होता है खुले मन से बोलते हैं—पक्ष में भी, विपक्ष में भी। उन्होंने मेरी अनेक कृतियों पर बहुत महत्त्वपूर्ण समीक्षाएं भी लिखी हैं। वे मेरी अच्छी रचनाओं को देखकर उसी प्रकार खुश होते हैं जैसे उन्होंने स्वयं लिखी हो। नित्यानंद जी मुझे भी निश्चल अपनापन देते हैं और मेरे साहित्य को भी। विभाग में एक साथ बैठने वाले रामदरश मिश्र और नित्यानंद तिवारी इन तमाम सन्दर्भों से जुड़े रामदरश मिश्र और नित्यानंद तिवारी होते हैं, अतः वहां भी मैं इनसे सर्वाधिक समीपता अनुभव करता हूँ।

मेरी सेवा-मुक्ति के वर्ष में नित्यानंद तिवारी तथा ज्ञानचंद गुप्त ने 'रचनाकार रामदरश मिश्र' नाम की पुस्तक सम्पादित कर मेरे समग्र साहित्य का मूल्यांकन प्रस्तुत किया। मुझे अच्छा बल्कि बहुत अच्छा लगता ही था। विभाग से इसका कोई सरोकार नहीं था किन्तु नित्यानंद जी इसे विभाग से जोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डा० निर्मला जैन और डा० विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रसन्न सहमति से विदाई-समारोह के अवसर पर उसे समकुलपति के हाथों मुझे भेंट करवाया। मैं इसीलिए कह रहा था कि विभाग में मेरे और नित्यानंद की मैत्री का आधार विभाग में नहीं, कहीं विभाग से बाहर था जो यहां भी अपनी भूमिका अदा करता था।

बहरहाल विदाई-समारोह मेरे लिये चिरस्मरणीय प्रसंग है। कुछ दिन पहले एम० ए० के छात्रों ने मुझ पर अपने सद्भावों की वर्ष की थी। उस दिन विभाग के साथियों ने मुझ पर अपनी आत्मीयता का आशीष ढरकाया था। डा० नगेन्द्र,

डा० आबाद अहमद, डा० गंगराडे, डा० नामवरसिंह, डा० तारकनाथ बाली, डा० निर्मला जैन ने अपने-अपने शब्दों से और विभाग तथा कालेज के अनेक मित्रों ने अपनी उल्लासपूर्ण उपस्थिति से मुझे जो अपनापन दिया उससे मुझे तथा मेरे साहित्य को और जीवन-शक्ति प्राप्त हुई ।

इसी क्रम में यानी मेरे पैंसठ वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में भारतीय लेखक संगठन ने एक साहित्यिक आयोजन किया । मेरी साठवीं वर्ष गांठ पर भी प्रभात प्रकाशन के सहयोग से वह एक आयोजन कर चुका था । प्रभात प्रकाशन के श्यामसुंदर जी ने इस अवसर पर बड़े उत्साह के साथ मेरी 61 कहानियों का एक संग्रह 'इकसठ कहानियाँ' नाम से प्रकाशित किया था । जैनेन्द्र जी ने उस अवसर पर उसका लोकार्पण किया था । अध्यक्षता की थी नगेन्द्र जी ने । इस आयोजन में संगठन के मेरे मित्रों के प्रयास से शहर के अनेक गण्यमान्य साहित्यकार आये । डा० स्नातक ने अध्यक्षता की । कमलेश्वर मुख्य अतिथि थे । लेखक-संगठन के अध्यक्ष डा० तारकनाथ बाली, उपाध्यक्ष डा० नरेन्द्र मोहन, महासचिव विनय, सचिव डा० रत्नलाल शर्मा आदि ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत श्रम किया और इन लोगो ने तथा कन्हैयालाल नदन, हरदयाल, महीर्षिसिंह, प्रताप सहगल, के० जी० वर्मा, धर्मेन्द्र गुप्त, गोपालकृष्ण कौल ने मेरे सम्बन्ध में जो कुछ कहा उससे मुझे बहुत बल मिला । मैंने उसे फूल की तरह अपने भीतर धारण कर लिया है जिसकी खुशबू आती रहती है । मित्रों, पाठकों, छात्रों और अनेक लोगों के अपनेपन की खुशबू मेरे भीतर बनी रहे, जीवन की इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है—

“मिला क्या न मुझको ऐ दुनिया तुम्हारी
मुहब्बत मिली है मगर धीरे-धीरे ।”

मेरा स्वभाव धरेलू है । इसका कारण मेरा स्वभाव तो है ही, मेरा पारिवारिक परिवेश भी है । मेरा पारिवारिक परिवेश सदा मेरे अनुकूल रहा । पत्नी का साहचर्य मेरे लिए इतना प्रसन्न रहा कि घर मेरे लिए आश्वस्ति का नाम बन गया । बस, मैं अपने काम से बाहर निकलता था और लौटकर घर आ जाता था । घर के लोगों के बीच मुझे अच्छा लगता था । दिन-भर भटकना, संबंधों की तलाश करना और विशेष अभिप्राय से संबंध जोड़ते चलना और समय आने पर उन संबंधों का उपभोग करना मेरे स्वभाव में भी नहीं रहा और ऐसा करने के लिए अलगाव की जो स्थिति होती है वह भी मेरे साथ नहीं थी । घर का गहरा लगाव मुझे भटकने से रोकता था और अपने पास खींच लाता था । यह अच्छा है या बुरा, इससे मैंने भीतिक दृष्टि से क्या खोया क्या पाया, यह अलग सवाल है । जो स्थिति है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और जहाँ तक पाने का सवाल है

मैंने बहुत पाया। आत्मीयता के ठोस परिवेश में जीकर मैं भीतर से बहुत भरापुरा अनुभव करता रहा। आत्मीयता का यही ठोस परिवेश मित्रों के साथ भी रहा। मैंने बहुत मम्बन्ध नहीं बनाये, लेकिन जो बने वे बहुत मूर्त हैं।

लिखने-पढ़ने की प्रवृत्ति के साथ मुझमें घरेलूपन रहा है। गांव में था तो घर-गृहस्थी के काम करता था, मां के साथ कभी-कभी चक्की पर बैठ जाता था और उसके मना करने पर भी थोड़ी देर तक उसके साथ चक्की चलाता था। मां का अकेलापन मुझे उसके साथ काम करने के लिए प्रेरित करता था। वह बहुत कर्मठ थी और बिना किसी दीन भाव के बहुत जीवट के साथ अनेक काम सम्पन्न करती थी, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी किन्तु मुझे लगता था कि इसके काम में थोड़ा-थोड़ा हाथ बंटाऊं। मैं बंटा क्या सकता था लेकिन इससे मेरे घरेलूपन की प्रवृत्ति का एक अंदाज मिलता है।

बाहर पढाई के क्रम में अपने हाथ से खाना बनाने और अपने अन्य सारे कार्य करने का अभ्यास बना। यद्यपि मैं निपुण किमी में नहीं हुआ पर निपुणता के लिए नहीं, काम चलाने के लिए मैं ये सारे काम करना था। शादी के बाद पत्नी के साथ जीवन-यात्रा शुरू हुई। बनारस, बड़ौदा, अहमदाबाद, नवसारी, दिल्ली इस जीवन-यात्रा के पड़ाव हैं। पत्नी भी मा की तरह बहुत कर्मठ हैं। शादी के समय के नववय से लेकर आज तक वे जीवन-कर्म से साहस और उत्साह के साथ जूझती रही। कोई भी साथ नहीं था। जब वे बीमार पड़ती थी या मां बनती थी तब भी मेरे सिवा उनकी देखभाल करने वाला कौन था? मैं चाय बनाता था, दूध गरम करता था, जैसा भी बना सकता था खाना बनाता था, घर के और मारे काम करता था, उनकी प्रसूति के समय पुष्टई-वृष्टई बना देता था, उनके साथ बैठकर सब्जी काट देना, आलू या मटर छील देना, गेहूँ चिनवा देना, उनके बीमार पड़ने पर अंगीठा जला देना आदि कार्यों से कभी-कभी मैं सहज भाव से गुजरता रहा हूँ। इसमें मुझे सुख मिलता है, ठोस पारिवारिक आत्मीयता मिलती है। मेरे मन में सैद्धान्तिक रूप से स्त्री-पुरुष के कार्यों के सख्त विभाजन का आग्रह कभी नहीं रहा। यह बात दूसरी है कि व्यावहारिक रूप में हम अलग-अलग काम करते हैं किन्तु आवश्यकतावश हम दोनों एक-दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते रहते हैं। मैंने कम ही प्रवेश किया किन्तु पत्नी ने अपना सारा काम करते हुए भी अनेक ऐसे कामों का जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया जो मुझे करने चाहिए थे। यानी जो काम पुरुषों के होते हैं उन्हें अपना बनाकर वे करती रही।

बहुत-से पुरुष ऐसे हैं जो वैसे तो बहुत आधुनिक बनते हैं किन्तु पुरुष संस्कारवश या आलस्यवश वे छोटे-छोटे कामों के लिए भी पत्नी को आदेश देते रहते हैं। पत्नी उनके समान ही नौकरी करती है और बैसी ही व्यस्त रहती है तो भी वे पानी भी पत्नी से मांगेंगे, चाय पत्नी से मांगेंगे। यह बात तो समझ में आती है कि कुछ मित्र आ गए हों और पत्नी फुरसत में हो तो वह चाय-नाश्ता बनाकर लाये। लेकिन यह कहां का पुरुषार्थ है कि आप खाली बैठे हैं और पत्नी आटा गूँध रही है और आप चिल्ला रहे हैं कि एक कप चाय दे जाओ और तुरंत यह कि हृष्य घोरने में उस बेचारी को थोड़ा बिलम्ब

हो गया है तो आपका खोखला पुरुषोचित दम्भ डाट-फटकार में बदल रहा है। पत्नी बकी-हारी आफिम से आ रही है और आप पहले के आये हुए हैं या छुट्टी पर हैं या यों ही खानी बैठे हैं और आते ही आदेश शुरू कि चाय पिलाओ। होना तो यह चाहिए था कि आप अपने लिए खुद चाय बना लेते और पत्नी के आने पर चाय बनाकर उसे पेश करते, फिर देखते सम्बन्धों में कितनी मिठास आ जाती। आपका दम्भ भले ही तृप्त न होता, आपको गहरा आंतरिक सतोष मिलता, आप मही अर्थों में अपने सहचर होने को प्रमाणित कर पाते। आप अपनी उस मनुष्यता की एक छोटी-सी ही मही, ठोस पहचान प्रस्तुत कर पाते जिसे अपनी रचनाओं और भाषणों में उगलते रहते हैं।

मैंने कहा न घर से निकलकर दिन-भर यहां-वहां भटकना मुझे राम नहीं आता। मेरा स्वभाव भी नहीं है और स्थितिया भी नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वे सुबह घर में निकलते हैं तो तब तक घर नहीं लौटते जब तक कि लौटना जरूरी न हो जाए। इसका एक कारण तो ममज्ञ में आता रहा कि वे लोग सम्बन्धों की खोज करते रहने हैं, सम्पर्क बनाने रहते हैं, पता नहीं कौन सम्पर्क और सम्बन्ध कब उनके काम आ जाए। लेकिन गहराई में जाने पर ज्ञात होता है कि उनके घर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उन्हें अपनी ओर खींचे बल्कि उलटा उन्हें अपन से दूर धकेलता रहता है। जो भी हो घर से यह अलगाव उनकी सांसारिक उपलब्धियों का कारण बनता है। प्राप्ति के लिए बाहर सारा जोड़-तोड़ करने का उन्हें अवसर प्रदान करता है। और यह भी विचित्र ही है कि भावात्मक स्तर पर घर से अलगाव झेलते हुए ये महापुरुष स्वार्थ के स्तर पर अपने घर के लिए कितना गहरा लगाव अनुभव करते हैं। दूरधसन बाहर-बाहर वे जो सबध निमित्त करते हैं उसका लाभ केवल उन्हीं को थोड़े ही होता है, उनके पूरे परिवार को बल्कि परिवार दर परिवार को होता है। सारे मूल्यों को ताक पर रखकर अपने उन परिवारजनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं जिनके अलगाव के कारण वे बाहर-बाहर भटकने के लिए अभिशप्त होते हैं। वैसे अपने परिवार के हित के लिए किसे चिंता नहीं होती और कौन चाहता है कि उसके परिवार के लिए कुछ न किया जाए? यह बड़ा स्वाभाविक है और यह स्वाभाविकता की सीमा तक तो ठीक लगता है किन्तु कुछ लोग इसे बीभत्स व्यावसायिक स्तर तक खींच ले जाते हैं। किसी प्रकार उनके परिवार का काम होना ही चाहिए। माम, दाम, दंड, भेद किसी का भी इस्तेमाल करना हो ये करेंगे और अपने अयोग्य पुत्र-पुत्रियों को योग्य छात्रों की उपेक्षा करवाकर दाखिला दिलायेंगे, प्रथम श्रेणी दिलायेंगे बल्कि टॉप करायेंगे, पहले उन्हें ही नौकरी दिलायेंगे, तरक्की दिलायेंगे, पत्नी को लेक्चरर, रीडर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर बनवायेंगे और यह सब करने में उन्हें कही सकोच नहीं होगा, कही भी उनकी आत्मा चरमरायेगी नहीं।

सोचता हूँ अच्छा ही हुआ कि मेरे स्वभाव और पारिवारिक स्थितियों ने मुझे चरेलू बना दिया। इससे परिवार के लोगों को जो मिला या नहीं मिला उसके लिए श्रायः वे स्वयं जिम्मेवार हैं, मेरी शरीरकता कम से कम रही। न मुझमें दाता का अहंकार जागा, न उनमें परावलम्बिता और दीनता का बोध। वे जो कुछ है वे स्वयं हैं, आरोपित नहीं हैं। इससे परिवार में एक सहजता बनी रही और इस सहजता में मैं लगातार

भरापुरापन अनुभव करता गया ।

बच्चे हुए । देशी स्कूलों में पढ़े और वे देशी आचरण ही करते रहे । परिवार विदेशी कृत्रिमता से विकृत नहीं हुआ । मैं इनके मुख-दुःख के साथ जुड़ा हुआ चलता रहा । बहुएं आयीं । उनमें भी पारिवारिक सहजता मिली और गृहता का रस और गाढ़ा हो गया । यह भी सुखद संयोग है कि परिवार विखरा नहीं । हेमंत धारावाहिकों और सिनेमा के क्षेत्र में ज्यादा चमकने के लिए बम्बई जा सकते थे, नहीं गये । दिल्ली में घर का लगाव छोड़कर कैरियर के लिए बम्बई में भटकने की उन्हें कभी इच्छा ही नहीं हुई । अतः वे, उनकी पत्नी माया और तीनों बच्चे वर्षा, स्वानी और शुभ्रा मेरे साथ ही है । गशांक की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली जोन में ही हुई । अतः फिलहाल वे भी अपनी पत्नी रीता तथा पुत्र उत्सव के साथ मेरे साथ ही है । सौभाग्य से मेरे जामाता अश्विनी तिवारी भी दिल्ली आ गये और पास के मोहल्ले बिकागपुरी में रहने लगे और इस प्रकार वे तथा बेटी अंज और घेवतिया मेहा और आशी भी इस परिवार के सदस्य बने हुए है । छोटी बेटी स्मिता तो अभी साथ है ही ।

वैसे तो बुढ़ापे में अकेलेपन के तमाम किस्से सुने हैं, पढ़े हैं, फिल्मों में देखे हैं किन्तु अपने अनेक मित्रों को इस अकेलेपन को झेलते हुए साक्षात् देखा है, अनुभव किया है । लडके विदेश चले गये या अपने ही देश में यायावगी नौकरी का प्रवाह में बह रहे हैं । लडकियां शादी के बाद अपनी-अपनी मसुराल चली गयी । बाप ने अपनी नौकरी के दौरान पैसे बचा-बचाकर अपने परिवार के लिए जो मकान बनवाया, उसमें रहने के लिए वही बच गया—पत्नी के साथ या अकेले । ये बच्चों के साथ रह नहीं सकते क्योंकि कई बच्चे हुए तो वे बारी-बारी में सामान की तरह मां-बाप को या मां और बाप को अलग-अलग कुछ दिनों के लिए अपने-अपने घर ले जाते हैं और वहां प्रायः वे गृहता की उष्मा पाने के स्थान पर ठंडी उपेक्षा ही पाते हैं । इसलिए स्वाभिमान और आर्थिक दृष्टि में स्वावलम्बी मां-बाप प्रायः अकेले ही अपने घर में रहना पसंद करते हैं । उस अकेलेपन का अपना भयानक दंश झेलते हैं किन्तु उममें वे अपने मन के अनुसार रह तो सकते हैं, बात-बात में बेटे या बहू की चुभनी हुई मौन या मुखर नजर तो नहीं झेलनी पड़ती । सबसे अधिक पीड़ा होती है औरत को । पुरुष तो लोगों से मिलने-जुलने का रास्ता निकालकर अपने अकेलेपन को कम कर लेता है किन्तु औरत वहां जाए ? दो आदमियों का खाना नाना है, बना लिया, चाय-नाश्ता तैयार करना है, कर लिया । फिर क्या करे ? यदि पढ़ी-लिखी नहीं है और पढ़ी-लिखी होना पर भी पढ़ने में रुचि नहीं बन पायी है तो क्या करे ? घर की मनभनाती उदासी के बीच बैठी हुई बेटों और पोतों को याद करती रहती है । कभी पास-पड़ोस में चली जाती है या पास-पड़ोस से कोई चली आती है तो कुछ देर के लिए अकेलेपन की मनभनाहट में कोई और राग उभर जाता है ।

सबसे भयानक स्थिति तब होती है जब इन साधियों में से कोई एक साथ छोड़कर चला जाता है । साथ-साथ लम्बी दूरी पार करते हुए चलने वाले दो सहयात्रियों में से एक एकाएक किसी मोड़ पर रुक जाये तो कैसा लगता होगा ? आगे का रास्ता कितना वीरान और थकाऊ लगता होगा और पीछे के रास्ते की सहयात्रा की अनेक

स्मृतियाँ इस वीरानगी और थकान को कितना भारी बना जाती होंगी? विवश होकर बचा हुआ यात्री अपने बच्चों के साथ रहने की नियति झेलता है, अच्छी भी, बुरी भी। प्रायः बुरी ही। किसी भी स्थिति में इसे झेलने के लिए अभिशप्त हो जाता है और झेलता हुआ अपनी बूढ़ी आँखों में अपने सहयात्री का बिम्ब बार-बार भर लेता है और छिपकर आँसुओं में बहा देता है।

मैं मौभाग्यशाली हूँ कि एक बड़े परिवार की गहरी उष्मा के बीच रह रहा हूँ। पत्नी अभी पूरे परिवार के लिए उसी तरह सक्रिय हैं जैसे पहले थी। उनकी सक्रियता किसी मजबूरी के तहत नहीं, उनके स्वभाव के तहत है। सेवामुक्त होने के बाद मेरी दुनिया कहीं से भी सूनी नहीं हुई है, वह बाहर और भीतर से वैसे ही भरी हुई है बल्कि प्रसन्नता का एक नया आयाम जुड़ गया है कि अब यह समय मेरा निहायत अपना है, इसे नियोजित करके नहीं, इसमें अपने को खुला छोड़कर जीऊंगा। मेरी सक्रियता मेरी अपनी है, किसी के द्वारा दी गयी नहीं है और वह निजी सक्रियता भी इतनी है कि वह कहीं से मुझे खाली होने नहीं देगी।

मैंने कहा न कि मैं इस समय में अपने को खुला छोड़कर जीना चाहता हूँ इसलिए यह दबाव मन पर नहीं पाल रहा हूँ कि इस बचे समय में मुझे कुछ महान् कार्य करने हैं, कुछ महान् लेखन करना है, नियमित रूप से कुछ लिखते-पढ़ते रहना ही है बल्कि अपने को मुक्त छोड़कर सोचता हूँ—जो लिखने का मन होगा लिखूंगा, जो पढ़ने का मन होगा पढ़ूंगा, नहीं तो बैठा रहूंगा, मित्रों से गपशप करूंगा या कहीं घूमने निकल जाऊंगा, टी० वी० देखूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि घरवालों के साथ बैठकर कहकहे लगाऊंगा और बच्चों के साथ खेलूंगा।

हां, बच्चों के साथ खेलूंगा। दो छोटे बच्चे उत्तू (उत्सव) और चुक्कू (शुभ्रा) दिन को भरे रहने के लिए पर्याप्त है। उत्सव साढ़े तीन साल का है और चुक्कू तीन साल की। यह जोड़ी अद्भुत है। दोनों एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और जब भिड़ेंगे तो छुड़ाना कठिन हो जाएगा। दोनों समान शब्दों और क्रियाओं को सीखते हैं। एक कुछ कहेगा तो दूसरा वही कहेगा। एक को कुछ कीजिये तो दूसरा भी सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि उसके साथ भी वही किया जाये। यहां तक कि यदि एक को खेल-खेल में थप्पड़ मार दिया जाये तो दूसरा हंसता हुआ आगे आ जायेगा थप्पड़ खाने के लिए। एक हंसेगा तो दूसरा भी हंसेगा। एक के रोने पर दूसरा तो नहीं रोयेगा किंतु आपस में टकराने के बाद दोनों को साथ रोना ही पड़ता है। उत्सव यानी उत्तू बहुत खुशदिल है। वह हंसता रहता है। उसे कहता हूँ कि उत्तू हंसता रहता है तो वह देर तक बनाबटी हंसी हंसता रहता है। बनाबटी डकार मारता है, बन्दूक चलाता है तो मुंह से देर तक गोली चलने की आवाज निकालता है। मैं लिखता रहूंगा तो पास आकर बैठ जायेगा और कहेगा लिखूंगा। फिर मेरी तख्ती और पेन लेकर देर तक कुछ गाँजता रहेगा या फिर मेरे नाम की मुहर लेकर कागज पर मारता रहेगा और जब थक जायेगा तो कहेगा, “बस, बहुत लिख दिया, अब कल।”

वह खूब नाचता है। टी० वी० या रेडियो के गीतों की धुन पर मस्त होकर

नाचता है और गीतों की लय के अनुसार नृत्य की गति पेश करता है। चुक्कू भी उसका साथ देती है। उसे घूमने का बड़ा शौक है। खासकर जब उसके पिता शशांक या दादी कहीं बाहर निकलती हैं तो वह साथ जाने की बेहद जिद करता है इसलिए इन लोगों को छिपकर निकलना पड़ता है। ताऊ हेमंत से भी खूब घुला-मिला है। वे तो बाजार जाते हैं तो सभी बच्चों को बटोरकर ले जाते हैं। अपने छोटे चाचा विवेक से भी उसकी खूब पटती है और गहरी छनती है। वह मेरी बड़ी घेवती मेहा से भी बहुत घुला-मिला है। मेहा भी उसे बहुत प्यार करती है। वास्तव में दो घेवतियों और तीन पोतियों के बीच यह अकेला लड़का है इसलिए इसे सभी बच्चियां चाहती हैं यानी यह सबका लाड़ला है किन्तु मेहा की बात ही और है। जब वह आयेगी तो इससे चिपक जायेगी और यह भी उससे चिपक जायेगा।

उत्तू को फोन करने का बड़ा शौक है। जब विवेक का या ननिहाल से नाना, मामा या मौमियों का फोन आयेगा तो ज़रूर बात करेगा। एक दिन उत्तू कमरे में अकेला था। मैं गया तो देखा फोन उठाये था और किसी से बात कर रहा था। मैंने समझा कि किसी का फोन आया होगा और इसने उठा लिया होगा। मैंने उससे फोन ले लिया और पूछा, “किससे बात करनी है?” जवाब आया—“मुझे नहीं बात करनी है। आपके यहां से ही किसी ने फोन किया था और देर से एक लड़का बोल रहा है।” मैं हंसा और फोन रब दिया और उत्तू महाराज हंसे जा रहे थे।

उत्तू जी बड़ों से जो बात सुनते हैं उसका प्रयोग करते रहते हैं और बड़ा सटीक प्रयोग करते हैं। किसी से नाक कट जायेगी का मुहावरा सुन लिया था। दादी के साथ बाजार जा रहे थे। दादी ने रास्ते में कहा, “बेटे, मेरी उंगली पकड़ लो।” उत्तू जी बोले, “नहीं अम्मा (वे दादी को अम्मा बोलते हैं), मेरी नाक कट जायेगी।” उत्तू न जाने कितनी-कितनी लीलाएं करते रहते हैं और चुक्कू उनका साथ देती रहती है। चुक्कू जब तक खुश रहेगी, रहेगी, नहीं तो मामूली-सी बात में खड़े गिर पड़ेगी और वहीं हाथ-पांव मारती हुई चिल्लाती रहेगी, किसी की क्या मजाल कि उसे वहां से उठा ले। चुक्कूजी की भी बुद्धि कम प्रखर नहीं है। वे भी एक-एक हीरक वाक्य बोलती रहेंगी और अपनी प्रतिभा के चमत्कार पर नाक सिकोड़कर देर तक नकली हंसी हंसती रहेंगी। अब बताइये जहां ऐसे बच्चे हों वहां अकेलेपन का सवाल कहां उठता है? यों तो ये दोनों बच्चे अकेले ही काफी हैं घर की रौनक और चहल-पहल बढ़ाने के लिए किन्तु इनके अतिरिक्त वर्षा, स्वाती भी तो हैं और दोनों घेवतियां (मेहा और आशी) भी तो हैं। इन चारों का अपना-अपना रंग है। वर्षा, स्वाती से बड़ी है और बड़ी होने का उसका स्वभाव भी है। शांत, गम्भीर, पढ़ने-लिखने तथा अन्य कार्यों में दत्तचित्त रहने वाली। पुकारो तो बहुत अदब से बोलेगी—“जी दादा जी, जी दादी जी।” और कोई काम कहो तो तत्परता में कर देगी। तन्मय होकर पढ़नी भी है और कलात्मक रचि भी रखती है। अच्छा नृत्य करती है, चित्र बनाती है, बड़े ध्यान से मेरी कविताएं सुनती है। स्वाती वर्षा की अपेक्षा शरीर से स्वस्थ है। वह लापरवाह है। डांटो तो हंसती रहेगी, अनेक नाटकीय मुद्राएं बनायेगी, उत्पात करेगी, बहाने बनायेगी लेकिन इन सारी

क्रियाओं के बीच उसका व्यक्तित्व बहुत प्यारा लगता है—गदबदे शरीर में एक गदबदा मन । मन लगाकर कोई काम करे तो उसे पकड़ने में उमे देर नहीं लगेगी । विनोदी अभिनय भी बहुत कुशलता से करती है ।

धैर्यतियो में मेहा बड़ी है । इन दोनों बहनों में प्रायः वही समीकरण है जो दोनों पोटियो में है । मेहा, वर्षा की तरह गम्भीर स्वभाव की है । वह पढाई से लेकर अन्य कार्यों के प्रति ज्यादा सजीदा है, उसकी भी रुचि कलात्मक है ।

पढाई के साथ-साथ उसका भी प्रवेश चित्र और नृत्य में है । उसे भी कविता से लगाव है और आशी शरारती है । उसकी वाणी, आखों और क्रिया-कलापों में शरारत बरसती है । हाजिरजवाब है । किसी भी बात का फटाक से सटीक उत्तर देती है । लापरवाह है लेकिन मेधा प्रखर है इसलिए जिस काम में ध्यान कान्द्रत करती है उसे शीघ्र ही कुशलता से सम्पन्न कर लेती है । कलात्मक रुचि इसकी भी है ।

जब ये चारों हमारे यहाँ एकत्र हो जाती है तब आसमान सिर पर उठा लेती है । मेहा और वर्षा की एक जाड़ी बन जाती है, स्वानी और आशी की दूसरी जोड़ी । मेहा और वर्षा में जैसे काफी समानता है वैसे ही स्वानी और आशी में । स्वानी-आशी में एक असमानता यह है कि स्वानी गदबदी है और आशी दुबली-पनली और लम्बी । उसकी आँखें भूरी हैं और बहुत जल्दी-जल्दी बोलती है यानी मेहा, वर्षा मुझसे कोई शिकायत करती है तो स्वानी, आशी मिलकर उसका प्रतिवाद करती है या इसके उलटा होता है । मेरे लाख मना करने पर भी घर खेल-खिलौनों से भर जायेगा । इनकी सम्मिलित आवाजे आगे से पीछे, पीछे से आगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भागती फिरेंगी । डाटने पर थोड़ी देर के लिए चुप्पा रहेगी । चारों चुप होकर आँखों-आँखों में मुसकरायेगी फिर थोड़ा हटकर शुरू हो जायेगी ।

उत्तू-चुक्कू सुविधानुसार कभी इस दल के साथ, कभी उस दल के साथ हलचल मचाते भागते रहेगे । वैसे उत्तू का गहरा सम्बन्ध मेहा में ही है । मेहा आती है तो उसका अधिक समय उत्तू के साथ ही बीतता है अतः उत्तू प्रायः मेहा की टीम के साथ रहता है । इस हलचल और चहल-पहल-भरे परिवार में अकेलेपन के फटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता । कब दिन बीत जाता है ज्ञात ही नहीं होता । अनेक सासांगिक अनुपलब्धियों के बावजूद परिवार का यह जो भरापुरापन हमें मिला है, उससे हम बहुत प्यार करते हैं । जिस किसी शक्ति के कारण हमें यह वरदान मिला है उसके प्रति हम गहरा आभार व्यक्त करते हैं और उसके प्रति प्रार्थना में झुकते हैं कि हमारा यह पारिवारिक सुख बना रहे ।

□

